उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

—:०:—

खण्ड १२०

—०—

बुधवार, ४ मार्च, १९५३ से शुक्रवार, १३ मार्च, १९५३ तक

मुद्रक

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

१९५३

मूल्य : बिना महसूल ४ आने; महसूल सहित ५ आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये; महसूल सहित १२ रुपये।

विषय सूची

खंड १२०

बुधवार, ४ मार्च, १९५३

बृहस्पतिवार, ५ मार्च, १९५३

बृहस्पतिवार, १२ मार्च, १९५३

शुक्रवार, १३ मार्च, १९५३

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

मन्त्री परिषद्

श्री गोविन्द वल्लभ पंत, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, नियोजन तथा सहकारिता मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी, एम० एल ० ए०, वित्त तथा विद्युत मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, उद्योग तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री

श्री सैयद अली ज़हीर, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम०ए ल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हर गोविन्द सिंह, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री सोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वशासन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन मंत्री।

उपमन्त्री

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, योजना उपमंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी ०एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री।

श्री मुज़फ्फ़र हसन, एम० एल० ए०, कारावास उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

सभासचिव

मुख्य मंत्री के सभासचिव

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए० ।

अन्न मंत्री के सभासचिव

१. श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०,

२. श्री बनारसी दास, एम० एल० ए० ।

उद्योग मंत्री के सभासचिव

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, एम० ए०, एम० एल० ए० ।

माल मंत्री के सभासचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, एम० एल० ए० ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव

डाक्टर साता राम, एम० एस-सी० विस, पी एच० डी०, एम० एल० ए० ।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

सदस्यों के नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१—अंसमान सिंह, श्री	.. बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	.. गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज़ इमाम, श्री	.. मिर्ज़ापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री	.. रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्त स्वरूप सिंह, श्री	.. फतेहपुर (दक्षिण)–खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज़ खां, श्री	.. खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री	.. फतेहपुर (पूर्व)–खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	.. मिर्ज़ापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	.. उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद	.. लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	.. फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	.. छिबरामऊ (पूर्व)–फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेशप्रताप सिंह, श्री	.. बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री	.. सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविंद खेर, श्री	.. झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री	.. नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	.. फूलपूर (दक्षिण)
१८—इर्तिजा हुसैन, श्री	.. बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसरारुल हक, श्री	.. फिरोज़ाबाद–फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसैन, श्री	.. गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री	.. सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री	.. चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)–रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री	.. नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही घाट-
२४—उम्मेद सिंह, श्री	.. उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री	.. ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
२६—ऐजाज़ रसूल, श्री	.. शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री	.. दातागंज (उत्तर)-बदायूं
२८—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	.. शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री	.. चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री	.. सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री	.. मोहमदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री	.. गुन्नौर (उत्तर)
३३—करन सिंह, श्री	.. निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री	.. हजूर मिलक (उत्तर)
३५—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	.. चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री	.. लालगंज (दक्षिण)
३७—कालीचरण टंडन, श्री	.. कन्नौज (उत्तर)
३८—काशी प्रसाद पांडेय, श्री	.. कादीपुर

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३९—किन्दर लाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
४०—किशनस्वरूप भटनागर, श्री	..	खुरजा
४१—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४२—कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
४३—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४—कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४५—कृष्ण शरण आर्य, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)-शाहाबाद
४६—केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
४७—केवलसिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८—केशभान राय, श्री	..	बांस गांव (मध्य)
४९—केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५०—केशव पांडेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५१—केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५२—कैलाश प्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५३—खयाली राम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५४—खुशी राम, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत
५५—खूब सिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
५६—गंगाधर, श्री	..	चमोली (पश्चिम)-गौड़ी (उत्तर)
५७—गंगाधर जाटव, श्री	..	फिरोज़ाबाद-फतेहाबाद
५८—गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख
५९—गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व-गोंडा (दक्षिण)
६०—गंगा प्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६१—गजेन्द्र सिंह, श्री	..	बिधूना (पूर्व)
६२—गज्जू राम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण) झांसी-(पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)।
६३—गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर)
६४—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५—गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	..	बांस गांव (दक्षिण-पश्चिम)
६६—गिरजारमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
६७—गिरधारी लाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
६८—गुप्तार सिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
६९—गुरुप्रसाद पांडेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७०—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (दक्षिण)-अमेठी (पश्चिम)
७१—गुलज़ार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
७२—गेंदा सिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७३—गोपी नाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७४—गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५—गोविंद वल्लभ पंत, श्री	..	बरेली नगरपालिका
७६—गौरी राम, श्री	..	फरेंदा (मध्य)
७७—घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही घाट

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
७८—घासी राम जाटव, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)।
७९—चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई-जालौन (दक्षिण)
८०—चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री		डलमऊ (पूर्व)
८१—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
८२—चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)।
८३—चन्द्रवती, श्रीमती	..	बिजनौर (मध्य)
८४—चन्द्र सिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
८५—चन्द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८६—चरणसिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८७—चित्तरसिंह निरंजन, श्री	..	कोंच
८८—चिरंजी लाल जाटव, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
८९—चिरंजी लाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण)
९०—चुन्नीलाल सगर, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
९१—छेदा लाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)।
९२—छेदा लाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९३—जगतनारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९४—जगदीश प्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम)
९५—जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९६—जगन प्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़
९७—जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
९८—जगन्नाथ बख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट
९९—जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
१००—जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर) (पूर्व)-बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)।
१०१—जगपति सिंह, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
१०४—जयपाल सिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
१०५—जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०६—जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	खेन-टेहरी (उत्तर)
१०७—जवाहर लाल, श्री	..	करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
१०८—जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१०९—जुगल किशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण)
११०—जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
१११—ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम)
११२—झारखंडे राय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११३—टीका राम, श्री	..	संडीला बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४—डल्ला राम, श्री	..	मिश्रिख
११५—डालचंद, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
११६—तारा चन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
११७—तिरमल सिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
११८—तुलसीराम, श्री	..	बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
११९—तुलाराम, श्री	..	औरैया भरथना (दक्षिण)
१२०—तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२१—तेजप्रताप सिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२२—तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)
१२३—तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२४—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
१२५—दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२६—दर्शनराम, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२७—दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण)
१२८—दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१२९—दाताराम, श्री		नकुड़ (दक्षिण)
१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३३—देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्द शहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्ति राम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री	..	सैदपुर
१३९—देवेन्द्र प्रतापनारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री	..	मरियाहू (उत्तर)
१४२—द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पांडेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्म सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)-बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थू सिंह, श्री	..	आओं (पूर्व)-फरीदपुर
१४७—नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री	..	हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून दक्षिण-पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)-बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५१—नवलकिशोर, श्री	..	आओंला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुलतानपुर (उत्तर)
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायणदास, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री	..	पवायां शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)-बीसलपुर (पश्चिम)
१५८—नेकरामशर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५९—नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)-कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१६०—नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१६१—पद्मनाथ सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद-गोहना (दक्षिण)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१६२—परमानन्द सिन्हा, श्री		सोराव (दक्षिण)
१६३—परमेश्वरी राम, श्री	..	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
१६४—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	..	महाराजगंज (उत्तर)
१६५—पहलवान सिंह चौधरी, श्री	..	बांदा
१६६—पातीराम, श्री	..	छिब्रामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६७—पुत्तूलाल, श्री	..	एतमादपुर-आगरा (पूर्व)
१६८—पुद्दनराम, श्री	..	बांसी (उत्तर)
१६९—पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७०—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१७१—प्रतिपाल सिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)-जलालाबाद (पूर्व)
१७२—प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७३—प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
१७४—प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पवाँयां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१७५—फजलुल हक, श्री	..	रामपुर नगर
१७६—फतेह सिंह श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
१७७—फतेह सिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७८—फूल सिंह, श्री	..	देवबन्द
१७९—बद्रीनारायण मिश्र, श्री	..	सलीमपुर, (दक्षिण)
१८०—बनारसीदास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१८१—बलदेव सिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
१८३—बलबीर सिंह, श्री	..	गाजियाबाद (दक्षिण)
१८४—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
१८५—बलवन्त सिंह,श्री	..	मुजफ्फरनगर (पूर्व)-जानसठ (उत्तर)
१८६—बशीर अहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८७—बसन्तलाल, श्री	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
१८८—बसन्तलाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१८९—बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१९०—बाबूराम गुप्त, श्री	..	कासगंज, (पश्चिम)
१९१—बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	रामसनेही घाट
१९२—बाबूलाल मित्तल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९३—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर
१९४—बिशम्भर सिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९५—बेचनराम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९६—बेचनराम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९७—बेनीसिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९८—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
१९९—बैजूराम, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
२००—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
२०१—भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
२०२—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
२०३—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०४—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)
२०५—भगवानदीन बाल्मीकि, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२०६—भगवानसहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)
२०७—भीमसेन, श्री	..	खुरजा
२०८—भुवरजी, श्री	..	फूलपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०९—भूपाल सिंह खाती, श्री	..	अलमोड़ा (उत्तर)
२१०—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२११—भोला सिंह यादव, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२१२—मकसूद आलम खां, श्री	..	पीलीभीत (पश्चिम)
२१३—मंगला प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२१४—मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	फर्रुखाबाद (पश्चिम)-छिबरामऊ
२१५—मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसी (उत्तर)
२१६—मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
२१७—मदनमोहन उपाध्याय, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
२१८—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
२१९—मलखान सिंह, श्री	..	कोइल (मध्य)
२२०—महमूद अली खां, श्री	..	सुमर-टांडा-बिलासपुर
२२१—महमूद अली खां, श्री	..	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)-नकुड़-(उत्तर)
२२२—महाजन, श्री सी० बी०	..	आगरा नगर (पश्चिम)
२२३—महादेवप्रसाद, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२४—महाराज सिंह, श्री	..	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२५—महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	..	हंडिया (दक्षिण)
२२६—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	मोहनलाल गंज
२२७—महीलाल, श्री	..	बिलारी
२२८—मान्धाता सिंह, श्री	..	रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२९—मिजाजीलाल, श्री	..	करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
२३०—मिहरबान सिंह, श्री	..	विधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-
	..	इटावा (उत्तर)।
२३१—मुजफ्फर हसन, श्री	..	चायल (उत्तर)
२३२—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	..	पूरनपुर-बीसलपुर (पूर्व)
२३३—मुन्नूलाल, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
२३४—मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर-अकबरपुर
२३५—मुश्ताक़ अली खां, श्री	..	सहसवान (पश्चिम)
२३६—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३७—मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री	..	बिजनौर (उत्तर)-नजीबाबाद (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर)
२३९—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज	..	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)-धामपुर
		(उत्तर-पूर्व)।
२४०—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री	..	अमरोहा (पश्चिम)
२४१—मुहम्मद नबी, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२४२—मुहम्मद नसीर, श्री	..	टांडा-
२४३—मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४४—मुहम्मद मञ्जूरुलनबी, श्री	..	सहारनपुर नगर
४५—मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री	..	मछलीशहर (दक्षिण)
४६—मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री	..	उतरौला (मध्य)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२४७—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	..	नानपारा (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)-बांसी (पश्चिम)।
२४९—मोहनलाल, श्री	..	सफ़ीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५०—मोहनलाल गौतम, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२५१—मोहन सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५२—मोहन सिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)
२५३—यमुना प्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
२५४—यमुना सिंह, श्री	..	ग़ाज़ीपुर (मध्य)-मुहम्मदाबाद (उत्तर-पचिम)।
२५५—यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५६—रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२५७—रघुराज सिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)
२५८—रघुवीर सिंह, श्री	..	बाग़पत (दक्षिण)
२५९—रणञ्जय सिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)
२६०—रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)-नगीना (उत्तर)
२६१—रमानाथ खैरा, श्री	..	महरौनी
२६२—रमेशचन्द्र, शर्मा श्री	..	मरियाहू (दक्षिण)
२६३—रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६४—राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा	..	उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६५—राजकिशोर राव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
२६६—राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६७—राजदेव उपाध्याय, श्री	..	हांटा (उत्तर)
२६८—राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)
२६९—राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)
२७०—राजवंशी, श्री	..	पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)-देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२७१—राजाराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)-कोइल (पूर्व)
२७२—राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)-कुन्डा (उत्तर)
२७३—राजाराम मिश्र, श्री	..	फैजाबाद (पश्चिम)
२७४—राजाराम शर्मा, श्री	..	ख़लीलाबाद (उत्तर)
२७५—राजेन्द्रदत्त, श्री	..	मुज़फ़्फ़रनगर (पश्चिम)
२७६—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)
२७७—राधामोहन सिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)
२७८—राम अधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)।
२७९—रामअधीन सिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२८०—राम अनन्त पाण्डेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२८१—रामअवध सिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)
२८२—रामकिंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८३—रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८४—रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	मिर्ज़ापुर (दक्षिण)
२८५—रामगुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२८६—रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८७—रामचरन लाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)
२८८—राम जी लाल सहायक, श्री	..	मवाना
२८९—रामजी सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण पश्चिम)
२९०—रामदास आर्य, श्री	..	बुढ़ाना, (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२९१—रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२९२—रामदुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२९३—रामनरेश शुक्ल, श्री	..	कुंडा (दक्षिण)
२९४—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)
२९५—रामप्रसाद, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
२९६—रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर-कोइल (उतर पश्चिम)
२९७—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद सिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
२९९—रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)-अमेठी (पूर्व)
३००—रामभजन, श्री	..	मोहमदी (पश्चिम)
३०१—राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०२—रामरतन प्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व)-बलिया-(दक्षिण-पश्चिम)
३०३—रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३०४—रामलखन, श्री	..	चकिया चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०५—रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०६—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०७—रामबचन यादव, श्री	..	फूलपूर (दक्षिण)
३०८—रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३०९—रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३१०—रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरी (पश्चिम
३११—रामसहाय शर्मा, श्री	..	गरोथा-मोठ (उत्तर)
३१२—रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३१३—रामसुन्दर राम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१४—रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३१५—रामसुमेर, श्री	..	टांडा
३१६—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज
३१७—रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)
३१८—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुंडा (दक्षिण)
३१९—रामस्वरूप मिश्र 'विशारद', श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२०—रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
३२१—रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३२२—रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२३—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२४—लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)।
३२५—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२६—लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
३२७—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)

सदस्यों के नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३२८—लताफत हुसैन, श्री	हसनपुर (उत्तर)
३२९—लालबहादुर सिंह, श्री	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
३३०—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	बनारस (उत्तर)
३३१—लीलाधर अष्ठाना, श्री	उन्नाव (दक्षिण)
३३२—लुत्फ अली खां, श्री	हापुड़ (दक्षिण)
३३३—लेखराज सिंह, श्री	सम्भल (पूर्व)
३३४—वंशनारायण सिंह, श्री	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३५—वंशीदास धनगर, श्री	करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)
३३६—वंशीधर मिश्र, श्री	लखीमपुर (दक्षिण)
३३७—वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३८—वसी नकवी, श्री	महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३३९—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४०—विचित्र नारायण शर्मा, श्री	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४१—विजय शंकर प्रसाद, श्री	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४२—विद्यावती राठौर, श्रीमती	एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम) कासगंज (दक्षिण)।
३४३—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	गाजीपुर (पश्चिम)
३४४—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	जसराना
३४५—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	मवाना
३४६—वीरसेन, श्री	हापुड़ (दक्षिण)
३४७—वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री	बिलग्राम (पश्चिम)
३४८—वीरेन्द्रपति यादव, श्री	मैनपुरी (दक्षिण)
३४९—वीरेंद्र वर्मा, श्री	कैराना (दक्षिण)
३५०—वीरेंद्र विक्रम सिंह, श्री	नानपारा (पूर्व)
३५१—वीरेंद्रशाह, राजा	कालपी-जालौन (उत्तर)
३५२—व्रज भूषण मिश्र, श्री	दूधी-राबर्ट्सगंज।
३५३—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	बिल्हौर-अकबरपुर
३५४—व्रजवासी लाल, श्री	बीकापुर-(मध्य)
३५५—व्रजबिहारी मिश्र, श्री	फूलपुर-(उत्तर)
३५६—व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५७—शंकरलाल, श्री	कादीपुर (मध्य)
३५८—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	बाह
३५९—शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६०—शिवकुमार पांडेय, श्री	सिराथू-मंझनपुर
३६१—शिवकुमार मिश्र, श्री	तिलहर (उत्तर)
३६२—शिवकुमार शर्मा, श्री	बिजनौर (दक्षिण)-धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६३—शिवदान सिंह, श्री	इगलास
३६४—शिवनाथ काटजू, श्री	फूलपुर (मध्य)
३६५—शिवनारायण, श्री	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
३६६—शिवपूजन राय, श्री	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६७—शिवप्रसाद, श्री	हाटा (मध्य)
३६८—शिवमंगल सिंह, श्री	बांसडीह (पश्चिम)
३६९—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	डुमरियागंज (पश्चिम)

सदस्यों का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३७०—शिवराजबली सिंह, श्री	..	खजुहा (पूर्व) फ-तेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३७१—शिवराज सिंह यादव, श्री	..	बिसलौ-गुन्नौर (पूर्व)
३७२—शिवराम पांडेय, श्री	..	डोरापुर (उत्तर)
३७३—शिवराम राय, श्री	..	सदर (आजमगढ़) उत्तर
३७४—शिवबक्स सिंह राठौर, श्री	..	करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
३७५—शिवबचन राव, श्री	..	सलीमपुर (उत्तर)
३७६—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
३७७—शिवस्वरूप सिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
३७८—शुकदेव प्रसाद, श्री	..	महराजगंज (दक्षिण)
३७९—शुगन चन्द्र, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
३८०—श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८१—श्यामलाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८२—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	..	नरैनी
३८३—श्रीचन्द्र, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८४—श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा (उत्तर)
३८५—श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)
३८६—श्रीनिवास, श्री	..	उतरौली (उत्तर)
३८७—श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ
३८८—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती		कासगंज (पूर्व)-अलीगंज (उत्तर)
३८९—संग्राम सिंह, श्री	..	सोरों (उत्तर)-फूलपुर (पश्चिम)
३९०—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री	..	सलीमपुर (पूर्व)
३९१—सज्जन देवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३९२—सत्यनारायण दत्त, श्री	..	औरय्या-भरथना (दक्षिण)
३९३—सत्यसिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९४—सत्यानन्द, श्री	..	सगरी (पूर्व)
३९५—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	बरेली (पूर्व)
३९६—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९७—सावित्रीदेवी, श्रीमती	..	मुसाफिरखाना (मध्य)
३९८—सियाराम गंगवार, श्री	..	फर्रुखाबाद (मध्य)-कायमगंज (पूर्व)
३९९—सियाराम चौधरी, श्री	..	फैसरगंज (मध्य)
४००—सीताराम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०१—सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०२—सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर
४०३—सुन्दर लाल, श्री	..	आओंला (पूर्व)-फरीदपुर
४०४—सुरजूराम, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०५—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४०६—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४०७—सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज (पश्चिम)
४०८—सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)
४०९—सूर्य्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४१०—सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर) हसनगंज
४११—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	..	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१२—हबीबुर्रहमान आजमी	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)

सदस्यों के नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४१३—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर (मध्य)
४१४—हमीद खां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य पूर्व)
४१५—हरखयाल सिंह, श्री	..	बागपत (पूर्व)
४१६—हरगोविन्द पंत, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४१७—हरगोबिन्द सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४१८—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४१९—हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४२०—हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४२१—हरिप्रसाद, श्री	..	बिसलपुर (मध्य)
४२२—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२३—हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२४—हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२५—हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री	..	करछना (उत्तर) चैल (दक्षिण)
४२६—होतीलाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४२७—(रिक्त)	..	बदायूं (उत्तर)
४२८—(रिक्त)	..	कैसरगंज (उत्तर)
४२९—(रिक्त)	..	देवरिया (दक्षिण)
४३०—(रिक्त)	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
४३१—(रिक्त)	..	कैसरगंज (दक्षिण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

श्री अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एलएल० बी०

श्री उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पंत, बी० ए०, एलएल० बी०

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०

सहायक सचिव

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एलएल० बी०, डी० एल० एस-सी०

विशेषाधिकारी

श्री राम प्रकाश, बी० काम, एलएल० बी०

अधीक्षक

श्री देवकी नन्दन मित्तल, एम० ए०, एलएल० बी०

श्री भोलादत्त उपाध्याय

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ४ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०२)

अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयालु, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री

भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुज़फ्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, हाफ़िज़ श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री

वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
बिष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रेल के वैगन न मिलने के कारण आलू के व्यापार में हानि

*१--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि आलू जैसा नष्ट होने वाला माल रेल के वैगन न मिलने के कारण बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की मंडियों में खराब हो रहा है?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--जी हां।

श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह वैगन न मिलने का कारण क्या है?

श्री जगन प्रसाद रावत--वैगन न मिलने का कारण केन्द्रीय सरकार ही बता सकती है। लेकिन संभवतः कारण यह है कि जो वैगंस उनके पास हैं अभी तक और चीजों के ले जाने में लगी हुई हैं। हमने जब भारत सरकार से यह प्रार्थना की तो उन्होंने आलू ले जाना हायर प्रायरिटी में इन्क्लूड कर लिया है और वैगंस अलाट कर दी हैं। उम्मीद है कि उनमें माल जाने भी लगा होगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कितने दिनों के अन्दर वैगन मिलने लगेंगे?

श्री जगन प्रसाद रावत--मैंने अभी निवेदन किया था कि भारत सरकार ने इसको हायर प्रायरिटी दे दी है और उन्होंने वैगंस भी अलाट कर दिये हैं और यह उम्मीद है कि वैगंस में अब तक माल जाने भी लगा होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार मोटर ट्रांसपोर्ट के जरिये आलू को इधर उधर भेजने के बारे में विचार करेगी?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह तो जहां तक संभव है होता ही है।

श्री भगवान सहाय--क्या यह बात सही है कि अभी तक रेलवे से वैगंस नहीं मिले हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--मेरा ख्याल है कि यह बात सही नहीं है।

*२--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार उत्तर प्रदेश के आलू पैदा करने वाले किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिये कोई कदम उठाने जा रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां, भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि वह आलू बाहर भेजने का तुरन्त प्रबन्ध करे।

आयकर से प्राप्त भाग के सम्बन्ध में राज्य सरकार को आपत्ति

*३--श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिये आय कर का जो हिस्सा मिलने का फैसला हुआ है उसके विरुद्ध प्रदेशीय सरकार ने कोई आपत्ति केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)--जी नहीं।

श्री लाल बहादुर सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह ऐसा कोई रिप्रिजेंटेशन करने का इरादा रखती है कि आयकर का बटवारा आबादी के अनुपात पर हो?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--यह बात जो सवाल में कही गयी यह गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंस कमीशन यू० पी० में आया था, उस वक्त रख दी गई थी कि बटवारा उसका आबादियों की बिना पर हो। चुनान्चे उन्होंने तकरीबन इसी बिना पर किया है। इसलिये इस सवाल के उठाने का कोई मौका नहीं है।

*४--श्री श्याम मनोहर मिश्र (जिला लखनऊ) [अनुपस्थित]--[देखिये आगे पृष्ठ १२ पर]

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यातायात की सुविधाओं के लिये रेलवे अधिकारियों से पत्र-व्यवहार

*५--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार को पंचवर्षीय योजना के संबंध में रेल द्वारा जरूरी माल प्रदेश के एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में कोई कठिनाई हो रही है? और क्या उसने इस संबंध में रेलवे अधिकारियों से पत्र-व्यवहार किया है?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)--कभी कभी होती है। जी हां।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये कठिनाइयां कब से शुरू हुईं?

श्री फूल सिंह--कठिनाइयाँ तो बहुत पुरानी हैं मगर कुछ चन्द महीनों से जब से यह तरीका बना मूवमेंट का तो उसमें कुछ कठिनाइयां आती रहती हैं लेकिन रेलवे विभाग से बातचीत करके उसको सुलझाते रहते हैं।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने कोई विश्वास दिलाया है कि आइन्दा ऐसी कठिनाइयां नहीं होंगी?

श्री फूल सिंह--जो खतोकिताबत अब तक हुई है उससे यह साफ मालूम होता है कि बहुत सारी जगह काफी सुधार हो गया है पर कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं जिनमें कुछ समय लगेगा। एक बड़ी दिक्कत यह है कि वैगनों की कमी बहुत काफी है और इस मौसम में बहुत सारी चीजों के लिये मूवमेंट की जरूरत पड़ जाती है, खासकर गन्ने के मूवमेंट की वजह से। तो उनका सुझाव यह है कि स्लैक सीजन भर तो मूवमेंट ज्यादा कर दें और बिज़ी सीजन में मूवमेंट कम कर देने से काम आसान हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी अधिकारियों से पत्र-व्यवहार का आशय बताने की कृपा करेंगे?

श्री फूल सिंह--आशय तो मैंने बता दिया है। मैंने कहा कि हर चीज के मूवमेंट की दिक्कत पड़ती है जैसे आलू है, कोयला है सीमेंट है और हर चीज में जैसे जैसे कठिनाई पड़ती है वैसे वैसे खतोकिताबत करते हैं कि रेलवे विभाग से हमदर्दी हासिल करके इन कठिनाइयों को दूर करें।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि चीनी मिलों से चीनी का मूवमेंट नहीं हो पाता है जिससे चीनी नहीं बिकती है, गन्ना भी नहीं मिलों में पहुंच पाता है इसमें बहुत कठिनाई पड़ती है?

श्री फूल सिंह---मिलों को चीनी के मूवमेंट के लिये वैगनों की दिक्कत है। गन्ने के मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुई। गुड़ के मूवमेंट में कुछ दिक्कत थी और वह प्रायरिटी की दिक्कत थी। अब उसके लिये लिखा जा रहा है कि उसको प्रायरिटी मिलनी चाहिये।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि ऐसी कठिनाइयां केवल उत्तर प्रदेश में ही हैं?

श्री फूल सिंह---और प्रदेश के मुताल्लिक में नहीं कह सकता। शायद दूसरी जगह भी होंगी।

तारांकित प्रश्न

अल्मोड़ा जिले की पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में चिकित्सालय की कमी

*१---श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को विदित है कि अल्मोड़ा जिले की पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में तीस तीस मीलों तक कोई चिकित्सालय नहीं है?

*२--- यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)---जहां तक सरकार को सूचना है ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार अपनी नीति के अनुसार कई चिकित्सालय इस क्षेत्र में खोल चुकी है और अधिक चिकित्सालय खोलने के लिये प्रयत्नशील है। स्थानीय बोर्ड के चिकित्सालय भी कई हैं। इन सबका पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९ पर)

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि कौन कौन से अस्पताल इन इलाकों में सरकार निकट भविष्य में खोलने के लिये प्रयत्नशील है?

श्री बनारसी दास---एक तो पिठौरागढ़ के अन्दर स्त्रियों का कायम किया गया है, एक दूसरा धारचूल्हे के अन्दर एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के खोलने के लिये आदेश जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त जो संलग्न तालिका है उसमें ऐसी सूची दी है। उसमें सभी के अन्दर आधा व्यय सरकार बर्दाश्त करती है और आधा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करता है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि चम्पावत और पिठौरागढ़ तहसीलों का क्षेत्रफल दो हजार मील है और जिन की तालिका दी गई है?

श्री अध्यक्ष---आप यह स्टेटमेंट दे रहे हैं। कृपा करके प्रश्न पूछिये।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार को विदित है कि जिन अस्पतालों का विवरण संलग्न तालिका में है उनसे तीस तीस मील की ज्यादा दूरी पर अस्पताल हैं?

श्री बनारसी दास---क्षेत्रफल जो आप ने बतलाया वह सही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हैं, आबादी कम है, इसलिये वहां पर अधिक अस्पताल कायम नहीं हो सके हैं और इसके संबंध में मैंने अभी निवेदन किया है कि एक अस्पताल खोलने का आदेश तो दिया ही जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि धारचूल्हा में अभी तक कोई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी नहीं है?

श्री बनारसी दास--अभी उसका आदेश दिया गया है और शीघ्र ही वहां पर खुलने वाली है।

*३--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--[१८ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

ज़िला बनारस के धानापुर थाने के सामने ज़िला बोर्ड का मवेशीख़ाना

*४--श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)--क्या सरकार को मालूम है कि ज़िला बनारस के धानापुर थाने से लगा हुआ जिला बोर्ड का एक मवेशीखाना था जो सन् १९४२ की जनक्रान्ति के समय तात्कालिक सरकार द्वारा सुरक्षा का बहाना करके थाने के हाते में मिला लिया गया था ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)--जिला बनारस के धानापुर थाना के सामने जिला बोर्ड का एक कच्चा मवेशीखाना लगभग १० वर्ष पहले था। यह ज्ञात नहीं कि कब और क्यों इसका अन्त हुआ। इस समय उक्त मवेशीखाना की चहारदीवारी आदि का कोई पता नहीं चलता। कुछ समय से उक्त भूमि पुलिस विभाग के अधिकार में है।

*५--श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी--यदि यह सही है, तो क्या सरकार जिला बोर्ड की उस भूमि को फिर से यथाशीघ्र वापस कर देने का विचार कर रही है ?

श्री कृपाशंकर--उपरोक्त भूमि को जिला बोर्ड को वापस करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी--क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि यदि जिला बोर्ड, बनारस, उस भूमि को वापस करने की मांग करे तो सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री कृपाशंकर--यदि कोई प्रस्ताव आयेगा तो जरूर विचार किया जायगा।

मैनपुरी ज़िला बोर्ड में स्पेशल आडिट का परिणाम

*६--श्री महाराज सिंह--(जिला मैनपुरी) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिला बोर्ड में जो स्पेशल आडिट करने का आदेश सरकार की ओर से हुआ था, उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री कृपा शंकर--जिला बोर्ड मैनपुरी का स्पेशल आडिट अभी-अभी समाप्त हुआ है। अभी सरकार को आडिट के परिणाम के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं हुई है। सम्बन्धित अधिकारियों को आडिट नोट यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री महाराज सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिला बोर्ड की स्पेशल आडिट रिपोर्ट की नकल उन्हें प्रश्न करने के बाद क्यों नहीं प्राप्त हुई ?

श्री कृपाशंकर--जब रिपोर्ट आ जायगी तब इसपर प्रकाश डाला जा सकता है।

मैनपुरी जिले में ईंट पकाने के लिए कोयले का वितरण

*७--श्री महाराज सिंह--क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में सन् १९५०, १९५१ और १९५२ में कितने वैगन कोयला ईंट पकाने के लिए दिया गया ?

श्री बनारसी दास--सन् १९५०-५१ तथा ५२ में मैनपुरी जिले को क्रमशः ५२५ व ६६६ तथा १३३ वैगन कोयला ईंट पकाने के लिए दिया गया।

श्री महाराज सिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सन् १९५०, १९५१ और १९५२ में जो कोटा जिलों को दिया गया है उसमें क्रमशः अन्तर क्यों है ?

श्री बनारसी दास--सन् १९५१ में चूंकि वैगन्स की कमी थी, इसलिये सन् १९५० के मुकाबले में सन् १९५१ में तमाम प्रान्त में कोटा काफी कम हो गया है और सन् १९५२ में, सन् १९५१ के मुकाबले में और भी कम हो गया है। इस वजह से यह अंतर है।

श्री महाराज सिंह--सन् १९५०, १९५१ और १९५२ में जो कोटा दिया गया है, उसमें क्या वे वैगन्स भी सम्मिलित हैं, जो सरकारी कामों के लिये कोयला दिया जाता है ? यदि हां, तो क्रमशः उस कोटे का अनुपात क्या है ?

श्री बनारसी दास--सन् १९५० के अन्दर जो जिलों को कोटा दिया गया है, उसमें सरकार के काम के लिये जो दिये हुये वैगन्स हैं वे सम्मिलित नहीं हैं।

*८--श्री महाराज सिंह--क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कोयला जनता के लिए ईंट बनाने के लिए दिया जाता है वह प्रत्येक जिले में किस अनुपात से दिया जाता है ?

श्री बनारसी दास--कोयले का वितरण प्रत्येक जिले की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है, किन्तु यदि किसी जिले में अधिक मांग होती है तो निर्धारित अनुपात से अधिक कोटा भी दिया जाता है।

*९--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--[१८ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०-११--श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--[१८ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२--श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ १२ पर।]

*१३-१४--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[वापस लिये गये।]

प्रयाग माघ मेले में कोढ़ी और रोगी भिखमंगों का प्रबन्ध

*१५--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान प्रयाग माघ मेले में कोढ़ी और रोगी भिखमंगों की ओर गया है और क्या वे भविष्य में

इस बात का कोई प्रबन्ध करने का विचार रखते हैं कि ये छूत की बीमारियां अन्य यात्रियों में न फैलें ?

श्री बनारसीदास--जी हां।

माघ मेले में अधिकांशतः ऐसे भिखारी जिनके कोढ़ जल चुके हैं तथा जो संक्रामक नहीं हैं, आते हैं। सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वास्तव में संक्रामक कोढ़ से पीड़ित भिखारियों को Laper asylum में पहुंचा देते हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के भिखारियों के लिये मेले के क्षेत्र में बाड़े बना दिये जाते हैं जिससे कि वे जनसाधारण से न मिल सकें।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि यह कोढ़ी ज्यादातर वहां इकट्ठे हो जाते हैं, उन मार्गों में जहां यात्री नहाने के लिये जाते हैं ?

श्री बनारसीदास--जी हां, यह सही है। जैसा कि उत्तर दिया गया है कि इस बात की कोशिश की जाती है कि जिनको कंटीजियस बीमारी होती है उनको वहां असाइलम के अन्दर पहुंचा दिया जाता है। अधिकतर रोगी इस तरह के हैं कि जिनसे छूत नहीं फैलती है और उनको अलाहदा रख दिया जाता है।

श्री रामदास रविदास (जिला फैज़ाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या के लिए भी ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास--जी हां।

खाद्य विभाग में कर्मचारियों की छंटनी

*१६--श्री देवकी नन्दन विभव--क्या खाद्य की नयी नीति के कारण खाद्य विभाग के कर्मचारियों में कमी की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारी कम किये गये हैं ?

श्री बनारसीदास--जी हां, १,८०६।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनमें से दो सौ रुपये मासिक से अधिक पाने वाले कितने कर्मचारी हैं ?

श्री बनारसीदास--यदि आप इसकी नोटिस दें तो अलग-अलग सूची दी जा सकती है, लेकिन यह जितने भी कर्मचारी हैं केवल ६ उसमें गजटेड हैं बाकी सब १,८०६ के अन्दर नान-गज़टेड हैं।

श्री देवकी नन्दन विभव--यह जो रिडक्शन होता है उसमें किस आधार पर यह रिडक्शन किया जाता है ?

श्री बनारसीदास--उसके लिये तो जितने आदमियों को कम करना होता है पहले से ही सरकार के आदेशानुसार सूचियां जिले के अन्दर बना दी गई हैं और जो लोग सी श्रेणी के अन्दर रखे गये हैं उन्हें सबसे पहले निकाला गया है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग से आगामी जून तक कितने कर्मचारी निकाले जाने वाले हैं ?

श्री बनारसीदास--अभी जून तक कितने कर्मचारी निकाले जायंगे इसका ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है।

श्री गेंदा सिंह--ज़िलों से जो सूचियां बनी हुई हैं उसमें गलती होने पर या पक्षपात होने पर माननीय अन्न मंत्री उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं ?

श्री बनारसीदास--अगर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जायगा तो उसमें सुधार किया जा सकता है।

*१७--**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)--[६ मार्च, १९५३ के लिये संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फैजाबाद जिले के पन्चायत सेक्रेटरियों का वेतन

*१८--**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि फैजाबाद जिले के पंचायत सेक्रेटरियों का वर्तमान आर्थिक वर्ष को छोड़कर कुल कितना रुपया पिछले सालों के वेतन के रूप में बकाया है ?

श्री कृपाशंकर--फैजाबाद जिले के पंचायत सेक्रेटरियों का वर्तमान आर्थिक वर्ष को छोड़ कर कुल ७६,७२० रु० पिछले सालों के वेतन के रूप में बकाया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि अब तक यह वेतन क्यों नहीं दिया जा सका ?

श्री कृपाशंकर--अब तक वहां कुछ आर्थिक कठिनाई जिले में थी। वहां एक तहसील में अकाल पीड़ित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया था और इस वास्ते यह दिक्कत पड़ी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार इस बक़ाया को सरकार के कोष से देने की कृपा करेगी ?

श्री कृपाशंकर--जी हां, इस पर सरकार विचार करेगी।

श्री रामदास रविदास--कब तक यह देने की कृपा की जायगी ?

श्री कृपाशंकर--बहुत शीघ्र।

जिला रामपुर में ग्राम पंचायत द्वारा उदयराज मंडियों में टैक्स वसूली

१९--**श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को पता है कि जिला रामपुर में ग्राम पंचायत उदयराज मंडियों में गांव सभा द्वारा टैक्स न लगाये जाने पर भी टैक्स वसूली के लिये कुर्कियां हुई हैं ?

श्री कृपाशंकर--रामपुर जिले में उदयराज की मंडियों नामक एक ग्राम है, ग्राम पंचायत नहीं। यह ग्राम सभा मगरमऊ में सम्मिलित है। इसमें जो टैक्स लगाये गये थे वे नियमानुसार ही लगाये गये थे। टैक्स न देने वाले ५ व्यक्तियों से टैक्स वसूली, पंचायत के प्रधान की रिपोर्ट पर, कुर्कियों द्वारा की गई थी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह सही है कि जो कुर्की के वारंट निकाले गये उन पर कोई मोहर वग़ैरह नहीं थी ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जो रुपया पुलिस वाले वसूल करके ले गये उसकी रसीद अभी तक भी मांगने पर क्यों नहीं दी गई ?

श्री कृपाशंकर--इसकी सूचना नहीं है।

*२०--श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या रामपुर के जिलाधीश के पास उक्त ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा जिसमें अदालती पंच भी शामिल हैं इस तरह की नाजायज वसूली किये जाने की शिकायत पहुंची है ?

श्री कृपाशंकर--उदयराज की मंडियों ग्राम के एक व्यक्ति ने नियमों के अनुसार की गई वसूली के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र एस० डी० एम० रामपुर के पास भेजा था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय----सरकार ने कहा कि एक व्यक्ति की अरजी थी तो क्या जो अरजी तारीख २९-८-५२ को वहां के लोगों ने दी, जिस पर देवी, कल्लू, गंगवाराम भोला आदि के दस्तखत थे वह जिला मैजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुंची ?

श्री कृपाशंकर--यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रधान की रिपोर्ट की जांच कराई गई थी और उस पर जिलाधीश के आज्ञानुसार वारन्ट जारी होकर रुपया वसूल किया गया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--यह जो इतने आदमियों के दस्तखत से अरजी जिले के मैजिस्ट्रेट के पास गई है क्या सरकार इस पर कुछ विचार करने की सोच रही है ?

श्री कृपाशंकर--विचार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जो ज्यादती वहां के पुलिस वालों ने इस टैक्स के वसूल करने में की सरकार उस पर क्या करेगी ?

श्री कृपाशंकर--ज्यादतियों की कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है। यह है कि प्रधान ने बताया कि ५ आदमी रुपया नहीं वसूल होने दे रहे हैं तो उसकी जांच कराई गई और जिलाधीश की आज्ञा से वारन्ट जारी होकर रुपया कुर्की के जरिये से वसूल किया गया। इसके अलावा कोई और शिकायत सरकार के पास ज्यादती की नहीं है।

* * * * *

शिक्षा विभाग के निरीक्षकों के पुनर्संगठन की योजना

*४--श्री श्याम मनोहर मिश्र (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सरकार के समय में जिला बोर्ड से संबंधित शिक्षा विभाग के निरीक्षकों का जो पुनर्संगठन हो रहा था और जिसके अनुसार जिला बोर्ड में जाने वाले शिक्षा सुपरिन्टेंडेंट का चुनाव भी हो गया था क्या वह योजना अब कार्यान्वित नहीं की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ जनाने अस्पताल में लेडी डाक्टर की कमी

*१२--श्री रामनरेश शुक्ल (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि प्रतापगढ़ के स्त्रियों के अस्पताल में लेडी डाक्टर कब से नहीं है ?

श्री बनारसी दास--लेडी डाक्टरनी का २६ दिसम्बर को तबादला हो गया था। दूसरी डाक्टरनी के लिये आज्ञा हो गई है। शीघ्र पहुंच जायेगी।

नोट--तारांकित प्रश्न १२ श्री बाबूनन्दन जी ने पूछा।

श्री बाबूनन्दन—जब लेडी डाक्टर वहां नहीं पहुंची है तो स्त्रियों का इलाज कैसे हो रहा है ?

श्री बनारसीदास—वहां के मेडिकल आफिसर इन्चार्ज अपनी ड्यूटी के अलावा वहां पर भी कार्य देखते हैं।

अनशनकारी अध्यापकों पर कथित बल प्रयोग के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री राजनारायण जी ने एक काम रोको प्रस्ताव भेजा है जिसमें वह इस विषय पर विचार करना चाहते हैं कि आज प्रातः काल पुलिस ने कुछ अध्यापकों के ऊपर बल प्रयोग किया जो सत्याग्रह कर रहे थे। तो इस प्रश्न के ऊपर यह तो सत्य है कि यह महत्व का है इसमें कोई शक की बात नहीं है। निश्चित भी है। तो मैं उनको इजाजत इस बात की देता हूं कि अनुमति के लिए थोड़े शब्दों में यह बतावें कि जिससे यह सदन निश्चित कर सके कि अनुमति दी जाय या नहीं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों की हड़ताल जिस मांग को लेकर हुई है इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मांग न्यायपूर्ण है। इसके पहले भी कई बार अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने निवेदन किया। इसके संबंध में जो मेरा कामरोको प्रस्ताव है वह इस प्रकार है—

"प्रदेश के स्थानीय बोर्डों के अध्यापकों के वेतन और महंगाई भत्ते आदि के संबंध में उत्तर प्रदेशीय अध्यापकों के शान्तिप्रिय अनशनकारियों के, विधान भवन के सामने से उनके कैम्प, सामान आदि को आज प्रातः पुलिस के बल प्रयोग द्वारा अनिश्चित स्थान में उठा ले जाने के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति पर जिसके कारण सारे राज्य की शिक्षा मशीनरी के छिन्न-भिन्न हो जाने और ८५ हजार अध्यापकों द्वारा सत्याग्रह और हड़ताल हो जाने का अंदेशा है, वाद-विवाद करने के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि अध्यापकों की मांगें जिस प्रकार सरकार के सामने बराबर रक्खी जाती रही है........

श्री अध्यक्ष—मांगों के संबंध में इसमें चर्चा नहीं है। प्रश्न इस समय यह है कि आज सवेरे दो तीन बजे पुलिस द्वारा बलप्रयोग इत्यादि जो बातें हुई हैं उन पर आपने प्रस्ताव रक्खा है।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यापक अनशन कर रहे थे इस कारण अपनी कुछ आवश्यकताओं से वाधित होकर और वह आवश्यकतायें थीं कि उनकी जो दैनिक जीवन की चीजें हैं जो उनको आज तनख्वाह मिलती है उसमें पूरी नहीं हो पाती और उसी से प्रेरित होकर वे हड़ताल कर रहे थे और जिस तरह से भूख हड़ताल कर रहे थे उसके लिए इस सदन का प्रत्येक सदस्य जानता है कि वह बिलकुल शांति ढंग था, उससे किसी विशेष विषम परिस्थिति के उत्पन्न होने की आशंका नहीं थी, किसी तरह से भी शांति के भंग होने की आशंका नहीं थी, बल्कि जो हमारी एक चिर परिचित परिपाटी रही है उसी के अनुसार शांति के साथ, सत्याग्रह का अस्त्र ग्रहण करके अहिंसात्मक तरीके से भूख हड़ताल के रास्ते पर चलकर अध्यापक अपनी मांग के लिये विधान भवन के सामने डटा हुआ था......।

श्री अध्यक्ष--आप तो फिर मेरिट्स पर जाने लगे। आपको तो यह बताना है कि क्या हुआ ? आपको इस प्रस्ताव के लिये सदन से अनुमति लेनी है। आप बहस में जा रहे हैं।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उसी अत्याचार के बारे में वर्णन कर रहा हूं कि अध्यापकों पर किस तरह से पाशविक वृत्ति अख्तियार करके दमनचक्र चलाया गया है उसको कहते हुये मेरा मस्तक लज्जा से, शर्म से झुक जाता है।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय राजनारायण जी से कहूंगा कि अपनी बात को यह मान कर कि अखबार किसी ने नहीं पढ़ा, कहें। अखबार पढ़ कर ये सब आये हैं यह मानकर जितनी बातें हैं आपने रखी हैं। आप को तो स्वयं सदन को केवल यह बताना है कि किस वजह से आप इस प्रस्ताव को लाये हैं।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्र में आज सारी बातें निकली हैं। मैंने अपने काम-रोको प्रस्ताव में इस बात को व्यक्त कर दिया है कि अध्यापकों को पुलिस ने जबरदस्ती यहां से उठाया और उनके जो कैम्प आदि गड़े थे उनको भी उखाड़ कर फेंक दिया और उनकी जगह दूसरे कैम्प लगा दिये गये। इसी के साथ-साथ जो अनशनकारी वहां पर अनशन कर रहे थे अपनी जायज मांगों को लेकर, उन अनशनकारियों को कहां ले जाया गया, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया ये सारी बातें प्रकाश में नहीं आ सकीं। जिस बर्बर नीति को अख्तियार किया गया है उसके देखते हुये ऐसा अंदाजा होता है कि अनशनकारियों के साथ मानवोचित्त व्यवहार नहीं हुआ। जब मानवोचित व्यवहार न हो और अध्यापकों के साथ जुल्म ढाया जाये और उनको शांति के साथ अपनी मांगों को न रखने दिया जाये ऐसी हालत में, मैं यह समझता हूं कि इस सदन की मर्यादा का सवाल उत्पन्न हो जाता है। मैं आपके द्वारा इस सदन से और इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर शांति के साथ विचार किया जाय। इसलिये आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि टैक्निकलिटीज और रूल्स की बारीकियों में न जाकर सरकार अपनी मान मर्यादा के लिये और उस के द्वारा जो गलत काम हो रहे हैं उसकी सफाई के लिये जो काम-रोको प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत है उसको विचार के लिये आने दें। जहां तक मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से परिचित हूं उसके आधार पर मैं आपसे इस बात की अपील कर सकता हूं और आपके द्वारा मंत्रीगण से निवेदन कर सकता हूं कि मेरी इस भावना के साथ वे भी हैं, किन्तु परिस्थिति विशेष के कारण वे हमारी भावनाओं के साथ होते हुये भी यहां दूसरा रुख अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन सरकार उनकी भावनाओं का विचार करेगी और मैं समझता हूं कि सरकार इस काम-रोको प्रस्ताव के ऊपर किसी भी तरह की रोक नहीं लगायेगी। स्त्रियों के साथ, जो भूख हड़ताल में सम्मिलित हैं, जहां तक मेरे सुनने में आया है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं कि आज हम सब के सम्मान और मर्यादा का सवाल है। इतने बड़े राज्य में, जो देश में सबसे बड़ा प्रान्त हो. . . .।

श्री अध्यक्ष--आपने तो विस्तार में बहस शुरू कर दी। थोड़े शब्दों में बतला दें।

श्री राजनारायण--मैं इस सदन से थोड़े में निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम-रोको प्रस्ताव जो विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये रक्खा गया है मैं समझता हूं कि हमारे सामने गृह मंत्री जी विद्यमान हैं और अन्य माननीय मंत्रीगण विद्यमान हैं वह उसकी भावनाओं को समझते होंगे। अध्यापकों के साथ जुल्म देखकर उनकी भावनाओं को ठेस लगी होगी। इस गतिविधि को देखकर वह इस बात को पसन्द नहीं करते होंगे कि उनकी पुलिस बर्बर हो। जिस आजादी को हमने प्राप्त किया है उस आजादी को प्राप्त करने के लिये न मालूम कितनी कुर्बानियां हुईं.

कितनी माताओं की गोदियां सूनी हो गयीं, कितने नौजवान सूली पर झूल गये, कितनी ललनाओं के सिन्दूर पुछ गये तो उस आजादी में आज जब कि अध्यापकों के ऊपर इस तरह का दमनचक्र चलाया जाय तो यह हम लोगों के लिये लज्जा और शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार की तरफ से इस विषय पर विचार करने के लिये तनिक भी बाधा उपस्थित की जाती है तो हमारी जो भावना सरकार के प्रति आज तक है उसें हमें बदलना होगा। सरकार पुलिस के दमन चक्र को पसन्द नहीं करती, अपनी उस भावना को हमें बदलना होगा और हम समझेंगे कि सरकार कहती है कि पुलिस के द्वारा दमन चक्र हो। अन्यथा उस पर खुल कर विचार होना चाहिये और सरकार की ओर से कोई बाधा उपस्थित न होनी चाहिये। सरकार के इशारे पर पुलिस जो तांडव नृत्य कर रही है उस पर आज सदन उचित रूप से विचार करे।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक कविता की बात है, मैं कविता का जवाब कविता में देना उचित नहीं समझता हूं और न मैं कविता में जवाब दे ही सकता हूं। जिस घटना का जिक्र है और जहां तक मैं समझ सका हूं वह यह है कि उस वक्त विरोधी पक्ष के नेता मौजूद नहीं थे। इसलिये जो बर्बरता का व्यवहार हुआ या बल प्रयोग हुआ तो शायद यह बात उनकी कल्पना से निकली होगी और इसका उनके पास रत्ती भर भी प्रमाण नहीं है। मेरा ऐसा खयाल था कि पुलिस का बजट आने वाला है उसमें इन सब बातों पर शास्त्रार्थ हो सकता था। इस वक्त इस सवाल को उठाना अनुचित है। फिर भी यदि आप उचित समझें तो मैं थोड़े से फैक्ट्स पेश कर सकता हूं कि किस तरह से यह घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष--आपको यदि संकल्प पर एतराज हो तो थोड़े से फैक्टस दे दें तो अच्छा हो।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिस जमीन पर सत्याग्रह हो रहा था वह जमीन यहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के चार्ज में थी और बगैर उनसे अनुमति लिये हुये यह सत्याग्रह उस जमीन पर किया गया था और प्रदर्शन किया गया था। यह ट्रेसपासर के कानून के अन्तर्गत आता है। इसलिये उन्होंने सूचना दी कि आप हमारी जमीन को खाली कर दें, और ऐसा कोई भी वह आदमी कर सकता है, जिसकी जमीन पर ट्रेसपास हुआ हो........

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--कितने दिन के अन्दर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--फौरन यानी शब्द फोर्थविद कहा जायगा उनको काफी वक्त दिया गया लेकिन उन्होंने यह जमीन खाली नहीं की। तब जैसा कि कानून में है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपील की कि हमारी जमीन पर ट्रेसपास हो रहा है इसलिये उसको कानून के अन्तर्गत खाली करा दें, लेकिन इसमें कोई सख्ती और बर्बता का सवाल पैदा नहीं हुआ इनके साथियों में से दो साहब तो ऐसे थे जो कमजोर मालूम पड़ते थे वह अपने साथियों के साथ किंग जार्ज हास्पिटल में पहुंचा दिये गये इनके अलावा जो और बाकी साथी थे जो तन्दुरुस्त मालूम पड़ते थे और जिन पर ट्रेसपास करने का मुकदमा चलाया जा सकता था लेकिन ऐसा कुछ न करके यह समझा गया कि होली के अवसर पर उन्होंने काफी तपस्या की है और वह अपने बाल बच्चों से मिलना चाहते होंगे, इसलिये उनको उनके घर पहुंचा दिया गया। वह अपने बाल बच्चों से मिल रहे होंगे या मिलने के करीब होंगे। उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी गयी। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रस्ताव का जो मूल आधार है वह यहां प्रस्तुत नहीं होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान् यह नोटिस कब दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--जो सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों वे अपने स्थानों पर कृपया खड़े हो जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान् मैंने आपको नियम के अनुसार......

श्री अध्यक्ष—इसके लिये मैं इजाजत नहीं देता, नियम स्थगित करने के लिये जो प्रस्ताव आपने भेजा है मैं उसको पेश करने के लिये इजाजत नहीं देता हूं। शाम को इजाजत दे दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान् इससे संबंधित है............

श्री अध्यक्ष—मैं उसको इजाजत नहीं देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—शाम को आप इजाजत दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—शाम को मैं इजाजत दे दूंगा।

(कुछ ठहर कर)

कृपया जो अनुमति देने के पक्ष में हों अपने स्थानों पर खड़े हो जायं।

श्री राजनारायण—श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसके संबंध में जो सदन में स्ट्रेंग्थ होती है उसके लिये हमने निवेदन किया और सरकार से भी निवेदन किया कि यह इतना बड़ा अहम सवाल है कि इस पर जरूर विचार होना चाहिये। अगर आप इसको मान लें तो जो कैद लगी हुई है कि ३५,३६आदमी खड़े हों, वह कैद उठ जायगी और सदन इस पर विवाद कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—सदन में जो प्रस्ताव पेश होता है उसकी शक्ल प्रस्ताव की ही होगी न कि संशोधन की और यदि सदन उस प्रस्ताव को पास कर देगा तभी तो मुझे अधिकार होगा कि मैं इस ३६ की कैद को उठा दूं। अगर सदन की यह इच्छा है कि काम रोको प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति दी जाय तभी वह ऐसा नियम स्थगन का प्रस्ताव पास कर सकता है। इसलिये बजाय इसके कि इतना चक्कर खाकर सदन का इतना समय खर्च किया जाय, आपके साथ यदि सदन के इस ओर के कुछ लोग भी खड़े हो जायं तो वह काम रोको प्रस्ताव ही पेश हो सकेगा। इसलिये जो इजाजत दी जा सकती है वह इसी तरह से दी जा सकती है। मैं सदन का समय बजट अनुदानों के वोटिंग के रोज नियम के अनुसार दूसरे कामों में खर्च नहीं कर सकता हूं सिर्फ कामरोको प्रस्ताव ही पहले आ सकता है। अतः.................

श्री राजनारायण—मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो पवित्र भावनायें हमें मालूम हुई उसके संबंध में मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह कैद हमारे ऊपर है। आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि इतनी हमारी स्ट्रेंग्थ नहीं है कि ३६ आदमी खड़े हो जायं और इस पर विवाद हो मगर जब वह प्रस्ताव आ जाता है तो इस सदन को..........

श्री अध्यक्ष—आप काम रोको प्रस्ताव इसी तरह का ला सकते हैं, कल। अगर सदन की इच्छा हो कि वह नियम सस्पेंड किया जाय तो उसके लिये कौन सा रास्ता हो वह मैं बतला सकता हूं। लेकिन मैं इस वक्त कोई प्रस्ताव बजट के डिस्कशन के पहले लेने के लिये तैयार नहीं हूं और मैं इसके पेश करने की इजाजत नहीं देता हूं। जिस रोज वोटिंग होती है उस दिन और कोई कार्यवाही नहीं होगी।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, इस तरह से आपके पवित्र उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरे प्रस्ताव के बारे में सदन का बहुमत नहीं होगा यह कैसे अन्दाजा लगाया जा सकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमान् यह तो आपको मालूम है कि जितनी स्ट्रेंग्थ की जरूरत है उतने हम खड़े नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष--आर्डर प्लीज। आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री राजनारायण--श्रीमन् यदि आप इस तरह से अपने उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं कराना चाहते हैं तो फिर हमारे लिये यहां बैठना बेकार ही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष--मैं यह कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। आप कृपा करके बैठ जायं

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है कि हम आपके आदेश का तनिक भी उल्लंघन करें। मगर मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने जिस उद्देश्य को यहां पर व्यक्त किया उसके लिये मैं पुनः आपसे और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर नारायण दत्त जी के प्रस्ताव को ले लिया जाय...

श्री अध्यक्ष--मैं उसकी इजाजत नहीं देता हूं। मैं उसके लिये रास्ता बता सकता हूं। बाद में वह ला सकते हैं। लेकिन यह रास्ता मैं खोलने को तैयार नहीं हूं कि जिस रोज़ बजट पर वोटिंग हो उस रोज़ हर आदमी इस तरह के प्रस्ताव लाये। श्री राजनारायण जी, आप कृपा कर बैठ जायं।

(श्री राजनारायण के न बैठने पर)

तो आप नहीं बैठ रहे हैं इसलिये मुझे अब फोर्स का मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप कृपा करके बैठें या सदन को छोड़ें 'विथिन ए सेकेंड'। (सचिव, विधान सभा से) आप कृपा करके पुलिस आफिसर से इनको बाहर ले जाने के लिये कह दें।

(श्री राजनारायण से) आप चाहते हैं कि इस सदन में भी उस तरह का तमाशा हो।

श्री राजनारायण--मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जिस बर्बरता के साथ अध्यापकों को निकाला जा रहा है उसके विचार करने के लिये जब मैं आपसे कहता हूं और हमारी भावना और आपकी भावना मिलती है।

श्री अध्यक्ष--मैं अब आर्डर दे चुका हूं।

एक सदस्य--प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप कृपा करके बैठें, प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ किया गया है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेरे प्रस्ताव पर फिर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आप लोगों ने हर तरह से देख लिया, जहां तक हो सकता था श्री राजनारायण जी के साथ रियायत बरती गयी मगर उसके बावजूद भी माननीय श्री राजनारायण जी जो अध्यक्ष की हिदायत है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जब कोई माननीय सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर के लिये भी खड़ा होता है और उनसे कहा जाता है कि बैठें तब भी वह बैठने को तैयार नहीं हैं। ऐसी हालत में मुझे लाचारी से और बहुत दुःख के साथ यह तय करना पड़ता है कि उनको यह सदन छोड़ देना चाहिये और अगर सदन नहीं छोड़ते हैं तो जितनी कम से कम हो सकती है उतनी शक्ति के प्रयोग से उनको सदन के बाहर कर दिया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, सख्ती जो आप चाहें कर लें मगर मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपकी भावनायें हमारे साथ हैं, इसलिये अपनी भावनाओं को साथ रखते हुये भी....(कोलाहल)

श्री अध्यक्ष---(पुनः राजनारायण जी से) आप कृपया बैठ जायं। नहीं तो सख्ती के लिये मैं मजबूर होऊंगा।

श्री राजनारायण---हम जहां तक सख्ती का ताल्लुक है उससे डरने वाले नहीं हैं अंग्रेजों की सख्ती हमने बर्दाश्त की है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके हाल से बाहर हो जायं।

श्री राजनारायण---मैं इस तरह से जाना नहीं चाहता।

(शेम शेम की आवाज़)

(इस समय श्री अध्यक्ष की आज्ञा से सचिव, विधान सभा द्वारा बुलाये जाने पर पुलिस अधिकारी सदन में आये और श्री राजनारायण जी को बाहर चलने के लिये कहा जिस पर श्री राजनारायण जी *[सदन के फर्श पर बैठ गये और उन्होंने] ने कहा कि बल का प्रयोग कीजिये, अध्यक्ष ने बल प्रयोग से ले जाने को कहा है। मैं बल प्रयोग से ही जाऊंगा। पुलिस ने जैसे ही हाथ में हाथ श्री राजानारायण जी के डाला वैसे ही श्री नारायण दत्त जी ने कहा।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन् आपकी बिना खुली आज्ञा दिये पुलिस माननीय राजनारायण जी पर जबरदस्ती कर रही है। मैं प्रोटेस्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैंने पुलिस को ऐसी आज्ञा दे दी है।

(पुलिस न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए श्री राजनारायण जी को सदन के बाहर ले गयी।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---(बिला अनुमति लिये खड़े होकर) श्रीमन्, नारायण दत्त जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसकी इजाजत आपको अवश्य देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---(श्री रामनारायण त्रिपाठी से) आप कृपया करके बैठ जायं मैंने उसकी इजाजत नहीं दी है।

(इस पर श्री राम नारायण त्रिपाठी खड़े ही रहे)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---बहुमत के बल पर हमारी सरकार किसी भी बात पर विचार करने के लिये तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---क्या उसी प्रकार आप भी सदन को छोड़ देना चाहते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं भी सदन छोड़ने के लिये मजबूर हूं क्योंकि सरकार अपने बहुमत के आधार पर हर बात का विरोध करना चाहती है।

(श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के भाषण जारी रखने पर)

श्री अध्यक्ष---(पुलिस आफिसर से) मैं आपको आज्ञा देना चाहता हूं कि श्री रामनारायण जी को भी शक्ति के साथ बाहर कर दें।

(शेम शेम की आवाज़ों के साथ श्री रामनारायण त्रिपाठी को भी पुलिस द्वारा सदन से बाहर किया गया।)

श्री अध्यक्ष---माननीय सदन ने यह अच्छी तरह से देख लिया कि श्री राजनारायण जी ने कैसा व्यवहार किया और माननीय रामनारायण त्रिपाठी भी किसी प्रकार से आज्ञा मानने के लिये तैयार नहीं हुए और अन्त में बल का प्रयोग करना ही पड़ा। अतः इस चीज को मैं सिद्धान्ततः यहीं छोड़ने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि यह

---

* [ ] रह गया था और बाद में पता चलने पर श्री अध्यक्ष की दिनांक २ अप्रैल १९५३ की आज्ञा से बढ़ाया गया।

सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना है। अतः इन दोनों सदस्यों ने जो ज्या की है उसके बारे में मैं यह निश्चय करता हूं कि इस प्रश्न को सदन की विशेषाधि कमेटी के सामने भेजा जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--(बिना अनुमति लिये खड़े होकर) श्रीम मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है कि जिस प्रकार से सरकार ने तमाम अध्यापकों को यह हटाया है और जिस प्रकार से सरकार का व्यवहार हमारे साथ रहा है वह अन्या पूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, जब यह गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है और आप भी उसक पक्ष ले रहे हैं तो मेरे लिये इसके सिवा और कोई चारा नहीं है जो कि मैं इस समय कर रह हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप श्री नारायण दत्त जी के प्रस्ताव को मान लें।

श्री अध्यक्ष--अब आप कृपा करके बैठ जायं, नहीं तो मुझे आपको सदन से बाहर हटाने के लिये कहना पड़ेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल --खैर, वह तो आपका अधिकार है।

(श्री जगन्नाथ मल्ल के भाषण जारी रखने पर)

श्री अध्यक्ष --(पुलिस अधिकारी से) अगर ये नहीं मानते हैं तो आप कृपा करके इन्हें बाई फोर्स बाहर कर दें।

* [श्री जगन्नाथ मल्ल इस पर भी नहीं बैठे और पुलिस अधिकारी के श्री अध्यक्ष से पूछने पर कि क्या उनकी आज्ञा है कि उनको बाई फोर्स बाहर कर दिया जाय श्री अध्यक्ष ने "जी हां" कह कर स्वीकृति दी]

(श्री जगन्नाथ मल्ल को भी तब पुलिस द्वारा सदन के बाहर भिजवाया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--(बिना अनुमति के खड़े होकर) श्रीमान् जी, जगन्नाथ मल्ल जी के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया गया है वैसा ही श्री राजनारायण व श्री रामनारायण त्रिपाठी के साथ नहीं हुआ इस पर मैं प्रोटेस्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप प्रोटेस्ट कर चुके तो अब आप कृपा करके शान्त हो जायं ताकि आगे की कार्यवाही हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मुझे प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष--मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं उस नियम को पढ़ता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं इसके विरोध में बाहर जाना चाहता हूं।

(श्री सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--(बिना अनुमति के खड़े होकर) अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे विरोधी दल के नेता को तथा दूसरे माननीय सदस्यों को जिस तरह से पुलिस यहां से खींच कर ले गई है उसके पश्चात् हमारे दल का कोई भी माननीय सदस्य इस सदन में अब रहना उचित नहीं समझेगा और मैं जानता हूं कि यह गवर्नमेंट बेहया है इसको जरा भी शर्म नहीं है..

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठ जायं। आपको बोलने की इजाजत नहीं।

* [यह छोड़ दिया गया था क्योंकि बाहर वालों के कहे वाक्य नहीं लिखे जाते। परन्तु गेंदासिंह के विशेषाधिकार समिति के सामने प्रश्न उठाने के कारण श्री अध्यक्ष ने दिनांक ४ अप्रैल, १९५३ को पुनः विचार करके इसको कार्यवाही में रखना आवश्यक समझा।]

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट बेहया है इसलिये हम समझते हैं कि हमारा यहां रहना उचित नहीं है और इसलिये मैं अपने दल के माननीय सदस्यों को परामर्श देता हूं कि वे इस सदन से उठ कर बाहर चले जायं।

(इसके पश्चात् माननीय सदस्य अपने दल के कुछ सदस्यों के साथ सदन के बाहर चले गये।)

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--(बिना अनुमति के खड़े होकर) मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि माननीय गृह मंत्री ने जो यहां पर अपना स्पष्टीकरण दिया उसमें यह कहा कि रात में दो या तीन बजे विरोधी दल का कोई आदमी यहां पर मौजूद नहीं था और यह कानूनी काम था कि अगर कोई आदमी किसी ऐसे स्थान में हो तो उसको अलग किया जाय। तो क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि यह कार्यवाही दिन में क्यों नहीं की गयी? रात में इस तरह से क्यों किया गया?.......

श्री अध्यक्ष--जो बातें हो चुकी हैं उनको ही आप दोहरा रहे हैं। अगर आप बहस में भाग लेते हैं तो जिस समय यहां पर अनुदान आता तो उस समय आपको उत्तर मिल जाता लेकिन आप लोग तो उस बजट की कार्यवाही को शुरू ही होने देना नहीं चाहते हैं।

श्री मलखान सिंह--यह मेरा निवेदन था।

श्री अध्यक्ष--आप लोग तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने पर तुले हुये हैं। कृपया आप अब बैठ जायं।

श्री मलखान सिंह--मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कार्यवाही दिन में क्यों नहीं की गई?

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठ जायं तो आपको इसका उत्तर मिल जायगा।*

श्री मलखान सिंह--माननीय गृह मंत्री यहां पर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--तो फिर आप किससे पूछना चाहते हैं? आप कृपा कर बैठ जायं।

(कुछ ठहर कर)

सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं है।

श्री मलखान सिंह--जब सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं है तो मैं इस बर्बरता का घोर विरोध करता हूं और अपने साथियों के साथ मैं भी वाकआउट करता हूं।

(इसके पश्चात् श्री मलखान सिंह भी सदन के बाहर चले गये।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में कृतज्ञता के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का धन्यवाद

श्री अध्यक्ष--अब मैं इस माननीय सदन को यह सूचना देता हूं कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री राज्यपाल के सम्बोधन पर इस सदन ने पास किया था और जिसको इस सदन के माननीय सदस्य और मैंने उनकी सेवा में उपस्थित किया था उसके उत्तर में माननीय राज्यपाल ने यह पत्र भेजा है जिसको मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं--

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपको आपके २६ फरवरी के पत्र के लिये धन्यवाद देता हूं और विधान सभा द्वारा १८ फरवरी को पारित किये गये उस संकल्प की सराहना करता हूं जिसको आपने तथा विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने स्वयं आकर मुझे देने की कृपा की।

आपका विश्वसनीय,

के० एम० मुन्शी।

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ६ जनवरी, १९५३ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० जनवरी, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ६ फरवरी, १९५३ को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

जौनसार-बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि जौनसार-बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ५ दिसम्बर, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ जनवरी, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १३ फरवरी, १९५३ को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २८—जेल और बस्तियां

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—जेल (लेखा शीर्षक) २८—जेल और बस्तियां के अन्तर्गत १,१२,३४,००० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, समय योंही बहुत सा चला जा चुका है और यह बात गलत होगी कि मैं किसी लम्बे भाषण द्वारा इस सदन का ज्यादा समय लूं। इसलिये इस समय में केवल तीन-चार बातों का थोड़े में जिक्र कर देना चाहता हूं जिससे सदन में वादविवाद में सुविधा हो। पिछले वक्त हमने तय किया था कि हम अपने यहां कुछ प्रयोग करेंगे। एक तो यह कि अब तक जो कैदियों की मुलाकात केवल महीने में एक बार होती थी वह रोज़ हुआ करे। पहले यह प्रयोग एक दो जगह से शुरू किया गया लेकिन अब हर जगह रोज़ मुलाकात कैदियों से हो सकती है। इसके अलावा हमारा इरादा है कि आगे डिस्ट्रिक्ट जेलों में भी यह प्रयोग शुरू किया जाय। इससे कैदियों को और उनके सम्बन्धियों को बहुत सुविधा होगी।

दूसरी चीज थी चन्द्रप्रभा डैम में खुले तरीके से कैदियों से काम लेना। उसके सम्बन्ध में भी मैं यहां ज्यादा फीगर वगैरह न दूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि अक्टूबर से जनवरी तक वहां औसतन १,५०५ कैदी बराबर काम करते रहे और उनकी मजदूरी का १ लाख ५७ हजार रुपया हासिल हुआ जिसमें से ८० हजार रुपये का खर्च गवर्नमेंट ने काट लिया और ७७ हजार कैदियों के पास रहा जिसके मानी यह हुये कि उनकी करीब ५० रुपये के औसत आमदनी हो गई और किसी किसी की तो १०० रुपये तक की आमदनी रही, जो कुछ उन्होंने खाया उसके अलावा यह आमदनी हुई। इसके अलावा उनको वहां बीड़ी-सिगरेट और दूसरी खानेपीने की चीजें इस्तेमाल करने का अख्तियार है। अगले वर्ष में ३ हजार कैदियों के नये ऐसे कैम्पस खोलने के लिये दस हजार रुपया रखा गया है। हालांकि हमारा विश्वास है कि हम इन कैम्पस को नो प्राफिट नो लास बेसिस पर चला लेंगे और सम्भव है कि हमें इस दस हजार रुपये की जरूरत न पड़े।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

तीसरी चीज अन्डर ट्रायल्स के बारे में है। अब तक वह लोग कुछ काम नहीं करते, उनका खाने का रेट भी दूसरा होता है और न उनके साथ काम करने की जबरदस्ती ही हो सकती है। अब उनको भी अगर वह उस पीरियड में काम करना चाहें तो काम करने का मौका दिया जायगा। अगर वह मुकदमे से छूट गये तो छूट गये और अगर सजा होगी तो उन्होंने जितना काम किया होगा उसी हिसाब से उनको अपनी सजा में रेमिशन मिल जायगा। अगर काफी अन्डर ट्रायल्स ने काम करना शुरू किया तो इस प्रयोग को भी और जिले में किया जायगा। इसके अलावा जो शार्ट टर्म कनविक्ट्स होते हैं जिनकी तीन चार महीने की सजा होती है उनको चन्द्रप्रभा डैम जैसे कामों में भेजने से तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये उनके लिये हम सोच रहे हैं कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के जो छोटे काम होने वाले हैं उनको तीन चार जगह के शार्ट कनविक्ट्स को जमा करके उनसे कराया जायगा। उससे कुछ खर्च घटेगा और उनका भी लाभ होगा। पहले हमीरपुर में यह काम आरम्भ किया जायगा और यदि सफलता हुई तो और जिलों में भी इस प्रयोग को आरम्भ किया जा सकेगा।

एक और प्रयोग औरतों के विषय में है। उनको वहां सिवा सीने और काढ़ने के और कोई काम नहीं मिलता और चूंकि ऐसे काम की कोई खपत नहीं है, इसलिये उससे कोई विशेष लाभ उनको नहीं होता। हम ऐसे तरीके निकालना चाहते हैं कि जिससे उनको ऐसी शिक्षा उन कामों की दी जाय जिससे समाज का फायदा हो। और जगह से लाकर लखनऊ में औरतों के लिये हम एक कन्सेन्ट्रेशन कैम्प जेल माडल जेल में बनाना चाहते हैं। हमारे यहां ट्रेंड नर्सेज और मिडवाइब्ज की बहुत कमी है। हिन्दू और मुसलमानों के यहां की लड़कियाँ अभी आमतौर से इस काम को करना पसन्द नहीं करती हैं यह हमारी बदकिस्मती है। सिर्फ कुछ ऐंग्लो इंडियन या क्रिश्चियन लड़कियां ही इस काम में आती हैं। यह ऐसा काम है और दूसरे ऐसे काम हैं जो थोड़ी पढ़ी लिखी औरतों को जरा सी शिक्षा देकर लिया जा सकता है। तो उनको हम मिडवाइब्ज और नर्सेज की शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वह उनके लिये और समाज के लिये उपयोगी साबित हो सकें। यही तीन चार प्रयोग थे जो हम अपने यहां करना चाहते हैं।

मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६-जेल-लेखा शीर्षक २८-जेल और बस्तियां के अन्तर्गत, १,१२,३४,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या १७-लेखा शीर्षक २९-पुलिस

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७-पुलिस (लेखा शीर्षक २९--पुलिस) के अन्तर्गत ७,१६,००,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस संबंध में मैं कुछ ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन माननीय सदस्य देखेंगे कि हम बराबर इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि जहां तक हो सके पुलिस का खर्च कम किया जाय।

सन् १९५१-५२ में खर्च ७,३२,००,००० रुपया था और सन् १९५२-५३ में ७,११,४१,००० रुपया था। इस साल ७,१६,००,००० रु० ले रहे हैं। रकम कुछ ज्यादा

है पिछले साल से। उसकी एक वजह तो यह है कि माननीय सदस्य देखेंगे कि इसमें १,०४,००० रु० की जो रकम है वह फायर सर्विस के नान रेकरिंग खर्च के लिये है, जिसमें मशीन और एक्विपमेंट शामिल हैं जो खराब हो गया था। उसका आर्डर तो बहुत पहले जा चुका था। इस साल वह आ रहा है।

दूसरी रकम, माघ मेला जो इस साल होने वाला है उसमें जो खर्चा होता है उसके लिये सवा दो लाख रुपये की रकम है। एक रकम और है जो एक जगह नहीं, कई जगह मिलेगी। वह दो, सवा दो लाख रुपये की रकम है। यह आर्म्ड पुलिस के लिये, जो हमारी पी० ए० सी० है उनके लिये खास किस्म के हथियार और अम्युनीशन के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो रिक्मेंड हुये हैं, उनके लिये पी० ए० सी० की कांटिंजेंसी में वह रकम रखी जाती है।

यह दो तीन खास बड़ी रकमें हैं जिन की वजह से ऐसा मालूम होता है कि रकम ज्यादा है, लेकिन हम बराबर उसके कम करने की कोशिश करते हैं। पुलिस एक ऐसी चीज है जिसकी रकम में कोई नई चीज होने वाली नहीं है। कोई नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट है नहीं। जो माननीय सदस्य शिकायत करते हैं उनमें सच्चाई बहुत सी है। उन पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं। यह मैं नहीं कह सकता कि सारी शिकायतें दूर हो गयीं। इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक बन पड़ता है हम कोशिश करते हैं और जो सुनता हूं उससे मालूम पड़ता है कि हमें थोड़ी बहुत सफलता मिल रही है। बस इससे ज्यादा हमारा किसी किस्म का कोई दावा नहीं है।

एक चीज में बहुत से माननीय सदस्यों को दिलचस्पी होगी, बल्कि दो चीजों में। एक बार सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में यह सवाल उठाया गया था, सामने से लोग चले गये हैं, लेकिन यह कहा गया था कि क्राइम फीगर्स तो कम हैं आपके, जो हमारी रिपोर्ट छपी है उसमें दिखलाया गया हैं कि क्राइम कम है, लेकिन यह कहा जाता है कि आपके जेल में कैदी बढ़ गये हैं। तो जब कोई यह कहता है कि क्राइम बढ़ गया या क्राइम घट गया तो जाहिर बात है कि उसके दिमाग में वही फीगर होती है जो रिपोर्ट में है यानी मर्डर, डकैती, बरगलरी, रायट वगैरह की, लेकिन जेल में इनके अलावा और भी किस्म के कैदी रहते हैं। जैसे टिकिटलेस ट्रैवलिंग होती है, उसमें जो लोग पकड़े जाते हैं वह भी रहते हैं। उसकी भी देखभाल और रोकथाम की जाती है। इसके अलावा एक्साइज के आफेंस होते हैं वह तो पुलिस के अन्दर आते नहीं है, मामूली क्राइम में आते हैं। इन चीजों से जेल के फीगर्स ज्यादा मालूम होते हैं। लेकिन जहां तक सीरियस क्राइम का ताल्लुक है ऐसा मालूम होता है, लक्षण और टेंडेंसी इस बात की है कि वह कम है।

आगरे की बाबत कुछ जिक्र हुआ था, मान सिंह वगैरह की बाबत सवाल हुआ था। माननीय सदस्य को खबर भी है। वहां एक बड़ी दिक्कत पड़ती है। दो तीन स्टेट्स के फ्रांटियर्स वहां मिलते हैं। विन्ध्य प्रदेश, मध्यभारत और राजस्थान। कोई नानकोआपरेशन नहीं होता। लेकिन तीन राज्य होने के कारण पूरी शक्ति नहीं लग पाती। मिसाल के तौर पर अगर मध्य प्रदेश में डाकू खड़े हों और हमारी पुलिस देख रही हो, तो वह जाकर उन्हें पकड़ नहीं सकती सिवाय इसके कि रनिंग चेज हो। यूं अगर सामने खड़े भी देखें तो न तो पुलिस बन्दूक ही चला सकती है और न पकड़ ही सकती है। यह सब टेक्निकल दिक्कतें थीं। इन सब दिक्कतों को हल करने के लिये राजस्थान और मध्यभारत की सरकारों ने सम्मिलित कार्यवाही करना स्वीकार कर लिया है और हमारे यहां के सीनियर डी० आई० जी०, श्री शांति प्रसाद उसके इंचार्ज हैं। और हम पूरी आशा कर रहे हैं कि बहुत थोड़े दिनों के अन्दर इन डाकुओं के गैंग्ज को पकड़ने में सफलता मिलेगी।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस मांग को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि इस मांग को सदन स्वीकार करेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जो यह पुलिस की मांग हमारे सामने पेश है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन साथ ही साथ जो दिक्कतें आज प्रान्त में उपस्थित हैं उन पर भी प्रकाश डालूंगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को बड़ी आशा थी कि एक अजीब नयी क्रांति होगी, देश में एक तब्दीली होगी। लेकिन पुलिस विभाग अपने पुराने तरीके पर, वहीं का वहीं है जहां पर कि अंग्रेजों के जमाने में था, जैसा कि सन् ४२ के जमाने में था। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि तीन प्रान्तों के बीच में मध्य भारत राज्य है, वहां की पुलिस जिम्मेदारी महसूस नहीं करती। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ठीक इसी तरीके से प्रत्येक जिले में ऐसा मालूम होता है कि पुलिस है ही नहीं। आये दिन कत्ल और डकैतियां होती हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मैं पुलिस मंत्री का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं कि आज हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी के जमाने में सुन्दर शासन होना चाहिये। हमारी पुलिस सुधरी होनी चाहिए। मैं यह सुझाव देता हूं कि हमारे जो पुराने अधिकारी हैं उनकी सर्विसेज अगर २५ साल की हो गयी हो, तो उन्हें छुट्टी दे दी जाय और नयी पुलिस भर्ती की जाय। मिसाल के तौर पर मैं बतलाता हूं कि हर गवर्नमेंट जब बदली है तो उसने अपने आदमियों को रखा है। मिसाल के तौर पर जब लेबर गवर्नमेंट इंग्लैन्ड में शक्ति में आयी तो उसने यहां के वायसराय लार्ड वेवेल को वापस बुला लिया। हर गवर्नमेंट को अपने विश्वसनीय आदमियों को रखना चाहिये। आज हम देखते हैं कि हमारी मखौल होती है। हमारे अफसर दिल खोलकर हमसे कोआपरेट नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात हम पुलिस मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा हरिजन वर्ग जो पुलिस विभाग में है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। मामूली मामूली बातों पर वह निकाल कर बाहर कर दिये जाते हैं। उनके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपसे निहायत अदब के साथ कहना चाहते हैं कि हाउस में हम इस पर जो कुछ बतायें उस पर अमल की जरूरत है, क्योंकि हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जनता नाना प्रकार के प्रश्न हम से पूछती है कि यह क्यों हुआ, वह क्यों हुआ? मिनिस्टरों के पास हम लोग पहुंच पाते हैं। हम लोगों का जनता को जवाब देते-देते दम फूलता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पुलिस मशीनरी को जरा टाइट किया जाय जैसे कि हमारे माल मंत्री जी ने पटवारियों को ठीक किया उसी प्रकार अगर कोई भी सब-इन्सपेक्टर गलती करता है, तो उसको फौरन सस्पेंड कर दिया जाय और जिनका काम अच्छा है उनको इनामात दिये जायं। हमारे नये एस० पीज० और थानेदार हैं वह काम कर रहे हैं लेकिन इसके लिऐ सख्ती की जरूरत है। मुझे चन्द केसेज की नालेज है जो निकाल दिये गये। यह कहा गया कि हमारी तबियत ठीक नहीं है और वह अनुशासन में हटा दिये गये। अगर एक अफसर ने आमालनामा खराब कर दिया तो दूसरे ने ब्लाइंडली उसी को लिख दिया। यह नहीं कि जिस आदमी ने दो साल काम किया उसका ख्याल किया जाय। मैं पुलिस मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि जैसे जैसे हमारे नये कैडेट्स की ट्रेनिंग हो रही है वैसे ही आप नये कैडेट्स को सेलेक्ट कीजिये और नये लोग आयें। जो पुराने हैं जिन पर विश्वास नहीं है देश को, जनता को, उनको जैसे आपने पटवारियों का रेजिगनेशन ऐक्सेप्ट किया, मैं ईमानदारी और साहस के साथ बताना चाहता हूं कि इससे वहां बड़ी खुशी है, वैसे ही आप पुराने लोगों को हटा दें। हमारा बस्ती का जिला ट्रांस राप्ती एरिया है वह नैपाल के बार्डर पर पड़ता है। वहां रात दिन डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं और वहां के सब-इन्सपेक्टर आराम से अपने बंगले में बैठे रहते हैं। नैपाल राज्य में कम्युनिस्ट प्रचार होता है। वहां कम्युनिस्ट उपद्रव करते हैं। नैपाल के लोग कहते हैं कि यू० पी० की सरकार हमारी मदद करने के लिये तैयार है लेकिन न मालूम कब होगा। तो श्रीमान्, मैं इन शब्दों के साथ पुलिस मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह एक लेविल पर चलाया जाय, एक सुन्दर ढंग से चलाया जाय। मैं सरकार का ध्यान आज भी दिलाना चाहता हूं कि अध्यापक बेचारे जो यहां पर अनशन कर रहे थे, और गांधी जी के

सिद्धांतानुसार अनशन कर रहे थे, सत्याग्रह का जो मार्ग गांधी जी ने बतलाया था उसके अनुसार अनशन कर रहे थे, उनको रात को वहां से हटा दिया गया लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी चीजें न होनी चाहियें कि जिनसे जनता हमारे विरुद्ध हो। आज हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारे खिलाफ बड़ा प्रचार हो रहा है, जनता बहुत उबली हुई है और मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार को भी पब्लिक ओपीनियन को देखना चाहिये कि पब्लिक ओपीनियन क्या है। मैं इन शब्दों के साथ श्रीमन्, आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि सरकार पुलिस विभाग को एक सुन्दर ढंग से चलाते हुये, और कंट्रीज में पुलिस का जो डेवलपमेंट हो रहा है वैसा डेवलपमेंट हमारे प्रदेश में भी पुलिस विभाग में करने का कष्ट करे।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि शासन करने के लिये थोड़ी सी ऐसी सजा देने की आवश्यकता होती है जो जनता को सदैव प्रिय नहीं होती और यह भी जरूरी है कि ऐसे आदमियों पर जब उन चीजों का प्रयोग होता है, तो थोड़ी-सी कटुता भी होती है लेकिन देखना हमें यह है कि वह कटुता, वह अप्रिय बात जो है, वह उसी हद तक महदूद रहती है कि जहां तक वह लाजिमी है और वह लाजिमी हद के आगे तो नहीं बढ़ती। श्रीमान् पुलिस एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। कुछ ऐसे जरूरी मसले हैं जिनको कि मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैंने उन चीजों को जो मेरे ख्याल से बहुत अहम थीं इस सदन के सामने जनरल डिबेट में भी रखा था। मालूम ऐसा होता है कि माननीय गृह मंत्री जी की निगाह से वह चीजें छूट गईं और चूंकि कोई प्रकाश उन चीजों के ऊपर माननीय गृह मंत्री जी की ओर से नहीं डाला गया, इसलिये मैं आज इस सदन के सामने उन्हें फिर दुहराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में जैसा कि तमाम हिन्दुस्तान में १०९ और ११० दफायें लागू हैं जिनसे जनता के फंडामेंटल राइट्स पर बहुत जबरदस्त कुठाराघात होता है और मैं अपने जिले की बात जानता हूं। श्रीमान्, मैं अपने यहां पर रोज देखता हूं कि आदमी के चोरी और डकैती में जजों से या मैजिस्ट्रेट के यहां से बिलकुल निर्दोष छूट जाने के बाद भी पुलिस उनकी निगरानी शुरू कर देती है। इस तरह की बातें बड़ी ही गलत हैं और हम पुलिस के कर्मचारियों के हाथमें उन ताक़तों को देते हैं कि जिनसे जनता को वे आतंकित कर सकते हैं और करते हैं। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि ये आदमी बहुत जिम्मेदार नहीं होते हैं और जनता की तकलीफ, जनता के ख़यालात और जनता के फंडामेंटल राइट्स को वे अपने administration के मामले में नीचे कर देते हैं। मैं आप के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से विशेषरूप से प्रार्थना करूंगा कि वे इन चीजों पर खास विचार करें, क्योंकि जहां एक तरफ यह चीज़ जरूरी है कि हम चोरी का इंवेस्टिगेशन करायें, डकैती का इंवेस्टिगेशन करायें और मुजरिम आदमी को कानूनी ढंग से जो कुछ सजा अदालत से मिल सकती है, उसको दिलायें, वहां दूसरी तरफ़ हमारा यह भी पवित्र कर्तव्य है कि हम यह भी देखें कि पुलिस कर्मचारियों के द्वारा बेगुनाह आदमी सताये न जायं।

अब मैं क्राइम्स के मामले पर आता हूं। यह तो मैं नहीं जानता हूं कि क्राइम्स इस राज्य के अन्दर बढ़ गये हैं या घट गये हैं और इस संबंध में मैं कोई आंकड़े भी नहीं दे सकता हूं, लेकिन क्राइम्स बहुत होते हैं इस बात को मैं कह सकता हूं और अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने यहां इसे देखता भी हूं। अक्सर यह भी देखता हूं कि रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं। जब कोई फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट लिखाने के लिये जाता है तो वह आमतौर पर नहीं लिखी जाती है। यह भी होता है कि रिपोर्ट लिखाने वाले को रिपोर्ट लिखाने के लिये कुछ रुपया देना पड़ता है और वह इतने गंदे तरीक़े से देना पड़ता है कि गांधी जी की तसवीर की तरफ़ इशारा कर के कहा जाता है कि गांधी जी कहते हैं कि पांच रुपये से कम मत लो। यहां तक हालत होती है। तो मैं इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी से विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर विशेष तरीके से ध्यान दें और कुछ ऐसे तरीक़े निकालें कि जिनसे आइन्दा यह सब चीजें न हों।

[श्री भगवान सहाय]

अब मैं पुलिस कर्मचारियों के एक मसले की तरफ आता हूं। यह थानेदार का सवाल है। एक तरफ तो हम यह देखते हैं कि सिपाहियों को वर्दी मिलती है और पुलिस के ऊंचे ऊंचे कर्मचारियों को वर्दी मिलती है जिनको हज़ारों रुपये की तनख्वाह मिलती है, और सब इंस्पेक्टर, जिनको १२० रुपये से स्टार्ट मिलता है उसको कोई वर्दी नहीं मिलती है। यह मैं मानता हूं कि ऊंचे कर्मचारियों का वर्दी एलाउंस खत्म कर देने से कोई विशेषरूप से आर्थिक फायदा नहीं होगा लेकिन यह बड़ी अनजस्टीफाइड चीज़ है कि हम ऊंचे कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं दें और वे लोग जो मुश्किल से अपनी जिन्दगी बसर करते हैं उनको वे सुविधाएं न दें। इसके साथ-साथ एक और बात यह है कि जाड़े के दिनों में ज़ीन की वर्दी जो बहुत ठंडाती है, सब इंस्पेक्टर्स को चूंकि प्रेस्क्राइब्ड है पहननी पड़ती है। अगर वे अपने पास से ऊनी वर्दी बना लें तब भी चूंकि रेग्यूलेशन में नहीं है, इसलिये वे उसको नहीं पहन सकते हैं, गोकि होता यह है कि आमतौर पर पुलिस के थानेदार उसको पहनते हैं। मैं श्रीमन् आप के द्वारा इस बात की सिफारिश करूंगा कि या तो उनको कानूनी बना दिया जाय कि उनको ऊनी वर्दी अपने पास से बनवा कर पहने का हक़ है और एक कपड़ा प्रेस्क्राइब कर दिया जाय, या फिर ठंडी वर्दी पहनने के लिये सख्ती की जाय।

गवर्नमेंट आफ इंडिया में रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत शिकायतें हुआ करती थीं और उन्होंने अपने यहां एक कम्प्लेंट डिपार्टमेंट खोल दिया है जिसके अन्दर हर कम्प्लेंट की जवाबदेही देनी पड़ती है। जो पार्लियामेंट के किसी मेम्बर के द्वारा की गई शिकायतें हैं उनका उत्तर तीसरे दिन अवश्य देना पड़ता है। दूसरी जो जनता के द्वारा शिकायतें हैं उनका उत्तर एक निर्धारित समय के अन्दर उनको देना पड़ता है। इस तरह का कोई सिस्टम हमारे पुलिस में नहीं है। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से इस बात की भी प्रार्थना करूंगा कि इस ओर भी विचार करें और इन चीज़ों पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को लाने पर मैं अपने माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरा आप का बहुत दिनों से साथ है। मैं आप को एक कुशल राजनीतिज्ञ, अच्छा लेखक, त्यागी और अच्छा कांग्रेस का नेता समझता था लेकिन आप कुशल शासक भी हैं और इस तरह से बजट को भी ला सकते हैं, यह बात मुझे आज देखने को मिली। आप की शासन-कुशलता का मैं आज से कायल हुआ। मैं फर्ज नहीं अदा करता हूं बल्कि तहेदिल से आप को धन्यवाद देता हूं। जेल का और पुलिस का बजट सामने आ गया है, इसलिये दो मेरे कट मोशन्स हैं मैं दोनों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

एक सदस्य—जेल का बजट पास हो गया है।

श्री सीताराम शुक्ल—मेरे दोस्तों ने बतलाया कि जेल का बजट तो पास हो गया है। खैर अब रह गया पुलिस का बजट। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, जहां तक पुलिस की शिकायतें की गयीं, प्वाइन्ट आउट किया और बतलाया, कोई ग़लत नहीं कहा, आज अपना राज्य है, अपनी गवर्नमेंट है। इसमें कोई शुबहा नहीं कि आज भी हमारे यहां ऐसे आफिसर्स हैं जिनकी करतूत देख कर शर्म से सिर झुकता है। (ईट, ड्रिंक एन्ड बी मेरी) खाओ, पियो और मौज करो, उनका यही उद्देश्य है। उनमें सेवाभाव नहीं है। मगर जहां यह शिकायत है वहां हम यह भी क़बूल करते हैं कि पुलिस में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके त्याग, सूझ बूझ और जिनकी कुर्बानी से हमारा सिर ऊंचा होता है। ऐसे भी आफिसर्स हैं जो ग़रीबी के साथ जिन्दगी बसर करते हैं मगर वह रिश्वत नहीं लेते हैं। परेशानियां हैं मगर उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता कि वह रिश्वत लेते हैं। मैं जानता हूं कि यहीं आप के असेम्बली आफिस के सामने की बात है, एक दूर का आदमी यहां परेशानी में आया, वह बरखास्त हो गया था। परेशानी में कोई सुनने वाला नहीं था। एक पुलिस आफिसर ने कहा, ठहरो मेरे साथ, जो कुछ मैं खाता हूं उसे

खाना और जहां मैं रहता हूं वहां रहना, कोई जान पहचान नहीं थी, कोई मुलाकात नहीं थी, ऐसे भी उदार हृदय लोग इस पुलिस के अन्दर मौजूद हैं। हुजूर वाला, हम भूल नहीं सकते, जिस समय हमारा सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था, जहां कुछ पुलिस आफिसरों ने सख्ती की है वहां उन्होंने हेल्प भी की है। एक थानेदार से मैंने कहा कि कांग्रेस के लिये कुछ पैसे दो। उन्होंने कहा कि हुक्म दीजिये उतना दूं। मैंने कहा इतना दो, उन्होंने कहा कि मैं इसका दूना दूंगा। मैंने कहा कि तुम ज्यादा कह रहे हो इतना नहीं दे पावोगे किन्तु उन्होंने बराबर हेल्प भी की थी। हम इसे भूल नहीं सकते हैं। हुजूरवाला मैं अर्ज करूं कि आर्थिक कठिनाई बड़ी बुरी चीज होती है। श्री भीष्म पितामह जी ने फरमाया था (संस्कृत में श्लोक है "अर्थस्य पुरुषो दासःदासस्त्वर्थो न कश्चनः" इति सत्यं महाराज बद्धो स्म्यर्थेन कौरवैः)" अर्थ का दास पुरुष होता है, अर्थ पुरुष का दास नहीं होता है। यह सत्य है कि मुझे अर्थ से कौरवों ने बांध दिया है इसलिये मैं मजबूर हूं। इसलिये मैं उधर से लडूंगा मगर बृहन्नला के सामने हथियार नहीं उठाऊंगा, यह :बतलाकर उन्होंने अपनी मौत खुद करवा ली। उसी प्रकार जहां पुलिस के जवान हमारे खिलाफ काम करते थे वहां उनकी हमदर्दी हमारी तरफ रहती थी। इसलिये जब उनकी शिकायतें कीजिये तो दूसरी तरफ उनकी तारीफ भी कीजिए।

मैं अर्ज करता हूं कि पुलिस पर कितना खर्चा होता है, जरा इस पर भी ध्यान दें। रूस में तीस आदमियों पर एक पुलिस आफिसर रहता है, लन्दन में ४१९ पर एक आदमी रहता है और हमारे सूबे में ६९३ पर एक आदमी रहता है। इंगलैन्ड में पुलिस के जवान पर बीस रुपया खर्च होता है मगर हमारे देश में बंगाल में दो रुपया कुछ पैसे, बम्बई में तीन रुपये कुछ कुछ पैसे, पंजाब में दो रुपये कुछ पैसे और हमारे यू० पी० में एक रुपया, सबसे कम पैसा यहां खर्च होता है। इस मुश्किलात को भी हमें देखना चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि जो अफ़सरान डाकुओं को पकड़ने में मारे गये हों, उनके बच्चों को फ़ौरन् पेंशन मिलनी चाहिये और उनके लड़कों को फौरन् छात्र-वृत्ति दे कर पढ़ने का मौक़ा दिया जाय ताकि उन्हें नौकरी मिल सके। अगर रिटायर हुये सरकारी अफ़सरों से आप काम लेना चाहें तो आपको आनरेरी सब-इंसपेक्टर भी मिल सकते हैं। अगर आनरेरी मैजिस्ट्रेट होकर अच्छा काम कर सकते हैं तो आनरेरी पुलिस अफसर भी अच्छा काम कर सकते हैं। कालेजों में पुलिस साइंस भी पढ़ानी चाहिये ताकि जो बच्चे पुलिस में जाना चाहते हों उन्हें पहले से ही उसका कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाय। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अभी तक तो पुलिसवालों को चोर, डाकुओं और बदमाशों को पकड़ने का ही काम था परन्तु अब प्रोपैगैंडिस्ट को भी पकड़ना है। वे वक्ता होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे ही आदमी हैं, तुम्हारी तनख्वाह के लिये यहां लड़ते हैं और तुम हम ही को पकड़ते हो। इसलिये पुलिस के आदमियों को बौद्धिक शिक्षण भी दिया जाय। साथ ही मैं अर्ज करता हूं कि अगर गिरफ्तार करने के बाद विरोधी राजनीतिज्ञों को सही बातें बताई जायं तो आज का विरोधी कल मित्र बन सकता है, उत्तरी कोरिया के गिरफ्तार हुये क़ैदी यदि अपनी राय बदल सकते हैं तो यहां के भी राजनीतिक क़ैदी को अपना दोस्त बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारा रास्ता ठीक है। अतः एक नौजवान को ठीक रास्ते पर लाना मुश्किल नहीं।

श्री नेकराम शर्मा--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। यह विभाग आज ऐसे कुशल गृह मंत्री के हाथों में है जिनमें इनीशियेटिव और ओरजीनैलिटी (Originality) है। और थोड़े ही समय से उनके हाथों में पुलिस विभाग आया है और हमें आशा है कि पुलिस विभाग की खराबियां जल्दी दूर करके पुलिस का ऐसा निर्माण कर देंगे कि पुलिस वास्तव में हमारे प्रदेश की एक सेवा करने वाली पुलिस कहलायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे २ या ३ बातों की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है। बावजूद बहुत से प्रयत्न करने पर भी, माननीय गृह मंत्री के आश्वासन दिलाने पर भी, आई० जी० और डी० आई० जी० के परिश्रम के बावजूद भी, रिपोर्टों का ठीक तरह से रेकार्डिंग नहीं

[श्री नेकराम शर्मा]
होता और गांवों के लोग जब रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो वे क़तई नहीं लिखी जातीं। यदि लिखी भी कोई जाती हैं तो मिनीमाइज आफ क्राइम कर के लिखी जाती है। मेरे इलाक़े में अभी थोड़े दिन हुये कई डकैती पड़ीं। उनमें बन्दूकें चलीं और आदमी मारे गये। उन्हें चोरी लिखाया गया। इस तरह के और भी उदाहरण मैं गृह मंत्री जी के नोटिस में ला चुका हूं। कभी डकैतियों का रेकार्ड ४५८ में भी होता है। क्राइम्स को छिपा कर सरकार के पास जो रिपोर्ट आती है उसमें यह दिखलाया जाता है कि क्राइम्स की संख्या घट रही है। अगर आप देहातों में दौरा करें और लोगों से मिलें तो उनसे पता चलेगा कि उनकी नजरों में क्राइम्स बढ़ता नजर आता है। गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया था कि वह संख्या घटती हुई तब मानेंगे जब कि वहां की जनता यह कहे कि क्राइम्स घट रहे हैं। आज जनता की आवाज है कि क्राइम्स बढ़ता जा रहा है और पुलिस का रवैया है कि वह क्राइम्स को छिपाती ही नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार को बदनाम करती है। हमारे गृह मंत्री का नाम जब बदनाम होता है तो हम इस नतीजे पर आते हैं कि वास्तव में ये जो पुलिस कर्मचारी हैं, सब नहीं, बहुत से जी तोड़ कर भी काम करते हैं, डाकुओं की मुठभेड़ में मारे जाते है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल सरकार को बदनाम करने के लिये इस तरह की रिपोर्ट फैलाते हैं कि गवर्नमेंट की पालिसी कंसीलमेंट करने की है और हम मजबूर हैं। अगर हम सच्ची रिपोर्ट लिखते हैं तो हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि हम सबकी तहक़ीक़ात कर सकें। पुलिस की जो रिपोर्ट थी उसमें सजेस्ट किया गया था कि इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर्स अलग होने चाहिये। यदि आप यह चाहें कि क्राइम्स का अच्छी तरह से इन्वेस्टीगेशन हो सके तो जरूरत इस बात की है कि हर थाने में इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर्स हों और वे तहक़ीक़ात करके आपके सामने सच्चे वाक़यात रख सकें।

अभी एक सप्ताह मनाया गया था। इसमें आदेश निकाला गया था कि पुलिस विभाग के और अन्य विभागों के भी सारे कर्मचारी इसमें मदद दें। लेकिन कम से कम मेरी कांस्टीटुयेंसी में पुलिस ने कोई भी सहयोग नहीं दिया बल्कि यही नहीं उन्होंने सहयोग देने से इन्कार भी किया। यह जो मनोवृत्ति है वह जनसेवक पुलिस की नहीं है। इस बात की ओर मुझे गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है।

एक बात की ओर मैं और अपने गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले जब कभी कत्ल होते थे तो उस जगह पर पुलिस मौक़े पर जाती थी और जुर्म का पता लगाया जाता था लेकिन मेरी कांस्टीटुयेंसी में क़त्ल हुये। पुलिस मौक़े पर नहीं गई, गई तो एक दिन के लिये, वहां से लौट आई और जिस तरह चाहा उस तरह की रिपोर्ट आ कर लिख दी। जब इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर जाते थे तो रोजनामचे में रवानगी लिखी जाती थी और जब वह आये तहक़ीक़ात करके तो उसकी आमद और तहक़ीक़ात की रिपोर्ट थाने में लिखी जाती थी। लेकिन अब क्या होता है कि रोजनामचा बिना लिखे हुये गये और वहां जा कर डकैती की रिपोर्ट हुई तो चोरी में लिख ली और उसके बाद थाने में आकर रोजनामचा भर दिया मेरे ही जिले में सिकन्दराराऊ थाने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐसा एक रोजनामचा पकड़ा जिसमें थानेदार साहब की रवानगी नहीं थी और खाली था। तो मंत्री जी किसी दिन किसी गांव में बिना इत्तिला दिये हुये चले जायं तो उन्हें मालूम पड़ जायगा कि आज स्थिति क्या है। किस तरह से क्राइम्स को छिपाया जा रहा है और किस तरह से वे बढ़ रहे हैं। डाका पड़ा। डाकुओं को पकड़ा गया लेकिन वहां उसको डकैती में न दर्ज कर के ४५८ में उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। अभी थाना हसायन, नगरिया गांव में डाका पड़ा और पता चला है कि उसे चोरी में लिखा गया जब पूछा गया तो पता चला कि गवर्नमेंट की यह पालिसी है कि क्राइम्स को मिनिमाइज करके दिखाओ। अगर माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और यह स्पष्ट घोषणा करें कि सर-कार की ऐसी नीति नहीं है और सरकार क्राइम्स को छिपाना नहीं चाहती और जो सब-इंस्पेक्टर या इन्सपेक्टर इस तरह से सरकार को बदनाम करने पर तुला हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। आज भी जनता इस बात के लिये उत्सुक है कि वह इस बात को सुने कि क्राइम्स को छिपाया नहीं जाता तो मैं चाहता था कि गृह मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

इसके बाद एक बात और है कि जब हम कोई शिकायतें करते हैं तो उसकी इन्क्वायरी के लिये सरकार उनको उसी कर्मचारी के पास भेजती है। मान लीजिये कि हमने शिकायत की कि हमारे यहां एक डकैती पड़ी तो आप ने उसको आई० जी० को, आई० जी० ने डी० आई० जी० को, वहां से एस० पी० और वहां से इंस्पेक्टर के यहां पहुंची, उन्हीं के पास पहुंची जिनके विभाग के सबार्डिनेट के खिलाफ इस प्रकार की एन्क्वायरी करना है तो उस एन्क्वायरी से कोई फायदा नहीं होता। अच्छा हो, कि एक कम्प्लेन्ट डिपार्टमेंट हो जिसमें यह तमाम एन्क्वायरी के मामले डील किये जायं। जैसे पार्लियामेंट में मेम्बरों के लिये है कि अगर कोई मेम्बर किसी चीज की शिकायत करता है तो तीन दिन के अन्दर जरूर जवाब पहुंच जाना चाहिये और ऐसी तेजी के साथ सही एन्क्वायरी होना चाहिये। इसी तरह से यहां भी जैसे आप के फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं उसी तरह से गांवों में भी कोई ऐसी शक्ल हो जिससे देहातों में मामलों की करेक्ट रिपोर्ट आपको हो जाया करे। देहातों में आजकल पुलिस ने गश्त बिल्कुल स्टाप कर दिया है। क्राइम्स हुआ तो चले गये वर्ना झूठी डायरी भरते रहे। अगर डकैती हुई तो जिसके यहां हुई तो उसको बुलाकर लिख दिया कि चोरी हुई। इस प्रकार की आदत को सरकार को रोकना चाहिये। डरा धमका कर जुर्मों को मिनीमाइज करना ठीक नहीं। यदि यह जारी रहा तो राज्य के लिये खतरनाक साबित होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जरूरत इस बात की है कि आम पुलिस में वह जागृति पैदा करें, वह भावना पैदा करें कि पुलिस आदर्श बन सके। वास्तव में आज पुलिस के अन्दर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिये हमारा सिर ऊंचा उठ जाता है और कुछ लोग पुलिस में ऐसे हैं जो पुलिस विभाग और सरकार को बदनाम किये हुये हैं। अगर उनकी रोकथाम कर दी जाय तो बहुत जल्दी ही जो असंतुष्टता फैली हुई है वह खत्म हो जाय क्योंकि कंसीलमेंट करने से जुर्म घटते नहीं बल्कि बढ़ते हैं। इस तरफ ध्यान दिया जाय तो दशा सुधर जायगी। पुलिस की खराबियां दूर हो जायंगी कुछ हद तक। इतना कह कर मैं गृहमंत्री जी को एक बार फिर बधाई देता हूं।

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आपकी कृपा से पहला दिन है जो मुझे हाउस में बोलने का मौका मिला है। मैं दिल की बात अपने दिल में ही लेकर हमेशा चला जाता रहा हूं। इस वास्ते मैं आपको धन्यवाद देते हुये और बजट के लिये माननीय गृहमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ में उन बातों पर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो मेरे विचार में आवश्यक हैं।

आज हम देखते हैं कि पुलिस के बजट में बढ़ती होती चली जा रही है लेकिन सुधार न भीतर ही होता है न बाहर होता है। पुलिस के कर्मचारी असंतुष्ट हैं और पब्लिक भी असंतुष्ट है। इसलिये ऐसा प्रबंध किया जाय जिससे कि उनको अपने बाल-बच्चों के वास्ते जिससे उन्हें नाजायज आमदनी की कार्यवाही करना पड़ती है, वह रुक जाय और पब्लिक भी सुखी हो जाय। मेरे क्षेत्र में तो ऐसा मालूम होता है कि पुलिस का ही राज्य है और लोगों के मुंह से यही निकलता है कि उससे तो पहला राज्य ही अच्छा था। हमारे यहां इस तरह के हाल-चाल हैं कि चाहे कितनी ही डकैती और चोरियां होती हों मगर वह कागजात के अन्दर बराय नाम आती हैं। पारसाल मैंने कुछ सवाल किये थे जिनमें कम तादाद में जुर्म दर्ज किये गये हैं जिन मामलों में आदमी मर जाता है वही केस डाकेजनी में दर्ज किये जाते हैं वर्ना कोई केस डाके में दर्ज नहीं किये जाते हैं। चोरी के बारे में तो कहना ही नहीं है, दुर्भाग्य से मेरे जिले में कुछ ऐसी चोरी हुई हैं कि जिससे कलेक्टर साहब और ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट साहब भी नहीं बचे हैं। इससे पब्लिक में कुछ संतोष अवश्य हुआ है कि आफिसर भी चोरी से नहीं बचते। अभी हाल का जिक्र है कि दो चोरियां मेरे जिले में कस्बे करवी में हुई हैं वहां पर सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट रहते हैं और पुलिस आफिसर भी रहते हैं। बीच बाजार में से चोर तिजोरी को उठा ले गये लेकिन

[श्री जगपति सिंह]

कुछ पता नहीं हो सका और एक आदमी बीच बाजार में कत्ल कर दिया गया, उसका कुछ पता तक नहीं चल सका। इस तरह की आये दिन चोरी, डकैती और कत्ल वगैरा होते रहते हैं जिनसे पब्लिक को बड़ा दुख होता है और कुछ सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कहने के लिये कहा जाता है कि हमारा राज्य है। ऐसा मालूम होता है कि अभी भी हमारे यहां अंग्रेजी राज्य बना हुआ है। पब्लिक ऐसा समझती है कि अभी हमारे राज्य की वही हालत बनी हुई है जो अंग्रेजों के जमाने में थी बल्कि उससे भी बदतर हालत हो गई है।

हमारे संदेश नहीं सुने जाते हैं। बड़े-बड़े अफसरों पर ही हमारे मिनिस्टर साहबान निर्भर करते हैं और हमारी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हमारी बात पर ध्यान दिया जाय तो पब्लिक को संतोष हो और उसको किसी तरह का भय न रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है इसलिये पब्लिक के दुखों का अंत नहीं होता है और धीरे-धीरे यह रफ्तार कम होने के बजाय उल्टे बढ़ती जा रही है और उसमें कोई सुधार नहीं होता है। बड़े अफसर लोग जो दौरे में जाते हैं तो छोटे छोटे अफसरों के मेहमान बनते हैं और मजबूर होकर उन छोटे अफसरों को उनकी मेहमानदारी करनी पड़ती है, अगर न करे तो उनका रिकार्ड खराब हो जाता है। फिर उनको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि उससे वह अपने बाल-बच्चों की परवरिश करें, शान से रहें, उनको पढ़ावें लिखावें और अपनी माली हालत को सुधारें। इसलिये उनको मजबूर होकर रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है और वही बात होती है जैसे कि एक वैद्य का किस्सा मशहूर है। एक मरीज है वह वैद्य जी के पास नुस्खा लिखाने के लिये जाता है। वैद्य जी उसको दो रुपये के नुस्खे को दस रुपये का नुस्खा लिख देते हैं और वह बाद में पंसारी से आधा आधा कर लेते हैं। इसी तरह से पुलिस का भी चोरों के साथ गठबंधन हो जाता है और पुलिस पब्लिक की बात नहीं सुनती जिससे परेशानी में पड़ जाती है। अगर वह अपनी आवाज उठाती है तो उसकी कुछ सुनवाई नहीं होती है।

माननीय गृह मंत्री जी को मालूम है कि हम लोग चुने हुये आदमी हैं और वहां के दुखों को लेकर यहां आते हैं और लोग हमसे आशा रखते हैं और जब हम वहां जाते हैं तो वह लोग हमसे पूछते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारी सही बात पर ध्यान दिया जाय। अब सही बात पर अमल नहीं होता है, तो इससे इंतजाम संतोषजनक नहीं होता है और लोगों के दुख बजाय घटने के बढ़ते जाते हैं। बजट बढ़ जाता है तो उससे टैक्स भी बढ़ जाते हैं और जनता के आराम में घटती होती जा रही है। देहात का क्या हाल होता होगा मैंने नमूना बतला दिया कि बीच शहर में इस तरह के वाकये होते हैं तो देहात में क्या होता होगा इसका अन्दाजा आप लोग स्वयं लगा लें। इसलिये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि शासन की बागडोर में कुछ कड़ाई से काम लें। जैसे थानेदार के करेक्टर रोल के संबंध में पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और कलेक्टर साहब का हाथ रहता है उसी तरह से एम०एल०एज० का हाथ रहे। जिसकी उस क्षेत्र के एम०एल०एज० सिफारिश करें उसी का चाल-चलन अच्छा माना जाय वर्ना वह लोग परवाह नहीं करेंगे। उनको ईमानदारी की सनद उसी समय मिले जब कि उनके चरित्र के संबंध में वहां के एम० एल०ए० भी लिख दें।

आजकल रिपोर्ट भी बहुत से मामलों में नहीं लिखी जाती है। जो कुछ दे देता है उसकी रिपोर्ट लिख ली जाती है। बहुत से लोगों के गलत रिपोर्ट पर अंगूठे लगवा लिये जाते हैं और मनमानी रिपोर्ट लिख ली जाती है। ऐसे बहुत से मुकदमें चल रहे हैं लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अपराधियों के दंड में ढिलाई नहीं करनी चाहिये। हमारे मंत्री जी आज आदर्श जेल बनाना चाहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जेलों में उनको ही सहूलियत दी जाय जो खूनी और डकैत न हों और जो लोग साधारण हों उन्हें और जो लोग जुर्म करने के आदी हों

उनसे कड़ी मेहनत ली जाय तभी उनका सुधार हो सकता है वर्ना वह कहते हैं कि जेल तो हमारी ससुराल है। अगर उनके साथ सहूलियत बर्ती जायगी तो वह और जुर्म करने के आदी हो जायंगे । मुझे इतना ही कहना है। अधिक क्या कहूं क्योंकि कहने का कुछ सार नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी से हम आशा करते हैं कि कभी कभी वह हमें बोलने का मौका दे दिया करें जिससे हम अपना दुख हलका कर लिया करें।

श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)---माननीय सदस्य महोदय, आज पुलिस का अनुदान सदन में आपके समक्ष प्रस्तुत है और आज ही हमने सदन में पुलिस के बल प्रयोग को भी देखा है। जिस शान्ति के साथ आपके आदेश का अनुसरण करके पुलिस ने बल प्रयोग किया है यदि यही धारणा देहाती क्षेत्रों में भी होती । यदि सरकारी आदेशों का इसी शांति के साथ इसी न्यायप्रियता के साथ इस्तेमाल होता तो शायद यह कडुवी बातें आज सदन में दिखाई नहीं पड़तीं। देहात में पुलिस जिस प्रकार से, जिस निरंकुशता के साथ छोटे-मोटे गांवों में और अक्सर बड़-बड़ी जगहों में भी अपनी मनमानी करती है उसका चरित्र और चित्र वस्तुतः आपके सामने आ ही नहीं पाता है।

मैंने पिछले साल अपने यहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस महोदय से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सूबे में जो चोरी और डकैती इस किस्म की होती है उसके संबंध में आदेश है कि वह दर्ज नहीं की जानी चाहिये। मालूम नहीं कि यह आदेश उनको कहां से मिले हैं। जनता के हृदय में सरकार के प्रति जो भावना है कि यह कांग्रेसी सरकार है, यह गांधी जी की पल्टन है, जो हुकूमत कर रही है, उसके प्रति उनके हृदय में थोड़ा-सा विरोध का भाव अवश्य आ जाता है। वह स्वराज्य में जो सुख देखना चाहती थी वह इन कुछ पुलिस कर्मचारियों की मनमानी की वजह से उनको देखने को नहीं मिल रहा है। अभी एक भाई ने कहा कि थाने में महात्मा गांधी जी की लगी हुई तस्वीर में उनकी पांच ऊंगली दिखा कर वह कहते हैं कि पांच रुपये लेंगे तब रिपोर्ट लिखेंगे। यही नहीं कभी-कभी हम ऐसा पाते हैं कि एक एक मुकद्दमें के ऊपर जिनमें उन्हें रिपोर्ट लिखनी पड़ती है उनमें २५,३०,४० और ५० रुपये ले रहे हैं। पुलिस की ही बात क्या कहें। इस समय देश में फैली हुई अनेक प्रकार की बुराइयों को देखकर हमें तो यही समझ लेना चाहिये कि जब वर्षाकाल में वर्षा होती है तो उस वक्त जहां हमें सुख होता है, पशु पक्षी सुखी होते हैं उसने भलाई खेती के लिये होती है और सिंचाई के लिये जल मिल जाता है और उससे अच्छी खेती होती है तो वहां उसी समय में अनेक प्रकार के दुखदायी बरसाती विषैले कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह से स्वराज्य आया, हमारी सरकार आई और अच्छी से अच्छी बातें आईं और उसके साथ ही साथ कितनी एक बुराई भी आई। यदि इस बुराई में हम भी शामिल हो जायं तो फिर नहीं हो सकती है।

आज हम बुराई के सिलसिले में देखते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, चोरी, डकैती और जुये आदि का वातावरण सारे देश में फैला हुआ है। सिनेमा भी इसी के अन्दर है। आज इन बुराइयों का हमारा देश अड्डा बन गया है। बड़े-बड़े नेताओं को चाहिये कि वह उस तरफ देखें कि देश में और सरकारी नौकरों में आज क्या बुराई फैल रही है । आज यह कहा जाता है कि यह धर्म निरपेक्ष राज्य है। यह वाक्य चाहे जिस अच्छे भाव से रखा गया हो किन्तु मैं इस शब्द को गलत समझता हूं। यदि वास्तव में यह धर्म निरपेक्ष राज्य न होता और इसके बजाय धर्म सापेक्ष होता तो हर एक कर्मचारी को यह समझ होती कि हृदय की पवित्रता क्या है और पुलिस का भी कोई कर्मचारी रिश्वत की ओर न जाता बल्कि इससे अलग होता क्योंकि वह समझता कि इसका दंड अंत में भोगना ही पड़ेगा। हम सबका एक दिन ऐसा था जब हम देखते थे कि पुलिस का बड़े से बड़ा कर्मचारी भी हमारे छोटे से वालेंटीयर को देखकर डरता था। लेकिन आज अपनी हुकूमत होते हुये ऐसा समय है कि वे छोटे कर्मचारी भी निर्भय हैं किस तरह से वह रिश्वत लेते हैं इसको देखकर हमारा सिर झुक जाता है। अभी कल की बात है जो मुझे मालूम हुई पुलिस के संबंध की तो वह बात नहीं है किन्तु एक दूसरे विभाग के कर्मचारी तथा एक एम० एल० ए० के बीच की बात है। लखीमपुर के एक बासिल

[श्री गंगाधर शर्मा]

वाकी नवीस ने कहा कि जब तक वह एक सौ रुपया रिश्वत नहीं लेते तब तक जो रुपया उनको सरकार से मिलना है उसे वह नहीं देते। लाचार होकर उस एम० एल० ए० ने सौ रुपये दिये तब काम बना। यही हाल सब जगह है। एक पुलिस को क्या कहें यहां तो सारे कुएं में ही भांग पड़ी है। मैं समझता हूं कि जो एम० एल० ए० हैं जो मिनिस्टर हैं या चाहे कोई और हों आज हममें वह ताकत नहीं रही। आज हमारी पुलिस निर्भय हो गई है, भय का भाव उसमें से जाता रहा है। हमारे गृह मंत्री धर्म निरपेक्ष नहीं हैं, वह धर्म सापेक्ष हैं उनका हृदय पवित्र है उज्ज्वल है। वह पुलिस को धर्मनिर्पेक्ष न बनायें, वह उसमें ऐसी ट्रेनिंग दें कि हर पुलिस कर्मचारी अपने हृदय को पवित्र बनाये रखने की कोशिश करे तो संभव है कि आप का यह रामराज्य एक दिन वास्तव में राम राज्य कहा जा सके, कल्याणकारी राज्य कहा जा सके, अन्यथा जैसा हम देख रहे हैं शहर और देहात में दिन पर दिन विरोध की भावना बढ़ती जा रही है। मैं आपसे कहता हूं कि यह भावना विरोधियों की नहीं है, यह भावना हमारे पक्ष में भी है, देहात में जा कर हमें उन भावनाओं का ज्ञान होता है। बहुत सी बातों को हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन मजबूर हो कर अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ कह नहीं पाते और दब जाते हैं। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं कि यह भावना अगर बढ़ती रही तो सरकार के लिये कुछ सुनना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि वह पुलिस में अपनी वह रूह फूंक दें जिसको उन्होंने अपने हृदय में दबाये रखने का प्रयत्न किया है। हर एक कर्मचारी को ऐसा बनायें कि वह देश की रक्षा कर सके, देश की रक्षा तभी हो सकती है जब बाहरी हमले के लिये मिलिटरी अपना जोर बांधे रहे और हमला न होने दे और देश के अन्दर पुलिस ऐसी सुदृढ़ हो जो देश के बलवाइयों को दबा सके, ऐसी पुलिस का संगठन हमें करना है। यदि ऐसी पुलिस का संगठन नहीं हुआ तो फिर देश के अन्दर जो मनोवृत्ति बढ़ रही है, जो विरोधी शक्तियां दिखाई पड़ रही हैं उनके बढ़ने के कारण चाहे कुछ भी हों लेकिन अगर ऐसी शक्तियां बढ़ती रहीं और हम उनको दबा नहीं सके तो एक दिन हमें अवश्य नीचा देखना पड़ेगा। रामराज्य का कहीं पता नहीं चलेगा। मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह पुलिस फोर्स को मजबूत करें और साथ ही साथ उसकी आत्मा की पवित्रता को भी बनायें। अगर आत्मा की पवित्रता मजबूत न हुई तो आपके सारे प्रयत्न निष्फल से दिखाई पड़ेंगे। भगवान न करे वह दिन आये, जिसका चित्र आज देहातों में दिखाई देता है कि कब १० मई, १९५७ आये और विप्लव हो जिस वक्त जर्मनी और इंगलैन्ड का युद्ध हो रहा था उस वक्त अंग्रेजों ने शांति और विजय, कह कह कर विजय प्राप्त की। अगर उसी तरह से हम इस भावना की तरफ ध्यान नहीं देते और उस दूषित वातावरण को बढ़ने देते हैं तो हमारा कल्याण दिखाई नहीं देता। सन् ५७ की भावना, प्रलय करने की भावना, विप्लव करने की भावना, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध उपद्रव करने की भावना कुछ लोगों में बढ़ रही है। गोकि जनसाधारण में यह भावना बहुत नहीं बढ़ी है। वैसे गन्दे विचार अभी लोगों के नहीं हुये हैं। माननीय गृह मंत्री जी इन बातों से अवगत होंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि उनके कानों तक ये सारी बातें पहुंच चुकी होंगी। मैंने यह मुनासिब समझा कि मैं भी ये बातें उनके कानों में डाल दूं। विरोधी लोग वह भावना पैदा कर रहे हैं कि अगले तीन चार सालों में, अगले इलेक्शन में वह हमको नीचा दिखायें। हमारे बीच में विविध प्रकार के पैम्फलेट बांटे जाते हैं, विविध प्रकार की भावनायें पैदा की जाती हैं जैसे कि आज सदन में कहा गया कि अनशनकारी मास्टरों को हटाने के लिये बर्बरता का व्यवहार हुआ। मास्टरों की भावनायें ठीक हैं या नहीं यह तो शिक्षा मंत्री जानें और जैसा पुलिस के लिये कहा गया कि अनशन करने वालों को हटाने में रात में बल प्रयोग क्यों किया गया यह तो गृह मंत्री जानें या पुलिस के अधिकारी जानें। यह तो साफ़ बात है कि दिन में अगर ऐसा प्रयोग होता तो संभवतः उसमें उत्तेजना होती, उसमें कलुषता पैदा होती। इसलिये मालूम यह होता है कि पुलिस के कर्मचारियों ने यह मुनासिब समझा कि रात्रि के समय में ऐसा प्रयोग किया जाय यदि इसी तरह से बुद्धिमत्ता के साथ हमारी पुलिस काम करती रही तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस और यह कांग्रेस सरकार और उसके मंत्रीगण और कांग्रेस के स्वयंसेवक सबके

सब धन्यवाद के पात्र हो सकते हैं। अन्त में मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने कर्मचारियों में वह भावना पैदा करने का प्रयत्न करें जिससे हमारा वास्तविक कल्याण हो और जनता में जो भावनायें कांग्रेस सरकार के प्रति प्रबल होती जाती हैं वे प्रबल न हों बल्कि हमारे प्रति उनके विचार अच्छे, सुन्दर और हमको प्रोत्साहन देने वाले हों। अन्त में निवेदन है की अनुदान रक़म तो पास होगी ही लेकिन उसको ऐसे भी कामों में खर्च किया जाय कि जहां पुलिस की कठिनाइयां हैं वे दूर हो जायं। बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पुलिस के रहने की जगह नहीं, पुलिस चौकियां छप्पर जैसी बनी हुई हैं, बरसात में जब पानी बरसता है तो उनको रहने की जगह नहीं मिलती है और उनके काग़ज़ात वगैरह सब खराब हो जाते हैं। इसलिये ऐसी पुलिस चौकियों को जरा ठीक बनवा दिया जाय ताकि उनका कल्याण हो जाय। मजम्मत जहां हम पुलिस की करते हैं वहां उनके लिये सिफारिश भी करते हैं और फिर यह भी कहना है कि कुछ चोरी डकैती इसलिये भी हो जाती है कि अक्सर पुलिस चौकियों तक बड़े-बड़े अफसरों की पहुंच नहीं होती। कुछ रास्ते ऐसे गन्दे हैं जिनके ठीक न होने की वजह से उन पुलिस चौकियों तक अफ़सर लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिये निर्माण कार्य के अन्दर जिले के केन्द्र से लेकर पुलिस थाने तक रास्ता भी पक्का बनाया जाना चाहिये जिससे आसानी के साथ पुलिस फोर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाय।

एक और बात मैं क्या कहूं। मेरे एक मित्र हैं, अभी इसी साल वह पुलिस ट्रेनिंग में गये हैं मैंने कहा कि साहब, पुलिस में घुसने की आप क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं, हर जगह तो पुलिस की इतनी बुराई होती है। उन्होंने कहा कि साहब, यहां इतनी आमदनी नहीं है, वहां हमको ऊपर की आमदनी हो जायगी। सौ, सवा सौ रुपये सरकार दे देगी और ऊपर से चार सौ पांच सौ, हज़ार रुपये की आमदनी हो जायगी, इसलिये घुसते हैं। तो यह जो वातावरण है वह माननीय गृह मंत्री जी अपने हृदय में रख लें और उसकी ओर ध्यान दें और ऐसा प्रयत्न करें जिससे हमारी पुलिस और सरकार का नाम ऊंचा हो।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं अपने गृह मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करूंगा। पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि मुझे एक मिसरा याद आ गया कि "जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले"। अभी हमारे एक खद्दरधारी महोदय ने जो मुझसे पूर्व वक्ता हैं कुछ थोड़ा सा सही नक्शा हमारे गृह मंत्री के सन्मुख रखने का प्रयत्न किया। यदि मैं वैसी बातें कहता तो शायद उसका उतना मान गृह मंत्री जी के हृदय में न होता और हमारे माननीय सदस्य गण के दिलों में भी उतना मान न होता। सब से बड़ी बात यह है कि जब तक नैतिक उत्थान और चरित्र निर्माण न होगा तब तक किसी देश की उन्नति या किसी देश की बहबूदी होना बड़ा मुश्किल है। हम अगर सच्चे दिल से देखें तो हमें यह मालूम होगा कि पुलिस की हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गयी है। हम अपने गृह मंत्री जी को दूसरी जगह खूब अच्छी तरह से बधाई भी देंगे। मेरी समझ में जेल का इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो गया है। उसमें अगर हम देखें तो यह जरूर पायेंगे कि नानआफीशियल्स का भी हैन्ड कुछ रहा है जिसकी वजह से इतनी अच्छी हालत हो गयी है। गो कि मुझे मालूम है कि जेल का अनुदान खत्म हो गया है लेकिन उसका मुक़ाबला करने के लिये दोनों की बात मैं कह रहा हूं क्योंकि जेल और पुलिस दोनों ही चीजें एक ही मंत्री जी के हाथ में हैं। जहां जेल की हालत पहले से कहीं अच्छी हो गयी है, वहां क़ैदियों को खाना भी पहले से अच्छा मिल रहा है, बर्ताव भी उनके साथ अच्छा होता है। उसकी सबसे अच्छी मिसाल मौजूद है। गृह मंत्री जी ने चकिया में जो काम किया है उसमें जेल के कैदियों से बड़ा अच्छा काम लिया जा रहा है। अगर आप जेल में जा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां का वातावरण पहले से बहुत अच्छा है। उसका कारण भी है कि श्री परिपूर्णानन्द जी और कर्नल उबेराय डिस्चार्ज्ड प्रिजिनर्स एेड सोसाइटी के मेम्बर थे जिसका नाम अब क्राइम प्रीवेंशन सोसाइटी हो गया है, इन लोगों ने बहुत से अच्छे अच्छे सुझाव दिये थे।

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

लेकिन जहां तक पुलिस का ताल्लुक़ है, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि ऐसे भी बहुत से किस्से मिलेंगे जिनमें पुलिस के कांस्टेबिल डाका डालने गये और बड़े सबेरे ही दूसरे दिन वहां पहुंच गये जहां डाका पड़ा था, यह जानने के लिये कि वहां डाका कैसे पड़ा। गांव वालों को यह ताज्जुब हुआ कि यह इतने सबेरे कैसे आ गये। न कोई रिपोर्ट हुई, न किसी और प्रकार से कोई इत्तला की गयी। उन्होंने कहा कि फलां मौजे में गश्त में गया था, वहां मुझे मालूम हुआ कि यहां डाका पड़ गया है, यहां आगया। इतना सब कुछ होते हुये भी डाके की रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी।

एक बनिया १०९ में तीन बार जेल घूम आया। पहली मर्तबा जब वह जेल से छूटकर आया तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि रात के वक्त इसे अपने यहां सोने की इजाजत दे दीजिये और जिलाधीश और कप्तान साहब से कह दीजिये तो इसकी जान बच जायगी। मैंने ऐसा नहीं किया। फिर वह एक श्री वी० प्रकाश रिटायर्ड जज थे उनके साथ चला गया। लेकिन वह बनिया आदमी ठहरा, कहां तक खिदमतगारी करता। वह लौट आया और उसको फिर जेल भेज दिया गया। जब वह ९ महीने की जेल भुगत कर आया तो लोगों ने मुझसे फिर कहा कि इस पर यह अहसान कर दीजिये लेकिन मैंने उसके बीच में पड़ना मुनासिब नहीं समझा और वह २,४ महीने के बाद फिर जेल भेज दिया गया। जब वह तीसरी बार जेल से लौटा तो मुझसे फिर कहा गया और मैंने उसे अपने दरवाजे पर सोने की इजाजत दे दी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी इत्तला दे दी और अब वह करीब ३, साढ़े ३ साल से जेल जाने से मुबर्रा है। जाति का बनिया है, दूकानदारी का काम दिन में करता है। एक नहीं बहुत सी ऐसी मिसालें हैं।

एक खटिक अपनी औरत को बिदा कराने के लिये गया। वह अपनी औरत और ससुर के साथ आ रहा था कि ललया थाने के एक कान्स्टेबिल और चौकीदार ने उसको पकड़ लिया और थाने में ले जाकर हवालात में बन्द कर दिया। औरत को बाद में छोड़ दिया गया। ससुर दामाद दोनों बन्द थे। दामाद की मां ११५ रुपये ले गयी तब वह छोड़ा गया। ससुर नहीं छोड़ा गया तो उस पर दफ़ा १०९ का मुकदमा चलाया गया। बहरहाल, मैंने दोनों की पैरवी की। जो १०९ का मुक़दमा चलाया गया था उसकी भी पैरवी की। ये सब वाक़यात हमने अदालत के सामने रखे तब वह छूट गया। बहरहाल अदालत ने यह नहीं लिखा कि कांस्टेबिल ने रुपया लिया, लेकिन जो कुछ लिखा था उसका इस्तगासा मैंने दायर कर दिया। इस्तगासा दायर करने के बाद कांस्टेबिल साहब मेरे पैरों पर गिरे, कई मर्तबा इल्तजा की.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं। इंडिवीजुअल केस और मुकदमेबाजी से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा---यह जो मुकदमेबाजी हो रही है उसकी सर्टिफायड कापीज मेरे पास हैं। तो इस तरह से सिर्फ इत्मीनान दिलाने के लिये मैंने अर्ज किया कि ये सब चीजें हो रही हैं, जो कि पहले ब्रिटिश रेजीम में होती थीं। तो मैं नम्रतापूर्वक कुछ नुक्स निकालने के लिये या कुछ आलोचना करने के लिये नहीं कह रहा हूं, बल्कि सिर्फ अपनी बातों की पुष्टि के लिये यह कह रहा हूं। जैसा कि मैंने बतलाया उनकी कापीज मेरे पास रखी हैं। बहरहाल, चूंकि अध्यक्ष महोदय ने अभी यह आज्ञा प्रदान की कि इंडिवीजुअल केसेज में नहीं जाना चाहिये लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा परन्तु यह अवश्य कहूंगा कि हालत यह खराब कैसे हुई। उसका कुछ कारण हमारे पूर्व वक्ता जी ने बतलाया मगर उसका जो खास कारण है उसे उन्होंने नहीं बतलाया। उसका कारण मेरी समझ में यह है कि हमारे कुछ नेता गण ही देहातों में ऐसे मौजूद हैं जिनके कारण पुलिस इतनी ज्यादा ज्यादती करती है क्योंकि जो कुछ पुलिस करती धरती है वह उनके मशविरे से करती है, उनकी सलाह से करती है। अब इस तरह की चीज कहना तो मेरे लिये मुनासिब नहीं है, उनके लिये हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों होता है ? इसके लिये मैं यह नहीं कहता हूं कि इस सदन के भीतर या इस सदन के बाहर कुछ ऐसे नेता

नहीं हैं जिन्होंने त्याग, तपस्या न की हो। बहुतों ने त्याग, तपस्या की है परन्तु जिन्होंने त्याग, तपस्या की है वे पहले ही त्याग तपस्या की बात भूल गये। वे पहले से बड़ी अच्छी हालत में हैं लेकिन वे पहले की बात को भूल गये, त्याग तपस्या के सबक़ को भूल गये, "कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता" "अवश्यमेव भोक्तव्यं, कृतं कर्म शुभाशुभम्।" जो शुभ अशुभ कर्म करेगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको भोगना अवश्य पड़ेगा। हर एक मजहब का आदमी जो ठीक सोचने वाला है वह इस बात को कहता है। चाहे क्राइस्ट धर्म के मानने वाले हों, चाहे हजरत मुहम्मद के धर्म के मानने वाले हों, दुनिया के जितने धर्म हैं वे सब इस बात को कहते हैं कि जैसा अमाल होगा वैसा ही भोगना पड़ेगा। यह कोई ख़ास बात नहीं है जो कि मैंने यह अर्ज़ किया। आप भी इसको जानते होंगे मगर यह कि मेरे दिल में कोई घृणा किसी दूसरे मनुष्य के लिये नहोगी जितना और बहुत से लोगों के दिल में होगी जो अपने को जाहिर करते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा हमदर्द दुनिया का हूं तो आज क्या है। मैं किसी एक आदमी के ऊपर लान्छन नहीं लगाता लेकिन मैं तो यह देख रहा हूं कि भारतवर्ष में रहने वालों के दिल में धर्म की मात्रा बहुत कम हो गयी है। खुदा परस्त लोग नहीं रह गये हैं जो कि ठीक रास्ते पर चलने की कोशिश करें। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं किसी दल की बुराई करूं चाहे वह कम्युनिस्ट हों या हिन्दू सभा के हों। मैं किसी की बुराई करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं और न किसी की बुराई करना चाहता हूं। सिर्फ मैं यह चाहता हूं कि आप व्यक्तियों को देखिये कि उनके विचार कैसे हैं और उनके विचार ख़राब क्यों हो गये हैं। इसी वजह से पुलिस की हालत भी बहुत ज्यादा ख़राब हो गयी है और बहुत ज्यादा ख़राब होती जाती है। इसके लिये आप को कोई न कोई तरीक़ा निकालना होगा।

जहां तक हमारे गृह मंत्री जी का ज़ाती ताल्लुक़ है मैं उनके अन्दर कोई नुक्स नहीं निकालता और न उनके अन्दर कोई नुक्स है। लेकिन वह बहुत अच्छे होते हुये भी उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वह अगर सहयोग ठीक नहीं देते हैं तो फिर उस विभाग का काम ठीक नहीं हो सकता है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जहां तक हो सके इसका इंतजाम ऐसे लोगों के जरिये से होना चाहिये, जो ईमानदार और अच्छे आदमी हों। इसी वजह से तरह-तरह के झगड़े हो जाते हैं। होली पर भी कई जगह झगड़े हुये हैं। फर्रुखाबाद में हुआ है और जगह भी हुये हैं। पहले तो ऐसा था कि दशहरे या मुहर्रम पर झगड़ा होने की आशंका रहती थी लेकिन अब होली के मौके पर भी होते हैं और हर जिले में सरकारी अफ़सरों को डर लगा रहता है कि कहीं पर झगड़ा न हो जाय और किसी के ऊपर रंग न पड़ जाय और कोई मामला खड़ा हो जाय। यहां पर लखनऊ में भी मुझे बताया गया कि चौक में कुछ गड़बड़ हुई। इस तरह से हर जगह पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह चाहते हैं कि फसाद हो जाय। कुछ लोग इस वजह से ऐसी हालत करते हैं कि चूंकि वह धर्म निरपेक्ष होते हैं और धर्म में उनका क्या कर्तव्य है, और किस कर्तव्य को पालन करना चाहिये इसका ख़याल नहीं रहता है। वह किसी बात को समझते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मदान्ध हो गये हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी नेता के रिश्तेदार हैं। यक़ीनन अगर वाक़ये को समझा जाय तो जो लोग जेल जाते हैं उनमें कम लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने वाक़ई में जुर्म किया हो। मगर जो जुर्म करने वाले हैं वह जेल से बाहर रह जाते हैं और किसी वजह से अपने यार दोस्त की वजह से बच जाते हैं और उनको नौकरी भी मिल जाती है और उनकी काबिलियत भी कुछ नहीं है। उनको पोलिटिकिल सफरर कहा जाता है।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री की सेवा में यह निवेदन कर रहा था कि वह पुलिस वालों की हालत को देखें कि पुलिस में कैसे लोग हैं और वह कितनी धांधली कर रहे हैं। पुलिस में आज भी ऐसे सब-इंस्पेक्टर हैं जो कि झूठे मुक़दमात तैयार करते हैं, एक तरफ़ तो सच्चे मुकदमों की रिपोर्ट नहीं

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

लिखी जाती है और खासकर डकैतियों की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती हैं और दूसरे झूठे मुकदमात तैयार करके उनको चिपट जाते हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता लेकिन अगर कोई पुलिस वाला नाखुश हो गया तो उन्हीं को गवाह सबूत बना कर दूसरे आदमियों पर मुकदमा चला देते हैं। अदालतों में तो आज कल पेपर जस्टिस होता है, जैसा मिसिल में सबूत आ गया वैसा ही फैसला हो गया। ऐसी हालत में देखना यह है कि दरअसिल पुलिस क्या करती है और क्या नहीं करती है और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इस सब का ताल्लुक गृहमंत्री जी से ही नहीं बल्कि उनके जो सहयोगी और मुहकमें में जो कारकुनान हैं वह सही काम करें तो काफी कामयाबी हो सकती है। एक शख्स चाहे कितना ही नेकनियत क्यों न हो वह कुल भार को नहीं उठा सकता। तो पुलिस में दिन व दिन खराबी आती जाती है। अगर लोगों को एक घंटे के लिये भी मालूम हो जाय कि पुलिस नहीं रहेगी तो लोगों का जान माल भी रहना मुश्किल हो जाय। यह बात नहीं है कि पुलिस की वजह से लोगों को आराम नहीं है, वह जरूर है लेकिन खराबियां दिनों दिन ज्यादा बढ़ती जाती हैं। मैं उनकी ओर भी मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। लोगों में ऐसा वातावरण पैदा हो, आचार विचार लोगों के दिलों में आये कि लोग अपने कर्त्तव्य का पालन करें और अपनी ड्यूटी को समझें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण खत्म करता हूं।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का जो बजट माननीय गृहमंत्री जी ने बनाया है उसमें मैं समझता हूं कि उन्होंने काफी काबिलियत का परिचय दिया है। वह हर तरह से बहुत मौजूं है और बराबर हर साल से तरक्की कर रहा है। इसमें शक नहीं है कि पुलिस एक ऐसा मुहकमा है जिस की शिकायत अक्सर रहती है और शायद हमेशा रहेगी लेकिन फिर भी जो इल्जामात लगाये जाते हैं उम्मीद है कि वह कम होते जायेंगे। मैंने कानपुर जैसे शहर में देखा है कि कैसी ही मुसीबत हो घंटों और मिनटों में अब इंतजाम हो जाता है। वहां पर एक फलाइंग स्क्वाड है, मिनटो में हो जाता है। वहां पर हाल में जो रंग के सिलसिले में झगड़ा हुआ तो वहां फौरन ही फ्लाइंग स्क्वाड पहुंच गया और बड़ा झगड़ा होते होते बच गया। आजादी मिलने के बाद चूंकि हम हर काम को Critical eye से देखने लगे हैं तो ऐसे इल्जामात में काफी तरक्की हो गयी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गुंडागिरी बढ़ती जा रही है और मुश्किल यह है कि पुलिस के साहबान भी यह समझते हैं कि जो मुकदमा उनके यहां आये उसमें अगर बाकायदा सुनवाई न हो और सजा न हो तो ऐसा मालूम होगा कि पुलिस की कार्रवाई में कमी हुई। जितने केसेज आते हैं उनका नतीजा ठीक निकलना चाहिये इसलिये वह बहुत सी चीजों को लिखने से गुरेज करते हैं और कानपुर में चूंकि प्राहीबीशन भी है इसलिये और भी मौके थे लोगों को गलत पैमाने पर काम करने के और वहां गुंडागिरी बढ़ती चली जा रही है। लोगों को काफी शिकायत है। जो शरीफ आदमी गुंडों से सताये जाते हैं वह अगर रिपोर्ट करने जाते हैं तो कहा जाता है कि हम तो दोनों के मुचलके और जमानत लेंगे। भला आदमी गुंडों से तकलीफ पाता है, दूसरी तरफ समझता है कि मेरी जमानत होगी या मैं भी जेल जाऊंगा तो इस वजह से वह बजाय शिकायत लिखाने के घर बैठना ज्यादा पसन्द करता है और मुश्किल से ही शिकायत लिखाता है, इसलिये जरूरत है कि कुछ न कुछ प्रायमा फेसी इंवेस्टीगेशन हो जाय जिससे अगर मालूम हो जाय कि दोनों तरफ से ज्यादती है तब तो दूसरी बात है, लेकिन अगर गुंडों का ही काम है तो इस बात की कोशिश की जाय कि शरीफ आदमी उसमें न फंसे गुंडे का ही चालान होना चाहिये।

जो पहला गुंडा ऐक्ट था उसकी तरफ भी मैंने देखा था। गुण्डा ऐक्ट में केसेज बहुत कम चल रहे हैं और गुंडे बहुत बढ़ रहे हैं। पुराने १०-१०, २०-२० सालों से

आदमियों के नाम जो लिखे हुये हैं उन्हींकी निगरानी होती है। इसलिये जरूरी है कि बाकायदा एक इंक्वायरी बैठाई जाय और जो गुंडे नहीं हैं उनके नाम काट देने चाहिये। उन आदमियों का नाम इस समय लिखा रहना अच्छा नहीं मालूम होता जिन्होंने अब और बिजनेस करना शुरू कर दिया है और अच्छी तरह से बिजनेस से गुजर कर रहे हैं। लेकिन उनके नाम बराबर चले जाते हैं। नये गुन्डे ऐसे पैदा हो गये हैं जिनका कोई जरिया मास नहीं है। दो बोतलें सोडावाटर की रख ली, पुलिस वालों की खातिर तबाज़ह कर दी। उनके लिये जरूर कुछ होना चाहिये जिसमें कि यह गुंडागिरी कानपुर से कम हो जाय।

दूसरे मुझे यह सुझाव देना था कि यह फायर आर्म्स जो हैं, जो पिस्तौल लाइसेंस वगैरह दिये जाते हैं वह नये बनते हैं और हर साल रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई इन्तजाम नहीं है कि हर दो तीन साल के बाद यह देखा जाय कि किनके पास फालतू हैं। अब तो जमींदारी खत्म हो गयी, तो उनके पास कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक-एक के पास ५-५, ७-७ हथियार हैं और उमूमन शिकायत यह है कि इनमें से कुछ बदमाशों के पास जाते रहते हैं और वह उनसे फायदा उठाते हैं। इसलिये फायर आर्म्स के सिलसिले में भी जरूर कुछ होना चाहिये। किसके पास कितने हैं, कैसे लोग हैं, उनके पास रहने चाहिये या नहीं इन सब बातों की छानबीन होनी चाहिये और मुझे यह सुझाव देना था कि जो इनामात दिये जाते हैं जो पब्लिक और पुलिस के लोग जो डाकुओं से हिम्मत करके लड़ते हैं और अपनी जान दे देते हैं इसके लिये इस बजट में जो रुपया रखा गया है वह बहुत कम है। इसके लिये जरूरत यह है कि जो दरअसल अपने ऊपर खतरा लेकर मुकाबिला करते हैं, उन को मालूम हो जाना चाहिये कि अगर हम जान देंगे तो हमारे बच्चों को हमारे पीछे कोई देखने वाला है। मैं समझता हूं कि जो रकम इस में दी गई है दो ढाई हजार रुपये की वह सारे सूबे के लिये काफी नहीं है। उसमें इजाफा होने की जरूरत है।

खास चीज जिसके लिये मैं हाजिर हुआ हूं वह यह है कि मैं मध्यभारत गया था मैं वहां इंदौर, ग्वालियर और कुछ गांवों में भी गया। वहां एक आन्दोलन "अपराध रोकथाम" चल रहा है। बहुत मामूली से अल्फाज़ हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। उन्होंने हर गांव में एक पंचायत बना ली है। उस पंचायत में वहां के भले आदमी चाहे जिस पोलिटिकल-व्यू के होते हैं। वह पंचायत अपना सरपंच चुन लेती है जिसकी ट्रेनिंग पुलिस में हो जाती है। हर थाना जो उसके करीब है वहां का बीट कांस्टेबिल जो है उसके वह सुपुर्द हो जाती है। वह पढ़ा लिखा और ट्रेन्ड होता है। वह हफ्ते भर में ४८ स्क्वायर माइल्स (Squre miles) में दस बारह गांवों का दौरा करता है। हर गांव के लिये दिन मुकर्रर होता है कि फलां गांव की सुबह पंचायत होगी फलां की और वक्त और वह बराबर पंचायतों में गश्त करता है। वह पंचायत अपने आप वालेन्टियर मुकर्रर करती है और वह एक डे आफिसर मुकर्रर करता है जो कि २४ घंटे देखता है। उनके पास एक कांफीडेंसल रजिस्टर होता है जिसमें लिखा होता है कि किस दिन कौन आदमी नया इस गांव में आया। उसका जरियामाश क्या है। यह सब इन्फारमेशन ले कर बीट कांस्टेबिल अपने थाने में जाता है। इससे हर गांव में मालूम रहता है कि कितने आदमी आये हैं, उनके पास कुछ काम है, या नहीं है। इस तरह से गांव वाले खुद अपनी देखभाल करते हैं। ऐसी ही पंचायतों की यहां भी जरूरत है। अगर गांव के लोग आपस में मिलकर अपनी पंचायतें कायम कर लें और गवर्नमेंट उन को रिकगनाइज करे, उनको ट्रेनिंग दी जाय तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार पुलिस और जनता में जो वैमनस्य है यह चीज भी बहुद जल्द खत्म हो जायगी। मैंने इसका थोड़ा सा लिटरेचर भेजा भी था। मैं फिर गृह मंत्री साहब से दरख्वास्त करता हूं कि अगर ऐसा आंदोलन यहां बढ़ाया जाय तो बहुत मुफीद होगा।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं पूज्य गृह मंत्री जी का इस शांत वातावरण में, इस पुरअमन आबहवा में इस अनुदान के पेश करने का मौका पाने पर अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। इसके साथ ही यह पूरी आशा मैं इस सदन में प्रगट करता हूं कि मुझे उनकी उच्च विद्वता, हाई स्कालरशिप, और बड़े तजुर्बे की बिना पर पूरी आशा है कि जो त्रुटियां इस महकमे की इस सदन में इस समय हमारे साथी लोग बतायेंगे वह एक साल के अरसे में अवश्य दूर हो जायंगी और अगले साल जब हम को दोबारा इस बजट पर बातचीत करने का मौका मिलेगा तो उनको दोहराने की नौबत नहीं आयेगी।

मैं इस समय सदन में सिर्फ एक कामन विलेजर के आउटलुक को, जो कि पुलिस के संबंध में उसका है रखना ही अपना कर्त्तव्य समझता हूं और उसके साथ साथ जो सरकारी पुलिस विभाग की इस वक्त अवस्था है, जो हालत है मेरे दृष्टिकोण से उसको मैं सामने रखना चाहूंगा और साथ ही साथ मेरे जो इनके मुताल्लिक विचार हैं उनको भी सदन के सामने रखना चाहूंगा। आशा है कि माननीय गृह मंत्री जी उसमें जो चीज ठीक पायेंगे उस पर अवश्य ध्यान देंगे और जो गलत पायेंगे उसको मुझको समझाने की कृपा करेंगे। मेरी ऐसी रीडिंग है कि जिस देश में जितना बड़ा पोलिटिकल चेंज हुआ है, जितना बड़ा सियासी इन्कलाब हुआ है वहां के लोगों की उतनी ही बड़ी उमंगे रही हैं। वह उतनी ही बड़ी तब्दीली, चेंज गवर्नमेंट के हर एक काम में, हर एक विभाग में चाहते रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जिस देश में बड़े-बड़े इन्कलाब जितने ज्यादा शांतिमय ढंग से, जितने ज्यादा कम संघर्ष से, जितने ज्यादा कम कीमत देकर हुये हैं वहां की आने वाली गवर्नमेंट में उतनी ही ज्यादा उदासीनता होती है और मैं समझता हूं कि इस देश में इस सरकार में भी वही हालत है और पुलिस में वह अधिकांश में है क्योंकि पुलिस का काम अब तक बहुत आसान रहा है। अब तक विदेशी राज्य में पुलिस का काम यही रहा है कि सिर्फ आंतक के जरिये से, डंडे के जरिये से अमन कायम रखे रहे। मगर अब जनता और पुलिस के ताल्लुकात बड़े पेचीदे हो गये हैं। अब हर काम करने के लिये पुलिस मैन में राष्ट्रीयता और मानवता की जरूरत है और मैं अनुरोध करूंगा पुलिस मंत्री जी से कि वह अधिक से अधिक राष्ट्रीयता और मानवता की भावनाओं का समावेश अपने मुहकमे में करायें। जब मैं कहता हूं कि पुलिस मुहकमें में उदासीनता है तो मेरा मतलब यह है कि जैसे आज हम रोज हवाई जहाज देखते हैं, रेडियो सुनते हैं और उसके आदी हो गये हैं और हम को उन पर कोई ताज्जुब नहीं होता, उसी तरह से हमारे यहां पुलिस अफसर देखते हैं कि कानून टूट रहा है, वह स्वयं तोड़ रहे हैं, लेकिन वह उसके आदी हो गये हैं। इसका बड़ा खराब असर जनता पर पड़ता है। जनता का राज्य पर से विश्वास हट जाता है, फ़ेथ हट जाता है और उसमें निराशा पैदा हो जाती है कि इस गवर्नमेंट में न तो कानून के चलाने की सामर्थ्य है और न कानून मनवाने की सामर्थ्य है और जहां जनता में विश्वास नहीं रह जाता वहां कोई भी सरकार ज्यादा दिन चलती नहीं है क्योंकि आज हमारी ताकत पुलिस नहीं है, फौज नहीं है, हमारी ताकत जनता का विश्वास है। दूसरा पुलिस का सहायक अंग हुआ करता है, रेलीजन और शिक्षा। जहां लोगों के अन्दर मज़हब का ज्यादा प्रचार नहीं होता है, जहां लोगों के अन्दर मजहबी भावनाएं नहीं हुआ करती हैं वहां काम और ज्यादा बढ़ जाता है। आज लोगों के अन्दर न उतना मजहब है, न मानवता उतनी ज्यादा है और अभी हम पुलिस से पीड़ित भी रहे हैं। इसलिये आज की पुलिस को इतनी भारी असुविधायें हैं और इसके साथ-साथ जनता की भारी मांगे हैं। इसलिये यह विषय बड़ा ही गम्भीर और टेढ़ा हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय पूज्य गृह मंत्री जी अपनी विद्वता से और अपनी समझ से इन सारी दिक्कतों को दूर कर पायेंगे। मैं देखता हूं कि जहां रोडवेज नहीं हैं वहां प्राइवेट बसेस चलती हैं, ओवर क्राउडेड बिलकुल पैक्ड हो कर चलती हैं, सीमेंट के बोरों की तरह। अन्दर भी लोग बैठते हैं, ऊपर भी बैठते हैं और मैंने देखा है कि

पुलिस के सब-इंस्पेक्टर राइट में बैठकर चले जाते हैं। उनको यह एहसास नहीं होता है कि यह मानवता के नियमों के विपरीत है, कानून के विरुद्ध है और उनके ऐसा करने से लोगों के दिलों में अविश्वास पैदा हो रहा है। मैं देखता हूं कि आजकल अन्न की कमी है। सरकार चाहती है कि लोग कम से कम पेड़ काटें लेकिन मैं देखता हूं कि अब भी आम की लकड़ी से गाड़ियां लदी हुई चली जा रही हैं थाने के सामने से, दो चार पुलिस के इंस्पेक्टर खड़े हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलते हैं। वह जो हमारी कामन पालिसी है उसका जरा भी एहसास नहीं करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मिसालें हैं जिन से हमें जाहिर होता है कि हमारे मुहकमे के अन्दर उदासीनता है और उन्हीं छोटी-छोटी चीजों का असर गांव के लोगों के ऊपर पड़ता है और उन छोटे-छोटे लोगों के अविश्वास से एक बड़ा अविश्वास बन जाता है, जो हमारी सरकार को कमजोर करता है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी गांव की दैनिक चीजों के ऊपर विचार करें। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उसके पांच सात मील के अन्दर पुलिस का रवैया दूसरा है और इंटीरियर्स में जहां यातायात के साधन नहीं हैं वहां की पुलिस का रवैया एक दूसरा ही है और मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी के पास तक ऐसी चीजें नहीं पहुंचती होंगी। मैं यह चाहता हूं कि वे स्टेट के इंटीरियर में जहां यातायात के साधन नहीं हैं वहां कृपया छिप कर पहुंचने का प्रयास करें और वहां के ग्रामीण भाइयों से मिल कर के मालूम करें कि उनकी क्या हालत है और स्पेसीमेन के तौर पर ऐसी सजायें जगह जगह दें जिससे जनता को मालूम हो कि हमारा पुलिस विभाग चाहे जैसा हो, लेकिन हमारे उच्च कर्मचारी और हमारे नेतागण इस बात पर तुले जरूर हैं कि जो खामियां हैं उनको अवश्य ही जल्द दूर कर देंगे और मैं आशा करता हूं कि यह जनता में काफी विश्वास पैदा कर देगा।

दूसरी बात जो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं वह यह है कि जैसा हम भारत के संविधान प्रिएम्बुल में कहते हैं कि हम इंडिविजुअल की डिगनिटी को अश्योर करते हैं, लेकिन जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा कि कुछ सेक्शन्स जैसे १०९ और ११० वगैरह ऐसे हैं जो इंडिविजुअल की डिगनिटी को क्रश करते हैं। जब कोई शख्स किसी अदालत से सम्मानपूर्वक रिहा किया जाता है तो पुलिस फौरन् उसका चालान १०९ में कर देती है। ऐसी शिकायतें अक्सर आती हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे आदेश जारी हों कि जो आदमी सम्मानपूर्वक रिहा किये जायं उनकी डिगनिटी को गवर्नमेंट अश्योर करे। दूसरी बात यह है कि हाल ही में ऐसे केसेज सामने आये हैं कि इम्मूवएबिल प्रापर्टी की भी रक्षा पुलिस नहीं कर सकी है। मैंने देखा है कि हाई कोर्ट से लोग पेड़ पा जाते हैं, उनके हक़ में फैसला हो जाता है, लेकिन दिन दहाड़े लोग दस दस बीस-बीस पेड़ काट डालते हैं। पुलिस ने बजाय इसके कि उन पीड़ितों की मदद करे, उलटे ही उनके ऊपर मुक़दमा चालू कर दिया है। जहां की पुलिस इतना बड़ा अत्याचार कर सकती है वहां के लोगों की श्रद्धा गवर्नमेंट में कितनी रह सकती है, यह हम सब को अपने आप विदित हो जायगा। तो मेरा अनुरोध यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल की डिगनिटी को अश्योर करें और पुलिस के अन्दर राष्ट्रीयता, मानवता और अच्छा व्यवहार लाने की कोशिश करें और इसमें वे सफल होंगे ऐसी मेरी उनसे आशा है, उनके बड़े तजुर्बे से और उनकी ऊंची विद्वता से।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन के सामने बजट पेश है उस पर मैं एक रुपये का कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रस्ताव आप के नाम से कोई है नहीं।

श्री कमला सिंह--जी है।

श्री उपाध्यक्ष--जो एक प्रस्ताव है उसी पर आप बोल सकते हैं।

श्री कमला सिंह--इस सदन में जितने हमारे माननीय सदस्य बोले हैं सब लोगों ने पुलिस पर काफी बौछार की है और यह बतलाया है कि जितने बुरे काम होते हैं पुलिस की

[श्री कमला सिंह]
खराबी से होते हैं। अगर यह ढांचा शुरू से आखिर तक देखा जाय तो अंग्रेजों के जमाने में और आज के जमाने में जमीन आसमान का फ़र्क़ मालूम होता है। अंग्रेजों का रवैया यह था कि किसी तरह से पब्लिक के ऊपर अंकुश रख कर उसको एक रास्ते पर ले जाना है, चाहे उसके लिये जबरदस्ती करनी पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़े। पहले जमाने में यथा राजा तथा प्रजा यानी जैसा राजा होता था वैसी प्रजा होती थी लेकिन अब जब स्वराज्य हो गया तब हम रवैया दूसरा देख रहे हैं। आज जिन लोगों के ऊपर राज्य का भार है और उनका जो रवैया है ठीक उसके विपरीत पब्लिक का रवैया है। यह एक चीज है जिसको हम सब साहबान जितने यहां पर हैं उन सब लोगों को ग़ौर करना है कि सरकार की जो नीति है वह उसके खिलाफ क्यों जा रही है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि देहात में गालियां सुनने को मिलती हैं। पुलिस भी मजबूर है और उसको आप ही मजबूर करते हैं उनके वजूहात हैं। उनमें से कुछ वजूहात मैं आप को बतलाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आप चौकीदार को ले लीजिये, वह लोयस्ट तबके का आदमी है। तीन रुपये से पांच रुपये तक तनख्वाह आज वह पाता है। आप पांच रुपये में उम्मीद करें दस गांवों में जा कर के वह निरीक्षण करे और गावों में जितने चोर बदमाश हों उनका मुक़ाबला करे मैं नहीं समझता कि यह मुमकिन हो सकता है। आप पुलिस कांस्टेबिल को ले लीजिये। कांस्टेबिल पहले १५ रु० में भर्ती होता था, आज तीस रुपये है और भत्ता मिला कर वह पचास रुपये पाता है और सब-इंसपेक्टर आज १२० रुपया पाता है थानेदार एक पाव खाता है। कांस्टेबिल जो ५० रुपया पाता है वह तीन पाव खाता है और इस तरीक़े से तीस रुपये उसके खाने पीने का खर्चा हुआ। बीस रुपया जो बचता है, उसमें बाल बच्चे हैं और अन्य खर्चे हैं हमारे अफसरान जब निरीक्षण करते हैं उस वक्त वर्दी और बूट की पालिश करनी पड़ती है, आखिर यह रुपया कहां से आयेगा, यह भी आप को देखना है। यह आप सोचिये और मिलिटरी की तरफ देखिये। पी० ए० सी० या मिलिटरी बटैलियन जो होती है उसको आप तनख्वाह देते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा वग़ैरह देते हैं, फ्री वाशिंग होती है और उनकी फ्री शेविंग होती है। यहां तक कि उनको आप पाकेट एक्सपेन्सेज भी देते हैं, लेकिन यहां आप क्या करते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि कमान जो आप का जाता है एक जिले से दूसरे जिले में या एक प्राविन्स से दूसरे प्राविंस में तो आप क्या देते हैं। छै-छै आने पैसे देते हैं, वही खूराक समझिये या जो समझिये। छै आने में किसी आदमी की गुजर नहीं हो सकती है। ऐसी चीजों पर आप उम्मीद यह करते हैं कि वह ईमानदारी बरतेगा और जितने काम हैं ईमानदारी से करेगा। साथ ही साथ आप यह भी देख रहे हैं कि दो तीन साल का जमाना हुआ ग़ाजीपुर के जिले में एक डकैती हुई थी। उस डकैती के समय हमारी सरकार के पुलिस मंत्री शास्त्री जी थे उन्हें यह वायर करना पड़ा था ग़ाजीपुर जिले के एस० पी० और कलेक्टर को कि वहां पर अहीर और ठाकुरों की दो जमातें जोरों पर चल रही हैं। दोनों में ऐसी विचारधारा चल रही है और सम्भव है कि उनकी बुरी हालत हो। ऐसी हालत में जो डकैती का केस था, डकैती के कम्प्लेनेन्ट शिवदास सिंह थे, उसमें ८ बेगुनाह फांसे गये थे। इसके मुताल्लिक़ हमारी सरकार को यह आदेश देना पड़ा था वहां के कलेक्टर और एस० पी० को कि आप निष्पक्ष तरीक़े से उस मामले को देखें। नतीजा यह हुआ कि वह अहीर जो कि नामजद थे एफ०आई०आर० के अन्दर उनका चालान नहीं किया गया। तो मैं पूछता हूं आप से कि कोई भी आदमी हिस्ट्री की एक भी एक्जाम्पिल दे दे कि एफ०आई०आर० का नामजद आदमी किसी मामले में छोड़ा गया हो। मैं तो कहता हूं कि जब तक आप यह रवैया नहीं अपनायेंगे और जो बेगुनाह हैं उनको किसी कास्ट पर जेल भेजने से रोकने के लिये मजबूर नहीं करेंगे तब तक आप यह उम्मीद करें कि पब्लिक भी आप का साथ देगी और पुलिस ईमानदारी बरतेगी गैरमुकिन है। साथ ही साथ मैं पुलिस के लिये कहना चाहता हूं कि आज मैं पुलिस की तरफ देखता हूं कि पुलिस के अन्दर जितने आदमी हैं वह ज्यादातर पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि इस चीज को करने के लिये वह बाध्य होते हैं क्योंकि हमारे जितने ऊपर के कर्मचारी हैं, जो दौरे पर बाहर जाते हैं वे अपने साथ खाना वग़ैरह नहीं ले जाते हैं, वह देना पड़ता है लोकल पुलिस को। आप की पुलिस

का बजट हमारे सामने पेश है उसके अन्दर कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसके अन्दर उनका खर्चा वगैरह मीट किया जा सके। नतीजा यह होता है कि पुलिस मजबूर होती है उस खर्चे को मीट करने के लिये और किसी नाजायज तरीक़े से उस रुपये को वसूल करती है। उसके बाद पुलिस जो है वह मजबूरन इस काम को करती है। दूसरी चीज़ यह होती है कि जब कहीं कोई वाक़या होता है जैसा कि बहुत से हमारे भाइयों ने बतलाया है हम आप भी उसमें जा कर हस्तक्षेप करते हैं जिसकी वजह से न्याय नहीं होता है। इन चीजों को हमें देखना है और साथ ही साथ यह भी सोचना है कि अगर पुलिस पर ही हम भार दे दें तो वाक़ई हमें सफलता मिल सकती है या नहीं, यह गौर करने की चीज है। मैं मानता हूं इस चीज़ को कि हमारा पुलिस का रवैया जो है, उससे नैतिक पतन ऐसा हो गया है कि उन पर हमें इतना भार नहीं देना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ जितने पुलिस के काम हैं उन्हें आप अपने हाथ में लेना चाहें या मंत्रिगण हाथ में लेना चाहें तो तब भी आप का काम नहीं चल सकता। मैं तो समझता हूं कि आप को ऐसा अंकुश उनके ऊपर रखना है कि जिससे वे ठीक हो सकें। यह अंकुश यह होगा कि अगर कोई कहीं निर्दोष फंसाया जाता है और राज्य के अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पुलिस ने नाजायज हरकत करके या पैसा वसूल करने के लिये या किसी के दबाव में आ कर किसी का नाजायज तरीके से चालान किया है तो पुलिस के ऊपर सख्ती बरतनी चाहिये और उसे परसनली लायबिल समझना चाहिये। साथ ही साथ दफ़ा ७ और २९ ये दो ऐसी दफायें हैं जो किसी मुहकमें में नहीं मिलेंगी। ये ऐसी दफ़ायें हैं जिनके कारण हर पुलिस का कांस्टेबिल या अधिकारी चाहे वाक़ई मौक़े पर जा कर देखता है या नहीं, वह मजबूर किया जाता है एक झूठा बयान या स्टेटमेंट देने के लिये जो कि प्रासीक्यूशन के लिये फ़ायदा करती है। ऐसी हालत में पुलिस रेगुलेशन ऐक्ट को अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे राज्य के जो आदमी हैं उनका भी दोष है। हमने अभी गृह मंत्री जी का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि सरकार अच्छी तरह से जानती है और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि ठाकुर, ब्राह्मण और भूमिहारों की जायदादों पर ज़बदस्ती क़ब्ज़ा करना चाहते हैं और उनकी फ़सलें काटना चाहते हैं। सरकार इस चीजको अच्छी तरह से जानती है। मैं मानता हूं कि हमारे मंत्री इतने कलुषित और इतने बुरे विचार के नहीं होंगे जिनमें कि पब्लिक उनको स्पष्ट करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी के विचार बहुत ही उत्तम होंगे और जो उन्होंने कहा है वह किसी बुरे विचार से नहीं कहा था। असल में हमारे मंत्री जी के सामने किसी जाति-पांति का भेदभाव नहीं होना चाहिये। उनके लिये तो कोई भी आदमी, चाहे चमार हो या ब्राह्मण हो, सब बरारबर हैं। यही चीज उनके सामने होनी चाहिये। अगर कोई बदमाश किसी भी जाति का है सरकार को उसके साथ बराबर कार्यवाही करनी चाहिये, यह ज्यादा अच्छा होगा बनिस्वत इसके कि हम कोई वर्गभेद ब्राह्मण वग़ैरा का क़ायम करें। हमारे मंत्री जी की बात सुन कर हमारे कर्मचारियों के दिल में यह बात बैठ गयी कि ब्राह्मण, क्षत्री, भूमिहार वग़ैरा के साथ अत्याचार हो रहा है। मेरा यह कहना है कि सरकार का रवैया एक होना चाहिये। हम देखते हैं कि इस समय गृह विभाग में कुछ और माल विभाग में कुछ हो रहा है। माल विभाग में हमने उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५२ बनाया जिसके उद्देश्य और कारण में यह दिया हुआ है कि सरकार को इस आशय की बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि बहुत से किसान भूमि से जबरदस्ती बेदखल किये जा रहे हैं या किये जा चुके हैं और सरकार को यह विश्वास करने के लिये उपयुक्त कारण है कि इनमें बहुत से व्यक्ति कृषकों की उस श्रेणी के हैं जो अत्यन्त निर्बल और दरिद्र हैं। अभी जो विचार स्पष्ट किया गया था उससे यह भिन्न है। यहां तो यह दिखलाया गया कि ग़रीब किसानों की जायदाद पर ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा किया जा रहा है। तो हमारे माल मंत्री जी दूसरी बात कहते हैं और हमारे गृह मंत्री जी दूसरी बात कहते हैं। ये दोनों आपस में कंट्रेडिक्टरी हैं। यह नहीं होना चाहिये। हमारे यहां तो जैसा कि माल मंत्री जी ने कहा है वैसी चीज़ गृह विभाग में होनी चाहिये कि कोई अगर किसी की जमीन पर जबरदस्ती क़ब्जा कर लेता है तो हमें उस दुखी की मदद करनी चाहिये, जो निर्बल है। हम तो चाहते हैं कि इस हुकूमत में कोई भी अपने को

[श्री कमला सिंह]

निर्बल न महसूस करे और हमें आशा है कि गृह मंत्री जी भी माल मंत्री जी के जो विचार हैं उनको पुष्ट करेंगे और अगर वह ऐसा करेंगे तो देश के निर्माण में सहायक होंगे।

इतना ही नहीं, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं कि हम ज्यादातर डकैती, बलवे और मर्डर की बातें आज कल रोज सुनते हैं और इनकी वजूहात ज्यादातर यह हैं कि यहां पर प्रापर्टी के मुताल्लिक़ डिसप्यूट्स होते हैं और उन्हीं के मुताल्लिक़ ज्यादातर बलवे होते हैं। इसके साथ ही जब पुलिस में लोग इसकी रिपोर्ट करने जाते हैं तो पुलिसवाले हमेशा बलवे की रिपोर्टों से बचना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि पांच आदमी कभी न लिखे जायं चार ही आदमी लिखे जायं ताकि हमें अन्वेषण वगैरा न करना पड़े। इससे वह अपनी बचत करना चाहते हैं। हमें यहां यह देखना चाहिये कि आज तक का जो शासन था उसमें जो एन्ट्री पटवारी की होती थी उसी को बेसिक पैमाना माना जाता था और उसी का क़ब्ज़ा माना जाता था जिसका पटवारी के कागज़ात में इन्दराज होता था और प्राजीक्यूशन उसी की तरफ चलता था चाहे वह दोषी हो या निर्दोष। लेकिन अब हमें यह चाहिये कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर जब मौके पर जायं तो उन्हें पता लगाना चाहिये कि वाक़ई क़ब्ज़ा किसका है और उसी को मदद देने की कोशिश होनी चाहिये। यह होने पर मैं समझता हूं कि जनता भी आप को इस न्याय के देने में मदद देगी। इतना ही नहीं, बल्कि डकैती वग़ैरह के सिलसिले में माननीय मन्त्री जी ने यह बतलाया कि उसकी संख्या बहुत कम है। डकैती तो दफ़ा ३९५ है। लेकिन ४५८ उसी का छोटा भाई है। अब अगर इन दोनों की संख्याओं को जोड़ दिया जाय तो असलियत का पता चलेगा कि कितनी संख्या डकैती की है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बतलाऊंगा कि ४५७ और ३२३ भी डकैती को छिपाने के लिये रख दी जाती है। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वे ज़रा गौर से देखें कि वास्तव में कितनी डकैतियां हो रही हैं।

इसके अतिरिक्त जो फायरआर्म्स की डकैतियां हो रही और बढ़ रही है उसकी क्या वजह है। आज जो फायरआर्म्स के लायसेंस सब को दे रहे हैं वह बड़ी खुशी की बात है। भाले, बरछी, कटार, सभी रख सकते हैं लेकिन हमें भविष्य को देखना चाहिये। हम इस बात के तो क़ायल हैं कि सब को हथियार रखने की इजाजत होनी चाहिये लेकिन साथ ही गवर्नमेंट को एक रिकार्ड रखना चाहिये कि फलां के पास इतने और इस क़िस्म के अस्त्र हैं। जब आप के पास इस क़िस्म का रजिस्टर होगा उससे यह मालूम हो जायेगा कि कितना अस्त्र आपका लोगों के पास है।

साथ ही साथ जैसे फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो इलाहाबाद में है उसी तरह का यूज्ड कार्टरीजेज ब्यूरो भी होना चाहिये। अगर ऐसा ब्यूरो हो तो आप फायरआर्म्स की डकैती का बड़ी आसानी से अन्दाज़ा लगा सकते हैं और मैं समझता हूं कि आपको फायरआर्म्स की डकैती तथा और डकैती का पता लगाने में जरा भी दिक़्क़त नहीं होगी।

अब इसके साथ साथ एक चीज और बतला देना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में आपने १०९ और ११० की भरमार लगाई और यह कोशिश की कि १०९ और ११० में ज्यादा से ज्यादा आदमी भेजे जायं। यह है हमारा प्रिवेंटिव सेक्शन। हमारी पुलिस जो है जैसा मैंने इस सदन में बतलाया था खासतौर से पूर्वी जिलों में जो लोग डकैतियां वगैरह नहीं करते हैं, १, २ सेर अनाज चुरा लेते हैं उन्हीं लोगों को १०९ में पकड़ कर भेज दिया करते हैं और उनको सजा हो जाती है क्योंकि उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होता। यह चीज मैं नहीं चाहता। आप राइट पर्संन्स को भेजने की कोशिश करें। जो गुंडे बदमाश हों उनको भेजें। ज्यादा परसन्टेज न हो थोड़ा ही हो लेकिन जो वाकई बदमाश हो उसे भेजने की कोशिश करें। इससे पब्लिक की मेंटिलिटी जो बुरी हो रही है वह अच्छे रास्ते पर आयगी। लोगों में डर पैदा हो जायगा।

साथ ही साथ एक चीज मैं माननीय मंत्री से और बतला देना चाहता हूं। हमारे यहां दो विरोधी चीजें चल रही हैं। पहले लोग जेल में जाते हुये डरते थे और कोशिश करते थे कि हमें फिर न जेल जाना पड़े। लेकिन आज क्या हो रहा है। जेल में जो लोग जाते हैं उनकी हर तरह से खातिर होती है। सिनेमा शो दिखाये जाते हैं। लक्जरीज मिलती हैं। मैं यह नहीं कहता

कि अमानुषिक बर्ताव किया जाय लेकिन साथ ही साथ जिस मनोवृत्ति को लेकर वह कोई क्राइम्स करते हैं उसको बदलने का उपाय करना चाहिये। जब आप ऐसा करेंगे तब आप कामयाब हो सकेंगे। जेलों में जो लोग जाते हैं और वापस आते हैं तो परिस्थिति से मजबूर हो कर वह चोरी करते हैं। नतीजा यह होता है कि वह सोचते हैं कि वहां जायेंगे तो खाना और कपड़ा मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, इसलिये उनकी मनोवृत्ति क्राइम्स करने की ओर बढ़ती है। माननीय मंत्री जी को इस भावना पर विचार करना चाहिये। हमारे कैदियों का ऐसा सुधार होना चाहिये कि उनकी यह भावना नष्ट हो जाय। जैसे जुविनाइल आफेन्डर्स हैं, २३ वर्ष के नीचे जो लोग आते हैं उनको सुधारने की कोशिश की जाती है लेकिन जो इसके ऊपर आयें उनको भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिये। हर एक को मौका देना चाहिये जेल में लोग एक अवगुण को लेकर जाते हैं और १० अवगुणों को लेकर आते हैं। जेल में उनको इस लिये बन्द कर दिया जाता है कि पब्लिक में जा कर वह उसको फैला न सकें वहां उनका सुधार करने की जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता था लेकिन बाहर आकर उनको फिर दोबारा पकड़ कर जेल भेज दिया जाता था। ये चीजें होती थीं। लेकिन हमें यह रवैया बदलना चाहिये।

एक चीज की तरफ हमें और ध्यान देना चाहिये। वह यह है कि पुलिस के अन्दर जो ईमानदार आदमी हैं उनकी हम वक़त नहीं करते। हमारे आफिसर्स उन्हीं लोगों से खुश रहते हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन हम यह चाहते हैं कि जो आदमी आनेस्टली काम करता हो उसे सबसे पहले प्रोमोशन दिया जाय। अगर आप इन बातों को प्रोत्साहन देंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर होगा।

एक चीज यह भी देखने में आती है कि पुलिस के खिलाफ जितनी शिकायतें आती हैं उनकी इंक्वायरी भी पुलिस के जरिये से ही कराई जाती है। पुलिस का आदमी उसे दबाने की कोशिश करेगा। हम यह नहीं चाहते कि आप उनको फांसी दे दें लेकिन जो जस्टिस डिमांड करता है उसे आपको पूरा करना चाहिये और यह कोशिश करना चाहिये कि जो पुलिस के खिलाफ शिकायतें आयें तो उनका इन्वेस्टिगेशन सी०आई० डी० के जरिये से कराया जाय तो बहुत सुन्दर होगा। इन चीजों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री हमीद खां (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बजट पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में मुझे कई बातें सलाहन देनी हैं। यों तो आप देखते आये हैं कि जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से जनता में जो आशा थी वह निराशा में परिणत हुई। इन दिनों जिस तरह से डकैतियां होती हैं वह तो आप जानते ही हैं। इसी पिछले महीने में कानपुर के इलाके में करीब-करीब ८-१० ऐसे कत्ल हुये जिनका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है जिससे कानपुर की जनता बहुत भयभीत हो गयी है। उसके भयभीत होने का कारण यह है कि पुलिस इस ओर ध्यान नहीं देती जब कि उसको साफ साफ तरीके से यह पता है कि कानपुर शहर में इतनी गुंडेशाही फैली हुई है, इतने बड़ेबड़े गुंडे वहां मौजूद हैं मगर उनके खिलाफ अभी तक कोई भी केस नहीं चलाया गया। इस होली के दौरान में भी पुराने कानपुर में जिस तरीके से एक पुराने गुंडे ने लोगों पर हमला किया है और जिससे पुराने कानपुर के रहने वालों को तकलीफ पहुंची है मगर उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती जिससे वह गुंडापन बन्द करे। वहां एक बहुत पुराना गुंडा है। उससे लोग इतने भयभीत हैं और इतने परेशान हैं कि वे कहते हैं कि कानपुर कि पुलिस गूंडाइज्म को दबाने के लिये तैयार नहीं है बल्कि भले आदमियों को दबाने के लिये हमेशा तैयार रहती है। जो भला आदमी रिपोर्ट लिखाने जाता है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और बहुत देर लगाई जाती है और अगर लिखी भी जाती है तो सही नहीं लिखी जाती है। इसी तरह से जो आपस

[श्री हमीद खां]

में झगड़े होते हैं तो १०७ की कार्यवाही करने की कोशिश की जाती है और रिपोर्ट लिखने में बहुत देर लगायी जाती है।

इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका कारण यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो छोटे तबके के कांस्टेबिल हैं उनकी तनख्वाहें इतनी कम हैं जिसकी वजह से भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर की वर्दी का हिसाब है। उनको वर्दी नहीं दी जाती है क्योंकि वर्दी में इस वक्त काफी रुपया लगता है और उनको करीब-करीब चार वर्दियां साल में जरूर बनानी पड़ती हैं। इसी तरह से कानपुर में जितने सब इंस्पेक्टर हैं उनमें से करीब-करीब दो या तीन के पास घोड़े होंगे, बाकी कोई भी घोड़ा इसलिये नहीं रखता है कि उनके पास खर्चा नहीं है। इसलिये जरूरत यह है कि उनको इतना भत्ता दिया जाय जिससे वे भ्रष्टाचार को बन्द करने में सहयोग दें और अपने कर्त्तव्य का ठीक ढंग से पालन कर सकें।

इसी तरह से मैं आपसे यह बता देना चाहता हूं कि कानपुर शहर में बहुत से ब्लैक करने वाले केस पकड़े गये मगर बहुतों में मुकदमा ही नहीं चलाया गया। कारण यह है कि जो असलियत होती है वह लिखी नहीं जाती है जिसकी बिना पर केस चलता है। यही वजह है कि करीब १,१६६ केसेज आपकी रिपोर्ट में दिये गये हैं मगर उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाला गया और वे मिलओनर्स के हैं। जो मिलओनर्स की तरफ से भ्रष्टाचार किया जाता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं नहीं समझता कि जिस गवर्नमेंट के पास इतनी सी० आई० डी० हो, जिस गवर्नमेंट के पास इतने बड़े-बड़े कर्मचारी हों वह उस शहर में भ्रष्टाचार को बन्द न कर सके यह बड़े अफसोस की बात है। मुझे आशा है कि गृह मंत्री जी इस ओर ध्यान दे कर इस भ्रष्टाचार को बन्द करायेंगे और पुलिस का जो छोटा तबका है उसको ज्यादा तनख्वाह दे कर और सब इंस्पेक्टरों को वर्दी और ज्यादा भत्ता दे कर उनको भ्रष्टाचार से बचाने की कोशिश करेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुलिस के संबंध में जो अनुदान इस सदन के समक्ष है इस संबंध में माननीय गृह मंत्री ने जो अपना भाषण दिया उसको मैंने काफी ध्यान से सुना और उसके साथ-साथ पुलिस विभाग की तरफ से जो एक वार्षिक रिपोर्ट निकली है उसको भी मैंने पढ़ा। वार्षिक रिपोर्ट के अन्दर जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे यह पता चलता है कि हमारे इस प्रांत में जो क्राइम्स हैं उनमें प्रति वर्ष कमी होती चली आयी है और यह एक सुन्दर चित्र है। यह भी एक आश्वासन सा दिया गया है कि ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था बहुत अच्छी व ठीक है। लेकिन जहां तक इन आंकड़ों का संबंध है वे असलियत को नहीं बताते। श्रीमन् जहां तक मेरा अनुभव है और जो जानकारी जनता के संपर्क से हमें होती है, उसको देखकर हमें अजीब हैरत होती है, क्योंकि देहातों में घूमने से जो चित्र हमें दिखाई देता है उससे वार्षिक रिपोर्ट वाला दृश्य बिलकुल ही दूसरा देखने में आता है। अभी जब पिछला चुनाव हुआ था उस समय जनता को बहुत सी शिकायतें थीं उनमें बहुत सी शिकायतें तो मिट गयीं लेकिन अगर आप दौरा करके देखें तो आपको मालूम होगा कि उनकी जो आम शिकायत बदअमनी की थी वह आज भी बराबर बढ़ती ही जा रही है। हालत यहां तक हो गयी है कि बहुत से स्थानों पर तो सूरज छिपने के बाद १०-२० रुपया लेकर भी घर से निकलना मुश्किल है, हिम्मत नहीं पड़ती। आज की परिस्थिति, विशेषकर देहातों की परिस्थिति ऐसी है कि लोगों में से सेन्स आफ सिक्योरिटी खत्म ही होता जा रहा है। आज सबसे बड़ी चीज बदअमनी और गुन्डागिरी है जिसके लिये कोई न कोई ठोस कदम जरूर उठाया जाना चाहिये।

एक नयी बीमारी जो देहातों में पैदा हो गयी है वह खेत काटने की शिकायत है। जो शिकायतें हम लोगों के पास आती हैं उनसे यदि आंकड़े बनाये जायं तो २५ प्रतिशत खेती नाजायज तरीकों से काट ली जाती है या बर्बाद कर दी जाती है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे क्योंकि खेत काटने की शिकायतों का रिकार्ड भी नहीं रक्खा जाता है और फिर ७५ फीसदी रिपोर्ट तो दर्ज भी नहीं की जाती हैं। जो आंकड़े यहां दिखाये जाते हैं, मैं समझता हूं कि उनमें काफी कमी के साथ काम लिया जाता है। अगर सरकार के पास सच्चे आंकड़े आयें तो सरकार को मालूम होगा कि जरायम की संख्या पहले से बढ़ी है। अगर डाका पड़ा है तो रिपोर्ट चोरी की लिखी जाती है या राहजनी की लिखी जाती है। इसलिये हम देखते हैं कि कम से कम यह विभाग उस प्रजातंत्र में जिसकी हम स्थापना आजादी के बाद करना चाहते हैं, अभी तक अपने आपको फिट नहीं कर पाया है। उसकी मनोवृत्ति अभी तक पुरानी ही चली आती है। अफसोस तो इस बात का है कि पहले जो पुलिस का आतंक रहता था वह भी आज नहीं रहा है। जो जरायम भय के कारण कम हो जाते थे वह आज भय के न रहने के कारण कम नहीं हो पा रहे हैं, और जो स्पिरिट पुलिस के अन्दर आनी चाहिये थी वह अभी तक नहीं आ पायी है। इसलिये जो गुंडा एलीमेंट हैं वह दिन पर दिन बढ़ता जाता है, उस पर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज में यह भी कहना चाहता हूं कि गुंडागीरी बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है कि हथियारों को बहुत ज्यादा संख्या में बांटा जाने लगा है और उनके लाइसेंस इन्डिसक्रिमिनेटली दिये जाने लगे हैं उसका फल यह होता है कि जब हथियार गलत आदमी के हाथ में पहुंच जाता है तो उसका इस्तेमाल भी गलत होने लगता है। आमतौर पर यह शिकायत भी पायी गयी है कि कहीं-कहीं कुछ लाइसेंस होल्डर अपने कारतूस वगैरह डकैतों और बदमाशों को दे देते हैं या बेंच देते हैं।

इस सिलसिले में मेरा सुझाव है कि यदि संभव हो सके तो जो खाली और छोड़े हुए कारतूस होते हैं उनका रिकार्ड भी लोकल थानों में होना चाहिये। तो मुमकिन है कि इससे कुछ रोकथाम हो सके और बदमाशी में कुछ कमी आये। इसके साथ-साथ जो एक कठिनाई महसूस की जा रही है वह यह भी है कि जो हमारे अदालती कानून हैं उनकी वजह से भी काफी परेशानी होती है। पुलिस किसी को डकैती में पकड़ती है, या कत्ल में पकड़ती है और उसे जेल भेजती है तो आमतौर से हम यह देखते हैं कि ७० फीसदी मामलों में उनकी जमानत हो जाया करती है और वे जमानत पर छूट कर आ जाते हैं। जिसका फल यह होता है कि पुलिस के ७०-७५ फीसदी केसेज कामयाब नहीं हो पाते। तो मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान श्रीमन् आपके द्वारा इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो तरीका है मैजिस्ट्रेट का बेल देने का, इसके लिये भी सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे आसानी से जमानत न होने पावे। इसके अलावा यदि भ्रष्टाचार वगैरह को भी हम देखें तो वहां भी कानूनी पेचीदगियों के कारण केसेज अमूमन कामयाब नहीं हो पाते। मैं केवल संकेत मात्र ही माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इधर भी उनको अवश्य ध्यान देना चाहिये। तीसरी बात मुझे यह भी निवेदन करना है कि बहुत से जो क्रिमनल केसेज ऐसे हैं जिनमें जूरी या असेसर बैठते हैं उनकी बावत मेरी यह निश्चित राय है कि यह जो जूरी व असेसर का तरीका है उसको खतम कर देना चाहिये क्योंकि ज्यादातर यह देखने में आया है कि जूरी को भ्रष्ट (करेप्ट) करने की संभावना काफी अधिक रहती है जिससे सही न्याय नहीं हो पाता है और बदमाशों को काफी छूट मिल जाती है। तो माननीय गृह मंत्री जी इधर भी अपना ध्यान दें। मैं यह भी समझता हूं कि लॉ आफ़ एविडेन्स को भी बदलना चाहिये। इसके अलावा जैसा कि अभी कहा गया है कि पुलिस में राष्ट्रीयता व मानवता की भावना आनी चाहिये सो उसूलन तो मानवता की बात ठीक ही है लेकिन इस संबंध में मुझे

[श्री नवल किशोर]

एक शिकायत यह भी है कि पुलिस ने अब डंडेबाजी में भी पहले से बहुत कमी कर दी है। मेरी अपनी राय यह है कि गुंडागीरी को खत्म करने के लिये उस तरीके को पुनः अपनाना पड़ेगा। मेरा मतलब यह नहीं है कि सारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय। इतना भेदभाव तो होना ही चाहिये कि कौन आदमी शरीफ है और कौन आदमी बदमाश है। जो बदमाश और अनसोशल एलिमेंट्स हैं उनके लिये मानवता की बात चलने वाली नहीं है। आदर्श तो बहुत अच्छा है कि मानवता का व्यवहार हो लेकिन वे मानवता की बात को न समझ कर डंडे की बात को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो कम से कम बदमाश के साथ मानवता का सबक फिट नहीं होता है। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमन्, आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा और यह आशा भी करूंगा कि इन चीजों के ऊपर ध्यान देकर जैसा कि मैंने निवेदन किया है और जो उनके ट्रेनिंग कालेज हैं वहां भी अगर उनके ट्रेनिंग का तरीका बदला जाय और उनकी पूर्ण मनोवृत्ति बदली जाय तो मैं आशा करता हूं कि काफी अधिक सुधार होने की सम्भावना है।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—जनाब स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जितना पुलिस में सुधार होना चाहिये उतना सुधार उसके अन्दर नहीं है। लेकिन हमारे समाज और हमारे हालात ऐसे हैं कि जब तक वह हालात और समाज तब्दील न हो तब तक पुलिस में सुधार नहीं हो सकता है। पुलिस कोई अनोखी चीज नहीं है। वह भी हमारे भाई हैं। जब तक हमारा करेक्टर बदलता नहीं है तो यह हालात कैसे बदलें। लेकिन यह देखना चाहिये कि जब से हमारी गवर्नमेंट ने हुकूमत ली है उस वक्त से अब और पहले में कुछ तब्दीली है या नहीं। मेरे ख्याल में जहां तक पुलिस के जनरल बिहेवियर का सवाल है वह पहले से बहुत बेहतर है और उनके अन्दर कुछ इन्सानियत जरूर मालूम होती है और पहले जैसी बात नहीं रह गयी है। जिस सूरत में देहात या कस्बे में पुलिस बरतावा करती थी वह अब दिखाई कम देता है। यह भी कहा जाता है कि पुलिस का डिपार्टमेंट रिश्वतखोर है। मेरे ख्याल में रिश्वत सभी जगह चलती है और हर एक मुहकमे में चलती है। अगर मुहकमों को देखा जाय तो बहुत से मुहकमे ऐसे हैं कि जिनके अन्दर बहुत ज्यादा रिश्वत ली जाती है लेकिन चूंकि यह बदनाम मुहकमा है इसलिये उसकी बाबत हर शख्स शक करता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नया तरीका जो अख्तियार किया गया है उससे पुलिस ने क्या फायदा उठाया है यह समझ में नहीं आया। हर जिले में आदर्श थाने खोले गये हैं और उनकी बाबत यह कहा जाता है कि वहां पर सच्चे आदमी रहते हैं और वे बिलकुल रिश्वत नहीं लेते हैं। लेकिन क्या यह वाकया है कि जो थाने आदर्श खोले गये हैं वहां आनेस्ट आदमी रहते हैं और जो आदर्श थाने नहीं हैं वहां पर डिसआनेस्ट आदमी रहते हैं? गवर्नमेंट ने इन थानों की बाबत फर्क रखा है। मैं यह समझता हूं कि यह जो तरीका अख्तियार किया गया है, बिलकुल गलत है। हजूरवाला, मुझे अपने तजुर्बे की बिना पर यह मालूम है कि सभी आदर्श थाने ज्यादातर डिसआनेस्ट होते हैं। मैं यहां पर किसी की पर्सनल बात को नहीं कहना चाहता लेकिन एक शख्स एक जगह पर काम करते थे और वह थानेदार ज्यादा ईमानदार नहीं कहे जाते थे लेकिन उनको एक थाने से आदर्श थाने में भेज दिया गया। अब आप बतलाइये कि जिनकी बाबत यह मालूम हो कि वह ईमानदार आदमी नहीं हैं उनको भी आदर्श थाने में भेज दिया जाता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह जो तरीका आदर्श थाने का रखा गया है यह दूर होना चाहिये क्योंकि यह बहुत ही गलत तरीका है।

यह भी कहा जाता है कि चोरी और डकैती कम हो गयी। मेरे ख्याल में तो उनका औसत बढ़ गया है कमी नहीं हुई है। बल्कि डकैती के अन्दर जो कमी दिखाई जाती है यह दिखाने के लिये है। जो फिगर्स होते हैं वह आफिसर्स को दिखाने के लिये

बनाये जाते हैं । असल में चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन वह डी० आई० जी० को दिखाने के लिये ऊपर से नीचे तक उनसे यह कहा जाता है कि नक्शे में कम दिखलाओ ताकि यह मालूम न हो कि ज्यादा चोरी या डकैती होती है । मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिये। जो वाकया सच्चा हो उसकी उसी वक्त रिपोर्ट लिखी जानी चाहिये। मेरे जिले हरदोई में काफी डकैती हुई हैं, चोरी भी होती हैं लेकिन दिखलाने के लिये उनको कम कर दिया जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि ३९५ के केसेज को ४५८ में तब्दील कर दिया जाता है। यह अक्सर हर जगह पर होता है। मेरे कस्बे संडीला में डकैतियां हुई हैं, लेकिन उनको ४५८ में तब्दील कर दिया गया है। इन सब चीजों का सही बयान होना चाहिये ताकि इनसे यह मालूम हो सके कि आया हालत वैसे ही चल रही हैं या कुछ तब्दीली है। कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को जब यहां से जाना पड़ा तो हमारी हुकूमत के हाथ में यहां का एडमिनिस्ट्रेशन आया जिनको जापानी अफसरान कहते हैं, जो पुलिस में कांस्टेबिल से हेड कांस्टेबिल या सबइंस्पेक्टर से सुपरिन्टेन्डेन्ट हो गये हैं और जिनकी वही पुराना आदत चली आती है रिश्वत वगैरह लेने की और जो ऊंचे ओहदे पर पहुंच गये हैं उनकी वह पहली आदत नहीं जाती है। ऐसे अफसरान की तरफ गवर्नमेंट को नजर रखना चाहिये और उनकी इन खराबियों को दूर करना चाहिये। जो डायरेक्ट रिक्रूटेड अफसरान नहीं हैं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से ऊपर पहुंच गये हैं और जिनको खाने खिलाने की आदत पड़ी है उनको ठीक करना चाहिये और देखना चाहिये कि आया ऐसे अफसरान ईमानदार हैं या रिश्वत लेते हैं और किस सूरत से रिश्वत अब भी चलती है और जिन नाजायज तरीकों से वह आज भी फायदा उठा रहे हैं उनको रोकना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा यह सुझाव है कि एस०पी०, डी० आई० जी०, क्वार्टरली मीटिंग किया करें जिनमें तमाम एम०एल०एज० जमा हुआ करें और वह पब्लिक की तमाम शिकायतों को उनसे उस मौके पर सुना करें और जो कुछ जवाब वह देना चाहें दिया करें। हमारे डी०आई०जी० ऐसा करते हैं कि तारीख तय करके दौरे से पहले सब एम०एल०एज० को बुलाते हैं और वह तमाम पुलिस की खराबियों को सुनते हैं और वह जवाब देते हैं। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से हर जिले में एस०पी० और कप्तान साहब को हिदायत दे दी जाय कि वह अपने-अपने यहां इस तरह की मीटिंग किया करें। मैं समझता हूं कि इससे बहुत आसानी हो जायगी और पुलिस की बहुत सी कमियां दूर हो जायंगी।

एक बात मुझे और कहनी है और वह यह है कि दफा ११० जो है उस में यह होता है कि जब कप्तान साहब सालाना मुआयना करते हैं तो वह कहते हैं कि ११० के मामलात बहुत कम हैं और इस तरह से ११० दफा के बदमाश बनाने पड़ते हैं। ऐसा न होना चाहिये। यह देखना चाहिये कि जो वाकई ११० में आते हैं उन्हीं पर केस चलाया जाता है या फर्जी भी मामले बनाये जाते हैं। ऐसा न होना चाहिये कि नक्शा देखकर कहा जाय कि सालाना फिगर बहुत कम हैं यह बढ़ाना चाहिये। इस चीज की तरफ मंत्री जी को ख्याल करना चाहिये ।

एक बात मैं पब्लिक के लाइसेंसेज के बारे में भी कहना चाहता हूं । जब लोग डी० एम० को एप्लाई करते हैं तो वह उस केस को गुड करेक्टर के लिये कप्तान साहब के पास भेज देता है। अब पुलिस वाले लाइसेंस के गुड करेक्टर के लिये सौ-सौ रुपया रिश्वत के लेते हैं और अगर कोई नहीं देता है तो वह करेक्टर को अच्छा लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं। वह साफ कहते हैं कि हम तुम को बन्दूक दिला रहे हैं कम से कम सौ रुपया दिलाओ। एक साहब का किस्सा मुझे मालूम है कि पुलिस ने उनका केरेक्टर खराब लिख दिया। इस पर उन्होंने नोटिस दिया और एफिडेविट दाखिल किया कि पुलिस की रिपोर्ट गलत है। नतीजा यह हुआ कि सभी जानते थे कि वह एक शरीफ आदमी थे, लेकिन चूंकि उन्होंने

[श्री ऐजाज रसूल]

पुलिस को कुछ नहीं दिया, इसलिये परेशानी पैदा कर दी गयी। डी० सी० ने उस फाइल को लिया। तो मैं ऐसे थानेदारों को जानता हूं जो यह जानते हुए कि शरीफ आदमी है, अगर उसने रिश्वत नहीं दी तो रिपोर्ट खराब लिखी जाती है और उसको बन्दूक नहीं मिलती। यह चीज देखने की है और इन चीजों को दूर करना चाहिये।

हुजूर वाला, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि यह कहना आउटराइटली, जैसा कि साधारण तरीका हो गया है कि अगर हम किसी को बुरा कहेंगे तो वह यह समझेगा कि हमको बुरा कहा जाता है तो बुरे ही रहेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। जहां तक कोशिश हो बुराई के साथ जो कोई अच्छाई है उसकी तारीफ भी करनी चाहिये। आप को देखना चाहिये कि ला एंड आर्डर की कमी है। सन् ४७ में जब कि पुलिस थी और उस वक्त क्या-क्या हालात थे। इस वक्त जो हालात हैं वह रोज-बरोज खराब होते जा रहे हैं और अगर पुलिस न हो और इससे ज्यादा मुस्तैदी से काम न करे तो सूबे के हालात बहुत खराब हो जायं। तो यह कहना कि पुलिस के पास ही थाने में १२ कांस्टेबिल और दो ज्यादा से ज्यादा सब इंस्पेक्टर्स हैं उन से काम चल सकता है यह गलत है। उनका एरिया ११० गांव का या ११५ गांव का होता है और उनको रात दिन इनवेस्टीगेशन करना होता है और क्राइम को प्रिवेंट करना होता है। लोग आजकल एजूकेटेड होते चले जाते हैं। जमाना बदल गया और जमाने के साथ पब्लिक भी बदल गयी। इन हालात में पुलिस कम है, पुलिस का बजट कम है और यह कहा जाता है कि उसमें कमी हमने कर दी, पर मेरे खयाल में पुलिस का बजट बढ़ना चाहिये। क्योंकि अगर मुल्क की और सूबे की हालत दुरुस्त न हुई और अगर रोज-बरोज क्राइम बढ़ते रहे और बदअमनी बढ़ती गयी तो उसका नतीजा यह होगा कि मुल्क की जो तरक्की और डेवलेपमेंट हैं वह सब बन्द हो जायेंगे। तो पहले तो लालेसनेस को दूर करना चाहिये और वह तभी दूर हो सकती है जब आप स्टाफ ज्यादा बढ़ायें, पुलिस कांस्टेबिलों को ज्यादा बढ़ायें। जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तरीका बना दिया, देहात में वही १०-१२ कांस्टेबिल और दो थानेदार होते हैं। तो यह तो इकबाल हैं जिसकी वजह से काम चलता आ रहा है, लेकिन अगर लालेसनेस बढ़ी तो मुसीबत हो जायगी।

मुझे इस से ज्यादा कहना नहीं है। जो बजट हमारे मिनिस्टर साहब ने पेश किया है मैं उसकी ताईद करता हूं।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान सब से पहला अनुदान है जिसके बारे में दोनों पक्ष के लोगों की एक ही राय है कि पुलिस में भ्रष्टाचार है, पुलिस में बहुत सारी खराबियां हैं, जुर्मों की संख्या बढ़ रही है इसमें दो रायें नहीं। लकिन इधर हमारी सरकार है कि इस मामले में अपनी तारीफ के पुल बांधे चली आती है। अपनी सालाना रिपोर्टों में, प्रकाशन विभाग की पुस्तकों में हम रात दिन इन तारीफों की भरमार देखते है और देखते हैं कि सरकार इस बात की कोशिश करती है कि साल ब साल पुलिस की वजह से जुर्मों में कमी दिखाई जाय।

मैंने पुलिस विभाग के संबंध में पिछले साल की और इस साल की वार्षिक रिपोर्टें भी देखी। मैं आंकड़ों के जंजाल में तो नहीं फंसना चाहता और न मैं इस साइंस का विद्वान हूं, जैसे कि श्री परिपूर्णानन्द, माननीय सम्पूर्णानन्द जी और मुख्यमंत्री जी हो सकते हैं लेकिन मैं मोटे से आंकड़े रखना चाहता हूं कि किस तरह से हमारी सरकार ने बिलकुल निराधार इस बात को जाहिर करने की कोशिश की कि जुर्मों में रात दिन कमी होती चली आ रही है। एक रिपोर्ट जो सन् ५१ की है उसमें अपराधों की तालिका देखी जाय तो उसमें डकैती की संख्या सन् १९५० में ८७९ दिखाई हुई है और अगर हम सन् १९५२ की रिपोर्ट देखें तो उसमें सन् १९५० में ८२२ डकैती की संख्या है।

इसी तरह अगर हम ५१ की पिछले साल की रिपोर्ट को देखें तो डकैतियों की संख्या ८१३ है। इस साल की जब रिपोर्ट देखते हैं तो ७६२ है। इसी तरह से राहजनी में भी कमी दिखाई गई है, हत्याओं तक के आंकड़ों में तफावट है। जो जुर्म इतनी अच्छी तरह से पुलिस में रिकर्ड होते हैं, पुलिस की रिपोर्ट में उन जुर्मों को कम दिखलाया जाता है, और अगर इस साल भी और कम करने की गरज से तब्दीली कर दी गई तो असम्भव नहीं। कौन सी ऐसी चीज है कि हम इन रिपोर्टों को सच्ची समझें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि १९५२ के जो आंकड़े दिये गये हैं वह भी निर्मूल मालूम पड़ते हैं। इसके लिये मुझे अफसोस है और बड़े क्षोभ के साथ ये बातें माननीय गृहमंत्री की नोटिस में लानी पड़ती हैं। अगर जैसा कि हमारे बहुत से मित्रों ने यहां पर कहा, जुर्म सही तौर पर दर्ज हों तो जाहिर होगा कि आज जुर्मों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और आज सारी जनता में भय और आंतक का वातावरण फैल गया है। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि जुर्मों में न्यूनता आ रही है, क्योंकि जुर्म बढ़ने का कारण भी है। बेकारी की समस्या है, आर्थिक समस्या है, इसके अलावा इन कारणों से लोगों का मारल भी बहुत गिर गया है। ऐसी दशा में, और ऐसे वातावरण में जब तक सरकार इन समस्याओं का हल नहीं करती तब तक किसी प्रकार जुर्मों में न्यूनता नहीं आ सकती। अगर मैं यह भी कहूं कि जुर्मों के बढ़ाने में पुलिस एक हद तक जिम्मेदार है तो शायद कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस बात के उदाहरण मौजूद हैं। जब कोई आदमी पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसको रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जब कि चुनाव के फल की घोषणा के पश्चात् पुलिस का थानेदार मास अरेस्ट करता है। सब गांव वाले मिल कर रिश्वत देने के लिये रुपया इकटठा करते हैं। उस शिकायत को गांव वाले एस०डी०एम० से करते हैं। एस०डी०एम० थानेदार का रिश्तेदार निकलता है। वे अपनी रिपोर्ट इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट को भेजते हैं उसके बाद क्या होता है? थानेदार की इन्क्वायरी के लिये सर्किल इंस्पेक्टर जाता है। मेरे खयाल में किसी सर्किल इंस्पेक्टर ने शायद ही कभी किसी सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की हो। इसके अलावा ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं कि थानेदार लोगों ने औरतों की इज्जत को भी लूटा। अगर कोई उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करता है तो नतीजा यह होता है कि १८२ उन पर चलाया जाता है। अगर लोगों में जुर्मों को कम करने का वातावरण पैदा हो जाय तभी जुर्म कम हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो देखनी है वह यह है कि अगर हम थोड़ी देर के लिये माननीय गृह मंत्री की इस रिपोर्ट को मान भी लें कि जुर्मों में कमी हो रही है तो उसकी सफलता का पैमाना तो इसी से हो जाता है कि लोगों के अन्दर सच्चाई और ईमानदारी का प्रादुर्भाव हुआ है या नहीं। अगर ऐसा नहीं तो इस किस्म की गलत रिपोर्ट से कोई फायदा नहीं होता। अगर डर की भावना के कारण यह सब कुछ समय के लिये हो भी तो भी कैसी भी कल्याणकारी सरकार क्यों न हो इन जुर्मों में कमी नहीं हो सकती।

मैंने पिछले साल भी अर्ज किया था और इस साल भी अर्ज करता हूं कि कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर सरकार पुलिस को जबरदस्ती लादे हुए है। मैं अपने जिले टेहरी गढ़वाल का उदाहरण देता हूं। वहां पर बहुत छोटे छोटे जुर्म होते हैं जो पंचायत की समाअत के काबिल होते हैं। पुलिस को तो वहां मक्खी मारनी पड़ती है। इसके अलावा जब पुलिस वालों को वेतन कम मिलता है, उनको कोई हिल एलाउंस भी नहीं मिलता तो अगर कोई अदना सा जुर्म भी हाथ लगा तो उससे ज्यादा से ज्यादा रुपया वसूल करने की कोशिश करते हैं। जिसे आम तौर पर मुर्गी फंसना कहा जाता है। यहां पर मैं आज भी देखता हूं और माननीय गृह मंत्री जी इस बात की जांच करायें, जरायम का रजिस्टर देखें कि किस किस्म के जुर्म हुआ करते हैं। जिलाधीश या किसी दूसरे अधिकारी की निराधार रिपोर्ट का अवलम्बन न करें।

[श्री रुद्र सिंह राणा]

यहां भी जैसे कि और पहाड़ी ग्रामों में हुआ करता है पटवारियों को पुलिस पावर्स दी जानी चाहिये। पटवारी वहां पर बाक़ायदा लोकल ट्रेंड हुआ करते हैं। उनसे यह काम लिया जाय और फ़िजूल का पैसा जो खर्च होता है वह न हो। इसलिये माननीय गृह मंत्री जी इस दिशा में भी सोचें और इस बात की जांच करें कि फ़िजूल का पैसा जो इतनी बड़ी पुलिस पर लाया किया जाता है वह वहां की तरक्क़ी में लगाया जाय तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जनता में जैसा मैंने पहले कहा कि, भय और आतंक फैला हुआ है पुलिस की वजह से। उसका क्या कारण है? जनता नहीं समझती अपनी जिम्मेदारी को, और अपने कर्तव्यों को। वह यह नहीं समझ पायी है कि पुलिस हमारी सेवा और रक्षा के लिये है न कि हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिये। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हमारी सरकार हर एक चीज को केन्द्रीयकरण की ओर ले जा रही है। लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाले, सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करे और पुलिस का भी रवैया बदले, वह अपने को जनता का सेवक समझे तभी यह भय और आतंक दूर हो सकता है। मैं विशेष कुछ न कह कर फिर गृह मंत्री जी से अपने जिले के मुताल्लिक़ अर्ज कर देना चाहता हूं कि पुलिस की पावर्स वहां पर पटवारियन के सुपुर्द की जायें।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यों तो पुलिस में बहुत से सुधार हो रहे हैं लेकिन जो इफ़िशियेंसी होनी चाहिये थी और उसमें सुधार जरूरी होने चाहिये थे वे नहीं हो पा रहे हैं। कानपुर में फ्लाइंग स्क्वैड जो बनाया गया है उसका अनुभव मुझको बहुत अच्छा है और मैं यह समझता हूं कि यह सुधार सबसे अच्छा है। मैं चाहता हूं कि टेलीफोन की व्यवस्था जिन शहरों में हो उन शहरों में यह व्यवस्था चालू की जाये। कहीं जुर्म हो रहा है लेकिन पुलिस वाले यह कहते थे कि पहले रिपोर्ट लिखाओ तब कुछ होगा लेकिन अगर हम टेलीफोन करते हैं तो फौरन् फ्लाइंग स्क्वैड आ जाता है। एक घटना मैं आप को बतलाता हूं कि रावतपुर गांव में एक क़त्ल हुआ और उसकी लाश दो रोज तक घर के अन्दर पड़ी रही लेकिन किसी की हिम्मत यह न हुई कि वह उसकी रिपोर्ट करे और वह अस्पताल में पहुंचायी जाय। जब फ्लाइंग स्क्वैड को टेलीफोन किया गया, तब आप यक़ीन मानिये कि शायद बीस मिनट में वे लोग पांच या छः मील पहुंचे, जिसमें आध या पौन मील कच्ची सड़क भी रही होगी, उस लाश को वहां से ले आये और वह लाश अस्पताल पहुंचा दी गयी, लेकिन मुझे अफ़सोस है कि जो इसमें कर्मचारी काम करते हैं, जैसे दारोग़ा लोग, मैंने सुना है कि उनको वह एलाउंस नहीं दिया जाता है जो दूसरे दारोगाओं को दिया जाता है। मेरा यह सुझाव है कि उसको एलाउंस देना चाहिये क्योंकि यह बड़ी अच्छी सर्विस है और इससे कानपुर की जनता को खासतौर से बहुत लाभ पहुंचा है।

मेरे क्षेत्र में एक आदर्श थाना भी है। मेरे एक भाई ने आदर्श थाने की अभी तारीफ़ की। मुझे अफ़सोस है कि उन्हीं शब्दों में मुझे भी कहना पड़ रहा है। उस आदर्श थाने के अन्तर्गत पिछले दो तीन महीने के अन्दर छ-सात चोरियां हुई हैं और एक क़त्ल भी हुआ है जिसका हाल मैंने बतलाया लेकिन उनकी कोई इंक्वायरी नहीं, चोरियों का कोई पता नहीं। यह आदर्श थाने की हालत है। मेरा सुझाव है कि आदर्श थाने में से आदर्श शब्द निकाल देना चाहिये और ऐसे थाने बन्द कर देना चाहिये।

हर थाने में कम्प्लेंट बुक की आवश्यकता है क्योंकि बहुत से ऐसे आदमी पहुंचते हैं जो रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। कोई कहता है कि हमको रिश्वत दो, कोई कुछ कहता है, लेकिन कोई उनको सुनने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर थाने पर, जिस तरह से स्टेशन्स पर, बस में होता है कम्प्लेंट बुक रहनी चाहिये। यदि कोई आदमी पुलिस के खिलाफ़ लिखने की हिम्मत रखता हो और वह लिखे और यदि किसी अधिकारी ने ग़लती की है तो उसको दंड दिया जाय।

मेरे यहां कानपुर में इसमें शक नहीं कि पुलिस में काफी सुधार हुए हैं। अभी हमने देखा कि वहां चार-पांच चौकियां तीन-चार लाख रुपये की लागत से बड़ी सुन्दर बनी हैं। गोविन्दनगर

में जो चौकी बनी है, उसमें टेलीफोन नहीं है। टेलीफोन न होने की वजह से वहां एक दुर्घटना हो गयी जिसको आप ने अखबारों में पढ़ा होगा। जगन्नाथ स्वाधीन, जो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनका मर्डर हुआ। वह जगह कोतवाली से चार पांच मील की दूरी पर है, इसलिये कोई सूचना न पहुंचने की वजह से मौक़े पर कोई गिरफ्तारी न हो सकी। नतीजा यह हुआ कि आज भी जो खास कल्प्रिट है वह गायब है। मेरा सुझाव है कि वहां पर टेलीफोन की फ़ौरन् व्यवस्था होनी चाहिये।

कुछ दिन पूर्व यहां पर हम लोगों ने एक कानून पास किया था कि सिगरेट सिनेमा घरों में न पी जाय। मुझे मालूम हुआ कि शायद लखनऊ में तो वह कानून लागू हो गया है लेकिन कानपुर में उसका कोई पता नहीं है। वहां लोग बराबर सिगरेट पीते हैं लेकिन उसका कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसको कानपुर में भी इंफोर्स किया जाय।

मैं एक दिन जेल का निरीक्षण करने गया था। वहां एक क़ैदी मुझे मिला। उसने कहा कि कल मैं १०९ में छूटा हूं और आज मुझे फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं समझता हूं कि यह बात अनुचित है क्योंकि १०९ ऐसे लोगों पर लागू होती है जिनके संबंध में कुछ शिकायतें होती हैं। जो शख्स साल भर सज़ा काटने के बाद छूटता है और दूसरे दिन १०९ में गिरफ्तार कर लिया जाता है, यह बात ठीक नहीं है। पहले इंक्वायरी होनी चाहिये, जांच होनी चाहिये, तब इस तरह की चीज़ें होनी चाहियें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (ज़िला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पुलिस का बजट आज भवन के सामने उपस्थित है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं सुझाव के तौर पर दो चार बातें मंत्री महोदय के सामने रखने की चेष्टा करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उनपर विचार करेंगे। पुलिस विभाग अंग्रेजी हुकूमत के समय में एक ऐसा विभाग बन गया जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत को ही यहां कायम करना चाहता था। वर्तमान पुलिस उन्हीं की (लीगेसी) देन है। वह सरकार भी एक पुलिस सरकार ही कहलाती थी। मगर जब हमने अपने देश में एक प्रजातांत्रिक राज्य क़ायम किया तो यह ज़रूरी हो गया कि इस राज्य में जो पुलिस हुकूमत पुरानी थी उसमें एक बड़ी भारी तब्दीली लायी जाय। क्योंकि जब हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी हुकूमत की पुलिस से कल्याणकारी राज्य की हुकूमत की पुलिस में बड़ा भारी परिवर्तन हो। तो मैं चाहूंगा कि यहां की इस सारी मशीनरी में एक बड़ा भारी परिवर्तन लाया जाय ताकि जनता में एक ऐसी श्रद्धा पुलिस डिपार्टमेंट के लिये बढ़े और वह समझने लगे कि पुलिस हमारी लाइफ़ ऐंड प्रापर्टी सेव (जान व माल की हिफाजत) करने के लिये है और ला एण्ड आर्डर को मेन्टेन (अमन चैन क़ायम) करने के लिये है और सही मानों में जनता की सेवा करने के लिये यह एक (आर्गनाइजेशन) संस्था है। यदि कुछ कारणों से सरकार इसमें परिवर्तन नहीं ला सकती है तो मैं इतना अवश्य चाहूंगा कि कम से कम जो अंग्रेज़ी हुकूमत के नाम व पहनावा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में है उसमें ऐसी तब्दीली हमारे देश में लायी जाय ताकि जो हमारी संस्कृति है और जो शिष्टाचार है उसके मुताबिक हमारी पुलिस हो। मेरा तात्पर्य यह है कि पुलिस शब्द को ही बदल दिया जाय जिससे लोगों को घृणा है और कोई ऐसा ही शब्द हिन्दी में हमारे माननीय मंत्री उसको ज्यादा समझ सकते हैं, उसे लायें जिससे भावना बदले और उसके अलावा इंस्पेक्टर जेनरल, डी० आई० जी० और एस० पी० के जो नाम हैं उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह जो घूसखोरी बहुत ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में प्रचलित है उसको बन्द करने के लिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराऊंगा कि पुलिस में डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स के, जो कि आर्मी से बहुत सी फौज कम हो जाने की वजह से आ गये हैं ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय और उनको पुलिस में भर्ती किया जाय तो बहुत कुछ घूसखोरी में कमी हो सकती है। इसके अलावा स्त्रियों को भी चाहूंगा कि उनके लिये पुलिस में जहां बहुत कम शारीरिक परिश्रम (फ़िज़िकल लेबर) करना पड़े ऐसी जगहों पर उन्हें रखा जाय। इन बातों के अतिरिक्त थोड़े शब्दों में मैं अपने (कांस्टिटुएंसी) निर्वाचन क्षेत्र के बारे में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि टनकपुर

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

जो कि पहाड़ का हिस्सा है जिसमें कुमायूं के लोग बहुत से रहा करते हैं बल्कि टनकपुर एक हिस्सा हाल ही में पीलीभीत के थाने के अन्दर मिला दिया गया है जिससे पहाड़ी जनता को बहुत तकलीफ है। वैसे तो टनकपुर जिला नैनीताल में है और पुलिस के लिये यह पीलीभीत में है। इससे उन लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और टनकपुर को जिला नैनीताल में हो पुलिस डिपार्टमेंट में मिलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा माननीय मंत्री जी एक ओर और ध्यान देना है और वह यह है कि मेरी कान्स्टीट्एन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) का इलाका तिब्बत और नेपाल से मिला हुआ है। इन इलाकों में जितनी भी पुलिस है अगर उन्हीं इलाकों से ली जाय तो बेहतर होगा। क्योंकि वहां इलाकों में एक तो बेकारी बहुत है और उन इलाकों में वहां की हो पुलिस ज्यादा कामयाब हो सकती है बजाय इसके कि देश के मैदानी हिस्सों से जाय जो कि पहाड़ों में चल भी नहीं सकते उन्हें भी बहुत कुछ तकलीफ़ रहती हैं। इन इलाकों से वह वाकिफ नहीं होते। इसलिये जो भूटियां हैं और डीमोबिलाइज्ड सोलजर्स हैं उनको रक्खा जाय तो बेहतर होगा। पुलिस को हिदायत दें कि टनकपुर से पिठौरागढ़ तक K. M. O. U. की बसें चलती हैं वहां कई बसें टूटी फूटी हालत में हैं और पुलिस का कोई ठीक प्रबन्ध न होने से ओवरलोड की जाती हैं। सड़क भी बहुत खराब है और कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त मेरी प्रार्थना यह है कि पिठौरागढ़ में तार की लाइन का ठीक प्रबन्ध नहीं है। अच्छा होता यदि वहां टेलीफ़ोन की लाइन बन जाती। एक दफ़ा एक खून का केस हुआ, तार की लाइन ठीक नहीं थी और वह खूनी भाग गया। यदि तार की लाइन वहां होती तो ऐसा नहीं होता। मैं अधिक समय नहीं लेकर यह आशा करूंगा कि मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यान देंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कल्याणकारी राज्य में किस तरह की पुलिस होनी चाहिये उसका नमूना तो आज सुबह हमने इस काउन्सिल हाउस के सामने जो बाहर पुलिस खड़ी है उससे देख लिया है। जब हम हिटलर या मुसोलनी का इतिहास पढ़ा करते थे तो हैलमैट की बात सुना करते थे कि जर्मनी की फौज के पास यह होता है और जहां वह जाती है आतंक सा छा देती है। जो चित्र आज हमने देखा वह बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। हिटलरशाही के समय जब सन् ४२ का आन्दोलन हुआ था उस समय भी हम ऐसे ही चित्र देखा करते थे। लेकिन आज जब हम एक नये साल में कहते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य स्थापित करने जा रहे हैं तो जो रूप हमने आज देखा उसे देख कर जो निराशा हुई उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इतनी पुलिस यहां खड़ी थी केवल उन अध्यापकों को डराने के लिये जो लखनऊ में आकर सत्याग्रह, पीसफुल सत्याग्रह, कर रहे हैं। कल्याणकारी राज्य की तारीफ़ हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने की थी और माननीय गृह मंत्री जी के लिये तो मैं क्या कहूं, उन्होंने जो सप्लीमेंट्री बजट के समय पुलिस को एक सर्टीफ़िकेट दे दिया था कि उन्हें गर्व है कि ऐसी पुलिस हिन्दुस्तान के किसी कोने में नहीं है। मैं यह जानता हूं कि पुलिस में अच्छे आदमी भी हैं। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस के सभी लोग खराब हैं या यह डिपार्टमेंट बिलकुल वाहियात है। कोई भी गवर्नमेंट आवे उसका पुलिस विभाग होगा और रहेगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि गिव दि डेविल हिज ड्यू यानी जब हम किसी की तारीफ़ करना चाहते हैं तो उसका असर यह होता है कि उसकी हम तारीफ़ करते हैं उसकी और आफ़त आ जाती है। अगर हम किसी की काट करना शुरू करते हैं तो इस सदन में कहा जाता है कि वह यहां नहीं हैं इसलिये उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारी बड़ी मुसीबत है। हमारे ऐजाज रसूल साहब ने कहा कि देखिये पुलिस में कितनी तब्दीली हो गयी और कम से कम उनका व्यवहार तो अच्छा है ही। मैं जानता हूं कि जब आई० जी० साहब या डी० आई० जी० साहब कोई भारी दावत करते हैं तो उसमें उनको बुला लेते हैं और पहले भी जब वह मुस्लिम लीग में थे तो बुला लिया करते थे। हमको नहीं बुलाते, न आई० जी० और न डी० आई० जी० क्योंकि हमसे तो वे बोलते हुए भी डरते हैं कि किसी कांग्रेसी ने कहीं देख लिया तो मुसीबत हो जायगी।

वह तो कह देंगे कि पुलिस वाले सोशलिस्टों से बातें करते हैं।

श्री ऐजाज़ रसूल—हम आपके लिये उनसे सिफ़ारिश कर देंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—आप फिक्र छोड़ दीजिये। हमें तो जहां जाना होता है उनके बिना बुलाये ही वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन माननीय ऐजाज रसूल साहब की बाबत मिल जाती है या उनको फायदा पहुंच जाता है इसले यह तो नहीं कहा जा सकता कि प्रांत की पुलिस अच्छी है। पुलिस क्या क्या जुल्म कर रही है, अगर मैं अकेले किसी का नाम लूं तो यह कहा जायगा कि वह सदन में मौजूद नहीं है, लेकिन वे क्या क्या जुल्म कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी हमारे पुलिस मंत्री के ऊपर है। बांदा में हाल ही में १० जनवरी को एक बयान निकला जिसमें रामसनेही जी भारतीय, जो एम०एल०ए० हैं उनका नवजीवन में एक लेख निकला कि बांदा में पुलिस की क्या क्या ज्यादतियां हो रही हैं। गृह मंत्री जी ने उस ओर जरूर ध्यान दिया होगा। और भी जगह ऐसा हो रहा है। मैं ऐसे जिले से आ रहा हूं जहां पर सीधे सादे पटवारी वहां की पुलिस का काम देते हैं और वही वहां के थानेदार समझे जाते हैं वहां चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती। छोटी मोटी मारपीट हो जाती है, और कभी कभी कत्ल हो जाया करते हैं। इस तरफ मैंने एक खबर पढ़ी थी कि तिब्बत से हमला होने का डर है इसलिये अल्मोड़े में वायरलेस सेट लग रहा है और पुलिस वहां भेजी जायगी। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि जहां चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, वहां अब पुलिस के पहुंचने से डकैती भी होने लगेगी, और चोरियां भी होने लगेंगी। खाली पुलिस पहुंचा देने से काम नहीं चलेगा। जब तक सड़कें नहीं होंगी दस पांच पुलिस के सिपाही को तो हम एक कमरे में बंद कर सकते हैं और जब तक आपकी पल्टन पहुंचेगी तब तक उनका इलाज हो जायगा। तो वायरलेस सेट वहां लग रहा है। और हमने यह भी खबर सुनी है कि स्काटलैन्ड यार्ड से कुछ कुत्ते मंगाये जा रहे हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अन्देशा है कि जब ये सीखे सिखाये कुत्ते उत्तर प्रदेश में आ जायेंगे तो यहां अग्रेंड पुलिस के सिपाहियों की सोहबत में आ कर वे कुत्ते भी न खराब हो जायं। मैं यह मानता हूं कि पुलिस के जो लोग हैं वे हमारे भाई हैं। मैं यह मानता हूं कि उनकी तनख्वाहें कम हैं और छोटे छोटे सिपाहियों से मेरी कोई शिकायत भी नहीं है लेकिन जब किसी पुलिस आफिसर के खिलाफ शिकायत कीजिये तो उसपर कार्यवाही नहीं होती क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट की प्रेस्टिज चली जाती है। सारा डिपार्टमेंट एक हो जाता है और समझता है कि गजब हो जायगा और ऐसा करने से सारे डिपार्टमेंट के ऊपर बदनामी आयेगी। लेकिन मैं पूछता हूं कि इसमें डिपार्टमेंट की प्रेस्टिज का क्या सवाल है। क्या उनके कारनामों से माननीय गृह मंत्री जी की प्रेस्टिज सदन में नहीं खराब हो रही है? मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि "गिव दि डेविल इट्स ड्यू" जो पुलिस के अफसरान बहुत अच्छे हैं उनकी तरक्की होनी चाहिये लेकिन जहां खराबियां हैं उनके लिये हमारी बातों को भी सुनिये, हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। हमें झूठ मूठ के लिये तो पुलिस से लड़ने भिड़ने से कोई फायदा नहीं होता। हम तो साफ साफ कहते हैं कि पुलिस का रुख बिलकुल नहीं बदला। अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में जो पुलिस का रुख था उससे कहीं बदतर हमारे प्रांत की पुलिस है। हमारे सदन के जो माननीय मेम्बरान कांग्रेसी हैं वे अनुशासन से बंधे हुए हैं। कुछ कह नहीं पाते हैं लेकिन अगर उनसे पूछा जाय कि तुम्हारे इलाके में किस किस तरह से पुलिस जुल्म कर रही है तो वे कभी छिपा नहीं सकते और अगर छिपाना भी चाहें तो कब तक छिपावेंगे। एक दिन अवश्य आने वाला है जब इसका भंडाफोड़ होगा। हम सवाल यहां पूछते हैं उनका जो जवाब हमें मिलता है, उससे हमें मान लेना चाहिये कि यह तो सिर्फ लीपापोती होती है उन शिकायतों को दबाने के लिये इतना जरूरी है कि हमारे माननीय मंत्री कभी कभी साफ बातें करते हैं लेकिन जब से उन्होंने यह रुख अख्तियार किया है कि हमारे प्रांत की पुलिस आदर्श है तब से पुलिस वालों का पारा ऊंचा हो गया है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि जिस तरह

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

से झगड़े और चोरियां बढ़ रही है जैसा कि आपको १९५१ की रिपोर्ट से मालूम हो जायगा कि ये क्राइम्स वगैरह किस तरह से बढ़ रहे हैं। १९५२ की रिपोर्ट जो निकलेगी उससे मालूम हो जायगा कि क्राइम्स की क्या प्रोग्रेस हो रही है। रोज यह सुनने में आता है कि फलां लड़की भगा दी गई। लखनऊ के अन्दर लड़कियां सिनेमा घर से आ रही थीं तो पुलिस वाला उठा कर ले गया। कानपुर में कुली बाजार का केस हुआ। उसमें भी पुलिस वाले शामिल थे और पुलिस वालों को सजा हुई। जब पुलिस वाले ही यह काम करेंगे तो उन पुलिस वालों की तारीफ के पुल बांधना, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं हमको यह शोभा नहीं देता।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

आज पुलिस लाक-अप में किस तरह से लोग सताये जा रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर मारे जुर्म साबित नहीं होता, जब तक मारोगे नहीं तब तक वह कबूल नहीं करेगा। इसलिये मारना जरूरी है। लखनऊ का किस्सा देखिये। अभी हाल में ८ तारीख की रात को करीब ९ बजे एक हवालाती मर गया। उसको हवालात में पुलिस ने इतना मारा कि वह अस्पताल में जा कर मर गया। ४ तारीख को गिरफ्तार करके २८ तारीख को जेल भेजा गया। सिविल सर्जन ने बताया कि इसकी हालत बहुत खराब है तो उसको बलरामपुर अस्पताल पहुंचाया गया। उसके इतने घाव थे कि वहां वह मर गया। जब हवालात में उसको ले गये थे तब उसके एक भी घाव नहीं था। ५१ जिले का यह प्रांत है और साढ़े छः करोड़ इसकी आबादी है। अगर एक-एक जिले का किस्सा मैं कहना शुरू करूं तो एक लम्बा इतिहास बनेगा।

हमारे मंत्री महोदय ने आदर्श थानों की बात कही। आदर्श थाने वे थाने हैं जिनमें पुलिस वाले कांग्रेस वालों से मिल कर घूस लेते हैं, यह परिभाषा आदर्श थानों की यहां बताई गई है। ये आदर्श थाने सब बन्द किये जाने चाहिये। आदर्श के नाम पर वहां जुल्म किया जाता है। मैं समझता हूं कि हमारी पुलिस में सुधार होना चाहिये। यह ठीक है कि अगर पुलिस के साथ हमारा रवैया अच्छा रहेगा तो पुलिस हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी लेकिन जो पुलिस वाले बदमाशी करते हैं उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिये। उनका प्रोमोशन रुकना चाहिये। जब कोई बदमाशी करता है तो अक्सर हम लोग ही उसकी सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले यह नहीं समझते हैं कि वे सरकारी नौकर हैं वह यह समझते हैं कि वे कांग्रेस वालों के नौकर हैं, वे एक आर्गनाइजेशन के नौकर अपने को समझते हैं उनको चाहिये कि वे अपना काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन में कांग्रेस वालों का कोई दखल न होना चाहिये। इसलिये एडमिनिस्ट्रेशन, अध्यक्ष महोदय, तभी सुधर सकता है जब कि ये बड़े बड़े अफसर और आइ० जी०, डी० आई० जी०, एस० पी० अपने को सरकार का नौकर समझें। सारी गड़बड़ी इनसे ही होती है। सिपाही बेचारा तो सबसे डरता है। सबको सलाम करता है। लेकिन अगर उनके दिमाग में यह जाय कि हम इस प्रांत की जनता के सेवक हैं न कि किसी पोलिटिकल पार्टी के सेवक हैं तो उस समय हमारे प्रांत की पुलिस आदर्श पुलिस हो सकती है। लेकिन यह नहीं है, उसके लिये फिजा पैदा करनी होगी और वह फिजा तब पैदा हो सकती है जब हम सब लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन से हाथ अलग रखें। अगर हमारे बीच में कोई गलत आदमी है तो उसको फंसने दिया जाय। हम तो अपनी कांस्टीटुएंसी को नष्ट इस तरह से करते हैं कि अगर कोई बदमाश है तो उसको छुड़ायें ताकि अगले चुनाव में हमें अच्छी तरह से वोट दिलाये। अगर यह हमारा उद्देश्य है तो कभी कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। हमारे ऐजाज रसूल साहब ने कहा कि हम बिगड़े हुए हैं। यह तो रोज कहा जाता है, जब साल में बजट आता है तो यह एक बोगी रखी जाती है कि इतनी

गड़बड़ी है, इतना ला एंड आर्डर में डिस्टरबेंस है, इतनी जान खतरे में है। नतीजा यह है कि ८ करोड़ रुपया पुलिस विभाग पर खर्च हो रहा है मगर उससे कोई खास राहत हम लोगों को नहीं मिल रही है। यह बात तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सभी यह कहेंगे कि जो आज पुलिस का रवैया है उससे तो अंग्रेजों के जमाने में अच्छा था कि कम से कम शिकायत तो सुनी जाती थी। आज तो निडर हो कर वे लोग जो चाहे सो करते हैं। हां, यह जरूर करते हैं कि उस इलाके के जितने एम०एल०ए० लोग हैं उन सब के पास दरबार री कर आते हैं। यह उन्होंने कर लिया फिर जो चाहें गजब ढा सकते हैं। ऐसी आदर्श पुलिस हमारी है। हमारे सारे ७८ करोड़ के बजट का ८ करोड़ रुपया पुलिस पर खर्च किया जा रहा है। अस्पतालों पर इतनी रकम खर्च होती या शिक्षा पर खर्च होती तो एक बात भी थी। अध्यापक लोग हैं जान देने के लिये तैयार हो रहे हैं। उनके पास खाने का साधन नहीं है, इतनी तनख्वाह नहीं है कि अपने बच्चों को गुजर कर सकें, पुलिस के लिये रुपया खर्च किया जाता ठीक है, यह मैं नहीं कहता कि पुलिस न रखी जाय, हर गवर्नमेंट पुलिस रखती है, हम होंगे तो हम भी रखेंगे, लेकिन यह देखना चाहिये कि जनता को उससे कितना फायदा हो रहा है। कुछ तो राहत जनता को पुलिस से मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि हमारे जो बहुत से जिले हैं जहां कुछ ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी अवश्य कुछ ख्याल करें। सीतापुर में हाल ही में यह हुआ कि एक थानेदार साहब के नौकर को बाजार में कुछ लोग जा रहे थे उन्होंने गाली दे दी। नौकर ने जा कर दरोगा जी से कहा साहब, फलां आदमी ने हमें गाली दिला दी। दरोगा पुलिस को लेकर आ गये और आपस में झगड़ा हुआ और वह गोली से मार दिया गया। यह आतंक है पुलिस का और पुलिस के सिपाही को किसी ने कुछ नहीं कहा। बुलन्दशहर में हमारे कुछ सोशलिस्ट सत्याग्रही एक जमींदार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे जमीन के लगान वगैरह के बारे में। हमारे डी० आई० जी० साहब भी बुलन्दशहर के रहने वाले हैं और जिन जमींदार साहब के खिलाफ सत्याग्रह किया गया था वह उनके रिश्तेदार हैं। सत्याग्रह बंद हो गया। पुलिस को यह हुक्म हुआ कि जिन किसानों ने सत्याग्रह किया उनके खिलाफ दनादन किसी न किसी मामले में कार्रवाई करो। आप इन्क्वायरी करा लीजिये मालूम हो जायगा। मैं यह नहीं कहता कि इस तरह की कोई चिट्ठी है, यह तो इशारों से काम होता है। तो जिस तरह ये सब चीजें हो रही हैं अगर ये ही रहीं और हमारे गृह मंत्री जी अगर इसी तरह से पुलिस की बराबर तारीफ करते रहे तो फिर भगवान ही मालिक है। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस में सब बुरे ही हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। लेकिन जो अच्छे हैं उनकी तारीफ कीजिये और जो बुरे हैं उन्हें निकालिये। एक हमारे यहां डी० एस० पी० अल्मोड़ा गये हैं। वह हाल में शि|रागढ़ में थे। वह गाली देने में इतने माहिर हैं कि जब भंगियों की हड़ताल हुई तो उन्होंने गली गली जाकर वह गालियां दीं कि जिनको मैं यहां कहना नहीं चाहता इस तरह से हमारे बहुत से पुलिस के अफसरान ऐसे भी हैं जो यह समझते हैं कि पुलिस का अफसर अगर गाली देना न सीखा तो वह पुलिस का अफसर नहीं है। वेलफेयर स्टेट में पुलिस ऐसी होनी चाहिये जैसी कि और जगहों पर जहां कि वैलफेयर स्टेट्स हैं, जैसी कि विलायत में है। मैं तो कभी विलायत गया नहीं हूं लेकिन मैंने सुना है कि वहां की पुलिस वेल बीहेव्ड है, रास्ता पूछिये तो रास्ता बताते हैं लेकिन यहां की पुलिस से रास्ता पूछा जाय तो बदतमीजी की बातें करने लगते हैं। मैं अब बहुत ज्यादा न कह कर केवल यही कहूंगा कि गृह मंत्री जी अपने बयान को बदल दें और कहें कि जो बदमाश हैं उनके साथ सख्ती की जायगी और जो ईमानदार हैं उनको इनाम दिया जायगा। हमें तो उस दिन खुशी होगी जब कि ईमानदार पुलिस वालों को इनाम दिया जायगा।

वहां पर पोलक साहब एक ऐंग्लो इंडियन थे जो रात दिन थाने में हाजिरी देते थे और काम देखते थे। वे देखते थे कि कोई थानेदार गड़बड़ी तो नहीं करता। आज अगर

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

अल्मोड़ा में हैं तो दूसरे दिन नैनीताल में पहरा चेक कर रहे हैं। ऐसा अच्छा उनका प्रबंध था, जैसा मैंने सुना है, वहां की जनता के साथ उनका संपर्क अच्छा होने के कारण थानेदार लोग डरते थे लेकिन डी० आई० जी० साहब को यह अच्छा न लगा। गोकि उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है फिर भी उनके बारे में जैसा सुना वह कह दिया। हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमने उनके बारे में कह दिया इसलिये उनको डिसमिस कर दिया जाय। हमारे लिये यह एक बड़ी मुसीबत की बात है कि अगर हम किसी की तारीफ भी करें तो उसका नुकसान हो जाय। इतना ही कह कर मेरा माननीय गृह मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि वेलफेयर स्टेट में जैसी पुलिस होनी चाहिये वैसी पुलिस यहां भी बनाने की कोशिश करें और उसी तरह से वो जनता की सेवा करें।

श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने बहुत उठा बैठी के बाद इस सदन के बहुत कीमती टाइम में से, इस बजट सेशन के समय मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट की इस मद का सवाल है यह तो हम सब को मालूम है कि यह मद जनता की दृष्टि में बहुत ही अहमियत की मद है। जो भी रुपया हम इस मद में खर्च करते हैं उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि उसका इंतजाम और असर ऐसा होगा जिससे हमारे प्रांत की जनता की जानोमाल की हिफाजत हो सकेगी और शांति होगी, इसी चीज पर हमारे प्रांत की जनता की गति-शीलता निर्भर करती है। सुबह से बैठे बैठे मैंने माननीय सदस्यों के विचार सुने, मैं तो इसके पहले यही समझता था कि जो कुछ मैं कहूंगा वैसी अपनी बात को कहने वाला मैं ही अकेला हूंगा, परन्तु जब मैंने इस सदन की राय देखी तो मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में मामला कुछ ऐसा ही है जैसा कि मैं समझता हूं तथा और लोग महसूस कर रहे हैं। बड़ी परेशानी है, मैं तो एक देहात का रहने वाला हूं नया-नया चुन कर यहां आया हूं और ज्यादातर मेरा संपर्क देहात के लोगों से ही रहता है। आजकल जब भी मैं देहातों में जाता हूं तो तरह-तरह की बातें लोग कहा करते हैं। वहां की जनता ने ही हमें यहां चुन कर भेजा है, वे समझते हैं कि सब चीजों के जिम्मेदार एम०एल०ए० हैं और किसी हद तक यह होना भी चाहिये। मैं अक्सर शासन में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता परन्तु मुझे पुलिस के बहुत कुछ कटु अनुभव हैं जिनके बारे में मेरे हृदय के अन्दर एक तूफान सा है। मैं आपको क्या बतलाऊं। मैं देखता हूं कि जुर्म होते हैं, लेकिन जब गरीब लोग थाने में रिपोर्ट करने जाते हैं तो पहिले तो उन्हीं से रुपये का सौदा होता है। और जैसा कि पहले अंग्रेजों के जमाने में मशहूर था कि सोने की क़लम से लिखा जायगा या सादी क़लम से लिखा जायगा, उसी तरीक़े का फार्मूला अब भी वहां चलता है। साथ ही साथ जैसा कि अभी यह रिपोर्ट आप को दी गयी उसके देखने से यह मालूम होता है कि दिन प्रति दिन जुर्म की संख्या कम हो रही है लेकिन व्यक्तिगत अनुभव से जरा सा इसमें शुब्हा पैदा होता है कि वास्तव में ऐसी बात है या नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है कि शायद हमारे माननीय मंत्री महोदय चूंकि नये-नये अभी आये हैं, पहले और डिपार्टमेंट देखते थे, एक ही साल का अनुभव है और काम ज्यादा होने की वजह से शायद देहातों में जा नहीं पाये। बात कुछ ऐसी है कि इसमें जरा सा भी शक नहीं है कि जो आंकड़े यहां बतलाये गये हैं उसमें बहुत कुछ कमी है और संगीन जुर्म जो देहातों में होते हैं, डकैतियां होती हैं, राहजनी आदि होती हैं तो वहां के थानेदार और मुंशी यह कोशिश करते हैं कि वे लिखे न जायें। डकैती रहती है तो उसको चोरी में लिखने की कोशिश करते हैं। ३९५ को ४५८, ४५८ को ४५७ इस तरह से हिन्दुसों में बराबर तरमीम करने की कोशिश करते हैं और उसी का असर है कि हम लोग नाराज हो कर अपनी नाराजगी माननीय मंत्री महोदय के सामने प्रकट करते हैं और इसलिये करते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि यहां आ कर हम शासन में सुधार करने के बहुत जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ जनता टांग पकड़ कर खींचती है, कान गरम करती है तो एक बारगी दिल में एक तहलका मचता है जिससे मजबूर होकर ये सब तमाम बातें आप के सामने कह देनी पड़ती हैं। श्रीमन्! यह रहा जुर्मों के

छिपाने का सवाल कि किस तरह से पुलिस जुर्मों को छिपाती है। दूसरी बात जो मुझे अनुभव से मालूम हुई है वह यह है कि जब से आजादी आयी है या गांव-गांव में विशेषकर जब से पंचायतें बनी हैं तब से गांवों में पार्टी बन्दियां पैदा हो गयी हैं और हमने यह भी देखा है कि जब वहां पर कोई केस होता है तो पुलिस ज्यादातर पार्टीबन्दी का सहारा ले कर चलती है अगर कोई मामला गांव में उठता है तो वह पहले इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि फलां आदमी का दुश्मन कौन कौन है। हमारे नोटिस में यह आया है कि सही बात चाहे जो कुछ हो, सही मुल्जिम चाहे जो कोई भी हो लेकिन वे इस बात की कोशिश करते हैं कि एक पार्टी का गवाह हो और दूसरी पार्टी का मुलजिम हो। इस तरह से इसका नतीजा यह होता है कि जहां चार्ज शीट भेजते हैं उन मुकदमों में कामयाबी नहीं हो पाती। इस तरह से वे कप्तान की डांट से बच जाते हैं और उनकी कोई शिकायत भी नहीं होती। जो यह अपने अनुभव की बात मैं बतला रहा हूं। वह किसी तरीके से किसी मुंशी, किसी सिपाही, या किसी एस० पी० या किसी खास जिम्मेदार आदमी के खिलाफ नहीं कर रहा हूं। आज का जमाना तो दरख्वास्ती जमाना समझा जाता है। अगर किसी को कुछ शिकायत हुयी तो वह पंत जी से कम की बात ही नहीं करता है, सब जा कर दरख्वास्त दे आते हैं। मेरी इससे कोई शिकायत नहीं है लेकिन एक बात की ज़रूर शिकायत है कि इस माननीय सदन के जो सदस्य हैं वे कम से कम यह तो समझे जाते हैं कि वे जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी की बातें करते हैं, उनकी कुछ क़ीमत और वक्त भी है, लेकिन मैंने जो देखा है वह यह भी है कि एक शिकायत किसी के खिलाफ की जाती है तो शिकायत करने वाला और जनता एक तरफ और जिसकी शिकायत होती है उसके नीचे से लेकर ऊपर तक के शासन के आफीसर दूसरी तरफ हो कर उसकी डिफेंस करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है और यह मल्लयुद्ध शुरू हो जाता है और इस संघर्ष में न्याय नहीं मिल पाता है। मैंने यह भी देखा है कि जिसने शिकायत की उसे यह भी मालूम नहीं हो पाता कि उसकी शिकायत का हुआ। दो तीन महीने बीत जाते हैं। शायद हमारा खयाल है कि जो पुलिस के ऊंचे अफसर हैं उनको तजुर्बा होगा और वह समझते होंगे कि २,३ महीने इस तरह से आदमी को रखने से उसके अन्दर जो यह टेन्डेन्सी होती है वह खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद फिर वह उस चीज को नहीं करता है और भूल जाता है। लेकिन मैं बतलाता हूं कि यह उसी का नतीजा है कि हम लोग माननीय मंत्री जी के सामने आ कर सब बौछार करते हैं। ऐसी तक–लीफ़ होने पर ही हम लोग माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहते हैं कि इस सदन के सदस्यों के द्वारा जो पत्र भेजें जायं कम से कम उनका उत्तर तो ज़रूर मिलना चाहिये कि उस मामले में क्या किया जा रहा है। इससे यह होगा कि हम लोगों को मालूम होता रहेगा कि जो दृष्टिकोण सरकार के सामने पेश किया गया था वह सही है या ग़लत है। मैं यह सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं।

एक बात का हमको और अनुभव है कि आजकल ज्यादातर पुलिस १६०,१७ एक दफा है उसमें पुलिस ज्यादातर लोगों को फांस देती है। गांव-गांव में इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है और अगर उस आदमी को छिपाने की कोशिश की जाती है तो पुलिस के पास एक और जरिया है और वह यह है कि ३,४ दफा रिपोर्ट लिखाई और फिर ११७ में उस को रख देते हैं और फिर वह मुकदमा अदालत में चला जाता है और वहां पर एम० एल० ए० कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर मानहानि का प्रश्न पैदा होता है। ऐसी परिस्थिति में मुश्किल हो जाती है और लोगों को इस तरह से परेशान किया जाता है और उनका रुपया तमाम बरबाद जाता है। अगर किसी पर मुक़दमा चलाया जाय तो मेरी राय यह है कि उसकी जांच अच्छी तरह से कर ली जाय। अगर जुर्म का अन्देशा है तो उनको जरूर उसके अन्दर लिया जाय। ऐसे मामले ही मामूली तौर पर बहुत कुछ ऐसे होते हैं कि लोग रिश्वत देकर चलवाते हैं तो इसको रोकने की जरूरत है।

इसके साथ ही डाक्टर साहब के सामने मेरी यह भी शिकायत है कि जैसा अभी एक भाई ने कहा कि माडल थाने ऐसे बनाये जायं। यह स्कीम श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में चलायी गयी थी और इसमें यह समझा जाता था कि इससे हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि इससे करप्शन कम होगा और इससे जनतांत्रिक प्रणाली सफल बनायेंगे। सभी अच्छे विचारों को लेकर

[श्री राम प्रसाद]

माडल थाने बनाये गये थे और सभी लोगों को उसकी आवश्यकता थी, लेकिन मामला कुछ ऐसा मालूम होता है कि हमारे पास इसकी जांच के लिये कोई पैमाना नहीं रखा गया है। किस तरीके से क्या बात है और क्या काम वहां पर होता है इसके लिये जानकारी नहीं है। जिस तरीक़े से दूसरे थानों के अन्दर निगरानी का काम होता है कम से कम 'माडल थानों, में भी वह निगरानी साल में ३,४ बार अगर हुआ करे तो इससे कुछ जांच हो सकती है और हमारी यह प्रणाली सफल हो सकती है। लेकिन इसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैंने ऐसा देखा है कि एक दरोग़ा साहब थे वह रिश्वत में पकड़े गये क्योंकि उन्होंने १२०० रुपया रिश्वत में लिया था। उनकी बाबत सभी लोगों ने, कप्तान ने, मैजिस्ट्रेट ने इस बात को माना कि इन्होंने रिश्वत ली है। यहां तक कि डी० आई० जी० तक को यह मालूम था कि इन्होंने रिश्वत ली है और यह करप्ट आदमी है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया कि उनकी पोस्टिंग माडल थाने में कैसे कर दी गयी। उनके ऊपर दफ़ा ७ की कार्यवाही नहीं की गयी और माडल थाने में उनको भेज दिया गया, जब वह माडल थाने में आये तो उनकी हिम्मत और बढ़ गयी। उसने समझा कि मैं बिलकुल बरी हूं और वहां पर उसने और रिश्वत ली। तो इस प्रकार की बातें जब हो जाती हैं तो समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा होता है? यह बात दूसरी है यह कि हम लोगों ने जब बहुत हल्ला मचाया तो उनका वहां से ट्रांस्फर किया गया। जब इस प्रकार की बातें हो जाती हैं तो इनको जानकर तकलीफ होती है। माडल थानों में कम से कम कुछ अच्छी बातें होनी चाहिये और अच्छे करेक्टर के लोगों को वहां पर भेजा जाय। मैं यह समझता हूं कि इस सदन के सदस्यों की एक समिति बना दी जाय जो इन सब हालात को देखे कि माडल थानों में असल रूप में क्या-क्या बात होनी चाहिये और वह समिति ऐसी बातें भी सोचे कि जिनसे तमाम माडल थाने ठीक हो सकें।

मुझे तीसरी बात यह अर्ज़ करना है कि वैसे बजट बहुत अच्छा है और पुलिस का काम भी अच्छा है और बहुत अहमियत का काम है लेकिन वहां एक तकलीफ़ छोटे अहलकारों को जरूर है। आप अपने यहां के चौकीदार से उम्मीद करते हैं कि वह जिम्मेदारी के साथ आप के शासन को चलाये और ईमानदारी से काम करे, जब वहां एस०पी० जाते हैं, दौरा होता है तरह-तरह के उस पर दबाव पड़ते हैं लेकिन उसकी तनख्वाह केवल ५ रुपया ही होती है। अगर उस को दो तीन फेरे महीने में करना पड़ गये तो ५ रुपये से ज्यादा तो उसकी उन दिनों की मजदूरी ही हो जाती है। यह सब देख कर मैं सरकार के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि उनकी तनख्वाह कम से कम १५ रुपया जरूर होना चाहिये ताकि वह ठीक से अपना काम चला सकें।

इसके अलावा आप के यहां के जो सिपाही हैं वह भी बहुत करप्ट है और उनको मजबूरन रिश्वत लेनी पड़ती है यहां तक मैं कह सकता हूं कि उनका काम ५० या ६० रुपये में नहीं चल सकता है। वह रवानगी लिखा देते हैं और नम्बरदार के यहां या कहीं और पड़े रहते हैं और उसके ही सिर खाते हैं, उनके पास इतने साधन भी नहीं हैं कि वह साइकिल रख सकें। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि अगर सरकार जुर्म का जल्द पता लगाना चाहती है तो उसको हर थाने पर एक जीपकार रखना चाहिये अगर ऐसा होगा तो जैसे ही पता लगेगा फौरन् मामला पकड़ा जा सकता है और साइकिल या घोड़े से पहुंचने में बहुत देर लग जायगी।

इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने असेम्बली में सवाल भी भेजे थे लेकिन प्रोरोग होने के कारण वह प्रश्न एजेंडे पर नहीं आ सके और मैंने भी उचित समझा कि अब बजट के मौक़े पर ही कहूं। आप का पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके जरिये से आप राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। आप को जाति भेद मिटाने के लिये सब को एक समान करना चाहिये लेकिन अब भी पुलिस विभाग में ऐसा नहीं है। इस सदन के जितने सदस्य हैं वह सब राष्ट्रीय विचार धारा के हैं और सब मिल कर खाते हैं। अगर हमारे डाक्टर साहब इस ओर ध्यान दें तो यह चीज़ बड़ी जल्दी चालू हो सकती है और जाति भेद हर प्रकार का मिट सकता है। अगर इस चीज़ को पुलिस शुरू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? राष्ट्रीय विचार

धारा स्वाभाविक होती है अगर पुलिस ही में कमजोरी होगी तो जनता क्या मानेगी। बार-बार हरिजनों के लिये कहना शायद माननीय सदस्यों को खलेगा और मेरी ज्यादती होगी और मुझे खुद हरिजन अपने को कहना फ़ील होता है लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज में कोई किसी तरह का जाति भेद और अस्पर्शता न रहे। मैं तो कुछ ज्यादा कह रहा हूं उसके लिये माफ़ी चाहता हूं। बहुत से भाई-भाई बोलने के लिये उतावले हैं मैंने जो कुछ कहना था दिल की बात निकाल दी और फिर माननीय मंत्री जी से मिल कर निकालूंगा। उन का जैसा योग्य कर्मठ विद्वान् और योग्य शासक जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री थे, उन को भी आप ने मात कर दिया। मैं आशा करता हूं कि वह इन बातों पर ध्यान देंगे। उन्होंने जनता की राय जान ली है उनसे उस पर अमल करने की उम्मीद है और वह जरूर कोशिश करेंगे। आखिर में मैं मंत्री जी को और माननीय अध्यक्ष को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री बसन्तलाल--(ज़िला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं माननीय गृह मंत्री को बधाई दूं, माननीय मदन मोहन उपाध्याय जो को मैं बधाई देना चाहूंगा। मुझे आज इस हाउस के अन्दर जो उनके माननीय नेता द्वारा कार्यवाही हुई उस पर बड़ा ही दुःख हुआ और मैं तो यह समझा था कि शायद उधर अनुशासन का दिवाला ही निकल गया है, लेकिन जब माननीय उपाध्यक्ष जी ने हम कांग्रेस सदस्यों की यह प्रशंसा की कि वह अनुशासन में बंधे हुये हैं तो मुझे कुछ आशा हुई कि शायद अनुशासन की अभी उनमें भी बू है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---मैं साफ नहीं समझा।

श्री बसन्तलाल---साफ समझाने का ज्यादा तो मैं प्रयत्न नहीं कर सकता आप जैसे योग्य सदस्य के लिये, लेकिन जो कुछ मैं समझ पाया वह यह कि अनुशासन के लिये हमारे विरोधी दल के अन्दर जैसी कि कार्यवाही देखी गयी, गुंजायश नहीं थी, लेकिन आप ने जो अनुशासन के लिये कहा उसके ऊपर मैंने यह कहा है।

अब हमारे सामने पुलिस बजट के ऊपर जो वाद विवाद चल रहा है और सुझाव चल रहे हैं उनसे यह स्पष्ट ही है कि पुलिस के अन्दर भ्रष्टाचार है। उसको हम चाहे अधिक रूप से कहें, चाहे थोड़े रूप में कहें और मैं यह भी मानता हूं कि उससे हमारे मंत्री गण अनभिज्ञ नहीं हैं। किन्तु हमें सोचना यह है कि उस भ्रष्टाचार का निराकरण हो कैसे और इस प्रयत्न की तरफ हम सभी को मिल कर लगना है। मैं तो यही समझता हूं कि हमारी विभागीय कार्यवाही जो होती है उनके अन्दर बहुत बड़ी ढिलाई है और जो कार्य किया जाता है उस को सख्ती के साथ नहीं किया जाता। इस वजह से इस भ्रष्टाचार को पनपने में ज्यादा गुंजायश मिलती है।

जहां तक कान्स्टेबिलों का ताल्लुक़ है तहां तक तो यह बात समझ में आती है कि उनकी तनख्वाह कम है, उनका पेट नहीं भरता, इसलिये वह भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन हमें उसको भी मिटाना पड़ेगा। किन्तु जब इसके ऊपर सबइंसपेक्टर, इंसपेक्टर, डी० एस० पी० और एस० पी० की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो हमें बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उनको एक अच्छा वेतन मिलने पर भी किस क़दर भ्रष्टाचार होता है और क़रीब-क़रीब सब मुहकमों से ज्यादा भ्रष्टाचार इसी मुहक़मे में होता है। जब जनता के पास शिकायतें उत्पन्न होती हैं तो हम उसको हायर अथारिटी के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जब उसकी इन्क्वायरी होती है तो इंक्वायरी का वही तरीक़ा है जो अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में देखने में आता था कि थानेदार की शिकायत की गयी पुलिस कप्तान के पास और उन्होंने उस इंक्वायरी को सर्किल इंसपेक्टर के पास भेजा और सर्किल इंसपेक्टर और सबइंसपेक्टर का शेयर बंधा ही होता है, जिस को कि हम सभी जानते हैं। तो उस इंक्वायरी की ठीक जांच होने के बजाय लीपा पोती हो करके भ्रष्टाचार को उलटा प्रोत्साहन दिया जाता

[श्री बसन्तलाल]

है और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। यही प्रथा अंग्रेजी जमाने में थी और यही प्रथा आज भी हमारे जन-तंत्र राज्य में चली आ रही है। दूसरी चीज यह है कि यदि उस इंक्वायरी के लिये वहां के जिम्मेदार आदमियों ने अधिक जोर लगाया और वह किसी तरह से हायर अथारिटीज़ ने मंजूर किया कि अच्छा नहीं इंसपेक्टर भेजा जाय, डी० एस० पी० भेजा जाय या एस० पी० खुद चले आवें तो यह होता है कि अव्वल तो लोगों में इतना साहस नहीं है कि पुलिस के खिलाफ कोई अपना बयान दे, क्योंकि वह डरते हैं कि इस कार्यवाही का कुछ होगा नहीं और हमारे खिलाफ बवाल बन जायगा, हम कुचल जायंगे और हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखी जायंगी। अगर कोई साहस भी करता है और वह किसी तरह से साबित हो जाता है तो परिणाम यही होता है कि थानेदार लाइन हाजिर होता है। दो चार महीने लाइन हाजिर होता है, उसके बाद ज़िला भेजा गया और फिर उसकी तरक्की हुई।

इस सदन की सदस्यता प्राप्त होने के पूर्व मैं आप को बताता हूं कि मेरी कांस्टिट्युएंसी में एक थाना है वहां सन् १९५० में एक थानेदार थे। मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता। उनके खिलाफ हमारे पास कुछ शिकायतें आयीं जब कि मैं तहसील कांग्रेस का प्रेसीडेंट था और जांच करने पर मैंने कोशिश की और कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद उनके दुर्भाग्य ने जोर खाया और वह रंगे हाथों पकड़े गये। वहां की जनता ने एस० पी० से शिकायत की। वह जांच करने गये और उसमें उनका अपराध साबित हुआ। वह लाइन हाजिर करके बुलाये गये। छः महीने तक करीबकरीब वह वहां रहे। उन्होंने बहुत कोशिशें मेरे पास और मुझसे ऊंचे नेता जो थे उनसे कीं। लेकिन जब विभागीय कार्यवाही उनके विरुद्ध हुई तो मुझे सुनने को मिला कि उनको डिग्रेड कर दिया गया है और जिला गैर भेज दिया गया है। और दो वर्ष तक किसी थाने का चार्ज नहीं पायेंगे सिवा इसके कि अफसर दोयम रहें। लेकिन दो महीने के बाद मुझे बड़े आश्चर्य के साथ सुनने को मिला कि वह गोंडा के कोतवाल बना दिये गये हैं और वह आज भी हैं। मैंने इसके लिये प्रश्न भी किया था लेकिन दुर्भाग्यवश सत्रावसान के कारण उत्तर नहीं मिल सका। फिर मैंने एक प्रश्न को बारबार भेजना उचित नहीं समझा। तो जब सरकारी पक्ष के लोग ऐसी बातें करते हैं तो वह इस बात की द्योतक हैं कि भ्रष्टाचार इस प्रकार समाप्त नहीं होगा बल्कि पनपेगा। इसीलिए सख्ती होनी चाहिए। हमारी सरकार को इसके लिये सख्ती के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। जिन लोगों के विरुद्ध वैभागीय कार्यवाही हो उनको जो दंड दिया जाय वह सख्ती के साथ दिया जाय। उस दंड के बाद दंड के समय में इस बात का ध्यान रखा जाय कि अफसरान वाला उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं करते।

अब सवाल यह है कि रिपोर्टों के अन्दर उत्तरोत्तर जुर्मों में कमी पायी जाती है। सम्भव है कि ऐसा हो। यह भी नहीं कहा जा सकता कि जुर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जैसी आवाज सदन में आ रही है इससे यह स्पष्ट है कि जुर्म बढ़ रहे हैं। जहां तक मेरे जिले का सम्बन्ध है सम्भव है वहां जुर्मों में कुछ कमी हुई हो क्योंकि बहुत सी पुरानी चोरियों का पता चला है। और चोरियां और डकैतियां कम हो रही हैं। लेकिन जैसे और जिलों के हालात मालूम हो रहे हैं इन आंकड़ों में यह बात जरूर समझ में आती है कि रिपोर्टें सही और समय पर नहीं लिखी जातीं। या तो थानेदार आर्डर दे देता है या मुंशी जेब गरम करता है। देहात में प्रसिद्ध है कि कोई नौकरी न मिले थाने की दीवानगीरी मिल जाय यह सब से बड़ी चीज है। एफ० आई० आर० के सम्बन्ध में सरकार को काफी परिवर्तनशील कदम उठाना पड़ेगा। तब जाकर यह चीज बन्द होगी।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि जहां तक इनकी तरक्की का सम्बन्ध है थानेदार या इन्स्पेक्टरों की इसमें ऐसा होना चाहिये कि कैरेक्टर रोल जो लिखे जाते

और अगर नहीं लिखे जाते हैं तो लिखे जाने चाहिए और एक कमेटी हर जिले में बनायी जाय। उस कमेटी के अन्दर जिम्मेदार आदमी आफिशियल और नान आफिशल रखे जायं। इस कमेटी की रिपोर्ट पर तरक्कियां दी जाया करें। वैसे मैंने समाचारपत्र के अन्दर पढ़ा था कि हमारे माननीय पंत जी के नेतृत्व में एक कमेटी बैठी है जिसका सुझाव है कि तरक्की सीनियारिटी जूनियारिटी के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट और आचरण के आधार पर दी जाय। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिये खास कमेटी बनायी जाय क्योंकि पुलिस का संबंध प्रदेश के कोने-कोने से है। एक एक आदमी के अन्दर पुलिस का सम्बन्ध व्याप्त है।

आदर्श थानों के सम्बन्ध में हमारे बहुत से भाइयों ने कहा। उन्हीं शब्दों को मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं। मेरी समझ में आदर्श शब्द का बहुत बड़ा मूल्य है। उसे भ्रष्ट और बदनाम किया जाता है। या तो आदर्श शब्द बिल्कुल मिटा दिया जाय या अगर रखा जाता है तो आदर्श थाना जिले के अन्दर अधिक से अधिक एक हो। उसके अन्दर कुछ विशेषता रखी जाय, जो आदर्श थाने में थानेदार हो उसके वेतन में भी कुछ अन्तर होना चाहिए। जिस थानेदार की तरक्की हो वह आदर्श थाने में रखा जाय। ताकि उनका कुछ रुझान यह हो कि हमारी उन्नति होगी अगर हम अच्छा काम करेंगे और भ्रष्टाचार हमारे यहां नहीं रहेगा, तभी हमारी तरक्की होगी और इस प्रकार जो आदर्श थाना रखा गया है यह चीज जो है वह आदर्श शब्द को बदनाम करने के लिये अच्छी नहीं है। इसके बाद मैं थोड़ा सा बयान अपने जिले के सम्बन्ध में देना चाहूंगा जिसका पारसाल बजट के सम्बन्ध में भी जिक्र किया था लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे यहां एक थाना है बखरपुर उसकी इमारत ऐसी है कि पशुओं के कांजीहौज से भी बदतर है। न कोई जगह है, तमाम पानी चूता है। बरसात में बिच्छू और गोजर तमाम निकलते हैं जिनसे न थाने वालों को बैठने की जगह है और न और किसी के लिये। देखने से यह मालूम ही नहीं होता कि यह थाना है। पशुओं के कांजीहौज से भी खराब मालूम होता है। तो मैं आशा करूंगा कि इस थाने की तरफ सरकार का ध्यान जायगा और माननीय गृह मंत्री जी उसके बनवाने की तरफ ध्यान देंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको बाद में टाइम दे दूंगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री उपाध्याय जी और अपने मित्र राणा साहब के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। उपाध्याय जी ने कहा कि जो जिसकी खूबी हो, जो जिसकी तारीफ हो, वह भी हमें अवश्य कह देना चाहिए किन्तु जब मैंने उनके इस कथन को सत्य की कसौटी पर कसा तो देखा यह कि वह अपनी आंख के नीचे की चीज ही ओझल कर गये। जहां उन्होंने अपने तरीके से इस राज्य की पुलिस की तारीफ की वहां पर वह एक मिनट इस बात के लिये न दे सके कि वह यह कहते कि जो चोरी उनके दल के प्रमुख नेता, राजाराम जी शास्त्री या नारायण दत्त जी के कमरे में हुई उसका पता कुछ दिन के अन्दर ही लखनऊ की पुलिस ने लगा लिया और सारा का सारा गैंग जो था चोरों का वह पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद दारुलशफा में चोरियां बन्द हुईं। जब यह चीज अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्याय जी ने नहीं कही तब मुझे कुछ शंका होने लगी कि उनकी सारी तारीफ में शायद यह हिस्सा कहने की जरूरत नहीं समझी गई थी। अलावा इसके हमारे दूसरे साथी जो संयुक्त दल के सदस्य हैं उन्होंने यह फरमाया कि आज भय और बड़ी चोरियां और डकैतियां फैली हुई हैं। मैंने

[श्री रामनरेश शुक्ल]

सोचा कि शायद पड़ोस का असर उनके ऊपर भी पड़ गया। उनके पड़ोसी, माननीय नेता विरोधी दल के मस्तिष्क में काफी भय का वातावरण जब से यह सदन इस वर्ष बैठ रहा है। तो उसका मैंने सन्तुलन करना शुरू किया अपने जिले से और यह सोचने लगा कि आखिर यह टेहरी और गढ़वाल का हिस्सा क्या इस प्रान्त के बाहर है। सही बात यह है अध्यक्ष महोदय, कि लड़ाई खत्म होने के बाद और राज्य परिवर्तन के बाद जिसने भी अपराधों के इतिहास को पढ़ा है, संसार में अपराधों की वृद्धि हुई है और इस तथ्य पर जब हम अपने देशों को संसार के और देशों से मिलाते हुए देखते हैं तो यहां भी प्रारम्भ में लड़ाई खत्म होने के बाद, द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ था और अंग्रेज यहां से हटाये गये थे, अपराधों की वृद्धि हुई और यह सच है कि उस समय में गांवों के अन्दर सोना मुश्किल था, निकलना मुश्किल था और रहना मुश्किल था। लेकिन आज जब मैं अपने ही जिले को देखता हूं और मुकाबिला करता हूं पिछले दिनों से, अगर विश्वास न हो तो मेरे साथ चलिये, जमीन आसमान का अन्तर है। हमारे यहां सब के सब आठ गैंग पकड़ लिये गये और सब इस वक्त दाखिल हैं हमारे जिले की जेल में। मुझे एक शिकायत जरूर है जेल वालों से और वह यह है कि एक आध बहुत शातिर बदमाश हमारे ज़िले की जेल से भाग गये। इस तरह से मुकाबिला किया जाय तो हम यह पाते हैं कि हर वर्ष में इस देश में अपराधों की कमी हुई है। अब इस बात को देखा जाय कि रिपोर्ट अव्वल के लिखाने की बड़ी शिकायतें की गयी हैं। मैं अभी एक कल की घटना बता रहा हूं। मैं कल एक क्षेत्र के दौरे पर था.................

एक सदस्य—आपके यहां आदर्श जिला है।

श्री रामनरेश शुक्ल—जी हां, आप भी तशरीफ लाइये और वहां बसिये। वहां पर एक जगह शादी के लिये बरात आई हुई थी। उसी एक लड़की से दो दल शादी करना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि मारपीट हो गयी और एक दल ने शादी कर ली। दूसरे दल ने आकर के यह रिपोर्ट पुलिस में लिखाना चाही कि उनके ऊपर डाका पड़ गया। वे मुझसे मिले और सब कहने लगे। मैंने पूरी घटना पूछी और फिर मैंने कहा कि जो सच बात हुई है उसे ही क्यों नहीं लिखाते हो कि लड़ाई झगड़ा हुआ, बलवा हुआ, और और दफायें भी उसमें आ सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं एक बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि आज जनता की मनोवृत्ति है बढ़ा करके रिपोर्ट लिखाने की। कोई भी घटना हो, चाहे एक बांस ही छीना जाय, लेकिन उसके लिये डकैती के लिखाने की सलाह गांव के होशियार और शातिर लोग दे दिया करते हैं। इसलिये जहां रिपोर्टों के लिखाने की दिक्कतें हैं वहां अधिकारियों को भी कुछ परेशानियां हैं कि इस तरह का जो दिमाग़ हो गया है उसे भी कुछ ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी।

मुझे एक बात और अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहनी है। माननीय उपाध्याय जी को बड़ा एक अजीब सा सीन बाहर आज दिखाई पड़ा। उनके मस्तिष्क के असर को जब मैं अपने दिमाग़ के असर से तौलता हूं, तो उस पर भी कुछ कहना मुनासिब है। किसी राज्य के लिये कर्तव्यपरायण जनता, देशभक्त फौज और सुसंघटित पुलिस की आवश्यकता होती है। यही तीनों मिल कर राष्ट्र की शक्ति हुआ करती हैं। तो माननीय उपाध्याय जी को एक सुसंगठित पुलिस को देखकर परेशान नहीं होना चाहिये। उन्हें यह मतभेद हो सकता है कि वह कहां किस विषय में इस्तेमाल की जाय, लेकिन इस बात के लिये क्यों शिकायत थी कि एक सुसंगठित पुलिस अपना खेमा डाले हुये पड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त और भी बातें हैं, उन्होंने हमारे दल की तरफ उंगली उठाई थी। क्या यह सच नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं उनसे पूछ सकता हूं कि आज जब बदमाशों का चालान होता

हैं, तो मुझे माफ करेंगे, सही बात है, कहना लाज़िमी है, सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य उनकी पैरवी करते हैं ताकि वे छूट जायं; मेरे पास सबूत हैं और अपने जिले के हैं। आप के यहां न हों वह दूसरी बात है। उनको यह आशा रहती है कि यदि ये छूट जायंगे तो उनकी पार्टी में आ जायंगे। आज इनकी पार्टी में जाने के दो ही साधन हैं। एक तो उन्हें होली के दिन खुशी होती है जब बहुत सी टोपियां लाल हो जाती हैं, लेकिन वह हालत रोज़ रहती नहीं, एक दिन टोपियां लाल हो जाती हैं लेकिन दूसरे दिन फिर बदल जाती हैं। दूसरी आशा यह रहती है कि चलो पैरवी करो, एक तो अड्डा हो जायगा, और यदि अड्डा नहीं होगा तो यह हमारी पार्टी का मेम्बर हो जायगा और दो-चार इसके रिश्तेदार आ जायंगे...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह राजनैतिक बहस न शुरू हो।

श्री रामनरेश शुक्ल--मैं इसको यहीं छोड़ता हूं, आपकी आज्ञा के अनुसार। तो आज यह स्थिति है, लेकिन असली चीज़ जो है वह हमें पुलिस का संगठन देखना है। यह सही है कि इसको अभी और रिआर्गेनाइज़ करना है। मैं इस पर भी सहमत हूं कि शायद पैसे की कमी के कारण ही यह सरकार ऐसा नहीं करती है। हर थाने पर वायरलेस होना चाहिये, गाड़ियां होनी चाहिये। क्योंकि जितनी ही एफीसेन्सी बढ़ती है उतनी ही दूसरे तरीके जो बदमाशों के होते हैं बदमाशी करने के निकाला करते हैं। आज इस दुनिया में जो होड़ लगी हुई है बदमाशी रोकने वालों की और बदमाशी करने वालों की, एक रास्ता निकाला जाता है बदमाश को पकड़ने और बदमाशी को रोकने का तो फिर बदमाश दूसरे तरीके से दूसरा रास्ता निकालता है बदमाशी करने का। हम में से हर एक सदस्य परिचित हैं कि नये नये तरीकों से डकैतियां होती हैं। उस तरीके को अगर पकड़ा गया तो फिर दूसरा तरीका निकालते हैं। तो इसलिये इस एफीसेंसी को बढ़ाने के लिये यह भी आवश्यक है कि पुलिस का पुनर्संगठन हो। मैं इस बात से सहमत हूं अपने मित्र से जब वह कहते हैं कि यदि कोई आदमी इस मुहकमे में पकड़ा गया रिश्वत लेता हुआ और यदि यह शुबहा भी हुआ तो फिर लैन हाज़िर करना कौन सी सजा है, मेरी समझ में नहीं आती। तनख्वाह तो वह मिलती ही है, लाइन में सिर्फ हाज़िर होना तो कोई सजा नहीं है? जरूरत इस बात की होती है कि थोड़ा सा भी शुबहा होने के बाद अगर आफिसर इस बात से संतुष्ट हो जायं तो फिर उसे सीधे उसकी बरख्वास्तगी होनी चाहिये। सजाएं जहां इस तरीके से भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए होती हैं उसमें सख्ती होनी चाहिये लेकिन लैन हाज़िर होना या ग़ैर जिला तब्दील हो जाना यह कोई सजा नहीं है। प्रतापगढ़, रायबरेली में बदमाशी करने वाला, पीलीभीत, अलीगढ़ या अलमोड़ा भेज दिया गया तो यह कोई सजा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपने माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस मुहकमे में नर्मी का कदम बन्द कर दें, सख्ती के क़दम की जरूरत है। देश का भ्रष्टाचार बिला सख्ती के क़दम के बन्द नहीं हो सकता है। इसलिये उनको लैन हाज़िर करना या ग़ैर जिला तबादला कर देना मुनासिब रास्ता नहीं है, बल्कि सही दंड है नौकरी से अलग कर देना और अगर हो सके तो जेल भेज देना और मुकदमा चलाना। आपके द्वारा मैं एक प्रार्थना करूंगा कि आजकल इस मुहकमे में सम्भवतः यह मनोवृत्ति है कि ज्यादा पढ़े-लिखे लोग इसमें भर्ती किये जायं, इससे कठिनाई पैदा हो रही है। अगर ग्रेजुएट्स और डबल ग्रेजुएट्स थानेदार की जगहों पर पहुंचते हैं। तो उनको जरूरतें ज्यादा होती हैं। इसीलिये मुश्किल हो जाता है उन्हें अपने को संभालने में। इसलिये हरएक ओहदे के लिये शिक्षा की एक सीमा होनी चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि कोई भी थानेदार इन्टर-मीजियट से ज्यादा नहीं होना चाहिये। ग्रेजुएट पहुंच जाते हैं तो एक तो यह होता है कि

[श्री रामनरेश शुक्ल]

वह आरामतलब होते हैं और मशक्कत नहीं कर पाते हैं। दूसरी यह दिक्कत होती है कि उनका फैशन और जिन्दगी का रहन-सहन बड़ा ऊंचा होता है।

अगर शिक्षा की योग्यता रख दी जाय तो वह ज्यादा से ज्यादा इन्टरमीडियेट हो। थानेदारों के लियें, तो वह काफी है इस काम को चलाने के लिये। इसके अलावा मुझे एक प्रार्थना और करनी है कि हम में से हर एक को परिस्थिति के अनुसार उदारता से प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है। यह सोचना है कि जितनी बरखास्तगी इस मुहकमे में हुई है, उतनी और कहीं नहीं हुई। लेकिन फिर भी आज यह शिकायत सुनने को मिल रही है। तथ्य क्या है? आखिर ये लोग हमारे और आपके घरों से निकले हुये बच्चे हैं। कहीं इसकी बुनियाद जरूर बिगड़ी हुई है और वह समाज पर जा कर टिकती है। समाज एक दिन में परिवर्तित नहीं होता। यह संभव हो सकता है कि गृह मंत्री जी इस मुहकमें में और अधिक बरखास्तिगियां कर दें या कुछ ओहदों को तोड़ दें लेकिन मेरी समझ में उनके लिये यह संभव नहीं है कि समाज के नैतिक स्तर को एक दिन में ऊंचा कर दें। इसलिये उसमें उदारत के साथ विचार करने की आवश्यकता होती है। यह कहना भी उचित नहीं है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पुलिस में है। मुझे तकलीफ हुई यह सुनकर। मुझे यह अन्दाजा होता है कि लोगों ने पुलिस के मुहकमे को ज्यादा समझने की कोशिश नहीं की। एकाध मुहकमें हैं, जो पुलिस के मुहकमे को हरा सकते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० है।

इसके बाद संगठन की दृष्टि से में यह भी कहूंगा कि तबादले आप बड़ी जल्दी-जल्दी कर दिया करते हैं। १०-१२ वर्षं से और जन्म से हम लोग अपने जिलों में हैं। तब भी हर गांव को और हर आदमी को नहीं समझ पाते हैं। मैं अपने क्षेत्र में दिन-रात दौरा करने पर भी नहीं जान पाता हूं कि कौन आदमी कैसा है या कौन गांव ठीक कहां है। तो पुलिस वालों से यह आशा करना कि वे हर आदमी को ६ या ८ महीने में समझ लें और हर जगह दौड़ जाया करें, मेरी समझ से बाहर है। मेरी राय में बड़े अफसरों को ६ या ८ वर्ष से पहले तबादला नहीं करना चाहिये और यह भी है कि यदि किसी के विरुद्ध कोई ठीक शिकायत मिले तो उसे बरखास्त करना चाहिये। तबादला कोई सजा नहीं है। आप एक कप्तान से कहिये यहां ५ या ७ साल के लिये भेजा जा रहा है, आप यहां का अध्ययन कीजिये और अच्छा प्रबन्ध कीजिये। अगर इसमें कोई कमी होगी तो फिर आपकी खैर नहीं और आपकी नौकरी की खैर नहीं। लेकिन अगर आप ५ या ६ महीने बाद तबादला करते रहेंगे तो कोई आदमी फरिश्ता नहीं है कि वह अपने कर्त्तव्य का ठीक तरह से अन्जाम दे सके। यही कारण है आज यहां पुलिस की शिकायत सुनने को मिल रही है। यदि यह जल्दी तबादले का रोग हटा दिया जाय तो अगले वर्ष मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ज्यादा अच्छी पुलिस पावेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)——अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं बजट पर कुछ कहूं मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि धन्यवाद देने की प्रथा नहीं है। इसलिये यह धन्यवाद बेकार है।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह——साल भर से इस सदन में बैठा-बैठा इस इंतजार में था कि मुझे भी कभी बोलने का अवसर अवश्य मिलेगा और बोलने का खास मौका यही था क्योंकि मैं भी चाहता था कि अखबारों में नाम मेरा भी आवे और मेरे क्षेत्र की जनता यह समझे कि मैं यहां आकर अपनी कुछ ड्यूटी करता हूं। पुलिस बजट के बारे में बहुत से भाइयों ने बहुत तरह की बातें कहीं लेकिन किसी ने कांस्ट्रक्टिवली से बजट को नहीं देखा। हर आदमी ने क्रिटिसाइज किया और पुलिस डिपार्टमेंट का क्रिटिसिज्म किया और पुलिस डिपार्टमेंट का

क्रिटिसिज्म एक तरह से इन्डाइरेक्ट क्रिटिसिज्म बजट का है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि यह खामियां क्या हैं। ब्रिटिश राज्य एक लीगेसी, एक देन दे गया है अब उस देन को जल्दी से दूर करने में हमारे गृह मंत्री कामयाब नहीं हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं और जहां तक उनसे होगा वह हमसे ज्यादा दिलचस्पी इसमें ले रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट के खिलाफ किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। हर इन्सान को मौका देना चाहिये कोई जादू का मंत्र तो नहीं है कि उससे छूकर दिया और रोग दूर हो गया। यह बहुत पुराना रोग है और इसकी एक दवा गृह मंत्री जी ने गोरखपुर में बतलायी थी। वह मंत्री की हैसियत से वहां गये थे और वहां के कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को आपने बुलाया और लोगों ने जब वहां पर इस किस्म की शिकायतें कीं तो उन्होंने कहा कि इनीशियल मिस्टेक जिसको कहते हैं वह हमने उस वक्त की जब हमें हुकूमत मिली थी। चाहिये तो यह था कि जो लोग ब्रिटिश राज्य के जमाने में थे हम उन सब को निकाल देते और नये ढंग से राज्यशासन करते तो ज्यादा अच्छा हुआ होता। हम उसी रास्ते पर चल दिये जिस पर अंग्रेजी राज्य चलता था, इसलिये अब उसको दूर करने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने ठीक ही कहा था समय जरूर लगेगा। जो लोग ब्रिटिश राज्य से रिश्वतों में पले हुये हैं उनकी आदत नहीं छूटेगी। न्यू ब्लड जिसको कहते हैं वह आवे तो मुमकिन है कि कुछ कामयाबी हो।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप कल भी बोल लें। दो दिन आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप इस वक्त खत्म करें और यह बहस अब कल जारी रहेगी।

*उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा संशोधित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

शनिवार, ७ मार्च, १९५३ को सदन की बैठक करने के संबंध में संकल्प

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प उपस्थित करता हूं:—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार सदन को बैठक शनिवार को नहीं हुआ करती। तथापि विधान सभा द्वारा पारित तथा विधान परिषद द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ तथा उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक के जल्द से जल्द अधिनियम बनने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त विधेयक में विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने तथा उन संशोधनों सहित उपरोक्त विधेयक को पारित करने के लिये सदन की बैठक अपने नियमित समय पर शनिवार ७ मार्च, १९५३ ई० को भी होगी।"

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय सभा सचिव महोदय ने जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके संबंध में मुझे एक आपत्ति है। वह यह है कि नियमों के अनुसार जब बजट पर वाद-विवाद चल रहा हो और जब वोटिंग आफ डिमांड्स फार ग्रांट्स के बारे में चल रहा हो तो कोई भी इस प्रकार की बहस होना नियमानुकूल नहीं है। हम भी जानते हैं कि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक या चकबन्दी का विधेयक

* यहां पर छापा नहीं गया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

के जल्दी पास होने का प्रश्न है और उनके साथ हम भी हैं। लेकिन जहां तक नियमों का प्रश्न है वहां तक मैंने यह देखा है कि जिन दिनों बजट पर या वोटिंग आफ डिमांड्स पर कार्यवाही चल रही हो तो उन दिनों इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष—कौन सा नियम है? आप बतलायेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—पहले भी माननीय नेता सदन ने दो प्रस्ताव रखे थे उस दिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि केवल दो ही शनिवार को यह चीज होगी, इसके बाद नहीं। अगर वह अपने फैसले पर पुनः विचार करें तो ठीक होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय ....

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, गुजारिश यह है कि यह बात रूल में है या नहीं लेकिन कन्वेन्शन के तौर पर सही है कि जब बजट का डिस्कशन हो तो उस वक्त और कोई चीज नहीं आनी चाहिये। लेकिन जिस दिन के लिये यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है उस रोज कोई डिस्कशन बजट का नहीं है और यह वह रोज है जब कि असेम्बली बैठती नहीं है। इसीलिये यह रिजोल्यूशन लाया गया है कि यह काम बहुत जरूरी है और ऐसे रोज जिस रोज कि असेम्बली की बैठक न हो और उस रोज बजट का भी कोई काम नहीं है, लिहाजा इसके ले लिये जाने में मेरे नजदीक न कोई कायदे की खिलाफवर्जी है और न कोई मुकर्ररा तरीके की खिलाफवर्जी ही है। इसके अलावा उन्होंने इकरार किया है कि इसका जल्द से जल्द पास होना जरूरी है। इसलिये मैं समझता हूं कि एतराज का लिहाज न करते हुए रिजोल्यूशन को पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—जो आपत्ति माननीय नारायण दत्त जी ने उठाई है उसमें आपने नियम नहीं बतलाया कि किस नियम के अनुसार जिस वक्त वोटिंग आफ डिमांड्स के दिन हों तो उनके बीच में किसी अन्य दिन भी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है लेकिन मैं आपके सामने नियम रखे देता हूं। वोटिंग आफ डिमांड्स में नियम १५३ में दिया हुआ है कि:

"153. Voting of Demands (1) The voting of demands for grants shall take place on such days (not exceeding twenty) before 10th of May every year as the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot for the purpose."

[१५३..... मांगों पर मतदान (१) अनुदानों के लिये मांगों पर ऐसे दिनों में (जो बीस से अधिक नहीं होंगे) प्रत्येक वर्ष १० मई से पूर्व मत लिये जायेंगे जिनका इस अभिप्राय के लिये अध्यक्ष सभा के नेता से परामर्श करके बंटन करें।]

यानी दिनों का अलौटमेंट उसके लिये होता है और प्रस्ताव में जो तारीख दी गई है, जब कि यह विधेयक लिया जायगा वह दिन अलौटमेंट में नहीं आता है, इसलिये उस दिन विधेयक लिया जा सकता है। सदन को यह भी अधिकार है कि जो दिन अलौटमेंट का हो गया है उसमें भी और काम हो सकता है यदि अध्यक्ष अनुमति दें इसके लिये नियम १५३(३) दिया गया है:—

"Except the asking and answering of questions, no other business shall be taken up without the consent of the Speaker, during the usual hours of the sitting of House, on a day allotted under sub-rule (1) for the Voting of demands for grants."

[उपनियम (१) के अन्तर्गत अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान के निमित्त किसी बंटित दिन में सदन के उपवेशन के साधारण कार्य-समय में प्रश्न पूछने तथा उनके उत्तर देने के अतिरिक्त अध्यक्ष की सम्मति के बिना अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायगा।]

यूजुअल आवर्स में अध्यक्ष की इजाजत के बगैर और कोई मामला नहीं लिया जा सकता है। मुझसे इजाजत मांगने पर मैंने कहा कि यूजुअल आवर्स दिन का साधारण कार्य, काम के समय के पश्चात् ५ बजे अन्य कार्य लिया जा सकता है, अनुदानों के वोटिंग के काम से पेश्तर। इसलिये संकल्प पर विचार बाद में खास-तौर से रक्खा गया। चूंकि आज बजट की डिमांड्स थीं इसलिये यूजुअल आवर्स में न रख कर बाद में रक्खा गया लेकिन शनिवार बजट की डिमांड पर वोट करने के दिनों में नहीं है, इसलिये यह आपत्ति वैधानिक नहीं है, मैं इसे आउट आफ आर्डर डिक्लेयर करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---इसमें ७ दिन का नोटिस नहीं दिया गया। इसलिये इस पर आज विचार नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष---मेरी अनुमति से यह लिया गया है। मुझे इसका अधिकार है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---जैसा माननीय नेता सदन ने बताया था आरम्भ में यह तय हुआ था। बजट सेशन के बारे में तारीखों को निश्चय किया गया उस समय केवल दो शनिवारों के लिये कहा गया था कि वे काम में लाये जायं। १५ मार्च को बहराइच में इलेक्शन हो रहा है और यह ७ तारीख का शनिवार ही हम लोगों को मिलता है जब कि हम थोड़े से लोग जा कर वहां कुछ काम कर सकते हैं। इसलिये मैं न्यायसंगत यही समझता हूं कि ७ तारीख को यह न रक्खा जाय। मंत्रीगण तो वहां जा कर दिनरात काम कर रहे हैं और शनिवार का दिन जो हमको अवकाश का दिन मिल रहा था उसे तोड़ कर दूसरे काम में लिया जा रहा है। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि आप अनुमति देने में जरा हिचकिचाहट करेंगे।

श्री अध्यक्ष---मेरे अनुमति देने का अब प्रश्न नहीं है। यह सदन के सामने उपस्थित हो चुका है। आप विरोध प्रकट कर सकते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विचार श्री मलखान सिंह जी ने भवन के सामने अभी रक्खे हैं उन्हें मैं दोहराना चाहता हूं। बहराइच का जो चुनाव है वह १५ तारीख को होने वाला है। दूसरा मौका हम लोगों को नहीं मिलेगा जिसमें हम बहराइच जा सकें और अपने उम्मीदवार के लिये कुछ काम कर सकें। यहां पर हम लोगों को बजट पर काफी अध्ययन करना पड़ता है, हम लोगों की बड़ी दिक्कतें हैं। मंत्रीगण तो बहराइच के अन्दर बैठे हुए हैं, उनकी यहां कोई ग्रांट्स नहीं है। हम चन्द आदमियों को कोई दूसरा मौका वहां जाने का नहीं मिलेगा अगर ७ तारीख आपने इसके लिये रख ली। पंजाब में पेप्सु में तो राड़ेवाला साहब ने स्तीफा भी दे दिया लेकिन हमारे मंत्री जी हुकूमत में टिके बैठे हैं और सारी हुकूमत के बाकी मंत्री वहां हैं। हम लोग बहुत कम संख्या में हैं। ७ तारीख इस काम के लिये रख देने से हम बहराइच भी न जा सकेंगे और सदन भी नहीं छोड़ सकते। हाउस में न आयें यह भी बुरा है और बहराइच न जायं यह भी बुरा है। इसलिये गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि ७ और १५ तारीख को छोड़ कर बाकी दूसरे किसी दिन के लिये वह अपना प्रस्ताव रख लें और इस वक्त वह इसे वापस ले लें।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---तो मैं यह अर्ज करूंगा जैसा कि वह फरमाते हैं कि किसी और तारीख को फिर यह रिजोल्यूशन ले लिया जाय और इस वक्त इसको रोक दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
४ मार्च, १९५३ ई०।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न १ व २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

तालिका-चम्पावत व पिथौरागढ़ तहसीलों के अस्पताल

पिथौरागढ़ तहसील

(अ) एलोपैथिक–

(१) सरकारी अस्पतालः–

जनाना अस्पताल (Womens wing) पिथौरागढ़ ।

(२) स्थानीय बोर्ड के अस्पताल :—

नाम	इमदादी या गैर इमदादी	पिथौरागढ़ से दूरी
(१) असकोट	इमदादी (Subsidized)	२६ मील
(२) बेरीनाथ	,, ,,	२९ मील
(३) गंगोलीहाट	,, ,,	१७ मील
(४) पिथौरागढ़	गैरइमदादी (non-subsidized)	..

(ब) आयुर्वेदिक– ..

(१) सरकारी औषधालय :—

नाम	पिथौरागढ़ से दूरी
बड्डा	५ मील
कनाली छिना	१३ मील

(२) स्थानीय बोर्ड के औषधालय :—

नाम	इमदादी या गैर इमदादी	पिथौरागढ़ से दूरी
मुन्डयारी	गैर इमदादी (non-subsidised)	५० मील

चम्पावत तहसील

(अ) ऐलोपैथिक—

(१) सरकारी अस्पतालः—कोई नहीं ।

(२) स्थानीय बोर्ड के अस्पताल :–

नाम	इमदादी या गैर इमदादी	चम्पावत से दूरी
(१) देवीधुरा	इमदादी	२१ मील
(२) पुल हिन्डोला	,,	८ मील
(३) लोहाघाट	गैर इमदादी (non-subsidised)	६ मील

(ब) आयुर्वेदिक —

(१) सरकारी अस्पताल—कोई नहीं ।

(२) स्थानीय बोर्ड के औषधालय चम्पावत (गैर इमदादी)

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १७८ एच० ए०–१९५३–८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ५ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीजइमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर प्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसराइरुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री

भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय, शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री

वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीतराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पर्वतीय इलाकों में ज़मीन की कटान

*१—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अलमोड़ा)—क्या सरकार को विदित है कि पर्वतीय इलाकों में स्वायल इरोज़न (Soil erosion) दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—ज़मीन की कटान (Soil erosion) पर्वतीय इलाकों में ऐसे स्थानों पर होता है जहां पर नई तोड़, खेती

बग़ैर मेड़ बांधे की जाती है, मगर यह कहना कि वह दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, और किस मात्रा में, बहुत ही मुश्किल है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार का विश्वास है कि स्वायल इरोज़न में वृद्धि नहीं हो रही है या यह कोई आंकड़ों के आधार पर कहा गया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--चूंकि इसके कोई आंकड़े हमारे सन्मुख नहीं हैं इसलिये सही तौर पर यह कह देना कि हो रहा है मुमकिन नहीं है। हां, मोटी नज़र से यह कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में हो ही रहा होगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार जिन जगहों में स्वायल इरोजन भयंकर रूप ग्रहण कर रहा है वहां कोई आर्थिक सहायता प्रदान करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उसके लिये तो वन उगाने का हमारा प्रोग्राम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत है जिसमें अखरोट के पेड़ या ऐश जिनको हिन्दी भाषा में बांझ कहते हैं या और इसी प्रकार के जो ऊंचाई पर पेड़ होते हैं उनको लगाने की योजना है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार स्वायल इरोजेड भूमि में वन विभाग को आदेश करेगी कि वहां वन लगाये जायं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वह तो मैंने कह दिया कि वन विभाग के द्वारा भी हो रहा है और अब पंचायतों के द्वारा भी इस बात का एक आन्दोलन सा चल रहा है कि हर स्थान पर इस प्रकार के वन उगाये जायं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (ज़िला कानपुर)--क्या सरकार पहाड़ों के अलावा यमुना के किनारे जहां स्वायल इरोजन हो रहा है वहां भी कुछ व्यवस्था करेगी उसको रोकने की?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह भी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है। मलबरी के पेड़ जो शहतूत के और अन्य प्रकार के कई किस्म के पेड़ आपने देखे होंगे लैंड यूटिलाइजेशन सर्किल के अन्दर हर एक जिले को ले लिया गया है और अब जमींदारी उन्मूलन के बाद हर जिले में जंगलात विभाग का कुछ न कुछ अधिकार हो चुका है। इसलिये काफी एक बड़ी योजना है जिसके अन्तर्गत तमाम जंगल लगाये जायंगे और उसमें एक साथ तो सब भूमि नहीं ली जा रही है मगर मेरे ख़याल से करीब ५ हजार पेड़ लगाये जायंगे। उसका डिटेल मुझे ठीक याद नहीं है, अगर आप नोटिस देंगे तो मैं डिटेल बता सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उन्होंने किस सूचना के आधार पर कहा है कि पर्वतीय इलाकों में स्वायल इरोज़न दिन पर दिन नहीं बढ़ रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैंने यह तो नहीं कहा कि नहीं बढ़ रहा है। "यह कहना मुश्किल है", कहा मैंने।

*२--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस आपत्ति को नष्ट करने के लिए सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सरकार के खयाल में बनों के उगने से और मौजूदा बनों के कायदे से काटे जाने से जमीन की कटान कम हो जायगी। पर्वतीय इलाकों में इसके अलावा और किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं मालूम होती।

टेक्निकल इन्स्टीट्यूट रिआर्गनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट

*३--श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बता सकती है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने सन् १९४८ में जो Technical Institute Reorganisation Committee (U.P.) बनायी थी उसकी Report कब मिली?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)--जी हां, मई, १९५१ में।

श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार बतायेगी कि टेक्निकल रिआर्गनाइजेशन कमेटी के काम और उसकी रिपोर्ट के प्रकाशन में कितना खर्चा हुआ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसके लिये सूचना की जरूरत है।

*४--श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस समिति की सिफारिश के मुताबिक राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, गोरखपुर के शिक्षार्थी निरीक्षकों को उक्त समिति के रिपोर्ट के पैरा २१५ व २१६ के अनुसार स्टाइपेन्ड नहीं मिल रहा है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां।

श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार बतला सकती है कि रिआर्गनाइजेशन कमेटी की सिफारिश के बाद भी गोरखपुर इंस्टीटयूट को स्टीपेंड क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--तय यह हुआ था कि पहले लखनऊ इंस्टीट्यूट में रिआर्गनाईजेशन किया जायगा और उसके बाद गोरखपुर में उसी आधार पर काम शुरू किया जायगा और जब वहां पर काम शुरू हो जायगा तो स्टीपेंड भी मिलने लगेगा।

श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इसी किस्म का जवाब रिआर्गनाइजेशन कमेटी ने गोरखपुर इंस्टीट्यूट को दिया था और वही जवाब अब भी दिया जा रहा है तो क्या समझा जाय कि गोरखपुर इंस्टीट्यूट को स्टीपेंड कब से मिलने लगेगा?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--लखनऊ इंस्टीट्यूट के रिआर्गनाईजेशन के बाद उसका भी काम शुरू हो जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कोई वक्त मुकर्रर कर सकते हैं जब कि लखनऊ के बराबर गोरखपुर इंस्टीट्यूट को भी माना जायगा?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी की जायगी।

*५--श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार गोरखपुर टेकनिकल इन्स्टीट्यूट के शिक्षार्थियों के स्टाइपेण्ड के निमित्त कुछ व्यवस्था कर रही है?

श्री मूहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी हां।

हाथियों से ट्रैक्टर चलाने की योजना

*६---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने हाथियों से ट्रैक्टर चलाने की कोई योजना बनायी है? अगर हां, तो वह क्या है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अभी कोई योजना समुचित रूप से नहीं बनाई गई है केवल संपरीक्षा (Experiment) किया जा रहा है।

*७---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित भी किया गया है? अगर हां, तो कहां और वह कितनी सफल रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अभी परीक्षार्थ लालकुआं के पास तराई भावर के वनों में कार्यवाही की जा रही है। अभी तक जो कुछ किया गया है आशाजनक है।

*८---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने हाथी अब तक हैं जो कि ट्रैक्टर चलाने के काम में लगाये जा सकते हैं, और फ़ी हाथी ट्रैक्टर की तुलना में कितना खर्च बैठता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अभी तक केवल दो ही हाथियों से हल चलाने का काम लिया जा रहा है परन्तु अनुभव से यह कहा जा सकता है कि सब ही पालतू हाथी बिना किसी विशेष ट्रेनिंग के हल चलाने के काम पर सुगमता से लगाये जा सकते हैं। संपरीक्षण पूर्ण होने पर ही हाथियों द्वारा हल चलाने पर जो व्यय होगा उसकी तुलना ट्रैक्टरों के साथ ठीक सही तरीके पर की जा सकेगी, परन्तु अनुमान यह है कि वह बहुत कम होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि हाथी जो इस परीक्षण में रखे गये हैं उनके रखरखाव पर कितना व्यय होता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ये हाथी वन विभाग के ही हैं इसलिये उन पर खर्चा वैसे भी होता ही फिर भी १,६०० से लेकर २,५०० रुपये वार्षिक तक खर्चा उनके ऊपर होता था लेकिन चूंकि यहां उनसे एक विशेष कार्य लिया जा रहा है इसलिये लगभग १० रुपया रोज के करीब खर्चा उन पर किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन हाथियों से लालकुएं के पास कितनी जमींन कितने दिनों में तोड़ी जा चुकी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसकी पूरी रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे जहां तक पता चला है दो तीन घंटे काम लेकर लगभग पौन या एक एकड़ के जमीन जोती जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट वन विभाग की तरफ से आयी है कि हाथी बार-बार बैठ जाते हैं और काम नहीं करते?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नहीं, ऐसी रिपोर्ट तो कोई नहीं आयी, लेकिन यह जरूर इत्तिला मिली है कि जो हल हैं वे जरूर ऐसे हैं, जो सही नहीं बने। इसके बारे में कानपुर की एक फैक्टरी ने हमारे विभाग को लिखा है कि जिस प्रकार के हल इंगलैण्ड और अन्य देशों में बड़े-बड़े मजबूत घोड़ों से काम कराने के सिलसिले में काम में लाये जाते हैं उसी तरह के हल वह अपने खर्चे पर बनाने को तैयार हैं। इसके लिये वे वहां देखने को भी गये थे और शायद वे इस प्रकार का कोई हल बनाने जा रहे हैं।

कुटीर उद्योग के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता

*९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या उद्योग मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग के लिए भारतीय सरकार से कितनी आर्थिक सहायता १९५२-५३ में प्राप्त हुई है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार या और कोई प्रयत्न हो रहा है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—गवर्नमेंट आफ इंडिया से इस सिलसिले में सहायता प्राप्त करने के सिलसिले में तो पत्र व्यवहार होता ही रहता है। हम लोग हमेशा ही मांग करते हैं। मगर यह कि कर्जा मांगने की जहां तक बात है, फाइनेंस कारपोरेशन से इसकी जरूरत नहीं मालूम हुई कि मांगा जाय।

*१०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में Industrial Financial Corporation की शाखायें भारतीय सरकार द्वारा खोली जा रही हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में भी कोई लिखा-पढ़ी या और कोई कोशिश हुई है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसके लिये यानी उनको यहां शाखा खोलने के लिय कहा तो नहीं गया है, लेकिन यह नियत है कि उनसे कहा जाय कि यहां कानपुर में भी खोलें।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस गृह-उद्योग की कौन कौन योजना इस साल सरकार समाप्त करने जा रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जो योजनायें बतलायी गई हैं वे सब चालू रहेंगी।

वृज विहारी मेहरोत्रा—क्या गुड़ की योजना भी चालू रहेगी या बन्द हो जायगी?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—जी हां।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो योजनायें हैं उनमें कोई मारकेटिंग की भी योजना है जिस पर सरकार विचार कर रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, मारकेटिंग के लिये भी इंतजाम किया जायगा, कुछ हो भी रहा है।

श्री गेंदासिंह—गुड़ उन्नति योजना के बारे में सरकार की क्या नीति है

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—गुड़ उन्नति योजना चूंकि एक मुफ़ीद योजना समझी जाती है इसलिये वह चालू रखी जायगी। जहां उसकी जरूरत होगी वहां वह चलायी जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सत्य है कि गुड़ योजना का अनुदान कम किया जा रहा है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जब कोई योजना चलाई जाती है तो उसका जो ध्येय होता है वह जहां पूरा हो जाता है उस जगह उसे फिर चालू नहीं रखा जाता। इसी सूरत से गुड़ उन्नति योजना का काम बाज़ जगह पूरा हो चुका है। जहां उसकी जरूरत होगी वहां उसे चलाया जायगा।

*११--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग बढ़ाने और उसे देहातों में फैलाने के लिये सरकार की क्या योजना है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--कुटीर उद्योग बढ़ाने और उसे देहातों में फैलाने के लिये इस सरकार की कई योजनायें चल रही हैं जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं:--

१. पर्वतीय ऊनी उद्योग योजना,
२. खादी विकास योजना,
३. करघा योजना,
४. औद्योगिक सहकारी समितियों का विकास,
५. औद्योगिक शिक्षालय योजना,
६. पाइलट वर्कशाप योजना,
७. गुड़ उन्नति योजना,
८. ताड़ गुड़ योजना और,
९. ऋण तथा अनुदान योजना।

*१२--१४--श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)--[२ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५--१७--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--[२७ मार्च, १९५३ के लिये संख्या ६-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अमरीकी सरकार द्वारा हैन्डीक्राफ्ट एम्पोरियम को बैजों का आर्डर

*१८--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अमरीकी सरकार ने उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा संचालित हैन्डीक्राफ्ट एम्पोरियम के बीस लाख बैजों के आर्डर को नामंजूर कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--(अ) अमरीकी सरकार ने इन बैजों के लिये अभी आर्डर नहीं दिया है,

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन बैजों के संबंध में अमरीकी सरकार से कोई नेगोशियेशन हुआ था और यदि हां, तो वह क्यों खत्म हो गया?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--अमरीकी सरकार से नहीं बल्कि यहां पर नमूने बनाये गये और वहां अमरीकी फौज के जो अधिकारी थे उन्होंने उसको पसन्द किया, लेकिन अभी तक अमरीकी सरकार ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। बातचीत जारी है।

*१९--२१--श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--[२६ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित गिये गये।]

जिला अल्मोड़ा में लोहाघाट से खेतीखान व देवी धुरा मोटर सड़क के निर्माण में सरकारी सहायता

*२२--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार जिला अल्मोड़ा में लोहाघाट से खेतीखान व देवी धुरा को जो मोटर सड़क स्थानीय जनता के उद्योग से बन रही है कोई सहायता प्रदान करने का विचार रखती है?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपा शंकर)——इस वर्ष Self help अनुदान District Plannig Committees को दे दी गई है और उन्हें अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं कि जिला प्लान से Priority के अनुसार ऐसे कार्यों के लिये सहायता दे सकें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट——क्या सरकार जिला नियोजन कमेटी को आदेश देगी कि सरकार द्वारा दी गई धनराशि सम्पूर्ण जिले के विकास में बराबर बांट दी जाय?

श्री कृपाशंकर——सरकार की तरफ से जो रुपया दिया गया है उसके लिये यह आदेश है कि प्लानिंग कमेटी की इजाजत से वह कामों के लिये खर्च कर सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)——क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किस प्रपोर्शन से जनता को सैल्फ हैल्प स्कीम के अन्तर्गत मदद दी जायगी?

श्री कृपा शंकर——वहां की जनसंख्या और वहां की अवस्था के अनुसार उनको रुपया दिया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——मेरा मतलब यह नहीं है कि जनसंख्या के आधार पर दिया जाय बल्कि यह है कि यदि कोई सड़क एक लाख रुपये में बनती है तो उसके लिये किस प्रपोर्शन से गवर्नमेंट मदद देगी?

श्री कृपाशंकर——यह सवाल के जवाब में कहा गया है कि रुपया हरएक जिला प्लानिंग कमेटी को दिया गया है और जो रुपया उनके पास है उसके लिये यह आदेश है कि वहां जो जिले की प्लानिंग कमेटी है वह वहां की अवस्था को समझकर जिस तरह से मुनासिब समझे उस रुपये को लगादे।

४ मार्च, १९५३ को सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ मल्ल द्वारा अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना के सम्बन्ध में विचारार्थ प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष——मेरे पास श्री रामप्रसाद देशमुख ने एक प्रस्ताव भेजा है जो इस प्रकार है——

'कल की सभा में सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी और जगन्नाथ मल्ल ने स्पीकर महोदय के आदेश की जानबूझ कर अवहेलना भवन के सम्मुख करके भवन की मान-मर्यादा का अपमान किया है। अतएव यह भवन यह प्रस्ताव करता है कि उनके इस अनुशासन हीनतापूर्ण व्यवहार पर सभा में विचार किया जाय।'

इस संबंध में श्री राम प्रसाद जी से मैं यह कहूंगा कि कल मैंने अपना यह विचार प्रकट किया था कि मैं यह चाहता हूं कि यह जो सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना का प्रश्न है उसको प्रिवेलेज कमेटी (विशेषाधिकारों की कमेटी) के सिपुर्द करूं। मैं सदन के इस अधिकार का मान्य करता हूं कि सदन को हर हालत में पूर्ण अधिकार है कि कोई भी मामला जो सदन के सामने होता है उसको स्वयं विचार में लेकर उसका निर्णय करे और उसको कमेटी के सम्मुख न भेजे। इस पर भी कल चूंकि मैं अपना यह निश्चय जाहिर कर चुका हूं कि यह प्रश्न विशेषाधिकार कमेटी के सामने जाना चाहिये, इसलिये, मैं उनसे यही कहूंगा कि वही तरीका उचित समझकर इस समय अपने इस मोशन को पेश करने का आग्रह न करें। मैं इसका कारण भी बतलाना चाहता हूं क्योंकि कोई भी प्रथायें जो इस सदन में कायम होती हैं उनके संबंध में कभी कभी कुछ नवीनता भी उत्पन्न हो जाती है जिसका विचार ठंडे दिल से और सब नियमों को विचार करके किया जाना चाहिये। हमारे यहां जो विशेषाधिकार इस सदन के हैं वह संविधान के अनुसार वही हैं जो बृटिश पार्लियामेंट के वहां मौजूद हैं। ऐसी अवस्था में जब कोई नया प्रश्न सामने आये, और उस संबंध में नियमों की बहुत सी बातें स्पष्ट हो जायं तो वह प्रश्न तत्काल उठा लिया जाता है। इसी कारण से ही माननीय सदस्य ने कल कोई इस प्रकार का संकल्प पेश नहीं किया। फिर विचार उन को करना पड़ा और नियम देखने पर ही इस वक्त प्रस्ताव के लानेका विचार उन्होंने किया। इस तरह से और भी कई प्रश्न उठ सकते हैं। यदि इस पर विचार तत्काल किया जाय, तो देखना यह है कि कहीं ऐसी प्रथा न

कायम हो जाय जो बाद में अनुचित मालूम हो और कहीं यह भी भावना न उत्पन्न हो कि आवेश में आकर सदन में कोई निर्णय हो गया है। विशेषाधिकार कमेटी इसलिये बनी है कि अवहेलना हुई या नहीं, इस विषय पर कमेटी में नियमों का अध्ययन कर शांत वातावरण में विचार विनिमय हो सके, जहां कि सदन के सब तरफ के सदस्य मौजूद रहेंगे और जो वह तै करेंगे और कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उस पर विचार कर के निर्णय देने का सदन को पूर्ण अधिकार होगा। इसलिये मैं श्री देशमुख जी से कहूंगा कि वह अपने संकल्प को पेश करने का आग्रह न करें।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--मैं अपने प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहता।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २९--पुलिस (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक के अनुदानों पर अब बहस जारी रहेगी।

श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं इस सदन में कह रहा था कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिये न्यू ब्लड का रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहें भी माकूल होना चाहिये। रिश्वत इन्सान दो वक्त में लेता है, एक तो जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती या जब वह लालची होता है। इसी तरह से पुलिस सब-इन्सपैक्टर साहबान पर इस सदन में जो बौछार फेंकी गयी हैं उसकी खास वजह यही है कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, और खर्चे ज्यादा हैं, हम उन से बहुत काम चाहते हैं इसलिये वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये रिश्वत लेते हैं। अगर उन की तनख्वाहें माकूल कर दी जायं तो शायद वह रिश्वत न लें क्योंकि वह अब अपने देश की हुकूमत के अन्दर काम कर रहे हैं। उन को भी इस का गुमान है कि हम अपने स्वतंत्र राज्य में नौकरी कर रहे हैं परन्तु उन की जरूरतें पूरी न होने के कारण वह रिश्वत लेते हैं। मेरा सुझाव है कि उन का वेतन कम से कम १५० रुपये से शुरू होना चाहिये और २०० रुपये तक तो आमतौर से सब-इंस्पेक्टर को जाना चाहिये, उनके बाद सेलेक्शन ग्रेड कर दिया जाय यानी जो २५० रुपये तक पहुंच जाय उन्हीं में से जो अच्छे हों वह ५० फीसदी डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट बनाये जायं। उन को भी यह आशा हो जायगी कि उनको तरक्की मिलेगी, उन की तनख्वाहें अच्छी होंगी तो मैं समझता हूं कि वह रिश्वत न लेंगे। इस तरह से ५० फीसदी लोग तरक्की से और ५० फीसदी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लिये जाने चाहिये और तरक्की देने के वक्त उन की ईमानारी पहले देखना चाहिये और केवल लैंग्थ आफ सर्विस पर ही तरक्की न दी जाय, अगर कोई जूनियर भी ईमानदार है तो उसी को पहले तरक्की दी जाय।

अब पुलिस के पुराने कर्मचारियों को जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से इस भ्रष्टाचार में निपुण हैं, लेन देन के मामले में माहिर हैं उनको अगर हटा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि नये सब-इन्सपेक्टर साहबान जो लिये जाते हैं वह उन्हीं के साये में पलते हैं, उनकी अफसर दोयमी में काम करते हैं और उनके तरीके के मुताबिक काम करते हैं, तो उनकी रही सही ईमानदारी भी चली जाती है। इसलिये हम अनुरोध करेंगे कि २५ साल जिनकी सर्विस हो गयी है उनका कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाय। इसके कर देने से पुराने फन में माहिर जो लोग हैं उन का असर नये रिक्रूटमेंट पर नहीं पड़ेगा और वह ईमानदार होने की कोशिश करेंगे।

यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि १२० सब-इन्सपेक्टर्स को पुलिस ट्रेनिंग कालिज के लिये चुना है। इनकी ट्रेनिंग मुरादाबाद स्कूल में होती है। अगर इनकी ट्रेनिंग वहां पर ठीक रूप से हो तो शायद यह इतने रिश्वतखोर, इतने बुरे न हों। लेकिन मुरादाबाद के ट्रेनिंग कालिज में एक हमारे साथी जो वहां सब-इंस्पेक्टरी में गये थे उन्होंने बताया कि वहां तो वाकई उनको गालियां देना सिखाया जाता है। उनकी और कुछ नहीं, यही ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके

[श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह]

से जाकर पब्लिक के साथ व्यवहार करना चाहिये। यह पुराने अंग्रेजी जमाने का खुला हुआ है और अंग्रेजों को, जिनको इस मुल्क से हमदर्दी नहीं थी वह तो हमें डिमारेलाइज्ड करना चाहते थे। इसलिये वह इस किस्म की ट्रेनिंग देते रहे। इसलिये अब हम अनुरोध करेंगे कि वहां पर जो प्रोफेसर रखे जायं तो वह ऐसे रखे जायं जिनका देश की उन्नति की तरफ खयाल हो, जो देश सेवक हों, तो हम समझते हैं कि सब-इन्सपेक्टरों का रिश्वत का मसला बहुत कम हो जायगा।

साथ ही साथ हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम जनता को यह बतावें कि वह रिश्वत न दें। इसमें कुछ तो दोष सब-इन्सपेक्टर और पुलिस वालों का है और उस से ज्यादा ही हमारी जनता का है। अगर किसी मुकाम पर किसी थाने के अन्दर बलवा हुआ तो दोनों पार्टी थाने पर जाती हैं और जा करके दोनों खुशामद करना शुरू कर देते हैं। एक पार्टी कहती है कि तुम दो सौ रुपया लो और हमारी रिपोर्ट पहले लिख लीजिये। दूसरी पार्टी चार सौ रुपया देकर पहले रिपोर्ट लिखाना चाहती है। रिश्वत देने वाले तो हम हैं। अगर हम रिश्वत न दें तो शायद उन को रिश्वत लेने का मौका भी न मिले।

सरकार से भी हमें यही अनुरोध करना है कि सब-इन्सपेक्टर साहबान जो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं, सही रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं, अगर उसकी खबर ठीक तौर से हमारी सरकार को मिले कि फलां सब-इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट सही दर्ज नहीं की या मुकदमे की तफतीश ठीक तरह से नहीं की तो बजाय तबादला करने के उन को डिग्रेड कर दिया जाय, सख्त से सख्त सजा उनको दी जाय। अगर दो-चार मामलों में इस किस्म की सजा सरकार देगी तो एक आतंक हो जायगा और लोग सही रास्ते पर चलने लगेंगे।

अब कुछ हमारे सदस्यों ने यह कहा है कि अब पुलिस हम से डरती नहीं है। ये तो अपने-अपने तजुर्बे हैं। यदि हम उन से नाजायज तरीके से कोई काम कराना चाहेंगे तो खामख्वाह हम पर वह हावी होंगे और हम अपनी पोजीशन को और अपने पद को ठिकाने से निभायेंगे तो खामख्वाह वह हमारा अदब करेंगे, लिहाज करेंगे।

इसी सदन में कुछ भाइयों ने यह कहा कि साहब जुल्म बहुत बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिये कोई उपाय सरकार नहीं करती है। कानून के अन्दर १०९ और ११० क्रिमिनल प्रोसीडयेर कोड के जो सेक्शंस हैं वह क्या हैं, उनकी जानकारी उनको होगी और जानकारी होते हुये उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे अफसोस है। अगर जानकारी नहीं है कि यह सेक्शंस किस लिये बनाये गये हैं तो उनका कहना उचित है। यह प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस का काम जुर्मों को रोकना है। तो एक तरह से यह कंट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट सुनने में आया कि जुर्म तो बढ़ रहे हैं लेकिन सेक्शंस १०९ और ११० को हटा दिया जाय। इन दफात के रहते हुये अगर क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो इसके मानी यह हैं कि इन सेक्शंस की पाबन्दी ठिकाने से नहीं हो रही है। बहुत से बदमाश ऐसे होते हैं जिनको हम चोरी करते, डकैती करते पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वह चोरी डकैती करते हैं। तो इसके लिये हम को १०९ और ११० की शरण लेनी पड़ती है। अगर यह सेक्शंस निकाल दिये जायं तो उनको पूरी आजादी हो जायगी कि वह जो चाहें कर सकते हैं। इन सेक्संश के होते हुये भी अगर आजकल जुर्म बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इन सेक्शंस की पाबन्दी ठिकाने से नहीं हो रही है। एक भाई ने कल यह कहा कि दफा ११७ जाब्ता फौजदारी जो है इसका प्रयोग सब इंस्पेक्टर साहबान बहुत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह उनका बिलकुल गलत स्टेटमेंट है। इसके होने से यह साफ जाहिर होता है कि सब-इन्सपेक्टर साहबान अपने थाने के अन्दर अमनोअमान रखने की चेष्टा करते हैं। हमको तो इसको देख कर खुशी होनी चाहिये कि वह सब-इन्सपेक्टर्स जो इसकी पाबन्दी की कोशिश कर रहे हैं वही हमारे लिये भलाई कर रहे हैं। हमको आजादी मिली लेकिन हम आजादी के सही मानी न जान सके। हर शख्स ने अपनी तरह से आजादी के मानी लगाये हैं। चोर समझता है कि चोरी करने की आजादी है। डाकू समझता है कि डकैती करने की आजादी है। इसलिये जुर्म ज्यादा बढ़ गये हैं। जुर्मों के बढ़ने की कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है। पुलिस ने किसी बदमाश का चालान ११० में किया। पब्लिक जानती है कि वह बदमाश

आदमी है। लेकिन उसके खिलाफ शहादत देने नहीं जाती। जब तक जनता का कोआपरेशन पुलिस के साथ नहीं होगा तब तक पुलिस कभी कामयाब नहीं हो सकती है। जनता बजाय सबूत की तरफ से पेश होने के सफाई की तरफ से पेश होती है और कहती है कि यह शख्स निहायत अच्छा है, बहुत अच्छे चालचलन का है। इसलिये अदालतों को मजबूर हो कर उन्हें छोड़ देना पड़ता है और जब वह छुटते हैं तो और भी ज्यादा आजाद हो जाते हैं। गुण्डागीरी पर तैयार हो जाते हैं। एक भाई ने कहा कि कानपुर में गुंडागीरी बहुत है। उसकी खास बानी मुबानी पुलिस ही नहीं है। जनता भी है। जनता गुण्डों को बढ़ावा देती है। उनकी पैरवी करती है। और चूंकि मैं खुद भी वकील हूं। मैं वकील भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि जमानत के मामले में उनको बहुत सतर्क रहना चाहिये। किसी ने कहा कि जमानतें अदालत में होजाती हैं। जमानत अदालत नहीं करती है बल्कि जमानतें हम कराते हैं। हम जमानत मूव करते हैं अगर कोई मैजिस्ट्रेट जमानत नहीं करता है तो हम बार असोसियेशन में उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करते हैं। तो यह जिम्मेदारी हमारी भी हुई। हम क्यों ऐसा करते हैं रुपये की वजह से करते हैं। अगर रुपया सबसे प्रधान हो गया तो फिर अगर सब-इंस्पेक्टर के लिये भी वह प्रधान हो गया तो हमें क्यों जलन होती है। रुपया सभी कमाना चाहते हैं। अगर सब लोग सही तरीके से अपने फरायज को अंजाम दें तो सब दिक्कतें हल हो जायं।

साथ ही साथ मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की भावनाओं को उनके सामने रखना हमारा कर्त्तव्य है और सरकार का कर्त्तव्य है कि हमारी भावनाओं को सुनें, उस पर मनन करे और दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करे। बहुत नम्रता के साथ एक चेतावनी क्या एक अर्ज करना चाहता हूं मैं सरकार से कि उन अफसरान की बातों में आ कर के अपना जो हाथ है उस हाथ को न काटें। मिसाल के तरीके पर यदि आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं। गोरखपुर में भूख के मुताल्लिक गोरखपुर के जितने जनता से चुनकर आये हुये १६ एम० एल० ए० थे सबों ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास लिखकर के भेजा कि हमारे यहां स्कॉर्सिटी आफ फूड हो रही है। परन्तु हमारे यहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक सी० बी० दुबे जी थे उन्होंने लिखा कि यहां कोई ऐसी बात नहीं है और कोई जरूरत नहीं है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जो आप सब लोगों ने अखबारों में देखा। वहां के एक नेता शिब्बन लाल जी ने वहां कुछ प्रोपोगेंडा शुरू किया।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप नामों को जरा अवायड करें।

श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह---तो मैं सरकार से यह अर्ज करूंगा कि ऐसे गलत इंफारमेशन देने वाले अफसरों के ऊपर कड़ी से कड़ी निगाह रखें और उन्हें कड़े से कड़ा दंड दें। यदि यह मालूम हो गया कि वहां स्कॉर्सिटी आफ फूड थी और वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गलत इंफारमेशन दी तो ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिये था। अगर ऐसे लोगों को छोड़ेंगे तो जिन अफसरों ने अंग्रेजों का बिस्तर यहां से गोल कर दिया वह हमारा भी कर देंगे। लिहाजा हम उन्हें बहुत कड़ी निगाह से देखें। उन्हें हर किस्म की फैसिलिटी देते हुये भी हमको अगर यह नहीं मालूम होगा कि सही बात क्या है और उनकी गलत इंफारमेशन के आधार पर काम करेंगे तो शायद हमको फिर बाद में पश्चाताप करना पड़े। अन्त में मैं केवल यह कह करके सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग सदन में चुनकर जनता की तरफ से आये हैं उनकी भावनाओं का, उनके विचारों का और उनके कहने का भी जरा खयाल रखा जाय।

१९५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष---(खड़े हुये सदस्यों से) आप जरा कृपा करके बैठ जायं क्योंकि बहुत से लोग बोलने की इच्छा रखते हैं और अनुदान हमारे सामने ४ हैं। जो कल शाम तक समाप्त हो जाने चाहिये। मैं यह देख रहा हूं कि कहीं यह न हो जाय कि अनुदान पर लोग ज्यादा महत्व देते हों उस पर वादविवाद होने से रह जाय। इसलिये अगर सदन यह ठीक समझे तो प्रत्येक अनुदान के लिये समय मुकर्रर कर दे और यह भी समय मुकर्रर हो जाय कि जो कटौती का प्रस्ताव लायें उनको कितना समय दिया जाय और दूसरे सदस्य कितना-कितना समय लेंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि जो अनुदान पुलिस इस वक्त चल रहा है उसको लंच टाइम तक रखा जाय। इसके बाद श्रम और फिर बाकी कल।

श्री अध्यक्ष--पुलिस के बाद श्रम के लिये आज ५ बजे तक और फिर दूसरे दिन के लिये एजुकेशन और पिछड़ी हुई जातियों का अनुदान आप चाहते हैं।

इसके विषय में और किसी माननीय सदस्य को कुछ सुझाव देना है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--मेरा सुझाव यह है कि शिक्षा के संबंध का अनुदान पेश आज हो जाय और बहस कल हो।

श्री अध्यक्ष--आज शाम को पेश हो जाय यानी साढ़े चार बजे तक श्रम के लिये समय रहता है। तो यही रहा कि लंच टाइम तक तो पुलिस अनुदान होगा इसके बाद साढ़े चार बजे तक, सवा दो बजे से साढ़े चार बजे तक श्रम।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--आज हम चाहते थे कि शाम तक लेबर चले और शिक्षा का कल पेश हो।

श्री अध्यक्ष--तो अन्त में मैं समझता हूं कि कल ही शिक्षा को ले लिया जाय तो ठीक होगा। आज शाम तक अनुदान संख्या ३०--श्रम पर लंच के बाद विचार होगा और कल लिये जायेंगे शिक्षा मंत्री जी के दोनों अनुदान। इसके लिये अब मैं समय मुकर्रर करता हूं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--पुलिस के लिये तीन बजे तक रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं अब समझता हूं कि उचित वही होगा जो अन्त में निश्चय किया गया है। क्योंकि श्रम के सम्बंध में भी बहुत से लोग बहुत महत्व दे रहे हैं। यह भी निश्चय रहा कि जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव पेश करें १५ मिनट बोलें और १० मिनट बाकी सदस्य बोलें।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २९--पुलिस (क्रमागत)

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय स्पीकर महोदय, जो इस भवन में कल से पुलिस पर विचार हो रहा है, मैं भी अपने विचार इसके संबंध में प्रकट करना चाहता हूं। मैं कई साल से देख रहा हूं कि हमारी सरकार का बजट पुलिस के ऊपर घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। मैं यह जानता हूं कि हर सरकार को अपना प्रबन्ध चलाने के लिये पुलिस के लिये बजट बनाना पड़ता है और इसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार है। मैं उसकी टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि जब जनता का इतना रुपया पुलिस के ऊपर खर्च होता है, तो हम को यह देखना चाहिये कि उस से अधिक से अधिक लाभ जनता को हो। मुझे आज बड़ी खुशी है कि इस विभाग का चार्ज हमारे नये मंत्री सम्पूर्णानन्द जी ने संभाला है। उनका हम स्वागत करते हैं और वे एक ऐसे मंत्री हैं कि हम उनके दल के न होते हुये उन पर विश्वास करते हैं कि वे निष्पक्षता के साथ इस विभाग का काम चलायेंगे। इसी तरह से जो पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर जेनरल बनाये गये हैं वे भी एक अनुभवी आदमी हैं और मैं विश्वास करता हूं कि जो सुझाव हम यहां देंगे उन पर वे विचार करेंगे और ऐसा कार्य करेंगे जिस से पुलिस की तरक्की अवश्य होगी।

श्रीमन्, मैं यह देखता हूं कि पुलिस के ऊपर हर साल यह इल्जाम लगाया जाता है और सत्य भी है कि इसमें से भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। आप के जरिये श्रीमान्, मैं सरकार से

यह बतलाना चाहता हूं कि उसका मूल कारण यह है कि पुलिस का तरीका जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, उसी ढंग को सरकार आज भी अपनाये हुये है, यानी जिस तरीके से अंग्रेज देहात में जनता के ऊपर आतंक के द्वारा भय दिखला कर काम कराना चाहते थे, पुलिस के ढंगों को देखते हुये श्रीमन्, मुझे क्षमा करेंगे यह कहने के लिये कि वही तरीका आज भी बरता जारहा है। अब वह समय नहीं है, अब हम स्वतंत्र हो गये हैं, इसलिये हम को उस ढंग को बदलना चाहिये। मैं एक सुझाव आप के जरिये सरकार को देना चाहता हूं। आज क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि जो इब्तदाई रिपोर्ट थाने में की जाती है वे या तो ज्यादातर झूठी होती हैं या सही नहीं लिखी जाती हैं। इस वजह से मेरा सुझाव यह है कि जब आप ने ग्राम सभायें और ग्राम समाज देहात में बनाये हैं तो देहात में जहां पर जुर्म होता है, जहां पर यह चीज शुरू होती है, वहीं पर क्राइम रजिस्टर रखा जाय और पहली रिपोर्ट उसी गांव सभा में लिखी जाय। सरकार इस नयी चीज को एक भय की निगाह से जरूर देखेगी लेकिन जिन की आप सेवा करना चाहते हैं यदि उन्हीं पर जिम्मेदारी डालदें, तो आप का कार्य बहुत सहल हो सकता है। मेरा सुझाव यह है कि सरकार क्राइम रजिस्टर को थानों में न रख कर, ग्रामों में रखें और ग्राम सभा की कार्य-कारिणी या किसी कमेटी के जरिये इब्तदाई रिपोर्ट लिखी जाय। वहां पहली रिपोर्ट लिखने से यह होगा कि जिस तरह से हमारे अभी बहुत से सदस्यों ने बतलाया कि वहां झूठी रिपोर्ट लिखी जाती है। पार्टीबन्दी से रिपोर्ट लिखी जाती है, तरह तरह से जो घूस का मौका आप थानेदारों और दूसरे पुलिस वालों को देते हैं, इन सब बातों का मौका नहीं रहेगा। एक तो मेरा सुझाव यह है।

दूसरे मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में भूतपूर्व जमींदार या चन्द आदमियों के गुट पुलिस की साजिश से हुकूमत करते थे, उसी तरह से आज भी हो रहा है मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार की पार्टी या राजनीतिक पार्टी जो हैं वह भी इस तरीके से गुट बांध कर थानेदारों से और वहां के लोगों से मिलकर गलत रिपोर्ट लिखाती हैं और गलत जुर्म लिखाये जाते हैं और यह कार्रवाइयां अमल में आती हैं। मैं यह सरकार को बतलाना चाहता हूं और सबूत भी पेश कर सकता हूं कि जहां पर नेताओं ने थानेदारों को लिखा कि यह फलाने जुर्म में आदमी है, मेरी राय में यह चलने वाला नहीं है इस लिये उस को माफ कर दिया जाय। ज्यादातर लोगों ने थानेदारों के पास लिख कर भेजा और इस तरह से हम हर मामले में दखलअन्दाजी करते हैं। मैं नहीं कहता कि अकेले कांग्रेस पार्टी के लोग ही ऐसा करते हैं, सब ही पार्टी के लोग ऐसा करते हैं परन्तु ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो कांग्रेस के कार्यकर्त्ता बताये जाते हैं हमेशा थानेदारों से मिलकर भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिये मैं बतला देना चाहता हूं कि अगर सरकार यह बन्द करना चाहती है तो सरकार पुलिस के हाई आफिसर्स को दूसरे जिले के आफिसर्स को हिदायत दे कि जब कोई राजनीतिक पार्टियां या कोई दल किसी विशेष थानेदार को या किसी कर्मचारी को तब्दील या उसके हटाने के बारे में रिपोर्ट दें तो आप को विचार करना चाहिये न कि किसी आदमी के कहने पर कि फलाना थानेदार काम ठीक नहीं करता है लिहाजा उसको तब्दील कर देना चाहिये, उसको तब्दील कर दिया जाय। मैं कहता हूं कि छोटा सा मुलाजिम स्टेट का मुलाजिम है, किसी पार्टी का मुलाजिम नहीं है। आज जो हम विरोध करते हैं वह कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हैं, हम इस इस्टेट का विरोध नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि इस स्टेट की तरक्की हो और हर आदमी यही चाहता है कि स्टेट की तरक्की हो। इस के माने यह नहीं कि कांग्रेस का विरोध करने से स्टेट का विरोध करते हैं। हर कर्मचारी को मालूम होना चाहिये कि वह स्टेट का कर्मचारी है, कांग्रेस गवर्नमेंट का नहीं है। कांग्रेस जो आज पावर में है उसके वह कर्मचारी नहीं हैं। तो श्रीमन्, मैं आप के जरिये से बतला देना चाहता हूं कि उनमें यह शक्ति दी जाय कि वह यह समझ सकें कि हम स्टेट के मुलाजिम हैं, हम जो कुछ करें वह न्यायपूर्वक और सही तरीके से करें।

श्रीमन्, एक तो उनका यह भय हटाने की कृपा की जाय दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि आपने इतना खर्चा किया लेकिन देहात में जो पुलिस का इंतजाम है, श्रीमन्, मैं

[राजा वीरेन्द्र शाह]

आप के जरिये बतला देना चाहता हूं कि एक-एक थानेदार के लिये ८०,८० गांव है। वह एक दफा भी महीने में अपनी सर्किल में नहीं घूम सकता। इसलिये यह स्टाफ बढ़ाना चाहिये। अगर आप को क्राइम रोकना है तो वहां का स्टाफ बढ़ाइये। इसी तरीके से कहा जाता है कि जनता सहयोग नहीं देती है। जनता सहयोग इसलिये नहीं देती क्योंकि वह पुलिस का आतंक देखती है और 'जब पुलिस उसे' परेशान करती है तो जनता किसी तरह से सहयोग नहीं दे सकती। अगर जनता यह समझ जाय कि पुलिस ठीक तरह से काम करेगी, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्राइम बहुत कम होंगे और जनता का सहयोग आपको मिलेगा। जनता केवल आतंक की वजह से सहयोग नहीं देती है। उनको यह विश्वास नहीं है कि अगर हम किसी चीज को बतायेंगे तो पुलिस हमारी सहायता करेगी। श्रीमन्, मैं आपके जरिये से बतला देना चाहता हूं सरकार को कि आप पुलिस के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं अगर वह खर्चा इस ढंग से हो कि उससे जनता का लाभ हो तब तो यह कहना ठीक है कि पुलिस पर खर्चा बढ़ रहा है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री रमानाथ खेरा (जिला झांसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विभाग के अनुदान के संबंध में बहस चल रही है यह विभाग निस्सन्देह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विभाग पर हमारे राज्य में शान्ति व्यवस्था क़ायम रखने की जिम्मेदारी है। हमारे प्रदेश में कहां तक सरकार ने इस जिम्मेदारी को निभाया है, सरकारी आंकड़ों द्वारा इन बातों को स्पष्ट करना जरा मुश्किल सी चीज हो गयी है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के शासन काल में पुलिस का नैतिक स्तर कुछ ऊंचा उठा है और उसके रवैये और व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। न केवल यही बल्कि उसके दृष्टिकोण और भावना में भी परिवर्तन हुआ है और भ्रष्टाचार में भी कमी हुई है। मगर जहां तक हमारे प्रदेश में अपराधों की कमी का प्रश्न है मैं नम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन करूंगा कि उसके आंकड़े सही नहीं हैं। मेरे संदेह का कारण है। जिन आंकड़ों की कमी बेशी के ऊपर आंकड़े तैयार करने वाले की तरक्की या तनज्जुली निर्भर हो क्या वे आंकड़े सही हो सकते हैं? सरकार के जन-संख्या पशु संख्या पर इस प्रकार के अन्य आंकड़ों पर यक़ीन किया जा सकता है क्योंकि उनकी गणना करने वालों को उनकी कमीबेशी से क्या संबंध है? किन्तु एक पुलिस आफीसर जो अपने इलाक़े में शान्ति क़ायम रखने का जिम्मेदार है वह या उसका मातहत हैड मुहर्रिर जो रिपोर्ट दर्ज करता हो जरायम के आंकड़े कैसे सही रख सकता है? नतीजा यह होता है कि अनेक अपराधों में से केवल वे जिनमें मुल्जिम नामजद होता है या जिनमें तफतीश में कामयाबी होने की पूरी सम्भावना होती है दर्ज किये जाते हैं। कितनी ही चोरियां, बलवे, राहजनी और डकैतियों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मुल्जिमान संख्या घटाकर ग़ैरदस्त-अन्दाजी पुलिस बना कर दिया जाता है। सरकार मेरे इस कथन पर विश्वास करे। मैं अपने जिले झांसी के उस अनेक अभियोग पत्र दिखा सकता हूं जिनमें फ़रियादियों ने इस बात का जिक्र किया है कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी या ठीक नहीं लिखी। इसका परिणाम यह होता है कि एक तो इब्तदाई रिपोर्ट बिगड़ जाने से मुक़द्दमा बेचारे फ़रियादियों का कमज़ोर पड़ जाता है और दूसरे अपराधों की रोकथाम नहीं होती है और तीसरे हमारी सरकार को इस प्रान्त की वास्तविक स्थिति से जानकारी नहीं होती। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जो क़ायदा उसने यह बनाया था कि जनता कप्तान साहब के पास रिपोर्ट लिखा सकती है। वह ज्यादातर कारगर नहीं हुआ क्योंकि जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और दूसरे वह कप्तान साहब के पास रिपोर्ट भेज कर अपने इलाक़े के दरोग़ा जी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। यह उचित नहीं है कि सरकार ग़लत आंकड़ों के आधार पर इस भवन में बैठ कर शान्ति और संतोष की सांस ले जब कि वास्तव में उसके राज्य के किन्हीं क्षेत्रों में असंतोष फैल रहा हो, जरायम बढ़ रहा हो, मेरा सुझाव है कि अगर सरकार चाहती है कि उसके लिये सही आंकड़े प्राप्त हों तो जरायम रजिस्टर्ड करने वाली एजेंसी को पुलिस विभाग से बिल्कुल अलहदा कर दिया जाय। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम जो लोग इस इलाके में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के जिम्मे-

दार हैं उनसे जरायम का इन्दराज करने वाली एजेंसी इन्डिपेंडेंट कर दी जाय। जहां तक अपराधों की कमोबेशी की जिम्मेदारी का प्रश्न है हमारा एक दूसरा दृष्टिकोण है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जब कि इस अपराधों के प्रश्न पर उस दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया जाय। मेरी धारणा है कि अपराधों की कमीबेशी पुलिस विभाग की कार्य-क्षमता का कोई विश्वसनीय माप नहीं है। अपराधों के कारण अनेक हो सकते हैं, जैसे भुखमरी, बेरोजगारी और ग़रीबी, इत्यादि। इन कारणों से मुसीबतजदा लोगों को हुकूमत के दबाव से हमेशा के लिये शान्त नहीं रखा जा सकता। यह हो सकता है कि दंड के भय से, राज्य भय से या धर्मोपदेशों से चन्द लोगों का जीवन भले ही आदर्श बन जाय लेकिन वे हर इन्सान को हर समय के लिये काबू में नहीं रख सकते। अगर ऐसा हो सकता हो तो अपराध कभी के इस दुनिया से ख़त्म हो गये होते राज्य में कितनी ही जेलें बनी हुई हैं, भारतीय दंड विधान और कितने ही अन्य दंड विधान बने हुये हैं लेकिन क्या अपराध रुके? क्या मौत की सजाओं ने जनसाधारण को हत्यायें करने से रोक पाया? सरकार की अपराधों से भरी हुई जेलों ने लोगों को जुर्मों से कब रोका? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस का ऐडमिनिस्ट्रेशन तो अपराधों को रोकने के लिये महज वाह्य उपचार है असली इलाज तो हमारी सरकार को उन समस्याओं को सुलझाना है जिनके कारण आये दिन अपराध होते हैं। जब हमारे विरोधी पक्ष के भाई अपराधों के संबंध में पुलिस की आलोचना करते हैं तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को ही दृष्टि से ओझल कर दिया है और यह विश्वास करने लगे हैं कि सरकार अपराधों को दमन से बन्द करे। मेरा निवेदन यह है कि हमारी सरकार ही ऐसी है जो इन अपराधों को रोक सकती है और उन समस्याओं को अपने ढंग से सुलझा सकती है जिनके कारण अपराध होते हैं। बशर्ते उसके पास सही आंकड़े हों और यह भी मालूम है कि किन्हीं क्षेत्र में किन कारणों से अपराध होते हैं। इसके लिये मैं सुझाव दे चुका हूं कि अगर इस प्रकार के स्वतंत्र और निष्पक्ष साधन इन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये मिल जांय तो वाक़ई अपराध रोके जा सकते हैं और सरकार सही स्थिति से हमेशा वाक़िफ रह सकती है। जहां तक हमारे मित्र माननीय वीरेन्द्र-शाह जी ने इस हाउस में अभी बताया है कि कांग्रेस पार्टी के आदमी पुलिस विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह--श्रीमन्, मैं परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह बैठना नहीं चाहते। आप बाद को उनसे कह लीजिये।

श्री रमानाथ खैरा--मुझे इस बात का दुख है और मैं कह सकता हूं कि इस बात की सब से ज्यादा अहतियात अगर कोई रखता हो तो वह कांग्रेस पार्टी के लोग ही हैं। वह किसी तरह से भी पुलिस कार्यों में दखल नहीं देते। इसके अलावा हमारे माननीय सदस्य को समझाना चाहिये कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुचारु रूप से चलाने का सबसे ज्यादा खयाल अगर किसी को है तो वह कांग्रेस पार्टी को ही होगा और अगर कांग्रेस मैन पुलिस को कभी ग़लत रास्ते पर जाने से आग्रह करता है तो किसी को शिकायत क्यों होनी चाहिये? लेकिन अगर कांग्रेसमैन किसी पुलिस आफिसर को ग़लत रास्ते पर जाने से रोकने के लिये कोई सुझाव देता है क्योंकि ऐडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज्यादा सुचारु रूप से चलाने के लिये सब से ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस की ही है इसलिये अगर कांग्रेस का आदमी कोई सुझाव देता है तो उसके लिये एतराज नहीं होना चाहिये। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं सरकार जो सुझाव मैंने दिये हैं उनको कार्यरूप में परिणित करेगी।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो पुलिस का अनुदान है और सरकार ने इस अनुदान के लिये जो उदारता दिखलाई है उसके लिये मैं उसको धन्यवाद देता हूं। साथ ही मुझे यह कहना पड़ता है कि आज पुलिस के ऊपर जितनी आलोचनायें हुई हैं वह हमारे स्टेट के लिये अच्छी बात नहीं है क्योंकि आज हमारे स्टेट में पुलिस के द्वारा जो कुछ भी हुआ है, जितनी घटनायें हुयी हैं उसमें पुलिस ने जितनी मदद की है उसके लिये वह प्रशंसनीय है। लेकिन कुछ उसमें त्रुटियां भी हैं उन्हें दूर करना हमारा कर्तव्य है। हम अपनी सरकार से अनुरोध करते हैं कि उसको उन्हें दूर करने के लिये जल्द प्रयत्न करना

[श्री रामप्रसाद देशमुख]
चाहिये। हमारे माननीय सदस्य ने यह बतलाया है कि बहुमत पार्टी के लोग जा कर पुलिस पर अपना प्रभाव दिखलाते हैं और दूसरी पार्टी के लोगों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश करते हैं। यह कहना बिलकुल गलत है। पुलिस का काम किसी पार्टी बन्दी में फंसना नहीं है और न वह फंसती है। पुलिस को किसी भी पार्टी की बात नहीं सुनना चाहिये और यह प्रसन्नता है कि उसने पार्टियों की तरफ ध्यान नहीं दिया है कि इस पार्टी ने ऐसा किया है या उस पार्टी ने ऐसा किया है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ त्रुटियां अवश्य पुलिस में पार्टीबन्दी की वजह से आगई हों ऐसा हो सकता है। क्योंकि आज पार्टीबन्दी चल रही है और इस पार्टीबन्दी के नाते पुलिस में त्रुटि आ गयी है और मैं समझता हूं कि पुलिस वाले पार्टीबन्दी में कुछ सहयोग देते हैं और पुलिस में पार्टीबन्दी है और पुलिस में उनके रिश्तेदार ऐसे हैं जो हमारी सरकार को कुठाराघात पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। इन चीजों को देखना चाहिये। अगर वह अपने देश की खातिर पुलिस में भर्ती होने के लिये आये हैं उनका कर्त्तव्य है कि वह इस गवर्नमेंट के साथ वफादारी दिखायें और पार्टीबन्दी को छोड़ें।

दूसरे देहातों में देखने में आता है कि पुलिस घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच नहीं पाती है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पुलिस के लिये ट्रैफिक की ज्यादा सुविधा दी जाय। जब तक उनके लिये ट्रैफिक में सुविधायें नहीं होंगी तब तक वह अराजकता रोकने में असमर्थ हैं। देखने में आता है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि पुलिस वालों के लिये ट्रैफिक की ज्यादा से ज्यादा सुविधायें पहुंचाई जायं जिससे वह समय के अन्दर मौके पर पहुंच सकें।

रिपोर्ट के बारे में जो बातें कही गयी हैं उनको मैं मान लेने के लिये तैयार हूं। पुलिस ज्यादातर रिपोर्ट्स में उन बातों को लिखने की कोशिश नहीं करती है जो उसको बतायी जाती हैं और अपनी जांच की हुई बात पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि वह तो यह देखते हैं कि हमारा मतलब किससे निकलता है। वह सही बातों को नहीं लिखते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वह रिपोर्ट सही मानों में लिखें और जब वह सही मानों में रिपोर्ट लिखेगी तभी कल्याण हो सकता है। क्योंकि मुकदमों में देखा जाता है कि ज्यादातर एफ० आई० आर० पर ही केसेज छूट जाते हैं। जो पुलिस रिपोर्ट लिखती है उसके ही आधार पर केस चलता है। पुलिस के जो दफा १०७,१०९ और ११० के मुकद्दमे चलते हैं उनमें पुलिस के लिये आर्डर होता है कि वह जांच करे कि जामिन मोतबिर है या नहीं। पुलिस से यह आशा की जाती है कि वह सही जांच करे कि आया जामिन मोतबिर है या नहीं। मैं कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा करप्शन होता है। इसकी जांच किसी भी अथारिटी, तहसीलदार या एस० डी० ओ० से करायी जानी चाहिये यदि यह हो जाय तो करप्शन रुक सकता है। ज्यादातर दफा १०७,१०९ और ११० के मुकद्दमे इसलिये चलाये जाते हैं कि उनमें पुलिस को आमदनी होती है क्योंकि जानते हैं कि जब उनके पास हुक्म आयेगा तब वह देखेंगे कि जामिन मोतबिर है या नहीं। ऐसे भी जामिन होते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होता है वह जामिन बन जाता है और लोग पुलिस को रुपया भी दे देते हैं। पुलिस उनको लिख देती है कि जामिन मोतबिर है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि जब १०७,१०९,११० में चालान किया जाय तो पुलिस के लिये यह हुक्म न भेजा जाय कि वह जांच करे कि जामिन मोतबिर है या नहीं।

एक बात और यह है कि शहरों में यह देखने में आता है कि जुये और सट्टे की बहुत ज्यादा शिकायत है और उसमें यह सुनने में आता है कि पुलिस अपना शेयर रखती है। जब देखने में यह आता है कि शहरों में जुआ और सट्टा दिन बदिन ज्यादा जोर कर रहा है तो क्या वजह है कि पुलिस ढिलाई दिखाती है। मैं समझता हूं कि पुलिस का इसमें हाथ है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि उसके वेतन में कुछ कमी है तो उसकी पूर्ति करने की वह कोशिश करे। आज उनका कहना यह है कि उनको पेट भर नहीं मिलता है, उनका कहना ठीक है। लेकिन उनको ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट से एप्रोच करना चाहिये और हम लोगों का कर्त्तव्य है कि उसकी पूर्ति करने की कोशिश करें।

मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि हर डिपार्टमेंट में अछूतों के लिये १० प्रतिशत के रिजर्वेशन की सरकार ने योजना बनाई है। लेकिन ज्यादातर हमारे यहां यह देखने में आया है कि उनको कम किया गया है किसी न किसी बहाने उन पर इल्जाम लगा कर सब-इंस्पेक्टर को मोअत्तिल किया गया है। मेरा निवेदन है कि ऐसी सूरत में जांच करने के साथ साथ हमदर्दी दिखाई जाय और उनको मौक़ा दिया जाय क्योंकि यह ख़ास बात है कि कमज़ोर आदमी किसी न किसी रूप में फांसा जा सकता है। मेरी प्रार्थना है कि उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय।

अगली बात यह है कि जो वातावरण हमारे प्रदेश में फैल रहा है वह बहुत शोचनीय है। पुलिस ज्यादा करप्शन कर रही है, हर तरफ से उसकी शिकायतें आती हैं। उसका कारण यह भी होता है कि लोग उसमें सहयोग देते हैं। जब पुलिस को मालूम होता है कि फलां मुक़द्दमा छटने वाला है तो वह गवाहों को बरगलाती है, उन पर दबाव डालती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सच्ची घटनायें हों तो उसमें किसी किस्म की हठधर्मी न दिखायी जाय, किसी गवाह को ग़लत न बरगलाया जाय। मेरा यह अनुभव है क्योंकि मैं भी ५ साल आनरेरी मॅजिस्ट्रेट रह चुका हूं कि १०९ के केसेज झूठे बनाये जाते हैं। १०९ में जो एक दफे जेल काट आता है उसी को बार बार १०९ में पुलिस पकड़ लेती है। इस तरह से १०९ के केसेज ९९ प्रतिशत झूठे होते हैं। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दें ताकि पुलिस वाले किसी से दुश्मनी निकालने के लिये या झूठे मुक़दमें चलाने के लिये १०९,१०७ और ११० का ग़लत इस्तेमाल न कर सकें।

तीसरी बात यह है कि पुलिस के ऊपर जो आक्षेप लगाये जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसा करना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो त्रुटियां हैं उनकी तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिये। दूसरे मुल्कों में यह होता है कि जो सरकार पावर में होती है गवर्नमेंट के अधिकारी उसके पीछे होते हैं लेकिन यहां देखने में यह आता है कि पुलिस वाले सरकार की आलोचना ही किया करते हैं। कांग्रेसियों की या जो खादी टोपी पहने हों उनकी आलोचना करते हैं। आगे तो नेता जी, आइये, लेकिन पीछे उनकी बुराइयां किया करते हैं। उनको ईमानदारी और वफादारी से काम करना चाहिये। हम हाउस में जो चिल्ला कर कहते हैं उनको उसे जनता की आवाज समझनी चाहिये। उनको इसलिये क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि वह अपना कर्त्तव्य भुला चुके हैं। वह यह सोचते हैं कि यहां की सरकार का कोई महत्व नहीं लेकिन उनको समझना चाहिये कि वह अपनी सरकार है। उसमें उनको फेथ रखना चाहिये और जनता के साथ सहयोग करना चाहिये। इसी में उनकी भलाई है। जयहिन्द।

श्री कमाल अहमद रिज़वी (ज़िला खीरी)--माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता तो यह था कि अपने गृह मंत्री को पहले धन्यवाद दे दूं लेकिन अब तो जी यह चाहता है कि अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूं क्योंकि दो दिन के उठने बैठने के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला। हमारे हाउस में और हाउस के बाहर जो पुलिस की आलोचना होती है उसको हम ध्यान से सुनें और समझें तो ऐसी भयानक तस्वीर है और समझ में नहीं आती कि कैसे लोग उसमें ज़िन्दा हैं और अपनी इज्जत और आबरू सम्भाले हुये हैं। मेरा कहना यह है कि कुछ ज्यादती के साथ हाउस के अन्दर और बाहर उन बातों को कहा जाता है। सन् ४७ के पहले जो कुछ हुआ वह दूसरी बात है। जनता को कोई शिकायत नहीं होती थी क्योंकि वह यह समझती थी कि विदेशी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वह हमारी हालत सुधारे। हमारे यहां जो तरह तरह की ख़राबियां हैं, लेकिन आज जब अपनी सरकार आई है, तो वे कम होते हुये भी ज्यादा मालूम होती हैं। मैं यह नहीं कहता कि बुराइयां नहीं हैं, बुराइयां ज़रूर हैं, लेकिन हमारे सोचने और समझने के तरीक़े में थोड़ा फ़र्क़ है। जो आशा हम विदेशी सरकार से नहीं रखते थे आज अपनी सरकार से ज़रूर रखते हैं। इसलिये थोड़ी बुराई भी हमें ज्यादा मालूम होती है। मैं तो यह कहता हूं कि काफी तब्दीली हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में लेकिन बहुत काफ़ी फ़र्क़ अभी होना है और जो कुछ अभी नहीं हुआ है और जो अभी होना है

[श्री कमाल अहमद रिज़वी]

वह हालांकि कम है लेकिन चूंकि अपनी सरकार है इसलिये बहुत ज्यादा मालूम होता है। एक बात बहुत साफ़ है जिससे बहुत कम लोगों को इन्कार होगा वह यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े आफ़िसर्स थे जैसे एस० पी०, डी० एस० पी० इनमें पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में भी बहुत करप्शन था लेकिन आज यह पूरे तरीक़े से साफ़ है। मैं यह नहीं कहता कि कोई भी नहीं लेता लेकिन ज्यादातर पुलिस के बड़े आफ़िसर्स रिश्वत वग़ैरह से साफ़ हैं, यह कोई छिपी बात नहीं है। मैं तमाम ज़िलों की बात तो नहीं जानता लेकिन अपने ही ज़िले में बहुत काफ़ी तजुर्बा मुझे रहा है, बहुत से लोग वहां आये और गये, और लोगों से मेरी बातचीत भी हुई लेकिन उनमें ऐसी चीज़ पायी नहीं गयी। जो दो चार परसेंट ऐसे होंगे उनमें भी यह चीज़ दूर हो जायगी।

एक बात खास कही गयी और जिसे बहुत से भाइयों ने कहा कि आमतौर पर थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मेरे ख़याल से ऐसा तो नहीं है, रिपोर्ट तो लिखी जाती है लेकिन ग़लत तरीक़े से लिखी जाती हैं, डकैती की चोरी में और चोरी की किसी और चीज़ में इस तरह से रिपोर्ट लिखी जाती है। और जब रिपोर्ट लिखी जाती हैं तो ऐसा है कि रुपया जरूर पड़ता है। इस बात को दूर होना चाहिए काफ़ी अर्सा लगेगा इस बात को दूर करने में भी, लेकिन मैं समझता हूं कि गृह मंत्री का ध्यान इस तरफ जरूर होगा कि कोई ऐसी तरकीब निकालें जिससे इस क़िस्म की बातें दूर हो सकें।

एक और बात कल हाउस में कही गयी कि सब नये सब-इंस्पेक्टर्स भर्ती किये जायं और पुराने लोगों को पेंशन दे दी जाय। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा तो यह है कि नये सब-इंस्पेक्टर्स हालांकि तालीम में ज्यादा हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं लेकिन जहां तक रिश्वत का सवाल है तो अगर पुराने ज़माने का सब-इंस्पेक्टर किसी काम को २०० रुपये ले कर करता था तो नया सब-इंस्पेक्टर, मेरा अपना विचार है, एक हज़ार और ५०० रुपये से कम में नहीं करता। इसलिये पुरानों को रिटायर कर दिया जाय और सब नये भर्ती किये जायं यह मेरी समझ में कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है।

दूसरी बात मुझे माडल थानों के मुताल्लिक़ कहनी है। जब शुरू में ये माडल थाने बने थे तो बड़ी आशायें बंधी थीं कि यह एक नमूना हमारे ज़िले में होगा और इसको देख कर दूसरी जगह भी असर पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा हुआ नहीं। हमारे ज़िले में जो माडल थाना बनाया गया उसमें जो सब-इंस्पेक्टर तैनात किये गये उनके बारे में बाद में यह मालूम हुआ कि ज़िले के सब से ज्यादा रिश्वत लेने वाले वही थानेदार हैं। इसलिये ज़ाहिर है कि जो आशा जनता को थी वह पूरी नहीं हुई। इससे बुरा असर भी पड़ता है, सरकार की भी बदनामी होती है और पुलिस की बदनामी तो ज़ाहिर है कि हुई ही।

एक बात मुझे और कहनी है। जहां तक ज़मानत वग़ैरह का सवाल है, मेरा अपना तजुर्बा यह रहा है, इसको किसी भाई ने नहीं कहा कि कुछ दिनों से मैं इस टेंडेंसी को देख रहा हूं कि हमारे प्रासीक्यूटिंग इंस्पेक्टर्स जो कहलाते हैं उनके अन्दर भी यह चीज़ शुरू हो गयी है। देहात के लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे मुक़द्दमे की बातें पूछता हूं और अपनी मजबूरी ज़ाहिर करता हूं कि भाई, यह अदालत का मामला है इसमें क्या हो सकता है। दूसरे दिन वह बताते हैं कि फ़लाने की ज़मानत हो गयी। मैं पूछता हूं कि कैसे, उनकी ज़मानत तो हो ही नहीं सकती थी। तो वह कहते हैं कि कोर्ट साहब से मिल लिये रहन और थोड़े बहुत में मामला तय हो गया। तो इस बात की तरफ़ ध्यान देने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि कोर्ट इंस्पेक्टर का अच्छा ग्रेड भी होता है और कुछ वकीलों में से भी लोग लिये जाने लगे हैं लेकिन उसके साथ-साथ यह बात है जिसे हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

कल इसी सदन में एक भाई ने यह बात कही थी लखीमपुर में एक एम० एल० ए० ने १०० रुपये पुलिस को दिये तब उनका काम बन पाया। मैंने इस बात की पूंछतांछ की और पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह बात सरीहन ग़लत है और ऐसा नहीं हुआ। चूंकि

यह हुआ कि यह बात मेरे ज़िले के बारे में कही गयी थी जिससे हमारे ज़िले की और एम० एल० एज़० की बदनामी होती थी इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी आदमी का ऐसा ख़याल हो तो वह सब लोगों से पूछ सकता है और उसकी जांच कर सकता है। मैंने इस बात को इसीलिये साफ़ कर दिया ताकि उसका सुधार हो जाय।

आख़िर में मुझे एक बात और कहना है। कल मेरे एक मित्र ने कहा कि लाइसेंस जो अस्लाहात के दिये जाते हैं उनको कम कर दिया जाय, लेकिन मेरी तो यह राय है कि कम से कम हर गांव में एक लाइसेंस बंदूक वग़ैरः का ज़रूर दिया जाय। अगर रिकार्ड को देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि जिस गांव में एक दो बंदूक के लाइसेंस हैं वहां पर चोरी और डकैती कम होती है बनिस्बत उन गांवों के जहां ऐसे लाइसेंस नहीं हैं। यों तो इंपीरियल बैंक तक में चोरी हो जाती है जहां कि काफी पहरा रहता है लेकिन देहातों में जहां एक भी बंदूक रहती है वहां लोगों को खौफ रहता है और वहां चोरियां कम होती हैं। मेरा कहना यह तो नहीं है कि इनडिस्क्रिमिनेटली लाइसेंस दिये जायंकिनले यह ज़रूर कहूंगा कि जो इसके मुस्तहक हैं उनको अवश्य दिये जायं। आख़िर में मैं गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो बजट उन्होंने पेश किया है और जिस अनुदान की उन्होंने मांग की है उसका सही उपयोग किया जाय।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--इस संबंध में कल से जो कुछ पुलिस की बाबत कहा जा रहा है उसको भवन के अन्दर बैठे सुनते हुये यह ख़याल होता है कि अगर इस देश से और कम से कम हमारे प्रांत से पुलिस को निकाल दिया जाय तो यहां रामराज्य हो जाय। बहुत से सज्जनों ने कहा कि पुलिस वाले रिपोर्ट गलत लिखते हैं, इंक्वायरी ठीक नहीं करते, पैसा भी लेते हैं और काफी उपद्रव करते हैं। लेकिन अगर हम इस भवन के बाहर भी देखें कि हमारे बीच में जो आम आदमी हैं और उनकी जो हालत है, जिनमें ये लोग भी शामिल हैं तो आपको मालूम होगा कि पुलिस वाले भी हमारे जैसे ही देशभक्त हैं, वे भी यहीं के नागरिक हैं और उनमें भी बहुत से अच्छे आदमी हैं, जो अपने देश की या अपने प्रांत की भलाई सोचा करते हैं।

अगर आप आम आदमी की तरफ नज़र डालें तो आपको मालूम होगा कि वह क्या करते हैं, आप दूकानदार को देखें कि वह कितनी सच्चाई से काम लेता है, कितने दूध वाले हैं जो दूध को बिना पानी मिलाये बेचते हैं, कितने नमक बेचने वाले हैं जो बिना मिट्टी मिलाये नमक बेचते हैं, कितने व्यापारी ऐसे हैं जो इन्कम टैक्स बचाने के लिये डबल बही खाते नहीं बनाते, आज हमारे यहां भी बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो वकील हैं, वे ज़रा अपनी तरफ भी ध्यान से देखें कि अपनी प्रेक्टिस को चलाने के लिये यह जानते हुये कि यह मुकदमा बिलकुल झूंठा है उसकी वकालत करते हैं।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--प्वाइंट आफ आर्डर सर, इस वक्त पुलिस के ऊपर बहस हो रही है और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह वकीलों के बारे में कह रहे हैं। मेरे ख़याल से यह रेलवेन्सी से बाहर की चीज़ है उनको अपने विषय के बाहर नहीं जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--यह प्वाइंट आफ आर्डर उचित नहीं है। आप जारी रखें।

श्री तेजासिंह--मैं अपने माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि मेरा मतलब वकीलों या किसी और पर इल्ज़ाम लगाने का नहीं है, मैं सिर्फ अपनी हालत बयान कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि इस वक्त हमारे देश के आम आदमी की हालत कैसी है और पुलिस वाले भी उसमें शामिल हैं। हम कहते हैं कि पुलिस वाले बेईमान हैं क्योंकि पुलिस का अनुदान हमारे सामने पेश है। मैं पुलिस वालों की वकालत नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपके सामने एक समस्या रख रहा हूं कि हमारे देश की क्या हालत है और उसमें केवल पुलिस वालों को भला बुरा कह कर सुधार नहीं किया जा सकता। हमें देश

[श्री तेजा सिंह]

के हर एक वर्ग की तरफ खयाल करना चाहिये और देशवासियों के आचरण को ऊंचा उठाकर अपने देश को ऊंचा उठाना चाहिये। तो मैं अगर वैसे गिनाना शुरू करूं तो अभी वकील साहब नाराज हो जायेंगे हो सकता है कि कोई डाक्टर भी यहां बैठे हों जो ५ रु०, ६ रु० और १० रु० लेकर बहुत से डाक्टर साहबान झूठी सार्टिफिकेट दे देते हैं। आप किसी सिविल सर्जन के पास चले जाइये और १६ रु० फीस देकर सिक लीव ले लीजिये। इसी तरह से टीचर्स के पास चले जाइये हेडमास्टर के पास, प्रोफेसर जो पढ़े लिखे माने जाते हैं उनके पास कोई लड़का जाता है और कहता है कि मुझे पुलिस में भर्ती होने के लिये सार्टिफिकेट की जरूरत है तो चाहे वह भले ही फुटबाल या हाकी का खिलाड़ी न हो लेकिन प्रिंसपल साहब सार्टिफिकेट दे देते हैं कि यह लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। यह मैं नहीं कहता हूं कि यह आम बुराई नहीं है, यह सभी में है। लेकिन जो कुछ मेरा अनुभव है वह यह है कि यह बुराई हमारी आम सोसाइटी के अन्दर है जिसको हमें दूर करना है। मैं अपनी ही एक मिसाल सुना कर अपने कथन को खत्म करता हूं। मेरे पास एक व्यक्ति एक सज्जन को लेकर आये कि इनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ये बहुत गरीब हैं इसलिये बच्चे की फीस माफ होनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि वे एक ऐसे सज्जन को लेकर आये जिसने गलती से कहूं या खुशकिस्मती से एलेक्शन में काफी काम किया था और उन्होंने कहा कि लड़के की फीस माफ होनी चाहिये। तो मुझे भी कुछ लालच हुआ कि इनसे मुझे वोट मिले हैं और हो सकता है अगर अगली बार भी यहां आने के लिये वोट के लिये कहना पड़े, मैंने लिख दिया कि इसकी फीस माफ होनी चाहिए मैं नहीं जानता कि उसकी फीस माफ हुई या नहीं। चार महीने के बाद वही सज्जन एक और आदमी को लेकर मेरे पास आये और बदकिस्मती से उसने भी एलेक्शन में काम किया था। उसने कहा कि इनको पिस्तौल का लाइसेंस लेना है, ये बहुत बड़े अमीर हैं। अपना बही खाता भी साथ साथ लाये हैं। ये ५० हजार रु० के करीब इनकम टैक्स देते हैं। आप लिख दीजिये कि ये अमीर हैं और इनको पिस्तौल का लाइसेंस मिलना चाहिये। चार महीने पहले मैं कह चुका हूं कि यह आदमी गरीब है, और बाद में फिर लिखता हूं कि यह बड़ा अमीर है, इसको लाइसेंस जरूर मिलना चाहिये। तो इसमें मैं अपने को बुरा कहूं या जिसने मुझसे ऐसी बात कराई उसको बुरा कहूं? मेरा अपना अनुभव है कि ऐसे भी सदस्य हैं जो कि चीज को ठीक समझते हुये भी इस सोसाइटी में मजबूर हो जाते हैं कि वे गलत काम करें। तो मेरी प्रार्थना यह है कि हम सिर्फ पुलिस अधिकारियों और मुलाजिमों को ही टार्गेट न बनायें बल्कि अपनी तरफ भी जरा खयाल करें कि जहां हमारी सोसाइटी की बुराई दूर करनी है वहां हम कोशिश करके अपना भी सुधार करें।

एक बात यहां यह भी सुनने में आयी कि क्राइम में कोई कमी नहीं हुई है। अगर आप अपनी तरफ ध्यान मारें तो आप सब अनुभव करेंगे कि जब किसी के यहां चोरी हो जाती है और वह पुलिस के यहां जाकर रिपोर्ट लिखवाता है तो रिपोर्ट लिखवाने वाले से पुलिस वाले कहते हैं कि किसी का नाम लिखाओ जिसके ऊपर तुम्हें शक हो। उस शख्स को शक है कि फलां आदमी ने चोरी की है लेकिन वह मुहल्ले का बदमाश है इसलिये वह उसका नाम नहीं लेता और उस पुलिस से कहता है कि आप ही अपने अनुभव से किसी का नाम लिख लीजिये और मेरी चोरी का पता लगा दीजिये। चोरी का माल पकड़ा जाता है, चोर भी पकड़ा जाता है लेकिन चूंकि अदालत कहती है कि मौके का गवाह लाओ। एक या दो बजे रात में चोरी हुई है, कोई गवाह नहीं है इसलिये पुलिस वाले झूठे गवाह करते हैं। कोई भला आदमी झूठ बोलने के लिये तैयार नहीं होता लिहाजा पुलिस वाले उससे कहते हैं कि बिना झूठ बोले हुये अदालत उसे सजा नहीं दे सकेगी इसलिये इतना झूठ तो आपको जरूर बोलना पड़ेगा। इसलिये इंसाफ का जो तरीका है उसको बदलने की जरूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि जो सही मुलजिम होता है वह बच जाता है और उसे सजा नहीं हो पाती और जो बेकसूर होता है उसे सजा हो जाती है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं और मद्रास में कोई मुकदमा करता है। तो वहां शहादत हो जाती है,

आप जानते भी नहीं और हो सकता है कि आपको सजा हो जाय। इसलिये जहां और बुराई है क्राइम न रोकने की वहां मैं समझता हूं कि जो तरीका इंसाफ है उसमें कोई न कोई ऐसी तब्दीली करनी चाहिये जिससे कि सही मुलजिम बच नहीं सके। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों से भी प्रार्थना करता हूं कि वे भी अपनी बुराइयों को दूर करें। कम से कम इससे न घबड़ायें कि केवल वे ही बुरे हैं। दूसरे भी बुरे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल से बहुत गौर से इस महत्वपूर्ण विभाग पर हो रहे विवाद को सुन रहा हूं। मुझे अफ़सोस होता है कि सिवाय कुछ के, सरकारी बेंचों के माननीय सदस्यों ने भी एक मत से इस विभाग की निन्दा की है चाहे वह दबी जबान से हो या खुली जबान से लेकिन की। मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि अपराधों की संख्या के संबंध में उधर के भी माननीय सदस्यों की यह राय है कि उनको छिपाया गया। मैं नहीं कह सकता कि इसको छिपाने से क्या फ़ायदा है। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि एक मामूली थानेदार, मुंशी या मुहर्रिर गलती करता है और वह अपराधों को छिपाने की कोशिश करता है वैसी हालत में जब यहां इतने ऊंचे स्तर पर आने के बाद उन अपराधों को छिपाने की कोशिश की जाय तो मैं समझने से मजबूर हो जाता हूं कि इसका दोषी कौन है? वह मुंशी लोग जो रिश्वत लेते हैं जब हम उनको यह कहते हैं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और वह डिमोरलाइज़ होते जा रहे हैं तो जिनकी बुद्धि बहुत ठीक है और जिन लोगों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह डिमोरलाइज़ हो गये हैं उन्होंने अपराधों को छिपाने की क्यों कोशिश की यह समझ में नहीं आता है? मैं अपराधों के आंकड़ों को इस सदन के सामने न बताकर कुछ समय बचाना चाहता हूं कि उनके देने में ज्यादा वक्त सरफ न करूं, लेकिन अगर जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट दोनों की तुलना की जाय और उसको गौर से पढ़ा जाय तो दोनों को देखने से मालूम होगा कि कितना अन्तर पड़ता है? जब आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की जाती है और किसी गलत बात को कहने की कोशिश की जाती है तो उसमें यह हमेशा हुआ करता है कि उसमें कुछ गलती हो जाय और उस गलती के पकड़े जाने की गुंजाइश होती है। अभी कुछ आंकड़े माननीय नारायण दत्त जी ने आपके सामने रखे। मैं बहुत ज्यादा अर्ज करना नहीं चाहता हूं इस संबंध में क्योंकि श्रम और संख्या पर अभी विवाद होने वाला है तब मैं कुछ आंकड़े रखूंगा। मैं नहीं समझता कि इस मौजूदा विभाग में जिसका संबंध माननीय गृह मंत्री से है उसमें भी कोई भेद हो सकता है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह एक वह बीमारी है जिससे सरकार मर सकती है। जैसे कोई गुप्त रोग होता है और रोग वाला जो आदमी होता है अर्थात् अगर किसी को सुजाक और गनोरिया गुप्त रोग होता है चाहे वह किसी पुरुष को हो या स्त्री को, तो वह किसी डाक्टर या वैद्य को बताना नहीं चाहता है। उसी तरह से यह हालत हमारी सरकार की है और वह अपराधों को एक गुप्त रोग समझती है कि अगर अपराधों की संख्या को ठीक ठीक यहां सदन के सामने रखा जायगा तो उसका भंडाफोड़ हो जायगा। यह पाप है और इस पाप का नकशा लोगों के सामने आ जायेगा। तो जो हालत उस गुप्त रोगी स्त्री या पुरुष की होती है वही हालत इन आंकड़ों को छिपाने की हमारी सरकार की है और इससे दूसरी हालत सरकार की नहीं हो सकती। मेरा यह निवेदन है माननीय गृह मंत्री से कि बड़ी तादाद में आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की है और इन आंकड़ों को छिपाने के बाद मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी किस प्रकार से अपनी सुबुकदोशी साबित करेंगे और उसे छिपाने में कैसे यह बात मानी जा सकती है कि ऐसा होने में वह साजिश नहीं रखते हैं। मैं साजिश लब्ज का खासतौर से प्रयोग करता हूं माननीय गृह मंत्री के सिलसिले में, क्यों कि उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं और उनसे हमको बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं और बड़ी बड़ी उम्मीद रखने के बाद यह बात

[श्री गेंदा सिंह]

कहता हूं। इसलिये मैं साज़िश लब्ज का इस्तेमाल करता हूं। वह मुझे इस गुस्ताखी के लिये क्षमा करेंगे। अभी कुछ आदर्श थाने बनाये गये हैं। कल से उन आदर्श थानों की बाबत मेरे सामने ही नहीं बल्कि सभी सदस्यों के सामने उन आदर्श की बात कही गई। आदर्श के माने यह होते हैं कि आदर्श आगे चलने वाला है दूसरे उसके पीछे चलें। आदर्श थानों के बारे में शिकायत यह है कि वह झूठे मुकदमें बना लेते हैं और घूस लेते हैं जब कि उनको इसके खिलाफ़ काम करना चाहिये था। मैं एक आदर्श थाने की बात जो हमारे जिले की है इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तरकुलवा थाने में जो थानेदार साहब वहां पर गये, मैं यह समझता हूं कि वह झूठे मुकदमे बनाने में सबसे ज्यादा माहिर थे। उस आदर्श थाने के वह थानेदार साहब एक गांव छितौनी में २७ तारीख को गये और २८, २९ तारीख में उन्होंने पूरे गांव को लूट डाला। उस आदर्श थाने के थानेदार की उस कार्यवाही की जांच करके उस गांव से माननीय राम सुभग वर्मा और माननीय राजवंशी राय आये हुए हैं और उन्होंने जाकर उस गांव को देखा और वहां की औरतों ने लड़कियों ने, और मर्दों ने जो बयान दिये हैं उनको इस सदन के सामने रखना बहुत ही जरूरी होगा। मेरा ख्याल गलत हो सकता है चूंकि मैं प्रत्यक्ष-दर्शी नहीं हूं लेकिन अगर माननीय राम शुभग वर्मा की बात सुन ली जायगी कि एक स्त्री का क्या बयान है और उसने क्या कहा है तब आपको मालूम होगा। उसने कहा है कि, पुलिस के लोग कुछ गुंडों को लेकर उस के घर में घुसे और उसके बाद उसके कपड़े उतारे लेकिन जब उसने कहा कि मैं तो बुड्ढी औरत हूं तब उन्होंने उसको छोड़ा। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। यह आदर्श कार्य आदर्श थाने के हैं और इस तरह के काम आदर्श थानों में होते हैं। तो इस प्रकार के आदर्श काम करने की दूसरे लोग क्यों न कोशिश करें क्योंकि इससे उन की तरक्की होती है, वह इंस्पेक्टर और एस०पी० बनते हैं और मनुष्य-स्वभाव ही ऐसा है की वह तरक्की चाहता है और जिस तरह से भी तरक्की हो सकेगी वह करेंगे। केवल इतनी बात कहने के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमें यह देखना चाहिये कि वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें मनुष्य किसी अनुचित काम को करने के लिये विवश होता है। हम इंगलैंड और स्काटलैंड की पुलिस से अपने यहां की पुलिस की तुलना तो करते हैं लेकिन कभी सरकार यहां के आर्थिक ढाँचे को भी समझने की कोशिश करती है कि जिसमें आर्थिक मजबूरियों के कारण तमाम चोरी और रिश्वतखोरी होती है और बढ़ती है ? मैं एक बात जानना चाहूंगा कि यहां की प्राविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी है, वहां एक सिपाही को क्या तनख्वाह दी जाती है और उसकी उस तनख्वाह में से कितना उसके मेस खर्च के लिये हर महीने में निकल जाता है ? उसको ६ छटांक राशन मिलता है और जो आदमी तीन चार पांच सेर की बंदूक लेकर आठ आठ घंटे ड्यूटी करता है वह कैसे अपना पेट भर सकता है ? इस तरह से उसको ब्लैक मार्केट से अनाज खरीदना पड़ता है और उसकी २५ रुपया तनख्वाह कट जाती है, जो ५० रुपया पाता हो और उसमें से २५ रुपया कट जाते हों तो आप समझ सकते हैं कि वह २५ रुपये में कैसे गुजर कर सकता है। सिविल पुलिस चोरी करती है, रिश्वत लेती है ऐसा हम कह सकते हैं लेकिन यह पी०ए०सी० वालों को तो ऐसी किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहती है। क्या कभी इस प्रश्न को इस तरह से मंत्री जी ने सोचा है और विचार किया है ? जो पुलिस का बजट सन् ३७-३८ में एक करोड़ ६५ लाख के करीब था वह आज बढ़कर ७ करोड़ १६ लाख का हो गया है और उसमें से एक कानिस्टिबिल क्या पाता है ? और वह पुलिस के नीचे का आदमी जो गांव में रहता है जिसका सीधा संबंध वहां की जनता से है उसकी जिन्दगी के बारे में भी कभी सोचा गया है कि वह भूखा भेड़िया हो कर गांव में न जाय। क्या आप आज पटवारी को और पुलिस को भूखा भेड़िया बना कर गांवों में भेजना चाहते हैं ? नतीजा यही होता है कि वह भूखा भेड़िया गांव में जायगा, खायेगा, खोजेगा, इसलिये सरकार को इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि आज का आर्थिक ढांचा स्वयं देश को अपराध के

लिये मजबूर करता है। इस चीज को छिपाने से काम नहीं चल सकता है, सरकार को इस चीज को अपने सामने रखना चाहिये और इस रोग का अनुदान जब ठीक होगा तभी ऐसे रोग का इलाज हो सकता है। आज जिस ढांचे से और जिस रास्ते से सरकार चल रही है उससे तो न रिश्वत में कमी हो सकती है और न अपराध ही घट सकते हैं। कहा जाता है कि जमींदारी अबालिशन के बाद विशेष तौर पर देहात की व्यवस्था पर ध्यान रखना चाहिये लेकिन जो अव्यवस्था हो रही है वह सबको मालूम ही होगी। आजमगढ़ से तार आया है कि वहां दिन दहाड़े किसानों के खेत काटे जाते हैं और इन्द्राजों के लिये तमाम झगड़े काश्तकार और जमींदारों में होते हैं बलवे होते हैं और पुलिस उनमें मदद करती है। इन मसलों पर सरकार को गौर करना चाहिये और बुनियादी तौर से देखना चाहिये कि किस तरह से इनका हल निकल सकता है। एक विरोधाभास जरूर मालूम होता है, माननीय वीरेन्द्र शाह की सारी सद्भावना के साथ भी माननीय गृह मंत्री जी सफल हैं इस ऐडमिनिस्ट्रेशन में लेकिन वह सफल हो पावेंगे इसमें मुझे संदेह है। वह सफलता से जो इस वक्त आर्थिक ढांचा और उस ढांचे का रूप है उसको ढो रहे हैं। वह उसके विरुद्ध हैं, लेकिन मजबूरी है। द्रोणाचार्य की तरह से उनकी मजबूरी है कि वह उसको ढोयें। मैं समझता हूं कि इस पुलिस का सुधार माननीय गृह मंत्री के जमाने में बुनियादी तौर पर कोई सुधार संभव नहीं है। मैं आखिर में इतना निवेदन करूंगा कि बुनियादी तौर पर उनके आर्थिक ढांचे को बदलने की कोशिश की जाय तभी संभव है कि हमारे प्रांत का ऐडमिनिस्ट्रेशन खूबी के साथ चल सके।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो इस सदन के उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिनका भाषण कि कल से आज तक हमको सुनने को मिला। हो सकता है कि जो बातें यहां कही गयीं उनमें से किसी वजह से कुछ बातें मुझको पूरे तौर से समझ में न आई हों, या उन पर पूरे तौर से अमल करने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं, परन्तु एक बात तो है ही। एक बात के विषय में तो कोई भी मतभेद नहीं है और वह यह कि हम सब चाहे उधर बैठे हों और चाहे इधर बैठे हों इस बात को चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वह सचमुच आदर्श पुलिस हो और सचमुच उत्तर प्रदेश की पुलिस इस प्रदेश के, इस देश के अनुरूप हो। इसके मानो यह हैं कि उसकी एफ़िसियेंसी जो ऊंची से ऊंची हो सकती है वह एफ़िसियेंसी हो। कार्य-क्षमता उसकी ऊंची से ऊंची हो। उसकी ईमानदारी ऐसी हो जिस पर उंगली उठाने का मोका हमको न हो, वह देशभक्त हो।

एक बात की चर्चा यहां पर कई बार हुई और वह यह कि कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है और ऐसा कहना है कि पुलिस कुछ कांग्रेस कमेटियों के या कांग्रेसजन के इशारों पर चलती है। कुछ दूसरे सदस्यों ने यह कहा कि कांग्रेसजन की उपेक्षा करती है खास तौर से। मैं नहीं कह सकता कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि पुलिस हो या फौज हो, उसको किसी भी पार्टी के साथ संबंध नहीं रखना चाहिये। वह तो स्टेट और गवर्नमेंट की सर्वेंट है। जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी पावर में हो गवर्नमेंट उसी के हुक्म के मुताबिक उसे चलना चाहिये। किसी भी पार्टी के साथ, चाहे वह कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो किसी के साथ भी उसका संबंध नहीं होना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि हमारी पुलिस में यह गुण होगा और अगर नहीं है तो होना चाहिये।

जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, वह पुलिस की इमदाद की मुहताज नहीं है। वर्षों कांग्रेस ने भी जमाना देखा है जब पुलिस की मुखालिफत करने पर भी कांग्रेस अपने काम को चला सकी। जो उस जमाने में अपना काम चला सकी उस पुलिस की इस समय मदद की जरूरत कांग्रेस को नहीं है, बल्कि पुलिस की मदद कांग्रेस के लिये घातक और नुक्सानदेह हो सकती है।

हमारे एक मित्र उपाध्याय जी एक बात मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं और मैं बड़े शौक से कहने के लिये तैयार हूं। क्योंकि जो बात मैंने पहले कही थी और जो अब

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कही उसमें कोई विरोध नहीं है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई आदर्श पुलिस है। हां, यह मैंने अवश्य कहा कि पुलिस में बहुत सी खराबियां हैं, बावजूद उन खराबियों के उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और इस देश की कहीं भी पुलिस ऐसी नहीं है जो इससे अच्छी हो। लेकिन पुलिस में बुराइयां और कमियां हैं। अगर यही कहलवाने की बात है तो मैं कहता हूं कि जब तक वह खराबियां और कमियां रहेंगी तब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस आदर्श पुलिस नहीं होगी। हम सब चाहते हैं कि वह कमियां दूर हों।

यहां पर पुलिस के साथ हमदर्दी दिखलाई गयी। जिन कठिनाइयों में पुलिस को काम करने का मौका मिलता है उसकी ओर ध्यान दिलाया गया। उस सबसे हम सब की सहानुभूति है। हम पुलिस की तनख्वाह बढ़ा सकें, यह सोचने की बात हो सकती है। पुलिस के अलाउंस बढ़ा सकें यह सोचने की बात हो सकती है, उनको सुविधायें दे सकें या न दे सकें उसमें देश की प्रदेश की आर्थिक अवस्था और कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। लेकिन यह बड़ी खुशी की बात है कि इस सदन में प्रायः सभी लोगों का ऐसा ख्याल है कि पुलिस को बड़ी मेहनत के साथ काम करना पड़ता है, बड़ी कठिनाइयों की हालत में काम करना पड़ता है और इस वक्त जो रुपया हम उनको देते हैं, जो काम पुलिस को करना पड़ता है उसको देखते हुये वह बहुत कम है, मैं भी सहमत हूं। मैंने कहा कि चाहे हम इन सुझावों पर काम न कर सकें लेकिन जब भी हम लायक होंगे तो सदन की राय से हमको ताकत मिलेगी।

बहुत सी बातें यहां पर जिलों की और दूसरी बातें कही गयीं। उन सब का चर्चा करने में बहुत समय लगेगा। केवल इतना ही कहता हूं कि अलग अलग जिलों की बातों और अलग अलग घटनाओं का जो जिक्र किया गया उनको हम अलग अलग देखेंगे। हमने उनको नोट कर लिया है।

मुझको यह सलाह दी गयी कि जो सूचना दी जाती है, आप कहीं देहात में चले जाइये और देखिये जाकर कि सही है या नहीं। लेकिन यह सोचने की बात है। इतना बड़ा तो हमारा सूबा है, इतने जिले हैं, इतने थाने हैं, मैं अपनी आंख से क्या क्या देखूंगा? लेकिन इस बात की ज़रूरत नहीं कि मैं अपनी आंख से देखूं। आखिर इस सदन के इतने सदस्य हैं, उनकी आंखें मेरी आंखें हैं। कोई वजह नहीं कि यहां जो कहा जाता है वह ग़लत समझा जाय। जो बातें यहां कही जाती हैं उनसे फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिये। इस सदन में बहुत सी ऐसी बातें मालूम होती हैं जिन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिये। मैं इस बात का बराबर कृतज्ञ रहा हूं और रहूंगा कि जो ग़लतियां देखने में आयें उनका यहां जिक्र किया जाय।

अभी श्री गेंदासिह जी ने समाज के ढांचे को बदलने का जो जिक्र किया मैं उनसे बहुत अंश तक सहमत हूं। जितनी भी खराबियां हैं, जितने भी दोष हैं, जब तक समाज का ढांचा पूरी तौर से बदला न जाय उन ख़राबियों को दूर करना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम एक सीमित परिधि में ही बात कर सकते हैं उस सीमिति परिधि में ही विचार कर सकते हैं। जो आज परिस्थितियां हैं उसको देखते हुये जो कुछ बन पड़े करना चाहिये।

मैं दो चार ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जो जनरल रूप की हैं। खासतौर से इंटेग्रिटी और करप्शन का जिक्र हुआ। यह कहना बड़ा मुश्किल है और कोई भी नहीं कह सकता कि पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं है। आप अखबारों में देखते होंगे कि फलां को यह सज़ा हुई, फलां सब-इन्स्पेक्टर को यह सज़ा हुई। बराबर इसके आंकड़े निकलते रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में निकलते रहते हैं। जहां पर हमारे सामने कोई चीज आती है, वहां हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है। जो क़ायदे बने हुये हैं उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मारली विश्वास हो जाय लेकिन सजा न दे सकते हों। लेकिन आम-तौर से इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि अपराधी के साथ दया करना समाज के साथ घोर अन्याय करना है। कभी किसी ऐसे आदमी के साथ रिआयत नहीं होनी चाहिये जो कि अपराधी

हो। एक पुलिस अफ़सर के बारे में जिक्र किया गया जो गोंडा में एक बड़े पद पर हैं। ऐसे ही एक और आदमी का जिक्र किया गया। इसके लिये मैंने रिपोर्ट मांगी है। इतने थोड़े समय में तो जांच नहीं की जा सकती। लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि अगर बातें सही हैं तो मुझे सुनकर उतनी ही तक़लीफ हुई जितनी किसी और को हो सकती है। अगर सचमुच ऐसा है कि किसी आदमी को अपराधी पाया गया और फिर उसको किसी तरह से तरक्की दे दी गयी तो यह बहुत ही ग़लत बात है। मैं समझता हूं कि ऐसी बातों को कंडोन नहीं करना चाहिये। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अगर किसी आदमी ने रिश्वत वग़ैरह का कसूर किया हो और उसको थोड़े दिनों के लिये लाइन के अन्दर रख कर वापस कर दिया जाय, या दूसरे जिलों को तबादला कर दिया जाय यह कोई सजा नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में किसी तरह की रिआयत नहीं होनी चाहिये। यह माना कि उनकी तनख्वाह कम है। लेकिन जब तक वह काम करता है उस वक्त तक उससे उम्मीद की जाती है कि तनख्वाह कम होते हुये भी अपना काम ईमानदारी से करे। अगर नहीं कर सकता तो अपने घर जा कर बैठे। लेकिन जब तक काम करता है और कोई कुसूर करे, उसको इस वजह से माफ कर दिया जाय कि उस आदमी की तनख्वाह कम है यह क़ायदे की बात नहीं है। जो कुछ यहां कहा गया मैं उससे इस संबंध में पूरे तौर से सहमत हूं।

हां, एक बात हमारे मित्र गेंदासिंह जी ने और कुछ और सदस्यों ने कहीं। यह बात जरूर ध्यान में रखने की है कि अगर यह बात सही है कि सारे समाज में ख़राबी फैल गयी है तो पुलिस भी उसी समाज में आती है। हम उसे कहां तक उठा सकेंगे यह सोचने की बात है। कोशिश हमें करनी चाहिये। निरन्तर हमको कोशिश करनी चाहिये। लेकिन जो कठि-नाई है उसको भी ध्यान में रखना चाहिये। एक बात का मुझे अफ़सोस हुआ। श्री ज्वालाप्रसाद ने नैतिक स्तर की बात और न जाने क्या क्या कहा। वह तो भगवद्गीता और उपनिषद् से कम बात ही नहीं करते। लेकिन अच्छी से अच्छी चीज को भी भाष्यकार उसकी टीका करते समय चौपट कर सकता है। उन्होंने जिक्र किया कि नेता लोगों की वजह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। शायद एक आध ने और कहा। शायद उनका मतलब नेता लोगों से कांग्रेसजन से है। अगर किसी को कहने का मतलब यह हो कि कोई करप्शन समाज में फैला हुआ है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेसजन पर है तो मैं एक क्षण के लिये भी मानने को तैयार नहीं हूं। अच्छे बुरे आदमी हर जगह होते हैं। लेकिन अगर आज समाज में और ज्यादा ख़राबी नहीं है, समाज और ज्यादा चौपट नहीं हो चुका है तो इसकी वजह यही है कि कांग्रेस का एक छोटे से छोटा वालंटियर भी समाज को बहुत ऊंचा रखे हुये है। यह कहना ग़लत है कि समाज में जो ख़राबी है इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है या कांग्रेसजन के ऊपर है।

एक बात और है। जब पुलिस या किसी विभाग के कार्य में सुधार करने लगें तो एक बात करनी चाहिये। सुधार वही कर सकता है जो कि अपने सामने एक सही तस्वीर रखे। ग़लत तस्वीर रखने से काम बिगड़ जाता है। अगर हम यह समझने लगें कि पुलिस में कोई ख़राबी नहीं है तो यह ग़लत तस्वीर होगी। उसी तरह से अगर हम यह समझने लगें कि पुलिस में कोई सुधार नहीं हुआ है, चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं, और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस आज भी वैसी है जैसी सन् ४२ में थी तो यह सोलहो आने ग़लत तस्वीर हो जायगी। न तो जो आदमी सिर्फ तारीफ़ करता है वह उसको दुरुस्त कर सकता है और न वही दुरुस्त कर सकता है जो समझता है कि उसमें सिर्फ ख़राबियां ही ख़राबियां हैं। हमको दोनों बातें देखनी चाहिये। जो अच्छी बात हो वह भी देखनी चाहिये और जो बुराई है वह भी देखनी चाहिये। कल यहां पर एक मित्र ने कानपुर की पुलिस का कुछ जिक्र किया। उनको कानपुर की पुलिस में कोई अच्छी बात नहीं मिली। उन्होंने कानपुर की पुलिस की जितनी बुराइयां थीं कीं, लेकिन इतना न कर सके कि दो शब्द उसकी अच्छाई के भी कहते। वहीं दूसरे और सदस्यों ने भी कानपुर की पुलिस का जिक्र किया और उन्होंने उसकी अच्छाई भी बतलाई। तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या जिस किसी से भी हमें काम लेना होता है, उसकी अगर बुराई है तो जरूर कीजिये लेकिन अगर वह अच्छा काम करता है, भला काम करता है

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

तो दो शब्द उसकी तारीफ़ के भी अगर कहें तो उससे उसको बल मिलता है इसकी हिम्मत बढ़ती है लेकिन अगर सिर्फ शिकायत ही करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि किसी ने सोच रखा है कि सिर्फ शिकायत ही करेगा और हमको सिर्फ शिकायत ही करनी है। तो मैं कहता हूं कि जब हम तस्वीर रखें तो ऐसी बात न समझी जाय कि सिर्फ ऐब ही दिखाई पड़े क्योंकि अगर यह बात सही हो कि आज भी पुलिस की हालत वैसी है तो इसके माने यह हैं कि सन् ४२ के बाद एक हद तक देश में तब्दीली हुई, लेकिन समाज का एक अंग जो कि हमारे ही बीच से निकलता है, हमारे ही आप के लोग उसमें हैं, वह ऐसा है कि हमारे साथ नहीं आया और उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। जो तब्दीली यहां हुई उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ा। यह असम्भव बात है। ऐसा नहीं कहना चाहिये। जैसा मैंने बतलाया कि जो भी ऐब हों, जो भी शिकायतें हों, पुलिस डिपार्टमेंट की बाबत, उनका आप ज़िक्र करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बराबर मैं उनको दूर करने की अपने भरसक पूरी कोशिश करूंगा।

एक ज़िक्र कुछ और हुआ कि क्राइम्स को छिपाने की बात कही गई। मैं फिगर्स के शास्त्रार्थ में नहीं पड़ूंगा कि कौन सही है और कौन ग़लत है क्योंकि मैं यह कह दूं कि जो आंकड़े सरकार की ओर से आये हैं वह सही हैं और दूसरे कह दें कि वह ग़लत है तो इस शास्त्रार्थ से यह तय नहीं होता। कुछ दिन पहले श्री नेकराम शर्मा जी ने एक मिसाल दी थी कि कहीं उनको अलीगढ़ में एक मिसाल मिली कि एक सब-इंस्पेक्टर ने कहा कि हमको इस किस्म की हिदायत है कि फिगर्स को छिपाया करो। उन्होंने एक गवाह का भी ज़िक्र किया कि उसके सामने कहा था। मैंने उसकी इन्क्वायरी करवायी। अभी कल एक सदस्य ने कहा कि एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने उनसे ऐसा कहा कि इस क़िस्म की हिदायत है कि फिगर्स छिपाया करो। मैं इतना ही कहता हूं कि कोई भी हो चाहे सब-इंस्पेक्टर हो, चाहे सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस हो जो भी आदमी ऐसा कहता है वह गवर्नमेंट का नमकहराम नौकर है। बेईमान आदमी है जो ऐसी बात कहता है। हो सकता है अपनी वाहवाही के लिये ऐसी बात की जाती हो कि फिगर्स छिपाया करो लेकिन गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि इसका नतीजा क्या होगा जैसा अभी श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि अगर किसी के शरीर में कोई रोग है और अगर कह दिया जाय कि रोग नहीं है तो एक दिन तो रोग फूटेगा ही और इस बुरी तरह फूटेगा कि सम्हाले नहीं सम्हलेगा। उसी तरह अगर समाज में ख़राबी है, बुराई है, अगर क्राइम्स हो रहे हैं तो छिपाने से क्या होगा। एक रोज़ क्राइम फूट पड़ेगा और इस बुरी तरह से फूट पड़ेगा कि सारी की सारी पुलिस और सारी की सारी फौज सम्हाल नहीं सकेगी। हमारी स्ट्रेंग्थ इसी बात में है कि क्राइम्स पूरी तरह से हमारे सामने आयें। अगर छिपाते हैं और उसमें अपना फायदा समझते हैं तो मुमकिन है कि कुछ टेम्पोरेरी फायदा किसी को मिल भी जाता हो, लेकिन जैसा मैंने कहा, ज़रा कड़े अल्फाज़ हैं, कड़े लफ्ज़ हैं लेकिन मैं फिर दुहराता हूं कि वह स्टेट के साथ नमकहरामी करता है, वह ऐसे काम करता है जिसका नतीजा स्टेट के लिये बुरा होने वाला है। हम किसी तरह नहीं चाहते कि इस क़िस्म की कोई बात की जाय जिससे क्राइम्स छिपाये जायं। फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट जो होती है, उसका ज़िक्र हुआ कि वह ठीक नहीं लिखी जाती है। जितने माननीय सदस्य कहते हैं, अपने तजुर्बे से कहते हैं। मैं नहीं कह सकता कि बात ग़लत होगी, लेकिन मैं अपनी कठिनाई सबके सामने रखना चाहता हूं। आख़िर हमारे पास क्या साधन है आप यह देखें कि गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ पहले सन् १९४८ में गया। उस वक्त एक नोटिस निकाली गयी, मैं उसको पढ़ता हूं। (१) थानों में रिपोर्ट (रपट) लिखाने की कोई फीस नहीं ली जाती है। यह बड़े-बड़े टाइप में छपा हुआ ताकि हर आदमी पढ़ सके। (२) रपट देवनागिरी लिपि में लिखी जायगी और उसकी एक नकल रपट लिखाने वाले को बिना फीस दी जायगी। (३) यदि थाने का प्रधान लेखक रपट लिखना अस्वीकार कर दे, तो उसकी सूचना देने वालों को रपट स्वयं लिख कर या किसी से लिखा कर जिला कप्तान को रजिस्ट्री के द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिये देना चाहिये। और उस रपट की एक नक़ल अपने पास रख लेनी चाहिये। यह नोटिस हर थाने में भेज दी गयी और वहां नोटिस बोर्ड में चिपका दी गयी। उसके बाद जो जो शिकायतें होती रहीं, उसको दूर करने का प्रयत्न

किया गया। एक यह शिकायत थी कि लोगों को रिपोर्ट की ठीक नक़ल नहीं मिलती है। उसकी वजह यह बतलायी गयी कि कार्बन पेपर ठीक नहीं होते हैं, इस वजह से शब्द उभरते नहीं। कार्बन पेपर भी भेज दिये गये। जो कुछ हम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं ताकि रिपोर्ट ठीक लिखी जाय और लोगों को उसकी ठीक नक़ल मिले। कल कुछ मित्रों ने कहा कि वह नोटिस बहुत पुरानी हो गयी है, इसलिये उस नोटिस को फिर छपवा कर गांव पंचायतों और पोलिटिकल ग्रुप्स के पास भी भेज दिया जाय। मैं इसे फिर भेजवाने के लिये तैयार हूं ताकि लोगों को इसके संबंध में पूरी जानकारी हो जाय। इसके अलावा और कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है। यदि कोई स्पेसिफिक केस मेरे सामने लाया जाय कि कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, या उसके लिये रुपया मांगा गया, तो जो लोग उसके लिये दोषी होंगे, उनको मैं सजा देने के लिये तैयार हूं। कुछ सुझाव आये कि गांव में पहली रिपोर्ट लिखी जाय। जिन माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है, वे ख़ुद गौर करें कि इससे बड़ी दिक्क़त हो जायगी। पहली दिक्क़त तो यह होगी कि जब वह रिपोर्ट गांव में लिखी जायगी, तो वह किसी न किसी थाने में तो जायगी ही, क्यों कि हर गांव में तो थाने होते नहीं हैं। बहुत से केसेज ऐसे होते हैं कि रिपोर्ट में थोड़ी देर हो जाने से तफतीश में गड़बड़ हो जाती है, लाश हट जाती है, सामान हट जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट थाने में लिखी जाय। अगर ऐसा किया जाय कि रिपोर्ट गांव में लिखी जाय तो ज़ाहिर बात है कि उस रिपोर्ट के थाने तक पहुंचने में देर हो जायगी, और मेरा ख़याल ऐसा है कि इसमें दिक्क़त बढ़ सकती है। इसको भी सब लोग सोचें। इसके अलावा यदि आप कोई दूसरा ऐसा उपाय बतलावें, जिससे फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट ठीक ठीक लिखी जा सके, तो मैं हर उस उपाय पर ग़ौर करने के लिये तैयार हूं और यदि कोई ठीक उपाय हुआ तो उसको चालू करने के लिये भी तैयार हूं।

कल कुछ ज़िक्र हुआ कम्प्लेंट के संबंध में। इसके लिये मैं एक बात बतलाऊं। लेकिन मालूम नहीं कि उस पर अमल होता है या नहीं, आज से कुछ दिन पहले गवर्नमेंट का एक आर्डर गया था कि हर विभाग का जो हेड हो ज़िले में, उसके दफ्तर में एक कम्प्लेंट बाक्स रहे। लिहाज़ा पुलिस सुपरन्टेन्डेन्ट के दफ्तर में भी कमप्लेंट बाक्स रहना चाहिये और जिस किसी को किसी थाने की किसी बात की बाबत शिकायत हो, वह उस कमप्लेंट बाक्स में डाल सकता है। मेरे पास उसके बारे में न कोई शिकायत आयी और न कोई तारीफ़ आयी और मुझे मालूम नहीं है कि वह हर दफ्तर में है या नहीं है, उस कमप्लेंट बाक्स में कोई कमप्लेंट डालता है या नहीं डालता है, और यदि कोई कम्प्लेंट डालता है तो उस पर कोई ऐक्शन होता है या नहीं होता है? मैं माननीय सदस्यों को केवल इतनी सूचना दे रहा हूं और उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे इस पर अमल कराने की कोशिश करें कि लोग उसमें अपनी कमप्लेंट्स डालें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—जब यहां हमारी कमप्लेंट्स पर कोई ऐक्शन नहीं होता है, तो वहां क्या होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसका आसान तरीक़ा यह है कि जो उसमें अपनी कमप्लेंट्स डालें, वे उसकी एक कापी अपने पास रख लें। यदि रिज़नेबिल टाइम में उस पर कोई ऐक्शन न हो, तो आप मुझे ख़बर दे दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो रुपये में १६ आने नहीं तो ६ आने या ४ आने तो कार्यवाही होगी ही।

आदर्श थाने का बहुत ज़िक्र आया। आदर्श थानों में ख़राबियां हैं और मैं इस शास्त्रार्थ में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता। कल से जो यहां बातचीत हुई, उसके बहुत पहले मैं स्वयं इस परिणाम पर पहुंच गया हूं कि यह प्रयोग जिस आशा से किया गया था वह आशा पूरी नहीं हुई। यह प्रयोग असफल हुआ और सच बात तो यह है कि आदर्श थाने का नाम लिख कर आदर्श लफ्ज़ के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है, मैं ख़ुद इस परिणाम पर पहुंच चुका हूं।

एक सदस्य—आदर्श थाने वालों को कुछ सजा मिलेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर कोई स्पेसिफ़िक केस होगा तो वह भी होगा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मुझको ऐसा ख़याल होता है कि अगर एक बात हो सकती, वह यह कि अगर किसी ज़िले में कोई थानों का सचमुच बहुत अच्छा काम है तो उस थाने को घोषित किया जाय कि यह आदर्श थाना है, सब पब्लिक की राय से। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसको शील्ड दी जाती है लेकिन जो आदर्श थाना है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें कोई ख़ास तरीक़े से ट्रान्सफर वग़ैरह नहीं किये जाते हैं, जैसे सब जगह किये जाते हैं वैसे वहां भी किये जाते हैं। इस चीज़ में अटर फ़ेल्योर रही है, इस चीज़ को हटाना चाहिये, मैं इस बात को पूरे तौर से स्वीकार करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)---पुराने आदर्श थाने ख़तम कर दीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---थाना तो रह जायगा, आदर्श शब्द हटना है।

कल डाक्टर जवाहर लाल ने ज़िक्र किया कि ग्वालियर की तरफ अपराध रोक थाम ऐसी कोई चीज़ उन्होंने देखी। अपराध रोकथाम की बात तो ठीक ही है मगर हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भी दो तीन ज़िलों में जहां तक मुझे जानकारी है मसलन मेरठ, मुज़फ्फ़रनगर और अलीगढ़ में लोगों ने नान आफ़िशल तरीक़े पर ऐसी बाडीज़ बनायी है जो कि ऐसे कई तरह से काम करती हैं। जैसे खेत जला देने की बात है जो पार्टीबन्दी में एक तरीके से हो जाता है। उस तरीके का लोगों ने एक संघठन सा किया है और वहां पर पुलिस अफ़सरों की तरफ से पूरा सहयोग है। जहां तक मुझे जानकारी है, मुझसे खुद लोगों ने बयान किया है और कोई वजह नहीं है कि इस किस्म के संगठन और जगह क्यों न किये जायं। अगर ऐसा ही संघठन किया जाय तो मैं आशा करता हूं कि और जगह भी पुलिस की तरफ से सहयोग होगा। फिर वह ग्वालियर में चीज़ जैसी है वैसी हो, या जैसी हमारे यहां दो तीन ज़िलों में प्रयोग हो चुकी है वैसी हो, और उस तरह से की जाय तो मैं समझता हूं कि चीज़ सफल हो सकती है।

हमारे कुछ भाइयों ने हरिजनों का ज़िक्र किया। हरिजनों के संबंध में दो तरह की बातें कही गयीं। बल्कि ढ़ाई बातें कही गयीं, आधी बात पर बहुत ज़ोर नहीं दिया गया लेकिन वह कही गयी। एक तो यह कि हरिजनों की भर्ती जैसी होनी चाहिये वैसी काफी नहीं हो रही है। दूसरी बात यह कही गयी कि हरिजन जो भरती हुये भी वह किसी न किसी जुर्म में लगा कर सर्विस से हटा दिये गये। तो मैं दो बातों का ज़िक्र करता हूं। मैं समझता हूं कि हम जो इस वक्त इस संबंध में कर रहे हैं उससे और कुछ ज्यादा करना सम्भव नहीं है। मैं मानता हूं कि हरिजनों को सब लोगों के बराबर पूरा हक़ होना चाहिये लेकिन हममें से कोई भी इस बात को नहीं पसन्द करेगा कि महज़ उन लोगों को इसलिये भरती कर दिया जाय कि वे हरिजन हैं या कुछ और हैं और इस तरह से एफीशेन्सी सर्विस ही चौपट कर दी जाय। एकआदमी क्वालीफिकेशन रखता है तो उसको होना चाहिये। चूंकि हरिजनों की कमी थी इसलिये गवर्नमेंट ने कुछ परसेन्टेज उनके लिये रिज़र्व कर दिया है कि उनको लिया जाय अगर वह क्वालिफिकेशन रखते हैं। जो लोग जिस काम को करते आये हैं उनकी प्रवृत्ति उधर अधिक होती है। शिक्षा भी थोड़े दिनों से हरिजनों में बढ़ी है। इन सब कारणों से जितने केन्डीडेट्स आने चाहिये क्वालिफिकेशन रखने वाले उतने कैन्डीडेड्स प्रायः नहीं मिलते। इसमें किसी को शिकायत नहीं कि ज्यादातर लोग अनक्वालीफाइड आते हैं और अगर उनको रख लिया जाय तो इसका सर्विस के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा और इसके अलावा उनके ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि लोग यह कहेंगे कि यह तो खैराती तरीक़े से रखे गये हैं। इस साल हमने १२० सब इन्स्पेक्टर्स रखे हैं। यहां कई बार ज़िक्र हुआ कि ऊपर के जो आफिसर्स हैं वह तो अच्छे हैं लेकिन सब इंस्पेक्टर्स में ख़राबियां हैं। कुछ हद तक खराबियां हैं सही बात है। इससे कुछ अन्दाजा मिलेगा। हमारे यहां ३००,४०० के लगभग ऐसे सब-इंस्पेक्टर्स हैं जो हेड कांस्टेबिल से तरक्क़ी हो कर आये हैं। हेड कांस्टेबिल के मानी होते हैं कांस्टेबिल। लेकिन अगर वे बहुत ऊंचे स्तर तक न पहुंच सकें तो उसमें बहुत आशा नहीं करनी चाहिये और उनकी जगह दूसरे आदमी रखने चाहिये। ३००,४०० आदमियों को रिप्लेस करना मुश्किल होता है। हमने इस साल क़रीब १२० आदमियों को ट्रेनिंग के लिये लिया है और हमारा विश्वास है कि इस तरह से २,३ साल में हमारे अच्छे आदमी आ जावेंगे जिस तरह के हम चाहते हैं।

जहां तक मुरादाबाद ट्रेनिंग की बात है, उसके लिये एक मित्र ने कहा कि वहां केवल यही सिखाया जाता है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है और उनको कैसे गालियां देनी चाहियें। मैं यह तो जरूर ही जानता हूं कि वहां गाली देने की कोई क्लास नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि यह कोशिश की जाती है कि उनको अच्छी शिक्षा दी जाय। जो ट्रेनिंग के लिये सलेक्शन हुआ उसमें सेलेक्ट करने वालों ने केवल फ़र्स्ट क्लास लड़कों को ही लेने की कोशिश की और जो सेकिंड या थर्ड क्लास रखे उसमें बड़ीमुश्किल से ३,४ हरिजन ले पाये। नहीं मालूम क्या कारण है परन्तु मजबूरी है। ऐसी बात नहीं है कि यदि कोई हरिजन है तो महज़ इसी वजह से न लिया जाय। हमने चाहा कि कुछ हरिजन अवश्य हों लेकिन हम फिर भी काफ़ी तादाद में नहीं पासके। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो लोग हमारे हरिजन भाई हैं वह इस बात की कोशिश करें कि पढ़े लिखे हरिजन इधर भी आने की कोशिश करें। दूसरी बात यह कही गयी कि कुछ जुर्मों की वजह से हटा दिया गया। जरूर कुछ हटाये गये। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो लोग हटाये गये वे इसलिये नहीं हटाये गये हैं कि वे हरिजन थे। उनका चाहे दूसरे अफ़सरों के साथ कैसा ही बरताव रहा हो इसके लिये मैं कुछ नहीं कह सकता ; हां यह अवश्य कहूंगा कि प्रायः उनके केसेज़ को मैंने खुद देखा है। यह कि महज़ झूठा इल्ज़ाम लगा कर हटा दिये गये हों, ऐसी बात नहीं है। अगर झूठा इल्ज़ाम लगा हो और वह पूरे पूरे तौर पर साबित हो जाय तो उसे सही मानना चाहिये। यह हो सकता है कि वे अपनी नातजुर्बेकारी से हटा दिये गये हों या उन्होंने ऐसे जुर्म किये हों जिसमें किसी को भी हटाया जा सकता है। बहरहाल, ऐसे जुर्मों में वे हटाये गये हैं जिनमें हर किसी को हटना ज़रुरी था चाहे वह हरिजन हो या कोई भी हो। मैं आशा करता हूं कि आगे चल कर लोग ऐसी गल्तियां नहीं करेंगे।

एक सजेशन यह हुआ, जैसा मैंने कहा कि ढाई बात कही गई थीं, वह यह था कि हमको सबको एक साथ खाने को मजबूर करना चाहिये। बड़ी अच्छी बात है यदि सब एक साथ खाने लगें। मैं खुद तो खा ही लेता हूं। लेकिन कानूनन तो चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया भी चाहे या हम चाहें कि फौज में या पुलिस में हम किसी को मजबूर करें कि तुम फलां के साथ खाना खाओ तो हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे, बहुत अधिक संख्या ऐसे लोगों की हो सकती है जो न खाना पसंद करें। यदि हम कहें कि सब एक साथ खावें तो इससे डिसिप्लिन खराब होगी और यह इस लिये करने लायक चीज नहीं है।

दो बातों का जिक्र और करूंगा। एक तो सेक्शन १०९ की बात कही गई और कई मित्रों ने उसका जिक्र किया। ऐसा तो नहीं है कि किसी मुल्क में इस किस्म का कोई कानून न हो। इंग्लैंड में भी वैग्रेंसी ऐक्ट था और अब भी मौजूद है। लेकिन समाज की हालत वहां ऐसी हो गई है कि वह करीब करीब डेड सा हो गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि एक आदमी जो जेल से आया है उसे सुधार का मौका देना चाहिये। अगर हमारे नोटिस में आजावे तो हम बराबर इस बात की रोकथाम करते हैं। आप देखेंगे कि पहले की अपेक्षा १०९ के केसेज कम हो गये हैं और जिन जगहों पर हमारे प्रोबेशन आफिसर जाते हैं वहां जरूर इसमें और भी कमी हुई है। लेकिन इस कानून को उठा देना तो बड़ा मुश्किल है। जहां गलत ढंग से पकड़ कर लोग आजावें वहां हम देखभाल करने की कोशिश करते हैं।

यही ५,७ मुख्य मुख्य बातें थीं जिनका जिक्र करना मैंने जरूरी समझा। मैं फिर कहता हूं कि जो खराबियां हों माननीय सदस्य उन्हें हमारे नोटिस में लावें। हम उस पर ध्यान देंगे। हां, एक बात का खयाल रखना चाहिये जो उपाध्याय जी को देख कर याद आ गई। एक कहावत है कि कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी यह कहकर कि कौवा कान लेकर भाग गया, कौवे के पीछे दौड़ पड़ता है। यह नहीं देखता कि कान मौजूद हैं या नहीं और इसी तरह २,३ कौवों की शिकायत करने चले साइमल्टेनियसली मसलन् यह कि कहीं उन्होंने अखबार में पढ़ लिया होगा कि अलमोड़ा में वायरलेस होने वाला है। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि जो बजट में लिखा है वही काफी है जो अखबारों में लिखा है उसमें अपना दिमाग क्यों खपावें। फिर उन्होंने कहा कि इंग्लैन्ड से कुत्ते आयेंगे....।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--अखबार में निकला था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं तो जरा ओल्ड फैशन्ड आदमी हूं बहुत जर्नलिज्म वगैरः की बात तो नहीं जानता लेकिन अखबार वाले लखनऊ में रहते हैं और यहां इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रहते हैं, मिनिस्टर रहता है उन्हीं से पूछ लेते कि क्या आप कहीं से कुत्ते मंगवा रहे हैं? लेकिन जो कुछ भी अखबार में निकला हो हम विश्वास दिलाते हैं कि कुत्ते और बिल्ली वगैरह पर एक पैसा भी हम खरीदने के लिये खर्च करने वाले नहीं हैं। शायद अखबार वाले बिना वेरीफाई किये ही खबरों को छाप देते हैं। जब हमें पता चला तो हमने उसका कंट्रेडिक्शन अखबारों में छपने के लिये भेजा। तो या तो उसे अखबार वालों ने छापा नहीं या किसी कोने में छाप दिया और वह कुत्ते और बिल्ली की बात वैसे ही चली आ रही है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी बातें सब गलत हैं और हमारी तरफ से ऐसी कोई खरीद वगैरह का इरादा नहीं है।

इतना ही नहीं, यह रस्मी बात नहीं है लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा कि मेरे एक बुजुर्ग मित्र ने कहा था कि इस विभाग में आये हुये मुझे बहुत थोड़े ही दिन हुये हैं और मुझे इसका ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है लेकिन लोगों के अनुभव से फायदा उठाऊंगा। उसी तरह मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि आप के अनुभव से पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता हूं और करूंगा। इस बात के साथ मैं आशा करता हूं कि जिन मित्रों ने हमारे बहुत से छोटे ग्रांट में एक रुपये की कटौती करने की कोशिश की है वे हमें एक रुपया वापिस कर देंगे और अपने कटमोशन को वापस ले लेंगे।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी का भाषण सुनकर बड़ी खुशी हुई और खास कर इस बात से कि आजतक माननीय मंत्री जी को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गर्व था वह खत्म हो गया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वह आज भी है।

श्री कमला सिंह--ठीक है, लेकिन जिस हद तक था उस हद तक नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उतना ही गर्व अब भी है।

श्री कमला सिंह--लेकिन कुछ हिचक है मैं जानता हूं कि आई०जी० का चुनाव बेस्ट हुआ है और उनके होते हुये वह तमन्ना जिसकी इस साल कमी रही है अगले साल पूरी हो जायगी। और माननीय मंत्री जी को पुलिस की बुराई के कारण जो बातें सुननी पड़ती हैं, वह भविष्य में न सुननी पड़ेंगी।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मुझे अभी राम सुन्दर जी ने कुछ तार दिये हैं जिस में जिक्र है कि कुछ ठाकुरों, भूमिहारों ने जबर्दस्ती इन्द्र देव वगैरह जो छोटी जाति के लोग हैं उनकी फस्लों को काटा है। उनको बुरी तरह पीटा है इस तार की प्रति माननीय मंत्री जी को भी मिली है जैसा कि राम सुन्दर जी ने मुझे बतलाया है। इसी तरह के बहुत से समाचार हैं और उनके आधार पर यह कहा जा सकता है और मैं भी इसको मानता हूं कि हर जाति में चोर और बदमाश होते हैं यह किसी जाति पर ...सर नहीं है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इससे सहमत होंगे। तो जो ...: की बात है वह दूर रख कर जो वास्तविक चोर हैं, डकैत हैं या कुछ ... हैं उसको दंड मिलना चाहिये।

... करप्श... में तो सदन में बहुत कहा गया लेकिन किसी ने भी यह नहीं बतलाया कि इसको दूर कैसे ... जा सकता है। मेरा यह व्यक्तिगत ख्याल है कि जिलों में जो एस०पी० और डी० एस... ० हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादातर करप्शन के लिये है। इसलिये जिले में जो एस०पी०... डी० एस० पीज० हैं उनको करप्शन की शिकायत मिलने के साथ ही सस्पेंड करना चा... और दो-तीन बार इस तरह की बातें हों तो उनको बरखास्त करने की भी जरूरत है... जब ऐसा होगा तो सब-इंस्पेक्टर पुलिस, कांस्टेबिल या चौकीदार के खिलाफ जो बातें ...नाई देती हैं वह नहीं सुनाई देंगी।

ये जो जिले के एस० पी० और डी० एस० पीज० हैं हमेशा अपने लिये दो तीन चीजों की शरण लेते हैं। एक तो वे अखबारों के संवाददाताओं की शरण लेते हैं क्योंकि उनसे उनका काफी प्रोपेगेन्डा हो जाता है कि उनका काम बहुत सुन्दर हो रहा है। दूसरे जितने टाउट्स (दलाल) हैं उनकी भी शरण ये लेते हैं। यह कहा जाता है आजकल कि गुंडे और बदमाश और मफरूर तो थाने की दीवालों के पीछे छिपे रहते हैं। मैं कहता हूं कि पुलिस के अन्दर बहुत सी खराबियां हैं। अगर पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट चरित्रवान हैं तो हमारे सिपाही और थानेदार कभी भी निकम्मे नहीं हो सकते हैं। यह मेरा दृढ़ मत है। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही सिपाही, थानेदार चरित्रवान और पवित्र बनाये जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में काफ कटिंग होता है और माननीय मंत्री जी के कान भरे जाते हैं कि कुछ जातियां बदमाशी करती मैं कहता हूं कि दुश्मनी की वजह से यह सब होता है और ५० प्रतिशत झूंठे केसेज बना करते हैं। आफिसरान के कान भर कर झूंठे आदमियों के चालान कराये जाते हैं और सजा कराने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं कि अगर सब-इंस्पेक्टर ईमानदारी के साथ जांच करे और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस दबाव न डाले तो पब्लिक के साथ न्याय हो सकता है। और आप कहते हैं कि हमारे मुकद्दमे खराब हो रहे हैं तो इस चीज का भी सुनने का मौका नहीं मिलेगा।

इसके साथ ही साथ अदालतों में जो केसेज जाते हैं उनमें दो-तीन खराबियां हैं। पहली तो यह कि गवाहान होस्टाइल हो जाते हैं। उसके लिये मुख्य कारण तो यह है कि गवाहों को जो खूराक वगैरह का खर्चा मिलता है वह काफी नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि दो एक बार तो वह अदालत में चला जाता है लेकिन तीसरी बार वह अदालत में जाने की हिम्मत नहीं करता है। यदि पुलिस का आफिसर करप्ट प्रैक्टिस करता है तब तो ठीक है, वह अपने पास से पैसा दे देता है वर्ना ऐसे आदर्श आदमी हों जो सजा कराने के लिये पुलिस की इम्दाद करने के लिये अदालत में अपने खर्चे से जायं तो ठीक है। इसके मुताल्लिक बहुत से सदस्य बतला चुके हैं कि जनता का भी सवाल है। आज जनता का नैतिक पतन बहुत हद तक हो चुका है लेकिन जहां तक गवाहान का सवाल है उनको पूरा खर्चा मिलना चाहिये।

इसके साथ ही साथ यह भी होना चाहिये कि जितने केसेज भेजे जायं हम चाहते हैं कि जब पुलिस वालों को मौका है तो फाइनल रिपोर्ट लगा दिया करें ताकि जनता अपना मुकद्दमा कम्पलेंट के जरिये ठीक तरह से लड़ सके और न्याय करा सके, उसकी कोई शिकायत बाकी न रहे। फिर क्या वजह है कि हमारे पुलिस के कप्तान वगैरह प्रेस करते हैं कि फाइनल रिपोर्ट कम होनी चाहिये और चार्जशीट ज्यादा जानी चाहिये। मैं कहता हूं कि गो कम केसेज जरूर जायेंगे लेकिन सच्चे केसेज जायेंगे और प्रासीक्यूटिंग इन्स्पेक्टर्स को जिन तकलीफों या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसका मौका नहीं रहेगा और साथ ही साथ पुलिस के साथ जनता का सहयोग रहेगा और मैजिस्ट्रेसी का भी पुलिस में विश्वास बढ़ेगा।

इतना ही नहीं बल्कि एक खास चीज और मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आदर्श थानों के मुताल्लिक बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं। मैं कहता हूं कि हमें आज आदर्श थानों की जरूरत नहीं है बल्कि आदर्श थानेदारों की जरूरत है ताकि जहां वह जायं वहीं आदर्श थाने बनायें। जौनपुर में एक सब-इंस्पेक्टर जुबेर अहमद हैं उनके कारनामे सब जानते हैं। उसी तरह से एक वीर बहादुर सिंह सी० आई० डी० में इन्सपेक्टर हैं। यह लोग एक पैसा भी नहीं लेते हैं और हमेशा गरीबों के लिये अपनी जान लड़ा देते हैं। उनके संबंध में हम देखते हैं कि उनको ज्यादा मौका नहीं दिया जाता है और प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिये।

मैं एक चीज बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार में एक चीज की कमी है। हमारा जो पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम प्रासीक्यूशन ब्रांच में लूपहोल पाते हैं। इस ब्रांच का तिरस्कार किया जा रहा है। यह एक ऐसी ब्रांच है जो मजिस्ट्रेसी और पुलिस का कनेक्टिंग लिंक है। साथ ही हम देखते हैं कि इस प्रासीक्यूशन ब्रांच में ए० पी० पी० और पी० पी० रखा जाता है उसके लिये हम आगे कोई स्कोप

[श्री कमलासिंह]
नहीं रखते हैं। सिर्फ एक स्कोप रहता है कि अगर सात सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर्स में से यदि कोई सीनियर प्रासीक्यूटर मर जाय तो उसको प्रमोशन मिल सकता है वर्ना कोई प्रोमोशन के चांसेज नहीं रहते हैं। लेकिन जहां तक इंवेस्टिगेशन ब्रांच का सवाल है उसके लिये आप कहते हैं जैसा कि श्री शुक्ल जी ने कहा कि इंटरमीजियेट से कम क्वालिफिकेशन का आदमी सब-इंस्पेक्टर की जगह पर रखा जाय। हमारी राय तो यह है हाईएस्ट क्वालीफिकेशन का आदमी रखा जाना चाहिये क्योंकि एफ० आई० आर० और इन्वेस्टिगेशन होता है उसी को मजबूत करना है अप स्टेंडर्ड लाना है। और उसी को मजबूत करके आप सफलता पा सकते हैं। इसलिये जरूरी है कि प्रासिक्यूशन ब्रांच के लोग जो ला ग्रेजुएट हैं, और अप्टूडेट रूलिंग वगैरह से वाकिफ हैं वे आयेंगे तो ज्यादा भला होगा। सी० आई० के प्रोमोशंस के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि जितने सब-इंस्पेक्टर्स या ए० पी० पी० हैं, उन्हीं में से लिये जायं और जिले में एक कमेटी बना दी जाय जिसमें नान आफिशियल्स एम० एल० एज०, एस०पी० और डी० एम० रक्खे जायं और जिसको वह सी०आई० के लिये रिकमेंड करे उसी को आई० जी० नामीनेट करें तभी सबइंस्पेक्टर्स अच्छा से अच्छा काम करने और ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष--क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री कमलासिंह--जी नहीं। यदि पार साल पुलिस की समस्या हल हो गई तो अवश्य वापस लूंगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं माननीय गृह मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--अब समय नहीं है। आप बाद में पूछ सकते हैं।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये आय-व्यय में अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २९--पुलिस के अन्तर्गत ७,१६,००,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या ३०--लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग (श्रम और संख्या)

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०--लेखा शीषक ४७--विविध विभाग (श्रम और संख्या) के अन्तर्गत २५,०९,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी चार ही रोज हुये जब कि बजट के संबंध में जनरल डिस्कशन हो रहा था तो मुझे श्रम विभाग के संबंध में कुछ बातें कहने का मौका मिला था। उन बातों को फिर से दोहराना पृष्ठपेषण होगा और इस सदन का समय नष्ट करना होगा। अतः उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। हां, दो तीन बातें कहूंगा। उनमें पहली बात तो यह है कि कल मैंने इस सदन के सामने दो मागें पेश कीं, एक तो पुलिस विभाग की और एक जेल विभाग की और दोनों को पेश करते हुये मैंने इस बात के लिये अपनी तारीफ की कि मैंने खर्च घटाने का यत्न किया है और पिछले सालों से कुछ न कुछ खर्च घटाने में सफल हुआ हूं। परन्तु इस श्रम विभाग की मांग को पेश करते हुये इसके ठीक विपरीत बात कह रहा हूं और इस बात के लिये अपनी कुछ तारीफ कर रहा हूं कि श्रम विभाग का बजट घटने के बजाय कुछ न कुछ बढ़ा है। सन् १९५१-५२ में वह १८,७४,००० रुपये था, पिछले साल एस्टिमेंट था २०,९०,००० रुपये का और रेवाइज्ड हुआ २३,३२,००० रुपये का और इस साल का एस्टीमेट है २५,०९,००० रुपये का। यदि और रुपया होता तो

इस में संदेह नहीं कि हम इसको और ज्यादा बढ़ाते लेकिन हम इसको और नहीं बढ़ा सके तो इसका कारण यही है कि रुपया नहीं है। मैं केवल दो तीन बातों का जैसा कि मैंने कहा, जिक्र करूंगा, ऐसी बातों का जिनकी काफी चर्चा रहती है। एक तो खेतिहर मजदूरों के लिये मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट की बात। यह एक सेंट्रल ऐक्ट है और इस ऐक्ट के अनुसार इस राज्य सरकार को खेतिहर मजदूरों के लिये मिनिमम वेज निश्चित करना चाहिये। परन्तु उसमें दो शर्तें हैं। एक शर्त तो यह है कि ३१ दिसम्बर, १९५३ तक उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस कानून को लागू कर देना होगा, यानी इस क़ानून के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेज़ तय कर देने होंगे खेतिहर मजदूरों के लिये। यह मार्च का महीना है, ९ महीने और बाकी हैं। दूसरी चीज यह है कि ३१ दिसम्बर के पहले स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का अख्तियार है कि जिन एरियाज में चाहे उनमें लागू करे, यानी सारी स्टेट में एक साथ लागू न करे। तो हमने एक प्रयोग के लिये १२ जिलों में इस कानून को लागू किया है। ये वे जिले हैं जिनमें सारे प्रदेश के आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि ऐग्रीकल्चरल वेजेज सब से कम हैं। सब से पहले हमने उन्हीं १२ जिलों में इस कानून को लागू किया। और सब बातों का ब्योरा तो जो एक किताब बांटी गयी है उसमें माननीय सदस्यों ने देख लिया होगा इसलिये मैं फिर उनको नहीं दोहराता। अगर यह देखा गया कि कानून सही है और हमारा प्रयोग सफल हुआ तो फिर बाकी जिलों में ३१ दिसम्बर तक हम उसको लागू कर देंगे, या तो एक साथ ही करेंगे या थोड़े थोड़े में करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि हमने सब जगह एक साथ लागू क्यों नहीं किया? उसकी बाबत में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी वजह है और स्पष्ट वजह है। मैं चाहता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस पर ठंडे दिल से सोचें। इस वक्त हमारे यहां जो दशा है वह गौर करने के काबिल है। जमींदारी अबोलिशन हमारे यहां हुआ और देहात की सोशल और इकोनामिक जो स्थिति थी उसमें जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन किसी न किसी किस्म का अवश्य हुआ और आजकल के जो गल्ले के दाम हैं वे भी किसी दूसरी तरफ ही जा रहे हैं। इन सब बातों के बिना सोचे समझे कुछ कर देना अक्लमंदी की बात न होगी।

दूसरी वजह यह है कि किसानों का हजारों वर्षों का दस्तूर चला आता है, कहीं मजदूरी नक़द में दी जाती है और कहीं अन्न के रूप में दी जाती है। प्रायः ऐसा होता है कि थोड़ा सा अन्न के रूप में दे दिया जाता है और कुछ नक़द दे दिया जाता है। जिस वक्त किसान के पास पैसा होता है, उस वक्त जब कि अनाज के दाम ज्यादा होते हैं तो काश्तकार को इस बात में आसानी होती है कि वह पैसा दे और वह अनाज को बेचकर मजदूर को नक़द देना चाहता है। बाज वक्त ऐसा होता है कि उसे अनाज देने में आसानी होती है। इसलिये इस बात को सोचने की पूरी कोशिश करनी होगी कि अगर कैश में दिया जाय तो कितना दिया जाय और अगर काइंड में दिया जाय तो कितना दिया जाय जिससे काश्तकार और मजदूर दोनों को सुविधा हो?

फैक्ट्रियों के जो लेबरर्स हैं उनकी कुछ दूसरी ही प्राबलम है क्योंकि फैक्ट्रियां सब एक जगह होती हैं जिनमें कई हजार मजदूर काम करते हैं। अगर किसी की तरफ से कोई बेकायदा बात होती तो उसके साथ डील करने में आसानी होती है। एक दो लाख मजदूर एक जगह काम करते हैं और उनके मालिक सिर्फ १-२ होते हैं लेकिन ऐग्रीकल्चरल लेबर का क्षेत्र पहाड़, जंगल, पश्चिम, पूर्व सब जगह फैला हुआ है। अगर आज हम उनके लिये कोई मिनिमम वेजेज़ के बारे में तय कर दें और किसी वजह से वह कुछ कम हो तो लेबरर्स में असंतोष होगा लेकिन अगर किसी वजह से कुछ ज्यादा हुई तो किसान जो इम्प्लाई है उसको दिक्कत होगी। फिर यह सोचना होगा कि उसको इन्फोर्स करने के लिये क्या करना होगा। क्या हर जगह अदालतें कायम की जायं। काश्तकार और लेबरर्स क़रोड़ों की संख्या में हैं। उनके ऊपर किस तरह से इसको लागू करें। खाली क़िसी सेंटीमेंट

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

से कोई कानून बना देने से काम नहीं चल सकता। कोई भी कानून बनाया जाय उसका एन्फोर्स होना अत्यावश्यक है। फिर एम्प्लायर्स सौ दो सौ की तादात में नहीं हैं लाखों की तादाद में हैं उनके ऊपर कैसे ऐन्फोर्स किया जायगा ? हमें यह सोचना है और ठंडे दिल से सोचना है न कि एक दम किसी सेंटीमेंट में आकर सारे उत्तर प्रदेश में आग लगा दें यह बात समझ में नहीं आ सकती। हम कोई कानून पास कर दें, वह एन्फोर्स न हो सकें या बहुत सी दिक्कतें पैदा हों तो ऐसी बात हमें नहीं करना चाहिये। प्रदेश में यों ही काफी चीजें ऐसी हैं जो टेंशन पैदा कर रही हैं। हम तो इस पक्ष में हैं कि अगर कोई कानून बनाया जाय तो उसका एन्फोर्समेंट ठीक तरह से हो। इसलिये थोड़े से जिलों में पहले उसको करके हम देखना चाहते हैं कि उसकी वजह से कितने मुकद्दमे आते हैं, कितने झगड़े पैदा होते हैं या नहीं होते। फिर अगर कानून है तो ३१ दिसम्बर तक सब जगह लागू हो ही जायगा।

दूसरी चीज शाप ऐक्ट की है। उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसको भी लागू कर दिया जाय। उसमें एक दिक्कत है वह यह कि कामर्स इंस्पेक्टर रक्खा जाता है यह देखने के लिये कि दरअसल कानून के मुताबिक ठीक अमल हो रहा है या नहीं। इसके बारे में कई बार मैं यह भी कह चुका हूं कि यह एक प्रकार का सोशल लेजिस्लेशन है। ख्वामखाह मुकद्दमे चलाने की हमारी मंशा नहीं है। बाज दूकानदारों के पास घड़ी नहीं होती, बाज एम्पाईज के पास घड़ी नहीं होती, और इसलिये हमें घड़ी के अनुसार काम करने की आदत भी नहीं है। अब कानून में यह लिखा है कि फलां वक्त दूकान खुलना चाहिये और ठीक इतने बजे दूकान बन्द हो जाना चाहिये। लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि बिलकुल सोलह आने ठीक ठीक पालन होता हैं, ऐसा नहीं होता होगा। अगर नियम हैं कि ८ बजे दूकान खुले तो कहीं ८ बजे के पहले भी दूकान खुल जाती होगी, अगर नियम हैं कि १० बजे दूकान बन्द हो जाय तो कहीं कहीं १० बजे के बाद बन्द होती होगी। तो मैं भी सोचता हूं और इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि समाज ही ऐसा है कि जिसमें बिलकुल सोलह आने कड़ाई के साथ कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर बार बार वायलेशन होता है तो मुकदमे भी चलाये जाते हैं, काफी चल भी रहे हैं। जहां तक हफ्तेवारी छुट्टी का सवाल है इसका ठीक ठीक पालन हो सकता है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझसे यह कहा कि इस कानून को हमारे जिले में भी लागू कर दीजिये लेकिन इस में दिक्कत यह है कि आर्थिक कठिनाई की वजह से हम इतने इंसपेक्टर्स नहीं रख सकते हैं। कई जगह के लोगों ने कहा कि सिटी मैजिस्ट्रेट या किसी और मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द इस काम को कर दीजिये लेकिन यह तो आप सबों को भी मालूम है कि मैजिस्ट्रेटों के पास पहले ही से इतना काम रहता है कि वे और काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग कह सकते हैं कि यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। लेकिन मेरे पास कई मित्रों ने आकर कहा कि चाहे आप पूरा कानून लागू न कीजिये लेकिन हफ्तेवारी छुट्टी का कानून जरूर लागू कर दीजिये। जहांतक हफ्तेवारी छुट्टी का सवाल है इसमें दूकानदारों को दूकानों के खोलने या बन्द करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं इस बात को सोच रहा हूं कि हफ्तेवारी छुट्टी के अंश को लागू कर दिया जाय।

एक बात और है जो लेबर हाउसिंग के बारे में है। जहां तक हमारे शुगर के कारखानों की बात है वहां तो मकान बन रहे हैं, कई सौ मकान बन भी गये हैं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमें इस काम के लिये ७५ लाख रुपया इस शर्त पर दिया था कि आप इस साल के अन्दर मकान बना लें। आप कानपुर जाकर देख सकते हैं और मैंने खुद जाकर देखा है कि वहां तीन जगह मकान बन रहे हैं। दो जगह तो काफी ऊंचे बन गये हैं। लेकिन तीसरी जगह चूंकि देर में काम लगा है, फिर भी उम्मीद है कि वहां भी जल्द से जल्द मकान तैयार हो जायेंगे। यह हमारे लिये खुशी की बात है कि

दो हजार से ज्यादा मकान बन गये हैं। इसके अलावा यह और भी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जब और स्टेटों को भी इस काम के लिये रुपया दिया तो इतने समय के अन्दर जहां वे मकान नहीं तैयार कर सके, वहां हमारे यहां बहुत पहले ही इतने मकान तैयार होगये। इस पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बिना हमारे कहे हुये हमको एक करोड़ ३५ लाख रुपया और इस काम के लिये दिया है। यह जाहिर है कि यह रुपया ७५ लाख के अलावा है और हमारा उनसे तय है कि बाद में भी हम इस रुपये को खर्च करेंगे क्योंकि मार्च के अन्दर तो मकान बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि अभी ७ रोज पहले तो यह मंजूर हुआ है। हमारा उनसे तय हो गया है और मकान बनना शुरू भी हो गया है। यह भी हमारे लिये खुशी की बात है। सब मजदूरों के लिये मकान चाहे न बन जायं लेकिन जो ७५ लाख रुपया मकानों के लिये है और १ करोड़ ३५ लाख के मकान बन जाने पर हम समझते हैं कि इससे सिचुएशन काफी आसान हो जायगी। इस वक्त मुझे इतना ही निवेदन करना है सदन के सम्मुख। जैसा कि मैंने कहा जो कुछ थोड़ा बहुत सीमित साधन के भीतर मुझसे हो सका है उसे मैंने करने की कोशिश की है इन शब्दों के साथ मैं इस मांग को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---यह जो १ करोड़ ३५ लाख रुपया है वह केवल कानपुर के मजदूरों के लिये है या सब मजदूरों के लिये है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कानपुर में मजदूरों के लिये मकान बन रहे हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद व आगरा के लिये भी मजदूरों के लिये मकान बनाने में इसे खर्च किया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपया की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं। अभी माननीय श्रम मंत्री जी ने खेतिहर मजदूरों के बारे में कहा कि उनकी मजदूरी के बारे में सरकार विचार कर रही है और कुछ ही दिनों के भीतर उनकी कम से कम मजदूरी तय कर दी जायगी और जो उन्होंने यह कहा कि कानून बना देने से काम नहीं चलेगा हमको यह भी देखना पड़ेगा कि उन कानूनो की कहां तक पाबन्दी होती है यह उन्होंने सही कहा। जब कि इंडस्ट्रियल लेबर कुछ ही मिल मालिकों के हाथ में है और उनके बारे में कानून का ठीक से अमल नहीं हो सकता है तो उनका कहना सही है कि इतने बड़े क्षेत्र के मजदूरों के लिये कानून बनाने से उनको लाभ कैसे पहुंच सकता है। लेकिन लोगों की राय लेकर जहां तक हो सके खेतिहर मजदूरों के बारे में ऐसा कानून बनायें जिससे कानून बनने के साथ लोग उसकी पाबंदी भी जरूर करें। मैं तो यह समझता हूं कि अगर कानून बनता है और उसकी पाबन्दी मजदूरों के हक में नहीं की जाती है तो ऐसे कानून के बनाने से क्या फायदा हो सकता है। जनरल डिस्कशन के समय माननीय श्रम मंत्री ने बतलाया था कि हमने जितने भी इस संबंध में कानून बनाये वह सब मजदूरों के फायदे के लिये ही बने। मुझे यह कहते हुये दुख होता है कि आपने कानून जरूर बनाये और आप कहते हैं कि मजदूरों के लिये फायदेमन्द हुये लेकिन मैं यह कहने जा रहा हूं कि जितने कानून आपने बनाये उनसे मजदूरों का बहुत [illegible]म भला हुआ। उनसे ज्यादातर मिल मालिकों का ही भला आज हो रहा है। आप कानून [illegible]नाते हैं मजदूरों का भला करने के लिये लेकिन उनसे उनका भला नहीं होता है। दरअ[illegible]र उनका भला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आप उनके संगठन को ऐस[illegible] बनायेंगे कि जिससे कोई गड़बड़ किसी किस्म से उनमें न होने पाये। मैं आपकी आ[illegible] से, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस रोज श्री बेविन के बारे में जिकर कि[illegible] था उनकी क्या राय है वह मैं आपके सामने उन्होंने जो भाषण बम्बई में १८ फ[illegible] को दिया उसको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने यह कहा कि "यह समझना भूल है कि [illegible]नियमों द्वारा मजदूरवर्ग की रक्षा की जा सकती है। उसी सिलसिले में आगे चलकर [illegible] कहा कि

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

"मजदूरों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रूख वैसा ही है जैसा की ब्रिटिश लेबर पार्टी का है और मुझे आशा है कि नेहरूजी मेरे इस कहने का गलत अर्थ नहीं निकालेंगे"। यह उनकी राय है। उस रोज माननीय मुख्य मंत्री ने इसका जिकर किया था कि उनकी क्या राय है इसलिये मैंने भी यह उचित समझा कि उनका जो राय है उसका भी जिकर करूं। यह तो हमारे मंत्रियों की आदत है कि वह अपने फ़ायदे की बात तो कह देते हैं लेकिन जो असल बात होती है उसको नहीं कहते हैं। इन कानूनों के बारे में जो कहा जाता है कि वह फायदे के हैं तो मैं आपको बताऊं कि जहां तक कोई फैसले या अवार्ड का सवाल है अगर कोई फैसला मजदूरों के हक में होता है तो २५ मर्तबा शिकायत लेकर यहां भेजने पर भी कोई अमल नहीं किया जाता है। बहुत से केसेज हैं उनका दृष्टान्त मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पडरौना मिल के बारे में एक अवार्ड हुआ मजदूरों के हक में लेकिन उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हम लोगों ने इसकी खबर वहां के अधिकारियों को दी और यहां पर दी लेकिन उसके बारे में कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। कहा जाता है कि साहब ऐक्शन लेने से क्या होगा? मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि इस प्रकार से किसी कानून के बना देने से क्या हो सकता है जब कि आप ऐक्शन न लें। इस तरह से कहने से हमारा काम नहीं चल सकता है।

दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं कि कानूनों के बारे में बड़ी अदालत में फैसले हो जाते हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी फैसला हो जाता है, लेकिन बाद में उसको मिल मालिकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है और बाज मुकदमें अदालत में ३,४ साल तक पड़े रह जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि छितौनी मिल का मामला था वहां से कुछ मजदूर निकाले गये थे उसके बारे में अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ लेकिन उसके होने पर भी कुछ नहीं किया गया। इस तरह से मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी एक और चीज बताऊं कि शुगर इंडस्ट्री के बारे में वह कुछ क्लर्कों की रिटेनिंग का मामला था। २,३ साल से वह केस अदालत में पड़ा हुआ है। अब आप बतलाइये कि मजदूर कहां तक मुकदमों को लड़ सकता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। और हमारी सरकार की जो नीति है उस नीति से सिवाय इसके कि मजदूरों का नुक्सान हो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको थोड़े में यह भी बतला दूं कि जो मामले कंसिलियेशन बोर्ड में जाते हैं उनका भी कंसिलियेशन नहीं होता है। जब वह मामले ऊपर भेजे जाते हैं तो सरकारी रिपोर्ट यह बतलाती है कि आधे से ज्यादा मुकदमें गलत सलत बतला कर रिजेक्ट कर दिये जाते हैं और मैं सरकार पर साफ साफ यह आक्षेप लगाना चाहता हूं कि उसने तमाम तरफदारियां की हैं कि जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक मामला मैं आपको बतला दूं कि जिसके तमाम कागज पत्तर मेरे पास मौजूद हैं। सिसवा मिल के सात मुकदमें कुल आये। ६ केस जिन का संबंध हिन्द मजदूर सभा के साथ था वह सब रिजेक्ट हो गये और जो सात में से एक केस आई० एन० टी० यू० सी० से संबंधित था केवल वही लिया गया। इस तरह से तमाम दूसरी यूनियनों के मामले रिजेक्ट कर दिये जाते हैं जो सरकार के साथ सहमत नहीं हैं या उस की नीति पर नहीं चलती हैं। इसी तरह से सहारनपुर का मामला है। वहां पर भी हमारी यूनियन है और उन के प्रेसीडेन्ट वहां ताराचन्द सेठी हैं। मैं आपको बतला दूं कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मजदूरों से कहा कि अगर तुम ताराचन्द सेठी या हिन्द मजदूर सभा के किसी वर्कर को प्रेसीडेन्ट रक्खोगे तो तुम्हारे किसी मामले पर गौर नहीं किया जायगा और विचार उस वक्त होगा जब तुम किसी कांग्रेसी या किसी ऐसे आदमी को प्रेसीडेन्ट रक्खोगे जो हमारी नीति पर चलता हो तब तुम्हारा मामला सुना जायगा। इस तरह की शिकायत भी भेजी गयी कि इस तरह की चीजें चल रही हैं। इसके अलावा मैं आप को कटकुइयां का मामला बतलाऊं, वहां का जिक्र पहले भी हो चुका है। वहां ऐसा हुआ कि वहां एक चीफ़ केमिस्ट साहब थे, उनका काम काफी अच्छा था, रिकार्ड देखने से भी यह साबित होगा। उनका हमारे आई० एन० टी० यू० सी० के नेताओं से मेल न था

इस पर यहां से टेलीफोन द्वारा हुक्म गया जिस की अगर मंत्री जी खुद इन्क्वायरी करें तो मैं सबूत दूंगा कि उनको हटा दिया जाय, क्यों हटा दिया जाय यह कुछ नहीं मालूम। इसी पर वह हटाये गये दूसरा केमिस्ट आया। जिसके कारण मिल को काफी नुकसान हुआ। जब लेबर कमिश्नर इन्क्वायरी पर गये थे तो वह दृष्टांत मौजूद है।

दूसरे मिल मालिक किस तरह से गड़बड़ी करते हैं, उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। अभी अभी लेबर कमिश्नर साहब कठकुइयां इन्क्वायरी करने गये थे वहां हजारों रुपये के मामले ऐसे मिले जिसमें मिल मालिकों ने चार चार हजार और पांच पांच हजार रुपया ऊंचे अधिकारियों के इनाम की मद में दिखला कर खुद रख लिया और जिसके सबूत का भी पता लग गया था कि वह रुपया इस तरह से खाया गाया। इस सब से मालूम होता है कि सरकार मजदूरों के हक में कोई चीज नहीं करती। इतना मुझे यह मालूम है इस के अलावा दूसरी मिलें ऐसी हैं कि जिन में मजदूरों की तीन तीन, चार चार महीने की तनख्वाह बाकी है। पडरौना, कटकुइयां और खड्डा में यही हालत है लेकिन जब मामला सरकार के पास आता है तो सरकार कह देती है कि हम क्या करें, सरकार इस तरह की जिम्मेदारी नहीं लेती। इस तरह से मैं तो नहीं समझ पाता कि मजदूर बेचारा क्या करे। सरकार को बेचारे मजदूर की मजबूरी को भी समझना चाहिये। कठकुइयां मिल में मुनेश्वर सिंह का अनशन चला और बहुत हल्ला गुल्ला हुआ जो सब को मालूम है। अभी भी पडरौना में २० लाख रुपया गन्ने के दाम और ३ लाख रुपया मजदूरों के बाकी हैं, लेकिन इस पर भी कोई चीज नहीं हुई और कोई ध्यान देने वाला इस ओर नहीं मालूम होता। आखिर इस पर किसानों को हड़ताल करनी पड़ी। इंडस्ट्री के ग्रांट के वक्त सब बात बतलाऊंगा कि कैसे क्या हुआ और हमारी गलती थी या किस की गलती थी, वह खुद ही सोचें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसा कि सम्पूर्णानन्द जी ने बतलाया कि भई, पुलिस में तो अभी हम बच्चे हैं। लेकिन श्रम में तो आपको बच्चा नहीं कहा जा सकता। यह विभाग तो आप के हाथ में बहुत पहले से है। इसमें अगर इस किस्म का कार्य हो तो यह तो बड़े शर्म की बात होगी। मैं यह नहीं कहता कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी करते हैं लेकिन यह चीज होती है। उसको कौन करता है यह पता लगा कर जो इस किस्म का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये। अगर्चे आपकी नीति बहुत साफ है, अगर्चे आप चाहते हैं कि सबको उचित न्याय मिलना चाहिये तो फिर आप उसका पता लगाइये कि कितनी कितनी गड़बड़ियां चल रही हैं।

श्री सीता राम शुक्ल (जिला बस्ती)---मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सदन का तरीका है कि सिर्फ नाम ले कर पुकारा जाय, माननीय न कह कर, सिर्फ सम्पूर्णानन्द नाम लेकर पुकारा जाय ?

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैंने माननीय कहा। शुक्ल जी ने शायद सुना नहीं। वह साफा बांधे हुये हैं इस वजह से कान बंधे हुये हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हम लोगों में आपस में इतना सद्भाव होना चाहिये कि माननीय की जरूरत न रहे।

श्री जगन्नाथ मल्ल---तो इस किस्म की चीजें हुईं। तो मैं चाहूंगा कि माननीय श्रम मंत्री जी, मैंने 'माननीय' दो दफा इसलिये कहा कि शायद कहीं भूल गया है, को चाहिए कि यह हमारा सुझाव है, मानें या न मानें, उनको चाहिये कि इन सारी चीजों को देखें।

यह भी जिक्र इस सदन में किया गया कि साहब वह तो शुगर सेंसस हुई और शुगर सेंसस में चूंकि शिब्बन लाल सक्सेना अनशन कर रहे थे इसलिये २७ हजार से जीत गये। खैर, लोग जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं, हिन्दू महासभा के उपसभापति होने के नाते इस सदन में चेलेंज करता हूं कि महज शुगर इंडस्ट्री के अन्दर नहीं, सारी इंडस्ट्री के अन्दर सरकार फिर से

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

चुनाव करा लें और हमारी इस चुनौती को सरकार तथा आई० एन० टी० यू० सी० को मंजूर करना चाहिये। खाली कह देने से कुछ नहीं होगा।

और अनशन की बात आप कहते हैं। मैं कहता हूं कि आपके जो बड़े नेता लोग हैं आई० एन० टी० यू० सी० के हरिहरनाथ शास्त्री और काशीनाथ पांडेय वह भी अनशन पर बैठें और हमारी तरफ से कोई अनशन नहीं करेगा और फिर चुनाव का नतीजा देख लें। अनशन से जीते, यह कहना बिल्कुल गलत है। इस तरह से कह करके वास्त-विकता छिपाई नहीं जा सकती। माननीय सम्पूर्णानन्द यह कहेंगे कि आपस में झगड़ा हो गया, इसलिये हमने यह कर दिया, वह कर दिया, तो मैं आप को बताऊं कि वह सब कहना तो बेकार है। वह आप कहा करें, इस से कुछ होता जाता नहीं है। हमने २७ हजार वोटों से हराया है और आप को इसको कबूल करना चाहिये। इस तरह से बहाने बाजी करने से कोई काम नहीं होगा।

दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि कहा यह जाता है कि साहब मजदूर ही काम नहीं करते, इसीलिये उत्पादन में कमी होती है। मैं सरकारी फ़ीगरों के द्वारा बताना चाहता हूं कि मजदूरों की वजह से काम कम होता है या मिल मालिकों की वजह से कम काम होता है यह सरकारी रिपोर्टों से मालूम होगा। यह वह फिगर है कि कितने वर्कर स्ट्राक और लाक आउट में इन्वाल्स थे। वह ३८,७९८ आदमी थे लेकिन प्ले आफ में जो मिल मालिक करता है, उस में ठीक उसके दूने आदमी थे यानी ७५,२२१ आदमी। अब कितने मेन डेज लास हुये इसके भी फीगर्स देख लीजिये। हड़ताल या लाक आउट से महज १,६६,७०९ मेन डेज लास्ट हुये और जो छटनी करने से, प्ले आफ करने से हुये वह ५,६६,८२६ हुये तो कौन कम प्रोडक्शन करता है इन आंकड़ों को देखने से ज्ञात होगा।

दूसरी चीज एक और बताऊं। मुझे खुशी है कि श्रम मंत्री जी ने अभी पिछली दफा पुलिस पर बोलते हुये आदर्श थानों के बारे में कहा था कि वहां गड़बड़ है। और कहा कि अब आदर्श थ.नें नहीं रहेंगे उसी तरह से इस रिपोर्ट में एक आदर्श फेडरेशन की बात भी कही गयी है कि वह बहुत अच्छा काम करती है जो कि बहुत बुरी तरह से हारी थी। मैं समझता हूं कि कुछ दिनों में आज भले ही माननीय मंत्री न मानें लेकिन आदर्श थानों की तरह आदर्श फेडरेशन के बारे में भी मानना पड़ेगा कि आदर्श फेडरेशन भी उसी तरह की है जैसे कि माननीय मंत्री जी के आदर्श थाने थे।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डा० सम्पूर्णानंद जी ने जो अनुदान उपस्थित किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। आज हमारे राज्य में श्रम विभाग की स्थिति की तुलना यदि पश्चिमी बंगाल और बम्बई प्रांतों से की जाय तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारे राज्य में श्रमिकों की स्थिति कहीं अधिक समुन्नत और सुन्दर है। मुझे पश्चिमी बंगाल का अनुभव है। मैं वहां के लेबर डिपार्टमेंट के काम को अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे मालूम है कि वहां पर जिस प्रकार श्रमिकों के हितों के संबंध में उदासीनता या उपेक्षा की दृष्टि आनुपातिक क्रम से है हमारे यहां उस प्रकार की स्थिति नहीं है। जैसे अभी कुछ मित्र वेलफेयर स्टेट की बात कह रहे थे तो मैं कह सकता हूं कि हमारा लेबर डिपार्टमेंट इस बात का प्रमाण है कि हमारा राज्य वेलफेयर स्टेट की ओर अग्रसर हो रहा है। जितनी श्रमिकों के हित के लिये सुन्दर से सुन्दर योजनायें, स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इसके अलावा वेलफेयर सेंटर्स, उनको बसाने के लिये राज्य की सहायता प्राप्त, हाउसिंग स्कीम्स और उनकी चिकित्सा के लिये जो व्यवस्था की गई है, इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के लिये खेल कूद और इंटरटेनमेंट के लिये जितनी सुन्दर व्यवस्था हमारे राज्य में है हमारा ऐसा ख्याल है बंगाल में तो है ही नहीं, यही बड़े राज्य हैं बम्बई, बंगाल और हमारा प्रांत और श्रमिक समस्या भी इन्हीं तीनों प्रांतों में देश के और प्रांतों के अपेक्षा अधिक है, इसलिये इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें अपने माननीय श्रम मंत्री को बधाई देने की इच्छा

होती है कि उन के ही नेतृत्व में इस प्रकार का श्रमविभाग संगठित हुआ। अभी हमारे मित्र माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने बेवन साहब की एक स्पीच का जिक्र करते हुए जो उद्धरण यहां पर उपस्थित किया वह तो हमारे लेबर डिपार्टमेंट के लिए एक प्रकार से कम्प्लीमेंट है। क्योंकि ब्रिटिश लेबर पार्टी की नीति यदि हमारी कांग्रेस की नीति है लेबर के प्रति तो ब्रिटिश लेबर पार्टी तो वहां की सोशलिस्ट पार्टी है और वह रुख अगर हमारी कांग्रेस सरकार का श्रमिकों के संबंध में है तो यह तो एक प्रशंसा की बात है। इसमें कोई ऐसी शिकायत की बात हमारा ख्याल है हमारे माननीय जगन्नाथ मल्ल जी को नहीं होनी चाहिये और यह उनका कोटेशन जो है, उद्धरण जो है वह ग़लत जगह पर हो गया। यह तो कांग्रेस गवर्नमेंट के लिये एक प्रकार का सर्टिफिकेट है कि वह हमारे यहां मिक्स्ड इकोनामी के होते हुये भी, हमारे यहां हमारी सोशलाइज्ड स्टेट न होते हुये भी कांग्रेस गवर्नमेंट का ज्यादातर सोशलिस्ट ऐटीच्यूड है। जहां तक लेबर का प्रश्न है अब मुझे इस संबंध में अधिक न कह कर के माननीय श्रम मंत्री से एक अनुरोध करना है और वह यह कि जैसे लेबर वेलफेयर सेंटर्स जगह जगह खोले गये हैं उसी तरह से एक उत्तरदायित्व शिक्षण मंडल भी खोले जाने की आवश्यकता है लेबर डिपार्टमेंट के लिये। जहां तक श्रमिकों के कार्यों का संबंध है, उत्पादन इत्यादि का संबंध है यह चीज अच्छी तरह से उनको बतायें, उनके अन्दर इस बात की शिक्षा देने की आवश्यकता है कि आज लेबर का रुख जहां तक उत्पादन या राज्य की नीति के प्रति है उस प्रकार का नहीं होना चाहिये जैसा कि स्वतंत्र होने के पूर्व था। माननीय वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में एक जगह पर कहा है मैं उसे पढ़ना चाहता हूं:

"आज राजा और प्रजा का अन्तर मिट चुका है। अब उसको एक समझना चाहिये और सभी को मिल जुल कर हिम्मत हौसले, उत्साह और पूर्ण विश्वास और यक़ीन के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहिये। समय बदलते रहेंगे, हुकूमतें आती और जाती रहेंगी, परन्तु यह सच्चाई और यह सिद्धान्त कि देश का उभार बग़ैर सबों के सहयोग और सरकार और जनता के तआउन या कोआपरेशन के बग़ैर नहीं हुआ करता, अमिट और हमेशा क़ायम रहने वाला है। यह कभी न बदला और न आइन्दा बदलेगा। देश सब रहने वालों का है। इसका काम दलबन्दी और पार्टियों के राजनीतिक अन्तरों से बहुत ऊंचा है। वह किसी तरह का अन्तर किये बग़ैर हर एक से कुर्बानी मांगता है और हम सब का कर्त्तव्य या फ़र्ज है कि अन्तरों या इख्तलाफों को भूल कर उसकी यानी देश की सच्ची सेवा करें और प्रेम के साथ एक दूसरे का हाथ बटायें।"

इस प्रकार की स्थिति जहां तक श्रमिक और मालिक का संबंध है या श्रमिक और राज्य का संबंध है, इस प्रकार की स्थिति लाने का उत्तरदायित्व यदि श्रमिक नेता अपने ऊपर नहीं लेते तो राज्य को अपने हाथों में इस उत्तरदायित्व को लेना चाहिये। श्रमिकों के ऊपर देश के कल्याण का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। देश का कल्याण जो हमें करना है, बहुत बड़े पैमाने पर जो कल्याण करना है वह हमारे देश के श्रमिक जब देश के प्रति, राज्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझेंगे तब हम उस कार्य को ज्यादा आसानी के साथ और ज्यादा तीव्र गति से कर सकेंगे। जहां तक इस बात के प्रमाण का सवाल है कि हमारे यहां की लेबर कंडीशंस आज अच्छी है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज देहातों के अन्दर खेतिहर मजदूर नहीं मिलते। खेतिहर मजदूर इस प्रकार काम करने वाले, मिलों में काम करने के लिये शहरों में दौड़े चले आते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है जो देहातों में रहते हैं वह जानते हैं कि आज वहां पर खेतिहर मजदूर एक प्रकार से दुष्प्राप्य से हो रहे हैं। क्या वजह है कि जो देहात में रहते हैं, एक रुपया बीस आना रोजाना की मजदूरी उन्हें मिलती है, बावजूद इसके जो कंडीशन में परिवर्तन दिखलायी पड़ता है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर मिलों के अन्दर उनको कहीं ज्यादा अच्छी तनख्वाह, अच्छी लिविंग कंडीशंस और दूसरे प्रकार की सुविधायें, बच्चों के लिये शिक्षा की, उनकी बीमारी वग़ैरह की व्यवस्था, चिकित्सा वग़ैरह की सुविधायें प्राप्त हैं। यह आकर्षण इस प्रकार के जो श्रम करने वाले व्यक्ति हैं उनको देहातों से खींच कर शहरों की तरफ ला रहा है और वह जितने कि आज शहर के अन्दर, मिलों के अन्दर और कल कारखानों के अन्दर काम करने वाले

[श्री देवदत्त मिश्र]

लेबर हैं वह शहरी लेबर नहीं हैं। आज शहर के लोग जो इस प्रकार के निम्न-कोटि के व्यक्ति हैं उनको यहां पर नौकरियां नहीं मिलतीं, इसलिये कि देहातों से हट्टे कट्टे और मजबूत आदमी मिलों और कल कारखानों में काम करने के लिये आते हैं। मेरा समय हो चुका। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज देहातों में खेतिहर मजदूर पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं। यहां शहरों में कल कारखानों में काम करने वाले काफी से काफी संख्या में मजदूर मिलते हैं और इससे यह प्रतीत होता है कि यहां पर लेबर कंडीशन्स जो हैं वे कहीं ज्यादा अच्छी हैं। इसलिये हमारे माननीय श्रम मंत्री, जिनके नियंत्रण में, जिनकी देख भाल में यह विभाग कार्य करता चला आ रहा है, बधाई के पात्र हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा आज मैं इस अनुदान पर बोलता हुआ बतलाना चाहता हूं कि ७८ करोड़ का बजट जहां है, वहां २५ लाख रुपया लेबर के ऊपर खर्च किया जा रहा है। यह कम है क्योंकि जैसा हमारे एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि देश का उत्थान, देश का भविष्य मजदूरों के ऊपर निहित है और उन्हीं के ऊपर देश की नजर लगी हुई है यह बिलकुल सत्य है कि गांव में भी, शहर में भी और मिलों में भी, हर जगह मजदूर ही कमाता है और सब लोग खाते हैं। मजदूर ही की गाढ़ी कमायी पर यह भवन है, यह राज्य है, यह देश है, और सब हैं। यह बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े मिल मालिक जो मौज उड़ा रहे हैं, यह मजदूरों के कन्धे पर है। मैं गवर्नमेंट से निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सप्ली-मेंटरी बजट में लेबरों का ख्याल रख करके और अधिक पैसा रखा जाय। हमने फारेन कंट्रीज में देखा है कि उनके लिये दवा और उनके बच्चों के लिये शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाता है। साथ ही उनके रहने के लिये स्टेट की तरफ से मकानों का प्रबंध होता है। उनको इस बात का झंझट नहीं रहता है कि आज इस मकान में हैं और कल उस मकान में हैं। उनके लिये काम करने का निश्चित समय होता है लेकिन हमारे देश में यह सब बातें नहीं हैं माननीय मंत्री महोदय ने अभी अपनी स्पीच में यह बतलाया कि वे थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं यह ठीक है कि असमर्थता है, आज ५ साल से हमारा देश भुखमरी का सामना कर रहा है, पैसे की कमी है, इसको प्रत्येक माननीय सदस्य जानता है, देश जानता है, लेकिन हमको यह भूल नहीं जाना है कि देश का भविष्य इन्हीं पर है। पिछड़ी जमातें जितनी हैं, जो छोटी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, उनकी जो दशा आज समाज में है, वह आये दिन उनके प्रदर्शनों से, उनकी हड़तालों से और उनके अनशन से देखने में आती है कि वे असंतुष्ट हैं। सरकार को सतर्क रहना है और इन तमाम आपदाओं से बचने का हमें उपाय सोचना है कि क्या किया जाय जिससे यह तमाम शिकायतें दूर हों।

एक बात मैं जरूर सरकार से कहना चाहता हूं कि मजदूरों में सिर्फ एक यूनियन होनी चाहिये और स्टेट के अन्दर २५ यूनियनें न बनायी जायं, और जो यूनियन बनायी जाय वह न कम्युनिस्टों के हाथ में हो, न सोशलिस्टों के हाथ में हो और न कांग्रेसियों के हाथ में हो बल्कि वह स्वयं मजदूरों के हाथ में रहे। हमने देखा कि जब मेहतरों की हड़ताल हुई तो हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने सदन के अन्दर कह दिया कि हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं और एक कांग्रेसी एम० एल० ए० ने उसको स्टार्ट किया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार मजदूरों की यूनियन को इन पोलिटिकल संस्थाओं से फ्री रखे और मजदूरों से भी कहे कि तुम अपने क़दमों पर खड़े हो और अपना काम करो। देहातों का जिक्र आया कि देहातों के लोग शहर में भाग आते हैं। क्यों भाग आते हैं? साल भर तो कमाने का ठिकाना नहीं, दो महीने इस फसल और दो महीने उस फसल में बमुश्किल तमाम उनको काम मिलता है। हमारे गांवों में हमारे हरिजन वर्कर ही लेबर का काम करते हैं लेकिन उनको साल भर खाने को नहीं मिलता न साल भर कमाने को मिलता है। वह आधा आधा पेट खाकर और भुखमरे रह कर काम करते हैं। अगर सरकार उनकी ओर ध्यान दे तो उनको कम से कम एक वक्त ही भरपेट खाना मिले। और मैं समझता हूं कि जो पंचवर्षीय योजना है वह भी सफल हो सकती है। यह जो सड़कें बन रही हैं

वह भी बन सकती हैं। अगर गरीबों को खाना दिया जाय तो मैं समझता हूं कि जो फ़र्जी लोग आते हैं और हड़तालें करते हैं यह उनसे ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन एक कानून के शिकन्जे में फंस कर सरकार का काम नहीं चल पाता और न लेबरों का चल पाता है। आज लाखों आदमी भूखों मर रहे हैं, उनकी मुसीबतों को हल करना है। गांवों में जो हरिजन और जो दूसरे मजदूर हैं उनको साल भर खाना नहीं मिलता। पहले हम लोगों ने नारा लगाया था कि (गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है)। वह आज नारा भूल गये, भूलना नहीं चाहिये, हमको पीछे पलट कर देखना चाहिये। हम लोगों ने उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखी है और हमें फिर उनके बीच में जाना है, हम उनके हैं और वह हमारे हैं। हमें पब्लिक ओपीनियन को किल नहीं करना है। पब्लिक ओपीनियन के साथ सरकार को चलना है, मिनिस्टरों को चलना है, देश को चलना है और हर आदमी को चलना है। मैंने इस अनुदान में जितना रुपया देखा है, मैं पुनः कहता हूं कि वह बहुत कम है। सरकार को देहात में जो लोग हैं उनकी शिक्षा और उनकी दवा का और मकानों का प्रबंध करना चाहिये। हरिजनों के मकानों की गांवों में क्या पोजीशन है? हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेंट को रुपया दिया जाता है लेकिन वह रुपया उन मजदूरों को मिलता नहीं है। शहरों में रेफ्यूजी क्वार्टर्स बन रहे हैं, कानपुर में मजदूर क्वार्टर्स बन रहे हैं परन्तु गांवों में नहीं बन रहे हैं और खासकर हरिजनों की कालोनी कहीं भी बनकर नहीं तैयार हुई। हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखे, खासकर बस्ती जिला जो हमारा है जहां २५ लाख के क़रीब आबादी है, बांसी के इलाके में एक जगह ओपेनिंग सेरिमनी हुई है कि हरिजन कालोनी बनायी जाय लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विशेष ध्यान दे और गरीबों की परवाह करे क्योंकि वह सरकार गरीबों की बनाई हुई है। पिछले एलेक्शन में सिवाय गरीबों के और किसी ने वोट नहीं दिया। इन शब्दों के साथ मैं इस कार्य का समर्थन करता हूं और सरकार से सिफारिश करता हूं कि वह गरीबों की मदद करे।

श्री आर्थर ग्राइस (आंग्ल भारतीय नामनिर्देशित)--स्पीकर महोदय, मैं लेबर बजट को और लेबर डिपार्टमेंट को कांग्रेचुलेट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने लेबर हाउसिंग के बारे में बहुत कुछ कहा है कि यह होगा और वह होगा। मैं सुनता हुआ आ रहा हूं सालों से और बरसों से कि लेबर हाउसिंग होगी। मेरे ख्याल से माननीय सम्पूर्णानन्द कानपुर बहुत दफा हो आये हैं, वह भी यू० पी० में हैं, परन्तु यहां इन्डस्ट्रियल हाउसिंग चैप्टर १५में लिखा है "the growth of industries in India in general and in Kanpur and U. P, in particular" मालूम यह होता है कि कानपुर यू० पी० से थोड़ा बाहर हटा हुआ है इस वजह से लोग भूल जाते हैं। और यहां बिल्कुल साफ लिखा हुआ है "Kanpur and U. P, in particular" तो यह बहुत सारी स्कीमें हुई हैं इन्डस्ट्रियल हाउसिंग के लिये। जितनी स्कीम होती है वह बहुत दूरी पर होती हैं। हैलटनगर, जिसका नाम अब बदल दिया है गोविन्द नगर, वह बना रिफ्यूजी प्राबलम होने के पहले। एक भी मजदूर वहां नहीं गया रहने के लिये। डेवलपमेंट बोर्ड ने मिल्स को सरक्यूलर भेजा कि वहां भेजा जाय किसी को रहने के लिये। १०, १० इंच और २, २ फीट मिट्टी वहां भरी रहती है जब बरसात में नाला भर जाता है। ऐसी जगह छांटकर कोलोनी खोलने से क्या फायदा है? बेचारे रफ्यूजी वहां बसर करते हैं, कहते हैं कि गिव दि डाग ए बैड नेम। हम यहां पर भी सुन रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर होपलैस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर राबिंग दि पब्लिक ऐंड दे राब दि वर्कर्स। यह होता ही है। हमारी सरकार को जब गाली दिया जाता है तो फिर मिल मालिक को गाली देना तो मामूली बात है। लेकिन मिल मालिकों के हाथ ऐसे बंधे हुये हैं कि वे लोग नहीं बनावेंगे। पहले मिल-मालिकों ने इंडस्ट्रियल क्वार्टर बनायें मगर अब यह हो गया है कि अगर किसी को मिल से निकाल दिया जाय तो उसे क्वार्टर से नहीं हटा सकते। इसका नतीजा यह है कि कोई क्वार्टर क्यों बनवायेगा। क्या उनके लिये बनवायेगा जो यह कहते कि हम १० दिन तुम्हारी मिल में काम करके फिर नहीं करेंगे? इन बातों को रफू करने के लिये हमारी सरकार ध्यान दे।

[श्री आर्थर प्राइस]

मिलों में काफी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। सरकार को उन्हें इनकरेज करना चाहिये। अगर मज़दूरों को एडवांस दिया जाय तो वह एक प्रापर प्लान्ड स्कीम के मातहत मकान बनवा सकते हैं। हम जानते हैं कि कानपुर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां यह हो सकता है। उससे मज़दूरों और सब का फायदा होगा।

फिर प्राविडेंट फंड की बात है। मैं अपनी गा रहा हूं। लेबर के लिये तो दे दिया अपर ४०० रुपया। परन्तु हम देखते हैं कि सुपरवाइज़री ग्रेड वग़ैरह के लिये कोई प्राविडेंट फ़ंड नहीं है। इंजीनियरर्स एसोसियेशन ने भी कहा है कि इसका कुछ होना चाहिये। अब यह है कि बिकाज़ ही इज़ ए डिपार्टमेंट हेड, ही इज़ क्लासीफ़ाइड विद दी मैनेजमेंट। ही इज़ क्लासीफाइड एज़ एन इंडस्ट्रियेलिस्ट। यह बात ग़लत है। वह भी मज़दूर है। उसका भी किसी को ख़याल करना चाहिये। मैं कह सकता हूं कि कानपुर में खाली ३, ४ मिलों में प्रावीडेंड फ़ंड की स्कीम अपर क्लासेज़ के लिये है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी सरकार इसमें ख़याल दे।

इंतक की बात कही गयी। हमारे भाई ने कहा है कि एक ही यूनियन होना चाहिये। मैं इससे बहुत खुश हूं। यह नहीं है कि हम कांग्रेसवाले हैं परन्तु उससे मजदूर को फायदा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, यदि आप की आज्ञा हो और माननीय मंत्री जी और सदन को आपत्ति न हो तो मुझे १० मिनट और प्रदान करने की कृपा की जाय क्योंकि यह बहुत ही अहम विषय है और १० मिनट काफी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप १५ मिनट बोलें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से माननीय श्री जगन्नाथ जी मल्ल के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा यह दावा है कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों के लिये बिलकुल ही कोई काम नहीं किया या कोई कानून नहीं बनाया। जब मैं श्रम अनुदान को देखता हूं तो मुझे उस प्रस्ताव की याद आती है जिसको कि माननीय श्रम मंत्री जी ने अपने उदार नेतृत्व के और अपने सैद्धांतिक आधार पर सन् १९४६ में पूंजीवादी तत्वों की समाप्ति के लिये और सभी उत्पादन के समाजीकरण के लिये इस सदन के सामने रखा था। तो सन् १९४६ से लेकर आज तक कितने श्रम अनुदान आये लेकिन उन सब को देखने के बाद जो माननीय श्रम मंत्री जी का उद्गार उस दिन हमारे सामने आया था हमें किसी भी अनुदान में या श्रम अनुदानों में या श्रम विभाग के कार्यों में कोई उसकी विस्तृत रेखा देखने को नहीं मिली कि इस प्रकार के समाजीकरण, उत्पादन के साधनों के समाजीकरण के सिद्धांत कार्यरूप में परिणित होने जा रहे हैं। मिसाल के लिये कम से कम मैं जानता हूं कि परिस्थितियां ऐसी वैसी थी जो माननीय मंत्री जी समय समय पर कहते आये हैं लेकिन कम से कम यह तो हो सकता था, व्यवस्था इतनी तो बदली जा सकती थी कि जैसे खेतिहर मजदूर हैं माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास इतने आर्थिक साधन नहीं हैं कि हम कुछ इंस्पेक्टर्स बढ़ा सकें या शाप कमर्शल इस्टब्लिशमेंट ऐक्ट के प्रसाधनों को उसके स्कोप को बढ़ाने के लिये साधन नहीं हैं और इसलिये हम उस ऐक्ट का एन्फोर्समेंट नहीं कर पाये, तो जहां पर श्रम विभाग में लाखों रुपया अनुदान का बढ़ता है, जहां पर ऐसी व्यवस्था बनती है कि जो मेहनत करने वाले हैं उसके हाथ में शक्ति हो तो इस व्यवस्था के लिये क़दम उठाने के लिये आवश्यक था कि माननीय मंत्री जी रुपया निकालते। इसके लिये अगर कुछ रुपया बढ़ जाता तो हमें कोई एतराज न होता। अगर वे मिनिमम वेजेज ऐक्ट या शाप कमर्शल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट को, इस प्रदेश के लाखों खेतिहर मजदूरों और काम करने वाले कर्मचारियों के लिये लागू करते और जोरों से उस पर कार्य होता तो खर्च के बढ़ाने में हमें आपत्ति न होती। इस प्रकार के ढीलेपन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि माननीय मंत्री जी की चाहे कितनी ही ऊंची इच्छायें रही हों, चाहे अपने सिद्धान्तों के प्रति उनकी कितनी ही

आस्था रही हो लेकिन व्यवहार का प्रश्न जहां आता है कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि बजट बनाते समय वे अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते। जहां तक आज की श्रम स्थिति का सवाल है यह सही है कि इस साल हड़तालें कम हुई। लेकिन इसके लिये तो माननीय मंत्री जी को मजदूर संगठनों को बधाई देना चाहिये चाहे वह इन्टक हो, चाहे हिन्द मजदूर सभा हो या मजदूर फेडरेशन हो। हड़तालें कम हुईं लेकिन ले आफ्स और रिट्रेंच-मेंट्स ज्यादा हुये यह देख लेना चाहिये। जो हमें सरकार की तरफ से आंकड़े दिये गये हैं उसके अनुसार सन् १९५० में ३२७ बार ले आफ्स हुये। ५१ में ठीक दूने हो गये बल्कि दूने से भी ज्यादा हो गये। ५१ में ७७१ ले आफ्स हुये। ५२ में ५१ के भी दूने हो गये यानी १७२१ ले आफ्स हुये। तो ५० से ५१ में दूने और ५१ से ५२ में दूने। इन ले आफ्स से जहां ५० से ५६ हजार मजदूरों पर असर पड़ा था। वहां इस साल ७६ हजार मजदूरों पर असर पड़ा। इन ले आफ्स की तो यह हालत है। अब रिट्रेंचमेंट को देखिये। सन् ५० में १७६४ मजदूरों की छटनी हुई, ५१ में २५७३ मजदूर की छटनी हुई। यानी एक हजार बढ़ गयी और ५२ की इस रिपोर्ट के अनुसार १६२ बार छटनी हुई जिसमें ३८४० मजदूरों की छटनी हुई। इनमें से केवल ७६ मजदूर दोबारा रखे गये सारे प्रयत्नों के बाद, ऐवार्ड्स के बाद और कन्सीलियेशन के बाद भी केवल ७६ मजदूर ही इन ३८४० में से दोबारा रखे गये। तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि कानून के जरिये मजदूरों को न्याय देने का सिद्धांत यह कसौटी पर खरा नहीं उतरता भले ही कितने महीने लग जायं, कितने ही डिपार्टमेंट रख दिये जायं, कितने ही काबिल अफसर रख दें लेकिन मजदूरों को न्याय, कानून की शरण लेकर नहीं मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि पैसे के बल पर थैलीशाह लोग अच्छे वकीलों को रखने या बैरिस्टर रखने का काम कर सकते हैं पर ऐसा तो मजदूर आन्दोलन कर नहीं सकता। तो मैं तो यह समझता हूं कि इक्विटी का ज्यादा ध्यान रखा जाय लेबर लेजिस्लेशन के बनाते समय बजाय एक लीगल एसपैक्ट को देखने के। बहुत से केसेज देखते हैं तो मालूम होता है कि सन् ५२ में डिसमिसल और रीइंस्टेटमेंट के केसेज सबसे ज्यादा कंसीलियेशन के दफ्तर में आये। ४६ फी सदी शिकायतें दी थीं। कुल मिला कर २२६४ शिकायतें आई। इससे साबित होता है कि इम्प्लायर्स का रवैया अब डिसमिसल करने का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आधे से ज्यादा शिकायतें डिसमिसल के बारे में आई हैं।

इसके साथ ही साथ एडजूडीकेशन एवार्डस को एंफोर्स कराने के लिये सरकार का ध्यान बहुत ही कम गया है। जब हम १९५१ की रिपोर्ट का १९५२ की रिपोर्ट से मुकाबला करते हैं तो १९५२ की रिपोर्ट में मुश्किल से १९५१ की रिपोर्ट के आधा मसाला है। १९५१ की रिपोर्ट में बतलाया गया था कि कितने एवार्डस एंफोर्स किये गये। इस साल यानी १९५२ की रिपोर्ट में केवल ५ के मुकदमों के नाम हैं और बाकी का कोई जिक्र नहीं है कि कितने में एडजूडीकेशन का एवार्ड हुआ और कितनों को लागू किया गया। जहां तक एवार्ड्स के एंफोर्स करने का सवाल है तो कोई बात इसमें नहीं है। मेरे पास एक ऐसे एवार्ड्स की लिस्ट है जिसमें लेबर ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ है। वह है अपील नंबर ३२१, ३२२ और ३२३। अक्टूबर २५ को लेबर ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ लेकिन आज तक वह एवार्ड एंफोर्स नहीं किया गया। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि एडजूडीकेशन एवार्ड्स को एंफोर्स न करने की ४४ शिकायतें आईं। लेकिन ५ को एंफोर्स करने की कार्यवाही की गई और बाकी में कुछ नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि एडजूडीकेशन के जो एवार्ड्स हों उनका अगर एंफोर्समेंट हो तब तो ठीक हो सकता है वरना ढीलमढाल रही तो जितनी यह एडजूडीकेशन की मशीनरी है वह एक प्रकार से बेकार रहेगी।

इसके बाद एक और बात पर नजर रखनी होगी। कंसीलियेशन बोर्ड्स के बाद एक एडजूडीकेशन संबंधी एक्सपीडियेंसी का सवाल आ गया है। लेबर कमिश्नर को अथारिटी दी गई है कि जो केसेज समझौते के द्वारा तय नहीं होते हैं उनके लिये यह तय किया गया है कि वह मामले एजजूडीकेशन में भेज दिये जायं। पिछले साल जिन केसेज में समझौता नहीं

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हुआ ऐसे २४५९ केसेज आये। उनमें से १६१० रिजेक्ट कर दिये गये और ५७७ केसेज केवल एडजूडीकेशन में भेजे गये। अब यह सोचिये कि कितनी मुसीबत और मेहनत मजदूर संगठनों को कंसीलियेशन बोर्ड में लड़ने के लिये उठानी पड़ी होगी और २४५९ केसेज में से १६१० रिजेक्ट कर दिये गये और २१० पेंडिंग हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह डिफाइन करें कि वह कौन से एक्सपीडियेंसी के आधार हैं जिनके ऊपर कंसीलियेशन बोर्ड के मामले जो एडजूडीकेशन के विचारार्थ लेबर कमिश्नर के पास भेजे जाते हैं वह किस आधार पर स्वीकार किये जाते हैं या रिजेक्ट किये जाते हैं। कानपुर में जूट, आयल और कैमिकल्स सिसवा बाजार काशीपुर चीनी मिल वगैरह के तमाम मामले पड़े हैं जिनमें महीनों से मामले एडजूडीकेशन में जाने हैं। लेकिन आज तक उनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। इस प्रकार जिन मामलों में कंसीलियेशन बोर्ड में समझौता न होने पर, इस प्रकार का रवैया रहा डिले करने का और रिजेक्ट करने का तो मैं यह समझता हूं कि एडजूडीकेशन की यह सारी मशीनरी बेकार रहेगी।

दूसरी बात मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। वह पूल सिस्टम के बारे में है। कानपुर में उसकी बड़ी तारीफ की गई है। ठीक है और लगता भी ऐसा ही है कि सिद्धांत सही है। लेकिन वहां कुछ काम नहीं हो रहा है। जैसी कि मुझे सूचना मिली है वह यह है कि जेंटिलमैनली एग्रीमेंट एम्प्लायर्स और मजदूरों में हुआ था जिसमें यह था कि मिल मालिक एक लिस्ट दिखाते थे कि इतने मजदूर रखे जायेंगे और इम्प्लायमेंट एक्सचेंज एक नोटिस भेजता था और वह उस पूल में से रखे जाते थे। लेकिन इस पूल सिस्टम के होते हुये भी वही मजदूर लिये जाते हैं जो मिल मालिकों के फेवरिट्स हैं। सरकार ने स्वयं इस बात को माना है कि बहुत सी मिलें ऐसी हैं जिन्होंने नियमों को तोड़ा है। हमारी हिन्द मजदूर सभा ब्रांच व गंगा सहाय चौबे जी ने जे० के० काटन मिल की लिस्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इस पर दो आदमियों की कमेटी बनी थी जिसने जे० के० काटन मिल की ओर ध्यान दिलाया। वहां पर बजाय इसके कि मजदूर पूल सिस्टम में प्रायरिटी और सीनयरिटी के आधार पर लिये जाते, जो मिल मालिक के फेवरिट्स थे उनको रक्खा गया।

एक महत्वपूर्ण मामला यह है कि बहुत से लेबर एक्ट्स बने हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एन्ड स्टैंडिंग आर्डर्स, पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट आदि ये सब सरकारी कर्मचारियों के लिये भी लागू होने चाहिये। सरकार ने कानपुर की एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के मजदूरों के लिये तो लेबर एक्ट्स लागू कर दिये हैं लेकिन जहां मेहतरों रोडवेज कर्मचारियों या अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी का सवाल आता है उनको लेबर एक्ट्स से बरी रक्खा है। वह समय अब आ गया है कि जब सरकार को स्पष्टतः अपने कर्मचारियों को वही सुविधायें प्रदान करना चाहिये जो सुविधायें व्यक्तिगत उद्योगधंधों के मजदूरों को लेबर एक्ट्स से मिलती हैं। मिसाल के लिये जब कभी मेहतरों की हड़ताल गैर कानूनी घोषित हुई तो लेबर कमिश्नर ने उसे गैर कानूनी घोषित किया। तो तारीफ की बात यह है कि जहां गैर कानूनी करने का सवाल आये वहां तो लेबर कमिश्नर को हक है लेकिन जहां पर मेहतरों की मांगों की जांच करने का सवाल आये उसमें लेबर कमिश्नर को कोई अधिकार नहीं हैं यह कैसी बिडम्बना है। अब समय आ गया है कि हर प्रकार के सरकारी अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार लेबर ऐक्ट की सुविधायें मिलनी चाहिये।

जहां तक रोडवेज कर्मचारियों का सवाल है माननीय श्री लालबहादुर शास्त्री ने, जब वह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उन्होंने जनवरी और मार्च, ५१ में इस बात का विश्वास दिलाया था कि वह रोडवेज कर्मचारियों के लिये लेबर ऐक्ट्स को अवश्य लागू करेंगे। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस बात के लिये इस सदन में अवश्य आश्वासन देंगे।

इसके अलावा एक और बात एडजुडिकेशन से संबंध रखती है। वह प्रेस वर्कर्स की मिसाल है। लेबर इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल है। उसके सामने बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ के प्रेस के मजदूरों का मामला था लेकिन चूंकि प्रेस कमीशन के टर्म्स आफ रिफरेंस में वह बात आ गई इसलिये उसे वापस ले लिया गया। यह मिसाल अभूतपूर्व है। इस प्रकार से एक मामला इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल के सामने हो और उसे वापस ले लिया जाय क्योंकि वह कमीशन के टर्म्स आफ रिफरेंस में आ गया। बहुत से मामले गवर्नमेंट आफ इंडिया के कंसीडरेशन में होते हैं लेकिन जितने मामले उस सिलसिले में एडजुडिकेशन में चल रहे हों उनको वापस ले लेना यह कहां तक न्यायसंगत है। ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। जैसे प्रेस वर्कर्स का मामला देखने में आया है केशवदेव मालवीय कमेटी बनी थी जो निम्बकर कमेटी की अंग थी। उसने प्रेस वर्कर्स के लिये मिनिमम वेजेज रिकमेंड कर दी थी। माननीय सूरज प्रसाद अवस्थी भी उसमें मौजूद थे। उनका भी बहुत सुन्दर सुझाव उसमें है लेकिन जितनी रिपोर्ट्स यहां आई आज तक उस बारे में उसका कोई जिक्र नहीं आया। इस प्रकार के जो लेप्सेज हैं भविष्य में वे न होने चाहिये। इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो छोटे तबके के मजदूर हैं जिनको संगठन का ज्यादा मौका नहीं मिला है, जो छोटे उद्योग धंधों में हैं उनको भी काफी अवसर इस बात का मिलेगा।

इसके बाद मैं थोड़ी सी बात शाप्स एंड कार्मशियल इस्टेब्लिश्मेंट ऐक्ट के एंफोर्समेंट क बारे में बतला देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास बहुत स्टाफ है जिसके जरिये हम उस ऐक्ट को एंफोर्स कर सकते हैं। मेरा एक सुझाव है कि अगर माननीय मंत्री जी इस संबंध में म्युनिसिपल बोर्ड्स से पत्र-व्यवहार करें और जिस प्रकार हमने एस० डी० ओ० को इंस्पेक्टर बनाया है उसी प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड के सेक्रेट्री या एग्जीक्यूटिव आफिसर या उसके किसी अन्य कर्मचारी को जिसको म्युनिसिपल बोर्ड रेकमेंड करे और सरकार ठीक समझे यह अधिकार दें तो शाप ऐंड कर्मशियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट प्रान्त के सभी टाउन एरियाज और म्युनिसिपल बोर्ड्स में लागू किया जा सकता है। ऐसे ही मिनिमम वेजेज ऐक्ट का प्रयोग हो सकता है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट अभी प्रान्त के १२ जिलों में और उसमें ५० एकड़ से ज्यादा एकरेज वाले जो फार्म्स हैं उन्हीं के खेतिहर मजदूरों के लिये लागू किया गया है। मेरा सुझाव यह है कि सारे उत्तर प्रदेश में ५० एकड़ से ऊपर के जो फार्म्स हैं उनके खेतिहर मजदूरों के लिये मिनिमम वेजेज तय कर देने चाहिये और कम से कम चाइल्ड लेबर को जिसको हमने मान लिया है उसको तो एबालिश ही कर देना चाहिये। इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि चाइल्ड लेबर के लिये भी मिनिमम वेजेज रख दिये हैं। तो जब हम बच्चों से काम कराने के सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हम क्यों खेतिहर मजदूरों के बच्चों से इस प्रकार काम कराना चाहते हैं। मैं तो समझता हूं कि यह चीज हमको हटा देनी चाहिये और कम से कम खेतिहर मजदूरों के बच्चों के लिये ऐसी पाबन्दी रखनी चाहिये जिससे वे मजदूरी का काम न करें।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो मांग पेश की है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिये नहीं कि मंत्रिमंडल में आने के पहले वह एक मजदूर नेता थे बल्कि इसलिये कि इस प्रान्त में मजदूरों के संबंध में अब तक जो कुछ भी कार्य हुआ है, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है कि वह दूसरे प्रान्तों के लिये अनुकरणीय है। हमारे मित्र श्री तिवारी जी ने जो जो बातें इस समय हाउस के सामने रखी हैं मैं चाहता यह था कि मैं उनका समर्थन करूं और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कुछ अंश में वही बातें आज मजदूरों के सामने हैं जो कि उन्होंने रखी हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये हल कैसे हों, और क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमारी ये मांगें पूरी नहीं होतीं। जहां तक ट्रेड यूनियनों का संबंध है आशा इस बात की है और यदि सदन के सदस्य माननीय श्रम मंत्री के पिछले भाषण को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें बराबर श्रम मंत्री का यही कहना था कि अगर एक ट्रेड यूनियन आप बनालें तो बहुत कुछ यह मसला हल हो जाय। लेकिन हमें अफसोस है कि जिस तरीके के भाषण पिछली बार और आज विरोधी

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

बेंचों से हो रहे हैं उनसे बड़ी निराशा उत्पन्न होती है। मैं याद दिलाऊं उस आई० एन० टी० यू० सी० की, एक ही नमूना का कि अब रेलवेमेन्स फेडरेशन और आई० एन० टी० यू० सी० दोनों एक होने जा रहे हैं और यदि जयप्रकाश जी की कही हुई बात सच है तो उसके प्रेसीडेंट श्री हरिहरनाथ शास्त्री और सेक्रेटरी श्री गुरु स्वामी होने जा रहे हैं। यह है एक तरीका जिसके जरिये हम और वह एक जगह बैठ कर मोर्चा ले सकते हैं मिल मालिकों से और सरकार के उन कानूनों से जो मजदूरों के हितों के विरुद्ध हों। लेकिन मुझे दुख है कि आज भी बराबर तरीके का चैलेंज किया जा रहा है। अतः मैं आपके द्वारा श्री जगन्नाथ मल्ल के सेन्सेस लेने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि यदि उनकी अब भी यही इच्छा है कि मजदूरों के अन्दर फूट रहे, यदि अब भी वह चाहते हैं कि पूंजीपति फलते फूलते रहें, यदि अब भी वह चाहते हैं कि हमारे देश के मजदूर सुखी और संतुष्ट न रहें तो मैं उनके प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और उनके चैलेंज को स्वीकार करता हूं और चाहता हूं कि वह जिस तरीके का युद्ध चाहते हों वह एक बार फिर हो। उसका रिजल्ट क्या होगा उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसका नतीजा जो होगा वह उनको मालूम है। बटवारे में फूट पड़ी तो क्या दशा हुई, यह सब जानते हैं।

इसके बाद में कुछ उन चीजों की ओर माननीय श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे सूबे में चल रही है। जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है वह केवल उन मजदूरों के लिये है जो मिलों में या फैक्ट्ररियों में काम करते हैं। जहां एक जगह कुछ रुपया जरूर बढ़ा दिया गया है लेकिन दूसरी जगह २४३ हजार रुपया काट दिया गया है यह वह रुपया है जो इम्प्लायमेंट ऐक्सेंज के जरिये से खर्च होता था और उन जिलों में खर्च किया जाता था जो पिछड़े हुये जिले हैं। वहां से मजदूर भर्ती किये जाते थे, उनको काम सिखाया जाता था जिसके लिये सरकार ने बीस केन्द्र कायम किये थे अब उन केन्द्रों को खत्म किया जा रहा है। कहा यह जायगा कि वे तो उनके लिये थे जो फौज से वापिस आये थे। नहीं, ऐसा नहीं था। गत दो वर्षों से वे केन्द्र आम जनता की सेवा कर रहे थे। आप यदि देखें कि जिन जिलों में इन केन्द्रों को तोड़ा गया है उनमें भुखमरी की समस्या है। वे जिले इस प्रकार हैं---

बलिया, अलीगढ़, बनारस, बुलन्दशहर, देहरादून, फतेहगढ़, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, सहारनपुर, सीतापुर, आदि आदि।

मैं चाहता हूं कि इस मद को आप किसी न किसी दूसरी मद से पूरा करें और उन लोगों को जिनको रोजगार नहीं मिलता है काम दिलाने की कृपा करें। बेकारी दूर करने के लिये आपने १० लाख रुपया रक्खा है। मैं बहुत ही अदब के साथ जानना चाहूंगा कि माननीय श्रम मंत्री जी कृपया हमें बतायें कि वह १० लाख रुपया किस काम में खर्च किया जा रहा है। क्योंकि हमारे पास ऐसे आदमी नहीं हैं जो काम को समझ सकें, ट्रेनिंग पाये हुये हों। पिछले बजट के सेशन में ग्राइस साहब ने कहा था कि नैनीताल में यह तय पाया था कि उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाय और ट्रेनिंग के लिये यह निश्चय किया गया था कि उनको गवर्नमेंट टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाय। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ट्रेनिंग को टैक्सटाइल मिलों से शुरू करें और माननीय ग्राइस साहब से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी मिल में इन लोगों को ट्रेनिंग देने की कृपा करें।

इसके अलावा दूसरी ऐसी जगहें भी हैं जहां श्रमिक काम करते हैं लेकिन उनके लिये कोई कायदे और कानून बने हुये नहीं हैं। इन मजदूरों के लिये भी जरूर कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये चाहे वह कंसीलियेशन का हो या एडजूडीकेशन का हो वह हैं, सरकारी कर्मचारी जिनके लिये कोई रास्ता नहीं है। रोडवेज के कर्मचारियों के लिये न तो पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट ही लागू है, और न फैक्टरी ऐक्ट ही लागू है और न कोई दूसरा ऐक्ट ही। ऐसी हालत में उनके लिये भी कोई प्रबन्ध होना निहायत ही जरूरी है।

आपने देखा कि मेहतरों की हड़ताल के संबंध में बार बार सरकार से प्रार्थना की गयी कि इस हड़ताल को वह अपने हाथ में ले ले लेकिन समझ में नहीं आता है कि सरकार की क्या पालिसी है ? शायद उसकी एक ही पालिसी है कि जब चाहे श्रम विभाग से काम ले ले और जब चाहे न ले। आप यह भी देखें कि प्रान्त में अशांति बढ़ती ही चली जा रही है, चाहे वह पटवारियों के नाम पर हों, मास्टरों के नाम पर हो या किसी दूसरे नाम से हो। आज भले ही स्वीपर्स स्ट्राइक को गैर कानूनी करार दे दिया जाय लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिये कि उसकी इस कार्यवाही से असंतोष तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री जी इन मामलों को अपने हाथ में लें। मैं जानता हूं कि वे इन चीजों को कितनी आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि मुझे उनके साथ सरकारी और गैरसरकारी दोनों तरीकों से काम करने का मौका मिला है। इसी तरीके से पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूरों की हालत है। उनकी संख्या भी करीब करीब ४० हजार है। यानी ४० हजार आदमी इस तरह के हैं कि किसी दिन उनके मेट, या मिस्त्री चाहें तो उनको नौकरी से अलग कर दें। उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस का तो इन्तजाम कर दें और उनको वे ही अधिकार मिलें जो कि गवर्नमेंट सरवेंट को मिले हुये हैं।

इस तरीके से अब मैं चाहता हूं कि जरा इन मजदूरों की तरफ भी आऊं जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं अभी कुछ दिन पहले केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी कि वह कमेटी बतलावे कि महंगाई का कितना अंश उनके वेजेज या तनख्वाह में मिला दिया जाय ताकि मजदूरों को आसानी हो। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और केन्द्रीय सरकार के सामने वह रिपोर्ट है। मैं चाहता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी इस प्रश्न को भी इस सूबे में लें क्योंकि अब वह वक्त आ गया है जब कि कोई आशा नहीं है कि इस तरह की महंगाई फिलहाल कुछ दिनों तक कम हो। उनका मिनिमम वेज २६ रु० तय हुआ है वह असंतोषजनक है और किसी न किसी तरीके से, ऐडजुडिकेशन के जरिये या किसी दूसरे तरीके से इसे बढ़ाया जाना चाहिये। कुछ केसेज में बढ़ाये भी गये हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप कोई कमेटी मुकर्रर करें जो उसी तरीके से महंगाई भत्ते को तनख्वाह में मिला कर उसका एक स्टैंडर्ड कायम करें।

एक प्रश्न और है और अभी अभी मेरे कुछ साथियों ने यह कहा कि देहात के लोग शहर में भाग भाग कर इसलिये आ रहे हैं कि शहर में उन्हें बड़ा आराम है। मेरे मित्रों को जानना चाहिये कि उसका कारण यह नहीं है बल्कि उसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर उनके साथ सामाजिक व्यवहार अच्छा नहीं होता है और जो सुविधायें उनको शहर में हैं वे देहातों में नहीं है। मेरे मित्र जानना चाहते हैं कि यहां उनको क्या सुविधायें हैं। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जब वे देहात से शहर में आते हैं तो समझते हैं कि अब हम अपना सर उठा कर चल सकते हैं, वे समझते हैं कि अब यहां पर किसी का डर या दबाव नहीं है। लेकिन देहात की क्या परिस्थिति है ? मैं भी देहात का ही रहने वाला हूं इसलिये मैं चाहता हूं कि देहात में जो मजदूर रहें उनकी सामाजिक स्थिति को हम ऊंचा उठावें और उनको अपने साथ लेकर चलें, जैसा कि चलना चाहिये।

एक प्रश्न यह है कि कुछ दिन पहले हम एक नारा लगाते थे और हमारे श्रम मंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले इस तरह का प्रस्ताव रखा था कि राष्ट्रीयकरण किया जाय। वह प्रस्ताव अब भी कायम है और उस पर धीरे धीरे कार्यवाही हो रही है, यह मैं मानने को तैयार हूं लेकिन अब वह वक्त आ गया है कि जब कि आपका वह नारा पूरा हो गया कि खेत उसी का है जो उसे जोते, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसी तरीके का नारा इंडस्ट्रीज के लिये क्यों न होना चाहिये कि "मिल उसी का जो मिल में काम करे" आवश्यकता इस बात की है, अगर आप चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि मजदूरों को पूरा अधिकार मिले तो चाहे कानून के जरिये हो, चाहे वह आपसी समझौते से हो, आपसी समझौते से तो ऐसे मामले तय होते नहीं, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से जमींदारी के संबंध में किया गया है उसी तरीके से इस तरह का कोई कानून समय के अनुसार बनाया जाय जिसमें फैक्टरी के मजदूरों को भी अधिकार मिले।

[श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी]

अब हमारे सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न 'हाउसिंग' का आ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि कानपुर में हाउसिंग का प्रबन्ध किया जा रहा है, लखनऊ में भी थोड़ा सा है और दूसरी जगहों में भी किया जायगा। एक दिक्कत हमारे सामने है कि वे मकान जो बनने वाले हैं या बन रहे हैं उनमें इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है कि जिनके लिये ये मकान बनाये जा रहे हैं वे कहां काम करते हैं। हालत यह है कि मकान बहुत दूर बन रहे हैं जहां कि मजदूरों को रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उनका किराया भी इस तरह का रखा गया है कि उसको मजदूर देने में असमर्थ होंगे। नतीजा यह होगा कि उन मकानों की हालत भी उन्हीं स्लम्प व गन्दे हातों की हो जायगी जैसा कि अक्सर देखने में आता है। तो इस दो तीन बातों को ध्यान में रखना है। एक तो किराया, दूसरे उनके आने जाने का प्रबन्ध और तीसरे उन लोगों के रहन सहन में इस तरह का कोई परिवर्तन न हो जैसा कि अभी प्राइस साहब ने कहा कि आज रखे जायं और कल उनको अलग कर दिया जाय। एक बात और है वह यह है कि हमारे यहां श्रमिक हितकारी कार्य चल रहा है। इस सम्बन्ध में जो कुछ काम है वह ठीक है लेकिन इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि जो और जगह भी इस तरह का कार्य हो रहा है उन दोनों को एक में मिलायें उसके लिये यह आवश्यक है कि एक बोर्ड बनाया जाय और जो कार्य हो रहा है चाहे वह सरकार की तरफ से हो रहा हो या और जगह जो हो रहा है उसको मिला कर एक कर दिया जाय और वह एक तरीके का काम किया जाय। हालत यह है कि कहीं पर कुछ है और कहीं पर कुछ है। इसके लिये यह कहा जायगा कि एक कमेटी बनी हुई है। मैं समझता हूं कि वह कमेटी इस चीज के लिये नहीं है। इस बात की इसलिये जरूरत है कि म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कुछ काम हो रहा है, सरकार की तरफ से कुछ काम हो रहा है और कुछ सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ से हो रहा है तो इन सब को मिला कर एक कर दिया जाय। इसके बाद मैं फिर इन सब चीजों के लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और यह आशा करता हूं कि वह हमारी इन चीजों पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आज़मगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे इस अनुदान को बड़े ग़ौर के साथ पढ़ा और उस पर दिये गये भाषण भी बड़े ग़ौर से सुनता रहा। माननीय श्रम मंत्री का भाषण हमने सुना जो उन्होंने इस विषय पर दिया और जो आश्वासन उन्होंने दिया और यह कहा कि मजदूरों की हालत को सुधारने के लिये उनका प्रयत्न है और वह कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दशा को सुधारा जाय इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। इसके साथ साथ मैंने अभी माननीय जगन्नाथ जी का भाषण भी सुना जो उन्होंने मिल मजदूरों के सम्बन्ध में दिया। उनकी शिकायत है कि मिल मजदूरों की हालत खराब है और मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं हुआ है और यही नहीं बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि कोई क़ानून अभी तक ऐसा नहीं बनाया गया जिससे मजदूरों का कोई लाभ हुआ हो। उसी के साथ एक दूसरा भाषण माननीय नारायण दत्त जी का भी सुना जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि मजदूरों की भलाई के कानून बने हैं और उक्त कथन का खंडन किया। उन्होंने यह कहा कि मजदूरों की दशा में सुधार करने का प्रयत्न गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। इसके पश्चात् अभी एक भाषण अवस्थी जी का सुना है। उन्होंने मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये बहुत कुछ कहा है। परन्तु मुझे एक बात खटकती रही है और वह यह है कि हमारे देहात के रहने वाले मजदूरों के बारे में बहुत कम कहा गया है। माननीय मंत्री जी ने अवश्य इस बात का आश्वासन दिया कि खेतिहर मजदूरों का न्यूनतम वेतन यानी मजदूरी नियत करने का वह प्रयत्न कर रहे हैं और १२ जिलों के लिये वेतन सम्बन्धी कानून को लागू करने का इशारा भी उन्होंने किया है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि १२ जिले कौन से होंगे। ठीक है यह १२ जिलों में लागू किया जायगा। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न मैं माननीय मंत्री महोदय

से पूछना चाहता हूं और वह यह है कि क्या आप यह समझते हैं कि न्यूनतम वेतन निश्चित कर देने ही से देहात के खेतिहर मजदूरों का सुधार हो जायगा। मैं इसका उत्तर स्वयं देना चाहता हूं कि न्यूनतम वेतन निश्चित कर देने से उनकी दशा में सुधार नहीं हो सकता है। उनकी दशा में कैसे सुधार किया जा सकता है इस पर विचार करने के लिये अगर आप ध्यानपूर्वक गौर करें तो मैं यह कहूंगा कि जब तक मासेज़ की दशा में सुधार नहीं होगा जब तक, उनकी पेइंग कैपिसिटी नहीं बढ़ाई जायगी तब तक न्यूनतम वेतन निश्चित कर देने से दशा नहीं सुधर सकती है। मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि क्योंकि मेरा देहात से सम्पर्क है और मैं जानता हूं कि देहात में जितने लोग बसते हैं उन सब लोगों में बहुमत यानी ९९ फीसदी लोग ऐसे हैं कि जिनको दोनों वक्त खाने को नहीं मिलता है। आप कुछ भी मजदूरी निश्चित कर दें लेकिन जब तक मजदूरी देने की जनता की कैपिसिटी नहीं होगी तब तक यह वेतन निश्चित करना बिल्कुल बेकार होगा। देखिये क्या हालत होती है देहातों में। जितने भाषण यहां दिये गये हैं सब में हमारे माननीय सदस्यों ने बतलाया है शहरी मजदूरों के लिये मकान बनवाइये, उनके बच्चों की तालीम का प्रबन्ध कीजिये। क्या माननीय मंत्री महोदय जी ने कभी इस तरफ ध्यान दिया कि देहात के रहने वाले खेतिहर मजदूर की दशा सुधारी जाय। उनके मकानों की दशा देख लीजिये, उनकी मजदूरी की दशा देख लीजिये, उनके बच्चों की शिक्षा की दशा देख लीजिये, उनकी रहन-सहन देख लीजिये। सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो उनकी दशा खराब ही पायेंगे। कुछ थोड़ा सा प्रयत्न मजदूरों और विशेषकर हरिजनों की दशा सुधारने का किया जा रहा है परन्तु मैं कहूंगा कि वह काफी नहीं है। खेतिहर मजदूरों में केवल हरिजन ही नहीं हैं। उनमें अन्य जातियां भी हैं परन्तु मैं यह देखता हूं कि उनकी दशा सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। हर एक खेतिहर मजदूर के लिये आवश्यक है कि उसके लिये मकान बनाये जायं, उसका पूरा खर्चा देने की जरूरत नहीं है, जैसा कि शहर के मजदूरों को मकान बनवा कर दिये गये हैं। अगर थोड़ी सी सहायता मजदूरों को दी जाय तो वह अपने मकान बनवा सकते हैं। हरिजन विद्यार्थियों के लिए तो आपने फीस माफ की है। लेकिन खेतिहर मजदूर चाहे किसी वर्ग का हो उसके लिये आवश्यक है कि उनके बच्चों की तालीम बिना किसी फीस के हो। उनको पुस्तकें मिलनी चाहिये। जैसा कि अवस्थी जी ने कहा कि अभी यह सही है कि उनको सामाजिक बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन अवस्थी जी भी जानते होंगे और इस सदन के माननीय सदस्य सब जानते हैं कि उनकी सामाजिक दशा में दिन ब दिन फर्क आ रहा है। उनको वही सामाजिक हक दिये जा रहे हैं। यह बड़े से बड़े लोग मानने के लिये तैयार हैं। उसमें तो सुधार हो रहा है और गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में कुछ करना नहीं है। लेकिन जो सरकार को करना है वह यह है कि खेतिहर मजदूरों की दशा कैसे सुधारी जाय। उसके लिये वह कोई सक्रिय कदम उठायें। मिलों में, रेलवे में, रोडवेज में जो मजदूर काम करते हैं, यह सब खेतिहर मजदूरों की औलाद हैं। तो फिर खेतिहर मजदूरों की दशा आपको सुधारनी होगी और वह इस तरह नहीं सुधारी जा सकती है कि आप न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दें। उनकी दशा तभी सुधरेगी जब आप उस तरफ ध्यान देंगे। मैंने बजट के आंकड़ों को देखा है। निस्संदेह यह मानना पड़ेगा कि उत्तरोत्तर आपने उन्नति की है और पहले साल से ज़्यादा रकम इसमें रखी गयी है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि २५ लाख की रकम इस मद में बहुत कम है। मैं यह भी जानता हूं कि कठिनाइयां हैं मैं यह महसूस करता हूं कि अधिक रकम कहां से आये। परन्तु जिस मद से भी हो उस मद से छांट कर मजदूरों की दशा सुधारी जाय और उसके लिये अधिक से अधिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है क्योंकि मजदूर ही सारे राष्ट्रीय कार्यों को करता है। बिना मजदूरों की दशा सुधारे हुए हम इस मुल्क की उन्नति नहीं कर सकते।

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की तरफ और दिलाना चाहता हूं कि देहात में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे मेहतर वर्ग। यहां शहरों के मेहतरों के लिये हड़ताल होती है। उनके लिये कई जगह मकान भी बनवाये गये हैं। क्या कभी आपने देहात की तरफ भी ध्यान दिया है? देहात में मेहतरों की दशा बहुत खराब है। उनके पास मकान नहीं हैं। शिक्षा का कोई साधन नहीं है। समय बहुत हो गया है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी से कि खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने की तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिया जावे।

श्री रामलखन (जिला बनारस)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने श्रम विभाग का जो अनुदान पेश है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान क्या दुनिया में मजदूर राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता है लेकिन जब हमने इस बजट को देखा तो यह देखा कि जो मजदूर कि राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता है उसके उत्थान के लिये यहां जो बजट रखा गया है वह तो उसकी और मखौल उड़ाई गई है। हमारे जितने नेता हैं वह सब कहते हैं कि देश को सुखी और समृद्ध बनाने के लिये देश का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। जहां कल-कारखानों का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है वहां खेती के द्वारा भी उत्पादन बढ़ाना उतना ही जरूरी है। जब हम इस कसौटी पर कस कर अपने बजट को देखते हैं तो हंसी आती है। एक तरफ तो इस तरह बजट दिया जाता है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाओ लेकिन जिनके हाथों में देश का उत्पादन बढ़ाना है और जिनको सुखी और समृद्धिशाली बनाने का भार दिया जाता है उन्हीं की उपेक्षा की जाती है। जहां ७८ करोड़ का बजट है उसमें २५ लाख का बजट मजदूरों के उत्थान के लिये रखना, इससे न तो देश का उत्पादन बढ़ सकता है और न देश आगे बढ़ सकता है। अगर देश के उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें अपने सूबे के बजट में से अधिक से अधिक रुपया मजदूरों की सुविधाओं पर खर्च करना चाहिये। सरकार अभी तक हमारे कारखानों के मजदूरों को ही ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देने की ओर अग्रसर रही है लेकिन वहां जितने लोग काम करते हैं वह हमारी आबादी का केवल १ फीसदी मात्र हैं लेकिन हमारे सूबे में जहां ६ करोड़ की आबादी है उनमें से करीब १ करोड़ खेतिहर मजदूर हैं जिनकी रोजी खेतों में काम करने पर हासिल होती है और जिनको केवल सेर भर या तीन पाव मजदूरी मिलती है और जितने भाई यहां हैं और जो देहातों से आते हैं वह सब जानते हैं कि इससे अधिक उचित मांग भी वह सामने नहीं रख सकते हैं। जो लोग खेतिहर मजदूरों का संगठन करने वाले लोग हैं उनको भी कम्यूनिस्ट कह कर और ग्रामीण शान्ति में खतरा पैदा करने वाला बता कर बदनाम किया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके सामने सिवा इसके और कोई चारा नहीं है कि उनको जो कुछ भी मिलता है उसी में अपनी गुजर करें, और कोई रास्ता उनके सामने नहीं रह जाता है। जिस मजदूर को आज सेर भर मिलता है वह कैसे अपने बच्चों को पढ़ाये, मकान बनाये और दवा दारू का इन्तजाम करे। यह आज की परिस्थिति है कि काम करने वाला भूखा है और कपड़ा बनाने वाला चिथड़े लपेटता है जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं और मजदूरों का उत्थान करना चाहते हैं उससे काम नहीं चल सकता। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि माननीय लालबहादुर शास्त्री ने कहा था कि हमारे देश में केवल गल्ला मंगाने में जो खर्च होता है उसमें सिर्फ ट्रान्सपोर्ट चार्जेज पर ६० करोड़ रुपया खर्च होता है लेकिन दु:ख की बात है कि यहां पर गल्ला पैदा ---ों की उपेक्षा की जाती है। ११-१२ जिलों में खेतिहर मजदूरों की यूनियनें ना रही हैं लेकिन वह वहीं की जा रही हैं कि जहां पर बड़े बड़े सरकारी फार्म हैं और लाखों गांवों में खेतिहर मजदूर हैं उनके लिये कुछ नहीं हो ारे कुछ भाइयों ने बताया कि जितने हट्टे-कट्टे लोग हैं शहरों में

चले आ रहे हैं और देहात में मजदूरों की निहायत कमी है। लेकिन आपको देहातों में लेबर कहां से मिले क्योंकि उनको तो कोदो और सावां खाने को मिलता है। सरकार की स्कीम चलती है कि अधिक गल्ला पैदा करो, लेकिन जब पैदा करने वालों को खाने को नहीं मिले, उसके बदन में दम नहीं हो, और उसका पेट हड्डी में लगा हो तो अधिक गल्ला कहां से पैदा हो? मैं तो कहता हूं कि जब तक खेतिहर मजदूर की समस्या हल नहीं होगी तब तक आप किसी भी इर्रीगेशन की योजनायें बनावें, कितना भी प्रोपेगेंडा पर खर्च करें अधिक अन्न नहीं पैदा होगा। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुविधायें खेतिहर मजदूरों को दें।

जहां तक मजदूरी बढ़ाने का सवाल है मैं भी मिश्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मजदूरी बढ़ाने से ही खेतिहर मजदूरों की समस्या हल नहीं होगी और न मिनिमम वेजज़ ऐक्ट को ही लागू करने से उनकी समस्या हल होगी। समस्या तो सब से बड़ी उनके सामने यह है कि जहां १० मजदूरों की जरूरत है वहां १०० मजदूर मौजूद हैं। तो जब तक १०० मजदूरों के लिये काम न हो तब तक आप भले ही लाख मजदूरी बढ़ाइये परन्तु वास्तव में वह नहीं बढ़ सकती। हमें पहले यह सोचना चाहिये कि जो सरप्लस लेबर खेतों में पड़ा हुआ है जो अब एक भार के रूप में है उसे हम किस तरह से काम में लगायें। कानून तो बहुत से ऐसे बने हैं जो कानूनों की पुस्तकों में शोभा बढ़ा रहे हैं मगर हमारी असली समस्या तो यही है कि सरप्लस लेबर को कैसे काम में लगाया जाय। जब तक इसका हल नहीं होगा तब तक हमारी पैदावार नहीं बढ़ सकती है। जितने भी सरकारी काम हैं उनके लिये मजदूरों की सोसाइटियां बनानी चाहिये जिन पर सुपरवीजन सरकार का हो। जितने भी इमारत के काम हैं, सड़कों के काम हैं या मकान बनाने के काम हैं वह सब इन सोसायटीज़ को मिलने चाहिये ताकि वह सरप्लस लेबर वहां जाकर काम करे। जब तक ऐसा नहीं होगा मैं समझता हूं कि कानून मात्र बनाने से समस्या हल नहीं होगी।

अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। हमारे सूबे में मेहतर भाइयों की परिस्थिति को देखिये। उनके लिये आदर्श बस्ती बनाई जाती है, कहां? जहां म्यूनिसिपैलिटी की टट्टी है। उसे आदर्श कहा जाता है और उसमें केवल एक कमरा और एक छोटा सा बरामदा होता है। उसके बीबी, बच्चे और यदि कोई छोटा मोटा जानवर हो तो वह सब उसी में रहते हैं। हमारे वे भाई सारे शहर की सफ़ाई करते हैं। चूंकि दिन भर गन्दी वायु में परिश्रम करते हैं इसलिये उनके मकान भी ऐसी ही जगह में बनाये जाते हैं ताकि उन्हें स्वच्छ हवा और जलवायु मिलना मुश्किल हो जाय। ऐसी परिस्थिति में मैं यह कहूंगा कि जैसे और बस्तियां बसाने के समय आप सोचते हैं कि हवा और पानी साफ मिलना चाहिये तो उसी खयाल से मेहतरों की भी बस्तियां बसायी जावें। पैसा तो खर्च किया जाता है लेकिन इस दिशा में ध्यान नहीं जाता है कि उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद मैं खेतिहर मजदूरों के मकानों के बारे में बोलना चाहता हूं। यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि जितना पैसा उनके पास होगा उसी के अनुसार वे अपने मकान बनवायेंगे।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

उसीके अनुसार वह अपना सारा कारोबार करेंगे। जब जमीन ही नहीं है तो घर कहां से बनाएं। वह तो काम करते हैं, अगर हल छोड़ दें तो घर से निकाल दिये जायं। तो कानून ने तो अख्तियार दे रखा है कि जो जमीन कोई आबाद हो तो वह उसके कब्जे में रहेगी लेकिन डंडे के बल से वह भगाये जाते हैं कि तुम अधिक मजदूरी मांगते हो, इसलिये हमारी जमीन छोड़ कर चले जाओ। इसलिये खेतिहर मजदूरों के मकान बनाने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। क्योंकि जहां वह इतना परिश्रम करते हैं, गरमी और वर्षा में दिन भर परिश्रम करने के बाद वह कम से कम रात को सो तो सकें। वर्षा में दिन भर तो

[श्री रामलखन]

काम किया और शाम को जब वह घर आये तो घर में पानी फैल रहा है। गरमी में काम करने के बाद घर आये तो घर पर फूंस ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें उनके सामाजिक जीवन को वास्तव में उठाना है तो हर प्रकार से खेतिहर मजदूरों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा और जो सरप्लस लेबर है उसको दूसरी तरफ खींच कर उसको काम देना पड़ेगा।

श्री कमाल अहमद रिज़वी (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सभी मानते हैं और शायद हमारे माननीय मंत्री जी भी मानें कि २५ लाख रुपया जो मजदूरों की हालत सुधारने के लिये रखा गया है वह जरूर कम है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात यह भी कहूंगा कि सरकार ने दो एक कदम बहुत सही तरफ उठाये हैं। जैसे लेबर हाउसिंग के लिये सरकार सोच रही है और उसके अनुसार बहुत से मकान बन रहे हैं और आगे भी बनने की आशा है। इसके अलावा कम्पलसरी इंश्योरेंस की स्कीम, जो है इससे आगे चल कर मजदूरों को काफी फायदा पहुंचने वाला है और इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि यह दोनों मुफीद चीजें हैं।

मुझे खास तौर से दो एक बातें जो कहनी हैं वह एम्पलायमेंट एक्सचेंज के बारे में है जैसा कि हमारे भाई अवस्थी जी ने कहा था कि २४५ हजार की रकम इसमें से जो उनको मिलती थी वह काट दी गयी है, मैं उसकी तरफ सरकार का और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा तो यह विश्वास है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज की इस डिपार्टमेंट की जो कार्यवाही वे लोग कर रहे हैं उसका होना हमारे सूबे में इस बात की खुद दलील है कि हमारा सूबा बहुत प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) सूबा है और यह भी मैं मानता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी भी एक प्रगतिशील इन्सान हैं और यह बात इसीलिये और ग़लत मालूम होती है कि सम्पूर्णानन्द जी के होते हुए एम्पलायमेंट एक्सचेंज जैसी एक प्रगतिशील चीज को खत्म किया जाय। यह अच्छा नहीं मालूम होता है।

अभी लेबर डिपार्टमेंट पर जो गवर्नमेंट की किताब छपी उस को मैंने पढ़ा। उस में एम्पलायमेंट एक्सचेंज की काफी सराहना की गयी है और जो कुछ उस ने काम किया है उसकी भी तारीफ की गयी है। अभी थोड़े दिन हुये जब इन तारीफों के सुनने के बाद यह पढ़ा कि ढाई लाख रुपया की ग्रांट बन्द कर दी गयी तो यह समझ में नहीं आया कि यह तारीफें दिखाने के लिये थीं या उस एम्पलायमेंट एक्सचेंज की कुछ यूटिलिटी भी है। अगर उसकी कोई यूटिलिटी है तो उसको चलना चाहिये।

अभी हाउस में जब जनरल डिस्कशन हो रहा था तो माननीय शाहिद फाखरी साहब ने एक सजेशन दिया था कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज बन्द कर दें और उसका रुपया दूसरी मदों में लगाया जाय। मुझे बहुत अफसोस है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज क्या चीज है, किस तरह से उसको चलाना चाहिये और उसका क्या काम है उसको माननीय सदस्य समझें नहीं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इसके साथ ही १० लाख की मद रखी गयी है अन एम्पलायमेंट को दूर करने के लिये। दोनों चीजें एक साथ समझ में नहीं आती हैं। एक तरफ तो अन एम्पलायमेंट दूर करने के लिये १० लाख रुपये की रकम रखी जाती है और दूसरी तरफ बना-बनाया एम्पलायमेंट एक्सचेंज खत्म किया जाता है और एक तरह से अनएम्पलायमेंट क्रियेट किया जाता है। यह बात समझ में नहीं आती है। अभी मालूम हुआ कि २० एम्पलायमेंट एक्सचेंज बन्द हो रहे हैं जिस से करीब दो तीन सौ आदमी बेकार हो जायेंगे। तो यह समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो एम्पलायमेंट देने की कोशिश की जाती है और दूसरी तरफ एम्पलायमेंट लिया जाता है। एम्पलायमेंट एक्सचेंज के काम करने वाले आदमी जो कल तक एम्पलायमेंट दिया करते थे आज वह खुद बेरोजगार होंगे तो सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस तरफ सोचेंगे और जो ग़लती इस बजट

में हो रही है या जानबूझ कर की गयी है उसकी तरफ ध्यान देंगे और एम्पलायमेंट एक्सचेंज, ऐसी संस्था जो काफी मुफीद काम कर रही है, उसको कायम रखने में हमारे माननीय मंत्री जी काफी ध्यान देंगे।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर, जिस अनुदान पर विचार करने के लिये हम खड़े हुये हैं वह श्रम अनुदान है। यह विषय बड़ा गम्भीर है। विचार किया जाय तो यह मजदूर वे हैं जिन्होंने इस भारत का ही नहीं सम्पूर्ण संसार का निर्माण किया है कितने ही पहाड़ों को काट काटकर मैदान बना दिये। मनुष्यों के रहने के लिये निवास स्थान बना दिये, सड़कें बनाईं, जिस हाउस में हम बैठे हुये हैं वह हाउस भी मजदूरों का बनाया हुआ है, जितने भी काम हैं उन सब का निर्माण मजदूरों ने किया है। बड़ी बड़ी मिलें और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, नहरें खुदीं, बड़े बड़े खेत खोद डाले गये यह सारे काम मजदूरों ने ही किये हैं, लेकिन वही मजदूर जिसने कि इन सारी चीजों को बनाया है और इस दुनिया का निर्माण किया है उसी मजदूर के रहने के लिये मकान नहीं है, उसके खाने के लिये, उसके पहिनने के लिये, उसके बैठने के लिये उसकी हर जरूरत की चीज की उसे दिक्कत है, उसके लिये बहुत कम ध्यान हम लोग देते हैं। हम लोगों के कहने का अर्थ यह कि हम जिस समाज में निवास करते हैं उस समाज में उसका कोई ऊंचा स्थान नहीं है। जो गांवों में देहातों के अन्दर इस तरह का काम करने वाले लोग हैं, दरजी, धोबी, आपके जाटव, मेहतर, भंगी आदि यह बिलकुल छोटे समझे जाते हैं। और जो निकम्मे लोग हैं जो बिलकुल काम नहीं करते वे बड़े आदमी बोले जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें विचार करना है वह अनुदानों के लिये ही नहीं वह तो स्वीकृति हो ही जायगा। बल्कि सब से पहले हमें अपनी मनोवृत्ति बदलने की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो हम लोगों के रहने के लिये स्थान देता है, खाने की वस्तुयें देता है, जो हम लोगों का पानी भरता है, हमारे लिये कपड़े बनाता है, हमारे जूते बनाता है, और हमारी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति की सामग्री तैयार करता है उस मजदूर के लिये हम बहुत कम ध्यान देते हैं और अपने लिये बहुत ध्यान देते हैं तो सबसे पहले हमें इस तरफ ध्यान देना है। जिन समस्याओं पर हम विचार करने के लिये बैठे हैं उनमें हम इतना ही कर दें कि जिस मजदूर की बनायी हुई चीजों का हम प्रयोग करते हैं, उनका भोग करते हैं उस मजदूर के लिये हम यह भी व्यवस्था कर दें देहात २ में, जिस तरह से कि श्री वृजबिहारी मिश्र जी ने आपके सामने पेश किया कि मिनिमम वेजेज तय कर दिये जायं तो उससे मजदूरों के लिये कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों एकड़ जमीन आप देखें तो सड़कों के किनारे बेकार पड़ी हुई हैं और वह जमीन उनको दे दी जाय, कोआपरेटिव बेसिस पर अगर हम जमीनों का बटवारा करें, उसका अच्छी तरह से निर्माण करके अगर मजदूरों के सहयोग की व्यवस्था की जाय तो हम बहुत बड़ा काम इन भूमिहीन किसानों लिये कर सकते हैं। वैसे तो कई विभागों की तरफ से कुछ न कुछ व्यवस्था उनकी दशा सुधारने के लिये भी की जाती है। परन्तु यदि हम कुटीर उद्योग द्वारा देहात में ऐसा कर सकें और ग्राम सभाओं के द्वारा या और किसी अन्य संस्था के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिसमें खेती से बचे हुये उनके समय का उपयोग कर सकें और छोटे छोटे काम करके कुछ पैसा दैनिक कमा सकें तो यह उनके लिये सुविधा और राहत की बात होगी। लोग कहते हैं कि तमाम लोग देहातों से भाग कर शहरों में आते हैं क्योंकि उनके रहने वगैरह की व्यवस्था अच्छी होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले समस्या पेट की है, मकान की समस्या बाद में आती है। मजदूरों को खाने के लिये रोटी नहीं है। बड़े बड़े आदमियों के पास एक एक हजार और पांच पांच हजार एकड़ जमीन मौजूद है, खेतिहर मजदूर के पास एक बीघा जमीन भी नहीं है। हम इस बात के लिये श्री विनोबा भावे को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम एक इस तरह की भावना तो पैदा की कि हम अपनी जमीन का कुछ भाग उन लोगों को दें जो कि खेतिहर मजदूर हैं या भूमिहीन किसान हैं। अगर इस तरह की बातें व्यवहार में हों जिनसे हमारा दिमाग बदले और सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश हो तो लोगों का दिमाग बदले

[श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ]

तभी हम कुछ कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से मजदूर बस्तियों के निर्माण का बजट रखा गया है कि कानपुर और लखनऊ में तो मजदूरों के मकानों की व्यवस्था की गई है लेकिन इसके अलावा भी दूसरे शहर हैं जहां हजार दो हजार मजदूर रहते हैं वहां भी उनके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से या प्राविंशियल गवर्नमेंट से कुछ और स्कीम इस मद में निकल सकती हो तो उन जगहों पर जहां मजदूरों के मकानों की किल्लत है मकानों की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह बहुत आवश्यक है।

इसके अलावा ये जितने केसेज मजदूरों और मालिकों के संबंध में चलते हैं उनके लिये एक कन्सीलियेशन अफसर तथा स्टेट ट्राइब्यूनल हैं। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो इसकी व्यवस्था है वह ठीक है हमारे उत्तर प्रदेश का काम दूसरे प्रान्तों के मुकाबिले में मैं समझता हूं कि अधिक अच्छा है। और जहां जहां पर इसकी सुविधायें प्राप्त हो रही हैं वह भी ठीक हैं, लेकिन जब मजदूर का प्रश्न आता है तब एक तरह से बात की जाती है और जब मिल मालिक का प्रश्न आता है तब दूसरी तरह से बात की जाती है। अगर किसी मिल मालिक पर मजदूरों का दो महीने, चार महीने या छै महीने की मजदूरी बकाया है और वे अपना रुपया मांगते हैं तो यह कहा जाता है कि ला एन्ड आर्डर तोड़ा जा रहा है, लेकिन एक ही आदमी की वजह से अगर हजारों आदमियों को परेशानी हो, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता है। मैं समझता हूं कि उसके बारे में विचार करना चाहिये। वैसे आप के यहां नियम बने हुये हैं कि प्रति महीने की ७ तारीख तक हर मिल में तनख्वाह बंट जानी चाहिये लेकिन कहीं कहीं लोगों की तनख्वाह तीन तीन और छै छै महीने की बाकी रह जाती है। मैं अपने यहां के हाथरस के दो मिलों के बारे में जानता हूं। एक मिल सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल रही है, जिस में १ लाख ६५ हजार के करीब मजदूरों की वेजेज बाकी हैं। कुल मिलाकर इधर दो वर्षों में १३ महीने मिल बन्द रहा है। वह अनइकोनामिक मिल हो गया है और इसका कारण यह है कि छै-छै महीने मिल बन्द रहता है, मजदूर तो खाली बैठे रहते हैं काम नहीं मिलता फिर भी उनको मजदूरी दी जाती है। हमारा मतलब यह नहीं है कि बैठे-बैठे मजदूरों को मजदूरी दी जाय, परन्तु मैं इतना अवश्य चाहता हूं कि मजदूरों को पारिश्रमिक समय से दिया जाय और उनसे काम लिया जाय। कोई ऐसा मिल न चलने दिया जाय जिसमें बराबर हानि हो। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में कोई मिल हो और वह प्राविंशल गवर्नमेंट की देख-रेख में चल रहा हो, तो उसमें इस प्रकार कार्य किया जाय कि लोगों के ऊपर इस बात का प्रभाव न पड़े ये अच्छा नहीं है। जो व्यवस्था गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है वह खराब हो जाती है। पहले जो मिल गवर्नमेंट के हाथ में चले जाते थे वे सुधर जाते थे, लेकिन अब अगर कोई मिल गवर्नमेंट के नियंत्रण में चला जाय और वह सुधरने के बजाय खराब हो जाय, तो जनता पर उसका क्या प्रभाव होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में सुधार करने की पूरी व्यवस्था शीघ्र की जाय। एक हफ्ता पहले मैंने माननीय श्रम मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि हमारे यहां यह व्यवस्था है। उन्होंने विशेष ध्यान देकर और बड़ी कृपा करके डिप्टी लेबर कमिश्नर को इंक्वायरी के लिये भेजा। उन्होंने वहां सब पार्टियों को बुला करके सब बातें मालूम कीं अब उनकी रिपोर्ट के आने पर कुछ न कुछ अवश्य होगा। ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां दूसरा रामचन्द न्यू काटन मिल्स है। वहां पर भी करीब करीब ३ महीने की मजदूरों की तनख्वाहें बाकी है। पिछले अप्रैल से लेकर जुलाई दो तक तनख्वाह नहीं दी गयी। बहुत कोशिश हुई, फिर वह केस अदालत गया और वहां से उक्त निर्धारित समय की डिग्री हुई, वह केस अभी अपील में है। उसके बारे में मुझे कोई खास शिकायत नहीं है क्योंकि कानूनी कार्रवाई हो रही है। हो सकता है जैसा कि बताया जाता है कि मिलों में कोई मुनाफा नहीं हो रहा हो, स्लम्प आगया है, गांठें ढेर पड़ी हुई हैं, वह उठती नहीं हैं लेकिन मजदूर इन सब बातों को नहीं जानता है। दीपावली के दिन मजदूर अपने घरों

में दीपक जला सके और पूड़ी तो दूर रही, रोटी का भी प्रबन्ध नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, और अब उसे उधार भी नहीं मिलता। मैं चाहता यह हूं कि इन समस्याओं को किसी न किसी तरह से और जल्द से जल्द हल किया जाय। जब गम्भीर समस्यायें बढ़ती हैं तब यह कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, और दूसरी पार्टियां आकर के उपद्रव करती हैं। इसलिये चाहे गवर्नमेंट की तरफ से किया जाय चाहे किसी की तरफ से किया जाय मजदूरों को पारिश्रमिक जल्द से जल्द मिलना चाहिये।

एक बात और भी जरूरी है और वह यह है कि जब मजदूरों और मिल मालिकों के झगड़े का सवाल आता है तो मैं यह उचित समझता हूं कि जो काम काज के मसले हों उनके लिये एक कामन कमेटी बनायी जाय जिसमें मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव हों और मिल मालिकों के रिप्रे-जेन्टेटिव हों। जब ऐसा किया जायगा तभी मजदूर भी अपनी भावनाओं, अपने ख्यालात और जो समस्यायें उसके सामने होती हैं उनको उस कमेटी के सामने अच्छी तरह से रख सकेगा।

चूंकि लाल झंडी आगयी है, इसलिये इतनी ही बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूं कि जिन मिलों ने बहुत से प्ले आफ किये हैं और छुट्टियों के दिन काट लिये हैं, जिसकी वजह से मजदूरों को पारिश्रमिक कम मिला है, उसके मुताल्लिक अगर कोई ऐक्ट बदलने की जरूरत हो तो ऐक्ट में तब्दीली करने की कोशिश की जाय।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस समय सदन के सामने जो अनुदान प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और साथ ही प्रान्त के खेतिहर मजदूरों की दशा पर प्रकाश डालते हुए माननीय श्रम मंत्री महोदय से यह आशा करता हूं कि वह भविष्य में सरकार की नीति निर्धारित करते समय उन सुझावों पर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। जहां तक औद्योगिक मजदूरों की स्थिति के सुधार का संबंध है उसमें हमारे माननीय मंत्री महोदय की मजदूरों के प्रति सहानुभूति, हमदर्दी और उन्होंने अपने मजदूरों के बीच कार्य के अनुभव के आधार पर जो सुधार किया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं और भविष्य में भी मिलों के मजदूरों के लिये जो योजनायें सरकार की ओर से बनी हैं या जिन योजनाओं की सफलता की आशा है उनके लिये भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। परन्तु जब हम ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों की ओर दृष्टि डालते हैं और उनको देखते हैं तब एक बड़ी निराशा सी होती है कि आखिर यह अभी तक देहात के रहने वाले खेतिहर मजदूर हमारे माननीय श्रम मंत्री महोदय की दृष्टि से किस कारणवश ओझल रह गये हैं। उनकी ओर आजतक जबकि लगातार कई वर्षों से मजदूरों के सौभाग्य से श्रम विभाग हमारे माननीय मंत्री महोदय जैसे मजदूरों से प्रेम रखने वाले व्यक्ति के हाथ में हो और फिर भी हमारे प्रान्त के खेतिहर मजदूर इतने लम्बे समय में कोई लाभ इस सरकार से न उठा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय आज प्रान्त के खेतिहर मजदूरों की जो दशा है उसका चित्रण किसी व्याख्यान द्वारा नहीं खींचा जा सकता और इस वर्ष तो उनकी दशा विशेष रूप से दयनीय हो गयी है। उसका कारण भी छुपा नहीं है। कुछ जिलों में वर्षा की कमी के कारण किसानों की हालत उनकी पैदावार कम होने की वजह से खराब हुई है और खेतिहर मजदूर इन्हीं किसानों की उन्नति और अवनति पर निर्भर रहते हैं। आज देहात के किसानों में बहुत से किसान ऐसे हैं कि जिन के यहां होली जैसे त्योहार पर खाना नहीं बना। मैं आज ही अपने क्षेत्र से लौट कर आया हूं तो फिर अब यह बिचारने की बात होती है कि फिर उन खेतिहर मजदूरों की जो किसानों पर जिन्दा थे उनकी आखिर क्या दशा होगी। मैंने तो देहात में घूम कर देखा बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको आज एक समय भोजन मिल रहा है। फिर वह खेतिहर मजदूर जो उनके यहां से लेकर खाते थे आखिर उनकी क्या दशा हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण से यदि खेतिहर मजदूरों की स्थिति पर विचार किया जाय तो आज समाज में जितने दुखी खेतिहर मजदूर हैं उतना दुखी कोई भी नहीं है।

[श्री महीलाल]

आज उनकी समस्या को हल करने के लिये एक बात सोची गई है कि उनकी निम्नतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाय। यह व्यवस्था उन मजदूरों के लिये जो बड़े-बड़े कृषि फार्मों के मालिकों के यहां कार्य करते हैं मिनिमम वेजेज ऐक्ट मुकर्रर करने की बात ठीक हो सकती है लेकिन जहां रोजगार नहीं है वहां अगर मजदूरी निर्धारित भी कर दी जाय तो भी मैं नहीं समझता कि उससे उन लोगों को क्या लाभ होगा? आज हमारे प्रान्त का जो एक करोड़ खेतिहर मजदूर है वे देहातों में खेती की उन्नति करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं उनकी हालत तो किसानों की अच्छी बुरी हालत होने पर ही निर्भर है। तो फिर मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार कैसे आज खेतिहर मजदूरों की दशा से अनभिज्ञ होगी। लेकिन फिर भी मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की ओर से कोई कदम खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये नहीं उठाया गया है। कपड़े को छोड़िये और मकान को छोड़िये आज खेतिहर मजदूरों के खाने की समस्या ऐसी है कि उनको एक वक्त नहीं, दो वक्त नहीं बल्कि लगातार कई-कई वक्त तक भोजन नहीं मिलता है। उनके छः छः साल के बच्चे, स्त्रियां, बड़े व छोटे सब काम करते हैं, युवक तथा बच्चे सब काम में लगे रहते हैं फिर भी उनका पेट नहीं भरता। तो जहां एक ओर मिल के मजदूरों की हालत सुधारने के लिये सरकार का ध्यान रहता है तो उनकी ओर भी विशेष रूप से सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यह कहा जा सकता है कि जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत देहातों में बसने वाले मजदूरों के लिये बंजर भूमि की एक सुविधा दी है। लेकिन मैं सरकार को बता दूं कि जितने बंजर देहात में थे उनको बड़े छोटे सभी जमींदारों ने, जो गांवों में अथवा शहरों में रहते हैं केवल बंजर भूमि को ही नहीं बल्कि देवी-देवताओं के स्थानों तक को नहीं छोड़ा है उन्होंने सब को बेंच कर रुपया अपने घरों में रखा है। आज देहातों में बंजर बाकी नहीं है और अगर हैं भी तो जमींदार अपने ट्रेक्टर्स या दूसरे साधनों से उसको तुड़वा रहे हैं खेतिहर मजदूरों को भूमि नहीं मिलेगी इसके बाद अगर हम कार्यकर्त्ता खेतिहर मजदूरों में जाकर कोई भी ऐसी बात पैदा करते हैं तो चाहे अच्छे से अच्छा कार्यकर्त्ता हो चाहे अहिंसा का ही पुजारी हो उसपर हिंसा का लांछन लगाया जाता है और कहा जाता है कि ये कम्युनिस्टों से मिलकर मजदूरों को भड़काने चले हैं। तो मैं माननीय श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि खेतिहर मजदूर हमारे समाज रूपी महल की नींव है और यह अगर कमजोर हो जायगा तो पूरा समाज कमजोर हो जायगा। जो हमारी सरकार इस बात का दावा करती है कि वह जनता की है और जनता के भले के लिये ही काम करती है वह भी गलत हो जायगा। माननीय श्रम मंत्री ने एक बार कहा था कि खेतिहर मजदूरों का कोई संगठन नहीं है इसलिये उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। यह ठीक है। यह उनका दुर्भाग्य था कि लोगों का ध्यान उनकी ओर नहीं गया और उनका कोई संगठन नहीं बन पाया। मिल के मजदूरों को यह सुविधा भी थी कि वे एक जगह मिल जाते हैं और उनको समाज सुधार की दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टिकोण से कहिये उनका संगठन बनाकर और हड़तालें कराकर इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता था और स्वभावतः उस तरफ लोगों का ध्यान चला जाता था। लेकिन दुख का विषय है कि उन खेतिहर मजदूरों का कोई ऐसा संगठन नहीं बन पाया। परन्तु आज सदन के माननीय सदस्यों के जो भाषण हुये हैं उनको सुनने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस सदन के जितने माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं सभी ने खेतिहर मजदूरों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। मैं आशा करता हूं कि माननीय श्रम मंत्री महोदय भूमि के संबंध में और दूसरी सुविधाओं के संबंध में अपना ध्यान दें जिससे उनके मकान की, रहने सहने की खाने की और पहनने की समस्या हल हो सके, इस प्रकार का वह कोई अवश्य कदम उठायेंगे।

इसके साथ ही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि केवल दो मिनट मुझको और प्रदान कर दिये जायं जिन में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के संबंध में माननीय मंत्री महोदय तक अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जहां तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का संबंध है मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने भाषणों में इसकी प्रशंसा की है और लोग हमेशा इसकी सराहना करते रहे हैं। फिर

समझ में नहीं आता है कि इस विभाग में रुपया क्यों कम किया गया है। जबकि खेतिहर मजदूरों को मौका मिलता था कि मिलों में जाकर नौकर हो जाते थे। मैं समझता हूं कि अगर यह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को तोड़ दिया गया तो फिर सर्विसेज के देने में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और वहां के अधिकारी जिनको, नियुक्ति करने के अधिकार हैं वह अपनी मनमानी करेंगे और उन्हीं लोगों को नौकरी में रखेंगे जो उनके निकटवर्ती होंगे और इसके अतिरिक्त योग्य कार्यकर्त्ता सरकार को नहीं मिलेंगे और ईमानदारी के साथ नौकरियों में चुनाव नहीं होगा और ऐसे लोग जिनके पास सिफारिशें नहीं होंगी, वह नौकरी नहीं पा सकेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सवा बजे से पहले और सवा दो बजे के बाद के वातावरण में आकाश पाताल का फ़र्क़ है सवा बजे से पहले जिस समय पुलिस बजट पर विचार हो रहा था, ऐसा मालूम होता था कि दो फौजें एक दूसरे से लड़ने के लिये आमने-सामने खड़ी हैं, एक-दूसरे को हराने के लिये सामने खड़ी हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा वातावरण है जिससे प्रतीत होता है कि जो लोग यहां हैं वह अच्छे काम में कामरेड्स हैं, साथी हैं और उन सब की एक ही काम में दिलचस्पी है और एक दूसरे को इस प्रकार से सलाह मश्विरा देते हैं जिसमें सब की एक ही प्रकार की लग्न है और सफलतापूर्वक काम होगा।

जिन लोगों के भाषण हुये हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में कुछ काम और कुछ अधिक व्यापक क्षेत्र में मजदूरों के बीच में काम कर चुके हैं और जो बातें उन्होंने कही हैं वह अपने अनुभव के आधार पर कही हैं, जिनका बहुत काफ़ी मूल्य है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं समझता हूं कि कहने वाले स्वयं उन पर विचार करें तो देखेंगे कि उनकी बातें विशेष प्रासंगिक नहीं हैं।

देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिये, इसका संगठन कैसे होना चाहिये इसके विषय में मैं अपनी राय पहले दे चुका हूं और अन्य लोग भी दे चुके हैं। श्रम-अनुदान के संबंध में इस पर विस्तार के साथ कुछ कहना न तो उचित ही होगा और न उपयुक्त ही होगा।

खेतिहर मजदूरों का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। एक मित्र ने कहा कि उनको इस बजट को देख कर हंसी मालूम हुई कि कुल इसमें २५ लाख रुपये का बजट है। मैं अपने दुर्भाग्य को बतलाता हूं। मुझे उनकी स्पीच को सुन कर रोना आया। उन्होंने गौर किया होता, विचार किया होता और तब वह अपनी राय देते तो अच्छा होता। उनका अध्ययन कितनी दूर पहुंचता है यह उससे मालूम होता है कि उन्होंने कहा कि १२ जिलों में गवर्नमेंट यूनियन बना रही है। गवर्नमेंट यूनियन बनाने वाली कौन होती है। हमने तो यह कहा था कि गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के १२ जिलों में मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू करने जा रही है। लेकिन उसकी समझ में यह बात आयी कि गवर्नमेंट १२ जिलों में यूनियन बना रही है। इसका मैं क्या जवाब दूं। उन्होंने यह बतलाया होता कि २५ लाख रुपयों के बदले ५० लाख, ७५ लाख या इतने करोड़ रुपये होने चाहिये और फलां-फलां बातें मजदूरों के लिये छोड़ दी गयी हैं। मजदूरों के लिये यह होना चाहिये, वह होना चाहिये, देहात में काम करने वालों के लिये यह होना चाहिये। यह सब बातें होना चाहिये थीं। लेकिन यह चीज लेबर के बजट में कैसे आ जाती है कि २५ लाख के बदले इतना कैसे हो जाता है। अगर यह चीजें बतलायी जातीं तो मुझे कुछ मदद मिलती, इस आलोचना से। एक मित्र ने खेतिहर मजदूरों के बारे में बहुत सी बातें कहीं और वे ऐसी बातें हैं जिनसे इस प्रदेश के लोग परिचित हैं। वे जानते हैं कि वह चीज बिल्कुल १६ आने सही है लेकिन सोचना यह चाहिये कि वे कहां तक व्यावहारिक हैं। थ्योरी की दृष्टि से जरूर उन बातों को ओझल न कर देना चाहिये। थ्योरी ही एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस को गाइड करती है लेकिन थ्योरी के क्षेत्र में बहुत किया जाय तो आदमी आकाश में उड़ने लगता है और उससे उसकी वही गति होती है जैसे पतंग की गति होती है जिसकी डोर नीचे से कटी होती है और वह हवा में उड़ती है। खेतिहर मजदूरों की दशा बहुत खराब है लेकिन काश्तकारों की हालत भी अच्छी नहीं है। बहुत से काश्तकारो की होली के अवसर पर अपने बच्चों को तेल की पूड़ी खिलाने की सामर्थ्य नहीं थी, एक वक्त बहुतों को खाना भी नहीं मिल सका तो वह

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

काश्तकार फिर अपने मजदूरों को क्या देंगे। काश्तकार अपने मजदूरों को मजदूरी देने में शरारत कर सकता है लेकिन अपने बच्चों को तेल की पूड़ी खिलाने में शरारत नहीं कर सकता। जब उस काश्तकार के पास पैसा नहीं होगा तो सोचने की बात है कि जब एम्पलायर की हालत ऐसी है तो एम्पलाई की हालत क्या होगी। हमको सुझाव देना चाहिये कि ये जो १ करोड़ काश्तकार हैं या ५० लाख मजदूर हैं उनकी दशा सुधारनी चाहिये। उनकी हालत नहीं सुधरती और जो खुद होली में अपने बच्चों को तेल की पूड़ी नहीं खिला सकते या पेट भर खाना नहीं खा सकते उनसे कैसे यह कहा जाय कि तुम अपने मजदूरों को इतनी वेजेज़ दो। जब तक हम इस बात का जिम्मा न लें कि जो इम्पलाइज़ हैं उनको कुछ मिनिमम वेजेज़ दिलवा सकें उस वक्त यह कहना कि अगले बजट में सब के लिये मकानों का इन्तजाम करा दो यह व्यावहारिक बात नहीं है। हां, यह जरूर होना चाहिये जैसे हो कि कोई एक डिसेंट लिविंग वेज दिलवाने का प्रबन्ध जरूर होना चाहिये। जब यह चीज़ हो जाय तब दूसरी बातों की ओर सोचना चाहिये। यह भी कोई आसान मसला नहीं है। करोड़ों आदमी तमाम सूबे में फैले हुये हैं। उनके लड़कों की फीस माफ कर दी जाय और उनके लिये मकान बनवा दिये जायं, जितनी उदारता दिखलायी जा सके उसे दिखलाया जाय, लेकिन सोचना यह है कि जो प्रदेश के बजट हैं, जो प्रदेश के साधन हैं, पंचवर्षीय योजना जो हमने बनाई है उन सब बातों के लिये पैसा चाहिये और इन बातों के लिये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां उत्पादन बढ़ जाय, पानी सब जगह पहुंच जाय ताकि अधिक अन्न उत्पन्न होने लगे और लोगों की हालत अच्छी हो। ऐसी अवस्था में आप यह कहें कि सब के लिये मकान बनवा दिये जायं यह जहां तक मेरा ताल्लुक़ है मैं तो बहुत दुर्बल आदमी हूं, लेकिन इतना कहे देता हूं कि मेरी हिम्मत नहीं है कि अगले वर्ष बजट के मौके तक खेतिहर मजदूरों के लिये मकान बनवा दिये जायं। मैं तो यह बात सोच भी नहीं सकता। शायद और कोई बहादुर आदमी हो सकते हैं जो ऐसा कर सकें और मैं यहां से हट जाऊं तो वह इस बात को सोचें, लेकिन मेरे लिये असंभव है। यह व्यावहारिक नहीं है। जो करने की बात है वह यह है कि डिसेंट लिविंग वेजेज़ उनको मिलनी चाहिये। हर आदमी को डिसेंट लिविंग वेजेज़ मिलने की बात होनी चाहिये। खाली कानून बनाने से मजदूरों की दिक्कत दूर नहीं हो सकती, लेकिन एक आधार जीवन के लिये मिल सकता है। इस पर कंसंट्रेट करने के लिये मिनिमम वेजेज ऐक्ट पर, हमने इसको १२ जिलों में लागू किया है। उन १२ जिलों के नाम पूछे गये। पेज १२१ पर १२ जिलों के नाम दिये हुये हैं। उन जिलों में हमने मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू किया है। बाक़ी जिलों में एंफोर्स करेंगे। हमें यह भी सोचना है कि किस पर एंफोर्स करना है। उस काश्तकार पर एंफोर्स करना है जो खाना नहीं खिला सकता, जो अपने बच्चों को तेल की पूड़ी नहीं खिला सकता, ऐसे एम्पलायर से हमें दिलवाना है। उस एम्पलायर से नहीं जो लखपती और करोड़पती हैं। अभी थोड़ा सा जिक्र आया एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज़ का। कई मित्रों को उसमें बहुत दिलचस्पी है। उसका इतिहास तो आप जानते हैं कि पहली लड़ाई के बाद यह चीज़ खोली गयी थी इसलिये कि सिपाही जो अलग हुये उनकी जीविका के लिये कुछ किया जाय, उनका नाम वग़ैरह दर्ज कर लिया जाय। उसके बाद फिर और लोगों के लिये गवर्नमेंट ने खोला, पोलिटिकल सफ़रर्स के लिये, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये। एम्पलायमेंट एक्सचेंज दो तरह के हैं। एक तो ऐसे हैं जिनका कुछ खर्च गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती है। और कुछ एम्पलायमेंट एक्सचेंज ऐसे हैं जिनका पूरा खर्चा प्योरली स्टेट गवर्नमेंट देती है। ऐसे एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज़ कई जिलों में फैले हुये हैं। जो एम्पलायमेंट एक्सचेंज ऐसे हैं कि जिनका खर्चा गवर्नमेंट आफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों देती हैं उनको कम करने की कोशिश नहीं हो रही है क्योंकि वह तो बड़े-बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जहां मिलें वगैरह हैं या और व्यापार होता है। परन्तु जो ऐसे एम्पलायमेंट एक्सचेंज हैं जो छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और जिनका पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देती है उनकी बाबत इतने वर्षों के तजुर्बे में हमने देखा कि उनसे बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो शुरू में चाहे कोई बात रही हो, लेकिन अब कोई स्किल्ड वर्कर उनमें अपना नाम

दर्ज करवाता हो, ऐसा तो होता नहीं है। और स्किल्ड वर्कर जो होता है वह फ़ैक्टरी या मिलों वग़ैरह में काम चाहता है। तो वह तो सीधे कानपुर वग़ैरह आ जाता है। यह भी भ्रम है कि खेतिहर मज़दूरों को वह फ़ायदा पहुंचाते हैं। खेतिहर मज़दूर अगर कोई नौकरी चाहता है तो बड़े-बड़े शहरों में जाता है। तो हम जो बन्द करने जा रहे हैं वह केवल डिस्ट्रिक्ट एम्पलायमेंट एक्सचेंजज़ को बन्द करने जा रहे हैं और वह भी उनको जहां हमने इतने वर्षों के तजुर्बे के बाद देखा कि कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमने अभी कोई फ़िक्स्ड सूची नहीं बना ली है। जो मेम्बर साहबान हैं अगर वे समझें कि फलां एम्पलायमेंट एक्सचेंज बन्द नहीं होना चाहिये तो वह मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और हम उसमें फेर बदल कर सकते हैं।

हाउसिंग का भी यहां पर कुछ ज़िक्र किया गया। एक मित्र ने कुछ मिलों की बाबत कहा। मिलों की बाबत तो हमारा अनुभव कुछ अच्छा नहीं है। आज से कई वर्ष पहले कानपुर की कई मिलों ने ज़मीन लिया था और काफ़ी सस्ते दामों में उनको ज़मीनें मिली थीं इसलिये कि अपने मज़दूरों के लिये वे मकान बनवायेंगे। लेकिन जहां तक मुझको मालूम है प्रायः मकान नहीं बने, शायद किसी ने बनवाये हों तो बनवाये हों,लेकिन मज़दूरों के लिये नहीं के बराबर बनें। हां, कुछ मिल के बड़े-बड़े अफ़सरों के लिये ज़रूर मकान बनवा दिये गये हैं। इसके अलावा एक बात यह भी है कि जो मिलों के बनवाये हुये मकान होते हैं उनमें मज़दूर रहना पसन्द नहीं करते हैं। उसकी वजह उन मित्र ने खुद ही कह दी। मान लीजिये कि किसी मिल में हड़-ताल हो गयी तो मिल मालिक की तरफ़ से यह हुक्म होता है कि तुम बस्ती खाली करो। तो मज़दूर यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह तो मिल मालिकों के हाथ में एक बहुत अच्छा कोड़ा है कि हम किसी तरह से हड़ताल ही न कर सकें। तो यह मिल मालिकों के हाथ में इस तरह की शक्ति है जिसकी वजह से आमतौर से मज़दूर मिल द्वारा बनाये हुये मकानों में रहना पसन्द नहीं करते। यह ज़रूर है कि हमारे सामने लेबर डिपार्टमेंट के ज़रिये कोई मामला आ जाता है तो हम यह कहते हैं कि जब तक ऊंची से ऊंची अदालत से फैसला न हो जाय कम से कम तब तक उनको न निकालना चाहिये। एक बात उन्होंने यह भी कही कि ये मकान बहुत दूर हैं। तो ये तो जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं उसके ज़रिये से बनवाये गये थे। कोशिश यह हो रही है कि वहां बस वग़ैरह का इन्तज़ाम हो जाय। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कानपुर ऐसे शहर में अगर शहर के आस-पास बनवाये जाते तो ज़मीन की क़ीमत इतनी होती कि सारे रुपये का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन ख़रीदने में ही लग जाता। फिर भी कोई दिक्क़त की बात नहीं है। काफ़ी बड़ी-बड़ी बस्तियां हैं जिनमें कई कई सौ आदमी रहेंगे। इसलिये वहां रहने में कोई दिक्क़त नहीं होनी चाहिये। जब इतने आदमी एक जगह रहेंगे तो वहां बाज़ार भी हो जायगा और सवारी वग़ैरह का इन्तज़ाम भी हो जायगा। अवस्थी जी ने कहा कि किराये का ख़्याल करना चाहिये। यह ठीक है। आपको मालूम होना चाहिये कि गवर्न-मेंट आफ इंडिया से जो रुपया हमको मिला है उसमें से एक बहुत बड़ा-हिस्सा क़र्ज़ के रूप में हमको मिला है। तो अगर हमें उसको चुकाना है तो हमें उनको ज्यादा से ज्यादा बसाना है। अगर वे ख़ाली पड़े रहेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जो रेंट मज़दूर आसानी से दे सकते हैं और जो उचित होगा वही लिया जायगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे क्वार्टर्स भी ख़ाली पड़े रहेंगे। दूसरे मैं विश्वास दिलाता हूं, कि इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की जायगी कि मज़दूरों को पूरी-पूरी ऐमीनिटीज़ मिलें और किराया वह हो जो वे दे सकते हों।

एक खुशी की बात है। अभी जब मैं बोल रहा था तो मेरे पास एक स्लिप आयी। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ९५ लाख रुपया और हमको दिया है और यह बिना मांगे दिया गया है। हमें यह जो रकम मिल गयी है वह भी लेबरर्स के मकानों पर खर्च की जायगी और यह उस रकम के अलावा होगी जो १ करोड़ ३५ लाख की इसके लिये रखी गयी है।

श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि चाइल्ड लेबर को बंद कर दीजिये। जहां तक चाइल्ड लेबर का सवाल है शहरों में भी कुछ हद तक चाइल्ड लेबर अलाउड हैं। आज हमारे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यहां की जो आर्थिक हालत है उसमें बच्चे से बिलकुल काम न लेना एक मुश्किल सी बात है। हमारे यहां इस किस्म की ग़रीबी है कि यह भी एक एकोनोमिक फैक्टर है इसलिये इसको बंद कर देना तो इस वक्त उचित नहीं मालूम होगा। हां, यह ज़रूर है कि बहुत छोटे बच्चे यानी ६-७ बरस के बच्चों से काम न लिया जाना चाहिये, लेकिन यह कि तमाम बच्चों से काम न लिया जाय यह इस वक्त एक ग़लत बात होगी। लेकिन यह मैं मानता हूं कि सिद्धांततः यह चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मजबूरी की हालत में हमें ऐसा करना पड़ेगा।

लेबर वैलफेयर के संबंध में सुझाव दिया वह सुझाव गौर करने के काबिल है। किसी मित्र ने यह सुझाव दिया कि शाप्स ऐक्ट के लागू करने के संबंध में लोकल बाडीज़ से मदद ली जाय। उनके ऐक्ज़ीक्यूटिव आफिसर्स के सुपुर्द यह काम किया जाय। क्योंकि यह सुझाव बिलकुल नया है और पहले पहल दिया गया है, इससे पहले वह मेरे सामने या मेरे दिमाग में नहीं आया इसलिये उसके संबंध में मैं इतना तो वायदा ज़रूर करता हूं कि उसके संबंध में गौर किया जायगा।

कुछ आई० एन० टी० यू० सी० का जिक्र हुआ। जहां तक मेरा निजी ताल्लुक है मेरी कुछ भी राय किसी के मुताल्लिक हो, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है गवर्नमेंट किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहती है और हम कोशिश करते हैं कि किसी के साथ पक्षपात न हो। मिसाल के तौर पर जिक्र हुआ कि दो वर्ष पहले चुनाव हुआ था और अवस्थी जी ने उसके चैलेंज को मंजूर किया था। क्या हुआ उसकी बाबत तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह चुनाव हुआ और यह भी सही है कि आई० एन० टी० यू० सी० उसमें हार गया और इसमें भी रत्ती भर संदेह की बात नहीं है कि दूसरा जो यूनियन था उससे उसकी हार हुई। लेकिन अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका कि जीता कौन ? हार जाने वाले का निश्चय हो गया लेकिन जीतने वालों में दो साहब हैं जो कहते हैं कि हम जीते। श्री ब्रिज किशोर जी शास्त्री कहते हैं कि हम जीते और श्री शिब्बन लाल जी सक्सेना कहते हैं हम जीते। श्री ब्रिज किशोर जी शास्त्री ने श्री शिब्बन लाल जी को निकाल बाहर किया और श्री शिब्बन लाल जी ने शास्त्री जी को निकाल बाहर किया। लेकिन यह अभी तक निश्चित नहीं हो सका कि विजेता कौन है। हम विजेता को प्राइज़ देने के लिये तैयार हैं। इस परिस्थिति में हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस को प्राइज़ दिया जाय।

अंत में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं जिससे किसी को भ्रम न हो इंडस्ट्रियल पीस के बारे में श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा, मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसका श्रेय लेबर को ही है। कभी मैंने नहीं कहा कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा श्रेय है। मैंने बार-बार कहा है और अब भी कहता हूं कि यह इंडस्ट्रियल पीस जो हमारे यहां रही है उसका सबसे बड़ा श्रेय लेबर को है, लेबर लीडर को है। जरूर लेबर में कई ग्रूप्स हैं और मैं किसी ग्रूप की तारीफ और किसी ग्रूप की शिकायत करना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन इस संबंध में जो काम उन्होंने किया है उसका श्रेय लेबर को तथा लेबर लीडर को जरूर है। आज से दो-तीन वर्ष पहले कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी थी कि मजदूर कहीं-कहीं काम कम करते थे, लेकिन इस वक्त अगर कोई शख्श चाहे इम्पलायर्स हो या कोई हो कहता है कि मजदूर पूरी तरह से काम नहीं करते या किसी तरह से प्रोडक्शन में कमी है ऐसे तो प्रोडक्शन में कमी नहीं है अगर किसी जगह प्रोडक्शन में कमी दिखलाई पड़ती है तो कोई शख्श यह कहे कि उसकी जिम्मेदारी मजदूरों पर है तो यह गलतबयानी है। आज मजदूर पूरी तरह से काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं और अगर आज कोई भी गड़बड़ी है, तो उसकी जिम्मेदारी मजदूरों के ऊपर नहीं है। जो उचित बात हो उसे मानना चाहिये और हर शख्स को कहना चाहिये। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई

गलत तसवीर रखने से वह ठीक नहीं होता। जो बात हो उसे पूरी तरह से समझना चाहिये और उसें ईमानदारी से कहना चाहिये। लेबरक्षेत्र में जो काम करते हैं उन लेबर लीडर्स से मेरी बात होती रहती है और बराबर होती रहेगी। जैसा कि मेरे कई मित्रों ने कहा कि यह बहुत छोटा सा बजट है, इसे तो ६०-७० करोड़ का होना चाहिये था मुझे आशा है कि मेरे इस छोटे से अनुदान को ध्यान में रखते हुये एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव जो माननीय सदस्यों ने रखा है वे अपने उस विचारों को त्याग दें और वापस ले लेंगे।

श्री मही लाल—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि जो खेतिहर मजदूर अपने शारीरिक श्रम से अपने रहने के लिये मकान की व्यवस्था चाहें उनके लिये सरकार भूमि का प्रबन्ध कर सकेगी या नहीं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो एक बड़ा व्यापक सवाल है। इसका जवाब इस वक्त नहीं दिया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब नहीं, यह तो सिलसिला चलता ही रहेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सी बातें इस सदन में कही गयी हैं। मैंने बड़े ध्यानपूर्वक उन सारी बातों को सुना। माननीय अवस्थी जी ने एक आक्षेप हमारे ऊपर यह लगाया कि सदन में मैंने यह कह कर कि हर एक उद्योग के मजदूरों का सेंसस हो जाय, मैं मजदूरों में फूट पैदा करना चाहता हूं। मैं इस बारे में अपनी सारी बातों को कह दूं कि जिस तरह से कुछ लोग इस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं और हर तरह से मजदूर संगठन में कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जिससे चीनी उद्योग के मजदूरों में फूट पैदा हो सकती है। जिस वक्त पीलीभीत कान्फ्रेंस हुई थी उस वक्त भी पीलीभीत कांफ्रेंस में जाने के पहले हम श्री ब्रिज किशोर शास्त्री और श्री काशीनाथ जी पांडेय, ये सब लोग बैठे और हम लोगों ने लिखित एक अपना वह नियम बनाया कि भाई हम लोग बिना किसी पार्टी पालिटिक्स के कार्य करते रहें और मजदूर आंदोलन को चलाते रहें जैसा कि अब तक उसे चलाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन पीलीभीत कांफ्रेंस में जाने के बाद ऐसी परिस्थिति वहां पांडेय जी की तरफ से पैदा की गयी कि जिसके कारण हम लोग वहां पर अलग हो गये। उसके बाद में मैंने आपको बतलाया कि हमारा यह प्रयत्न बराबर जारी रहा। कठकुइयां मिल के बारे में भी मैं आपको बतलाऊं कि वहां दो मजदूर यूनियनें इकट्ठी हुईं। कठकुइयां की हालत देखकर वहां के मेम्बरान ने कहा कि यह मिल यू० पी० केन कोआपरेटिव फेडरेशन ले ले। उसके बाद दूसरे मजदूर संगठन के स्थानीय मजदूर नेता वहां के अफसरों और अधिकारियों के पास भेजे गये और फिर वहां जो हालत पैदा हुई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने वहां जाकर फिर फूट पैदा करने की कोशिश की। इस बात को सारे अफसर लोग भी जानते हैं कि इस तरह से कुछ लोग प्रयत्न करते रहे। अभी हाल ही में चीनी मिल के जितने भी मजदूर हैं उनकी एक कान्फ्रेंस इसी लखनऊ में बुलाई गयी थी जिसमें इस बात को सोचा गया था कि कोई मजदूर किसी भी यूनियन या किसी भी फेडरेशन के साथ हो, उसके पोलिटिकल व्यूज का बिना कुछ ख्याल किये हुये एक ऐसी पार्टी बनायी जाय और इसके लिये सब के पास न्योता भेजा जाय। लोग आये और वहां पर विचार किया गया और यह सोचा गया कि चीनी मिल मजदूरों का ठोस संगठन बनायें उस मीटिंग में भी पं० काशीनाथ पांडेय ने हमारी तरफ से खिल्ली उड़ाई हम तो यह सोचते हैं कि मजदूरों में एकता कायम हो। मैं अवस्थी जी को यह बतलाना

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

चाहता हूं कि उसके संबंध में हमारे पास पूरा सबूत मौजूद है, सारे कागजात मौजूद हैं और मैं उन सब कागजात को उनको देने के लिये तैयार हूं। इस वास्ते यह लांछन हम पर नहीं लगाया जा सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सम्पूर्णानन्द ने इस बात का वायदा किया है कि अगरचे यह पुराना फेडरेशन था जिसमें मजदूरों के बहुमत का फैसला था और उसके सब नेताओं को बुलाकर कहा कि उसकी मान्यता हम मानेंगे। मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी को बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त सब लोग इस राय के हैं चाहे कोई एक आध खिलाफ भी हो कि फेडरेशन बने। जब यह इस किस्म की चीज हो जायगी तो वह ठीक होगी। हमेशा हर जगह हमारी पार्टी और हम लोग इस बात का प्रयत्न करते हैं कि एकता मजदूरों में कायम हो। अभी अवस्थी जी ने फेडरेशन का जिकर किया। हमने भी उसके लिये प्रयत्न किया है और हम नहीं चाहते हैं कि मजदूर छिन्न-भिन्न रहें और मिलमालिकों से दबाये जायं। जनरल डिस्कशन के मौके पर बहुगुना जी ने इसका जिकर उठाया था। तो उस सिलसिले में हमने कहा था कि हम नहीं चाहते कि मजदूरों के अन्दर इस किस्म की चीज चले।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक मिलमालिकों का सवाल है कहा यह गया है कि मजदूरों के नेता कुछ गलत बयान देंगे कि मिलमालिक क्या करते और हम क्या करते हैं। लेकिन जब चीनी उद्योग के बारे में माननीय श्रम मंत्री ने जितने इम्प्लायर्स कांफ्रेंस में आये थे उन सब लोगों से निवेदन किया था कि चूंकि इस वक्त बहुत दिनों से कोई इन्क्रीमेंट नहीं हुआ है तो इस बात का खयाल रखते हुये हर जगह चीनी उद्योग के मिल मालिक जो हैं वे एक थोड़ा सा इन्क्रीमेंट हर मजदूर को दें, लेकिन मुझे बतलाते हुये दुख होता है कि किसी ने शायद दिया होगा लेकिन हमारे जिले में कहीं भी यह इन्क्रीमेंट नहीं दिया गया। माननीय सम्पूर्णानन्द जी के कहने के बाद भी उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। मिलमालिक खुद चाहते हैं कि मजदूरों में बवाल रहे। वह मजदूरों को तनख्वाह ही नहीं देते और फिर किसी न किसी तरह से मजदूरों में गड़बड़ करते हैं। मुझे खुशी है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा कि वह काम ठीक कर रहे हैं। अगरचे फैक्टरी को कोआपरेटिव बेसिस पर चलाया जाय तो मिलमालिकों से लेकर और उसको मजदूरों के हाथ में दिया जाय और किसानों के हाथ में दिया जाय तो मैं समझता हूं कि आज जो यह उद्योग है, यह बहुत अच्छी तरह से चलेगा और मजदूरों को यह महसूस होगा कि उनकी कमाई का पैसा उनको पूरा मिल रहा है और यह उद्योग बहुत सुन्दर ढंग से चलने लगेगा। मुझे खुशी है कि अभी मंगला प्रसाद जी की अध्यक्षता में कोआपरेटिव की मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ है कि जो मिल-मालिक कुछ गड़बड़ करें उनसे मिल ले लिया जाय और उसको कोआपरेटिव बेसिस पर चलाया जाय। आप एक-एक मिल को मालिकों से ले सकते हैं और अगर उनको कोआ-परेटिव बेसिस पर चलाया जावे मजदूरों के हाथ में और किसानों के हाथ में देकर तो फिर आप देखें कि किस तरह से मिल का काम चलता है। कठकुइयां मिल की क्या हालत हुई। मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों पर आप ख्याल करेंगे और जो कुछ भी मैंने कहा उस पर ध्यान देंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पक्षपात चल रहा है और मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बात का पता लगावें कि ऐसी चीजें होती हैं या नहीं, मैं तो इसका सबूत भी देने को तैयार हूं मेरे पास हर तरह का सबूत है कि ऐसी चीजें की जा रही हैं जोकि न तो मजदूरों के फायदे में जाती हैं और न जिनसे उद्योगों को ही फायदा पहुंचता है और दोनों को ही इससे नुक्सान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—अन्न और संख्या (लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग के) अन्तर्गत २५,०९,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
९ मार्च, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

रा० स० यू० पी० ए० पी० १७९ एल० ए०—१९५३—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ६ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
ख़यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री

नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री

भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री

लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय,
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पिठौरागढ़, ज़िला अल्मोड़ा में पुलिस थाना बनवाने के लिये स्थान

*१---श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (ज़िला अल्मोड़ा)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिठौरागढ़, ज़िला अल्मोड़ा में जो पुलिस थाना बनने जा रहा है उसके लिये सरकार ने कौन स्थान नियत किया है?

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---थाना पिठौरागढ़ के भवन के लिये अभी कोई स्थान निश्चित रूप से नियत नहीं किया गया है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या सरकार को यह विदित है कि एस० डी० ओ० पिठौरागढ़ तथा चेयरमैन, टाउन एरिया पिठौरागढ़ ने इस थाने के बनाने का विरोध किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या सरकार कृपया पुलिस विभाग को आदेश करेगी कि इस जगह पर खलाडांडा पर, थाना न बनाया जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसी सप्ताह में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक खास इन्फार्मल मीटिंग करने वाले थे कि किस जगह पर थाना बनाया जाय। मुमकिन है कि जो इन्फार्मल मीटिंग करने वाले थे वह हो गयी हो या न हुई हो। उसके बाद ही निश्चय किया जायगा कि वह थाना कहां बनाया जाय।

*२---श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या गृह मंत्री को पता है कि यह थाना पिठौरागढ़ नई बाजार के समीप खलाडांडा में बनाये जाने पर स्थानीय पूर्ण जनता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र उन्हें दिया गया है और जनता ने इसका घोर विरोध किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। स्थानीय जनता का एक प्रार्थना-पत्र इस संबंध में सरकार के पास आया है।

*३-५---श्री भगवान सहाय (ज़िला शाहजहांपुर)---[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

पी० ए० सी० की बैटेलियनों को नैपाल भेजने पर खर्च

*६---श्री झारखण्डे राय (ज़िला आजमगढ़)---क्या सरकार बतायेगी कि अक्तूबर, नवम्बर, १९५० ई० से अब तक कितनी बार पी० ए० सी० की बैटेलियनें नैपाल में हमारे प्रदेश से भेजी गयी हैं और किन शर्तों पर?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---फरवरी और अप्रैल, १९५१ में केवल दो बार बैटेलियनें भेजी गयी थीं ताकि वे हमारी व नैपाली सेना को नैपाल में शांति व्यवस्था करने में सहायता दें और शांति स्थापित होने पर पुनः वापस आ जावें।

श्री झारखण्डे राय---क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन बैटेलियनों को नैपाल भेजने में कितना खर्च हुआ और यह खर्चा किसने दिया? हमारी सरकार ने या केंद्रीय सरकार ने?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कितना ख़र्च हुआ, यह तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब केन्द्रीय सरकार भेजती है उत्तर प्रदेश के साधारण काम के बाहर तो वही आम तौर से दिया करती है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह बटालियन बाहर जाती है तो उनके खाने पीने का क्या प्रबन्ध रहता है? क्या यहां हैडक्वार्टर पर जो खाना मिलता है उससे ज्यादा मिलता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हर मौक़े पर जब गवर्नमेंट आफ इंडिया भिजवाती है तो उन से हमसे जैसी शर्तें होती हैं उनके अनुसार कार्य होता है।

श्री झारखण्डे राय---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हर बार कितनी बटालियनें गयीं और कितने दिन तक रहीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इसकी पूरी सूचना इन सब बातों की बाबत नहीं दे सकता। जिस तरह का गवर्नमेंट आफ इंडिया और नैपाल स्टेट के बीच में जो एक्सटर्नल अफ़ेयर्स का आपस का संबंध है, मैं इन सब बातों का व्योरे में बतलाना उचित नहीं समझता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह कौन सी अशान्ति की हालत थी जिसको दबाने के लिये या शान्त करने के लिये ये बटालियनें वहां गयीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका उत्तर गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से पूछा जा सकता है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि इन बटालियनों की बड़ी प्रशंसा नैपाल गवर्नमेंट ने की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

*७---श्री झारखंडे राय---[९ मार्च, १९५३ के लिये संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

उत्तर प्रदेश से तेलिंगाना भेजने में पी० ए० सी० की बैटेलियनों पर खर्च

*८---श्री झारखण्डे राय---क्या सरकार यह बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश से तेलिंगाना में कुल कितनी पी० ए० सी० बैटेलियनें भेजी गयी थीं और उन पर कुल कितना खर्च हुआ था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्राविन्शियल आर्म्ड कान्सटेबुलेरी की कुल १२ कम्पनियां हैदराबाद भेजी गयी थीं जो हैदराबाद सरकार द्वारा तेलन्गाना तथा अन्य स्थानों पर आवश्यकतानुसार नियुक्त की गयीं। उन पर कुल ७८,१०,४२२ रुपया ख़र्च हुआ है।

श्री झारखण्डे राय---माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ७८,१०,४२२ रुपया जो खर्च हुआ उसमें हैदराबाद सरकार ने भी दिया था या कुल केन्द्री सरकार या प्रान्तीय सरकार ने दिया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके पूरे ख़र्चे का बोझ हैदराबाद सरकार पर है।

कुख्यात डाकू हुबलाल का प्रतापगढ़ जेल से भागना

*९---श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हुबलाल नाम का कुख्यात डाकू प्रतापगढ़ जेल से भाग गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

*१०---श्री रामनरेश शुक्ल---यदि हां, तो कैसे, और इसका दायित्व किसके ऊपर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अपनी कोठरी के दरवाजे की लकड़ी की चौखट को तोड़ कर हुबलाल बाहर निकला। फिर उसने एक बनायी हुयी सीढ़ी की सहायता से हाता की दीवार को पार किया और उसी सीढ़ी की सहायता से कारागार की बाहरी दीवार पर चढ़ कर बाहर कूद गया। इस घटना का दायित्व कथित जेल के कुछ वार्डरों पर है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह हुबलाल डाकू किस समय भागा था और उस समय कोई पहरा था या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक पता है साढ़े ६ बजे और साढ़े सात बजे तक के बीच में भागा था और पहरा तो था क्योंकि जो जेल के बाहर दीवार है उस जगह भी आदमी मौजूद था ।

श्री रामनरेश शुक्ल---माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि इस भागने की जांच की गयी और अगर की गयी तो किसके द्वारा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी तक जो कुछ जांच हुई है उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने की है। लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। पूरी जांच हो जाने के बाद ही निश्चय हो सकेगा कि ठीक ठीक जिम्मेदारी किसकी है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने दिनों तक जेल में रहने के बाद वह भागा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी सूचना तो इस वक्त मेरे पास है नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि हुबलाल डाकू को दोबारा पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही वह कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो कार्यवाही ऐसे मौकों पर की जाती है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भागा हुआ मुलजिम प्रतापगढ़ जिले का है या किसी दूसरे जिले का ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मेरा ख़याल है प्रतापगढ़ जिले का है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जेल की ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये कोई प्रबंध किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी ठीक इत्तला तो मुझको नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात का जरूर प्रबन्ध होगा कि कोई मुलजिम सीढ़ी वग़ैरह न बना सके और लकड़ी के टुकड़े न मिल सकें जैसे कि हुबलाल को मिल गये थे।

जिला नैनीताल के प्राचीन निवासी थारू व बोक्सा जाति की उन्नति

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले में रहने वाली प्राचीन थारू व बोक्सा जाति की उन्नति के लिये वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—बोक्सा जाति परिगणित जातीय अनुसूची में सम्मिलित हैं और इस जाति को आर्थिक, राजनैतिक तथा शिक्षा संबंधी वे सम्पूर्ण सुविधाएं लभ्य हैं जो कि अन्य परिगणित जातियों को प्रदान की जाती हैं ।

थारू जाति यद्यपि अब परिगणित जातीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं है किन्तु सरकार का आदेश है कि इस जाति को शिक्षा संबंधी सम्पूर्ण सुविधायें पूर्ववत् प्रदान की जाती रहें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस बोक्सा जाति को आजकल क्या क्या राजनैतिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी सुविधायें दी जा रही हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जो अन्य परिगणित जातियों को दी जाती हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि नैनीताल जिले के जिस हिस्से में बोक्सा और थारू जातियां रहती हैं वहां पर आवागमन के साधनों का बिलकुल ही इंतजाम नहीं है ?

डाक्टर सीताराम—इसकी तो कोई सूचना नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कोई छोटी कमेटी बनाने पर विचार करेंगे जो इन बोक्सा और थारू जातियों की गिरी हुई हालत पर विचार करे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं । कोई कमेटी की आवश्यकता नहीं मालूम होती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी थारू जाति के लिये भी वही राजनैतिक और आर्थिक सुविधायें लभ्य कराने की कृपा करेंगे जो कि बोक्सा जाति के लिये हैं ?

डाक्टर सीताराम—जो भी सुविधायें परिगणित जातियों के लिये हैं वही सुविधायें थारू जाति के लिये भी हैं ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२—५३ में थारू व बोक्सा जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिये कितनी सहायता दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना चाहिये ।

पब्लिक सेकेण्डरी हायर स्कूल, बिधूना (इटावा) के स्कूल भवन का निर्माण

*१२—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—क्या सरकार को पता है कि पब्लिक सेकेण्डरी हायर स्कूल, बिधूना (इटावा) के मंत्री की ओर से स्कूल के भवन निर्माण के लिये अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए लैण्ड एक्ज्यूजीशन आफिसर, इटावा को तारीख १० मार्च, १९५१ ई० को कोई दरख्वास्त दी गई थी ?

डाक्टर सीताराम--हां, दरख्वास्त जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर, इटावा के कार्यालय में २१ अप्रैल, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हुई थी।

*१३--श्री गजेन्द्र सिंह--क्या सरकार को पता है कि बराबर ९ बार स्मृति-पत्र देने के बावजूद अभी तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका है? इस विलम्ब का क्या कारण है?

डाक्टर सीताराम--हां, अभी तक अंतिम निर्णय भूमि के प्राप्त करने का नहीं हो सका है। कारण यह है कि पहले दरख्वास्त पूर्ण नहीं दी थी और उसके परिशिष्ट तथा भूमि के नक्शे की चार प्रतियां नहीं भेजी गई थीं। उक्त सारे आवश्यक पत्र कई बार पत्र व्यवहार करने के पश्चात् मई, सन् १९५२ ई० में प्राप्त हो सके थे। उसके बाद तहसीलदार की रिपोर्ट से सूचित हुआ कि प्राप्त की जाने वाली भूमि पर जोते बोये हुये खेत हैं। सरकार की नीति यह है कि यदि बंजर भूमि पास पड़ोस में मिल सकती है तो जोतने बोने योग्य भूमि न ली जाय। अतएव स्कूल के मंत्री को सुझाया गया कि बंजर भूमि जो पास ही है प्राप्त कराई जाय। उनका उत्तर ९ फरवरी, सन् १९५३ को लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर के पास प्राप्त हुआ और उन्होंने तहसीलदार बिधूना के पास, आदेश भेजा है कि वे तुरन्त मौके पर जाकर अपनी आख्या भेजें ताकि स्कूल के पास वाली भूमि स्कूल की इमारत के लिये तथा खेल के मैदान के लिये स्कूल के निकट वाली बंजर भूमि प्राप्त कराई जाय।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सारी कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी और कब तक जमीन स्कूल को मिल जायगी?

डाक्टर सीताराम--जब लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर, इटावा के पास से सूचना सरकार के पास आयेगी उस वक्त सरकार उस पर विचार करेगी कि वास्तव में यह जमीन देने लायक है या नहीं।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो स्कूल के पास की जमीन है उसमें वाकई में कागज में खेती होती है और फील्ड में खेती नहीं होती?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी सूचना तो नहीं है। वह तो पढ़कर सुना दिया गया है कि यह सभी सूचनायें मांगी गई हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि ३ साल से बराबर स्कूल को जगह न दे जाकर के कुछ अधिकारियों का कुचक्र है कि स्कूल को जगह न मिल पाये?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं। ऐसी सूचना तो नहीं है।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्कूल के अधिकारियों से सूचना कब मांगी गई है?

डाक्टर सीताराम--स्कूल के अधिकारियों से सूचना दिसम्बर, १९५१ में मांगी गई।

श्री हरदयालसिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस जमीन को अक्वायर करने के लिये दरख्वास्त दी गई है वह सरकार की है या किसी काश्तकार की?

डाक्टर सीताराम---यह तो ऐसा ही मालूम होता है कि जमीन वह काश्तकार की है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना मांगने के लिये यह ९ महीने क्यों लगे ?

डाक्टर सीताराम---स्कूल के मंत्री का आवेदन-पत्र डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ग्राफ स्कूल के जरिये लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर के पास पहुंचा जिसमें थोड़ी सी देर तो अवश्य हुई लेकिन स्क्रूटनी से मालूम हुआ कि जो पेपर उन लोगों ने भेजा है वह अनि-यमित है और ठीक रूप से नहीं है जिस पर कि लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर विचार कर सकें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---यदि सरकार उस ज़मीन को ले तो क्या किसानों को उसके एवज़ में परती ज़मीन देगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अभी तो यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उस ज़मीन में इस समय खेती होती है या नहीं ?

डाक्टर सीताराम---उस जमीन में इस वक्त खेती होती है, यह तो अभी बताया जा चुका है।

*१४---१६---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आज़मगढ़)---[२० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

रामचन्द्र न्यू काटन तथा वीविंग मिल्स के मज़दूरों के वेतन की अदायगी

*१७---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामचन्द्र न्यू काटन तथा वीविंग मिल्स के मज़दूरों के १२ अप्रैल से २ जुलाई, १९५२ तक के वेतन की, जो स्टेट ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया था, अदायगी हो चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मिल के किन-किन महीनों का वेतन अभी तक नहीं बांटा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस स्पीच की ओर आकर्षित करूंगा जो कि कल इसी सदन में स्वयं उन्होंने इस लेबर अनुदान के सिलसिले में इस विषय पर दी थी। उनकी स्पीच ही बतलाती है कि उनको इस संबंध में पूरी पूरी जानकारी है कि कितने महीनों की मजदूरी बाकी है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जब हर महीने की १० तारीख तक वेतन न बंटे तब श्रम विभाग की ओर से कोई अधिकारी जा करके जांच कर सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बहुत मुश्किल है, कई सौ कारखाने हैं, कहां कहां अधिकारी जायेंगे और कहां कहां तनख्वाह दिलायेंगे। यह बड़ा भारी सवाल है।

श्री शिवनारायण---सरकार उन बकाया तनख्वाहों को कब तक दिलवाने की कोशिश करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जब लोग बकाया नहीं देते हैं, समझाने बुझाने से भी नहीं देते हैं, तब मुकदमा दायर किया जाता है। इस मिल के ऊपर भी कानूनी कार्यवाही हो रही है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी इस अदायगी के न होने पर मिल-मालिकों से मजदूरों को सूद दिलाने की बात पर कोई विचार करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि ऐसे मामले में सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता है बल्कि दीवानी अदालत के सामने मामला जाता है और वह जो चाहे दिला सकती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार इसको देखते हुये कि बहुत से मिलमालिक अपने मजदूरों की तनख्वाह नहीं देते हैं कोई कड़ा कानून अपने स्टेट में बनवाने का विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस समय हमारे यहां तो कोई कानून नहीं बन रहा है केन्द्रीय सरकार कोई कानून बना रही है, शायद उसमें इसके लिये कोई गुंजाइश रखी गयी हो।

श्री हरदयालसिंह पिपल---क्या सरकार ने मिलमालिकों से इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि यह वेतन किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, कई बार जानकारी हासिल हो चुकी है। एक बड़ी भारी बात यह है कि उस मिल में इस किस्म का माल तैयार होता है कि वह माल बिकता नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय श्रमसंत्री जी कोई इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिस में हर महीने में सरकार को यह मालूम हो जाया करे कि प्रांत के किस मिल ने ठीक वक्त पर वेतन नहीं दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, वह तो करीब करीब हर महीने में हमको मालूम हो जाता है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मजदूरों की तरफ से मजदूरी न मिलने पर कोई प्रार्थना-पत्र आपके पास आया हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, एक नहीं कई बार आ चुके हैं।

उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण, अधिकार जारी रखने का (संशोधन) विधेयक १९५२

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ दिसम्बर, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ५ जनवरी, सन् १९५३ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २५ जनवरी, सन् १९५३ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश का तृतीय अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ नवम्बर, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३० दिसम्बर, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ३० जनवरी, सन् १९५३ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश का चतुर्थ अधिनियम बन गया ।

मार्शल स्टालिन के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं एक बात जानना चाहता हूं। क्या सरकार की ओर से मार्शल स्टालिन के शोकपूर्ण देहावसान के अवसर पर कोई शोक प्रस्ताव आने का विचार है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जो काम आज आगे होने वाला था, श्रीमन्, उसके पहले मैं खुद इसका जिक्र करना चाहता था कि आज हममें से बहुत से लोगों ने रेडियो पर मार्शल स्टालिन की मृत्यु का समाचार सुना होगा। जीवन काल में उनकी बहुत सी बातें किसी को पसंद रही होंगी; और किसी को नापसन्द रही होंगी लेकिन यह वक्त उन बातों की चर्चा करने का नहीं है। जो कोई विरोधी हो, विरोधी रहा हो, घोर विरोध रहा हो, उसको भी एक बात याद रखना चाहिये जैसा कि हमारे यहां शास्त्रों में कहा है "मरणान्त काले वैराग्यः"। यानी जो भी बड़ी से बड़ी दुश्मनी होती है वह मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके हृदय पर मार्शल स्टालिन के कई गुण बड़े जोरों के साथ अंकित न हों। इसमें संदेह नहीं कि लेनिन के जमाने में रूस में एक नयी प्रकार की सरकार थी, एक नयी व्यवस्था कायम हुई लेकिन उनके देहान्त के बाद इस बात की संभावना हो सकती थी कि उस व्यवस्था को चोट पहुंचे और वह नयी सरकार भी शायद कायम न रह सके या दुर्बल हो जाय लेकिन इतना तो मानना ही होगा हर शख्स को कि मार्शल स्टालिन के हाथों में रूस का शासन आने के बाद दुर्बल होने के बदले बलवान हुआ, रूस बहुत शक्तिशाली हुआ और रूस में लोगों की बहुत सी तकलीफें दूर हुईं और रूस की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उस वक्त मिला जब कि दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ। जो उस राज्य का विरोध किया करते थे। अगर सचमुच राज्य की हालत वैसे ही खराब होती, अगर सचमुच वैसे ही राज्य में प्रचंड अशांति होती है तो वह जो ४,५ वर्ष लड़ाई लड़ा था उस लड़ाई में रूस की सरकार कदापि ठहर नहीं सकती थी। इतनी हिम्मत के साथ रूस ठहरा, इतनी हिम्मत के साथ लोगों ने शत्रुओं का मुकाबिला किया वह स्वयं इस बात का सबूत है कि रूस की जनता अपनी सरकार के साथ थी। यदि रूस की जनता सरकार के साथ थी तो इसका श्रेय निश्चित ही मार्शल स्टालिन के व्यक्तित्व को है। जिस प्रकार महायुद्ध में उन्होंने रूस की शक्तियों को एकत्रित किया, रूस की शक्तियों को ही एकत्रित नहीं किया बल्कि दूसरे देशों को भी, जो कि जर्मनी का मुकाबिला कर रहे थे, एक स्थान में खड़ा कर दिया उससे इसमें संदेह नहीं कि उनकी कीर्ति अमर हो गयी ।

मार्शल स्टालिन उन थोड़े से लोगों में थे जिनकी बाबत कहा जा सकता है कि वह एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन हैं। स्वयं उस आदमी की हैसियत एक संस्था की है। आज उनकी मृत्यु के बाद ही नहीं जब से तीन चार दिनों से अखबारों में उनकी बीमारी का हाल आ रहा है तब से इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनियां का

ऐसा कोई भी समझदार आदमी नहीं होगा, जो भांति-भांति की चिंता न कर रहा हो चाहे वह उनका शत्रु हो, चाहे वह उनका मित्र हो क्योंकि उस एक व्यक्ति के उठ जाने के बाद दुनियां के इतिहास पर बहुत ही विचित्र किस्म का प्रभाव पड़ सकता है। क्या प्रभाव होगा, यह मैं इस समय नहीं कह सकता। इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वह ऐसे देश के प्रधान शासक थे जिससे भारत का इस समय मैत्रीपूर्ण संबंध है। अभी थोड़े दिन हुये हमारे राजदूत को मार्शल स्टालिन से भेंट हुई थी और चूंकि हमारा और रूस का मैत्री का संबंध है इसलिये यह हर तरह से उचित है कि हम लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान भवन में आते समय जब मार्शल स्टालिन की मृत्यु का समाचार मिला तो हृदय में एक बहुत बड़ा धक्का लगा। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि मार्शल स्टालिन अपने युग के एक महान् पुरुष थे। उनसे, उनकी विचारधारा से, उनकी कार्य-प्रणाली से और उनकी कार्य-पद्धति से लोगों को मतभेद हो सकता है। मगर इस बात को तो सभी मानेंगे कि मार्शल स्टालिन एक करमठ और दृढ़प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। वे जिन बातों को अपना आदर्श मानते थे उन्हें करने के लिये प्रत्येक संभव तरीके से हर समय तत्पर रहते थे। यह उनमें एक विशेष प्रतिभा थी। इसमें कोई शक नहीं कि जिस समय, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, रूस में पोली-टेरियन रेवोल्यूशन हुआ और लेनिन की मृत्यु हुई उस समय रूस की परिस्थिति डांवाडोल हो गई थी। अगर मार्शल स्टालिन जैसे करमठ, कुशल और दृढ़प्रतिज्ञ व्यक्ति के हाथ में, ऐसे राजनीतिक नेता के हाथ में रूस की बागडोर नहीं आई होती तो रूस की परिस्थिति कुछ और ही होती। जहां तक मार्शल स्टालिन के गुणों की विवेचना करने का अवसर है हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने अपने अन्दर जिन प्रतिभाओं को उत्पन्न किया है और जिन मानव मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिये। मैंने उनके लेखों और पुस्तिकाओं को अकसर गम्भीरता के साथ पढ़ा है। वह किस तरह से एक गरीब घराने में पैदा होकर जो एक जूता सीने वाले, छोटे से छोटा काम करने वाले व्यक्ति थे, और उससे आगे बढ़कर उन्होंने सारी दुनियां पर अपनी प्रतिभा की सम्पन्न छाया का असर फैला दिया। इसे देखकर हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नसीहत लेनी चाहिये। मार्शल स्टालिन के उठ जाने से विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर से एक महान् पुरुष कम हो गया। इसका क्या असर पड़ेगा यह कहना अभी कठिन है। मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि उनकी कमी से देश को क्षति पहुंचेगी और उसकी पूर्ति किस तरह से होगी इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मैं उस हर व्यक्ति से जो आज जनतांत्रिक प्रणाली और जनतांत्रिक पद्धति को अख्तियार करना चाहता है, जनतान्त्रिक प्रणाली डेमोक्रेटिक मीन्स और जनतांत्रिक पद्धति डेमोक्रेटिक माडेल को चाहता है, थोड़े में यह कहना चाहता हूं कि अगर वे मार्शल स्टालिन की तरह स्पष्टवक्ता नहीं बनेंगे तो वे सफल नहीं हो सकते। मार्शल स्टालिन बराबर कहा करते थे कि जिसके मस्तिष्क में जो विचारधारा हो उसे बिना किसी डर या संकोच के उसका उद्घाटन करना चाहिये क्योंकि जब तक व्यक्ति विशेष उनकी विचारधारा को अच्छे तरीके से नहीं समझ पावेंगे तब तक वह उसे ग्रहण नहीं कर पावेंगे। इसलिये इन तमाम बातों को देखते हुये हम आज यह कहना चाहते हैं कि उनके जो गुण और उन गुणों से अन्य मानवी मान्यतायें हैं उनको निकट से परखने की कोशिश भी हमें करनी चाहिये और उस कोशिश को करके अगर हम चाहेंगे तो मार्शल स्टालिन से किसी का मतभेद हो या न हो, दोनों के लिये जो एक समान गुण, जो उनका दृढ़प्रतिज्ञ होने का रहा है, करमठ होने का रहा है, और निर्भीक होने का रहा है, उनको प्राप्त करेंगे। जब विशेष परिस्थितियां आती रही हैं तभी एक राजनीतिक नेता, एक देश के कर्णधार और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होने के नाते वे अपने मुखारविन्द को खोलते रहे हैं, केवल हर समय लेकचर देकर ही सारे कामों को पूरा करने के आदी मार्शल स्टालिन नहीं रहे हैं। मार्शल स्टालिन ने जितनी कर्मठता,

[श्री राजनारायण]

को करने में जितनी निपुणता दिखायी वह हमारे लिए एक आदर्श का द्योतक है। इन तमाम शब्दों के साथ मैं अपनी, अपने दल की और इस सारे सदन की समवेदना, सहानुभूति और श्रद्धांजलि मार्शल स्टालिन के कदमों में अर्पित करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, भला और बुरा तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है। बहुत से लोगों के लिये मार्शल स्टालिन एक प्रत्यक्ष हौव्वा से थे और औरों के लिये वह एक मित्र का रूप लेते थे। जिनको कि उनसे भय था उनके लिये मैं केवल यही कह सकता हूं कि उनके कार्यों के बाद यह नहीं समझा जा सकता है कि भय अब दूर हो गया है। इस से यह प्रतीत होगा हालांकि वे जीवित समय में हौव्वा के समान समझते थे, लेकिन अब उनका मूल्य अब उनके देहान्त के पश्चात् सही रूप में प्रकट होगा। अधिक न कहकर इतने शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले मानव जाति के पूरे इतिहास में इस मानव जाति ने जितने महामानव अपने बीच से पैदा किये निस्संदेह मार्शल स्टालिन उनमें से एक थे। अगर लेनिन को सोवियट यूनियन का संस्थापक कहें तो निस्संदेह मार्शल स्टालिन उसके निर्माता थे। सन् १९२४ में लेनिन के मरने के बाद सोवियट यूनियन में तीन कामयाब पंचसाला योजनायें चलाकर और लड़ाई के बाद चौथी पंचसाला योजना के सफल संचालन के बाद मार्शल स्टालिन के नेतृत्व में सोवियट यूनियन दुनियां के सबसे महान् राष्ट्रों में से एक हो गया है। उनके नेतृत्व में सारे संसार के विभिन्न देशों में जो जनमुक्ति संग्राम चल रहा है, चाहे वे अर्ध-औपनिवेशिक राष्ट्र हों और चाहे तथाकथित आजाद मुल्क हों, उन संघर्षों और उनके संचालन उसूलों को स्टालिन से बड़ा बल मिला। पिछले दो सालों में संसार में शांति के लिये, संसार में युद्ध न हो, एटम बम और परमाणु बमों का प्रयोग मानव जाति के ऊपर नरसंहार के अर्थ में न हो, इसके लिये मार्शल स्टालिन ने जो अथक परिश्रम किया है उसके लिये हम सभी लोग चाहे किसी मुल्क के हों, उनके प्रति आभारी रहेंगे। पिछले महायुद्ध में सोवियट यूनियन को बचाने का, और जर्मनी, इटली और जापान की दानवी शक्तियों को विनष्ट करने का, और इस प्रकार से संसार की मानव-जाति की सेवा करने का जो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, उसके लिये हम सभी उनके हमेशा ही चिरऋणी रहेंगे। मार्शल स्टालिन ने अभी अपने नये सिद्धांतों की देन दुनियां को दी है कि पूंजीवादी मुल्कों के अन्तर्द्वन्द बढ़ रहे हैं। यह संभव है कि दुनियां की दो महान् साम्राज्यवादी शक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन आपस में टकरा जायं, वह अपूर्व है। आज ऐसे टक्कर की संभावना उनके बीच बढ़ती जा रही है और अन्तर्द्वन्द के लक्षण दिखलायी पड़ने लगे हैं इसकी ओर जो उन्होंने इशारा किया है, यह हम समझते हैं कि मार्शल स्टालिन के जीवन की चौथी बहुत बड़ी देन विश्व राजनीति को है और आने वाली संसार की गतिविधियों की ओर इशारे का काम करती है। मार्शल स्टालिन के नेतृत्व में आखिरी कदम जो सोवियट यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी ने और वहां की महान् जनता ने उठाया, वह समाज-वादी रचना को पूरा करने के बाद अपने देश और समाज की पूरी सोवियट और सोशलिस्ट रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद, साम्यवादी संक्रमण का कार्य है।

उनका यह विचार था कि हम अपने देश में समाजवाद को पूरा करके साम्यवाद की ओर संक्रमण कर सकते हैं, यह आखिरी कदम सोवियट यूनियन की जनता ने वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के सब से बड़े नेता मार्शल स्टालिन के नेतृत्व में शुरू किया था, लेकिन वह काम उनका अधूरा रह गया। मैं समझता हूं कि चाहे हममें से कोई इस सदन में उनकी विचारधाराओं से मतभेद रख सकता है लेकिन मार्शल स्टालिन ने संसार की जनता की जो सेवा की है और शांति और सुव्यवस्था के लिये जीवन भर संघर्ष किया है उसके लिये हम हमेशा ही उनके प्रशंसक रहेंगे। इन शब्दों के साथ में उस महामानव के प्रति, अपने महान् पड़ोसी देश की

विशाल जनता के साथ और मार्शल स्टालिन के परिवार वालों के साथ अपनी सच्ची श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सभी विचार धारा के लोग अपने विचार जाहिर कर चुके हैं। मैं, मार्शल स्टालिन के स्वर्गवास पर इस सदन में जो विचार प्रकट किये गये हैं, उनके साथ सहमति प्रकट करता हूं। मुझे उनके निधन के संबंध में यहां आने के समय से दो मिनट पहले ही पता चला। मैं तो आशा करता था कि परमात्मा उनको अधिक काल के लिये जीवन दे और जो खबरें अखबारों में आती थीं यद्यपि वे बड़ी डरावनी थीं तो भी आशा मेरी जरूर यही बंधती थी कि शायद किसी न किसी तरकीब से उनके डाक्टर संभवतः उनको स्वास्थ्य लाभ नये ढंग से कराने के लिये ढूंढ ही निकालेंगे। लेकिन यहां आते समय जब मैंने सुना तो काफी मुझे धक्का लगा। मार्शल स्टालिन उस महान् राष्ट्र के कर्णधार रहे जिस राष्ट्र ने इस समय एक नये युग का निर्माण किया है। उसके संबंध में कोई भी मतभेद क्यों न हो यानी उनके साधनों के संबंध में कि वह हिंसा का उपयोग करते हैं, उसके संबंध में मतभेद क्यों न हो परन्तु एक बात स्पष्ट है कि जो देश संसार में उनसे मतभेद रखते हैं जिन्होंने भी रूस के राष्ट्रीय जीवन से लाभ उठाया है। हमारे देश ने बहुत ही अधिक लाभ उठाया है। मैं एक ही बात का जिक्र कर देना चाहता हूं। यह मार्शल स्टालिन की ही कल्पना थी जो कोई अपने देश में कार्य होना है वह प्लान के साथ हो और उनकी पांचवर्षीय योजना कामयाब भी हुई। उनको देख कर ही और देशों ने यह समझा कि पूरे राष्ट्र के लिये प्लान तैयार हो सकता है और वह कार्यान्वित हो सकता है। हमारे देश ने भी उसका अनुकरण किया और उसका जिक्र आज हमारे देश भर में है।

दूसरी एक बात यह भी हमने रूस से सीखी कि जो श्रमजीवी वर्ग है उसको संकटों से किसी न किसी प्रकार छुटाया जा सकता है और उनकी उन्नति किस प्रकार से की जा सकती है और उनकी उन्नति का मार्ग क्या हो सकता है। उनके कार्यों ने इस तरफ इशारा किया है। इस प्रकार सारा संसार उनके कार्यों से लाभान्वित हुआ है और उसके लिये मैं मार्शल स्टालिन को मुख्यतः श्रेय देना चाहता हूं। यदि लेनिन इन सिद्धांतों के निर्माता थे तो कार्यशील होकर कर्म कर के उनको सफल बनाने के लिये मार्शल स्टालिन ही जिम्मेदार हैं। मैं जानता हूं कि हम लोग वह समय नहीं भूले होंगे जिस समय रूस पर जर्मनी का आक्रमण हुआ, मालूम होता था कि अब रूस परास्त हुआ, परन्तु उनका ही वह ढाढ़स और धैर्य था जिसके कारण वह कामयाब हुआ और जर्मनी को रूस ने पीछे ढकेल दिया। जर्मनी की तमाम नाजी फौज को उसने हटा दिया जिस कारण संसार भर में नाजीइज्म का डर मिटाने में वह सफल हुआ। यह भी मुझे याद आता है कि उन्होंने किस प्रकार लड़ाई के कारण देश नष्ट होने के बाद पंचवर्षीय योजना बनाकर उसका शीघ्र उत्थान किया। हमारा देश भी अंग्रेजी राज्य के बाद नष्टभ्रष्ट सा ही है, उसके उत्थान में भी हम रूस के उदाहरण से बहुत कुछ लाभान्वित हुये और होते जायेंगे यद्यपि यह सत्य है कि हमारे अहिंसात्मक सिद्धांत और साधन हमारे राष्ट्रपिता के बतलाये हुये हैं परन्तु जहां तक लक्ष्य का संबंध है उस में उनसे बहुत कुछ सीखते आये हैं। ऐसे कर्णधार की मृत्यु पर किस को दुख नहीं होगा। संसार में भी इस वक्त रूस का स्थान सभी राष्ट्रों में बड़ा ऊंचा स्थान रहा है और जिन दो टक्कर के राष्ट्रों अमरीका और रूस को आज संसार प्रबल समझता है और जो दुनियां की अन्तर्राष्ट्रीय नीति को निर्धारित किया करते हैं उनमें ऐसे एक बड़े राष्ट्र के कर्णधार के इस तरह से यकायक चले जाने से मालूम नहीं कि उसके परिणाम संसार पर क्या पड़ सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि कितनी भी धमकी कोल्ड वार के संबंध में सोवियत रूस की रही हो, लेकिन अन्ततोगत्वा उसने लड़ाई चलाई नहीं और इसका श्रेय भी श्री स्टालिन को ही है क्यों कि वह दुनियां को लड़ाई से बचाना चाहते थे। मेरी तो उनके बारे में यही धारणा रही है। मैं साफ कहूंगा कि उनके जाने से बड़ा खतरा

[श्री अध्यक्ष]

दिखलाई देता है, क्योंकि वह अन्त तक शांतिप्रिय ही रहे ऐसी मेरी धारणा है कि उनके चले जाने से हमारे संसार के लिये लड़ाई का संकट उत्पन्न हो सकता है। इस सब कारणों से उनके व्यक्तित्व, बहादुरी, कर्मठता और जो कार्य संसार में शांति के लिये थे वह चला रहे थे उन सब का विचार करते हुये मैं अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करता हूं और मैं समझता हूं कि आप सब की यह इच्छा है कि इस सदन की ओर से जो सब की महान् सहानुभूति है और जो विचार यहां प्रकट किये गये हैं वह सब मैं केन्द्रीय सरकार के पास भेज दूं। क्योंकि रूस से हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं आता, इसलिये जो विचार यहां व्यक्त किये गये हैं वह केन्द्रीय सरकार द्वारा रूस तक पहुंचा दिये जायं, यह आपकी धारणा है, और वह पूरी कर दी जायगी। अब मैं सदन से कहूंगा कि उस महान् आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये १ मिनट के लिये खड़े हो जायं।

(सब सदस्य एक मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

सन् १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन तथा सभा के कार्यकाल में वृद्धि

श्री जगन्नाथ मल्ल (ज़िला देवरिया)---श्रीमन्, चूंकि ये दोनों अनुदान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा इस संबंध में मेरी बातें कांग्रेस पार्टी के चीफ़ व्हिप से भी हो गयी हैं, इसलिये दोनों अनुदान एक ही साथ ले लिये जायं और सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री शिवनारायण (ज़िला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, जगन्नाथ मल्ल जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं कि दोनों अनुदान एक ही साथ ले लिये जायं जिससे शिक्षा और अनुसूचित जातियों के विषय में हम लोग साथ ही साथ प्रकाश डाल सकें।

श्री जयपाल सिंह (ज़िला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिये करता हूं कि पिछले दिनों जब शिक्षा के ऊपर बहस हो रही थी तो हरिजन सदस्य हरिजनों की समस्या पर बोले और बाक़ी लोग अधिकतर शिक्षा पर ही बोले। इस तरह से एक जाति विशेष के कल्याण के लिये जो बहस होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी और सभी लोगों को उसके ऊपर सोचने विचारने का और बोलने का मौक़ा नहीं मिला। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं और अपनी राय देता हूं कि इस अनुदान के लिये अलहैदा वक्त निर्धारित किया जाय। इसके लिये डेढ़ घंटे का समय रखा जाय और साढ़े तीन बजे तक शिक्षा का अनुदान चले।

राजा वीरेन्द्रशाह (ज़िला जालौन)---श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि दोनों ही अनुदान एक ही साथ ले लिये जायं तो सदन का समय भी बचेगा और जो साहबान जिस विषय पर बोलना चाहेंगे उस पर बोल सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---अगर किसी को आपत्ति है तो दोनों अनुदान अलग अलग ही लिये जायेंगे। उनको आपत्ति यह है कि हरिजनों के विषय पर यदि एकत्र अनुदान लिये गये तो काफी बहस नहीं हो पायेगी। अतः मैं उनकी इस आपत्ति को स्वीकार करता हूं।
(श्री जगन्नाथ मल्ल से) आप उसके लिये समय बतायें।

श्री जगन्नाथ मल्ल---इसके लिये सवा घंटा रख दिया जाय और बाक़ी समय शिक्षा के लिये रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---क्या इसमें किसी को आपत्ति है?

श्री जयपाल सिंह---इसके लिये डेढ़ घंटे का समय रक्खा जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री शिवनारायण--मैंने पहले प्रस्ताव का समर्थन किया था, उसके विषय में मैं यह बता देना चाहता हूं कि उसमें हर एक वक्ता को यह अवसर मिलेगा कि वह शिक्षा पर भी बोले और हरिजनों की समस्या पर भी बोल सके।

श्री अध्यक्ष--यह तो तय हो चुका, इस बारे में अब और कुछ नहीं हो सकता।

श्री शिवनारायण--एक घंटा बढ़ाये जाने का जो प्रस्ताव रक्खा गया है मैं उसकी ताईद करता हूं।

श्री अध्यक्ष--अब प्रश्न यह है कि आज के लिये इस सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--साढ़े चार बजे तक का समय शिक्षा के लिये रहेगा और साढ़े चार से ६ बजे तक का समय दूसरे अनुदान के लिये रहेगा।

शिक्षा के संबंध में जो सदस्य कटौती का प्रस्ताव लाएंगे उनको मैं २० मिनट का समय दूंगा और बाक़ी लोगों के लिये १० मिनट का समय रहेगा।

दूसरे अनुदान के बारे में जो कटौती का प्रस्ताव लाएंगे उनको १२ मिनट दिये जायेंगे तथा बाक़ी लोगों के लिये ७ मिनट रहेंगे।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९--शिक्षा (लेखा शीर्षक) ३६-- वैज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा के अन्तर्गत ८,५४,७७,२०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, आरम्भ में ही कोई लम्बा भाषण देकर मैं भवन के माननीय सदस्यों को उस अवसर से वंचित नहीं रखना चाहता, जो उनको इस अवसर पर मिलना चाहिये। यह तो आप देखते ही हैं कि गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा शिक्षा के बजट में ४३ लाख रुपये की वृद्धि हुई है। शिक्षा का जो स्थान समाज में है उसको देखते हुये यह कहना शायद ठीक न होगा कि यह वृद्धि बड़ी संतोषजनक है, लेकिन आप यह जानते हैं कि इस समय राष्ट्र जिस संकट से गुजर रहा है उसमें निर्माण के और कार्य, जो हो रहे हैं जिनकी योजना भवन के माननीय सदस्य सभी जानते हैं, इसके लिये जो धन की आवश्यकता है उसको देखते हुये मैं अपनी जगह पर यह अवश्य समझता हूं कि यह एक संतोष की बात है। शिक्षा का संबंध प्रायः सभी व्यक्तियों से होता है। यह दूसरी बात है कि किसी का संबंध प्रत्यक्ष होता है, किसी का संबंध अप्रत्यक्ष होता है। इसका क्षेत्र भी इतना विस्तृत है कि उसमें बहुत सी कठिनाइयों का, बहुत सी समस्याओं का होना भी स्वाभाविक है और शायद यही कारण है कि उनका कोई निकट सुलझाव जल्दी से निकाल करके उन समस्याओं को हल किर दिया जाय, यह असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। तो मैं भवन का इस कारण समय नहीं लेना चाहता हूं कि जो प्रगति इस दिशा में हुई है, उसका विवरण उस पुस्तिका में जो आपके सामने है दिया गया है और मैं विश्वास करता हूं कि भवन के सदस्य उसको पढ़े होंगे। उन आंकड़ों को फिर दोहराना भवन के समय का अपव्यय होगा। मैं उस संबंध में कुछ थोड़ी सी मोटी-मोटी बातें सदस्यों की जानकारी के लिये रख देना चाहता हूं।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

शिक्षा को आप तीन विभागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो विश्वविद्यालय, दूसरा माध्यमिक और तीसरा प्राइमरी। विश्वविद्यालय के क्षेत्र में गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा ३ लाख रुपये की और वृद्धि की गयी है। हमारे विश्वविद्यालयों पर कुछ क़र्जे हैं। यह पहले ही कहा जा चुका था कि पिछले वर्ष में ही कि उस कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी सरकार स्वयं अपने ऊपर ले लेती है। उसके अतिरिक्त ३ लाख रुपया इस आगामी बजट में विश्वविद्यालयों के सहायतार्थ रखा गया है। यह भी भवन के सदस्यों को शायद मालूम होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संबंध में जस्टिस मुल्थम की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त हुई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार को अभी चार-पांच रोज़ हुये प्राप्त हुई है। उस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और यदि उस संबंध में कोई आवश्यकता हुयी तो वह उसी पर अवलम्बित कोई बिल भी सम्भव है, भवन के सामने आवे। आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में आप जानते ही हैं कि इस भवन ने एक विधेयक पास किया था जिससे आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई गई थी। वह बिल अब तैयार है और थोड़े ही दिनों में इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत होगा।

गोरखपुर युनिवर्सिटी के संबंध में ४ शिक्षाविदों की एक कमेटी बनाई गई है जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संबंध में छानबीन करके कि किस प्रकार की वह यूनिवर्सिटी हो और उसका क्या संगठन हो उसकी वह रिपोर्ट तैयार करेगी और यदि हो सकेगा तो वह बिल भी इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकेगा। उस कमेटी में आचार्य श्री जुगुल किशोर, डा० आर० यू० सिंह, डा० बेनी प्रसाद और शिक्षा संचालक हैं। उसी संबंध में भवन के सदस्यों को यह भी याद होगा कि थोड़े दिनों पूर्व एक बिल मैंने इस भवन में प्रस्तुत किया था इस आशय का कि जिस प्रकार का भी कालेज और स्कूलों का प्रबन्ध है उसमें किसी प्रकार से सरकार हस्तक्षेप कर सके। चैरिटेबिल एन्डाउमेंट के संबंध में एक बिल इस भवन से पास हुआ था। उसके अनुसार दो कालेजों पर उसकी कार्यवाही हो रही है। एक तो बरेली कालेज है और दूसरा बनारस का उदय प्रताप कालेज है। उनको नोटिस दी गयी थी और अब नोटिस का जवाब आ गया है और उनके ऊपर विचार हो रहा है।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है उसमें अभी आचार्य श्री नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुयी है और इस कारण अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें किन चीजों की सिफ़ारिश होगी। उससे संबंधित और प्रश्न भी उनको दिये गये थे यानी उस कमेटी के सिपुर्द किये गये थे जिसके कारण उसका समय बढ़ाने की आवश्यकता हुई। मैं समझता हूं कि उसमें कुछ कैरीकुलम या और कुछ चीज़ों को परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी अतः उसके लिये इस बजट में १० हजार रुपया एक टोकन हेड के रूप में रखा गया है कि यदि आवश्यकता होगी तो उसका पुनःसंगठन होगा। उस संबंध में मैं समझता हूं कि इस अवसर पर कुछ अधिक कहना ठीक नहीं होगा।

प्राइमरी एजूकेशन का जितना विस्तार हुआ है वह आप के सम्मुख है। और आप सभी उसको जानते हैं। मैं थोड़ा सा समय लेकर प्राइमरी स्कूल के क्षेत्र में जो इस समय तत्काल एक समस्या सरकार के सामने है और जिसके बारे में बजट के साधारण वादविवाद के समय कुछ माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने विचार प्रकट किये उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आप जानते ही हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्राइमरी स्कूलों के टीचरों की ओर से इस समय एक भूखा हड़ताल चल रही है। मैं उसको भूख हड़ताल तो कहना नहीं चाहता वह एक अनशन चल रहा है। थोड़े में उनकी चार मांगें हैं। उनकी पहली मांग तो यह है कि प्रतिमास उनकी तनख्वाह समय पर मिलनी चाहिये। दूसरी यह है कि जिस बोर्ड में कुछ महीनों की तनख्वाह उनकी बक़ाया है वह उनको मिलनी चाहिये। तीसरी मांग यह है कि उनके लिये जो महंगायी के भत्ते की दर स्वीकृत है उससे अधिक होना चाहिये। प्रत्येक को २०, २५ रुपया

महंगाई मिलनी चाहियें। चौथी मांग उनकी यह है कि उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिये और एक वेतन क्रम भी उन्होंने दिया है कि इस वेतनक्रम से उसमें वृद्धि होनी चाहिये।

जहां तक पहली दो मांगों का संबंध है, यह ठीक बात है कि यदि कोई कहीं नौकर है तो उसको महीने महीने तनख्वाह अवश्य मिलनी चाहिये। तनख्वाह कम हो, अधिक हो, यह तो दूसरी बात है, लेकिन यह संतोषजनक अवस्था कदापि नहीं कही जा सकती कि किसी भी नौकर को, अधिकारी को महीने में तनख्वाह न मिल जाय। जब यह बात सरकार के समक्ष रखी गयी तो उसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती थीं और मैंने उनको यह विश्वास दिलाया कि अविलम्ब इस बात का प्रयत्न होगा और चाहे वह अपनी भूख हड़ताल जारी रखें या छोड़ दें, लेकिन फिर भी इस अवसर पर मैं यह फिर ऐलान करता हूं कि अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रहेगी और निकट भविष्य में ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें महीने महीने प्रत्येक अध्यापक को उसकी तनख्वाह मिलती जाय।

जहां तक बक़ाया का सवाल है, उसके लिये भी मैंने यह कहा, उन को विश्वास दिलाया कि उनको बकाया भी अलिवम्ब दे दिया जायगा। जब उन्होंने यह मेरे समक्ष रखा कि उनकी तनख्वाहें कई महीनों की बाक़ी हैं तो उन्होंने जो मुझसे कहा उससे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि बहुत से ज़िलों में तनख्वाहें बाक़ी हैं। लेकिन जब उसकी छानबीन की गयी, जब सब जगह से पूछा गया तो मालूम हुआ कि केवल प्रान्त में छः ज़िले ऐसे हैं जहां ३ महीने तक की तनख्वाह बाक़ी है। तो मैंने उनसे कहा भी कि मेरी दृष्टि में यह समस्या इतनी ऊंची नहीं थी, इस स्तर पर नहीं रखी जा सकती थी कि उसके ऊपर अपनी जान की बाजी लगायी जाय और उस समय जब कि उनको यह विश्वास दिलाया गया कि अविलम्ब आप का यह बक़ाया अदा हो जायगा। तो इन दो मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन और जो दो मांगें हैं उनके संबंध में भी मैं इस भवन के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो, चाहे कोई इसको माने, या न माने यह सत्य ही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रत्येक अध्यापक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नौकर है। सरकार को उसकी नियुक्ति में या उसके निकालने में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह दूसरी सी बात है कि आप यह कहें और बहुत माननीय सदस्यों ने यह कहा भी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरकार के अन्तर्गत है। यह चीज़ वास्तव में सही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक आटोनामस बाडी है। आप उसका ऐक्ट पास करते हैं। उस ऐक्ट के अनुसार वह कार्य करते हैं। यदि उसमें त्रुटि हो, यदि वह सन्तोषजनक न हो तो यह दूसरी बात है कि उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सुपरसीड किया जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई एक सरकारी संस्था है और आप अपनी चीज़ें उस पर लाद सकते हैं।

तो क्या क्या समय समय पर किया गया, वह भी मैं थोड़े ही में बतला देना चाहता हूं। अध्यापक वर्ग समाज का एक ऐसा अंग है जिसके प्रति सभी की श्रद्धा और आदर सभी के दिलों में है। जब कि राष्ट्र एक संघर्ष में लगा हो, जीवन-मरण का संघर्ष उसके सामने हो, जबकि प्रत्येक व्यक्ति से वह कहता हो कि इसमें सहयोग दो वरना हमारा भविष्य अंधकारमय रहेगा उस समय वही वर्ग जो दूसरों को शिक्षा देता हो, जो अपने को गुरू कहलाने का दावा रखता हो, जो दूसरों को आवेश में आने से रोकता हो, जो स्वयं स्वार्थ सिद्धि पर न उतरता हो, वही वर्ग काउंसिल हाउस के सामने आमरण अनशन करे यह हमारे लिये अवश्य लज्जा की बात है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी हर चीज़ का होता है। यह कहा जा सकता है कि अध्यापकों को इतना वेतन मिलना चाहिये जिससे कि उनका जीवन चल सके। उस वेतन की मात्रा क्या हो यह तो दूसरी बात है। लेकिन समय-समय पर जो उनके प्रति सरकार ने किया वह भी मैं भवन के सामने रख देना चाहता हूं, जिसमें भवन उस पर विचार करे। मैं यह नहीं चाहता कि हमारा अध्यापक वर्ग राजनीति का शिकार बनाया जाय या उसमें कोई राजनीति बर्ती जाय। लेकिन अभाग्यवश मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे शक हो रहा है, और मुझे खुशी होगी अगर हमारा शक निराधार हो, मैं देखता हूं कि यह वर्ग राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है और

[श्री हरगोविन्द सिंह]

इसलिये मैं दलों से कहूंगा यदि भारत के निर्माण में वे अपना भी भाग समझते हैं तो उनको हमारे इस भोले-भाले अध्यापक वर्ग को बहका कर उसमें गलत प्रचार करके उनमें ऐसी प्रवृत्ति पैदा करने का प्रयत्न न करना चाहिये जिससे उन के प्रति लोगों में जो श्रद्धा है वही वह खो बैठें। मैंने अन्यत्र कहा था, उसको फिर दोहराना चाहता हूं कि अध्यापक वर्ग के पास यही एक सब से बड़ी सम्पत्ति है कि वह अन्य वर्गों से एक आदर पाता है, सम्मान पाता है चाहे वह तनख्वाह कम पाता हो। यह एक विलक्षण बात है। (एक आवाज--दुनियां में सभी जगह अध्यापकगण कम तनख्वाह पाते हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं कह सकता कि आदर की दृष्टि से उनका स्थान बहुत ऊंचा नहीं है।)

मैंने कुछ सुना नहीं। लेकिन अगर फिर वह कहेंगे तो उसका उत्तर, जो मुझसे हो सकेगा मैं दूंगा। मैं भवन को बतलाना चाहता हूं कि समय-समय पर क्या किया गया। सन् १९४६ ई० में पहली बार जब कांग्रेस सरकार आयी तो उस समय प्रत्येक अनट्रेंड अध्यापक १२ रुपया पाता था। ट्रेंड अध्यापक १७ रुपये, १९ रुपये और २० रुपये तथा २२ रुपये पाता था। अगर कांग्रेस मिनिस्ट्री को अध्यापकों से श्रद्धा न होती, अगर उनके प्रति प्रेम न होता, यदि हम उनकी आर्थिक दशा सुधारना न चाहते तो हो सकता था कि एक कमेटी नियुक्त कर दी जाती और वह कमेटी यह देखती कि कितना अध्यापकों को देना चाहिये।

लेकिन यह न करके हमारे पूर्वाधिकारी ने हर एक अध्यापक का वेतन ५ रु० बढ़ा दिया और फौरन एक कमेटी नियुक्त की जिसने सन् ४७ में ही रिपोर्ट दिया और एक वेतनक्रम भी बनाया। वह वेतनक्रम फौरन ही लागू किया गया लेकिन फिर भी उनको ऐसा मालूम हुआ कि यह वेतनक्रम शायद संतोषजनक न हो। उस समय लोकल बाडीज इन्क्वायरी कमेटी बैठी हुई थी। बावजूद इसके कि एक कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें एक निश्चित वेतनक्रम निर्धारित किया गया था लेकिन फिर भी यह प्रश्न उस वेतन कमेटी को दिया गया और उस कमेटी ने पे कमेटी की रिपोर्ट से अधिक जितना कि पे कमेटी ने वेतन क्रम निर्धारित किया था उससे अधिक सिफारिश की जिसका नतीजा यह है कि जो अध्यापक सन् ४६ तक १२ रु० पाते थे वही अध्यापक आज ४२ रु० पा रहे हैं, जो अध्यापक उस समय १७ रु० १९ रु० और २० रु० पा रहे थे वह आज शायद ४७ रु० पा रहे हैं और जो अध्यापक उस समय ३० या ३५ रुपया पा रहे थे वह आज ५२ रु० पा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--और जो मंत्री ५०० रु० पाता था वह आज १२ सौ पा रहा है।

श्री हरगोविन्द सिंह--जी, ठीक है, बैठिये। १२००, ५०० तिगुना तो नहीं है शायद लेकिन उनका तो तिगुना या चारगुना के करीब हुआ। लेकिन उसमें इस वक्त नहीं पड़ना चाहता क्योंकि भाई साहब ने भी अपनी तनख्वाह इसलिये नहीं कम कर दी है कि अध्यापक १२ रुपये पाता है लिहाजा हम २०० रु० नहीं लेंगे।

लेकिन अब आप स्वयं सोचिये और आपके द्वारा मैं प्रत्येक सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या यह संतोषजनक नहीं है। इसी समय में यह भी बतला देना चाहता हूं कि उस समय एक सर्कुलर भेजा गया हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास और उनसे यह कहा गया कि आप इस वेतनक्रम को अपने यहां देना आरम्भ कीजिये और इस समय जो रुपये की कमी है उसको आप अपने यहां से बराबर कीजिये और किसी प्रकार से अपनी आमदनी बढ़ाइये जिससे कि यह वेतनक्रम अध्यापकों को दिया जाय और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि उसमें कुछ देर लगेगी ढूंढने में कि कहां से रुपया लाया जाय, किस प्रकार से आमदनी बढ़ाई जाय, इस बीच में सरकार आपको अपनी ओर से ग्रांट और लोन देगी जिससे कि आप उस वेतनक्रम को लागू कर सकें।

मैंने एक प्रेस कांफ्रेंस में रिपोर्ट पढ़ी और उसमें श्री राजा राम जी ने यह कहा कि वह जो डी०ओ० भेजा गया था वह इस प्रकार का था जिससे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मजबूर थे कि वह इस वेतनक्रम को लागू करें। उनके लिये यह बाध्य था। सरकार ने जो डी० ओ० भेजा था उसमें सरकार ने यह लिखा था कि तुम इस बात के लिये मजबूर हो कि तुम इस वेतनक्रम को लागू करो। इस में संदेह नहीं कि कहीं कहीं से यह पूछा गया कि यह डी० ओ० है हमारे ऊपर बाध्य है, हमें लगाना अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है। उस समय एक दूसरा डी० ओ० भेजा गया और उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया मैंने उसकी एक कापी राजाराम जी को दे दी लेकिन उसके बारे में उनके क्या विचार हैं मैं नहीं जानता और आज भी मेरे समक्ष उसकी कापी मौजूद है यदि आप चाहें तो मैं भवन के सामने पढ़ कर सुना भी सकता हूं। उसमें यह कहा गया है कि तुम इसके लिये बाध्य नहीं हो, लेकिन तुम से यह आशा की जाती है कि तुम अपनी आमदनी बढ़ा करके इस वेतनक्रम को लागू करो। यह भी आवश्यक नहीं है कि यह वेतनक्रम पहली अप्रैल, सन् १९४९ से लागू हो। जब भी तुम्हारी स्थिति ठीक हो, जब भी तुम इतना धन प्राप्त कर सकते हो, तब से तुम इस वेतन क्रम को लागू करो। बावजूद इसके हम डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के आभारी हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने इस बात का प्रयत्न किया कि यह वेतन क्रम लागू हो। अपनी आर्थिक दशा के सुधारने का कोई प्रयत्न उनके दिमाग में नहीं आया, वे कोई प्रयत्न कर भी नहीं पाये और उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाई भी नहीं, लेकिन आज अवस्था यह है कि प्रांत के सब जिलों में वही नवीन वेतनक्रम लागू है। सिवाय एक गढ़वाल जिले के और जितने जिले हैं जो नवीन वेतन क्रम मैंने आप के सामने रखा उसी के अनुसार रुपया दिया जाता है और जैसा मैंने पहले बताया कि केवल छै जिले ऐसे हैं जहां तीन महीने तक की तनख्वाह बाकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——गढ़वाल में क्यों नहीं है?

श्री हरगोविन्द सिंह——वह तो मैंने पहले ही बताया कि उनको इस बात के लिये फ्रीडम थी कि वे लगावें या न लगावें। उन्हों ने अपने यहां नहीं लगाया। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत यह है कि उनकी आमदनी का अगर आप औसत लगावें, तो जितनी उनकी आमदनी होती है, उसका ७५ से ८५ फी सदी खाली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचरों की तनख्वाह में चला जाता है। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत यह हो गई है कि यदि आप उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड न कह करके केवल प्राइमरी शिक्षा की एजुकेशन कमेटी कहें, तो यह असत्य न होगा। उनके पास किसी और काम के लिये धन नहीं बचता है और दूसरे शब्दों में इस वेतनक्रम ने हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रीढ़ को तोड़ डाला है। कहां से वे धन ले आवें यह वे नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वे इतना रुपया दे रहे हैं, यही एक बड़े संतोष की बात है। मैंने उनकी एक-एक मांग का हिसाब लगवाया। जो वेतनक्रम वे मांग रहे हैं, अगर वह वेतन क्रम उनको दिया जाय, तो आप को बजट में छै करोड़ रुपया और रखना होगा। एजुकेशन बजट आपके सम्मुख है, आप उसमें देख सकते हैं कि ८ करोड़ रुपये में ४ करोड़ रुपये केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में दिये जाते हैं यानी एजुकेशन बजट का आधा हिस्सा दिया जाता है। जहां सरकार सन् १९४६ में ७५ या ७६ लाख रुपये दिया करती थी, वहां आज सरकार ३ करोड़ ९१ लाख रुपये देती है। अगर आप उनको मांगे मान लें तो कोई ११-१२ करोड़ रुपया प्राइमरी एजुकेशन पर हो जाता है। यह आज की अवस्था में सरकार के लिये असंभव सी बात है, कहीं से भी यह रुपया आ नहीं सकता दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो यह कि निर्माण कार्य बन्द करके इस वर्ष के लिये आप पांच छः करोड़ रुपये दे दें, लेकिन अगले वर्ष क्या होगा। आप इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। एक ही व्यवस्था हो सकती है कि लोगों पर कर लगाया जाय और फिर हम

[श्री हरगोविन्द सिंह]

अपने अध्यापकों को दें इस बजट में बावजूद इसके कि इतना टाइट बजट था, दिन और रात सोचने पर भी समझ में नहीं आता था कि निर्माण कार्य के लिये कहां से रुपया लाया जाय फिर भी टैक्स नहीं लगाया गया। इस लिये नहीं लगाया गया कि हम अपनी जनता की दशा जानते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---प्वाइंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कितने घंटे बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष---यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप कृपा करके बैठें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय मंत्री जी के लिये कितना समय निर्धारित होगा।

श्री अध्यक्ष---उनके लिये कोई समय नहीं निर्धारित होगा।

श्री हरगोविन्द सिंह---लेकिन फिर भी यह सोचा गया कि टैक्स नहीं लग सकता। यह तो दूसरी बात है कि प्रदर्शन के लिये भवन या भवन के बाहर से कुछ हो सकता है लेकिन रुपया तो प्रदर्शन से नहीं आयेगा। रुपया तो किसी के पेट से काटकर ही निकाला जा सकता है। मुझे बड़ी खुशी होती यदि आज जो इन अध्यापकों का नेतृत्व कर रहे हैं वे हमें यह बताते कि कहां से यह रुपया लाया जाय। हां, कहा यह जाता है कि कुछ लोगों की बड़ी तनख्वाहें हैं वह काट दी जायं। आप यदि देखें तो एक हजार से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले आपके प्रांत में दो तीन सौ व्यक्ति हैं। ५०० से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों पर जो धन व्यय होता है वह धन एक करोड़ दो लाख होता है। अगर एक करोड़ दो लाख धन काट भी लिया जाय तो वह आप ८५ हजार टीचरों को दे नहीं सकते। तो मैंने उनसे यह भी कहा कि आप स्वयं बताइये लेकिन उनसे शायद यह कहा गया कि यदि काउन्सिल हाउस के समक्ष तुम भूख हड़ताल करके बैठ जाओ तो चाहे जैसे भी होगा सरकार रुपया ले आवेगी और अगर टैक्स लगाया गया तो हमको इस बात की स्वतंत्रता होगी कि हम सत्याग्रह करें। अगर टैक्स लगेगा तो सत्याग्रह होगा और अगर टैक्स नहीं लगेगा तो भी सत्याग्रह होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से इस राज्य की व्यवस्था चलेगी। अगर वही सम्मानित सदस्य हमारे स्थानों पर यहां बैठेंगे तो किस प्रकार टैक्स न लगा करके सब को अधिक वेतन देंगे, मेरी समझ में नहीं आता। मैं समय अधिक नहीं लेना चाहता और मैं चाहता हूं कि भवन के और सदस्य अपना मत प्रकट करें लेकिन मैंने यह स्थिति केवल इस लिये रख दी कि इसको देखते हुये जितना उन टीचरों के प्रति श्रद्धा का भाव सभी में है जैसा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम सब किसी न किसी समय शिष्य रहे हैं, मैं उनका आदर करता हूं लेकिन आदर केवल इस लिये करता हूं कि वह एक आदर्श पालन करते हैं। वह आदर्श अगर उनसे छुट जायगा तो वे आदर के अधिकारी नहीं रहेंगे। इस लिये मैं भवन के सदस्यों से और अध्यापकों से भी यह एक दफा फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज की स्थिति में सरकार के लिये असंभव है कि धन ले आ करके किसी प्रकार से उनकी वृद्धि की जाय। जितनी वृद्धि उनकी हुई है उतनी शायद ही सरकार के किसी और विभाग में किसी कर्मचारी की हुई हो। अगर आप अनुपात के लिये देखें तो मालूम होगा कि जो और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है वह अपेक्षाकृत उनसे कम है। बारह रुपया से बयालिस रुपये की वृद्धि कम नहीं हुआ करती। यदि सन् ४६ में कोई बारह रुपये में रह सकता था तो सन् ५२ और ५३ में वह ४२ रुपये में अवश्य रह सकता है। मेरे दिल में कोई संदेह नहीं है कि उनको और अधिक मिलना चाहिये। यह तो उस चीज पर निर्भर हो सकता है जब देश की आय अधिक हो। किन्तु एक लिविंग वेज कहा जाता है। लिविंग पक्ष के भी दो पक्ष होते हैं, देने वाले की शक्ति और लेने वाले

की जरूरत। अगर देने वाले की शक्ति नहीं है तो लेने वाला यह नहीं कह सकता कि यह लिविंग वेज नहीं है। मैंने तो पहले सोचा था कि हमारे अध्यापकों ने आदर्श की बात की, हड़ताल नहीं की स्कूलों में चले गये और अपने काम में लगे रहे। और उन्होंने एक प्रदर्शन किया लेकिन जब प्रदर्शन का यह रूप होता जाता है और यह एक खाली शाब्दिक बात थी कि हम शिक्षा का काम छोड़ेंगे नहीं और हर जगह से लोग बुलाये जा रहे हैं प्रदर्शन के लिये, तो उसका एक ही नतीजा होगा कि स्कूल बन्द होंगे और उसका उत्तरदायित्व उन्हीं के ऊपर होगा। यदि वे सचमुच अपने उस आदर्श को सुरक्षित रखना चाहते हैं और देश के उत्पादन के कार्य में सहयोग देना चाहते हैं तो उन्हें अपने इस संकल्प को छोड़ना चाहिये और स्कूलों में जावें वरना हमारे लिये भी कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि या तो स्कूल बन्द होंगे या हम यह कहेंगे कि अच्छा तुम अपने स्थान से हट गये इसलिये हमको दूसरे अध्यापक रखने पड़ेंगे। इतने दिनों तक सरकार इस आशा से बैठी रही कि अब भी ये स्कूलों में जाकर अपना कार्य करेंगे। लेकिन यदि वे नहीं जाते हैं तो हमारे लिये भी सिवाय इसके कोई दूसरा चारा नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं यह अनुदान भवन के सामने पेश करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय, मैं इसका प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं शिक्षा मंत्री से मुखारविन्द के निकले हुये सुन्दर शब्दों को सुन रहा था तो मैं समझता था कि जिस तरह से पहले बजट पर बोलते हुये उन्होंने माना था कि शिक्षा प्रणाली में कोई व्यवस्था नहीं है और इसके लिये कोई सुनियोजित योजना नहीं है वैसे ही वह अब की बार भी स्वीकार करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपने भाषण का अधिकांश समय केवल दयनीय अध्यापकों की दशा पर ही बिता दिया।

श्रीमन्, मैं पहले ही अपना एक सुझाव आपके द्वारा इस सरकार को दे देना चाहता हूं। अब समय आगया है कि सरकार निश्चय करले कि उसकी शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्यविहीन शिक्षा प्रणाली को चलाने से किसी को लाभ नहीं होगा। यह बात सही है कि जब समाज या देश स्वतंत्र हो जाता है और समाज में आजादी आजाती है तो जो प्राचीन स्रोत सूखे हुये होते हैं उनमें आशा का संचार होता है। उस आशा को लेकर समाज का प्रत्येक समुदाय आगे बढ़ना चाहता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री के भाषण को सुन कर आश्चर्यचकित रह गया। मेरी समझ में पहली बात होनी चाहिये कि शिक्षा को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिये जितने विधान सभा के सदस्य हों उनकी ट्रेनिंग का समुचित प्रबंध होना चाहिये और उसमें मंत्रियों की ट्रेनिंग का सबसे पहले प्रबंध होना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके हाथ में बागडोर रहती है और सूत्रधार रहता है जब वह आदर्शविहीनता का परिचय देते हैं तो साधारण जनता से आदर्श की बात कहना कोई तर्कसंगत बात नहीं मालूम होती। कुछ दिन हुये, शिक्षा प्रणाली पर माननीय सम्पूर्णानन्द जी के एक लेख को मैं पढ़ रहा था। इस बात की मुझे खुशी है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री के पूर्व जो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय थे उन्होंने स्पष्ट मुक्तकंठ से इस बात को स्वीकार किया है कि कोई आईडियल्स (आदर्श) उनके सामने नहीं रह गये हैं जिनके हाथ में अब देश के भाग्य की बागडोर है। मैं शिक्षा मंत्री के भाषण को सुनकर इस बात को अक्षरशः सही मानता हूं मैं चाहता हूं कि जिन अध्यापकों की बातों को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे प्रधान सचेतक जगन्नाथ मल्ल जी की ओर संबोधित करते हुये कहा कि आप पैसे की व्यवस्था कीजिये। तो मैं पैसे की व्यवस्था उनके सामने रखूं। सही माने में हमारी पार्टी का प्रत्येक सदस्य हर समय उद्यत है, हर समय तैयार है और उसी अपनी उद्यत और तैयार होने की मनोवृत्ति के अनुसार ही हमारी पार्टी ने यहां यह प्रस्ताव

[श्री राजनारायण]

रखा था कि प्रत्येक विधान सभा का सदस्य १५० रुपया अपनी तनख्वाह ले और प्रत्येक मंत्री १,००० से ज्यादा अपनी सैलिरी (तनख्वाह) न करे और उसका खर्च अगर उसकी घर की आमदनी इतनी हो कि अपना जीवन निर्वाह उससे कर सके तो उसको एक पैसा भी नहीं लेना चाहिये तो हमारे साथ जब माननीय शिक्षा मंत्री जी ऐसी बात कहते हैं तो उन्हें अपने लिये सोचना चाहिये। अगर उन्हें जरा सी भी लज्जा हो, तनिक भी शर्म हो तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को विरोधी पार्टी के लोगों से इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिये। (एक आवाज–आप अपनी तनख्वाह छोड़ दीजिये ।) आप हमारी तनख्वाहों की बात को छोड़ दीजिये। छोड़ने की बात तो वह कैसे कह सकते हैं जिन्होंने अपनी तनख्वाहें पहले से नहीं छोड़ी हैं। मैं कहता हूं कि जो अनुपात आप निश्चित करें अध्यापकों की डिमांड (मांगों) को पूरा करने के लिये उस अनुपात के अनुसार हमारी तनख्वाहें कम कर दीजिये, हमारे एलाउन्सेज कम कर दीजिये, वह उन पर भी लागू हो, हम पर भी लागू हो और समाज के दूसरे लोगों पर भी लागू हो। (हर्षध्वनि)। श्रीमन्, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को कहने के लिये तैयार हूं और कह रहा हूं। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह की बातें कही हैं उनको सुनता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। आज की बात नहीं है इस प्रस्ताव को तो विरोधी पार्टी ने उस समय ही रखा था जब कि मंत्रियों की तनख्वाहें क्या हों, विधान सभा के सदस्यों की तनख्वाहें क्या हों, डिप्टी मिनिस्टर्स की तनख्वाहें क्या हों, उस समय जब विधेयक प्रस्तुत थे तभी हमने इस बात को निवेदन किया था। आज, श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी अध्यापकों की मर्यादा की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के मुखारविन्द से दो शब्द निकले कि अध्यापक नौकर हैं और अध्यापक गुरु हैं और उसे उसकी मर्यादा सुरक्षित रखनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसे नौकर की मर्यादा सुरक्षित रखनी चाहिये या अध्यापक की, गुरु की मर्यादा सुरक्षित रखनी चाहिये। (एक सदस्य---गुरु की)

अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी गुरु की मर्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिये था कि किस तरह से वह अपने गुरुतर कार्यभार को संभाल कर रख सकता है। उसके आब्जेक्टिव सिच्युयेशन को दृष्टिगत वातावरण में उत्पन्न करने का कर्त्तव्य सरकार का हो जाता है और अगर सरकार उस कर्त्तव्य को पूरा नहीं होने देती और पूरा नहीं करती तो कलंक किसके लिये है। सरकार को कलंकित होना चाहिये या अध्यापकों को कलंकित होना चाहिये। सरकार को कलंकित होना ही चाहिये। श्रीमन्, मैंने बहुत दुख के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी के मुंह से यह सुना कि कुछ राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो कर अध्यापक लोग यह कह रहे हैं श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे राजनीतिज्ञ को महान् नीच समझता हूं जो अध्यापकों को भूख हड़ताल करने के लिये प्रेरित करें और मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूं कि हमारी पार्टी का कोई सदस्य अध्यापकों को वह करने के लिये नहीं कहता जो खुद न करने के लिये तैयार हो। "डू टु अदर्स ऐज यू विश टु बि डन बाई" दूसरों के लिये वही काम करें जो दूसरों से चाहते हैं। क्या हमारा साहस है, क्या हमारा आत्मबल है कि हम अध्यापकों से कहें कि तुम भूख हड़ताल करो। हम इस तरह के नहीं हैं कि विधान सभा में आये और कुछ काम किया और यहां कुछ कहा और बाहर चले गये तो कुछ और कहा। इस तरह से प्रजा शोसलिस्ट प्रार्टी नहीं है यह माननीय शिक्षा मंत्री जी को मालूम होना चाहिये और जिस वक्त हम आखिर में समझ लेंगे कि हम अध्यापकों को सलाह देने के लिये तैयार हैं कि वह भूखहड़ताल करें उस दिन पहले आदमी हम होंगे जो भूख हड़ताल करेंगे। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी को उधर नहीं जाना चाहिये। राजनीतिकता की पूर्व परम्परा क्या है और किस तरह से चल रही है। हम कई बार सम्मानित सदन की सेवा में रख चुके हैं। यह नहीं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव ऐंड वार। (प्रेम और युद्ध में सब कुछ ठीक है) आपको साधन को

भी देखना है और साध्य को भी देखना है और यह समझना है कि साधन भी साध्य हो जाते हैं और साध्य दूसरे दिन साधन भी होते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ, बहुत अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि अध्यापकों की जितनी तनख्वाह बढ़ी उतनी दूसरों की नहीं बढ़ी। वह कहते हैं लेकिन इसके लिये आंकड़े पेश नहीं करते। वह सन् ३६ के बजट को देखें तो उस समय १२ करोड़ हमारे प्रांतीय सरकार की आमदनी थी आज ७५ करोड़ हमारे प्रांत की आमदनी हो गई है। साढ़े ६ गुनी आमदनी बढ़ गई है। माननीय शिक्षा मंत्री गुणा भी लगायेंगे तो उनको मालूम होगा कि उस अनुपात से तो तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। जब पहले कांग्रेस सरकार की मिनिस्ट्री आई थी तो मिनिस्टरों की तनख्वाह ५०० रुपये रक्खी थी और ४६ में जो ब्रिटिश रिजीम में एडवाइजर्स थे तो ३,७०० रुपये एक एडवाइजर पर खर्च होते थे। क्या माननीय शिक्षा मंत्री साहस के साथ कह सकते हैं कि आज एक मंत्री पर ६ हजार से ज्यादा रकम खर्च नहीं होती। आज एक मंत्री ६ हजार से ज्यादा रकम खर्च करता है। तो वह मंत्री कैसे कह सकता है कि अध्यापक भूख को बर्दाश्त करें और उदार बनें। वह खेतों के कामों से पैसा पैदा कर लेते हैं इसलिये उनको तनख्वाह बढ़ाने की मांग नहीं करना चाहिये। एग्जाम्पिल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। अपने आप उदाहरण बनिये तब दूसरों को शिक्षा की बात कहिये। अगर पहले हम अपने लिये उदाहरण प्रस्तुत न करें अपने को माडल न बनावें तो जो जनता आज सरकार के पास अपनी मांग पूरा कराने के लिये आती है, अपनी दिक्कतों को ले कर, अपनी कठिनाइयों को लेकर जब उस सरकार के मंत्री गण के पास से वह जनता लौटती है तो किस आदर्श से ओतप्रोत हो कर आती है। क्या वह त्याग, बलिदान, और निर्माण में सारा जीवन लगाने के आदर्श को लेकर आती है। जब वह अध्यापक एक मंत्री को आलीशान बिल्डिंग में रहते देखते हैं तमाम अय्याशी (ऐशो आराम) के सामान को अपने बंगले में रखता है, फर्स्ट क्लास गलीचे रखता है, फर्स्ट क्लास की पिक्चर्स उसके बंगले में होती हैं तो किस आदर्श को लेकर वह वापस जायगा। क्या भावना लेकर आयगा। क्या त्याग की भावना को लेकर जायगा? क्या वह यह समझेगा कि यह वही पुरानी कांग्रेस है जिसके सदस्य चार-चार आने पैसे के लिये घर-घर घूमते थे, सादी वेशभूषा में रहते थे? क्या यह वही महात्मा गांधी की कांग्रेस है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह 'अय्याशी', का शब्द पार्लियामेंटरी शब्द नहीं है। उसका अर्थ शायद सदस्य दूसरा समझते हों।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अगर कोई उसके लिये कोई दूसरा अर्थ समझता हो तो क्षमा चाहूंगा लेकिन मैंने जिस भाव से कहा है उसी भाव में सदस्यगण उसको लेने की कृपा करेंगे। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि ऐश इशरत में जो अपनी जिन्दगी बिताते हों उस ऐश इशरत की जिन्दगी को वे जरा जंगल के रास्ते पर ले चलने का प्रयत्न करें, एक आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिये, एक आदर्श की पूर्ति के लिये वे कटिबद्ध हों तब वह समाज को आदर्श की शिक्षा दें तो वह शिक्षा अच्छी लगती है। वर्ना उस शिक्षा का अर्थ बेकार हो जाता है। इसी के साथ साथ श्रीमन् मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। मैं तो माननीय शिक्षा मंत्री से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो शिक्षा विभाग में धांधलियां हो रही हैं उनकी ओर ही वह ध्यान दें, उस करप्शन, धांधलियों और उत्पात को ठीक तरह से वह दुरुस्त करें तब भी अध्यापकों की तनख्वाह से संबंधित बहुत सी मांगे पूरी हो सकती हैं। एक उदाहरण मैं पाठ्यक्रम की पुस्तकों के बारे में देना चाहता हूं। यह पुस्तकें छपने के लिये पब्लिशर्स को दी जाती हैं। सरकार की ओर से केवल तीन पुस्तकें छापी गई हैं और उससे २४ लाख रुपये की प्राप्ति सरकार को हुई। माननीय शिक्षा मंत्री अगर आंकड़ों में गलती हो तो वह मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। (एक आवाज) माननीय मंत्री शायद ८ लाख कहते हैं। हो सकता है कि मेरे पास जो रिपोर्ट आई हो उसमें त्रुटि रह गई हो। अगर ८ लाख भी मानते हैं तो जो बात मैं कहना चाहता हूं उस पर

[श्री राजनारायण]

उसका कोई उल्टा असर नहीं पड़ता। अब जब ३ पुस्तकों से ८ लाख रुपये की प्राप्ति हुई तो जो अगणित पुस्तकें बाहर छपती हैं, उनको अगर सरकार छापे और उनसे जो आमदनी हो वह अध्यापकों पर खर्च की जाय तो भी अध्यापकों की मांग पूरी हो सकती है इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में जो धांधलियां होती हैं उनका इस वक्त जिक्र करने का अवसर नहीं है। जब बजट पर सामान्य वाद विवाद हो रहा था उस वक्त उनको कहा जा चुका है। और जब साधारण नीति की आलोचना और सुझाव देने के लिये हमने जो कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं तो उस वक्त माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा उन बातों पर प्रकाश डाला जायगा कि आगे शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी आगे निर्माण कैसे होगा आगे सरकार किस उद्देश्य को, शिक्षा व्यवस्था को चलायेगी मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री इस पर कुछ बोलेंगे। मगर मालूम ऐसा होता है कि नरेन्द्र देव कमेटी जो स्थापित हुई थी, जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के सामने न आ जायगी और वे उसका अवलोकन न कर लेंगे, तब तक शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, उसके विषय में उनकी क्या नीति हो इसको वे प्रकाश में नहीं लाना चाहते। लेकिन चाहे उस कमेटी की रिपोर्ट उनके पास पूरे रूप में न आयी हो फिर भी उसने जो सुझाव दिये हैं उनकी जानकारी माननीय मंत्री जी को अवश्य ही होगी। अगर उनकी जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे अखबारों की उन प्रतियों को मांग कर पढ़ें जिनमें यह चीज प्रकाशित हुई है। क्योंकि शिक्षा मंत्री के लिये यह आवश्यक है कि इन तमाम बातों की जानकारी वह रक्खें।

श्रीमन्, मैं दूसरे मुल्कों का क्या उदाहरण दूं, क्या ब्रिटेन का उदाहरण दूं, क्या अमेरिका का उदाहरण दूं, क्या रूस का उदाहरण दूं, क्या चीन का उदाहरण दूं, जब कि माननीय शिक्षा मंत्री इस बात को पहिले ही स्वयं मान चुके हैं कि उनकी शिक्षा की नीति उद्देश्यहीन है। उदाहरण तो तब दिया जाता जब कि उनकी शिक्षा की नीति हमारे सामने होती। हम नहीं जानते कि सरकार की शिक्षा की नीति क्या है शिक्षा मंत्री के कथनानुसार जब कि रूस की शिक्षा की नीति अच्छे कम्युनिस्ट को पैदा करने की है और अमेरिका की शिक्षा की नीति एक अच्छा डेमोक्रेटिक पैदा करने की है लेकिन हिन्दोस्तान की शिक्षा की नीति क्या पैदा करने की है यह पता नहीं जहां तक हमारी प्राचीन शिक्षा का संबंध है उसका उद्देश्य देशवासियों को सत्यं शिवं और सुंदरम् बनाया था। जो रास्ता सत्य हो, शिव हो, और सुन्दर हो, उस रास्ते की ओर ले जाने को जब शिक्षा की सुनियोजित नीति होगी तभी हमारे देश का निर्माण हो सकेगा। मगर श्रीमन् मैं यह बहुत दुख के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा का जो भी स्वरूप हो लेकिन वह स्वरूप असत्य न होना चाहिये, हाइप्रोक्रेट (भाव को छिपाने वाले) नहीं होना चाहिये, हम में वस्तुस्थिति को विकृत करने की आदत नहीं पड़नी चाहिये। अगर किसी वस्तुस्थिति को विकृत करने की परम्परा को विकसित करते चले जायेंगे तो हमारी शिक्षा का और हमारे देश का क्या हाल होगा, यह श्रीमन्, आप भी जानते हैं और इस सदन के माननीय सदस्य भी समझते होंगे। मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, श्रीमन् कि यह बात तो साफ हो चुकी है कि हम जनतांत्रिक प्रणाली और पद्धति दोनों को अख्तियार करना चाहते हैं, दोनों का समन्वय करना चाहते हैं यानी ऐसा नहीं चाहते कि जैसा कि अमरीका में है जो डेमोक्रेसी के मीन्स में ही विश्वास करते हैं और न रूस की भांति जो केवल 'माडिल' में विश्वास करते हैं। हम मीन्स और माडिल दोनों में यानी प्रजातंत्र की पद्धति और प्रणाली दोनों में विश्वास करते हैं और दोनों का अटूट संबंध समझते हैं। जब इस चीज को सरकार मानती है.........

एक सदस्य—अध्यक्ष महोदय, आप के लिये कितना समय दिया गया है?

श्री अध्यक्ष—२० मिनट का दिया गया है, यह मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने अभी तक उद्देश्य की सफाई न हुई हो तो वे अपने मस्तिष्क को साफ़ कर लें। हमें शिक्षा व्यवस्था से जो बातें मिलनी चाहिये वे "यह कि उससे समाज में सच्चाई हो, समाज में सत्यं, शिवं और सुन्दरम् की प्रतिष्ठा हो और समाज में जनतांत्रिक प्रणाली और व्यवस्था दोनों का अविच्छिन्न संबंध स्थापित किया जाय और मनुष्य (from the realm of necessity to the realm of freedom) यानी मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं के क्षेत्र से निकल कर स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के वातावरण में विचार करे। तो मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था वह अध्यापक करेगा जो कि अधपेट है, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने के लिये उसके पास मकान नहीं है। जो अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा नहीं सकता, उनकी दवा दारु का इंतजाम नहीं कर सकता। क्या उसके द्वारा दी गयी शिक्षा राम राज्य को लायेगी या कि रावण शाही को। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है उसमें गुरुजनों के साथ हेय नौकर सरीखा बर्ताव किया जाता है यह हमारे लिये लज्जा की बात है और माननीय शिक्षा मंत्री जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि वे अध्यापकों की श्रेणी गुरुजनों में रखते हैं या नौकरों में रखते हैं। अगर माननीय मंत्री जी के मस्तिष्क में अध्यापकों का स्थान गुरुओं का होगा तो वे उनके साथ दूसरा व्यवहार करने के लिये बाध्य होंगे और अगर माननीय मंत्री जी के मस्तिष्क में अध्यापकों का स्थान नौकरों का होगा तो वे उनके साथ दूसरा ही व्यवहार करेंगे। जिस तरीक़े से कि साधारण ढंग से नौकरों के साथ व्यवहार किया जाता है मेरी समझ में वही व्यवहार माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में भी करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा कुछ ज्यादा समय न लेकर माननीय शिक्षा मंत्री से निहायत अदब के साथ अपील करना चाहता हूं कि वे अध्यापकों को धमकी न दें कि अध्यापकों को या तो निकाल दिया जायगा या दूसरे लोगों को भर्ती करके शिक्षा का काम चलाया जायगा या शिक्षा संस्थाओं को बन्द कर दिया जायगा। इस तरह का डिक्टेटोरिअल (हिटलरी) भाषण उनको नहीं करना चाहिये था। और यह अशोभनीय है कि अगर गुरु अपनी उचित मांग लेकर सरकार के सामने आये हुये हैं तो उसके लिये इस तरह की धमकी सरकार की ओर से दी जाय। माननीय शिक्षा मंत्री के मुखारविन्द से इस तरह की बात निकलना इस सदन के माननीय सदस्यों के लिये असह्य होना चाहिये। हम चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारी प्रार्थना को क़बूल करें इस विनम्र निवेदन को क़बूल करें। किसी राजनैतिक द्वेष भाव से यह मांग नहीं की जा रही है। जो अध्यापक अपनी मांग लेकर सरकार के सामने आये हुये हैं वे आपके मुखापेक्षी हो कर आये हुये हैं। आप अध्यापकों के साथ उदारता का व्यवहार करें, अध्यापकों से बातें करें उनसे मिलें, उनके प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करें और जितनी जन संस्थायें हैं उनसे विचार विमर्श करें और कोई न कोई सम्मानजनक रास्ता निकालें। कहने के लिये तो कहा जाता है कि जनता के चरणों पर जनराज्य शक्ति लौटती है लेकिन यही जनता के अंग जो अध्यापक हैं उनके साथ नौकरों के समान व्यवहार करना और इस तरह की धमकी देना, क्या इसी को जनता के चरणों पर जनराज्य के शक्ति को लौटना कहते हैं? श्रीमन्, सरकार से मैं फिर निवेदन करना चाहता कि इसको वे धमकी न समझें। अभी भी मौक़ा है, अभी भी अवसर है। अध्यापक कोई हठवादिता नहीं अख्तियार कर रहे हैं। ये अध्यापक हर तरीके से, सम्मानजनक तरीके से किसी भी समय अपनी मांग को सहूलियत के साथ निबटाना चाहते हैं, इस लड़ाई को समाप्त करना चाहते हैं। अध्यापक किसी राजनैनिक पार्टी के बहकावे में नहीं हैं। अगर माननीय मंत्री जी को ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने .....

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में बोलते समय यह उचित न होगा यदि मैं शिक्षा मंत्री के सम्मुख "कारलायल" के कुछ शब्द रखूं। कारलायल ने कहा था "Some are born great some acheive greatness and some have greatness thrust them !"

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

[कुछ बड़े पैदा होते हैं, कुछ बड़प्पन पाते हैं और कुछ पर बड़प्पन थोपा जाता है ।]

मैं माननीय शिक्षा मंत्री के ऊपर यह छोड़ता हूं कि इन तीन श्रेणियों में से जिसमें चाहें अपने आप को रखें। किन्तु, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, इस वेलफेयर स्टेट के शिक्षा मंत्री जी ने अपना नाम्न प्रख्यात कर लिया है। हर एक विद्यार्थी के मुख से, हर एक अध्यापक के मुंह से, असंख्य बेरोजगार Matric बी० ए० और एम० ए० के मुंह से माननीय शिक्षा मंत्री जी के नाम का उच्चारण गायत्री मंत्र के समान किया जा रहे हैं। किन्तु माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने नाम के जप से संतुष्ट न रह कर एक देव या दानव के समान बलि की पुकार कर रहे हैं। प्रतीत होता है कि उनकी यह बलि की पुकार भी शीघ्र संतुष्ट हो जायगी, किन्तु भय यह है कि आंध्र देश के देव या दानव से विभिन्न इस देव या दानव को संतुष्ट करने के लिये एक से अधिक बलि चढ़ानी पड़ेगी। निःसन्देह हमारे शिक्षा मंत्री जी ने अपना नाम बना लिया है। नाम या बदनाम इसका यहां पर जिकर करना या फैसला करना असंगत होगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय शिक्षा मंत्री का भाषण सुनते समय एक बात का अवश्य दुःख हुआ। माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण के दौरान में बहुत कुछ कहा किन्तु, जैसा कि राजनारायण जी ने बताया, उन्होंने इस प्रदेश की शिक्षा नीति के संबंध में कुछ नहीं कहा। सम्भवतः शिक्षा की नीति भी और विषयों की तरह माननीय शिक्षा मंत्री के विचाराधीन हो किन्तु मैं यह समझता हूं कि इस विचाराधीन शब्द का प्रयोग अधिक न करें तो अच्छा है। अपने कार्यों को कर्तव्य का रूप देने की चेष्टा करें। हालांकि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने सरकार की शिक्षा नीति यहां पर नहीं बतायी, कम से कम मैं यह नहीं मानूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी और हमारी सरकार वर्तमान शिक्षा की नीति से संतुष्ट हैं। मैं जानता हूं, और इसीलिये उनका वर्णन करना न उचित और न आवश्यक समझता हूं, कि शिक्षा की नीति की और शिक्षा विभाग की गलतियों से हमसे अधिक शिक्षा मंत्री जी इन ग़लतियों को जानते हैं, किन्तु नीति के संबंध में मतभेद की गुंजायश है। हमारी यह उम्मीद थी कि शिक्षा मंत्री महोदय हमको यहां पर मौक़ा देंगे कि हम भी अपने तुच्छ विचारों को उनके सामने नीति के संबंध में प्रस्तुत कर सकें। शिक्षा की एक ही नीति हो सकती है और वह यह है कि:

"For education is to make men, so it is now, so it was then."

[शिक्षा से मनुष्य बनता है, अब भी यही है, पहिले भी यही था ।]

मनुष्य को शिक्षा द्वारा मनुष्य बनायें। अब इसके ऊपर चर्चा करना आवश्यक नहीं। शिक्षा विभाग और विशेषकर शिक्षा विभाग के मंत्री और काम करने वाले कर्मचारी शिक्षित ही होंगे। इसका मतलब वह स्वयं लगा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने हमारे सामने कुछ आंकड़े भी रखे। मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सामने वह अधूरे आंकड़े न रखें। शिक्षा मंत्री जी हमको बताते हैं कि उन्होंने इस साल में इतने स्कूल बनाये। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हमको केवल यह न बतायें कि उन्होंने इतने स्कूल बनाये किन्तु इसके साथ साथ यह भी बतायें कि आर्थिक दुर्दशा के कारण और प्रतिज्ञा की हुई सहायता के न मिलने के कारण कितने स्कूल टूटे। माननीय शिक्षा मंत्री जी हमको केवल यह न बतायें कि इस वर्ष गत वर्ष से तुलना करके इतने अधिक विद्यार्थी परीक्षा में बैठे और सफल हुये, किन्तु इसके साथ साथ यह भी बतायें कि इन विद्यार्थियों में से कितनों ने बेरोजगारों की संख्या बढ़ाई। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह हमको केवल यही न बतलायें कि अब इस प्रदेश के लगभग हर स्कूल में केवल क्वालिफाइड टीचर्स ही पाये जायंगे बल्कि यह भी बतलायें कि उन की एकेडेमिक क्वालिफिकेशन के बावजूद भी कितने अध्यापक ऐसे हैं जो अपूर्ण वेतन पाने की लाचारी से अपने को असुरक्षित ठहराते हैं।

अध्यापकों के संबंध में क्या कहूं, बहुत कुछ कहा जा चुका है और विशेषकर जब कि सरकार ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। सब को विदित कर दिया गया है कि यह जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की है, अच्छा न्याय है सरकार का। साथ ही सबको यह भी बतला दिया गया है कि मौजूदा वेतन से भी बहुत कम वेतन पर सैकड़ों मनुष्य इन नौकरियों को भरने के लिये तैयार हैं, सरकार को इसके लिये भी बधाई। किन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि असमर्थ और कमज़ोर अध्यापकों पर दया करना चाहिये और सहानुभूति सहित उनकी मांगों की जांच कराना चाहिये। सत्याग्रह, वह शस्त्र जिसने एक विदशी सल्तनत के होशहवास ठिकाने कर दिये थे, आज दूर सिंहासन पर बैठे भाइयों की आंख खोलने के काम में न लाये जायं। सरकार आज चाहे तो करवायें बेचारे अध्यापक क्या कर सकते हैं। अब समय बहुत कम है और शिक्षा मंत्री के सम्मुख और अधिक बात रखना आवश्यक भी नहीं है, उनके दल के सदस्य हों, यहां नहीं तो कहीं और, उनको काफ़ी सुना रहे होंगे, यहां चाहे आज वह जो कुछ कहें। इतनी बात मैं अवश्य कहूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी यह न भूलें कि "a teacher affects entirely. he can never tell where his influence stops"
(एक शिक्षक का अनन्त पर प्रभाव रहता है, वह कभी नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहां समाप्त हो जायगा।) विचार करने की बात है और इस सिद्धांतवादी सरकार से मैं यह कहूंगा कि वह यह न भूले कि "when time shall have softened passion and Prejudice when reason shall have stripped the mask of mis representation, then justic holding evenly her scales, shall require much of past cnsure and present praise to change places."

[जब समय आवेश और पक्षपात को कम कर देगा और जब वास्तविक तथ्य पर पड़ा हुआ परदा विवेक द्वारा हटा दिया जायगा, तब न्याय जिसका कि पलड़ा सर्वदा बराबर रहता है, वर्तमान स्थितियों को समयानुकूल परिवर्तित कर देगा।]

श्री जगदीश प्रसाद (ज़िला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को इस बजट पर बधाई देता हूं। यह मैं केवल शिष्टाचार के नाते नहीं कहता परन्तु मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष जब इस महत्वपूर्ण विषय का भार हमारे सम्पूर्णानन्द जैसे प्रकांड पंडित से श्री हरगोविन्द सिंह जी को दिया गया था तो हमारा विचार हुआ था कि यह किस तरह से चलेगा किन्तु जिस कौशल और योग्यता से उन्होंने इसका नेतृत्व किया है उसके लिये वह वास्तव में बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा की रिपोर्ट को पढ़ कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज की अवस्था में शिक्षा में जो प्रगति हो सकती थी वह इसमें की गयी है। उसके संबंध में मुझे अधिक नहीं कहना है। मुझे तो आप के द्वारा अध्यक्ष महोदय, उन के सम्मुख यह रखना है कि इस समय जो शिक्षा की प्रणाली प्रचलित है और यह निर्विवाद है कि वह हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती। आज इन संस्थाओं से जो युवक और युवतियां शिक्षा लेकर निकलती हैं वह देश के लिये किसी प्रकार से उपयोगी सिद्ध नहीं होतीं। शिक्षा पाने के पश्चात् हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर, देश के ऊपर एक भार स्वरूप होती हैं। उन्हें चारों तरफ सर्विस की तलाश रहती है। इसके लिये आज जो वातावरण हैं वह अनुकूल है, हमारे राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, पं० जवाहर लाल नेहरू, हमारे राज्यपाल श्री के० एम० मुंशी, डा० पट्टाभि सीतरमैया ने स्पष्टरूप से कहा है। इसमें अगर मैं एक दो बयान आप के उद्धृत करूं तो असंगत न होगा। हमारे राज्यपाल ने आगरा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर कहा था—

"Let me tell you this frankly. The vast human material represented by our young friends, whom I see before me, have not been prepared for the strenuous work and determined leadership which Free India demands from everyone of her educated sons and daughters.',

[मैं आप को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। यह जो विस्तृत मानव समुदाय हमारे युवक मित्रों के रूप में मेरे समक्ष हैं। वह कठिन कार्य और दृढ़ नेतृत्व के लिये उद्यत ही नहीं है स्वतंत्र भारत जिन चीजों की अपने शिक्षित लड़कों या लड़कियों से आशा करता है।]

[श्री जगदीश प्रसाद]

फिर उन्होंने कहा है—

"Naturally, education has been a failure. It gives no mental discipline, steadfast character or stern selfrestraint; and gives neither the will nor the technique to work."

[स्वाभाविक रूप से शिक्षा विफल रही है। इससे मानसिक अनुशासन, दृढ़ चरित्र या दृढ़ संयम प्राप्त नहीं होता और यह कार्य के लिये प्रोत्साहन एवं दक्षता प्रदान नहीं करती।]

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल इससे अधिक और क्या कह सकते थे। इसके पश्चात् मैं एक बयान आप के सामने और रखूंगा जो हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह पर रखा था।

श्री अध्यक्ष—यदि आप अंग्रजी में पढ़ते हैं तो हिन्दी में उसका खुलासा कह देना पड़ेगा, वरना अंग्रेजी में पढ़ने का कोई उपयोग नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद—आगे हिन्दी में पढ़ूंगा। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था "वर्तमान शिक्षा पद्धति केवल क्लर्क तथा दफ्तर के बाबू ही तैयार करने में समर्थ हैं। इसमें चरित्र निर्माण के लिये कोई स्थान नहीं है और न ही चरित्र निर्माण का कोई महत्व समझा जाता है।"

उन्होंने आगे चल कर कहा—

"जब तक इस पद्धति में मौलिक परिवर्तन नहीं किया जायेगा, ये संस्थायें केवल ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाने में ही सफल रहेंगी जो वास्तव में अयोग्य होंगे और उसके साथ ही अपने जीवन से, समाज और सरकार से असन्तुष्ट भी रहेंगे।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह कहने जा रहा था कि जो शिक्षा पद्धति इस समय हमारे सामने है और जिसको हमारे शिक्षा मंत्री, हमारी सरकार, सब अनुभव करते हैं कि यह हमारी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती उस में सुधार से काम नहीं चलेगा। सरकार ने अपनी कमेटियां बना दी हैं, उनकी रिपोर्टें भी आ रही हैं लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। उसमें मौलिक परिवर्तन से काम चलेगा। मुझे इससे हर्ष है कि जो प्रतिवेदन हमारे सामने रखा गया है, उसमें जो शिक्षा की प्रगति दिखाई गई है उसके आमुख में स्वयं मंत्री जी ने माना है कि मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। उस मौलिक परिवर्तन के सम्बन्ध में कुछ वाक्य पं० जवाहरलाल नेहरू के भी उद्धृत करूंगा कि उससे उपयुक्त मौलिक परिवर्तन हमारे सामने क्या हो सकता है। उन्होंने सेवा ग्राम में तालीमी संघ का उद्घाटन करते हुये कहा था कि उन्हें इस बात में लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि बुनियादी तालीम देश की अशिक्षा और बेकारी को दूर करने के लिये ठीक दिशा में एक उचित प्रयत्न है। उन्होंने आगे कहा था कि—

"मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम अपने आर्थिक साधनों पर ही शिक्षा के विकास के लिये अवलम्बित रहेंगे तब इसके लिये हमें कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। यह एक शुभ सूचना है कि बुनियादी तालीम बिना अधिक व्यय के शिक्षा प्रसार की दिशा में एक नया मार्ग बतला रही है।"

मुझे इससे भी हर्ष हुआ अध्यक्ष महोदय, कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो रिपोर्ट हमारे सामने दी है उसमें भी उन्होंने इसकी तरफ इंगित किया है। उन्होंने यह कहा है, "इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये यह निश्चय किया गया कि शिक्षार्थियों को श्रम करने के अवसर उपलब्ध कराये जायं जिस में कि वे किसी अंश तक अपने व्यय का भार वहन करने में सहायक हों और दूसरी ओर उनकी विधायक शक्तियां उत्पादन कार्य में लगें।" परन्तु यह पर्याप्त न होगा। उस में आमूल परिवर्तन करना होगा और इस वक्त यह जो आप करने जा रहे हैं इसका तो यह अर्थ है कि हमारे विद्यार्थियों की थोड़ी सी झिझक चली जाय और उसमें आमूल परिवर्तन नहीं हो सकता।

नयी तालीम के विषय में धीरेन्द्र भाई जी, अखिल भारतीय चरखा संघ के अध्यक्ष ने लिखा है कि "इस शिक्षा पद्धति में उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा ही प्रत्येक विषय की जानकारी होती है, यानी इसमें उन्होंने शिक्षा का माध्यम ही शरीर श्रम द्वारा उत्पादन कार्य बना दिया है। इस पद्धति में अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये श्रम करते हुये मनुष्य की सारी बौद्धिक शिक्षा पूरी होती है। इसीलिये उसका नाम बुनियादी तालीम रखा गया है, क्योंकि इस पद्धति में जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की चेष्टा में मनुष्य को अपने स्वाभाविक कार्यों के लिये समयानुकूल शिक्षा मिलती है।" अध्यक्ष महोदय, मैं यह केवल वाक्यों के लिये नहीं कह रहा हूं। मेरा यह विश्वास है कि जिस तरह से आप बुनियादी तालीम देना चाहते हैं वह किसी प्रकार सफल नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप को यह तय करना पड़े कि हम को यह शिक्षा पद्धति उठानी होगी। उसके कुछ मौलिक कारण हैं। उसका कारण यह है कि बुनियादी तालीम का उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थियों को जीवन की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा आवश्यक शिक्षा दी जाय। उसका परिणाम यह होगा कि विद्यार्थी के जीवन, यापन में और सरकार को उन संस्थाओं के चलाने में कुछ आर्थिक सहायता होगी। उसका मस्तिष्क बिलकुल उसी तरफ लगा रहेगा जब कि अगर आपने यही शिक्षा प्रणाली रखी तो उसका मस्तिष्क परीक्षा की तरफ ही लगा रहेगा। और थोड़े दिनों में आप को परेशानी महसूस होगी कि हमें इस संस्था को चलाने में कठिनाई हो रही है, इसलिये हम इस पद्धति को नहीं चला सकते। गांधी जी ने जिस समय हमारे सामने बुनियादी तालीम को रखा, तो उसके अन्दर एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। गांधी जी तीन प्रकार की क्रान्तियां देश के अन्दर करना चाहते थे। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। राजनीतिक क्रान्ति में अंग्रेजों से देश को लेना और विकेन्द्रीकरण था। आर्थिक क्रांति में उद्योग का विकेन्द्रीकरण और सामाजिक क्रान्ति में वह चाहते थे कि प्रक्रियावादी शक्तियों से समाज को ले लें। वह एक चीज पूरी कर गये। राजनीतिक क्रान्ति, अंग्रेजों से देश को छुड़ा कर पूरी कर गये। शेष क्रांति नई तालीम द्वारा ही आ सकती है।

अब समय नहीं रह गया है। मैं एक मिनट में बतला दूं कि मौजूदा तालीम और गांधी जी की बुनियादी तालीम में क्या अन्तर है। हमारे राष्ट्रपति ने अपने व्याख्यान में कहा है कि लगभग ३१ लाख ऐसी संख्या है जो यूनिवर्सिटी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में विद्यार्थी एक साल में पढ़ते हैं। वह ३१ लाख की संख्या जो हर समय अपने सूट और टाई को देखते हैं, स्टेशन पर एक छोटा सा हैंडबेग लेकर जाते हैं और उसके लिये कुली कुली चिल्लाया करते हैं, अगर बुनियादी तालीम दी जायगी तो उनको अपना सामान उठाने के लिये दूसरों की आवश्यकता नहीं होगी, अपने ऊपर निर्भर रहेंगे। आप को यह बतलायेंगे कि हम अपना कपड़ा आप को देंगे, इतने सूत आप को देंगे, इतने जूते हम निर्माण करेंगे आदि, आप की दोनों समस्यायें हल हो जायंगी।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के दो माननीय सदस्यों श्री राजनारायण सिंह, और श्री बालेन्दु शाह के भाषण मैंने सुने। विरोधी दल के भाषणों में चाहे अनपार्लियामेंटरी लैंगुएज न रही हो, लेकिन शिष्टाचार से शून्य जो शब्द आये हैं उससे शिक्षा की जो मांग इस बजट में मांगी गयी है उसमें कोई सहायता नहीं मिली। माननीय सदस्य अच्छी तरह समझते हैं कि विरोधी दल के भाषण में भी एक व्यवस्था होती है। उससे भी लाभ होता है। केवल उखड़े उखड़े शब्दों में विरोध करने से, नाराजगी प्रगट करने से न तो उसमें कुछ उन्नति हो पाती है और न सदन के बाहर लाभ हो पाता है। वास्तव में शिक्षा के संबंध में शिक्षा क्या होनी चाहिये, दोनों भाषणों में दो बातें आयीं। एक सत्यं शिवं सुन्दरम् की अनिश्चित कल्पना की बात कही गयी कि शिक्षा का क्रम सत्यं शिवं सुन्दरम् होता है। माननीय सदस्य यह नहीं समझते कि इसका निश्चित रूप क्या होगा। जब उसका निश्चितरूप सामने आये तो शिक्षा का क्रम उससे पूरा होगा। लेकिन सत्यं शिवं सुन्दरम् कहने से कोई उद्देश्य, कोई मुख्य रूप सामने आता नहीं। दूसरे माननीय सदस्यों ने

[श्री पद्मनाथ सिंह]

कहा कि एजूकेशन इज फार मेकिंग मैन। मैं उनके शब्दों को वैसे ही उद्धृत नहीं कर रहा हूं लेकिन उनका मतलब था कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य बनाने का होता है। शिक्षा का उद्देश्य अगर मनुष्य बनाना नहीं होता तो क्या राक्षस बनाने के लिये शिक्षा दी जाती है। इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। उनकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आया कि शिक्षा का रूप यह होना चाहिये। केवल उखड़े उखड़े शब्दों से जो बातें कही गयी हैं उससे न उनका सम्मान बढ़ता है न सदन का सम्मान बढ़ता है। जो शिक्षा का क्रम है वह कई पुस्तकों में प्रकाशित है। एक वर्ष के अन्तर्गत सदन के माननीय सदस्यों में और बाहर भी यह भलीभांति देखा गया है कि माडर्न शिक्षा प्रणाली और यूनीवर्सिटी प्रणाली में एक ऐसी व्यवस्था आई है जिससे श्रम और उत्पादन की ओर शिक्षा में ध्यान दिया जाने लगा है। यूनीवर्सिटी और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों ने एक ही काम किया है और वह यह है कि एजीटेशन किसी न किसी रूप में करें और समाज में एक अव्यवस्था चलती रहे आज जो सत्याग्रह चल रहा है यदि वह इस दिशा में चलता जिससे देश का उत्पादन बढ़ता तो उसका स्वागत किया जाता। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि शिक्षक अपनी तनख्वाह का तकाजा करते हैं। अगर उनसे उनके कार्य का तकाजा करना आरम्भ कर दिया जाय कि प्रारम्भिक शिक्षा देने वाले टीचर इतना परिणाम दिखलायें तो न जाने उनकी क्या दुर्दशा होती या विरोधी पक्ष की क्या हालत होती, नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहां वह काम करते हैं, जिन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उनके अभिभावक आज अध्यापकों से कुछ नहीं कह सकते। यदि यह हो जाय कि अध्यापक इस समय से इस समय तक काम करें और अपने कार्य से अभिभावकों को संतुष्ट करें तो यह भी बात मानने के लायक है कि अभिभावक एजूकेशन देने वाले अध्यापकों से तकाजा करें और यह देखा जाय कि अभिभावक उनसे संतुष्ट हैं या नहीं। मैं उनको दोष नहीं देता हूं बल्कि मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि जिसका काम किया जाता है वह संतुष्ट है या नहीं और जो काम करता है वह संतुष्ट है या नहीं।

यदि आज शिक्षक इस बात का आंदोलन करते कि शिक्षा प्रणाली में यह होना चाहिये, वह होना चाहिये और इन चीजों की आवश्यकता है तो गालिबन वह अपनी तनख्वाह के लिये अच्छा आंदोलन कर सकते थे और लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। लेकिन वह केवल अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है और यह बिलकुल दुनियादारी की बात की जा रही है। देश की नाजुक परिस्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और ध्यान दिया जाता है केवल ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिलने की बात पर और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलने की बात पर और मुकाबला किया जाता है कि फलां को इतनी तनख्वाह मिलती है।

माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि यदि शिक्षा मंत्री क्रमशः तनख्वाह की छुट्टी कर दें तो हम भी छुट्टी कर देंगे। अच्छा हुआ होता यदि उनकी ओर से जिनकी ओर से वह बोलने का दम भरते हैं, वह पहले छोड़ देते और बाद को देखते कि दूसरे लोग करते हैं या नहीं; मुझे तो विश्वास है कि कांग्रेसी सदस्य बलिदान और त्याग में देश के उत्थान और निर्माण के लिये किसी से पीछे नहीं रहेंगे। यह अजीब सा लगता है कि नेतृत्व तो करने वह चलते हैं और त्याग के लिये वह कांग्रेस वालों के लिये लालायित रहते हैं। यह बात तो अच्छी नहीं होती है।

माननीय राजाराम शास्त्री ने प्रेस को एक वक्तव्य दिया था और कहा था कि ४९-५० की कमेटी की रिपोर्ट मैनडेटरी है। उनसे यह भी आशा की जाती थी कि उसके बाद जो गवर्नमेंट का दूसरा सरक्यूलर निकला था और उसमें कहा गया था कि यह रिपोर्ट मैनडेटरी नहीं है तो उसको भी वह एक सभ्य और भलेमानुस की तरह से व्यक्त करते। जो आज भ्रम पैदा होता है। किसी माननीय समस्य को या माननीय मंत्री जी को यह एक पोलिटिकल गेम है तो इसमें उनका दोष मालूम नहीं होता है, कोई बात गलत नहीं मालूम होती है। ऐसी परिस्थिति

में यह आन्दोलन हो रहा है कि मैं समझता हूं कि यह केवल देश के विरोध में हो रहा है और यह केवल प्रतिक्रियावादी आंदोलन है। ऐसे समय में जब देश के निर्माण की बात है, ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक को अपनी पूरी शक्ति से दिन रात अथक परिश्रम करके खाने पीने की परवाह न करके देश के उत्पादन को बढ़ाना है। तो फिर तनख्वाह बढ़ाने की बात कहां तक लाभदायक है। एक तरफ तो कहते हैं कि टैक्स न लगाओ, दूसरी कोई बात कहीं न करो लेकिन तनख्वाह बढ़ाओ। तो यह तो एक भूल है, प्रतिक्रिया है, देश को गड्ढे में झोंकना है। यह कोई प्रगतिशील बात नहीं है। यह कोई देश को आगे ले जाने वाली बात नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जिनके साथ अब तक सबकी सहानुभूति है, जो अध्यापक अब तक हमारे सब के गुरू रहे हैं वह ऐसा करके उनके साथ जो सबकी हमदर्दी है उसे खो रहे हैं, एक गलत काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय जब शिक्षा के क्रम पर विचार होता है तो निश्चय ही आज जैसा हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा की नीति पर कोई बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण होना चाहिये था। असल में जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसमें बहुत कुछ दे दिया गया है लेकिन विरोधी पक्ष की तरफ से भी सुझाव आना चाहिये था।

मुझे एक बात कहनी है कि यह जो आन्दोलन चल रहा है, प्राइमरी शिक्षकों का वह आन्दोलन चाहे गलत हो चाहे सही हो लेकिन तनख्वाह का एक प्रश्न सामने रखा गया है। हमारे देश में सैलरी का, तनख्वाह का प्रश्न इतना अनआर्गेनाइज्ड है कि आज एक ही कैडर के लोग सेक्रेटेरिएट में कुछ तनख्वाहें पाते हैं, हाई कोर्ट में दूसरी पाते हैं और शिक्षा संस्थाओं में तीसरी पाते हैं। हाई स्कूल पास २०० पाता है तो एम० ए० पास १५० पाता है। तो अच्छा यह होगा मैं समझता हूं कि कोई ऐसा स्टेप गवर्नमेंट ले कि यह तनख्वाह, सैलरी आर्गेनाइज्ड हो जाय और साथ ही साथ सरकार एक और भी स्टेप ले कि जो बड़ी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं वह भी देश के निर्माण के काम में अपना योग दें। एक हजार रुपया या उससे ज्यादा पाने वाले जो हैं चाहे उनकी संख्या बहुत कम ही हो लेकिन फिर भी उससे कुछ न कुछ तो बच ही सकता है। वह भी अवश्य किया जाय कि उनकी तनख्वाह कम की जाय।

यह भी कहा गया कि एजुकेशन के सिस्टम के संबंध में भी एक निश्चित रूपरेखा सामने उपस्थित होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि उपस्थित है। युनिवर्सिटी एजुकेशन की जो बातें कही गईं और श्रम के संबंध की जो बातें कही गईं और इसी तरह की दूसरी बातें देश को आगे बढ़ा सकेंगी और बढ़ायेंगी।

हज कमेटी के लिये एक सदस्य के निर्वाचन की घोषणा

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं कि हज समिति के लिये जो रिक्त स्थान थे उसमें तीन सज्जनों का नाम आया है।

१---हकीम हबीबुर्रहमान

२---हकीम बशीर अहमद

३---श्री मंजूरुल नबी साहब

इसमें दो सज्जनों ने अपना नाम वापस ले लिया श्री हकीम हबीबुर्रहमान और हकीम बशीर अहमद ने। श्री मंजूरुल नबी साहब इस हज कमेटी के सदस्य चुन लिये गये।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १९-लेखा शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग तथा ३७-शिक्षा (क्रमागत)

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी की जाय का प्रस्ताव पेश करता हूं। इसका उद्देश्य है वाद-विवाद करना।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप को प्रस्ताव पेश करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमान्, शिक्षा सम्बन्धी अनुदान में करीब साढ़े ८ करोड़ के खर्चा दिखाया गया है। इसमें करीब करीब आधा रुपया प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च होगा माध्यमिक शिक्षा के ऊपर लगभग १ करोड़ १६ लाख है। विश्वविद्यालय के ऊपर सरकारी और गैर सरकारी कालेजों के ऊपर कुल मिलाकर ७६ लाख २४ हजार रुपया दिखाया गया है। श्रीमान् जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है, मैं निवेदन करूंगा कि उनकी स्थिति पर विचार करना आवश्यक है। प्रथम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, उनके पास आ गयी है और पांच छै दिन से वे उसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रथम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र ही सदन के सदस्यों के सामने रख दी जायगी। जहां तक प्रयाग विश्वविद्यालय का संबंध है, मैं निवेदन करूंगा कि उसको १ लाख रुपया और दिया गया है। १३ लाख रुपये की ग्रांट है और उसके अतिरिक्त १ लाख रुपया और दिया गया है। प्रयाग विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति काफी शोचनीय है। उसके ऊपर २० लाख रुपये से ज्यादा कर्जा हो गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह भी बतायें कि किस प्रकार से वे प्रयाग विश्वविद्यालय की मदद करेंगे यह तो नहीं हो सकता है कि विश्वविद्यालय को ऐसे आर्थिक संकट में छोड़ दिया जाय। मेरा अपना विचार है कि प्रयाग विश्वविद्यालय को जितना दिया जाता है, वह कम है। अगर उस को देखा जाय जब कि विश्वविद्यालय में केवल १६ सौ या १८ सौ विद्यार्थी थे, तो करीब करीब उतना ही दिया जा रहा है जब कि आज विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या छः हजार से ज्यादा बढ़ गयी है। ऐसी स्थिति में यह सोचना पड़ेगा कि चाहे वह प्रयाग का विश्वविद्यालय हो या और कोई विश्वविद्यालय हो, उसको किस तरह से उचित रीति से सहायता दी जाय। यह भी मानना पड़ेगा और सदन यह स्वीकार करेगा कि विश्वविद्यालयों को ऐसी दशा में हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वह वैसी ही जरूरी है जैसी कि प्रारम्भिक शिक्षा या सेकेंडरी स्कूलों की शिक्षा।

आज हम विश्वविद्यालयों से आशा करते हैं कि वहां से योग्य विद्यार्थी निकलेंगे जो हमारे राष्ट्रीय और विकास के कार्य में भाग लेंगे तो आवश्यक यह हो जाता है कि हम विश्वविद्यालयों को सुचारुरूप से चलायें और उनको आर्थिक संकट से बचायें। इसी संबंध में मैं विश्वविद्यालय के एटोनामी के प्रश्न पर भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जहांतक एटोनामी का संबंध है मैंने पहले निवेदन किया था कि सरकार को यह अधिकार है कि अगर विश्वविद्यालयों की व्यवस्था गड़बड़ हो तो वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उसमें हस्तक्षेप करें और उसको ठीक करें लेकिन श्रीमन् मेरा निवेदन है और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक सीमा रखी जाय और उस सीमा से आगे सरकार न बढ़े, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता भी एक विशेष स्थान रखती है और अगर उस स्वतंत्रता को तोड़ा गया या उसमें हस्तक्षेप किया गया तो उससे भी काफी नुकसान हो सकता है। आज यह भ्रम हो रहा है और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस भ्रम को

दूर करें कि कुछ लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों को भी जैसे कि और सरकारी मुहकमे चलाये जाते हैं उसी प्रकार से चलाया जाय। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि विश्वविद्यालयों की स्थिति भी उसी प्रकार से करदी जाय लेकिन भ्रम लोगों में है और उनका यह विचार है कि अगर हस्तक्षेप की सीमा और बढ़ा दी जाय या अगर बढ़ाने का विचार हो तो हस्तक्षेप उस सीमा तक पहुंचेगा कि जिससे यूनिवर्सिटीज की स्वतंत्रता में गड़बड़ी मचे। मेरा निवेदन है कि सरकार कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि यूनिवर्सिटीज के स्वतंत्र वातावरण में कोई इस प्रकार की बात आये। यूनिवर्सिटीज को अधिकार होना चाहिये कि जहां तक उनके कोर्स का संबंध है, जहां तक उनके शिक्षकों और प्रोफेसरों की नियुक्ति का संबंध है और जहां तक उनके रुपये खर्च करने का संबंध है उसमें उनको पूरी स्वतंत्रता हो। यह स्वतंत्रता आवश्यक है क्योंकि इस स्वतंत्रता से विश्वविद्यालयों का वातावरण स्वतंत्र रहेगा जिससे कि हमारे नवयुवक अच्छी तरह से अपनी बुद्धि और मन का विकास कर सकें। तो मैं यह निवेदन करूंगा हालांकि अभी दुर्भाग्यवश यह प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी सरकार इस जनता के भ्रम को दूर करेगी। दूसरा प्रश्न जो मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं वह टेक्निकल स्कूलों के संबंध में है। आज टेक्निकल स्कूल इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अन्तर्गत हैं। सरकार साढ़े आठ करोड़ इस शिक्षा पर खर्च कर रही है लेकिन जहां तक कि टेक्निकल स्कूलों का संबंध है वह शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

यह काफी गम्भीर विषय है। जहां तक मुझे पता लगा है, इस संबंध में कई साल पहले एक रिपोर्ट भी सरकार के सामने आई। केन्द्रीय सरकार के सेंट्रल एडवाइजरी कमीशन ने यहां हमारे प्रान्त में बृटिश मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन के दो एक्सपर्टस एबट और वुड भेजे थे और मेरा अनुमान है कि सन् ३६ में या उसके लगभग उनकी रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जहां तक टेक्निकल एजूकेशन का सवाल है उसको शिक्षा विभाग के साथ ही रहनी चाहिये। आज हमारे सामने बड़ी समस्या यह हो रही है कि जिस ढंग से विद्यार्थी निकल रहे हैं अगर उसी पर उनको छोड़ दिया जाय तो हमारे यहां के पढ़े लिखे हाई स्कूल पास विद्यार्थी जब निकलेंगे तो वह केवल मुहर्रिरी करने ही लायक होंगे और उसके अतिरिक्त उनमें और योग्यता नहीं होगी। यह आवश्यक हो जाता है कि उनको प्रारम्भिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ टेक्निकल शिक्षा भी दी जाय। मेरा अपना विचार है कि अगर कुछ हिस्सा टेक्निकल शिक्षा का शुरू ही में रख दिया जायगा तो वह उचित होगा और इस संबंध में काफी विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारी सरकार के सामने जहां विश्वविद्यालय का संबंध है, यूयम इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। माध्यमिक शिक्षा के बारे में आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट की जांच चल रही है और कुछ काल के बाद उनकी भी रिपोर्ट आ जावेगी। मैं यह जरूरी समझता हूं कि जहां तक प्रारम्भिक शिक्षा का सवाल है इसके लिये भी इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त की जाय। कुछ साल पूर्व यह शिक्षा केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा ही होती थी लेकिन ५,६ बरस पहले सरकार की ओर से भी जिलों में स्कूल कायम किये गये और कुछ दिनों तक वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के साथ-साथ चले। लेकिन पिछले चुनाव के कुछ समय पूर्व वह स्कीम बन्द कर दी गई और सारी शिक्षा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन कर दी गई। जिससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर काफी भार हो गया है और इस संबंध में देखने की जरूरत है कि कहां तक यह शिक्षा ठीक चल रही है।

श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)——उपाध्यक्ष महोदय, एक राज्य को चलाने के लिये ७ प्रमुख अंग होते हैं। उनमें कोष को बहुत महत्व दिया गया है। यदि राज्य के शेष ६ अंग दृढ़ भी हों और यदि राज्य का कोष निर्बल हो जाय तो वह राज्य चल नहीं सकता है। इस दृष्टि से बजट को बड़ा भारी महत्व प्राप्त हो रहा है और यह ठीक ही है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक बार उदयपुर राज्य के पानी महल में गया था। वहां मैंने एक चित्र देखा। उस चित्र में यह खूबी थी कि सामने से देखें तो सिंह का चित्र प्रतीत होता

[श्री नरदेव शास्त्री]

था, दाहिनी ओर से देखें तो उष्ट्र अर्थात् ऊंट का चित्र प्रतीत होता था और बाईं ओर देखने से व्याघ्र अर्थात् शेर का चित्र दिखाई पड़ता था। ऐसा कुशल चित्रकार था वह जिसने उस चित्र को बनाया कि एक ही चित्र को तीन स्थान बदलने से तीन प्रकार का दिखाई पड़ता था। उसका कारण यह है कि "स्थान भेदात् दृष्टि भेद" अर्थात् स्थान के बदलने से दृष्टि का भेद हो जाता है। इसी प्रकार यह बजट जो हमारे सम्मुख आया है उसका स्थान भेद की वजह से नाना प्रकार का दिखलाई देने लगता है। हमारे सामने बैठे हुये भाइयों को और प्रकार का मालूम होता है, इधर के बैठे हुये भाइयों को और प्रकार का मालूम होता है और बाहर के बैठे हुये लोगों को जिनके सामने केवल समाचार पत्र होता है उनको और प्रकार का मालूम होता है, इसलिये बजट नाना प्रकार के स्थान पर नाना प्रकार का प्रतीत होता है। कोई वस्तु सर्वथा गुणयुक्त अथवा सर्वथा दोषयुक्त नहीं हुआ करती। गदहे में भी गुण होते हैं और सूर्य में भी दाग होते हैं यह सिद्ध हो चुका है। इसलिये इस दृष्टि से यह मानकर चलना चाहिये कि जो बजट आया है वह सर्वथा वेदवाक्य है और उसमें कामा और फुलस्टाप भी नहीं बदलने योग्य है और न हमारे सामने बैठे हुये भाइयों की तरह जिन्हें केवल दोष ही दोष दिखाई दे ऐसा नहीं होना चाहिये। इस बजट में बहुत सी त्रुटियां भी हैं, बहुत से दोष भी हैं और बहुत से गुण भी हैं। मैंने गत दो तीन दिनों में बजट की दो तीन बड़ी-बड़ी पोथियों को उलटा है और मुझे आश्चर्य हुआ कि खेती संबंधी बहस होती है, इंजीनियरिंग पर बहस होती है नाना विषयों पर नाना प्रकार की बहसें होती हैं लेकिन संस्कृत के विषय में कहने वालों में से एक भी व्यक्ति ने, न इधर के और न उधर के, कुछ नहीं कहा। मैंने देखा कि संस्कृत की उन्नति के लिये केवल संस्कृत कालेज बनारस को ८० हजार रुपये की ग्रांट देने के लिये लिखा गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें एक भी शब्द नहीं है कि संस्कृत की उन्नति के लिये सरकार ने क्या किया है। हमारे शिक्षा मंत्री जी को यह मालूम होना चाहिये कि हमारे सूबे में संस्कृत के लगभग १२ सौ विद्यालय हैं और इन विद्यालयों की आजकल सरकार की अनवधानता के कारण वह दुर्दशा हो रही है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके विषय बढ़ा दिये गये हैं, अध्यापकों को बढ़ाने के लिये सख्ती हो रही है लेकिन फंड के लिये कोई इंतिजाम नहीं किया गया है। जमींदारी उन्मूलन हुआ, वह तो ठीक हुआ लेकिन जमींदारों के बारे में यह अवश्य था कि वे पाठशालायें खोलते थे, विद्यालय खोलते थे और उनकी ओर से सैकड़ों अन्न सत्र चलते थे। केवल बनारस में ही २३ हजार विद्यार्थी इन सत्रों के कारण पलते थे जिनको एक वक्त भोजन वहां मिलता था और दूसरे वक्त दो पैसे, या कोई चना दे देता था या कोई कुछ दे देता था और इस प्रकार २३ हजार विद्यार्थी भिन्न-भिन्न विषयों का अध्ययन वहां पर रहकर किया करते थे। लेकिन अब संस्कृत की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई है यह ठीक है लेकिन उसकी पृष्ठ पर जब तक संस्कृत का वरदहस्त नहीं रहेगा तब तक वह राष्ट्रभाषा के रूप में भी नहीं चल सकती। संस्कृत हिन्दी के लिये अक्षय भंडार है। अभी एक पत्रिका संस्कृत की निकलती है "संस्कृत विज्ञान प्रचारकम्" उसने एक लेख लिखा था कि विधान सभा में नरदेव शास्त्री हैं, सीताराम शुक्ल है, और बहुत से शास्त्री लोग हैं लेकिन कोई भी संस्कृत के विषय में कुछ नहीं करते। लेकिन हम कर क्या सकते हैं। यहां तो संस्कृत के लिये केवल ८० हजार रुपये रखे गये हैं। आठ और नौ करोड़ के शिक्षा के बजट में केवल ८० हजार एक संस्कृत कालेज की उन्नति के लिये दिया गया है और इसके सिवा और एक पाई भी नहीं है। यह तो हमारी संस्कृति की दशा है, संस्कृत की बहुत ही बुरी दशा है। हमें मालूम होता है कि जो संस्कृत अनन्त काल की परम्परा से हमारी और हमारे भारतवर्ष की रक्षा करती चली आ रही है, जिसने हमारी रक्षा की है वह बिल्कुल नष्ट हो जायगी। ऐसी हमें चिन्ता होने लगती है। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वह इस ओर अपना ध्यान दें।

दूसरी बात यह है कि अभी थोड़े ही मास हुये जब कि बनारस में एक संस्कृत विश्व परिषद् हुई थी। इस परिषद् में यह बात आई थी कि शीघ्र ही बनारस में एक संस्कृत के विश्व-

विद्यालय की स्थापना होगी। बनारस वाले क्या बात करते हैं और लखनऊ वाले क्या बात करते हैं। हमें देखना तो यह है कि हमारे यह विश्वविद्यालय कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमें आज संस्कृत की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। लेकिन यह स्पष्ट है कि यदि ८-१० विश्वविद्यालय और भाषाओं के खुल जायेंगे तो संस्कृत का भी उद्धार होगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज इतने व्याख्यान खेती-बाड़ी वगैरा पर देते हैं और संस्कृत जिसके सहारे हमारी संस्कृति विद्यमान है, हमारे वेद शास्त्रों की परम्परा विद्यमान है और हमारे धर्म की परम्परा विद्यमान है, हमारे भारतवर्ष का नाम उज्वल है और हमारी जाति बची हुई है, उसकी तरफ हमारी सरकार की यह हालत देख कर हमें बड़ा आश्चर्य होता है......

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—वह रुपया इसी विश्वविद्यालय के लिये है।

श्री नरदेव शास्त्री—यह रुपया तो बहुत ही थोड़ा है। और फिर विचित्र बात तो यह है कि मैं तो इससे आश्चर्य में पड़ा रह गया कि संस्कृत की इतनी बड़ी परिषद् हुई और उसका सभापति कोई महामहोपाध्याय या कोई संस्कृत का महान् विद्वान् न होकर एक ऐसा व्यक्ति सभापति हो गया जिसको संस्कृत का ज्ञान भी नहीं है। यह संस्कृत के पंडितों की अवहेलना नहीं है तो क्या है। फिनलैण्ड से एक अंग्रेजी का विद्वान आया था उसने १५ मिनट तक बराबर संस्कृत में व्याख्यान दिया और बाकी सब हिन्दी में बोले। मैं समझता हूं कि संस्कृत के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है मैं समझता हूं कि हमारी पंचवर्षीय योजना से भी ज्यादा इसका महत्व है।

हमारे स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयों में यहां लड़कों को साक्षर बनाने का प्रयत्न किया जाता है सही। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी की इस बात को मानता हूं। आज हमारे यहां माध्यमिक शिक्षा और न जाने क्या-क्या नाम हैं जिनके लेने में कठिनाई होती है। इन स्कूलों से जो आज विद्यार्थी निकलते हैं वह साक्षर होकर निकलते हैं। अगर साक्षर को उल्टा कर दिया जाय तो राक्षस बनता है। अगर यह राक्षस बन कर निकलेंगे तो कांग्रेस की जड़ पर ही कुठाराघात करेंगे और उस दशा में इधर-उधर के मेम्बरों का यहां बैठना मुश्किल हो जायगा। जिनमें धर्म नहीं, नीति नहीं वह क्या करेंगे।

माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर दें कि क्या गीता स्कूलों में पढ़ाई जा सकती है। बम्बई में एक विद्यालय में ऐसा हुआ कि इंसपेक्टर ने शिकायत की कि इस स्कूल में गीता पढ़ाई जाती है, इसकी ग्रांट बन्द कर दी जाय। हम गीता नहीं पढ़ा सकते हैं, ऊंचे तत्त्व की बातें नहीं पढ़ा सकते है तो मैं नहीं समझता कि फिर हम इनको राक्षस बना कर क्या करेंगे। इसलिये अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृत की तरफ आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का जहां तक मैं उद्देश्य समझा हूं वह यह है कि एक विद्यार्थी अपने राइट को ठीक तरह से समझ सके, वह अच्छा नागरिक बन सके, वह गृहस्थी का काम धन्धा अच्छी तरह से चला सके और अपनी जिन्दगी के साधनों को मुहय्या कर सके। और अपने समाज के लिये कल्याणकारी हो सके। लेकिन इस कल्याणकारी राज्य में विद्यार्थी इतने निकम्मे होते चले जा रहे हैं और पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना लो होता चला जा रहा है कि वह अपनी रोजी के लिये कुछ काम नहीं कर सकते। स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है वह पढ़ाई ऐसी हो रही है कि जो विद्यार्थी पढ़ लिख कर निकलते हैं, उन्हें जो प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है वह सब व्यर्थ चला जाता है। रोजाना विषय बदलते रहते हैं और उन विषयों के बदलने से मां-बाप का रुपया भी अधिक खर्च होता है। विषय अधिक होने से विद्यार्थी पर बोझा इतना अधिक पड़ जाता है कि वह स्कूल तक जाने से थक जाता है और

[श्री हरिप्रसाद]

कुछ सम लेने के बाद मास्टर साहब भी उन्हें क्या पढ़ाते हैं यह देखने की वस्तु है। बाबू सम्पूर्णानन्द के समय में जो पाठशालायें देहातों में खोली गई थीं तो कहीं लड़के नहीं हैं और कहीं मास्टर नहीं हैं। अगर कहीं अध्यापक और लड़के दोनों हैं तो पढ़ाई वहां क्या होती है। उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया जाता है। पंडित जी उनको यह काम सिखाते हैं मानों पंडित जी के यहां यह काम होता हो और वह मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा सकते हों। गवर्नमेंट को चाहिये कि पंडित जी के बजाय गांव से एक कुम्हार बुला कर उसे नौकर रख लिया करे, अपना चाक लेकर वह स्कूल में उन बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छी तरह से सिखा सकता है और तनख्वाह भी कम ही देनी पड़ेगी। चुनार में टी पाट अच्छे बनते हैं लेकिन गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहन नहीं देती।

इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में तकली कातना सिखाया जाता है। जो लड़के रुई कातते हैं आधी उसमें से खराब करते हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उस सूत को बुनने का कोई इन्तजाम नहीं है। वह सूत इस तरह से खराब होता है। जब वह बुना नहीं जाता तो वे लड़के उसे ले जाकर घर छोड़ देते हैं। इससे न सरकार को ही फायदा होता है और न लड़के ही कुछ सीख पाते हैं।

गांव में कुछ स्कूलों में खेती करना भी सिखाया जाता है। इन प्राइमरी स्कूलों में ज्यादातर गांवों के लड़के ही पढ़ते हैं। गांव की जो जनसंख्या आज कल है वह ५,४५,०६,०४३ है। गांवों की संख्या १,११,७२२ है और इन प्राइमरी स्कूलों में सब से ज्यादा लड़के गांवों के ही पढ़ते हैं और इन स्कूलों में बच्चों को तकली कातना और मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया जाता है। अगर उनको खेती का काम सिखाया जाय जो काम उनके यहां रात दिन होता है, जो उनका पुश्तैनी पेशा है लेकिन वह उनको सिखाया नहीं जाता और कहीं सिखाया जाता भी है तो एक डेढ़ बीघा खेत उनके स्कूल को दे दिया जाता है उसमें उनको चुकन्दर और मटर की फलियां बोना सिखाया जाता है लेकिन वह न चुकन्दर बोना सीख पाते हैं और न मटर की फलियां बोना। चुकन्दर बोते बोते वह चुकन्दर ही हो जाते हैं। शहरों में जो गांवों के लड़के पढ़ने आते हैं वह सीखते हैं फैशन बनाना, सिनेमा देखना, नुमाइश देखना। नतीजा यह निकलता है कि वह देहात में जाकर न वह देहाती जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और न अपने मां बाप का कोई भला कर सकते हैं। शहरों के लड़के भी इसी तरह से अपने मां बाप का कोई भला नहीं कर पाते। स्कूलों में जो बातें सिखाई जाती है उनमें हाथ से काम करने की चीजें नहीं सिखाई जातीं ऐसी हालत में वे लड़के दरवाजे दरवाजे नौकरी तलाश करते फिरते हैं और हर जगह से उन्हें जवाब मिल जाता है कि हमारे यहां नौकरी नहीं है। जब नौकरी नहीं मिलती तो भूख की ज्वाला को वह कहां से बुझा सकता है और घर वाले भी उसे कब तक खर्चा दे सकते हैं। ऐसी हालत में शिक्षा मंत्री जी को उन्हें कुछ काम सिखाने की योजना करना चाहिये, लकड़ी का काम सिखाया जाय, खेती क्यारी का काम सिखाया जाय जिससे वह उनके कुछ काम आ सके। गांवों में जो काम होते हैं उन्हें वे आसानी से सीख सकते हैं, और कर सकते हैं। अगर वे ऐसे कामों को सीख जायेंगे तो उन्हें दफ्तर दफ्तर मारे मारे फिरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांव के प्राइमरी स्कूल में अगर लुहारी का काम सिखाया जाय तो गांव का जो लुहार का लड़का है वह उसे आसानी से सीख सकता है। मैं यह नहीं कहता कि उसे अच्छी शिक्षा न दी जाय लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस काम को वह हमेशा से करता चला आया है उसमें वह आसानी से अच्छी तालीम पा सकता है और अच्छे से अच्छा काम भी कर सकता है तथा उस काम को, वह हमेशा से जानता है और करता चला आया है। उस काम को वह अच्छी तरह से सीख सकता है, कर सकता है।

इसी तरह से तकली का जो काम है वह जुलाहों और कोरियों को दिया जावे,

वे स्वयं सीख कर और लोगों को सिखायें। सरकार की ओर से ऐसा प्रयत्न तो किया नहीं जाता तथा और और कामों में रुपया खर्च कर दिया जाता है। गांवों के लड़के कालेजों में भेज दिये जाते हैं और नतीजा यह होता है कि वे मारे मारे फिरते हैं। उनकी पढ़ाई का दुरुपयोग होता है, मां-बाप का पैसा बरबाद होता है,. उनका, चालचलन, खराब होता है और आखिर में बेकार मारे मारे फिरते हैं। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि गांवों के प्राइमरी स्कूलों में गांवों के माफिक शिक्षा दी जाय।

रही सबजैक्ट्स की बात। वह तो इतने रख दिये गये हैं कि अगर १ सेर का लड़का है तो ६ सेर का बोझ उसके ऊपर किताबों का रख दिया गया है। जितना बड़ा लड़का नहीं है उससे ज्यादा उसके ऊपर सब्जेक्ट्स लाद दिये गये हैं। जब किताबों को लाद कर गांव से स्कूल पहुंचता है तो बच्चा हांफ जाता है, वहां जाकर दम लेता है। थोड़ी देर इधर उधर करके शाम को घर आता है पर सीख कुछ भी नहीं पाता और इधर मां-बाप का काम भी कुछ नहीं कर पाता।

दूसरी तरफ अध्यापकों की समस्या भी चल रही है। सरकार कहती है कि अध्यापक खेती कर लेते हैं और इसी वजह से उनको कम तनख्वाह दी जाती है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि कितने मास्टर अपने घर के करीब रहते हैं और कितने मास्टर अपने घर से दूर। जो मास्टर अपने घर से दूर रहते हैं या पढ़ाते हैं वे खेती कैसे कर सकते हैं? खेती नहीं कर सकते। फिर उनके खाने पीने के लिये उनको चाहिये ही, अगर उनको कुछ चीज चाहिये तो फिर उनकी तनख्वाह भी वैसी ही होनी चाहिये। इस नौकरी में कोई मास्टर भर पेट नहीं खा सकता, अपने बालबच्चों को नहीं खिला सकता, बीमारी में उनकी दवादारू नहीं कर सकता। इसलिये सरकार को उनकी आवश्यकताओं पर अवश्य कुछ ध्यान देना चाहिये। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वे किसी काबिल बन सकें तो उसको वैसा ही काम करना चाहिये जिससे वे इस काबिल हो सकें।

श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक बालक का विद्यार्थी जीवन प्रारम्भिक पाठशालाओं से ही प्रारम्भ होता है और जितने गुण किसी मनुष्य में होते हैं वे उसमें बचपन से ही बीजरूप अन्तर्निहित होते हैं जो अनुकूल वातावरण पाकर विकसित और प्रस्फुटित होते हैं। ब्रिटिश शासन काल में प्रारम्भिक पाठशालाओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था लेकिन जब से हमारी कांग्रेस सरकार ने शासन की बागडोर संभाली उसका ध्यान इस ओर गया और उसने प्राइमरी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन् ४६ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को बहुत कम अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता था लेकिन अब पहले के मुकाबले में साढ़े तीन करोड़ रुपया ज्यादा दिया जाता है और सरकार के इसी प्रयत्न के फलस्वरूप प्रदेश में कितनी ही पाठशालायें खोली गई हैं। और जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे उन्हें भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने का अवसर मिला। लेकिन जिस वातावरण की आवश्यकता प्रारम्भिक पाठशालाओं के लिये है उस वातावरण को उत्पन्न करने में हम सफल हुये यह नहीं कहा जा सकता। अगर केवल रिपोर्टों के आंकड़े देखें कि कितनी प्रारम्भिक पाठशालायें खुलीं तब तो थोड़ा बहुत संतोष हमें होगा लेकिन अगर हम पाठशालाओं की स्थिति देखें तो पाते हैं कि न तो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये ब्लैक बोर्ड्स हैं, न नक्शे हैं, न मेज है, न कुर्सी है और न अन्य साधन ही हैं। कई पाठशालाओं में तो तीन तीन दर्जों के विद्यार्थी और दो दो अध्यापक एक ही कमरे में पढ़ते पढ़ाते हैं। वे क्या पढ़ पाते होंगे, इसका अन्दाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। कहीं स्कूल है तो उसकी छत नहीं है कहीं इमारत अधबनी पड़ी है, कहीं छत गिरनेवाली है। जब तक ऐसी हालत रहेगी तब तक प्रारम्भिक पाठशालाओं के विद्यार्थियों को जैसी शिक्षा मिलनी चाहिये नहीं मिल सकती। मैं जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत

[श्री गोवर्धन तिवारी]

अच्छी नहीं है, साधन सीमित हैं जिसकी वजह से वे अच्छी इमारतें नहीं बना सकते, ब्लैक बोर्ड्स, फर्नीचर, नक्शे वगैरह भी मुहय्या नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सरकार को इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिये कि चाहे जैसे भी हो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अधिक से अधिक अनुदान दे। बार बार यह कहा जाता है कि अपने सीमित साधनों के कारण वह न तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि कर सकती है और न इससे ज्यादा अनुदान ही बोर्डों को दे सकती है। यह बात सही है कि अगर हम सन् १९४६ व ५३ के आंकड़े देखें तो चाहे वेतन के रूप में हो, चाहे अनुदान के रूप में उसमें काफी अन्तर मिलेगा। सवाल यह नहीं है कि सन् ४६ और ५३ के दौरान में कितनी वृद्धि हुई बल्कि सवाल यह है कि जिस समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं, जिस समाज के ढांचे को हम बनाना चाहते हैं उसकी मंजिल के कितने नजदीक हम पहुंचे हैं। हमने बार बार कांग्रेस के प्रस्तावों के जरिये इस बात को कहा है कि हम अपने मुल्क में आर्थिक विषमता को कम करना चाहते हैं। हम देखें कि चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी हों, चाहे सरकारी कर्मचारी उनकी वैतनिक विषमता को कम करने में हम कितने सफल हुये हैं और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के नजदीक कितना अधिक हम पहुंच पाये हैं। यह सही है कि अगर हम समाज के मौजूदा ढांचे को बनाये रखना चाहते हैं, समाज का जो आर्थिक ढांचा है उसमें कुछ चिकतियां लगा कर सुराव करना चाहते हैं तो न सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अधिक और अनुदान दे सकती है न छोटे कर्मचारियों के वेतन को ही बढ़ा सकती है। यदि सरकार चाहती है कि इनका वेतन बढ़े तो उसे चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को और अधिक अनुदान दे। अगर हम चाहते हैं कि प्रारम्भिक पाठशालाओं की आर्थिक स्थिति सुधरे तो यह तभी हो सकता है जब कि हम मौजूदा आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करें। अपने सम्पूर्ण आर्थिक ढांचे को बदलें और उसमें इतना क्रान्तिकारी परिवर्तन लावें कि जिससे मालूम हो कि लोगों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। आये दिन यह कहा जाता है कि अगर ऊंचे वेतन वालों का वेतन कम कर दिया जाय तो उससे आर्थिक समस्या हल नहीं हो सकती है। यह सही है लेकिन हमारे मंत्रिगण ने भी जब अपने वेतन को कम किया था तो उससे भी कोई ज्यादा आर्थिक लाभ नहीं हुआ था। हमारी कांग्रेस का एक उसूल रहा है और अपने उन उसूलों को सामने रख कर ही हम कोई काम करते हैं इसलिये चाहे हमें आर्थिक रूप में अधिक लाभ न हो पर ऊंचे वेतनों को कम करना ही चाहिये। हमारे सामने प्रश्न केवल ऊंचे वेतनों को कम करने का नहीं है बल्कि समाज के समूचे आर्थिक ढांचे को बदलने का है। चाहे सरकारी नौकरों के वेतन में हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, सभी दिशाओं में समान रूप से तब्दीली होनी चाहिये। आज चाहे हमने जितना भी परिवर्तन किया हो लेकिन स्थिति यह है कि जहां ४० और ५० रुपये वेतन पाने वाले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के और सरकारी कर्मचारी हैं वह सैकड़ों, हजारों और लाखों रुपये की आमदनी वाले लोग भी मौजूद हैं। इसलिये जब तक हम इस आर्थिक विषमता को कम नहीं कर लेते तब तक हम नया वातावरण अपने प्रदेश में पैदा नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम परिवर्तन लायें और ऊंचे वेतन पाने वालों का वेतन कम करें और जिन लोगों को कम वेतन मिलता है उनको कुछ अधिक दें तो इससे संतोष पैदा होगा। धनाभाव-जनित जितनी तकलीफें और मुसीबतें होंगी वह एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक न्यूनाधिक रूप में सब में बट जायेंगी। इससे शान्ति होगी और जो हम पुनर्निर्माण का कार्य करने जा रहे हैं वह अच्छा होगा और उसमें हमको सबका सहयोग प्राप्त होगा। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह वर्तमान समाज के ढांचे को बदलना चाहती है और मुझे विश्वास है कि वह ऐसा चाहती है क्योंकि कांग्रेस ने बराबर इस प्रकार

उत्पादन का पूंजीवादी ढांचा है उसके अन्दर परिवर्तन लाना होगा तो वह इसको बदलने का प्रयत्न करेंगे। जब तक हम उत्पादन वितरण की पद्धति जो गतिशील नहीं है और समाज को आगे नहीं ले जा सकती है बदलेंगे नहीं, तब तक हमारी समस्या हल नहीं हो सकती है।

प्रारम्भिक पाठशालाओं के सम्बन्ध में यह सुना जा रहा है कि उसके पुनर्संगठन की एक योजना सरकार के सामने है। मुझको यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त योजना के अनुसार जो नजदीक की पाठशालायें हैं उनको तोड़ दिया जायगा। अगर ऐसा किया जायगा तो उनकी तादाद कम हो जायगी और साथ ही अध्यापकों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो यह देश के लिये हानिकर होगा। हमने जनता के सामने शिक्षा प्रसार की योजना रखी है फलस्वरूप बहुत जगहों पर वहां की जनता ने स्वयं अपना बहुत सा धन लगा कर इमारतें बनवाई हैं और स्कूल खड़े किये हैं। अगर अब हम कहें कि अमुक स्कूल बन्द कर दिये जायंगे तो इसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी और हमारे प्रतिकूल होगी। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई ख्याल ऐसा हो तो वह लाभप्रद नहीं होगा। हमको तो ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि यदि और अधिक स्कूल न भी खोल सकें तो कम से कम जो इस समय हैं उनको तो कम नहीं ही करें।

राजकीय पाठशालाओं के बारे में जो अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिये गये हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों ने धन इकट्ठा करके इमारतें बनाई हैं और इस प्रकार बहुत सी इमारतें बनीं लेकिन सरकार ने राजकीय पाठशालाओं की इमारतों के लिये जो एक हजार रुपया देने का वादा किया था वह सब नहीं दिया। अल्मोड़ा जिले में २१७ पाठशालायें ऐसी हैं जिनको रुपया नहीं मिला। किसी इमारत की अगर छत रह गई है तो रुपया न मिल सकने के कारण वह इमारत वैसे ही पड़ी हुई है और खराब हो रही है। बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं और लोगों ने इस भरोसे पर कर्जा लेकर उन पर खर्च कर दिया है कि सरकार से उनको रुपया मिलेगा लेकिन उनको सरकार से कुछ भी नहीं मिला है। उनके ऊपर इस प्रकार का जो कर्जा है उसको वह अदा नहीं कर पाते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो राजकीय पाठशालायें बन चुकी हैं अथवा अब बनी हैं और जिनको धन देने का सरकार ने वायदा किया था उनको वह रुपया दे दिया जाय। उच्च माध्यमिक स्कूलों की मान्यता के लिये इन्डाउमेंट फंड में १५ हजार रुपया जमा करना लाजमी है। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि देहाती क्षेत्रों में रुपया इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है। जब तक लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं होता तब तक अपने पास से इन्डाउमेंट फंड में इतनी बड़ी रकम जमा करना आसान नहीं है। अगर कोई अपने इलाके में अपने खर्चे से विद्यालय की इमारत, छात्रावास तथा लाइब्रेरी बनाते हैं तो उनके रास्ते में यह रुकावट नहीं होनी चाहिये कि १५ हजार रुपया जमा करने पर ही स्कूल को मान्यता दी जायगी। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जब हमारी नीति शिक्षा प्रसार की है तो मान्यता के लिये उसे १५ हजार रुपये की रुकावट हटा देनी चाहिये। अगर सारे प्रान्त के लिये ऐसा कर दिया जाय तो अच्छा है क्योंकि इस रुकावट के हटने से शिक्षा का ज्यादा प्रसार होगा और अगर सारे प्रान्त के लिये इसकी आवश्यकता न समझी जाय तो कम से कम पहाड़ी जिलों में जो अभावग्रस्त हैं और अभी अर्से तक अभावग्रस्त रहने के जिनके आसार हैं, इस शर्त को जरूर हटा दिया जाय।

[श्री गोवर्धन तिवारी]

जहां तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है जिला अल्मोड़े में वह घटी है। सन् १९५१ की मर्दुमशुमारी के हिसाब से सन् १९४१ में ४ प्रतिशत और अब केवल ३ प्रतिशत सन् ५१ में साक्षर स्त्रियां वहां हैं। इसलिये लड़कियों की शिक्षा की ओर वहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री मुहम्मद तक़ी हादी (जिला मुरादाबाद)--अध्यक्ष महोदय, सालाना बजट के पेश होने के मौके पर यह उम्मीद की जाती थी कि हमारे शिक्षा मंत्री जी हमारी उस तवक्को को पूरा करेंगे जो बहुत दिनों से पब्लिक करती चली आ रही थी और जो चीज इंडियन यूनियन के मिनिस्टर साहब और प्रेजीडेंट साहब ने तसलीम की है कि मौजूदा को तर्जेतालीम यहां का है वह मुनासिब नहीं है लेकिन बहुत ही अफसोस है कि इस सिलसिले में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने अपनी किसी वाजे पालिसी का इजहार नहीं किया और उन्होंने अपनी तकरीर में ज्यादातर टीचर्स के स्ट्राइक पर ही जोर दिया और यह वाकया है कि इस मौके पर टीचर्स का जो तरीकेअमल है वह मुनासिब नहीं है और मंत्री जी ने जो दलायल इस सिलसिले में हमारे सामने रखे वह निहायत अच्छे थे और उनके बाद किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रह जाती और मैं समझता हूं कि उनको सुनने के बाद हर एक को मुतमईन हो जाना चाहिये। उन का तरीके अमल जो कुछ भी है वह स्टेट के लिये मुफीद है या न हो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उन की बाज मांगें ऐसी जरूर हैं कि हमारी सरकार को उन पर तवज्जह करना चाहिये। इसलिये कि यह जो टीचर्स की तरफ से मांगे की जा रही हैं और जैसा कि खुद शिक्षा मंत्री जी ने फरमाया कि बहुत से अजला में उनकी तनख्वाहें तीन तीन महीने में मिलीं और कहीं कहीं फिर भी बाकी हैं। इस मामले में यह बहुत ही जरूरी है कि सरकार खास तौर से तवज्जह करे क्योंकि यह हम सब ही जानते हैं कि टीचर साहबान जो इस काम को करते हैं वह एक ऐसा इरादा है कि जो बहुत ही जरूरी है, उन का जरियामाश इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है, इसलिये इस बात की जरूरत है कि गवर्नमेंट बहुत ही हमदर्दी के साथ उनके मसायल पर गौर फरमाये। उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों को गवर्नमेंट को देखना चाहिये कि जिन में ऐसा हो रहा है, मैं खुद अपने अमरोहा में देख रहा हूं कि वहां प्राइमरी एजूकेशन देने वाले बेचारे टीचर्स की तीन तीन महीने की तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जनाबवाला, आप खुद ख्याल फरमा सकते हैं कि आज जब कि इतनी गिरानी है उस हालत में किस तरह से वह लोग जिन के ऊपर आप की आने वाली नेशन की तरक्की मुनहसर है अपने फरायज को अन्जाम दे सकते हैं और इस पर भी अगर उन से यह उम्मीद की जाती है कि वह जिम्मेदारी जो उन पर हमारी सरकार ने डाल रखा है उस को वह पूरा करेंगे और अपने इस अहम फर्ज को अंजाम देंगे तो यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सरकार इस मसले पर फौरन गौर करे।

जहां तक हमारे मौजूदा तरीके तालीम का ताल्लुक है उसके नाकिस होने के बावजूद भी इस मौके पर सरकार की तरफ से किसी नई पालिसी का इजहार नहीं किया गया है और कहा गया है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिये उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा रही है। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इस बात से मुत्तफिक़ हैं कि जो तरीका तालीम यहां इस वक्त रायज है वह अपने मुकाम पर ठीक नहीं है। चन्द साल पहले हायर सेकेन्डरी एजूकेशन की नई स्कीम आई और इसमें भी शक नहीं कि हमारी सरकार ने जितनी तौसी उसमें की वह काफी है और पिछले साल से इस बजट में भी इजाफा किया है और बहुत से प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल खोले गये हैं लेकिन आजकल जो कैरिकुलम रायज है वह इतना नाकिस, मुबहम और खराब है कि उस से न तो एजूकेशन के हाई आफिसर, न अध्यापक न गारजियन्स न तुलबा मुतमईन हैं इसलिये हमें इस बात की सख्त जरूरत है कि जहां तक

हो सके हमारी सरकार इसकी तरफ तवज्जह करे कि वह सही पालिसी पर पहुंच कर उन नक़ायस को जल्द अज़ जल्द दूर करे जो हमारी तालीम में पाये जा रहे हैं। इसीलिये जो तालीम हो रही है उस से जो तुलबा निकलते हैं वह अपने मकान पर सही तालीम लेकर नहीं निकलते जिससे अनएम्पलायमेंट बढ़ता चला जा रहा है और उस की वजह से सूबे पर बहुत काफी असर पड़ता है।

इस में कोई शुबहा नहीं जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारी सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री जी काफी तरक्की की कोशिश कर रहे ह लेकिन जहां वह तरक्की की कोशिश कर रहे हैं मैं यह देखता हूं कि वहां ट्रेंड टीचर्स की कमी को इतना महसूस नहीं किया जितनी की वाकई हो रही है। हर जगह प्राइमरी स्कूलों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से निहायत अदब से अर्ज़ करूंगा कि क्या वह मुतमईन हैं कि जैसी तादाद स्कूलों की बढ़ रही है, तुलबा की बढ़ रही है, उसी सूरत से क्या हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम रायज कर रही है जिस से वह टीचर्स जो ट्रेंड नहीं हैं वह ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड हो सकें। मुझे अफसोस है कि सरकार की तरफ से यह जवाब दिया जाता है और वाकया भी यही है कि सरकार के पास इतने फंड नहीं हैं कि वह इतनी जल्दी इतने ट्रेनिंग स्कूल खोल सके। लेकिन अगर कोई स्कीम ऐसी पेश की जाती है कि जो असातज़ा की ट्रेंड नहीं है उनको ट्रेंड कर दिया जाय और बगैर किसी फंड के स्कूल जारी कर दिये जायं तो हमारा एजूकेशन डिपार्टमेंट बजाय इसके कि उन स्कीमों को एनकरेज करे, वह डिस्करेज करता है।

मुझे मालूम है कि अमरोहे की तरफ से एक ऐसी स्कीम पेश की गयी थी जिस में यह बताया गया कि बगैर किसी मजीद ग्रांट के, बगैर गवर्नमेंट का एक पैसा लगे हुये टीचर्स को ट्रेंड किया जा सकता था और इस का तजुर्बा अमरोहे में हुआ भी। जो स्कीम हमने रखी थी उस के मातहत एक साल के अर्से में काफी तादाद टीचर्स की ट्रेंड हो गयी, लेकिन आगे चल कर गवर्नमेंट ने उस स्कीम को पसंद नहीं किया।

मुझे यह बतलाया जा रहा है कि मेरा वक्त खत्म हो रहा है, इसलिये मैं एक खास मसले पर शिक्षा मंत्री जी की तवज्जह दिलाऊंगा। जहां तक उन्होंने तालीम की तरक्की के लिये और जरिये अख्तियार किये हैं, जहां उन्होंने और जरूरी स्कीमें नाफ़िज़ की हैं वहां साइंटीफिक एजूकेशन की तरफ उनकी तवज्जह कम मबजूल हुई है और अमरोहे की ६५,००० की आबादी में एक भी साइंटिफिक स्कूल नहीं है। वहां के एजूकेशन आफिसर ने भी रिकमेंड किया कि वहां एक साइंटिफिक कालिज की जरूरत है और इस सिलसिले में यह जवाब दिया गया कि चूंकि फंड नहीं है, इसलिये कोई साइंटिफिक स्कूल नहीं खोल सकते। मैं अपनी सरकार की तवज्जह दिलाऊंगा कि सन् १९०४ में १८,००० रुपया पब्लिक फंड में जमा किया गया था अमरोहे की तरफ से और वह स्कूल फंड में रखा गया है जो सर्फ में नहीं आ रहा है। वह अमरोहे की पब्लिक ने जमा किया था। अगर वह रुपया किसी पब्लिक स्कूल को दे दिया जाय, जहां कोई कमेटी हो या कोई इंतजाम किया जाय तो अमरोहे में ३ स्कूलों में से एक स्कूल जरूर साइंटिफिक हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री जी इन चीजों की तरफ खास तवज्जह फरमायेंगे और आइंदा बजट में इसका इतमिनानदेह जवाब देंगे कि उन्होंने इस तरफ तवज्जह की और जो हमारे नकायस थे वह दूर हो गये।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे लिये कितना समय है, क्योंकि मेरा कटमोशन है।

श्री उपाध्यक्ष--आप शुरू कर दीजिये। १० मिनट आप को मिलेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल—बस, थैंक्स ।

अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं अपने मंत्री महोदय को, उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब को और इस विभाग के लरनेड और योग्य कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिनकी मेहनत से ऐसा बजट आज सामने आया ।

उसके बाद मैं अपने विरोधी पार्टी के नेता साहब से सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि एक उर्दू का शेर है:

"वह दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं,
मैं शाद हूं कि हूं तो किसी की निगाह में ।"

आप मुखालफत करते हैं, मगर खैर, मौका तो मिल जाता है आपकी बातों का जवाब देने का, अगर आप कुछ न कहते तो जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता। मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं । अभी आपने व्याख्यान दिया और सजेस्शन दिया और बहुत सी शिकायत की। मेरा खयाल था कि ऐडजर्नमेंट मोशन आया है उन अध्यापकों की हड़ताल पर या बजट पर स्पीच हो रही है । फरमाया क्या । रुपये की शिकायत कैसे करते हो ? अभी अभी किताबें छापी गई हैं। करीब आठ हजार रुपये का मुनाफा हो गया है और ज्यादा किताबें छपतीं तो ज्यादा मुनाफा होता। यह कहना भूल गये कि सरकार चाय की दूकान करले, उसमें फायदा हो सकता है । हुजूरवाला, बिजिनेस करने में फायदा होता है। लेकिन बदकिस्मती से तजुर्बा यह है कि सरकार जो बिजनेस करती है उसमें उसको घाटा होता है । डेरी फार्म के बारे में कई शिकायतें हुईं कि सरकार को उसमें घाटा हो रहा है। कुछ मिलें खोली गयीं, उनका हिसाब किताब देख कर बन्द करना पड़ा। तो बड़ी दिक्कत पड़ती है। जितनी मेहनत से लोग अपने काम को करते हैं उतनी मेहनत से पंचायत का काम नहीं करते ।

अपने व्याख्यान के दौरान में बड़ी हमदर्दी जाहिर की अध्यापकों के साथ, आदरणीय प्रतिष्ठा के काबिल, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। और क्या कहना है। क्या क्या बातें फरमा दीं। लेकिन यह भूल गये कि यह प्रतिष्ठा करना, यह उनकी इज्जत करना, उन्हीं के व्याख्यान के खिलाफ जा रहा है। अजीब दिल्लगी है कि जब हमारे राष्ट्रपति ने काशी के पंडितों की पूजा की, प्रतिष्ठा की तो सवाल यह किया गया कि यह कैसे हो गया। यह पूजा कैसी, यह पाठ कैसा। अखबारों में लेख निकले कि यह क्या हो रहा है। सेक्यूलर स्टेट है, यह पूजा कैसी। एक तरफ अगर राष्ट्रपति पंडितों की पूजा करते हैं तो सेक्यूलर स्टेट के खिलाफ बात हो जाया करती है। और वही जब अध्यापक हंगर स्ट्राइक करते हैं तो वही बात खुद करते हैं अपनी ही बात के विपरीत बात करते हैं। जरा सोच समझ कर बात करनी चाहिये। यहां लोग बैठे हुये हैं। उनकी बातों को सुनते रहते हैं ।

कहा गया कि शिक्षा बढ़ रही है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ अनुशासनहीनता भी बढ़ती जा रही है, उच्छृंखलता भी बढ़ती जा रही है। जो बच्चे गुरुओं की आज्ञा मानते थे, उनकी प्रतिष्ठा करते थे, आज उनकी इज्जत नहीं करते। जो अध्यापकगण विद्यार्थियों को अपने बच्चे समझते थे, अपने बच्चों की तरह पढ़ाया करते थे उनमें वह प्रेम नहीं रहा। आजकल जो शिक्षा हो रही है उसमें एक तरफ अंग्रेजी का पांडित्य आ रहा है लेकिन दूसरी ओर उनका ध्येय यह है ईट ड्रिंक ऐंड बी मेरी। इसको संस्कृत के शब्दों में यदि कहा जाय तो। जब तक जियो खुशी से जियो, चैन से जियो, हर लो, छीन लो और सुरा पियो। यह पढ़ाने का नतीजा क्या हो रहा है। यह नहीं कि दूसरों की सेवा करें, परोपकार करें। जहां पर एक ओर अक्षर ज्ञान पैदा हो रहा है, कई जबानों में अखबार पढ़ सकते हैं, वहां

दूसरी ओर शिकायत है कि धर्म की भावना कम होती जा रही है। जरूरत है कि धार्मिक शिक्षा भी हम दें ताकि हमारे यहां विद्वान भी निकलें और चरित्रवान् भी निकलें। शास्त्रों में कहा है :

वह विद्वान् नहीं है जो अक्षर जानता हो, दरजा पास कर लिया हो। विद्वान वही है जो चरित्रवान् भी है। उसके बारे में बुजुर्गों ने यहां तक बतलाया है कि वह विद्वान् जो चरित्रहीन है वह ऐसा ही है जैसे गधे के ऊपर चन्दन लाद दिया हो। गधा जानता है कि हम बोझा लिये जा रहे हैं। लेकिन यह नहीं जानता कि क्या लिये जा रहे हैं।

मेरी प्रार्थना है कि वहां पर धार्मिक शिक्षा भी हो। अच्छी बातें बतलायी जायं। इसके लिये जरूरी है कि विद्वानों की पूजा हो। अगर हम पैसा नहीं दे सकते हैं, मैं शिक्षा मंत्री जी की राय से सहमत हूं कि पैसा नहीं है, हमारी गवर्नमेंट बराबर चाहती है कि पैसा दे। कौन चाहता है कि हमारे भाई तकलीफ में रहें, कौन चाहता है हमारे अध्यापक उपवास करें, हंगर स्ट्राइक करें, हम जानते हैं कि उनको परेशानी है, दिक्कतें हैं मगर दूसरी तरफ यह भी ख्याल करते हैं कि दें कहां से ? बजट आपके सामने है, टैक्स लेना भी ठीक नहीं, बजट में पैसा भी नहीं है तो दे कैसे सकते हैं? मगर मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि शेखी भी करना ठीक नहीं। अगर हम किसी को भीख नहीं दे सकते तो उसकी तुमड़ी तो न फोड़ें। हमारे पास पैसा नहीं है तो हमदर्दी तो है, आंसू तो हैं। पैसा तो हम देना चाहते हैं और देंगे। जैसे ही पैदावार बढ़ी, पैसा भी बढ़ेगा और पैसा आयेगा तो हम जरूर देंगे। मैं तो कहता हूं कि पैसा नहीं है तो इज्जत तो है, प्रतिष्ठा तो है वह हम उनको दें। और इसलिये पहले जमाने में उनकी इज्जत होती थी। संस्कृत के विद्वानों के कथन का सभी ख्याल करते थे। विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गये। राजा दशरथ ने उनका आदर किया और पूंछा कि क्या चाहिये ? उन्होंने कहा कि लड़के दो लड़ाई में जायेंगे, ताड़का बहुत तंग कर रही है। राजा दशरथ ने कहा कि क्यों बुढ़ापे में लड़कों को अलग कर रहे हो, यह तो बड़ा दुष्कर काम है। उन्होंने कहा कि नहीं जाने देंगे तो बड़ा नुकसान हो जायगा। लिहाजा लड़के उनके साथ चले गये। तो ऐसी इज्जत पहले जमाने में संस्कृत के विद्वान् की होती थी। और आज हमारे भाइयों को अखरता है कि पूजा कैसे होगी ? मेरे दोस्त, पहले संस्कृत के पंडित लोग साहित्य को याद कर लेते थे, कंठ कर लेते थे, जहां से न वह खो सकता था, न छीना जा सकता था, न चोरी किया जा सकता था, न जलाया जा सकता था। उस साहित्य को पढ़िये जिस का सारी दुनिया में तर्जुमा हुआ। आज गीता के नाम पर सारी दुनिया का सिर झुकता है। सारी दुनिया में उसका तर्जुमा हुआ है। उसी गीता के बल पर आप यहां बैठे हुये हैं। वह पढ़ते थे—

"नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
नैनं क्लेयंतापो न शोषयति मारुतः।"

आत्मा न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सोखा जा सकता है, न मिटाया जा सकता है।

उसी गीता में पढ़ा गया था :

"वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयात नवानि देही।।"

जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर आदमी नये कपड़े पहन लेता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ जाता है और नये शरीर में प्रवेश कर जाता है।

[श्री सीताराम शुक्ल]

इसको पढ़ कर लोग फांसी के तख्ते पर लटक जाते थे, गोलियों को खाने के लिये तैयार रहते थे। उन अध्यापकों का आदर होना चाहिये, उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये। अगर हम साथ-साथ अपनी संस्कृति की तरफ भी ध्यान दें, अपनी तहजीब की तरफ भी ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा समय तो समाप्त हो गया है लेकिन मैं एक बात और कहूंगा। एक शिकायत मुझे अपनी ओर से भी है, मुझे अपनी शिकायत है, अपोजीशन की नहीं। हमारे विरोध में बहुत थोड़े से आदमी हैं। उनको हम अपने साथ नहीं ले सके। अगर हम प्रचार करते, सही बातों को बतलाते तो हम इन विरोधियों को अपना बनाकर छोड़ते ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी इस सदन में नहीं हैं। छोटे मंत्री जी हैं। लेकिन जरा बड़े मंत्री जी की आवश्यकता थी। अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी वह स्थान लेते हों तो दूसरी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी आ ही गये। मैं आज माननीय शिक्षा मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था। पहले जब सप्लीमेंटरी बजट आया था तब माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम लोग जब किसी की बात करते हैं तो बहुत नीचे स्तर में गिर जाते हैं। आज जब मैं उनका भाषण सुन रहा था और जब वह यह कह रहे थे कि वे हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमें पढ़ाया है, और जब इस प्रकार उनकी तारीफ कर रहे थे, तब मैं यह सोच रहा था कि यह क्रोकोडाइल टीयर्स क्यों बहाये जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी ने इस सदन को यह पढ़ाया कि अगर हम अध्यापकों की मांग को मान लेते हैं, तो इस प्रांत को साढ़े छः करोड़ की आवश्यकता होगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि एक ओर आज इस हुकूमत के सिपाही संगीनें लिये हुये कौंसिल हाउस के सामने खड़े हुये हैं और दूसरी ओर अध्यापक वर्ग ८ तारीख से सत्याग्रह करने वाला है। दोनों तरफ से फौजें खड़ी हैं। ऐसी दशा में माननीय मंत्री जी ने जो छः करोड़ की बात की है, हम उसे छोड़ने के लिये तैयार हैं, परन्तु क्या माननीय मंत्री जी उनकी और मांगें मानने के लिये तैयार हैं? उन्होंने कह दिया कि हम पुरानी तनख्वाह दिला देंगे, इसमें कौन सी बड़ी भारी मेहरबानी वे कर रहे हैं। यहां यदि सरकार के किसी आदमी को पहली तारीख को तनख्वाह न मिले और उसको एक हफ्ते के अन्दर तनख्वाह दिला दी जाय, तो इसमें सरकार कौन बड़ा भारी काम करेगी। सरकार ने पहला आदेश सन् ४९ में दिया। ३ अगस्त को यह पहली चिट्ठी सरकार की ओर से निकली जिसमें उन्होंने कहा कि:

"The governor has been pleased to order that the following revised scale of pay for teachers under local bodies should be sanctioned"

[श्री राज्यपाल ने आदेश दिया है कि उन अध्यापकों के लिये जो स्थानीय संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं निम्नलिखित संशोधित वेतनक्रम स्वीकृत किया जाय।]

काफी कांसिडरेशन के बाद यह चीज हुई, उसके बाद यह कहा:--

"These scales of salaries will come into effect from April 1, 1949, and all local bodies should take immediate steps towards their implementation."

[ये वेतन-क्रम १ अप्रैल, १९४९ से कार्यान्वित होंगे और समस्त स्थानीय संस्थाओं को उनकी अभिपूर्ति के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।]

इसी गवर्नर के आर्डर में आगे कहते हैं--

"to order that the teachers drawing pay above Rs. 40 p. m, shall receive an additional amount of Rs. 5 per month."

[उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि जिन अध्यापकों को ४० रुपये प्रति मास से अधिक वेतन मिलता है, उन्हें ५ रुपये प्रति मास अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा।] शिक्षा मंत्री जी वकील हैं। "शैल" के माने भी मैं समझता हूं कि यही होंगे कि उन्हें दिया जाना चाहिये। आखिर में उन्होंने कहा है उस आर्डर में:

"The Governor would be prepared, if necessary to assist them with short term loans repayable in five years in the case of I and II class local bodies and in ten years in case of others."

[श्री राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अल्पकालीन ऋण देने के लिये भी उद्यत होंगे जो ऋण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की स्थानीय संस्थाओं द्वारा ५ वर्षों में चुकाया जायगा और अन्य संस्थाओं द्वारा १० वर्षों में।]

यह हुक्म दिया गया और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने हमारे टीचरों को इस स्केल के मुताबिक तनख्वाह देना शुरू कर दिया। आज भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में यह स्केल दिया जा रहा है। इसके बाद सन् ५० में एक दूसरा सर्क्यूलर निकलता है। उसमें वे कहते हैं कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डिस्क्रेशन पर है कि वे इसको इम्प्लीमेंट करें या न करें। आज अध्यापकवर्ग कहता है कि इस सर्क्यूलर से जो उनका पुराना एरियर है वह सन् ४९ से उनको दिला दिया जाय और जो पे ग्रेड उनको सन् ४९ में दिया गया वह पूरा दिया जाय। जो माननीय शिक्षा मंत्री जी छः करोड़ की बात करते हैं, हम उसको थोड़ी देर के लिये छोड़ते हैं, परन्तु क्या माननीय मंत्री जी अध्यापक वर्ग को वे चीजें देने के लिये तैयार हैं, जिन के लिये वे बड़े कांतिडूेशन के बाद ३ अगस्त, सन् १९४९ में राजी हुये थे? आज जब माननीय मंत्री जी ने छः करोड़ की बात कही, तब सब घबड़ा गये कि टैक्स लगेगा। माननीय मंत्री जी और बातों पर ही राजी हो जायं। हमारे राजाराम शास्त्री जी, जो प्रेसीडेंट हैं, उन्होंने इस बारे में मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के सामने इस बात को रखा है। माननीय मंत्री जी इस बात को क़बूल करें और यह कह दें अगर सचमुच उनकी भावना ऐसी है कि वह टीचरों की मदद करना चाहते हैं और अध्यापकों को गुरु समझते हैं, तो टीचरों की मांगों को स्वीकार करें लेकिन माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं। यह तो सब ही कहते हैं। आज भी मेरे सामने कहा गया कि इसके अन्दर पार्टी प्रोपेगैन्डा है, आउट साइड और इन साइड, सदन के बाहर और सदन के भीतर। वह प्रोपेगैन्डा हो जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारा सवाल है हम जब कोई मजदूर तबका या कोई ग़रीब आदमी सताया जायगा, उसके साथ होंगे चाहे वह हमारे साथ कभी रहा हो या न रहा हो। हमारी बदक़िस्मती है, जब पहले चुनाव हुआ था, इसी अध्यापकवर्ग ने हमारे खिलाफ होकर कांग्रेस को वोट दिया था और हमें एक भी वोट नहीं दिया। मैं आज फिर कहता हूं कि उनकी मांग पूरी हो और सरकार उनकी मांग को पूरा करे। अध्यापकवर्ग हमें फिर वोट न देकर कांग्रेस को ही वोट दे देंगे, हमें उनका वोट नहीं चाहिये। लेकिन तकलीफ जिस किसी को होगी हम उसके साथ रहेंगे। आज सरकार बन्दूकें दिखला कर और काउन्सिल हाउस के सामने सिपाहियों को खड़ा करके टीचरों के सत्याग्रह को दबाने की चेष्टा कर रही है। यह सरकार जानती है संगीन के बल पर हुकूमतें बहुत दिनों तक नहीं रहा करती हैं। हिटलर का क्या हाल हुआ और मैंसोलनी का क्या हाल हुआ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि देखो भाई इस तरह से सत्याग्रह करने से और अनशन करने से महात्मा गांधी जी की आत्मा रोती होगी। मैं कहता हूं कि इस अध्यापक वर्ग के सत्याग्रह और अनशन करने से महात्मा गांधी जी की आत्मा नहीं रोती होगी बल्कि गांधी जी की आत्मा इस हुकूमत के कर्मों पर रोती होगी।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों को बीस बीस रुपया डियरनेस अलाउन्स मिलता है मगर अध्यापकवर्ग को बारह रुपया मिलता है। मैं कहता हूं कि इनका डियरनेस अलाउन्स १२ रुपया से २० रुपया कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि डेढ़ करोड़ रुपये अगर यह सरकार मंजूर करने के लिये तैयार हो, अध्यापक वर्गों के लिये तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हालत संभल सकती है। परसों से सत्याग्रह बड़ा होने वाला है, अभी दो दिन का समय है। परन्तु यह बात होने वाली नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री उनको गुरू कहते हैं। एक तरफ से उनको गुरू कहते जाओ और एक तरफ से उनका अपमान करते जाओ। तो आप बाहर जा कर उनके ऊपर फूल चढ़ाइये।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे यहां जो म्यूजियम हुआ करते हैं प्रान्तों में यह चीजें हिस्टारिकल होती हैं। क्यूरेटर साहब ने मंत्री जी को दिखा दिया है कि हम जहांगीर के वक्त के दो घड़े लाये हैं। वह कहते हैं कि यह घड़े जहांगीर के वक्त के हैं। वह घड़े बाजार में एक एक हजार में मिल सकते हैं। हिस्टोरियन्स की शिकायत है कि यह जाली घड़े हैं। ऐसे बाजार में भी बन सकते हैं। मैं भी बनवा सकता हूं। और मैं भी कुछ घड़े बनवाकर मन्त्री जी के नाम से म्युजियम में पेश कर दूं। क्यूरेटर साहब ईजिप्ट से ममी लाये। ऐसा मसाला होता है कि जिसके लगाने से लाश बहुत सालों तक खराब नहीं होती है। रास्ते में लाश सड़ गयी। उन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रास्ते में लाश सड़ गयी थी इसलिये हमने नदी में बहा दी। उन क्यूरेटर साहब को इस प्रान्त का डाइरेक्टर बना दिया गया।

इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वह निष्पक्ष हो कर के इस मामले पर विचार करें, यही मेरी उनसे प्रार्थना है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के भाषणों में मुझे एक जगह सब से बड़ा वैषम्य मिला है। जब मेरे दोस्त और साथी उपाध्याय जी ने यह फरमाया कि वह स्तर के नीचे भाषण नहीं देना चाहते हैं, और उस समय मैंने देखा उनके भाषण के उस हिस्से को जिसमें उन्हें पिछले चुनाव की याद आई और उस याद के सिलसिले में उनकी शिकायत अध्यापकों से हुई कि तुमने हमको वोट नहीं दिये थे फिर भी हम तुम्हारा साथ यहां दे रहे हैं। उसके आगे उनके मन में क्या था, उपाध्यक्ष महोदय, उसपर मैं प्रकाश डालना नहीं चाहता क्योंकि यह बात उनके और उन अध्यापक भाइयों के बीच की है जो बाहर सम्भवतः कभी हुई होगी। दूसरी बात स्तर के ऊपर होने के सिलसिले में यह भी देखी कि सरकारी अफ़सरों पर व्यक्तिगत आक्षेप हुआ चाहे वह मौसम में हो या मौसम के बाहर हो। वह विषय भी नहीं है। बात अध्यापकों की चल रही थी और एक दम कूद पड़े एक डाइरेक्टर साहेब के ऊपर। बहरहाल, जहां तक भाषण के स्तर का संबंध है उसे मैं यहीं छोड़े देता हूं।

हम तो आप के द्वारा यह प्रार्थना करेंगे अध्यापकों से कि माननीय मंत्री जी के आज के भाषण को सुनने के बाद, और जब मैं अध्यापकों के पिछले कार्यों को देखता हूं कि उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में कितना सहयोग दिया है और कितना रचनात्मक कार्य किया है, और इस आन्दोलन में भी जब कि और पार्टियों ने चारों ओर चक्कर लगाये कि वे उनका दामन पकड़ लें, वे काफ़ी देर तक रुके और अभी तक भी दामन पूरे तौर से पकड़ा नहीं है। जब इतना रचनात्मक जिसका दृष्टिकोण है क्या वे इस बात को विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं कि जब कि देश संकट काल में है, जैसा मंत्री जी ने कहा कि देश पंचवर्षीय योजना में लगा हुआ है और इस समय भी वे पिछली तनख्वाहों को देने के लिये तैयार हैं और इसके साथ-साथ प्रतिमास रेगुलर तरीक़े से वेतन देने का प्रबन्ध कर रहे हैं, अध्यापकों की कार्यकारिणी की बात मैं नहीं जानता। उसमें यहां के बड़े नेता लोग बैठ कर बातें कर रहे हैं लेकिन मैं गांव के अध्यापकों की बातों को कहता हूं और मैं कह सकता हूं कि यदि गांव के अध्यापक तक माननीय मंत्री जी की बात पहुंचे, तो उनपर माननीय मंत्री जी की अपील का प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—हां, भड़काते तो हम हैं!

श्री राम नरेश शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, भड़काने वाली बात को भी कह सकता और प्रकाश डाल सकता हूं। इतनी प्रार्थना जरूर है कि जो फैसला सरकार ने किया है, चाहे अध्यापक अपनी हड़ताल जारी रखें या बन्द करें उसको फौरन लागू कर देना चाहिये। उससे जो अध्यापक का जेनरल वर्ग है, जो अध्यापक आज गांव में सैकड़ों और हजारों हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस आन्दोलन से अलग हो जायेंगे। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि अध्यापकों के नेता लोग जो हैं वह भी पुर्नविचार करें और राष्ट्र की इस संकट की अवस्था को देखकर उस रास्ते को पकड़ें, जिस तरह से उसने सदैव सहयोग दिया है उसी तरह से आज भी सहयोग दें। और मेरे भाइयों की बात कि वह ग़रीबों का साथ देते हैं, गुरुओं का साथ देते हैं और राष्ट्र निर्माणकों का साथ देते हैं, यह गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मुझे कुछ नई बातें करनी हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी को इसलिये बधाई देता हूं कि उन्होंने पारसाल एक संकेत किया था कि वह शिक्षा प्रणाली में कोई महान परिवर्तन करने वाले हैं। मैं इस सदन से सचमुच कहना चाहता हूं कि जब मैं इस देश की शिक्षा प्रणाली को देखता हूं तो मेरा हृदय रो पड़ता है क्योंकि यह देश और किसी चीज़ से नीचे नहीं जा सकता है बल्कि यह हर चीज का मुक़ाबला कर सकता है। आज हमारे सामने जो वर्तमान संकट हैं उनका भी मुक़ाबिला कर सकता है। हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी लेकिन उनको दूर करने का जो रास्ता है वह रास्ता अभी तक खुला नहीं है बन्द है और उसको बन्द कर के हम आगे जाना चाहते हैं और वह रास्ता है शिक्षा का। जवाहर-लाल जी परेशान है, मौलाना आजाद परेशान हैं, हमारे इसी प्रान्त के शिक्षा मंत्री नहीं सारे प्रांतों के मन्त्री परेशान हैं और कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली दूषित है। मंत्री कहते हैं, नेता कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, सारा गांव गांव कहता है, मेम्बर कहता है, भारत कहता है, सारा देश कहता है शिक्षा प्रणाली दूषित है, फिर भी यह शिक्षा प्रणाली हमारे सिर पर लदी हुयी है, कैसे लदी हुई है, क्यों लदी हुई है यह समझ में नहीं आता। और कभी कभी तो जी में आता है कि इस देश के सारे शिक्षा मन्त्रियों को पकड़ कर लेकर समुन्द्र में कूद पड़ूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मरने और मिटने का प्रश्न है इसलिये मैं इतने जोर के साथ कह रहा हूं। रचनात्मक कार्यों की बातें की जाती हैं। तकली और चरखे के क्लासेज़ खुल गये। मैं उन आदमियों में से हूं कि जो यह विश्वास नहीं करते कि केवल चरखा या तकली कतलवा देने से कोई परिव-र्तन हो जायगा। मैं उन आदमियों में से हूं कि जो यह विश्वास करते हैं कि जो टेकनिकल स्कूल हमारे हैं उनमें जो पढ़ने वाले हैं वे केवल नौकरी के लिये पढ़ते हैं और समस्या हमारे सामने और विकट होती चली जाती है। मेरी प्रार्थना यह है कि इसमें ज्यादा सोचने की बात अब नहीं है। और जरा सख्ती और जल्दी से काम करने की जरूरत है। आप को तय करना होगा कि राष्ट्र को कितना पढ़ाना है? मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह सुझाव दूंगा कि हुकूमत जूनियर हाई स्कूल तक कम्पलसरी एजूकेशन कर दे और उसके पश्चात् फिर साइकालोजी के जो विद्वान हैं वह हर जगह पर अध्ययन करें कि कौन विद्यार्थी कहां जा सकता है, और उसके बाद जो हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं उनमें तरह-तरह के विषय हों, और जो जूनियर सेकेन्डरी स्कूलों से लड़के निकलें वहां उन्हीं विषयों में पढ़ाये जायें जिसमें उनकी रुचि हो। यह मखौल इस दिशा का बन्द होना चाहिये कि इतने मदरसे खोले जायं, यूनिवर्सिटी क़ायम होनी चाहिये। ऐसी यूनिवर्सिटियां, स्कूलों के रहने से क्या लाभ है जहां ऐसे विद्यार्थी पैदा किये जाते हैं कि देश बरबाद हो जाय। सब जगहों पर सरकारी तौर पर नियंत्रण हो जाना चाहिये। एक बात में मैं माननीय नेता विरोधी दल से पूर्णरूप से सहमत हूं कि किताबें सरकार द्वारा शिक्षालयों को दी जायं। यह चाय की दूकान खोलना नहीं है बल्कि राष्ट्र के निर्माण करने

[श्री रामनरेश शुक्ल]

की बात है। अगर आप राष्ट्र के मस्तक को बनाना चाहते हैं तो वैसी किताबें तैयार होनी चाहिये। यह रोजगार हो रहा है आज कमेटियों के द्वारा, किताबों के द्वारा या लेखक और पब्लिशर्स कर रहे हैं। यह सब बन्द हो जाना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है और किस प्रकार से और कौन से उसमें परिवर्तन करने चाहिये ? इन सब प्रश्नों पर मैंने भवन का समय लेना उचित इसलिये नहीं समझा कि मैं यह समझता था कि यह अवसर इन विषयों पर एक लम्बा सा भाषण देने का नहीं था। मैं तो यह समझता था अधिक से अधिक समय भवन के माननीय सदस्यों को इसलिये दूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में जो उनके अपने विचार हैं उनको वह इस सदन में व्यक्त करें और उनसे मैं भी कुछ शिक्षा लूं। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्यों ने इस बात का दुख प्रकट किया कि शिक्षा मंत्री ने इन विषयों को छुआ तक नहीं इसमें सन्देह नहीं है और मैं माननीय सदस्य श्री बालेन्दु शाह का आभारी हूं। मंत्री के पद पर होते हुये भी मैं यह नहीं समझता कि यह कोई बड़प्पन की चीज है। अगर यह बड़प्पन की चीज़ है तो वह इस कारण से हो सकती है कि इसमें जनता की सेवा करने का अधिक अवसर मिलता है। इस कारण से तो यह भले ही बड़प्पन की चीज हो, लेकिन किसी और दृष्टि से नहीं। हां मैं किसी राजा के घर लड़का पैदा नहीं हुआ था। मैं तो एक ग़रीब किसान के घर पैदा हुआ था। उस समय कुछ कारणों से सोचा कि देश की बलिवेदी पर अपनी आहुति करना चाहिये। इसी से मैं यहां हूं। इस वजह से मैं नहीं हूं कि मैं यह समझता हूं कि इस पर रहने से बड़ा भारी बड़प्पन है बल्कि केवल इस कारण से हूं कि यहां जनता की सेवा करने का अधिक अवसर मिलता है।

शिक्षा प्रणाली की विशेष दशा है। अगर आज इस पर मत एकत्रित किये जायं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप इसमें इस नतीजे पर आयेंगे कि किस प्रकार से इन मतों को एक लडी में पिरोया जाय। इसमें संदेह नहीं कि हमारी आज जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली इस समय हो उसमें बहुत से सुधार करने की आवश्यकता है। पहले हम आशा भी नहीं करते थे और यह उद्देश्य भी नहीं था कि इससे सुयोग्य नागरिकों का निर्माण हो। यह तो एक विशेष कारण से, एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति से यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश में प्रचलित की गई थी। लेकिन इसके साथ ही साथ यह इतना सरल मसला भी नहीं है कि हम एक दिन में शिक्षा प्रणाली को पलट कर उसके स्थान पर ऐसी शिक्षा प्रणाली ला दें जिसमें कल ही से सुयोग्य नागरिक पैदा होने लगें।

आप सोचिये कि हर एक संगठन में, हर एक आर्गेनाइजेशन में, जब कि वह बहुत दिनों से चल रहा होता है या कोई एक प्रणाली चल रही है तो उसकी इतनी गहरी लीक बन जाती है कि वह स्वयं परिवर्तन को रोकती है। वह समाज में होने वाले परिवर्तनों को व्यक्त नहीं करता, यही कारण है कि बावजूद इसके कि आज इस देश में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं सब इस बात से असंतुष्ट हैं कि इस शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन होना चाहिये, लेकिन अभी तक कम से कम हमारे सम्मुख कोई ऐसी रूप रेखा नहीं आयी कि किस ओर से हमें इस शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आरम्भ करना चाहिये और किस छोर तक इस परिवर्तन को ले जाना चाहिये। यह ऐसा गूढ़ प्रश्न है जिस पर आप जानते ही हैं कि हमारे प्रान्त में एक माध्यमिक शिक्षा कमेटी बैठी हुयी है। आप यह भी जानते हैं कि भारत सरकार ने एक सेकेण्डरी एजूकेशन कमीशन भी बनाया है। एक ओर तो हम यह चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हमारे बालक इतने निपुण हो जायं कि यदि उनमें इस बात की क्षमता न हो कि वह विश्वविद्यालयों में जा कर बड़ा भारी अनुसंधान कर सकें या ऐसे स्तर के विद्वान बन सकें जिससे वे देश को अपनी विद्वता से कुछ दे सकें, तो उनको चाहिये कि

वे कुछ ऐसा काम सीखें कि वे अपनी जीविकोपार्जन कर सकते हों। लेकिन जीविकोपार्जन का शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता। यह समझना ग़लत है कि शिक्षा जीविकोपार्जन बनाने का एक यंत्र है। यदि सच पूछिये तो शिक्षा तो वह यंत्र है जो यह बताता है कि जीवन को किस प्रकार से रखना चाहिये, किस प्रकार से जीवन को एक वैज्ञानिक ढांचे में रखा जा सकता है। यही शिक्षा का सब से प्रमुख कर्तव्य और यही उसका आदर्श और उद्देश्य है। एक ओर जहां वह समस्या है तो दूसरी ओर कौन-कौन सी चीज़ें उनको सिखलायी जायं ? यह कोई ऐसी मामूली बात नहीं है कि आज एक भाषण में आप उसे कह दें और कल से वह होने लगे। इसी कारण मैं तो यह चाहता था कि आपका समय न लेकर आपकी बातें सुनूं। आप बतावें कि किस प्रकार से यह शिक्षा होनी चाहिये ? किस ढांचे में इस शिक्षा को डाला जाय जिसमें जो इसका आदर्श है और जो हम चाहते हैं वह फल हमको उससे मिल सके। तो इसी कारण कुछ मैंने इसमें प्रकाश नहीं डाला। कहा जाता है कि वोकेशनल शिक्षा दी जाय। उनको हुनर और काम सिखाया जाय। उसकी भी दिक्कतें और कठिनाइयां आप को समझ लेना चाहिये। बड़ी सरल बात है। आज कल जहां भी कोई जाता है वह जरूर कहता है कि शिक्षा प्रणाली बड़ी रद्दी है। मैं भी कहता हूं कि शिक्षा प्रणाली बड़ी रद्दी है। इसके मानने में मैं अपने को किसी से कम नहीं समझता। लेकिन जैसा मैंने कहा मैं तो इस खोज और फिराक़ में लगा हुआ हूं और यह देख रहा हूं कि कौन सी प्रणाली यहां रक्खी जाय। आज आप टेक्निकल एजूकेशन में अपने स्कूलों को परिणत कर दीजिये। हर बच्चा ऐसा हुनर सीखे कि वह उत्पादन में वृद्धि कर सके, उसमें भाग ले सके लेकिन प्रश्न तो यह है कि उसका उत्पादन बाजार में यदि बिकता नहीं और उसको कुछ पैसा नहीं पहुंचता तो क्या आप समझते हैं कि उस शिक्षा से आप ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करेंगे जो बेकारों की पंक्ति में खड़े नहीं होंगे ? तो यह एक ऐसा उलझा सा सवाल है। मैं आप को थोड़ा सा इतिहास भी बतलाऊं। इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन कभी भी नहीं सफल हो पाता अगर वहां की समाज व्यवस्था से फ्यूडलिज्म को, सामन्तशाही को नष्ट न किया जाता। उसका एक प्रमुख कारण यह था कि वहां के जो खेतिहर हैं यदि उनकी जेब में दाम न होगा तो यह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फलस्वरूप चीजों के उत्पादन में जो वृद्धि होगी, उसके लिये बाजार नहीं होगा तो कारखाने अपने जगह पर बन्द हो जायंगे। यह एक उलझा सा सवाल है और आप यदि यह समझें कि इस सवाल को इस तरह से सुलझाया जाय कि अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को पूर्णतया आमूलतः नष्ट कर के उसकी जगह टैकनीकल ऐजूकेशन कर दें तो सवाल यह भी पैदा होता है कि उसके लिये हमें जनसाधारण के धन में भी वृद्धि करने का उपाय सोचना होगा जिससे उनके पास कुछ पैसा हो। आज टेक्निकल एजूकेशन पास कर के जो लड़के निकलते हैं उनके पास यदि धन नहीं होगा तो वे उत्पादन कैसे कर पायेंगे ? पहली साल बख्शी तालाब के विद्यार्थी जो हरिजन थे उनके लिये एक ऐसा भी केन्द्र खोला गया और वहां लड़कों को ऐसी शिक्षा दी गयी जिससे वे गांवों में जा कर जीविका पैदा कर सकें लेकिन दूसरी साल ही लड़के मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि हम क्या करें हमारे पास धन नहीं है, हम एक सिलाई की मशीन भी तो नहीं खरीद सकते फिर भी किस तरह से जीविकोपार्जन करेंगे। इसलिये मैंने इस साल १ लाख रुपया बजट में रखने का आग्रह किया जिससे उनको आर्थिक सहायता दी जा सके जिससे वे मशीन आदि खरीद कर अपना काम कर सकें। हमारे कहने का तात्पर्य तो यह है कि यह भले ही मान लिया जाय, और यह सत्य भी है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं है और इसको आमूल रूप से परिवर्तन करना ही चाहिये। अगर हम इसके लिये उद्यत भी हो जायं तो अब हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि किस प्रकार से आप उस समस्या को हल करने जा रहे हैं ? और इसी कारण से मैं चाहता था कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। लेकिन सिवाय यह कहने के कि शिक्षा प्रणाली खराब है, बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिन बातों में किसी को कोई शक नहीं हो सकता, और कोई सुझाव आपने नहीं दिया।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

मेरे दिमाग में एक यह चीज तो पहले से ही थी और मैं यह देखता था कि यह शिक्षा प्रणाली वास्तविक जीवन से बहुत दूर है इसके लिये सर्व प्रथम मैंने अपने गवर्नमेंट के स्कूलों में यह अनिवार्य कर दिया कि गवर्नमेंट स्कूलों में जितने भी ऐसे काम हों जो विद्यार्थियों द्वारा हो सकते हों वे उन्हीं के द्वारा कराये जायं और उनको उसकी कुछ मजदूरी भी दी जाय। यह एक छोटा सा प्रयोग था। अब मैं यह भी चाहता हूं कि हर स्कूल के पास कुछ जमीन हो और वहां के उत्पादन में वहीं के विद्यार्थी और अध्यापक भाग लें और उससे जो कुछ मिले वह स्कूल के ही काम में लाया जाय।

इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जिस प्रकार सेंकडरी एजूकेशन के लिये कमेटी मुकर्रर कर दी गयी है वैसे ही प्राइमरी ऐजूकेशन के बारे में भी किया जाय। लेकिन मैंने इसलिये ऐसी कमेटी मुकर्रर नहीं की कि जब सेंकेन्डरी एजूकेशन की रिपोर्ट आ जायगी तो मैं यह देख लूंगा कि बीच की लाइन किस प्रकार की होगी। उसी के अनुसार नीचे और ऊपर बढ़ा जा सकता है। उसी के आधार पर यूनिवर्सिटी और प्राइमरी स्कूल्स की एजूकेशन में घटाया-बढ़ाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त मैंने अपने एक भाई श्री करण जी से भी इस बारे में राय ली है और उसके लिये एक छोटी सी कमेटी भी बना दी है। यद्यपि उस कमेटी का शासन से कोई संबंध नहीं है तो भी यह कमेटी प्राइमरी एजूकेशन के बारे में हमें राय देगी कि बेसिक एजूकेशन किस रूप की होनी चाहिये। उस पर विचार किया जा रहा है और शायद थोड़े ही दिनों में उसका फल भी हमको प्राप्त हो जायगा। टेक्सट बुक्स की बात अध्यापकों के वेतन के संबंध में कही गई है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अध्यापकों को गुरू के स्तर से नीचे घसीट कर नौकर बनाना, मेरे लिये यह बिलकुल असंभव सी बात है। मैं तो अपने उन गुरुओं को उसी स्तर पर देखना चाहता हूं, उसी आसन पर ही देखना चाहता हूं जिस पर कि वे रहे लेकिन उनको नीचे घसीटने वाले हमारे विरोधी दल के नेता या उनके साथी हैं जिन्होंने आज वेतन के लिये उनको इस रणक्षेत्र में उतार दिया है। जो यह कहें "सत्यं शिवम् सुन्दरम्" शिक्षा का आदर्श होना चाहिये। वे गुरू को उतार कर वेतन के लिये आमरण अनशन की शिक्षा दें और फिर हमें यह कहें कि तुम उनको गुरू नहीं कहते हो, तुम नौकर कहते हो। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं विचार करें कि यह दोष उनका है या हमारा है। कम से कम ऐसा गुरू मैंने कभी नहीं देखा था जो अपने वेतन के लिये अपनी जान की बाजी लगाता फिरता हो। स्वयं उस स्तर की हमारे इन भाइयों ने प्रेरणा दी, इनको शिक्षा दी और इनके उदाहरण से ही शायद वे नीचे उतर रहे हैं। इसीलिये मैं बार बार आपसे अपील करता हूं और फिर दोबारा भी अपील करता हूं कि वे इनके चंगुल में न फंसे, इनकी बातों में न आयें। ये तो राजनैतिक दांव पेच के आदमी हैं और हम भी उसी राजनैतिक दांवपेच के आदमी हैं। हम भी उससे अलग नहीं हैं। तुम इससे छुटकारा पाकर फिर उसी आसन पर जाकर बैठ जाओ, तुम्हारे लिये यह श्रेयस्कर होगा, तुम्हारे लिये यही बड़ी बात होगी, इतिहास इसी लिये तुम्हारा आदर करेगा लेकिन यदि तुम इनकी बातों में आते हो तो उसमें तुम्हारे लिये, तुम्हारे भविष्य के लिये, तुम्हारे बच्चों के लिये, तुम्हारे देश के लिये, तुम्हारी जनता के लिये यह कल्याणकारी चीज नहीं होगी। मैं यही स्वयं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं और फिर उनसे यह कहता हूं कि वे अपने इस संकल्प को छोड़ दें, देश के नाते छोड़ दें। आज निर्धन देश उनसे पुकार कर रहा है। माना थोड़ी देर के लिये कि यही है कि और लोगों को उनसे अधिक तनख्वाह मिलती है। माना यह भी सही है कि उनको कम तनख्वाह मिलती है, यह भी थोड़ी देर के लिये मान लेता हूं कि तुम भूखे ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे लिये भूखे रह कर भी शिक्षा देना, यही तुम्हारा गौरव रहा है, इसलिये समाज में तुम्हार ऊंचा स्तर रहा है। आज देश मजबूर है। न मैंने उनको कोई ठेस दी, न डांट दी, न यह कहा कि यह नहीं करोगे तो वह होगा। यह मैंने नहीं कहा, यह तो विरोधी दल के नेता के

लिये ही शोभा देता है कि वे ऐसी बातें मेरे मुंह में रखें क्योंकि तभी उनको इस बात का अवसर मिलेगा कि वे वहां जाकर कह सकेंगे कि उन्होंने तुमको यह धमकाया है। मैं आज भी आपके द्वारा चाहे उनके नेता इस भवन में हों या नहीं हों, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे हमारे इस संदेश को, हमारी इस प्रार्थना को मान लेंगे। मुझे उनसे प्रार्थना करने में कोई हेच या लज्जा नहीं है, मैं उनको गुरु मानता हूं, मानता रहूंगा और सदैव मानूंगा। लेकिन उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपने को इस रास्ते से हटा लें। उनसे मुझे कोई द्रोह नहीं है, उनसे मुझे कोई बैर नहीं है, वे तो भाई हैं ही। और यदि किसी और कारण से नहीं तो केवल इस कारण से कि जनता के पास धन नहीं है, सरकार के पास धन नहीं है, धनोपार्जन के अनेक कार्य किये जा रहे हैं, उसकी एक विधि बनायी जा रही है जिससे धनोपार्जन में वृद्धि की जाय। तुम्हारा भी यह कर्त्तव्य है कि समाज के नेता होने के कारण, शिक्षा के शिक्षक होने के कारण तुम एक आदर्श जीवन निर्वाह करना चाहते हो इसलिये तुम्हारे लिये भी जरूरी है कि तुम अपना योग इसमें दो।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं फिर भी उनसे कहूंगा कि वह इस पर सोचें और इसको आवेश में आकर न सोचें। आवेश कोई मुफीद चीज नहीं होती है। आवेश तो उनके लिये हुआ करता है जो बुद्धिहीन होते हैं। जो दूसरों को मनुष्य बनाते हैं उनके लिये आवेश का कोई स्थान नहीं है। हमारे लिये यह कोई प्रिस्टीज का सवाल नहीं है और सरकार के लिये यह कोई प्रिस्टीज का सवाल नहीं है। इसमें प्रिस्टीज का सवाल कैसे हो सकता है। अगर हम गुरुओं से लड़ें तो इसमें क्या कोई प्रिस्टीज का सवाल हो सकता है? इससे अधिक हमारे लिये और क्या लज्जा की बात हो सकती है कि इस प्रकार के मामले में कोई प्रिस्टीज का सवाल हो। मैंने उनको साफ साफ कहा, पहले दिन कहा जब कि उन्होंने यह आन्दोलन आरम्भ नहीं किया था और तब कहा जब वह मथुरा जा रहे थे कि यह दोनों के लिये चीज है। यह हमारा कर्त्तव्य है और हम इसको मानेंगे और चाहे जिस प्रकार से होगा हम इन चार मांगों में २ मांगें तो कार्यान्वित करने के लिये तैयार हो सकते हैं। इससे आगे बढ़कर कोई ऐसी स्थिति पैदा न कीजिये कि जिससे एक संकट की अवस्था उपस्थित हो जाय। यह मेरा उनसे तब भी कहना था और अब भी कहता हूं।

कुछ बातें टैक्सट बुक के बारे में कही गयीं कि उससे २४ लाख रुपया सरकार को मिलता है। एक साहब कह रहे हैं कि ८ लाख रुपया। चलो २४ लाख से ८ लाख तो हुआ। शायद करोड़ों की बात हजारों में हो जाती है और हजार की बात करोड़ों की हो जाती है। आज मैंने देखा कि इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैंने उसी समय अपने डिपार्टमेंट से वह आंकड़े मंगाये कि आखिर इन किताबों से क्या रायल्टी मिलती है। तो मालूम हुआ कि १ लाख ३१ हजार रुपया एक साल में सरकार को मिलता है। इसको इस प्रकार का आडम्बर देना कि उससे २४ लाख रुपया मिलता है और वह उनको दे दिया जाय उचित नहीं है। हमारे भोले भाले अध्यापक जो कभी इन लोगों की हवा में नहीं रहे और जो इनके हथकंडे को नहीं जानते हैं उनको बहकाने के लिये इस प्रकार की बात कही जाती है कि सरकार को २४ लाख रुपया किताबों से मिलता है और वह तुम को मिलना चाहिये। वह समझते हैं कि ठीक है और हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो यह इस प्रकार से रखना गलत है। हां, एक बात कही गयी और वह इस भवन में कही जाती है और बार बार कही जाती है इसलिये मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रारंभिक भाषण में जब मैं बोल रहा था तो एक मित्र ने खड़े होकर यह कहा कि मिनिस्टर्स को तो १२०० रुपया तनख्वाह मिलती है। ठीक बात है। उसके साथ यह भी कहा गया कि इसमें समानता होनी चाहिये। मैंने भी कुछ समाज

[श्री हरगोविन्द सिंह]

संगठन का अध्ययन किया है और उसका जो बहुत बड़ा लिटरेचर है उसको भी देखा है। मुझे कहीं भी आइडियोलाजी में यह चीज नहीं मिली कि इस प्रकार की समानता कहीं भी संभव है। हां, एक बात जरूर मिली कि एक सोशलिस्ट महाशय ने एक सोशलिस्ट से यह कहा कि हर एक चीज में आमदनी की समानता होनी चाहिये। उसने यह कहा कि मैं इतना ही कह सकता हूं कि तुमने सोशलिज्म का कोई अध्ययन नहीं किया है और तुम इसको जानते भी नहीं हो। जब तक कि मनुष्य और मनुष्या में अन्तर होगा और उसकी बुद्धि में अन्तर होगा, उसकी कार्यशैली में अन्तर होगा, उसके बाहुबल में अन्तर होगा, उसके शरीर में अन्तर होगा तब तक यह नामुमकिन है कि आप सब को एक ही स्तर पर रखकर एक ही प्रकार की तनख्वाह दें। आज दुनियां के वह देश जो अपने को समाजवादी कहते हैं और जो नारे लगाते हैं कि हम सब को समानता देंगे वह भी इस चीज को आधारभूत नहीं मानते कि यह चीज़ सम्भव हो सकती है बल्कि वह यह कहते हैं कि इस चीज का कोई स्थान हमारी आइडियालाजी में नहीं है और यही कारण है कि उन देशों में उनके बड़े-बड़े मन्त्री और प्रधान मन्त्री वही तनख्वाह नहीं पाते हैं जो एक छोटा सा निम्न श्रेणी का मजदूर पाता है। मैंने यहां श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित से पूछा था उन्होंने चीन की बात बतलाई और साफ कहा कि चीन के मंत्री यहां के मंत्रियों से कहीं अच्छे तरीके से रहते हैं। खैर, हर समय इस तरह की बात करना एक नीच स्तर की बात है। जब तक आप का समाज आज जिस तरह से संगठित है और चाहे जैसे भी संगठन उसका हो जाय वह समाजवाद हो या साम्यवाद, लेकिन कभी भी किसी समय ऐसी अवस्था नहीं आने वाली है कि हर एक को एक ही तरह का वेतन मिलेगा। यह सही है कि हर एक को पाव भर आटा चाहिये, इतना आटा और उतनी दाल चाहिये लेकिन कभी प्रत्येक प्रोफेसर को, साइन्टिस्ट को, प्रत्येक जनरल को, प्रत्येक कमान्डर को वही पाव भर आटा और छटांक भर दाल दी जायगी तो आप का सम्पूर्ण देश और समाज नष्ट हो जायगा और भौतिक विकास के लिये कोई चीज़ ही नहीं रह जायगी। इस लिये यह जरूरी है कि आप बेपढ़े लिखे और अनभिज्ञ आदमियों में जा कर ऐसी बात न करें, वह समझते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं और दूसरे लोग भी समझते हैं, लेकिन ऐसी बात गेलरी को सुनाने के लिये करना कोई ऊंचे स्तर की बात नहीं है। यहां वादविवाद एक ऊंचे स्तर का होना चाहिये। यह कहना कि मंत्री इतना लेते हैं, मैं अपनी बात नहीं कहता लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप चाहे जिस दृष्टि से देखें लेकिन उस दृष्टि से हम यहां बहुत सुखी नहीं हैं। अपने मुख्य मंत्री जी को ही देखिये, मैं समझता हूं कि यह हमारे प्रांत का बड़ा भारी सौभाग्य है कि हमें इतना विद्वान् मुख्य मंत्री मिला हुआ है। यदि वह आज वकालत ही करते होते तो आज धन का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकते थे जो काठगोदाम से नैनीताल की पहाड़ी का सामना करता लेकिन उन्होंने उस को लात मार कर आपके प्रदेश की जनता की सेवा करना अपना कर्त्तव्य समझा और आपके प्रांत में थोड़े ही लोग होंगे जो उनका मुकाबिला कर सकते हों। क्या आप समझते हैं कि वह १२०० रुपया लेने के लिये ही आप के मुख्य मंत्री बने हुये हैं। ऐसी बातें ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप करना आप को शोभा नहीं देता और भवन की तो शोभा ही नहीं।

यूनिवर्सिटीज की बात भी हमारे मित्र काटजू साहब ने कही। इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि मूथम इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट केवल एक सप्ताह हुआ मेरे पास आई है और वह तीन बड़े-बड़े वाल्यूम्स में है। मैं भी उस को पढ़ रहा हूं और हमारे डाक्टर सीता राम जी भी उस को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या उसमें होना चाहिये। यह ठीक है कि यूनिवर्सिटियों के ऊपर कर्जा है और यह कह ही दिया जा चुका है कि सरकार उसे अपने ऊपर लेगी। अभी थोड़े दिन हुये मालूम हुआ कि उन को ३ लाख की आवश्यकता है, उसका प्रबंध किया जा रहा है और आइन्दा भी किस वक्त उन की किस प्रकार की मदद हो सकती है, की जायगी, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या है वह तो अभी मैं स्वयं इस नतीजे पर नहीं

पहुंचा हूं कि इसको प्रकाशित करना चाहिये या नहीं। अगर इसमें कोई ऐसी बातें हुई जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्तर को लोगों की नजरों में नीचे गिराने वाली हुई तो वह अगर लोगों के सामने न जाय तो अच्छा ही है। उसके सुधार का जो उपाय हो वही करना चाहिये। इसलिये अभी में यह तो नहीं कह सकता कि इस रिपोर्ट को मैं प्रकाशित करूंगा या नहीं, लेकिन हां, इतना जरूर कहता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटीज़ से संबंधित लोग हैं उनको इस रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जायगी। चाहे हम सब के लिये इसको पब्लिश न करें, लेकिन अभी मैं यह नहीं कह सकता कि पब्लिश करेंगे या नहीं। हां, यह जरूर है कि भविष्य में किस प्रकार से ऐसा किया जाय कि जो इतना कर्ज एकत्रित हो गया है वह १५ लाख हो, १८ लाख हो, २० लाख हो, यह तो मैं नहीं देख पाया कि उसमें कितना है, लेकिन जो भी है वह तो बिला जाने हुये सरकार ने अपने ऊपर बोझ ले ही लिया, लेकिन आगे इस बात का प्रयत्न तो अवश्य ही करना चाहिये कि इस प्रकार से हमारी ये शिक्षा संस्थायें कर्ज न लिया करें।

अटोनामी का तो बड़ा विवादग्रस्त प्रश्न है। कहीं अटोनामी खंडित नहीं हो रही है, उस पर कोई प्रहार नहीं हो रहा है, इसलिये इस प्रश्न पर मैं जाना नहीं उचित नहीं समझता।

हां, संस्कृत के बारे में नरदेवजी ने यह कहा कि इसमें एक ही रकम है जो संस्कृत कालिज के लिये रखी गयी है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि यदि वह पारसाल की रकम देखें तो वह ३,१४ हज़ार थी जो संस्कृत के संबंध में थी। इस वक्त वह ४,४१ हजार रखी गयी है और उसके अलावा वह रकम केवल इसलिये रखी गयी है कि जब हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय बनेगा तो उसका केन्द्र वही संस्कृत का बनारस का कालिज होगा और इसी लिये वह कालिज की मद में वह रुपया रखा गया है। संस्कृत यूनिवर्सिटी का जहां तक ताल्लुक है, वह किस प्रकार की यूनिवर्सिटी हो और उस में क्या परिवर्तन होना चाहिये, उसका क्या संघटन हो, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर विचार हो रहा है। लेकिन यह रुपया केवल इसलिये रखा गया है कि अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या इसके बाद जो आवेगा, तबतक अगर संस्कृत यूनिवर्सिटी न भी बन सकी तो इस रुपये से उस कालिज का स्तर ऊंचा किया जाय जिसमें वह हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय का केन्द्र हो जाय।

इसके अतिरिक्त एक वेधशाला भी वहां इसलिये बनाई जा रही है जिसमें ज्योतिष की ऊंचे प्रकार की शिक्षा वहां दी जा सके। इसलिये उनको यह असंतोष न होना चाहिये कि संस्कृत शिक्षा के लिये इस बजट में कोई प्रबंध नहीं किया गया है। वह कम भले ही हो, यह दूसरी बात है। एक ऐसी भाषा के लिये जितना भी किया जाय उतना कम ही है, लेकिन यह नहीं है कि उस ओर सरकार का ध्यान नहीं था या उसका कोई प्रबंध नहीं किया गया। हां, इतनी ही बात कह सकते हैं कि वह कम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं कि शीघ्रता होनी चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, अब मैंने खत्म ही किया।

गोवर्धन जी ने कहा कि यह शिक्षा प्रणाली और यह रुपये की कमी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि समाज की सीमा, संघटन तोड़ नहीं दिया जाता है। मैं उस संबंध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज संघटन उनके सामने ही गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी तक जमींदारों का जमींदारी विनाश कानून जो लाया गया, क्या उस से वह समाज में परिवर्तन नहीं देखते हैं? या वही समाज संगठन अब भी चाहते हैं जो इसके पूर्व था। लेकिन यह जरूरत है कि प्रजातंत्र में यह क्रिया क्रमशः हो सकती है। यह दूसरा तरीका है कि क्रांति से वह हो जाय।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

लेकिन प्रजातंत्र में यदि आप किसी दूसरे समाज संगठन को लाना चाहते हैं, जिसको हम सब लाना चाहते हैं, तो वह हमारे यहां क्रमशः ही होगा और वह हो भी रहा है। लेकिन उससे धन में वृद्धि हो जायगी यह चीज मेरी समझ में नहीं आती। यह तो मैं मानता हूं कि थोड़े बहुत जो आपके यहां धनी लोग हैं जैसे जमींदार आज नहीं रहे, आज वह साधारण व्यक्ति हो गये, वैसे ही थोड़े बहुत पूंजीपति जो हैं वह भी साधारण व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन समाज में धन की वृद्धि तो एक ही तरह से हो सकती है। उसका एक ही श्रोत सभी मानते हैं। वह यह कि हर एक आदमी श्रम करे और धरती से पैदा करे। तो समाज के संगठन में यह गुण नहीं है कि वह यकाएक धन की वृद्धि कर देगा। उसके लिये एक ही रास्ता है कि हर एक आदमी श्रम करे और श्रम से पैदा करे। तभी समाज में धन की वृद्धि हो सकती है।

जहां तक अध्यापकों के वेतन का सवाल है मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजूकेशन का पुनर्संगठन होने वाला है उसमें कुछ स्कूल तोड़े जायं, मैं समझता हूं कि यह सम्भव हो सकता है। अभी आज ही सुबह एक जगह के आंकड़े में देख रहा था। तो यह देखा कि यह प्रसार नीति कार्यान्वित करने के पहले उस जिले में ३१७ प्राइमरी स्कूल थे और ४० हजार बच्चे थे आज वहां ५०६ स्कूल हो गये हैं और बच्चों की संख्या केवल ९ हजार बढ़ी है। अगर हम हिसाब लगायें तो एक एक स्कूल में ३७, ३८ लड़के होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन स्कूलों को दूसरी जगह उठाया जा सकता है जिसमें अपव्यय न हो। शिक्षा की सुगमता को बिना कम किये हुये, शिक्षा के स्तर को बिना गिराये हुये यह संभव है कि पुनर्संगठन में हमें कुछ ऐसे स्कूलों को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह, और दूसरी जगह से उठा कर तीसरी जगह करना पड़े यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई शिक्षा में गड़बड़ी हो। जब हम कहते हैं पुनर्संगठन में यह आवश्यक होगा कि जो सुगमता इस समय प्राप्त है वह इसी प्रकार रहेगी, उसमें कमी न होगी तो फिर अगर अपव्यय रोका जा सके तो क्या हानि है? तो जो पुनर्संगठन की बात आज मैंने कही उससे मेरा केवल इतना ही मतलब था।

पहले यह बड़े जोर से कहा गया कि इन अध्यापकों से किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। लेकिन मदन मोहन जी ने इस भवन में अपने ऊपर यह भार ले लिया कि अगर सरकार उनकी इतनी मांगें पूरी कर दे तो वह अध्यापकों को समझा देंगे। यह समझाने बुझाने वाली बात तभी सम्भव हो सकती है जब कि उसका उनसे ज्यादा संबंध हो। यह सम्भव है। लेकिन उन्होंने यह कहा कि डेढ़ करोड़ रुपया सरकार और इसमें दे दे तो यह अध्यापकों का सत्याग्रह हटाया जा सकता है। मैंने पहले ही कह दिया कि हमारी आज की परिस्थिति में उसमें डेढ़ करोड़ रुपया, जो हमारे बजट में साढ़े तीन करोड़ रुपये की कमी है, उस में डेढ़ करोड़ और जोड़ कर पांच करोड़ कर दिया जाय यह हमारे लिये असम्भव है। यह पहले ही हमने कहा और फिर दुबारा कहता हूं लेकिन वह डेढ़ करोड़ यह कहना भी ग़लत है। जो अगर आज डेढ़ करोड़ कहते हैं तो वही पार साल दो करोड़ होगा, दूसरे साल ढाई करोड़ होगा और इस तरह से यह बढ़ता जायगा इसलिये कि इसी तौर पर आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी जो ८५ हजार अध्यापक हैं उनको और फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को दें तो एडेड इन्स्टीट्यूशंस के अध्यापकों को क्यों न दें? तो इस तरह से यह तो एक ऐसी चीज है जो एक जगह अगर मान ली जाय तो उसका आगे चल कर क्या आकार होगा, यह इस समय में बतलाने में असमर्थ हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत सी बातें कहीं और उनका थोड़े में हमको उत्तर देना है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि अगर थोड़े बहुत समय की और आवश्यकता पड़ जाय तो कृपा करेंगे। पहली बात माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कही कि विरोधी पार्टी निम्नस्तर पर जाकर बात करने लगी

है कि वह अध्यापकों को भूख हड़ताल करने के लिये प्रेरित करती है इत्यादि। मैं समझता हूं कि सदन के साधारण शिष्टाचार के विरुद्ध भी उन्होंने यह बात की। जब यह शब्द कहे गये तो मैं बतला देना चाहता हूं कि इस प्रकार की हड़ताल करने के लिये, भूख हड़ताल करने के लिये राजनारायण ने उसको नहीं उसकाया, उनकी पार्टी ने नहीं उसकाया, और राजनारायण या उनकी पार्टी ने यह भूख हड़ताल करवायी होती तो राजनारायण पहले व्यक्ति होते जो पहले भूख हड़ताल करते। वह माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरह पीछे रह कर बात बनाने वाले नहीं हैं। दूसरी बात मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं। अगर अध्यापकों की तनख्वाह को बढ़ाने की मांग रखना निम्न स्तर की बात है तो मैं एक आर्डर जो गवर्नर महोदय की तरफ से गया वह पढ़ देना चाहता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूंछता हूं कि क्या गवर्नर महोदय भी निम्नस्तर पर गये :

"The Governor has been pleased to order the that following revised scale of pay for teachers under Local Bodies should be sanctioned :"

इसमें स्केल बढ़ाया गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय का भी माननीय शिक्षा मंत्री जी अपमान न करें। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इसी परिपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है और मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्वयं देखें जो कि किसी के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। इस सरकारी आदेश में लिखा हुआ है कि :

"These scales of salaries will come into effect from Ist April, 1949, and Local Bodies should take Immediate steps towards their implementation."

अगर कोई तनिक भी अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा चाहे उसके बौद्धिक विकास की मात्रा माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष आयी हो या न आयी हो तो भी वह इसका क्या अर्थ लगायेगा? इसका अर्थ यही है कि पहली अप्रैल, सन् १६४६ से यह लागू होगा, बिल के माने यही हैं यह मैंडेटरी है रिकमेंडेटरी नहीं। आगे भी तमाम "शैल" शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि मैंडेटरी होता है रिक्मेंडेटरी नहीं। अगर शिक्षा मंत्री जी इसको भी वादविवाद का विषय बनाना चाहते हों कि यह मैंडेटरी था या रिक्मेंडेटरी था तो मैं निवेदन करूंगा कि किसी एक्सपर्ट कमेटी में इसको भेज दिया जाय जो इसका ठीक भाष्य बता दे और मैं चाहता हूं कि उस कमेटी के चेयरमैन माननीय गृहमंत्री सम्पूर्णानन्द जी बना दिये जायं। अब श्रीमान जी जब इसकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती थी तो फिर जो एक साफ करने वाला दूसरा परिपत्र भेजा गया उस परिपत्र के क्या माने थे। इसकी क्या आवश्यकता थी? यह सरकार के इरादे में जो घपला था उस घपले का द्योतक है। समय बहुत कम है वरना ये तमाम जो पोथें यहां पड़े हुए हैं उनसे मैं सरकार के घपले को साबित करता।

एक बात और उन्होंने कही। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के आंकड़े को लेकर के हमारे आंकड़े को गलत समझाकर के बुद्धि विभ्रम पैदा करना चाहा। ८ लाख की जगह २४ लाख ही कहे गये। इससे कौन सी अपनी बौद्धिकता का परिचय वह देते हैं। श्रीमन्, मैं समझने में असमर्थ हूं। तीन पुस्तकें मैंने बतायीं। ५ फीसदी देने के बाद सरकार को जो मिला हुआ है वह हमारी जानकारी में ८ ही लाख होता है। अगर माननीय शिक्षा मंत्री जो एक लाख मानते हैं, डेढ़ लाख मानते हैं, और शायद वे एक पुस्तिका मानते हैं या उनके पास जो आंकड़ा आया है वह एक ही पुस्तिका का आया है, तो उसका पूरा हिसाब बतावें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पुस्तकें निकलीं। अगर वे पुस्तकें सरकार के द्वारा छापी जायं तो उससे कुल कितनी आमदनी होगी। मेरा ऐसा मत है कि अगर सरकार अपने द्वारा तमाम पुस्तकें छपवाये और उनका वितरण करवाये, तो काफी रुपया बच जाता है जिससे अध्यापकों की तनख्वाह में वृद्धि की जा सकती है।

श्री हरगोविन्द सिंह——ज्यादा से ज्यादा ५० लाख।

श्री राजनारायण——५० लाख रुपये की रक़म माननीय शिक्षा मंत्री के लिये बहुत थोड़ी होगी। परन्तु हमारे लिये बहुत काफ़ी है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐसी बातों की ओर आना चाहता हूं जिनका ज्यादातर संबंध माननीय शिक्षा मंत्री जी से है। शिक्षा मंत्री जी ने एक संकटवाद खड़ा कर दिया और तमाम ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य कहने लगे भूखा भारत चिल्ला रहा है, एक संकटवाद है और उस संकटवाद का सामना करने के लिये अध्यापक भूखा रहे, नंगा रहे, बेघर का रहे, बे मकान का रहे, और जो सरकार इस समय कहती है उनके सामने झुके। यदि अध्यापक आज सरकार के सामने नहीं झुकता है तो यह कहा जाता है कि वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बहकावे में है या किसी दूसरी पार्टी के बहकावे में है। मैं इन बातों को कहना नहीं चाहता था मगर कहना पड़ रहा है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से शिक्षा संस्थाओं में राजनीति को प्रश्रय दिया है उस तरह से पहले किसी शिक्षा मंत्री ने प्रश्रय नहीं दिया है। किस स्कूल को रेकमेंड किया जाय, कहां के हायर सेकेंड्री स्कूल को सरकारी सहायता प्राप्त हो और कहां के हायर सेकेंड्री स्कूल को सरकारी सहायता न प्राप्त हो, यह सारी बातें पार्टी पालिटिक्स से चलती हैं। हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं कि अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वालों ने सिफारिश की है, तो उसके लिये स्वीकृति नहीं मिली है। कांग्रेस के लोग जो भिन्न-भिन्न ग्रुप बनाये हुये हैं, अगर माननीय मंत्री जी के अन्तरंगग्रुप में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सिफारिश आती है, तो माननीय मंत्री जी उनकोमान लेते हैं। जब पिछड़ी जातियों का अनुदान आयेगा तब में कुछ कहने के लिये तैयार हूंगा। माननीय सम्पूर्णानन्द जी जिस समय शिक्षा मंत्री थे, उस समय जिन जिन विद्यार्थियों को और पिछड़ी जाति वालों को स्कालरशिप मिलता था, अपने दफ्तर से आंकड़े ला करके में दिखा सकता हूं कि कितने व्यक्तियों का स्कालरशिप वर्तमान शिक्षा मंत्री ने बन्द कर दिया है। क्या उनकी दशा अच्छी हो गयी है? क्या उनके धन में वृद्धि हो गयी? क्यों उनके स्कालरशिप को बन्द किया गया। यह सारे आंकड़े किसी भी समय मैं इस सदन में उपस्थित करने के लिये तैयार हूं।

श्रीमन्, राष्ट्रीय निर्माण और संकटवाद की बात यहां पर कही गयी, मगर मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय निर्माण में अगर माननीय शिक्षा मंत्री के कथनानुसार अध्यापकों ने सहयोग नहीं किया, जिसको मैं मानता हूं कि ग़लत है, तो शिक्षा मंत्री ने भी कोई सहयोग नहीं किया है। आज यहां पर जितने सदस्य बैठे हुये हैं, राष्ट्रीय निर्माण योजना जो आज चल रही है, उसमें उनका और तमाम नागरिकों का कुछ भी सहयोग नहीहै। आज हमारे देश पर जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जाकरके अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी अध्यापकों को कसौटी पर कसेंगे तो माननीय मंत्री जी पायेंगे कि हम सब जितने यहां पर बैठे हुये हैं उनसे ज्यादा राष्ट्रीय निर्माणमें अध्यापकों का सहयोग हो रहा है। हम भी अपने को उसमें शामिल करतेहैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने एक बात यह कही थी कि अगर सामन्त शाही की व्यवस्था समाप्त न की गयी होती तो इंगलैंड में इंडस्ट्रियल रेवेल्यूशन की सफलता न होती। इसीलिये हम बराबर चिल्लाते हैं कि यहां पर सामन्त शाही की व्यवस्था समूल नष्ट की जाय, यहां जमींन का बटवारा किया जाय, तब जा कर यह तमाम बातें पूरी होंगी और तब जाकर के कहीं राष्ट्रय निर्माण होगा। केवल "राष्ट्रीय निर्माण" शब्द के प्रयोग करने से राष्ट्रीय निर्माण नहीं होगा। राष्ट्रीय निर्माण होगा उत्साह से, त्याग से और बलिदान से उसको ऊपर से आना चाहिये, केवल नीचे से बराबर किये जाने से राष्ट्रीय निर्माण नहीं हो पायेगा।

संस्कृत कालेज, बनारस, के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी यहां पर फरमाया कि उसके लिये भी रुपया रखा गया है उसको विश्वविद्यालय बनाने के लिये। क्या माननीय शिक्षा मंत्री महोदय नहीं जानते हैं कि आज जो वहां के प्रिंसिपल महोदय हैं, उनमें जो एक प्रिंसिपल के लिये रिक्विजिट क्वालिटीज होनी चाहिये, वह विद्यमान नहीं हैं। तीन चार साल से बराबर वहां के लोग शिकायतें करते चलते आ रहे हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रजापार्टी के होंगे।

श्री राजनारायण—इस समय प्रजापार्टी का भूत माननीय मंत्री जी के शिर पर चढ़ कर बोला करता है, और हर समय उनको इसका इलहाम हुआ करता है, मैं यह निवेदन करूंगा कि वे उसी को न देखें। मैंने कल माननीय शिक्षा मंत्री जी को वहां के दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिखी हुई शिकायती पत्र को दिया है। उसका उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया कि प्रिंसिपल की जगह को इस समय एडवटाइजमेन्ट करने के लिये सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया है। मगर बाद में राजनीति आई और राजनीति में आकर के माननीय शिक्षा मंत्री की उस भावना की पूर्ति नहीं हुई। यह तमाम बातें मैं नहीं चाहता था कि इस सदन के सामने रखूं मगर माननीय मंत्री जी बाध्य करते हैं कि इन बातों को सदन के सामने रखा जाय। जो सदस्य उठता है वह बधाई देता है माननीय शिक्षा मंत्री को कि उन्होंने जिस प्रकार का बजट रखा है वह सुन्दर है। जो भी बजट उपस्थित हो उससे संबंधित मंत्री को धन्यवाद दिया जाता है। एक ही मुखारबिन्दु से धन्यवाद दिया जाय और फिर उसी मुखारबिन्दु से उसकी आलोचना की जाय तो यह दोनों बातें सरकारी पक्ष के सदस्यों में विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। तो श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम सही मानों में शिक्षा का संचालन करना चाहते हैं और सही मानों में शिक्षा को नियन्त्रित करना चाहते हैं तो अध्यापक लोग कोई नई मांग नहीं मांग रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ माननीय शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि अध्यापक जिस भावना और मंशा को ले कर आये हैं उसे पूरा कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री हरिगोविन्द सिंह से) क्या आप कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं।

जो रिकगनिशन शिक्षा वाली बात कही गयी उससे सरकार से कोई संबंध नहीं है। वह इन्टरमीजियेट बोर्ड में रिकगनिशन होता है, मैं जानता भी नहीं कि कैसे होता और कैसे नहीं होता है। जहां तक स्कालरशिप की बात है वह डाइरेक्टर देते हैं और मुझे पता नहीं कि किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता है। और जहां तक बनारस के उदय प्रताप कालेज का संबंध है, बनारस के प्रजा सोशलिस्ट के एक स्तम्भ रोज़ मेरी जान खाये जा रहे हैं कि बनारस उदय प्रताप कालेज में कुछ कीजिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—शिक्षा (लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग तथा ३७–शिक्षा) के अन्तर्गत ८,५४,७७,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१ के अन्तर्गत ५४,५५,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, जैसा कि मालूम होगा कि इस बजट में पिछले बजट से कुछ ज्यादा रुपया हरिजन सहायक डिपार्टमेंट में रखा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम उनकी दशा देखते हैं

[श्री हरगोविन्द सिंह]

और उनकी दशा से इस धन का अनुपात जोड़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि इस धन का कई गुना यदि उनमें खर्च किया जाय तब शायद उनकी अवस्था कुछ सुधर सके। उनके पढ़ने के लिये तो इसमें व्यवस्था है काफ़ी। लेकिन उनके जीवन के और एसपैक्ट्स के लिये इसमें बहुत ज्यादा धन नहीं है। उनके रहने के लिये मकान नहीं हैं, और न कोई जीविकोपार्जन के साधन हैं। शिक्षा का जहां तक संबंध है वह मैं समझता हूं कि अपनी जगह पर काफी है। जितने भी हरिजन बच्चे हैं उनकी शिक्षा का शुरू से लेकर यूनिवर्सिटी तक लगभग तमाम भार हम सहते हैं। यह काफ़ी संख्या है। वह यदि और बढ़ती जाय तो उसके लिये सरकार सदैव तैयार रहेगी। लेकिन और दिशाओं में जितना होना चाहिये उतना तो शायद इसमें नहीं है और यदि कहा भी जा सकता है कि वह बहुत ज्यादा धन नहीं है। लेकिन उसके लिये मैं चाहूंगा कि, जैसा मैंने पहले कहा, भवन उसी जगह में रख कर विचार करे जो देश की या अपने प्रान्त की आज हालत है। यह जो इतना उनके उत्थान के लिये लगाया जाता है इसके लिये भी मैं समझता हूं कि हरिजन मंत्री होने के कारण मैं और लोगों का आभारी हूं क्योंकि जो धन बजट में है उसमें यह है कि हरिजनों के पास अधिक उत्पादन के साधन न होने के कारण जो धन हमारे प्रान्त में इसके लिये व्यय होता है उसमें उसका हिस्सा बहुत कम होता है। लेकिन इसमें यह रखा गया है कि हम उनके लिये यह प्रयत्न करें कि वह हमारे समाज में घुलमिल जावें और उनके दिलों से यह भाव निकल जाय कि वे एक नीची श्रेणी के लोग हैं, तो यह हमारे लिये एक बड़ी बात होगी। आप जानते हैं कि जो पहले कानून था जिसके मातहत कुछ जातियां जरायम पेशा कही जाती थीं उनका सेटिलमेंट भी तोड़ दिया गया और वह क़ानून भी टूट गया। लेकिन उस क़ानून के तोड़ देने से तो समस्या का कोई हल नहीं होता जब तक कि उनके पास ऐसे साधन उपलब्ध न किये जावें जिनमें लगकर वह जरायम न करें। उसके लिये इस बजट में हर साल की अपेक्षा अधिक रुपया रखा गया है। १ लाख रुपया इसलिये रखा गया है कि उसमें कुछ घरेलू उद्योग धंधों का काम शुरू किया जाय। ८० हज़ार रुपया इसलिये है कि जो लोग खेती करते हैं उनके लिये खेती के साधन उपलब्ध किये जावें। इसी प्रकार १० हज़ार रुपया इसलिये रखा गया है कि सैटिलमेंट के लड़कों को शिक्षा दी जाय। डेढ़ लाख रुपया और ५० हज़ार रुपया वेल्स के लिये रखा गया है जो पारसाल से ज्यादा है। जहां मकानों के लिये पहले ७०,००० रुपया है वहां अब १ लाख ७० हज़ार कर दिया गया है। यही हरिजन सहायक बजट के मुख्य अंग हैं जो मैंने भवन के सामने प्रस्तुत किया हैं और मैं आशा करता हूं कि भवन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

श्री वंशीदास धनगर (ज़िला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में कुल अनुदान में एक रुपये की कटौती पेश करता हूं।

हमारे देश में जहां तक अछूत, पिछड़ी और शूद्र जातियों का संबंध है हमारे हिन्दुस्तानी लोगों और विशेषकर हमारे हिन्दू भाइयों का और ऊंची जाति के कहे जाने वाले हिन्दू भाइयों का बड़ा ही अजीब रुख उनके साथ रहा है और इस प्रश्न का सुलझाव पिछले ढ़ाई हज़ार वर्षों से हिन्दुस्तान में नहीं हो पाया है। इसी सुलझाव के न होने के मातहत इस हिन्दुस्तान में विदेशी जातियों के आक्रमण हुये। इस्लाम की शक्ल में जब पठानों की हुकूमत आयी तो उन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या के हिन्दुओं को जो लाखों की गिनती में थे बात की बात में पामाल किया। पठानों की १६ पीठी ने हिन्दुस्तान पर राज्य किया। इसके बाद मुग़ल आये और उनकी भी १२ पीढ़ियों ने हिन्दुस्तान में राज्य किया और उसके बाद अंग्रेज आये और उनकी ८ पीढ़ियों ने यहां राज्य किया। इस लम्बेकाल की गुलामी का कारण अगर पूछा जाय तो एक ही है और वह है कि यहां की पिछड़ी जातियों, शूद्र जातियों की अजीब समस्या है और उनके प्रति यहां के दीगर हिन्दू भाइयों ने अजब रुख अख्तियार किया है। स्वतंत्रता के बाद यह आशा थी कि यह समस्या सुलझेगी लेकिन आज भी यह समस्या ज्यों की त्यों वैसे ही पड़ी हुई है। हिन्दुस्तान में पिछले सन् ३१ के सेन्सस के हिसाब से हिन्दुस्तान में ५१.४३ फीसदी लोग पिछड़ी जातियों के थे और २२.८५ फीसदी हरिजन भाई

थे और मुसलमान भाई ११.४ प्रतिशत थे और ऊंची जाति के कहे जाने वाले हिन्दू भाइयों की तादाद १४.२६ थी। कुछ कमी वेशी के साथ हमारे सूबे में भी यही हिसाब है। हमारे सूबे में पिछड़ी जाति के लोग जैसे काछी, लोध, नाई, तेली, तम्बोली, दरजी, धोबी, सोनार, लोहार, बढ़ई और अछूत जाति के जैसे चमार, कोरी, धोबी, धुनहा, धानुक, नट, कंजड़ और इसी तरह से मुसलमान भाइयों में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जैसे मोमिन, अन्सार, धुनहा, जुलहा, डफाल, कव्वाल, रंगरेज, रंगसाज वग़ैरः वग़ैरः तो यह जितनी जातियां हैं उसकी तादाद आज भी हमारे सूबे में ८५ फीसदी है। अगर हम पिछड़ी जाति के मुसलमान भाइयों से ऊंची जाति के मुसलमान भाइयों को अलग कर दें तो इन पिछड़े मुसलमान भाइयों की स्थिति हिन्दू जाति के पिछड़े भाइयों के बराबर है और यह ऊंचे जाति के मुसलमान भाई करीब आधी फीसदी के हैं और उनका स्टेटस डेढ़ फीसदी के क़रीब जो ऊंची जाति के हिन्दू भाई हैं उनके बराबर है। तो दशा यह है कि आज ८५ फीसदी कौन है यही पिछड़ी हुई जातियों के भाई, चाहे वे मुसलमान हों या हिन्दू। तो ये ८५ फीसदी हैं जिनमें पिछड़े मुसलमान, पिछड़े हिन्दू और कुछ अछूत हैं। इस प्रकार से ८० प्रतिशत की समस्या की तरफ सदैव से जब कभी भी यह सवाल आता है तो जैसे कि हिन्दुस्तान के लिये है वैसे ही हमारे सूबे के लिये भी यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का कुछ हल नहीं होता है क्योंकि ज्यादातर हमारी सरकार में भी और नौकरियों में भी हर जगह बोल बाला ऊंची जाति के हिन्दुओं का ही है और दबी ज़ुबान से यह भी कहा जाता है कि कुछ ऊंची जाति के मुसलमानों का भी है। इस तरह से ऊंची जाति के हिन्दुओं और कुछ ऊंची जाति के मुसलमानों का ही हर जगह बोलबाला है और उन लोगों को कोई कहीं नहीं पूछता है, चाहे नौकरियों में हो, चाहे विकास के मामले में हो।

इतना ज़रूर है कि डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण इन लोगों के कुछ आंसू ज़रूर पोंछ दिये गये हैं और हरिजन आन्दोलन को जारी करके जो अछूत भाइयों की कुछ टोली असेम्बली में दिखाई देती है तो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ कुछ है, नौकरियों में उनका कुछ प्रतिनिधित्व है। और जो यह टोली दिखाई देती है तो यह ऊंची जाति वाले हिन्दुओं के पिछलग्गू हैं, ऐसा ही हम कहेंगे क्योंकि जब उनकी बेहबूदी का प्रश्न आता है तब भी ऐसे लोगों का रुख देख कर प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है जैसे कि ऊंची जाति वाले मिनिस्टर्स और अधिकारी चाहते हैं। या जो राजनैतिक पार्टी चाहती है जिनमें अधिकतर ऊंची जाति वालों का ही बहुमत रहता है। जैसा वह लोग चाहते हैं उसी हिसाब से यह लोग चलते हैं। इस हिसाब से यहां की असेम्बली में हरिजनों की तादाद ८४ है। इससे यह नहीं है कि बड़ा भारी मरहला हल हो गया हो। मैं तो समझता हूं कि दस साल के रिजर्वेशन के बाद भी हल नहीं हो सकता है, न अभी हल हो रहा है और न भविष्य में हल होने की उम्मीद ही है। इसकी मिसाल के लिये मैं ५०० वर्ष के बौद्ध धर्म के प्रचार को लूंगा क्योंकि बुद्ध जी ने.................

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य बजट के ऊपर आ जायं तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि अब उनके समय में २-३ मिनट ही बाक़ी रह गये हैं।

श्री वंशीदास धनगर--मैं कहूंगा कि ५०० वर्ष के बाद ज्योंकि त्यों दशा हो गई है और अब भी ज्यों त्यों उनकी समस्या ही लगी हुई है। यदि सही प्रकार से कहा जाय कि हमारे हरिजन भाइयों के प्रति जो हमारी सरकार का रुख है वह सौतेली मां का सा है और दूसरे अछूत भाइयों के प्रति जो व्यवहार सरकार का है जो नान हरिजन हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार है जैसा कि भगौड़ी मां के साथ किया जाता है। जैसे कि वह करती है और उसी समय तक बनी रहती है जब तक कि उनका मजा बना रहता है और जब उसका मजा पूरा हुआ तो वह भाग निकलती है।

पिछड़ी जाति के लोगों के साथ सरकार का बर्ताव इस तरह का है जैसे किसी बाप की रखैल

[श्री वंशीदास धनगर]

औरत हो और वह बच्चे भी पैदा करती जाय और बाद में उसके मज़े में फर्क आये तो वह अलग हो जाय। यही हालत इनके साथ है....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उदाहरण जरा थोड़े से और भी सभ्य समाज के लायक हों तो अच्छा है।

श्री वंशीदास धनगर—हमारे कहने का मतलब यह है कि इस वक्त यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा रुपया जो इस प्रकार से इसके लिये रख दिया जाता है उससे कुछ भला नहीं होता है। असली भलाई तो देहाती समस्या को सही प्रकार से हल करने से है। उनकी शिक्षा का काम बहकावे और बातों से नहीं चल सकता। आज संसार में भौतिकवाद का बोलबाला है। इस भौतिकवाद में थोड़े से वजीफे देकर पिछड़ी जातियों का मसला हल नहीं हो सकता। वजीफे देकर इनको कुछ दिनों के लिये टरकाया जाय इससे काम नहीं चल सकता। इनकी वास्तविक स्थिति इतनी खराब है कि उसका सुधारना बहुत आवश्यक है। इनमें से ९८ फ़ीसदी किसान और मजदूर हैं और मजदूरों की संख्या अधिक है। मैं समझता हूं कि इनकी समस्या को सुलझाने के लिये उनकी जितनी तादाद है उस हिसाब से एजूकेशन विभाग से उन पर रुपया खर्च किया जाय। जब तक उनकी तादाद के हिसाब से उन लोगों को अलग से रुपया नहीं दिया जायगा तब तक उनके सुधार में कोई वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती। पंचवर्षीय योजना का नाम जो बड़े जोरों के साथ लिया जाता है, अगर यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है तो उस योजना में इस प्रश्न को लिया जाना चाहिये था। उनके भौतिक विकास के लिये, उनकी शिक्षा के लिये उन पर उतना रुपया खर्च नहीं किया जाता है जितनी कि उनकी तादाद है। और जब तक उनके लिये अलग से उनकी तादाद के हिसाब से रुपया नहीं रक्खा जाता है तब तक मैं समझता हूं कि उन लोगों का कोई वास्तविक सुधार नहीं हो सकता है। हमारी सरकार इस प्रश्न को बहुत मामूली प्रश्न समझती है लेकिन मैं जब सही प्रकार से सोचता हूं तो मैं यह समझता हूं कि यह समस्या हमारी सरकार के लिये इतनी विकट समस्या हो जायगी कि आज जो मास्टरों का आन्दोलन हो रहा है या स्वीपर्स के आन्दोलन हो रहे हैं या पटवारी भाइयों के आन्दोलन हो रहे हैं, ये सब आन्दोलन उनकी समस्या के आगे पासंग के समान हो जायेंगे क्योंकि ये लोग भारतवर्ष में इतनी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन सही प्रकार से चेतना अभी नहीं हो पाई है।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो पिछड़ी जातियों के लिये है उसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और इस अनुदान का समर्थन करता हूं। पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान शिक्षा से ही नहीं होगा, बल्कि इसके लिये ४, ५ बातों की आवश्यकता है और वह यह है—पहिली शिक्षा, दूसरी भूमि, तीसरी उद्योग, चौथी नौकरी और पांचवीं अमानुषिक व्यवहार। जैसे छुतछात और भेदभाव का व्यवहार जो उनके साथ होता है वह बन्द हो जाय। यह ५ बातें हमारी सरकार भी करना चाहती है और उनको पूरा करने के लिये उनकी मदद भी करती है। शिक्षा के सम्बन्ध में सन् ४६ में यह अनुदान ६ लाख ९७ हजार था लेकिन बढ़ते बढ़ते सन् ५३ में ४९ लाख हो गई। उस वक्त इस शिक्षा अवधि में शिक्षा मंत्री माननीय बाबू सम्पूर्णानन्द थे जिनको यह श्रेय दिया जा सकता है और जिनकी वजह से यह अनुदान ७ गुना हो गया। उनके प्रयत्न से ही यह हुआ है। अब इस वक्त यह अनुदान ५४ लाख ६२ हजार दो सौ है। वैसे तो यह बहुत कुछ बढ़ चुकी है लेकिन जैसा कि मेरे माननीय मंत्री जी ने बतलाया यह बहुत अहम सवाल है और इस मसले के लिये करोड़ों रुपये की आवश्यकता है। ठीक मैं भी यही कहता हूं। कम से कम दो करोड़ रुपया हो तो तब इस मसले का हल हो वरना जो कुछ प्रश्न आज हमारे

सामने हैं वे कम नहीं होंगे। लेकिन अब आशा है कि अगर इसी रफ्तार से काम होता रहा और आगे बढ़ते गये तो बहुत कुछ सुधार हो सकेगा। मुझे तो यही सुझाव देना है कि एक तो शिक्षा के बारे में, दूसरे भूमि के सवाल के बारे में और उद्योग के बाबत किसी कदर सरकार ने सहायता दी है लेकिन अभी देना बाकी है, जितना होना चाहिये था उतना अभी नहीं हुआ। उसके बारे में भी अभी सवाल पेश है। सरकार ने सहायता तो दी है। मैदान में या पहाड़ों में जहां भी पिछड़ी हुई जातियां हैं वहां सब जगह एक ही बीमारी है जिसका इलाज तो हो रहा है और वह सरकार ने किया है। लेकिन जैसे किसी बीमार की बीमारी का इलाज होता है और जब वह बीमार आदमी बीमारी से अच्छा हो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा भूख पैदा हो जाती है। यही हालत इस समय हरिजनों की हो रही है। वह चाहते हैं कि जितना मिल रहा है उससे और ज्यादा मिले। इसलिये अब सवाल यह है कि यह भूख कैसे मिटेगी ? वह मिटेगी भूमि से, उद्योग से और नौकरियों से। भूमि कुछ थोड़ी दी गयी है लेकिन बहुत कुछ देने की आवश्यकता है, उद्योगों में थोड़ी बहुत सहायता दी गयी लेकिन बहुत कुछ देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ नौकरियों में जो १० फीसदी हरिजनों को दी गयी हैं वह भी ठीक अमल में नहीं लायी गयीं। उनकी ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पर भी ख्याल किया जाय और इसके साथ ही साथ अमानुषिकता है, उनको अछूत कहा जाता है, उसको भी दूर करने की जरूरत है। इसलिये सरकार ने सामाजिक असमर्थता बिल बनाया, अभी इस बारे में भी नाम-मात्र का कार्य हुआ है। समयाभाव से मैं और कुछ नहीं बता सकता केवल संकेतमात्र ही करता हूं कि सरकार इन सब बातों को कार्यान्वित करे और हमारे माननीय मंत्री जी इसकी कोशिश करें क्योंकि यह अनुदान उन्हीं के हाथ में है। इसके साथ ही साथ मैंने पहाड़ों की जमीन के लिये बरसों से सवाल पेश कर रक्खा है। ५० हजार एकड़ भूमि की मांग पेश कर रक्खी है। सरकार मेरी इस मांग को जांच करने की कोशिश करे और हरिजनों को वह दी जाय। मैं वहां के रहने वालों में ४५ बरस से काम करता हूं और वहां की हालत को भली प्रकार जानता हूं, मेरा यह कहना है कि वहां की समस्या पर पूरी तरह विचार नहीं हुआ है। जब तक पूरी तरह से उस पर अमल नहीं हो जायगा तब तक यह रोना खत्म नहीं होगा। उदाहरणार्थ मां अपने काम में लगी हुई है, बच्चा रोता है, बच्चे के रोने में ताकत है, वह दूध के लिये मां को मजबूर कर सकता है, उसी प्रकार हरिजन लोगों की सरकार से प्रार्थना है। जब तक उनकी उदरपूर्ति नहीं होगी तब तक उनकी चिल्लाहट भी खत्म नहीं होगी। आशा है सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करेगी। क्योंकि वह काम सरकार के लिये यथाशीघ्र करना आवश्यक है।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त मुझे आपकी मेहरबानी और कृपा से बोलने का समय मिल गया। जहां तक हरिजनों की ग्रांट का सम्बन्ध है उसके बारे में एक वाक्य महात्मा गांधी का है जिसको मैं पढ़ देना चाहता हूं :—

"Swaraj (or independence), wrote Gandhiji in Young India of the 25th May, 1921 is a meaningless term if we desire to keep a fifth of India under perpetual subjection......Inhuman ourselves. We may not plead before the Throne for deliverance from the inhumanity of others. Democratic India must therefore make the improvement of under-privileged section of the community as one of its first tasks. Victims of misfortune, millions of men and women have submitted to this fate for thousands of years."

[श्री जयपाल सिंह]

[२५ मई, १९२१ के यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था कि स्वराज्य (या स्वतन्त्रता) निरर्थक शब्द हैं यदि हम भारतवर्ष के पंच मांश को निरन्तर पराधीनता में रखना चाहें... हमारे लिए भी यह अमानुषिक है। हम चाहे सिंहासन के समक्ष अन्य लोगों की अमानुषिकता की मुक्ति के लिये प्रतिपादन न करें किन्तु जनतंत्र भारत को सर्वप्रथम समुदाय के अन्य विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए सुधार कार्य करना चाहिए। लाखों स्त्री-पुरुषों को हजारों वर्षों तक इस दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ा है।]

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इसका खुलासा थोड़ा कर दें।

श्री जयपाल सिंह—इससे स्पष्ट है कि गांधी जी ने कहा कि अगर हिन्दुस्तान स्वतंत्र भी हो जाता है तो १।५ हिस्सा गुलाम बने रहने से जो स्वराज्य की परिभाषा है वह अधूरी रह जायगी, वह बेमानी रह जायगी। इसलिये हिन्दुस्तान के जनतंत्रीय राज्य में छोटी और पिछड़ी हुई जातियां जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से गुलाम रही हैं उनकी उन्नति करना सबसे पहला काम है, यह इसमें कहा गया है। इस तरीके से मैं एक शब्द याद दिलाने के लिये कहना चाहता हूं कि माननीय जगजीवनराम ने नागपुर के सेशन में यह कहा था कि देश स्वतंत्र हुआ उसे स्वराज्य मिल गया, लेकिन दलितों की झोपड़ियों में अभी तक अंधकार है, वहां स्वाधीनता सूर्य की किरणों का अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। यह सत्य है जब डिप्टी मिनिस्टर साहब महोदय टेहरी गढ़वाल में जाकर यह कहते हैं कि स्वराज्य जो है वह दरख्त पर लटका हुआ है, अभी जमीन पर नहीं आया हुआ है। मैं कहता हूं कि उनका यह कथन बिल्कुल सही है और मैं इसको शत प्रतिशत मानता हूं। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई मर्तबा इस बात को दोहराया है कि हरिजनों के सम्बन्ध में जितने ग्रान्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जितने रुपये की जरूरत पड़ेगी उसके लिये मैं कहीं न कहीं से रुपया लाकर दूंगा लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें बराबर कमी होती जा रही है। अब आप देखें कि पिछले दिनों एजूकेशन के सिलसिले में २६,७२,७०० रु० दिया गया था लेकिन इस समय २६,६६,९०० रु० रखा गया है। यह जो डेढ़ करोड़ हरिजनों की समस्या है उसके लिये २,८०० रु० की कमी कर देना कहां तक न्यायसंगत है? इसी प्रकार अगर आप हरिजनों की शिक्षा पर देखें तो २.८७ पाई पर हेड खर्च होता है। तीन करोड़ हरिजनों को सामने रखें तो कुछ एक लाख १० हजार रुपया खर्च होता है। आइडियल हरिजन बस्ती के लिये ७,३०० रु० खर्च किया जा रहा है। यदि आप आइडियल बस्ती को देखें तो पता लगेगा कि गोंडे में जहां ४० मकान बने थे वे साल भर के बाद ही गिर गये। इस तरह की आइडियल बस्ती बसाना जहां के मकान साल भर भी नहीं रह सकें इस तबके के साथ एक मजाक है। मैं समझता हूं कि पिछड़ी जाति के लोग जिनमें मोमिन व हरिजन भी शामिल हैं साढ़े ४ करोड़ के हिसाब से फी आदमी खर्च ७ पाई पड़ता है और अगर ५४ लाख पर ही हिसाब लगाये तो दो आना फी आदमी पड़ता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि यह कल्याण होने की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने २,३६,२०,००० रु० के लिये सिफारिश की है लेकिन बम्बई में देखा जाय तो २,१३,००,००० रु० है। इसी तरह से मद्रास को देखा जाय तो ४,६७,६०,००० रु० है। इस तरह से मैं देखता हूं कि वहां की आबादी से हमारे यहां की आबादी में दुगुना फर्क है लेकिन हमारे यहां रुपया कम हो रहा है जब कि मैं समझता हूं कि हमारे यहां ज्यादा होना चाहिये। अगर आप पिछले साल के बजट पर नजर डालें तो देखेंगे कि हमारे यहां बराबर कमी होती जा रही है। पिछले दिनों हरिजन शिक्षा विभाग की करीब १३ लाख की डिमांड थी उसमें हम लोगों ने कुछ तरमीम करके उसे साढ़े ४७ लाख तक पहुंचा दिया लेकिन यह कम हो गया। मैं नहीं समझता कि यह कैसे हो गया। हरिजन

सहायक बोर्ड के डिमांड में भी बराबर कमी होती जा रही है। सप्लीमेंटरी ग्रांट में तो ७१ लाख ६६,६०० रुपया था लेकिन रिवाइज्ड बजट में ६१ लाख की रह गया। इस तरह से उसमें बराबर कमी होती जाती है। कहने के लिये तो बजट रिपोर्ट में ५४, ५५ लाख दिखला दिया जाता है लेकिन मैं नहीं जानता कि कैसे इसमें बराबर कमी होती जाती है और उसमें कम ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरह से मैं सर्विसेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि नौकरियों के सम्बन्ध में पहले से ही एक जी० ओ० आया हुआ है लेकिन उस जी० ओ० के सम्बन्ध में शिकायत आयी है कि उसके अनुसार नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट आफ इंडिया का भी एक एलान निकाला हुआ है लेकिन फिर भी अछूतों के साथ पक्षपात किया जाता है। भारत सरकार के एलान में यह कहा गया है कि अछूतों की नौकरी के सम्बन्ध में जो इसके खिलाफ काम करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय, लेकिन मैं समझता हूं कि रिक्रूट-मेंट के सम्बन्ध में बराबर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ऐसा जी० ओ० में कहा गया है कि अगर सूटेबिल कंडीडेट नहीं मिलता है तो उसकी क्वालिफिकेशन को देख-कर उसको प्रोबेशन पर नौकर रखा जा सकता है लेकिन बावजूद इसके कई डिपार्ट-मेंट ऐसे हैं कि जहां पर अछूतों को नौकर नहीं रखा जाता है। हर जगह पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अभी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिये नायब तहसीलदारों को नौकरी पर रखा गया है। उसमें मैं समझता हूं कि साढ़े सत्रह हजार में से उनको कोई अछूत नहीं मिला। यहां पर माननीय पुलिस मंत्री मौजूद नहीं हैं। मैं उनको बतलाऊं कि सहारनपुर में एक हरिजन को सेलेक्ट नहीं किया गया बावजूद इसके कि वह सेलेक्शन में पास हो गया लेकिन उसको नहीं लिया गया सिर्फ इस वजह से कि वह एक पर्टीकुलर जाति का नहीं था और उनमें से एक आदमी को सलेक्ट किया गया जो कि एक सिफारिशी आदमी था और जिसकी एक बड़े आदमी ने सिफ़ारिश की थी। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी विभागों में इस तरह से हमारे साथ जो पक्षपात किया जाता है वह उचित नहीं है। जहां भी मैं देखता हूं सब जगह हम से श्रमदान लिया जाता है। स्कूल की बिल्डिंग भी हम लोग बनाते हैं लेकिन जब उनकी नौकरी का प्रश्न आता है तो उसमें दूसरी जाति के लोगों को ले लिया जाता है। यह तरीका सही नहीं है। मैंने इसी तरीके से इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में देखा कि वहां पर कई होस्टल हैं लेकिन उनमें तफरका सिर्फ इसलिये किया गया है कि चूंकि वहां पर हरिजन विद्यार्थी कुछ रहते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके को बदला जाय।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो आपने मुझको बोलने के लिये पहली बार अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यहां पर प्रथम बार ही अनुसूचित जातियों के लिये बोलने को खड़ा हुआ हूं। जो बजट माननीय मंत्री जी ने इस सदन के समक्ष उपस्थित किया है उसके विषय में कुछ प्रकाश डालने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज जो दशा अछूतों की है उसको सभी जानते हैं। किसी देश में समाज के ऊपर एक ही शासन होता है लेकिन भारतवर्ष में दुर्भाग्य से हरिजनों के ऊपर डबल शासन होता है। एक तो हुकूमत का शासन है और दूसरा समाज का शासन होता है और वह भी पीढ़ीदर पीढ़ी से चला आता है। स्वतन्त्रता की आवाज सुन कर हम लोग ताक लगाये हुये बैठे थे कि आजादी मिलने पर हम लोग भी स्वतंत्र होंगे। लेकिन स्वतंत्रता मिली और जैसा कि हमारी कांग्रेसी सरकार ने वादा किया था और उसके लिये वैसा करने को वह कटिबद्ध थी, लेकिन मैं देखता हूं कि जैसा वायदा किया था या जो अछूतों की दशा है, उसको करने के लिये वास्तविक रूप से जैसा कहा जाता है वैसा नहीं किया जाता है। आज हमारे यहां हरिजन सहायक विभाग है। प्रतिवर्ष यह चर्चा होती है कि उनके उत्थान के लिये सभी काम किये जायंगे

[श्री रामकृष्ण जैसवार]

हालांकि पिछले वर्ष जो बजट पेश किया गया था उससे इस साल के बजट में ज्यादा रुपया रखने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है। लेकिन मैं देखता हूं कि चाहे जिस तरह से घुमाफिरा कर रखा जाय इस साल पिछले वर्ष से कम रुपया रखा गया है। मैं आपको बतलाता हूं कि पिछले वर्ष १९५२-५३ के लिये ४९,६१,७०० रुपया रखा गया था, फिर दिसम्बर में ३,९३,१०० रुपये की वृद्धि हुई और फिर फरवरी में ७,७३,५०० रुपये और खर्च किये गये। यह कुल मिला कर ६१,२८,३०० रुपये दिये गये। इस साल ५४,५५,२०० रुपये दिये गये हैं। जब मैं इसको देखता हूं तो यह मालूम होता है कि ६,७३,१०० रुपये पिछले साल से कम दिये गये हैं। मैं यह देखता हूं कि इस बजट में जो रुपया रखा गया है वह अछूतों के उत्थान के लिये बहुत कम रुपया है और इसी प्रकार से जैसा कहा जाता है वैसा किया नहीं जाता है और अगर हम लोग किसी तरह की आवाज उठाते हैं तो हमें डर मालूम होता है और बड़े बड़े जिम्मेदार आदमी भी एक प्रकार से हमें धमकी देते हैं और हम अपनी पुकार को कहने के लिये खड़े होते हैं लेकिन किसी कारणवश कह नहीं सकते। शिक्षा में हमने देखा कि इस वर्ष २६,६९,६०० रु० रखा गया है जब कि पिछले साल २६,७२,७०० रुपया रखा गया था। इस तरह से उसमें भी कमी कर दी गई है जब कि शिक्षा एक बहुत ही जरूरी चीज है। आशा की जाती थी कि इस साल पिछले साल से अधिक रुपया रखा जायगा लेकिन फिर भी बहुत कम रखा गया है। बराबर इस विषय में यहां कहा जाता है लेकिन सरकार की वितरण व्यवस्था ऐसी है कि कांग्रेस सरकार अगर रुपया देती भी है तो उसका सदुपयोग नहीं होता इस तरह की यहां की मशीनरी है। कुओं के लिये रुपया दिया जाता है लेकिन पता नहीं किस प्रकार उसका वितरण होता है। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव की तरफ से भी कुएं बनते हैं जनरल ग्रांट में से, लेकिन चूंकि हरिजन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिये उसका लाभ भी कुछ ऊंचे लोग ही उठा लेते हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां प्रमाण के लिये मैं बता सकता हूं। मकानों की ग्रांट का भी पता नहीं लगता कि किस तरह से उसको व्यय किया जाता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो कुछ भी सरकार रुपया दे उसका ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि जो कुछ भी वह हरिजनों के नाम पर दे उसका दुरुपयोग न हो और सदुपयोग हो। हरिजन सहायक विभाग जो है वहां पर भी धांधली होती है, पता नहीं वह किस तरह से स्कालरशिप देते हैं, कुओं की ग्रान्ट देते हैं और वहां से हमेशा उल्टा सीधा ही जवाब मिलता है और जिसकी वहां पहुंच हो जाती है उसी का काम बन जाता है।

हरिजन उत्थान का डंका बजाया जाता है लेकिन उनकी राजनैतिक गुलामी तो खत्म हो गई है पर देहातों में जो सामाजिक गुलामी है वह अभी बाकी है। अब भी देहातों में वह हरिजन जो चमार कहलाते हैं और जो चमारिन वग़ैरह हैं वह रात दिन नाल वग़ैरह काटती हैं, लेकिन उनको उसके लिये क्या मजदूरी दी जाती है उसको सरकार नहीं देखती है और न उसके उद्धार के लिये ही कुछ किया जाता है। आज भी जो मवेशी मर जाते हैं और जिसको चमार चमारिन उठा कर ले जाते हैं उसके लिये चरसा वसूल किया जाता है, उसके लिये लिखा पढ़ी भी की जाती है लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। जवाब मिलता है कि यह तो पहले से ही चला आता है। जब कि सुधार का डंका पीटा जाता है तो इस तरह की बातें न होनी चाहिये। वास्तविक सुधार तभी हो सकता है जब हर पार्टी की तरफ से हरिजनों के लिये आवाज उठाई जाय और हम लोग भी अब सोये नहीं हैं और अगर सरकार हमारी कन्धे से कन्धा मिला कर मदद करें तो हम भी अपनी उन्नति चाहते ह। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इन सब बातों की तह में जाकर, देखकर और समझ कर इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करे। इसके साथ ही साथ में माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि जो तमाम त्रुटियां हैं उन सबकी तह में जाकर देखें और तमाम

अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

खराबियों को दूर करने के लिये कटिबद्ध तैयार हो जायं तभी उनका वास्तविक सुधार हो सकता है और कागजी घोड़े दौड़ाने से कोई लाभ न होगा।

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का जो विषय है वह बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका महत्व इसलिये और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह समाज के एक आवश्यक अंग से सम्बन्ध रखता है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है चाहे हम सामाजिक दृष्टि से देखें या किसी शिक्षा की दृष्टि से देखें। हमारी सरकार का दावा है कि :—

सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वेन्तु निरामयाः।

सर्वेभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुखमनुभवेत्॥

अर्थात् हमारे राज्य में कोई दुखी न हो, कोई रोगी या और किसी कष्ट में न रहे लेकिन हम देखते हैं कि इस राज्य में कम से कम ५० फीसदी पिछड़ी हुई जनता है और इसके अतिरिक्त करीब २२ फीसदी हरिजन जनता ऐसी है जिसका जीवन स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। और उनके लिये हमारी सरकार ने जनरल एजूकेशन के साथ साथ एक विशेष व्यवस्था की है कि वह अपने जीवन को उठा सकें और वह जातियां जो एजूकेशन में ऊंची हैं और ऊंची जाति कहलाने वाली हैं उनके साथ एक तालमेल कर सकें। लेकिन मैं देखता हूं कि इतनी बड़ी आबादी के लिये एक समान जीवन स्तर लाने के लिये जो रकम बजट में प्रोवाइड की गयी है वह सिर्फ ५४,५५,२०० रुपया है, जिसमें २१,७०,१०० रुपया उन कार्यों के लिये रखा गया है जिसमें कि प्रबन्ध या अधिकारियों का वेतन और निर्माण कार्य है। अछूत जातियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये केवल २६,६९,९०० रुपया रखा गया है जो पारसाल से भी कम है और ५० फी सदी जातियों के लिये जो कि आबादी का आधा हिस्सा है उसके लिये सिर्फ ६,१५,२०० रुपया रखा गया है। यह इतनी बड़ी आबादी के लिये जो ५० फीसदी है मजाक सा मालूम पड़ता है कि इससे इन जातियों का क्या उत्थान होगा। इस रुपये से अधिकांश, मैं जानता हूं कि वजीफे दिये जाते हैं। उन वजीफों की हालत यह है कि विद्यार्थियों को वह भी समय पर नहीं मिलते हैं। जब तक वजीफे तय हो पाते हैं तब तक उनका साल का अधिकांश हिस्सा निकल जाता है। जो कमेटियां जिलों में बनी हुई हैं और वजीफे देती हैं उनमें कोई भी बैकवर्ड जातियों का मेम्बर नहीं रखा जाता है, इसलिये जो भी वजीफे दिये जाते हैं वह भी ठीक तरह से डिस्ट्रिब्यूट नहीं होते हैं।

श्रीमान् जी, मैं इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे सूबे में करीब साढ़े छः करोड़ आबादी है, उसमें १४ फीसदी उच्च जातियों के लोग हैं, ५० फीसदी करीब पिछड़ी जातियों के हैं, २२ फीसदी अछूत जातियां हैं और करीब ११ फीसदी मुसलमान भाई या अन्य भाई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहां तक हमारी सरकार यह कहती है कि हम किसी को दुःखी नहीं देखना चाहते हैं और सबको उनका वाजिब देना चाहते हैं लेकिन यह केवल कहने ही की बातें मालूम पड़ती हैं और जो वर्ताव होता है वह दूसरी ही तरह का होता है। हम देख रहे हैं कि नौकरियों की बात लीजिये तो हमारे सूबे में जो कि सन् १९५२ की सिविल लिस्ट है उसमें गजटेड अफसरों की कुल संख्या ५,१४४ है। उनमें उच्च जातियों के ४,६४२ हैं, पिछड़ी जातियों के सिर्फ ३० हैं, हरिजन जातियों के ३५ हैं, मुसलमान भाई ४३७ हैं। तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें जो कि ८० फीसदी या ७० फीसदी जनता है, जो कि पिछड़ी हुई है, यह मालूम पड़ता है कि उनका अनुपात इसमें बहुत ही कम या नगण्य रखा गया है। जब तक इनका विशेष प्रबन्ध नहीं किया जायगा तब तक ये जातियां तरक्की नहीं कर सकती हैं।

[श्री विष्णु दयाल वर्मा]

इसी तरह से विधान सभा के मेम्बरों में देख लीजिये। केवल अछूतों के लिये तो एक अलग से आपके विधान में प्रावीजन है, इसलिये ८४ मेम्बर हैं, लेकिन पिछड़ी हुई जातियों का कोई प्रबन्ध इस तरह का नहीं है इसलिये उनके सिर्फ ३९ सदस्य हैं। ५० फीसदी में सिर्फ ३९ पिछड़ी जातियों के और अन्य जातियों के २३७ हैं। इस तरह से ४३० की संख्या है।

हमारा जो मंत्रिमंडल है उसमें भी उच्च जातियों के ९ मंत्री हैं, पिछड़ी जातियों का एक भी नहीं है, हरिजन एक मंत्री है, मुसलमान दो हैं। उपमंत्री ६ उच्च जातियों के हैं, पिछड़ी जातियों के कोई नहीं हैं, हरिजन कोई नहीं है, मुसलमान एक उपमंत्री है और सभासचिव सिर्फ दो तो हैं हरिजन, दो उच्च जातियों के और केवल एक पिछड़ी जाति के और एक मुसलमान है। तो यह सरकार का दावा कि हम सबको सबका वाजिब देते हैं, तो यह तो वाजिब नहीं मिल रहा है। यदि आप क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो जब तक पिछड़ी जातियों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया जायगा तब तक वह चीज नहीं बन सकती है। जिस तरह से उन्होंने अछूतों के लिये प्रबन्ध किया है उसी तरह से बैकवर्ड जातियों के लिये भी करना चाहिये। मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार यह दावा करती है कि पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिए हम मार्ग दिखा रहे हैं, हम इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि मेहतरों की हड़ताल में कितना उनको परेशान किया गया। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने अभी बतलाया था कि हमारे जो प्राइमरी अध्यापक हैं उनकी तनख्वाह पहले से करीब साढ़े तीन गुना बढ़ गई है लेकिन मेहतरों की तनख्वाह कितनी बढ़ी है? उनकी हालत कितनी सुधरी है? उनके लिए क्या प्रबन्ध किया गया है? जो प्रबन्ध वह कर रहे हैं वह मैं समझ रहा हूं कि ठीक नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के लिये इतना रुपया मंजूर करना काफी नहीं है। उनके लिये विशेष प्रबन्ध होना चाहिये और तभी उनका उत्थान हो सकता है। एक बात मैं और बतलाना चाहता हूं कि अगर उनकी वास्तविक दशा सुधारने की बात है तो उनके लिये नौकरियों में उच्च जातियों पर रोक लगा करके इन जातियों का नम्बर बढ़ाया जाय। तभी वह जातियां उन्नति कर सकती हैं।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह जो माननीय मंत्री जी ने अनुदान उपस्थित किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करते हुए दो शब्द कहूंगा। किसी भी जाति का उत्थान और पतन उस देश या उस प्रदेश की हुकूमत पर ही निर्भर है। जब कि सदियों से यह हरिजन समुदाय गर्त में पड़ा बिलबिला रहा था इसकी मानवता तथा आर्थिक और सामाजिक ढांचे को विदेशी सरकार ने चकनाचूर कर दिया था उस अवस्था में महामानव, मजदूरों और किसानों तथा हरिजनों के हृदय सम्राट् वीर सेनानी पूज्य बापू जी हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए खड़े आगे आये। स्वतंत्रता हासिल हुई, स्वतंत्रता हासिल होने के बाद जिस समाज को विदेशी सरकार ने चकनाचूर कर दिया था उस समाज के बच्चों ने अपने को लम्बी इमारतों में जो आंखों से टकरा जाती हैं, उन भव्यशाली शिक्षा भवनों में पाया। कालेजों और विश्वविद्यालयों की सीढ़ियों पर चलते हुए उन्होंने भी देश के अन्य नवजवानों की तरह अपने को नवजवान साबित किया। फिर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़े हुए हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और शनैः-शनैः अपने बजट में इसको ऊंचा स्थान दिया। गत वर्ष यह अनुदान जब कि ४९ लाख रुपये की तादाद में था, इस साल ५४ लाख कई हजार रुपये की तादाद में यह अनुदान है। इस पर भी कहा गया कि हिन्दुस्तान के अन्दर, इस प्रान्त के अन्दर हरिजनों का उत्थान इस बजट में नहीं हो सकता। तो मैं विरोधी दल के नेता से पूछना चाहता हूं, अभी-अभी हमारे माननीय सदस्य धनगर जी ने जो एक लम्बी तकरीर दी है उनसे मैं यह पूछना

चाहता हूं कि आपने इतिहास उठा कर के देखा होगा। किसी भी जाति के लिए, किसी भी सम्प्रदाय के लिये, किसी भी हुकूमत ने इस तरह का साधन नहीं दिया होगा जिस तरह कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़ी जाति के लिए, गर्त में पड़ी हुई जाति के लिए दिया है। जब कि हमारे वह हरिजन बच्चे हिन्दुस्तान की शिक्षा ही नहीं बल्कि विदेशों की शिक्षा में भी अपने को ले जाना चाहते हैं और वहां की अच्छी अच्छी शिक्षा और उद्योग-धंधों और अन्य चीजों का वह अध्ययन चाहते हैं, उसके लिये भी हमारी सरकार का खुला हुआ दरवाजा है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि श्रीमान् कि विरोधी दल के भूतपूर्व एम० एल० ए० गजाधर प्रसाद जी पहले इसी सदन में थे जिनके लड़के ने हिन्दुस्तान की ही तालीम तक अपने को नहीं रखा बल्कि अमेरिका की तालीम में जाकर सरकार के ६५ हजार रुपये को खर्च करके वहां की ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। यही नहीं देवरिया जो सब से पिछड़ा हुआ जिला कहा जाता है वहां के हमारे भाई सीताराम जी हैं जिनके ऊपर सरकार ने ५५ हजार रुपये खर्च करके एक विशेष विषय का अध्ययन करने के लिये विदेश में उनको भेजा था। इस पर भी कहा जाय कि हरिजनों का कल्याण नहीं, हरिजनों का उत्थान नहीं, जब कि डिग्री कालेज के एम० ए० और बी० ए० के विद्यार्थियों को ४०, ४० और ३०,३० रु० की छात्रवृत्ति दे करके उन विद्यार्थियों को अच्छी वेशभूषा में अवसर दिया जाता है, पढ़ने के लिये इस पर भी कहा जाय कि उनका उत्थान नहीं हो रहा है, उनकी उन्नति नहीं हो सकती। कला कौशल और दस्तकारी की तरफ देखिए। आज नये-नये स्कूल खोल करके सरकार हरिजनों को उनमें कल पुर्जों और मशीनों की शिक्षा दे रही है और उनको कला-कौशल और दस्तकारी की शिक्षा देकर इस योग्य बना रही है कि आगे चल कर अपने को स्वावलम्बी बना सकें तथा योग्य नागरिक हो सकें। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी गिरी हुई आर्थिक स्थिति को एक ऊंचे स्तर पर ला सकें। उस पर यह कहा जाय कि यह हरिजनों के लिए कल्याणकारी बजट नहीं है। तो फिर कैसा बजट होता है।

लखनऊ के निकट ही बख्शी तालाब में सैकड़ों हरिजन बच्चों को जिस प्रकार ट्रेनिंग दी जा रही है, वह ट्रेनिंग प्राप्त करके किसी मशीन में, किसी कल-कारखाने में, किसी मिल में नहीं बल्कि अपने घरों पर ही बैठ कर आमदनी पैदा कर सकते हैं और इस प्रकार वे जीविकोपार्जन कर सकते हैं। इस पर भी कहा जाय कि हरिजनों के लिए यह कल्याणकारी बजट नहीं है। तो फिर क्या कहा जा सकता है।

यह भी कहा गया है कि बड़े लोगों ने समाज को दबा कर चकनाचूर कर दिया है। मैं समझता हूं कि एक समय था, एक परिस्थिति थी जब कि समाज को दबाया गया। आज वह परिस्थिति है कि जिस समाज ने उनको दबाया, वही समाज आज कंधे से कंधा मिलाकर उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहा है। हमारे पं० जवाहरलाल नेहरू हरिजन नहीं हैं, पं० गोविन्दवल्लभ पन्त हरिजन नहीं हैं, ठा० हरगोविन्द सिंह हरिजन नहीं हैं लेकिन हरिजनों को उत्थान के रास्ते पर ले जाने के लिये, उनके लिए नये-नये साधनों पर विचार करते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगाना चाहते हैं। इस तरह से अगर किसी साम्प्रदायिक भावना से किसी बढ़ती हुई चीज के ऊपर कुठाराघात किया जाय तो उससे समाज का नुकसान होगा। मैं उन भाइयों से निवेदन करूंगा जो समाज दबा हुआ रहता है और आगे बढ़ता है तो यदि उसको ठीक प्रकार का नेतृत्व नहीं मिलेगा तो वह ऊपर जाकर बिगड़ जायगा। मैं उनसे कहूंगा कि इस बढ़ते हुए समाज पर कुठाराघात नहीं होना चाहिये और साम्प्रदायिक नारे लगा करके आने वाली सन्तानों की उन्नति के रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहिये। आज जब कि अपनी सरकार है उसने उनको गर्त से निकाल कर वह स्थान दिया है जो हिन्दुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान समझता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि उन भाइयों को इस तरह से दलदल

[श्री शिव प्रसाद]

में न डाल उनको उठने का अवसर प्रदान करें। हरिजन भाइयों के साथ हमारी सबकी सद्भावनायें हैं। भावनाओं से कर्तव्य ऊंचा हुआ करता है। आज कर्त्तव्य की तरफ हमें बढ़ना है।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों के सुधार तथा उत्थान के लिए जो अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

हरिजनों के सुधार का प्रश्न सर्वप्रथम लाला लाजपतराय ने उठाया था कि इस देश की गिरी हुई या पिछड़ी हुई जातियों को बराबरी के अधिकार दिये जायं। उन्होंने इसके लिये बरतानिया सरकार से एक युद्ध किया, और मांग की कि उनको फौज तथा सरकारी विभागों में उनके अनुपात के अनुसार नियुक्त किया जाय। लेकिन चूंकि विदेशियों का शासन था। विदेशी चाहते थे कि गरीब जनता को दबा कर अपना शासन करें और इससे उनका शासन शक्तिशाली बनेगा। यही एक खास कारण था कि अंग्रेजों ने यहां बराबर छोटी जाति को दबा कर शासन किया।

उसके बाद सन् १९३० ई० में जब राउंडटेबिल कानफरेंस हुई तो हमारे पूज्य बापू ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं तो जो आज देश का सब से पिछड़ा वर्ग है उसे बराबर के अधिकार दिला कर रहूंगा और अपने प्राणों की बाजी लगायी। आज प्रत्येक भारत के निवासी को उन्होंने यह शिक्षा दी कि अगर उन पिछड़े हुये भाइयों को पूर्ण अधिकार देने हैं तो सच्चे हृदय से दो। दिखावट मत दिखाओ। हमारे जो कांग्रेस के नेता और सच्चे कार्यकर्ता थे उन्होंने हरिजन उद्धार में सच्चे हृदय से काम किया जिसके फलस्वरूप आज हमें यहां कुछ न कुछ यह आशा दिखाई देती है कि हम किसी अच्छे मार्ग पर चलने लगे हैं।

जहां तक विभागों में नौकरी देने का सवाल है हमारी सरकार ने और हमारे नेताओं ने १० फीसदी अधिकार हमारे हरिजन भाइयों के लिये सुरक्षित रखा है। परन्तु आज हम अपने विभागों में देख रहे हैं कि जैसा अभी हमारे माननीय नेता ने उदाहरण दिया कि क्या इस सूबे में यह दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें विदेश में शिक्षा के लिये भेजा गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह यह देखें कि प्रत्येक विभाग में जब कि हम वर्षों से शिक्षा पाते आ रहे हैं हमारे लोगों की १० फीसदी की पूर्ति हो जाय। मैं चाहूंगा कि सिवाय मजदूरी के इस पिछड़े हुये वर्ग को शिल्पकारी भी सिखानी चाहिये जिससे इसका आर्थिक उत्थान हो सके। आज छोटे छोटे व्यवसाय नियंत्रण होने के कारण नष्ट होते जा रहे हैं और ये लोग बेकार बैठे हुये हैं। मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उनके अनुपात के अनुसार उनको लाइसेंस और परमिट दिये जाने चाहिये जो कि उन्हें नहीं दिये गये और आज वे मारे मारे फिरते हैं। यदि उन्हें शिल्पकार बना दिया जाता तो वे नौकरी के लिये मारे मारे न फिरते। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे ज्यादा से ज्यादा शिल्पकारी की शिक्षा देने का प्रयत्न करें। महज नौकरियों से हरिजनों का उत्थान होने वाला नहीं है। उनको कृषि के लिये जमीन दिलानी चाहिये। हमारे हरिजन विभाग में सूची होनी चाहिये कि १० फीसदी पद हरिजनों के क्यों नहीं भरे। इसके बगैर हम अन्धकार में ही रहेंगे।

मैं आखिर में आपके द्वारा अपने शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के सुधार और उत्थान के लिये अनुदान पेश किया है और इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गौर से माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनता रहा। इस वक्त पर जो कि पिछड़ी हुई जातियों के

सुधार का बजट है वह पिछड़े हुये वक्त पर ही आया भी है जब कि सदन में बहुत से मेम्बर भी पिछड़ गये। माननीय सदस्य लोग भी पिछड़े हुये हैं और वह यहां मौजूद नहीं हैं। कल पछतावेंगे। मैं एक बात माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट से जिस अर्थ व्यवस्था को वे कायम रखना चाहते हैं उसके लिये यह बजट पूरी तौर से सफल होगा और उसमें उनकी जितनी तारीफ की जाय या धन्यवाद दिया जाय उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। इस तरह की हुकूमतें हमेशा स्कैयरसिटी की इकानामी (अभाव की व्यवस्था) को क़ायम रखना चाहती हैं। उसमें उनको यह लाभ होता है कि उनके पीछे बाजार लगा रहता है। वज़ीफा पाने वालों की बाजार, नौकरी पाने वालों की बाजार, फीस माफ कराने वालों की बाजार, यह बाजार लगी रहेगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी के पीछे और माननीय शिक्षा संचालक महोदय के पीछे या जो माननीय सदस्य उसके सम्बन्ध में लोगों को सहायता पहुंचा सकें, उनके पीछे। तो इसमें यह बजट पूरी तरह से सफल होगा। मैं समझता हूं कि अगर वास्तव में माननीय शिक्षा मंत्री जी का पिछड़ी हुई जातियों और हरिजन जातियों के उत्थान करने का इरादा है, और इस प्रान्त में जो सब से निर्धन वर्ग है वह यही है, तो फिर उसकी एक दम फीस माफ कर देने में क्या हर्ज है। उसके लिये वज़ीफे की एक युनिफार्म पालिसी बना लेने में क्या हर्ज है। मैं जानता हूं कि वे यह चीजें नहीं करेंगे और उसका कारण यह है कि इस प्रकार स्कैयरसिटी की इकोनामी कायम रख कर जो उनके पीछे एक लीडरशिप की भावना या सुप्रीमेसी की भावना काम करती है, वह बनी रहेगी और उससे कुछ क्रीत दास हुआ करेंगे जो सही बात को ग़लत बात यहां पर भी और दूसरी जगह भी कहेंगे। मैं समझता हूं कि अगर हरिजनों का उत्थान वाक़ई सरकार के ध्यान में रहता है, तो सब से पहले उनकी माली हालत सुधारने का काम होना चाहिये। यह अवसर ऐसा नहीं है जब मैं ज़मीन के बटवारे की चर्चा करूं, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है जिसकी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। टैकनिकल ट्रेनिंग की चर्चा हुई। अभी जो हमें मेमोरेंडम मिला है, उसमें यह लिखा हुआ है कि ५० फीसदी हरिजन नवयुवकों को टेक्निकल ट्रेनिंग अब नहीं दी जायगी क्योंकि बख्शी के तालाब में कुछ लोग आ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, बख्शी के तालाब की ट्रेनिंग का कुछ थोड़ा सा ज्ञान हमको है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे वहां के विद्यार्थियों से बात कर लें और उनसे पूछें कि उनकी क्या अवस्था है। उनकी क्या स्थिति है, इसकी उनको जानकारी हो जायगी।

मैं पानी की बात कहना चाहता हूं। आज भी गांवों में मील मील भर पानी भरने के लिये डोमों को जाना पड़ता है और डोम ऐसी जाति है जिसके हर दो एक गांव पर दस या १५ आदमी आबाद हैं। जेठ के महीने में जब कड़ी धूप होती है तब उनको या तो कहीं दूर नदी से पानी लाना पड़ता है या अगर किसी गांव में पानी लाने के लिये जाते हैं, तो घंटों रुकना पड़ता है, या तो कोई अगर दयालु हुआ तो अपने घड़े से उनको पानी दे देता है नहीं तो वे घंटों खड़े रहते हैं। तो उनके पानी पीने की यह हालत है। मैं इस चीज को मानता तो नहीं हूं कि उनके पानी पीने की व्यवस्था अलग होनी चाहिये, लेकिन फिर भी जब तक यह वस्तुस्थिति है तब तक उनके पानी भरने की व्यवस्था अलग होनी चाहिये। जो ढर्रा न मालूम कब से चला जा रहा है, वही आज भी कायम है।

श्री हरगोविन्द सिंह—आप कहां की बात कह रहे हैं?

श्री गेंदासिंह—मैं खास तौर से माननीय शिक्षा मंत्री के जिला जौनपुर को कहूंगा—और मैं यह चाहूंगा कि वे जौनपुर में डोमों की हालत स्वयं देख लें। यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी इससे इन्कार करना चाहते हैं, तो मैं इतना कहूंगा कि वे दिन को रात कह रहे हैं। मैं चाहूंगा

[श्री गेंदासिंह]

कि माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे साथ चलने की तकलीफ गवारा करें और मैं उन्हें दो गांवों में, चार गांवों में, दस गांवों में दिखलाऊंगा कि डोमों की क्या हालत है। यदि माननीय परिपूर्णानन्द जी को न दिखाई देता हो, तो मैं उसे आश्चर्यजनक बात नहीं समझता, लेकिन अगर माननीय हरगोविन्द सिंह जी को न दिखाई देता हो, तो मैं क्या कहूं। अभी उन्होंने कहा कि वे किसान के लड़के हैं और किसान के लड़के को यह न दिखाई देता हो कि डोम पानी नहीं भरने पाते हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि वे दिन को रात कर रहे हैं।

कुछ दिन पहले जब पूर्वी जिलों में और माननीय शिक्षा मंत्री के जिला जौनपुर में फैमिन या अकाल कुछ भी कहा जाय उसकी दशा हुई, तो उनके लाडले जो माननीय शिक्षा संचालक महोदय हैं उन्होंने एक हुक्म निकाला कि कुछ विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी जाय लेकिन उनका वह हुक्म निकलता ही रह गया। हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी को याद ही दिलाते रह गये और उन्होंने यह कहा कि देखो इसको आन्दोलन का रूप मत देना, और हम लोगों ने उनका हुक्म मान भी लिया कि आन्दोलन नहीं होना चाहिये, लेकिन एक पैसे की माफी नहीं हुई, जिसके कारण नहीं मालूम कितने गरीब पिछड़े हुये और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के नाम कट गये। १ लाख १८ हजार पिछले वर्ष शिक्षा के मद में रक्खा गया था। और इतना ही इस वर्ष इस सम्बन्ध में रखा गया है लेकिन उनकी मालीहालत में, कोई तब्दीली हुई। इस बात को माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की दिक्कत को गवारा ही नहीं करेंगे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि वह एक कमेटी मुकर्रर करें और उसके जरिये से देखवा लें कि पिछड़ी हुई जातियों की हालत क्या है। माननीय शिवप्रसाद जी हमारे भाई हैं, वह देवरिया के रहने वाले हैं, उनसे कुछ दिन हुये मैंने इस हाउस में खड़े होकर कहा भी था। माननीय शिक्षा मंत्री जी पता लगा लें कि पूर्वी जिलों में हरिजनों के घर में गोबर से अन्न निकाल कर खाते हैं। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। गोपालकृष्ण गोखले का नाम लिया जाता है और मालवीय जी का नाम लिया जाता है। आज भी यह प्रथा प्रचलित है। मैं माननीय शिव प्रसाद जी से कहता हूं कि फिर यह बजट कल्याणकारी कैसे है। मैं कहता हूं कि एक कमेटी बना ली जाय जिसमें बालेन्दु-शाह और महीलाल जी जैसे व्यक्ति रखे जायं और वह पता लगावें कि पिछड़ी जातियों की क्या हालत है, मेहतरों की क्या हालत है और हरिजनों की क्या हालत है। और फिर वह उसको सदन के सामने रखें और फिर सदन उस पर विचार करे। उस वक्त फिर गवर्नमेंट की पोल खुले और माननीय शिक्षा मंत्री जी की पोल खुले और सही हाल फिर उन गरीबों की सामने आये।

सभा का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मेरा प्रस्ताव यह है कि आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—मैं इसका समर्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४१-लेखा शीर्षक ५७-अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

श्री रामप्रसाद देशमुख (ज़िला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान अछूत और पिछड़ी जातियों का रखा गया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज जो शिक्षा के ऊपर बहसें हो रही हैं उनके सुनने से मालूम हुआ कि हमारी सरकार ने जो कुछ भी हम लोगों के लिये किया है वह बहुत कुछ किया है। लेकिन उस करने के साथ-साथ हमारे लिए जो कुछ भी होता है उसमें कमी जो पाई जाती है उसकी तरफ किसी ने कुछ नहीं कहा। जब कि सरकार के अधिकारी उस तरफ ध्यान नहीं देते इस बात को देखते हैं कि उनकी मांग जो कुछ भी रखी जाती है या जो कुछ भी उनके साथ में किया जाता है वह सही तरीके से या ग़लत तरीके से किया जाता है। हमको यह मालूम है कि जो कुछ भी रुपया अलाट होता ह किसी जगह शिक्षा के लिये दिया जाता है या शिल्पकारी और दस्तकारी के लिए दिया जाता है वह रुपया सही इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। अभी एक सदस्य ने कहा कि सरकार हरिजनों के लिए बहुत कुछ कर रही है। यह सब कुछ ठीक है लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि सरकार के अन्दर जो त्रुटियां आ गयी हैं वह हमारे लिए हैं या किसी दूसरे के लिये हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि जो भी जातियां हैं और जो भी सरकारी आदमी हैं सरकार उनके लिये बहुत कुछ करती है और उनके अन्दर ऐसी भावना पैदा करे कि सरकार अछूतों को कितना आगे उठा रही है। हम समझते हैं कि सरकार को यह अच्छी तरह से विदित है कि आज शिक्षा के अन्दर जो कुछ भी हम को दिया जाता है, हमको जो स्कालरशिप दिया जाता है और वज़ीफे जो दिये जाते हैं उसके लिये लड़के साल भर तक देखा करते हैं कि अब हमको वज़ीफा मिले। उन लोगों के खाने पीने का कोई प्रबन्ध नहीं हो पाता। वजीफे समय पर नहीं मिलते। किताबें उनके लिये वक्त पर नहीं पहुंच पातीं। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी हमें दिया जाय वह समय पर जरूर मिल जाना चाहिये चाहे थोड़ा ही हो। ज्यादा मिलने से भी कोई फायदा नहीं है यदि समय पर न मिले।

रिज़र्वेशन में भी मैं देखता हूं कि कहीं पर भी हमें प्राप्त नहीं है और जितना सरकार चाहती थी वह भी हमें नहीं मिला है।

शिक्षा से एक बड़ा अवगुण भी हो गया है कि जो शिक्षित हरिजन भाई हैं वे बेकार हैं। पहले तो वे मजदूरी करके अपना पेट भी भर सकते थे लेकिन पढ़ लिख कर अब वे बेकार बन रहे हैं और कहीं उनको जगह नहीं मिलती है। उनके मां-बाप की हालत को देखिये कि जिन्होंने कितनी मुसीबतें उठा कर उनको पढ़ाया लेकिन जब उनको काम नहीं मिला तो उसका सारा परिवार दुःखी रहता है और नष्ट हो गया। ऐसी हालत में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितना रुपया हम पर खर्च किया जाय वह किसी ऐसी दस्तकारी में हो जिससे हरिजन लड़के दस्तकार बन जायं और मेकैनिक बन जायं। मैं समझता हूं कि इससे हमारा हित होगा और यह जो अहसान हमारे ऊपर किया जा रहा है उससे लोग बेकार होते जा रहे हैं उससे भी निजात मिलेगी। जब मैं हरिजन लड़कों को देखता हूं कि इन पर इतना रुपया खर्च होता है और फिर भी बेकार रहते हैं तो हमें परेशानी होती है कि हम लोग यहां आकर इतना चिल्लाते हैं और लोगों से वहां जाकर कहते हैं कि इतना रुपया हमें मिला है लेकिन उसका फ़ल यह होता है कि हमारे भाई बेकार रहते हैं

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं उस समाज के विषय में आपके समक्ष और इस सदन के समक्ष अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं जो हरिजन कहे जाते हैं। निस्संदेह आज वे पतिता-वस्था में हैं लेकिन मैं २५ दिसम्बर, सन् १६४६ को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही थी उसकी तरफ इस सदन को ले जाना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में कोई बैलेंसिंग पावर है तो वह मुस्लिम जमाअत है। उसी तरह से आज हिन्दुस्तान में बैलेंसिंग पावर हरिजन कम्यूनिटी है। इसी की बदौलत आज यह सरकार यहां पर वर्तमान है। तो इस ७८ करोड़ के बजट में १६ करोड़ हमारे लिये होना चाहिये। यही मुनासिब अनुपात है। सिर्फ रिजर्वेशन करने से काम नहीं चलता। खाली कागज पर लिख देने से काम नहीं चलता। कोई प्रैक्टिकल काम उनके लिये करिये। नहीं धनगर भाई भी हमारे पीछे हैं अपने मतलब के लिये और हमारे सोशलिस्ट भाई भी अपने मतलब के लिये हैं क्यों इसलिये कि सब जानते हैं कि ताकत हमारे हाथ है। लेकिन यह सब होते हुये भी हम जहां के थे वहीं के वहीं हैं। आज जैसा गेंदा सिंह जी ने कहा कि जानवरों के गोबर में से लोग गेहूं निकाल कर खाते हैं वह बिल्कुल ठीक है देवरिया और गोरखपुर जिले में ऐसा बराबर हो रहा है और हमारे बाबा राघवदास जी ने नारा लगाया और जौनपुर में पानी की दिक्कत हरिजनों के लिये है कुयें नहीं हैं। सही बात है गलत नहीं है। मुझे मालूम है। तो हरिजन सहायक बोर्ड से जो सहायता हरिजनों के लिये दी जाती है उसको प्रैक्टिकली खर्च किया जाय और इसके अलावा यह भी मुझे कहना है कि "कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कोय।" आज हालत क्या है माननीय शिक्षा मंत्री २८ सौ कदम पीछे चले आये और २८ सौ रुपया उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने २,८०० रुपया कम किया तो क्या इस तरह से काम चलेगा। पिछले साल जितना रुपया था उसमें उन्होंने २,८०० रुपये की कमी कर दी यानी इतना पीछे खिसक गये। इससे क्या हरिजनों का उत्थान हो जायगा। आज महात्मा जी की तरह से हरिजन कालोनी में बैठने वाला कोई नहीं है।

मैं उस समय बोल नहीं पाया था। अगर आप इजाजत दें तो मैं दो बातें माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने रख देना चाहता हूं। हिसाब हमारे पास है अध्यापकों की हड़ताल के विषय में सरकार ने जिम्मेदारी अपने ऊपर मुफ्त में ले ली। हर सेक्शन में ३-४ रुपये फीस ली जाती है। इस हिसाब से एक एक सेक्शन से १३५ रुपये और १५७ रुपये ८ आने होते हैं और १८० रुपये होते हैं। इनमें से अगर हम ७० रुपये सिक्स क्लास के टीचर को दे दें तो ६५ रुपये बचते हैं, ८० रुपये दे दें सेविंथ क्लास के टीचर को तो ७७ रुपया ८ आने बचते हैं। इसी तरह से अगर १०० रु० दे दें एर्थ क्लास के टीचर को तो ८० रुपये बचते हैं। कुल २,६७० रुपये होते हैं। अगर हम इन २,६७० रुपये में से १,५०० रुपये तीन प्राइमरी स्कूलों को दें तब भी १,१७० रुपये बचते हैं। इनसे स्कूल की मरम्मत वगैरा का काम हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बोर्डस की ही है। इसलिये अध्यापकों की हड़ताल वहां होनी चाहिये। यह चीज जो हम बतला रहे हैं गलत नहीं है। हम बस्ती जिले का हिसाब बतला रहे हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि हरिजन लड़कों की फीस का प्रश्न है। अभी तक सेकेंडरी स्कूलों को रुपया नहीं दिया गया है। जो कहिये वह पूरा कीजिये। सिर्फ कागज में लिखने से काम नहीं चलता है। प्रेक्टीकल काम होना चाहिये। पूज्य बापू जी के संदेश को आज घर घर पहुंचाने की जरूरत है तभी कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ में माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इन २,८०० रुपयों की पूर्ति करें।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (ज़िला हरदोई)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जो अनुदान माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन के सम्मुख रखा है उसके ऊपर मैं अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। मुझे इस बात का संकोच होता है कि जब कभी मुझे अवसर मिलता है तो मैं केवल वाल्मीकि समाज और मेहतरों की समस्या पर ही बात करता हूं। लेकिन जो परिस्थिति है वह मुझे ऐसा करने के लिये विवश कर देती है।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सामाजिक उत्थान में हमारे अभागे बाल्मीकि भाइयों का आज कितना उत्थान हुआ है और उनका कितना ध्यान रखा जाता है। लगभग दो साल पहले की बात है कि शाहजहांपुर में मुझे यह शिकायत देखने को मिली कि वहां के नाई वाल्मीकि लोगों के बाल नहीं काटते हैं। मैं १६ जनवरी को बिजनौर गया तो वहां पर भी यही शिकायत सुनने को मिली। मैंने उस नाई से कहा कि तुम बाल्मीकि लोगों के बाल क्यों नहीं काटते हो। उसने कहा कि मैं इनके बाल नहीं काटूंगा। मैंने थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई और थानेदार साहब से अपने साथ चल कर कार्यवाही करने के लिये कहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि आप मुझे रिपोर्ट लिखवा दीजिये मैं बाद को सब देख लूंगा। मैं ८ फरवरी को कायमगंज तहसील में गया। वहां पर एक मेहतर की शिकायत थी कि हिन्दू दर्जी उसका कपड़ा नहीं सीता। मैंने उस दर्जी से पूछा तो उसने कहा कि मैं अगर उसके कपड़े सीऊंगा तो उसका नाप लेते समय उसका शरीर छू जायगा और मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। आप चाहे जुरमाना करा दीजिये, चाहे सजा करा दीजिये लेकिन मैं इसके कपड़े नहीं सीऊंगा। क्योंकि मैं अछूतों के शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा। मैंने इसकी वहां के कांग्रेस के प्रधान जी से और तहसीलदार साहब से शिकायत की। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी शिकायत की लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जैसा कि मैं कह रहा था शाहजहांपुर में दो साल से संघर्ष चला और एक बार बाल्मीकियों का डेपुटेशन भी श्री छेदीलाल जी हरिजन सहायक आफिसर से मिला और नाईयों की शिकायत की। इसी सिलसिले में मैं शाहजहांपुर गया और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत की लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। वह शिकायत आज तक ज्यों की त्यों है। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन विभाग की ओर से जो आर्थिक सहायता मकान और कुएं बनाने को हरिजनों के लिये मिलती हैं उसमें भी हमारे वाल्मीकि भाइयों को नजरन्दाज कर दिया गया है। मैंने स्वयं जाकर देखा कई जिलों में हमारे वाल्मीकि भाई गड्ढे और नालियों का पानी पीते हैं। शिकोहाबाद मैं गया था। गर्मी के दिन थे। जब पानी मुझे दिया तो वह बहुत गंदला था। मैंने समझा कि कच्ची खांड से बना हुआ शर्बत होगा। पानी पिया तो ठंडा तो जरूर था लेकिन बिल्कुल फीका। मैंने पूछा कि यह पानी कैसा है। क्या कुएं का पानी है। जवाब मिला हां, सुबह जब नहाने के लिये गया तो खेती की सिंचाई के लिये जो पानी बहता है वहां उन लोगों ने एक तलैया पास ही में बना रक्खी थीं। उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल कर कहा कि इससे नहा लीजिये। मैंने कहा कि यह तो बड़ा गंदला पानी है। सारी मिट्टी सर और बदन में घुस जायगी और बजाय सफाई होने के शरीर और गन्दा हो जायगा, उन्होंने कहा कि कोई कुआं हमारे पास नहीं है। मैंने पूछा कि क्या यही पानी पीने के लिये दिया था ? उन्होंने कहा जी हां। तो मैंने कहा कि चलो प्रधान या सरपंच के पास मैं उससे शिकायत करूंगा। इस पर वे लोग हाथ जोड़ कर खड़े हो गये और मेरे पैरों पर गिर गये और कहने लगे कि अगर आपने शिकायत की ज़मींदार, प्रधान या सरपंच से तो हम लोग बरबाद हो जायंगे, हम परेशान किये जायेंगे, मारे जायंगे, पीटे जायंगे इस तरह से उन्होंने जब्र करके मुझे शिकायत करने से रोका।

इसी तरह से दो साल हुए इसी सेक्रेटेरियट में दो लड़के जो साइकिल चलाना जानते थे, हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी पढ़ लेते थे, २०, २२ साल के नौजवान थे चपरासी की जगह के लिये बुलाये गये। इंटरव्यू कार्ड उनको भेजा गया। जब वे आये तो उनसे पूछा गया साइकिल चलाना

[श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि]

जानते हो, उन्होंने कहा हां। पूछा गया पढ़े लिखे हो। उन्होंने जवाब दिया हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी पढ़े हैं। फिर पूछा तुम्हारी जाति क्या है। उन्होंने कहा बाल्मीकि। पूछा बाल्मीकि क्या होते हैं। उन्होंने कहा हम मेहतर हैं। उनको फिर जवाब दिया गया कि अगर मेहतर हो तो दफ्तर में झाड़ू देने का काम कर सकते हो, चपरासी का काम नहीं दिया जा सकता और इस तरह से उनको लौटा दिया गया। एक हफ्ते के उनमें से एक वही लड़का आया। श्यामलाल उसका नाम है वह यहीं दफ्तर में नौकर है और चपरासी की जगह पर है। नहर विभाग में वह है। एक हफ्ते के बाद वह ईसाई सार्टिफिकेट लेकर गया और उसको चपरासी की जगह मिल गई। इस तरह सिक्ख से अगर कोई कहता है कि वह बाल्मीकि है तो उसे जगह नहीं मिलती लेकिन अगर वह ईसाई हो कर जाता है या सिक्ख बन कर जाता है तो उसको जगह मिल जाती है। इसी तरह से एक बाल्मीकि लड़के ने अपना नाम राम सिंह रख लिया। डाढ़ी बढ़ा ली और हाथ में कड़ा पहन लिया और उसको नौकरी मिल गई। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया कि अगर मैं कहता कि बल्मीकि हूं तो डिपार्टमेंट के लोग न तो कोई काम करवा सकते हैं, न पान मंगा सकते हैं, ना छू सकते हैं और घर का काम भी न करा सकते हैं इस तरह से नौकरी नहीं मिल पाती लेकिन सिक्ख बनने से मिल गई। इस तरह का भेदभाव हमारे साथ किया जाता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हमारे इस समाज को तरक्की के रास्ते पर उठाने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी विशेष तौर से ध्यान देंगे।

श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो निर्विवाद सत्य है कि हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बढ़ा है और इसी प्रकार यहां का बजट जो है उसकी भी धनराशि ७८ करोड़ है लेकिन हम हरिजनों के लिये जो खर्च अनुदान में रक्खा गया है वह बहुत ही कम है। कहां करोड़ों का बजट और कहां लाखों की तादाद प्रस्तुत बजट में ५४,५५,२०० रुपया है लेकिन पिछले बजट के (मूल बजट को) जो मैंने देखा तो मालूम हुआ कि उससे तो ज्यादा धन है लेकिन मूल बजट और सप्लीमेंटरी बजट का जो योग है वह १९५३-५४ के बजट से ज्यादा है लेकिन अगर हम इस देश के और दूसरे प्रांतों को देखें तो मालूम होता है कि हरिजनों और पिछड़ी जातियों पर बहुत काफ़ी तादाद में रुपया खर्च किया जाता है और वह करोड़ों की तादाद में है। मैं इन आंकड़ों के जाल में फंसना नहीं चाहता केवल कुछ विभागों में जो कुछ होता है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। शिक्षा के संबंध में जो वैलफेयर सुपरवाइजर रखे गये हैं उनकी जिम्मेदारी कुछ ऐसी रखी गई है कि वे कुछ काम नहीं कर पाते हैं। वह कई अफसरों के अधीन होता है इसका नतीजा यह होता है कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे पर टालते हैं और कोई उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करता। इस तरह से वैलफेयर सुपरवाइजर अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता। वजीफा ठीक समय पर नहीं दिया जाता।

पुस्तकों के संबंध में मेरा यह कहना है कि शायद ही कोई जिला ऐसा हो जहां पर पुस्तकें ठीक समय पर दी जाती हों। जुलाई में नहीं तो अगस्त के आरम्भ में तो अवश्य ही मिल जानी चाहिये। यह बहुत बुरी बात है इसकी ओर शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। अगर रिपोर्ट आती है तो उनको अगस्त में तो दे ही देना चाहिये। इस तरह से ढील ढाल होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और छोड़ कर चले जाते हैं और रुपया भी वापिस लौट जाता है।

शिक्षा के संबंध में मुझे यह कहना है कि जनरल एजूकेशन तो दी ही जानी चाहिये, सरकार को टैकनीकल एजूकेशन की ओर भी ध्यान देना चाहिये। मेरे विचार से हायर एजूकेशन के बजाय हायर सेंकेंडरी और टेकनिकल एजूकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाय तो ज्यादा फायदा होगा।

मैं कुछ रिजर्वेशन के बारे में कहना चाहता हूं। इसके संबंध में मुझे यह कहना है कि गवर्नमेंट के आदेश यह हैं कि १० प्रतिशत हरिजन नौकरियों में रखे जायं। अगर १०% से १५% कहीं हैं तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन १० प्रतिशत रखने का जो गवर्नमेंट का जी०ओ० है उसमें यह लिखा हुआ है, "इफ स्यूटेबिल कैंडीडेट्स आर फाउन्ड" इसके पीछे सरकार के विभाग वाले शिकार खेलते हैं। उनके स्यूटेबिल शब्द की जो डेफिनीशन है उसको तो शायद ईश्वर ही पूरी कर सके तो कर सके। इस प्रकार से यह अधिकारीवर्ग इसका ख्याल नहीं करता। हरिजन और पिछड़ा हुआ वर्ग पिछड़ा हुआ तो है ही। सदियों से उनके बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं रहे इसी कारण से प्रांतीय सरकार और केन्द्रीय सरकार ने बड़े सोच समझ कर यह आज्ञा दी है। अतः उसका पूर्ण रूप से किसी न किसी प्रकार से पालन होना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक है लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है।

जब छटनी का प्रश्न आता है तो अधिकारी वर्ग कहता है कि हम क्या करें, मजबूर हैं अमुक व्यक्ति ठीक काम नहीं करता हैं। रोटी का प्रश्न सभी के सामने हैं। इस मामले में मैं केन्द्रीय सरकार की सराहना करता हूं। उन्होंने यह आज्ञा दी है कि जब तक उस विभाग में हरिजनों की संख्या कम है या जब तक उसकी पूर्ति न हो जाय तब तक हरिजनों की छटनी न की जाय। ऐसी केन्द्रीय सरकार ने व्यवस्था की है। मैं इस प्रदेशीय सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी उसी तरह से अनुकरण करे। कुछ डिपार्टमेंट्स भी ऐसे होते हैं जो वहां थोड़ा सा भेदभाव का ख्याल रख कर उनको प्रोमोशन नहीं देते हैं, खास करके पुलिस विभाग में। यद्यपि पुलिस की शिकायत हमेशा ही करता रहा हूं लेकिन जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको तो स्थान देना चाहिये, चाहे वे हरिजन हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों, चाहे जनरल के हों।

एक बात मैं और क्रीमिनल ट्राइब्स ऐक्ट के सिलसिले में कहना चाहता हूं, हालांकि उसका कोई विशेष संबंध इससे नहीं है। देखने में आया है कि जिनकी निगरानी पहले से होती रही है यह अभी तक हो रही है और इसके लिये कोई आर्डर इश्यू नहीं हुआ कि जो आदमी अच्छे हैं उनकी निगरानी काट दी जाय और जो बदमाश हैं उनकी तो निगरानी होनी ही चाहिये, इसी तरह से चौकीदारों के संबंध में मुझे यह कहना है कि यों तो चौकीदारों की पे ३ रु० से ५ रु० हो गयी लेकिन यह पे बिल्कुल असंतोषजनक है लिहाजा उनके लिये कुछ जमीन की भी व्यवस्था की जाय।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—उनको थोड़ी सी जमीन दी जा रही है।

श्री रामकिंकर—हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि उनको थोड़ी सी जमीन भी दी जा रही है। तो मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है।

सभा का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आधा घंटा और समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—परन्तु इस बार यह आखिरी होगा। बारबार इस तरह की चीज मैं उचित नहीं समझता। एक मर्तबा चाहे आप घंटा भर बढ़ा लें, मुझे उज्र नहीं है लेकिन बार बार ऐसा करना अच्छा नहीं मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब हमलोग ७ बजे तक बैठेंगे।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४१——लेखा शीर्षक ५७——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)——अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी यहां कुछ दो बातें हरिजनों के संबंध में कहने का यह अवसर मिल पड़ा है। मैं केवल इसलिये कि सरकार के जो उत्तरादायित्व इस संबंध में हैं और जो मेरा संबंध सरकार से है उसी नाते से नहीं बल्कि एक नागरिक के नाते भी कुछ बातें कहना चाहता हूं यदि हमारे देश को ऊंचा उठाना है तो हमें हरिजनों को सर्वोच्च स्थान अपने देश में पाने के योग्य बनाना है और इसकी जिम्मेदारी हम लोग पर है जो कि आगे बढ़े हुये हैं कि जो पिछड़े हुये हैं उनको आगे बढ़ावें। अगर किसी जंजीर की कोई भी कड़ी कमजोर रह जाती है तो सारी जंजीर कमजोर हो जाती है। इसलिये हमारे राष्ट्र को सबल बनाने के लिये भी इस बात की बड़ी जरूरत है कि हम सब लोग, जो हरिजन हैं और जो पिछड़े हुये हैं जिन्होंने बड़ी-बड़ी तकलीफों को गवारा किया है, जिनकी मेहनत से और जिनके कष्टों से हम लोग हर तरह से आराम पाये हैं उनके कर्ज को वापस करने का अपना पक्का दृढ़ संकल्प करें। यदि हम यह नहीं करेंगे तो हमारे देश को हानि होगी और जो मानवता का हमारा कर्त्तव्य है उसको भी हम पूरा नहीं कर सकेंगे और हम जो संसार को आध्यात्मिकता के जरिये फिर पुनर्संघटित करके मानव समाज का हित करना चाहते हैं उनके करने की न तो हम में क्षमता होगी और न हम उस आदर्श को अपने सामने रख सकेंगे। अगर हम अपने भाइयों को भी बराबरी के दर्जे पर नहीं लेंगे और उनकी जो वास्तविक हमसे भलाई हो सकती है वह भी नहीं कर सकेंगे तो औरों के लिये फिर हमारा यह कहना कि हम सब का हित चाहते हैं थोथी बात हो जाती है। इसके अलावा कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस बात की प्रतिज्ञा की कि हम हरिजनों के लिये यथासम्भव जो हो सकेगा उनकी सेवा करने का यत्न करेंगे और आज हमारे ऊपर इस बात का दायित्व है कि हम उस अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। यह मैंने आपसे कुछ बुनियादी बातें कहीं।

कुछ बातें सरकारी बजट के बारे में कही गयीं। मैं चाहता हूं कि हरिजनों का उत्थान पैसे की कमी की वजह से न रुके और उसमें जहां तक हमसे हो सके उनको ऊंचा उठाने के लिये अपने साधनों का सदुपयोग करेंगे। पारसाल भी मैंने कहा था कि और जरूरत होगी तो हम और पैसा लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर जरूरत हुई तो हमने जो रकम रखी थी उसको काफी बढ़ाया गया। आज भी मैं चाहता हूं कि जो जरूरत होगी उसको बढ़ाया जायगा, जो जरूरत होगी उसको पूरा करने की कोशिश की जायगी। जितना हम कर सकते हैं उसको हम जरूर करना चाहते हैं। जो बजट में आंकड़े दिये गये हैं उनसे पूरा नक्शा सही सही नहीं दीखता क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने भी जेनरल और बजट के खर्चे हैं उनमें हरिजन भाई वैसे ही हिस्सेदार हैं जैसे कि और लोग हैं। यह तो उनके अतिरिक्त उनके लिये एक अनुदान यहां रखा जाता है। इसके अलावा कई और मदें हैं जो इसमें नहीं आती हैं। जैसा कि पालिटैक्नीक के लिये हमने ३०० सीटें रिजर्व कर रखी हैं। वह इसके अन्दर नहीं आती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल में उनकी फीस वगैरह का सवाल होता है वह नहीं आता है। और कई मदें हैं जो नहीं आती हैं। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि हमें और नहीं करना चाहिये या आवश्यकता हो तो न करें परन्तु किसी चीज का पैमाना सही सही होना चाहिये। जो बातें कन्हैयालाल जी ने कहीं कि कोई ब्राह्मण न खावे, कोई दर्जी कपड़ा न सीयें, कोई नाई हजामत न बनाये।

आप जानते हैं कि कानून के मुताबिक यह जुर्म है और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के मुताबिक वह सजावार है। मैं चाहता हूं कि हमारे अधिकारी इस तरफ ध्यान दें। अगर इस तरह की बातें होती हैं तो उसको रोकें और कानून के मुताबिक कार्यवाही करें क्योंकि इस तरह से कोई हमारे भाइयों के लिये करे तो यह बात शोभनीय नहीं है। इसलिये इसको हरगिज होने देना नहीं चाहिये और इसका इलाज करना चाहिये। मुझे खेद है कि हमारी म्युनिसिपैलिटी की जो मेहतरों की बस्तियां हैं वह बहुत ही इस तरीके पर रखी जाती हैं कि जो किसी इन्सान के रहने के काबिल नहीं होतीं। वह स्लम्प से भी बुरी जगह हैं। उनमें सड़क नहीं होती, रोशनी नहीं होती, पानी का इन्तजाम नहीं होता यह हमारे लिये कलंक की बात है। म्युनिसिपैलिटी का यह कर्त्तव्य है कि वह उनके लिये चाहे वह उनके मुलाज़िम हों या न हों जो और नागरिकों के लिये काम करती है उससे कम नहीं बल्कि हरिजनों के लिये उससे ज्यादा होना चाहिये। जो लोग इस तरीके से अपना काम नहीं कर सकते हैं और उनको इस तरह से पिछड़ा हुआ छोड़े यह उनके लिये किसी तरह से उचित नहीं है। जहां पर मकानों को ठीक करने की बात हो या और तरीके पर सहायता देने की बात हो वह अवश्य होनी चाहिये। यहां पर यह कहा गया कि उनको टैक्नीकल एजूकेशन देना चाहिये और प्राइमरी एजूकेशन देना चाहिये और यूनिवर्सिटी एजूकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि उनको टैक्नीकल एजूकेशन मिले। इसीलिये हमने पालिटैक्नीक में उनके लिये जगह रखी है। मैं चाहता हूं कि उनको जमीन मिले। इसलिये हमने हरिजनों के लिये खास तौर पर जमीन रखी है कि उनको फायदा पहुंचे क्योंकि आज समाज को ऊंचा उठाने के लिये और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिये जो बातें होनी चाहिये उन सब की आवश्यकता है ताकि वह कलक्टर हो सकें, वह हाईकोर्ट के जज हो सकें, वह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हो सकें और समाज की ऊंची से ऊंची जगह उनको मिल सके और उनमें खुद भी स्वावलम्बन और कर्त्तव्य की भावना होनी चाहिये और इसके लिये उनको ऊंची शिक्षा मिलना जरूरी है। हमने भी इस बात की कोशिश की है कि जहां तक हो सके उनकी हायर एजूकेशन के लिये उनकी सहायता बढ़ाई जाय और उनको रुपया दिया जाय और हम इसको बहुत आवश्यक समझते हैं कि यह होना चाहिये और हमें उनके लिये यह सब करना चाहिये लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि वह अपना काम छोड़ दें, मुलाजिमतें जो पढ़े लिखों के लिये हैं वह तो बहुत थोड़ी हैं, समाज कितना ही पढ़े लेकिन उसकी पूरी जरूरत नौकरियों से पूरी करने का मौका नहीं मिल सकता है। इसलिये किसी को भी अपने पेशे को नहीं छोड़ना चाहिये, बाज़ लोग खाल निकालते हैं और जानवरों को हटाते हैं उनको अपने उस काम को छोड़ना उनके हित की बात नहीं है और यह भी मुनासिब नहीं है कि यह काम खास कर उन्हीं के लिये रखा जाय, कोई भी काम ऐसा भी न होना चाहिये कि जो उन्हीं से कराया जाय और खुद करने को तैयार न हो। आज दुनिया में रोजी का सवाल है इसलिये अपने पेशे को छोड़ना उन के हित की बात नहीं है, जो उनके टैक्निकल काम हैं उनको उन्हें करते रहना चाहिये और उसका अच्छा ढंग उनको मालूम होना चाहिये। हमने उनके लिये बहुत से ट्रेनिंग सेंटर भी खोले हैं वहां उनको अच्छे तरीके से अपना काम करने की ट्रेनिंग लेना चाहिये और इससे वह अपनी रोजी और अच्छी तरह से कमा सकते हैं, और सब लोग भी उनके काम को झपटने को तैयार हैं इसलिये उनको अपने काम से अलग होना फायदेमन्द नहीं है, उनको अपनी कमजोरी को भी समझना चाहिये और खामख्वाह जो लोग उनको लड़ाई में झोंकना चाहते हैं वह उनको सबल नहीं बनाते। जब कोई पेड़ ऊंचा हो जाय तब टक्कर खा सकता है लेकिन जब तक उसके अंकुर भी ऊपर न आये हों उसे पत्थर से लड़ा देना किसी के हित की बात नहीं है। इसलिये उनको अपने हित की दृष्टि से ही अपने कामों को करके आगे बढ़ना चाहिये।

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

सरकारी नौकरियों का जिक्र हुआ। हम चाहते हैं कि उनको भरसक सरकारी नौकरियां मिलें और जहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी कुछ दिक्कतें और कुछ अड़चनें बतलाई वहां भी हमने हरिजनों को लेने का प्रयत्न किया है और हम चाहते हैं कि वह हमारी सर्विसेज़ में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आयें और कोई कारण नहीं है कि पूरे वह अपने अनुपात से न लिये जायं, चपरासी हर जगह मिलते हैं उनको लेना चाहिये और मैं नहीं कह सकता कि कोई दलील ऐसी हो सकती है कि हरिजन चपरासियों के लिये नहीं मिल सकते हैं मैं समझता हूं कि वह तो इस काम को औरों से बेहतर कर सकते हैं और इस वजह से उनको जरूर लेना चाहिये। जब कोई नियम बनाया जाता है तो उसके अनुसार काम भी होना चाहिये। जब हम उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमारे कामों से यह बात झलकना चाहिये और जब तक हम ऐसा न करेंगे तब तक हम उनके काम को पूरा नहीं कर सकते और उनको आगे बढ़ाने में हम कामयाब भी न हो सकेंगे और इससे तो हमारे देश की उन्नति ही रुक जायगी। इसलिये हम चाहते हैं कि उन के हित की सब बातों को बराबर ध्यान में रखकर उनकी हम हर प्रकार की सहायता करें। यह भी कहा गया कि सूटएबिल केनडिडेट यदि न हों तब भी उनको ले लेना चाहिये। नियम यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हरिजन केन्डीडेट्स से कम्पीटिशन में टक्कर लेता हुआ ही हो बल्कि अगर वह इस लायक हो कि वह काम के लायक हो तो उसको आर्डर आफ मेरिट का ख्याल न करके ले लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि हरिजनों के लिये भी यह उचित नहीं है कि नाकाबिल आदमियों को रख लिया जाय क्योंकि इससे उन्हीं की बदनामी होगी और बाद में काम में भी खराबी आ सकती है और न वह तरक्की ही पा सकते हैं। आज भी ऐसी दिक्कतें होती हैं। इसलिये जो कम्पीटिशन में न भी आ सकें उनको लेना चाहिये बशर्ते कि वह काम चला सकें और वह उस हद तक सूटेबिल होने चाहिये जिस हद तक काम करने की सूटेबिलटी चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें सभी लोग सहमत होंगे कि अगर बिलकुल अनसूटेबिल कोई हो तो उससे न उसका काम चलता है और जनता की सेवा हो सकती है। इसलिये मैं यह आशा करता हूं कि सभी लोग जानते हैं कि सरकार का काम तो थोड़ा है, उससे बहुत बड़ा काम है जनता का और समाज का। वह हरिजनों के हित को सामने रखते हुये निरन्तर उनके उत्थान के और उनकी बेहतरी के कामों को सक्रिय रूप से जितना कर सकेंगे उसे हमारे प्रदेश में करने से कोई पिछड़ेगा नहीं।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री को सबसे पहले बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनके सहायक मंत्री को भी। बधाई देने का मेरा मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो अनुदान इस समय प्रस्तुत किया है वह संतोषप्रद है। मैं तो यह कहूंगा कि जो अनुदान अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिये उन्होंने रखा है वह इन जातियों में असंतोष फैलाने वाला अनुदान है। मेरा बधाई देने का मतलब और मंशा इसलिये है कि जब से उन्होंने इस विभाग को सम्भाला है तब से अवश्य इन जातियों का कल्याण हुआ है, उनका उत्थान हुआ है, उनका बौद्धिक विकास हुआ है। यह मैं मानता हूं और इस सदन का प्रत्येक व्यक्ति मानता है। लेकिन हम यह भी जानते हैं और मानते हैं कि जितना विकास उनका होना था उतना नहीं हो पाया हालांकि हमारी सरकार बराबर इस बात का प्रयत्न करती रही है और भविष्य में भी करेगी, जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया। वह हर प्रकार से हर समय इन समाजों का उत्थान करने के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न कर रही है। लेकिन क्या कारण है जिन कारणों की वजह से इन समाजों का उत्थान नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने, जहां तक मेरी बुद्धि ने विचार किया है, मुझे इस नतीजे पर पहुंचने का अवकाश मिला है कि हमारी सरकार क जो कर्मचारी हैं उनके अन्दर

अभी तक इतनी जातीयता की भावनायें फैली हुई हैं, इतनी कम्युनल फीलिंग उनके अन्दर है कि वह इन जातियों को किसी भी हद तक उन्नति के शिखर पर पहुंचते हुये नहीं देख सकते। वह कभी भी इस बात को नहीं सहन कर सकते कि अछूत आगे बढ़ें। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अछूतों के अन्दर जितनी भी योग्यतायें हों उनके अन्दर सबसे बड़ी अयोग्यता उनका अछूतपन होना है। जब अधिकारी लोग यह समझ लेते हैं कि यह अछूत है, यह हरिजन है तो वह तुरन्त ही उसको अयोग्य ठहरा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों की आबादी का संबंध है अगर हम उस आबादी के अनुपात को इस प्रदेश की आबादी के अनुपात से नापें तो हमें इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि इस प्रदेश में इन अनुसूचित जातियों का अनुपात इतना है कि वह कुल आबादी के तीन चौथाई के लगभग हैं। लेकिन जब इस साल के बजट को हम देखते हैं जो कि ७८ करोड़ के लगभग है और उस में जब इस अनुदान को देखते हैं जो इन जातियों के लिये है तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह अनुदान और यह मांग जो सरकार हमसे स्वीकार कराने जा रही है यह बिल्कुल नहीं के बराबर है। यह इन जातियों के लिये खिलवाड़ है, मज़ाक है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारी सरकार चाहती है तो बहुत कुछ है, बातें तो बहुत कुछ करती हैं, लेकिन असल मानों में वह उसको कार्यरूप में परिणित नहीं करना चाहती।

जहां तक हमारे बहुत से भाइयों ने नौकरियों की और रिजर्वेशन की बातें कहीं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और मैं यह भी कहता हूं कि हमारी छोटी छोटी नौकरियों में जब हमारे भाई नहीं लिये जाते तो हम कैसे आशा करें कि हमारे अनुपात से बड़ी बड़ी नौकरियों में उनको रखा जायगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि मैं तो यह चाहता हूं कि अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के व्यक्ति, हरिजन समाज के वह उम्मीदवार जो कम्पेटीशन में न आ सकें उनको भी लेना चाहिये। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हमारे बहुत से विद्यार्थी जो कम्पेटीशन में आते हैं उनको नौकरियों में नहीं लिया जाता है ऐसी वास्तविकता है। इस बात के ऊपर परदा नहीं डाला जा सकता। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और आपसे बतला देना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि इस वर्ष हमने उनका बजट पिछले वर्ष से कुछ बढ़ा दिया है। हां, देखने में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इस वर्ष तो कुछ बढ़ा है लेकिन जब माननीय मंत्री जी पिछले वर्ष के मुख्य बजट को और सप्लीमेंटरी बजट को देखेंगे और उनका जोड़ करेंगे तो उनको पता लगेगा कि इस वर्ष का बजट असली माने में कुछ कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपसे कह देना चाहता हूं और आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से भी अनुरोध कर देना चाहता हूं कि वैसे तो हमारी सरकार बराबर इस बात का प्रयत्न कर रही है और करती रही है कि अछूतों की हालत सुधरे लेकिन आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि जब तक अछूतों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी जायगी तब तक उनका स्टैन्डर्ड आफ लिविंग ठीक नहीं किया जायगा तब तक अछूतों की हालत सुधारी नहीं जा सकती चाहें आप शिक्षा में कितनी ही उन्नति करें, चाहे उनको कितनी ही सुविधा दें, कितनी ही सहायता दें लेकिन जब तक उनकी तमाम कमजोरियों की जड़ जो पैसा है उसको ठीक नहीं किया जायगा तब तक अछूतों का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिये अन्त में माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है कि वह इन पिछड़ी हुई जातियों और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये ऐसा प्रयत्न करें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। उनके अन्दर ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे पैदा करें जिसमें वह और उनके शिक्षित बच्चे, जो नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वह उसमें लग जायं और अपनी जीविकापार्जन कर सकें, मैं यह जानता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि वह केवल नौकरी के लिये भटकें। मैं यह भी

[श्री हरदयाल सिंह पिपल]

जानता हूं कि जब तक वह शिक्षित वर्ग और अछूत शिक्षित वर्ग अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा और पैरों पर तभी खड़ा होगा जब कि उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये हमारी सरकार बराबर प्रयत्न करती रहे, तब तक उनका उत्थान संभव नहीं है। इसलिये अन्त में मेरी यह प्रार्थना है सरकार से कि वह उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये पूरा पूरा प्रयत्न करें ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की आवश्यकता तो नहीं थी मगर इस सदन में एक सम्मानित सदस्य ने, शिव प्रसाद जी ने कुछ जानकारी मुझसे हासिल करने की बात कही है तो मैं उन्हें और उनके द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बारे में या हमारी विरोधी पार्टी के बारे में यह कत्तई भ्रम नहीं होना चाहिये कि हम जाति द्वेष के आधार पर चलना चाहते हैं। उनसे हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि मेरी तबियत बड़ी खुश हुई, उनके भाषण को सुनकर के और उनकी शैली जो थी वह बहुत अच्छी थी, इस लिये मेरी और भी इच्छा हुई कि मैं अपने कुछ विचार उनके सामने व्यक्त करूं। यह हिन्दुस्तान है और हिन्दोस्तान की तुलना अगर वह दूसरे मुल्कों से करेंगे और समाजवादी व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने की बात करेंगे तो धोखा खा जायेंगे और उसमें जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि वह एक नागरिक की हैसियत से भी इस समस्या को सुलझाने के लिये वह सचेष्ट हैं उसी तरह से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह समाजवाद विज्ञान की पुस्तकों में इसको ढूंढेगे तो उनको केवल क्लासलेस सोसाइटी के निर्माण की बात ही मिलेगी। मगर हिन्दुस्तान में चाहे वह गांधी जी के साहित्य को पढ़ें, चाहे हमारे साहित्य को पढ़ें दोनों में क्लासलेस और कास्टलेस सोसायटी के निर्माण की बात मिलेगी---वर्गहीन और वर्ण विहीन---यहां पर ये दोनों समस्याएं हैं। तो दूसरे मुल्कों में तो आसान है। यहां पर जिस तरीके से चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है, जिस तरह की विषमता, जिस तरह का वर्ण भेद यहां पर है और पौराणिक पुस्तकों में कहीं-कहीं जो कुछ मान्यतायें तक प्रतिष्ठित की गई हैं कि कहीं-कहीं जाति विशेष के कान में शीशा तक पिला देना चाहिये ताकि उनके कान में वेद मंत्र न जायं तो ऐसी व्यवस्था जहां है वहां वह यह समझेंगे कि वर्ण विद्वेष नहीं है या हिन्दुस्तान में वर्ग विभेद को मिटाने की कोशिश नहीं होनी चाहिये तो मैं निवेदन करूंगा कि वह गलती कर जायेंगे। मैं उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिये ही इन शब्दों को निवेदन कर रहा हूं, इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर सही मानी में वर्णविहीन समाज की रचना करनी है तो वह वर्ण जो पिछड़ा हुआ है जिसके अन्दर शिक्षा का संचार नहीं है और किन कारणों से उनके अन्दर शिक्षा का संचार नहीं है उन कारणों को अविलम्ब दूर हो जाना चाहिये अगर सरकार दत्तचित्त है वर्ण द्वेष को मिटाने के लिये तो यह आवश्यक है कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके अन्दर शिक्षा का संचार अविलम्ब होना चाहिये। उसके लिये आज जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसका सुधार होना अवश्यम्भावी है। पिछड़ी जाति के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। उनके पास पैसा नहीं है। खाने को नहीं है। कपड़े के लिये पैसा नहीं है। तो जो जीवन को चलाने के लिये खाना कपड़ा और मकान ये मौलिक आवश्यकतायें हैं उनके लिये उनके पास पैसा नहीं है तो उनके माता पिता अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई के लिये भेज सकते हैं। यह आब्जेक्टिव सिचुएशन है। उसको राजनैतिक बलगत में जाकर अगर माननीय सदस्य देखने की कोशिश करेंगे तो वह समझ नहीं पायेंगे।

हमारे कुछ ट्रेजरी बेंच के सम्मानित सदस्यों ने कुछ यह हवा बहाई और मुझे खुशी है कि माननीय शिवनारायण जी ने इसके ऊपर वह कोशिश नहीं की जैसी कि वह किया करते थे। इसके ऊपर उन्होंने वास्तविकता को समझने की चेष्टा की है। दूसरे सदस्यों ने जो हमारे सम्मानित सदस्य देवरिया से आते हैं उन्होंने वह आबहवा

अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

फैला दी है कि कोई भी वर्ण है ही नहीं और वर्ण विषमता मिटाने की बात क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या माननीय नेता विरोधी दल चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि वर्ण विद्वेष मिटे, जाति विद्वेष मिटे। वर्ण विद्वेष को, वर्ण संघर्ष को मिटाने के लिये, वर्ग संघर्ष को मिटाने के लिये ही हमारी समाजवादी व्यवस्था है। जब तक वह व्यवस्था कार्यान्वित नहीं होगी, जब तक उनकी जमीन का इंतजाम नहीं होगा, जब तक उनको जीवन की आवश्यक वस्तुयें नहीं दी जायंगी तब तक यह संघर्ष नहीं मिटेगा। मुझे अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ता है, माननीय मुख्य मंत्री जी विद्यमान हैं इसलिये ही मैं कह देता हूं कि सरकारी नौकरियों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो नीति निर्धारित की है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी तीन चार आदमियों की एक कमेटी नियुक्त करें और फिर ६,७ महीने में जिन जिन सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति वालों को किस आधार पर रखा गया, दूसरे लोग किस आधार पर रखे गये वह यह देखें। अगर ऐसा होगा तो उनको मालूम होगा सरकारी आदेशों का उल्लंघन हुआ है। श्रीमन्, मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास भी कुछ लोग आया करते हैं जो कि पिछड़ी जातियों के हैं। जब कि नायब तहसीलदारों की भरती हो रही थी तो मैंने, मुझे जहां तक स्मरण है २८ से लेकर २५ के अन्दर तक सिफ़ारिशें की थीं। पिछड़ी हुई जाति के आज वह ग्रेजुएट्स जब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर की है, उनमें से एक आध को छोड़ कर कोई नहीं लिया गया। हमने माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में एक पत्र भी भेजा था। उसका जवाब भी उन्होंने दिया। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस पिछड़ी जाति वाले विद्यार्थियों की हमने सिफारिश की थी उनमें से जहां तक हमारी इत्तिला है किसी को जगह नहीं मिली। मैंने दफ्तर से पत्र भिजवाये हैं यह जानने के लिये कि कितनों को जगह मिली और कितनों को नहीं। इसलिये मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सम्मानित सदस्य केवल वर्ग पर जोर देंगे और वर्ण की विषमता को मिटाने के लिये यथेष्ट दत्तचित्त हो कर कदम नहीं उठायेंगे तो राजनैतिक गुत्थी नहीं सुलझ पायेगी। मैं माननीय शिवनारायण जी से कहूंगा कि मैं तो उनको समाज का अंग मानता हूं। मैं समझता हूं कि समाज के प्रत्येक प्राणी को बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिये। सब को एक ही तरह से रखना चाहिये। समाज में न कोई छोटा हो न बड़ा हो, न जाति के आधार पर किसी की विशेष प्रतिष्ठा हो। जाति के आधार पर प्रतिष्ठा का अन्त होना चाहिये। जब तक हम इस तरह के भाव को कार्य रूप में परिणत नहीं करेंगे तब तक हम स्वतंत्र समाज की स्थापना नहीं कर सकते।

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद यह आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि उन विषयों पर और कुछ प्रकाश डाला जाय। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यदि यह सत्य है कि योग्य होते हुये भी अनुपात के अनुसार हमारे इन वर्गों के लोगों को नौकरियों में स्थान न मिल सके तो यह जरूर असन्तोष और दुख की बात है। इस ओर बहुत पहले ही मैंने जांच पड़ताल आरम्भ कर दिया है और मैं भवन को यह विश्वास दिलाता हूं कि उस जांच-पड़ताल के बाद यदि सचमुच में यह अवस्था निकलती कि उनको नौकरियां नहीं मिलीं बावजूद इसके कि वे योग्य थे, तो उसका निराकरण अवश्यम्भावी किया जायगा।

बजट के सिलसिले में आने के पहले माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि पूर्वी जिलों में यह व्यवस्था है कि हरिजन भाइयों को कुओं से पानी लेने नहीं दिया जाता है। मैं पूर्वी जिले का ही रहने वाला हूं। उन्होंने जौनपुर का भी नाम लिया। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, (आवाजें—बहुत जगह है।)

[श्री हरगोविन्द सिंह]

अगर यह व्यवस्था है तो यह बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात का स्वागत करता यदि आज के पूर्व ऐसे जितने केसेज थे वे मुझे या गृह मंत्री जी को बताये जाते और फिर देखा जाता कि उस पर हम कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। आज भी इस भवन में हम यह कहते हैं कि यदि ऐसे केसेज़ का पता चला और किसी सज्जन ने हमें बताया तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। यह चीज सरकार के लिये सचमुच कोई गौरव की बात नहीं हो सकती कि हम कानून तो यह बनावें कि हर एक हरिजन को कुओं से पानी भरने का अधिकार होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको अधिकार होगा कि वह किसी दर्जी से अपने कपड़े सिलवाये, उसको अधिकार होगा कि वह किसी नाई से अपने बाल बनवाये, मगर वास्तव में वैसी बात न होती हो। अगर ऐसा होता है तो जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे पास कोई ऐसा साधन तो नहीं है कि हम यह जानते हों कि ऐसी कठिनाइयां कहां हो रही हैं। उन कठिनाइयों को जानने के लिये आप ही हमारे आंख और कान हो सकते हैं और अगर आपने हमें उन कठिनाइयों को बताया हो और उसके ऊपर कोई कार्यवाही न हुई हो तब ही तो आप सरकार के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं। अगर आप न बतावें केवल इसलिये कि उसको अपने हृदय में संचित रखें और बजट के वादविवाद के समय ही हमें उसको बतलावें, तो मैं कम से कम आप से यह कह सकता हूं कि यह नीति अनुचित है।

बजट के संबंध में यह कहा गया कि २८ सौ रुपये की कमी हुई। उसका कारण मैं बता दूं। जो यह आप का वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें १५ हजार रुपया हरिजन आश्रम, इलाहाबाद को एक प्रेस खोलने के लिये दिया गया था। अगले साल उसकी आवश्यकता नहीं है। तो १५ हजार के स्थान पर १२ हजार की कमी बजट में हुई। इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षा में २८ सौ की कमी हो गयी और इस कारण आप यह कमी देख रहे हैं बल्कि उसका कारण यह है कि जो १५ हजार रुपया हरिजन आश्रम, इलाहाबाद को एक प्रेस खोलने के लिये दिया गया है वह अब इस वर्ष उसको नहीं दिया जायगा। तो वास्तव में कोई कमी नहीं हुई। हां, शिक्षा के संबंध में गेंदा सिंह जी ने कहा कि लड़कों को फीस नहीं दी गई। यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह शायद उनको गलतफहमी है। प्रांत में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा, मैं फिर इसको दोहरा देता हूं, जहां हरिजन भाइयों को सम्पूर्ण फीस नहीं दी गई। और यही नहीं, कालेजेज, डिग्री कालेजेज में जितने लड़के पढ़ते हैं उन सबको स्टाइपेंड दिया जाता है।

एक सदस्य—किसको दिया जाता है?

श्री हरगोविन्द सिंह—सब हरिजनों को दिया जाता है। मैं डिग्री कालेजेज की बात कर रहा हूं, आप जरा समझ कर बात कीजिये। डिग्री कालेजेज में प्रत्येक लड़के को चाहे वह थर्ड डिवीजन का भी लड़का हो, उसको स्टाइपेंड दिया जाता है। एल०टी० में भी उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। यहां तक कि दूसरे श्रेणी के लड़कों को जो स्टाइपेंड दिया जाता है उसकी संख्या मेरे पास है। पिछड़ी जाति के सभी लोगों को स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है और मेरा ख्याल है कि यह किसी अंश में ठीक भी है। पिछड़ी जाति के लोगों की वह दशा नहीं है जो हमारे हरिजन भाइयों की है। पिछड़ी जाति के बहुत से लोग हैं लेकिन हरिजनों में शायद सैकड़ों में कोई कहीं बिरले ही एक व्यक्ति आप को ऐसा मिल सकता है, जो सचमुच अपने बच्चे को पढ़ा सकता हो, इसलिये यह नियम है। हरिजन बालक चाहे वह यूनिवर्सिटी में हो या चाहे कहीं भी हो उसकी जितनी फीस होती है वह सरकार बरदाश्त करती है। इसके अलावा उनको किताबों की मदद या और. मदद दी जाती है। हां, यह भी ठीक है कि आर्थिक दशा उनकी ठीक नहीं है सचमुच में चाहे जितना प्रयत्न हो, एक यह भी अपनी जगह पर सत्य बात है कि जब तक

उनकी आर्थिक दशा ठीक न हो सके तब तक समाज में वह स्थान जो हम सचमुच चाहते हैं कि हमारे हरिजन भाइयों को मिले, उसके मिलने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर आप क्या यह समझते हैं कि उनके आर्थिक विकास करने के हेतु जितना प्रयत्न संभव है वह किया नहीं जा रहा है। बख्शी तालाब में दो वर्ष पहले एक ट्रेनिंग खोली गयी थी उसमें थोड़े लड़के थे। उनका सम्पूर्ण खर्चा सरकार बरदाश्त करती है। आज उसमें सौ सवा सौ लड़के हैं, पारसाल शायद उसमें दो सौ लड़के होंगे और अगर यह साबित हुआ कि जो लड़के वहां से ट्रेनिंग पा करके निकलते हैं वह जीवन में एक अपना स्थान ढूंढ लेते हैं, तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे बहुत ट्रेनिंग सेंटर्स हम खोल सकते हैं। लेकिन आज मैं आप को बताऊं कि हम को ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हमारे बख्शी के तालाब के सेंटर में भी उतने लड़के हम को शायद नहीं मिल रहे हैं जितने हम को मिलने चाहिये थे। अगर आप स्कूल और कालेजों की संख्या देखें तो वहां कमी नहीं है, वहां तो संख्या दिन बदिन बढ़ती चली जा रही है और इतनी बढ़ती चली जा रही है कि वह किस हद तक पहुंचेगी यह नहीं कहा जा सकता। बजट में जो फीस की निस्बत रुपया रखा गया है, इस समय उसका निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है। जुलाई में लड़के भर्ती होते हैं। जुलाई में भर्ती होने के बाद ही सरकार यह जान सकती है कि कितने लड़कों की फीस हम को देनी है, इसीलिये पारसाल आपने देखा होगा कि एक सप्लीमेंटरी बजट ले आना पड़ा जिसमें करीब करीब ८ लाख रुपये की मांग की गयी तो अगर आप आज ही यह चाहते हैं कि इस अनुदान की संख्या में वृद्धि कर दी जाय तो कितनी वृद्धि की जाय यह साफ तौर से नहीं कहा गया। काफी माननीय सदस्यों ने यह भी शिकायत की कि इसमें संख्या कम है तो उसका एक मात्र कारण यह है कि हम आज इस स्थिति में नहीं हैं और हो भी नहीं सकते कि अगले वर्ष लड़के हमारे कालेजेज़ और यूनिवर्सिटीज से पास होंगे लेकिन इससे आपको घबराहट नहीं होनी चाहिये। जब हम स्पष्ट कहे जा रहे हैं कि जब लड़कों की संख्या जितनी भी बढ़ती जायगी हम प्रत्येक लड़के की फीस को सरकार की ओर से देंगे तो फिर आपको क्या परेशानी हो जाती है कि बजट में संख्या अधिक है या कम है। अगर वह संख्या पूरी नहीं हुई और पूरी फीस नहीं दी जा सकी तो पूरक अनुदानों के जरिये उसकी पूर्ति की जायगी। बजट ६१ लाख का था, कम कर दिया गया तो इससे घबराहट नहीं होनी चाहिये, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वह तो सदैव इस बात का प्रयत्न करते रहे हैं और भवन में एक दफा नहीं कई दफा उन्होंने कहा है कि वह यह नहीं चाहते कि धन की कमी के कारण हमारा उत्थान या उन्नति के कार्य रुक जायं। उसके बाद फिर यह समझना कि हरिजनों के लिये लापरवाही बरती गयी है यह अनुचित है। हां, जैसा मैंने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि यह संभव है कि समस्या के आकार को देखते हुये, उनकी दीन दशा को देखते हुये, समाज में इतने दिनों तक जो उनका स्थान था, जो वे पददलित थे उसको देखते हुये यह हो सकता है कि आपको ये बजट के आंकड़े मालूम हों कि बहुत कम हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था और फिर दोहरा देना चाहता हूं कि आपको यह समझ कर कि सरकार उस क्षेत्र में कुछ कर रही है शांति रखनी चाहिये और यदि मान भी लें कि ७८ करोड़ का बजट है तो इन ७८ करोड़ में से ऐसा तो नहीं है कि जो काम होंगे उससे हरिजन समाज वंचित रहेगा। उनमें से तो प्रत्येक हरिजन, जैसे किसी दूसरी जाति का प्रत्येक मनुष्य भागीदार है वैसे ही आप भी भागीदार हैं लेकिन यह तो उसके अतिरिक्त एक अनुदान है जो कि इसीलिये है और मैं समझता हूं कि यह कोई अन्याय नहीं है यदि आप इस बात की मांग करें और समझें कि जितनी सुविधा चाहे वह किसी प्रकार से भी हो आपके लिये दी जानी चाहिये उतनी दी जानी चाहिये और उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं की जायगी। लेकिन यह अगर और कौमों को थोड़ी देर के लिये रोक कर आपके ही उत्थान का काम करें

[श्री हरगोविन्द सिंह]

तो शायद अनुचित होगा, क्योंकि इसमें आपका कल्याण नहीं होगा। अगर समाज पूरा पिछड़ा रहे और आप ही बढ़ जायं तो फिर भी समाज में वही समस्यायें रहेंगी जो आज हैं केवल आपके स्थान पर दूसरा आ जायेगा तो इससे समाज कल्याण नहीं हो सकेगा। समाज का निर्माण तो तभी संभव है जब संपूर्ण समाज को एकत्रित करके उसका उत्थान किया जाय तभी समाज का कल्याण होगा और तभी कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि भवन इस अनुदान को मंजूर करेगा ।

श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—मैं स्पष्ट कहना पसंद करता हूं जहां तक नौकरियों का संबंध है और पिछड़ी और अछूत जातियों के आगे बढ़ाने का संबंध है उसमें ज्यादातर जो कोई नौकरी देने वाले लोग हैं वह ऊंची जाति के लोग हैं और वह अन्याय जरूर करते हैं। इसलिये इसको अपनी जगह पर ठीक करने के लिये यह निहायत जरूरी है कि जो अप्वाईंटिंग अथारिटी हो, चाहे वह पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे जिलाधीश हो, चाहे अन्य कोई और अधिकारी हो लेकिन इनमें कोई पिछड़ी जाति का भी हो तो ज्यादा अच्छा है। अछूत जाति के लोगों का और पिछड़े हुये मुसलमानों का होना भी निहायत जरूरी है। क्योंकि जब तक इस समस्या को उनके हाथ में नहीं दिया जायगा तब तक इसका हल नहीं होगा ।

मैं एक मिसाल इस संबंध में कहूंगा। अभी हाल के नायब तहसीलदारों के चुनाव में जौनपुर जिले के एक रामसेवक यादव, जो एग्रीकल्चर कालेज, कानपुर में फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पोजीशन आया था, उसने इस सर्विस के लिये कोशिश की और इंतिहा कोशिश के बावजूद भी वह नहीं लिया गया और थर्ड पोजीशन जिसकी आई और जो जाति का ब्राह्मण था वह लिया गया।

इस प्रकार से मैं आपको बतलाता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी दो कैपैसिटी बतलाई हैं। एक तो उत्तर प्रदेशीय सरकार के बहैसियत मुख्य मंत्री के और दूसरे वह इस देश के नागरिक हैं। यह चीज अपनी जगह पर सही है। मैं भी अपनी छोटी सी जिन्दगी में ६ नौकरियों को छोड़ चुका हूं और मैंने एक मामूली मिडिल स्कूल की मास्टरी से अपने जीवन को आरम्भ किया है और इन छः नौकरियों में मैंने पुलिस की भी नौकरी की है और अन्त में गवर्नमेंट इन्टर कालेज, इटावा में हो गया और वहां से भी मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और मुझे खेद है कि इसलिये मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन था उसकी यह आदत थी कि जो उसके पैर छू लेता था उसको वह नौकरी देता था और हर बात में तरजीह और तरगीब देता था और मेरी शिकायत हुई कि यह इंगलिश मास्टर है और कट्टर जाति का है। यही मेरी डिसक्वालिफिकेशन थी जिससे मुझे नौकरी से सुबुकदोश होना पड़ा। फिर मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में भी आया तो देखता हूं कि कोई ब्राह्मण स्कूल है, कोई कायस्थ स्कूल है, और कोई बनिया स्कूल है, क्योंकि पिछड़ी जाति के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने स्कूल खुलवा सकें। इसलिये ऊंची जाति के लोग उन लोगों के साथ अन्याय करते हैं। हमारे ये ब्राह्मण, बनिये और कायस्थ भी आपस में लड़ते हैं लेकिन जब बैकवर्ड क्लास की तरक्की का सवाल आता है तो रिजर्वेशन की वजह से बेबसी है वरना वह अछूतों के साथ न्याय करने में हिचकेंगे नहीं। मेरे साथ भी इस तरह का तीन बार अन्याय हुआ। ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स का ग्रेड पाने के लिये मैं तीन बार डायरेक्टर आफ एजूकेशन के यहां पेश हुआ। सिनियारिटी और जूनियारिटी का सवाल यह है कि जिन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया था वह मुझसे आगे किये गये और मुझे वह ग्रेड नहीं दिया गया।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--मैं यह जानना चाहता हूं कि आप यह किस सन् की बात बतला रहे हैं।

श्री वंशीदास धनगर--सन् १९४७ से लेकर १९५१ ई० तक की यह बातें हैं। सन् १९५१ ई० में मैंने रिजाइन किया और चेयरमैन साहब, जो कि कांग्रेस टिकट पर खड़े हुये थे, उनके विरुद्ध मैं खड़ा हुआ और मैंने उनका मुकाबिला किया। आज भी यह चीज है क्योंकि जातिवाद भीतरी जड़ पकड़े हुये है क्योंकि वहां के जो चेयरमैन थे उनको मुझे चैलेंज करना पड़ा और उन्हीं के जिले में मुझे उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ा। और चूंकि उनकी जमानत भी जब्त हुई और भी कैन्डीडेट्स की जमानत जब्त हुई, तो यह ख्याल हुआ कि यह तो ब्राह्मण और ठाकुर की नाक कट गई और एक गड़रिया चुनाव में आ गया। आज यह चीजें समाज में इतनी गहरी जड़ पकड़े हुये हैं तो मुख्य मंत्री जी से बड़ी बेबसी से कहना पड़ता है कि पैर छूना, पालागन करना और जुहार करना ये सब रूढ़ियां आज समाज में गहराई तक घुसी हुई हैं। हमारे मुख्य मंत्री के यहां जब एम०एल० एज० लोग पहुंचते हैं तो वहां मैं अपने को बेबस पाता हूं जब मैं देखता हूं कि दो आदमी चिलम भरने के लिये और दो आदमी उनके पैर छूते हैं और हम नहीं छूते तो वहां तरजीह और तरगीब का सवाल पैदा हो जाता है। जहां वह पाजिटिवली एक नागरिक की हैसियत से सोचते हैं वहां निगेटिवली भी सोचने की जरूरत है कि समाज में ऐसी रूढ़ियां हैं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--यह चिलम भरने की बात अजीब सी लगी। कभी मैंने देखा नहीं।

श्री वंशीदास धनगर--इस मुहाविरे के कहने का आदी हो गया हूं। इसलिये बेबस हूं। अगर वैधानिक तरीके से सही नहीं है तो वापस लिये लेता हूं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अवैधानिक कोई बात नहीं है। सवाल है सही बात कहना और बेबुनियाद बात कहना।

श्री वंशीदास धनगर--चिलम की बात वापस लेता हूं। बेजा खुशामद की बात उसकी जगह इस्तेमाल करता हूं। तरजीह और तरगीब की बात कहता हूं। एक दफा मैं सर्विस में था। जिस दिन उनकी जन्मतिथि थी उस दिन मैं २७ आदमियों का डेपुटेशन लेकर उनसे मिला और हमारे गृह मंत्री भी मौजूद थे। इंटरमिजियेट कालेज, इटावा में एक बड़ी भारी समस्या थी जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसको लेकर मैं मुख्य मंत्री से मिला था और मैंने उनसे यह प्रस्ताव किया था चूंकि इस चीज से समाज में बड़ा अन्याय और अत्याचार होता है, उसको रोकना चाहिये। यह चीज इम्तहान की कापियों तक में होती है, लोगों को डिवीजंस उसी हिसाब से दिये जाते हैं कि फलां लड़का पंडित है, उसके नाम के पीछे और आगे पंडित की उपाधि लगी हुई है। हो सकता है कि उस समय शिक्षा मंत्री जी ने ये हुकुम भी निकाल दिया हो कि नामों के आगे जाति न लिखी जाय लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तरकीब निकाल ही ली जाती थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि समाज में इतनी गहराई के साथ यह चीज पहुंच चुकी है कि आज जबकि संसार भौतिकवादी है तो ये चीजें पचाई नहीं जा सकतीं। अति का अन्धेर जागृति पैदा करेगा। इसको न कोई पार्टी रोक सकेगी और न दुनिया की कोई ताकत रोक सकेगी। जब अंग्रेजों का जुल्म जरूरत से ज्यादा हिन्दुस्तान पर हुआ और जब महात्मा गांधी की बेइज्जती काले और गोरे के प्रश्न पर दक्षिणी अफ्रीका में हुई, तो हिन्दुस्तान में उन्होंने वह आंदोलन खड़ा किया जिसकी वजह अंग्रेजों का पता नहीं चला कि वे किस गली से हिन्दुस्तान छोड़ गये। तो कोई भी रूढ़िवादी समाज की व्यवस्था राजनीतिक पार्टी के आधार पर छिपाने से छिपी नहीं रह सकती और एक दिम वह सत्य ही होकर रहेगी। समाज के नाम पर, जाति के नाम पर

[श्री वंशीदास धनगर]

और राजनीतिक पार्टी के नाम पर किसी भी तबके को ज्यादा दिन तक सताया नहीं जा सकता, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। एक दिन ऐसा आयेगा कि वह मानव के नाम पर संगठित अवश्य होंगे। मैं समझता हूं कि उनके अधिकारों को कोई भी राजनीतिक पार्टी कितनी ही गलतफहमी से क्यों न छिपाना चाहे, छिपाये नहीं रह सकती।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इस संपूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय) के अन्तर्गत ५४,५५,२०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ७ बजे, सोमवार, ९ मार्च, १९५३ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ;
६ मार्च, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८० एल० ए०--१९५३--८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ९ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण, वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अलीखां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमालअहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुदीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घामी राम जाटव, श्री
चन्द्र पाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभान शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ढालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत , श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम , श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद, सिंह श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री

यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल , श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे, मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन , श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री

रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
विरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववृक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

*१—श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि राज्य के किन किन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन एक मास से अधिक का चुकता होने को शेष है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीता राम)—

(१) आगरा, (२) प्रतापगढ़,
(३) रायबरेली, (४) मिर्जापुर
(५) कानपुर और (६) इलाहाबाद।

*२—श्रीराम सहाय शर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का नया वेतन तथा महंगाई क्या है और क्या वह उनके वेतन और महंगाई के भत्ते को बढ़ाने का इरादा रखती है ?

डाक्टर सीताराम—

नवीन वेतन-क्रम

प्रधानाध्यापक	४५-१-५०-प्र० अ०- १-५५-प्र० अ०-१-६०
सहायक अध्यापक	३५-१—४०—प्र० अ०- १-४५-प्र० अ०-१—५०

अन्ट्रेंड अध्यापक ३०

महंगाई

१२ रुपये प्रतिमास ४० रुपये वेतन तक और १३ रुपये प्रतिमास ४० रुपये से अधिक वेतन पर।

वर्तमान आर्थिक स्थिति में वेतन और महंगाई में और वृद्धि देना संभव नहीं है।

श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के नाम बतलाने की कृपा करेगी जिन्होंने अभी तक अपने जिले में उक्त नवीन वेतन क्रम लागू नहीं किया है ?

डाक्टर सीताराम—यू० पी० में सिर्फ गढ़वाल ही एक ऐसा जिला है जहां पर कि नवीन वेतनक्रम लागू नहीं है।

श्री रामसहाय शर्मा—उक्त जिला बोर्ड के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर सीताराम—अभी कोई खास कार्यवाही की तो बात नहीं है।

श्री रामसहाय शर्मा—यदि सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्त्तव्य पालन न करने पर भी उनको सुपरसीड करना नहीं चाहती है तो फिर उनके प्रति क्या कार्यवाही करना उचित समझती है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—सरकार ने यह हिदायत दी थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह अधिकार है कि वे पे कमेटी की रिपोर्ट को जिस तरह चाहें लागू करें या न करें जितना चाहें करें या न करें। चूंकि वे संस्थायें स्वतंत्र हैं इसलिये इस बात को नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई हमारे नियम के विरुद्ध कार्य किया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में महंगाई भत्ता केवल ८ रु० दिया जाता है?

डाक्टर सीताराम—जी हां, यह बात सही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी जानते हैं कि आजमगढ़, जौनपुर व देवरिया में केवल ८ रु० महंगाई भत्ता दिया जाता है, उसे पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—यह इस बात पर मुनहसर करता है कि उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत कैसी है। जबतक यह न मालूम हो तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि उसमें क्या कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाने के संबंध में श्री शिक्षा संचालक ने यू० पी० अध्यापक मंडल के पास कोई पत्र भेजा है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, लिखा है।

श्री नेकराम शर्मा ला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सर्क्युलर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये भेजा गया है वह सरकारी नीति का प्रतीक नहीं है?

श्री मोहनलाल गौतम—जो सरक्यूलर भेजा गया है वह यह है कि जितना चाहें, जिस समय से चाहें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स तनख्वाह दे सकती हैं। इसलिये वह प्रतीक है और उसी के मुताबिक अमल हो रहा है। चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को इजाजत मिली हुई है इसलिये उसमें सरक्यूलर के विरुद्ध कुछ बात नहीं है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—इन जिलों में कितना रुपया वेतन का शेष है?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय पूरे आंकड़े मौजूद नहीं हैं।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पे कमेटी ने जो २०, २५ रुपया महंगाई भत्ता समान रूप से सब डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड के मुलाजिमों के लिये रिकमेंड किया था वह इन टीचरों को किस आधार पर नहीं दिया गया।

श्री मोहनलाल गौतम—जैसाकि बयान किया गया है इन लोगों के लिये कम स कम महंगाई भत्ता १२ रुपया रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी —क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र शिक्षा संचालक महोदय ने लिखा उसका आशय क्या था?

श्री मोहनलाल गौतम—उसका आशय यह था कि उन लोगों ने जो गलत रास्ता अख्तियार किया है सत्याग्रह करने का वह उस रास्ते को छोड़ दें और जितना शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि जितना एरियर बाकी है वह और रेग्यूलर पे कर दी जायगी। इन दोनों बातों पर वह विचार करें और इस सत्याग्रह की बात को वह छोड़ दें। यही उसका आशय था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूनियन को इस बात पर राजी किया जायगा कि महंगाई भत्ता और वेतन में वह वृद्धि करने के लिये तैयार हो जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह उस लेटर में नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूनियन को इस बात के लिये तैयार किया जायगा। उस पत्र में केवल इतना है कि यह मसला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट की मीटिंग जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूनियन ने बुलायी थी उसके सामने विचारार्थ रख दिया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जिस सरकुलर का शिक्षा सेक्रेटरी के जरिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास भेजे जाने का जिक्र किया गया है कि उसके मुताबिक वह इतना मंहगाई भत्ता दे सकते हैं क्या उसके पहले भी कोई सरकूलर सरकार ने भेजा था ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकूलर रोज़ जाते रहते हैं ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पे कमेटी किसकी ओर से मुकर्रर हुई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—उसके पढ़ने से मालूम हो जायगा कि किसकी ओर से मुकर्रर की गई थी।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बतलायेगी कि उसने पे कमेटी की रिपोर्ट को कहां माना है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार ने पे कमेटी को पूरा माना है और इस बात को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर छोड़ दिया है जितनी उनकी औकात है, हैसियत है, और फायनेंस इजाजत दे और उतना वह उस पर अमल करे।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अभी तक एक महीने से अधिक तनख्वाह नहीं दे सके हैं धन की कमी के कारण क्या सरकार उनको कुछ लोन देने का विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—अगर जरूरत पड़ेगी तो दे सकते हैं।

*३—श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों को अविलम्ब सुपरसीड करने को तैयार है जो गत कई मार्च से प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन चुकाने में असफल रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

तारांकित प्रश्न

अल्मोड़ा जिले की पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में और मवेशी अस्पतालों की आवश्यकता

*१—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को विदित है कि अल्मोड़ा जिले की पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में जिसका कि क्षेत्रफल १५०० वर्ग मील है सिर्फ एक मवेशी अस्पताल है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी हां।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार यह आवश्यकीय नहीं समझती कि चम्पावत तहसील में स्थायी रूप से एक अस्पताल खोला जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सरकार तो यह आवश्यक समझती है कि सूबे में ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खोले जायं और जहां तक संभव होगा वहां भी खोलने की कोशिश की जायगी।

*२--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार निकट भविष्य में कोई और अस्पताल उक्त इलाक़े में स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--अभी ऐसा प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहाड़ में पशुपालन विशेषतः भेड़ पालन की उन्नति के लिये उक्त तहसीलों में केन्द्र स्थापित होंगे, उनमें नियुक्त कर्मचारी पशुओं के रोगों के रोकथाम का भी कार्य करेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार बतलायेगी कि भेड़ पालन केन्द्र कब और कहां खोला जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--केन्द्र जल्दी ही खुलेगा और इसके लिये जांच हो रही है कि कहां खोला जायगा। जहां उपयुक्त समझा जायगा वहां खोला जायगा। माननीय सदस्य अगर मुझे सुझाव देंगे तो मैं उसका आदर करूंगा।

टनकपुर-पिठौरागढ़ रोड पर बस सर्विस

*३--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा में टनकपुर से पिठौरागढ़ तक मोटर बसें के. एम. यू. कम्पनी द्वारा ही चलायी जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार कोआपरेटिव सोसाईटीज़ को ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने की इजाजत देगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यदि उनकी तरफ से इस संबंध में कोई सुझाव आयेगा तो उस पर विचार हो सकता है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार के० एम० यू० को मानोपली देने का कारण बतलायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--के० एम० यू० को मानोपली देने का कारण यह है कि जो अलग अलग मोटर आपरेटर्स होते हैं उनके मुकाबले में एक संगठित संस्था से काम चलाने में सुविधा होती है और यात्रियों को आसानी होती है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार के पास के० एम० यू० की बदइंतज़ामी के बारे में जनता का कोई रिप्रिजेन्टेशन आया है और इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--कोई सूचना नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)--क्या यह बात सही है कि के० एम० यू० का काम कुमायूं एरिया में सब से अच्छा चला हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--के० एम० यू० का काम अच्छा है तभी उसको काम दिया गया है।

प्रदेश की परती जमीन को खेतिहर मजदूरों को देने की योजना

*४--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--प्रदेश की २६ लाख एकड़ जमीन को, जो परती है, क्या सरकार खेतिहर मजदूरों को देने की योजना पर विचार कर रही है ?

मालमंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--सरकार इस विषय पर विचार कर चुकी है और यह समझती है कि प्रदेश की भूमि के सदुपयोग के दृष्टिकोण से कुल बंजर भूमि को काश्त के लिये देना उचित न होगा। बंजर भूमि के नियत भाग पर पेड़ लगाने, चरागाह रखने, बाग लगाने आदि के लिये आदेश जारी हो चुके हैं। शेष जमीन जो भी दी जायेगी वह भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ के पारित हो जाने के बाद प्रथमतः भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को ही दी जायेगी।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पेड़ लगाने और चरागाह के लिये कितनी जमीन नियत करके आदेश दिये गये हैं और कितनी जमीन बची हुई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जो कुल जमीन के २० फीसदी से अधिक बंजर है वहां उस की आधी पेड़ लगाने के लिये रखी जाय और जहां ५ फीसदी से २० फीसदी तक बंजर है वहां ५ फीसदी तक पेड़ लगाने के लिये रखी जाय और अगर ५ फीसदी से कम है तो सब की सब ऐसे ही पेड़ों के लिये छोड़ दी जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बाग़ लगाने की व्यवस्था किसके द्वारा की जायगी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह तो इस वक्त गांव सभाओं के द्वारा ही सम्भव होगा और अगर वह नहीं कर सकेंगी तो जिलाधीश वगैरा के द्वारा किया जायगा।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न में जो २६ लाख एकड़ जमीन परती लिखी गई है, क्या परती इतनी ही है या इस से कम अधिक है?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--२६ लाख एकड़ जमीन की फीगर गलत है, परती जमीन इससे ज्यादा है।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि जो जमीन इस वक्त परती बताई जाती है वह कागजात में सीरदार या भूमिधर लोगों ने लिखा ली है?

श्री चरणसिंह--कागजात में जो जमीन परती दिखलाई गई है वह ८० लाख एकड़ के करीब है लेकिन इसमें से कितनी वाकई काबिल काश्त है और कितनी नाकाबिल काश्त है यह सही तौर पर नहीं बतलाया जा सकता और यह बात सही है कि कुछ जमीन जो परती है वह सीरदार और भूमिधर लोगों की होल्डिंग में शामिल है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो परती जमीन पड़ी हुई है, इसमें बड़े बड़े फार्म्स बनाने के लिये जमीन दी गयी है?

श्री चरणसिंह--जमींदारों ने दी हो तो दी हो, जब उनको अधिकार था, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी जमीन फार्म्स बनाने के लिये नहीं दी है।

श्री रामदास रविदास--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यकुम जुलाई के बाद किसानों और भूमिधरों ने परती भूमि में से कुछ भूमि तोड़ी हैं?

श्री चरणसिंह--अगर कोई इस तरह की जमीन तोड़ी होगी तो गासिबाना कब्जे के तौर पर तोड़ी होगी। गांव समाज को अधिकार है कि उस जमीन को वापस ले ले।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन में राजनीतिक पीड़ितों को भी कुछ हिस्सा दिया जायगा? यदि हां, तो किन-किन जिलों में?

श्री चरणसिंह—दफा १९८ में जिन लोगों को दिये जाने की जिम्मेदारी है राजनीतिक पीड़ितों के लिये तो उसमें है नहीं।

*५–७—श्री श्रीचन्द—[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*८–९—श्री झारखंडे राय—[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

नैनीताल जिले के विभिन्न बीजगोदामों में आलू के बीज के वितरण के सिलसिले में ग़बन व गड़बड़ी

*१०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल जिले के विभिन्न बीज गोदामों में आलू के बीज के वितरण के सिलसिले में ग़बन व गड़बड़ी पायी गयी है? अगर हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुछ शिकायतें आई हैं और उनमें जांच की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, इससे पहले कि मैं कोई पूरक प्रश्न पूछूं, मैं यह जानना चाहता था कि जो उत्तर मुझे मिला है उसमें श्री जगनप्रसाद रावत उपमंत्री के हस्ताक्षर हैं। तो क्या कोई उपमंत्री भी लिखित उत्तर दे सकते हैं। मैंने जो आज तक परिपाटी देखी है वह यह है कि हमेशा मंत्री ही के हस्ताक्षर से उत्तर दिये जाते हैं और मेरे ख़याल से माननीय चरण सिंह के नाम से उत्तर आने चाहिये थे। लेकिन यह माननीय जगन-प्रसाद रावत, उपमंत्री के नाम से आये।

श्री अध्यक्ष—यह वैसे मंत्री जी के नाम से आने चाहिये। कोई भी उत्तर हो वह मंत्री जी के नाम से होना चाहिये। लेकिन यह ऐसी आपत्ति नहीं है कि जिसके लिये कोई कार्यवाही हो, बल्कि आइन्दा के लिये जरूर इस बात का विचार रखा जाय कि यहां की परिपाटी यह है कि उपमंत्री यहां भले ही उत्तर दें लेकिन वह मंत्री की तरफ़ से उत्तर है, यह समझा जाना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि कौन कौन बीज गोदामों में किस प्रकार के गबन और गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी इसकी जांच जारी है और जांच होने के बाद मैं आपको बता सकूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने पूछा था कि किन किन बीज गोदामों के बारे में शिकायतें आई हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—मैंने आप से कहा कि जांच होने के बाद ही नाम बताये जा सकेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस जांच के दरमियान में ही कुछ बीज गोदामों के अधिकारियों पर कोई अनुशासन की कार्रवाई की गयी है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जांच के दौरान में भी अगर कोई गबन है और कोई बात न भी पाई जाय लेकिन अगर यह आवश्यक महसूस होता है कि जांच को मुनासिब तरीके से करने के लिये किसी का तबादला कर दिया जाय तो वह कर दिया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि भुवाली के आलू के बीज के गोदाम में पौने दो लाख रुपये के गबन के सिलसिले में जो वहां के इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनके नाम वारण्ट जारी है?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनको किसी गबन की वजह से सस्पेंड किया गया। मैंने आप से कहा कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक किसी के ऊपर दोष मढ़ना मुनासिब नहीं होता।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसके द्वारा कराई जा रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—मुहकमे के अधिकारियों द्वारा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि भुवाली के उक्त अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है?

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि नैनीताल जिले में अनेकों काश्तकारों की ऐसी शिकायतें आयी हैं, जिनमें कहा गया है कि उनके सरकारी आलू के बीज न लेने या लौटा देने पर भी उनके नाम बीज की कुरकी जारी की गयी? अगर ऐसी शिकायतें आयी हैं, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है इसलिये दूसरा प्रश्न नहीं उठता है।

*१२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कुमायूं के सरकारी आलू के बीज गोदामों के नियमित करने, अच्छे आलू के बीज उपलब्ध कराने व बदइन्तजामी दूर करने के हेतु कोई योजना बना रही है? अगर हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुमायूं के सरकारी बीज गोदामों का संचालन नियमित रूप से होता है, अच्छे ही आलू बीज के लिये बांटे जाते हैं। यदि किसी बदइन्तजामी की शिकायत कभी आती है तो फौरन जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाती है। ऐसी अवस्था में किसी विशेष योजना के बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

*१३-१५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—
[देखिये आगे पृष्ठ २४२ पर]

जिला गोरखपुर में रोहिन व राप्ती नदी की बाढ़ से बचने के उपाय

*१८—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार बता सकती है कि गोरखपुर जिले में सन् १९५२ में राप्ती व रोहिन नदी के बाढ़ से कितनी और किस किस्म की सम्पत्ति नष्ट हुई है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य— जिला गोरखपुर में सन् १९५२ ई० में राप्ती और रोहिन नदी के बाढ़ से ७२१ गांवों में पानी आया था और ७२ मकान गिरे थे। ९३,८२५ एकड़ फसल खरीफ की क्षति हुई पर किसी मनुष्य या पशु की मृत्यु नहीं हुई।

*१९--श्री केशव पांडेय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गोरखपुर में रोहिन व राप्ती नदी के बाढ़ से बचने के लिये इस वर्ष क्या उपाय किये जा चुके हैं और क्या क्या शेष हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--गोरखपुर तथा अन्य बाढ़ग्रस्त जिलों में बाढ़ से बचाव के उपायों का प्रश्न बाढ़ कमेटी की टेकनिकल सब कमेटी के विचाराधीन है जिसकी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। उस उपसमिति की रिपोर्ट आने पर ही इस विषय में कोई निश्चय किया जा सकेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट कब तक पहुंचने की आशा है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--बाढ़ कमेटी ने विचार तो कर लिया है, लेकिन चीफ इंजीनियर ने अभी रिपोर्ट तैयार नहीं की है। उनको इस संबंध में लिखा गया है कि जल्द रिपोर्ट दे दें।

श्री केशव पांडेय--जिन ७२१ मकानों में पानी आया था और ७२ मकान गिरे थे सरकार ने उनकी सहायता के निमित्त क्या किया है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--सरकार ने उन्हें रबी के बीज के लिये २,७८,९६० रु० तकावी के लिये दिया था और दूसरी रिलीफ के लिये ५०,१३४ रु० दिया था। इसके अलावा ए० पी० स्कीम के जरिये से गल्ले का वितरण किया और लगान में छूट भी दी।

श्री केशव पांडेय--९,३८० एकड़ खरीफ की जो क्षति हुई थी, वहां जो लोग पड़े हैं क्या उनके लिये भी सरकार ने मालगुजारी की छूट दी है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--उसकी रिपोर्ट आ जाने पर उस संबंध में भी विचार किया जायगा।

श्री केशव पाण्डेय--बाढ़ कमेटी की जो रिपोर्ट अभी आने वाली है उससे पहले बाढ़ से बचने के लिये टेम्पोरेरी तरीके से बांध वग़ैरह बांधकर क्या कोई उपाय सरकार करेगी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जो कुछ होगा बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट आने पर मुस्तकिल तरीके पर किया जा सकेगा। बीच में कोई कार्यवाही करना मुनासिब नहीं मालूम पड़ता।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि अगले बरसात में बाढ़ आने से पहले बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट उनके पास आ जाय?

श्री चरण सिंह--पहली बात तो यह है कि यह जरूरी नहीं है कि अगले बरसात में बाढ़ आये ही और दूसरी बात यह है कि बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट आ जाने पर जो उसकी सिफारिशात हों उसके अनुसार ही जो कुछ हो सकेगा किया जायगा।

श्री रामसहाय शर्मा--सूखा के अवसर पर माननीय बनारसीदास जी ने राप्ती नदी पर बांध बांधने का आश्वासन दिया था, वह अब तक कार्यान्वित हुआ या नहीं?

श्री चरण सिंह--यह कैसा आश्वासन दिया था मैं समझ नहीं पाया हूं। बाढ़ के सिलसिले में मोटी सी बात यह है कि जो लोगों का यह ख्याल है कि बांध बांधने से

बाढ़ रुक जाती है यह ख्याल इंजीनियर्स की राय में अब ग़लत साबित हो चुका है बल्कि यह है कि बांध बांधने से अगर एक जगह बाढ़ रुक जाती है तो दूसरे नीचे के गांवों में नुक़सान पहुंच जाता है। इसलिये माननीय बनारसीदास जी ने आश्वासन तो नहीं यह कहा होगा कि उस पर विचार किया जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि मकानात गिर गये थे उनमें से कितने मकान अब तक तामीर हो चुके है?

श्री चरण सिंह--ऐसी कोई इत्तिला तो हमारे पास नहीं है और न मंगाई गई।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नदियों में प्रति वर्ष बाढ़ आती है?

श्री चरण सिंह--जी नहीं, प्रति वर्ष नहीं आती।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)--जिस टेकनिकल सब कमेटी का सरकार ने इशारा किया है, उसमें क्या वहां के स्थानीय लोग भी रखे गये हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--पूरी लिस्ट उस कमेटी के मेम्बरान की जो पूरी कमेटी इस सम्बन्ध में है, १५ आदमियों की है। उसी १५ आदमियों में से इस टेकनिकल सब कमेटी के सदस्य रखे गये हैं। अगर माननीय सदस्य चाहते हों कि इन पन्द्रहों आदमियों का नाम मैं पढ़ दूं तो मैं पढ़ देता हूं।

१--ठा० हुकुम सिंह विश्वेन, मिनिस्टर आफ रेवेन्यू (चेयरमैन),
२--चीफ इंजीनियर वेस्टर्न कैनाल,
३--चीफ इंजीनियर ईस्टर्न कैनाल,
४--चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट,
५--डाइरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर,
६--चीफ कंजर्वेटर आफ फारेस्ट्स,
७--श्री डी० एल० शाह कंजर्वेटर आफ फारेस्ट्स वेस्टर्न सर्किल,
८--श्री भगवान सहाय, आई० सी० एस०, फूड कमिश्नर,
९--श्री अलबर्ट मेयर, प्लानिंग आफिसर,
१०--श्री आर० डी० ट्रवेट, टाउन ऐंड विलेज प्लानर,
११--श्री के० एन० कौल, प्रोफेसर आफ बोटनी, ऐग्रीकल्चर कालेज, कानपुर,
१२--श्री कमलापति त्रिपाठी,
१३--श्री राधामोहन सिंह,
१४--श्री गंगा सहाय चौबे,
१५--श्री जे० निगम, आई० सी० एस०, रेवेन्यू सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस कमेटी का निर्माण आज से मुद्दत पहले हुआ और जिसके मेम्बर भी अब सदस्य नहीं रहे उस कमेटी की रिपोर्ट के आने की आशा है या नहीं?

श्री चरण सिंह—इस फ्लड रिलीफ कमेटी के बारे में जो यह खयाल है कि बहुत अरसा हो गया है, उसके मुतालिलक में यह अर्ज करना चाहता हूं कि टेकनिकल सब कमेटी का टेकनिकल काम है, उसकी रिपोर्ट महीने, दो महीने छः महीने या साल भर में नहीं आ सकती है, लेकिन यह आशा करना कि उसकी रिपोर्ट आयेगी नहीं, बिलकुल निराधार है।

आज़मगढ़ जिले की घोसी तहसील में कसारा नाला से फस्लों को हानि

*२०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आज़मगढ़ जिले की घोसी तहसील में कसारा ग्राम के नाम पर कसारा नाला खोल कर वहां के जमे हुए पानी को बाहर निकालने की कोई योजना बनायी गयी थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। एक ऐसी योजना बनाई गई है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस नाले की योजना किस सन् में बनाई गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उस नाले की योजना सन् १९५१ में बनायी गयी थी, लेकिन एक कठिनाई यह हुई कि उस नाले में जहां पानी जमा होता है, उसको एक दूसरे नाले के जरिये नदी में डालने की योजना थी लेकिन जिन लोगों की जमीन से होकर वह नाला जाता था उन्होंने उस पर आपत्ति की। अब जो सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर हैं उन्होंने उस योजना के लिये जो जमीन की ज़रूरत है उसके कागज़ात लैंड एक्वीजीशन आफिसर के पास भेज दिये हैं। जब वह जमीन एक्वायर हो जायगी, तब वह नाला बन कर तैयार हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय माल मंत्री जी बता सकते हैं कि यह नाले की योजना कब तक चालू हो जायगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मैंने कहा कि जब जमीन एक्वायर हो जायगी, तब उसके बाद नाला जल्दी ही तैयार हो जायगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आज़मगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि वह नाला एक पुरवा से होकर गुजरता है जिसमें बहुत से किसानों के मकानात बरबाद हो जायेंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसकी कोई सूचना इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन जब लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही होगी, तब अगर इस तरह की शिकायत होगी, तो एतराजात सुनने के बाद ही जमीन एक्वायर की जायगी।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि कसारा ग्राम से उत्तर तरफ पूरब रुख को होता हुआ एक बहा, बहुत दिनों से कायम है, जिससे होकर पानी बहता रहता है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। इतनी बारीक बात तो आप स्वयं जानते होंगे, कोई मंत्री इस तरह की बात का जवाब नहीं दे सकता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि नाले की खुदाई तो प्रारम्भ की जा चुकी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मुझ से ज्यादा माननीय सदस्य को मालूम है। मैं इसका क्या जवाब दूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माल मंत्री जी को पता है कि कई हजार एकड़ का नुकसान प्रति वर्ष इस नाले के न बनने के कारण हुआ करता है?

श्री चरण सिंह---गवर्नमेंट के किसी मेम्बर ने पटवारी का काम तो किया नहीं है कि कितना रकबा है, किधर नाला जाता है, और क्या होता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि श्री रामसुन्दर पाण्डेय और श्री मिश्र जी दोनों मिल कर जिधर इस नाले के निकलवाने की बात कहेंगे, उधर अगर निकल सका तो निकाल दिया जायगा।

*२१---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र में पानी का जमाव होने के कारण खरीफ़ और रबी के फ़सल पर नुक़सान पहुंचता है।

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां।

*२२---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या कृषि मंत्री यह भी बता सकते हैं कि उस पानी के जमाव के कारण पशुओं की बीमारी इस क्षेत्र में फैला करती है?

श्री जगनप्रसाद रावत--- जी हां। इस क्षेत्र के निचले भाग में मक्खियां पैदा होती ह। जिनके कारण पशु बीमार पड़ते हैं।

*२३---श्री नेकराम शर्मा---[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२४---श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)---

[देखिये आगे पृष्ट २४२ पर]

*२५---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---

[देखिये आगे पृष्ठ २४३ पर]

*२६---श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२७---श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)---[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

टनकपुर को जिला अल्मोड़ा में मिलाने का सुझाव

*२८---श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट---क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा के चम्पावत तहसील के अधिकांश लोग जाड़ों में टनकपुर चले जाते हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जाड़ों में अल्मोड़ा जिले के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ लोग टनकपुर चले जाते हैं।

*२९---श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--- क्या सरकार के पास यह निवेदन-पत्र आये हैं कि टनकपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह केवल जिला अल्मोड़ा से ही पूर्णतया सम्बन्धित है, अतएव उसे जिला अल्मोड़ा में सम्मिलित कर दिया जाय?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---ऐसे निवेदन पत्र पहले आये थे हाल में नहीं।

*३०---श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट---क्या सरकार बतलायेगी कि टनकपुर को नैनीताल जिले के साथ सब बातों में व पुलिस विभाग के लिये पीलीभीत जिले में क्यों मिलाया गया है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पुलिस कार्य के सम्बन्ध में यह इलाका पीलीभीत जिले से मिलाया गया था और इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस बात का निर्णय कब तक होगा ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जब विचार समाप्त हो जायगा।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार बतलायेगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने दौरे में यह आश्वासन दिया था कि बहुत ही जल्दी यह इलाका नैनीताल में फिर से मिला दिया जायगा ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह इलाका नैनीताल में सिवाय पुलिस के बाकी कामों के लिए है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—मेरा मतलब पुलिस से ही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह टनकपुर इलाका इस समय पुलिस के कार्य के लिए तो जिला पीलीभीत के अन्तर्गत है बाकी और कामों के लिये जिला नैनीताल में है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं कहा था कि यह इलाका बहुत जल्द पुलिस के कार्य के लिए नैनीताल में मिला दिया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार टनकपुर को जिला अल्मोड़ा के चम्पावत और पिथौरागढ़ तहसील में मिलाने की बात सोच रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—टनकपुर की बात में यह रिप्रेजेंटेशन जरूर आया है कि यह अल्मोड़ा में मिला दिया जाय लेकिन यह बताया गया कि यह अभी विचाराधीन है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—टनकपुर सीमावर्ती इलाके में होने की वजह से क्या यह ठीक नहीं होगा कि नैपाल से मिला दिया जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब नैनीताल जिला बना था तब से ही टनकपुर उसमें मिलाया गया है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पहले तो यह टनकपुर जिला नैनीताल में था। लेकिन १५ नवम्बर, १८९५ को यह अल्मोड़े में मिलाया गया और फिर १ सितम्बर, १९१० को नैनीताल में मिलाया गया। उसके बाद फिर अल्मोड़े वाले इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि नैनीताल से अल्मोड़े में मिला दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १ सितम्बर, १९१० को यह दोबारा नैनीताल जिले में क्यों मिलाया गया ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह शासन की सुविधा के अनुसार नैनीताल में इसलिये मिला दिया गया कि वह तराई खाम के सुपरिंटेंडेंट के मातहत, उसके कायदे कानून और भूमि व्यवस्था के लिये ज्यादा ठीक बैठ सकता था। नैनीताल में सुपरिंटेंडेंट, तराई और भावर का हेडक्वार्टर था इसलिये वहां की व्यवस्था के अनुसार मुनासिब समझा गया और नैनीताल में मिला दिया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार का विचार है कि टकनपुर फिर लत जिले में मिला दिया जाय ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पुलिस व्यवस्था के लिए निकाल लिया गया है और नैनीताल में फिर मिलाने का विचार नहीं है।

ज़िला मिर्जापुर में चपरासियों, अमीनों तथा नायब तहसीलदारों की अस्थायी नियुक्तियों में हरिजनों के स्थान

*३१–श्री रामकृष्ण जैसवार (ज़िला मिर्जापुर)—क्या सरकार को मालूम है कि हाल ही में ज़िला मिर्जापुर में जो चपरासियों, अमीनों तथा नायब तहसीलदारों की अस्थायी नियुक्तियां हुई हैं, उनमें हरिजनों के सुरक्षित स्थानों का ध्यान दिया गया है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, मिर्जापुर जिले में मालगुजारी वसूली की योजना के सम्बन्ध में चपरासियों, अमीनों और नायब तहसीलदारों के अस्थायी पदों पर नियुक्तियां करने में हरिजनों के सुरक्षित स्थानों का पूरा ध्यान रखा गया था परन्तु इन पदों के लिये केवल कुछ ही हरिजन उम्मीदवार अपेक्षित योग्यता रखते थे। अतः हरिजनों के कुल निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर उनकी नियुक्तियां न की जा सकीं।

*३२—श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस संबंध में कुछ हरिजन उम्मीदवारों की ओर से कोई प्रार्थना पत्र जिले के एम० एल० एज० के नोट के सहित सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां, दो हरिजनों का एक प्रार्थना पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था। इसको जिलाधीश के पास रिपोर्ट के लिये भेज दिया गया था जिलाधीश ने इन प्रार्थियों को दो बार अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर दिया परन्तु दोनों चुनावों में ये नायब तहसीलदारी के अस्थायी पद के लिये अयोग्य सिद्ध हुये।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या यह सच है कि अमीनों के पद पर हरिजन उम्मीदवार हाई स्कूल और इन्टर पास होने पर भी नहीं रखे गये जबकि उच्चजाति के मिडिल पास ही लोग काम करने के लिये रखे गये हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अगर बतलाया जाय तो सरकार इसकी छानबीन कर सकती है, वैसे इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के सुरक्षित स्थानों के लिये चपरासी भी योग्य नहीं मिल सकते हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—चपरासी रखे गये हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)——क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वे कौन कौनसी अयोग्यतायें हैं जिनसे उन हरिजनों को नहीं लिया गया?

श्री चरण सिंह—अगर इंटरव्यू में यह सवाल पूछा जाय कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है और उत्तर मिले कि पंडित रवीशंकर शुक्ल, तो यह अयोग्यता साबित हुई।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जी० ओ०, डेटेड लखनऊ, अक्टूबर २९, सन् १९४९, में यह दिया गया है कि अगर हरिजनों को अगर उनमें न्यूनतम योग्यता भी है तो रख लिया जायगा और क्या इसका पालन किया है?

श्री चरण सिंह—संभवतः यह जो मेरे माननीय मित्र ने सरक्युलर पढ़ा है वह इन नियुक्तियों से संबंध रखता है जो पब्लिक सरविस कमीशन के जरिये होती हैं। मैं आपकी इजाजत से सदन को बताना चाहता हूं कि १२ महीने के नायब तहसीलदारों में जितना यानी

१० प्रतिशत हरिजन भाइयों का परसेंटेज है उतने लिये भी गये हैं। लेकिन जिलाधीशों ने जो नियुक्तियां की हैं उनके लिये भी अगरचे जरूरत नहीं थी, फिर भी खासतौर से उनसे कह दिया गया था कि पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के संबंध में गवर्नमेंट की नीति का जरूर पालन किया जाय। इसके बावजूद बाद में जो शिकायतें मेरे पास आयीं उनपर मैंने तहकीकात की और एकाध में नतीजा यह हुआ कि वह नौजवान रख लिये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिरजापुर जिले में कितने चपरासी और अमीन रखे गये हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--अमीनों की कुल तादाद ७६ और चपरासी वगैरा १६७।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि उनमें कितने हरिजन हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--अमीन की संख्या कोई नहीं है और चपरासी ४ हैं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--चपरासियों की क्यों नहीं १० प्रतिशत सरकार के हिसाब से सीटें दी गयीं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--बहुत संभव है कि उतनी तादाद में हरिजन चपरासी न मिले हों।

* * * * *

बनारस जिले के कुछ भाग को जिला गाजीपुर में मिलाने पर विचार

*१७--**श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी** (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि बनारस जिले के कुछ परगने या हिस्से जिला गाजीपुर में मिलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो वे कौन कौन से हिस्से हैं, और क्यों मिलाये जा रहे हैं?

श्री चरण सिंह--गाजीपुर जिले में जमनिया को फिर से तहसील बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस संबन्ध में एक सुझाव यह भी है कि परगना मांहैच जो इस समय बनारस में है और जो १९२५ से पहिले जमनिया का एक भाग था फिर से इस तहसील में मिला दिया जावे। रियासत बनारस के विलीन होने के बाद बनारस जिला बहुत बड़ा हो गया है और यह भी सही है कि तहसील गाजीपुर और तहसील चंदौली भी बहुत बड़ी है। इसलिये इस सुझाव पर गौर किया जा रहा है कि परगना माहैच फिर से जिला गाजीपुर में शामिल कर दिया जाय, ताकि एक तरफ तो नई जमनिया तहसील छोटी न हो जाय और दूसरी तरफ गाजीपुर और चंदौली तहसीलें इतनी बड़ी न रहें जितनी अब हैं।

* * * * *

गोवंश संरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति

*२४--**श्री रणंजय सिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गोवंश संरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने पर १२ दिसम्बर, १९५२ को मुख्य मंत्री महोदय ने जो शीघ्र एक समिति बना देने का आश्वासन दिया था वह कब तक बन जायगी?

श्री चरण सिंह--मुख्य मंत्री जी ने जिस समिति विशेष के बताने का आश्वासन दिया था वह सरकार के विचाराधीन है। उसके अध्यक्ष का नाम घोषित किया जा चुका है। शेष सदस्यों की स्वीकृति के लिये उनको पत्र लिखे गये हैं।

कट्टीखानों की गन्दगी दूर करने के विषय में सुझाव

*२५---श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एफ० ए० ओ० के श्री एफ० एच० हुक ने प्रदेश के कट्टीखानों (Slaughter Houses) के संबंध में कोई रिपोर्ट सरकार को दी है और क्या उसमें कट्टीखानों (Slaughter Houses) की गंदगी और अस्वस्थकर स्थिति के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या किया है?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां। श्री हुक के सुझाव प्रदेश के कुछ मुख्य-मुख्य म्यूनिसिपल बोर्डों को बता दिये गये।

लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड को श्री हुक के प्रस्तावित सुधारों को कार्यान्वित करने के लिये, वित्तय वर्ष १९५३-५४ में ५० प्रतिशत अनावर्त्तक अनुदान २३,५०० देने का निश्चय सरकार ने किया है।

अतारांकित प्रश्न

कृषि विभाग में हाई स्कूल व इण्टरमीडियेट पास थर्ड ग्रुप के कर्मचारियों की संख्या

१---श्री गेंदा सिंह---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि कृषि विभाग में केवल हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट परीक्षोत्तीर्ण थर्ड ग्रूप में कितने कर्मचारी हैं?

श्री चरणसिंह -- थर्ड ग्रूप में केवल हाई स्कूल पास कर्मचारी २१९ तथा इंटरमीजियेट पास १८ हैं।

२---श्री गेंदा सिंह---क्या उपर्युक्त थर्ड ग्रूप की कोई क्रमानुसार सूची (ग्रेडेशन लिस्ट) भी बनी है?

श्री चरण सिंह---थर्ड ग्रूप की ग्रेडेशन लिस्ट बनी हुई है किन्तु वह फिर से संशोधित (rveise) की जा रही है।

मैनपुरी जिले की उपजाऊ तथा बंजर भूमि

३---श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले की प्रत्येक तहसील में कितने एकड़ जमीन पर खेती की जाती है और कितने एकड़ जमीन ऊसर, बंजर और परती के रूप में खाली पड़ी है?

श्री चरण सिंह---मांगी गई सूचना माननीय सदस्य को दी हुई [सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी क आगे पृष्ठ २९२ पर)

सरकारी रोडवेज विभाग के कर्मचारी

४---श्री गेंदा सिंह---क्या परिवहन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकारी रोडवेज विभाग में कितने कर्मचारी स्थायी हैं तथा कितने अस्थायी?

परिवहन मन्त्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---रोडवेज विभाग में सभी कर्मचारी अस्थाई हैं, रोडवेज ही अभी अस्थायी है।

५—श्री गेंदा सिंह—क्या यह सच है कर्मचारियों के कन्फ़र्म्ड न होने के कारण विभाग के कार्य में कमी होती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

६—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार निकट भविष्य में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

राज्य में मत्स्य प्रसार कार्य

७—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में किन किन स्थानों पर किन किन किस्मों की नई नई मछलियां फैलाई गयी हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित प्रकार की नई नई मछलियां फैलाई गई हैं—

(१) मिररकार्प–भुवाली (नैनीताल) और हवलगाग व बैजनाथ अलमोड़ा में।
(२) दार्जिलिंग महाशेर—भुवाली (नैनीताल) में।
(३) गोरामी—बाराबंकी व लखनऊ जिलों में।

दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं और मैंने उनकी अनुमति नहीं दी है। इतनी ही मैं सदन को सूचना दे देना चाहता हूं और जो उनकी अनुमति नहीं मिली है उसके लिये उनके कारण बता दिये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये आय व्ययक में अनुदानों के के लिये प्रस्ताव लिये जावेंगे। अगर कोई प्रस्ताव समय तय करने के लिये हो तो रखें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं चाहता हूं कि आज ऊपर के २ अनुदान गाव-सभायें और पंचायतें और नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान, ले लिये जावें। इन दोनों पर आधा आधा समय रख दिया जाय। बाकी कल लिये जावें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—मैं सुझाव करता हूं कि अनुदान संख्या १४ पर ढाई घंटा रख दिया जाय यानी ३ बजकर २० मिनट तक और अनुदान संख्या ३५ के लिये एक घंटा २५ मिनट रख दिया जाय और अनुदान संख्या ४ स्टाम्प के लिये बाकी १५ मिनट रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—अनुदान संख्या ३ क्या कल के लिये रखना चाहते हैं और उसको छोड़कर ४ को आज लेना चाहते हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां।

श्री जगन्नाथ मल्ल—स्टाम्प कल ले लिया जाय इसलिये कि अनुदान संख्या १४ पर समय की अधिक जरूरत है। बल्कि नागरिक निर्माण कार्य पर समय कम कर दिया जाय और बाकी सब समय अनुदान संख्या १४ पर ही दे दिया है। स्टाम्प के लिये कल भी समय दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—यह ज्यादा उचित होगा कि स्टाम्प कल लिया जाय। दो अनुदान आज ले लिये जायं अनुदान संख्या १४ और ३५। चूंकि अनुदान संख्या १४ के लिये अधिक समय आप लेना चाहते हैं इसलिये साढ़े तीन बजे तक अनुदान संख्या १४ और साढ़े तीन बजे से पांच बजे तक अनुदान संख्या ३५ ले लिया जायगा। जो अनुदान संख्या १४ पर कटौती का प्रस्ताव लायेंगे वे २० मिनट बोलेंगे और अन्य सदस्य इस अनुदान पर १० मिनट बोलेंगे। अनुदान संख्या ३५ पर जो कटौती का प्रस्ताव लायेंगे उनके लिये १० मिनट का अन्य सदस्य केवल ७ मिनट बोलेंगे।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १४—लेखा शीर्षक २५—गांव सभायें और पंचायतें

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से, यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४ (लेखा शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन)—गांव सभायें और पंचायतें के अन्तर्गत ९२,५०,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन के सामने यह मांग पेश करने का सौभाग्य प्राप्त है और मुझे यह गर्व है कि इतने बड़े महत्व के कार्य के लिये यह मांग रख रहा हूं। गांव पंचायतों का तजुर्बा सबसे पहले इस मौजूदा रूप में हमारे प्रदेश में किया गया और इस बात की हमें खुशी है। हमारे इस तजुर्बे को इतनी अधिक सफलता की दृष्टि से देखा गया और अब लगभग सभी प्रदेश और सभी स्टेट्स इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कोई स्टेट शायद ऐसी होगी जिसमें या तो पंचायतों का काम शुरू नहीं हुआ या जो पंचायतों का कार्य शुरू नहीं करना चाहती। इस सब का श्रेय मैं इसके जनक मेरे भूतपूर्व मंत्री श्री आत्माराम गोविन्द खेर को देने के लिये अपनी खुशी का इजहार करता हूं। आज जैसा कि बारबार कहा जा चुका है हमारा देश मुख्यतया गांवों में बसा हुआ है। आज स्वराज्य मिलने के बाद गांवों में एक नई जागृति पैदा हो रही है और मैं उन सब लोगों से जिन्होंने गांवों में जा कर और वहां कुछ दिनों रहकर अगर अब तक गांवों की जागृति का अनुभव न किया हो तो गांवों में जरूर जायं और इस जागृति का अनुभव करें। उसका एक छोटा सा नमूना पिछली बार २६ जनवरी से जो सप्ताह मनाया गया था उसके देखने से मालूम होता है। गांव सभायें हर ओर अपनी उन्नति की कोशिश कर रही हैं। मैं अगर वह आंकड़े दूं तो उनके साथ न्याय नहीं कर सकूंगा कि उन्होंने क्या क्या काम किये। जहां तक आंकड़े थोड़े बहुत जो प्राप्त हो सके हैं वह हमारी रिपोर्ट में दिये गये हैं। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि आपको रिपोर्ट देना आम तौर से हमारा स्वभाव नहीं है। गांव सभायें जो खुदमुख्तार यूनिट्स हैं वह सब आंकड़े इतनी जल्दी नहीं भेज पाते। इसलिये जो रिपोर्ट में आंकड़े दिये गये हैं वह असली हालत जाहिर नहीं करते हैं।

आज किसी तरफ भी देखिये, कोई काम भी लीजिये जो गांव में हुये हैं उनका प्रायः श्रेय ९९ प्रतिशत कम से कम गांव सभाओं को है। यह एक ऐसी जमाअत है, एक ऐसा संगठन है गांवों में जो कुछ होता है उसको वही करता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट को लीजिये, अगर कोई अहकाम निकलते हैं उनकी कोई पूर्ति कर सकता है तो वह गांव सभा ही है और उनका संगठन है।

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यह चाहे कि सीड सैचूरेशन का काम लिया जाय तो उसके लिये एक ही साधन है और वह गांव सभा है। इससे ज्यादा और कोई दूसरा अफेक्टिव साधन नहीं है। इसलिये जितने भी काम गांवों में हो रहे हैं और जो काम गांवों में करने का

[श्री मोहनलाल गौतम]

इरादा सरकार का कोई महकमा करता है वह सब इसी के बूते पर और इसी के आधार पर करता है। गांव सभायें एक ऐसा संगठन है कि अगर वह सहायता देगा तो मामला हल हो जायगा। गांव सभा के अलग कार्यों को गिनाकर गवर्नमेंट के सारे महकमे में कार्यों को अलग करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि गांव गांव में जो काम गवर्नमेंट के महकमों ने किया है वह सब गांव सभाओं ने ही किया है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव सभाओं के सभी कार्यों को हम अच्छी तरह से देखें और उन्हीं को सारे कामों का श्रेय देना चाहिये और उनको मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिये।

इतने बड़े कामों के लिये ९२ लाख रुपया कोई बात नहीं है। अगर इस चीज को देखा जाय, इस काम को देखा जाय तो उन्होंने अपने श्रम से गांव-गांव में किया है तब वह कई गुना इससे ज्यादा है जितनी की रकम मैं मांगने के लिये आज सदन के सामने पेश हुआ हूं। अगर आप उन सड़कों का अंदाजा करें जो सड़कें कच्ची और कहीं-कहीं पक्की भी बनवाई गई हैं और जितनी मिट्टी डाली गई है उसके कार्य का आप अंदाजा करें तो मैं यकीनन कह सकता हूं, दावों के साथ कह सकता हूं कि करोड़ों में उसकी कीमत जायगी। इससे कम नहीं रहेगी। गांव गांव में खरंजे बनाये गये। गांवों के अन्दर जो कीचड़ जमा हो जाती थी, गंदी नालियां होती थीं, उनको साफ करके पुख्ता अपने धन और मेहनत से खरंजे बनाये हैं। मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में २६ जनवरी को जब मैं वहां गया तो मुझे बतलाया गया कि खरंजे की कीमत ३४ हजार रुपये हैं। अगर वह सरकार की ओर से कराया जाता तो ३४ हजार रुपया खर्च होता। अकेले मुजफ्फरनगर जिले में मुझ से कहा गया और यह बतलाया गया कि २५० गांव के करीब हैं जिनमें खरंजे लगवाये जा चुके हैं। यह एक जिले की बात है ३४ हजार रुपये के लगभग एक गांव में खरंजे की कीमत लगती है। अगर मैं गलती नहीं करता तो मुझ से कहा गया कि २५० गांवों में खरंजे लग चुके हैं। जिन जिन गांवों में मैं गया, मुझे दिखाया गया कि किस तरह से नालियां साफ करके नालियां बनवाई जा रही हैं और खरंजे लगवाये जा रहे हैं।

एक मुजफ्फरनगर जिले की बात मैंने कही। उसी का अन्दाज लगाइयेगा तो वह भी मिलियन्स में रकम पहुंचेगी। फिर एक मुजफ्फरनगर जिला ही नहीं है बल्कि और जिले भी हैं जहां इस तरह का काम होता है। मैं मुजफ्फरनगर जिले का मुकाबला नहीं कर रहा हूं कि यही जिला सबसे अव्वल है या दोयम है बल्कि मेरे कहने का मकसद यही है कि अच्छा काम करने वालों में एक जिला यह भी है। एक आइटम की बात मैंने बताई तो वह मिलियन्स में पहुंची। ५०, ५१ जिले इस सूबे में हैं। सिर्फ अपनी गलियां पक्की बनाने और नालियां साफ रखने के लिये ताकि पानी ठीक तरह से निकल सके कितना रुपया उन्होंने खर्च किया!

जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है वह एक केन्द्र होती हैं जहां लोग इकठ्ठा होते हैं। वहां लोग मिलते जुलते हैं। ऐसे हजारों पंचायत घर पक्के और कच्चे बन चुके हैं और हजारों घर लोगों ने दान भी दिये हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसको देखकर लोग समझते हैं ५ साल पहले वाले जो गांव थे उनकी जिन्दगी में आज कितना परिवर्तन आ गया है। गांवों चबूतरे बन रहे हैं। पब्लिक वर्क्स और अन्य काम भी वहां पर करने की कोशिश हो रही है। कुएं बनवाये जा रहे हैं, सफाई का काम हो रहा है। डी० डी० टी० छिड़की जाती है ताकि इंफेक्शस डिजीजेज न फैल सकें। तरह तरह के काम गांव सभायें कर रही हैं। शिक्षा का काम भी वे करती हैं। उनके यहां प्राइमरी और एडल्ट शिक्षा का भी इंतजाम है। उनके यहां रेडियो सेट्स हैं और इस तरह से वे जो कुछ भी हो सकता है करने की कोशिश कर रही हैं। जिन लोगों ने गांवों में जाकर यह सब चीजें नहीं देखी हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कुछ दिनों गांवों में जा कर रहें और देखें कि वे गांव जो पहले बिल्कुल सुस्त थे, बिल्कुल अपनी फेट पर मुनहसर करते थे आज उनमें एक नई जागृति आ गई है। २६ जनवरी से वहां सप्ताह मनाया गया था। उसने यही नहीं कि गांव वालों के अन्दर एक जिन्दगी पैदा कर दी

बल्कि उस चीज का एक असर दूर हुआ है। इसके संबंध में मेरी बातें यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स से हुई, वकीलों से हुई और पढ़े लिखे लोगों से हुई। जर्नलिस्ट्स से हुई सब लोग यह कहते हैं कि यह एक नया रास्ता है जिससे हमारी बहुत सी आशायें पूरी होंगी। उसका आधार क्या है? इसके करने में जिले के अधिकारी भी लगे, नेता और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज के लोग भी लगे, यूनिवर्सिटीज ने भी हिस्सा लिया। लेकिन यह सब मिलकर दो फीसदी ही होगा। बाकी जो ९८ फीसदी काम हुआ वह सारी गांव सभाओं ने किया। एक आदमी जाकर अगर मेन मोबिलाइजेशन करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है? वह गांव सभाओं के पदाधिकारियों की सहायता से ही कर सकता है। बगैर गांव सभाओं के पदाधिकारियों की सहायता के एक आदमी के लिये मेन मोबिलाइजेशन करना असंभव सा है। यह ठीक है कि रास्ता दिखलाने के लिये हमारे समाज के बहुत से वर्गों ने हिस्सा लिया और उन सब के लिये उन्हें बधाई दी जानी चाहिये लेकिन इस बात में भी शुबहा नहीं है कि ९८ फीसदी काम गांव सभाओं ने ही किया है। जो काम हुआ है उसमें मुख्य हाथ उनका ही है और वे ही मुख्य आधार हैं। केवल सप्ताह मनाने से काम नहीं चलेगा। हमें तभी सफलता प्राप्त होगी जब हम उस काम को जारी रक्खेंगे और जो सड़कें बनी हैं उनको मेनटेन कर सकें और उसकी जिम्मेदारी भी बहुत कुछ गांव सभाओं को ही लेनी होगी। जो लोग कभी कभी जाते हैं वे लगातार उसके तमाम काम की देखभाल कर सकें यह नहीं हो सकता। इसलिये जो उस काम को एक स्थायी रूप देंगी वे गांव सभायें हैं और उनका संगठन है। इस संगठन के लिये सरकार की जो सहायता है वह बहुत थोड़ी है और मैं समझता हूं कि ९२ लाख रुपये का जितना अच्छा उपयोग इस महकमे के द्वारा हो रहा है वह किसी से कम नहीं बल्कि सबसे अधिक ही कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इसके ऊपर मैं और ज्यादा न कहकर मैं इसके दूसरे हिस्से की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, और वह है पंचायती अदालतें। पंचायती अदालतों के बारे में बहुत सा वादविवाद हो रहा है। हमारे ऊंचे से ऊंचे न्यायालयों के उच्च से उच्च न्यायाधीश भी इसकी आलोचना कर चुके हैं और कई ओर से यह हमला है कि पंचायती अदालतें तोड़ दी जायं। मैं इस समय इस बहस में पड़ने की जुर्रत नहीं करूंगा कि दूसरे न्यायालयों से कितना न्याय होता है, उस न्याय की क्या कीमत जनता को देनी पड़ती है। अगर यह कहा जाय कि कुछ केसेज ऐसे हैं जिनको उठा कर तमाम जनरलाइजेशन कर दिया जाय तो कोई दूसरे साहब अगर यह कहें कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट से भी इतने मर्डरर्स छूट गये इसलिये न्याय नहीं होता, इस तरह से जनरलाइज करना तो मुनासिब नहीं होगा। आज की अदालतों में कितना रुपया खर्च होता है और उससे न्याय का अंतिम रूप जो है वह क्या हो जाता है यह भी देखने की बात है। लेकिन मैं बहस में इस समय नहीं पड़ना चाहता। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, आपकी सेवा में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे मालूम होगा कि इन पंचायती अदालतों ने अब तक क्या किया है और क्या यह काफी है कि वे जिन्दा रहें या यह काफी नहीं है और उनको तोड़ देना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि इस वर्ष के आरम्भ में १-४-५२ को ९१,८७२ केसेज पेंडिंग थे। उसके बाद १०,७९४ केसेज रेस्टोर हुये, २२,०७० केसेज दूसरे कोर्ट्स से यहां ट्रांसफर हुये और १,९५,९३१ केसेज नये इंस्टीट्यूट हुये। ये फ़ीगर्स मैं आपको १-४-५२ से लेकर ३१-१२-५२ तक की यानी ९ महीने की दे रहा हूं। कुल मिला कर ३,२०,६५७ केसेज इन पंचायती अदालतों के सामने इन ९ महीनों में पेश हुये। अब इनमें से सिर्फ ९ महीने में इन्होंने २,१५,८६४ केसेज फैसल किये जिसका व्योरा इस तरह से है। २३,२३९ तो रेवेन्यू केसेज थे, ७४,३६० सिविल केसेज थे और १,१८,२६५ क्रिमिनल केसेज थे। यानी कुल मिलाकर २,१५,८६४ केसेज इन्होंने ९ महीनों में फैसल किये। अगर तीन महीनों की संख्या और जोड़ दी जाय तो करीब तीन लाख केसेज के होते हैं जो इन्होंने किये। इस सदन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से वकील मौजूद हैं जो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह इस बात को जानते होंगे कि एक केस में औसतन गांव के रहने वालों का जिले में आना, दो चार पेशी होना,

[श्री मोहनलाल गौतम]

वकीलों को करना, गवाहों को लाना, उनको खिलाना पिलाना और ले जाना इस सब में क्या १०० रुपये से कम भी किसी केस में खर्च हो सकता है। तो अगर एक साल में ३ लाख केसेज़ ये अदालतें फैसल करती हैं और कम से कम हर केस में १०० रुपया ही खर्च होता है, यद्यपि इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ३ करोड़ रुपये का फायदा उन्होंने इस जनता का किया है जिसका श्रेय इन पंचायती अदालतों को ही है। क्या यह एक छोटी रकम है। (तालियां) और इससे साथ ही साथ शहरों में जाकर जो मुकदमेबाजी होती थी उससे आपस में दुश्मनी पैदा होती थी और गांवों में लाइफ (जीवन) खराब होती जा रही थी, उसको भी खराब होने से रोका है। इसके सिलसिले में ही मैं एक बात और अर्ज करूं कि इन ९ महीनों में ३२९४ केसेज ऐसे फैसल हुये जिनमें म्युचुअल कोम्प्रोमाइज हुआ। अगर साल भर का लगाया जाय तो १८ हजार कुछ सौ केसेज में आपस में फैसला हुआ। अध्यक्ष महोदय, तो क्या इस नतीजे से यह कहने की जुरअत नहीं कर सकता कि इन अदालतों ने बहुत बड़ा काम किया और इसके लिये वे बधाई की पात्र हैं? गवर्नमेंट इनको रोककर उस बुरे नक्शे को पेश करना नहीं चाहती जो उनके तोड़ने से हो जायगा।

इसके अलावा २,८२३ केसेज़ ९ महीने के अन्दर यानी ३,९३७ केसेज एक साल में यानी ३०० केसेज़ हर महीने ऐसे हुये जो उनके अपने ज्युरिसडिक्शन के नहीं थे। इन केसेज़ को पार्टीज़ ने अपनी रजामन्दी से उनके पास भेजा और उन्होंने उनका फैसला किया। क्या जब तक किसी को यह विश्वास न हो कि वे ठीक काम कर रही हैं, अच्छी हैं तब तक क्या कोई यह कह सकता है कि हमारा मुकदमा उनको सुपुर्द कर दिया जाय? इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि इन अदालतों ने जो कुछ काम किया है वह काबिले तारीफ है।

मेरे मित्र ने एक सवाल कर दिया कि इनमें से कितने रिवीजन हुये। २ लाख १५ हजार केसेज में से ९,८४९ केसेज में रिवीजन के लिये अप्लाई किया गया जिनमें से ४,१२० केसेज में रिवीजन अलाऊ हुआ और बाकी में रिजेक्ट हो गया यानी आधे से ज्यादा केसेज खारिज हो गये, पंचायत अदालतों के फैसले उनमें बरकरार रखे गये। अब ४,१२० केसेज जो रिवाइज़ हुये उसके ये मानी हैं कि २ फीसदी से कम केसेज में रिवीजन हुआ। और ९८ प्रतिशत केसेज में वही फैसला बरकरार रहा जो कि पंचायत अदालतों ने किया था (तालियां)। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत उन नुक्ताचीनों से पूछना चाहता हूं जो कि वक्तनफवक्तन नुक्ताचीनी किया करते हैं क्या किसी भी अदालत का इतना अच्छा रिकार्ड होता है जो कि अदालत पंचायतों का रहा है। इसके साथ ही साथ सब से बड़ी बात यह है कि अगर यह मान भी लें कि उन अदालतों में ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जिनका संबंध सीधा नहीं है, तब क्या इन निर्धनों के पास इतने रुपये हैं कि ये छोटे छोटे मामले वहां जायं? अगर नहीं हैं तो कोई रास्ता निकालना होगा। अब बहस इस बात पर की जाती है कि ये पंचायती अदालतें चुनी हुई हैं इसलिये गड़बड़ी होती है। ठीक है, इसमें कुछ जान है। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है और अगर कोई रास्ता दिखलाई दे तो उसे सुधारा जा सकता है या उनमें खराबी है तो उन खराबियों की तरफ से नजर नहीं मोड़नी चाहिये। अगर खराबी हमारे सामने नजर आये तो इस सदन के सभी सदस्यों को और मैं तो कहूंगा कि इस प्रदेश की सारी जनता को उन खराबियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। अगर उन खराबियों को दूर करने का कोई सुझाव होगा तो मैं सहर्ष उस पर विचार करने के लिये और सही होगा तो मानने के लिये तैयार हूं। कई तजवीजें इस वक्त पेश हैं। कोई कहता है कि ये चुनी हुई न हों, और ये नामजद हों, नामजदगी हुई तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? नामजद कौन करेगा? नामजद करने में अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लेते हैं तो क्या किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इतनी जानकारी है कि वह एक जिले के हर गांव के इतने आदमियों को, जब कि यहां २५० पंचायती अदालतें हैं, इलाकेवार जाने और उनको वह नामजद कर सके?

मेरी समझ से कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इतने आदमियों को इलाकेवार नहीं जान सकता है कि पंचायती अदालतों में वही आदमी होना चाहिये। इसलिये अगर नामजद करने की बात आयेगी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर यह चीज होगी तो फिर वह वहां से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से तहसीलदार और अन्त में पटवारियों तक पहुंचेगा। अगर आप पटवारियों को इतनी ताकत और भी दे देते हैं कि वे पंचायती अदालतों को बनाने में भी मददगार हों तो जो शिकायत अब तक है वह उससे और ज्यादा बढ़ जायगी। चाहे उनका नाम पटवारी हो या लेखपाल हो या कुछ भी हो इससे कोई बहस नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग या लेजिस्लेचर के ही लोग जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं फिर भी मैं बहुत अदब के साथ यह कहूंगा कि मुझे तो अन्दाजा नहीं है, हम में से शायद ही कोई ऐसा मेम्बर हो जो अपने जिले के पंचायती अदालतों के वास्ते इतने ज्यादा ईमानदार जजों की नामजदगी करने की जानकारी रखता हो जो न्याय कर सकें। इसलिये अगर यह होगा तो उसमें भी हमें दूसरों के ऊपर मुनहसर होना पड़ेगा। तो अगर आप नामजदगी की तरफ जाते हैं तो उसमें भी खतरा है, उसमें भी कोई आसान बात नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि चुनाव का ही बिलकुल एक रास्ता है, दूसरा नहीं है जिस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरे रास्ते हैं उन पर उससे भी ज्यादा खतरा नजर आता है। इसलिये मैं नहीं कह सकता कि जो लोग नुक्ताचीनी करते हैं उन्होंने अब तक कोई रास्ता नहीं सुझाया, न कहा, फिर भी वे पंचायती अतालतों को तोड़ देने की बात कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं वे एकेडेमिक हैसियत से ही ऐसा कहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इनको तोड़ देना बड़ा मुश्किल काम है, इनको तोड़ देने से नुक्सान है। जो खराबियां हैं, जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने पर विचार किया जाय और उसमें हम सदन की पूरी सहायता चाहते हैं। इन शब्दों के साथ एक बार मैं फिर जोर के साथ कहता हूं कि इन पंचायती अदालतों ने जो काम किया है उसकी हमको सराहना करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं बहुत खुशी के साथ यह ९२,५०,२०० रु० की मांग पेश करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इससे ज्यादा उपयोग आपके रुपये का दूसरा नहीं हो सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो ग्रांट मांगी है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई बहस की बात नहीं है जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि यह रकम गांव पंचायतों के लिये बहुत कम है और इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना कुछ नामुनासिब सा मालूम होता है लेकिन सुझाव देने के लिये यह आवश्यक सा हुआ कि यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने और प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों ने गांव सभाओं की प्रशंसा की थी। जिस समय हमारे प्रदेश में पंचायती अदालतों का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय सारे प्रदेश में एक नये जोश की लहर दौड़ गयी थी। पंचायती अदालतों की संख्या की शकल में और ग्राम पंचायतों की संख्या की शकल में लगभग साढ़े दस लाख की फौज हमारे सामने सेवकों की खड़ी हो गयी थी। लेकिन जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है, वह घोषणा तो विकेन्द्रीकरण की करती है, डिसेन्ट्रालाइजेशन आफ पावर की करती रहती है लेकिन जब सही मायनों में डिसेन्ट्रलाइजेशन होने लगता है तब वह भयभीत हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की निश्चित राय है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और इस सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये ४ खंभों का राज्य होना चाहिये पहला खम्भा है पंचायत राज, दूसरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तीसरा यह हमारी विधान सभा, लखनऊ, में और चौथी दिल्ली में हमारी लोक सभा। हमने सदा इस बात की जोरदार अपील की है कि जितना लैण्ड रेवेन्यू सरकार को देहात के लोगों से मिलता है बिला किसी बहस मुबाहसे के २५ फीसदी उसमें से ग्राम पंचायतों के जरिये खर्च

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

होना चाहिये। लेकिन जहां तक पंचायती अदालत और ग्राम सभाओं का सम्बन्ध है उस पर सरकार कितना व्यय करती है यह मैं आपकी आज्ञा से बतलाना चाहता हूं। पिछले सालों में पूरे रेवेन्यू से कितना कितना अंश दिया गया है यह मैं आंकड़ों से बतलाना चाहता हूं:—

वित्तीय वर्ष		कुल बजट
सन् १९५०–५१ में बजट	..	५१ करोड़ ८४ लाख
ग्राम सभाओं के लिये दिया गया	..	४० लाख ३४ हजार
१९५१–५२ में बजट	..	५५ करोड़ ४९ लाख
ग्राम सभाओं के लिये दिया गया	..	४९ लाख २० हजार
१९५२–५३ में बजट	..	६६ करोड़ ४० लाख
ग्राम सभाओं के लिये दिया गया	..	८७ लाख २ हजार
सन १९५३–५४ में बजट	..	७८ करोड़ ८० लाख
ग्राम सभाओं के लिये दिया गया धन	..	९२ लाख ५० हजार

यानी इसका औसत इस तरह से पड़ता है कि सन् १९५२–५३ में १.३१ प्रतिशत व्यय हुआ और सन् १९५३–५४ में १.१७५ प्रतिशत हुआ।

अब आप देखिये कि मालगुजारी से क्या व्यय और आमदनी हुई और उसका कितना हिस्सा इस पर खर्च किया गया:—

सन् १९५१–५२ ई० में मालगुजारी से आमदनी हुई		७ करोड़ ५८ लाख।
,,	ग्राम सभाओं पर व्यय किया गया	४९ लाख २० हजार।
सन् १९५२–५३ ई० में मालगुजारी से आमदनी हुई		१३ करोड़ ७३ लाख।
,,	ग्राम सभाओं पर व्यय किया गया	८७ लाख २ हजार।
सन् १९५३–५४ ई० में मालगुजारी से आमदनी		१८ करोड़ ५२ लाख।
,,	ग्राम सभाओं पर व्यय	९२ लाख ५० हजार।

अब इस मालगुजारी पर आप व्यय का अनुपात देखिये कि वह कितना प्रतिशत पड़ता है।

सन् १९५२–५३ ई० में जो इस अनुदान पर व्यय किया वह ६ प्रतिशत।

सन् १९५३–५४ में जो इस अनुदान पर व्यय होगा ५ प्रतिशत।

केन्द्रीय सरकार ने एक लोकल फाइनेंस इन्क्वायरी कमेटी सन् १९४९ ई० में बिठाई थी जिसकी रिपोर्ट १६ अप्रैल सन् १९५१ ई० को प्रस्तुत हुई थी। उसमें लोगों ने साफ साफ कहा था कि १५ फीसदी मालगुजारी का हिस्सा मिलना चाहिये और उस कमेटी के श्री चुन्नी लाल ने यह कहा था कि यह १५ फीसदी मेरी राय में नाकाफी है। और वह कम से कम २५ फीसदी होना चाहिये और इस रकम को बढ़ाना चाहिये। यों तो जहां तक जबानी खर्च का सवाल है, ग्राम पंचायत के लोगों से श्रमदान और कुछ दूसरा काम लेने के लिये झूठा विश्वास सरकार उनमें पैदा करना चाहती है लेकिन सही मायनों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण करने में हमारी सरकार डरती है। जब सरकार को मालूम हुआ कि यह तो साढ़े दस लाख फौज इकट्ठा हो गयी तो उसने ५०० इन्सपेक्टर और साढ़े आठ सौ पंच नियुक्त कर दिये और इस प्रकार से इस ताकत को नौकरशाही के नियंत्रण में कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरी राय निश्चित है कि कहीं कहीं पर भी जो

पंचायतें बना कर पंच बनाये गये हैं वहां पर जनता को गुमराह करने के लिये सरकारी प्रचार करते हैं। वहां पर जनता की दशा इतनी दयनीय बनी हुई है कि जो हम सब जानते हैं। पंचायती अदालतों के जहां पर चन्दे वसूल हो रहे हैं वहां जनता पर वह लोग हमेशा जुल्म करते हैं। इस प्रकार की घटना हमारे सामने बहुत दफे दिखाई पड़ती है कि इंसपेक्टरों ने और सेक्रेटरियों ने गांव के पंचों के थप्पड़ मार दिया है और एस० डी० एम० और डिप्टी कमिश्नरों से झगड़ा होते होते बचा है जब कि उनको महत्ता देना चाहिये था लेकिन नौकरशाही के जाल से उनकी प्रतिभा को कुंठित कर दिया गया है और रेवेन्यू की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारी सरकार पंचायतों का एक स्वांग दिखलाना चाहती है, जहां पिछले साल दस-दस और ग्यारह-ग्यारह महीने तक सेक्रेटरियों को उनका वेतन नहीं दिया गया है और कहा गया उनसे कि वह टैक्स लगा कर वसूल करके अपना काम चलावें। मैं झूठी वाह वाही लेने वाले स्वशासन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका यह कौन सा न्याय है कि वह अपने सेक्रेटरियों को साल-साल भर तक वेतन से वंचित रखते थे और इस तरह से सरकार द्वारा उनको बेईमानी सिखलाई जाती थी। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी और उनके द्वारा टैक्स लगाने के नियमों का उल्लंघन किया जाता था और तरह-तरह की बेईमानी करने पर उनको विवश किया जाता था। होता यह है कि बैठक तक नहीं बुलाई गई और रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया और फर्जी दस्तखत करा लिये गये, इस तरह से टैक्स लगाये जाते हैं। वह पंच जो जनता द्वारा चुने हुये हैं उनके ऊपर नौकरशाही का जाल बिछा हुआ है, अनियमित वसूली की जाती है। यह साढ़े ८ हजार सेक्रेटरी रखे गये लेकिन उनके वेतन का कोई इन्तजाम नहीं किया गया। अगर बजट में देखा जाय तो कुल रकम वेतन ही वेतन की है निर्माण के काम के लिये उसमें कुछ नहीं है, स्कूल खोलने के लिये, सड़कें बनाने के लिये, रास्ते साफ करने के लिये, नये मकान बनाने के लिये और जो निर्माण के कार्य हैं उनके लिये कुछ भी नहीं रखा गया है। चुनाव तक में कांग्रेस पार्टी को एजेंट बना कर पंचायतों से काम लिया गया और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिले, कांग्रेस पार्टी के संगठन छिन्न-भिन्न हो गये तो तमाम लिस्टें भिजवा दी गईं और कहा गया कि तुम सरकारी आदमी हो कांग्रेस को वोट दो। वह लोग गांव सभाओं के प्रधान हैं और उनकी महत्ता का सरकार को ज्ञान होना चाहिये। ऐसी बात सुनकर आपको चोट जरूर लगती है और इसलिये आप, अध्यक्ष महोदय, देख रहे हैं कि हल्ला मचाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव जो रोके जा रहे हैं उनके बारे में भी हमने सुना है कि हमारी सरकार के दिमाग में यह भी बात है कि पहले गांव पंचायतों का चुनाव हो जाय और वही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये वोटर बनाये जायं। पहले तो यह कहा जाता था कि यह ऐसी संस्थायें है कि इन में पोलिटिकल बाडीज़ को न आना चाहिये बल्कि जो लोग सेवा का कार्य करना चाहते हैं उन्हीं को इसमें आना चाहिये। तो हमने ऐसा सुना है इस तरह की अफवाह है। मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि क्या गांव पंचायतों के चुनाव होने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये वही वोटर होंगे। और अगर ऐसा होने वाला है तो मैं समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण की प्रणाली का सर्वनाश हो जायगा। मैं चेतावनी दूंगा सरकार को कि अगर वह सही और आसान रास्ता निकालना चाहती हो तो कम से कम प्रजातन्त्र और सत्ता के विकेन्द्रीकण के नाम पर उस रास्ते पर न चले बल्कि जहां तक गांव पंचायत का सवाल है उसमें राजनीतिक दल हिस्सा न लें और जो लोग गांव का निर्माण करना चाहते हों उनको आने दिया जाय। यह तो रही बात जहां तक सिद्धान्तों का सवाल है। तो यह मैंने कहा कि इस तरह से उन्होंने जो एक नौकरशाही का जाल बिछा दिया उसने उनके अधिकारों को समाप्त प्राय कर दिया। अब केवल एक सेना बच गयी है सरकारी कार्यों को करने के लिये।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

जहां तक मुकदमों का सवाल है, मैं इस निश्चित राय का हूं और हमारी पार्टी की भी करीब करीब यही राय है कि हम चाहते हैं कि किसानों को न्याय सस्ता मिले। सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रणाली बहुत पेचीदा और मंहगी है। चुनी हुई गांव पंचायतें जो हैं यह कोई पहली बात नहीं है; और देशों में भी एलेक्टोरेल ट्रिब्युनल्स हुई हैं। और यह सही है कि उनसे कम से कम खर्च में न्याय सुलभ हो सकता है। लेकिन चूंकि सरकारी कर्मचारियों ने उनको बेईमानी सिखायी, इसलिये उसका असर उन पर भी पड़ा। पहले साल आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि १९५१-५२ में जहां ६ महीने के अन्दर ३ हजार ७४ मुकदमे म्युचुअल कंसेंट से डिसपोज़ आफ़ हो गये वहां १९५२-५३ में उसी छः महीने के अन्दर १ हजार २ सौ ९३ रह गये। लगभग दो हजार मुकदमों का फर्क पड़ गया। यानी पंचायती अदालतों का वह प्रभाव नहीं रहा।

श्री मोहनलाल गौतम—यह फीगर्स कौन सी दे रहे हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—१९५१-५२ में ३ हजार ७४ और १९५२-५३ में १०२९३ मुकदमे जिनमें सुलह कर ली गयी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ जहां तक मुकदमों की फीस और जुर्मानों से आमदनी का सवाल है १९५०-५१ में ७ लाख ९० हजार ९ सौ रुपया है, १९५१-५२ में ६ लाख ७४ हजार ५ सौ २८ रु० है और १९५२-५३ में ४ लाख रुपया है। इसी स्मृति-पत्र के पृष्ठ ३४ पर दिया हुआ है, "पंचायत राज ऐक्ट के अधीन पंचायत राज पत्रिका, शीरे की बिक्री और न्यायालय शुल्क जुर्मानों से कोई प्राप्तियां नहीं हुईं जिसके कारण क्रमशः ४,१२, १,००० और ५०० की कमियां हुईं।"

यह तो सही ही है, अध्यक्ष महोदय, कि जो मैं जिक्र कर रहा हूं, सही मानों में हमारे देश में प्रजातन्त्रवाद नहीं है। इस सिलसिले में मुझे बहराइच के चुनाव की एक घटना याद आ जाती है और उसी को उद्धरित कर देना चाहता हूं। अभी हमारे स्वशासन मंत्री बहराइच के चुनाव के सिलसिले में कई राज्य की गाड़ियां लेकर गये। उन पर राज्य का झंडा लगाया उस पर जब हमारे साथी...

श्री मोहन लाल गौतम—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। जो एलेक्शन हो रहा है उसमें किसने क्या किया वह आगे चल कर एलेक्शन पेटीशन का इशू हो सकता है। ऐसी सूरत में गांव सभाओं के बजट की बहस में उसका जिक्र करना बिल्कुल इर्रेलिवेंट है।

श्री अध्यक्ष—यह बात बिल्कुल सही है। आप उसका जिक्र न करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अगर मुझे सुन लिया जाता, क्योंकि सिद्धान्त का सवाल है...

श्री अध्यक्ष—आप किसी दूसरे मौके पर, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में आप ला सकते हैं। पंचायत के सिलसिले में नहीं ला सकते।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—चूंकि पंचों पर असर डाला जा रहा है इसलिये मैं समझता हूं कि अनुकूल ही है। वैसे आप की आज्ञा। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस तरह से ढिंढोरा न पीटे और इस बात का ऐलान न करे कि वह सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रही है और इसी के लिये पंचायत राज को चलाना चाहती है। इस नौकरशाही का जो जाल बिछा है उसका कंट्रोल कम होना चाहिये। पंचायतों की महत्ता बढ़नी चाहिये। और जब बड़े से बड़ा अफसर भी गांव में जाय तो वह उनको विश करे, उनकी प्रतिष्ठा करे ताकि गांव वालों को यह मालूम हो सके कि यह हमारे नौकर हैं। और उन पर गलत तरीके से रोब न डाला जाय।

इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि पंचायत राज को सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सही नमूना बनाया जाय।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान हमारे सामने उपस्थित है उसकी महत्ता के विषय में और जिस विभाग से वह सम्बन्धित है उसकी सम्भावनाओं के सम्बन्ध में तो कोई दो रायें हो ही नहीं सकतीं, किन्तु रिपोर्ट पढ़ते समय जहां हमें यह मालूम होता है कि कुछ प्रगति हो रही है, जिस प्रकार हमें बढ़ना चाहिये हम बढ़ रहे हैं, वहां जब हम यह सोचते हैं कि यह काम जो हुआ वह कितनी पंचायतों द्वारा हुआ तब हमको स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं दिखाई देती।

मैं आपके सामने दो एक उदाहरण उपस्थित करता हूं। जैसा लिखा है कि ३,९५३ लालटेनें लगाई गयीं। अगर हिसाब लगाइये तो साढ़े चार पंचायतों में एक लालटेन लगी। जिसके मानी यह हुए कि करीब-करीब १२ या १३ गांव के बीच में एक लालटेन लगी। इसी तरह से अगर १,२८,००० कम्पोस्ट पिट्स बनाये गये तो करीब-करीब साढ़े तीन कम्पोस्ट पिट हर पंचायत में पड़े जिसके मानी यह हैं कि एक कम्पोस्ट पिट प्रति गांव, क्योंकि करीब-करीब एक पंचायत में तीन गांव आते हैं मैं समझता हूं कि इतना जागृत तो हमारा किसान है कि अगर पंचायतें न भी होतीं तो एक कम्पोस्ट पिट फी गांव तो वह अपने लिये खोद ही लेता।

इस तरह से अगर देखा जाय तो जो कुछ इस ओर प्रगति हुई उससे हमें बहुत संतोष नहीं मानना चाहिये। मैं बजट के जो आंकड़े देखता हूं तो उसमें हम करीब-करीब ३ लाख यहां पर हेडक्वार्टर के एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च करते हैंये ३० लाख डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का खर्च है। ६० लाख पंचायत के सेक्रेटरीज के लिको तनख्वाह चली जाती है और शायद इतना ही ६० लाख का बजट पंचायत क जनकल्याण कार्यों के लिये मिलता है। समझ लीजिये साढ़े बानवे लाख तो एस्टेबिलशमेंट चार्जेज हैं और ६० लाख या उससे भी कम जनकल्याण कारी कार्यों के लिये उपलब्ध होता है। वह डिस्ट्रिब्यूट होता है ३६,००० पंचायतों और एक लाख से मैं अधिक गांवों में। उसका क्या अनुपात पड़ता है? मेरा जो गांव का अनुभव है उससे ई कह सकता हूं कि बहुत सी पंचायतें बिल्कुल सुप्त अवस्था में आज भी पड़ी हुरा हैं। उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं उनको कोई जाकर देखे तो उनमें कभी कोरम पूब नहीं हुआ। ज्यादातर ऐडजर्न मीटिंग्स होती हैं और उनमें जो सेक्रेटरी साहा की तबियत आई उन्होंने लिख दिया। सेक्रेटरियों ने भी, मैं समझता हूं, अपन फर्ज किसी तरह से भी पूरा नहीं किया। उनका केवल यही काम नहीं था कि वह जायं और उसकी कार्यवाही लिख लें। उनका काम यह भी था कि वह पंचायत को अधिक से अधिक जनप्रिय बनाते, लोगों को प्रोत्साहित करते कि वह आवें, किस तरह से कार्य करें जिससे कि वह अपना और गांव का कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार की उनसे जो आशा की गयी थी वह पूरी नहीं हुई। तो इस वक्त बहुत सी पंचायतों का एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जिसमें न फल लगे न फूल निकले। न उससे कोई साया मिलता है, न आश्रय मिलता है। वह आज इस प्रकार है जैसे बांसों का ढांचा बना हुआ खड़ा हो। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जो कुछ कार्य हुआ है वह थोड़ी सी अच्छी पंचायतें हैं उन्होंने किया है उनकी सम्भावनाएं बहुत हैं। बहुत करने की गुंजायश है। जहां पर कोई दो चार भले आदमी आगे बढ़े और काम किया वहां तरक्की हुई। लेकिन जिस पैमाने पर जिस अनुपात में हमको आशा थी कि पंचायतें सफलतापूर्वक काम करेंगी और जितनी जागृति वह फैलावेंगी वह मुझे तो नहीं दिखलाई देती। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, गांव से सम्पर्क रखता हूं और यह आंकड़े जो मैंने देखे तो मुझे उन्हीं बातों

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

का समर्थन करते हुये दिखाई पड़े। हालत तो यह है कि बहुत सी गांव सभाओं के सामने बजट कभी आया ही नहीं। मुझे तो इनके बारे में खुद मालूम है कि या तो मीटिंग का नोटिस दिया ही नहीं गया और अगर किसी ने नोटिस दिया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। सेक्रेटरी और कुछ आदमियों ने मिल कर यह समझ लिया कि बेहतर यह है कि क्यों यह डुग्गी वगैरह की जहमत उठाई जाय, कुछ अपने लोगों की एक जगह मीटिंग करदी और लिख दिया कि मीटिंग हुई थी और मीटिंग में बजट पास हो गया। पंचायतों की मीटिंग तो यदा-कदा हो जाती है पर मैं समझता हूं कि ग्रामसभाओं की मीटिंग कितनी ऐसी होती हैं कि लोगों ने वहां पर आकर काफी संख्या में भाग लिया हो, ऐसा कम ही होगा। इस वजह से मैं कहता हूं कि वह उत्कट अभिलाषा जो कि अपने गांव के सुख और समृद्धि के लिए जनता में जागृति होनी चाहिए थी, नहीं हो पायी है। पंचायतों के अब आयन्दा एलेक्शन आने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के भी आने वाले हैं इसलिये मैं समझता हूं कि यह ऐसा समय है जब कि हम बैठ कर शान्तिपूर्वक यह सोचें कि कहां तक जो हमने एक्सपैरिमेंट किया सफल हुआ अथवा उसमें क्या त्रुटियां रह गईं, क्या न्यूनतायें रह गईं, और किस तरह से हम उनको पूरा कर सकते हैं, किस तरह से हम उनमें नया जीवन दे सकते हैं जिससे कि वह अधिक उपयोगी साबित हों। मैं समझता हूं कि एक चीज जिसका अभाव रहा वह थी शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के ही आधार पर यह पंचायत राज का वृक्ष फल और फूल सकता था और शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि सोशल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन और प्रचार जो कि ऐसा होना चाहिये था कि वह लोगों को पहले से सचेत करता कि यह पंचायतें जो आ रही हैं, वह क्या कर सकती हैं, इनके जरिये से किस तरह से न केवल गांव का बल्कि एक देश का निर्माण होने वाला है, पर यह बात वहां पर नहीं पहुंची। जो सुपरवाइजिंग आफिसर्स हैं वे महज जाते हैं एक चक्कर कर आते हैं और फार्मेल्टी पूरी करते हैं। एक दो नहीं, मैं जानता हूं कि दर्जनों ऐसे केसेज पड़े हुये हैं कि जिनके बारे में दस-दस दफा रेफरेंसेज हुए लेकिन कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं आया। कुछ पंचायतों को यह भी शिकायत है कि जब वह चाहते हैं कि किसी काम के लिए रुपया निकालें तो उस रुपये के निकालने में भी उतनी ही कठिनाई पड़ती है जितनी ट्रेजरी से रुपया निकालने में किसी अनभिज्ञ आदमी को पड़ती है कि घंटों इन में खड़े रहो और फिर भी काम न हो। वह कहते हैं कि हम प्रस्ताव पास कर देते हैं सब कुछ कर देते हैं फिर भी रुपया नहीं निकलता है। मैं नहीं समझता कि क्या दिक्कत है। अगर हमको उनको अधिकार देना है तो किसी स्टेज पर यह लाजिमी हो जायगा कि पंचायतों का रुपया पंचायतों के डिस्पोजल पर रहे, वह सेविंग्स बैंक एकाउंट में रहे और पंचायतें उसको ड्राकर सकें। उसके लिये आपका आडिट इतना कड़ा होना चाहिये कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी मालूम हो तो उस पर ऐक्शन लें। लेकिन अगर यह रुपया इस तरह रहा कि तहसीलदार के दस्तखत हों या पंचायत राज आफिसर के दस्तखत हों और फिर रुपया निकले तो यह चीज कभी काम नहीं करेगी। समय अब समाप्त हो गया है। हमारे भाई माननीय रामनारायण जी ने कहा कि बहुत सी जगह 'एलेक्टोरल रोल्स, पंचायतों द्वारा नकल कराये गये। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि बहुत से पंच तो बिल्कुल निरक्षर हैं।

अन्त में मैं यह फिर कहूंगा कि अब जब पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन आ रहे हैं, हमें यह देखना चाहिये उनके क्या कर्तव्य हों किस तरह से उनका कार्य विभाजन हो और उनमें जो चीजें सुपरफ्लुअस हैं उसको किस तरह से निकाला जाय। यदि इस समय इन सब बातों पर हम निर्णय करें तो मैं समझता हूं कि यह संस्थायें बहुत आगे बढ़ सकती हैं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने बड़े महत्वपूर्ण बजट पर मुझे भी बोलने की इजाजत दी। अभी सदन के

सामने कुछ माननीय सदस्यों ने पंचायत के बारे में अपनी भावना प्रकट की। गांधी जी ने अपने जीवन में जब कभी सन् १९२१ से लेकर सन् १९३०, १९३२ और १९४२ में गांवों के संबंध में अपने विचार प्रकट किये तो उनका कहना यह था कि गांव कई हजार सौ साल से उठ नहीं रहे हैं। आज बहुत से गांवों और मुल्कों की बातें अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन चाहे अमरीका को लीजिये, चाहे रूस को ले लीजिये या किसी मुल्क को लीजिये, कहीं भी गांवों की तरफ किसी का इशारा नहीं हुआ। हमारे ही देश में एक ऐसे योगी एक ऐसे क्रांतिकारी फकीर पैदा हुये, जिन्होंने गांवों की तरफ सरकार को इशारा दिया। ब्रिटिश सरकार के समय में भी उन्होंने ग्राम सुधार इसी लिये शुरू करना चाहा ताकि वे गांवों को आगे ले कर चलें, लेकिन अंग्रेजी सरकार अपने ही तरीके से आगे बढ़ना चाहती थी और उसने गांधी जी की विचार-धारा को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हम अपने प्रदेश की सरकार को इसलिये धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने गांव पंचायतों का निर्माण किया। इतना ही नहीं मैंने एक सालत क पंचायत के इंस्पेक्टरों के साथ रहकर बहुत से गांवों में देखा कि कितनी महान क्रांति गांवों में हुई है। गांवों के लोग जो पिछड़े हुये थे और जो यह जानते ही नहीं थे कि हम भी किसी मुल्क के आदमी हैं और हमें भी और मनुष्यों की तरह सुविधायें मिलनी चाहिये, उन लोगों में इस पंचायत ने महान क्रांति पैदा करदी है। किन्तु यह ९२ लाख का धन इतने बड़े प्रदेश में गांवों की तरक्की के लिये रखा गया है। जहां भी आप देखिये शहरों के लिये बजट में काफी धन दिया गया है। गांवों की माली हालत ठीक करने के लिये और उनमें महान जागृति लाने के लिये क्या यह ९२ लाख कुछ हजार का बजट काफी है? पंचायत के बहुत से कामों को देखने के बाद मैंने यह निश्चय किया है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य का मत होगा कि अगर किसी मुल्क की तरक्की हो सकती है तो गांवों की जागृति से ही हो सकती है, और गांवों पर काफी रुपया व्यय करने से ही गांव उठ सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस साल का बजट तो पेश ही हो चुका है लेकिन आगे से माननीय मंत्री महोदय को गांवों की तरक्की के लिये, पंचायतों की तरक्की के लिये काफी रुपया रखना चाहिये।

दूसरी तरफ मैंने देखा कि बहुत सी शिकायतें चल रही हैं कि पंचायतों का काम ढीला है। बहुत से सर्क्यूलर पंचायत के संचालक की तरफ से जाया करते हैं। उनको यदि आप ठीक से पढ़ें तो मालूम होगा कि उनमें हमेशा यह लिखा रहता है कि गांवों के निर्माण कार्य के लिये यह यह काम किया जाय। लेकिन कुछ बुराई तो होती है, मनुष्य क्या देवताओं में भी बुराई आजाती है। कितने लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे मंत्री भी हैं, ऐसे पंचायत इंस्पेक्टर भी होते हैं जो अपने केन्द्रों में नहीं रहना चाहते हैं। मंत्री भी बहुत से ऐसे हैं जो घरों में रहना चाहते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष--कृपा करके पंचायत मंत्री कहियेगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--मंत्रियों से मतलब पंचायत सेक्रेटरियों से है, हमारे प्रदेश के मंत्रियों से नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने उन मंत्रियों के काम को भी २६ तारीख को देखा जहां जिलाधीश पहुंचे थे, तहसीलदार पहुंचे थे और रेवेन्यू के बड़े-बड़े कर्मचारी गये थे। पंचायत के सेक्रेटरी और पंचायत के सभापति हजारों की तादाद में निर्माण के काम में देखे गये थे। लेकिन दूसरी तरफ यहां जिस समय यह निर्माण का काम शुरू हुआ जमीन इतनी सख्त थी, मैंने पूर्वी जिलों में देखा, मेरा भी एक जिला है वहां ५ साल से पांच छ: दस कोस तक पानी नहीं पड़ा है और वहां जमीन से एक रोड़ा भी खोदना एक मुसीबत थी। लेकिन फिर भी गांव के लोग यह चाहते हैं कि हम अपने गांवों को आगे ले करके चलें। केवल कमी जो है वह रुपये की है। गांव के निर्माण के लिये जैसा कि ९२ लाख रुपया है अगर इसका कुछ भाग गांव सभाओं के प्रधानों के पास

[श्री रमेश चन्द्र शर्मा]

रख दिया जाय तो शायद उससे चना चबेना बांट कर गांव के लोग काम को आगे बढ़ा सकते थे।

दूसरी कमी जो है वह यह है कि पंचायत सेक्रेट्रियों की तनख्वाह तहसील में बटा करती है। प्रधानों को पता भी नहीं चलता कि सेक्रेट्री कब हमारे गांव में आता है और कब नहीं आता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि उनकी तनख्वाह प्रधानों के द्वारा बांटी जाया करे ताकि सेक्रेट्री यह सोचता रहे कि अगर वह अपने घर जाता है तो उसकी तनख्वाह कट जायगी। इसके साथ ही मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि गांव वालों की मदद के लिये यह रुपया रखा गया है और आशा करता हूं कि गांवों को बढ़ाने के लिये बजट में काफी तरक्की करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना। उन्होंने यह बात कही कि हमारा जो पंचायत राज है, वह एक्सपेरीमेंट है और जो एक्सपेरीमेंट हो रहा है उसमें काफी सफलता भी हुई है और हो सकती है। पंचायत विभाग को प्रचार की दृष्टि से देखा जाय तो काफी उसमें सफलता मिली है लेकिन वास्तविकता की तरफ आइये जैसा कि हमारे माननीय चतुर्वेदी साहब ने अभी कहा उससे मैं भी सहमत हूं और मैं यह देखता हूं कि जो सफलता पंचायत राज रिपोर्ट में दिखाई गई है उसको आप देखें कि कम्पोस्ट पिट्स तीन लाख बनाये गये हैं, करीब दो लाख गत वर्ष और एक लाख के करीब इस वर्ष बनाये गये हैं। अगर यह मान लिया जाय कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ खास हिदायतें होती हैं उसके अनुसार कम्पोस्ट पिट बनते हैं तो उस दृष्टि में जितने सदस्य इस सदन में बैठे हुये हैं वह कम से कम मुझसे सहमत होंगे कि किसी गांव में शायद ही कोई कम्पोस्ट पिट मिले। हो सकता है कि जितने घूरे गांवों में होते हैं उन्हीं को कम्पोस्ट पिट का नाम दिया गया हो और उनकी संख्या दे दी गई हो लेकिन अगर कम्पोस्ट पिट की बात देखी जाय तो कम से कम मेरे क्षेत्र में कोई कम्पोस्ट पिट नहीं नजर आता। जहांतक सड़कों का सवाल है करीब करीब २,६४५ कच्ची सड़कें बना दी गयीं और ४६२ मील पक्की सड़कें बना दी गईं। तो जो यह सड़कें बनायी गयी हैं इनकी फीगर्स किस एजेंसी से की गयी हैं और यह सच भी है तो इस बात का वेरीफिकेशन माननीय मंत्री जी खुद करेंगे कि इन आंकड़ों की सत्यता क्या है।

जहां तक अदालती पंचायतों का ताल्लुक है, अदालती पंचायतें जिस दृष्टि से और जिस मकसद से बनायी गयी थीं कि जल्दी न्याय मिले, सही न्याय मिले और आसानी से मिले, और कम खर्च में मिले इस सिद्धांत की ओर वास्तव में यह अदालती पंचायतें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, यह देखना है। अदालती पंचायतों की स्थापना होने से दो चीजें खास हुई। एक तो लिटीगेशन (मुकद्दमेबाजी) बढ़ गया है। काश यह अदालती पंचायतें जिस रूप में आज बनाई गई हैं अगर यह न बनाई जातीं तो उतना लिटीगेशन जितना बढ़ा है उतना न बढ़ता। इस लिटीगेशन के फलस्वरूप जितना रुपया कोर्टफीस इत्यादि से आय हुई है उतना भार और इन किसानों पर नहीं पड़ता। पंचायती राज किसानों को बहुत मंहगा पड़ रहा है।

हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं वे जब इस विभाग के मंत्री थे तो वे कहा करते थे कि पंचायतों का निर्माण इसलिये है कि जो पुराना पंचायती सिस्टम था यानी जहां जुर्म होते थे वहां गांव में ही बैठकर गांवों में ही फैसला बिला खर्च और बड़ी आसानी से तय हो जाया करता था और उसी पुरानी प्रथा को अपना कर पंचायतों का स्थापन हो रहा है जिससे गांव के मामूली झगड़े गांव में ही तय हो सकें। कारण आज का न्याय मंहगा हो गया है इसलिये आवश्यकता पुराने तरीके के आने की जरूरी हो गयी है। लेकिन जो पंचायती अदालतें बनी हुई हैं उनसे यह मकसद हासिल नहीं होता और इसलिये वह हासिल

नहीं होता। जो चुनाव का तरीका है वह बहुत ही डिफैक्टिव है। होता यह है कि जब पंचायतों का चुनाव होता है तो जो शख्स गाँव में ऐसा होता है जिसके साथ दस-पांच शक्तिशाली गुन्डे होते हैं जब हाथ उठाने का सवाल आता है जो भय से दूसरा नाम प्रोपोज ही नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है चुनाव का यानी बैलट के जरिये से चुनाव हो। यह सही है कि उसमें खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपको सच्चे और ईमानदार पंचों को लाना है तो आपको बैलट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा तरीका यह भी है कि गांवों में पार्टीबन्दी होती है, लेकिन मोहल्लों में नहीं इसलिये मोहल्लों को वार्ड बनावें तो हो सकता है कि पंच अच्छे मिल जायं जो अच्छा काम कर सकें।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिवीजन बहुत कम हुये और उससे यह सिद्ध होता है कि पंचायतों के फैसले बहुत ठीक थे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रिवीजन कम हुये तो इसलिये नहीं कि फैसले ठीक थे बल्कि इसलिये कि गांव वाले अपनी गरीबी के कारण इस बात से असमर्थ रहें कि हाई कोर्ट में लम्बी लम्बी फीस देकर रिवीजन दायर कर सकें। (एक आवाज--हाकिम परगना के यहां जा सकते हैं।) तो अगर हाकिम परगना की ही बात है तो पंचायतें तो इसलिये कायम हुई थीं कि लोगों को अपने ही स्थान पर सस्ता शीघ्र सुलभ न्याय मिल जाय और उनको हाकिम परगना के पास न दौड़ना पड़े। और अगर फिर हाकिम परगना के पास रोज दौड़ना ही पड़े तो फिर पंचायतों की आवश्यकता ही क्या है फिर तो पंचायत स्थापन का मकसद ही समाप्त होजाता है, उसमें समय भी ज्यादा लगता है और खर्च भी ज्यादा होता है इसीलिये तो पंचायतें बनाई गयी थीं। जहां तक पंचायतों के कार्य करने का सवाल है माननीय शम्भूनाथ जी ने कहा है कि सेक्रेट्री महोदय जाते हैं और सरपंच को बुलवाते हैं गांव सभाओं की मीटिंग होती ही नहीं तो मीटिंग सेक्रेट्री बुलवाते हैं वो ही प्रस्ताव रख देते हैं और बाद में और पंचों से दस्तखत करा लेते हैं यानी कभी कोरम पूरा नहीं होता यह कार्यवाही गांव सभाओं की है। मेरा सुझाव यह है कि अदालती पंचायतों को अगर गांव सभाओं में बदल दें गांव सभा को ही अदालती पंचायत मान लीजावें और उसी गांव में रह कर गांव की स्थिति से गांव के लोग ही अच्छी तरह जानकार रहते हैं तो अगर पंचायती अदालतें तोड़ दी जायं और उसके स्थान पर गांव सभायें ही गांव पंचायतों का कार्य करें बड़ा अच्छा होगा। और बहुत सी खराबियां दूर हो जायेंगी पंचवर्षीय योजना को कार्य रूप में परिणित करना है और अगर गांव सभाओं को ही अधिकार दे दिया जाय तो जैसा कि गत दिनों में जो सप्ताह मनाया गया था और गांव सभाओं ने जो काम किया है वह सब को मालूम ही है। इस कार्य का श्रेय अदालती पंचायतों को नहीं बल्कि गांव सभाओं को ही है जिन्होंने श्रम धन देकर एक नई आशा का संचार किया। तो अगर आप इन गांव-सभाओं को अदालती अधिकार भी दें तो ज्यादा काम होगा।

पंचायतों के जरिये टैक्स वसूल किया जाता है लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है कि रुपया ठीक से खर्च हो रहा है। कोई उनके सामने बजट नहीं पेश किया जाता कि इतने रुपये की आमदनी हुई और इतना खर्च होगा यह किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है। जो टैक्स लगे वह उन्हीं के हित के लिये खर्च हो। जिस गांव से वसूल हो अगर उसी गांव में खर्च हो जाय तो लोगों को मालूम हो कि जो कर उनसे वसूल किया जाता है वह उन्ही के हित में खर्च होता है। लेकिन आज होता क्या है। लोगों को विश्वास नहीं है कि उनके कर का ठीक उपयोग होगा। लोग कर देने से इनकार करते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि इसका कोई हिसाब उन्हें नहीं मिल पाता है। हालत आज यह हो गई है कि पार्टीबन्दी की वजह से मामूली से आदमी कुम्हार और उस कुम्हार के गधे पर भी टैक्स लगा दिया जाता है। जो गदहा उसकी रोजी का जरिया है मिट्टी ढोने का काम करता है उस पर पंचायत से टैक्स लगा दिया जाता है इसलिये इस तरह से टैक्सेशन लगाने में पंचायतों की बुनियादी नींव को भी ठेस पहुंचती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज जुर्मों की जो रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं उनकी एक रिपोर्ट पंचायतों में भी दर्ज की जाय और

[श्री नेकराम शर्मा]

पतरौल-ट्यूबवैल आपरेटर और लेखपाल वगैरा बनने वाले हैं वह पंचायतों के मातहत होने चाहिये और रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी पंचायतों को शुरू कर देना चाहिये जिससे पंचायतों के पास काफी धन की बचत रहेगी और उससे वह काफी निर्माण कार्य कर सकेंगी और अपने मकसद जिसके लिये उनकी स्थापना हुई है उसको भी पूरा कर सकेंगी।

इसके अलावा गांवों में जितना प्रोडक्शन होता है उसके सही फिगर्स सरकार के पास नहीं पहुंचते हैं। अगर पंचायतों में रिकार्डिंग वगैरा होने लगे तो सरकार के पास सही आंकड़े आ सकते हैं कि हम फूड के मामले में सैल्फ सफीशियेंट हैं या नहीं। इसलिये जरूरी है कि जितना प्रोडक्शन हमारे गांवों में होता है उसका रिकार्डिंग पंचायतों में ही होना चाहिये। ब्लाक कमेटियों के संबंध में मुझे यह कहना है कि यह कमेटियां निर्माण कार्य के लिये बनाई गई हैं। कुओं के लिये सीमेंट के वास्ते दरख्वास्तें इनके पास दी जाती है, लेकिन सीमेंट नहीं मिल पाती है। हजारों दरख्वास्तें सेक्रेटरी और इंसपेक्टर लिये फिरते हैं और दो दो साल हो गये हैं लेकिन सीमेंट नहीं मिलती है सरकार को शीघ्र इसकी व्यवस्था करना चाहिये पंचायतों में विश्वास बढ़ाने के लिये।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है यह अपने स्थान पर बड़ा उपयोगी है और जो आज सरकार की तरफ से नये प्रयोग हुये हैं उसमें तो समय लगेगा कि हमारी सफलता और देश की सफलता इन गांव पंचायतों से किन अंशों में होगी।

महात्मा जी ने नोआखाली की अंतिम यात्रा में यह कहा था कि "हम ऐसे भारतवर्ष की कल्पना करते हैं जिसमें न कोई करोड़पति होगा, न कोई भूखों मरने वाला होगा, न कोई जाति होगी और सारी चीजें राष्ट्र के लिये होंगी और राष्ट्र सबके लिये होगा।" इसी भारतवर्ष की, इसी स्वाधीनता की मैं कल्पना करता हूं। हमें अपनी पंचायतों को इसी कसौटी पर कसना है।

आज हमारे यहां श्रीमन, मैं नहीं जानता कि हमारे माननीय सदस्य कहां तक मेरे मत का समर्थन करेंगे कि भारतवर्ष में राजनीतिक चेतना का जहां तक संबंध है, इन पंचायतों से एक दफा नुक्सान हुआ था, लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आज पंचायतों का जिस तरह से कार्य है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि इन्होंने काफी रचनात्मक कार्य किया है, मैं उससे सहमत हूं कि एक कार्यक्रम विशेष कर जनता के सामूहिक सहयोग से जो श्रमदान का एक पर्व २६ जनवरी से ३० तारीख तक मनाया गया था, उसमें उन्होंने काफी कार्य किया है। लेकिन हमें तो यह देखना है कि वह क्षणिक और अस्थायी कार्य पर हमें अपनी सफलता का अंदाजा नहीं लगाना है, बल्कि देखना है कि हमारी कार्य-पद्धति किस ओर चल रही है।

जहां तक कि सेक्रेटरियों का संबंध है यह सही है कि उनके ऊपर कहीं-कहीं दोहरी और कहीं तिहरी जिम्मेदारी आ गई है। पहला काम तो यह है कि वह साधारणतः पेशकारों का काम किया करते हैं। दूसरे यह कि उनको मुख्तारों का भी काम करना पड़ता है। एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से। कभी-कभी न्यायाधीश का भी काम करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस तरह से वे देहातों में छोड़ दिये गये हैं और वे जनता के ह्रास के कारण बन गये हैं। उन पर नियंत्रण होना चाहिये। उनको अपने को छोटे से छोटा सेवक मानकर जनता में रचनात्मक कार्य करना चाहिये। उनका संबंध वास्तव में गांवों से होना चाहिये और गांवों से ही उनको वेतन मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वह अपना दायित्व जनता के प्रति समझ सकें। वह कभी-कभी अदालत की बेंच बनाने में इंस्पेक्टर्स की दलाली करते हैं। यह कोई छिपी बात नहीं है कि बेंच बनाने में काफी पैसा लिया जाता है। कुछ पंचायती अदालतें जो काम कर रही हैं कम से कम मुझे तो उनके कार्य से संतोष नहीं मिला। किसी पंचायत में

२५ सदस्य हैं। एक ब्लाक में १३ सदस्य हैं और दूसरे में १२। तो १२ को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। नतीजा यह होता है कि तहसीलों में जाकर तहसीलदार या एस० डी० ओ० के पेशकारों को भेंट दे देते हैं। उसका उनको दर्द नहीं होता, लेकिन गांव में जब पैसा रिश्वत के रूप में लिया जाता है तो वह दर्द पुश्तैनी बना रहता है। मेरा विश्वास है कि अगर एक थाने में जहां लाख सवा लाख की आबादी होती है, दो-तीन आदमियों को जोकि ईमानदार हों उनका न्यायालय बनाया जाय। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या धारासभा के माननीय सदस्य तो उनको नहीं खोज सकते, लेकिन अगर सब मिलकर कोशिश करें तो वह निकल सकते हैं। इस तरह से एक पुलिस स्टेशन में एक न्यायालय बन जाय तो लाख सवा लाख आदमियों में से दो-तीन ईमानदार आदमी जरूर निकल आयेंगे और मेरा निश्चित मत है कि वह हर व्यवस्था में मनोनीत होने चाहिये। नहीं तो जो दशा है वह दशा सुधरने वाली नहीं है और हम सब उसको जानते हैं।

गांवों में कुछ लोगों को कठिनाइयां भी हो रही हैं। मोटे तौर से मैं बतलाऊं कि जो टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है उसका कहीं-कहीं अतिक्रमण भी होता रहता है। इसी तरह से गड़हियों में से किसान लोग मछलियां निकालकर खाते थे आज वह गड़हियां नीलाम कर दी जाती हैं और जो शख्स उनको नीलाम में ले लेता है उसके अलावा कोई आदमी वहां नहीं जा पाता। इसी तरह से और भी बहुत सी तकलीफें वहां लोगों को हो रही हैं। सरकार जिस चीज को लाती है उसका धर्म हो जाता है कि वह उनकी गतिविधि को भी देखे कि वे चीजें विकास पा रही हैं या नहीं। उनसे जनता सतायी तो नहीं जा रही है सरकार के सामने जो रिपोर्टस आती हैं वे साधारणतया उसके जो निम्न अधिकारी होते हैं उनके क्रम से वह चली जाती हैं और सरकार फिर उन पर यह आशा लगा लेती है कि यह हमारी सफलतायें हैं। मैं सरकार से बिनती करूंगा कि अदालती पंचायतों के विषय पर बहस करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाय कि आगे आने वाले समय में सरकार इस बात की कोशिश करे कि जनता की नैतिकता, देश की नैतिकता को भी ऊपर उठाया जाय। एक समय था जबकि हम पंच परमेश्वर की कल्पना कर सकते थे लेकिन आज के समय में जब कि धर्म समय के अनुसार बदल जाता है "समय भेदेन धर्म भेद:" परिस्थितियों को देखते हुये ही हम गांवों में अपनी शासन पद्धति को निर्धारित करें और मैं आशा करता हूं कि अगर इस तरह से हम अपनी पंचायतों का पुन: संगठन करेंगे जिसमें जनता का जो मारेल है, नैतिक स्तर है वह अपनी जगह पर कायम हो तो हमें अधिक सफलता मिल सकती है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस तरफ विशेष ध्यान देंगे।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने गांव पंचायत के लिये बजट पेश किया है वह नाकाफी है। गांव पंचायतें इस राज्य का एक बहुत बड़ा अंश हैं। इन गांव पंचायतों के लिये जो ९२ लाख का बजट पेश किया गया है वह प्रत्यक्ष रूप में बहुत थोड़ा मालूम होता है। यों तो गांव पंचायतें इसलिये बनायी गयी हैं कि गांव के सब आदमियों के दिल में जनतंत्रात्मक भावना पैदा हो, लेकिन जो राज्य आज पंचायत राज के नाम से प्रसिद्ध है उसको हम पंचायत राज न कहकर इंस्पेक्टर राज या सेक्रेटरी राज कहें तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि गांव पंचायतें इन्हीं के इशारे पर सारा काम करती हैं। गांव पंचायतें आज से नहीं हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि ये बहुत पुरानी हैं, जब हमने शासन का सूत्र अपने हाथ में नहीं लिया था उस वक्त भी गांवों में पंचायतें हुआ करती थीं। वे पंचायतें स्वतंत्र थीं और अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से लोगों के सम्मने रखती थीं। लेकिन जब से हमने शासन सूत्र सम्हाला तो हमने पंचायतें इसलिए बनायीं कि वे गांवों को उत्थान की तरफ ले जायं, परन्तु ये पंचायतें आज एक तरह से गांव के लिये एक रुकावट सी हो गयी हैं। गांवों के लोग इन पंचायतों से ऊब से गये हैं। वह इसलिये कि एक तो जो पंचायतों का चुनाव हुआ वही उनके

[श्री रामसुभग वर्मा]

मन के मुताबिक नहीं हुआ। गांव पंचायतों का चुनाव इस तरह से हुआ कि चुनावों में उनके लिये कुछ रकम रखी गयी कि वह जमानत दाखिल करें, चार रुपये, पांच रुपये और दस रुपये तक। तो उस गांव के जो प्रतिष्ठित आदमी थे उन लोगों ने सोचा कि अब तो यह पंचायत कानूनी होने जा रही है तो हम क्यों न ऐसे आदमियों को अपने पक्ष में कर लें। इसलिये उन्होंने जिनके पास रुपया नहीं था उनका रुपया दाखिल किया और लोगों पर प्रभाव डालकर अपने माफ़िक चुनाव कराया और उनके पक्ष के जब पंच हुये तो खुद सरपंच बन गये उस अदालती पंचायत के।

श्री अध्यक्ष--अब आप बाद में भाषण जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुभग वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतला रहा था कि पंचायत राज्य नहीं बल्कि इंसपेक्टर राज्य गांवों में है। एक तो गांव के सेक्रेटरी वहां जाते नहीं और अगर जाते हैं तो सेक्रेटरी अथवा इंस्पेक्टर गांव के सभापति से बस्ता लेकर अपने मनके मुताबिक जो कुछ चाहते हैं लिखकर उनसे दस्तखत करा लेते हैं। गांव सभा की कोई बैठक नहीं बुलाई जाती, बल्कि अपने मन से लिखकर खेतों और खलिहानों में उनके दस्तखत करा लिये जाते हैं। वह अपने को उस गांव सभा का हाकिम समझते हैं। यह नहीं समझते कि वे गांव की सेवा करने वाले हैं तथा उनको क्या-क्या करना चाहिये। उन्हें नहीं मालूम कि किस प्रकार के सुझाव उन्हें गांव सभा को देना चाहिये। गांव सभा के काग़ज़ात भी वे अपने हाथों से भरते हैं और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजते हैं। लिखा जाता है कि इतने वृक्ष लगाये गये लेकिन कहीं मुश्किल से एक आध वृक्ष लगाया जाता है। लिखा जाता है कि इतने सौ गड्ढे कम्पोस्ट के खोदे गये, लेकिन असल में कहीं एक भी गड्ढे का नाम वहां नहीं होता। जिस तरह से पटवारी अपने घर पर बैठ-कर काग़ज़ात तैयार कर लेता था कि फलां खेत में गेहूं बोया है और फलां खेत में फलां चीज़ बोयी हुई है, लेकिन मौके पर देखा जाय तो वह परती ही था। इसी तरह से आज-कल गांव सभाओं में हो रहा है। तो वह अपने को गांव सभा का अधिकारी समझते हैं और कुछ काम नहीं करते। इसलिये मैं यह बतला रहा था कि पहले जो गांवों की पंचायत थी वह अपनी स्वतंत्र भावना से सब काम किया करती थी और अच्छा करती थी, लेकिन जबसे पंचायत राज्य कायम हुआ है उस पंचायत राज से गांवों की रहने वाली जनता ऊब गयी है। इतना ही नहीं गांव सभा के सेक्रेटरी और इंसपेक्टर बैठकर टैक्स लगा देते हैं और उन लोगों से दस्तखत करा लेते हैं। इसी तरह से यह लिखकर कि इतने कूड़े हैं, इतने घूरे हैं वे वहीं बैठ कर जुर्माना करा देते हैं।

इसी तरह से अदालती पंचायतों की भी हालत हो रही है। पंचायती चुनावों में एक तरीके से बहुत बड़ी धांधली हुई। उनके लिये जो ४, ५ और १० रुपया जमानत के लिये रखा गया था जो अपने गांव का दबंग आदमी होता था उसने अपने मेल के आदमियों का जमानत का रुपया जमा कर लिया और अपने पक्ष के लायक आदमियों का चुनाव करा लिया और चुनाव हो जाने के बाद फिर अपने को सरपंच चुनवा लिया। इससे पंचायती अदालतों के उसके मुआफिक आदमी आ गये। और आने के बाद अदालतों में जो मुकदमे आते हैं उन पर पक्षपात पूर्ण फैसले होते हैं और जो मुकदमे दाखिल होते हैं वे ६, ६ महीने तक पड़े रह जाते हैं और कितनी जगहों पर तो उन मुकदमों के मिसिल के मिसिल गायब कर दिये जाते हैं। और इस तरह

से तब्दीली होती है और पक्षपातपूर्ण काम होते हैं। पहले समझा जाता था कि गांव पंचायतें गांवों को स्वर्ग बना देंगी, लेकिन गांव स्वर्ग न होकर नर्क होने जा रहा है। इस तरह की तो गांव पंचायतों की हालत है। जितनी यह सरकार योजना बनाती है वह योजना कागज पर ही रह जाती है। और जैसे उसको होना चाहिये वैसा नहीं हो रहा है। तो श्रीमन्, मैंने आपके सामने इस वक्त की पंचायतों की हालत सामने रखी। इन गांव पंचायतों को अधिकार है कि प्रारम्भिक पाठशालायें खोलें, प्रौढ़ पाठशालायें खोलें, वाचनालय खोलें, पुस्तकालय खोलें और गांव की उत्थान की सारी चीजें उनके सामने हैं। लेकिन उनके पास आमदनी कहां से आये, वे कैसे उनको चलायें? वे सोचते हैं कि टैक्स लगा देंगे इससे हो जायगा। गांव पंचायतों के सामने ये सारी चीजें हैं। तो श्रीमन्, इन सब बातों के होते हुए मैं आपके सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि पंचायत के सेक्रेटरियों का चुनाव जो हो, वह उन ग्राम पंचायतों के जरिये होना चाहिये और कुछ दिन रहने के बाद उनका तबादला हो। और ग्राम पंचायतों के अधिकारों के अपहरण की दृष्टि से जो नियम कायम किये गये हैं उनको समाप्त कर दिया जाय और पंचायत सेक्रेटरियों की नियुक्ति उन गांव सभाओं के जरिये करायी जाय।

चौथी चीज लगान वसूली की है। लगान की वसूली गांव पंचायतों द्वारा करायी जाय और जो कमीशन हो वह उनको दे दिया जाय जिससे वे अपने गांवों का उत्थान कर सकें। वहां पर सरकार वसूली के जरिये जितनी आमदनी करती है उसका कम से कम बीसवां हिस्सा या उसका कुछ हिस्सा गांव सभा को दिया जाय तो गांवों का उत्थान हो सकता है और जैसा कि मैंने सुझाव दिया अगर हर जगह सरकार ग्राम-सभाओं से काम ले तो पंचायत राज कल्याणकारी राज्य हो सकता है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फ़रनगर)—श्रीमान् माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायतों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह पंचायत शब्द बड़ा पुराना है और हमारे भारतवर्ष में पहले पंचायतों द्वारा ही विवाद और झगड़ों का निर्णय हुआ करता था। इस समय भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। मैं पंचायत के सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा वर्णन कर देना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर के सोरों ग्राम में फारसी में तथा ताम्रपत्र पर लिखे हुए रेकार्ड श्री कबूलसिंह के पास हैं। जो इस समय इस सम्बन्ध में बड़ी उत्सुकता से कार्य कर रहे हैं कि पंचायतें १८ खापों की होती थीं। लाखों की संख्या में पंचायतें होती थीं और बड़े बड़े विवादों के निर्णय करने का वृत्तान्त मिलता है और यही नहीं गुजरात पंजाब और दूसरे देशों से लोग उस पंचायत में आया करते थे और उसमें सारी जाति के आदमी थे। अब से ९ सौ वर्ष पहले का रेकर्ड उसमें मौजूद है। उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जहां इस बात का एक सबूत मिलता है, इससे हमें सहायता भी मिल सकती है कि वे पंचायतें किस तरह से चलती थीं उससे हमें कुछ सहायता लेनी चाहिये और वहां के रेकर्ड्स जो फारसी में लिखे हुए हैं उनका अनुवाद कराकर या किसी भी प्रकार से उनकी जानकारी करना अत्यावश्यक है। मेरे भाइयों ने बहुत सी बातें पंचायतों के दोष के बारे में कहीं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि ये दोष अवश्य ही हैं परन्तु इसका निर्णय कैसे हो, किस प्रकार से यह दूर किया जाय, केवल यही सोचना है मैं तो यह समझता हूं कि पंचायतों के अन्दर जो दोष हैं वह इसलिये कि उन पंचायतों के पास साधन नहीं हैं बस यही कमी है। कुछ कानूनों का भी दोष है, हम किसी कानून के ऊपर आकर कोई कार्यवाही करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने कानून की ऐसी रुकावट आ जाती है कि जो हमारा ध्येय है उसको पूरा करने के लिये हम कागज पर ही रह जाते हैं। कागज पर ही चलते रहते हैं और वास्तविक कार्य जो करना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। सब कार्य कागज पर ही करना चाहते हैं। मैं ग्राम पंचायतों के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो

[श्री श्रीचन्द]

चुनाव पंचायतों का होता है वह बड़े गलत तरीके से होता है। इसके चुनाव के ४ तरीके हो सकते हैं। जैसा कि अभी जनरल एलेक्शन हुआ यह चुनाव का तरीका पंचायतों के लिये ग़लत है। गांवों के लिये यह बड़े भारी खर्चे के बोझ का प्रश्न है। इसलिये गांव पंचायतों के लिये यह एलेक्शन गलत चीज होगी।

दूसरा यह है कि पंचायतों को बुलाकर एक जगह इकट्ठा करके उनके जो हाथ उठवाये जाते हैं और तब राय ली जाती है यह ग़लत तरीका है क्योंकि इस प्रकार से जो वास्तविक सेवाभाव रखने वाले मनुष्य गांव के अन्दर होते हैं वह इस तरह से काम नहीं कर सकते। जो आदमी चालाक होते हैं और छलछिद्र के होते हैं वही सफल हो जाते हैं और सीधे सादे मनुष्य नहीं आ सकते हैं स्वार्थी लोग ही उसमें हिस्सा लेते हैं और उनको ही सफलता ऐसे अवसर पर मिलती है। इसलिये यह तरीका भी ग़लत है।

तीसरा यह है कि जब किसी पंचायत का चुनाव होता है तो जितने मनुष्य वहां पर हों उनको दो भागों में बांट दिया जाय। एक तरफ एक पार्टी के कर लिये जायं और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी कर ली जाय और उनकी गणना आरम्भ की जाय तो यह चीज भी ग़लत होगी क्योंकि जो आदमी चालाक और स्वार्थी है और आगे बढ़ना चाहता है वही अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। वह तिकड़म से काम लेकर अपना काम कर लेता है।

चौथा तरीका नामजदगी का है। उसके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वह तरीका भी खराब है यह भी नहीं होना चाहिये। जैसा कि मान लीजिये कि एक कलेक्टर या आफिसर गांव के आदमी को नहीं जानता है वह किसी दूसरे सहायक कर्मचारी की सहायता लेता है। यदि वह अपने तरफ के किसी आदमी का ही नाम देता है तो वह गलत आदमी को पेश कर सकता है। इसलिये यह तरीका भी गलत ही है।

एक पांचवां तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। मैं समझता हूं कि यह तरीका इतना सीधा-सादा होगा कि इसमें खतरे की कोई चीज नहीं हो सकती है। जहां तक मुझे अनुभव है मैं जानता हूं क्योंकि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूमा हूं। मैं बड़े फख्र के साथ यह कह सकता हूं कि जितने कम झगड़े मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुये हैं उससे कम शायद कहीं भी न हुये हों। बड़े-बड़े क़त्ल के झगड़े इस प्रकार से फैसल हो गये कि जो सब जगह पर बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि यह किया जाय तो यह अधिक अच्छा होगा। जिस प्रकार से मुझे इसका अनुभव है वह यही है कि जिस जगह पर पंचायतों की नियुक्ति करनी हो वहां पर मुनादी करा दी जाय और उन गांव वालों से यह कह दिया जाय कि वे लोग मुहल्लेवार एक-एक व्यक्ति को स्वयं छांट लें। देहातों में मुहल्लेवार पार्टी नहीं होती हैं। कुल गांव में तो तनातनी होती है, लेकिन मुहल्लेवार नहीं होती। वह एक मुहल्ले का एक आदमी स्वयं छांट कर दें। तो इस प्रकार के सच्चे और ईमानदार आदमी कार्य करने वाले मिल जायेंगे। जहां तक मैं समझता हूं मेरा अनुभव यही है कि यदि इस प्रकार से एक व्यक्ति को मुहल्लेवार लिया जाय तो सच्चे और ठीक कार्य करने वाले आदमी मिल सकते हैं। आपकी जो पंचायतें गांवों में बनेंगी वह निहायत ईमानदार और सच्ची पंचायतें होंगी। फिर आपको कोई इनके विरोध में कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि बदनामी हुई या झगड़ा हुआ। इसलिये मैंने जो यह पांचवां तरीका आपके सामने रखा है उसके लिये मेरा पूरा अनुभव है और इससे पूरी सफलता मिलेगी। अब गांव की पंचायतें इतनी बड़ी-बड़ी हैं और मैं समझता हूं कि गांव की पंचायतों की ऐसी बड़ी संख्या न रक्खी जाय और जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया कि वह ५० से भी कहीं-कहीं ऊपर हैं और यह भी सही है कि उनमें से बहुतों को पता तक नहीं है कि हमें क्या करना है, हम किधर जा रहे हैं, वह न दिमाग से बातें सोचते हैं और न उनको शारीरिक काम करने का ही मौक़ा मिलता है

और उनको अपने काम धन्धे तथा खाने-पीने के कामों से ही फुरसत नहीं मिलती है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो ढंग मैंने चुनाव का बताया वह रखा जाय।

अदालती पंचायतों के कानून में भी बहुत दोष है और पंचायत राज ऐक्ट शुरू से आखीर तक बिल्कुल गलत और बेढंगा है और उसमें सीधे ही दोष नजर आते हैं और उसका सबसे बड़ा दोष यह है कि जो पंच छांटने का तरीका है वह ऐसा है कि एक गांव से पांच पंच छांटे जाते हैं, जैसे ५ गांवों में से ५ छांट लिये गये और सरपंच को अधिकार होगा कि वह जैसे चाहे उनमें से पांच पंच छांट लें, वह बेईमान या ईमानदार जैसे चाहे छांट सकता है जैसा उसका भाव होगा, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अदालती पंचायतें सही तरीके से बन सकती हैं। मैं समझता हूं कि यह अदालती पंचायतों के फैसले का प्रबन्ध बिल्कुल गलत है। होना यह चाहिये कि छांटते तथा निर्णय करते वक्त उसमें गांव के आदमी भी शामिल होने चाहिये और खुला निर्णय होना चाहिये। मुनादी करा दी जाय और खुल्लमखुल्ला जनता के सामने उनको छांटा जाय ताकि किसी को बेईमानी का अवसर न मिले, तब निर्णय ठीक हो सकता है। इस तरह से सब की सुननी चाहिये। जैसा कि मैंने १८ आपों का जिक्र किया उससे सब बातें मिल सकती हैं. मेरा विचार है कि जितने हाई कोर्ट आदि हैं वह इस तरह चलाकर धीरे-धीरे बन्द कर देने होंगे और यदि भली प्रकार से हमारे सब मित्रों ने इन पंचायतों को चलाया तो वह दिन दूर नहीं है कि हमारे देश में स्वर्ग हो जाय।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)——उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो अनुदान सदन के सामने उपस्थित है उसका मैं स्वागत करता हूं और मेरी अपनी राय यह है कि यह अनुदान बहुत ही माकूल है और इसको माडेस्ट कहा जा सकता है, लेकिन यह कहना कि अनुदान नाकाफी है, गलत है और मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की है कि यह अनुदान नाकाफी है गालिबन उन्होंने इस अनुदान को सही तरीके से समझने की चेष्टा नहीं की। यह सही है कि पंचायत राज विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और यह एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करता है और किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य के लिये यह पंचायत राज विभाग एक बेसिक यूनिट हो जाता है, तमाम प्रकार के वेलफेयर के काम करने के लिए जो कि एक स्टेट करना चाहती है। कोई भी स्टेट जो कि एक कल्याणकारी राज्य चलाना चाहती है वह सेन्ट्रेलाइजेशन या सत्ता का केन्द्रीयकरण करके अपने काम को या शासन को नहीं चला सकती। उसके लिये लाजमी हो जाता है कि वह शासन के सबसे छोटे यूनिट को लेकर आगे बढ़े और यही गांव सभायें इस लोक कल्याणकारी राज्य को चलाने के लिये बेसिक यूनिट हैं। यह पंचायत राज विभाग इस मानी में बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और यदि कल्याणकारी शासन को भली प्रकार चलाना है तो हमें अपनी गांव सभाओं को ताकत देनी होगी, हमें उनको सही रास्ते पर डालना होगा। यह आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। पर यह कहना कि इस विभाग को इससे ज्यादा अनुदान मांगना चाहिए था यह बात सही प्रतीत नहीं होती। इसलिये कि जहां तक उसके ढांचे का ताल्लुक है गांव सभा के अन्दर आपने गांव पंचायतें और अदालती पंचायतें बनायीं। उनके रोजमर्रा के काम चलाने के लिये यह अनुदान मांगा गया है मसलन कुछ कर्मचारी हैं। अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह मांगते हैं और कुछ दूसरे खर्चों को मांगते हैं। मगर यह कहना गलत है कि उन तमाम कार्यों के लिए जिनको पंचायत करेगी इस अनुदान में व्यवस्था होनी चाहिये, इसलिये कि अगर पंचायत खेती के काम में कुछ उन्नति करना चाहती हैं तो यह कहना कि खेती के कामों के लिए पंचायत विभाग को अनुदान मांगना चाहिए या शिक्षा की उन्नति के लिये कुछ स्कूल गांव पंचायत खोलना चाहती है तो यह कहना कि शिक्षा कार्य के लिये इस

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]

विभाग को अनुदान मांगना चाहिये यह ग़लत है। शिक्षा, खेती, सड़कों अस्पतालों वग़ैरह-वग़ैरह के जो काम होते हैं उनके लिये हम विभिन्न मदों के अन्दर अनुदान मांगते हैं। अब उन मांगों को सही तरीके से खर्च करने की बात है। वह सारे के सारे कार्य इस पंचायत राज विभाग जो कि बुनियादी यूनिट हैं हमारी गांव सभाओं की, उन पर डाला जाय और गालिबन जो गलती हो रही है वह यही हो रही है कि हमारे शासन के जो दूसरे विभाग हैं वह अपने कार्यों को विकेन्द्रित नहीं कर रहे हैं। मसलन सिंचाई का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, अगर इन्हें गांव सभाओं के सुपुर्द किया जाय तो मैं समझता हूं कि जिस सफलता से आज चल रहे हैं उससे ज्यादा सफलता के साथ चलेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि यह जो पंचायत राज्य विभाग की ओर से अनुदान माँगा गया है, माडेस्ट हो सकता है, लेकिन यह नाकाफी नहीं है और इसलिये मैं इस मांग का स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इसलिये हमें देखना है कि उसके सब कल-पुरजे सही तरीके से काम करें। माननीय विरोधी दल के उपनेता श्री रामनारायण त्रिपाठी ने जो ऐतराज किये मैं संक्षेप में सिर्फ उनकी बात करूंगा। एक तो उन्होंने यह कहा कि यह जो एक जाल ब्योरोक्रेसी का बुना गया है इंस्पेक्टरों और सेक्रेटरियों का, इस वजह से पंचायत राज का सारा का सारा ढांचा फेल हो रहा है। मैं उनसे इस बारे में सहमत नहीं हूं। अगर मान लीजिये कि इन इंस्पेक्टरों और सेक्रेटरियों को न रखें और सारा काम इन चुने हुये पञ्चों पर छोड़ दिया जाय तो क्या उनका खयाल है कि इससे ज्यादा अच्छी तरह से काम चलेगा। मैं समझता हूं कि उनकी मर्ज की तशख़ीस ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से पंचायत राज को काम करना चाहिये वह नहीं कर रहा है, लेकिन इसलिये नहीं कि ब्योरोक्रेसी लेबिल पर यह विभाग कर दिया गया है। मेरी राय में यह बात सही नहीं है इसलिये कि जो उनका रोजमर्रा का काम है, कुछ हिसाब-किताब रखने के लिये, लिखाई-पढ़ाई का काम करने के लिये अगर आप गांव सभा के सदस्यों से यह आशा करें कि वह इतना वक्त उसमें देंगे तो मैं समझता हूं कि नहीं देंगे। इसलिये उसमें इस तरीके की मशीनरी होनी चाहिये जो कि इन तमाम कार्यों को करे। उसके लिये एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कि होलटाइम हो। उसके लिये सेक्रेटरी रखा गया। सेक्रेटरी की तनख्वाह सिर्फ इस वजह से गांव सभा द्वारा दी जाती थी ताकि गांव सभा अपनी जिम्मेदारी समझे कि वह हमारा सेवक है, वह हम पर बास करने के लिए नहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि वह तनख्वाह नहीं निकाल सकीं और पारसाल के बजट में लाना पड़ा कि जिन सेक्रेटरियों की तनख्वाहें बाकी हैं उनको सरकार दे। ऐसी सूरत में सेक्रेटरी रखने की वजह से चुनी हुई गांव सभाओं का ढांचा गलत हो गया। मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि वातावरण इस बात का पैदा किया जाय। हमारे कल्याण के जितने कार्य हो सकते हैं उनमें अगर जनता खुद कार्य करने को तैयार नहीं तो सफलता नहीं हो सकती चाहे हम कितना ही पैसा खर्च कर दें। इसलिये जहां पैसे की इतनी कमी होते हुये हम पैसा खर्च नहीं कर सकते वहां यह सोचना कि सारे कार्य को हम पैसा लगा करके कर सकते हैं, तो यह नहीं हो सकता। उसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी भावना और विश्वास लोगों में पैदा करें, एक ऐसा वातावरण पैदा करें जिस से लोग उस लोक कल्याणकारी कार्य को अपना काम समझकर करने लगें तो हमें सफलता हो सकती है। तो मैं यह कहूंगा कि गांव सभा का काम है उसकी महत्ता को समझने के लिये इस बात की जरूरत है कि जो अपने को राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं वह ऐसे कामों में लगें और लग करके ऐसा वातावरण मुल्क में पैदा करें कि जो वालंटरी तौर की गांव सभाएं हैं वह अपना महत्व समझें।

जहां तक यह बात कही गयी कि उनको सही आडर देना चाहिये तो इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। जब बाहर से कोई अधिकारी जाते हैं तो सब से पहले उनको उनके पास जाना चाहिये।

मैं संक्षेप में एक बात और कहना चाहता हूं कि यह सही हो सकता है, जिस तरह के आंकड़े यहां पर दिये गये, कि अदालती पंचायतों ने कार्य किया, लेकिन मेरा खयाल यह है और अनुभव यह है और वह भी सीमित है एक जिले का आदमी होने की हैसियत से, लेकिन मेरा खयाल है कि पंचायती अदालत काम नहीं कर रही है। वहां अक्सर देखा जाता है कि अनहैल्दी राइवलरी पैदा हो जाती है। तो यह चीज तो बहुत रैश होगी कि एकाएक तमाम पंचायती अदालतों को खत्म कर दिया जाय, लेकिन ऐक्ट में तरमीम होने की आवश्यकता है जिससे वह उन चीजों का दुरुपयोग न कर सकें। वह यह कि मौजूदा ऐक्ट में जो रिवीजन का तरीका है अगर उसे अपील का तरीका कर दें तो सुविधा होगी और पंचायती अदालतें उस तरह से अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगी जैसा कि आज की हालत में होता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्रीजी मेरी इन बातों पर पर विचार करेंगे।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुलतानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृतज्ञ हूं कि आप ने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने भी विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया।

जिस समय पंचायतों की स्थापना की जा रही थी सर्वत्र रामराज्य के लिये विज्ञप्तियां निकली थीं और लोगों को समझाया जा रहा था कि अब देश की दशा सुधरेगी, रामराज्य की स्थापना होगी। बड़ा उत्तम नाम था। कुछ लोग यदि इसी कारण से रामराज्य शब्द का मतलब न समझ कर चौंकते भी थे तो उन्हें समझा दिया जाता था। मैं लोगों से कहता था कि रामराज्य का अभिप्राय है "आराम राज्य" और इसमें सब को आराम मिलेगा। इस प्रकार से उसके लिये जब चारों ओर सभायें होती थीं, उत्साह मनाया जाता था और बड़ी आशा होती थी कि उससे बहुत ही शीघ्र हमारे ग्रामों की दशा सुधरेगी। उस समय मैंने एक कवित्त बनाया था। मैं समझता हूं कि यद्यपि यह कवित्त देहात के लिये है, लेकिन मेरी जो भविष्यवाणी थी उसे मेरे मित्रों ने कहा था कि वह ठीक निकलेगी। मैंने उस कवित्त में दो बातों का निवेदन किया था। उस में मैंने कहा था कि अगर ग्राम पंचायतें अच्छी बनती हैं तो उनसे सुख मिलेगा और अगर अच्छी नहीं बनतीं तो दुःख होगा। इसी प्रकार से मैं उस समय लोगों से यह भी निवेदन करता था और मुझसे बड़े-बड़े राज्य कर्मचारीगण भी सहमत थे कि यह कवित्त सामयिक है। उस में मैंने निवेदन किया था,

> "सज्जन सम्पन्न यदि ग्राम—पंचायतें बनीं, दुःख दशा सुख में शीघ्र बदल जायगी,
> खल दल घुसा तो खलबली मचेगी बड़ी, योजना सकल बिना कल खल जायगी।
> रामराज्य स्वप्न, न हराम राज्य होने पाये, अन्यथा निशाचरों की चाल चल जायगी,
> और 'दहन' होगी वृथा बापू की शिक्षा सारी, स्वार्थी दुराचारियों की दाल गल जायगी।"

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—एक मर्तबा और दोहरा दीजिये।

श्री रणंजय सिंह—इस प्रकार से श्रीमान् जी मैंने देखा कि बड़ा प्रयत्न किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रामों की दशा अभी ऐसी अच्छी नहीं हुई है कि उनके द्वारा जितने भी कार्य हैं वह सरलता के साथ हो सकें। उसके लिये, प्रयत्न किया जा रहा है, योजनायें बनाई जा रही हैं और आशा है कि धीरे धीरे यदि पूरा पूरा ध्यान दिया गया तो वहां सुधार हो जायगा। उस समय जब कि ये बातें चारों ओर कही जाती थीं तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। पंचायतों की जो स्थापना हुई उसमें कोई संदेह नहीं कि जैसा कि अब डैमोक्रेसी के नाम पर कहीं बहुत से ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि उसके योग्य नहीं होते वैसे ही पंचायतों में भी हुआ और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा और देखा गया है कि वहां पर हाथ उठाने की प्रथा से कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिसका प्रभाव ज्यादा होता है वह लोगों को अपनी ओर मिला

[श्री रणंजय सिंह]

लेता है और इस तरह से ठीक न्याय नहीं हो पाता। इस प्रकार से पंचायतें जब बनीं, उनका जो परिणाम निकला उसके लिये बड़े बड़े न्यायालयों ने भी कुछ आलोचना की है और असन्तोष प्रकट किया है। हमारे मंत्री महोदय ने भी कुछ ऐसे ही इसके संबंध में विचार प्रकट किये हैं। इस प्रकार से मैं यह जानता हूं कि यह बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है और इसके लिये बड़े सुधार की आवश्यकता है। इसके संबंध में मुझे एक बात यह बड़ी आवश्यक निवेदन करनी है। जैसा कि मैं प्रायः कहा करता हूं और आज भी कहता हूं कि शासन में दृढ़ता होनी चाहिये और शासन में जैसे धर्म निरपेक्षता है वैसे ही दल निरपेक्षता भी हो तभी काम होगा और इस प्रकार दृढ़ता से काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत से हमारे इंस्पेक्टर्स की यह शिकायत है कि वह अपने स्थानों पर रहते नहीं हैं, चले जाते हैं और कोई सरकारी अफसर जब वहां पहुंचता है, वह अनुपस्थित मिला तो उस समय तो वह सरकारी अफसर पूंछ-तांछ कर के चला गया और फिर बाद को जब वह आये तो उन्होंने अपना रोजनामचा भर दिया कि अमुक स्थान पर अमुक कार्य के लिये गये हुये थे। तो इसके लिये साहस कैसे होता है। साहस इसी से होता है कि बहुत से लोग यह समझते हैं कि केवल किसी दल विशेष के कारण या किसी व्यक्ति विशेष के कारण कहीं नियुक्त होते हैं और उनका स्थानान्तरण होता है तो इस प्रकार से उनके भरोसे पर मनमानी करते हैं। यदि यह मनमानी दूर कर दी जाय तो बहुत बड़ा सुधार हो सकता है इसलिये कि उन लोगों को पता चल जायगा कि बिल्कुल न्याय के साथ उनके साथ बर्ताव होगा। जहां तक बाहर के लोग आ कर उनके संबंध में सिफारिश करते हैं उनके लिये दौड़ धूप करते हैं कि उनकी अमुक स्थान पर नियुक्ति हो जाय या उनका अमुक स्थान पर स्थानान्तरण हो जाय यह सब बातें जब दूर हो जायंगी तो ग्रामीणों को बड़ी सुविधा हो जायगी और ग्रामीण लोग भी समझेंगे कि जिस तरह से उनसे कहा गया था कि पंचायतों से बड़ा लाभ होगा तो वह लाभ वह प्राप्त करने लगेंगे। इस प्रकार से और बातें हैं जैसे कि ग्राम पंचायतों के ऊपर उत्तरदायित्व अधिक से अधिक दिया जाय और इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक ग्रामीणों में सुधार नहीं होगा, ग्रामों में लोगों को इस प्रकार के उत्तरदायित्व नहीं दिये जायंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, तब तक सच्चा स्वराज्य लोगों को नहीं प्राप्त होगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को अधिक से अधिक अधिकार दिये जायं और साथ ही साथ उन अधिकारों का सदुपयोग भी हो। इन बातों को ध्यान में रख कर माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह तो स्वयं ही इन बातों पर विचार करते ही हैं लेकिन फिर भी इस ओर और कुछ विशेष रूप से ऐसा प्रबन्ध किया जाय जिससे लोगों को यह शिकायत न हों। मुकदमों में ग्राम पंचायत में लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। लोग कहते हैं कि क्या लाभ हुआ यहां पर भी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो देहात में लोग बहुत से ऐसे ही हैं जो बहुत समझदार नहीं हैं। उनके लिये आवश्यकता इस बात की है कि उनके साथ बहुत अच्छी तरह से सद्व्यवहार हो और उनके मुकदमों का निर्णय बहुत सुगमता के साथ और न्यायपूर्ण हो। मैं देखता हूं और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब अपीलें की जाती हैं तो मैजिस्ट्रेट कभी कभी उनके विरुद्ध ऐसा निर्णय देता है कि पंचायतों में बड़ी गड़बड़ी रही, और वहां पर न्याय नहीं हुआ। अब चुनाव फिर आने वाला है मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस ओर ऐसी बातें की जायं कि इन पंचायतों को राजनीतिक दलबन्दियों के अखाड़े से दूर किया जाय। वहां पर सामाजिक कार्यकर्ता लोग जांय चाहे वह किसी भी दल के हों। वह वहां जायं, सुधार करें। प्रयत्न करें, मिलजुल कर काम करें, संगठित रूप से काम हो और इस प्रकार से पंचायती राज्य स्थापित किया जाय। यहां पर सब लोग देश के नाम पर, एक राष्ट्रीय झंडे के नीचे मिलजुल कर रहें। यह न करें कि वह किसी दल विशेष के हैं और वह उस दल विशेष के नहीं हैं। इस प्रकार हमारे ग्रामीणों की दशा सुधरेगी, ग्रामों में शान्ति की स्थापना होगी और ग्राम पंचायतों का महत्व अधिकाधिक बढ़ता चला जायगा। इसलिये मैं श्रीमान् जी से निवेदन करूंगा कि इसके संबंध में बहुत सी यहां पर बहसें हो रही हैं, किन्तु मेरा यह सुझाव है कि ग्रामों और ग्राम पंचायतों की दशा सुधारने के लिये निष्पक्षरूप से कार्य किया जाय जिस से ग्रामों में सुख सम्पत्ति आवे।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (ज़िला आज़मगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ रही है:

कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके,
चान्स पाया है इल्तजा करके ।

जो मांग माननीय मंत्री जी ने उपस्थित की है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे इस प्रदेश में पंचायत राज की स्थापना हुई, सचमुच वह एक क्रान्तिकारी क़दम है और उससे हमारे देहातों का भाग्य पलटा। पंचायतों का जो कुछ काम हुआ है उसके बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें कही हैं, किसी ने कहा कि साहब वहां सेक्रेटरी राज्य है, किसी ने कहा कि वहां इंस्पेक्टर राज्य है, जैसे लोग किसी वक्त में कहा करते थे कि पटवारी राज्य है, लेकिन न इस देश में कभी पटवारी राज्य था और न है, और न इस देश के अन्दर सेक्रेटरी राज्य है और न इंस्पेक्टर राज्य है, बल्कि यहां पंचायत राज्य है। इस देश में सदियों तक गुलामी रही अंग्रेजी राज्य रहा, व्यूरोक्रेसी रही, तो वह छाप एकदम से कैसे चली जायगी। आप की पंचायतों ने जिस तरह से काम किये हैं, जो आज पंचायतों में भावना है, उससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने यह समझ लिया है कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारे भी कुछ स्वत्व हैं और हमें कुछ करने के लिये एक आधार मिला है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिये, अपनी सफाई के लिये और अपने सुधार के लिये बहुत से काम किये हैं। परन्तु वे देहात के लोग जिन्हें लोग अपढ़ कुपढ़ कहा करते हैं, जिन्हें लोग स्वार्थी कहा करते हैं, जिन्हें सब लोग बयान करने के लिये बैठते हैं तो यह कहते हैं कि साहब वह देहाती हैं, तो यह कैसे उम्मीद की जाती है कि वे इतनी जल्दी सेंट परसेंट रामराज्य स्थापित कर लेंगे। जिस तरह से उन्होंने न्याय किया, जिस तरह से उन्होंने अपने सुधार के काम के लिये अगर आप न्याय की दृष्टि से उसका संतुलन करें तो आप यही कहेंगे कि इन पंचायतों ने अच्छा खासा काम किया है। अभी पिछले दिनों जो आप का निर्माण सप्ताह चला, उस निर्माण सप्ताह में जिस तरह से पंचायतों ने सहयोग दिया और जिस तरह से जगह जगह पर काम किया, उसके लिये यह दूसरी बात है कि आप किसी मोटिव को लेकर साफ न कहें--लेकिन आप को यह कहना पड़ेगा कि देहातों में बहुत कुछ काम हुआ है। मैं अपने कानपुर ज़िले की बात कहता हूं कि वहां सड़कें बनीं, स्कूलों की मरम्मत हुई, पंचायत-घर बने और न जाने कितने अन्य काम हुये आप देखिये कि बजट में कानपुर ज़िले के लिये एक पैसा नहीं रखा गया है लेकिन वहां पंचायतों ने बहुत काम करके दिखा दिया। जो काम हमारी सरकार नहीं कर सकी उसे थोड़ा बहुत हमारी पंचायतों ने शुरू कर दिया है। यह ज़रूर है कि इन पंचायतों में अभी तक जन सेवा की भावना थी और अन्य जन सेवक लोग उधर आकर्षित हुये थे, चाहे वे प्रान्तीय रक्षा दल के हों, चाहे अन्य जन सेवक हों। उन्होंने बहुत कुछ काम भी किया लेकिन अब उनमें बाबूगिरी घुस रही है, व्यूरोक्रेसी का ढंग आ रहा है, और इससे पंचायतों के बिगड़ जाने का अन्देशा है, इससे मैं माननीय मंत्री जी को सचेत कर देना चाहता हूं। निर्माण सप्ताह के संबंध में यहां से एक सर्क्यूलर गया था और उसमें यह मांग की गयी थी कि निर्माण कार्य में सब तरह के लोग आवें, बड़े बड़े आफिसर आवें, डिप्टी कलेक्टर आवें, कलेक्टर आवें, थानेदार आवें, उनके बाद कांस्टेबिल आवें, और फिर कांस्टेबिलों के बाद विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्य आवें और फिर पटवारी आवें। इस प्रकार यह बाबूगरी या व्यूरोक्रेसी पंचायतों में लायी जा रही है। मैं स्पीकर महोदय का तथा विधान परिषद् के अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं और इस भवन में फिर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें क्यों आ रही हैं। कैसे आ रही हैं, जानबूझ कर आ रही हैं या धोखे में आ रही हैं यह पता नहीं है।

यह पंचायतें जिस तरह से काम कर रही हैं उसमें एक बात और सोचने की है। अक्सर कह दिया जाता है कि हम तो उन लोगों को हथियार के लाइसेंस देंगे जो इस तरह से निर्माण के कार्य करेंगे किन्तु इस तरह के प्रलोभनों से जनता के उपकार का काम नहीं हो सकता। यह काठ की हांड़ी बार बार नहीं चढ़ेगी। आज आप लाइसेंस का प्रलोभन दे कर के थोड़ा सा काम

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

भले ही करा लें पर आगे इस तरह से काम नहीं होगा। वह काम तभी होगा जिस तरह से अभी हुआ। अभी जो कुछ भी काम इस निर्माण सप्ताह में हुआ वह इसलिये नहीं हुआ कि लोगों को प्रलोभन था, वह इसलिये हुआ कि लोगों को प्रेरणा मिली थी। अपने राष्ट्र के महान् नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू का आदेश था। हमारे प्रदेश के नेताओं की प्रेरणा थी, एक मांग थी कि हमें इस काम में लग जाना चाहिये। प्रलोभन की भावना से नहीं बल्कि कल्याण की भावना से उस काम को लोगों ने किया। तो यह पंचायतें बहुत कुछ काम कर चुकी हैं और बहुत कुछ काम करना है। अगर आप काम करने वाले लोगों को गिनायें तो इस तरह से न गिनायें जिस तरह से कि उस सरकुलर में है। दूसरी चीज़ यह है कि आप की सरकार जो क़दम उठावे तो यह सोच कर उठावे कि हमको कुछ काम करना है और वह काम कल्याण का है। जब मैं गांव में जाता हूं तो वहां के सरपंच और सभापति यह शिकायत करते हैं कि हमने कल्याण के काम किये, हमने सिंचाई की नालियां बनाईं, हमने सड़कें बनाईं, पुलिया बनाईं और भी बहुत से काम किये लेकिन अब सरकार क्या करने जा रही है। सरकार आबपाशी की दर ड्योढ़ी करने जा रही है। आबपाशी अभी चन्द दिन पहले ड्योढ़ी हो चुकी है और अब फिर ड्योढ़ी की जा रही है। इस तरह की शिकायतें उन्होंने कीं। आप यह मत समझिये कि वे बेवकूफ हैं या वे हमसे और आप से कम अक़्ल रखते हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि आप इन पंचायतों में प्रेरणा और सेवा की भावना उत्पन्न करें तब तो काम आगे चलेगा। सचमुच अगर आप इस काम को अंजाम देना चाहते हैं तो उनमें सेवा-भाव उत्पन्न कीजिये।

आप ने यह जो कहा था कि ग्राम पंचायतों के जो सेक्रेटरीज़ हैं उन्हें तनख्वाह देंगे और सरकार तनख्वाह देती है। लेकिन आप ने जहां तनख्वाह देने वाली बात कही आप ने यह भी कहा कि जो जुर्माने का रुपया होगा वह सरकारी खज़ाने में जमा हो जायगा। अभी तक यह रुपया ग्रामों के सुधार के खर्च में आता था। इसलिये यह चीज़ नहीं होनी चाहिये। और जो रुपया गांवों के लिये रखा गया है, मैं समझता हूं कि वह कम है और इसके लिये रुपया और होना चाहिये। हमारे गांवों के लोगों के पास सेवा की भावना है, शक्ति है और वे कार्य करना चाहते हैं लेकिन साधन नहीं है और इस वजह से वे समुचित कार्य करने में असमर्थ हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब वे इस तरह की बातें पंचायत के बारे में सोचें तो उस वक्त सेवा की भावना वाली बात सरकार की तरफ से आनी चाहिये और इस तरह से वह कल्याणकारी कार्यों के लिये साधन भी जुटावें। इस तरह से नहीं जैसे कि हुक्म दिया गया था कि एक दिसम्बर को काम शुरू हो जाना चाहिये और अगर शुरू नहीं हुआ तो बन्दूकों के लाइसेंस नहीं रेन्यू किये जायंगे। यह जो तरीका है यह ब्यूरोक्रेटिक क़िस्म का तरीक़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी चर्चा यहां इस अनुदान के संबंध में हुई है उसमें एक बात तो यह साफ़ ही है कि इस महकमे के महत्व को, इस संगठन की जरूरत को, सभी ने महसूस किया है। इस सदन में एक भी माननीय सदस्य की यह राय नहीं है कि इस महकमे की जरूरत नहीं है। जहां तक आलोचना का सवाल है उसमें एक ग़लतफ़हमी को तो मेरे साथी श्री हरिश्चन्द्र अष्ठानाजी ने साफ़ कर दिया है और वह यह है कि यह डिमांड सिर्फ इस महकमे के कर्मचारियों के वेतन, भत्ता या कंटिंजेंसी से संबंध रखती है, कार्यों से संबंध नहीं रखती। इसलिये जिन जिन माननीय सदस्यों ने इस तरह की कोई आलोचना की है कि उसमें बहुत कम रुपया कार्यों के लिये हैं वह कुछ असंगत है। कार्यों के लिये रुपया काफ़ी है या नहीं, यह बात इस अनुदान में आती ही नहीं है। यदि आप स्कूलों के संबंध में कुछ जानना चाहें तो वह शिक्षा के बजट में आवेगा, सफ़ाई या डी० डी० टी० कितनी छिड़की जायगी यह सैनीटेशन और हेल्थ में मिलेगा, बीज की बात ऐग्रीकल्चर में मिलेगी। पब्लिक वर्क्स का काम अगर हो सकता है तो वह दूसरी डिमांड में होगा। इसलिये यह मांग केवल तनख्वाह पाने वाले स्टाफ़ की है।

जहां तक कार्यों का संबंध है उनमें कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि काफ़ी काम नहीं हुआ है। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि यह एक तजुर्बा है। यह मैंने नहीं कहा, और न कहने के लिये तैयार हूं कि यह अपनी फाइनल स्टेज तक मुकम्मल तौर पर आ गया या इसने पूरी कामयाबी हासिल कर ली। जहां तक नुक्ताचीनी का ताल्लुक़ है, उसके दो हिस्से हैं। एक वे लोग हैं जो वह समझते हैं कि काफ़ी काम नहीं हुआ, जैसा मैंने अभी कहा। अ र ज्यादा काम होना चाहिये। उनके साथ मैं सहमत हूं। क्योंकि तरक्क़ी का रास्ता यही है कि हम अपने काम से सन्तुष्ट न हो कर ज्यादा काम करें। जितना ही ज्यादा काम हो उतना ही अच्छा और यदि इस में माननीय सदस्य कुछ हाथ बंटा सकें या सहायता दें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जो इस विचार से नुक्ताचीनी की गई कि कोई काम हुआ ही नहीं और न हो सकता है, ऐसा मैं नहीं समझता कि किसी माननीय सदस्य के दिमाग़ में है और यदि है तो ग़लतफ़हमी में हैं। वे या तो जानते नहीं या जानकारी होते हुए भी किसी कारण से इसे मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि काफ़ी काम हुआ है। इसलिये गांव सभाओं को मुबारकबाद देना चाहिये और जितना हम काम करने में अग्रसर हो सकें, उतना होना चाहिये।

इन सब आंकड़ों में भी मैं जाने की ज़रूरत नहीं महसूस करता। एक बात कही गयी थी कि जो कम्प्रोमाइज़ेज हुए जिन केसेस के उनमें कुछ तादाद घट रही है। मैं इस ग़लतफ़हमी को दूर करना चाहता हूं। उन्होंने जो आंकड़े बताये थे वह इस रिपोर्ट से है, जो सन् १९५१-५२ की है यह थे:---१,०४,४९७ केसेज कम्प्रोमाइज़ हुए थे और यह जो छपी हुई पुस्तिका बांटी गयी है सन् ५२-५३ के लिये उसमें ६ महीने के आंकड़े ४९,२१८ हैं। मैंने शुरू के भाषण में यह निवेदन किया था कि ९ महीने के आंकड़े जो हमारे पास मौजूद हैं वे ८१,२६४ हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---ये कम्प्रोमाइज़ेज के आंकड़े नहीं हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं कम्प्रोमाइज़ेज के ही आंकड़े पढ़ रहा हूं और यदि किसी माननीय सदस्य को ग़लतफ़हमी है तो वह उसे ठीक कर लें। जो मैंने आंकड़े पढ़े हैं वे ५१-५२ की रिपोर्ट से हैं और उसका हैडिंग है केसेज डिसाइडेड बाई म्यूचुअल कम्प्रोमाइज़। रैवैन्यू सिविल क्रिमिनल का टोटल १,०४,४९७। जो कम्प्रोमाइज़ के आंकड़े इस पुस्तिका में ५२-५३ की में दिये हैं वे हैं ४९,२१८, केवल १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९५२ तक। मैंने शुरू में ही बताया था कि ८२,२६४, नौ महीने की फ़ीगर्स हैं और यदि इनका ४/३ कर दिया जाय तो १०८३४८, यानी १२ महीने का होता है। इसलिये यह कहा जाय कि कम्प्रोमाइज़ेज के केसेज कम हो रहे हैं और उससे यह नतीजा निकाला जाय कि इन अदालतों की वकअत कम हो रही है या उनके ऊपर विश्वास कम हो रहा है, यह नतीजा ग़लत होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक भी कम्पोस्ट पिट उन्होंने नहीं देखी। हो सकता है कि उनको यह सौभाग्य न हुआ हो। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूंगा, आगे नहीं कि अगर कोई माननीय सदस्य कम्पोस्ट पिट्स देखना चाहें तो इस ज़िले में दिखाने के लिये उनका इन्तज़ाम करा दूंगा और सवारी का भी इन्तज़ाम कर दूंगा। वे जाकर देख सकते हैं। यह कहना कि १ लाख कम्पोस्ट्स की फिगर बिलकुल ग़लत है, ठीक नहीं है। हां, यह हो सकता है कि कहीं एकाध जगह ग़लती हो।

जहां तक गांव सभाओं की बात है, रेवेन्यू कलैक्शन की कोशिश की जा रही है और कुछ गांव सभाओं को यह ज़िम्मेदारी दी गयी है कि वे रेवेन्यू कलेक्ट करें। इसलिये जो भी काम हो रहे हैं वे काफी हैं और अगर यह कहा जाय कि उससे ज्यादा होना चाहिये तो मैं सहमत हूं। हमारा यह प्रयत्न होगा कि जितना भी ज्यादा काम गांव सभायें कर सकें, करें।

जहां तक पंचायती अदालतों की बात है, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि लिटीगेशन बढ़ गया और उन्होंने अपनी ही स्पीच में एक दूसरे सिलसिले में बातें कहते हुए यह कहा कि रिवीजन केसेज इसलिये ज्यादा नहीं हुए कि लोग ग़रीब हैं और चूंकि उनके पास पैसा नहीं है इसलिये अदालत में नहीं जा सकते

[श्री मोहनलाल गौतम]

अगर इन दोनों चीजों को मिलाने का वे कष्ट करते तो जवाब उनको स्वयं मिल जाता। यदि पहले केसेज नहीं होते थे तो उसका कारण यह था कि जमींदार ने एक मजदूर को थप्पड़ मार दिया और अब किसी मजदूर बेचारे की क्या हैसियत थी कि वह जाकर अदालत में चाराजोई करे, कौन गवाह गवाही देगा। ऐसे केसेज़ नहीं होते थे तो उसके माने यह नहीं है कि न्याय हो रहा था न यही माने थे कि समाज की व्यवस्था जिस तरह की थी वह संतोषजनक थी। फिर केसेज़ के बढ़ जाने से यह भी अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि समाज की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। यह मैं नहीं कहता कि केसेज का बढ़ना अच्छा है लेकिन इतना जरूर है कि आप अगर यह कहें कि केसेज के बढ़ जाने से ही खराबी आ गई है इस नतीजे पर अगर आप पहुंचे तो शायद ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूं कि इस तरह के जुल्म हरिजन लोग बरदाश्त करते थे। ब्राह्मण और ठाकुर और ऊंची जाति के कहलाने वाले लोग किया करते थे।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—क्या अब नहीं होते हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—अब बहुत कम होते हैं और अगर आप में दम रहा तो आगे और भी बहुत कम होंगे और अगर नहीं हुए तो उसके लिये मुझे आप पर अफसोस होगा।

जहां तक पंचायती अदालतों के एलेक्शन के लिये सुझाव दिये गये हैं। पंचायती अदालतों और गावों सभाओं के सिलसिले में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करूंगा कि मैं उनपर विचार करूंगा। निकट भविष्य में पंचायत राज्य का अमेंडमेंट इस सदन के सामने आयेगा उस समय काफी अवसर मिलेगा और उस संशोधन पर विचार कर सकेंगे। इसलिये इस पर कोई राय जाहिर न करके जब अवसर आयेगा तो उस समय हम सब लोग मिल कर विचार कर लेंगे, जब पंचायत राज्य अमेंडिंग बिल इस सदन के सामने आयेगा। इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूं कि इस मांग को यह सदन सहर्ष स्वीकार कर लेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो जो आंकड़े माननीय स्वशासन मंत्री ने दिये हैं उनके बारे में मैं कहता हूं। उनका कहना है कि उन्होंने सही आंकड़े दिये हैं और मैंने भी सही आंकड़े दिये हैं एक ही पेज से। अगर ५१–५२ की जो पुस्तिका है उसके पृष्ठ ३६ पर देखें तो केसेज़ डिस्पोज्ड विद दि कंसेंट आफ बोथ दि पार्टीज के अन्दर में आप देखेंगे साल भर के आंकड़े थे ६,१४९ और ५२–५३ के ६ महीने में १,२९३ केसेज दाखिल हुए और दोनों पार्टियों के कंसेन्ट से डिस्पोज्ड भी हुए। तो इस तरह से पता चलेगा कि मैंने जो बात कही थी कि केसेज समझौते से कम फैसले हुये वह सही है।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय अस्थाना जी और माननीय मेहरोत्रा जी को गलतफहमी हो गयी कि मैं बिलकुल ही पंचायतों के इंस्पेक्टरों और सेक्रेटरियों के खिलाफ हूं। उपाध्याय महोदय, मुझे इस बात का गर्व है कि पंचायत के सेक्रेटरियों के वेतन के बारे में नई असेम्बली में मैंने ही सबसे पहले क्वेश्चन्स टेबिल किये थे जिनका उत्तर माननीय स्वशासन मंत्री ने दिया था। लेकिन जहां तक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की बात है वह किस तरह से हो यह प्रश्न विवादग्रस्त है। मेरी निश्चित राय है कि पंचायत के सेक्रेटरियों को सरकार की ओर से जो भी वेतन मिलता है वह गांव सभा के प्रधान या पंचायत के सरपंचों के हाथ से मिले। वह गांव सभाओं के मुलाजिम समझे जायं। जहां तक पंचायतों के इंस्पेक्टर्स का सवाल है उसी तरह से उसको भी वेतन मिलना चाहिये और जिले के स्केल पर एक बोर्ड बना दें जो पंचायतों से चुना

हुआ हो और वही उनके फायनेंसेज को डील करे और सरकार उनको वह रुपया दे दे इसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है। आज हर सेक्रेटरी यह समझता है कि हम तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के नौकर हैं और गवर्नमेंट के नौकर हैं। इसी तरह से इंस्पेक्टर भी समझता है और वह अपना रोब गालिब करना चाहता है। जिस समय पैसे देने का सवाल है अगर यह गांव सभाओं के जरिये दिया जायगा तो फिर सारी फिजा ही बदल जायगी। इसलिये पंचायतों को यह अधिकार होने चाहिये। अगर पंचायतों को यह अधिकार नहीं होंगे तो दिक्कत पैदा हो जायगी।

हमने बार बार कहा है कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन नाकामयाब और गलत है जिसमें गांवों में शक्ति दी जाय और डायरेक्टर के हाथ में सारी ताकत दे दी जाय। हमने बार बार कहा है और इन पंचायतों की इस व्यवस्था का स्वागत करते हैं जिसमें पंच को उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके निकाल दिया जाता है और इस सिस्टम का सख्त विरोध करता हूं जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डायरेक्टर आफ पंचायत या डेवलपमेंट कमिश्नर किसी पंच को निकाल दे। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लेविल पर दूसरी व्यवस्था की जा सकती है। सारी फिजा ही बदल जाय अगर यह मालूम हो जाय कि पंचायत का मालिक कौन है और किसकी मातहती में वह काम करते हैं। मेहरोत्रा जी ने और अस्थाना जी ने गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। असल में मैं जानता हूं सरकार के कई विभाग हैं, एग्रीकल्चरल में ही कई इंस्पेक्टर्स हैं। अगर उनकी तादाद बतलाई जाय, अध्यक्ष महोदय तो यह मिसाल लागू होती है मुझे कवि रहीम का दोहा याद आ जाता है:--

रहिमन या जग आयके सब से मिलिये धाय।
न जाने किस भेष में, नारायण मिल जाय।।

लेकिन अब तो यह व्यवस्था हो सकती है--

रहिमन गांव में जायके सब से मिलिये धाय।
न जाने किस भेष में इंस्पेक्टर मिल जाय।।

आजकल शुगर इंस्पेक्टर, मिकैनिकल इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, पंचायत इंस्पेक्टर और न जाने कितने इंस्पेक्टर हैं। एक दफा मैंने लिस्ट बनाई थी तो करीब ३ दर्जन से ज्यादा इंस्पेक्टर निकले यदि कोई विकास की योजना हो तो सारा रुपया गांव सभाओं के द्वारा ही खर्च होना चाहिये। शिक्षा की सारी जिम्मेदारी गांव सभाओं को दी जाती है लेकिन यदि स्कूल इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के मातहत होंगे तो आप फिर क्यों इस तरह से गांव सभाओं को बेवकूफ बनाते हैं कि आप सफाई के मालिक हैं और सब चीज के मालिक हैं। आप यदि रेवेन्यू खर्च करें तो उनके द्वारा ही खर्च करें। आम तौर से इसके विरुद्ध दलील दी जा सकती है और मैं समझता हूं कि सरकार का दिल इस तरफ साफ नहीं है। जहां चौखम्भा राज्य की बात की जाती है वहाँ यह भी निश्चित है कि प्रजातंत्र में संस्थाओं को गलती करने का भी अख्तियार है। जब तक आदमी गल्ती नहीं करता तब तक वह मंजता नहीं है। जब तक कोई पानी में उतरेगा नहीं तब तक तैरना नहीं सीख सकता है।

अगर सदस्यों को यह दावा हो कि यू० पी० की पंत मिनिस्टरी गांव पंचायतों जैसी गलती करती हैं उससे कम गल्ती करती हैं तो यह गलत बात होगी। मैं जानता हूं कि एक पंच गांव में बैठा हुआ जो गल्ती करता है उससे कहीं ज्यादा पंत मिनिस्ट्री कर रही है। जो कांस्टीट्यूशन में प्रेसीडेंट को ससपेंड करने का अधिकार है वह नहीं होना चाहिये बल्कि जनता को रिकाॅल का अधिकार होना चाहिये। यही फर्क होता है केन्द्रीयकरण और

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

विकेन्द्रीयकरण में। आज माननीय हुकुम सिंह जी निकाल दिये गये हैं। उनकी हवाइयां उड़ रही हैं। एक साल के अन्दर उनकी सारी शोखी चौपट हो रही है। इसी तरह से यदि रिकाल की पावर हो तो विधान सभा के ऊपर भी एक चेक हो सकता है।

श्री शिव नारायण---आन ए प्वाइंट आफ इंफारमेशन, सर। मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि दुनियां में कहीं ऐसी कोई मिसाल है जैसा कि आपने बतलाया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---इसके माने तो यह है कि आप प्रोग्रेस से इंकार करना चाहते हैं। अगर दुनियां गो बैक रहो के नारे के साथ चले तो मैं उन आदमियों में से नहीं हूं कि उनके साथ रहूं बल्कि आगे चलने वाला हूं। आज लोग कहते हैं कि इंग्लैंड में डेमोक्रेसी सैकड़ों वर्षों से है। इसके माने यह नहीं हैं कि आप भी गल्ती दोहरायें। यह कोई दलील नहीं है। यह माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि इंस्पेक्टर्स से मेरा सवाल नहीं है। किस तरह से सत्ता का केन्द्रीयकरण होता है और किस तरह से विकेन्द्रीयकरण होता है। आप विकेन्द्रीयकरण की बात करते हैं और काम करते हैं केन्द्रीयकरण का। आप देख लीजिये कि गवर्नमेंट हर महकमे की नकेल लखनऊ में ही रहती है। जो भी स्कूल वगैरा हों तो गांव सभा खुद उनके मास्टरों की तनख्वाह दे, गांव में सभी विभागों का काम गांव सभावों द्वारा होना। चाहिये हम गांव सभाओं को पुलिस पर भी बहुत हद तक अधिकार देना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में हजार बार गल्ती करने का अख्तियार है और जब पंत गवर्नमेंट गल्तियां करके भी जनता की सरकार है और आगे चल सकती है तो गांव सभा को भी वही अधिकार होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिश्चन्द्र अस्थाना जी ने अभी कहा कि जो ग्रान्ट गांव सभाओं को दी गई हैं वह नाकाफी नहीं है लेकिन यह ग्रांट गांव सभाओं के नाम पर दी जाती है लेकिन वह सब सरकारी कर्मचारियों में बांट दी जाती है। जितना रुपया आप देते हैं वह पंचायत राज्य यानी गांव सभाओं द्वारा खर्च होना चाहिये। माननीय स्वशासन मंत्री ने पिछली मर्तबा बताया था कि हम तो बहुत ज्यादा देते हैं। इतना इंस्पेक्टर को देते हैं और इतना एजूकेशन पर देते हैं लेकिन उसका एहसान आप पंचायत राज्य पर क्यों डालते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों का जहां तक संबंध है मैं उस ग्रूप में से हूं जो यह कहते हैं कि अगर आप सेंट्रलाइजेशन न करके डिसेन्ट्रलाइजेशन कर देते तो इसके हजार गुना ज्यादा काम हो सकता था और हो सकता है। बहुत से लोग इस राय के हैं कि पंचायतों को तोड़ देना चाहिये लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से इस बात में कोई गलतफहमी न होनी चाहिये कि हम तो पंचायतों को विकेन्द्रीयकरण सत्ता का मूलभूत खम्भा मानते हैं। यह भी कहा गया कि बहुत से गांव के पंच हैं जो अंगूठे का निशान भी नहीं लगा सकते और पढ़े लिखे नहीं हैं, वह लिस्ट की नकल कैसे करेंगे। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अकबर बादशाह को आप जानते हैं कि वह कितना कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने शासन की एक मिसाल कायम करदी। आपको पढ़ाई लिखाई पर विश्वास है लेकिन इंटग्रिटी पर विश्वास नहीं है इसलिये हुकूमत गलत रास्ते पर जा रही है गांव में ऐसे मंत्री लोग हो सकते हैं जो कम पढ़े लिखे हों लेकिन इंटेग्रिटी उनमें ज्यादा है। हमें पंचायत राज्य के उसूल या सिद्धान्तों पर बहस नहीं लेकिन विकेन्द्रीयकरण का नाम लेकर जो आप केन्द्रीयकरण करते हैं यह नामुनासिब है।

श्री मोहनलाल गौतम---आन ए प्वाइंट आफ क्लेरिफिकेशन। माननीय त्रिपाठी जी ने जो केसेज पढ़े वे "केसेज डिस्पोज्ड आफ विथ दी कंसेंट आफ बोथ दी पार्टीज" लेकिन मैंने कहा था केसेज डिसाइडेड बाई म्युचुअल कंप्रोमाइज। ये "केसेज डिस्पोज्ड आफ विद दि कंसेन्ट आफ बोथ दी पार्टीज" वे हैं जो उनके जूरिस्डिक्शन में नहीं हैं। जब दोनों पार्टीज कहें कि हमारा फैसला कर दीजिये तब उनको टेकअप किया जाता है। ये पंचायती

अदालतों का कोई रेग्युलर काम नहीं है। इसलिये म्यूचुअल कंप्रोमाइज़ वाले केसेज़ सही हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैंने पहले ही कह दिया था कि आप भी सही हैं और हम भी सही हैं। इसमें गलतफहमी न होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आलोचना करने के अनन्तर क्या माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये आय–व्ययक में अनुदान संख्या १४—गांव सभायें और पंचायतें (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत ९२,५०,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहन लाल गौतम)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ३५,०८,१०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटी सी रकम कई हिस्सों में बटी हुई है। इसकी बहुत छोटी छोटी रकमें हैं और इसलिये मैं थोड़े से ही मैं इस सदन के सामने इसका ब्योरा रखने का प्रयत्न करूंगा। इसमें पांच हज़ार रुपये, तो पांच म्युनिसिपैलिटीज के लिये हैं जिनको थोड़ा थोड़ा रुपया दिया जाता है ताकि वह अपना कुछ पब्लिक वर्क्स का काम कर सकें। वह पहले से ही चला आता है। यह पांच हज़ार रुपये की रक़म तो बहुत छोटी है जो कि बलिया, कासगंज, सहारनपुर और नैनीताल को दी जाती है।

दूसरी रक़म २३,५०० रुपये की है और वह इसलिये है कि जो बूचरखाने हैं वे बहुत गन्दी हालत में रखे जाते हैं। वे अच्छी तरह से रखे जायं ताकि जो चीज वहां खाने के लिये तैयार होती है वह साफ रह सके, यह सवाल था। इसके लिये हमने तमाम म्युनिसिपैलिटियों से पूछा तो सिर्फ लखनऊ म्युनिसिपैलिटी ने यह कहा कि अगर आधा खर्चा हमारा तुम दे दो तो हम इस काम को ले सकते हैं। लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का ४७,००० रुपये खर्चे का तखमीना था। इसीलिये उसके आधे २३,५०० रुपये की गुंजाइश इसमें रखी गयी है।

उसके बाद ७,३०० रुपये की रक़म है जो बहराइच, अल्मोड़ा और नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये है। वहां कुछ थोड़ी सी सड़कें हैं जिनकी मरम्मत के लिये यह रक़म चली आती है। यह एक बहुत छोटी सी रक़म है।

अब दूसरी हेडिंग में ४,१०,००० रुपये की रक़म है। इसमें कुछ तो बनारसज में मीरा घाट और मां आनन्दामयी घाट हैं उनके लिये है। ५० हज़ार रुपया टाउन एरिया के लिये हैं और १० हज़ार रुपया और है। इस तरह से यह छोटी सी रक़म रखी हुई है, एक हसड़क हारे मिर्जापुर जिले में है जिसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट डॅममरम्मत करता है। उसमें हमको डेढ़ हज़ार रुपया अ पना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है

[श्री मोहन लाल गौतम]

इसके अलावा १४ लाख ४० हज़ार रुपये की वह रक़म है जो फेरीज से आती है और वह ज्यों की त्यों वापस हो जाती है। इसलिये वह लेखा तो बराबर है। वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की आमदनी होती है और उन्हीं को वापस कर दी जाती है। यह रकम दिखायी गई है लेकिन इसमें जमा नहीं की गयी है।

इस साल प्राविंशल रोड फंड में से लोकल बाडीज़ की सड़कों के लिये २५,४४,२०० रुपये का एस्टीमेट रखा गया था जो वास्तव में २८,५०,००० के करीब हुआ और जो इस साल बांट दिया गया। इस साल ४१,८६,२०० रुपये का एस्टीमेट इसमें रखा गया है और यह रोड फंड से आयेगा। इसलिये उसका भी लेखा बराबर हो जाता है। यहां एक बात निवेदन करना चाहता हूं। यह जो साढ़े २८ लाख रुपया सड़कों के लिये बांटा गया उसका मामला यह है कि पहले यह केवल बड़ी बड़ी म्युनिसिपलिटियों में बंटता था। उसके बाद छोटी म्युनिसिपैलिटियों को भी थोड़ा बहुत रुपया दिया जाने लगा। मैंने इस बार यह किया कि पिछले तीन साल में जिन जिन म्युनिसिपैलिटियों को रुपया मिला हो उनकी एक फेहरिश्त बना ली जाय और उस फेहरिश्त के आने के बाद बड़ी म्युनिसिपैलिटियों को रुपया बांटने के बाद जो रुपया छोटी म्युनिसिपैलिटियों में बांटा जाना था उसको पिछले तीन साल में जिन जिन म्युनिसिपैलिटियों को ग्रांट के तौर पर रुपया दिया गया था उनको न दे कर जो बाकी म्युनिसिपैलिटियां थीं उनको वह रुपया दिया गया। अब यह कहा जा सकता है कि पिछले चार साल में कोई म्युनिसिपैलिटी ऐसी बाक़ी नहीं है जिसको इस साल की ग्रांट मिला कर रुपया न मिला हो। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन किया गया और वह है हरिद्वार। हरद्वार की म्युनिसिपैलिटी को ५०,००० रुपया मिला है। उसको पहले भी मिला था और अब भी मिला है और उसकी वजह यह है कि वहां इतने ज्यादा यात्री आते हैं कि वहां अगर अच्छी हालत रहे तो हमारा फायदा होगा (एक सदस्य द्वारा यह कहने पर कि और अधिक दे दीजिये) मुझे अफसोस है कि हम बहुत कम रुपया दे पा रहे हैं लेकिन यह मेरी मजबूरी है। हरद्वार और दूसरी ७-८ म्युनिसिपैलिटियों को छोड़कर लगभग १११-११२ म्युनिसिपैलिटियों को पिछले तीन सालों में कुछ और बाकी को कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जो यहां नहीं आईं और मिनिस्टर साहब से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। इस वजह से उनको पिछले तीन सालों में कुछ भी नहीं मिला। अब उनको घर बैठे यह रुपया मिल जायगा। मुझे यह तरीका पसंद नहीं आया कि सिर्फ ५०--४० म्युनिसिपैलिटीज़ यहां आकर फायदा उठा लें और बाकी को कुछ भी न मिल पाये। इस लिये मैंने इस तरीके को हटाना पसंद किया। यह रुपया जो बांटा गया है वह नियम के अनुसार बांटा गया है जो इस सदन के सामने रख दिया गया है।

बहुत से घाट ऐसे हैं जिनका इंतजाम पी० डब्लू० डी० करती है। जिसके आमदनी और खर्च को मिलाकर १२५ हजार रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिया जाता है। इंडियन रोड कांग्रेस बड़ा यूज़फ़ुल काम कर रही है उसके लिये उसे ४ हजार रुपया दिया जाता है। इसके अलावा ५ लाख ऐसा है जो ड्रेनेज और वाटर सप्लाई के लिये रखा गया है। यह भी बहुत थोड़ी रकम है हम जानते हैं कि इस काम के लिये यह रुपया बहुत कम है लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इससे ज्यादा रुपया नहीं रख सके। तहबाजारी और प्रोजेक्शन की एक रकम है जो पी० डब्लू० डी० को लोकल बाडीज़ से इंतजाम के लिये दे दी जाती हैं। ९७१ हजार रखा गया है यह उन लड़कों के लिये है जो कि फर्स्ट फेज की पी० डब्लू० डी० के सिपुर्द रखरखाव के लिये की गयी हैं। इस तरह से ३५ लाख की छोटी छोटी रकमें हैं जिनके संबंध में और कोई खास बात मुझको कहना नहीं है। अतः इन शब्दों के साथ मैं इस मांग को रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय स्वशासन मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमान्, यह जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह ग्रांट इन ऐड से नागरिक निर्माण कार्य होने के संबंध में है। इसका संबंध एक बड़े सिद्धांत से है और वह सिद्धांत ग्रांट इन ऐड का है । चाहे सिविल वर्क्स के लिये, चाहे एजूकेशन के लिये, चाहे पब्लिक हेल्थ के लिये या किसी भी जनहित के कार्य के लिये जो रुपया सरकार स्थानीय निकायों को देती है, उससे यह मांग संबंधित है। हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले वर्षों में माननीय स्वशासन मंत्री जी की जो नीति रही है वह सिद्धांतहीन रही है। श्री हरगोविन्द सिंह के सभापतित्व में जो कमेटी बनी थी उसने सरकार की ग्रान्ट इन एड नीति की बहुत आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि इस बारे में सरकार ने जो नीति बर्ती है वह सभी म्युनिसिपल बोर्डों के लिये एक सी नहीं बर्ती गयी और उसकी आलोचना उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में की थी। उसके बाद हमें ऐसी आशा थी कि माननीय मंत्री जी उस प्रथा को कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात् समाप्त कर देंगे और उसमें आमूल परिवर्तन कर देंगे तथा उस प्रणाली को खत्म ही कर देंगे जो कि ब्रिटिश शासन काल से स्थानीय निकायों के बारे में चली आ रही है।

जब हम म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को ग्रांट देने की नीति के संबंध में सरकारी नीति देखते हैं तो हमें एक बहुत ही आश्चर्य देखने में आता है । सन् १८९४ से लेकर सन् १९४७ तक जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से म्युनिसिपल बोर्डों को और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ग्रांट दिया गया है और बढ़ाया गया है तो उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि यू० पी० में ०.७ प्रतिशत से १२ प्रतिशत सहायता म्युनिसिपल बोर्डों की बढ़ाई गई है। यानी जितनी सहायता सन् १८९४ में म्युनिसिपैलिटियों को ग्रांट के जरिये मिलती थी वह सन् १९४७ में जाकर सत्रह गुना बढ़ गयी । लेकिन जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का सवाल है वहां सन् १८९४ से लेकर १९४७ तक केवल डेढ़ गुना गवर्नमेंट ग्रांट बढ़ी। १८९४ में जो ३२.५ प्रतिशत ग्रांट थी वह ५३.९ प्रतिशत हो गयी । तो इससे मालूम होता है कि कितनी सिद्धांतहीन नीति, म्युनिसिपैलिटियों की ग्रांट्स बढ़ाने में सरकार की रही। जहां म्युनिसिपैलिटियों के लिये सत्रह गुना ग्रांट बढ़ी वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये केवल डेढ़ गुना ही बढ़ी। इतनी बड़ी खाई शहरों और देहातों के प्रश्न को लेकर है । मैं कभी भी शहरों और देहातों के प्रश्न को लेकर विचार नहीं करता लेकिन जिस प्रकार से सरकार लगातार इस खाई को बढ़ाने की नीति अख्तियार कर रही है इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। इसके बाद जब हम नागरिक निर्माण विभाग का अनुदान देखते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के संबंध में कोई जिक्र नहीं पाते। केवल तहबाजारी की रकम मिलती आयी और फेरीज की रकम जो मिली उसको वापस कर देने की चर्चा होती है। तो श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस अनुपात की तरफ दिलाना चाहता हूं जो जिले के हिसाब से हमारी सरकार जिलेवार देती है। जब कि एक जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एवरेज ग्रांट बिहार में, ७ लाख रुपये है, पंजाब में ५ लाख रुपये है, मद्रास में ७ लाख रुपये है, बम्बई में १६ लाख रुपये है वहां हमारे उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में देने वाली ग्रांट का औसत केवल ३ लाख रुपये है। यानी बम्बई के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो ग्रांट दी जाती है उसका १/५ हिस्सा है, मद्रास और बिहार के मुकाबिले में आधा से भी कम है। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अनुदान देने की जो सरकारी नीति रही है वह अत्यन्त असन्तोषजनक है और जब हम सारे खर्च के अनुपात को मिलाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स को देने वाली ग्रांट है तो उसमें भी बहुत बड़ी खाई नजर आती है। हमारे उत्तर प्रदेश का टोटल ग्रांट्स इन एड जो खर्च का अनुपात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपैलिटियों को मिला कर है वह १२.२ प्रतिशत है जब कि बम्बई में १५.५, बंगाल में १५.६, बिहार में २८.८, मद्रास में १५.३ प्रतिशत है। इस तरह से आप देखें कि हमारी सरकार केवल मद्रास को

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

छोड़ कर सबसे कम ग्रांट म्युनिसिपल बोर्ड्स व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देती है। यह तो ग्रान्ट्स इन एड की बात रही। जो रिपोर्ट हम देखते हैं उसमें लिखा है कि हम लोकल फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं और वह विचार पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि माननीय मंत्री जी ने जो विचार करने के लिये रिपोर्ट में लिखा है वह यहां अमल में आ गया है तो एक मिसाल हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी बतलायी कि हम यू० पी० रोड फंड से २६ लाख रुपया म्युनिसिपैलिटियों को दे रहे हैं। यह बात उन्होंने अच्छी की और यह ठीक है कि जिन म्युनिसिपैलिटियों को पिछले तीन सालों से नहीं मिला था उनको उन्होंने कुछ ग्रांट दी। यह बात तो अच्छी हुई लेकिन इसमें भी ऐसा करके उन्होंने लोकल बाडीज फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट का बिलकुल उल्लंघन किया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस कमेटी रिपोर्ट के पेज १२२ की तरफ आकर्षित करता हूं। चूंकि कमेटी ने सिफारिश की है और उस पर वे खुद विचार कर रहे हैं। उसकी सिफारिश यह है कि यू० पी० रोड फंड का वह रुपया जो मोटर वेहिकल्स टैक्सेसन रिसिट से जमा होता है वह रुपया हर म्युनिसिपैलिटीज को, जितना कि उस म्युनिसिपैलिटी के अन्दर मेटेल्ड रोड्स हैं उस अनुपात के अनुसार उस रोड फंड से रुपया दें। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने उसकी एक सीमा बांध दी है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिन ८ म्युनिसिपैलिटियों को सिर्फ ४८ से रकम देते चले आये हैं उनको भी उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि मोस्ट फारवर्ड म्युनिसिपैलिटीज हैं यानी कानपुर को १-३ मिलता है, बरेली को एक मिलता है इस तरह से पुराने सिद्धांत के अनुसार माननीय मंत्री जी ने बारबार फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट की अवहेलना की है दूसरी बात यह है कि तहबाजारी और फेरीज से आने वाले रुपये से वह नये बोर्डों को ग्रांट देती है। तो उन्हें इन आठ म्युनिसिपैलिटीज को इस रुपये से ग्रांट देना चाहिये लेकिन उस पुराने सिद्धांत को व्यवहार में नहीं लाते हैं। तो माननीय मंत्री जी ने अपनी सिफारिश के जरिये दो बार फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट की अवहेलना की है और उनका यह कहना सही नहीं है कि हमने कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक कार्य किया है।

दूसरी बात में कैटिल पाउन्ड के रुपये के बारे में कहना चाहता हूं। वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रुपया जो इकट्ठा होता है उसका प्रोसीजर केवल Book accounting करने का है वही दूसरे रुपये के लिये भी होना चाहिये कि सीधे वह लोकल बोर्ड को मिल जाय। लेकिन तहबाजारी के बारे में यह बात नहीं है। पहले तहबाजारी का रुपया ट्रेजरी में जमा होता है फिर गवर्नमेंट को लिखा जाता है और तब गवर्नमेंट उसमें से कुछ डिडेक्ट करती है और फिर वह म्युनिसिपल बोर्ड को खबर करती है तब जाकर कहीं मिलता है। इसमें नाहक बहुत समय लगता है और लोकल बाडीज को अन्दाज नहीं रहता है कि हमारा कितना रुपया है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जिस तरह से वह कैटिल पाउन्ड का रुपया सीधे बोर्ड को मिल जाता है उसी तरह से इस लेखन प्रणाली को भी समाप्त कर देना चाहिये और तहबाजारी के रुपये को भी आप सीधे उनको दे दें तो बड़ा अच्छा होगा लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

जहां तक यू०पी० रोड फंड का सवाल है मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि २ लाख १८ हजार रुपया जो कम्पेन्सेशन के नाम से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को या लोकल बाडीज को मिलेगा यह कम्पेन्सेशन के नाम से है। वह इसलिये है कि पहले मोटरों पर लोकल बाडीज टैक्स लगाती थी लेकिन जब से मोटर विहिकल्स ऐक्ट बना तब से वह नहीं लगाती। शायद सन् १९३० या ३२ में यह संशोधन किया गया था और तब से लोकल बाडीज को यह २ लाख १८ हजार रुपया दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आज भी मोटर विहिकल्स पर लोकल बोर्ड्स टैक्स लगाते तो क्या उनको २ लाख १८ हजार रुपये की ही आमदनी होती।

अगर मोटर विहिकल्स पर नियमानुसार आज भी लोकल बाडीज को टैक्स लगाने की इजाजत होती तो जितना धन आज यू० पी० रोड फंड में है वह सबका सब लोकल-बाडीज के हाथ में आता। यह जो २ लाख १८ हजार रुपया म्युनिसिपल बोर्ड को दिया जाता है इसको बढ़ाना चाहिये। जो यह रकम गवर्नमेंट देती है बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि यू० पी० रोड फंड में जितना रुपया मोटर विहिकल्स ऐक्ट के जरिये से आता है वह सब लोकल बाडीज को मिलना चाहिये।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रांत में जो म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनकी दशा जहां तक उनकी आमदनी और खर्चे का सवाल है बहुत ही शोचनीय है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ले लीजिये उसकी ८०, ८५ फीसदी आमदनी एजूकेशन पर व्यय होती है। १०,२० प्रतिशत रकम ऐसी रह जाती है जो दूसरे काम में आती है। इसी तरीके से जो उनकी आमदनी के जरिये हैं वह रोज बरोज कम होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर आज ही एक हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ है जिसके जरिये से वह जो लाइसेंस फी लिया करते हैं वह भी उनकी आमदनी एक तरीके से खत्म हो रही है। उनकी आमदनी कम है और जिम्मेदारी ज्यादा है। इसी वजह से सन् ४६,४७ में उनके पास जो सड़कें थीं और जिनको वह बना नहीं पाते थे उनको सरकार ने प्राविंशियलाइज कर लिया था और गवर्नमेंट ने उनकी जिम्मेदारी ले ली थी कि वह उन सड़कों को पक्का करेगी लेकिन उन सड़कों को जैसा गवर्नमेंट चाहती थी पक्का नहीं कर सकी और अब उनको फिर गिरी हुई हालत में उन डिस्ट्रिक्ट को ही वापस कर दिया गया है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस मद में ५१ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये केवल ९ लाख ७१ हजार रुपये की रकम रखी गई है जिस के जरिये से वह सड़कें बनाने में सहायता देंगे। यह रकम बहुत ही कम है और इस से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का भला न हो सकेगा। अब इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पास जो सड़कें वापिस हुई हैं वह कहीं ५० मील कहीं ६० मील, कहीं कहीं तो सौ मील तक बनने को हैं और जिन पर ८-८ और १०-१० साल से कोई काम नहीं हुआ, मिट्टी तक उन पर नहीं पड़ी है और हालत बहुत ही खराब है और वह ऐसी दशा में उनको अब मिली हैं। इस वजह से अब जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह रकम उनके लिये बहुत ही कम है और इसको बढ़ाने की वह कोशिश करें और जो सड़कें फर्स्ट फेज में थीं और जिनकी जिम्मेदारी सूबे की सरकार ने ली थी और जिनको यह सरकार तक न बना सकी तो उसको अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कैसे पूरा कर सकते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहां से ग्रांट इन एड दे सकते हैं। इसलिये इस रकम को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है और जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों का संबंध है उनके संबन्ध में शिकायत यह है कि कुछ म्युनिसिपल बोर्ड ऐसे हैं जिनके साथ फेवर्ड ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे लखनऊ, कानपुर, बनारस आदि हैं जिनके पास अपनी आमदनी के जराये ही बहुत काफी हैं और उन्हें लाखों रुपया दिया जाता है और जो छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटी हैं जिनकी आमदनी बहुत ही कम है दिया जाता है उनको न दिया जाय यह फेवर्ड ट्रीटमेंट का तरीका न बर्तना चाहिये। सरकार को इन छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिये जिनमें न कोई ड्रेनेज का इन्तजाम है और न कोई वाटर सप्लाई की स्कीम है जैसे मुजफ्फरनगर को ही आप ले लें वहां न तो कोई ड्रेनेज की स्कीम है और वहां ६ हजार रुपया प्लान के लिये दाखिल भी कर दिया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, और कोई चीज कार्यान्वित नहीं हुई हालांकि वहां की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है जो २१ हजार से ७२ हजार हो गई है और वहां ड्रेनेज की बहुत जरूरत हो गई है और चूंकि वहां के बोर्ड की आमदनी का जरिया कोई नहीं है, इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मद में रकम बढ़ाने की कोशिश करें और केवल ५-७-८ म्युनिसिपैलिटीज के साथ ही फेवर्ड ट्रीटमेंट न करें

[श्री केशवगुप्त]

जिनके पास पहले से ही आमदनी के काफी जराये हैं उन्हीं को ज्यादा रकम दी जाय और जिनके पास कम से कम आय के साधन हैं उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जाय यह किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। इसलिये यह मुनासिब होगा कि इन बड़ी म्युनिसिपैलिटीज को जो ज्यादा रकम दी हैं वह उनसे लेकर इन छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज को दी जाय ।

इसके अलावा ग्रांट के संबंध में एक सिद्धांत यह रखा गया है कि जिन म्युनिसिपैलिटीज को पिछले साल ग्रांट मिली थी उनको इस साल वंचित रखा गया है। वैसे तो यह सिद्धांत ठीक है लेकिन जैसे मुजफ्फरनगर म्युनिसिपल बोर्ड को पिछले साल कुल २५ हजार रुपया मिला था हालांकि उसकी आबादी बढ़कर ७२ हजार हो गई है जब कि दूसरी जो दस बारह म्युनिसिपैलिटी हैं उनको इस साल किसी को २५ हजार, ३५ हजार और इससे भी ज्यादा दिया गया है इस तरह से जो पहले पा चुकी हैं वह घाटे में रहीं, इसलिये उनको जिनको पिछले सालों में कम मिला है उनको अभी हिसाब से मिलना और चाहिये और उसे पूरा करना चाहिये ताकि वह अपनी सड़कों और ड्रेनेज वगैरा का इंतजाम ठीक कर सकें ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में सबसे पहले यह कहा था कि उन्हें खुशी हो रही है, भारत के सबसे बड़े प्रदेश का बजट पेश करने में। लेकिन मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नगर कानपुर के लिये इस अनुदान में ही नहीं बल्कि पूरे बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है। कानपुर नगर चक्की के दो पाटों के बीच में पिस रहा है और वे हैं कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड और कानपुर डेवलेपमेंट बोर्ड जैसी उनकी हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। कानपुर की सड़कों की जैसी हालत है में एक सड़क का नाम क्या बतलाऊं सभी सड़कें ऐसी हैं जिनकी दुर्दशा देखने योग्य है। मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वह कानपुर की सड़कों को आकर देखें इक्के वाले तक गालियां देते हैं। कानपुर के लोग यह कहते हैं कि यह म्युनिसिपैलिटी, जिसको दो दो बार नोटिस दिये गये और यह कहा गया कि इसको सुपरसीड कर लिया जायगा, उसके खिलाफ चार्जेज लगाये गये, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे हमारी सरकार की प्रतिष्ठा को भी काफी धक्का लगा है लेकिन क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में है। काकादेव गांव एक गांव है जहां के लोगों ने टैक्स देना बन्द कर दिया है और पिछले सात वर्ष से टैक्स नहीं दे रहे हैं मैंने इसके लिये इस भवन में एक प्रश्न किया था लेकिन बजाय इसके कि वह सड़क बनती यह जरूर हुआ कि वहां पर सख्ती की जाने लगी कि टैक्स अब जरूर वसूल किया जाय। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि तमाम सड़कों को अगर पूरे तौर से नहीं तो आरजी तौर पर बनाने की जरूर आज्ञा दें। कानपुर में अभी कल ही दूना हाउस टैक्स देने का नोटिस दिया गया है। कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड की जहां हालत खराब है, जिसकी सड़कें इतनी खराब हैं, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, वहां पर दूना टैक्स लिया जाना कहां तक न्यायसंगत है? यह मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वह कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड को आदेश दें कि हाउस टैक्स बढ़ाने की बात न करें। जब तक कि उसकी गंदगी और सड़कों की व्यवस्था ठीक न हो जाय।

कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड की अवस्था भी बहुत शोचनीय है। वहां कम्पेंसेशन ऐक्ट १६२१ बहुत पुराना है उसी के अनुसार कम्पेंसेशन दिया गया है और आज भी दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि कम्पेंसेशन ऐक्ट में कुछ सुधार किया जाय। मैं चाहता हूं कि जैसी हालत म्युनिसिपैलिटीज की है वैसी हालत में म्युनिसिपैलिटी को फौरन सुपरसीड कर देना चाहिये।

डेवलपमेंट बोर्ड का जहां तक सवाल है वह भी किसी से छिपा नहीं है नारायणपुर में जो शरणार्थियों के क्वार्टर बने हैं, वह दो वर्ष से खाली पड़े हैं और उन क्वार्टरों पर जो रुपया लगा है उसके ब्याज का नुकसान हो रहा है। न सड़कें हैं, न रोशनी का इंतजाम है। इसी तरह से गोविन्दनगर में जो प्लाट्स मध्यम श्रेणी के हाथ बिके हैं उनका रुपया तो पूरा हो चुका है परन्तु सड़क, पानी, रोशनी का प्रबंध अभी तक नहीं किया गया है। डेवलपमेंट बोर्ड के खिलाफ इतनी जोरदार आवाज उठायी जा रही है लेकिन वहां पर भी कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये उचित व्यवस्था करें।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी की ओर से जो बजट पेश किया गया है उस बजट के स्मृतिपत्र को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले साल से भी बजट का अनुदान उतना संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है जैसा होना चाहिये अर्थात् कम कर दिया गया है। बल्कि गत वर्ष से अधिक होना चाहिये क्योंकि बोर्डों की दशा खराब हो गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत बहुत खराब है और खास करके पहाड़ी और पूर्वी जिलों के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो हैं उनकी हालत तो स्वय माननीय स्वशासन मंत्री और उनकी सरकार तथा सभी माननीय सदस्य समझते हैं कि उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब होती चली जा रही है। मैं माननीय स्वशासन मंत्री और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के जो बोर्ड हैं और म्युनिसिपैलिटियां हैं उनकी आर्थिक हालत बड़ी खराब है और खराब होती चली जा रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने पूर्वी और पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की खराब दशा की ओर ध्यान दिलाया है लेकिन मैं पूर्वी जिलों के बोर्डों के बारे में कहना चाहता हूं खास करके जब कई वर्षों से लगातार सूखा और बाढ़ के कारण जनता की जो आर्थिक दशा है वह बहुत खराब हो गयी है और टैक्स देने की शक्ति नहीं रह गयी है और टैक्स देने पर तो जिला बोर्डों एवं म्युनिसिपैलिटियों की सड़कों और स्कूलों का बनाया एवं चलाया जाना जब निर्भर करता है तो वह कैसे सम्भव हो सकता है कि टैक्स के अभाव में स्कूल और सड़कें बनायें और चलाये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं बजट को देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है क जो अनुदान म्युनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दिया गया है उनमें उन जिलों के नाम नहीं हैं जो अभावग्रस्त हैं बलिया का नाम अचानक ही आ गया है और किसी जिले का नहीं आया है। मैं आजमगढ़ जिले की बात कहना चाहता हूं। वहां दो म्युनिसिपैलिटियां हैं। एक आजमगढ़ शहर है और दूसरी मऊ है जो कि सब से बड़ा क़स्बा आज़मगढ़ का है। इतना घना बसा है कि बरसात के दिनों की बात कौन करे आजकल भी एक मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले में जाना कठिन हो जाता है। नालियों की गंदगी और सड़ान इतनी ज्यादा होती है कि हर महीने वहां बीमारी का जमाव रहता है। प्रान्तीय सर-कार से, मैं समझता हूं कि वहां के अधिकारियों और आजमगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों ने कई बार मांग की लेकिन सरकार की ओर से सदा उपेक्षा का भाव रहता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों म्युनिसिपैलिटियों को आर्थिक सहायता इतनी देनी चाहिये कि कम से कम शहर में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी स्वास्थ्य-रक्षा के लिये उपाय किया जा सके।

आजमगढ़ जिला बोर्ड की भी दशा अत्यन्त खराब है। सरकार ने कुछ दिन पहले आजम-गढ़ की कुछ सड़कों को बनाने के लिये अपने हाथ में लिया था पर कुछ काम कराकर वापिस कर दिया। अब सुनने में आया है और आजमगढ़ जिला बोर्ड के उपाध्यक्ष पं० ब्रजबिहारी मिश्र जो सदन में बैठे हैं उन्होंने अभी मुझसे कहा है कि आजमगढ़ में अभी सरकार की ओर से एक आर्डर गया है कि जितनी पुलियां हैं उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खरीद सकती है। सिमेंट की सड़कों को कुछ दिन अपने अधिकार में रखने के बाद सरकार वापस कर देती है।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

अगर बोर्ड के पास शक्ति रहती तो उनको वह बना सकती है लेकिन मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि उन सड़कों को आज़मगढ़ बोर्ड तो बनवा नहीं सकती है। हां, यदि बनवाने पर तैयार हो जाती है तो हज़ारों रुपयों की जो पुलियां बनी हुई बेकार पड़ी हैं अगर सरकार मुफ्त में ही आज़मगढ़ बोर्ड को दे दे तो वहां के बोर्ड को कुछ लाभ हो सकता है तथा उस दशा में कुछ सहायता भी हो सकती है।

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सरकार के अनुदान में बाढ़ ग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये पैसा दिया गया है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान तीन सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक तो बिलरियागंज से रौनापार जाती है, दूसरी मधुबन से दुबारी और तीसरी कप्तानगंज से महाराजगंज। ये तीन बाढ़ पीड़ित सड़कें हैं। मैं समझता हूं कि बरसात के महीने में जब बाढ़ आती है तो दुबारी से जो सड़क मधुबन आती है उसका आज़मगढ़ से संबंध विच्छेद हो जाता है। कोई तरीक़ा नहीं होता है कि संबंध स्थापित किया जा सके। लेकिन सरकार के पास कई बार आज़मगढ़ बोर्ड के पास से पत्र आये होंगे और हमारी तरफ़ से भी कई बार कहा गया लेकिन उधर सरकार का ध्यान नहीं जाता है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आज़मगढ़ ज़िले में जितनी सड़कें हैं जो सरकार ने वापस की हैं उनके ऊपर इतना ध्यान माननीय स्वशासन मंत्री को देना चाहिये जिससे उन सड़कों का नये सिरे से निर्माण हो सके। मैं अभी कल बहराइच ज़िले में गया था देखा कि जरवल रोड से जो सड़क जरवल तक जाती है वह कंकरीट और तारकोल की बनायी गयी है। हम सदा यह कहा करते हैं कि माननीय मंत्रियों की ओर से पूर्वी ज़िलों के प्रति उपेक्षा का भाव रहता है। अध्यक्ष महोदय, आज़मगढ़ म्युनिसिपैलिटी को छोड़ कर आज़मगढ़ ज़िले में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो कंकरीट तथा तारकोल से बनी हुई हो।

श्री अध्यक्ष——आज़मगढ़ का ज़िक्र कई बार आ चुका है। समय हो गया है।

श्री रासुन्दर पाण्डेय——तो मैं यह कह रहा था कि माननीय स्वायत्त मंत्री जी को चाहिये कि आज़मगढ़ म्युनिसिपैलिटी, मऊ म्युनिसिपैलिटी को इतनी सहायता दें कि जिससे वहां की म्युनिसिपैलिटियों का सुधार हो सके और सड़कों का नये सिरे से निर्माण हो सके। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आज़मगढ़ शहर की म्युनिसिपैलिटी को मैं नहीं कहने के लिये तैयार हूं लेकिन आज़मगढ़ ज़िले में कोई सड़क ऐसी नहीं है कि कंकरीट से बनी हुई हो।

श्री कृष्ण शरण आर्य (ज़िला रामपुर)——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन के सम्मुख माननीय प्रशासन मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और इस अनुदान का स्वागत करता हूं। परन्तु नागरिक निर्माण कार्यों के लिये जितनी रक़म है वह वास्तव में कम है और जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटीज़ को सहायता दी जाती है डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भी अवश्य मिलनी चाहिये इसमें जो दिक़्क़तें हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया मैं समझता हूं कि आगे से वह दूर हो सकें इसकी ओर कोई विशेष ध्यान देने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे। अब मैं रामपुर म्युनिसिपैलिटी से संबद्ध माननीय मंत्री जी का कुछ आवश्यक बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। रामपुर की म्युनिसिपैलिटी जब से रामपुर प्रदेशीय शासन का एक अंग बना उससे पहले से ही सुपरसीडेड में थी और अब तक भी है। इसलिये जो

भी कार्य म्युनिसिपैलिटी की ओर से जनता के हित अथवा अनहित का लगभग तीन, साढ़े तीन वर्षों के समय में हुआ उसका प्रभाव सीधे सरकार के ऊपर पड़ता है अच्छा या बुरा। मैं यह कहता हुआ सकुचाता हूं कि इस तीन, साढ़े तीन वर्षों की अवधि में रामपुर की म्युनिसिपैलिटी की ओर से जन हित का कोई ऐसा विशेष कार्य हुआ नहीं कहा जा सकता जिसने जनता के ऊपर अच्छा प्रभाव डाला हो इसका एक खास कारण यह है कि एक उस खासी अच्छी और बड़ी म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, जिसका आज क़रीब १८ लाख का बजट बनता है उसमें खर्च करने में और योजना बनाने में कुछ विशेष ध्यान इस ओर नहीं दिया गया कि वह जनता के भी हृदय में अच्छी भावना उत्पन्न कर सके। मिसाल के लिये इसी रिपोर्ट में एक बात है कि १७ हज़ार रुपये खर्च हुये लाइट्स के लगाने में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ने स्वयं देखा और माननीय मंत्री जी ने भी देखा कि जिन जगहों पर ये लाइट्स लगायी गईं उन जगहों पर लाइट्स पहले भी थीं। उनको बदल कर नयी लगाना कोई विशेष आवश्यकता की बात नहीं थी। बजाय इसके बहुत सी गलियों में जहां पर कि रोशनी नहीं थी वहां पर रोशनी करने के लिये इस धन का उपयोग किया जा सकता था और वह जनता के लिये हितकर होता। ऐसे ही एक रिपोर्ट है कि म्युनिसिपैलिटी के पास कोई ऐसा भवन नहीं है जहां पर आगामी बोर्ड बैठ सके। दो लाख का धन नया भवन बनाने के लिये व्यय किया जाने वाला है। वहां पर पी० डब्ल्यू० डी० की इमारतें हैं जिनमें यह काम अच्छी तरह से चल सकता है। स्वायत्त शासन विभाग पी० डब्ल्यू० डी० से कोई इमारत दिलाने की कोशिश करे या रंग महल भी एक ऐसी इमारत है कि वह इस काम के लिये उपयुक्त है। लिहाजा अगर सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि वह इमारत टाउन हाल के लिये दे दी जाय तो यह दो लाख रुपया बच जायगा और वह दूसरे कार्यों के लिये खर्च हो सकता है। इसी तरह से और जो जमीन म्युनिसिपैलिटी की, टाउन हाल के लिये नियत की गई है उसको बेचा जा सकता है और वह धन भी जन-हित के उपयोग में आ सकता है। इसके अलावा एक और विशेष बात है। मर्जर के बाद से रामपुर में बेकारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसका एक उपाय वहां व्यापार को उन्नति देने का हो सकता था। यदि चुंगी का मसला वहां हल हो जाय जैसा कि रियासती समय में था कि नजूल म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जाय और चुंगी की ठीक व्यवस्था कर दी जाय तो वहां एक डिस्ट्रिब्यूटिंग सेंटर बन सकता है। इससे वहां की बेकारी दूर हो सकती है और व्यापार में बहुत उन्नति हो सकती है। इसके साथ ही साथ इसी रिपोर्ट में यह अंकित है कि ३ हजार १ सौ कुछ फिट पाइप लाइन वाटर वर्क्स की तरफ से फैलायी गयी लेकिन जो वहां का वाटर वर्क्स का तरीका है वह म्युनिसिपैलिटी के लिये बहुत ही हानिप्रद है, इसलिये उसका फैलाव बहुत कम है। यदि उसका फैलाव बढ़ा दिया जाय तो उससे म्युनिसिपैलिटी को बहुत लाभ हो सकता है और वहां की जनता को भी पानी की सुविधा हो जायगी। वहां के लिये एक नई वाटर वर्क्स की स्कीम बनायी गई है जो दस लाख की है। यदि सरकार की ओर से ऋण के रूप में इतना रुपया दे दिया जाय तो वहां की वाटर वर्क्स की स्कीम बहुत अच्छी हो सकती है और वहां की जनता को भी लाभ हो सकता है।

इसके साथ साथ वहां एक औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी लगा करती है जिसकी एक अच्छी इमारत बनी हुई है और कुछ जमीन भी है, परन्तु वहां कोई संगठित और वैधानिक प्रदर्शनी कमेटी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका चेयरमैन होता है और एक डिप्टी कलेक्टर उसका सेक्रेटरी होता है। म्युनिसिपैलिटी को जन स्वास्थ्य का काम करना पड़ता है। यदि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उस प्रदर्शनी को वैज्ञानिक ढंग पर लाया जाय और नुमायश का सारा कार्य म्युनिसिपैलिटी की ओर से हो तो यह म्युनिसिपैलिटी के लिये एक लाभ की बात हो सकती है।

मैं गांव सभाओं के संबंध में, जो कि माननीय मंत्री जी से संबंधित है, एक बात यह कहना चाहता हूं कि रामपुर में जहां गांव सभाओं का कार्य बहुत अच्छा हो रहा है वहां शाहबाद और मिलक में कई ऐसे सरपंच हैं जिनको किसी प्रतिष्ठित पद का अधिकारी नहीं होना चाहिये। वहाँ के जो पंचायत राज के अधिकारी हैं उनको अपने कार्य से अवकाश नहीं मिलता है, इसलिये

[श्री कृष्ण शरण आर्य]

वे पंचायत के सुधार का काम कहां तक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री ऐजाज़ रसूल (ज़िला हरदोई)--जनाबवाला, जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की फाइनेंशल हालत का ताल्लुक़ है, हर शख्स जानता है कि बहुत ख़राब है। उसके ख़राब होने का कारण यह है कि गवर्नमेन्ट ने लोकल बाडीज़ पे कमेटी बनायी और उसके बाद एक रेज़ोल्यूशन पास किया कि बोर्ड्स उस पे कमेटी की रिपोर्ट को अपने यहां इंफोर्स करें। नतीजा यह हुआ कि हर बोर्ड ने उसको अपने यहां इंफोर्स किया जिसकी वजह से उनकी माली हालत ज्यादा से ज्यादा खराब हो गयी। इसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है। क़ब्ल इसके कि लोकल बाडीज़ को ज्यादा तनख्वाहें देना पड़ें, गवर्नमेंट को लोकल बाड़ीज़ से कंसलटेशन कर लेना चाहिये था। इस तरह बगैर लोकल बाडीज़ की फाइनेंशल हालत जाने गवर्नमेंट ने लोकल बाड़ीज़ को पे कमेटी की रिपोर्ट को नाफिज़ करने के लिये मजबूर किया। अगर लोकल बाड़ीज़ गवर्नमेंट का कहना न मानतीं तो वैसी ही हालत होती जैसी अध्यापक लोग कर रहे हैं। लिहाज़ा गवर्नमेंट को चाहिये कि लोकल बाडीज़ की फाइनेंशल हालत सुधारने के लिये, जो लोकल बाड़ीज़ को ज्यादा तनख़्वाहें देनी पड़ रही हैं, उनको गवर्नमेंट अपनी जेब से दे।

म्युनिसिपल बोर्ड्स की हालत सुधारने के लिये गवर्नमेंट ने उनके पास एक सर्क्युलर भेजा है कि म्युनिसिपैलिटीज़ को केवल प्राइमरी एजूकेशन की ही तरफ ध्यान देना चाहिये और जिन हायर स्कूल्स को उनकी तरफ से एड मिलती है उसको बन्द कर देना चाहिये। जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट का ताल्लुक़ है, दफा ७ में बोर्ड की प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं। दफा ८ में यह है :—

"Furthering educational objects by measures other than the establishment and maintenance of primary schools."

मेरे ख्याल में मंत्री जी को यह देखना चाहिये कि म्युनिसिपल बोर्ड्स की तरफ से जिन स्कूलों को ग्रांट मिल रही है अगर वह ग्रांट बन्द कर दी जायगी तो एजूकेशन को नुकसान पहुंचेगा गवर्नमेंट को दफा ३५ में यह अख्तियार है कि अगर कोई बात बोर्ड्स कर रहे हों तो गवर्नमेंट उसको पूरा कराये। लेकिन अगर अपने एम्स एण्ड आबजेक्ट्स के अन्दर कर रहे हैं और उनको अख्तियार है कि अलावा प्राइमरी एजूकेशन के दूसरी एजूकेशन की फरदरेन्स करे तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि किस दफ़ा और किस म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर यह हुक्म भेजा है। जब बोर्ड डेफाई करता है तो सुपरवाईजिंग बोर्ड कहता है कि गवर्नमेंट का हुक्म नाफिज़ और मंजूर न करने पर तुम्हें सुपरसीड कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो मेरे ख्याल में यह नहीं होना चाहिये। मेरा सुझाव मिनिस्टर साहब से यह है कि अगर आप समझते हैं कि बोर्ड बहुत ज्यादा रक़में खर्च कर रहा है स्कूलों की हायर एजूकेशन के ऊपर तो आप को चाहिये कि आप हमसे यह कहें कि आहिस्ता आहिस्ता कम करो। एक दम से आप ने नोटिस भेजा और उसके बाद अब यह भेजा कि इस साल के अलावा नेक्स्ट ईयर जब फाइनेंशल ईयर आवेगा तो एक पैसा नहीं दिया जायगा। यह जो आर्डर्स गये हैं वह मेरे ख्याल में बहुत ही सख्त हैं। उनको चाहिये कि अगर स्कूलों की हायर एजूकेशन जो है उसका खर्चा कम करो और आहिस्ता आहिस्ता यह कहा जाय तीन साल के बाद जो ग्रान्ट्स दी जाती हैं वह नहीं दी जायंगी, एक दम से जो कई कई हज़ार रुपया दिया जाता था वह न दिया गया तो हुज़ूरवाला, मैं कहना चाहता हूं कि ज़मींदार लोग जो थे वे ही ऐसे इंस्टीट्यूशन्स चलाते थे और अब ज़मींदार खत्म हो गये हैं तो वे स्कूल्स बन्द हो जायंगे या खत्म हो जायंगे। इसलिये गवर्नमेंट को चाहिये कि जल्द से जल्द इसकी तरफ तवज्जह करे और अपनी पालिसी को रिवाइज़ करे।

हुज़ूर वाला, मैं बात ख़त्म करना चाहता हूं, सिर्फ एक बात है। वह यह है कि जितने भी म्युनिसिपिल बोर्डों के खर्चे बहुत ज्यादा हैं गवर्नमेंट को एक पालिसी बना देनी चाहिये और एक परसन्टेज मुक़र्रर कर देनी चाहिये, उन म्युनिसिपल बोर्ड के लिये। इसके अलावा मैं अपने ख़यालात का इज़हार नहीं करना चाहता और बैठ जाता हूं।

श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—श्री अध्यक्ष जी, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। उसके साथ ही कानपुर के बारे में आप के द्वारा चन्द बातें माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं। कानपुर की हालत बहुत ही खराब है। वहां पर न तो कोई सुनने वाला है न कोई देखने वाला है। सब से पहली बात यह है कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव १४ वर्ष हो गये हैं तब से नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठ जायं, एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या जब माननीय मंत्री जी हाउस में उपस्थित न हों तो क्या अनुदान पर बहस जारी रहनी चाहिये?

मालमन्त्री के सभासचिव (श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य)—मैं रिप्रेजेन्ट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—वह किसी वजह से बाहर गये हैं।

श्री हमीद खां—कानपुर की हालत बहुत खराब है। वहां नालियों के आगे दो दो, तीन तीन फिट लोगों के चबूतरे बढ़ गये हैं। सड़कों की भी बड़ी बुरी हालत है। अभी थोड़ा ही अर्सा हुआ कानपुर शहर में एक सड़क से एक्का निकला जिस पर एक स्त्री बैठी हुई थी, उसके बच्चा होने वाला था। वहां उस एक्के के गिरने से वहां उसके बच्चा हो गया। तो यह हालत कानपुर की है। यहां की दशा खराब हो गयी है। कानपुर में कलेक्टरगंज का बाजार एक बहुत बड़ी मंडी है जिससे काफी आमदनी होती है और कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड को इतनी जबर्दस्त आमदनी है जिसकी वजह से शहर का बहुत सुधार हो सकता है लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से जो आडीटर मुकर्रर हैं उसने जो रिपोर्ट की है उससे पता चलेगा कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड में कितनी धंधागर्दी चल रही है जिसकी वजह से कानपुर शहर तबाह हो रहा है। आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि मेहरबानी करके कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड को जब्त करके कानपुर को जीवनदान दीजिये और कानपुर की दशा को सम्हालिये ताकि कानपुर के लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक तरह से रख सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस तरफ ध्यान देंगे और वहां के म्युनिसिपल बोर्ड को जब्त करने से इन्कार न करेंगे।

इसके अलावा मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस वक्त डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से जितने क्वार्टर्स बन रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। वहां पर उन क्वार्टर्स के पास मार्केट का कोई इंतिजाम नहीं है और उसके न होने की वजह से बहुत हालत खराब होती है और वही हालत हो जायेगी जैसे गोविन्दनगर में क्वार्टर्स इतने बन गये हैं कि वहां पर मार्केट का कोई इंतिजाम नहीं है। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट जहां क्वार्टर बनवायें पहले मार्केट बनवाने का इंतिजाम किया जाय जिससे वहां पर लोग ठीक ढंग से रह सकें। मुझे उम्मीद है कि कानपुर जहां से इतनी अच्छी आमदनी होती है उसके लिये, उसके सुधार के लिये माननीय मन्त्री जी कानपुर के म्युनिसिपल बोर्ड को जब्त करने की कोशिश करेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय ब्रह्मदत्त जी का भाषण सुना। वह कानपुर के लिये कहते थे कि कानपुर शहर में जो म्युनिसिपैलिटीज की सड़कें बहुत खराब हैं उनके लिये सरकार की ओर से कोई ग्रान्ट नहीं मिलती। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनको रोड फंड से ४ लाख ३७ हजार रुपया मिला है और अगर फिर भी सड़कों के लिये रुपये की जरूरत हो तो इस सरकार से ही रुपया क्यों लिया जाय। उसका रुपया गरीब जनता पर टैक्स कर के आता है। कानपुर में वैसे भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं जिनके ऊपर और भी टैक्स लगाया जा सकता है और उससे कानपुर की सड़कें ठीक की जा सकती हैं। यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे दोनों कानपुर के माननीय सदस्यों ने इस बात की प्रार्थना की कि वहां की सड़कें इतनी ज्यादा खराब हैं इस

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

लिये वहां के म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय। बदक़िस्मती से आजकल वहां के जो चेयरमैन हैं वह कांग्रेसमैन हैं। अगर पार्टी की वजह से उनको सुपरसीड कर दिया जाय तो वह ग़लत होगा लेकिन अगर सड़कें ख़राब हैं तो ज़रूर कर दिया जाय। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसके लिये कोई ग्रान्ट देने के लिये सोचे तो उससे पहले उसे उस धन को उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को देना चाहिये जिनमें टैक्स लगाने की ज़रा भी ताक़त नहीं रह गयी है। हमारे यहां पहाड़ों में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, अल्मोड़े को ही ले लीजिये, वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में छत नहीं हैं। हमारे यहां की सड़कों की हालत इतनी ज्यादा ख़राब है कि शाम को अंधेरा होने के बाद चल नहीं सकते। हमारे यहां के अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है और कोई उसे देखने वाला नहीं है। अब वहां टैक्स लगाने की कोई चीज़ नहीं रह गयी है। जिससे जनता पर टैक्स लगाया जाय। खेती वहां अच्छी नहीं होती, बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं। उनमें मेहनत करने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है। जब स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे कि उस वक्त हम कहा करते थे कि देखिये अंग्रेजों ने कितना जुल्म ढा दिया है कि नदियों का पानी जो बहता है उनसे जो चक्कियां चलतीं उन पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया है कितने गजब की बात है। लेकिन उस वक्त तो एक या दो रुपया उन पनचक्कियों पर लगता था लेकिन जब से कांग्रेस हुकूमत आयी है १२ रुपया और १४ रुपया टैक्स लगता है। मैं अपने एलेक्शन में यही कह कर जीत कर आया कि इन कांग्रेसवालों ने तुम पर कितना टैक्स बढ़ा दिया है। इतने लोग वहां नाराज़ हैं। तो हम तो सरकार से यह प्रार्थना करेंगे कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इन कामों को नहीं चला सकती तो हमारी ग्राम पंचायतें काफी हैं इन कामों को चलाने के लिये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को बन्द कर दिया जाय। यह चेयरमैन, सेक्रेटरी और आफिस वग़ैरह सब बन्द हो जायं और सरकार इस काम को अपने हाथ में ले ले।

स्कूल्स को शिक्षा विभाग ले ले, अस्पतालों को चिकित्सा विभाग ले ले और सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० ले ले। यही दो तीन काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में होते हैं उनको सरकार स्वयं चला ले या फिर जंगलों की आमदनी उन को दे दी जाय। किसी तरह से उनका कुछ काम तो चले। चेयरमैन साहब से कुछ कहते हैं तो वह कहते हैं कि रुपया कहा से लायें। न स्कूल के टीचर्स को तनख्वाह दी जाती है और न अस्पतालों की गुजरी हुई हालत को ठीक किया जाता है। ऐसी हालत में मैं हुकूमत से प्रार्थना करूंगा कि जहां पर टैक्स लगाने की कोई चीज़ नहीं रह गई है वहां उन्हें यह मदद दे।

अध्यक्ष महोदय, जहां पर सेंट्रेलाइजेशन और डिसेंट्रेलाइजेशन की बात करते हैं तो सारी ताक़त उनको दे देते हैं। जहां हम डिसेंट्रेलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां से यह ऊपर उठते हैं। बड़ी गर्म अफ़वाह चल रही है कि हमारे मुख्य मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में शायद होम मिनिस्टर वग़ैरा कुछ हो कर जा रहे हैं, गजब हो जायगा, वहां के यहां आते या यहां से वहां जायंगे। यदि वह चले गये तो इस प्रांत की क्या हालत होगी। इसलिये डिसेंट्रेलाईजेशन की बात की जा रही है। हम यह चाहते हैं कि ऐसा जो डिसेंट्रेलाइजेशन हो रहा है यह तो सेंट्रेलाइजेशन हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को नाम के अधिकार न देकर.........

श्री मोहन लाल गौतम--आप अल्मोड़े से न आये होते तो अच्छा होता।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--हो सकता है लेकिन मेरी बदक़िस्मती यह है कि मैं अल्मोड़े में ही पैदा हुआ हूं और वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत, अध्यक्ष महोदय, बड़ी दयनीय है और कर्ज वग़ैरा के लिये प्रार्थना की है, वैसे वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। स्कूलों की हालत बहुत गुजरी हुई है। मैं अपने यहां के लिये नहीं बल्कि और भी जगहों के लिये जहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत ऐसी है, प्रार्थना करूंगा कि सरकार उनको मदद दे। टेहरी-गढ़वाल में अभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है और वहां के लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो जाना चाहिये। मैं तो उनको सलाह दे रहा हूं कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नाम तक न लें। अगर वह चाहते हैं कि उनके यहां शिक्षा तथा अस्पतालों का इंतजाम अच्छा हो तो सब से अच्छा काम यह होगा कि सरकार उनको अपने हाथ में ले ले बजाय इसके कि हर साल ग्रांट गवर्नमेंट

से मांगते रहें, मैं हुकूमत से प्रार्थना करूंगा कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को बन्द कर दें। कानपुर के भाई तो म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करने की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को बन्द कर दिया जाय। पंचायत ही सारा काम कर लेंगी। शिक्षा सरकार अपने हाथ में ले ले। मेरे कानपुर के भाई नाराज न हों। मैं चाहता हूं कि कोई बोर्ड खत्म न हो, लेकिन कानपुर की मोटर चलने वाली सड़कों के लिये मैं चाहता हूं कि रुपया न दिया जाय।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड का अनुदान भवन के सम्मुख आया है, इसलिये मैं जौनपुर की म्युनिसिपैलिटी के संबंध में थोड़ा सा सुझाव रखना चाहता हूं और वह यह है कि जौनपुर की म्युनिसिपैलिटी की टैक्स की हालत इतनी बढ़ी हुयी है कि वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इस संबंध में कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी टैक्स के संबंध में जो कुछ भी करेंगे जनता उसको सहर्ष क़बूल करेगी। मगर साथ ही साथ यह भी खयाल करना चाहिये कि वहां पर टैक्सेज किस बेसिस पर हों और उनके ग्राउन्ड्स होने चाहिये। म्युनिसिपल एरिया के अन्दर जहां हमारे शहर की हद आ जाती है वहां पर पाइप नहीं जा सकता है, बत्ती का इंतजाम नहीं है, फर्श नहीं है, झाड़ू नहीं दी जाती है और कूड़े की गाड़ी वहां नहीं पहुंच सकती है वहां पर भी टैक्स लगाया गया है। वाटर टैक्स और हाउस टैक्स दोनों लगाये गये हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि टैक्सेज़ वाजिब समझकर लिये जायं जिससे जनता में असंतोष न फैले।

दूसरी बात यह है कि वहां सफाई का प्रबंध सैनीटरी इंसपैक्टर्स का ऐसा है कि प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गली में और प्रत्येक नाली में से बदबू आती है और सब की सफाई ठीक तरह से नहीं होती है। वहां की नालियों की हालत ऐसी है कि शहर के अन्दर के जिस पानी को बाहर जाना चाहिये वह बाहर जाने के बजाय शहर के अन्दर आता है, लेकिन टैक्सेज की भरमार हो गयी है। शायद माननीय मंत्री को यह सूचित होगा कि वहां की जनता की तरफ से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स पर मुक़दमा चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो पंचवर्षीय असेसमेंट होता है उस असेसमेंट के होने पर वहां की जनता की शिकायत है कि जो वाटर टैक्स और हाउस टैक्स लगाया गया है उसमें पक्षपात किया गया है और ग़लत तरीक़े से लगाया गया है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां की जनता की शिकायतों पर वह ध्यान दें। टैक्ससेज़ भी जो वहां लगाये जा रहे हैं वह ग़लत तरीक़े से लगाये जा रहे हैं, वह सही तरीक़े से लगाये जायं, ताकि आइंदा जनता को शिकायत करने का मौक़ा न मिले। इसके अतिरिक्त टैक्सेज जिस आधार पर लगाये जायं उसके लिये जनता को पहले से ही सूचना मिलनी चाहिये कि इतना पैसा हाउस टैक्स और इतना पैसा वाटर टैक्स के रूप में लगाया जायगा।

चुंगी का मामला यह है कि जो लोग अपना माल म्युनिसिपैलिटी की हद के बाहर बेचते हैं और रहते म्युनिसिपैलिटी के हद में हैं तो जो वहां चुंगी अधिकारी हैं वह कहते हैं कि चूंकि तुम म्युनिसिपैलिटी में रहते हो इसलिये तुम्हें चुंगी देनी पड़ेगी चाहे सामान अपना म्युनिसिपैलिटी के अंदर बेचो या बाहर। माननीय मंत्री से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह चीज बाई लाज में हो तब तो वे सहर्ष टैक्स देने के लिये तैयार हैं लेकिन अगर यह धांधली है तो माननीय मंत्री जी इसको रोकने की व्यवस्था करेंगे। यही मुझे कहना है।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना वाद-विवाद इस डिमांड पर हुआ है उसमें एक खास बात तो यह है कि क़रीब-क़रीब सभी माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की है कि जो कुछ भी रुपया लोकल बाडीज़ के लिये इस बजट में रक्खा गया है वह काफी नहीं है। मैं भी उन माननीय सदस्यों की इस राय से सहमत हूं और मैं भी चाहता हूं कि रुपया और ज्यादा रक्खा जाय, लेकिन मजबूरियां हैं। बजट आपके सामने है। उसमें जिन-जिन चीजों को प्रायरिटी दी जा रही है वह साफ है। इसलिये अगर इसमें रुपया काफी नहीं है तो वह मजबूरी है। माननीय तिवारी जी को मैं उनके भाषण पर बधाई देता हूं। उन्होंने

[श्री मोहनलाल गौतम]

जितने सुझाव पेश किये हैं वे काफी अच्छे हैं। एक तो जो दो लाख कुछ हजार रुपये की ग्रांट की बात कही वह एक परमानेंट बेसिस पर एग्रिमेंट हुआ था। इसलिये वह घटती बढ़ती नहीं है। जहां तक फेरीज का हिसाब लगाने का सवाल है वहीं हिसाब हो, वहीं दे दिया जाय यह सवाल विचाराधीन है। ग्रांट इन एड की बात जहां तक उन्होंने कही उसमें इतना ही मुझे कहना है जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिन म्युनिसिपैलिटीज को पिछले तीन साल ग्रांट नहीं दी गयी थी उनको अबकी दी गयी है। जो सिद्धान्त उन्होंने रोड्स को ग्रान्ट देने के लिये बतलाया था माइलेज के हिसाब से वह हिसाब चाहे बिलकुल सही न उतरे, लेकिन इस बात से वह इत्तिफाक़ करेंगे कि जो मोटा उसूल उनके सुझाव में है वह मेरी इस कार्यवाही से, कि जिनको पिछले तीन साल में ग्रांट मिल चुकी है उन को न दे कर उनको दी गयी है जिनको पिछले तीन साल में नहीं मिली, पूरा होता है। यह ठीक है कि माइलेज का बिल्कुल रत्ती तक हिसाब न किया गया हो, लेकिन एक उसूल यह जरूर है कि हर म्युनिसिपैलिटी को ग्रान्ट्स-इन-ऐड मिल जाय। चाहे वह यहां तक पहुंचे या न पहुंचे या चाहे मेम्बर साहबान या चेयरमैन साहबान चाहें कि इन म्युनिसिपैलिटियों को मिल जाय, लेकिन अगर इस सिद्धांत के अनुसार नहीं आते तो उनको नहीं मिला है। इसलिये बहुत हद तक उनका सुझाव पूरा करने की कोशिश की गयी और फिर भी ये दोनों सुझाव अभी विचाराधीन हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही उन पर फ़ैसला हो जायगा।

केशवजी ने भी यही बात कही कि ग्रांट बढ़े। इसमें मुझे कुछ अधिक कहना नहीं है। बजट जब पेश होता है तो आम तौर से मंत्री को बहुत झिझक इस बात से होती है कि जब यह कहा जाय कि तुम्हारी मांग ज्यादा है, इसको कम किया जाय। लेकिन इस बात से तो हर एक मंत्री खुश होगा कि उसने जो मांग इस सदन के सामने पेश की है उसको इस सदन के सदस्यगण कम समझते हैं और बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। इसके लिये तो मंत्री उनको बधाई ही दे सकता है।

एक बात दो तीन माननीय सदस्यों ने और कही कानपुर के बारे में। कानपुर के लिये ४,३७,००० रुपये की रक़म रोड फंड से रखी गयी है। और जो कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में कहा गया कि दो दफ़ा जवाब तलब हुआ, वह सुपरसीड नहीं हुआ, गवर्नमेंट की इज्जत उससे कम हुई या बहुत सी इंतजाम के बारे में बातें कही गयीं। इस सिलसिले में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह चीज़ गवर्नमेंट के सामने है और गवर्नमेंट ने उस पर कुछ कार्यवाही भी की है और वह कार्रवाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से यही प्रार्थना करूंगा कि उसका वह इन्तजार करें।

आजमगढ़ और मऊ की म्युनिसिपैलिटियों के लिये रामसुन्दर जी ने मांग की है कि इन म्युनिसिपैलिटियों को भी मिले। इस बात से तो मैं सहमत हूं कि इन म्युनिसिपैलिटियों की हालत खराब है और किसी भी म्युनिसिपैलिटी की हालत ऐसी नहीं है जो कि अच्छी कही जा सके। लेकिन जो उसूल नारायण दत्त जी ने रखा और जिसको मैंने दूसरे रूप में पूरा करने की कोशिश की उसी के मुताबिक़ मऊ और आजमगढ़ को इस साल कोई ग्रांट नहीं मिल सकती। क्योंकि इन दोनों को पिछले तीन साल में मिल चुकी है इसलिये इस साल अगर कोई ग्रांट इनको दी जाती है तो मेरा ख़्याल है कि सब से पहला आब्जेक्शन नारायण दत्त जी का होता। इसलिये मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इनको कोई ग्रांट दी जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मुझे कैसे आपत्ति होती?

श्री मोहन लाल गौतम--इसलिये कि जो नियम आप ने रखा है कि माइलेज के हिसाब से रखा जाय उसको मैंने दूसरे रूप से पालन करने की कोशिश की और वह यह कि पिछले तीन साल में जिन म्युनिसिपैलिटियों को रुपया मिला है उनको न दिया जाय। अगर हम ऐसा

न करते तो कुछ म्युनिसिपैलिटियां ऐसी होतीं कि जिनको पिछले तीन साल में नहीं मिला और इस साल भी नहीं मिलता और कुछ ऐसी होतीं जिनको पहले भी मिला और इस साल भी मिलता और उसका कोई नियम न होता। उसको चाहे आप पैट्रोनेज कहते। इसलिये रामसुन्दर जी की मांग को अगर हम मंजूर कर लेते तो शिकायत आप ही को उस उसूल के अनुसार हो जाती।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप का रूप और मेरा रूप तो अलग-अलग है।

श्री मोहन लाल गौतम—रामपुर के बारे में जो कहा गया उसके लिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वाटरवर्क्स की दिक्कत हमारे सामने है और इस बात की तजवीज हमारे सामने है कि कुछ रुपया रामपुर के वाटरवर्क्स के लिये दिया जाय। अगर वह रुपया दिया गया और आशा है कि इसी फाइनेंशियल इयर में वह रुपया दिया जा सकेगा तब वह शिकायत दूर करने की कोशिश की जायगी। जौनपुर के बारे में एक बात कही गयी, एक और माननीय सदस्य ने यह कहा कि वहां पर टैक्स ज्यादा लगाये जाते हैं। मेरा अन्दाजा है कि यह चीज बहुत थोड़ी जगह हुई होगी जहां की म्युनिसिपैलिटियों ने ज्यादा टैक्स लगाया होगा। आम तौर पर शिकायत टैक्स कम लगाने की की जाती है और दूसरी तरफ़ ऐमिनीटीज मांगी जाती हैं। यह दोनों चीजें कहां तक चल सकती हैं कि टैक्स लगाने की तो शिकायत की जाय और सहूलियतें ज्यादा मांगी जायं। जैसा कि उपाध्याय जी ने कानपुर के बारे में कहा कि वहां के लिये वहीं के लोगों पर टैक्सेज लगाने चाहिये। अब टैक्स लगाने में यह देखने की बात है कि वाकई किसी समुदाय पर ज्यादती हो रही है या नहीं।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी शिकायतें की गयीं उन सब का उत्तर मैं माननीय अध्यक्ष जी की मार्फत तमाम सदन के सदस्यों को देना चाहता हूं, वह यह कि म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव आ रहा है अतः सब लोग मिलकर उन चुनावों में कोशिश करें कि जो लोग इन चुनावों में आयें वे माकूल किस्म के आयें, ताकि जो शिकायत आजकल म्युनिसिपैलिटीज की आ रही हैं वे न आयें। इसलिये म्युनिसिपैलिटीज के बारे में इधर शिकायत न करके माननीय सदस्य चुनाव की तरफ रुजू हों तो ज्यादा अच्छा है और उसको वहां से ही दुरुस्त करने की कृपा करें।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की फाइनेंशियल हालत के बारे में कहा गया। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि उनकी हालत खराब है, लेकिन इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि उनकी हालत को कैसे सुधारा जा सकता है। जहां तक पहाड़ी इलाक़ों के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का ताल्लुक़ है, उनकी हालत भी खराब है इसमें भी किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। इस साल ढाई लाख रुपया पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिया गया था जो इस साल यानी ५२-५३ के लिये था अब ५३-५४ के लिये ५ लाख रुपया रखा गया है, ताकि उनको सहायता दी जा सके। यद्यपि यह रुपया बहुत नहीं है लेकिन उनकी जो हालत इस वक्त खराब है उसके लिये यह रुपया दिया गया है बाक़ी जो जनरल हालत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की है वह तो खराब है ही, उस पर विचार किया जा रहा है।

एक सवाल और है, वह हायर एजूकेशन का है। इस संबंध में ऐजाज रसूल साहब ने शिकायत की। मेरे सामने दिक्क़त यह है कि म्युनिसिपैलिटीज अपनी प्राइमरी ड्यूटीज को नहीं करतीं हैं और बिना अपनी आमदनी का ठीक अन्दाज और हिसाब रखे हुये हायर एजूकेशन पर खर्चा कर डालती है। एक म्युनिसिपैलिटी की फाइल मेरे पास आयी जिसकी आमदनी १ लाख [illegible] हजार की है जिसमें से वह ५४ हजार रुपया एक कालेज पर खर्च कर देती है मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी जुरअत वे कैसे करती हैं। एक दूसरी म्युनिसिपैलिटी जिसका कि सफाई [illegible] का अच्छा इंतजाम नहीं है उसकी ११ लाख रुपया आमदनी है और २ लाख रुपया वह हायर एजूकेशन पर खर्च कर देती है। इस तरह हायर एजूकेशन पर अगर बेतहाशा रुपया खर्च कया जायगा तो बड़ी मुश्किल हो जायगी जब कि हालत यह है कि उनकी सफाई का

[श्री मोहन लाल गौतम]

का इंतजाम ठीक नहीं है, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की हालत ठीक नहीं है और हायर एजूकेशन पर इतना खर्च किया जाता है। दूसरे अमानत का रुपया जो म्युनिसिपैलिटी आक्ट्राय से वसूल करती है वह भी नहीं दिया गया है। बहुत सी जगह वह रुपया भी पड़ा है। इसको अगर अमानत में खयानत कहा जाय तो गैरवाजिब न होगा। क्योंकि यह रुपया तो उन्हें कभी का रिफ़ंड कर देना चाहिये था। पानी का इंतज़ाम और सफ़ाई का इंतज़ाम ठीक नहीं है लेकिन हायर एजूकेशन पर खर्च किया जा रहा है। जो कि उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, पहले जो अपनी प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करें, तब देख सकते हैं। फिर ऐजाज रसूल साहब फरमाते हैं कि किस कानून से आप ने ऐसा किया? फिर आप फरमाते हैं कि रक़म कम करते चले जाते। अगर आप को रक़म कम करने का अधिकार है तो उसे बन्द करने का भी अधिकार है। तो आप की दोनों बातें कैसे एक साथ चल सकती हैं? ऐडवाइस जो करें उसे मानें न मानें लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के चेयरमैन ऐडवाइस सुनने के लिये तैयार नहीं जब तक कि यह न कहा जाय कि आप नहीं कर सकते। उनकी तजवीज यह है कि रक़म कम करने की बात होती तो मैं कहता हूं कि मुझे अधिकार नहीं है। अगर यह अधिकार नहीं है तो किसी रक़म को बन्द कर दें यह भी अधिकार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं की जो थोड़ी सी महत्व को बात इसमें कही गयी है वह यह है कि लोकल बाडीज हायर एजूकेशन पर न खर्च करें। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मैं हायर एजूकेशन के कोई खिलाफ हूं। लेकिन इससे १० लाख रुपया लोकल बाडीज़ का बच जायगा और जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है उसमें वह रुपया लगेगा। यह हमारे लिये जरूरी है कि जो टैक्स देने वाला है, जिससे कि हम टैक्स लेते हैं उनके ऊपर पहले खर्च करें। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि लोकल बाडीज़ की हालत ख़राब है, उनकी फाइनेंशियल हालत ख़राब है, और उनकी हालत को दुरुस्त करना है, इनसे सहमत होते हुये मैं मजबूर हूं और इस छोटी सी रक़म को इस सदन के सामने स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस अनुदान के संबंध में हुए विवाद के प्रत्युत्तर में जो अपनी मजबूरियां दिखलायीं उसे सुन कर मैं भी थोड़ा बहुत मजबूर हुआ लेकिन जब मैंने तफसील में स्थिति का पर्यवेक्षण किया तो देखने को यह मिला कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत तो इतनी नाजुक हो गयी है कि माननीय मंत्री जी को अपनी मजबूरियों के रहते हुये भी स्थिति की ओर विशेष ध्यान देने के लिये मजबूर होना ही पड़ेगा। सन् १९५१-५२ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का कुल ओपेनिंग बैलेंस एक करोड़ ९ लाख था जो सन् ५२-५३ के अन्त में घट कर केवल ९ लाख रह गया है। यानी पिछले ५१-५२ से ५२-५३ के वर्ष तक जो एक करोड़ ९ लाख बैलेंस उनके पास था वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की धनराशि १ करोड़ की खत्म हो गयी और इस प्रकार इस वर्ष के अन्त में केवल ९ लाख रुपया ही रह गया। इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को शिक्षा के बजट के लिये ८४ लाख रुपया चाहिये, सड़कों के लिये उनको २१ लाख रुपया चाहिये, मिर्जापुर, देहरादून, फैजाबाद में प्राइमरी ४८ और जूनियर हाई स्कूल ५ की योजना है, उसके लिये भी रुपया चाहिये। बदायूं में डिस्पेंसरीज कम हो गयीं, सीतापुर में विमेन डिस्पेंसरी कम हो गयी, इस प्रकार से मेडिकल सर्विस की जो हालत है उसके लिये भी इस छोटे अनुदान से मजबूरियां दिखलायी गयीं। केवल यह कह देने से कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या म्युनिसिपल बोर्ड्स आटोनोमस बाडीज हैं, इससे कोई काम पूरा होने वाला नहीं है तो इस संबंध में कुछ सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। सन् १९५०-५१ तक सरकार की तरफ से कुछ स्पेशल स्कीम ग्रान्ट्स इन एड के रूप में म्युनिसिपैलिटीज के लिये थी—

सन्		लाख
१९४६-४७ में	..	२२ रुपया दिया गया था
१९४७-४८ में	..	१० रुपया ,,
१९४८-४९ में	..	७ रुपया ,,
१९४९-५० में	..	५ रुपया ,,

लेकिन सन् १९५०-५१ में उसको बिल्कुल बन्द कर दिया। इसी प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे उनको भी सरकार ने मदद की।

सन् १९४९-५० में ... ९० लाख रुपया दिया।

सन् १९५०-५१ में ... ३।। लाख रुपया दिया।

सन् १९५१-५२ में ... ५ लाख रुपया दिया।

लेकिन इन पिछले दो सालों के बजट में देखने से मालूम होता है कि उनको कुछ नहीं दिया गया। मैंने बजट के आम विवाद के समय कहा था कि स्थानीय निकायों का बजट स्टेट बजट से पहले नहीं आना चाहिये। यह हमारा दुर्भाग्य है कि केंद्रीय बजट तो प्रान्तीय बजट के बाद आता है और लोकल बाडीज़ का बजट स्टेट बजट के पहले आता है। यह कितनी विपरीत बात है। पहले सेन्टर का बजट फिर स्टेट का बजट और फिर लोकल बाडीज़ का बजट आना चाहिये। लेकिन अब जो तरीका है वह निश्चित सा नहीं है। इस प्रकार से सारा भार जा कर आम जनता पर पड़ता है। तो अब समय आ गया है कि जिस प्रकार से सेंटर प्राविन्स को इन्कमटैक्स के पूल में से कुछ रुपया देती है उसी प्रकार से एक्साइज़ में से जो आमदनी होती है उसका रुपया म्युनिसिपल बोर्ड को और रोडवेज़ से जो आमदनी होती है उससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देना चाहिये। यदि आप इस प्रकार से पूल में से रुपया निकाल कर लोकल बाडीज़ को ग्रांट नहीं देंगे तो उन लोकल बाडीज़ की जो आर्थिक अवस्था है वह सुधरने वाली नहीं है वह बिगड़ती चली जायगी। मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड को अपने यहां इन्टरटेनमेंट पर और बैटिंग पर सेस लगाने की इजाज़त दी है और इस प्रकार से लक्ज़री टैक्स लगा कर उनकी आमदनी को बढ़ाया गया है। इसी प्रकार हमारी सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिये। इससे यह होगा कि अलग से अनुदान देने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके साधन इस प्रकार से सरकार को करना चाहिये कि जिससे उनकी आमदनी बढ़े। जो जरूरी चीजें हैं या लक्ज़री चीजें हैं उन पर टैक्स लगाने का उनको अधिकार दे दिया जाय तो उनकी आमदनी बढ़ सकती है। तो माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर सकते हैं कि लोकल बाडीज़ के फाइनेंस की हालत कैसे सुधर सकती है।

जहां तक पहाड़ी बोर्डों का सवाल है माननीय मंत्री जी ने ५ लाख रुपया इस वर्ष रखा है। यानी ५३-५४ के बजट में रखा है। मैं फिर आप का ध्यान कमेटी रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जो लोकल बोर्ड्स के लिये ग्रान्ट्स इन ऐड कमेटी है और जिसमें यह कहा गया है कि सन् १९१२ में इस बात को मंजूर किया गया था चूंकि कुमायूं में सारे जंगल हैं तो उनके लिये किस प्रकार प्लेन्स में लोकल रेट्स से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आमदनी होती है उसी प्रकार पहाड़ी जिलों में फारेस्ट की आमदनी को लोकल रेट मान कर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देनी चाहिये। इस कारण मेरा यह निवेदन है कि फारेस्ट की आमदनी का चौथा हिस्सा कुल आमदनी में से निकाल कर उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया जाय जो पहाड़ी इलाकों में हैं। यह सिफारिश कमेटी की थी। इस प्रकार से करने पर अलग से अनुदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस जिले में जितनी रेवेन्यू की आमदनी है वहां पर पापुलेशन के हिसाब से उतना हिस्सा निकालना चाहिये। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लें तो आप को अलग से अनुदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय कम है इस कारण मैं इतना कह कर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे इन सुझावों पर विचार करके इनको कार्यान्वित करने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष (श्री नारायणदत्त तिवारी से)—क्या आप कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५, नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य) के अन्तर्गत ३५,०८,१०० रुपय की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन की बैठक का समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से एक संकल्प पेश करना चाहता हूं और वह इस प्रकार है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक का समय साधारणतः ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक का है। अतः यह सदन निश्चय करता है कि कार्यसूची पर मद संख्या ३,४ और ५ पर विचार करने के निमित्त सदन की बैठक ५ बजे के उपरान्त भी हो।"

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)--मैं यह महसूस करता हूं कि यह बहुत आवश्यक है लेकिन आजकल क्योंकि बजट के सिलसिले में हमको काफी तैयारी करनी पड़ती है, इसलिये समय बहुत कम मिलता है? वैसे यह मसला अहम और आवश्यक तो जरूर है लेकिन अगर इसके लिये बजट के बाद कोई तारीख मुकर्रर कर दी जाय तो अच्छा होगा। अगर २ घंटे बढ़ा दिये जायंगे तो हमारा ध्यान बजट से हटकर उस तरफ लग जायगा वर्ना मैं इसकी अहमियत और अरजेंसी को महसूस करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--पहले मैं आप का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ७६ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें ऐसा मोशन लाने के लिये ७ दिन का समय जरूर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--यह तो केवल आज का समय बढ़ाने का है और उन्होंने "संकल्प" शब्द इस्तेमाल किया है और अब तक हिन्दी में मोशन और रिजोल्यूशन दोनों अर्थों में "संकल्प" शब्द का ही प्रयोग होता है, अगर रिजोल्यूशन होता तो ७ दिन के नोटिस की जरूरत थी हालांकि वह भी अध्यक्ष की अनुमति से कम किया जा सकता है, यह तो मोशन है। जहां पर संकल्प का अर्थ मोशन का होता है वहां नोटिस के बगैर भी इस तरह से पेश हो सकता है और एक्स-टेंशन आफ टाइम के लिये यह प्रथा रही है कि तत्काल ही संकल्प आ जाता है जैसे कल ही कई बार आधा आधा घंटा करके समय बढ़ाया गया था, इसलिये इसमें कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायणदत्त जी से और श्री मदन मोहन उपाध्याय से प्रार्थना करूंगा कि अच्छा हो यदि वह चकबन्दी वाले प्रश्न को जितना जल्दी से जल्दी हो सके आने दें और उसके लिये यदि हमें २ घंटा अधिक बैठना पड़े तो हम बैठ जायं और बजट के कटौती के प्रस्तावों पर अगर कम भी हमारी तवज्जह होगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वह गिर तो जाते ही हैं। ऐसी हालत में मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि वह इसको स्वीकार कर लें और बाक़ी राजस्व मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वह भूमि व्यवस्था संबंधी विधेयक को बजट के बाद ही लें तो अच्छा है क्योंकि उसमें तो कोई जल्दी की बात नहीं है जिस से किसी नुकसान का अन्देशा है।

श्री अध्यक्ष--उपाध्याय जी ! क्या आप अपने एतराज को वापिस ले रहे हैं?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मेरी इतनी प्रार्थना श्री गेंदा सिंह जी से है ...

श्री अध्यक्ष--तो क्या आप मानने के लिये तैयार नहीं हैं?

श्री चरण सिंह--तो मुझे इसके जवाब में कुछ कहना नहीं है सिवा इसके कि जो मोशन मैंने पेश किया है वह तो केवल इतना है कि इसमें जो आइटम ३,४,५ हैं उन पर विचार कर लिया जाय और उन आइटम्स के लिये एक तरह का मोशन है कि रोज पांच बजे से ७ बजे तक बैठक हो, तो जो कुछ माननीय उपाध्याय जी और तिवारी जी ने कहा है वह उस वक्त लागू होगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि यह मद ले ली जाय और इसके लिये जो थोड़ा बहुत समय हो वह बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक का समय साधारणतया ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक का है। अतः यह सदन निश्चय करता है कि कार्य सूची पर मद संख्या ३,४ तथा ५ पर विचार करने के निमित्त सदन की बैठक पांच बजे के उपरान्त भी हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (तृतीय) आज्ञा, १९५३ को मेज पर रखना

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल द्वारा १४ फरवरी, १९५३ ई० को प्रसारित उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (तृतीय) आज्ञा, १९५३, को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४२ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (कन्सालिडेशन आफ़ होल्डिंग्ज़) विधेयक, १९५३

माल मंत्री श्री चरणसिंह --अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज) विधेयक, १९५३ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९६ पर)

निर्धारित समय के अतिरिक्त ५ बजे से ७ बजे सायंकाल तक सभा की बैठक करने के संबंध में संकल्प

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मैं निम्नलिखित संकल्प या मोशन उपस्थित करता हूं--

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ़ प्रोसीजर आफ़ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक ही होती है। तथापि विधान सभा द्वारा पारित व विधान परिषद् द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२, तथा उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स) विधेयक, १९५३ को, जल्द से जल्द अधिनियम बनने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित करने के लिये सदन की बैठक १० मार्च, १९५३ ई० तथा अन्य आगामी तिथियों को ५ बजे सायंकाल से ७ बजे सायंकाल तक भी होगी।"

अध्यक्ष महोदय, जमींदारी अबालिशन ऐक्ट का संशोधन करने वाला बिल जो कि इस सभा से मंजूर हो चुका था वह लेजिस्लेटिव कौंसिल में गया। लेजिस्लेटिव कौंसिल ने कुछ

* यहां पर छापी नहीं गयी।

[श्री चरण सिंह]

बहुत जरूरी लेकिन टेक्निकल संशोधन उसमें किये। और अब संविधान के अनुसार फिर इस विधान सभा में मंजूर होना जरूरी है। यह संशोधन जो लेजिस्लेटिव कौंसिल ने किये हैं वह कोई बहुत सब्सटेंशल नहीं हैं, किसी उसूल पर असर नहीं पड़ता है। वह लगान की तक-र्रुरी किन्हीं सूरतों में जिस तरीक़े से होनी चाहिये थी उस तरह का कोई विधान हमारे संशोधन विधेयक में नहीं था। उस कमी की लेजिस्लेटिव कौंसिल ने पूर्ति की है। तो अब यहां आना आवश्यक था।

मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह इस ख्याल से कि जल्दी से जल्दी हमारे विधान मंडल से यह विधेयक पास हो जाय और उसके बाद यह प्रेसीडेंट के ऐसेंट के लिये भेजा जायगा। वहां भी कुछ समय लगेगा। तो बहुत से संशोधन जो हमने करने जरूरी समझे थे उनमें से कई महत्व पूर्ण हैं। वह जब तक प्रेसीडेंट की एसेंट न हो जाय तब तक उन पर अमल नहीं हो सकेगा और उन में कुछ संशोधन ऐसे हैं कि किसानों को हक़ नहीं मिलेगा जब तक यह विधेयक अधिनियम का रूप धारण नहीं कर लेता है और किसानों को हानि होगी, जब कि हम सब की इच्छा है कि किसानों को वह अधिकार जल्द से जल्द मिल जाय। अगर इस संकल्प को सदन नामंजूर करता है तो इसका अर्थ यह होगा कि अप्रैल में फिर वह जायगा और यहां से अप्रैल में जायगा और फिर कहीं मई में जा कर प्रेसीडेंट की एसेंट मिल सकेगी। इसलिये मेरी दरख्वास्त है सदन से कि माननीय सदस्यों को तकलीफ तो होगी लेकिन उस तकलीफ को उस मंशा को पूरा करने के लिये, उन ग़रीब किसानों को अधिकार देने के लिये, या कानूनी कठिनाइयां जो थीं उनको दूर करने के लिये बरदाश्त करें, तो ज्यादा अच्छा होगा और हम एक दो घंटे यहां बैठें जब तक कि यहां से विधेयक पूर्णतया स्वीकार हो जाय।

रही दूसरी बात कंसालिडेशन आफ़ होल्डिंग्ज की, उसमें मेरा मंशा केवल इतना ही है कि पुरःस्थापन होने के बाद फिर सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का एक मोशन गवर्नमेंट की तरफ से आयेगा। और अगर यह संकल्प मंजूर हो गया और विचार होने को मंजूर हो गया तो सिलेक्ट कमेटी मार्च में ५ बजे के बाद रोजाना या किसी शनिवार या रविवार को बैठ कर विचार कर सकती है। अभी २०, २५ रोज हमें मार्च में मिलते हैं जब बजट चलता रहता है। तो जब बजट पर विचार पूरा हो जाय तब उसके बाद उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाय और अप्रैल में हम १५, २० तारीख तक कंसालिडेशन विधेयक को पास कर दें। उसके बाद वह फिर कौंसिल में जायगा। वहां से पास होने के बाद फिर दफ्तर की कार्यवाही होती है कि एक एक लफ्ज और पंक्चुएशन को देखना और माननीय राज्यपाल के दस्तखत आदि। तो अगर इस संकल्प को हम पास कर दें तो कहीं मई के आख़िर तक यह ऐक्ट बन सकेगा। और अगर नहीं इस संकल्प को पास करते हैं तो हो सकता है कि हम अप्रैल मई में इसको बिलकुल भी पेश न कर सकें। क्योंकि हमने अगर अप्रैल के शुरू में सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया और अप्रैल के आखिर में सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई तो मई में इस हाउस को बुलाना पड़ेगा और इसके बाद जून में कौंसिल को बुलाना पड़ेगा। और अगर कौंसिल ने संशोधन कर दिया तो फिर वह असेम्बली में आयेगा। कंसालिडेशन आफ़ होल्डिंग्ज का ऐसा विधेयक है जिसकी तफसील में कुछ मतभेद हो सकता है लेकिन उसके मोटे मोटे उसूलों में माननीय सदस्यों में से शायद ही किसी को मतभेद हो। तो जब कि यह नान कंट्रोवर्शियल है और जब कि चारों ओर से किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द चकबन्दी कराइये, तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि रोजाना ५ बजे के बाद दो दो घंटे बैठा करें।

श्री अध्यक्ष—मैं जरा स्पष्टीकरण उसके लिय चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। उनके संकल्प में और भाषण में थोड़ा सा अन्तर पड़ जाता है। उनका विचार यह मालूम होता है कि चकबन्दी के क़ानून पर विचार किया जायगा और सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जायगा। समें लिखा हुआ है, "संकल्प किया जाता है कि उक्त विधेयकों पर विचार तथा उन्हें

पारित करने के लिये।" तो इसमें यह भी है कि "उन्हें पारित करने के लिये।" होना यह चाहिये कि "उक्त विधेयकों पर विचार तथा जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक को पारित करने के लिये।" विचार तो दोनों पर होगा और पारित सिर्फ एक होगा। उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि किन दिनों में ५ बजे से ७ बजे तक बैठेंगे, नहीं तो बीच में रोजाना बैठक होगी।

दूसरी बात यह है कि संकल्प में है "आगामी तिथियों को" तो आगामी तिथियों में शनिवार और रविवार भी आ जाते हैं। १० तारीख के बाद यह भी हो सकता है कि ५,६ रोज कार्यवाही चले, तो "तिथियों" के बजाय "कार्य दिवसों" ये शब्द आ जायं तो अच्छा रहेगा। इसमें आप को कोई आपत्ति तो नहीं है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के इस विचार से तो इत्तफाक़ नहीं करता हूं कि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक से उन ग़रीब किसानों को ही मदद मिलने वाली है जिनका कि वह ज़िक्र कर रहे हैं। उसकी मेरिट में इस समय जाने का हमारा इरादा नहीं है। क्योंकि उससे तो बेकार की दलील और तफसील बढ़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर कहीं पर किसानों को कुछ राहत मिलने की बात है तो कुछ किसानों के हक़ छिन भी गये हैं। यह बातें तो जब बिल पर विचार होगा तो सामने आयेंगी। वैसी हालत में मैं सोचता हूं कि शायद उस पर कुछ तफसील में विचार करने की आवश्यकता पड़े तो उस संबंध में तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि दिन में ही "जिस दिन हमारे सदन की बैठक हो" उस दिन रखा जाय जैसे १६ तारीख के बाद कोई शनिवार हो तो शनिवार को भी बैठ जायं और उस वक्त विचार कर लिया जाय। लेकिन चकबन्दी वाली बात जो है जहां तक उनका संबंध है उसके लिये मैं उनकी इस राय से इत्तफाक़ करता हूं और मैं सदन से भी प्रार्थना करूंगा और आप से भी निवेदन करूंगा कि ५ बजे से ७ बजे तक जैसा उनका प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया जाय और उसमें यदि आवश्यकता पड़े एक दिन या उससे ज्यादा बैठने की तो उसके लिये इजाज़त आप की हो जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—यह आपका सुझाव है, संशोधन नहीं है?

श्री गेंदा सिंह—सुझाव ही तो है।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो उत्तर प्रदश जमींदारी अधिनियम के संशोधन विधेयक के संबंध में कहा है उसमें मुझे केवल यह कहना है कि मैंने इतना ही नहीं कहा था कि कुछ किसानों को अधिकार मिलना है वह वंचित रह जायंगे। मैंने साथ साथ यह भी कहा था कि कुछ क़ानूनी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से अड़चन पड़ रही है और किसानों को अधिकार मिलते या नहीं मिलते यह तो इससे भी साफ़ ज़ाहिर है जो कि हमने १६८ में कहा है। तो वह सब रुकी पड़ी रहेंगी। और फिर जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि कौंसिल से जो संशोधन आये हैं वह बिल्कुल टेक्निकल हैं लेकिन जब तक वह यहां से मंजूर नहीं हो जाते तब तक हम उसको दिल्ली नहीं भेज सकते। तो मैं आशा करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जिस उदारता का परिचय चकबन्दी विधेयक के लिये दिया है उसी तरह से वह इस एतराज को भी अगर मुमकिन हो और कोई कठिनाई न हो सैद्धान्तिक तो वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ़ प्रोसीजर आफ़ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक ही होती है। तथा विधान सभा द्वारा पारित व विधान परिषद् द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था

[श्री अध्यक्ष]

(संशोधन) विधेयक, १९५२, तथा उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स) विधेयक, १९५३ को जल्द से जल्द अधिनियम बनने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त विधेयकों पर विचार तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित करने के लिये सदन की बैठक १० मार्च, १९५३ तथा अन्य आगामी कार्य-दिवसों को ५ बजे सायंकाल से ७ बजे सायंकाल तक भी होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
९ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४३ पर)

सूची

तहसील	एकड़ों में			
	भूमि जिसमें खेती होती है	ऊसर	बंजर	परती
मोगांव	१,८५,६५४	४८,२४५	१९,८५२	१४,१५६
मैनपुरी	१,२८,१५०	७२,९१०	१६,७३४	१,२५५
शिकोहाबाद	१,३५,५३५	२७,५६७	५,६०२	६,०२३
करहल	८३,१५८	३०,७५९	१२,०५८	४,९९५
जसराना	१,२५,३८४	४६,६८८	१२,१४८	७,०३९

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ २६१ पर)

उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १९५३

कृषि के विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था करने के लिये,

विधेयक

यह आवश्यक है कि कृषि के विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था की जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ। १--(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी अधिनियम १९५३" होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और इस अधिनियम का अवशिष्ट भाग उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

निरसन। २--यू० पी० कन्सालिडेशन आफ़ होल्डिंग्स ऐक्ट, १९३९ एतद्द्वारा निरस्त (repeal) किया जाता है।

परिभाषायें। ३--विषय या प्रसंग (subject or contest) में कोई बात प्रतिकूल (repugnant) न होने पर इस अधिनियम में:

(१) "सहायक चकबन्दी अधिकारी (Assistant consolidation officer) का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये धारा ४२ के अधीन नियुक्त करें;

(२) "चकबन्दी" का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में भूमि (land) के अधिकारी विभिन्न खातेदारों के बीच उक्त भूमि के ऐसे पुनर्वितरण से है जिससे कि वे क्षेत्र जो उनके पास समय विशेष पर उक्त रूप में हों, और अधिक संहत (compact) हो जायं,

अपवाद--इस खंड के प्रयोजनों के लिये भूमि के अन्तर्गत बाग भूमि (grove land) अथवा ऐसे भूमि जिसका उल्लेख १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में है, नहीं है, किन्तु पशुचर भूमि उसके अन्तर्गत है।

(३) "चकबन्दी अधिकारी" (consolidation officer) का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये धारा ४२ के अधीन नियुक्त करे।

(४) "भूमि" (land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो कृषि के प्रयोजनों या कृषि से संबंद्ध प्रयोजनों अथवा पशुचर के लिये उठाई गई हो या अध्यासित हो, और उसके अन्तर्गत इमारतों तथा अन्य रचनाओं (स्ट्रक्चर्स) के स्थल (साइट्स) हैं, और ऐसी भूमि है, जो सार्वजनिक प्रयोजनों के उपयोग में आती हो।

(५) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है' जो कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "लीगल रिप्रेज़ेन्टेटिव" को दिया गया है ; ऐक्ट संख्या ५ १९०८ :

(६) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(७) किसी लेख्य के संबंध में "गांव में प्रकाशन" या "गांव में प्रकाशित (Published) करने का तात्पर्य है कि गांव समाज की बैठक में उक्त लेख को पढ़ कर सुनाया जाना तथा गांव समाज के कार्यालय में पांच दिन तक उसे इस विषय में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये प्रदर्शित किया जाना ;

(८) "बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)" [सेटिलमेंट आफ़िसर (चकबन्दी)] का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) [सेटिलमेंट आफ़िसर (चकबन्दी)] के कार्य करने के लिये धारा ४२ के अधीन नियुक्त करे तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) [सेटिलमेंट आफ़िसर चकबन्दी)] के कोई या सभी कार्य करने का अधिकृत करे;

(९) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

(१०) "खातेदार" (tenure holder) का तात्पर्य संबद्ध भूमि के भूमिधर, सीरदार, अधिवासी अथवा असामी से है ;

(११) उन शब्दों अथवा पदों के,

(क) जिनकी इस अधिनियम में परिभाषा नहीं की गयी है किन्तु जो यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में परिभाषित हैं, अथवा — यू० पी० ऐक्ट संख्या ३,१९०१।

(ख) जो इस अधिनियम में अथवा यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में परिभाषित नहीं है किन्तु जिनकी परिभाषा १९५० ई० का उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में की गयी है, — यू० पी० ऐक्ट ३ १९०१। उ० प्र० अधिनियम १,१९५०।

वही अर्थ होंगे जो उनके उस ऐक्ट या उस अधिनियम में किये गये हैं जिनमें वे परिभाषित हैं।

अध्याय २

नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन

४—(१) चकबन्दी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार, यह प्रख्यापित कर सकती है कि उसने किसी ज़िले अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के संबंध में चकबन्दी योजना बनाने का निश्चय किया है। — चकबन्दी के संबंध में प्रख्यापन।

(२) प्रत्येक ऐसा प्रख्यापन (declaration) सरकारी गज़ट में तथा उक्त ज़िले या स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव में प्रकाशित किया जायगा।

प्रख्यापन का प्रभाव।

५—(१) धारा ४ के अन्तर्गत प्रख्यापन के प्रकाशित होने पर ज़िला अथवा स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी दशा हो, प्रकाशन के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं (consolidation operations) के अन्तर्गत समझा जायगा जब तक कि धारा ५१ के अन्तर्गत इस आशय की विज्ञप्ति न प्रकाशित कर दी जाय कि चकबन्दी की क्रियायें समाप्त कर दी गयी हैं।

(२) जब कोई जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत हो, तब यू० पी लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ३ के अधीन नक्शों, खसरों, (field books) तथा वार्षिक रजिस्टरों के रख-रखाव का कार्य बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को संक्रामित हो जायगा, और तत्पश्चात् उक्त चैप्टर के अधीन कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार को प्राप्त सभी अधिकार, जब तक जिला अथवा क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत रहे, क्रमश: बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) , चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किये जायेंगे।

धारा ३ के अन्तर्गत प्रचारित प्रख्यापन का रद्द करना।

६—(१) राज्य सरकार के लिये वैध होगा कि वह धारा ३ के अन्तर्गत प्रचारित प्रख्यापन को, उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग के सम्बन्ध में, रद्द (cancel) कर दे।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में प्रख्यापन रद्द कर दिया जाय, तो वह क्षेत्र रद्द हो जाने के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत न रहेगा।

माल अभिलेखों की परीक्षा।

७—सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी की कच्ची योजना (Provisional Consolidation scheme) तैयार करने से पहले गांव के नक्शे, खसरे तथा अधिकार अभिलेख (record of rights) की शुद्धता की जांच तथा परीक्षा करेगा।

अभिलेख का पुनरीक्षण तथा संशोधन।

८—(१) जब कि धारा (५) में अभिदिष्ट लेखों की परीक्षा करने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी का यह मत हो कि नक्शों अथवा अभिलेखों का पुनरीक्षण, चकबन्दी की कच्ची योजना बनाने में अगली कार्यवाही करने से पूर्व ही आवश्यक है तो वह तदनुसार राज्य सरकार से इस आशय की सिफ़ारिश करेगा।

(२) जब उसका यह मत हो कि नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण आवश्यक नहीं है, तो वह नियत रीति से गांव के नक्शे और खसरे की सहायता से खेत की पड़ताल करना आरम्भ कर देगा तथा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ की धारा ३२ में निर्दिष्ट अभिलेखों के इन्दराजों को. उक्त ऐक्ट के चैप्टर ३ के उपबन्धों के अनुसार शुद्ध कर देगा।

संशोधित अभिलेखों का प्रकाशन

९—धारा ८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत तैयार किया गया वार्षिक रजिस्टर (annual Register) गांव में प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर को भेज दी जायगी।

अभिलेखों के पुनरीक्षण के संबंध में प्रख्यापन।

१०—धारा ८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत सिफ़ारिशें प्राप्त होने पर राज्य सरकार इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात् यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ४ के उपबन्धों के अनुसार सम्बद्ध गांव या गांवों का पुनरीक्षित (revised) नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायगा मानों कि उक्त ऐक्ट की धारा ४८ के अन्तर्गत उस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गयी है।

११—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी, धारा ८ के अन्तर्गत रजिस्टर का प्रकाशन हो जाने पर अथवा धारा १० के अन्तर्गत अभिलेख तैयार हो जाने पर यथाशीघ्र निम्नलिखित तैयार करेगा— गाटों का और खातेदारों का विवरण तैयार किया जाना।

(क) प्रत्येक खातेदार के खातों में सम्मिलित सभी गाटों (plot) की सूची जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:—

(१) प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल,

(२) अन्तिम बन्दोबस्त के अनुसार गाटों का मिट्टी (soil) के अनुसार वर्गीकरण,

(३) अन्तिम बन्दोबस्त के रजिस्टर या पुनरीक्षण क्रियाओं (revision operations) में से जो भी सबसे बाद की हो उसमें ऐसी मिट्टी के वर्ग के लिये स्वीकृत मौरूसी लगान की दरें,

(४) गाटे के लगानी मूल्य,

(५) गाटे की नियत रीति से आकलित मालगुजारी या लगान जैसी भी दशा हो,

(६) ब्योरे जो नियत किये जायं।

(ख) प्रत्येक खातेदार की एक सूची जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(१) सभी प्रकार के भौमिक अधिकारों के अन्तर्गत खातेदारों द्वारा अधिकृत भूमि का कुल क्षेत्रफल,

(२) उसके अंश की मालगुजारी अथवा लगान, जैसी भी दशा हो,

(३) खातेदार द्वारा अधिकृत क्षेत्रफल का लगानी मूल्य, और

(४) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

(२) यह विवरण (Statement) गांव में प्रकाशित किया जायगा।

१२—(१) कोई भी व्यक्ति धारा ११ के अन्तर्गत विवरण प्रकाशित होने के ३० दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष विवरण में किसी भी इन्दराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर आक्षेप के रूप में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा तत्सम्बन्धी कोई अकरण (omission) बता सकता है। विवरण पर आपत्तियां।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में, यदि आवश्यकता हो तो पक्षों की सुनवाई करके भूमि प्रबन्धक समिति के विचारों सहित उक्त आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा जो उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (४) में की गयी है, सभी आपत्तियों को नियत रीति से निस्तारित करेगा।

(३) चकबन्दी अधिकारी का निर्णय इस अधिनियम में अथवा इसके द्वारा अन्यथा व्यवस्था न होने पर, अन्तिम होगा।

(४) यदि उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्ति में आगम (title) का प्रश्न अन्तर्गत (involved) हो और इस प्रश्न को पहले से किसी समक्ष (competent) न्यायालय ने निर्णित न किया हो, तो चकबन्दी अधिकारी उक्त प्रश्न को निर्णय के हेतु मध्यस्थ (arbitrator) के पास अभिदिष्ट करेगा जिसका इस संबंध में निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय ३

चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना

चकबन्दी योजना।

१३—चकबन्दी योजना में निम्नलिखित होंगे—

(क) धारा १४ में अभिदिष्ट सिद्धान्तों का विवरण,

(ख) धारा १६ में अभिदिष्ट प्रस्तावों का विवरण, तथा

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जायं।

सिद्धांतों का विवरण।

१४—(१) चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत प्रत्येक गांव के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी एक विवरण तैयार करेगा (जिसे यहां आगे चलकर सिद्धान्तों का विवरण कहा गया है) जिसमें वे सिद्धान्त लिखित होंगे जिनका अनुसरण चकबन्दी योजना बनाने में किया जायगा। विवरण में गांव में प्रस्तावित पुनर्मापन (re-survey) तथा स्थिति (layout) की स्थूल रूप-रेखा (Broad outline) प्रदर्शित होगी।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी भूमि प्रबन्धक समिति की मन्त्रणा ले कर नियत रीति से इस विवरण को तैयार करेगा।

(३) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी और भूमि प्रबन्धक समिति के बीच किसी विषय में मतभेद हो तो यह विषय बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास अभिदिष्ट किया जायगा जिसका इस संबंध में निर्णय अन्तिम होगा।

सिद्धांतों का विवरण तैयार करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत।

१५—सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १४ के अन्तर्गत सिद्धान्तों का विवरण तैयार करने में निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रक्खेगा, अर्थात्

(१) प्रत्येक खातेदार को जहां तक सम्भव हो उसी गुट (block) में भूमि प्रदिष्ट की जाय जिसमें उसके खाते की सब से अधिक भूमि हो;

(२) प्रत्येक गांव में भूमि बांट कर निम्नलिखित गुटों में वर्गीकृत की जाय:

(क) ऐसी भूमि का गुट जिसमें केवल चावल उत्पन्न होता हो;

(ख) ऐसी भूमि का गुट जिसमें चावल को छोड़ कर एक फस्ली फस्ल होती हों;

(ग) ऐसी भूमि का गुट जो मुख्यतः दुफस्ली हो, और

(घ) ऐसी भूमि का गुट जिसमें किसी नदी का पानी आता हो:

(३) केवल उन्हीं खातेदारों को गुट विशेष में भूमि मिले जिनकी भूमि पहले से वहां हो;

(४) आबादी के लिये विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़ कर प्रत्येक खातेदार को प्रदान किये जाने वाले चकों की संख्या गांव में गुटों की संख्या से अधिक न हो उस दशा के अतिरिक्त जब कि केवल एक ही गुट हो और भूमि न्यूनाधिक एक सी न हो;

(५) एक ही परिवार के खातेदारों को जहां तक सम्भव हो पास पास में चक दिये जायं;

(६) खातेदार के निवास गृह की स्थिति अथवा उसके द्वारा की गयी उन्नति (improvement) पर यदि कोई हो, चक प्रदान करते समय विचार किया जाय ;

(७) छोटे खातेदारों को गांव की आबादी के समीप, जहां तक व्यवहार्य हो, भूमि प्रदान की जाय ;

(८) किसी भी वर्तमान संहत खाता (compact holding) या फ़ार्म को जो क्षेत्रफल में ६ १/४ एकड़ का या इससे अधिक हो यथासम्भव वितरित अथवा विभक्त न किया जाय ;

(९) अन्य ऐसे सिद्धांत जो नियत किये जायं।

सिद्धांतों के विवरण का प्रकाशन तथा उस पर आपत्तियां।

१६—(१) धारा १५ के अन्तर्गत तैयार किया गया सिद्धांतों का विवरण गांव में प्रकाशित किया जायगा और इसकी एक प्रति चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जायगी।

(२) ऐसा व्यक्ति, जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से ७ दिन के भीतर, नियत रीति से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है,

सिद्धांतों के विवरण पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण।

१७—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १६ के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों पर, यदि आवश्यक हो तो, पक्षों की सुनवाई करने के बाद भूमि प्रबंधक समिति के विचारों को ध्यान में रख कर उन आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो नियत रीति से आपत्तियों को निस्तारित करेगा।

(२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसका इस संबंध में निर्णय जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो, अन्तिम होगा।

(३) चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) अपील अथवा आपत्ति का निर्णय करने से पूर्व जैसी भी दशा हो, सम्बद्ध पक्षों को तथा भूमि प्रबन्धक समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् गांव का स्थानीय निरीक्षण करेंगे।

सिद्धांतों के विवरण की पुष्टि।

१८—यदि धारा १६ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सिद्धांतों के विवरण पर कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की जाती अथवा यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की जाने के बाद अन्तिम रूप से निस्तारित हो चुकी हों, तो बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ऐसे परिष्कारों और परिवर्तनों के बाद जो धारा १६ के अन्तर्गत दी गयी आज्ञा को, यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुये आवश्यक हों, विवरण का पुष्टीकरण करेगा और तत्पश्चात् इस प्रकार पुष्टीकृत विवरण अन्तिम होगा, और गांव में प्रकाशित किया जायगा।

प्रस्ताव विवरण।

१९—(१) धारा १८ के अन्तर्गत विवरण के पुष्टीकरण के बाद ही, सहायक चकबन्दी अधिकारी इस विवरण के अनुसार नियत रूप से प्रस्तावों का विवरण तैयार करेगा जिनमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे—

(क) प्रत्येक खातेदार के संबंध में धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ख) में वर्णित ब्योरे ;

(ख) प्रत्येक खातेदार के खाते के वर्तमान गाटों के बदले में प्रदान किये जाने वाले प्रस्तावित गाटों की खसरा संख्या, उनमें, अधिकारों का प्रकार तथा लगानी मूल्य (Rental Value) तथा इस प्रकार निर्दिष्ट खेतों का मिट्टी के अनुसार वर्गीकरण ;

(ग) 'ख' के प्रस्तावों के समर्थन में संक्षिप्त कारण ;

(घ) उस खातेदार को जिसले अपनी वर्तमान खाते से कम लगानी मूल्य की भूमि प्रदिष्ट की जाय तो उसका दिया जाने वाला प्रतिकर, यदि कोई हो ;

(ङ) पेड़ों और कुवों अथवा इमारतों के लिये नियत रीति से आकलित प्रतिकर ;

(च) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्रों की स्थिति (layout);

(छ) अन्य ऐसे व्योरे जो नियत किये जायं ।

(२) प्रस्तावों के विवरण के साथ गांव का नक्शा भी होगा जिसमें गाटों का प्रस्तावित क्रम प्रदर्शित होगा ।

(३) यदि प्रस्तावों का विवरण तैयार करते समय सहायक चकबन्दी अधिकारी को यह आवश्यक प्रतीत हो कि योजना के अन्तर्गत किसी खाते के साथ किसी ऐसी भूमि का संयोजन आवश्यक है जो सार्वजनिक प्रयोजनों के उपयोग में आती है तो वह इस आशय का प्रख्यापन करेगा और इस प्रख्यापन में बतलायेगा कि उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर जनता के और सभी व्यक्तियों के अधिकार, विवरण में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट अन्य किसी भूमि में हस्तांतरित कर दिये जायंगे और जब अधिकार इस प्रकार हस्तांतरित कर दिये जायं, तो वे उस भूमि के संबंध में जिससे कि वे हस्तांतरित किये गये हों, समाप्त हो जायेंगे ।

(४) उक्त विवरण भूमि प्रबन्धक समिति का परामर्श लेकर नियत रीति से तैयार किया जायगा ।

(५) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी और भूमिप्रबन्धक समिति के बीच किसी भी विषय में मतभेद हो तो वह विषय बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास अभिदिष्ट किया जायगा जिसका इस संबंध में निर्णय अन्तिम होगा ।

विवरणों पर आपत्तियां ।

२०—(१) धारा १९ के अन्तर्गत तैयार किया गया प्रस्तावों का विवरण गांव में प्रकाशित किया जायगा ।

(२) ऐसा व्यक्ति जिस पर प्रस्तावों का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, प्रकाशन के दिनांक से १५ दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

(३) जनता में से कोई अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या सार्वजनिक भूमि पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो अथवा अन्य कोई ऐसा स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो जिस पर धारा १९ की उपधारा (१) के खंड (ङ) और उपधारा (२) के अन्तर्गत प्रस्तावों से वस्तुतः विपरीत प्रभाव पड़ता हो तो वह उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रख्यापन प्रकाशित होने के दिनांक से १५ दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उक्त स्वत्व अथवा अधिकार का प्रकार और वह रीति जिसमें उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, तथा तदर्थ प्रतिकर के दावे के संबंध में व्योरे तथा उसकी धनराशि बताते हुये, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के हस्तांतरण अथवा न्यूनीकरण के कारण कोई भी दावा नहीं गृहीत किया जायगा।

२१—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा २० के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों पर यदि आवश्यक हो तो सम्वद्ध पक्षों की सुनवाई के बाद उन आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा जो उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था धारा २२ में की गयी है, इन आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा। विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण।

(२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसका इस संबंध में निर्णय, जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो, अन्तिम होगा।

(३) चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) आपत्ति अथवा अपील की जैसी भी दशा हो, निर्णय करने के पूर्व सम्बद्ध पक्षों तथा भूमि प्रवन्धक समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् गांव का स्थानीय निरीक्षण करेंगे।

२२—(१) यदि धारा २० के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्ति में कोई आगम का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो और इस प्रश्न को पहले ही से किसी समर्थ न्यायालय ने अन्तिमरूप से न निर्णित किया हो, तो चकबन्दी अधिकारी उस प्रश्न को निर्णय के हेतु मध्यस्थ (arbitrator) के पास अभिदिष्ट करेगा। भूमि में आगम के संबंध में आपत्तियां।

(२) ऐसे सभी वाद या व्यवहार (suits or proceedings) जो प्रारम्भिकन्यायालय या पुनर्वाद (appeal) में हों और जिनमें उस ही भूमि से सम्बद्ध आगम (title) का प्रश्न उठाया गया हो, रोक दिये जायंगे।

(३) उपधारा (१) के अन्तर्गत इस संबंध में मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा।

२३—यदि धारा २० में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तावों के विवरण पर कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी हो अथवा यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की जाने के बाद धारा २१ अथवा २२ के अन्तर्गत निस्तारित हो चुकी हों तो बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ऐसे परिष्कारों और परिवर्तनों के बाद जो धारा २१ अथवा २२ के अन्तर्गत आज्ञा को ध्यान में रखते हुये आवश्यक हों, विवरण का पुष्टीकरण करेगा और तत्पश्चात् इस प्रकार पुष्टीकृत विवरण अन्तिम होगा और नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा। प्रस्तावों के विवरण की पुष्टि।

अध्याय ४

योजना का प्रचलित किया जाना

२४—चकबन्दी योजना उस दिनांक को प्रचलित होगी जिसे चकबन्दी अधिकारी निर्दिष्ट करे। योजना के प्रचलन का दिनांक।

२५—अन्तिम चकबन्दी योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकार नियत रीति से तथा नियत रूप में प्रदेशना आज्ञा (allotment order) जारी करेगा। जिसमें उक्त योजना के अनुसार प्रत्येक खातेदार को प्रदिष्ट नये खेत दिखाये रहेंगे। नये खातों की प्रदेशना।

क़ब्ज़ा करने का दिनांक।

२६--चकबन्दी योजना के पुष्ट होने के दिनांक के बाद अगले कृषि वर्ष (agricultural year) के प्रारम्भ से भूमि के खातेदारों का प्रदिष्ट खेतों पर क़ब्ज़ा करने का अधिकार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभी खातेदार सहमत हों तो सहायक चकबन्दी अधिकारी, उन सब को तुरन्त या किसी ऐसे दिनांक से, जिसे वह निर्दिष्ट करे, क़ब्ज़ा करने की अनुमति दे सकता है।

नये माल अभिलेख।

२७--(१) चकबन्दी योजना के प्रचलित होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे गांव के संबंध में, जो चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत हो, गांव का नया नक्शा, खसरा (field book) और अधिकार अभिलेख तैयार किये जाने के लिये यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ४८ के अधीन एक विज्ञप्ति निकालेगी और इसके पश्चात् यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ के उपबन्धों के अनुसार नये अभिलेख तैयार किये जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत तैयार किये गये अधिकार अभिलेख के सभी इन्दराज अन्तिम तथा निश्चायक होंगे।

क़ब्ज़ा दिलाने के संबंध में सहायक चकबन्दी अधिकारी के अधिकार

२८--सहायक चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों को जिन्हें चक प्रदिष्ट किये गये हों जोत पर जिसके वे इस प्रकार अधिकारी हों, उसकी खड़ी फ़सलों के साथ यदि कोई हो, वास्तविक रूप से क़ब्ज़ा (physical possession) दिलायेगा और ऐसा करने में उसे अपमान (contempt) प्रतिरोध (resistance) तथा ऐसी ही अन्य बातों के संबंध में वे अधिकार (powers) प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग अचल सम्पत्ति पर क़ब्ज़ा दिलाने की डिग्री के सम्पादन (इजरा) करने में दीवानी न्यायालय कर सकते हैं।

प्रतिकर।

२९--(१) यदि धारा २५ के अधीन किसी भूमि के खातेदार की प्रदिष्ट (allotted) भूमि पर खड़ी फ़सलें हों तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा, जिसे क़ब्ज़ा दिलाया गया हो, ऐसी फ़सलों के संबंध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा और उक्त खातेदार क़ब्ज़ा करने के दिनांक से छः मास के भीतर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिस से या जिनसे क़ब्ज़ा संक्रामित किया गया हो, प्रतिकर देगा और ऐसा न करने की दशा में उससे ऐसा प्रतिकर मालगुज़ारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(२) यदि कोई भूमि का खातेदार जिससे इस योजना के अधीन प्रतिकर वसूल किया जा सकता हो, धारा २६ के अधीन क़ब्ज़ा करने के दिनांक से ३० दिन के भीतर ऐसा प्रतिकर नियत रीति से जमा न करे तो वह उस से मालगुज़ारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा, और वह नियत रीति से वितरित किया जायगा।

चकबन्दी के पश्चात् अधिकार।

३०--उस दिनांक से जब कोई खातेदार अपने को प्रदिष्ट गाटों पर धारा २६ के उपबन्धों के अधीन क़ब्ज़ा करता है, उसके अपने पहले के जोत के अधिकार (Rights), आगम (Titles) और स्वत्व (interest) समाप्त हो जायंगे और उसे, यदि कोई परिष्कार किया जाय तो उसे बाधित न करते हुये धारा २५ के अधीन प्रदिष्ट गाटों के संबंध में वही अधिकार, आगम और स्वत्व प्राप्त होंगे जो अन्तिम चकबन्दी योजना में निर्दिष्ट हों।

भार (Encumbrances)

३१--(१) यदि चकबन्दी योजना के अन्तर्गत लाया गया कोई खाता, किसी पट्टे, बन्धक अथवा किसी अन्य भार (encumbrance) से ग्रस्त हो, तो ऐसा पट्टा, बन्धक अथवा अन्य भार उस योजना के अन्तर्गत तदनुरूप जोत (Correspoding holding) से अथवा उसके किसी ऐसे भाग पर संक्रामित

और उसे सम्बद्ध कर दिया जायगा, जिसे सहायक चकबन्दी अधिकारी ने इस योजना को तैयार करते समय अवधारित किया हो, और तदुपरान्त पट्टेदार, बन्धकी अथवा अन्य भारकर्ता (Encumbrancer) की जैसी भी दशा हो, उस भूमि में या उसके प्रति कोई अधिकार (Right) न रह जायेगा जिससे वह पट्टा अथवा अन्य भार संक्रमित किया गया हो।

(२) यदि किसी ऐसे जोत (Holding) का बाजारी मूल्य जिसमें उपधारा (१) के अधीन कोई पट्टा, बन्धक या अन्य भार संक्रामित किया गया हो, उस जोत के बाजारी मूल्य से कम हो, जिसमें से वह संक्रामित किया गया हो, तो पट्टेदार, बन्धकी अथवा अन्य भारकर्ता को, जैसी भी दशा हो, खातेदार (tenure holder) से ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकार होगा जिसे सहायक चकबन्दी अधिकारी अवधारित करे।

(३) सहायक चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो किसी पट्टेदार, बन्धकी अथवा अन्य भारकर्ता को जो क़ब्ज़ा पाने का अधिकारी हो, ऐसे किसी जोत अथवा जोत के किसी भाग का क़ब्ज़ा दे सकते हैं जिसमें उपधारा (१) के अधीन उसका पट्टा अथवा अन्य भार संक्रामित किया गया हो।

खाता संक्रामित करने का अधिकार।

३२—यूनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ और १९५० ई० के उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, में किसी बात के रहते हुये भी भूमि के खातेदारों (Tenure holders) के ऐसे अधिकार (Rights), आगम (title) और स्वत्व (interest) जो उनके जोतों में हों और उन पर के कोई भार, उन पर प्रभाव डालने वाली किसी चकबन्दी की योजना के कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विनिमय (Exchange) द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार के संक्रामण योग्य (trans ferable) होंगे और किसी भूमि के खातेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी संक्रामण पर आपत्ति करने अथवा हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा।

व्यय (Costs)

३३—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत रीति से चकबन्दी का व्यय अवधारित करेगा, और ऐसे व्यय को उन व्यक्तियों के बीच बांटेगा जिन पर चकबन्दी की आज्ञा का प्रभाव पड़ा हो।

(२) इस धारा के अधीन कोई धनराशि जो व्यय के रूप में देय हो, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

प्रचलित करने पर आपत्ति पत्र।

३४—(१) यदि कोई व्यक्ति धारा २५,२६,२८,२९,३० और ३१ के अधीन दी गयी सहायक चकबन्दी अधिकारी की किसी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो तो वह ऐसी आज्ञा के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर नियत रीति से चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी उक्त आपत्ति को अपनी रिपोर्ट के साथ चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

आपत्ति का निस्तारण (disposal of objections)

३५—(१) धारा ३४ के अधीन आपत्ति तथा रिपोर्ट के प्राप्त होने पर चकबन्दी अधिकारी, ऐसी स्थिति को छोड़ कर जिसके विषय में धारा ३६ में कोई व्यवस्था की गयी हो नियत रीति से तथा आपत्तिकर्ता को सूचना (notice) देने के बाद उक्त आपत्ति का निस्तारण करेगा।

(२) चकबन्दी अधिकारी का निर्णय ऐसी दशा को छोड़ कर जिसके विषय में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई व्यवस्था की गयी हो, अन्तिम होगा।

मध्यस्थ निर्णय (arbitration) के निमित्त भेजना ।

३६—(१) उस दशा में जब धारा ३४ के अधीन की गयी आपत्ति में भूमि के आगम (title) का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो और ऐसे प्रश्न का निर्णय अन्तिम रूप से किसी सक्षम (competent) न्यायालय द्वारा न हो चुका हो, तो चकबन्दी अधिकारी उसे निस्तारण के निमित्त मध्यस्थ के पास अभिदिष्ट करेगा।

(२) मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय ५

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

मध्यस्थ निर्णय।

३७—(१) यदि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन किसी विषय को निर्णय के निमित्त किसी मध्यस्थ के पास भेजने का आदेश दिया जाय तो राज्य उन दीवानी न्यायाधिकारियों (सिविल जुडिशियल आफ़िसर्स) में से किसी को जिनको अपने पद का कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा और अन्य सभी बातों में, मामले का निर्णय आरबिट्रेशन ऐक्ट, १९४० के अनुसार किया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति या तो सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट मामले या किसी विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के संबंध में की जा सकती है।

साक्षियों के उपस्थित कराने तथा अन्य विषयों के अधिकार।

३८—निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी भी बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे सब सामर्थ्य (powers), अधिकार (rights) और विशेषाधिकार (privileges) प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार (action) में निम्नलिखित मामलों के संबंध में दीवानी न्यायालय (Civil Court) को प्राप्त हैं—

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और उनको शपथ दे कर प्रतिज्ञान (affirmation) कराके, या अन्य प्रकार से उनके बयान लेना और विदेशस्थ साक्षियों (witnesses abroad) का बयान लेने के लिये कमीशन या निवेदन पत्र (letter of request) जारी करना;

(ख) किसी को कोई लेख्य (document) प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) अपमान (contempt) के लिये लोगों को दण्ड देना, और किसी भी व्यवहार (action) में साक्षियों को उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (formal process) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है और वह उक्त प्रसर के ही बराबर समझा जायगा।

लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार।

३९—(१) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों या निरोधों को बाधित न करते हुये, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह ऐसे लेख्य-पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जो बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझें।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायगा कि वह इंडियन पीनल कोड की धारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य (legally bound) है।

बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने व्यवहारों का वैचारिक व्यवहार माना जाना।

४०—किसी बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायगा कि वह इंडियन पेनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये एक वैचारिक व्यवहार (gudicial proceeding) है।

सिविल प्रोसीजर कोड का लागू किया जाना।

४१—जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्य प्रकार से स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सब व्यवहारों (Proceedings) पर लागू होंगे जिनके अन्तर्गत अपील और आवेदन-पत्र (applications) हैं।

अधिकारी और प्राधिकारी।

४२—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है :—

(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी (Assistant Consolidation Officer) ;

(२) चकबन्दी अधिकारी (Consolidation Officer);

(३) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) (Settlement Officer (Consolidation))।

(४) सहायक संचालक (चकबन्दी) (Assistant Director (Consolidation)) ; तथा

(५) चकबन्दी संचालक (Director of Consolidation)।

(२) चकबन्दी संचालक तथा सहायक चकबन्दी संचालक ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्य को पर्यवेक्षण (supervision) और अधीक्षण (Superintendence) के विषय में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

(३) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) , चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के द्वारा या अधीन उन्हें दिये गये या उन पर लगाये गये हों।

प्रतिनिधान।

४३—राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा मिले अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार किसी भी अधिकारी (officer) या प्राधिकारी (authority) को सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रतिबन्धों (Conditions) और निरोधों (restrictions) के अधीन प्रयोग करने के लिये सौंप सकती है।

मापन तथा परिच्छेद के प्रयोजनों के लिये भूमि पर प्रवेश करने का अधिकारियों का अधिकार।

४४—सहायक चकबन्दी अधिकारी और उसकी आज्ञाओं के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य के पालन करने में भूमि पर प्रवेश कर सकता है उसका मापन (survey) कर सकता है उस पर मापन के चिन्ह (marks) बना सकता है तथा उसकी सीमाओं का परिच्छेद (demarcation) कर सकता है और अन्य ऐसे सभी कार्य कर सकता है जो उस कर्तव्य का उचित पालन करने के लिये आवश्यक हों।

मापन के चिन्हों को नष्ट करने, हानि पहुंचाने अथवा उन्हें हटाने के संबंध में दण्ड।

४५—(१) यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्मित किसी मापन के चिन्ह को बिना विधिक अधिकार के जानबूझ कर नष्ट करे या हानि पहुंचाये या हटाये तो चकबन्दी अधिकारी उसे प्रतिकर की ऐसी अधनराशि के भुगतान करने का आदेश दे सकता है जो इस प्रकार से नष्ट किये, हानि पहुंचाये गये अथवा हटाये गये प्रत्येक चिन्ह के लिये पचास रुपये से अधिक न होगी और जो उस अधिकारी के मतानुसार उक्त चिन्ह को पूर्व दशा में लाने के व्यय को पूरा करने तथा उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने नष्ट किये जाने, हानि पहुंचाये जाने, हटाये जाने की सूचना दी हो, पारितोषिक देने के लिये आवश्यक हो।

(२) इस धारा के अधीन अर्थ दण्ड लगाया जाना, इण्डियन पीनल कोड की धारा ४३४ के अधीन अभियोजन पर बाधक न होगा।

अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपीलें, इत्यादि।

४६—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील या प्रत्यालोचन अभिदेश या पुनःरीक्षण (review reference or revision) के निमित्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत न किया जा सकेगा, जब तक कि इस संबंध में इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा कोई व्यवस्था न की गयी हो।

अभिलेख मंगाने तथा आदेशों का पुनरीक्षण करने का बोर्ड का अधिकार।

४७—चकबन्दी संचालक किसी मामले का अभिलेख (record) अपने यहां मंगा सकता है यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि उस अधिकारी ने मध्यस्थ के अतिरिक्त जिसने उस मामले का निर्णय किया है, किसी ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था या विधितः प्राप्त किसी अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है या अधिक्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से (illegally) या वास्तविक अनियमिता पूर्ण (with substantial irregularity) आचरण किया है तो ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

दीवानी न्यायालय के अधिक्षेत्र पर रोक।

४८—कोई भी व्यक्ति चकबन्दी के व्यवहारों (proceedings) से उत्पन्न होने वाले किसी विषय के संबंध में या किसी ऐसे अन्य विषय के संबंध में जिसके लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई वाद या प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा सकता हो, किसी दीवानी न्यायालय में कोई वाद या अन्य व्यवहार (proceedings) प्रस्तुत नहीं करेगा।

न्याय शुल्क से मुक्ति।

४९—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किन्हीं भी व्यवहारों (proceeding) में दिये गये किसी आवेदन पत्र के संबंध में कोई न्याय शुल्क (court fee) देय न होगा।

संक्रामण को निष्पन्न करने के लिये कोई करण (instrument) आवश्यक नहीं है।

५०—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी—

(क) जोतों की चकबन्दी की किसी योजना को कार्यान्वित करने में अंतर्ग्रस्त किसी संक्रामण (transfer) को निष्पन्न करने के निमित्त किसी लिखित करण (instrument in writing) की आवश्यकता न होगी, तथा

(ख) किसी भी करण (instrument) के लिये यदि वह निष्पादित किया जाय, निबंधन (registration) की आवश्यकता न होगी।

५१—खातेदारों के धारा २६ के अनुसार अपने नये खाते पर क़ब्ज़ा पाने के बाद, राज्य सरकार यथाशीघ्र इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रचारित करेगी कि चकबन्दी क्रिया उक्त गांव में समाप्त कर दी गयी है और तदुपरान्त वह गांव चकबन्दी क्रिया के अधीन न रहेगा। चकबन्दी क्रिया की समाप्ति।

५२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी धारा ८ या ९ के अधीन तैयार किये गये अभिलेखों में इस प्रकार लिखित कोई संयुक्त खातेदार (Joint tenure holder) धारा १९ के अन्तर्गत सिद्धांतों के विवरण के प्रकाशन से १५ दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी को खाते के अपने अंश को पृथक प्रदिष्ट करवाने के लिये आवेदन पत्र दे सकता है; उक्त आवेदन पत्र देने पर चकबन्दी अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त प्रार्थी को पृथक खातेदार मानेगा।

५३—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकती है। नियम।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को वाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:

(१) धारा ३ के अधीन आवेदन पत्र तथा प्रख्यापन (Declaration) का आकार (form);

(२) धारा ५ के अधीन चकबन्दी से सम्बद्ध प्रख्यापन को रद्द करने से सम्बद्ध विषय तथा उसके परिणाम;

(३) धारा ७ के अधीन माल अभिलेखों (Revenue-Records) की परीक्षा से सम्बद्ध प्रक्रिया (Procedure) तथा कार्यवाही;

(४) धारा १३ में अभिदिष्ट विवरण पत्रों का आकार (form);

(५) सिद्धान्तों के विवरण तथा प्रस्तावों (Proposals) के विवरण के तैयार करने से सम्बद्ध प्रक्रिया तथा रीति;

(६) धारा १५ में अभिदिष्ट गुटों की तैयारी तथा परिच्छेद demarcation) से सम्बद्ध विषय;

(७) प्रक्रिया तथा रीति जिसके अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति के विचार निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्राप्त किये जायेंगे;

(८) सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली आख्या में दी जाने वाली बातें तथा उनसे सम्बद्ध प्रक्रिया;

(९) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा सिद्धान्तों के विवरण और प्रस्तावों के विवरण तथा अन्य विवरणों की पुष्टीकरण से सम्बद्ध प्रक्रिया तथा रीति;

(१०) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट किये जाने वाले क्षेत्रों का अवधारण;

(११) सार्वजनिक भूमि से किसी दूसरी भूमि को, जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट की गयी हो, अधिकारों के संक्रामण से सम्बद्ध विषय ;

(१२) वह रीति जिसके अनुसार चकबन्दी योजना के लागू किये जाने के लिये निश्चित किया गया दिनांक विज्ञप्त किया जायगा ;

(१३) धारा २६ के अधीन प्रदेशना आज्ञायें (Allotment orders) जारी करने से सम्बद्ध प्रक्रिया और रीति ;

(१४) क़ब्ज़ा करने की प्रक्रिया ;

(१५) इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार को दिये जाने वाले प्रतिकर के अवधारण के लिये सिद्धांत तथा रीति ;

(१६) परिस्थितियां जिनमें धारा ३० के उपबन्ध किसी विशेष मामले में लागू न होंगे और प्रक्रिया जिसमें यह बताया जाय कि उक्त धारा के परिष्कार किस हद तक ऐसे मामलों में किये जायेंगे ;

(१७) भारों को किसी वर्तमान जोत खाते से किसी नये जोत में अवधारण तथा संक्रामण ;

(१८) मध्यस्थ (Arbitrator) की नियुक्ति और उसके पास मामले को अभिदेशार्थ भेजे जाने की प्रक्रिया ;

(१९) इस अधिनियम के अधीन नोटिस या लेख्य को तामील करने की रीति से सम्बद्ध विषय ;

(२०) ऐसी कालावधि (time limits) लगाने के लिये, जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिये की जाने वाली बातें अवश्य की जायं, लगायी हुई अवधि को बढ़ाने के संबंध में नियमों में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को अधिकार देकर या न देकर ;

(२१) उन मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है, अनुसरण की जाने वाली कार्यवाहियों की प्रक्रिया, जिसमें आवेदन पत्र तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत आपत्तियों और अपीलों का प्रस्तुत करना तथा निस्तारण भी सम्मिलित है ;

(२२) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी (authority) के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी और प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(२३) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस संबंध में, इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन आवेदन-पत्र देने और अपील करने की कालावधि ;

(२४) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने वाले आवेदन पत्रों (Applications), अपीलों और व्यवहारों (proceedings) पर इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का लागू किया जाना ;

(२५) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार या किसी दूसरे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को मिले अधिकारों का प्रतिनिधान (Delegation) ;

(२६) एक प्राधिकारी या अधिकारी के यहां से दूसरे प्राधिकारी या अधिकारी के यहां व्यवहारों का संक्रामण ; तथा

(२७) वह सीमा जिसके अन्तर्गत प्रदेशना (Allotment) में खातेदार का क्षेत्र, प्रतिकर द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, संधानित (Adjusted) किया जा सकता है।

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रचलित होने के बाद इस राज्य में जोतों की चकबन्दी की स्वभावतः गहरी मांग हुई। स्वामित्व तथा कृषि संबंधी जटिल एवं विभिन्न प्रकार के भौमिक अधिकार सफल चकबन्दी में प्रधान रूप से बाधक थे उनके समाप्त हो जाने पर इस कार्य के प्रारम्भ का यह सुन्दर अवसर है। एक ही परिवार द्वारा खेती किये जाने वाले सभी गाटों के संहत होने के लाभों का संक्षेप में उल्लेख ही पर्याप्त है। चकबन्दी से मेड़ों की संख्या तथा विस्तार बहुत हो जायेंगे। और इस प्रकार मेड़ों के विषय में होने वाले झगड़े भी कम हो जायेंगे और भूमि की बचत भी होगी। इससे खेत बड़े हो जायेंगे और खेतों तक आने जाने में कम समय भी लगेगा। भूमि के एकत्र होने पर एकान्तता के लिये तथा अनधिकार प्रवेश, चोरी एवं सोलाबिन जाने को रोकने के हेतु घेरे जैसे—पाढ़ और किनारे पर झाड़ियां तथा खाइयां—बनायी जा सकेंगी। सिंचाई तथा पानी के निकास का नियंत्रण सरल हो जायगा तथा फ़सलों में लगने वाले कीड़ों तथा बीमारियों की रोक थाम करने में कम कठिनाई होगी। अतएव अगस्त, १९५२ में सरकार ने माल मंत्री की अध्यक्षता में इस राज्य में यथाशीघ्र जोतों की चकबन्दी करने की विशद योजना बनाने के लिये तथा यू० पी० कन्सालिडेशन आफ़ होल्डिंग्स ऐक्ट,१९३९ में संशोधन प्रस्तुत करने के लिये समिति नियुक्ति की। समिति ने १९३९ के ऐक्ट के अधीन योजना की असफलता के कारणों की जांच करने के पश्चात् तथा उस उप समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् जिसने पंजाब (भारत) में जोतों की चकबन्दी की योजना का अध्ययन किया था, तथा पंजाब के अनुरूप ही गांवों के सर्वांगीण उत्थान के हेतु एक समन्वित योजना की सिफ़ारिश की है।

(२) विधेयक की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(क) सरकार ही उस जिले को अथवा स्थानीय क्षेत्र को चुनेगी जिसमें इस कार्य का प्रारम्भ होगा।

(ख) कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व एक विज्ञप्ति प्रचारित की जायगी जिसके अनुसार क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत आ जायगा।

(ग) विज्ञप्ति प्रचारित होने का प्रभाव यह होगा कि वार्षिक रजिस्टरों तथा अधिकार अभिलेखों की तैयारी के कार्य का दायित्व जोतों की चकबन्दी के लिये नियुक्त कर्मचारियों पर आ जायगा जब तक कि क्रियाओं की समाप्ति के हेतु दूसरी विज्ञप्ति नहीं प्रचारित कर दी जायगी।

(घ) सहायक चकबन्दी अधिकारी भूमि प्रबन्धक समिति के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करेगी। इस अधिकारी का कार्य से सम्बद्ध किसी भी बात को किसी भी स्थिति में अन्तिम करने का कोई भी अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। उसे भूमि प्रबन्धक समिति का परामर्श मानना ही पड़ेगा, और यदि वह समिति से मतभेद रखता हो तो उसे उच्च अधिकारियों के पास सम्बद्ध विषय को भेजना पड़ेगा।

(ङ) चकबन्दी की कार्यवाहियां लेखबद्ध की जायंगी और उसके बाद ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। बाग़ तथा वह भूमि जिस पर काश्तकारों को गांव समाज के अन्तर्गत असामी के अधिकार उपार्जित हो सकते हैं, योजना के उपबन्धों से बाहर रखा गया है।

(च) न केवल सहायक चकबन्दी अधिकारी किन्तु चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को भी उस गांव से घनिष्ठ सम्पर्क रखना पड़ेगा जिसमें ये क्रियायें कार्यान्वित हो रही हों और वे तब तक किसी भी आपत्ति अथवा अपील पर कोई आज्ञा नहीं पारित करेंगे जब तक कि वे स्थानीय निरीक्षण न कर लेंगे।

(छ) दीर्घकालीन मुक़दमे बाजी को रोकने के लिये अधिकारों तथा आगमों से सम्बद्ध सभी विवादों का निर्णय एक मध्यस्थ करेगा जो प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर होगा और जिसकी

नियुक्ति चकबन्दी के संचालक करेंगे। चकबन्दी के संचालक को मध्यस्थ द्वारा निर्णित विषयों को छोड़कर सभी विषयों में पुनरीक्षण के अधिकार प्राप्त होंगे।

(ज) चकबन्दी के संचालक तथा सहायक संचालक की केन्द्रीय प्रबन्धक तथा निर्देश प्राधिकारी के रूप में तथा बन्दोबस्त और चकबन्दी अधिकारियों की जिले के स्तर पर तदर्थ नियुक्ति।

(झ) चकबन्दी कार्यवाहियों का दीवानी न्यायालयों के अधिक्षेत्र से बाहर होना।

(ञ) जनता को मुक़दमेबाज़ी से बचाने के लिये चकबन्दी क्रियाओं के अन्तिम चरण में तैयार किये गये अधिकार अभिलेखों में किये गये अन्तिम इन्दराजों की अन्तिमता तथा निश्चयात्मिकता की परिकल्पना।

चरण सिंह,
माल मन्त्री।

लखनऊ,
९ मार्च, १९५३ ई०।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८१ एल० ए०–१९५३–८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[मंगलवार, १० मार्च, १९५३]

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि श्री

भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली ख़ां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री

रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री

रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
बृजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम डाक्टर, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम ख़ां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोतर

तारांकित प्रश्न

जिला अल्मोड़ा म टनकपुर–पिठौरागढ़ रोड को पक्का करने की आवश्यकता

*१—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)— क्या निर्माण मंत्री, कृपया बतलायेंगे कि जिला अल्मोड़ा में टनकपुर-पिठौरागढ़ मोटर सड़क कब तक पक्की सड़क बन सकेगी ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—इस पूरी सड़क को पक्का करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने मील हर साल यह सड़क पक्की की जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु जितनी जरूरत समझी जायगी उतनी सड़क पक्की की जायगी।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—मंत्री महोदय ने कहा कि अब सड़क की हालत बहुत अच्छी है, यह किस आधार पर बतलाया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पहले से बहुत अच्छी हालत है, काफी उस पर काम हुआ है और जो सिलिप वग़ैरा आ जाते हैं उन्हें भी हटाया जाता है और काफी दिनों सड़क चलती है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि चलयी व घाट में अब तक पुल नहीं बना, वहां टेम्पोरेरी पुल केवल छः महीने रहता है, जिससे छः महीने से ज्यादा मोटरें वहां नहीं चल सकतीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पुल बरसात में शायद नहीं रहता होगा, बाकी रहता है और सड़क चलती है।

*२—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या निर्माण मंत्री को पता है कि उक्त सड़क की हालत टनकपुर से घाट तक बहुत खराब है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सड़क की हालत अब पहले से तो बहुत अच्छी है।

*३—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या निर्माण मंत्री को मालूम है कि यह सड़क साल में केवल कुछ ही महीनों में चलती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। यह सड़क केवल अधिक वर्षा में स्लिप आ जाने के कारण कभी-कभी केवल कुछ दिनों के लिये ही बन्द होती है।

सचिवालय में स्टेनोग्राफर्स के वेतन की दर

*४—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स के वेतन दर और विधान सभा और विधान परिषद् के रिपोर्टर्स के वेतन दर में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां, विधान सभा और विधान परिषद् के रिपोर्टर्स के वेतन दर सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स के वेतन दर से अधिक हैं, क्योंकि रिपोर्टर्स के लिये शार्टहैंड में ज्यादा स्पीड की आवश्यकता होती है तथा उन्हें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का शार्टहैंड जानना आवश्यक है।

*५—श्री भगवान सहाय—क्या यह सच है कि सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स के लिये कुछ स्थान सुरक्षित हैं, जिनका वेतन दर और स्तर सचिवालय के सुपरिण्टेंडेंट के समान है?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। यद्यपि इस समय सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स मंत्रियों के व्यक्तिगत सहायकों के पदों पर काम कर रहे हैं, पर उन पदों को उनके लिये सुरक्षित नहीं रखा गया है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों या उपमंत्रियों के पास जो सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स रहते हैं वे स्थायी हैं या अस्थायी हैं?

श्री सैयद अली जहीर—ज्यादातर अस्थायी हैं, कुछ परमानेंट भी हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार ऐसी ही सुविधा विधान परिषद् और विधान सभा के स्टेनोग्राफर्स को देने की बात पर विचार कर रही है?

श्री सैयद अली जहीर—उनका ग्रेड फिक्स्ड है और उनमें भी यह सूरत है कि कुछ परमानेंट हैं और कुछ टेम्पोरेरी हैं।

*६—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार विधान सभा सचिवालय के रिपोर्टर्स के लिए भी कोई ऐसा स्थान निर्माण करने का विचार रखती है जिसका वेतन दर सुपरिंटेंडेंट के वेतन दर के समान हो?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। इस समय कोई ऐसा विचार नहीं है।

आजमगढ़ ज़िले की कुछ सड़कों पर पड़े हुए नल

*७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या निर्माण मंत्री को पता है कि दीदारगंज से दीदारगंज रेलवे स्टेशन, कप्तानगंज से अहिरौला और कप्तानगंज से महाराजगंज जाने वाली सड़कों पर सीमेंट की बनी हुई पुलियां फेंकी पड़ी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दीदारगंज से दीदारगंज रेलवे स्टेशन सड़क पर कोई नल नहीं पड़ा है, बाकी दो सड़कों पर कुछ नल पड़े हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन नलों की संख्या क्या है और उन पर कितनी लागत लगी है?

-ी चतुर्भुज शर्मा—एक सड़क पर तीन नल पड़े हैं और एक पर ५०।

ामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री महोदय बतलाने की कृपा ा बोर्ड आजमगढ़ के पास यह आदेश गया है कि वह उन नलों को

ेर शर्मा—इसकी कोई सूचना यहां नहीं है।

आजमगढ़ जिले की कच्ची सड़कों की जिला बोर्ड को वापसी

*८--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आज़मगढ़ की कुछ कच्ची सड़कें क्यों जिला बोर्ड को वापिस की गयीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सरकार ने यह निर्णय किया था कि युद्धोत्तर कालीन योजना के प्रथम चरण में वह कच्ची सड़कें जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सन् १९४६ में ली गई थीं, वापस कर दी जायं। उसी निर्णय के अनुसार यह सड़कें जिला बोर्ड आजमगढ़ को वापस की गई हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों पर कितना व्यय होने के बाद जिला बोर्ड को वापस की गई थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस उद्देश्य से यह सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ली गई थीं वापस करते समय वह उद्देश्य पूरा हो चुका है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह जिस उद्देश्य के लिए ली गई थीं वह पूरा हो जाने पर वापस की गई हैं और आशा की जाती है कि उद्देश्य कायम रहेगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों को बनाने के लिए ज़िला बोर्ड को कुछ अनुदान देने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, हर साल ग्राण्ट दी जाती है और बराबर दी जायगी।

*९-१०--श्री श्रीचन्द (ज़िला मुज़फ्फ़रनगर)--[३१ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*११--श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)--[३१ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

नहरों से आय तथा उन पर व्यय

*१२--श्री श्रीचन्द--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में १९५१-५२ में नहरों से क्या आय हुई और उन पर उक्त वर्ष में क्या खर्च हुआ ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--१९५१-५२ में उत्तर प्रदेश की सिंचाई कार्यों से कुल आय ६,५५,३८,१५० रुपया हुई और उन पर उक्त वर्ष में कुल खर्च ३,७२,३६,२४५ रुपया हुआ।

श्री श्रीचन्द--क्या सरकार तीन करोड़ रुपये के बजट को इन नहरों की उन्नति में ही लगाने के लिये विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह रुपया नहरों की उन्नति में भी लगता है और और कामों में भी लगता है।

श्री बलवन्त सिंह (ज़िला मुज़फ्फ़रनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन नहरों से आमदनी अधिक है वहां के किसानों को क्या राहत दी जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नहरों का पानी तो स्वयं ही बड़ी भारी राहत है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (ज़िला मुज़फ्फ़रनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की किन-किन नहरों पर व्यय आय से अधिक होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका उत्तर विस्तृत रूप से और निश्चित रूप से नोटिस मिलने पर मिलेगा लेकिन मैं समझता हूं कि शारदा पर ऐसा है, लेकिन और जगहों पर आमदनी हो जाती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि शारदा नहर के अतिरिक्त और सभी नहरों पर आय व्यय से अधिक होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहरें बहुत सी है, बुन्देलखंड में हैं मिर्जापुर में हैं और गोरखपुर में भी छोटी-मोटी नहरें हैं, इन नहरों में ऐसा नहीं है कि आमदनी ज्यादा होती है और खर्चा कम होता है। गंगा और जमुना पर अधिक लाभ होता है, प्रायः सभी नहरें घाटे में ही चलती हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी सन् १९५२-५३ का आय और व्यय अगर उनके पास हो तो हाउस के सामने रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल है कि वह बजट में दिया हुआ है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार गंगा और जमुना की नहरों की आबपाशी की दर को कम करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—सन् १९५०-५१ के मुकाबले में १९५१-५२ में नहरों से आमदनी बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो वह कैसे बढ़ी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ नयी नहरें और डिस्ट्रीब्यूटरीज और कुयें यह सब खोदे गये और बनाये गये उससे आमदनी बढ़ी है।

*१३-१५—**श्री रामभजन** (जिला खीरी)—[२४ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६—**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)—[२४ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला गोरखपुर में विभिन्न सड़कों के बनवाने का विचार

*१७—**श्री केशव पांडेय**—क्या सरकार यह बता सकती है, कि गोरखपुर पिपराइच रोड, फुटहवा इनार से सोनवरसा पिपराइच रोड, गोरखपुर से खजनी उरुआ बड़हलगंज रोड, कौड़ी राम से बांसगांव रोड, कौड़ी राम से गोलबाजार रोड, शिकारपुर से घुघुली सिसवा रोड कब तक बनवाये जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न में पूछी गयी सड़कों की व्यवस्था नीचे दी हुई है :

गोरखपुर-पिपराइच, गोरखपुर-खजनी उरुआ बड़हलगंज, कौड़ीराम-बांसगांव, कौड़ी राम-गोला तथा शिकारपुर से घुघली सड़कें जिला बोर्ड के अधीन हैं और इनके बनवाने का भार बोर्ड के ऊपर है।

फुटहवा इनार सोनबरसा पिपराइच सड़क तीन भागों में है। पहला भाग फुटहवा इनार सोनबरसा तथा दूसरा भाग सोनबरसा बेला युद्धोत्तर कालीन योजना के प्रथम चरण में सीमेंट कांक्रीट योजना में सम्मिलित है और आशा की जाती है कि अगले दो वर्षों के अन्दर ट्रैक बिछाने का काम समाप्त हो जायगा। तीसरा भाग बेला पिपराइच डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दिया गया है और इसको बनवाने का भार बोर्ड के ऊपर है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर खजनी उरुआ बड़हलगंज वाली सड़क, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कब वापस की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी हाल ही में वापस हुई है।

श्री केशव पांडेय—जब तक यह पी० डब्ल्यू० डी० के चार्ज में थी तब तक उस सड़क पर कौन से निर्माण कार्य किये गये?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री राम अवध सिंह (जिला गोरखपुर)—जब तक यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० के चार्ज में रही है और जिस रेशिओ से उस पर खर्चा हो रहा है क्या उसी से वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी रुपया ट्रांसफर करेगी?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—किया गया है उसी तरह से। वह उनको दिया गया है।

श्री केशव पांडेय—क्या यह सही है कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अपनी बहुत सी सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० को देने के लिये कहा था और उस पर पी० डब्ल्यू० डी० ने अभी अपना कोई फैसला नहीं दिया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, हो सकता है। लेकिन अधिक सूचना देने के लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—जो सड़कें वापस की गई हैं उन पर मरम्मत के लिये किस हिसाब से रुपया दिया गया है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—३०० रुपया फी मील के हिसाब से।

श्री केशव पांडेय—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आर्थिक हालत को देख कर सरकार फिर इन सड़कों को अपने चार्ज में लेने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

*१८—श्री केशव पांडेय—[१८ मार्च, १९५३ के लिये संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोरखपुर में पावर हाउस की कैपेसिटी

*१९—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या अर्थ तथा शक्ति मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गोरखपुर शहर में जो पावर हाउस है उसकी कैपेसिटी क्या है उससे कितना हिस्सा शहर का रोशन होता है और हर महीने में रात के कितने घंटे के लिये बिजली सड़क पर जलायी जाती है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—(१) गोरखपुर शहर में झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के पावर हाउस की कैपेसिटी (Capacity) ८५५ किलोवाट है।

(२) उससे कम्पनी के लाईसेन्स्ड एरिया (Licensed Area) का दो-तिहाई भाग रोशन होता है।

(३) सड़कों पर रोशनी सूरज डूबने के समय से शुरू होती है। गरमी के दिनों में बिजली २ घंटों से लेकर १० घंटों तक और जाड़ों में २ घंटों से लेकर १२ घंटों तक गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा बनाये गये (Street Lighting Schedule) के मुताबिक जलती है। पूरी चांदनी के दिनों में बिजली सड़कों पर बिलकुल नहीं जलती है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन--क्या सरकार बतायेगी कि यह झांसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी अपनी पूरी कैपेसिटी पर चल रही है या कोई सरप्लस भी बाकी है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--यह गोरखपुर के मुताल्लिक सवाल है।

श्री अध्यक्ष--वह कम्पनी के लिये कह रहे हैं। वह गोरखपुर के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--उसके बारे में मालूम होगा कि वहां थोड़े दिन हुये कंट्रोल था, वह उठा दिया गया था, इसलिये कि कैपेसिटी जो बढ़ी थी वह आजकल यहां अवेलेबिल हो गई है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन--यह लाइसेंस जो दिया गया है उसका लाइसेंसौर कौन है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--गवर्नमेंट है

श्री इस्तफ़ा हुसैन--जो एक तिहाई-हिस्सा लाइसेंस के अन्दर रोशन करने से बाकी बच जाता है, वह कब इस लाइसेंस द्वारा रोशन किया जायगा ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--यह तो जरूरी नहीं है कि वह इसी लाइसेंस द्वारा रोशन होगा। उसके लिये तो मुमकिन है कोई दूसरा इंतिज़ाम हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--पिछले बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने गोरखपुर में १० लाख किलोवाट का पावर हाउस खोलने की जो योजना बनाई थी क्या वह शुरू हो गई है या नहीं और अगर नहीं तो कब शुरू होगी ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--इसके मुताल्लिक सवाल आगे है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि इस पावर हाउस से कुछ नलकूपों को भी पानी दिया जाता है और उन नलकूपों को बिजली न मिलने की वजह से पानी मिलने में दिक्कत होती है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--नहीं। इस पावर हाउस से उन नलकूपों को पानी नहीं मिलता। यह तो शहर के लिये कायम हुआ था और उससे उन लोगों को जो शहर में रहते हैं, पानी मिलता है।

*२०--श्री इस्तफ़ा हुसैन--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने जो सरकारी पावर स्टेशन है उसकी कैपेसिटी क्या है ? उस पावर स्टेशन से कितने और किन किन जगहों पर नलकूप चलाये जा रहे हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने जो सरकारी पावर स्टेशन है, उसकी कैपेसिटी ३०६० किलोवाट है। इस पावर स्टेशन से १०० नलकूपों को निम्नलिखित स्थानों पर बिजली दी जाती है।

गोरखपुर	२२
देवरिया	२८
बस्ती	५०
	१००

श्री इस्तफ़ा हुसैन--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो पावर स्टेशन है उसमें काफी पावर सरप्लस है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--नहीं। उसमें तो काफी सरप्लस नहीं है, मैं इस वक्त बिलकुल डेफिनिट तो नहीं हूं, लेकिन काफी सरप्लस नहीं हो सकता।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या इस पावर स्टेशन से, चौरीचोरा, खलीलाबाद और दूसरे मुकामों पर स्ट्रीट लाइटिंग का इंतिजाम किया गया है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी, जरूर किया गया है । मैं यह डेफिनिटली नहीं कहता कि चौरीचौरा भी है या नहीं, लेकिन मेरा यह खयाल है कि वह किया गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या १० लाख किलोवाट का जो पावर स्टेशन गोरखपुर में बनाने के लिये पिछले बजट भाषण में घोषणा की गई थी, वह शुरू हो गया है, अगर नहीं तो कब से शुरू किया जायगा ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, पिछले बजट में किसी पावर हाउस की योजना नहीं दी गई थी, जिसका जेनरेशन १० लाख किलोवाट हो।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन नलकूपों को यहां से पावर दी जाती है उनको पावर न मिलने की वजह से वे प्रायः जितना पानी देना चाहिये उतना पानी किसानों को नहीं दे पाते ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---मेरे नजदीक यह बात गलत है। अगर कोई खास शिकायत कहीं की हो तो मैं उसको देखूंगा।

श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या सरकार बतायेगी कि यह जो सरकारी पावर हाउस है, उसका इंजिन अमेरिकन है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---मुझे यह तो याद नहीं है कि वह अमेरिकन है या इंगलिस्तान का।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १० लाख का नहीं १० हजार किलोवाट के जिस पावर स्टेशन की घोषणा ५२-५३ के बजट भाषण में की गयी थी, वह चालू हुआ या नहीं और अगर नहीं तो कब चालू होगा ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---वह अब थोड़े दिनों में चालू होने वाला है। उसके लिये मशीनरी खरीदी गई है।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार को यह पता है कि इस पावर हाउस के इंजिन का एक पुरजा जो हेड कहलाता है वह कई बार टूट गया है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---नहीं, सरकार के पास इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री रामअवध सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस पावर हाउस से सस्ते रेट्स पर सरदा नगर की मिल बिजली देने के लिये तैयार है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---नहीं।

श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार गोरखपुर जिले की स्थिति को देखते हुये इस पावर हाउस की कैपेसिटी को बढ़ाने का विचार रखती है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---वह तो बढ़ने वाली ही है और १० हजार के के बढ़ाने के लिये पिछले बजट में थी।

*२१---श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर का सरकारी पावर स्टेशन कब चालू हुआ और उसके इंजन अब तक कितनी बार खराब हुए और बदले गये ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---गोरखपुर का सरकारी पावर स्टेशन १९५० में चालू हुआ। कोई भी इंजन न तो कभी खराब हुआ और न बदला गया।

*२२–२४–श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)–

[देखिये आगे पृष्ठ ३३०–३३१ पर]

*२५—श्री शुकदेव प्रसाद—[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर में नदियों द्वारा सिंचाई की योजनायें

*२६—श्री शुकदेव प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में नदियों द्वारा सिंचाई के लिये कौन कौन सी योजनायें बनायी गयी हैं और वह कब तक पूरी हो जायंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गोरखपुर जिले में नदियों द्वारा सिंचाई के लिये निम्नलिखित योजनायें हैं :

(१) रोहीन नहर,
(२) डांडा नहर,
(३) गंडक नहर, और
(४) घोंगी नदी द्वारा सिंचाई योजना।

पहली दो योजनायें तो करीब करीब पूरी हो गई हैं और इनसे सिंचाई भी हो रही है और यह पूर्णतया वित्तीय वर्ष १९५३–५४ तक बन जायेंगी। पिछली दो योजनाओं पर अभी जांच हो रही है।

श्री शुकदेव प्रसाद—गोरखपुर जिले में दो गंडक नदी हैं, छोटी और बड़ी। क्या सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किस नदी से यह नहर निकाली जा रही है या योजना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो विचार किया जा रहा है नहर निकालने का वह बड़ी गंडक नदी से है।

श्री शुकदेव प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से यू० पी० के जिले सिंचाई के अन्दर लिये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—देवरिया और गोरखपुर।

श्री राम अवध सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अन्य और नदियों से जिन से नहर नहीं निकाली गई है, सिंचाई करने के लिये पम्पिंग सेट्स की व्यवस्था करेंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यदि ऐसा कोई सुझाव आया तो गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी ?

*२७–२८—श्री नारायणदत्त तिवारी—[७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला अल्मोड़ा में घाट से गंगोली हाट तक मोटर सड़क का निर्माण

*२९—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला अल्मोड़ा में घाट से गंगोली हाट तक मोटर सड़क निर्माण करने की सरकार की योजना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दुर्भिक्ष सहायता कार्यों के अन्तर्गत अकालपीड़ित लोगों की आवश्यकता अनुसार रामेश्वर से गंगोलीहाट तक के सड़क निर्माण कार्य को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। घाट से रामेश्वर तक सड़क बनाने का कार्य अभी किसी योजना में शामिल नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह जगह चम्पावत और पिथौरागढ़ तहसील में है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो इससे कहा नहीं जा सकता है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस सड़क के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है और कब इन सड़कों का काम आरम्भ होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने पहले ही बतलाया कि फैमीन रिलीफ वर्क में ९० हजार रुपया इसके लिये दिया गया था और बागेश्वर रोड भी इसमें शामिल है। सारा काम फैमीन रिलीफ वर्क के खयाल से ही होता है।

जिला आगरा में वाह–अरनौटा रोड की मरम्मत

*३०—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार को विदित है कि वह वाह से अरनौटा की सड़क तहसील वाह, जिला आगरा का मुख्य यातायात मार्ग, बहुत बुरी दशा में है? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र उसकी मरम्मत का प्रबन्ध करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस १५ मील लम्बी सड़क में से सात मील की हालत अच्छी नहीं है और उनकी मरम्मत की जा रही है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बतलायेगी कि यह सड़क ऐसी है कि इस पर न केवल गाड़ियों के बल्कि सवारियों के भी अंजर-पंजर ढीले हो जाते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, हालत खराब है लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा उस पर लारियां भी चलती हैं और सब काम होता है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार को मालूम है कि ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर गवर्नमेंट के पास लिख चुके हैं कि इसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी कराई जाय?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी मरम्मत की जा रही है और इस सड़क पर काफी ध्यान दिया जा रहा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार इस सड़क पर जो मोटरें चलती हैं उनमें एम्बुलेंस और स्ट्रेचर रखने की बात सोच रही है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार यह जानने की कोशिश करेगी कि जो हालत है उसमें बिना नये तौर से मीलों के बनाये हुए जिस तरह का काम हो रहा है वह उसमें किसी तरह से सुधार नहीं कर सकता।

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी बाबत पूछा जायगा।

*३१—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—[२४ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

पूर्वी यमुना नहर के अपर और लोअर डिवीजनों से आय

*३२—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्वी यमुना नहर के अपर और लोअर डिवीजनों में १९५१–५२ में क्या आय किन-किन मदों से हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- १९५१-५२ में पूर्वी यमुना नहर के अपर और लोअर डिवीजनों से आय की मदें तथा आंकड़ें निम्नलिखित हैं--

नाम मद	अपर डिवीजन	लोअर डिवीजन	सम्पूर्ण आय
(१) सिंचाई (Occupier's rate)	१७,३६,२१०	३१,८०,४७९	४९,१६,६८९
(२) भूमि धारण कर (owners rate)	८,३००	५,५१०	१३,८१०
(३) जल विक्रय (sale of water)	३,३०८	३४२	३,६५०
(४) वृक्षादि रोपन (plantation)	२,४३९	४१,४७८	४३,९१७
(५) अन्य नहर उत्पन्न द्रव्य (other canal produce)	१८,२०१	९,१७४	२७,३७५
(६) जल शक्ति (water power)	५१,०४७	३,०९१	५४,१३८
(७) कर दंड तथा विभिन्न (Rent fine & miscelleneous)	१८,४२७	४३,१८०	६१,६०७
योग ..	१८,३७,९३२	३२,८३,२५४	५१,२१,१८६
(८) नहर को प्राप्य भूमि कर का अंश (Portion of land revenue due to works)			४,८५,४९१
कुल योग ..			५६,०६,६७७

*३३--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५१-५२ में उपर्युक्त डिवीजनों में कुल क्या व्यय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उपर्युक्त नहर के दोनों डिवीजनों में १९५१-५२ में व्यय निम्नलिखित हैं--

		रुपये
अपर डिवीजन	..	६,८५,८५५
लोअर डिवीजन	..	८,५६,६३८
योग	..	१५,४२,४९३

*३४--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तावान (सिंचाई) से क्या आय हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तावान सिंचाई से १९५१-५२ में निम्नलिखित आय हुई:--

		रु०
अपर डिवीजन	...	१५,३५६
लोअर डिवीजन	...	६७,०१९
योग	...	८२,३७५

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तावान किन किन कारणों से लगाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पूरा डिटेल देना कि किस किस पर तावान लगाया गया और किस वजह से लगाया गया यह तो यहां बताना मुश्किल है। लेकिन तावान जिन वजहों से लगता है उन्हीं वजहों से लगाया गया।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लोअर डिवीजन में अपर डिवीजन की अपेक्षा क्यों अधिक तावान लगाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वहां तावान लगाने लायक अधिक जुर्म हुये होंगे।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--मिसलेनियस प्रश्न ३२ में रेंट, दंड आदि से १८,४२७ रुपये अपर डिवीजन से और ४३,१८० रुपये लोअर डिवीजन से दिखाये गये हैं मगर प्रश्न ३४ के जवाब में अपर डिवीजन से १५,३५६ और लोअर डिवीजन से ६७,०१९ रुपये बताये गये हैं। तो यह अन्तर क्यों है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह मेरा ख़याल है कि एक तो रेंट है, दंड और मिसलेनियस इसका हेड है। अगर इसका डिटेल आप चाहेंगे तो दे दिया जायगा।

श्री बलवन्त सिंह--क्या यह बात सही है कि यमुना कैनाल के अपर और लोअर डिवीजन में कुलाबे छोटे कर दिये गये हैं जिसकी वजह से लोग अक्सर नहर काटते हैं और इस वजह से अधिक तावान लगाना पड़ा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी बात नहीं है कि सभी कुलाबे छोटे कर दिये गये, जहां जरूरत समझी गयी वहां छोटे किये गये।

अलीगढ़ में कुछ स्थानों पर सिंचाई के लिये पानी की कमी

*३५--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार को मालूम है कि रजबहा सुम्मेरा, सर्किल तीन डिवीजन अलीगढ़ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह से जनवरी तक सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--रजबहा सुम्मेरा २६ दिसम्बर, १९५२ तक बराबर चलता रहा। बाद में रोस्टर के अनुसार यह रजबहा बंद कर दिया गया। जब इस रजबहे का रोस्टर के हिसाब से फिर चालू करने का नम्बर १५ जनवरी, १९५३ को आया इससे सींचे जाने वाले क्षेत्र में वर्षा हो गई और पानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रही। अतः इस रजबहे को उस समय न चला कर २४ जनवरी, १९५३ को चलाया गया और तीन हफ्ते बराबर चलता रहा।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि रजबहा सुम्मेरा चलता रहा लेकिन इसकी टेल पर पानी नहीं पहुंचा और करीब १,४०० बीघे भूमि बिना पानी भरे रह गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गवर्नमेंट को इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई जांच करायेंगे कि यह जमीन बिना पानी भरे हुये रह गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी कोई सूचना अगर सरकार के पास आयी तो उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री नेकराम शर्मा--रोस्टर के अनुसार किस तरीके पर पम्प बन्द होता है और किस तरीके पर खुलता है यह किस आधार पर तय किया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह रजबहा चार हफ्ते में एक बार चलने के हिसाब से खुलता है और उसी हिसाब से खुला होगा।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब वहां पर इतनी वर्षा नहीं हुई थी और वहां के किसान जब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास पहुंचे कि इस वक्त हमको पानी दे दिया जाय लेकिन इंजीनियर महोदय ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बहुत ज्यादा वर्षा नहीं हुई होगी यह तो इस उत्तर से ही स्पष्ट है क्योंकि १५ को खुलना चाहिये और २४ को खुला। लेकिन इतनी वर्षा जरूर हुई होगी कि कुछ वक्त टाल कर खोला जाय।

*३६---श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार को मालूम है कि नीजरागोकुलपुर, नरहरपुर, दोस्तपुर, वाजीदपुर, बबरोई आदि गांवों में भूड़ भी नहीं भरी गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इन गांवों में बोई हुई सम्पूर्ण रबी की फसल के क्षेत्र में सिंचाई हुई है।

गोरखपुर की रामगढ़ नहर से रबी के खेतों की सिंचाई

*३७---श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखपुर की रामगढ़ नहर से रबी के खेतों को कितनी बार किस हिसाब से पानी मिलता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गोरखपुर की रामगढ़ नहर से रबी की सिंचाई के लिये कोई समय निश्चित नहीं है। जब इसके क्षेत्र में रबी की सिंचाई के लिये पानी की मांग होती है, नहर खोल दी जाती है। प्रत्येक खेत में कितनी बार सिंचाई हुई इसका कोई हिसाब नहीं रक्खा जाता है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि क्या उनके पास इस रामगढ़ नहर से पानी लेने वालों की शिकायतें आई हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, पानी की कमी की शिकायत आयी थी।

श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या माननीय मंत्री जी इन शिकायतों पर गौर करेंगे और तहकीकात करा के उनको उचित सुविधा देंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, जो शिकायतें आती हैं उन पर उचित कार्यवाही की ही जाती है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस नहर के कच्चे बांध इतने टूट गये थे कि उससे पानी का काफी नुकसान हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आप किस जगह की बंधियों की बात कह रहे हैं, कई जगह नहरें काटी भी गयी थीं।

श्री इस्तफा हुसैन---मैं यह सवाल करता हूं कि इस नहर की जो बंधियां हैं वे काफी टूट गयीं उसके मुताल्लिक कुछ किया गया या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नहरें और बंधियां तो टूटती ही रहती हैं और जब वे टूटती हैं तो उनकी मरम्मत तो होती ही है।

पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा जिला बोर्ड मुजफ़्फ़रनगर को वापस दी हुई सड़कें

*३८---श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बतलायेगी कि मार्च, १९५२ के बाद कितनी सड़कें मुहकमा पी० डब्ल्यू० डी० ने जिला बोर्ड मुजफ़्फ़रनगर को वापस कीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उन सड़कों की सूची जो मार्च, १९५२ के बाद जिला बोर्ड मुजफ्फरनगर को पी० डब्ल्यू० डी० ने वापस की है, माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३८८ पर)

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो सड़कें बोर्ड को दी गईं थीं उनका माईलेज कितना था और उनके रखरखाव के लिये कितना रुपया बोर्ड को दिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा--माइलेज तो इस वक्त बतला नहीं सकता लेकिन १९५२-५३ में १६ हजार रुपया दिया गया था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा --क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हरएक जिले को प्रति मील रखरखाव के लिये एक ही हिसाब से खर्चा दिया गया था?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--जी हां, एक ही हिसाब से दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर जिले की सड़कों के लिये २०० रुपया फी मील दिया गया है जब कि वित्त मंत्री जी ने बताया कि ३०० रुपया दिया गया है तो यह फर्क क्यों है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गयी हैं उन पर जिस कदर खर्चा गवर्नमेंट कर रही थी उतना ही खर्चा उनको दिया गया है।

तराई भावर खाम स्टेट की कुछ सड़कों को पक्की बनवाने का सुझाव

*३९--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि तराई भावर खाम स्टेट में हल्द्वानी-देवलचौड़-चांदनी चौक-रामपुर सड़क खेड़ा-किसनपुर सड़क व खटीमा-सितारगंज-किछा सड़क बहुत बुरी हालत में हैं? अगर हां, तो सरकार उपर्युक्त सड़कों को पक्का करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--हल्द्वानी, देवलचौड़, चांदनी चौक, रामपुर तथा खटीमा, सितारगंज, किच्छा सड़कों के जो भाग निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं उनकी हालत बुरी नहीं है। उनको पक्का करने का अभी कोई विचार नहीं है। खेड़ा-किशनपुर सड़क तथा उपरोक्त सड़कों के शेष भाग सुपरिंटेंडेंट तराई भावर स्टेट के अधीन हैं। इनके सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों से सूचना एकत्रित की जा रही है, जो माननीय सदस्य को बाद में दी जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि निर्माण विभाग के अन्तर्गत हल्द्वानी देवलचौड़--चांदनी चौक रामपुर सड़क, खेड़ा-किसनपुर सड़क व खटीमा-सितारगंज-किछा सड़क का जो हिस्सा है वह इतना कम चौड़ा और ऊबड़-खाबड़ है कि उस पर बैलगाड़ी भी नहीं चल सकती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी कोई इत्तिला नहीं है, सूचना की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि निर्माण विभाग इन सड़कों के अपने हिस्से के रखरखाव पर कितना खर्च करता है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--कच्ची सड़कों की बाबत अभी बतलाया गया है कि उनपर ३०० रुपया प्रति मील के हिसाब से खर्च होता है।

जौनपुर जिले में एक साल से अधिक समय के फौजदारी व माल के मुकदमे

*४०---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में वे कौन कौन से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं जिनके पास एक वर्ष से अधिक समय के फौजदारी के और माल के मुकदमे बिना फैसला के पड़े हुये हैं?

श्री सैयद अली ज़हीर---जौनपुर जिले में ऐसे जुडीशियल अफसरों के नाम जिनके यहां एक साल से अधिक के कुछ फौजदारी और माल के मुकदमे बिला फैसला रह गये हैं, निम्नलिखित हैं :-

१---श्री अवधेश नारायण,
२---श्री हरिहरप्रसाद चौबे,
३---श्री बांकेबिहारी लाल जौहरी ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक साल से कितने अधिक साल तक के मुकदमें किस कारण बिना फैसले के रह गये ?

श्री सैयद अली ज़हीर---इसमें तो एक साल का सवाल है । उसके कारण बहुत से हैं। मैं दो चार बतलाये देता हूं। कुछ तो यह हुआ कि कुछ मुकदमे जो माल के थे वे रोक दिये गये। जमींदारी टिनेंसी ऐक्ट में जब तरमीम हो रही थी और जमींदारी एबालीशन ऐक्ट जेरे गौर था तो इस वजह से उनका फैसला नहीं हुआ। इसी तरह से बाज़ मुकदमे में यह तय हुआ कि बहुत से जमींदार जो फरीक थे, उनमें कई मर गये और उनके वारिस कायम होने में दिक्कत व देर हुई। बाज़ मुकदमों में यह हुआ कि वे अपील में चले गये थे, फिर वहां रिमांड हुये और फिर वहां से कायम हुये और फिर उसके बाद आगे चले। अदालतों ने यह भी लिखा है कि जौनपुर जिले में खासतौर से लोग मुकदमेबाजी के बहुत ही शायक हैं और जरा जरा सी बात को लेकर मुकदमेबाजी को तूल देते हैं। इसी तरह से दो चार और वजहें हैं जिनकी वजह से ये मुकदमे एक साल तक बिना फैसल रह गये लेकिन अब इसका इंतजाम हुआ है और तीन जुडिशिअल आफिसरों को फौजदारी का काम दे दिया गया है और तीन को महज माल का काम दिया गया है। इत्तिला पहली नवम्बर, सन् ५२ से जब से यह इन्तजाम किया गया है उस वक्त से काम तेजी से हो रहा है और मुकदमे जल्दी फैसल हो रहे हैं।

श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार को पता है कि श्री हरिहर प्रसाद चौबे के इजलास...

श्री अध्यक्ष---मैं किसी व्यक्ति के बारे में सवाल करने की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि कितने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किस सन् से, किस अभिप्राय से बढ़ाये गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---अगर आप पूरे जुडिशिअल मैजिस्ट्रेट के लिये पूछते हैं तो इस वक्त उसकी मेरे पास सूचना नहीं है। इन तीनों के मुताल्लिक भी इत्तिला नहीं है कि जो तीन नाम मैंने दिये हैं वे वहां कब से हैं और कब तक और रहेंगे।

* * *

आगरा जिले में सिंचाई के साधन

*२२---श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरे की सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य किये जायेंगे ?

श्री कमला पति त्रिपाठी---आगरे की सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये पंचवर्षीय योजना में अपर गंगा नहर की कैपेसिटी (capacity) को ८५०० क्यूसेक्स

नोट--- तारांकित प्रश्न २२ व २४ श्री रमेश वर्मा ने पूछे ।

(cusecs) से बढ़ाकर १०,५०० क्यूसेक्स (cusecs) किये जाने की तजवीज है इस बढ़ाव के फलस्वरूप आगरा जिले में लगभग १५,००० एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई होगी।

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)--क्या सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बार गंगा नहर में पानी की गुंजाइश कब तक हो जायगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं आशा करता हूं कि कदाचित् गंगा की कैपिसिटी बढ़ाने का जो काम है वह इस वर्ष समाप्त हो जायगा।

श्री रमेश वर्मा--क्या सूचना मंत्री जी यह बतलायेंगे कि क्या सरकार नहर के अलावा और किसी अन्य साधन का आविष्कार इस क्षेत्र के लिये कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बाह तहसील में कुछ ट्यूबवेल खोदने की योजना चलाने की कोशिश की जा रही है और कुछ थोड़े से बांध भी बनाने की योजना है जिसमें भारा, नगला दुलेखां आदि हैं। इनमें कुछ का सर्वे हो चुका है और कुछ का हो रहा है।

*२३--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--[२४ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

समाचार-पत्र जांच समिति की रिपोर्ट

*२४--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में कभी कोई समाचार-पत्र उद्योग के संबंध में जांच कमेटी बनी थी? यदि हां, तो क्या उसने कोई रिपोर्ट दी थी? उस पर सरकार ने क्या किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, प्रदेशीय समाचार-पत्र उद्योग जांच समिति सन् १९४७ में बनाई गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, १९४९ में शासन को दी। यह रिपोर्ट प्रदेशीय सरकार के विचाराधीन ही थी कि भारत सरकार ने प्रेस कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कर दी। चूंकि संबंधित विषय भारत संविधान के अनुसार भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार की सम्मिलित सूची में है, इसलिये यह उचित समझा गया कि प्रेस कमीशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जाय।

श्री रमेश वर्मा--क्या सूचना मंत्री जी को विदित है कि इस समिति ने कुछ सिफारिश ऐसी की थी जो प्रादेशिक सरकार के अधिकार क्षेत्र में है तो क्या सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रेस कमीशन ने जो प्रश्नावली प्रकाशित की है उसको यदि माननीय सदस्य ने देखा होगा तो उनको ज्ञात होगा कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो उसके क्षेत्र से बाहर हो। वह सभी प्रश्न विचाराधीन हैं और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर सेशन जज के इजलास में सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी करने वाले वकीलों की सूची तथा उनकी फीस

१--श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि गोरखपुर सेशन जज के इजलास में सरकार की ओर से फौजदारी के मुकदमात की पैरवी करने के लिये कौन कौन से वकील सूची (Penal) में हैं और उनको किस हिसाब से फीस दी जाती है?

श्री सैयद अली जहीर---गोरखपुर सेशन जज के इजलास में तथा अन्य इजलासों में सरकार की ओर से फौजदारी के मुकदमात की पैरवी करने के लिये निम्नलिखित वकील सूची (Penal) में हैं।

१. श्री हर नारायण लाल,
२. श्री पांडे जगदम्बा प्रसाद,
३. श्री राज महीपत राय,
४. श्री नर्मदाप्रसाद,
५. श्री कृष्ण सेवक,
६. श्री शारदा चन्द्र ।

सूची के वकीलों के लिये निर्धारित फीस १६ रु० प्रतिदिन है। यदि किसी एक दिन में काम ढाई घंटे या उससे कम होता है तो फीस ८ रु० दी जाती है।

२---श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या सरकार यह बतलायेगी कि गोरखपुर सेशन जज के इजलास में उन मुलजिमान के मुकदमात की पैरवी करने के लिये जिन के निज अपने वकील नहीं होते कौन-कौन से वकील (Amicus curie) की सूची में हैं और इन वकीलों को किस हिसाब से फीस दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर---गोरखपुर सेशन जज के इजलास में उन मुलजिमान के मुकदमात की पैरवी करने के लिये जिनके अपने वकील नहीं होते हैं सेशन जज स्वयं नियम २२२ (१) लीगल रिमेम्बरेंसर मैनुअल के अधीन जब कभी भी आवश्यकता प्रतीत होती है वकील नियुक्त करते हैं। अतएव ऐसे वकीलों की सूची रखने का प्रश्न नहीं उठता।

ऊपर कहे गये नियम के अधीन नियुक्त किये गये वकीलों को प्रतिदिन तीन घंटा व इससे अधिक समय तक कार्य करने के लिये २४ रु० के हिसाब से फीस दी जाती है और तीन घंटे से कम समय के कार्य के लिये १२ रु० दी जाती है।

३---श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)---[२४ मार्च, १९५३ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

अल्मोड़ा में गरुड़--बागेश्वर मोटर सड़क के गिरे हुये पुल

४---श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट---क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा में गरुड़-बागेश्वर मोटर सड़क जो आज कल निर्माण हो रही है उसमें अधिकांश पुल जो अभी जाड़ों में बने गिर गये हैं जबकि अभी तक कोई मोटर भी उसमें नहीं चली ?

श्री गिरधारी लाल---जुलाई, १९५२ ई० में इस सड़क के पुलों में कुछ नुकसान हुआ था। उत्तरदायी अधिकारियों और ठेकेदारों को उचित दंड दिया गया है।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---मेरा यह सुझाव है कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी पर डेढ़ घंटा बहस की जाय, अनुदान संख्या ४ और ६ दोनों पर १५ मिनट दिया जाय और बाकी समय न्याय प्रशासन के लिये दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तो समय विभाजन इस प्रकार से हुआ कि राज्य आबकारी का जो अनुदान ३ है वह १ बजकर १५ मिनट तक रहेगा। २--१५ से २--३० तक अनुदान संख्या ४ और ६ रहेगा। इन दोनों नम्बर ४ और ५ यानी अनुदान ४, ५ को एक साथ ले लिया जायगा। फिर उसके बाद २-३० से लेकर ५ बजे सायंकाल तक अनुदान संख्या १५ चलेगा।

अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी में कटौती का जो प्रस्ताव होगा उसके प्रस्तावक को १० मिनट का समय रहेगा और बाकी लोगों को ७ मिनट दिया जायगा।

अनुदान संख्या ४ और ६ जो नम्बर ४ और ५ के क्रम में हैं उनके लिये १५ मिनट का समय होने की वजह से समय नियुक्त नहीं करता हूं। उसमें २, १ मिनट में बोलकर खत्म कर सकते हैं।

अनुदान संख्या १५ में समय ढाई घंटे का है तो कटौती के प्रस्ताव करने वाले को १५ मिनट का समय मिलेगा और बाकी लोगों के लिये उसमें १० मिनट का समय मिलेगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कटौती के प्रस्ताव के लिये १५ मिनट तो रख दिया जाय, किन्तु और बाकी लोगों के लिये ७ मिनट रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––ठीक है उसके लिये ७ मिनट कर दिया जायगा क्योंकि उसमें अधिक लोग बोल सकेंगे।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ३–लेखा शीर्षक ८–राज्य आबकारी

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)––मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३ राज्य आबकारी (लेखा शीर्षक ८––राज्य आबकारी) के अन्तर्गत १,०७,९५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह जो मांग की गई है इसके मुताल्लिक मैं कुछ तादाद बतला देना चाहता हूं इसमें से ८० लाख रुपया तो पावर अलकोहल खरीदने के लिये खर्च किया जायगा जिसके माने यह हैं कि जब वह पावर अलकोहल कम्पनी को बेच दिया जायगा तो हमको यह ८० लाख रुपया वापस मिल जायगा। इस तरह से ७ लाख दस हजार छः सौ रुपया अफीम खरीदने के लिये रखा गया है और जब यह अफीम के लाइसेंस दे दिये जायेंगे तो यह हमको मिल जायगा। तो कुल रुपया जिस विभाग के अखराजात के लिये जरूरत है उसकी तादाद २०,८४,४०० है।

अब आमदनी के मुताल्लिक सूरत यह है कि इस साल यह उम्मीद की जाती है कि हमारी आमदनी ५ करोड़ ६९ लाख ९ हजार ९०० रुपये के करीब होगी हालांकि इससे पहले साल १९५१–५२ में ६ करोड़ ४१ लाख ५१,३५२ हुई थी और आइन्दा साल का हमारा अन्दाजा ५ करोड़ ४९ लाख ३०,३०० रुपये की आमदनी का है। यह कमी जो आमदनी में हुई है वह काबिल गौर है और उम्मीद ऐसी है कि आइन्दा साल वह कम ही होगी और इसकी वजह खुली हुई है कि सूबे की आर्थिक एकनामिक हालत अब इतनी अच्छी नहीं है कि लोग इस तरह की फजूलयात पर ज्यादा खर्च कर सकें। हालांकि कुछ इसका भी असर है कि जो प्रोपेगन्डा सरकार और मुखतलिफ प्राइवेट एजेंसी के जरिये शराबखोरी वगैरा के खिलाफ किया जा रहा है, उसका भी कुछ न कुछ असर पड़ ही रहा है लेकिन एक अन्दाजा, जिसकी वजह से आमदनी कम हो रही है और जिसको हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते, वह यह है कि गैर कानूनी तरीके से जो शराबकशी वगैरा होती है या और तरह की चीजें जो चल रही हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा जैसे बाहर से हमारे सूबे में कुछ चीजें आकर बिकती हैं, इसकी वजह से भी आमदनी घट रही है, लेकिन ५ करोड़ ४९ लाख से कुछ ही ज्यादा की उम्मीद है और शायद इससे जायद आइन्दा साल में आमदनी न होगी।

जहां तक कि जरायम का संबंध है देखना यह है कि ४९–५० में १५,९०० यानी १६,००० के करीब मुकदमे पकड़े गये थे गैरकानूनी शराबकशी वगैरा के। सन् ५०–५१ में उनमें एक हजार की कमी हो गई यानी उनकी तादाद १४,९४३ रह गई। सन् ५१–५२ में १४,००० के करीब रह गई वह तादाद, गोकि यह जरूर है कि हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है और जरायम पकड़ रहा है और जुर्म में कमी भी हो रही है लेकिन यह इतमिनानबक्श हालत नहीं है लेकिन जहां तक कि इत्तला अनआफिशियल तरीके से हमें है पब्लिक की तरफ से उससे पता लगता है कि गैरकानूनी

[श्री सैयद अली जहीर]

चीजों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इनके रोकने के लिये मुख्तलिफ कार्यवाहियां गवर्नमेंट ने की हैं मसलन १९४९–५० में स्पेशल गांजा स्कवैड गवर्नमेंट ने गोरखपुर में कायम किया ताकि वह इसको रोकने की कोशिश करे। बदकिस्मती से गांजे का चोरी से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि पहले जमाने में जो गांजा गवर्नमेंट की दूकानों में दिया जाता था वह ईस्ट पाकिस्तान से आता था। वह बहुत ज्यादा पापुलर था और लोग उसको शौक से खरीदते थे। लेकिन जब से वह सोर्स बन्द हो गया और वहां से गांजा नहीं मिलता तो जो गांजा हम दे रहे हैं वह ऐसा नहीं है जिसको पब्लिक शौक से इस्तेमाल करे। इसका नतीजा यह हो रहा है कि नैपाल से जिसकी सरहद हमारे मुल्क से मिली है वहां नैपाल में गांजे के ऊपर कोई रोक–थाम नहीं है। इसकी वजह से वहां से बहुत बड़ी तादाद में गांजा हमारे मुल्क में बराबर चला आ रहा है। मैं बतलाऊंगा कि इसकी वजह से किस कदर हमारे यहां इस्तेमाल इसका बढ़ गया है और जो दूकानों में बिकता था वह अब करीब-करीब नहीं के बराबर हो गया है और बहुत कम दूकानों पर बिकता है। यह चीज ऐसी है जिसके लिये हमें कुछ न कुछ करना है, लेकिन बदकिस्मती से प्रान्तीय गवर्नमेंट इसके सिवा कुछ नहीं कर सकती कि इस किस्म की चीजों की रोक–थाम करे पुलिस वगैरह के जरिये से, ताकि नैपाल से वह न आने पाये। लेकिन बावजूद हमारी सब कोशिशों के कम से कम पूरे तौर से कामयाब नहीं हो रहे हैं। अभी हमने पहली दिसम्बर, १९५२ से एक और उसी तरह से स्पेशल चर्स स्क्वैड मुरादाबाद में कायम किया है। उसके पीछे भी यही चीज है। चर्स भी नैपाल से आती है। यह जाहिर है कि इसका इलाज जभी हो सकता है कि जब दोनों तरफ से रोक–थाम हो यानी गवर्नमेंट आफ इंडिया के जरिये से हम नैपाल गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर डाल सकें और उनको भी आमादा कर सकें कि वह अपने यहां भी पाबन्दी लगायें ताकि बाहर न जाने पायें। तभी इसमें कामयाबी हो सकती है। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने की है वह यह है कि बाज–बाज अजला में मसलन देहरादून, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा झांसी, गोरखपुर में यह फैसला किया है कि एक-एक और ऐडीशनल एक्साइज इंस्पेक्टर यहां मुकर्रर हो जायगा जिसका काम यह होगा कि वह उन जरायम को जो निषेध के सिलसिले में होते हैं उनको जहां तक हो सके रोके और उसकी इत्तला जल्द पहुंचाये।

दूसरी चीज जो गवर्नमेंट कर रही है वह यह है कि एक इंटेलिजेंस ब्यूरो इलाहाबाद में है। जहां पर इक्साइज का दफ्तर है। उसका काम यह है कि जितने इस किस्म का मशकूक आदमी उनकी एक तारीख और अंगूठे का निशान वगैरह वहां पर जमा करें और तमाम मालूमात उनके मुताल्लिक हासिल करें और एक रजिस्टर में रखा जाय। इस किस्म के तमाम जो जुर्म होते हैं उनको दरियाफ्त करें कि किस–किस तरीके से यह जुर्म रोके जा सकते हैं। अभी तक यह मुहकमा काम तो कर रहा था लेकिन आदमी कम थे और काम बहुत ज्यादा हो गया। अब हमने यह भी इरादा किया है कि १९५३–५४ के बजट में इस ब्यूरो को और ज्यादा मुफीद बनाने के लिये कुछ थोड़े से अफसर मुअय्यन किये जायं जो इस बात पर बराबर गौर करते रहें कि क्या जराये इन जरायम के रोकने लिये किये जा सकते हैं जिसके जरिये से हम इसको रोक सकें। बहरहाल यह दिक्कतें हैं और यह सूरतें हैं जिसकी वजह से हमारे यहां अभी तक जरायम को रुक जाने चाहिये थे और जितनी कि मद्य-निषेध को कामयाब होना चाहिये था उतना बदकिस्मती से कामयाब नहीं हुआ। अब ऐसी सूरत में सवाल यह उठता है कि आइंदा हमारी पालिसी क्या होनी चाहिये। यह एक बहुत ही मुश्किल और मेरे खयाल में एक ऐसा सवाल है कि जिसके ऊपर हम सबको बहुत ठंडे दिल से बगैर जज्बात से मुत्हर्रक हुए सोचना चाहिये और फैसला करना चाहिये।

आप अगर देखेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि जो नकशा है हिन्दुस्तान का, अगर आप शुरू करें आसाम से तो आप देखेंगे कि आसाम में कोई प्राहीबीशन नहीं है। उसके बाद आप बंगाल में जायं, वहां कोई प्राहीबीशन नहीं है। बंगाल के बाद बिहार आता है वहां भी प्राहीबीशन नहीं है। बल्कि वहां एक मंत्री महोदय साहब ने तो अभी

यह कह दिया कि "प्राहीबीशन इन बिहार इज नाट यट पासिबिल" कृष्णवल्लभ सहायजी ने, जो रेवेन्यू और एक्साइज के मंत्री जी हैं उन्होंने यह कहा और उन्होंने आगे कहा,

"That there are many people in the state who consider use of drink as part of their culture and civilization."

श्री अध्यक्ष—इसका हिन्दी में तर्जुमा होना चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर—जनाब, कृष्णवल्लभ सहाय जी ने यह कहा कि शराब नोशी हमारी कल्चर और तहज़ीब का एक जुज़ है। तो आप खयाल करें कि किस क़दर फर्क है हमारी पालिसी में और हमारे बराबर की जो स्टेट है यानी बिहार, जहां के ऊपर खुद कांग्रेस गवर्नमेंट है और शुरू से चल रही है और मैं समझता हूं कि कामयाबी के साथ चल रही है, उन्होंने यह बयान कर दिया और यह भी कहा कि हम···

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)— यह इन्फार्मेशन अखबार से पढ़ रहे हैं, या और किसी इत्तला से?

श्री सैयद अली जहीर—अखबार की कटिंग है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक बयान है जो कि असेम्बली के सिलसिले में उनकी रिपोर्ट छपा करती है। बहरहाल यह चीज है। मैं तो खुद समझ रहा हूं कि एक ग़लत सी चीज है। वहां पर प्राहीबीशन नहीं है, यह वाकया है। मैं तो अपनी जो पालिसी है वह अब बताने जा रहा हूं।

इसी तौर से अगर आप देखेंगे तो खुद मद्रास में जहां के ऊपर कि बिल्कुल बन्द कर दी गयी है, पूरे प्रान्त में यही सवाल पेश हुआ और उन्होंने कहा कि १७ करोड़ का नुक्सान हमारा हो रहा है। वहां उनसे सवाल किया गया कि अगर आप प्राहीबीशन को बन्द कर दें तो फिर क्या सूरत होगी तो जवाब दिया गया कि कम से कम १७ करोड़ की आमदनी तो नहीं होगी अगर फिर से जारी कर दें और यह भी कहा कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन इतना बढ़ गया है कि अगर हम इस वक्त प्राहीबीशन को छोड़ करके फिर अपने पुराने रास्ते पर आ जायं तो हमारी उतनी आमदनी नहीं हो सकती। वहां के राजा जी के मुताल्लिक यह बयान किया गया है कि उन्होंने ऐसा कहा।

तो एक कोने से आपने देखा। बहरहाल यह सूरत है हमारे और सूबों में जो हमारे आस-पास हैं। जैसा मैं बतला रहा था कि बिहार तक तो कोई मुमानियत नहीं है। हमारे सूबे में अब तक मुमानियत नहीं है, सिर्फ ११ जिलों में और तीन मजहबी मुकामात पर शराबबन्दी की है। इधर अगर आप पंजाब पहुंचियेगा, दिल्ली पहुंचियेगा और उसके बाद काश्मीर जाइयेगा तो कहीं भी आपको नशाबन्दी नहीं मिलेगी। अगर नकशे को सामने रखते हैं तो यह देखते हैं कि ११ जिले और ३ शहर बीच में पूरे नार्थ इंडिया में मिलते हैं जहां मद्यनिषेध अमलदरामद है। जाहिर है कि यह इत्मिनान-बख्श हालत नहीं है। हमको यह फैसला करना है कि उनको क्या करना चाहिये। बहरहाल हमने एक एक्सपेरीमेंट किया अपने यहां इसलिये कि हम इसको मुफीद समझते हैं। हम यह जानते हैं कि शराब पीने के क्या नतायज होते हैं और उसके जरिये से किस तरह से लोग तबाह होते हैं और खास कर गरीबों में क्या परेशानी फैलती है और उनके बच्चों और औरतों की क्या हालत होती है। इन सब बातों को देखते हुए और उसकी मारल जरूरियात के ऊपर ग़ौर करते हुए हमने यह जरूरी समझा कि

[श्री सैयद अली जहीर]

हम अपनी इस पालिसी को चलावें और हमारी यही अब तक नीति रही है कि इस पालिसी को आगे बढ़ायेंगे लेकिन इसको हम आगे क्यों नहीं बढ़ाते यह सवाल जरूर उठेगा और इसका जवाब हमें देना है। इसके लिये मुझे यह अर्ज करना है कि यह जो हमने एक्सपेरीमेंट किया है उसके सिलसिले में हमने एक क्वेश्चनायर बनाया है, कुछ जवाब मांगे हैं और वह हमने तमाम सर्कुलेट किये हैं। उसके जरिये से हम यह अन्दाजा लगाना चाहते हैं कि जो हमारे यहां ४ वर्ष या ३ वर्ष जहां-जहां इस तरह की शराबबन्दी रही है तो उसके नतायज क्या हुए हैं। आया उसकी वजह से लोगों की हालत कुछ बेहतर हुई है या नहीं उसी तरह से यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नाजायज चीजें जो फैली हुई है उनकी रोक—थाम के लिये क्या तरीका अख्तियार किया जाय। यह क्वेश्चनायर हमने तैयार किये हैं और इनके जवाब का इन्तजार कर रहे हैं। बहरहाल आगे इसकी क्या शक्ल होगी यह उन जवाबों के आ जाने पर मालूम होगा। हम सोचते हैं कि उसके बाद हम बेहतर हालत में होंगे इस बात का तस्फिया करने के लिये कि हम कौन नये-नये जराये और अख्तियार करें जिससे कि हम अपने यहां इसको बढ़ा सकें और बढ़ा करके जो असली इसकी गरज है यानी यह कि गरीब लोग इसकी तबाही से बच सकें उसमें कैसे फायदा हो।

बहरहाल जो सूरत इस वक्त है वह यही है कि हम एक एक्सपेरीमेंटल स्टेज पर हैं और बदकिस्मती से जैसी कि रिपोर्ट हमारे पास आ रही है और जो इत्तला-आत पहुंचती हैं उनसे जो अन्दाजा मिलता है वह यह है कि हमारे यहां बजाय इसके कि लोग तहरीक करें और गवर्नमेंट की यह पालिसी जो है उसको कामयाबी हो, इसके बजाय एक नाजायज तरीके से शराब वग़ैरह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वह फायदा जो कि गवर्नमेंट नाजायज समझती है और उस फायदे को हासिल नहीं करना चाहती, दूसरे लोग जिनको कि परवाह नहीं है, मुजीर किस्म की चीजें लोगों में फैलाकरके उससे फायदा उठाना चाहते हैं, नफा कमाना चाहते हैं। तो बहरहाल यह चीज हमको किसी न किसी तरह से रोकनी है और अगर हमें इसके रोकने में कामयाबी हो गई तभी इस बात का मौका आयेगा कि हम अपनी प्राहीबीशन पालिसी को आगे बढ़ायें, लेकिन अगर हमारी प्राहीबीशन पालिसी का नतीजा सिर्फ यही हुआ कि गवर्नमेंट ने तो अपनी रेवेन्यू बन्द कर दी लेकिन बजाय इसके नाजायज किस्म की शराब और नाजायज किस्म की चीजें लोगों में छिपी चोरी से ज्यादा बढ़ गई तो बड़ी मुश्किल हमको पड़ेगी और उससे कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा। लिहाजा एक तरफ तो हमको अपने प्रोपोगेंडे को और अपने इस काम को इस तरह करना पड़ता है कि लोगों में इसकी तरफ से एक नफरत पैदा हो, लोग इसको बुरी चीज समझें इस प्रोपोगंडे को और ज्यादा मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है और दूसरी तरफ जो लोग कि इंसान की इस कमजोरी का कि वह शराब पीना चाहता है और नशे की चीजें इस्तेमाल करता है, इसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं उनको भी हमें रोकना है और उनके दिमाग में यह डालना है कि जो भी ऐसा करेगा वह यकीनन सजा पायेगा। और सजा ऐसी सख्त होगी कि उसके लिये यह मुनासिब न होगा कि वह अपने इस नाजायज फ़ेल को जारी रखे। यह चीजें हैं और यह उसी वक्त कामयाब हो सकती हैं जिस वक्त कि पब्लिक ओपिनियन का हमारे प्रान्त में ऐसी डेवलप हो जाय कि जिसकी वजह से इन दोनों बातों, एक तरफ से शराब की बुराई और दूसरी तरफ उसके नाजायज तरह से पैदा करने या उसका इस्तेमाल करने की जो बुराई है उसके मुताल्लिक भी हमारे यहां काफी जज्बा लोगों में पैदा हो जाय। अगर यह हो गया तब तो यकीनन हमारी प्राही-बीशन की पालिसी कामयाब होगी। लेकिन बदकिस्मती से जैसा कि अभी तक तजुर्बा हुआ है, हमको कोई कामयाबी नहीं हुई है। इसीलिये हम इस स्कीम को आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं समझते हैं। यह सूरत है जो कि सरेदस्त हमारे सामने है।

डिपार्टमेंट के मुतालिक खास मुझे नहीं कहना है सिर्फ यह बतलाना है कि जैसा फारेन लिकर है उसमें भी कुछ हद तक हमारे यहां इस्तेमाल घट गया है और जितना पुराने सालों में आता था वह अब कम हो गया है। मसलन सन् १९५१-५२ में १ लाख ६१ हजार गैलन के करीब आया था और अब के साल याने ५२-५३ में सिर्फ ९६ हजार गैलन के करीब आया है। एक चीज अलबत्ता इस सिलसिले में है जिसका कोई ताल्लुक हमारी शराब नशा पालिसी से नहीं है। वह पावर अल्कोहल का मामला है। पावर अल्कोहल जैसा आप जानते हैं वह चीज अब ..बर्नमेंट आफ इण्डिया ने अपने अख्तियार में ले ली है लेकिन अब भी उसका तकसीम जो कि हमारे सूबे में पैदा होता है उसका इन्तजाम हमारे मुताल्लिक है जिसकी सूरत यह है कि हमारे यहां जितनी फैक्टरीज लगी हुई हैं उनमें करीब-करीब १ करोड़ ३ लाख ८० हजार गैलन पावर अल्कोहल बन सकता है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल इस वक्त है वह महज ५२ लाख ३४ हजार गैलन है। आपको मालूम है कि पावर अल्कोहल की वजह से हमारे पेट्रोल के खर्चे में बहुत कमी होती है क्योंकि एक्सपर्टस ने यह तय कर दिया है कि ८० फीसदी पेट्रोल हो और २० फीसदी पावर अल्कोहल हो तो इससे मोटर के इंजिन में भी कोई खराबी नहीं आती है बल्कि इंजन अच्छा ही होता है। जहां तक इसका ताल्लुक है हमारे यहां इसका तिजारत है जिससे हमारे प्रान्त को काफी फायदा होता है। यदि यह और सूबे में भी इस्तेमाल हो तो और ज्यादा फायदा हो सकता है। इस वक्त यह सिर्फ हमारे सूबे में और दिल्ली में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन उम्मीद है कि अब पंजाब में भी इसका इस्तेमाल होने लगेगा। इसके इस्तेमाल में जो मुश्किलात हैं वह यह है कि इसको पेट्रोल के साथ मिलाना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहां जितनी भी पेट्रोल की कम्पनियां हैं वे बाहर की हैं और हमारी अपनी कोई नहीं है। वह कम्पनियां नहीं चाहती हैं कि उनके पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो जिसकी वजह से मिक्स करने वाले डिपो की भी कमी है। बहरहाल हमारे यहां रामपुर और मुरादाबाद को छोड़कर और सब जगह यह काम मुकम्मल हो गया है। हमारे यहां हर जगह पेट्रोल और पावर अल्कोहल मिलाकर बेचा जाता है। दिल्ली में भी ऐसा होता है। लेकिन उम्मीद है कि अगले साल से पंजाब में भी ऐसा हो जायेगा। यह एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक शराब से नहीं है। बहरहाल उसका जुज है जो कि हमारी शुगर केन इन्डस्ट्री है उसका बाय प्रोडक्ट है। इन फैक्टरीज में मोलसेज से यह बनता है। यह ऐसी चीज है जिसमें उम्मीद है कि अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा तो इससे हमारी आमदनी में काफी इजाफा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जरूरी बातें थीं वह मैंने आपके सामने बतला दी हैं और कोई खास बात नहीं है जो जिक्र करने से रह गई हो। बहरहाल अगर कोई बात रह गयी हो तो वह बाद में अर्ज कर दूंगा, इन अलफाज के साथ में यह मांग आपके सामने रखता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी करने का प्रस्ताव रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह साल भर के त्योहारों में से होली का त्योहार आता है उसी तरह से सब अनुदानों में से जब यह अनुदान हमारे सामने आता है तो हम लोग जौली मूड में आ जाते हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने आज जो पालिसी इस सरकार की होगी और उस पर रोशनी डाली उससे यह साफ मालूम होता है कि हमारे प्रान्त में भी प्राहिबिशन की जो पालिसी अख्तियार की गई है वह बिल्कुल फेल हो गई है। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी बड़ी हिम्मत के साथ और यह हुकूमत बड़ी हिम्मत के साथ यह ऐलान कर देती है कि अगर प्रहीबीशन की पालिसी फेल हो ग

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

और हम उसको बन्द कर देते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक कि हम चारों तरफ से जनता को समझा बुझाकर इस स्टेट पर न पहुंचा दें कि वह उसे खुद छोड़ दे, तब तक इस प्राहीबीशन की पालिसी को वह खत्म कर देते हैं। हमारे सी० पी० में अभी हाल ही में एक कमेटी गवर्नमेंट की बैठी तो उस कमेटी में एक राय का इजहार हुआ कि वहां की पालिसी ठीक नहीं है। जब कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो निकला...

श्री सैयद अली ज़हीर--कौन सी कमेटी के बारे में आपने कहा ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--सी० पी० की कांग्रेस का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो निकला उसमें भी प्रहीबीशन की पालिसी की कोई चर्चा नहीं थी ? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर डाक्टर देशमुख साहब हैं उन्होंने भी इसके लिये बतलाया है कि हमारी पालिसी बिल्कुल नाकामयाब रही है और इससे कोई फायदा मुल्क को नहीं रहा। चारों तरफ से यही कहा गया और हमारे कांग्रेस के हाई कमांडर एक सदस्य ने भी कहा कि यह पालिसी ठीक नहीं रही। मैं समझता हूं कि जब इस देश के अन्दर फाइव ईयर प्लान चल रहा और इस वक्त यह हमारी पालिसी नाकामयाब हो गई है तो इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। अगर आप इसका कारण देखें तो आपको पता चलेगा कि आपने केवल जो ११ जिलों के अन्दर प्राहीबीशन कायम किया है, उसी से यह नाकामयाब रही। अध्यक्ष महोदय, दो चीजें, मोहब्बत और शराब ऐसी हैं कि जितनी इनको दबाने की कोशिश की जाय उतनी ज्यादा वह उभड़ती जाती हैं। मेरे अगल बगल के मित्र इसकी ताईद करेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर आप इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे और इसके लिये कंट्रोल हुआ तो इस तरह से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। मैं समझता हूं कि जहां ११ जिलों में आपने यह प्राहीबीशन की स्कीम को लागू किया है वहीं नाजायज तौर पर सबसे ज्यादा शराब बनाई जाती है। आप यहीं पर देख लीजिये कि कानपुर में प्राहीबीशन है लेकिन लखनऊ में नहीं है। लोग कानपुर से लखनऊ आते हैं और यहां पी जाते हैं, फिर कानपुर वापस चले जाते हैं। यह तो आपकी प्राहीबीशन की पालिसी है। आपको प्राही-बीशन की पालिसी सारे प्रान्त में करना चाहिये। जैसे चीनी का कंट्रोल था उस ज़माने में जितना लोग चाहते थे, उतना ब्लैक मार्केट से ले सकते थे। इसलिये अगर आप सारे प्रान्त में प्राहीबीशन करेंगे तो वह एक जिले से दूसरे जिले में शराब पीने के लिये न जा सकेंगे। इसलिए वह सारे प्रान्त में लागू की जाय तो बड़ी खुशी की बात है। हम भी चाहते हैं कि लोग शराब पीना बन्द कर दें, लेकिन सिर्फ महात्मा जी कह गये कि प्रावीहीशन होना चाहिये, इसलिये आप इसे कर रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। महात्मा जी कह गये थे कि अगर शराब की जगह हम नीरा रख दें, तो वह ठीक होगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे असेम्बली चेम्बर के सामने अन्नपूर्णा कैफटेरिया खुलने वाला है, उसमें भी अगर नीरा दी जाय, तो हम ऐसी आशा करते हैं, कि सब माननीय सदस्य वहां पीने के लिये जायेंगे। शराबबन्दी के बारे में अभी गवर्नमेंट को फैसला करना है जो इस वक्त का ऐडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जरिये से प्राहीबीशन की पालिसी कभी भी हम कामयाब नहीं कर सकते हैं बल्कि इससे हमको करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। नैनीताल में खाटिमा और सितारा दो जगहें हैं जहां थारू लोग रहते हैं, उनको शराब बनाने के लिये लाईसेंस के बजाय परमिट दिया जाता है। वह एक पीपा शराब बनाने का परमिट लेते हैं लेकिन उससे वह चार-चार पीपा बनाकर बेचते हैं। वहां के लोगों ने इसको बन्द कराने की बड़ी कोशिश की और हमारे नारायणदत्त जी के पास एक हजार आदमियों का रेप्रिजेंटेशन आया कि पर्मिट सिस्टम बन्द करा दिया जाय, ताकि स्टेट की आमदनी बढ़े, लेकिन सरकार उसकी तरफ देखती नहीं है।

यही कह देना काफी नहीं होगा कि जब समय आयेगा तब हम जनता को समझायेंगे। जनता को समझाने के लिये हमने किया ही क्या ? हमारे इलाके में एक विलसन साहब हैं। उन्होंने अच्छे-अच्छे गाने तैयार किये हैं और वे रात-दिन यही सुनाया करते हैं कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, चरस मत पियो, गांजा मत पियो, शराब मत पियो। उनको केवल ८ रुपये तनख्वाह के मिलते हैं और जिस जलसे में कहिये वहीं पहुंच जाते हैं। वे स्कूलों में चल जाते

हैं और बच्चों के कान पकड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब दशा यह है कि जब बच्चे देखते हैं कि विलसन साहब आ गये हैं, तो जो बीड़ी नहीं पीते हैं वे भी बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं और उनका मज़ाक उड़ा देते हैं। इस सम्बन्ध में न कोई प्रचार हुआ है और न कोई उत्साह ही दिखाया गया है। यदि प्रचार किया जाय और लोग शराब न पियें तो खुशी की बात है और हम सब मिल करके इस काम को करने के लिये तैयार हैं। और हम समझते हैं कि हमें काफी इसमें कामयाबी हो सकती है। फिर देखना है कि शराबबन्दी कहां की गयी? हरद्वार में शराबबन्दी की गयी, अब शायद वृन्दाबन में भी शराबबन्दी करने का इरादा हो, लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा है—

जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर,
या वह जगह बता जहां पर खुदा न हो।

इसलिये मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की जो भी पालिसी इस सम्बन्ध में रही है, वह ग़लत रही है। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी को आज ही के दिन वर्ड आफ आनर मिला है। यह सम्मान केवल उनका ही नहीं बल्कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य का है। चीफ स्टूअर्ट आफ ह्यूमन फैलोशिप, यू० एस० ए०, को इंटर-नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ दि वर्ल्ड पीस क्रूसेडर्स ने सम्मान देकर अपना मेम्बर बना लिया है। ये दोनों क्या बलायें हैं यह भी मुझे पता नहीं है, लेकिन हां इस आर्गेनाइजेशन के वे मेम्बर हुये हैं और और पहले भारतीय हैं इसलिये यह सम्मान केवल उनका नहीं है बल्कि इस सम्मानित सदन के हर माननीय सदस्य का है। मुझे उम्मीद है कि अगले बजट के आने तक कोई हवाई होनोलूलू से भी सम्मान आ जायेगा जिससे सबका बड़ा सम्मान होगा।

जहां तक आंकड़ों की बात है, आंकड़े मेरे पास बहुत हैं। मैं किताब नहीं लाया हूं लेकिन मुझे सब आंकड़े याद हैं। आंकड़ों के सम्बन्ध में हमारे माननीय गृह मंत्री जी की यह राय है कि "लाइज़, डैम लाइज़ ऐण्ड देन स्टैटिस्टिक्स।" तो मैं इन डैम लाइज़ के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। उम्मीद की जा रही है कि आमदनी कम होगी परसाल भी उम्मीद की गई थी कि आमदनी कम होगी लेकिन आमदनी बढ़ गई। हमारी सरकार ने कम आमदनी इसलिये लगाई है चूंकि हाफ रेट सिनेमा चल रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को एक दो चीजें और बतलाना चाहता हूं। यह इल्लिसिट डिस्टिलेशन जैसा मैंने बताया गांवों के अन्दर बहुत चल रहा है और काटेज इंडस्ट्री के रूप में चल रहा है जिससे और इंडस्ट्रीज खत्म होने जा रही हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को अपनी यादगार के लिये भी कुछ करना चाहिये। रम का नाम बदल देना चाहिये और उसके बजाय जहीर रम रख देना चाहिये। कहीं काटेज इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर साहब न शिकायत करने लगें, इसलिये मैं समझता हूं कि ठर्रा का नाम हुक्म ठर्रा रखा जाय। हमारे बहुत से नारायण हैं जैसे राजनारायण जी, नारायण दत्त जी, रामनारायण जी, कहीं ये लोग न बिगड़ जायं, इसलिये मेरी राय है कि "जिन" का नाम राजनारायण "जिन" रखा जाय। इसमें सब नारायण कवर हो जायंगे।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहूंगा कि हमारी पार्टी यह चाहती है कि प्रोहीबीशन अवश्य हो, लेकिन अगर प्रोहीबीशन स्कीम को हम ठीक तरह से नहीं चला सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम इस स्कीम को चालू रखें शराब और जिलों में भी खुल जाएं और बने, ताकि इतनी ज्यादा शराब बनने लगे कि लोग परेशान हो करके स्वयं शराब पीना बन्द कर दें।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--जनाब स्पीकर साहब, इस आबकारी के मसले के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने जो अभी तहरीर भवन के सामने की सबने उसे गौर से सुना, उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने जो सूरतेहाल थी उसको साफ-साफ हाउस के सामने रख दिया। मैं यह भी जानता हूं कि उनको कुछ दिक्कतें हैं और इस से ज्यादा साफ शायद वह कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन फिर भी हमने उनकी तकरीर से यह नतीजा निकाल लिया कि प्रोहीबीशन इस सूबे में अब तक कैसे चला और इसके क्या फ्यूचर्स

[श्री सुल्तान आलम खां]

हैं और इसमें कितनी कामयाबी की उम्मीद हो सकती है । मैं आपके से साफ तौर पर कह सकता हूं और म जाती तौर पर यह पसन्द करता हूं और मैं समझता हूं कि इसके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि प्रोहीबीशन एक अच्छी है । अगर मुमकिन हो सके तो प्रोहीबीशन को ट्राई करें और इसको कामियाब बनायें । लेकिन उसके साथ ही साथ मेरा यह भी अकीदा है कि प्रोहीबीशन फेल हो चुका, प्रोहीबीशन में कामयाबी होने की कोई उम्मीद नहीं । प्रोहीबीशन को फिर चलाना बिल्कुल एक ऐसी चीज होगी जैसे कि एक आजमाई हुई चीज को दोबारा आजमाया जाय, और उसके ऊपर वक्त और रुपया सर्फ किया जाय । जनाब वाला, आज से नहीं चार साल पहले से यह मसला इस हाउस के सामने आता रहा । मुझे यह भी याद है कि मौजूदा माननीय मंत्री की खिदमत में भी हम लोग कुछ कहते रहे और इससे पहले उनके जो प्रेडेसेसर थे, इस हाउस में उनके सामने भी यह पेश किया जाता रहा । कई मर्तबा यह बात सामने आयी कि जो प्रोहीबीशन हो रहा है जिसके मातहत हमारी आमदनी बराबर घटी है उसका हमें पूरा अचीवमेंट नहीं मिलता, यह सही है कि इस सूबे की जमींदारी खत्म हो चुकी है और जमींदारी खत्म होने के पहले रेवेन्यू छोड़ने के बाद सबसे बड़ा आइटम जो था वह प्राविन्शियल एक्साइज का था और वह आमदनी अब रफता २ कम हो रही है । काश यह आमदनी कम हो जाती और आमदनी कम होने के बाद प्रोहीबीशन के सिलसिले में हम कुछ अचीवमेंट करते तो शायद हम इसे पसन्द करते कि ऐसा किया जाय । चूंकि मैं इस बात को मानता हूं कि सोशल वेलफेयर के कामों में शराब बन्दी का काम सब से पहले है इससे मुल्क के लोगों को एकोनामी और सेहत को नफा पहुंचता है, इसलिये आया हम इसको कामियाब बनाते रहे लेकिन तजुर्बे ने यह चीज़ बतलायी कि यह नामुमकिन और इमप्रैक्टिकेबिल है । तब कम से कम अभी इस स्टेज में हमारा मुल्क नहीं पहुंचा है कि हम इस को कामियाबी से चलायें । मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी ने एक आइडियल हमारे सामने रखा और मैं उसके सामने सर झुकाता हूं । मैं जानता हूं कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े आइडियल के इन्सान थे और वाकई उन्होंने हमारे सामने बहुत से आइडियल छोड़े लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आज तक हम लोग जो इस वक्त उनके पैरों हैं कितने उन आइडियल्स को कामियाबी से चला सके हैं । बहुत सी ऐसी चीजें हमारे सामने आयीं जो महात्मा जी की आडियल्स थीं उनको हम नहीं चला सके । हमें अपनी गलती का एतराफ करना पड़ा और हमने उसको वापिस लिया । इस तरीके पर मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट के सामने कई मर्तबा यह तजवीज रखी गई कि हम करोड़ों रुपये की आमदनी को फोरगो कर रहे है उसके बदले में हमें अचीवमेंट कुछ नहीं मिलता । मैं आज यह देख रहा हूं कि गांवों में हर जगह शराब की भट्ठियां कायम हैं । और नाजायज शराब खींची जाती है । लोग नाजायज शराब इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी सेहत पर ज्यादा असर पड़ता है, मैं समझता हूं कि यह कोई अचीवमेंट नहीं हुआ । गवर्नमेंट से दोबारा मैं अर्ज करूंगा कि वह कोई ऐसा कानून बनाये कि इस सिलसिले में ज्यादा पनिशमेंट बढ़ा दिये जायं । क्योंकि जब सजा ज्यादा होती है तो जुर्म कम होता है और जब सजा कम होती है तो जुर्म ज्यादा होता है । एक मुसीबत यह भी है कि जो लोग चोरी और डकैती करते हैं उनके खिलाफ लोग शहादत देने को तैयार हो जाते हैं लेकिन एक्साइज के जो मुलजिम होते हैं उन्हें इन्नोसेंट मुलजिम बनाकर लोग उनको तकलीफ देना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर इसे इस काम से बन्द किया गया तो यह चोरी और डकैती करना शुरू करेगा । यह छोटा सा जुर्म है, इसमें कोई हर्ज नहीं है । इसलिये अगर सजा मैकसिमम एक साल के बजाय सात साल या दस साल कर दी जाय तो मुझे यकीन है कि इसमें किसी हद तक कमी हो सकती है ।

बारबार यह तजवीज़ गवर्नमेंट के सामने आई लेकिन उसने पता नहीं किस मसलहत से इस बात को नहीं माना इससे पहले जो मिनिस्टर इन चार्ज थे उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा बिल लावेंगे जिससे एक्साइज ऐक्ट को तरमीम करें लेकिन आज तक वह बिल नहीं आया । दूसरी बात यह है कि इसे चलाने के लिये कुछ प्रोपैगण्डा भी नहीं किया गया है और

रिवार्डस भी बहुत कम रखे गये हैं। इसके अलावा हमारी प्रोपैगण्डा की मशीन भी बिलकुल गलत है। मैंने आज तक कहीं भी यह नहीं देखा कि उस मशीन ने सही काम किया हो। हमारे सूबे में सिर्फ ११ जिलों में जो प्राहीबीशन है तो इसलिये प्राहीबीशन चलना नामुमकिन है जब कि यह और दूसरे अज़ला में भी न हो। अगर इसमें डेटेरेंट सजा रखी जाती और इनामात अधिक रखे जाते और प्रोपेगण्डा ठीक तरह से होता तो यह बहुत कुछ कामयाब हो सकता था। मैं समझता हूं कि अगर दिन का भूला हुआ रात को आ जावे तो उसे भूला हुआ नहीं समझना चाहिये। आज हमें डेवलपमेंट के लिये रुपये की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अब वह वक्त आ गया है कि हम इस चीज़ पर गौर करें। या तो गवर्नमेंट खुद फैसला करे या एक कमेटी बनावे जो इस बात पर गौर करे कि वाकई अब प्राहीबीशन की जरूरत नहीं है। अगर हम प्राहीबीशन वापस ले लें तो प्लॉनिंग और डेवलपमेंट के लिये बहुत सा रुपया मिल सकता है।

श्री गंगा धर शर्मा (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, नशाबन्दी के सिलसिले में जो अनुदान आपके सामने प्रस्तुत हुआ है उस पर विभिन्न प्रकार से विचार किया जा सकता है और किया गया है। माननीय मंत्री जी महोदय ने कहा कि किन-किन परिस्थितियों के कारण मद्यनिषेध को वे पूर्णतया अपने प्रान्त में नहीं लागू कर रहे हैं। दूसरे सूबों की बात क्वोट करके वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मद्यनिषेध का करना हमारे लिये कोई लाजमी चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई चीज वास्तव में खराब है तो चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी उसे अच्छा और सही सिद्ध करना चाहे वह सही नहीं हो सकती है। आज यदि मद्यनिषेध पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा है तो उसके कारण ढूंढने चाहिये जब हममें से ही लोग उसके विपक्ष में हैं तो फिर उसकी सफलता कहां? एक मनुष्य एक डिग्री गिरता है, दूसरा २ डिग्री और तीसरा तीन डिग्री। आज दिल्ली से लेकर एक गांव की छोटी झोंपड़ी तक कितने लोग ऐसे हैं जो बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू के शिकार नहीं हैं। उनके और उनके बच्चों के दिल जल रहे हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि यह कह सके कि बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू भी मादक वस्तु सूची में रक्खी जावें और उनके खिलाफ भी वैसा ही जिहाद बोला जाय जैसे शराब के लिये कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम खुद उसमें ग़र्क़ हैं तो कैसे उसे अलग करने के लिये दूसरों से कह सकते हैं, यह कारण है जिसकी वजह से मद्यनिषेध सफल नहीं हो पाता। यदि वास्तव में हम डिटरमिनेशन से उस पर जुट जावें तो कोई वजह नहीं है कि मद्यनिषेध प्रान्त में सफल न हो। हमें यह नहीं कहना चाहिये कि हाय हमारी सरकार की आमदनी कम होती जाती है हम कैसे इसे छोड़ें। जब हम खुद इसमें ग़र्क़ हैं तो कैसे उसे छोड़ें? यदि आमदनी ही बढ़ानी है तो और तरीकों में चोरी डकैती से भी आमदनी हो सकती है। इनसे भी आपकी आमदनी बढ़ सकती है तो क्या यह उचित होगा मैं तो कहूंगा कि जितनी खराबी पैदा करने वाली चीजें हैं उनको आप कभी भी आय के लोभ से प्रोत्साहन न दें। यदि अभी तक मद्यनिषेध से कोई विशेष फल नहीं मिला है तो उसके मानी यह नहीं कि मद्यनिषेध की बात ही छोड़ दी जाय। कतई नहीं। यह पूरे तरीके से लागू किया जाय और सारे सूबे में लागू किया जाय तो आप देखेंगे कि चाहे आसाम हो, चाहे पंजाब हो और चाहे कोई और सूबा हो सब मात हो जायेंगे और आपके सूबे में शराब बन्दी अच्छी तरीके से हो सकेगी। आज आप करते कुछ नहीं हैं और बातें करते हैं कि शराब बन्दी सफल हुई नहीं और महात्मा गांधी की बात चली नहीं। यह तो सब बातें मैं बहाने की समझता हूं। यदि शराब बन्दी करना है तो आप शराब की दूकानें कतई नीलाम न करें, शराब सरकारी दूकानों पर कमीशन के तौर पर बेंचने का अधिकार हो। उनपर जो आदमी शराब लेने जावें उनके नाम नोट किये जावें और जो शराब पीते हैं उनको लायसेंस दिया जावे। अगर इस तरह से हो तो आप देखेंगे कि पांच सात साल में कितना परिवर्तन हो जायगा। करते कुछ नहीं हैं इधर उधर की बातें बनाकर इस प्रश्न को टालते हैं कि शराबबन्दी को करें या न करें।

[श्री गंगाधर शर्मा]

शराब बन्दी के साथ-साथ मैं यह बात भी रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शराब के लिये कहा जाता है उसी प्रकार से बीड़ी, सिगरेट वगैरह मादक चीजें हैं। फिर भी फिल्मों की ही भांति देखिये शहरों में बड़ा प्रोपेगेण्डा उसका होता है और ऐसे ऐसे नाच स्वांग देखाये जाते हैं जिससे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे बीड़ी, सिगरट पीने लगे। दो-दो और तीन तीन साल के बच्चों का हृदय जलता चला जा रहा है और आप कुछ कर नहीं पाते। इसलिये मैं कहता हूं कि शराब बन्दी के साथ-साथ इन सारी बातों को भी दिमाग में रखना है जिनके लिये मैंने अभी आपके सामने अपने विचार रखे हैं। यदि आप इनको ले लें और हमारी सरकार और हमारे सदन के सभी माननीय सदस्य इस पर डिटरमिन्ड हो जायं कि यह सब दूर हो जायेगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको ही इसका श्रेय मिलेगा कि आपके सूबे में ही सबसे पहले सच्ची शराबबन्दी हुई।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो इस समय सदन के सामने उपस्थित है मैं इसके समर्थन के हेतु उपस्थित हुआ हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते समय कहा था कि यह प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है और यह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बजट भी पेश कर रहा है। उसी प्रकार मैं कहता हूं कि सबसे बड़े सूबे का सबसे सुन्दर कार्य है जिसको हमारे न्याय मंत्री जी कर रहे हैं। आज जब कि बिहार पंजाब वगैरह में कहीं भी शराबबन्दी नहीं चल रही है यह श्रेय हमारे प्रान्त को ही है कि वह अपने यहां शराबबन्दी कर रहा है। हमारे यहां, राम, कृष्ण और भगवान बुद्ध जैसे लोग पैदा हुये उसी तरह से इसी देश की मिट्टी में महात्मा गांधी भी पैदा हुये और हम उनके कदमों पर चलने के लिये तैयार हैं। हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि आजकल लोग होली में मस्त है और शराब का नशा है। उनको इसका नशा हो सकता है। लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि शराब ने क्या-क्या किया है। शराब के कारण महाभारत इस देश में हुआ। उसी के कारण मीरजाफर और मीरकासिम ने यह देश अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया और इसी लखनऊ में इसी के कारण हमारे नवाब साहबान गिरफ्तार कर लिये गये। यही कारण है कि शराब का पीना हर धर्म के लोगों ने मना किया है चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो और चाहे ईसाई हो। मैं माननीय सुल्तान आलम साहब से कहना चाहता हूं कि चन्द रुपयों के लिये हम अपने आदर्शों से हटने के लिये तैयार नहीं हैं चाहे कितना ही नुकसान हमारा क्यों न हो। हमारी पंचवर्षीय योजना सफल हो या न हो लेकिन शराब को हम टालरेट नहीं कर सकते। हमारी खूबी तो तभी है जब हम शराब बन्दी भी करें और पंचवर्षीय योजना को भी सफल बनावें। यह शराब बड़ा अभिशाप है। बड़े बड़े पाप यह करवाता है। हमारी बहू, बेटियां और बच्चे जो गरीब हैं उनके आदमी दिन भर कमाते हैं और शाम को भट्टी खाने में जाकर दिन भर की सारी कमायी दे आते हैं और उनके बच्चों को खाने तक को नहीं रहता। मैंने देखा है कि इक्के और रिक्शे वाले दिन भर काम करते हैं और शाम को शराब पी लेते हैं और घर पर जाकर अपनी स्त्री को डंडे मारते हैं और जाड़े तथा गर्मियों में बिला खाना खाये यों ही पड़ रहते हैं।

गांजे के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव-गांव में गांजा उगता है जो नैपाल के आस पास है। वहां से गरीब लोग चालबाजी करके लोटा वगैरह में भरकर गांजा ले आते हैं और उसे फिर बेंचते हैं। जैसा अभी यहां पर कहा गया है कि एक करोड़ का घाटा आया यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि लोग साइड बिजनेस कर रहे हैं और बहुत लोग छिपाकर भी यह काम करते हैं, जैसा कि माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि लोग कानपुर से लखनऊ आकर शराब पीते हैं। यह तो रुचि का सवाल है और हैबिट की बात है और यह आदत धीरे-धीरे दूर होगी। कोई बच्चा अगर बीड़ी पीता है तो उसकी आदत को बाई एंड बाई दूर की जा सकती है। हमारे गांधी जी ने कहा था कि हमने भी एक मर्तबा सिगरेट पी थी, लेकिन बाद में ज्ञान हो जाने पर हमने उसको छोड़ दिया। इस तरह से धीरे-धीरे आदत

दूर की जा सकती है लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हमें अमल करना है। हमारे बहुत से सदस्यों ने सपोर्ट किया कि इसका प्राविजन नहीं होना चाहिये लेकिन मैं कहता हूं कि जरूर होना चाहिये। हमारे देश के लिये यह एक आदर्श होगा क्योंकि भारतवर्ष सदैव संसार का गुरू रहा है और हमेशा रहेगा और सबको इससे प्रकाश मिलेगा। भारतियों ने कदम उठाया, इसको सब लोग कहेंगे और इसका श्रेय माननीय मंत्री जी को मिलेगा अगर वह सफल हो गये।

पंडित लोग आज मंदिरों में बैठकर भंग घोटते हैं। बनारस के गंगा के पवित्र तट पर यह पंडित लोग भंग घोटते हैं। मैं कहूंगा कि इस पर भी सख्त प्रतिबन्ध होना चाहिये। जैसे कि इस सदस्य ने कहा कि बहुत सख्त कानून बनाया जाय और उसमें कम सजा या कम जुरमाना न रखा जाय और कोई किसी किस्म की रिआयत न होनी चाहिये। सरकार को इस ओर अपना विशेष कदम उठाना चाहिये और इसमें काफी पैसा खर्च करना चाहिये। कुछ सदस्यों ने कहा कि मद्यनिषेध के बारे में कुछ काम नहीं हो रहा है। यह कैसे कहते हैं कि नहीं हो रहा है। यह बिजली का बटन नहीं है कि दबाया और लाइट हो गई। बिगड़ी हुई चीज को बनाना है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं फिर सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने विचार पर अटल रहे और देश का इसी में कल्याण है और हमारे गांधी जी ने जो आशा और कल्पना की थी रामराज्य की वह इससे पूर्ति होगी, अगर हमने मद्य-निषेध को पूरा कर दिया।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के भाषण सुनने के बाद और अपने निजी तजुर्बों से भी हम इस नतीजे पर अवश्य पहुंचे कि जब से हमने नशेबन्दी की नीति चलाई तभी से हमारी आमदनी घट गई और जिस सिद्धांत और भावना को लेकर हमने नशाबन्दी शुरू की थी उसमें भी हम सफल नहीं हुये। उसके कारण यह थे कि हमने केवल सद्भावना और जज़बात से काम लिया और उन कारणों को जिनसे मनुष्य यह जानता है कि शराब पीना नाजायज है और यह भी जानते हुये कि इसमें रुपया खर्च होता है और शरीर का नाश होता है फिर भी शराब पीता है, मालूम करने की कोशिश नहीं की और न उनको दूर करने की ही कोशिश की। यही कारण है कि हम नाकाम-याब हुये।

जैसा कि हमें तजुर्बे से मालूम होता है और देखते भी हैं कि ज्यादातर वही लोग शराब पीते हैं जो मैनुअल लेबर करते हैं यानी ज्यादा मशक्कत का काम करते हैं, जैसे भंगी, धोबी वगैरा। हां कुछ एक्सेप्शन्स जरूर हैं जैसे कुछ बड़े-बड़े वकील भी शराब पीते हैं क्योंकि बिना शराब पिये उनका दिमाग काम नहीं करता है। शेख सादी हुये हैं वह भी शराब पीते थे क्योंकि उनका भी बिना शराब पिये काम नहीं चलता था। लेकिन यह तय है कि ज्यादातर शराब ज्यादा मशक्कत करने वाले लोग ही पीते हैं। वह अपने गम को दूर करने के लिये शराब पीते हैं क्योंकि और कोई रिलेक्सेशन और मनोरंजन उनके पास नहीं होता है। वह शराब अपनी तकलीफ को भुलाने के लिये पीते हैं।

अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि श्री कुमारप्पा खानों में गये थे वहां पर उन्होंने मजदूरों की हालत को देखा। वहां पर उनके खान के मालिक ने पूछा कि आपने देखा अब आप कोई अपना सुझाव दीजिये। उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो यह चाहता हूं कि शराब की दूकानें खुलवा दीजिये। मालिक ने पूछा कि आप तो महात्मा गांधी को मानने वाले हैं आप ऐसी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप उनसे काम लेते हैं और मजदूरी देते हैं लेकिन उनके मनोरंजन के लिये दो घंटे भी नहीं देते तो कम से कम शराब ही शुरू करा दीजिये जिससे २ घंटे उनको रिलेक्सेशन के लिये मिल जायें। मेरा कहना यह है कि जब तक रिलेक्शन के

[श्री केशव गुप्त]

दूसरे जराय नहीं निकालेंगे, मैनुअल लेबर की थकन को दूर नहीं करेंगे, उनके गम को गलत करने के लिये कोई मनोरंजन के साधन नहीं निकालेंगे तब तक आप यह चाहें कि नशा करना एक सस्ता से नुस्खा, जो उनके पास है, जिससे वह गम गलत करते हैं, उसे बन्द कर दें, इसमें आप असफल रहेंगे, अब भी असफल रहे और आगे भी रहेंगे। नशाबन्दी करने के पहले आपको चाहिये कि आप उनके लिये मनोरंजन के साधन का प्रबन्ध कर दें जो सुखप्रद हों, जिससे शरीर तन्दुरुस्त हो और उनका गम गलत हो सके। इस बात की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। वर्ना आप तमाम सूबे में नशाबन्दी कर दें, तमाम भारत में कर दें जब तक गरीबी है, जब तक यह हालत है जब तक कुछ लोग मशक्कत से काम करते हैं और कुछ लोग ऐश आराम से जिन्दगी व्यतीत करते हैं उस वक्त तक आप इस शराबबन्दी को, इस सोशल ईविल को कानून के जरिये से दूर करना चाहें तो उसमें आप हरगिज कामयाब नहीं हो सकते। ये चीजें रहेंगी और किसी न किसी रूप में रहेंगी। कानून लाइयेगा तो दूसरे जरिये निकल आयेंगे जैसे आपने कहा कानपुर में बन्दी कर दी तो कानपुर के नजदीक दूसरी जगहों पर जा कर पी लेते हैं। अमेरिका वालों ने भी यह कैद लगाई तो लोग समुद्र में तीन मील दूर जा कर लंगड़ डाल देते थे और वहां जा कर पी लेते थे। इसलिये मुझे यही निवेदन करना है कि पहले कारणों को मालूम करने की कोशिश करनी चाहिये। पहले भी मैंने यही कहा था कि आप एक डकैत को सजा दीजिये लेकिन पहले यह भी मालूम कर लीजिये कि डकैती डालने के कारण क्या हैं, उसने समाज के अन्दर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। उन कारणों के लिये समाज जिम्मेदार है। लेकिन समाज को आप सजा नहीं देते महज डकैत को सजा दे देते हैं। और उसके घर वालों को सजा दे देते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं है। इसलिये मेरा कहना यह है कि पहले आप कारणों को मालूम करने की कोशिश कीजिये। ऐसे मनोरंजन के साधन जुटाइये जिससे वे अपने आप इन चीजों को छोड़ दें। वे जानते हैं कि शराब नाजायज है, वे जानते हैं कि इससे हमारी तन्दुरुस्ती खराब होती है लेकिन उनके पास साधन नहीं है इसलिये शराब पीने के लिये मजबूर हो जाते हैं। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उस वक्त तक आप जब तक साधन न जुटा सकें तब तक उनको शराब ही पीने दीजिये। मुझे वही शेर याद आता है जो शेर श्री मदन मोहन उपाध्याय जी को याद आया था कि जब तक आप दूसरे साधन नहीं ढूंढते तब तक--

"न पीना हराम है न पिलाना हराम है ,
पीने के बाद होश में आना हराम है।"

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आबकारी मंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बावजूद इसके कि सरकार की जो पालिसी है मद्यनिषेध की आबकारी मंत्री जी ने जो सही हालात हैं उनको सदन के सामने लाने की कोशिश की। मैं इसमें उनके साथ हूं कि जो हालात उन्होंने बतलाये वे सही हैं। जहां तक शराब पीने का संबंध है माननीय शिवनारायण जी के भाषण को सुन कर ऐसा लगता है कि उन्होंने माननीय मदन मोहन जी को गलत समझा कि वह शराब पीने के पक्ष में हैं और वह नशाबन्दी की मुखालिफत कर रहे हैं और गवर्नमेंट शराब पीने वालों को मौका दे । वे ऐसा चाहते हैं। यह सही बात नहीं है। सही बात तो यह है कि शराब पीने वाले तो पियेंगे ही किसी भी हालत में बन्द नहीं कर सकते तो ऐसी हालत में दो पाप उनसे क्यों कराये जायं। एक पाप तो शराब पीना है और दूसरा पाप यह कि वह लुक छिप कर घर वालों से और दोस्त अहबाबों से शराब पियें। और झूठ बोलें। अगर पीना ही है तो खुल कर पियें ताकि समाज समझ सके कि ये शराब पीते हैं और समाज को उनके बारे में गलतफहमी न रहे। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जो कुछ भी माननीय आबकारी मंत्री जी ने कहा बहुत सही कहा है और इस रास्ते पर हमको चलना चाहिये। महात्मा जी हमेशा इस बात के मुखालिफ थे कि कोई पाखंड

करे। महात्मा जी बाहर और भीतर दोनों एक समान के पक्षपाती थे और अगर बाहर भीतर एक समान नहीं है तो ऐसी हालत में सही हालत सब लोग जान सकें इसमें कोई शर्म हमको नहीं आनी चाहिये।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मद्रास की तुलना हमारे सामने की गयी। लेकिन मैं इस संबंध में थोड़ा सचेत सरकार को करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जहां लोग शराब कम पीने वाले होंगे वहां पर इस हुकूमत के लिये कम हमदर्दी होगी। जो कांग्रेस की हुकूमत वहां है उसके लिये मद्रास के लोगों में हमदर्दी कम है और कुछ ऐसा लगता है कि मद्रास की हुकूमत ने शराब बंदी की, इसलिये १७ करोड़ का नुक्सान भी मद्रास सरकार ने उठाया और मुमकिन है कुछ लोगों को पीछे खयाल आया हो और उस खयाल के आने का नतीजा यह हुआ हो कि उन्होंने कांग्रेस को कम वोट दिये और वहां पर मुश्किल से कांग्रेस की हुकूमत बन पायी। तो अगर यह डर हो कि न पिलाने से कांग्रेस के लिये मुसीबत पैदा हो जायगी तब तो उसके लिये दूसरी पालिसी चलनी चाहिये। लेकिन मैं इसको उस रोशनी में नहीं लेता हूं। मैं यही कहता हूं कि अगर सही में लोग शराब पीना चाहते हैं तो उसके रोकने का दूसरा तरीका अख्तियार किया जाय और वह तरीका यह है कि मौजूदा पीढ़ी जो शराब पीती है उस पीढ़ी को तो हम रोक नहीं सकते। इसलिये जितने मंहगे से मंहगे दाम हम शराब के उनसे ले सकते हैं वह लें और आगे के लिये हम यह तरीका अपनायें कि जो दूसरी पीढ़ी आने वाली है उस पीढ़ी को शराब पीने से बचायें ताकि वह स्वयं सोचने लगे कि हमको शराब नहीं पीना चाहिये। ऐसा करने से वास्तव में सरकार का काम बहुत हल्का हो जाता है। इसमें मैं कोई धार्मिक या और ऐसी कठोर बात नहीं समझता। यह नहीं होना चाहिये कि एक शान में हम चले जायं और वस्तुस्थिति से आंख मूंद लें।

एक बात इस संबंध में मैं शिकायत के तौर पर माननीय आबकारी मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने शीरे और पावर अलकोहल जैसी चीजों पर इतनी कम रोशनी डाली है कि वह मुनासिब नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी आमदनी शीरे से हमारे प्रदेश को हो सकती है और शुगर इंडस्ट्री जिस हालत में हमारे यहां है, जो मुसीबत हुकूमत के सामने भी आया करती है चीनी और गन्ने की पैदावार के सिलसिले में उसका एक इलाज यह है कि जो शुगर फैक्टरियों हैं उनमें बाई प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की जाय और उस बाई प्राडक्ट्स में सबसे बड़ी चीज है शीरा। शीरे की पालिसी पिछले जमाने में बहुत ही स्कैंडलस रही है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं वक्त नहीं है कि उनकी खिदमत में कुछ ज्यादा अर्ज कर सकूं लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि वह इस संबंध में जानकारी हासिल करने की कोशिश करें कि इस शीरे से क्या-क्या चीजें बनायी जा सकती हैं। शीरे से स्प्रिट बनायी जा सकती है, पावर अल्कोहल बनाया जा सकता है और जो पहले से एक टार्गेट मुकर्रर हुआ है कि इतना पावर अल्कोहल हम बना सकेंगे इस प्रदेश में उसको पूरा करने की कोशिश करें। अभी जो सेमिनार लखनऊ में हुआ था, मेरे सामने वे फैक्ट्स मौजूद नहीं हैं, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक पैनेल बनाया था सन् १९४६ में। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जो इस समय मेरे पास मौजूद है। इन तमाम चीजों को देखकर कोई ठोस नीति शीरे के संबंध में बनानी चाहिये जो हमारे सूबे की एक बड़ी भारी सम्पत्ति हो सकती है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं।

रही एक बात शराब बन्दी के सिलसिले में। उसके बारे में तो हम यह समझते हैं कि अगर हमने पूरे सूबे में इस पालिसी को लागू कर दिया कि हम प्रोहिबिशन करेंगे तो उस हालत में जिस तरह से मद्रास में काटेज इंडस्ट्री चलती है उसी तरह से इस सूबे में भी चालू हो जायगी। क्योंकि हमारे गुड़ की खपत सबसे अधिक अगर

[श्री गेंदा सिंह]

कहीं है तो वह है मद्रास में और बम्बई की तरफ और इन दोनों प्रांतों में इसलिये है कि वहां पर घर-घर में लोगों ने जिसे डिस्टिलरी कहते हैं वह खोल रखी है। वहां लोग शराब बनाते हैं क्योंकि अन्य कहीं शराब मिलती नहीं है इसलिये वही शराब लेकर काम चलाते हैं। तो वैसी हालत में हम पब्लिक के मारल को और सरकार के भी मारल को खराब करेंगे यदि पूरे प्रदेश में बिना सोचे समझे शराब बन्दी नाम की योजना लागू कर दें। हमको गलत प्रतिष्ठा की भावना में पड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिये और इसी के साथ ही साथ मुकदमें बाजी और दूसरे तरीकों से मुकद्दमें चलाने या सरकार के ऊपर व्यर्थ की परेशानी लेकर नहीं चलना चाहिये। सरकार इस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करे और विचार करने के बाद ही उस पर कोई फैसला करे।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय जो बहस इस वक्त हुई उसमें मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात जाहिर किये गये लेकिन एक बात जाहिर है और वह यह कि हर स्टेट की गरज यही होनी चाहिये कि वह प्राहीबिशन यानी मद्यनिषेध की पालिसी पर अमल करे। जाहिर और इसमें कोई शक नहीं कि प्राहीबिशन ऐसी चीज है कि जिसको अगर कोई स्टेट या मुल्क यह चाहे कि २,४ वर्ष में या ५,१० वर्ष में कोई नतायज पूरे तरीके से निकाल लिये जायं और उसमें कामयाबी हो जाय तो यह नहीं होने का। इंसान का नेचर ऐसा होता है कि खासतौर से जब कोई बुरी आदत पड़ जाती है तो उसका छोड़ना दुश्वार हो जाता है। एक जमाना था लोग इसके आदी हो गये थे और बाज-बाज ऐसे लोग हैं और ऐसी कौमें भी हैं जिनकी बिरादरी में खास मौकों पर शराब होनी ही चाहिये और अगर उन मौकों पर शराब न पी जाय तो समझा जाता है कि बुरा काम किया। हमारे यहां इस किस्म के ट्रेडीशंस कायम हैं। रात भी एक जगह बाल्मीकियों का जल्सा था जहां यह कोशिश हो रही थी और उनसे यह वायदा कराया जा रहा था कि इस रवाज को बदल दिया जाय। असल चीज यह है कि हमको इसमें किसी न किसी तरह से कामयाबी हासिल करना है और हमारे बीच में जो छोटे आदमी हैं उन लोगों की हालत को बेहतर बनाने के लिये शराब को बंद कराना है सवाल सिर्फ इतना ही है कि यह मकसद कैसे पूरा हो सकता है। मेरे खयाल में यह जब ही पूरा हो सकता है जब कि कम से कम एक जेनरेशन पूरी तरह से इस ऐटमासफियर में ग्रो हो जिसमें इस किस्म की चीज को बुरा समझा जाता हो और जिसमें इस किस्म का कोई टेम्पटेशन न मिला हो। जब कि शराबखाने खुले होते हैं और एक नौजवान इधर से गुजरता है और १००,५० आदमियों को वहां बैठे हुये देखता है तो उसका जी चाहता है कि वहां जायें और वहां जाकर पी कर देखें। जब वह ऐसा करता है तो उसको आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर यह बन्द कर दिया जाय तो ऐटमासफियर बदल जायगा तो नयी जनरेशन ऊपर उठेगी और चोरी से मिले चाहे जिस तरह से मिले या जहरीली चीजों की शक्ल में ही क्यों न मिले, इस तरह वह शराब पीकर अपनी जिन्दगी को बरबाद न करेगा सरकार इस तरह से अपने प्रांत की हालत को बेहतर करना चाहती है लेकिन जैसा कि मैंने कहा वह इस वक्त आगे कदम नहीं बढ़ा सकती। अभी तक कोई ऐसा ऐफीशियेन्ट तरीका नहीं मिल पाया है। जिससे इस प्राबलम को साल्व किया जा सके। यह नहीं है कि ऊपर से महज गवर्नमेंट इस चीज को दिखा रही हो और अन्दरूनी तरीके से उसके इस्तेमाल को बढ़ा रही हो। हम ११ जिलों में ऐक्सपेरीमेंट कर रहे हैं और उससे कोई नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हमारी पालिसी का सवाल है वह वही है जो पेश्तर में थी उसके अलावा दूसरी और कोई पालिसी नहीं है, न होने का कोई सवाल ही है। अगर किसी को यह खयाल हो कि गवर्नमेंट अपनी उस पालिसी को बदलना चाहती है तो मेरे खयाल में उनकी यह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिये। लोगों की हालत को सुधारने के लिये इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है कि वह अपनी

पालिसी को बढ़ाये नीज़ी जो लेबर क्लास और काश्तकार आदमी हैं, जो इस किस्म के लोग हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, जिनकी माल हालत अच्छी नहीं है, उनके मयार जिन्दगी को ऊंचा करने के लिये हमें अपनी इस पालिसी को कामयाब बनाना है।

श्री गेंदा सिंह जी ने इसके मुताल्लिक कुछ जिक्र किया। बहरहाल हम लोग जानते हैं कि अपने यहां यह एक बहुत अहम इंडस्ट्री है और अगर उसकी बेहतरी या तरक्की के मुताल्लिक आप कुछ मालूमात जानना चाहेंगे या कुछ तजवीज पेश करेंगे तो उनको अख्तियार है कि जब उनका जी चाहे वे उसके मुताल्लिक अपने खयालात का इजहार करें। और हम लोग इस बात को समझते हैं कि उसकी क्या अहमियत है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री और भी तरक्की करे ताकि हमारे उनमें कोई फर्क न हो। मैं इन अल्फाज के साथ यह अर्ज़ करूंगा कि यह मांग यह हाउस मंजूर करे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद इसलिये देते है कि उन्होंने काफी साफ मामले इस सदन के सामने रखे। मैंने तो उनसे भी ज्यादा साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है कि हमारे इस सूबे में नैपाल से बहुत ज्यादा गांजा आता है जिससे हमारी रेवेन्यू तो कम हुई लेकिन लोग गांजा पीते ही हैं। जहां तक गांजा की बात है माननीय शिवनारायण जी जो नैपाल के बहुत ही करीब रहते हैं क्योंकि बस्ती इलाका ही उनका है, उनको इस चीज का काफी तजुर्बा होगा और जो उन्होंने कहा ठीक ही होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनारायण जी को शायद यह खयाल हुआ है कि मैं शराब पीता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। म खुश इस बात पर हूं कि मैं बिना शराब पिये ही मस्त रहता हूं। यह तो मैं चाहता नहीं हूं कि लोग शराब पीयें लेकिन मैं यह अवश्य चाहूंगा कि बिलकुल फाल्स प्रेस्टीज की बात किसी हुकूमत को या किसी पार्टी को नहीं करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आज आप हमारे प्रांत के जिस रेस्टरां में चले जाइये, जिस होस्टल में चले जाइये, जहां चाहें चले जाइये, हर जगह आर्मी रम की बोतलें मिलेंगी। पल्टन वालों को ये बोतलें बहुत काफी तादाद में मिलती हैं और उन पर कोई ड्युटी नहीं पड़ती और आप पायेंगे कि इस प्रांत में जो लोग शराब जो पीते हैं उसमें आर्मी रम काफी होती हैं। तो सरकार द्वारा प्रोहिविशन के सिलसिले में जो लाखों रुपया खर्च किया जाता है, जो स्टाफ रखा गया है कि वे इस काम को रोकें और वे इसे रोक नहीं सकते तो फिर मेरा कहना यह है कि फाल्स प्रेस्टीज में न जाकर जो उसकी जड़ है जिसकी वजह से लोग शराब पीते हैं उसी को बन्द कर दिया जाय। जैसा कि गुप्त जी ने कहा कि लोग शराब इसलिये पीते हैं ताकि हमारा दुःख दूर हो। वे समझते हैं कि अगर हम शराब लें तो हमारा दुःख दूरा हो जायगा और हमारे अमीर लोग इसलिये पीते हैं ताकि वे ऐश करें। तो ये जो दो बीमारिया हैं, एक तो गरीब लोगों को जो दुःख है उसे सरकार दूर करने की कोशिश करे तो उनका शराब पीना बन्द हो सकता है और दूसरे जिनके पास ज्यादा रुपया है जो ऐश में खर्च करते हैं उनसे सरकार रुपया लेले तो सारा मसला हल हो सकता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक जेनरेशन लग जायगा कि लोग इस बात को महसूस करें और इसका पीना बन्द हो जाय। गांधी जी का नाम लेकर माननीय शिवनारायण जी ने एक बड़ा लम्बा चौड़ा लेक्चर दिया है कि ऐसा होना चाहिये, वैसा होना चाहिये। हम सब जानते हैं और बहुत वर्षों से जानते हैं कि ऐसा होना चाहिये। इस हिन्दुस्तान की आजादी की तहरीक में भी हमने पिकेटिंग की है और रानीखेत में शराब की भट्ठी पर जब हम लोग जमीन पर पड़ जाते थे और सत्याग्रह करते थे तो शराब पीने वाले जूता पहने हुये हमारी छातियों पर चढ़ चढ़ कर हमें क्रास करके चले जाते थे। हम धरना देते थे और उनसे कहते थे कि शराब न पियें। आज ३०-३२ वर्ष हो गये लेकिन उसका क्या असर हुआ है? क्या माननीय मंत्री जी कोई जिला भी ऐसा बतला सकते हैं जहां शराब न पी जाती हो?

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

मेरी समझ से तो शराब का पीना बढ़ गया है और रेवेन्यू कम होती जा रही है। मैं फिर भी कहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट इस पर विचार करें। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि आमदनी के और भी जरिये हो सकते हैं। इसमें कुछ हर्ज नहीं है। और भी जराये हो सकते हैं लेकिन जो हैं उनको क्यों न किया जाय। टीचरों की तनख्वाह के लिये कहा जाता है कि रेवेन्यू नहीं है। अगर भंगी हड़ताल करते हैं तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। पटवारियों के लिये पैसा नहीं है। स्कूल टूटे पड़े हुये हैं उनको ग्रांट नहीं दी जाती है। उधर कहा जाता है कि महात्मा गांधी को शांति नहीं मिलेगी जब तक यह मद्यनिषेध न हो जाय। मैं कहता हूं कि हमारे पास खबर आई है उनको शांति नहीं है। वह अशांत हैं। यदि आप उनकी इच्छा के अनुसार करते तो उनको शांति प्राप्त होती लेकिन अब उनको शांति कहा है। आप कोई कार्यक्रम चालू करें तो शांति मिले।

मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूं परन्तु मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार सन् १९४१ ई० में चरस गांजा २१,५३३ सेर पिया जाता था और सन् १९५०-५१ में वही ८,८२८ सेर हो गया। जबकि हमारी आबादी बढ़ी तो आप इसका अन्दाजा लगाइये कि हमारी रेवेन्यू कितनी कम हो गयी। भांग की बाबत में आपको बतलाऊं कि सन् १९३९—४० में ८४,४२२ सेर पी गयी थी और वही सन् ५०—५१ में १,५६,००५ सेर बिकी थी तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी वह बढ़ गयी। जहां-जहां पर पैसे में कमी हुयी है वहां पर वह कमी नहीं है बहां पर तो वह रेवेन्यू कम हुई है। इसलिये सरकार की तरफ से जो आंकड़े यहां पर आते हैं उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह किस तरह के रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां भी एक स्थान है गरुड़। वहां पर अक्सर फौज के लोग जाया करते हैं। वहां पर काफी दुकानें हैं। गांव वाले लोग धीरे-धीरे लोग शराब पीने लगते हैं। जितने मोटर वाले या आसपास के गांवों के लोग वहां पर जो हैं वहां पर आकर पीते हैं। उसके बारे में गवर्नमेंट को लिखा गया कि इसको ऐसी जगह पर रखा जाय जहां पर लोग न पी सकें लेकिन सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। तो बजाय इसके कि जहां पर लोग नहीं चाहते हैं कि वहां पर बन्द किया गया लेकिन वहां पर बन्द किया गया जहां से फायदा होता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के घरों में भी शराब बनती है और पी जाती है। मगर आज सोसाइटी की दशा बहुत खराब है और उसके लिये कोई ला नहीं हुआ करता है। बात केवल इतनी है कि गरीब आदमी असल में परेशान है उसके लिये ध्यान पूर्वक सोचना है। उनके लिये कोई वेलफेयर फंड होना चाहिये कि कहीं पर दूध पिला दिया जाय या और दूसरा इसी प्रकार का इन्तजाम कर दिया जाय तो यह चीज कम हो सकती है। जितने रुपये का नुकसान हमारे प्रांत को हो रहा है उतना रुपया दूध पिलाने में या मिल्कबार खोल कर आप यह काम करें तो यह चीज हल हो सकती है। मुझे आशा है कि वह इस पर ध्यान देकर इसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर इस बात को कहूंगा कि यह बात नहीं है कि कुछ किये जाने वाला हो या कोई और जिला लिये जाने वाला हो। यह पालिसी १० साल से चल रही है मगर अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। अगर इसको आप बन्द कर दें तो तब कुछ सोचा जायगा इस तरह से नहीं रहेगा। जब देश आर्थिक उन्नति कर लेगा उस समय प्राहिबिशन की बात हो, जो हमारे कांस्टीट्यूशन में लिखा है, कांस्टीट्यूशन की आड़ लेकर प्राहिबिशन का नाम लेना कोई ठीक बात नहीं है। शिवनारायण जी को पता नहीं कि बम्बई में हो गया मदरास में हो गया और इस प्रांत में तो अभी ११ जिलों में हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह ईमानदारी से विचार करें और अगर वह समझते हैं कि हम फेल कर गये हैं जैसे बहादुरी के साथ सी०पी० में कहा गया और डाक्टर देशमुख ने कहा है वह भी साफ कहें और आगे के लिये बतावें कि उनको कौन सी पालिसी चलाना है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी गांधी जी की फौज में रहा है उनमें से हर एक चाहेगा कि हमारे यहां शराब बन्दी हो और हमारे यहां शराब

न बने और जब तक यह बन्द न होगी तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। इस बात को मंत्री महोदय जरा ईमानदारी से सोचें और प्रेस्टीज का कोई खयाल न करें।

श्री अध्यक्ष--अगर माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो २ मिनट में कह सकते हैं।

श्री सैयद अली जहीर--मुझे अब कोई खास बात अध्यक्ष महोदय, कहना नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक गांजे का ताल्लुक है उसके बारे में जो कहा गया वह सही है और मैंने यह तसलीम किया है कि हमारे सूबे में ४० हजार सेर गांजा दुकानों के जरिये बिकता था और उससे हमारी आमदनी ९७ लाख रुपये की होती थी लेकिन ४९-५० में हमारी आमदनी सिर्फ ४७ लाख रुपये रह गई और बजाय ४० हजार सेर के दस हजार सेर गांजा हमारे यहां बिका इसकी वजह जैसा कि मैंने बताया, एक तो यह थी कि हमारी दूकानों से जैसा गांजा निकलता है वह अच्छा नहीं समझा जाता, हमने वह बलूचर और अहमदनगर से मंगाना चाहा लेकिन वह पापुलर नहीं हुआ, और उसकी बिक्री घट गई, दूसरी वजह यह भी है कि यहां नैपाल से भी गांजा आ जाता है, उसको रोकने की कोशिश हमारी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इस बात की जरूरत भी है कि नैपाल गवर्नमेंट भी अपने यहां कुछ रोकथाम करे तब मुमकिन है कि यह मसला किसी हद तक हल हो सके। और कोई ऐसी बात नहीं है जिसके मुताल्लिक मुझे अर्ज करना है। आर्मी रम के मुताल्लिक मेरी ऐसी इत्तला नहीं है कि वह इतनी ज्यादा तादाद में बगैर लाइसेंस के बिक रही है और जिन दूकानों को लाइसेंस दिया हुआ है वह गवर्नमेंट को मालूम हैं और जो ब्लैकमार्केट या खुफिया तौर से बिक रही है वह वही है जो लोग खुद खींचकर बेचते हैं। आर्मी रम के मुताल्लिक मेरे पास कोई खास शिकायत ऐसी नहीं है अगर डिटेल दें तो मैं पता लगा सकता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय मंत्री जी अगर चाहें तो मैं दस बोतल आर्मी रम की अभी ला दूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपया की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी--(लेखा शीर्षक ८-राज्य आबकारी) के अन्तर्गत १,०७,९५,००० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द परन्तु की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या ४ लेखा शीर्षक ९-स्टाम्प तथा अनुदान संख्या ६ लेखा शीर्षक ११-रजिस्ट्री

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४-लेखा शीर्षक ९ स्टाम्प के अन्तर्गत ५,०१,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्क्ष--इसमें सुविधा होगी यदि माननीय न्याय मंत्री दूसरे अनुदान को भी इसके साथ साथ पेश कर दें।

श्री सैयद अली जहीर--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६--लेखा शीर्षक ११--रजिस्ट्री के अन्तर्गत १३,७२,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

जहां तक स्टाम्प का ताल्लुक है, जो फिगर्स उस में दिये हुये हैं उन से यह मालूम होगा कि २५५ लाख अबकी साल इसकी आमदनी की मद है और पारसाल २४० लाख थी। यह १५ लाख का जो इजाफा है यह इस वजह से हुआ कि जब इस सदन ने यू० पी० स्टाम्प अमेंडमेंट ऐक्ट, १९५२ और यू०पी० कोर्टफीस अमेंडमेंट ऐक्ट, १९५२ को मंजूर किया और जब वह २२ नवम्बर से लागू हुये उसकी वजह से इसमें इजाफा हुआ ।

अखराजात के सिलसिले में ५,०१,६०० रुपया इस साल रखे गये हैं। पारसाल ४,८३,५०० रुपये थे । इसमें बढ़ौती सिर्फ १८,१०० रुपये की है और यह महज इस वजह से है कि तनख्वाहें वगैरा जो सालाना बढ़ती हैं वह बढ़ेंगी । इस वजह से कोई १८,१०० रुपया खर्च होगा, तो इसमें कोई खास तरमीम साल भर में नहीं हुई है और जो सूरत थी वही है और इस वजह से मैं अर्ज करूंगा कि यह मांग मंजूर की जाय ।

इसी तौर से रजिस्ट्रेशन की भी हालत है। हमारे प्रांत में तकरीबन २ लाख कागज रजिस्ट्री में सालाना पेश किये जाते हैं । मगर इधर दो तीन वर्ष से जब से जमींदारी अबालीशन के ऊपर कार्रवाई हो रही थी उसकी तादाद कुछ घट गयी थी और बिल आखिर आमदनी में जो पहले हुआ करती थी उसमें कमी थी । पारसाल की आमदनी २६,२६,५०० रुपया थी मगर इस साल यह खयाल है कि अब चूंकि जमींदारी अबालिशन कानून हो गया है लिहाजा गालिबन रजिस्ट्री का काम और बढ़ेगा। इस वजह से इसमें कुछ रखा गया है और २६,९६,००० रुपये की आमदनी की उम्मीद की जाती है आइंदा साल में।

जहाँतक अख़राजात का ताल्लुक है उसमें कोई खास फर्क नहीं है। १३,२२,८०० रुपया गोया मौजूदा साल में था, लेकिन आइंदा साल के लिये १३,७२,६०० रुपया रखा गया है। यह जो इजाफा है, महज़ इस वजह से है कि लोगों की ग्रेड वगैरह की तनख्वाहें बढ़ेंगी इसकी वजह से तनख्वाहों में इजाफा हो जायगा । मैं यह अर्ज करूंगा कि इसके सिलसिले में कोई खास बात बतलाने के लिये नहीं है। यह तो सदन को मालूम है कि रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में एक स्कीम चल रही है जिसके जरिये से कुछ सब रजिस्ट्रार्स जो एल०एल०बी० हैं उनको यह अख्तियारात दे दिये जाते हैं कि वह फौजदारी के मुकदमात का भी फैसला करें और इस वक्त ४९ ऐसे सब रजिस्ट्रार्स हैं जिनको इस किस्म के अख्तियारात दिये गये हैं । गवर्नमेंट बराबर देखती रहती है कि वह कैसा काम कर रहे हैं और जिनके खिलाफ कोई शिकायत होती है और यह खयाल होता है कि यह अपने फरायज को सही तौर से अंजाम नहीं दे रहे हैं तो उनके अख्तियारात फौरन ले लिये जाते हैं। लेकिन आम तौर से यह देखा गया है कि उनके पास वक्त था और वक्त होने की वजह से जब से यह काम उनको दिया गया है वह काम अमली तौर से अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा उनका वक्त जो बेकार जा रहा था उस वक्त से गवर्नमेंट को कुछ फायदा हो रहा है और फौजदारी के मुकदमें जो उनके यहां भेजे जाते हैं उनका जल्दी फैसला हो जाता है। इन चन्द अलफाज के साथ मैं अर्ज करूंगा कि यह दोनों मांगें मंजूर की जायं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी । अनुदान संख्या ४--स्टाम्प के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ६-रजिस्ट्री के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—कटमोशन तो एक ही माना जायगा क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मुझे दो ही तीन शब्द कहने हैं। स्टैम्प के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि स्टैम्प की फीस, कोर्ट फीस वगैरह वगैरह पर बहुत से जिलों से शिकायत है कि स्टैम्प ठीक तौर पर मिलते नहीं हैं। जिन लाइसेंसदारों को स्टैम्प दिये जाते हैं वह उसकी फीस में जितना उसका मूल्य है उससे ज्यादा दाम लेते हैं। तो इधर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और इसकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जो मूल्य स्टाम्पों के हैं उसी मूल्य पर जनता को स्टैम्प मिल सके। दूसरी चीज रजिस्ट्री के बारे में मुझे यह कहनी है कि ज्यादातर जगहों पर जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, जितनी उनको फीस नहीं देनी पड़ती है उससे ज्यादा घूस देना पड़ता है और यह सभी लोग जानते हैं, यह बिलकुल खुले आम चीज है। मैं यह नहीं कहता कि आपके सब रजिस्ट्रार घूस लेते हैं लेकिन ऐसा होता है और यह सबके नालेज में है तो इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये ताकि वह इस तरह की चीजें न कर सकें। इतने ही चन्द लफ्जों के साथ मैं चाहता हूं कि इस कटौती के प्रस्ताव को सदन मान लें।

श्री बलवीरसिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का स्वागत करता हूं और माननीय न्याय मंत्री जी को बधाई देता हूं। चूंकि दोनों अनुदान साथ लिये जा रहे हैं इसलिये मैं दोनों के विषय में साथ ही अपना विचार इस सदन के सामने प्रगट करना चाहता हूं। जहां तक रजिस्ट्री का संबंध है रजिस्ट्रेशन में हमारे माननीय न्याय मंत्री जी ने बतलाया कि चूंकि रजिस्ट्रेशन का काम कम हो गया है इसलिये कुछ सब-रजिस्ट्रारों को मैजिस्टीरियल पावर दे दिये गये हैं जिससे कि वह फौजदारी के मुकदमे कर सकें। यह मैं आपके द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि यह जरूर है कि मैजिस्ट्रेट का काम मुश्किल काम है लेकिन यह जो प्रथा शुरू हुई है, इससे मुकदमें वालों को काफी इसमें शिकायत हुई कि आनरेरी कोर्ट्स न रखी जायं। उसके अलावा जब से यह सब-रजिस्ट्रारों को मुकदमों का काम दिया गया है तब से उन लोगों को चाहे वह बिलकुल जस्टिस करते हों लेकिन जो मुकदमा उनके सामने पेश होता है उन मुकदमें वालों को संतोष नहीं होता है कि और वह यह नहीं समझ पाते हमारे मुकदमें में न्याय होगा या नहीं होगा या न्याय यहां होता है या नहीं होता है। तो मेरी अर्ज यह है कि सब-रजिस्ट्रारों को जो मैजिस्टीरियल पावर दिया गया है वह उनको न देकर उनको रजिस्ट्रेशन का ही काम दिया जाय और अगर वह तादाद इतनी ज्यादा है कि रजिस्ट्रेशन के काम के लिये जितना जरूरी होनी चाहिये उससे कहीं बढ़कर है तो उनका रीट्रेंचमेंट करके खर्चा कम किया जा सकता है या यही हो कि जब सब-रजिस्ट्रारों से मैजिस्ट्रेट का ही काम लेते हैं तो उनको रजिस्ट्रार के काम से फारिग करके मैजिस्ट्रेट के काम ही दे दिये जायं क्योंकि जैसा मैं देखता हूं आमतौर से कुछ कोर्ट्स ऐसे हैं जहां सब-रजिस्ट्रार मैजिस्ट्रेट का काम करते हैं और जनता उनसे संतुष्ट भी रही है तथा वे ठीक काम दे सकते हैं। लेकिन जिसके पास फौजदारी और माल के मुकद्दमे होते हैं वह तो अपने काम को एडजस्ट कर लेता है मगर रजिस्ट्रेशन का काम और मुकद्दमें भी तय करना मुमकिन नहीं है। इसलिये मेरी अर्ज है कि मैजिस्ट्रेट की पावर हटा दी जाय।

दूसरा रजिस्ट्रेशन के बारे में अर्ज करना है। वह यह है कि आप के कुछ ऐसे स्टैम्प इंस्पेक्टर हैं जो कि रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस में जाकर यह देखते हैं कि जो रसीद बेचने वाले ने दूसरे को दी है वह कैसी है। उन्होंने दिखलाया है कि जिन्होंने लारी और ठेले

[श्री बलवीर सिंह]
दूसरों से खरीदें हैं वे सेल डीड में आते हैं लिहाजा उनको सेल डीड में करार दिया गया है। इस गड़बड़ से वे लोग परेशान हैं और उनको नोटिस भी जारी किये जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि इस सिलसिले में आप अपने चीफ इंस्पेक्टर से यह तहकीकात कर लें कि आया वे डाकुमेंट्स इम्पैन्ड होने के काबिल हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो उनको कैंसिल कर दिया जाय ।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, दो चार बातें इस सिलसिले में कही गई हैं मैं एक एक का जवाब अर्ज करता हूं। पहली बात यह है कि शिकायत यह की गई कि बाज जगह स्टैम्प नहीं हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां स्टैम्प नहीं मिलते हों। इत्तिफाक से हो सकता है कि किसी तरह से स्टैम्प नहीं पहुंचे हों क्योंकि अभी पहली नवम्बर से नये स्टैम्प गये हैं। इस वजह से पहुंचने में देरी हो गयी है। अगर कोई दूसरी वजह स्टैम्प न पहुंचने की हो तो उसकी निगरानी की जायगी । इसके बारे में डिपार्टमेंट में भी सख्ती होती रहती है कि यह देखा जाय कि स्टैम्प सब जगह पहुंच जायं।

जहां तक रजिस्ट्रेशन में करप्शन का ताल्लुक है मेरा ख्याल है कि यह मुहकमा बदकिस्मती से कुछ बदनाम जरूर है लेकिन बुरा इतना नहीं है । जबसे मैंने इस विभाग को अपने चार्ज में लिया है तब से जो भी शिकायत आती है उसकी तहकीकात होती है। इस के बारे में यह कहना है कि अगर किसी पर करप्शन का मुकदमा चला और अदालत में यह साबित न हो पाया कि इसने करप्शन किया, लेकिन यह बात साबित है कि इसने करप्शन किया तो उसके खिलाफ डिपार्डमेंटल कार्यवाही की जायेगी। उसमें यह देखा जाता है कि इस शख्श का पिछला रिकार्ड कैसा है उसके अनुसार फिर कार्यवाही होती है। अभी इन लोगों की एक कांफ्रेंस हुई थी उसमें मैंने भी जोर दिया कि जो बदनामी हो गयी है उसको धोना है। यह डिपार्टमेंट अब इतना करप्ट नहीं रह जायेगा। बदनाम है, बहरहाल, इन चीजों में वक्त लगेगा । अगर कोई खास केस सरकार के सामने आयेगा तो उसके मुताल्लिक जो सजा हो सकती है वह दी जायेगी ।

श्री बलवीर सिंह जी ने जो मैजिस्ट्रेट की पावर के बारे में कहा है कि यह सब-रजिस्ट्रार को नहीं मिलनी चाहिये थी। मैंने अपनी शुरू तकरीर में कहा कि वे अपने फरायज को कैसे अन्जाम दे रहे हैं। मुकदमों में हमेशा यह होता है कि एक कामयाब होता है और एक नाकामयाब होता है। जो नाकामयाब होता है वह समझता है कि दूसरी पार्टी ने न मालूम क्या देकर और कैसे मैजिस्ट्रेट को अपने साथ कर लिया है। मेरे ख्याल में जहां तक तजुर्बा अब तक का है और जो मैंने इत्तिला फराहम की है तो ज्यादा खराबी इस में नहीं है। दो चार जगह खराबी कुछ हुई है तो वहां पावर ले ली गई है और वह बदले भी गये हैं और इस तौर से डिपार्टमेंटल कार्यवाही उनके खिलाफ हुई है। वह लोग समझते हैं कि यह एक्सपेरिमेंटल बात है और साथ ही यह भी समझते हैं कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो यह पावर उनके पास नहीं रहेगी ।

दूसरी बात श्री बलवीर सिंह जी ने जो रिइम्पैन्ड करने की बात कही है वह एक टेक्निकल मामला है। श्री बलवीर सिंह ने इस सवाल पर जो कुछ कहा है, तो उसके लिये जो ऐसे मामले हैं, उनके लिये इस कानून के अन्दर इलाज मौजूद हैं। वह मजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त दे कि वहां जो इनफारमेशन है वह सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसके लिये वहां इलाज मौजूद है और उनको अदालत से ठीक कर सकता है। यही मुझे अर्ज करना है और अब मैं अर्ज करूंगा कि ये दोनों मांगें स्वीकार की जायें ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय न्याय मंत्री जी की इस बात से बिल्कुल इत्तिफाक नहीं करता हूं कि करेप्शन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में नहीं होता है। करेप्शन है और पहले से ज्यादा है और इसके लिये मैं जो कुछ सुझाव देना चाहता

हूं वह यह है कि जितनी रजिस्ट्रारों के बारे में शिकायतें हैं, उनको आपको कतई ज्यूडिशियल पावर नहीं देना चाहिये। लेकिन जहां शिकायतें नहीं हैं और जो लोग निहायत ईमानदारी से काम करते हैं उनको आप जूडिशियल पावर दीजिये और इसके लिये उन्हें भत्ते भी देना चाहिये। इतना ही मेरा सुझाव है, मैं आशा करता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी इस पर गौर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस करते हैं?

श्री जगन्नाथ मल्ल--जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४ के अन्तर्गत ५,०१,६०० रुपये का अनुदान स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६-रजिस्ट्री (लेखा शीर्षक ११-रजिस्ट्री) के अन्तर्गत १३,७२,६०० रुपये का अनुदान स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५-न्याय प्रशासन (लेखा शीर्षक २७-न्याय प्रशासन) के अन्तर्गत १,२२,६५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय। इस मांग को पेश करते हुये कुछ थोड़े से फीगर्स में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि इस साल जो न्याय का खर्चा है वह १ करोड़ ४७ लाख ५६ हजार है बरखिलाफ इसके मौजूदा साल जो खत्म हो रहा है उसमें सिर्फ एक करोड़ ४३ लाख ५० हजार खर्चा था। इस साल इसमें ४ लाख ६ हजार ज्यादा है। यह एखराजात इसलिये बढ़ाये गये हैं कि सन् ४७ और ४८ में जो ज्यादा खर्चा हुआ था उसकी वजह से हर साल इसमें कुछ न कुछ इजाफा होता रहा है। लेकिन इसके माने यह नहीं है कि यह जो इजाफा हुआ है, उसमें किसी खास या अहम चेन्ज हुआ है, यह यहां किसी वजह से किया गया है। बहरहाल मैं इसके मुताल्लिक दो, तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि आम तौर से ये शिकायतें हो रही हैं कि मुकदमों के फैसलों में देर हो रही है। इसके मुताल्लिक कई असबाब हैं। हाई कोर्ट में जहां तक एक्यूमूलेशन का ताल्लुक है, हम लोगों ने अपनी तरफ से इसके लिये कोई ताकीद नहीं की है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेज का तकर्रुर जैसा कि सदन को मालूम है महज एक किसी आला आफिसर के हाथ में नहीं है। उसमें कई डिपार्टमेंट को गौर करना पड़ता है और वह एक बहुत अहम चीज होती है। इस वजह से उसमें देर होती है। चूंकि अब तक कुछ ऐसी चीजें बाकी हैं जो अब तक पूरी नहीं हो सकीं, इसी वजह से किसी कदर इसमें ताखीर हुई है।

जहां तक स्टेट डिपार्टमेंट का ताल्लुक है हमने सन् १९४९ में १५ मुंसिफ बढ़ा दिये और उसी के साथ डिस्ट्रिक्ट और सिविल सेशन्स जज की तादाद ४५ से बढ़ा कर ८७ कर दी। इसके साथ-साथ अभी थोड़े दिन हुये हैं जब हमने १६ अफसरों को बहैसियत डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन जज के कनफर्म किया है और ४५ को सिविल ऐंड सेशन्स जजेज

[श्री सैयद अली जहीर]

की हैसियत से कनफर्म किया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि अब बहुत सी जगहें मुंसिफों की खाली हो गई हैं। उनका इम्तहान हो चुका है, अब उनमें से चुने जायंगे और मुंसिफ मुकर्रर हो करके पूरे कैडर की तकर्ररी हो जायगी। खयाल यह है कि जिस वक्त यह मुंसिफों के अप्वाइंटमेंट्स हो जायेंगे, उसके बाद जो ताखीर दीवानी के मुकदमों के फैसलों में हो रही है और जो आफिसरों की कमी की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, वे बाकी नहीं रहेंगी।

एक चीज और इस सिलसिले में कहनी है कि इस वक्त जो हालत हमारे सूबे की है उसको देखते हुये यह फैसला कर देना कि जो यह तादाद है वह काफी है या कम है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमने जमींदारी अबालिशन का एक बहुत बड़ा कदम उठाया है उसका एक बहुत बड़ा असर हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर पड़ेगा। हमको यह देखना है कि उसका किस किस्म का असर पड़ता है, किस दर्जे के अफसरों में कमी पड़ती है और किस दर्जे के अफसरों में कमी नहीं पड़ती है। लिहाजा इस की वजह से हम कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते जिसकी वजह से बाद में तजुर्बे के बाद हमको कोई तब्दीली करना पड़े। हम सरेदस्त यह देख रहे हैं कि इसका असर किस किस्म के मुकदमों पर पड़ता है। जब हमको इसका तजुर्बा हो जायगा तब हम उसका वैसा इंतजाम करेंगे।

इसके अलावा जहां तक हमारे कानूनों का ताल्लुक है उसमें भी हमने अभी कोई तब्दीली नहीं की है। लेकिन हमारे यहां एक कमेटी बैठी थी जिसके जस्टिस बांचू प्रेसीडेंट थे और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। वह रिपोर्ट इस वक्त गवर्नमेंट के जेरेगौर है। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिनके जरिये से हम कानूनों में तरमीमें करेंगे और हमको उम्मीद है कि उसकी वजह से मुकदमों के फैसला करने में आसानी होगी।

जहां तक हायर जुडीशल सर्विसेज के ग्रेड्स का ताल्लुक है, उसके मुताल्लिक रूल्स जेरेगौर थे। मुझे मालूम हुआ है कि बहुत जल्दी रूल्स बन करके आजायेंगे और उसमें उनके ग्रेड्स भी तय कर दिये जायेंगे और यह भी तय कर दिया जायगा कि हायर जुडीशल सर्विस की क्या शक्ल होगी।

एक मसला और है जो हमेशा जेरे गौर आया करता है और वह मसला जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव के एक दूसरे से अलग किये जाने का है। इस मसले पर भी मुझको आप से यही अर्ज करना है कि जहां तक उसूल का ताल्लुक है वह तो हम तसलीम कर चुके हैं और एक हद तक हम उसको अमल में भी ले आये हैं इसीलिये हमने जुडीशल आफिसर्स की एक तादाद मुकर्रर कर दी और उनका सिर्फ यही काम है कि फौजदारी के जो मुकदमें जिले में हों उनका वे फैसला करें। जुडीशियल आफिसर्स डाइरेक्टली वहां के कलेक्टर के मातहत नहीं होते बल्कि वे एडीशनल मैजिस्ट्रेट की मातहती में काम करते हैं। इसके अलावा मुझे यह अर्ज करना है कि मौजूदा हालत में कोई ऐसी चीज कम से कम मेरे इल्म में नहीं आयी कि जिससे यह मालूम हो कि जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव का सेप्रेशन न होने की वजह से किसी किस्म का अन्याय हो रहा है या कोई ऐसी बात हो रही है जो न होनी चाहिये या जो गलत है। उसमें भी हमको देखना है कि अपने देश की हालत किस तरह से बदलती है। अभी तक तो एक बिल्कुल मेलटिंग पाट की हालत हमारी सोसाइटी की है और खास कर जो देहात में लोग हैं वह नहीं जानते हैं कि आखिरी शक्ल जो हम यह सब करने वाले हैं, ऐसे प्लान जो बनाने वाले हैं, यह सब जब मुकम्मिल हो जायंगे, उनकी क्या होगी। जमींदारी अबालिशन हो करके जो लोग बेकार हो गये हैं वह काम में लग जायेंगे और वह काम करने लगेंगे तब हमारी जिन्दगी ऊंची होगी, उस वक्त उनकी हालत क्या होगी, यह ऐसी चीजें हैं जिनका असर हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस पर पड़ने वाला है। उसी के साथ साथ हमारा सिस्टम जो है ऐडमिनिस्ट्रे

आफ़ जस्टिस का, जाहिर है कि वही है जो कि हमारे यहां अंग्रेज ले आये और उन्होंने यहां रायज किया। हम उसको अख्तियार किये हुये हैं लेकिन उसमें हमें क्या तब्दीली करनी पड़ेगी अपने जरूरियात के लिहाज से, इन सब बातों के ऊपर हम को गौर करना है। यह मसायल ऐसे हैं जिनके लिये यकीनन हम को वक्त मिलना चाहिये और इसमें वक्त लाजिमन लगेगा भी। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि इसके माने यह नहीं हैं कि गवर्नमेंट उसको सेपरेट नहीं करना चाहती या उस उसूल को नजरअन्दाज कर देना चाहती है बल्कि वह समझती है कि हमको यह करना है मगर उसे जिस तरह से करना है उसमें थोड़ा सा वक्त इन बातों की वजह से जो मैंने आपके सामने अर्ज कीं, उसमें जरूर लगेगा। इस सिलसिले में एक चीज मैं और अर्ज करूं। इसमें मुझको जरूरत इस बात के कहने की है कि आप हमारे मेम्बरान जो हैं और जितने भी यहां इस प्रांत के रहने वाले हैं उन सब को समझना चाहिये कि क्या शक्ल इस वक्त हमारी है और इस सूबे की हो रही है। हर तरफ से इस वक्त और खास तौर से जब कि गृह मंत्री का बजट पेश था, यह कहा गया कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं और खास कर देहातों में तरह तरह के लोग जुर्म करने के ऊपर तुले हुये हैं और जुर्म की तादाद ज्यादा पहुंचती जा रही है। मालूम नहीं कि यह सच है कि गलत लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि जो हम देख रहे हैं वह यह है कि जो मुकदमे चलते हैं और जो मुकदमे अक्सर ऐसे मुलजिमों के ऊपर जो निहायत खराब किस्म के जुर्म किये हुये होते हैं उन पर चलाये जाते हैं तो वह अक्सर इस वजह से कि सबूत काफी नहीं मिलते, हम मुकदमों में कामयाब नहीं होते। इस की बराबर मिसालें मेरे पास आती रहती हैं जिसमें इस किस्म का मुझे तजुर्बा होता है। बहरहाल एक ऐसी चीज है जो अगर बढ़ी तो लाजिमी तौर से हम को कोई न कोई ड्रैस्टिक इलाज करना पड़ेगा वरना जाहिर है कि कोई जुडिशल सिस्टम जो कि जुर्म को रोक न सके और उसको जो कि असली मुजरिम हो उसे सजा न मिले तो वह उतना ही बुरा है जितना कि एक बेगुनाह आदमी फंस जाय और उसे सजा मिल जाय। लिहाजा हम को जब हमारे ऊपर इस सूबे के अमनोअमान कायम रखने की जिम्मेदारी है, देखना है कि जो मुजरिम हैं उनको सजा होती है और वह यह न समझने पायें कि हम जो चाहे जुर्म करें लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस ऐसा है कि हमें सजा तो हो ही नहीं सकती। अगर हम मुकदमे की पैरवी करेंगे तो हम छूट जायेंगे। अगर यह खयाल पैदा होगा तो किस कदर उसकी वजह से हमारे सूबे की अमनोअमान में खलल पड़ सकता है। यह चीज भी हमको देखना है कि किस तरह से हम तब्दीली करें कि जिसकी वजह से इस वक्त जो सूरत पैदा हो गयी है कि एक सिस्टम बाहर का आया हुआ हमारे मुल्क में रायज है जिसे हम अच्छी तरह से समझते नहीं जिसमें कुछ कमियां और खामियां रह जाती हैं, उसकी वजह से मुजरिम जो हैं वह छूट जाते हैं। उस के बाद फिर एक हवा यह फैल जाती है कि चाहे जो गुनाह करो, चाहे जो जुर्म करो कोई सजा नहीं मिलेगी। यह एक ऐसी बात है जिसमें गवर्नमेंट अकेले तो कुछ नहीं कर सकती, इसमें हम को इस बात की जरूरत है कि पब्लिक की भी पूरी-पूरी सहायता हमारे साथ शामिल हो। हमारे यहां एक आम जज़बा यह है कि जुर्म करने के बाद अगर उसके खिलाफ किसी को कोई सबूत देना है या गवाही देना है तो लोग कहते हैं कि कौन परेशानी में पड़े, हमको क्या जरूरत है कि हम गवाही देने जायं। यह एक ऐसी चीज है कि इस खयाल को दिमाग से निकाल देना चाहिये।

अगर जुर्म करने वाला किसी का कितना भी अज़ीज हो उसका यह फर्ज है बहैसियत एक नागरिक के कि वह उसे सजा दिलाने में सरकार की सहायता करे। यह नहीं होना चाहिये कि चूंकि हमको इसके साथ हमदर्दी है इसलिये हम इसके खिलाफ गवाही न दें। एक बात और है कि मुकदमों में गवाही देने को या तो ऐसे लोग आते हैं जिनकी मुजरिम से पहिले से दुश्मनी होती है और दुश्मनी की वजह से उनकी गवाही अदालत नहीं मानती या ऐसे आदमी आते हैं जो इत्तिफाक से वहां पहुंच जाते हैं और उनको अदालत

[श्री सैयद अली जहीर]

इस बात पर रिजैक्ट कर देती है कि ये इत्तिफ़ाकी गवाह हैं और वहां पहुंचने की जरूरत नहीं थी। नतीजा होता है कि एक अजीब असर हमारी अदालतों में पैदा हो जाता है जिसकी वजह से ऐसे मुकदमें जिनके मुताल्लिक निजी तौर से मालूम होता है कि यह सही हैं वे भी छूट जाते हैं। हमें इन बातों को सामने रख कर अपना प्रोग्राम बनाना है। हम यह भी नहीं चाहते कि कोई इन्नोसेंट आदमी सजा पाजाय। लेकिन हमें हिम्मत और जोश के साथ ऐसी भी कोशिश करनी चाहिये कि या तो लोग जुर्म न करें और अगर करते हैं तो उनको उन्हें पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिये। बहरहाल ये चीजें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक हम जल्दी फैसला नहीं कर सकते। हमें अपने यहां की हालत और कानून बदलना है और ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में थोड़ी थोड़ी तब्दीली लाना है।

जहां तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है जो खास-खास बातें हम लोग कर रहे हैं, वे ये हैं। बहुत सी जगहों पर दीवानी अदालतों की इमारतें बहुत बुरी हालत में हैं चूंकि पुरानी इमारतें कम से कम ५० बरस पुरानी हैं और कुछ तो इससे भी ज्यादा पुरानी हैं। हम उन्हें रफ्ता रफ्ता बदल रहे हैं और इस साल भी कोई २ लाख रुपया इमारतों के लिये रखा है। इसी तरह कुछ रुपया किताबों के लिये है ताकि वे अदालतों में पहुंचाई जा सकें। ५,००० रुपया एडवोकेट जनरल की लाइब्रेरी के लिये रखा गया है।

इसके साथ साथ हिन्दी को अदालतों में रायज करने की कोशिश की गई है। यह समझ कर कि अब काम हिन्दी में होगा। यह हुक्म जारी कर दिया गया है कि जहां तक हो सके अब महज हिन्दी के टाइप राइटर खरीदे जावें। टेहरी-गढ़वाल का मामला हमारे सामने आया कि वहां पहले सारा काम फैसले वगैरह हिन्दी में होते थे। जब वह रियासत हमारे प्रांत में मिल गई तो यह सवाल उठा कि जैसे और अदालतों में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में काम होता है वैसे ही वहां भी हो। तो गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि नहीं, चूंकि अब तो हम सब जगह हिन्दी रायज कर रहे हैं इसलिये कम से कम जहां हिन्दी रायज है वहां से हमें हिन्दी को नहीं हटाना चाहिये। इसलिये वहां काम अब हिन्दी में होता रहेगा और नक़लें वगैरह भी, जहां तक हो सकता है, हिन्दी में मिलेंगी। इसी तौर से कुमायूं में सिविल कोर्ट का मामला है। आप जानते हैं कि वहां जितने मुकदमे दीवानी वगैरह के होते थे वह सब तहसीलदार या मैजिस्ट्रेट वगैरह किया करते थे, वहां दीवानी अदालतें नहीं थीं। मगर अब सरकार ने यह फैसला किया है कि वहां भी उसी तरह से दीवानी अदालतें कायम हों जैसी और जगह हैं और इस साल के अन्दर ही वहां दीवानी अदालतें कायम हो जायंगी।

एक बात और कि जिस समय से कांग्रेसी हुकूमत आई हैं उसने तीन जिलों में डिस्ट्रिक्ट जजेज को मुस्तकिल तौर से कायम कर दिया है और अब आगे साल, दो और जिलों में जौनपुर और बहराइच में डिस्ट्रिक्ट जजेज को मुस्तकिल बना दिया जायगा।

यही इस मांग की मोटी मोटी बातें हैं और इनके साथ मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि यह सदन इस मांग को मंजूर करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमन्, किसी भी देश का न्यायाधिकरण यानी जुडीशियरी उस देश की जनता के सभी स्तरों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय देने के लिये सबसे बड़ा आवश्यक अंग होता है। यह इस प्रांत की और इस देश की जनता की सौभाग्य की बात है कि जहां तक जुडीशियरी के ऊंचे स्तर का सवाल है इस देश की जुडिशियरी ने काफी निष्पक्ष रूप से और काफी ऊंचे स्तर के फैसले दिये हैं और इस प्रांत में भी और अन्य प्रांतों

में भी समय समय पर हाई कोर्ट की ओर से और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसले हुये उन्होंने इस देश की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा को स्थापित रखा है। जहां तक व्यक्तिगत न्याय का प्रश्न है या सिविल और क्रिमिनल केसेज के न्याय का प्रश्न है कुछ सैद्धांतिक बातों की ओर माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डाला है। उन्होंने स्वयं इस बात को माना है कि केसेज के फैसले होने में देरी होती है और जो व्यवस्था पहले से चली आई है उसमें लिटीगेशन बढ़ता है। दोनों पक्षों का रुपया बहुत ज्यादा खर्च होता है और नतीजा यह होता है कि अन्त में फैसला होते तक वादी और प्रतिवादी दोनों का चकनाचूर हो जाता है। मुझे यह मालूम है कि सन् १८५५ से जब से यहां पर न्याय व्यवस्था चल रही है उस समय स्लीमैन साहब ने यह पूछा लोगों से कि तुम न्याय की व्यवस्था चाहते हो या अराजकता और उस समय उन लोगों ने यही जवाब दिया था कि जिस प्रकार से खर्च होता है और जितनी देरी इस न्याय व्यवस्था में होती है उससे तो पुरानी अवध की अराजकता ही, जिसमें कोई प्रोसीज्योर नहीं था, हमें पसन्द है। तो आज की देरी को देखते हुए और जितना खर्चा होता है उसको देखते हुये बहुत कुछ स्थिति आज भी वही मौजूद है ।

माननीय मंत्री ने एक्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग अलग करने की जो बात कही है उसको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो आशा करता था कि माननीय मंत्री जी यह कहते कि हमने १८ जिलों में एक्ज़ीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग कर दिया है और अब कुछ और जिलों में इसको अलग करने जा रहे हैं लेकिन उन्होंने तो वही दृष्टिकोण लिया जो आपके आफिसर्स ने सन् १९५० में एक्जीक्यूटिव आफिशियल्स कानफ्रेंस में लिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक्जीक्यूटिव आफिसर्स जब एक्जीक्यूटिव का काम करते हैं तो एक्जीक्यूटिव की ओर जब वे जुयिडशियरी में काम करते हैं तो जुडिशियरी उनके एक्ज़ीक्यूटिव आफिसर होने से कोई असर जुडीशियरी के काम में नहीं पड़ता। जो ...न्होंने उस कांफ्रेंस में कहा था वही माननीय मंत्री जी ने यहां आज कहा है। क्या मैं उन्हें याद दिलाऊं कि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने इस प्रांत की जनता को यह आश्वासन दिया था कि आने वाले वर्षों में वे एक्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से बिलकुल अलग कर देंगे। इस संबंध में इसकी आवश्यकता को बताने के लिये कि क्यों एक्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग किया जाय कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि माननीय चीफ़ मिनिस्टर साहब का वह भाषण और उनके वह विचार ही काफ़ी हैं। मैं माननीय न्याय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ड्यूरेशन की तरफ कि आज भी जब सरकार दावा करती है कि मुकदमे घट रहे हैं, सिविल कोर्ट्स में मुकदमें घट रहे हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी घट रहे हैं तो फिर उनके डिसपोजल में समय ज्यादा क्यों लगता है? मेरे पास कुछ तथ्य हैं। सिविल कोर्ट्स में जिन केसेज में पूरी ट्रायल हुई उनमें सूटस का ड्यूरेशन १९४९ में २५५ था। वही १९५० में बढ़कर के २६७ हुआ और १९५१ में बढ़कर के २७७ हो गया और जो पेंडिंग सूट्स थे, एक माननीय सदस्य ने प्रश्न भी किया था कि हमारे जिले में कितने पेंडिंग केसेज हैं। मेरे पास पूरे प्रांत के पेंडिंग केसेज के आंकड़े हैं, ऐसे मुकद्दमात के जो साल से ज्यादा के हैं। १९४९ में वह १९२१५ थे, १९५० में बढ़कर २५५७९ हो गये और १९५१ में २६७४३ हो गये, जो एक साल से ज्यादा के कोर्ट्स में हैं और जिनमें बहस चल रही है । यह रहा सिविल केसेज की बात।

अब मैं आपको बतलाता हूं कि क्रिमिनल केसेज में क्या ड्यूरेशन था magisterial courts के duration में २० और १९५१ में २३ हो गया । सेशन्स कोर्ट्स में जो थे वह १९४८ में ९७ थे और १९५१ में बढ़कर ११० हो गये। इससे एक बात साबित होती है कि अगर हम सरकार के दावे को मान भी लें कि मुकद्दमे घट रहे हैं तो फिर ड्यूरेशन क्यों बढ़ा। इससे तो सिद्धांत की बात जो माननीय मंत्री जी ने कही वह स्पष्ट नहीं होती है। इस प्रकार जहां तक क्रिमिनल केसेज का सवाल है, माननीय मंत्री जी की गलतफहमी दूर करने के लिये शायद यह विचार हो कि क्रिमिनल केसेज घटे हैं तो सन् १९४९ ई० में कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर एंड स्पेशल लोकल लाज़

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

में २ लाख ७५ हजार केसेज आये थे और सन् १९५० में वह बढ़करके २ लाख ९३ हजार हो गये और सन् १९५१ ई० में वह बढ़करके ३ लाख १३ हजार हो गये तो माननीय मंत्री जी की गलतफहमी की बात उनके आंकड़े, उनकी सेवा में समर्पित हैं।

मैं यह साबित करना चाहता था कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन काम को हल्का करने के लिये और कोर्ट्स के भार को कम करने के लिये है। मैं इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी का ध्यान वांचू कमेटी की ओर दिलाना चाहता हूं जो डेढ़ साल के करीब हुआ उनके पास आ गई है। पिछले बजट का समय था और उस समय यह कहा गया था कि उस पर कंसीडरेशन हो रहा है। आज डेढ़ साल के करीब हो गया लेकिन अभी तक उसका कंसीडरेशन पूरा नहीं हुआ है। एक बात और है जो कानूनी परिवर्तन हैं उनके लिये तो यह समझा जा सकता था कि कुछ ऐसे ऐक्ट्स हैं जिनको पालियामेंट या गवर्नमेंट आफ इंडिया ही बदलेगी, लेकिन जिन ऐक्ट्स को प्रांतीय सरकार ही बदल सकती थी, यह भी मान लिया जाय कि कानूनों के बदलने में देर होती तो बहुत सी ऐसी बातें भी थीं जो बिना कानून के बदले हुये भी बदली जा सकती थीं। जैसे प्रेजाइडिंग आफिसर्स का पीरियोडिकल इंसपेक्शन महीने में एक दफा हो, तहसीलों के हेडक्वार्टर्स में जो बिल्डिंग बनाई जायं उनको डिसेंट्रेलाइज किया जाय और हर जगह पर अदालत हो। इसके अलावा जमानत की अर्जियों का डिसपोजल एक दिन में हो जाना चाहिये। बोर्ड आफ रेवेन्यू और कमिश्नर वगैरह की पोस्ट को एबालिश कर दिया जाय और कमिश्नर का काम डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट जज को दे दिया जाय और जहां तक जो अनएवायडेबिल एडजर्नमेंट हैं जिनमें बहुत दिन लगते हैं या गवाहियों में बहुत दिन लगते हैं तो रिकार्डिंग आफ स्टेटमेंट्स और फिक्सिंग लांग डेट्स आफ आरगूमेंट्स के संबंध में लम्बी तारीखें लगा दी जाती हैं उनके नियमों में संशोधन करना, कुछ सुझाव ऐसे थे जिनको माननीय मंत्री जी बिना ऐक्ट को बदले हुये साल डेढ़ साल में जब से रिपोर्ट आई थी कभी न कभी कार्यान्वित कर सकते थे। बहुत सी रिकमेंडेशंस थीं जिनको डेढ़ साल के अन्दर स्वीकार कर लेने में माननीय मंत्री जी को तनिक भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी। जैसे सिविल केसेज में मुंसिफों के रिक्रूटमेंट में दो साल की प्रैक्टिस बार में कम्पलसरी कर देना। हाई कोर्ट में पांच हजार से लेकर १० हजार तक की जितनी अपीलें हों उनको हाई कोर्ट में दो जजों की बेंच के सामने पेश करना। अपील के केसेज में एडवोलेरम कोर्ट फीस लगती है उसका आधा कर देना। ये ऐसे मामले हैं जिनको माननीय मंत्री जी इसी बीच में कर सकते थे। क्रिमिनल केसेज में असेसर और जूरी के जरिये जो ट्रायल की प्रणाली है उसको समाप्त किया जा सकता है। थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स को समाप्त किया जा सकता है और ऐसे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जिनको दस साल का तजुर्बा है उनको इस बात की सहूलियत दी जा सकती थी कि वे सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट की अपील को सुन सकें। मैंने आपकी आज्ञा से ऐसे उदाहरण दिये जिनको माननीय मंत्री जी सुधार की दृष्टि से सरलता, समय और कम खर्च में कर सकते थे। इससे खर्च में भी कमी होती और भार में भी कमी होती अगर इन सुझावों को कार्यान्वित किया जाता। लेकिन एक बात के बारे में मैं अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि कमेटी का यह भी सुझाव है कि अदालती पंच चुने हुये नहीं होने चाहिये और अदालती पंचों को जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामजद करें। वांचू कमेटी का यह जो सुझाव है मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि कहीं पंचायत राज्य ऐक्ट के संशोधन में इस सुझाव के जरिये से वह ऐसा करने का गजब न करें क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामजद करेंगे पंचों को तो पंचायती अदालतें जैसा कि आजकल विधान है चुनी हुई नहीं होंगी। इससे पंचायती राज्य विधान को भारी धक्का लगेगा। यह ठीक है कि जज चुने हुये नहीं होते

चाहिये लेकिन पंचायती अदालतों के ऊपर जो भार है वह उस स्तर का नहीं है जैसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेज का होता है। इसलिये माननीय मंत्री कमेटी की सिफारिश पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करें।

कुछ मैं हाई कोर्ट के प्रबंधों के बारे में भी कहना चाहता हूं। यह बड़ा अच्छा हुआ कि पिछले वर्षों के अन्दर अवध चीफ कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का अमलगमेशन हुआ। इस प्रांत की जनता की यह बहुत दिनों से मांग थी लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी व्यवस्थायें हुई हैं जिनको देख कर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ इलाहाबाद और लखनऊ की बहस इस हाई कोर्ट के मामले में खड़ी हो गई। लखनऊ के बार एसोसियेशन का कहना है कि लखनऊ चीफ़ कोर्ट में पांच लाख रुपया हाई कोर्ट की बेंच बनाने के लिये खर्च किया गया जिसमें तीन कोर्ट रूम्स और पांच चैम्बर बने जब कि इलाहाबाद में साढ़े बारह लाख रुपया नई हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनाने और एक्सटेंशन करने में खर्च हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह बात कहां तक सही है? इन ५ लाख रुपयों को खर्च करके जो ३ कोर्ट रूम्स और ५ चैम्बर्स को बनाया गया उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है? दूसरी शिकायत उनकी यह है कि पहले चीफ कोर्ट में ६ जजेज रहा करते थे लेकिन जैसे ही ये जगहें खाली होती हैं उन जगहों में यहां जजेज मुकर्रर नहीं होते लेकिन इलाहाबाद में हो जाते हैं। यहां की बेंच में केवल तीन जजेज रह गये हैं। क्या यह उनकी शिकायत सही है? इसके साथ साथ यह भी है कि यहां बेंच तो अवश्य है लेकिन यहां पर काम बढ़ने के कारण इलाहाबाद से जजेज को लगातार आना पड़ता है और इस आने जाने में जो एक असाधारण खर्च होता है ३०,४० हजार रुपये साल का यह कुछ समझ में नहीं आता। अगर यहां पर काम ज्यादा है तो क्यों न बेंच में दो एक जज और बढ़ा दिये जायं ताकि यह जो खर्च होता है और जजों को भी इलाहाबाद से लखनऊ आने जाने में जो दिक्कत होती है वह बच जाय? तो अगर काम के अनुसार बेंच में जजों की संख्या कर दी जाय तो यह प्रबंध बड़ा अच्छा होगा। मैं इलाहाबाद और लखनऊ की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता और न मैं यह चाहता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी ही इस में पड़ें। हमें तो प्रदेश की जनता के हित के दृष्टिकोण से काम करना चाहिये। फ़ैजाबाद और सुल्तानपुर जिलों के मुकदमे पहले लखनऊ आते थे लेकिन अब एक आर्डर के जरिये इलाहाबाद भेज दिये गये और जहां तक मुझे सूचना है फैजाबाद और सुल्तानपुर की जनता और वहां के बार यह कहते हैं कि हमें लखनऊ ज्यादा नजदीक है तो हमको इलाहाबाद क्यों भेजा गया? शायद माननीय मंत्री जी को इस बारे में ज्यादा सूचना हो लेकिन अगर ऐसी बात है तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिये और इस हद तक पुनर्विचार होना चाहिये कि लखनऊ बेंच जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है और इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट काम करता है इनमें जिलों का मामला रीजनल दृष्टिकोण से आना चाहिये ताकि जैसे हमारे यहां का कुमायूं डिवीजन है अगर हमको लखनऊ नजदीक पड़ता है तो हमारे यहां के मुकदमें लखनऊ आने चाहिये और जिनको इलाहाबाद नजदीक पड़ता है उनके मुकदमे इलाहाबाद जाने चाहिये। यह कोई शहर के दृष्टिकोण का प्रश्न नहीं है बल्कि चूंकि हमको मुकदमों में होने वाले खर्च को भी कम करना है इसलिये हमको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि कौन सा जिला किसके नजदीक पड़ता है। मुझे आशा है कि यदि माननीय मंत्री जी इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो वह एक काफ़ी सुन्दर बात होगी।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अभी अभी मेरे मित्र पंडित नारायणदत्त जी ने हाई कोर्ट के अमलगमेशन के संबंध में कुछ कहा। मेरा अपना विचार है कि यदि जिन्होंने उनको इस संबंध में बातें बताई अगर वह पूरी तरह से उनको बताते और फिर वह कहते तो ज्यादा मुनासिब होता। अगर मुझे समय मिला तो इस विषय में उनकी कुछ गलतफहमी को दूर करने की चेष्टा करूंगा।

[श्री शिवनाथ काटजू]

इस संबंध में कुछ जरूरी बातें मुझे कहनी हैं और मैं माननीय मंत्री जी से मोअद्दि-बाना गुजारिश करूंगा कि वह ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के मामले में गौर करें। अभी मुझको सन् ५१ की रिपोर्ट मिली है। मुनासिब होता अगर सन् ५२ की रिपोर्ट भी छप जाती और बजट के वक्त इस सदन के मेम्बरों को यह मालूम होता कि सन् ५२ तक यहां क्या शक्ल थी । लेकिन सन् ५१ की रिपोर्ट से जो मालूम होता है उससे मैं अन्दाजा लगा सकता हूं कि सन ५२ में भी कोई ऐसी इतमिनान देने वाली तरक्की नहीं हुई। हाई कोर्ट में जितने मुकदमें फैसला हुये हैं अगर उनके आंकड़े को देखा जाय तो मालूम होगा कि हमारे यहां ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में काफी शिथिलता आ गयी है और मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि यह एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। अगर सन् १९५१ में हाई कोर्ट में जितने फैसले हुये हैं उनको देखा जाय तो पता चलेगा कि बजाय हालत सुधरने के दिन व दिन बिगड़ती ही जाती है । अगर सरकार देखे तो करीब करीब हर किस्म के मुकदमों में चाहे वे फर्स्ट अपीलें हों, चाहे वे सेकेंड अपीलें हों, चाहे वे रिवीजन्स हों सन् ५१ के शुरू में जितना बकिया मुकदमों का नम्बर था और सन् ५१ में जितनी अपीलें दायर हुई और सन् ५१ में जितने मुकदमें फैसल हुये उन पर अगर गौर किया जाय तो मालूम होगा कि बजाय बकाया मुकदमे फैसल होने का बकाया की तादाद बढ़ती चली जा रही है । जैसे कि सिंगल जज (Single judge) फर्स्ट अपील्स को लीजिये। सन् ५१ के शुरू में १५८ अपीलें पहले साल की थीं और १०२ अपीलें सन् ५१ में दायर हुई, टोटल २६० अपीलें हो गईं। फैसल कुल ३३ ही हुई। यानी १०२ अपीलें नयी दायर हुईं। बकाया को तो जाने दीजिये, और फैसल हुईं कुल ३३ तो शक्ल यह है कि सन् ५१ के आखिर में २२७ अपीलें बिला फैसल हुये मौजूद हैं। इसी तरह से First appeals from order सन् ५१ के शुरू में ३१७ थीं फिर सन् ५१ में १७५ और दायर हुईं। टोटल हो गया ४९२ और फैसल हुईं कुल ८१। इसी तरह से हर मद के मुकदमों पर अगर गौर किया जाय तो एरियर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और घटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सन् ५१ में हाई कोर्ट में २० जज थे। प्रेसीडेंट के हुक्म के मुताबिक २४ जज हाई कोर्ट में होने चाहिये। बजट के मुताबिक भी २२ जजेज हाई कोर्ट में होने चाहिये लेकिन मेरा ख्याल है कि सन् ५१ में २० की तादाद भी कभी पूरी नहीं हुई। गालिबन ज्यादा से ज्यादा १९ की तादाद रही। या तो किसी का स्वर्गवास हो गया तो उसकी जगह भरने के लिये काफी वक्त लगा या कुछ जजेज कुछ काम के लिये चले गये और कुछ इंक्वायरी वगैरह में चले गये। नतीजा यह कि जितनी तादाद वहां की थी कचहरी में फैसला करने के लिये उतने भी न मिल सके। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर यही हालत चलती रही तो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस करीब करीब खत्म हो जायगा, करीब-करीब कोलेप्स हो जायगा। वांचू कमेटी ने भी यही कहा था कि अगर इसकी यही शक्ल रही तो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस कोलेप्स हो जायगा। अब वक्त कम है इसलिये मैं सिर्फ दो बातों की तरफ सरकार की तवज्जह दिलाऊंगा। एक तो यह कि जितने फौजदारी के मुकदमे कमिट किये जाते हैं, सेशन्स को भेजे जाते हैं, उनकी तादाद को अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि उनमें से ६० प्रतिशत ऐसे हैं जो कि छूट जाते हैं। बहुत से मैजिस्ट्रेट अपने आपको पोस्टआफिस की तरह समझते हैं उनके सामने मुकदमा आया कि उन्होंने कमिट कर दिया। तो सरकार इस बात पर गौर करे कि जितने मुकदमे चलाये जाते हैं उनमें से कितने छूटते हैं और कितनों में सजा होती है। अगर इस पर तवज्जह की जाय और कम से कम मुकदमे चलाये जायं इससे अदालत का काम और वक्त बच जायगा ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट की ओर से हाई कोर्ट में काफी तादाद में अपील दायर की जाती हैं और मैंने देखा कि सन् ५१ की रिपोर्ट में गवर्नमेंट

ने काफ़ी तादाद में अपील दायर की है । मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं फ़िगर बताता लेकिन जितनी अपीलें दायर की गयीं उनमें से बहुत कम में सजायें हुई, बहुत कम मंजूर हुई और काफी तादाद में खारिज भी की गयीं। मेरा ख्याल यह है कि अगर सरकारी अपीलों के बाबत भी गवर्नमेंट गौर करे तो हाई कोर्ट का काफी वक्त बच सकता है ।

तीसरी बात असेसर्स के बारे में है । वांचू कमेटी की रिपोर्ट में भी असेसर्स का रखा जाना आजकल के जमाने में एक प्रकार से गलत बताया गया है । आजकल के वक्त को देखते हुये असेसर्स बेकार हैं। जब कि यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी जो कि यहां की भाषा नहीं समझते थे उस जमाने में तो इनकी कोई जरूरत मालूम भी होती थी लेकिन आजकल के जमाने में मैं निवेदन करता हूं कि ये असेसर्स हटा दिये जायं ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में केवल इतना ही कहूंगा कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी जो लोगेसी उनके जमाने में कायम थी वह आज भी कायम है और वह यह है कि हमारे देश में न्याय का ढांचा और न्याय का तरीका जो उस जमाने में था वही आज भी है, आज भी बदस्तूर कायम है। हम यह ख्याल करते थे कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद हमारे इस ढांचे में कुछ क्रांतिकारी और मौलिक परिवर्तन होंगे । उस जमाने में हम यही कहा करते थे कि हमारा न्याय का ढांचा बिल्कुल सीधा-साधा, ऐसा आसान और सरल होगा कि गांव की साधारण जनता को बहुत कम खर्चे में न्याय प्राप्त हो सकेगा और समय भी कम लगेगा। लेकिन अगर पहले किसी न्याय के मिलने में ६ मास लगते थे तो अब उसको प्राप्त करने में १ साल से ज्यादा लगता है। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर अदालतों में इतना वक्त लगता है और उसकी दौड़ भाग में किसानों का इतना धन खर्च हो जाता है कि उनकी मालीहालत बिलकुल खराब हो जाती है। और हम देखते हैं कि जहां ५० रुपये की मालियत का झगड़ा है उस मामले में न्याय प्राप्त करने में आज कल मौजूदा अदालतों में कम से कम पांच सौ रुपये के क़रीब खर्च हो जाते हैं जिसमें से एक बड़ा हिस्सा वकील लोग ले लेते हैं और तब जाकर उसको कहीं न्याय मिल पाता है। सबसे पहली चीज न्याय व्यवस्था के अन्दर यह होनी चाहिये थी कि जहां पर अदालतों के मौजूदा ढांचे को बदलते, उस ढांचे को बदलने के साथ साथ यह भी देख सकते कि कम से कम व्यय में किस प्रकार से न्याय प्राप्त किया जाय। और उसके लिये मैं समझता हूं कि हम लोगों को इस बात के देखने की जरूरत थी कि वकीलों का तबका जो न्याय प्राप्त कराने के लिये किसानों और अदालतों के बीच में ऐसा है उसको किस प्रकार से रोका जाय । वकील लोग किसानों का खुद तो शोषण करते ही हैं उसके साथ ही अपने मुहर्रिर को भी कुछ दिलवाते हैं और इसी तरह से कागजात आदि को प्राप्त करने में जो एक तरह की रिश्वतखोरी चल रही है जिसको रिश्वत न कहकर हक का नाम दिया गया है उसको भी बिलकुल बन्द किया जाना चाहिये। अंग्रेजों के जमाने में हम यह कहा करते थे कि वकीलों का प्रोफेशन त्याज्य है, हीन है और उसको डिसकरेज करना चाहिये लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम उसी प्रोफ़ेशन को दिन प्रतिदिन इनकरेजमेंट देते चले जा रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि आज हम स्वतंत्र हो जाने के बाद भी वकीलों के इस प्रोफ़ेशन को किसी प्रकार से डिसकरेज नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि बहुत सी बातें इस सदन में वांचू कमेटी रिपोर्ट के संबंध में कही गयी हैं। मुझे उस संबंध में इस समय केवल एक ही बात कहनी है और वह यह है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य श्री तिवारी जी ने उस वांचू कमेटी रिपोर्ट के संबंध में यह कहा कि जहां तक पंचायती अदालतों का संबंध है, जहां तक पंचों और सरपंचों

[श्री शिवकुमार शर्मा]

का संबंध है वे नोमीनेटेड न होकर एलेक्टेड हों। बांचू कमेटी की रिपोर्ट का सोलह आने समर्थन करता हूं इस आधार पर कि पिछले चार पांच सालों में हमने जो पंचायतों का अनुभव किया है, जितने पंच और सरपंच एलेक्ट होकर हमारे सामने आये हैं, उस क्षेत्र से कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति पंचायती अदालतों में नहीं आया है। क्योंकि कोई भी विद्वान पुरुष, कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति जो ईमानदारी को अपना कर किसी केस का फैसला करे वह पंचायतों के चुनाव में आने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जितने भी पंचायती अदालतों के अन्दर पंच या सरपंच हों वे नामिनेटेड होने चाहिये चाहे उनकी एजेंसी कोई हो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो या कोई दूसरा हो। लेकिन अगर गलत तरीके से न्याय का वितरण किया जाय और सिर्फ उन लोगों के लिये किया जाय जो लोग कि एलेक्टेड हैं या चुने हुए हैं, इस तरह से पक्षपात पूर्ण फैसला ठीक नहीं है। तो यह सुनकर सदन के माननीय सदस्यों को ताज्जुब होगा कि जिस प्रकार की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार न्याय में ऊंचे स्तर पर कहीं-कहीं देखने में आता है उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यह पंचायतों में भी चल पड़ा है। हो सकता है कि किसी बिना पर इसकी तरदीद हो लेकिन हर एक व्यक्ति जिसने न्याय के अन्दर जाने की कोशिश की है उसे मालूम है कि पंचायतों के अन्दर भी भ्रष्टाचार का अंकुर खड़ा हो गया और जो वहां चुने हुये नुमाइन्दे होते हैं लिहाजा वे अपने आदमियों के पक्ष में होकर मुकदमों का फैसला करते हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह सबसे पहले इस प्रश्न को अपने सामने रखे और पंचायती अदालतों में जितने भी पंच व सरपंच होते हैं वे नामिनेटेड ही हों, चाहे इसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करे या कोई दूसरा करे।

तीसरी बात यह है कि हमारे न्याय के अन्दर जिस प्रकार का स्थान हिन्दी भाषा को मिलना चाहिये वैसा नहीं मिल सका है। हम हिन्दी भाषा को जिस स्तर पर लाना चाहते हैं उसके लाने में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। पेशकार लोग या और जो वहां रिपोर्टर्स होते हैं वे हिन्दी भाषा को न अपना कर अभी तक उसी पुराने तरीके से काम करते चले आ रहे हैं और सारा काम इंगलिश में हो रहा है, इसलिये ऐसी स्थिति में ऐसा स्पष्ट आदेश देना चाहिये कि वे इंगलिश भाषा में कार्य न करें। जितनी भी दरख्वास्तें आवें वे सब हिन्दी भाषा में आनी चाहिये और किसी प्रकार से कोई कार्य अंग्रेजी में नहीं होना चाहिये।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--श्री उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण और अन्य सदस्यों का भाषण सुना। मुझे ताज्जुब होता है कि माननीय मंत्री जी इस बात से संतुष्ट हैं कि उन्होंने सिर्फ १८ जिलों में न्याय और प्रबंध अलग कर रखा है और दूसरे जिलों में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रेट न्याय देने में कुछ गड़बड़ करते हैं। जब आप दो पावर एक ही आदमी के हाथ में रखते हैं तो यह स्वाभाविक बात है कि जो मैजिस्ट्रेट किसी आदमी को गिरफ्तार करवाता है या अपने हुकुम से यह अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हुकुम से तो वह उसको किस प्रकार से न्याय देगा यह आप विचार कर सकते हैं। रही शिकायत की बात मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मैंने पिछले साल भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम हमारे जिले में तो आप जुडिशियरी को एक्जिक्यूटिव से अलग कर दीजिये क्योंकि वहां पर न्याय नहीं मिल पाता है और मैजिस्ट्रेट जो है वह प्रबंध का अधिक ख्याल रखता है और न्याय की परवाह नहीं करता है। शायद माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात नहीं आ सकती है लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल मैंने कुछ मुलाजिमों के मुकदमों की एक अरजेन्ट (Indent) अप्लीकेशन दी थी इस गरज से कि उनके कागजों की नकल दे दी जाय। लेकिन अब एक साल

हो गया है वह नहीं दी गई। इसका कारण यह है कि मैजिस्ट्रेट को इस बात का डर नहीं रहता है कि वह उनके साथ न्याय बरते, मुलजिमों को केस की नकल दे और उनकी जमानत की दरख्वास्त मंजूर करे क्योंकि वह तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पालिसी पर या उसके आदेश पर काम करता है। तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि वह न्याय दे? इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यहां पर इन शिकायतों का इंतजार न करे। यह तो सैद्धांतिक बात है कि न्याय और प्रबंध पृथक् होना चाहिये इसलिये कम से कम हमारे जिले में तो अवश्य जुडिशियरी अलग कर दी जाय। मैं यह अर्ज करूंगा कि जो सरकार अपने नागरिकों को न्याय नहीं दे सकती है तो उसको शासनारूढ़ रहने का अधिकार नहीं है। उसका यह परम कर्त्तव्य है कि वह इंसाफ दे। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कम से कम सरकार को ऐसा जरूर करना चाहिये कि जो मुलजिम हों उनको बेल अप्लीकेशन की सुविधा अवश्य देनी चाहिये क्योंकि मुलजिमों को यह कानून की रूह से अधिकार है कि उनकी जमानत मंजूर की जाय लेकिन आम तौर पर मैजिस्ट्रेट स्वयं ही जब कानूनी कार्यवाही करता है तो उसकी दरख्वास्त को नामंजूर नहीं करता है। लेकिन तस्दीक के बहाने कई दिनों तक टालमटोल करता है। इसका नतीजा यह होता है कि बेचारे मुलजिम को इतना अरसा अण्डर ट्रायल में उसको रहना पड़ता है जितना कि उसको जुर्म साबित होने पर सजा भी नहीं मिल सकती है। इस लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मुलजिमों को बेल की सुविधा अवश्य होनी चाहिये जैसा कि वांचू रिपोर्ट में कहा गया है कि जमानत की दरख्वास्त पर आर्डर उसी रोज होना चाहिये जिस रोज दरख्वास्त पेश की जाय और जब तक वैरिफिकेशन होता है तब तक एफिडेविट पर जमानत मंजूर होनी चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं एक सुझाव और पेश कर दूं कि बेल एप्लीकेशन का जो वेरिफिकेशन होता है वह तहसीलदार पटवारी या पुलिस के जरिये से कराया जाता है, इसमें बहुत देर लगती है और गड़बड़ी होती है। अच्छा हो अगर वह ग्राम प्रधान के द्वारा कराया जाय ताकि लोगों को इससे सुविधा मिले। इसके अलावा जो लोकल मैजिस्ट्रेट रखे जाते हैं वह कतई न रखे जाने चाहिये चूंकि वह लोकल बायस्ड होते हैं और उनके प्रिजुडिसेज होते हैं और उनसे असर लेकर वह फैसले में ग़लतियां किया करते हैं।

इसके साथ ही साथ मैं एक और अर्ज भी करना चाहता हूं वह यह है कि पहले तो टेहरी में हाई कोर्ट था, अब हाई कोर्ट न रखा जाय तो कोई बात नहीं है लेकिन सिविल एण्ड सेशन कोर्ट रहना वहां बहुत आवश्यक है और वह हमेशा से वहां है। अब ऐसा सुना ज रहा है कि उसको सरकार का हटाने का विचार है, मैं समझता हूं कि उस कोर्ट को हटाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसे सिविल ऐण्ड सेशन कोर्ट दो तीन जिलों के लिये एक रखा जाता है। जिस तरह से नैनीताल वग़ैरा में सुविधा है वैसे ही टेहरी में वह रखा जाय, वह घूमता रहेगा लेकिन वहां से रिकार्ड आफिस को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आफिसेज भी हटाये जायं तो प्रत्येक जिले के रिकार्ड के लिये एक रिकार्डकीपर रख कर रिकार्ड वहीं रखा जाय ताकि वकीलों को मिसल मुआयने में और नक़ल लेने में दिक्कत न हो और लोगों को वकीलों को लेकर दूर न जाना पड़े। इसमें ऐडमिनिस्ट्रेशन की कोई दिक्कत नहीं है, जज तो घूमेंगे ही लेकिन प्रत्येक जिले की जो मिसलें हैं वह वहीं जिले में रहा करें। इसके अलावा जैसा कि श्री नारायण दत्त जी ने कहा हाई कोर्ट के बारे में कि जो जिले लखनऊ के करीब पड़ें उनको लखनऊ के और जो इलाहाबाद के करीब पड़ें उनको इलाहाबाद के जुरिसडिक्शन में रखा जाय इससे हम भी सहमत हैं और बहुत सहूलियत होगी।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो माननीय न्याय मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके

[श्री बलवीर सिंह]

लिये उनको बधाई देता हूं और मैं यह कहना जरूरी समझता हूं कि जब से उन्होंने जस्टिस का पोर्टफ़ोलियो लिया है उन्होंने हमारे सूबे की न्याय प्रणाली को ठीक करने की बड़ी भारी कोशिश की है और मुकदमात का डिसपोजल जल्द से जल्द कराने के लिये भी उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की है। और उनकी इस भावना को देख कर बहुत ही खुशी भी होती है लेकिन उनकी हत्तुलइमकान कोशिश के बावजूद भी हमारे यहां मुकदमात के फैसले जो होते हैं, क्योंकि आज भी वहां वही अंग्रेजियत का तरीक़ा चला आ रहा है, उसकी खराबियों की वजह से जनता को वह सन्तोष नहीं होता जो कोर्ट में एक झगड़े को ले जाकर तै होने में होना चाहिये। मैं अपनी ३० साल की वकालत के दौरान में बराबर देखता आया हूं कि लोग चाहे वह पढ़े लिखे हों या बेपढ़े लिखे हों, वह कोर्ट में जाने से घबराते हैं लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है, वहां कोर्ट में जाने से लोग न्याय और रेमेडी फौरन पाते हैं। पर हमारे यहां का प्रोसिजर ऐसा ग़लत हो रहा है कि अव्वल तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती और अगर अदालत में जाना ही पड़ता है तो उसको जल्द इन्साफ नहीं मिलता बल्कि उससे पहिले उसकी तबियत का फ़ैसला हो जाता है और वह परेशान हो जाता है। यह चीज इस सरकार के बस की नहीं है जब तक कि इस सम्बन्ध में हमारी सहायता केन्द्रीय सरकार न करेगी तब तक कुछ होना कठिन है। जहां तक इस प्रदेश की सरकार का संबंध है यहां हत्तुलइमकान कोशिश जरूर की जाती है।

अब मैं, माननीय नारायणदत्त जी ने जो हाई कोर्ट की ब्रांच लखनऊ के विषय में कहा है उसके सम्बन्ध में आपके द्वारा इस सदन को अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि हाई कोर्ट का अमलगमेशन १९४८ में हुआ था। अमलगमेशन की खास वजह यह बतायी जाती थी कि मुकदमा वालों को सुभीता हो और उसके फलस्वरूप यह भी तय हुआ था कि उसकी एक ब्रांच लखनऊ में नजदीक के जिलों के मुकदमे तय करने के लिये रहा करेगी। उम्मीद यह की जाती थी कि जो ब्रांच यहां पर रहेगी वह स्थायी रूप से रहेगी और नजदीक के जिलों के मुकदमे तय कर दिया करेगी जिससे जल्दी मुकदमे तय हो जायेंगे। लेकिन आज यहां पर यह देखा जाता है कि जज स्थायी रूप से यहां पर नहीं रहते बल्कि २ या ३ जज यहां पर आते हैं और मुकदमों को तय करते हैं। ऐसी सूरत में उनको आने जाने का भत्ता, टी० ए० और डी० ए० दोनों ही मिलने का हक उनको हासिल रहता है। इससे गवर्नमेंट का काफी खर्चा हो जाता है। साथ ही साथ इसकी दूसरी खराबी यह है कि जो यहां के नजदीक के जिले हैं उनमें से फ़ैजाबाद और सुल्तानपुर का ताल्लुक है, और मेरी बातचीत उन लोगों से हुई, और इस सदन में इन जिलों के जो माननीय सदस्य हैं कल उनकी बातचीत से भी यही भावना मालूम हुई कि इन जिलों के मुकदमे लखनऊ ब्रांच में हों। लेकिन बावजूद इसके उनके मुकदमे इलाहाबाद में सुने जाते हैं। जो जिले लखनऊ से पश्चिमी क्षेत्र में हैं यानी पहाड़ी जिले और मेरठ कमिश्नरी और रुहेलखंड कमिश्नरी के जिले हैं उन लोगों को लखनऊ होकर दो सौ मील आगे और जाना पड़ता है। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब लखनऊ में हाई कोर्ट की एक शाख रहती है तो क्यों न उनके मुकदमे दो सौ मील इधर ही सुन लिये जायं? इसमें कोई राज नहीं मालूम होता है? क्या वजह है कि गवर्नमेंट ज्यादा ख़र्चा भी करती है और मुकदमे वालों को भी कोई सुभीता नहीं होता। ऐसा तरीका जिसमें पश्चिमी जिले वाले अपने मुकदमे फैसल कराने के लिये लखनऊ होकर २०० मील आगे इलाहाबाद जाते हैं और इलाहाबाद के जजेज़ आन टुअर लखनऊ आते हों तो अगर मैं यह कहूं तो ग़लत नहीं होगा कि हमारे प्रदेश में जहां तक न्याय का सम्बन्ध है कुछ जुगराफिया ही ग़लत हो रही है। या तो लखनऊ की ब्रांच स्थायी रूप से रख दी जाय या लखनऊ ब्रांच को न रखा जाय। लेकिन अगर नहीं रखी जायगी तो लोगों को नुकसान होगा। यहां पर बड़ी आलीशान इमारत है जिसमें

हाई कोर्ट के दस जज काम कर सकते हैं। और अगर दस जज स्थायी रूप से यहां रख दिये जायं तो ऊपर के जितने जिले हैं, रुहेलखंड, मेरठ और कुमायूं कमिश्नरी के, उनके मुकदमे यहां तय हो सकते हैं। इसलिये मैं माननीय न्याय मंत्री जी से कहूंगा कि जहां तक हो सके वह इस सम्बन्ध में जनता की सुविधा का ध्यान रखें ताकि उनके मुकदमे कम खर्च और आसानी के साथ तय हो सकें। क्योंकि आज तो यह ख्याल है कि मुकदमे करने वालों को केवल कोर्ट फीस ही नहीं देनी पड़ती है, जो कि एक तरीके से यह भी दुर्भाग्य है कि हम को कोर्टफीस देनी पड़ती है, जस्टिस व्हिच इज सोल्ड इज नो जस्टिस, इसके अलावा तीन गुनी कीमत देनी पड़ती है। वकीलों की फीस देनी पड़ती है और मुकदमे के दूसरे खर्चे बरदाश्त करने पड़ते हैं। दिन भी ज्यादा लगाने पड़ते हैं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, न्याय के मामले में जैसा न्याय अंग्रेजी शासन काल से होता आया है, अभी तक वैसा ही चल रहा है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि अभी तक वही प्रथा चल रही है। वह प्रथा हमारे लिये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसमें इक्विटी (Equity) दब गयी और ला (Law) काम में लाया जा रहा है। कानून बनाया जाता है वास्तविक न्याय की रक्षा करने के लिये, परन्तु जब ला (Law) इस तरह का बन जाता है कि इक्विटी (Equity) खत्म हो जाय तो वह ला (Law) असल में एक अन्याय हो जाता है।

यहां पर जो कानून है, जैसे मुखालफाना कब्जा या रहननामे की सूरत में दो गवाह चाहिये और यह भी सबूत होना चाहिये कि दस्तखत गवाहों के भी और रहन करने वाले के भी हर एक गवाह के सामने हुए हैं। इन बातों में अगर कहीं कमी है तो मुकदमा ही खारिज हो जाता है। यह असल में अन्याय है। और चूंकि यह मामला सरकार के समक्ष है मैं न्याय मंत्री से यह अर्ज करूंगा कि न्याय को सरल किया जाय और वास्तविक न्याय, जो इक्विटी (Equity) है, उसकी रक्षा की जाय, न कि कानून ऐसा बनाया जाय कि जो उसको इतना जकड़ दे कि वास्तविक न्याय ही खत्म हो जाय।

यह सन्तोष की बात है कि हमारी जुडीशियरी (Judiciary) में जज ईमानदार हैं। मगर उनके होते हुए भी अदालतों में जो आज हो रहा है वह सत्य की जगह असत्य चल रहा है। कोई भी मुकदमा बिना झूठ के बोले कामयाब नहीं हो सकता। चाहे मुकदमा कितना ही सत्य हो उसमें भी झूठी गवाहियां देनी पड़ती हैं। रुक्का हो, प्रोनोट हो, प्रोनोट में आम तौर से गवाहियां नहीं होती हैं मगर जब कोर्ट में जाता है, गवाह की जरूरत मालूम होती है। इसलिये बाद में दस्तखत कराकर रुक्का पेश करते हैं। इस तरह की हालत है कि एक ईमानदार आदमी के लिये आज कल के न्यायालय में जाकर ईमानदारी से काम करना असम्भव हो गया है। इसलिये इस बात को दृष्टि में रखना चाहिये कि वास्तविक न्याय हो और असत्य न बढ़े। लोग यह भी कहने लगे हैं कि अदालत का झूठ झूठ नहीं है। इसका असर यह हुआ कि हमारे देश का नैतिक पतन इसके कारण बहुत ज्यादा हुआ है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे अदालत में जाकर उन्हें झूठ बोलना पड़ता है और वह अपनी नैतिकता से गिर जाते हैं। इसलिये इसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

तीसरी बात यह कह देना चाहता हूं कि आज कल मुकदमात में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अगर कोई दीवानी मुकदमा हाई कोर्ट तक चला गया तो जितने का मुकदमा होता है, उसका आधा तो खर्च में लग जाता है। कहावत हो गयी है कि "जो जीता वह हारा और जो हारा वह मरा।" जीतने वाले का भी इतना नुकसान हो

[श्री रतनलाल जैन]
जाता है कि वह हारे के बराबर हो जाता है और जो हार जाता है वह खत्म हो जाता है। जिस न्याय का मूल्य पैसे से हो वह न्याय नहीं कहा जा सकता। वह न्याय के विरुद्ध है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा।

साथ में यह भी कह देना चाहता हूं कि आजकल न्याय में बड़ी देर होती है। अभी काटजू साहब ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया अगर कोई दीवानी का मुकदमा नीची अदालतों में जाता है तो दो तीन वर्ष लग जाते हैं और हाई कोर्ट में सात आठ वर्ष लग जाते हैं और यहां तक हो गया है कि एक पीढ़ी में भी बाज मुकदमे खत्म नहीं होते इतनी देर में न्याय का होना अन्याय है। "जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड" (Justice delayed is Justice denied) इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जस्टिस में देर इतनी नहीं लगनी चाहिये और कोई भी मुकदमा इतनी देर तक नहीं चलना चाहिये।

जापान में एक साहब गये थे उन्होंने बताया कि जापान में इतनी सरलता है कि एक मुकदमा दायर हुआ, किसी ने शिकायत की, फौरन ही जज ने एक आदमी भेज दिया प्रतिवादी को बुलाने के लिये और उसी रोज तय कर देते हैं। इतनी सरलता है वहां। हमारे यहां हालत यह है कि दो वर्ष लग जायं, चार वर्ष लग जायं, १० वर्ष लग जायं। हाई कोर्ट तक गया तो १० वर्ष लगना एक मामूली सी बात है। इसलिये यह सरल होना चाहिए।

एक बात मैं और अर्ज करूंगा कि आज कल ऐडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से कई जिले एक जज के मातहत हैं मगर सब-जज, सेशन जज आदि अलग-अलग हैं और सेशन जज और सब-जज आदि उन्हीं जिलों में काम करते हैं जिन जिलों के लिए वे तैनात हैं मगर जज दूसरे जिले में रहते हैं जैसे हमारा जिला बिजनौर है। उसका जज मुरादाबाद में है मगर सब जज और सेशन जज वहीं हैं। इसके लिये यह रूल बना दिया जाय कि मिसिलें वहीं रहनी चाहिएं। मिसिलों के दूसरे जिलों में जाने में बड़ा भारी खर्च होता है। कोई गवाह हो या किसी को जरूरत हो तो उसको मुरादाबाद भागना पड़ता है। बड़ी परेशानी होती है। तो यह बड़ी दिक्कत है। मैं समझता हूं कि अगर यह कर दिया जाय कि एक रेकर्ड अफसर या एक क्लर्क रख दिया जाय जो रेकर्ड रख सके तो बड़ी सहूलियत होगी। गवर्नमेंट का खर्चा बच जायगा, हजारहां रुपया जो मिसिलों के इधर-उधर भेजने में लगता है वह बच जायगा और साथ में मुकदमे वालों को भी बड़ा लाभ होगा। मैं इधर ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस प्वाइंट पर खास तौर से तवज्जह दी जाय।

न्याय मंत्री जी ने कहा था कि फौजदारी के मुकदमों में गवाह नहीं मिलते। गवाह न मिलने का एक कारण यह भी है कि अगर कोई डाके का मुकदमा है तो गवाह गवाही देने में डरता है कि अगर कहीं वह छूट कर आया तो उसके ऊपर वार करेगा और फिर कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं होगा। पुलिस उसकी रक्षा करने नहीं जाती। इस बात को भी ध्यान में रखें कि जो गवाही में दिक्कत पड़ रही है उसका कारण एक यह भी है कि आतंक है और उस आतंक का भी ख्याल होना चाहिये। इसलिये मैं इस ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि आज कल फौजदारी और डाकेजनी बढ़ रही है। इसलिये मैं उधर भी ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री महोदय, न्याय विभाग की सेवा में कुछ अपने विचार जाहिर करना चाहता हूं। एक बात तो यहां पर मैं समझता हूं कि इधर और

इधर दोनों तरफ के लोग मानते हैं और स्वयं माननीय न्याय मंत्री महोदय ने भी कहा कि जो न्याय प्रणाली पहले से विदेशी सरकार की ओर से चली आ रही थी उसी के पीछे हम चल रहे हैं और अभी तक उसको बदल नहीं सके, बदलने की सख्त जरूरत है। यह बात निर्विवाद हर एक व्यक्ति मंजूर करता है और इस बात पर भी कोई जोर देने की जरूरत नहीं कि सदन का हर एक व्यक्ति चाहे इधर बैठा हो या उधर बैठा हो यह भी महसूस करता है कि आज कल की न्याय प्रणाली बहुत महंगी है और इसमें बहुत समय भी लगता है। साथ ही साथ यह भी बात हर एक भाई मानता है कि आज जितना करप्शन कोर्ट्स के अन्दर है वह भी किसी से छिपा नहीं है। अब सवाल केवल इतना ही है कि जब हम यह जानते हैं कि रिश्वतखोरी, करप्शन वगैरह कोर्ट्स के अन्दर उतना ही साफ दिखलाई पड़ता है जिस तरह से कि सूर्य के दर्शन हमको होते हैं, तो फिर क्या वजह है कि इसकी हम रोक-थाम नहीं करते? मुझे कहना यह है कि आज आपके यहां न्यायालय का आदर्श है, मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रिमकोर्ट एक तरह से न्याय विभाग के आदर्श हैं। इन आदर्शों के होते हुए भी नीचे के न्यायालयों में इतना करप्शन रहे, नीचे के न्यायालय में तमाम भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो मैं यह कहूंगा कि इसमें सरकार का ही दोष है। इसमें और किसी का दोष नहीं है। मैं यह जानता हूं कि आज जितने डिप्टी कलेक्टर्स हैं और जितने भी आपके जूडिशल मैजिस्ट्रेट्स कायम किये गये हैं वे सब एक तरह से पुलिस की मुट्ठी में रहते हैं। आपने आज जिलों में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रखे हैं उनमें से बहुत लोग तो अभी तक अनकन्फर्म्ड हैं। उनकी सर्विसेज साल ब साल चलती हैं और वह भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रहम पर चलती हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी जुडीशियल मैजिस्ट्रेट रखे गये हैं उनका जो सम्बन्ध है वह सेशन जज से होना चाहिये। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनकी चोटी एक तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में रहती है। आज जो पुलिस का केस होता है वह चाहे कैसा भी क्यों न हो, कमजोर क्यों न हो लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डर से वह ठीक हो जाता है। वह कहते हैं कि हमें तो दूसरे साल भी नौकरी करनी है। यह तो नयों के बारे में है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी पुराने डिप्टी कलेक्टर हैं वह भी कहते हैं कि जिस तरह से पुलिस कहेगी उस तरह से अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर हमारी भी खैर नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज कल के जमाने में जब कि किसानों की फसल खड़ी है और जिस तरह का वातावरण गांवों के अन्दर है किसी ने किसी करब में आग लगा दी, या एक जगह आग लग गयी और जिसकी करब में आग लगी उसने रिपोर्ट लिखा दी कि इतने मन करब का नुकसान हो गया और इस किसान ने यह नुकसान किया तो वह सारा घर जेल में चला जाता है। अगर जमानत की दरख्वास्त देते हैं तो दरोगा कहता है कि हम आज तैयार नहीं हैं और फिर दूसरी दरख्वास्त देते हैं तो फिर दरोगा यही कहता है कि हम तैयार नहीं हैं। अब आप ही कहिये कि जब फसल खड़ी है और उस किसान के सब आदमी जेल में चले गये हैं तो इस तरह से सरकार अपना भी नुकसान करती है और जो लोग जमानत देते हैं उनको भी परेशान करती है। यह सब बातें सब-इन्सपेक्टर के रहम पर होती हैं। अगर मामला कोर्ट में भी गया तो जब तक प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर को रुपया न दिया गया तो कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात जमानत देने वालों की जांच तहसीलों में १०७-११७ की बात होती है। जब तक थानेदार न कह दे कि सेक्योरिटी देने वाला ठीक है तब तक वह नहीं माना जाता है। मैं कहता हूं कि इन सब बातों से आपके न्याय की शान नहीं बढ़ती बल्कि घटती है। मैं आपके सामने यह कहने के लिये तैयार हूं कि सरकारी आंकड़े सही बात नहीं बतलाते हैं। मैं भी आपके सामने कुछ आंकड़े बतलाता हूं। लड़कियों के भगाने में, रेप (बलात्कार), रोबरी और डकैती इन सब में चारों तरफ बढ़ोत्तरी हुई है और

[श्री मलखान सिंह]
कोई कमी नहीं हुई। मेक चलनी के सिलसिले में आज जेलखानों में कितने आदमी बन्द हैं वह इस तरह के आंकड़ों से साबित होता है। कानपुर में ७६४, लखनऊ में ४६६, आगरा में ६२८, इलाहाबाद में ३८० और सहारनपुर में ४०२। इसी तरह से मुकदमे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बतला दूं कि मुकदमे ठीक समय पर नहीं होते हैं और एक एक मुकदमे में ७०-७० तारीखें पड़ती हैं। मैं आपको यह बतलाता हूं कि सन् १९५० में आपने गवाहों के ऊपर ८ लाख ४० हजार १३५ रुपया डाइट मनी पर खर्च किया है और इसी तरह से सन् १९५१ में आपने डाइट मनी पर ८ लाख ८४ हजार १९ रुपया खर्च किया है। इस तरह आपका एक ही साल में डाइट मनी पर ४४ हजार रुपया बढ़ गया। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके देखें कि ये बातें क्यों हो रही हैं।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो पौधा जहां पर और जिस वातावरण में पैदा होता है, वहीं पर वह अच्छी तरह से फलता फूलता है। लेकिन हमारे लिये खेद का विषय है कि यहां अभी तक जो पौधा रहा है वह बृटिश सिस्टम का रहा है और स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भी, हमने अभी तक उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की है। जो यहां पर पौधा न्याय का था, उसको बदलने में अभी तक मुश्किल थी लेकिन अब वह बदला जा सकता है। पहले उन्होंने अंग्रेजी के अपने इस सिस्टम को बहुत समझ बूझ कर यहां पर रखा था और बदलने में उन्होंने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। यदि आज हम उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिये हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और उसको तब्दील करने में बहुत सी मुश्किलें भी होंगी। मैं समझता हूं कि उस सिस्टम में जो अच्छी बातें हैं, उनको तो हम लेलें लेकिन जहां उसकी और बातें हैं जिनसे कि समाज पर बुरा असर पड़ता है, उनको हमें छोड़ देना चाहये। इस तरह से उनका जो सिस्टम चला आ रहा है और उसका बुरा असर पड़ता है, उसका प्रभाव जनता के दिमाग पर भी बुरा पड़ता है और आज जो कचहरी या न्यायालय हैं और वहां जो न्याय होता है, आज कचेहरी में आदमी सच नहीं बोल सकता है। सच बात तो यह है कि यहां की कचेहरी में जाकर आदमी से सच बोला नहीं जा सकता है। अगर आप यह समझते हों कि कोई आदमी कचेहरी में जाकर सच बोलेगा, तो आपका ख्याल गलत है। मैं समझता हूं कि इस तरह का जो सिस्टम हमारे यहां है, उसमें आदमी कचेहरी में जाकर झूठ ही बोलेगा। आज हमारे यहां इस तरह के सिस्टम में जितनी बुराइयां हैं, उनको हमें दूर करना चाहिये, मैं समझता हूं कि पहली चीज़ जो इसमें है वह यह है कि जो हमारे जस्टिस के काम के तरीके हैं, उनमें कुछ सुधार होना चाहिये उसके लिये हमें जरूर कुछ न कुछ ऐसे तरीके निकालने चाहिये जिससे कि न्याय ठीक तरह से हो सके। मेरी समझ में यह आता है कि पंचायतों का जो सिस्टम है, वही सबसे अच्छा और उपयुक्त सिस्टम है जिससे कि जल्दी और सही न्याय हो सकता है। हमारे यहां तो पहले भी पंचायतें फैसला करती थीं और वास्तव में पंचायतों का फैसला उचित हो सकता है। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह हमारे लिये दुःख का विषय है कि हमारे यहां पंचायतों के फैसलों में भी वेस्टर्न तरीकों को ही क्यों अपनाया जाता है। मेरा अपना विश्वास यह है कि अगर हम पुराने तरीकों को अपनायें और उसी तरह के प्रयोगों को इकट्ठा करें, तो उचित फैसले होंगे। इसके लिये कहा जाता है कि इस तरह से गलत फैसले हो सकते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से गल्ती नहीं हो सकती है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह खर्च के बारे में है। आज न्याय में बहुत खर्चा होता है और इस न्याय के जरिये सिर्फ अमीर आदमी ही फायदा उठा सकता है और गरीब आदमी के लिये इसमें न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। प्रायः यह कहा जाता है कि यह कानून तो सिर्फ बड़े आदमियों के लिये है, गरीबों के लिये इसमें न्याय नहीं हो सकता है क्योंकि वह इसके लिये अधिक रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह कहा गया है कि एक आदमी ही इसके लिये उचित जजमेंट दे सकता है, तो यह बात सही नहीं है। क्योंकि जब तक आदमी, आदमी है और उसमें कमजोरियां हैं, तो यहां फैसला ठीक नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं कि कैपिटल

पनिशमेंट को एबालिश कर देना चाहिये। इसकी वजह यह है कि जिस चीज को हम दे नहीं सकते लेने के बाद, उसको हमें लेना ही नहीं चाहिये।

तीसरी चीज में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो आज कल हमारा सिस्टम है उसमें हमने जमाने की गति के अनुसार कोई तब्दीली नहीं की है। साइकालोजी के इंवेस्टीगेशन में हम यह देखते हैं कि जो हमारी क्रिमिनालाजी है वह बिल्कुल ही पुरानी हो गयी है, लेकिन हमारे सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं हुई है। एक क्रिमिनल के बारे में यह माना गया है कि वह डेलीबरेट क्रूअर होता है लेकिन साइकालोजिकल इंवेस्टीगेशन से ऐसा पता चलता है कि ऐसी भी दशायें हो सकती हैं जब आदमी बिना समझे बूझे गल्तियां करता है और वह न्याय की दृष्टि में और आज कल के कानून के दृष्टि से पाप है, अपराध है। मैं समझता हूं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसी कि मिसाल के लिये मैं आप को बता दूं कि सोम्नलामबलिज्म एक ऐसी डिजीज है जो एक दिमाग की बीमारी है। एन्जी-बिशलिज्म, विजिशनिज्म और क्लेप्टोमैनिया आदि ऐसी बीमारी हैं जिन के ऊपर मनुष्य का अपने आप कंट्रोल है नहीं। एक अनकांशस टेंडेंसी उसके ऊपर प्रभाव डालती है जिस के असर से वह गलती करता है। वह जानता नहीं है कि कानून किस चीज को रोकता है, वह मजबूर होता है। वह चूंकि एक पेशेंट है, इसलिये जरूरत इस बात की है कि उसका इलाज किया जाय। इन चीजों के साथ मैं यह चाहता हूं कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में तब्दीली हो और जो हमारा पुराना भारतीय सभ्यता का सिस्टम है वह अपनाया जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से विरोधी दल के तीन सदस्यों के भाषण सुने। जहां तक ठाकुर साहब का संबंध है उनके भाषण के संबंध में मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है क्योंकि वह एक पुराना गीत है, एक पुराना राग है कि मैजिस्ट्रेट पुलिस के कहने में रहता है। चाहे जैसी दुनिया बसा दी जाय लेकिन जो राग चल पड़ता है वह अपने ही रास्ते पर चलता है। जहां तक तिवारी जी का संबंध है, उनके विषय में भी मजबूर हो करके आज कहना पड़ता है कि वे भी केवल रिपोर्ट पर आधारित हैं और वास्तविकता की दुनिया से बहुत दूर हैं। मैं उदाहरण के तौर पर एक चीज कहना चाहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या रिपोर्ट वास्तविकता से दूर है?

श्री रामनरेश शुक्ल--वे रिपोर्ट जब हुई तब से बहुत कुछ न्याय की प्रणाली में परिवर्तन हो गया है। जैसे आप ने यह फरमाया कि मुंसिफों को तीन वर्ष या दो वर्ष तक वकालत करने के बाद ही इम्तहान में बैठने देना चाहिये। मैं आप के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि यह पहले से कर दिया गया है और जो पिछला इम्तहान हुआ है इसमें दो वर्ष की प्रैक्टिस किये हुये जो वकील हैं वही इम्तहान में बैठ पाये हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि किसी चीज का सही पता न रख करके उसकी मांग कर देना उचित नहीं है। जहां तक श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट जी का संबंध है उनके विषय में मैं यह कहूंगा कि रियासतों में जो न्याय हुआ करता था, उस न्याय की प्रणाली से इस न्याय की प्रणाली में कोई समता हो ही नहीं सकती। टेहरी की न्याय प्रणाली मुझे पढ़ने का मौका तो नहीं मिला लेकिन जैसा और रियासतों में न्याय हुआ करता था, वे भी उनके छोटे भाई हैं, वहां भी वही न्याय प्रणाली रही होगी। उनको इस न्याय प्रणाली से संतोष होना बड़ा कठिन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय न्याय मंत्री जी से एक दो बातें निवेदन करूंगा। यह सच है कि लखनऊ में बेंच बनाई गयी। पहली बात तो यह समझ में नहीं आती कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट हो और लखनऊ में उसकी बेंच रहे। पंजाब की एक कहानी हम बचपन में सुना करते थे कि लाहौर में कालेज हो और लोधियाना में उसका होस्टल हो, ठीक वही चीज यहां चरितार्थ हो रही है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट हो उसकी एक बेंच लखनऊ में विराजमान रहे, वह इसलिये कि लखनऊ के कुछ बड़े वकीलों को खुश करना है, मैं समझता हूं कि यह अनुचित है। लेकिन अगर उनको खुश करना लाजिमी ही है तो वे बातें जो मैंने कही

[श्री रामनरेश शुक्ल]
थीं कि यह अंग्रेजों के जमाने का बसाया हुआ लखनऊ है, इस का मुकाबला इलाहाबाद नहीं कर सकेगा, जब हमारा जमाना आयेगा। मालूम यह पड़ता है कि वह सब चीजें भूल गयीं। लेकिन अगर यह मुनासिब ही है कि एक बेंच लखनऊ में हो तो फिर प्रतापगढ़ को लखनऊ में क्यों शामिल कर लिया गया है। अवध में हम को रखिये, अवध में हम रहेंगे लेकिन हाई कोर्ट इलाहाबाद में रहने दीजिये। बहरहाल हमारे यहां जाने में आप को क्या दिक्कत है, हमें वहां जाने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि दीवानी अदालतों की जो इमारतें हैं वह बड़ी खराब हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां जो दीवानी अदालत की इमारत है, वहां यह कहावत मशहूर है और ठीक भी है कि जब पहले-पहल अंग्रेज यहां आये थे तब उस जमाने में उनकी फौज के घोड़े उसमें बांधे जाया करते थे। उसकी हालत बहुत बुरी है और उसकी तरफ भी कुछ ध्यान होना जरूरी है। अलावा इसके हमारे यहां सेशन जज तो रहते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज साहब रायबरेली में तशरीफ रखते हैं, यह भी कठिनाई है।

यह जितनी घरेलू बातें हैं इनको छोड़ कर अब मैं एक दो शब्द सिद्धांत की बातों पर कहना चाहता हूं। श्री तिवारी जी ने कहा कि पंचायत अदालत में चुनाव हो करके तब पंचायत अदालत बननी चाहिये। मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ खराबी इस वक्त प्रान्त की न्याय शासन प्रणाली में है उसकी जिम्मेदारी पंचायती अदालतों पर है। इसलिये या तो पंचायती अदालतें हटा दी जायं या अगर वह तोड़ी न जायं तो जैसा कि वांचू कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पंचायती अदालतों के पंचों की नामजदगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जिस संस्था से चाहिये, होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह बात सत्य है कि जहां तक वकीलों का संबंध है मैं बिलकुल सहमत हूं शिव कुमार जी से कि कुछ ऐसा रास्ता हमें निकालना है कि आज जो एवीडेन्शल जस्टिस हो रही है जिसके अन्दर इसका संबंध हो, आज की जो न्याय प्रणाली है वह ठीक वैसी ही मालूम पड़ती है जैसे एक लकड़ी को बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनाकर किसी जगह पर खड़ा कर दिया जाता है। इस में जीवन नहीं है, इस में सत्यता नहीं है क्योंकि इसमें एक हाव भाव और देखाव है, चारों तरफ ऐसा किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं यह प्रार्थना करूंगा कि बड़े बड़े अपराधी होते हैं, जनता जानती है, और गवर्नमेंट जानती है और सब जानते हैं कि यह कत्ल किये चला आ रहा है लेकिन वह ठाठ से अदालत से छूट कर चला आता है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि गवर्नमेंट कोई ऐसी प्रणाली निकाले कि जिससे सत्य का सत्य और झूठ का झूठ हो जाया करे।

श्री मुश्ताक़ अली खां (जिला बदायूं)--जनाबवाला, जो तकरीरें इस सिलसिले में हुई उनको मैं गौर से सुनता रहा हूं। मुझे चन्द बातें अपने हलके के बारे में कहनी हैं। मैं यह नहीं अर्ज करूंगा कि न्याय कैसे होना चाहिये। मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास मुंसिफों की कमी है और आइन्दा जब कम्पटीशन होगा तब काफी आदमी मिल सकेंगे। मैं यह मालूम करना चाहूंगा कि वह इस सिलसिले में अपनी पालिसी कतई तौर पर बतला दें ताकि हम अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की शिकायतों का जवाब दे सकें। मैं बदायूं जिले से आया हूं। वहां ५ तहसीलें हैं और पहले हर तहसील में एक मुंसिफ रहा करता था। कुछ अदालतें बनी हुई हैं और वहां थोड़े से अहलकार अब भी काम कर रहे हैं मगर एक अरसे से वहां मुंसिफ नहीं हैं। मैं सहसवान से आया हूं और वहां १ साल पहले तक मुंसिफ था। हमारे यहां काफी बड़ी तहसील है और गुन्नौर के लोगों को जो कि अलीगढ़ और बुलन्दशहर से मिली हुई है और जो पहले सहसवान आया करते थे उन्हें अब २५ मील और जाना होगा। इसके अलावा मुफस्सिलात के वकला वहां के इलाकों और लोगों से वाकिफ हैं और उनकी जरूरतों को समझते थे। अब उनको बदायूं जाना पड़ता है जो कि वहां से ७५ मील है। क्या इस सिलसिले में हुकूमत यह पालिसी बना सकती है कि मुफस्सिलात में मुंसिफ साहबान न रखे जावें?

मैंने एक सवाल किया था और यह जवाब मिला था कि चूंकि सहसवान में काफी काम नहीं है इसलिये वहां से मुंसिफ को हटा लिया गया है। लेकिन काम तो वहां उतना ही है जितना पहले था। अगर वहां काफी काम नहीं होता तो सहसवान की मुंसिफी के काम को तीन जगह में तकसीम नहीं किया जा सकता था। मगर वहां के अब जितने मुकद्दमे हैं वे बदायूं जाकर दायर होते हैं। तो क्या हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती है कि किसी मुंसिफ को वह सहसवान में या किसी दूसरी जगह तैनात कर दे और वह खफीफे के २५० रुपये तक के मुकद्दमात भी सुन सके? एक मेरी गुजारिश यह है कि मुंसिफ के न होने से बड़ी दिक्कत है। वकला भी बहुत परेशान हैं।

दूसरी बात जिसके बारे में और मुअज्जिज भाइयों ने भी कहा यह है कि हाई कोर्ट की अदालत की दुश्वारी है। हम लोगों को जो कि पश्चिमी अजला में रहते हैं क्या जरूरी है कि हम मजबूर किये जावें कि हम अपने मुकद्दमात के सिलसिले में इलाहाबाद ही जाकर पैरवी करें? जब हाई कोर्ट और चीफ कोर्ट को एक कर दिया तो हम कोई वजह नहीं पाते कि हमको मजबूर किया जाय कि हम अपने मुकद्दमात के लिये लखनऊ को छोड़कर इलाहाबाद जावें। मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं गवर्नमेंट पब्लिक के लिये यह आसानी पैदा करती।

(इस समय ४ बजकर १९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

पश्चिमी जिले जैसे मेरठ, सहारनपुर, वगैरह के रहने वाले क्यों मजबूर किये जाते हैं कि अपने मुकद्दमे के लिये लखनऊ को बीच को छोड़कर इलाहाबाद ही जावें। अंग्रेजों के जमाने में मुझे खयाल है कि चिन्तामणि एडीटर आफ दि लीडर जब इस सदन के मेम्बर थे हमेशा इस सवाल को उठाते रहे कि इलाहाबाद के साथ अंग्रेज वह सलूक नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिये।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, **जब मैंने** वकालत शुरू की थी हमारे देश में उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत में जितनी बुराइयां थीं वह सब रायज थीं। लेकिन आजाद हो जाने के बाद भी अदालतों में जो काम हो रहे हैं उनमें अंग्रेजी हुकूमत के सामने से जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया है। जो हालत तब थी वही हालत आज भी मौजूद है। सरकार ने इस बात को बड़े जोर से कहा कि जुडीशियल और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो जायगा। आजादी के पहले हमने भी बड़े जोर से चिल्ला चिल्लाकर कहा कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो जायगा लेकिन यह काम अभी तक यदि कुछ हुआ भी है किसी अंश में तो वह इतना अधूरा हुआ है कि वह एक प्रहसन है। एक मजाक की चीज सी रह गयी है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि जस्टिस का नग्न चित्र मूर्तिमान करना है तो जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेट होना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही अनिवार्य है और इसे इतने साहस से करने की आवश्यकता है कि इसमें अविलम्ब कार्यवाही हो और देरी की कोई गुंजाइश बाकी न रह जाय। अदालतों में आज विशेष रूप से जो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स में क्लायन्ट्स आते हैं दिन भर बैठे रहते हैं मैजिस्ट्रेट्स एक्जीक्यूटिव के काम में जिले के गांव-गांव में दौरा करते हैं और आये दिन केसेज पोस्टपोन हुआ करते हैं। नतीजा यह होता है कि दिन भर बैठा हुआ मुवक्किल परेशान हो कर चला जाता है और उसे कोई सरटेन्टी नहीं रहती कि उसका केस कब लिया जायगा। मैं अपने आजमगढ़ जिले की बात जानता हूं कि गांवों से दूर-दूर से मुअक्किल आते हैं और दिन भर परेशान होकर चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जुडीशियरी के बारे में एक आतंक और भय लोगों पर छाया रहता है। जब वे कोर्ट में आते हैं तो वे इस वातावरण में नहीं आते हैं कि जस्टिस मिल जायगा बल्कि वैसे ही डरे हुये वहां जाते हैं जैसे कि पुलिस से डरते रहते हैं। जस्टिस भी डरानेवाली और परेशान करने वाली चीज हो गई है। इसका एक ही उपाय है। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक

[श्री पद्मनाथ सिंह]

माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप बड़े साहस के साथ चाहे जितना भी खर्चा पड़े, चाहे जितनी परेशानी उठानी पड़े, एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का सेपरेशन बिलकुल कर दें और उसमें कोई हिचकिचाहट या हाफबे बात न करें वरना कोई अन्तर नहीं होगा। बजट तो जरूर पास हो जायगा और उसकी आवश्यकता भी है जस्टिस के ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये लेकिन अगर देश में एक स्वतंत्र जुडीशियरी रखनी है, अगर अंग्रेजी हुकूमत के जमाने से विभिन्नता रखनी है तो अविलम्ब बिना किसी हिचकिचाहट के आपको एक्जीक्यूटिव से जुडीशियरी को सेपरेट करना है।

इसके बाद जो हाई कोर्ट का बाईफरकेशन यानी विभाजन इलाहाबाद हाई कोर्ट और ब्रांच आफ हाई कोर्ट ऐट लखनऊ है वह बड़ी हिचकिचाहट से हुआ है। बड़े ही लहजे से, बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ वह कदम उठाया गया है। लेकिन आज उसका नतीजा क्या हो रहा है कि लखनऊ बार असोसियेशन डेली डेटरीओरेट कर रहा है। क्लायन्ट भी परेशान है और बार असोसियेशन भी परेशान है कि क्या यह ब्रांच जो रहा है वह भी इलाहाबाद चला जायगा और लोग समझते हैं कि दो तीन चार वर्ष में यह ब्रांच अबालिश हो जायगी यह जेनरल चर्चा है। और यह चर्चा क्यों है, मैं नहीं जानता, शायद इसलिये है कि वहां की बिल्डिंग का एक्सटेंशन हो रहा है और यहां की इमारत खाली पड़ी हुई है। अगर इसको अबालिश करना है तो अबालिश कर दिया जाय ताकि क्लायंट्स के दिलों में कोई बात पैदा न हो और अगर नहीं करना है तो यह ५२ जिलों का सूबा है तो इस तरह से कर दिया जाय कि जो जिले उससे पास हों उनको उससे संबंधित कर दिया जाय। जैसे कानपुर यहां से पास है और सीतापुर वगैरा पास हैं तो उनको यहां से मिला दिया जाय। इसी तरह से जो जिले इलाहाबाद के पास हैं उनको वहां से कर दिया जाय। आज सब से ज्यादा जरूरत तो इस बात की है कि जस्टिस ठीक तरह से हो ताकि पब्लिक के मन में जस्टिस के प्रति एक आदर हो, स्टेबिलिटी हो। इस बात का निर्णय कर दिया जाय कि हाई कोर्ट किस तरह से काम करेगा। इस बात पर साहसपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लखनऊ ब्रांच को इसलिये अबालिश नहीं किया जाता है कि इससे लोगों के सेंटीमेंटल व्हिम्स को अफेक्ट होगा और फायनेलाइज भी नहीं किया जाता है क्योंकि उसको ठीक नहीं समझा जाता है। इस तरह से हिचकिचाहट होना पब्लिक और क्लायंट्स के दिमाग को डेटरोरियेट करता है और नुकसान पहुंचाता है।

मैं नम्र निवेदन करूंगा और इन दोनों बातों की तरफ, एक तो जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन और दूसरे इस इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ ब्रांच की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह साहस से कदम उठावें और निश्चित रूप से अपना कदम उठायें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, इस वाद विवाद में सदन केवल दो तीन बातों में उलझा हुआ है। मैं दो तीन सुझाव रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर गौर करेंगे। पहली बात तो यह है कि आज कम से कम यदि सन् १९३६ और १९३७ ई० से हिसाब लगाया जाय तो १३, १४ वर्ष कांग्रेसी शासन को हो गये हैं और अगर १९४६ से भी देखा जाय तो तब भी सेंटर में और हमारे सूबे में ७ वर्षों से कांग्रेसी शासन है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेसी शासन का रवैया कुछ निराला है और इसको बहुत देर में अक्ल आया करती है। जैसे प्लानिंग के मसले को देखिये कि ६ साल तक प्लानिंग विहीन रह कर हुकूमत चलती रही फिर कहीं इसका सवाल सामने

आया। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद सब से पहला काम यह होना चाहिये था कि इंडियान पैनल कोड, सिविल प्रोसीडयोर कोड और क्रिमिनल प्रोसीडयोर कोड में आमूल परिवर्तन यानी एक ड्रास्टिक चेंज होना चाहिये था। आज कांग्रेस इतने दिनों से हमारे देश में शासन कर रही है लेकिन इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया।

हमारे एक माननीय सदस्य ने जापान की बात कही। चीन की नई मिसाल ले लीजिये वहां उन्होंने अपने यहां पैनल कोड को सस्पेंड कर रखा है और सिर्फ खून के और कुछ औरतों के मामले के ही कानून रह गये हैं। वह नये सिरे से कोशिश कर रहे हैं और उनमें आमूल परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। वह वकीलों की सर्विसेज के नेशनलाइजेशन के सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, जैसी कि हमारे देश की व्यवस्था है कि आम तौर पर लोग समझते हैं कि अगर कहीं जगह न मिले तो या तो टीचर हो गये या फिर वकील हो गये। नतीजा यह होता है कि केसेज की तादाद तो कम होती है और वकीलों की तादाद बहुत बढ़ जाती है और उनको केसेज नहीं मिल पाते। इसलिये वह केसेज लाने के लिये एजेंट्स रखते हैं जो मुकदमों को बढ़ाते हैं। सरकार से मेरा निवेदन यह है कि इस किस्म से उनको नियुक्त करे। लोगों की परीक्षा लेकर सब वकीलों को सरकारी नौकर बना लिया जाय और उनका लोएस्ट और हाइएस्ट ग्रेडेशन हो। इस तरह से अगर सरकारी व्यवस्था की जायगी तो काफी सहूलियत होगी। पहली सहूलियत तो यह होगी कि जो गरीब लोग हैं और पैसा न होने से न्याय नहीं पा सकते हैं और वकीलों को फीस नहीं दे सकते हैं तो उनको मुफ्त में वकील दिये जायं और जो लोग हाई कोर्ट वगैरा में जा सकते हैं और खर्चा बरदाश्त कर सकते हैं, उनसे माकूल फीस ली जाकर सरकारी खजाने में जमा किया जाय और वकीलों को मासिक तनख्वाह दी जाय। यह हो सकता है कि फीस ज्यादा हो और तनख्वाह कम हो। इससे कुछ बचत भी हो सकती है।

दूसरी बात जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन के सम्बन्ध में है, इस सम्बन्ध में सरकार ने हाफ हार्टेड मेजर्स लिये हैं। उधर हालत यह है कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स १९५ हैं उनमें से केवल ६३ परमानेंट हैं और १३२ टैम्पोरेरी हैं। और जहां उनको ज्यादा ऊंचा पद देने की बात की जाती है उनकी तनख्वाहें ३०० रुपये से शुरू होती हैं और २ वर्ष में २५ रुपये साल तरक्की देकर ५०० रुपये पर खत्म हो जाती है। कोई दूसरा प्रोत्साहन नहीं मिलता। जब कि एस० डी० एम० को ४५० से शुरू करते हैं और २५ रुपये साल तरक्की देते हैं और आगे चल कर वह जिलाधीश भी हो सकते हैं और दो हजार या डेढ़ हजार तक उनकी तनख्वाह पहुंच सकती है। एस० डी० ओ० और तहसीलदार भत्ते के जरिये से भी अपने वेतन को कम्पेनसेट कर लेते हैं लेकिन जुडीशियल आफिसर्स के केस में यह भी गुंजायश नहीं है क्योंकि उनको एक जगह पर रहना पड़ता है। इतनी कम तनख्वाह पर उनका ईमानदारी से काम करना असंभव है।

दूसरी बात यह है कि आई० पी० सी० में आमूल परिवर्तन करने की बात तो दूसरी है लेकिन इतना तो बहुत आसानी से किया जा सकता है कि तफतीश के समय पर पाबन्दियां लगाई जायं। शिनाख्त के समय में भी पाबन्दी होनी चाहिये कि इतने दिन के अन्दर शिनाख्त हो जानी चाहिये। पुलिस जो ठीक ढंग से मुकदमों की पैरवी नहीं करती उसके लिये इस बात का इन्तजाम होना चाहिये कि वह ठीक ढंग से करे। मैजिस्ट्रेटों के बीच में जो मुकद्दमों का बटवारा होता है उसका कोई खास नियंत्रण जिलाधीश के जरिये नहीं होता, कोई किसी को दे दिया और कोई किसी को दे दिया,

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इस सबका नियंत्रण होना चाहिये। सब से जबरदस्त बीमारी यह है कि हर मैजिस्ट्रेट को यह हक है कि वह अपने मुकदमे को कुछ खास अदालतों में ट्रान्सफर कर सकता है। एक दो महीने मुकदमा चला और फिर एट विल (स्वेच्छा से) दूसरी अदालत में ट्रान्सफर कर दिया। इस तरह से हजारों की तादाद में मुकदमे ऐसे हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं और वकीलों, फरीकैनों और मुवक्किलों का वक्त बरबाद होता है। वकीलों के कहने से मुकद्दमे ट्रान्सफर होते हैं। क्रास एग्जामिनेशन में ज्यादा देर लगती है। चालान के साथ सब कागजात मुरत्तब करके नहीं भेजे जाते। दूसरी तरफ जो डिफेन्स विटनेसेज होते हैं उनकी तरफ से कोई न कोई बहाना करके तारीखें पड़ती रहती हैं जिससे वकीलों को फीस ज्यादा मिलती है। अगर वकीलों का सरकारीकरण किया जाय तो ये सब बातें अपने आप ठीक हो सकती हैं और मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर माननीय मंत्री जी गौर करेंगे।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्याय मंत्री का ध्यान कुछ बातों की तरफ आकर्षित करूंगा और उसके पहले मैं उनको धन्यवाद भी अदा करूंगा। जहां तक उनके विभाग का ताल्लुक है कोई ऐसा कानून उन्होंने नहीं बनाया जिसके बारे में कोई शिकायत की जाय। इस सदन के अन्दर हमारे बहुत से माननीय सदस्यगण ने यह बतलाया कि जो पुराने कानून थे, वे बहुत खराब थे और उनकी वजह से खराबियां चली आती हैं। फिर यह बतलाया गया कि मुकदमों के फैसल होने में बहुत देर लगती है। मैं यह जानता हूं कि जब यहां चीफ कोर्ट थी तो ९९.९ फीसदी मुकदमों की जो पहली तारीख मुकर्रर होती थी उस पर फैसला हो जाता था। लेकिन अब तो कम से कम ७ दफा एक शख्स आये तब उसका फैसला होता है। दूसरी जगह भी यही हालत है। जैसे गोंडे में एक जगह उतरौला है जहां तीन चार साल से प्रेसाईडिंग आफिसर नहीं हैं लेकिन वहां का मुनसरिम, दफ्तरी और चपरासी सबको तनख्वाह दी जाती है। पारसाल भी मैंने इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाया था लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो कानून आज बनता है चाहे किसी कानून को देख लीजिये, पंचायत राज ऐक्ट को देख लीजिये, रेंट कंट्रोल ऐक्ट को देख लीजिये सब इस तरह के कानून बनते हैं जिनमें साल भर में कम से कम तीन बार तरमीमें आती हैं। अभी जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट में गवर्नर महोदय का तीसरा आर्डर जारी हुआ है। एक संशोधन भी हो चुका है, अभी पहली जुलाई, सन् १९५२ ई० को वह लागू हुआ। अभी नौ महीने भी नहीं हुये और यह सब हो गया। इसी तरह से एक और कानून हमारे यहां बन गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी जो जंगल ला कहा जाता है उस तरह का बन गया। १३५९ फसली में जिसका कब्जा जिस जमीन पर हो वह उसका अधिवासी हो जाय। क़ब्जा करने वाला कमजोर आदमी तो होगा नहीं, वह तो लठैत होगा। लट्ठ लेकर उसने क़ब्जा कर लिया १३५९ में और हमारे यहां कानून बन गया कि जिसने क़ब्जा कर लिया वह उसका अधिवासी हो गया।

अब यह कहा गया कि इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अमेंडमेंट हो। तो खैर उनका अमेंडमेंट प्राविंशल लेजिस्लेचर के बाहर है। यह तो बड़ी ख़ैरियत है कि उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ। जैसे प्राविंशल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट है उसकी रू से जो नया मुंसिफ होता है वह तीन चार साल तक जब तक काम नहीं कर लेता तब तक उसको प्राविंशल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट में पावर्स नहीं दी जातीं, यानी खफीफा के मुकदमे नहीं कर सकता। मगर हमारे पंचायत राज ऐक्ट में यह नियम कर दिया गया कि जो पंच का फैसला हो उसका रिवीज़न होगा मुंसिफ के यहां। यानी रिवीज़न तो मुंसिफ सुनेगा जिसके खिलाफ को दादरसी क़ानून में नहीं है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य असंगत सी बात कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पंचायत कानून का सवाल नहीं है। यहां तो न्याय विभाग का सवाल है। कोई कानून इस सदन में जो पास हो जाय जब तक वह कानून सदन के सामने पेश न हो उसकी टीका टिप्पणी नहीं हो सकती।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा--अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। परन्तु चूंकि यहां दूसरे कानूनों का हवाला दिया गया इसलिये मैंने भी कहा, गो कि असंगत है मगर चूंकि कानून पेश करने की बात कही गयी, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड का भी नाम लिया गया इस कारण मुझे भी साहस हुआ कि मैं भी कुछ अपनी तबा आजमाई कर लूं। मेरी तबियत में जो कुछ है वह मैं भी कह डालूं। इस कारण मुझे साहस हुआ परन्तु मैं आपके आदेश को मानता हूं और इस बात को भी मानता हूं कि हां वह असंगत बात है। मैं यह कह रहा हूं कि न्याय के सिलसिले में जो कुछ बातें हो रही हैं उसके मुताल्लिक अगर हम इस बजट को उठा कर देखें तो हमें मालूम होगा कि इसमें एक बहुत बड़ी रकम लगान के सिलसिले में जो मुकदमे चल रहे हैं उनके बारे में है। उनके हुक्कामान की तामील के सिलसिले में कई हजार रुपया रखा गया है। लेकिन एक जगह मैंने देखा कि मेडिसिन के लिये १०० ही रक्खा गया है। हजारों लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन मेडिसिन के लिये केवल १०० रुपया रक्खा गया है। अब देखना यह है कि वाकई न्याय अच्छी तरह से होता भी है। न्याय पर टीका-टिप्पणी तो मैं इस वक्त नहीं करूंगा। क्योंकि अन्त में कुछ बातें उनमें अच्छी भी हैं लेकिन देरी बहुत ज्यादा होती है। जैसी कि गोंडा की मिसाल मैंने दी। उसमें रुपया भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है और पब्लिक को परेशानी भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मुकदमा दायर तो मुन्सरिम उतरौला के यहां होता है और फिर वह गोंडा या तरबगंज को मुन्तकिल कर देता है। जब डिग्री होती है तो फिर उसे दरख्वास्त देनी होती है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह का जो बेजा खर्चा होता है और जो तरीका गलत चला आ रहा है उसको बन्द किया जाय।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब सदस्यों का जिन्होंने कि तकरीर की हैं शुक्रगुजार हूं। उन तकरीरों में कोई अहम ऐतराज इस किस्म का नहीं हुआ जिससे मैं यह समझूं कि मेरे विभाग में कोई बड़ी खराबी है जिसकी वजह से लोगों को बेइत्मनानी है। लिहाजा जो तजावीज पेश हुई जिनका ताल्लुक डिपार्टमेंट की बेहतरी से था, सब ऐसी हैं जो गौर करने के काबिल हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की [illegible] व जल्द से जल्द की जायगी। [illegible] ऐसी हैं जिनका हवाला खास तौर से दिया जाता है।

माननीय तिवारी जी ने इस बात की शिकायत की कि बॉंचू कमेटी की रिपोर्ट को एक डेढ़ साल हो गया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बहुत सी ऐसी बातें हैं मसलन जमानत के सिलसिले में अदालतों को क्या कार्यवाही करनी चाहिये उसके मुताल्लिक हमारे यहां से अहकाम जारी हो गये हैं। इसी तरह से मुआयना वगैरा के मुताल्लिक भी अहकाम जारी हो गये हैं और यह कह दिया गया है कि वे मुआयना करें और यह देखें कि काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। जहां तक मैं समझता हूं इन बातों के ऊपर अमलदरामद हो रहा है। ऐसी और भी बातें हैं जो हो रही हैं नीज जिनको कर सकते हैं उनको किया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी-बड़ी बातें हैं जैसे कि उन्होंने यह तजवीज किया है कि दो डिस्ट्रिक्ट जज बैठ कर अपीलों को सुन लिया करें और अपील का फैसला वहीं हो जाय, यह ऐसी चीज है जिस पर अभी तक फैसला नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं कह सकता कि आखिरी फैसला क्या होगा क्योंकि बाज अहम रायें ऐसी हैं जो उसके मुआफिक हैं और बाज अहम रायें उसके खिलाफ हैं।

[श्री सैयद अली जहीर]

दूसरे कमिश्नरों और रेवेन्यू बोर्ड के अबोलीशन की बात है, कहा नहीं जा सकता कि यह कहां तक मुनासिब होगा और यह कि हमें यह करना चाहिये या नहीं। इब्तदाई तक़रीर में मैंने जैसा कहा कि जमींदारी को अभी खत्म किया गया है, हम नहीं जानते कि उसकी रेवेन्यू के मुकदमों पर क्या शक्ल और सूरत होगी और उसके लिये कमिश्नर और बोर्ड आफ रेवेन्यू को रखना होगा या नहीं रखना होगा। बहरहाल ये मामले ऐसे हैं जिन पर यकायक फैसला नहीं किया जा सकता। यह रिपोर्ट बहुत पुरानी रिपोर्ट है और इसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर प्रोसीजर और उनके फैसलों के मुताल्लिक हर तरह से ग़ौर किया गया है। और बहुत सी ऐसी उसूली बातें हैं जिनके ऊपर एकाएक फैसला करना किसी तरह से मुनासिब नहीं होगा। जो कुछ वक्त हम गुजार रहे हैं, यह नहीं कि बेकार वक्त गुजार रहे हैं बल्कि और भी ऐसे जजों और ऐसे लोगों की रायें जो मुस्तसना हैं वे भी हमारे यहां हैं और जब हम इन सब बातों पर ग़ौर कर लेंगे तो उसके ऊपर जो कदम उठावेंगे वह ऐसा होगा जो कम से कम हमें उम्मीद है कि उसको पब्लिक एप्रिशिएट करेगी। बहुत सी तरमीमों की जो तजवीजें दी गयी हैं उनमें कई एक को गवर्नमेंट आफ इंडिया को करना पड़ेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सिलसिले में तरमीम करनी होगी। तो जाहिर है कि अगर कोई पसन्द न करे तो भी जब तक कि इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया को तरमीम करना मंजूर न हो उस वक्त तक उसमें कुछ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो इन वजहों से उसमें देर हो रही है।

जहां तक जुडिशियल ऐडमिनिस्ट्रेशन का आम सवाल है मैं तो समझता हूं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो हमारे यहां जुडिशियल सिस्टम इस वक्त रायज है वह यह मैं नहीं कहता कि बुरा है या खराब है, शुरू में मैंने कहा कि उसके सिलसिले में बदकिस्मती से जो हमारे यहां की जनता है वह उसको अपना नहीं समझती। वह तो यह समझती है कि यह जो जुडिशियल सिस्टम यहां रायज हुआ है जिसकी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि उसका उसूल क्या है, किस बुनियाद पर ये कायदे बने हुये हैं यह उनकी समझ में नहीं आता है। इसका कुछ न कुछ खयाल रखना पड़ेगा। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो रखनी पड़ेंगी और अपनी जनता का खयाल बदलना पड़ेगा और उसको बतलाना पड़ेगा कि किस वजह से ऐसे कायदे बने हुए हैं और ये क्यों रायज हैं? लेकिन उसी के साथ-साथ बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिनको हमें लकीर के फकीर बन कर महज इसलिये कि वे भी अभी तक रायज हैं लिहाजा अब भी उसे रायज रखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो प्रोसीजर मुकदमों का है उसमें भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक दो रायें हो सकती हैं लेकिन यकीन यही है कि जो हम लोगों के आइडियाज आफ जस्टिस हैं या जो सही प्रोसीजर हैं वे भी उसके मुआफिक हों लिहाजा उस पर भी दो रायें हो सकती हैं। मुमकिन है कि उसमें भी हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़े लेकिन यह चीज बहुत अहम है। ऐसा नहीं है कि एकायक फैसला कर लें और उसके ऊपर अमलदरामद कर लें। ये चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे यहां चल रही हैं। एक सिस्टम हमारे यहां है और नये माहौल में आजादी के बाद उसका तजुर्बा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या खराबियां हैं और यह सब देखते देखते जब ५,१० वर्ष हो जायंगे, और हमारी इक्तसादी हालत बेहतर होगी, हमारी जनता में जागृति होगी, उनमें कुछ रोशन खयाल आ जायगा और वे समझेंगे कि वे भी इंसान हैं और एक आजाद मुल्क के नागरिक होने के नाते उनके क्या क्या फरायज हैं, तो इन सब बातों को जब वे जान लेंगे तो वह वक्त होगा जब कि हम तमाम हिन्दुस्तान की एक केन्द्रीय कमेटी बनावें जो घूम घूम कर ऐसा कानून या ऐसी तब्दीली इस कानून में सजेस्ट करे जो हमारे मुल्क के लिये जरूरी हो। बग़ैर इसके कोई बात

यकायक आज कर दें और फिर कल अफसोस करें कि क्यों ऐसी बात कर दी या देखें कि यह सही नहीं है, फिर इसको बदलें, उसको बदलें, इस तरह से खेलें तो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के लिये मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा मेरी मंशा जो कुछ शुरू में कहने की थी वह यह थी कि जहां तक यह सिस्टम है उसकी वजह से डिले देख रहे हैं इसी तरह से आप देख रहे हैं कि उसमें बहुत सी दिक्कतें महसूस हुईं और हमारे यहां की जनता इन उसूलों पर जिन पर इस कानून की बुनियाद है उससे अच्छी तरह वाकिफ नहीं है और उसमें एक बड़ा फासला है। तो इस फासले को जब हम कम कर लेंगे उसके बाद वक्त होगा कि इसमें तरमीम करें।

देर में फैसला होने और अखराजात की भी शिकायतें की गयी हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया यह सिस्टम जो मौजूदा तहजीब कही जाती है, जो तहजीबयाफ्ता मुल्क हैं उनकी यह टेंडेंसी होती है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में देर होती है और अखराजात भी ज्यादा होते हैं। उसको देखने से हमने अपने यहां के लिये इसी वजह से पंचायत के सिस्टम को रायज किया है। उसकी गर्ज यही है कि जहां तक अखराजात का ताल्लुक है वह कम किया जाय और देर भी जो होती है वह न हो। छोटे छोटे मामलों में जो सैकड़ों रुपये गरीबों के खर्च हो जाया करते थे वह उनको अपने देहात की अदालत में फैसल करा सकते हैं। हमने इसकी तरफ कदम उठाया है लेकिन कोई और बड़ा कदम एकदम उठा देना मुनासिब नहीं होगा। देर के लिये आप जानते हैं कि जुडीशियरी आजाद है और हमारा कोई ताल्लुक उसके ऊपर नहीं है। अगर वह समझे हैं कि किसी मुकदमे में इतना वक्त लगना चाहिये तो बहैसियत गवर्नमेंट उनसे हम यह नहीं कह सकते कि तुम इतना कम वक्त इसमें लगाओ। हमारे लिये तो यही है कि हम कमी न होने दें और काफी तादाद में हमने अदालतों को हाई कोर्ट वगैरा को आदमी मुहैया किये हैं। वह कितनी देर करें इसके मुताल्लिक जुडीशियरी आजाद है और अपनी जगह पर उनके ही समझने की जरूरत है और उसको फैसल करने की जरूरत है। लिहाजा मैं यह अर्ज करूंगा कि हम उनकी तादाद को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी इब्तदाई तकरीर में कहा, हमने तादाद को बढ़ाया है और जरूरत होगी तो और भी तादाद को बढ़ाया जायगा लेकिन जो देर हो रही है उसके लिये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ असबाब हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं बार बार कहने से और उनकी तवज्जह दिलाने से अदालत की तवज्जह इस तरफ होती जाती है और अब उतनी ताखीर नहीं हो रही है जितनी पहले हुआ करती थी। अगर किसी खास मामले के मुताल्लिक हो तो उसके मुताल्लिक कार्यवाही हो सकती है। अभी मुझे दो एक मामले के मुताल्लिक इत्तिला मिली तो उसमें मैंने रिपोर्ट मांगी कि जल्द से जल्द फैसल हो जाय। एक चीज और है जिसके ऊपर बहस हुई और उसका जिकर भी किया गया कि लखनऊ और इलाहाबाद के मुताल्लिक कुछ झगड़ा है। अभी इस किस्म की तजवीज यहां पर हुई कि जो जिले लखनऊ के नजदीक हों उन अजला का फैसला लखनऊ में हो। लेकिन जितने भी कटमोशन जहां तक मैंने देखे हैं और मेरी इत्तिला है इसके मुताल्लिक मैं यह समझता हूं कि कोई कटमोशन इस तरह का नहीं है कि इस सवाल को आज बहस के अन्दर उठाया जायगा कि आया लखनऊ और इलाहाबाद का जो जुरिस्डिक्शन है वह यहां रहे या वहां रहे। इसके मुताल्लिक कोई लिटरेचर भी मेरे पास नहीं है और न मैंने इस पर गौर किया था कि आया इस किस्म का कोई सवाल यहां पर उठाया जायगा।

लिहाजा जो खयालात यहां पर जाहिर किये गये हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट गौर करेगी। हमारे मेम्बर साहबान ने कुछ करप्शन के मुताल्लिक भी यहां पर जिक्र किया। मैं यह अर्ज करूंगा कि कम से कम मुझे तो अपनी जगह पर यह यकीन है कि हमारी जुडीशियरी जो हायर लेविल की है उसमें करप्शन नहीं है। मैं इसको बहुत काबिले फख्र की चीज समझता हूं कि हमारे इतने डिपार्टमेंट हैं उनमें यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर पब्लिक का काफी एतमाद है। हर मामले में बिला लिहाज इस बात के कि बाहरी असर हो वह कानून की बुनियाद पर फैसला करते हैं। यह एक ऐसी चीज है कि जिसकी हमको सख्ती से

[श्री सैयद अली जहीर]

हिफाजत करना जरूरी है। हम जनता के राज्य की कामयाबी की बुनियाद यही समझते हैं कि हमारे यहां जुडिशियरी आजाद है और इंडिपेंडेंट है और उसके ऊपर किसी का असर नहीं है सिवाय इसके कि जो कानून है जिस तरह से वह समझें वैसा वह फैसला कर सकते हैं। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारी जुडिशियरी अभी तक ऐसी रही है कि जिसके ऊपर जनता का पूरा एतमाद है। बहरहाल अगर करप्शन कहीं पर किसी के इल्म में है तो वह तफसील से एक कंक्रीट बात हमारे इल्म में आनी चाहिये सहज जनरल एलिगेशन के तौर पर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होता अगर कोई खास केस बतलाया जायगा तो मेरा फर्ज होगा उसकी पूरे तौर से इन्क्वायरी कराने का और उसका जो नतीजा निकले उसको भी मैं आपको बतलाना अपना फर्ज समझता हूं। छोटे दर्जों में भी बाज बाज जगह कुछ शिकायतें होती हैं और अगर कहीं कोई सीरियस अहम किस्म की या शदीद किस्म की करप्शन की इत्तला होती है तो मैं फौरन इन्क्वायरी कराता हूं और मेरी कोशिश होती है कि असल वाकयात मालूम हों और उस के मुताबिक अमल किया जाय और कार्यवाही की जाय। मैं अर्ज करूंगा कि हमें यह उसूल बना लेना चाहिये कि जब कभी भी कहीं कोई करप्शन की शिकायत हो तो पूरी सर्विसेज पर आम इलजाम लगाने से कोई फायदा न होगा बल्कि स्पेसिफिक केस के बारे में पूरी इत्तला देना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि जो मुलजिम हो, जिस पर इलजाम हो उसको सजा मिले। अगर ऐसा किया जायगा तो मैं वायदा करता हूं कि जहां तक हमारी हमदर्दी और सहायता का ताल्लुक है वह पूरे तौर से आप के साथ रहेगी और कोशिश की जायगी कि ऐसी बात हमारे यहां न होने पाये। आखिर में मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि जो डिमांड है उसको आप मंजूर फरमावें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो इस अनुदान के संबंध में साधारण विवाद हुआ उस से एक बात स्पष्ट हो गई कि सदन की एक मत से राय है कि सरकार को जल्दी से जल्दी जुडिशियरी और एग्जिक्यूटिव के फंकशन्स को और अथारिटी को अलग-अलग करना चाहिये लेकिन मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की कि वह कब तक इन फंकशन्स को अलग अलग कर देंगे। दूसरी बात जिस पर यहां माननीय सदस्यों का ध्यान गया वह इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच के बारे में था। हमारे शुक्ला जी को गलतफहमी हो गई कि लखनऊ की बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट का होस्टल है। मेरे कहने का उद्देश्य यह था कि अगर लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच है तो इस में हमारा कसूर नहीं है यह जो सरकार का निश्चय था वह उसने हाईकोर्ट के जजेज और गवर्नमेंट आफ इंडिया से राय लेकर तय किया था और यह सरकार अब भी निश्चय कर सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर सरकार चाहे तो सारी बेंच को उठा ले जाय और अगर यहां की ही उस की उपयोगिता समझी गई है तो यहीं रखा जाय लेकिन अगर अलग लखनऊ में रखी जाती है तो इतना जरूर खयाल किया जाय कि जो पास के जिले हों उन को करीब के हाईकोर्ट से संबंधित किया जाय और ऐसी हालत में मैं कहूंगा कि कोई कारण नहीं है कि कुमायूं को वंचित रखा जाय। अगर फतेहपुर और सुल्तानपुर और हमारे जिले लखनऊ से दूर हैं तो प्रतापगढ़ इलाहाबाद में मिला दिया जाय। इसमें कोई इलाहाबाद या लखनऊ का सवाल नहीं है लेकिन चूंकि सिर्फ सहूलियत का ही सवाल है और जब यहां बेंच रखी जाती है तो प्रश्न जरूर उठता है। मैंने वांचू कमेटी का हवाला देकर कहा था कि पंचायती अदालतें नामजद न होनी चाहिये लेकिन उस के भी गलत अर्थ लगाये गये और उन्होंने समझा कि मैं यह कह रहा हूं कि सारा जुडीशियरी सिस्टम जनता के जरिये ही चलना चाहिये। मैं फिर मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष जब फिर हम इस अनुदान पर विचार करें तब तक बहुत सी गलतियों और जुडिशियल सिस्टम की बुनियादी खराबियों की ओर ध्यान देकर हमें उन को कम करने की कोशिश करना चाहिये और जो मुकदमों में देर होती है वह भी कम होना चाहिये और जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के फंकशन्स को अलग करने की बात कही गई उस की तरफ भी खास ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--माननीय न्याय मंत्री कुछ कहेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव को अलग करने के बारे में मैंने इस वजह से जिक्र नहीं किया चूंकि मैंने अपनी इब्तदाई तकरीर ही में शायद बतला दिया था कि गवर्नमेंट ने इस तरफ अभी कोई कदम किसी वजह से नहीं उठाया था। इसलिये अब मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५--न्याय प्रशासन (लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन) के अन्तर्गत १,२२,६५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृति हुआ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

विधान सभा द्वारा जो संशोधन किये गये हैं वह नत्थी ४ में दिये हुये हैं। कोई ऐसा उसूल का मामला नहीं है। उसमें केवल तफसीली और टेक्निकल बात है जो कि यहां विधान सभा में जिस वक्त विचार हो रहा था उस वक्त हम लोग चूक गये थे तो बाद में उन चीजों का ध्यान आया। इसलिये विधान परिषद् ने उन संशोधनों को करना जरूरी समझा। मसलन एक तो यह है कि बुन्देलखंड के इलाके में हार तराटा सिस्टम है। वह सिस्टम यह है कि किसान एक जगह जहां खेती करता है, तीन चार साल के बाद वह जमीन बेकार हो जाती है, तो दूसरी जगह जाकर खेती करता है। तीन-चार, पांच साल के बाद जब उस जमीन पर खेती करने के बाद वह समझता है कि पैदावार कम हो गयी तो जहां दूसरी खाली जमीन मिले वहां पर वह खेती कर लेता है। तो यह तरीका, पद्धति हार तरेटा कहलाता है। तो इसमें यह संशोधन किया गया है कि जिस जगह उसने पहले खेती की थी, लेकिन अब खेती करना छोड़ कर दूसरी जगह खेती करना शुरू कर दिया है तो जहां वाकयी खेती कर रहा है वही उसकी जोत समझी जायगी और जिस जमीन पर पहले खेती करता था, जिसको उसने छोड़ दिया वह खाते में शामिल नहीं मानी जायगी और उसकी मालगुजारी नहीं देनी पड़ेगी। केवल उतनी आराजी पर लगान देना पड़ेगा जिस पर वह वास्तव में खेती करता है। एक तो संशोधन यह किया गया।

दूसरा संशोधन यह है कि दफा १३४ में जहां सीरदार दस गुना देकर भूमिधर बनना चाहे तो जैसा यहां से विधेयक गया उसमें केवल यह था कि जो असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज आफ सब-डिवीजन हो उसके यहां रुपया जमा करे तब जाकर भूमिधरी का प्रख्यापन मिल सकता है। अब विधान परिषद् ने यह मुनासिब समझा कि उसमें इंचार्ज आफ सब-डिवीजन निकाल दिया जाय। अगर तहसीलदार के यहां दरख्वास्त देकर भूमिधर बनना चाहे तो बन सकता है। यह भी तफसीली तरमीम है।

फिर दफा १५७ में जहां हमने कुछ ऐसे लोगों को इजाजत दी है जो अपनी जमीन लगान या पट्टे पर उठा सकते हैं उसमें पचीस साल के विद्यार्थी को भी रख दिया गया है

[श्री चरणसिंह]

जो किसी रेकाग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो। लेकिन रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की कोई तारीफ, कोई परिभाषा, नहीं दी गयी है। अब परिषद् ने जो संशोधन किया है उस के अनुसार गवर्नमेंट जिस संस्था को डिक्लेअर कर देगी, घोषणा करती है कि यह रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वह ऐसा माना जायगा।

चौथी तरमीम इस तरह की है कि किसी ने मुआहिदा किया जमींदार से कि पहले साल में एक रुपया देंगे, दूसरे साल में दो रुपया देंगे और तीसरे साल में तीन रुपया लगान देंगे, तो ऐसी सूरत में क्या मालगुजारी उस पर मुकर्रर हो। तो संशोधन यह किया गया है कि इसके सिलसिले में नियम बन जायेंगे, उनके मुताबिक मालगुजारी का निर्धारण किया जायगा, बशर्ते कि जो उसमें सब से ज्यादा मालगुजारी आखिरी साल में रखी गयी है उस से किसी सूरत में मालगुजारी से ज्यादा मुकर्रर न हो सके।

इस तरह के तीन चार संशोधन हैं और जैसे-जैसे संशोधन आते जायेंगे, अगर किसी सज्जन को उस पर कहना हुआ तो उस वक्त अर्ज कर दूंगा। मैंने आम तौर पर जो उनका अन्तर है वह बयान कर दिया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी की बातें भी सुनी हैं और कुछ संशोधनों को भी समझने की कोशिश की है। इसमें शक नहीं कि कुछ संशोधन ऐसे हैं कि जो जरूरी थे और वह केवल शाब्दिक तरीके से जो झंझट था उसको दूर कर देते हैं और यह अच्छा ही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इन संशोधनों में से अगर अधिकांश नहीं तो कई संशोधन ऐसे हैं जिन पर कि इस सदन ने सोचा ही नहीं था कि उस पर विचार करना चाहिये या उस कानून में किसी प्रकार परिवर्तन करना चाहिये। जैसे कि उन्होंने जो १२९ धारा में संशोधन करने की कोशिश की है या और भी कई ऐसे हैं। हम तो ऐसा समझते हैं कि जिस समय यह संशोधन विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया था उस के पहले माननीय राजस्वमंत्री जी के ध्यान में यह संशोधन नहीं आये थे और विधेयक में कहीं उसकी गुंजाइश नहीं की गयी।

सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि क्या इस प्रकार के संशोधन जो इस सदन में न आये हों, जिन पर चर्चा यहां नहीं हुई हो इस प्रकार के संशोधन अपर हाउस में हो सकते हैं या नहीं। इसपर तो विचार आप को करना है, मेरी उस टेक्निकलिटी में जाने की इच्छा नहीं है यदि उससे जो हमारे प्रदेश के किसान हैं उनको कुछ अधिकार दिये जारहे हों, या उनको कुछ अधिक सुविधायें प्रदान की जा रही हों।

इसके पहले हम ने कई बातों की तरफ माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाया था और जिसको वह भी आवश्यक तो समझते हैं कि होना चाहिये लेकिन कुछ इसी तरह की पेचीदगी की वजह से उन्होंने इनकार किया था कि उसके करने का समय यह नहीं है, कोई अलग से ही उसके लिये विधेयक ले आया जा सकता है, जैसे कि सन् १९३९ के काश्तकारी कानून के मुताबिक १७१ और १८० धारा से कुछ लाख किसान हमारे प्रदेश के बेदखल हो गये थे और उसके लिये हमारे प्रदेश के जिन लोगों के हाथ में हुकूमत सन् १९३७ से १९३९ तक थी उनकी ओर से एक मर्तबा नहीं अनेक मर्तबा यह बात कही गयी थी कि जिस समय हमारे हाथ में ताकत आयेगी हम उस जमीन को जो जमींदार आज बेदखल कर रहे हैं, उन्हें वापस दिलायेंगे और जिस समय सन् ४६ में कांग्रेस की हुकूमत फिर वापस आयी तो उस वक्त सबसे पहले उसने एक काम हाथ में लिया और वह काश्तकारी कानून को संशोधन करने का। उस संशोधन के बाद यह कानून बना कि जिसके अनुसार जिन काश्तकारों की बेदखली १७१ और १८० के मुताबिक हुई थी उनकी जमीन वापस दिला दी जाय और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कानून के अनुसार हजारों किसानों को जमीन

वापस भी मिली, लेकिन हजारों की तादाद में किसान ऐसे भी बाकी रह गये थे जिनको जमीन वापस मिलने वाली थी और इस वजह से उसमें देर हो रही थी कि कानून संशोधित जिस वक्त किया गया था उस वक्त यह कानून में गुंजाइश की गई थी कि जिस जमीन को सीधे जमींदार के कब्जे में पाया जाय या उसके रिश्तेदार के कब्जे में या उसके नौकर के कब्जे में तो उस तरह की जमीन को तुरन्त वापस दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य बहुत पुरानी बातें कह रहे हैं। यह इससे संबंधित नहीं है। इसको मुख्तसर में कहें उदाहरण के स्वरूप में तो मुझे कोई एतराज नहीं है मगर उदाहरण ऐसा विस्तृत नहीं होना चाहिये, मुख्तसर में होना चाहिये।

श्री गेंदासिंह---तो मैं केवल यह याद दिलाना चाहता था कि जिन्हें तुरन्त जमीन वापस न हो सकी थी उसमें इत्तफाक से बोर्ड ने यह फैसला कर दिया कि जिन लोगों के पास ३ वर्ष तक जमीन रह गई थी उनको फिर से मुकदमा दायर करना चाहिये। कानून बनाने का मंशा इस सदन का यह था कि उनको जमीन बगैर मुकदमा दायर किये हुये वापस मिल जाय। तो एक ऐसी हालत हो गई कि जिन लोगों को जमीन सरकार वापस दिलाना चाहती थी उन लोगों को भी जमीन वापस न मिल सकी सिर्फ इसलिये कि एक लफ्जी गलती हो गई और उस लफ्जी गल्ती की वजह से हजारों किसान परेशान हो रहे हैं, मुकदमेबाजी बढ़ रही है तमाम अदालतों में मुकदमे दायर हो रहे हैं और मालूम नहीं कि उसमें कब तक लड़ना पड़े। तो मेरा कहना केवल इतना ही था कि अगर इस तरह की त्रुटियां रही हैं तो उसे दूर करना उस विधेयक का उद्देश्य होना चाहिये था। इत्तफाक से जिस समय यह कानून यहां आखिर में पास किया जा रहा था उस दिन बड़ा एक अप्रिय प्रसंग आ गया और उस अप्रिय प्रसंग की वजह से हम लोगों को भी सदन को छोड़ कर चला जाना पड़ा। इतनी जल्दी थी कि ११ बजे रात में उसे पास किया गया और इसके बाद यह कानून अपर हाउस में गया। तो फिर इस तरह के सुझाव हो सकते थे कि झांसी की तरेटी की जमीन के संबंध में या १५७ में कुछ करने की बात कही गई थी तो ऐसे परिवर्तन भी आ सकते थे। हम भी इस बात की कोशिश करेंगे कि जहां पर हम देखेंगे कि वह किसानों की भलाई की बात है उसमें हम यह नहीं सोचते हैं कि ख्वामख्वाह हम उसमें अड़ंगा डालें और उसमें देर करें, लेकिन इस पर मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि क्या यह ऐसा हो सकता है कि जिस बात की चर्चा तक विधेयक में न हो उसकी चर्चा फिर हम जाकर के अपर हाउस में करें और अपर हाउस में एक नयी धारा जोड़ कर के वह हमारे सामने आये। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है। इस पर कुछ आप अपना फैसला दे दें। फिर इसके बाद हम लोगों की और बातों पर जो राय होगी वह आप के सामने पेश करेंगे।

श्री अध्यक्ष---जहां तक यह सवाल उपस्थित किया गया है कि कोई विधेयक जो यहां पारित होता है उसमें कोई ऐसा संशोधन विधान परिषद् द्वारा हो सकता है जिसका इस सदन में विचार न किया गया हो और कोई नयी धारा विधान परिषद् में पास हो सकती है या नहीं, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट है कि जब विधान परिषद् से पूरे विधेयक के विधेयक शुरू से आखिर तक पास होकर यहां आते हैं और विधान सभा को पूरा अधिकार है उस नये पूरे विधेयक पर विचार करके उसको पारित करे तो विधान परिषद् को यह भी अधिकार है कि कोई भी विधेयक जो यहां से पास होकर जाता है वह उसके ऊपर कोई नया संशोधन ऐसा करे जिस पर इस सदन में विचार न हुआ हो। अब यह दूसरी बात है कि बहुमत उसको स्वीकार न करे या जल्दी की वजह से उचित न समझें कि कोई भी संशोधन पास हो और बाद में संशोधन के लिये दूसरा संशोधन विधेयक लायें। यह सदन के सोचने की बात है। प्रस्तुत विधेयक में नयी धारा जोड़ने का उस सदन को पूर्ण अधिकार था और इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

श्री चरणसिंह---माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लायक दोस्त ने जो यह बात कही कि जो संशोधन विधान परिषद् में किया गया, मालूम होता है कि मेरे दिमाग़ में पहले से नहीं था, यह बात सही है। अगर वह मेरे दिमाग़ में या हमारे सलाहकारों के दिमाग़ में अथवा इस

[श्री चरणसिंह]

सभा के सदस्यों के दिमाग़ में भी होती तो यहां मंजूर कर ली जाती। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट का इम्पलीमेन्टेशन एक मामूली चीज नहीं है। खुद मैं इस बात को जानता हूं कि जितना इस पर अमल होता जा रहा है वह मेरी जहन में धीरे-धीरे आता जाता है कि पुरानी व्यवस्था जो सैकड़ों वर्षों से थी जिसकी जड़ें समाज रूपी भूमि में इतनी गहरी गई थीं कि जब उसको उखाड़ा तो इसमें तरह-तरह की समस्यायें आ रही हैं। मैं इस बात का वादा नहीं करता कि इस विधेयक से ही काम चल सकेगा और न मैं इस बात का वादा करता हूं कि आगे जो संशोधन करने पड़ेंगे वे मेरे दिमाग में हैं। अब भी जो चीजें सामने आ रही हैं अगर उनको हल करने का कोई रास्ता न सोचा तो हो सकता है कि दूसरा संशोधन विधेयक में करना पड़े। यह पुराना जमाना नहीं है कि सन् १८७० में एक कानून बन गया और सन् १९५० में भी उसमें तरमीम करने की जरूरत न पड़ी। डायनमिक और डेमोक्रेटिक जरूरतें होती हैं। जैसा सदन और जनता चाहेगी वैसा ही इस कानून में क्या हर कानून में तरमीम हो सकती है। यह नहीं कि जमींदारी विनाश कानून पास हो गया है लिहाजा कुछ संशोधन नहीं हो सकते। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह कैसे जान सकता है कि आगे क्या होगा। चाहे जितनी कोशिश करें पहले से कोई इस तरह का शास्त्र नहीं बन सकता जो हमेशा के लिये और नियत समय के लिये सही हो और अबाइडिंग हो। एक और चीज का श्री गेंदासिंह जी ने जिक्र किया कि काश्तकारों को परेशानी हो रही है और उनको मुकद्दमेबाजी में फंसना पड़ता है। उनका मतलब उन काश्तकारों से है जो १७१ में बेदख़ल किये गये थे और उनकी ज़मीन बेदख़ल होने के बाद ज़मींदारों ने किन्हीं और लोगों को दे दी थी। तो इसके लिये सन् १९४७ में जो ऐक्ट पास हुआ था उसमें यह रखा गया था कि नये तीन साल तक शिकमी के तौर पर रहेंगे और पुराने तीन साल के बाद अपनी ज़मीन पा सकेंगे। इन लोगों को हमने इस कानून में असामी करार दिया है। अदालतों ने इस कानून में यह फैसले दिये हैं कि इन लोगों को बाकायदा एक नालिश अपने पुराने शिकमियों से जो असामी हो गया है ज़मीन पाने के लिये करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गेंदासिंह जी चाहते हैं कि जो पहले आर्डर हो गया है उसका एक्जीक्यूशन कर दिया जाय ताकि उन काश्तकारों को फिर दोबारा नालिश न करनी पड़े। यह कई बार मुझसे जिक्र किया जा चुका है और कई बार इस पर विचार भी हो चुका है और इसके लिये जो आफीसर हैं उनके सामने इस पर विचार हुआ है। तो माननीय गेंदा सिंह जी यह मानेंगे कि खुद मेरा इरादा इसको करने का था लेकिन चूंकि इसके लिये पहले एक्जीक्यूटिव आर्डर्स नहीं थे और सिर्फ डिक्लेरिटिव आर्डर्स थे, तो ऐसी हालत में वह नहीं किये जा सकते थे। वह कानून जो सन् ४७ का था, वह खुद तरमीम करने वाला कानून था और पुराना यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट जो कि कानून हो चुका है और मंजूर हुआ है, तो वह कानून अब रिपील हो चुका है तो उसको अमेंड इस तरह से किया जा सकता है और वह एक्जीक्यूटिव करार दिया जा सकता है। तो उसमें पहले मजबूरी थी। काश्तकार को नालिश दायर करनी पड़ेगी लेकिन मेरे माननीय गेंदासिंह जी यह कहना चाहते थे कि काश्तकारों को उनके हकूक से महरूम कर दिया गया है, तो मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। उनके अधिकारों को हम नहीं लेना चाहते हैं और उनके अधिकारों पर इस तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है बल्कि यह तो और अच्छी तरह से उनको महफूज रक्खा जा रहा है। उनको नालिश दायर करना पड़ेगा। और कोई बात माननीय गेंदासिंह जी ने नहीं कही। यही बातें थीं, जो मुझे अर्ज करनी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस मेरे इस प्रस्ताव को मंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है।

खंड २४ के बाद निम्नलिखित नये खंड २४-क के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"२४-क--मूल अधिनियम की धारा १२९ के बाद निम्नलिखित नयी धारा १२९-क के रूप में बढ़ा दीया जाय:

१२९-क--अस्थिर और अस्थायी कृषि (Shifting and unstable cultivation) के क्षेत्रों अर्थात्, झांसी जिले के हार तरेटा भूखंडों (tracts) और बुंदेलखंड में अवर श्रेणी की भूमि (inferior classes of soil) के खंडों, के सम्बन्ध में इस अध्याय और अध्याय १० के प्रयोजनों के लिये शब्द "खाता" का आशय ऐसे क्षेत्र से होगा जिनमें तत्समय (for the time being) कोई खातेदार तत्सम्बन्धी किसी आचार या प्रथा (usage) के अनुसार वास्तव में खेती करता हो।"

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता था कि जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा कि ये संशोधन आते जा रहे हैं, तो इसको यदि उन्होंने समझा हो, तो वे हम लोगों को भी इसको समझाने की कोशिश करें। क्योंकि हम यह चाहते हैं कि यदि राजस्व मंत्री जी इन संशोधनों को रखते हैं तो कम से कम उनको स्पष्ट कर दें ताकि वे माननीय सदस्यों की भी समझ में आ सकें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह हो नहीं सकता है। जितने संशोधन हैं, आपने पहले अपने भाषण में कहा कि मैंने उनको पढ़ लिये हैं और ऐसी अब कोई चीज नहीं रह गई है जिसको कि पढ़ने का आपको वक्त न मिला हो। मैं सदन का समय इस तरह से, क्लाज बाई क्लाज विचार करके आपको समझाया जाय, खराब नहीं कर सकता हूं। जो संशोधन हैं उनको सबने पढ़ लिये हैं और यहां इस तरह से उनको समझाया जाय, तो इसके लिये यहां कोई मौका नहीं है।

(इसके पश्चात् प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है--

खंड २६ के उपखंड (१) (क) की दूसरी पंक्ति में से शब्द "प्रथम श्रेणी का" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है--

खंड ३० के बाद, निम्नलिखित नया खंड ३०-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"३०-क--मूल अधिनियम की धारा १४० में शब्द "परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "असिस्टेंट कलेक्टर" रखे जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है--

खंड ३५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

"३५--मूल अधिनियम की धारा १५७ की उपधारा (१) में--

(१) शब्द और संख्या "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (५)" के स्थान पर शब्द "धारा ११" रख दिये जायं।

[श्री अध्यक्ष]

(२) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त में बढ़ा दिया जाय—

"स्पष्टीकरण—खंड (ङ) में प्रयुक्त शब्द "स्वीकृत संस्था (recognised institution)" का आशय किसी शिक्षा संस्था या ऐसी संस्थाओं के वर्ग से है जो राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रकार की संस्था प्रख्यापित किये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है—

खंड ५० के उपखंड (१) (ग) में प्रस्तावित खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"(ग) यदि वह धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन भूमिधर बना हो, तो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय लगान के आधे के बराबर धनराशि या संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० की धारा ४ के अधीन उसके द्वारा देय समझा जाने वाला लगान :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संविदा की शर्तों या आचार के अनुसार जिसके अधीन उक्त दिनांक पर भूमि कब्जे में रही हो, उस भूमि के सम्बन्ध में किसी भूमिधर द्वारा देय लगान नियत अवधियों पर बढ़ता रहता हो, तो देय मालगुजारी वह धनराशि होगी जो नियत की जाने वाली रीति और सिद्धान्तों के आधार पर इस प्रकार असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा अवधारित की जाय कि अवधारित धनराशि किसी भी समय पर लगान की उस अधिकतम धनराशि से अधिक न हो जो भूमिधर द्वारा उक्त संविदा या आचार के अनुसार देय होती।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्निलिखित संशोधन स्वीकार करता है—

खंड ५० के बाद निम्नलिखित नया खंड ५०-क के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"५०-क—मूल अधिनियम की धारा २४६ की उपधारा (१) में खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित प्रतिबन्ध के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संविदा की शर्तों या आचार के अनुसार, जिसके अधीन उक्त दिनांक पर भूमि कब्जे में रही हो, उस भूमि के सम्बन्ध में किसी सीरदार द्वारा देय लगान नियत अवधियों पर बढ़ता रहता हो, तो देय मालगुजारी वह धनराशि होगी, जो नियत की जाने वाली रीति और सिद्धातों के आधार पर असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा इस प्रकार से अवधारित की जाय कि अवधारित धनराशि किसी भी समय पर लगान की उस अधिकतम धनराशि से अधिक न हो जो सीरदार द्वारा उक्त संविदा या आचार के अनुसार देय होती।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है—

खंड ५२ के बाद निम्नलिखित नये खंड ५२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"५२-क--मूल अधिनियम की धारा २५१ को धारा २५१ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय और निम्नलिखित को नयी उपधारा (२) के रूप में रखा जाय--

(२) सीरदार द्वारा देय मालगुजारी उसके खाते के क्षेत्रफल के घटने या बढ़ने के आधार पर परिवर्तित की जा सकेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है--

खंड ६२ में--

(१) उपखंड (१) के पहले निम्नलिखित नये खंड (क-१) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(क-१) क्रम संख्या ६ के इन्दराज के स्तम्भ ४ में से शब्द प्रथम श्रेणी निकाल दिये जायं।"

(२) उपखंड (१) में उपयुक्त इन्दराज के स्तम्भ ४ में से शब्द प्रथम श्रेणी निकाल दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है--

खंड ६२ में--

(१) खंड (१) के बाद निम्नलिखित नये खंड (१-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(१-क) क्रम संख्या ६-क के इन्दराज के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या ६-ख नये इन्दराज के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"६-ख	१४०	रुपये की वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र।	असिस्टेंट कलेक्टर।	कमिश्नर

(२) खंड (२) के बाद निम्नलिखित नये खंड (२-क) और (२-ख) के रूप में बढ़ा दिये जायं--

"(२-क) क्रम संख्या १६ के इन्दराज के बाद निम्नलिखित नया इन्दराज क्रम-संख्या १६-क पर बढ़ा दिया जाय--

"१६-क	२३२	ऐसे अधिवासी द्वारा जिसके सम्बन्ध में धारा २० का खंड (ख) लागू होता हो, कब्जे की वापसी के लिए प्रार्थना।	परगना का अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर।	कमिश्नर।

[श्री अध्यक्ष]

(ख२–) क्रम-संख्या १७ के इन्दराज के बाद, निम्नलिखित नया इन्दराज क्रम-संख्या १७–क पर बढ़ा दिया जाय —

"१७–क २३३–क	लगान की नक़दी में परिवर्तन करने का प्रार्थना-पत्र।	असिस्टेंट कलेक्टर।	कमिश्नर।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है ––

अनुसूची में क्रमसंख्या ५ के बाद निम्नलिखित नया इन्दराज क्रमसंख्या ५–क के रूप में बढ़ा दिया जाय ––

५–क ३९ वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"39—Notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, the Collector may, on his own motion and shall, on the application of any person correct any error or omission in the annual register".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह––अध्यक्ष महोदय, जैसा यह संशोधन विधेयक अब विधान मंडल से संशोधित हो चुका है, मेरा निवेदन है कि वह पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है और इस सदन ने स्वीकार किया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १९५३

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)––माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैज़ाबाद)––माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ९५–ग के बाद वाले हिस्से की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें यह है कि परन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध न कर दी गयी हों, और यदि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व इस प्रकार उपलब्ध न कर दी गयी हों तो कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव के किये जाने पर आपत्ति कर सकता है और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दे।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक कल ही प्रस्तुत हुआ और सम्भावना इस बात की है कि माननीय राजस्व मंत्री इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव करें लेकिन इसके पहले भी सदन की राय जान ली जाती है जिससे प्रवर समिति के सदस्यों को आसानी हो जाती है। मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों को इस पर विचार करने का एक ही दिन में मौका नहीं मिला है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस नियम के अनुसार इस पर आज विचार करने की अनुमति नहीं देंगे।

श्री चरणसिंह—वैसे तो २ दिन हो चुके हैं। कल यह हाउस के सामने आया था और आज का दिन। लेकिन यदि सदन चाहे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो यह कल लिया जायगा।

इवैकुई इंटेरेस्ट्स सेपरेशन पूरक विधेयक, १९५३ के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास यह सूचना आई है कि माननीय मुख्य मंत्री एक विधेयक सदन के सामने पेश करना चाहते हैं। सिर्फ पेश ही करना है। इसका नाम है इवैकुई इंटेरेस्ट्स सेपरेशन पूरक विधेयक, १९५३ ई०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—यह कल ही रखेंगे।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर)

सूची

सड़कें जो मार्च, १९५२ के बाद पी० डब्ल्यू० डी० ने जिला बोर्ड मुजफ्फरनगर को वापस की हैं--

१--चरथावल--मुजफ्फरनगर
२--बधरा--हरसोली
३--बवरी--छुटैला
४--बवरी--बटरारा
५--सिसोली--मुजफ्फरनगर कैराना सड़क का १२वां मील
६--धाना-भवन कादिरगढ़
७--शामली--लांक
८--ऊन-झिनझिना
९--विडोली-चौसाना
१०--विडोली-झिनझिना
११--कैराना--खैरगांव
१२--कैराना--ऊंचागांव
१३--काधला--राजपुर
१४--जानसठ--ककरोली
१५--भोपा--जौली
१६--भूकरहेडी--मोरना
१७--भूकरहेडी--सिकरी
१८--बसेरा--बरला।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८२ एल० ए०--१९५३--८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ११ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रस्तोगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दूबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तवा, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रमाशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री

रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र शर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री

शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रयाग महिला विद्यापीठ की विद्या विनोदिनी परीक्षा को हाई स्कूल के समान मान्यता

*१—**श्री नवलकिशोर** (ज़िला बरेली)—क्या यह सच है कि सन् १९४७ में सेक्रेटरी इन्टरमीडियेट बोर्ड, यू० पी० ने महिला विद्या पीठ प्रयाग के रजिस्ट्रार को लिखित आज्ञा प्रदान कर दी थी कि "विद्या विनोदिनी की द्वितीय परीक्षा" जो नवम्बर में होती है, उसमें उत्तीर्ण छात्रायें सन् १९४९ की मार्च की इण्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकती हैं ?

*२—क्या यह सच है कि तब से अब तक ऐसा ही कार्यक्रम चला आ रहा है कि छात्रायें नवम्बर की परीक्षा दे कर एक वर्ष छोड़ कर अगले वर्ष की इण्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो जाती हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां, लेकिन किन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ इसकी सूचना इतने अल्प समय में प्राप्त नहीं हो सकी और जांच की जा रही है।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विद्या विनोदिनी की परीक्षा को हाई स्कूल के समान मान्यता देते हैं या नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—जी हां, मान्यता तो देते हैं लेकिन प्रश्न यह हो जाता है कि इंटरमीजियेट में वही एपीयर हो सकता है जो हाई स्कूल परीक्षा पास करने के दो साल बाद इंटरमीजियेट की परीक्षा में बैठे, क्योंकि विद्या विनोदिनी का एक इम्तिहान होता है और दो साल नहीं होते हैं, इसलिये कानूनी दिक्क़त पैदा होती है।

श्री भगवान सहाय (ज़िला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कुछ ऐसे कैंडीडेट्स हैं कि जिनको दो साल तो एलाऊ किया गया लेकिन इस साल नहीं किया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, ऐसे कोई कैंडीटेड्स नहीं हैं। सब के साथ एक सा वर्ताव किया गया है।

*३—**श्री नवलकिशोर**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान सेक्रेटरी यू० पी० इंटर बोर्ड ने इसके विरुद्ध इस वर्ष इसी माह में फार्म आदि भर जाने के बाद ऐसी छात्राओं को इण्टर की होने वाली परीक्षा में बैठने से रोक दिया है ? यदि हां, तो उसका विशेष कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—यह नियम विरुद्ध था। इस कारण ही ऐसा हुआ लेकिन इस वर्ष विशेष रूप से ऐसी छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गयी है।

*४—**श्री देवकीनन्दन विभव** (ज़िला आगरा) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ३९७ पर]

तारांकित प्रश्न

क़स्बा पिनाहट, ज़िला आगरा में चिकित्सालय का अभाव

*१--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (ज़िला आगरा)---क्या सरकार को विदित है कि क़स्बा पिनाहट (ज़िला आगरा) के १२ मील के भीतर कोई अस्पताल नहीं है? क्या सरकार इस अभाव की पूर्ति करने का विचार रखती है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)---जी हां, यदि वहां कोई उपयुक्त भवन चिकित्सालय और कर्मचारियों के लिये मिल सके तो वहां एक अंग्रेजी या देशी चिकित्सालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--यह भवन सरकार किराये पर लेना चाहती है या मुफ्त में ही लेना चाहती है?

श्री बनारसीदास--ज्यादा अच्छा तो यही है कि मुफ्त में मिल जाय और जहां मकान मुफ्त मिल जाते हैं प्रायः वहां इस प्रकार के औषधालय क़ायम करने में प्राथमिकता दी जाती है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--वहां पर टूटे हुये किले बहुत से पड़े हुये हैं। यदि सरकार उनकी मरम्मत करा सके तो बहुत सी जगह मिल जायगी।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। आपकी सूचना सरकार को मिल गयी।

कैलाशनगर (हाथरस) निर्माण-हेतु समाज-सेवा संघ को कोयला तथा सीमेंट

*२---श्री नेकराम शर्मा (ज़िला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैलाशनगर (हाथरस) निर्माण-हेतु जिलाधीश ने समाज-सेवा संघ नामक संस्था को कितनी गाड़ी कोयला एवं कितनी बोरी सीमेंट दिया या D.S.O. से दिलवाया?

श्री बनारसी दास---जिलाधीश अलीगढ़ ने समाज-सेवा संघ रमनपुर, हाथरस को २० टन कोयला दिलवाया। समाज-सेवा संघ ने सीमेंट की प्राप्ति के लिये न कोई प्रार्थना-पत्र दिया और न कोई संघ को सीमेंट दिया गया।

*३---श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सही है कि जिलाशीश के पास इस आशय की शिकायतें गयी थीं कि वे सीमेंट तथा कोयला ब्लैक में बेचा जा रहा है? यदि हां, तो जिलाधीश महोदय ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की थी?

श्री बनारसीदास---जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जितना कोयला दिया गया था वह काम में लाये जाने के बाद ब्लैक में बेचा गया है?

श्री बनारसीदास---इसका उत्तर दिया जा चुका है कि कोई शिकायत सरकार को इस प्रकार की प्राप्त नहीं हुई।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इस विषय में कोई जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री बनारसीदास---यदि कोई इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई तो अवश्य जांच की जायगी।

गाज़ीपुर ज़िले के गोरखपुर ग्राम में महावीर राष्ट्रीय औषधालय को सरकारी सहायता

*४--श्री यमुनासिंह (ज़िला गाज़ीपुर)--क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि गाज़ीपुर ज़िले के गोरखपुर ग्राम में सन् १९२८ ई० से महावीर राष्ट्रीय औषधालय की स्थापना है? यदि उत्तर हां में है, तो क्या इस औषधालय को सरकार कोई वार्षिक सहायता देती है?

श्री बनारसीदास--

(अ) जी हां।

(ब) जी नहीं, प्रश्न विचाराधीन है।

श्री यमुनासिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कब तक सरकार के विचाराधीन रहेगा?

श्री बनारसी दास--इस संबंध में जो प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है वह उपसंचालक के पास आवश्यक रिपोर्ट के लिये भेज दिया गया है। जब रिपोर्ट आ जायगी सरकार उसका निर्णय कर देगी।

जौनपुर ज़िले के बरसठी और गोपालपुर बाज़ार में औषधालय खोलने की योजना

*५--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (ज़िला जौनपुर)--क्या अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंग कि जौनपुर ज़िले के अन्तर्गत बरसठी बाज़ार और गोपालपुर बाज़ार में औषधालय खोलने की योजना है?

श्री बनारसीदास--दोनों स्थानों पर औषधालय खोलन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलान की कृपा करेंगे कि कितने दिनों के अन्दर निर्णय कर लिया जायगा?

श्री बनारसीदास--इस संबंध में निश्चित रूप से कहना तो कठिन है इस साल के बजट के अन्दर १५ बेसिक चिकित्सालय और १० एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने का विचार है। बहुत संभव है कि परामर्शदात्री समिति की कोई रिपोर्ट आये तो दोनों में से एक स्थान में अस्पताल खोलना जल्दी संभव हो सके।

प्रान्त में नेत्र चिकित्सालयों की संख्या और उन पर व्यय

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय (ज़िला आज़मगढ़)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में कितने नेत्र चिकित्सालय हैं और वे किन-किन ज़िलों में हैं?

श्री बनारसीदास--इस प्रान्त में १९ नेत्र चिकित्सालय हैं। इलाहाबाद में एक सरकारी नेत्र चिकित्सालय "मनोहरदास नेत्र चिकित्सालय" है जिसमें २४ शय्यायें हैं। आगरा मेडिकल कालेज अस्पताल, गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ तथा बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में भी आंख के इलाज के लिये बड़े-बड़े वार्ड हैं और विशेषज्ञ नियुक्त हैं। अन्य ज़िला अस्पतालों में भी आंख के इलाज का समुचित प्रबंध है। इसके अतिरिक्त सीतापुर और अलीगढ़ में दो बड़े-बड़े नेत्र चिकित्सालय हैं जो स्थानीय ट्रस्ट द्वारा चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त फैजाबाद, पीलीभीत, गोंडा, देवरिया, आज़मगढ़, जौनपुर, बरेली, कानपुर, फ़र्रुखाबाद, नैनीताल हलद्वानी, रानीखेत, पौड़ी (गढ़वाल), इलाहाबाद, बस्ती तथा बलिया में भी नेत्र चिकित्सालय हैं जो क्षेत्र योजना (Zonal Scheme) में सीतापुर के आंख के अस्पताल तथा ज़िला नेत्र चिकित्सा समितियों (District eye Relief Societies) द्वारा खोले गये हैं और जिनमें भी अच्छा काम हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा कर सकते हैं कि प्रान्त के समस्त जिलों में सरकार का नेत्र चिकित्सालय खोलने का विचार है?

श्री बनारसी दास--उत्तर में यह कहा गया है कि इसके लिये सरकार ने एक जोनल योजना बनाई है और उसके मातहत सभी जिले आ जाते हैं और उस योजना के अन्तर्गत जिन जिलों में अस्पताल खोले गये हैं उनका जिक्र किया गया है और प्रायः सभी जिले उस जोनल योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं।

*७--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेत्र चिकित्सालयों पर वार्षिक कितना व्यय होता है?

श्री बनारसी दास--सरकार इलाहाबाद के मनोहरदास नेत्र चिकित्सालय पर ४६,६०० रुपया वार्षिक व्यय करती है। अन्य नेत्र चिकित्सालय के व्यय के विषय में पूर्ण सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकती है और प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सूची में जो औषधालय हैं केवल इलाहाबाद के मनोहरदास औषधालय के अलावा सभी अस्पतालों को सरकारी अनुदान नहीं दी जाती है?

श्री बनारसी दास--इसके लिये उत्तर में बताया गया है कि सीतापुर और अलीगढ़ को छोड़कर ५० हजार की रकम डाइरेक्टर साहब को दी जाती है और इस साल उस रकम को बढ़ाकर ७५ हजार कर दिया गया है और डाइरेक्टर के द्वारा वह अनुदान भिन्न-भिन्न अस्पतालों को दी जाती है। पूरी सूचना आने पर दी जा सकेगी।

*८--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ में कोई नेत्र चिकित्सालय है? यदि हां, तो उसे इस वर्ष १९५२-५३ के बजट में कितना रुपया दिया गया है?

श्री बनारसी दास--हां, आजमगढ़ में एक नेत्र चिकित्सालय है उसे सन् १९५२-५३ के बजट में कोई अनुदान (Grant) नहीं दी गई है। सन् १९५३-५४ में कुछ सहायता देने का प्रयत्न किया जायगा।

*९-११--**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)--[१८ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

महानगर हाउसिंग कालोनी, लखनऊ की योजना

*१२--**श्री भगवान सहाय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महानगर हाउसिंग कालोनी, लखनऊ की स्कीम किस सोपान (स्टेज) पर है?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--महानगर योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये उसे लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के प्रशासक के सुपुर्द कर दिया गया है और प्रशासक ने इस संबंध में समुचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जमीन कब अक्वायर की गयी थी और ऐडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द कब की गई?

श्री मोहनलाल गौतम--अभी पूरे तौर से अक्वायर नहीं हुई है और पूरी जमीन ऐडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द नहीं हुई है।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पारसाल जो पत्रकारों, लेखकों एवं कवियों को एक विश्वास दिलाया था कि उनकी एक हाउसिंग कालोनी बनायेंगे तो महानगर कालोनी को उनके लिये बनाने का सरकार विचार करेगी?

श्री मोहनलाल गौतम---इस महानगर स्कीम में २० फीसदी जमीन पत्रकारों, डाक्टरों, वकीलों इत्यादि के लिये सुरक्षित रखी गयी है।

श्री भगवान सहाय---इस महानगर कालोनी में जो बाकी जमीन है वह किसके लिये रखी गयी है?

श्री मोहनलाल गौतम---६० फीसदी सरकारी मुलाजिमों के लिये, २० फीसदी पब्लिक मैन के लिये और २० फीसदी जैसा मैंने कहा जनरलिस्ट, वकील, डाक्टरों इन लोगों के लिये है।

❀ ❀ ❀

दारुलशफा के विधायक निवास में बढ़ती हुई चोरियां

*४---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या सरकार का ध्यान दारुलशफा के विधायक निवास में बढ़ती हुई चोरियों की ओर गया है? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---सरकार को मालूम है कि दारुलशफा विधायक निवास में चोरी के कुछ वारदात हुये हैं। इन वारदातों को रोकने के लिये सरकार ने विधायक निवास के भूखंड के कमरों के पिछले बरामदों को बन्द करने व उन पर जाली लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। दो दरवाजों पर लोहे के खींचकर बन्द किये जाने वाले दरवाजे भी लगाये जा रहे हैं। विधायक निवास के चारों ओर एक चहारदीवारी बनाने की योजना पर भी सरकार गौर कर रही है।

विधायक-निवास की निगरानी करने के लिये चौकीदार भी नियुक्त हैं।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष---अनुदानों के संबंध में उनके लिये समय के बारे में किसी को सुझाव देना है?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---मैं समझता हूं कि अनुदान संख्या ५--वन के लिये आज १ बजे तक ले लिया जाय और १५ मिनट में अनुदान संख्या ३७--प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन आज दोपहर सवा २ बजे से ५ बजे तक ले लिये जायं।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या ५--वन, १ घंटा, अनुदान संख्या १२, २ घंटे, अनुदान संख्या १३, डेढ़ घंटा, अनुदान संख्या ३७, १५ मिनट। इस तरह से आज का दिन रखा जाय और कल के दिन केवल अनुदान संख्या ४३ रखी जाय।

श्री अध्यक्ष---यह तीन दिन का है।

श्री केशव गुप्त---इसी लिये मैंने एक दिन में चार अनुदान और कल पूरा दिन अनुदान संख्या ४३ के लिये रखा है और बाकी जितने अनुदान हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित हैं वे तीसरे रोज के लिये रखे जायं।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या १२ और १३ एक साथ लिये जायं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--मैं जगन्नाथ मल्ल जी के सुझाव का समर्थन करना चाहता हूं। खाली उसमें एक परिवर्तन करना चाहता हूं कि अनुदान संख्या १२ और १३ को अगर आप आवश्यक समझें तो इकट्ठा ले लिया जाय। मेरा सुझाव है कि सवा ११ से १ बजे तक वन, १ से सवा बजे तक अनुदान संख्या ३७, सवा दो बजे से ५ बजे तक और कल प्रश्नों के बाद जितना समय मिले तब से सवा बजे तक अनुदान संख्या १२ और १३ इकट्ठे ले लिये जायं और कल फिर सवा दो बजे से ५ बजे तक योजना और एकीकरण और १३ तारीख को चिकित्सा संबंधी अनुदान लिये जायं।

श्री भूपालसिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)--मैं श्री बालेन्दुशाह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मुझे एक आपत्ति है कि इकट्ठे न लिये जायं, एक आज ले लिया जाय और एक कल सवेरे ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--इसमें आपत्ति है, इसलिये मैं उस आपत्ति को स्वीकार करके इस प्रकार से समय का विभाजन करता हूं--

आज के लिये--

अनुदान संख्या ५	...	१ बजे तक
,, ,, ३७	...	१५ मिनट
,, ,, १२	...	सवा दो बजे से ५ बजे तक

कल के लिये--

अनुदान संख्या १३	...	सवेरे से सवा बजे तक
,, ,, ४३	...	सवा दो बजे से शाम तक

परसों दिनांक १३-३-५३ को--

स्वास्थ्य की मांगें ली जायेंगी।

समय के लिये मैंने यह रखा है कि अनुदान संख्या ३७ को छोड़कर जिसके लिये केवल १५ मिनट रक्खे गये हैं बड़ी मदों में कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले को १५ मिनट और बाकी लोगों को १० मिनट का समय दिया जायगा।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन के अन्तर्गत १,२६,८४,७०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष, इस वर्ष यानी १९५३-५४ के व्यय में करीब १ करोड़ २७ लाख रखा गया है और गत वर्ष इसी मद में १ करोड़ २१ लाख के करीब था। इस बढ़ोत्तरी का कारण एक तो वृक्षारोपण की योजना है जिसमें विशेष तौर से औद्योगिक महत्व Industrial importance के पेड़ लगाये जायेंगे। गत वर्ष केवल २ लाख रुपया इसके लिये रखा गया था, लेकिन इस वर्ष इसको बढ़ाकर ४ लाख रुपया कर दिया गया है। दूसरे शहतूत और एश के पेड़ लगाये जायेंगे जो कि खेल का सामान बनाने के काम में आते हैं जिनके लिये १९५२-५३ में ७७ हजार रुपया रखा गया था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर लगभग डेढ़ लाख कर दिया गया है।

इसी प्रकार जमींदारी जंगल जो अब गवर्नमेंट के पास आ गये हैं उनका वर्किंग प्लान बनाने के लिये टेहरी में एक नया सर्किल बना दिया गया है उसके बंदोबस्त (Forest Settelment) के लिये इस साल ११४ लाख रुपया के करीब रखा गया है जब कि गत वर्ष केवल ३५ हजार रखा गया था। इसी प्रकार मैनेजमेंट आफ प्राइवेट फारेस्ट्स के लिये गतवर्ष ८ महीनों का खर्चा १० लाख ४ हजार के करीब रखा गया था, लेकिन चूंकि इस वर्ष वह पूरे १ साल का है इसलिये १५ लाख रुपया उसके लिये रखा गया है। इस वर्ष बहुत सी चीजों में बचत की गई है और इन बचतों से ही यह बढ़ोत्तरी की गई है। अर्थात् इस बढ़ोत्तरी का बहुत बड़ा भाग बचतों से ही पूरा किया गया है। इस साल गत वर्ष की अपेक्षा कुछ आमदनी भी कम आंकी गयी है। १९५२-५३ में जबकि ३ करोड़ २५ लाख के लगभग थी वह आज ३ करोड़ ११ लाख के करीब ही आंकी गयी है क्योंकि इस साल भाव कुछ मुलामियत (Slump) के आ गये हैं। दूसरी बात यह है कि वैस्टर्न सर्किल में बांस बहुत ज्यादा होता है, वह फूल सा गया है और नीलाम होने के काबिल नहीं रहा है। इसलिये इस साल इससे भी आमदनी कुछ घटी हुई है। आपको भली प्रकार मालूम है कि वन विभाग पर अब तक बहुत वर्षों से एक प्रकार से विपत्ति ही रही और जैसा कि इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि युद्ध काल में ये जंगल बड़ी बेरहमी से काट दिये गये क्योंकि विदेशियों को लड़ाई जीतनी थी और वे समझते थे कि जहां पर उनके लड़के या बच्चे युद्ध के मैदान में कट रहे हैं, तो वे इस राष्ट्रीय सम्पत्ति की उतनी कीमत नहीं समझते थे जितनी कि अपने बच्चों की। इसलिये उन्होंने जंगलों को बड़ी बुरी तरह से कटाया। साथ ही साथ जमींदारी की समाप्ति पर हमारे जमींदारों ने भी उसको राष्ट्रीय सम्पत्ति न समझ कर अपनी ही सम्पत्ति समझी और उन्होंने भी पैसे बनाने की नीयत से काफी मात्रा में काट डाला। हमारे पास जो उस वक्त पहले केवल ६,००० वर्ग मील के करीब वन भूमि थी वह आज बढ़कर लगभग १३ हजार वर्ग-मील हो गयी है परन्तु यह बढ़ोत्तरी केवल नाममात्र की कही जा सकती है। थोड़ा बहुत टेहरी सर्किल का अच्छा बन मिला और उसमें थोड़ा बहुत नुकसान मैंने सड़कों के किनारे तो पाया अन्यथा और कहीं कोई नुकसान नहीं है। परन्तु जमींदारों ने अपने जंगलों को एक प्रकार से बिलकुल ही नष्ट कर दिया था। तो अब हमारे सम्मुख सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि इन जंगलों को पुनः हरा भरा किया जाय और उसके लिये मैंने अभी जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किये हैं उससे आपको विदित हो गया होगा कि प्लांटेशन में, इस समय हम स्पेशल स्कीम के मातहत काफी चीजें करने जा रहे हैं। वैसे साधारण तौर पर जो वन विभाग करता आया है वह तो रुटीन के तौर पर हर साल होता ही रहेगा परन्तु मैंने प्रारम्भ में जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किये हैं उससे आपको विदित हो गया होगा कि हम किस तरह की चीजें करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वाअल कंजरवेशन की दृष्टि से तथा जमीन के कटाव व बहाव को रोकने के हेतु राजस्थान और आगरा के निकट जो रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा है उसको रोकने के लिये नहर की पटरियों पर और रोड्स के किनारे पेड़ लगाये जायेंगे। तथा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी इन स्थानों में बहुत कुछ काम होने जा रहा है जिसमें शीशम, सेमल, तून, आम इत्यादि कई किस्म के पेड़ लगाये जायेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पेड़ों को लगाने की आवश्यकता बहुत अधिक है और हमें जंगलों को हरा भरा करना इसलिये नहीं है कि केवल हमारी गवर्नमेंट की आय ही बढ़े बल्कि अपनी कृषि तथा खेती के काम को जो कि हमारा प्रदेश एक तरह से कृषि प्रधान देश है उसको इससे सहायता मिले। क्योंकि मुझे तो विश्वास है कि जिस देश के अन्दर जंगलों और कृषि भूमि का ठीक अनुपात नहीं होता वहां वर्षा की कमी होती है, मोयस्चर (नमी) की कमी होती है और खाद की भी कमी हो जाती है। इसलिये हम कृषि की जितनी तरक्की करना चाहते हैं उतनी नहीं हो सकती। इसके लिये आवश्यक है कि दोनों चीजों का सही अनुपात रहे। यह भी नहीं कि केवल जंगल ही बनते जायं और हमारा देश जो एक कृषि प्रधान देश है उसकी कृषि में विस्तार तथा उन्नति न हो।

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

मैं आपको कुछ देर में ये आंकड़े भी बतलाऊंगा कि कृषि के लिये हमारे यहां डिसफारेस्टेशन भी हुआ है और काफी मात्रा में कई हजार एकड़ डिसफारेस्टेशन हुआ है। सदन में आप कई बार इस बात को सुन चुके हैं कि कृषि के लिये बहुत कुछ कार्य हुआ है, कितनी जमीनें तोड़ी गयीं हैं। इस पर लोगों को सन्देह होता है और मुझे भी इस सदन के बहुत से सदस्यों से यह सुनने का अवसर मिला और वे कहते हैं कि टूटा या नहीं टूटा इसका क्या प्रमाण है? चूंकि मैंने भी स्वयं उन चीजों को नहीं देखा था लेकिन अब की बार मैंने रुद्रपुर, किच्छा, हस्तिनापुर जाकर इन चीजों को देखा है। इस सदन के माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जितने पेड़ सड़कों के किनारे लगाये गये थे उनमें कितने जीवित हैं?

यह प्रश्न यहां पर पूछा गया। मैं आपको इतमिनान दिलाता हूं कि मुझे वहां देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं सीधे हलद्वानी से रुद्रपुर, किच्छा, रामपुर होते हुये गया। मैंने कहीं पर भी एक परसेंट या दो परसेंट से ज्यादा किसी पेड़ों की मृत्यु नहीं पाई है वहां पर सबके सब वृक्ष लहरा रहे थे। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी और मेरठ के भाई इस बात को जानते हैं कि वहां पर १५ हजार एकड़ भूमि पर जो वन खड़ा है उसको देख कर दिल में उमंग पैदा होती है और हमको उस समय की याद आने लगती है जब कि वहां पर ऋषि मुनि उन जंगलों में विचरा करते थे। मैं किसी भावावेश से यह नहीं कह रहा हूं। बल्कि वास्तव में और सचमुच में वह एक मनमोहक चीज है। जहां पर शेर और भालू रहा करते थे और मुझसे एक मित्र ने कहा था रुद्रपुर में कोई आदमी सहीसलामत दिन में नहीं जा सकता था। रुद्रपुर में देखा कि खेती का कार्य भी उन्नति पर है। कृषि और वन परस्पर किसी प्रकार से विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं। जहां पहले वन के हम उगाने की कोशिश करते हैं वहां अपने देश में कृषि उत्पादन में भी हम सहयोग देते हैं। इसी प्रकार से जहां कृषि की उन्नति होती है वहां पर वनों के महत्व का भी अनुभव किया जाता है। इसलिये आपके सम्मुख मैं इस बात को कह रहा था कि मैं इसको स्वीकार करता हूं कि जितना वन हमको बढ़ाना चाहिये उतना नहीं बढ़ा है इसका कारण आर्थिक संकट है जो कि आपके सामने है और आप सब भली भांति जानते हैं। पर फिर भी इस तंगी में हमने जो यह प्लाण्टेशन किया है और करने जा रहे हैं यह कोई कम बात नहीं है। मैं यह समझता हूं कि ३० वर्ष के बाद सन् १९२० के पश्चात् से अभी कोई सही तरीके से प्लाण्टेशन का काम नहीं किया गया। मैं इस बात को बतलाना चाहता हूं कि प्रारम्भ में अंग्रेजों की जरूरत यह नीति रही कि कहीं न कहीं पर जंगलों को रखा जाय। मगर १८५७ के गदर के बाद जब उनको यह पता लगा कि लोग ऐसे मौकों पर जंगलों में आसरा लेते हैं तबसे उन्होंने जंगलों को बचाने की कोशिश नहीं की। मगर आज के दिन वह नीति बदल गई है और हमारी सरकार प्रयत्नशील है कि जितना भी हम अपने वन को बढ़ा सकें उतना बढ़ाने की कोशिश की जाय। मैं मानता हूं कि आमदनी को बढ़ाने के लिये यह आवश्यकीय है कि इनको बढ़ाया जाय और मुझे इस बात की आशा है कि आगे आने वाले वर्षों में इस ओर ध्यान दिया जायगा और इस बात की चेष्टा की जायगी कि अधिक से अधिक जंगल लगें। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि वनों का क्षेत्रफल जमींदारी विनाश तथा रियासतों के मिलने के बाद लगभग दुगुना हो गया है जमींदारी विनाश के बाद चार नये वन डिवीजन बिजनौर, बलरामपुर, सोन और बांदा बनाये गये हैं। वहां पर वैज्ञानिक ढंग पर वनों के विकास की बड़ी आवश्यकता है। इन जंगलों के उत्थान करने की लिये विशेषरूप से माननीय सदस्यों के सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। यों तो अगर हम उसी पुरानी जमींदारी वाली नीति पर चलें तो कभी भी वन उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिये उसके लिये आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप उसमें सहयोग प्रदान करें तो उसमें कुछ नये सिरे से पेड़ लगाये जायं और जो जानवर किसी तरह के वहां पर छूटे रहते हैं उनसे भी बचाया जा सकता है अगर उनसे नहीं बचाया जायगा तो जंगल नहीं लगाये जा सकते हैं। इसके साथ ही यह भी नहीं होना चाहिये कि कृषक कोई ज्यादती महसूस करें और जमींदारी समाप्त होने के बाद सरकार के पास इन जंगलों के पहुंचने से किसानों को कोई तकलीफ हो। इसके लिये सरकार ने पिछले साल अपनी तरफ से एक

सरकुलर भेजा कि सहानुभूति से किसानों के साथ बरताव किया जाय। और जहां पर स्पष्ट रूप से वाजिबुल अर्ज और दस्तूरदेही में जो चीजें दर्ज हैं वह भी हम ने कृषकों को दी हैं और कृषि संबंधी आवश्यकता के अनुसार हल, सूखी लकड़ी, कांटे, झाड़ी वगैरा चाहे वाजिबुल अर्ज में हों या न हों वह उनको दी जायं और इस के लिये हमारी स्थायी कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें यह सुझाव था और यह कोशिश हो रही है कि आगे आने वाले साल में किस तरह से गांव समाज या गांव सभाओं द्वारा यह चीजें बांटी जायं, जिससे जनता को कष्ट न हो। इसी प्रकार बागों का प्रश्न है और लोग समझते हैं कि सरकार से अनुमति लेने में बड़ी कठिनाई होती है और बहुत सी जगहों से यह भी शिकायत है कि बागात बुरे तरीके से कट रहे हैं और सरकार की ओर से कोई रोक-थाम नहीं हो रही है। यह दो परस्पर विरोधी धारायें माननीय सदस्यों के बीच में हैं और सरकार वही काम करना चाहती है जिससे किसान आगे बढ़ सकें और उनको किसी तरह का कष्ट न हो और साथ ही जंगल भी पनपें और किसान भाइयों को कृषि के काम में कोई बाधा या कष्ट न हो। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सहयोग से तमाम कठिनाइयां तुरन्त दूर हो जायंगी। इस तरह की बहुत सी पुरानी बातें हैं जिनके बारे में मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहता।

इस वक्त हमारे प्रदेश में न्यूज प्रिन्ट की कोई इंडस्ट्री नहीं है और किसी भी उद्योग की उन्नति के लिये, उसके लिये रा मेटीरियल का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर रा मेटीरियल ही न हो तो कोई इंडस्ट्री ठीक से डेवलप नहीं कर सकती। हमने वैज्ञानिक तरीके से कत्था बनाने के लिये कोआपरेटिव संस्था को पेड़ दिये हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कत्था नये ढंग से बनाया जाय जिसमें वेस्ट न हो और शुद्ध माल (प्योर चीज) तैयार हो। हमारे यहां का रेजिन और कलक्टरबकगंज, बरेली की टरपेनटाइन सारी दुनिया में बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है और जो लीसा हमारे वनों से आता है और थोड़ी मात्रा में शोमेश्वर की कुटीर उद्योगशाला को दिया जाता है। यह बिलकुल एक ग्रामीण इंडस्ट्री है और यह जो टरपेनटाइन तैयार करता है वह भी अच्छा माना जाता है यह बिलकुल एक ग्रामीण इंडस्ट्री है, जो रेजिन मिलता है उसकी टरपेनटाइन बेस्ट समझी जाती है। अगर हम इस ओर ध्यान देंगे तो हमारे यह उद्योग धंधे काफी उन्नति कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ मेडिसिनल प्लान्ट्स भी ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने एक बार बताया भी था कि कुछ मेडिसिनल प्लान्ट्स हमारे नीतिआनी और जौहार की घाटी में होते हैं और जो अब चकरौते में भी लगाई गई है उनसे जो मेडिसिन निकलती है वह ४००, ५००, और ८०० रुपये पौंड तक बाहर बिकती है। कई और बहुमूल्य चीजें जैसे फ़र जिनसे हमारी इंडस्ट्री पनप सकती है। लीसे के बारे में ही मैं बताऊं कि पहले हम केवल ९० हजार मन टेप करते थे और अब वह बढ़कर २ लाख २० हजार यानी ढाई लाख मन के करीब हो गया है। हम अभी इसको ज्यादा यों नहीं बढ़ा सके कि अब तक जो ठेकेदार होते थे वे पेड़ों में जो चीरा देते थे वह बहुत ज्यादा दे देते थे और बहुत डीप शिगाफ बेदर्दी से किया करते थे क्योंकि उन का इण्टरेस्ट ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना ही था और इससे पेड़ खराब हो जाता था। इसलिए उसको डिपार्टमेंट की तरफ से वैज्ञानिक तरीके से लीसा निकालने का काम विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया, इसलिये अब तक इतनी ही प्रगति हुई है। दुर्गम स्थानों से पेड़ काट निकालने के लिये जो तरीका होता है (logging) उसकी शिक्षा के लिये हमने एक अफसर श्री चतुर्वेदी को कनाडा भेजा था। वहां से वह सब देखकर आये हैं। इन्हीं दुर्गम स्थानों में सिल्वर फर नाम का एक पेड़ होता है जिससे न्यूज प्रिंट और सिगरेट के ऊपर वाला कागज बनता है, इसके लिये डालमिया वगैरह बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें सिल्वर फर दे दिया जाय, लेकिन वह तो दूसरी बात है और इसमें यहां कोई संबंध नहीं। हम चाहते हैं कि न्यूज प्रिंट भी अपने देश में तैयार किया जाय।

वन उपज को सस्ते तथा सरल तरीके से बाहर निकालने में सड़कों का बड़ा महत्व है और यही कारण है कि लड़ाई में अंग्रेजों ने करीब-करीब सब जंगल कटवाकर उनका माल बाहर

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

निकाल दिया सिर्फ कालागढ़ फारेस्ट डिवीजन रह गया था जहां कोई सड़क नहीं थी अब ढाई तीन लाख रुपये खर्च करके मार्ग बनाकर यहां की लकड़ी को बाहर निकाला जा रहा है।

जहां तक डिस्फारेस्टेशन का संबंध है हमने सहारनपुर में २ हजार पांच सौ एकड़ डिस्फारेस्ट किया। यह पथरी फारेस्ट में किया और सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के पास जो बाढ़ पीड़ित गांव वहां के किसानों को दिया जाने वाला है। दूसरे ७ हजार ६ सौ एकड़ तराई और भावर में किया विस्थापितों और लैंडलेस को देने के लिये। शिल्पकारों के लिये बहुत काफी जमीन खाली की गयी है। अल्मोड़ा में ६७२.३ एकड़ हमने डिस्फारेस्ट किया जिसमें ६४१ एकड़ पर बस चुके हैं और ३१.५ अभी बचा हुआ है। गढ़वाल में १ हजार १३५ एकड़ डिस्फारेस्ट किया और जिसमें से ३११ एकड़ में शिल्पकार बस चुके हैं। और ८२४ एकड़ अभी बचा हुआ है जिसमें वह बसने को हैं। नैनीताल में १ हजार ७९२ एकड़ डिस्फारेस्ट किया उसमें ९४४ एकड़ पर बस चुके हैं और ८५२.५ एकड़ अभी बचा हुआ है। उसके बाद फिर भी इस सदन के माननीय सदस्य श्री खुशीराम जी ने कहा कि इस पर पुनः विचार किया जाय कि शायद अच्छी जमीन बची ही नहीं है। तो उनके लिये वह हमारे चीफ कंजरवेटर या किसी दूसरे फारेस्ट आफिसर के साथ तीनों जिलों में घूमकर स्वयं निरीक्षण करेंगे कि आबाद करने के लायक जमीन है या नहीं। रिपोर्ट देने पर उस पर विचार किया जायगा कि और जमीन डिस्फारेस्ट की जाय या नहीं। तो इस प्रकार वन विभाग कृषि के काम में भी अपने तरफ से बराबर मदद करता रहा है और करता रहेगा।

जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है हमारे वन विभाग में गत वर्षों में कोई ऐसी विशेष बात नहीं हुई है। थोड़ी बहुत कुछ सबार्डिनेट स्टाफ में हुई हो। लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं हुई फिर भी हमारे विभाग की ओर से सर्कुलर्स गये हैं भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिये और उसके अनुसार हमारे वन अधिकारी कार्य भी कर रहे हैं। शायद हमारे विरोधी भाई समझते हों कि जैसे कि पुलिस के विरुद्ध जुर्म रिपोर्ट को दर्ज नहीं करने की शिकायत रहती है वैसे ही ओवरलुक वन विभाग में होता है, यह बात नहीं है। बल्कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसी कोई बात नहीं हुई है और यह बड़ी खुशी की बात है और मैं तो यह समझता हूं कि इस परम्परा को इस ट्रैडीशन को हमारा फारेस्ट डिपार्टमेंट के उच्च से उच्च अधिकारी से लेकर निम्नकोटि तक के कर्मचारी निभायेंगे और हम लोगों को आपके सामने इस बात को कहने में गर्व होगा कि भविष्य में आपकी कोई कठिनाइयां भी नहीं रहेंगी। इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े।

मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन मैं जानता हूं कि समय कम है और आप साहबान चाहेंगे कि आप अपने विचारों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करें। स्पीकर साहब की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। मैं उनका आभारी हूं कि मुझे इतना समय दिया। अब मैं आपके सम्मुख सिवाय इसके और कुछ नहीं कह सकता कि आपके सहयोग के बिना कोई सफलता नहीं मिल सकती। यह तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और इसमें कोई मतभेद का भी प्रश्न नहीं है। इसका परसेंटेज भी मैं आपको बताऊं कि अन्य देशों में कुल भूमि का ३३ परसेंट फारेस्ट के लिये रखते हैं। और हमारे प्रदेश के दोआब में केवल २ परसेंट भूमि पर वन हैं। और पेड़ों पर कुल भूमि २० प्रतिशत वन है। हमें इन वनों को बढ़ाना है और इसमें तो सहयोग की आशा है और मुझे आशा है कि आपका पूर्ण सहयोग इसमें प्राप्त होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से समस्त अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमन्, यह मेरा दुर्भाग्य है कि समय समय पर मैं सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के द्वारा इस बात की चेष्टा करता हूं कि इस राज्य को और इस सदन को विभागों की

आमदनी और खर्च के बारे में सही सूचना मिल सके और मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि वन विभाग में भी अगर वह इस स्पष्टता को लाते तो बड़ा ही उपयोगी होता। जब मैं एक तरफ उत्तर प्रदेश 'थ्रू फिगर्स १९४५–५२' वाली पुस्तक देखता हूं जोकि हमें एक पिछले साल भी बांटी गयी और एक इस साल बांटी गयी और दूसरी तरह अप्रोप्रिएशन आफ एकाउन्ट्स की आडिट रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है तो दोनों में बड़ा फर्क पाता हूं। 'फिगर्स' वाली रिपोर्ट में फारेस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन की 'ऐनुअल' रिपोर्ट को 'सोर्स' बतलाया गया है। तो पहली रिपोर्ट के अनुसार सन् ४५–४६ में रेवेन्यू २ करोड़ १२ लाख बतलायी गयी और जो सन् १९५०–५१ की एप्रोप्रियेशन आफ ऐकाउन्ट्स की आडिट रिपोर्ट है उसके अनुसार सन् ४५–४६ में एक करोड़ ९८ लाख की आमदनी थी। पहली रिपोर्ट में जो फिगर्स वाली है उसमें दूसरी संख्या सन् ४६–४७ की आमदनी की है, वह है १ करोड़ ९९ लाख और एप्रोप्रिएशन एकान्ट्स रिपोर्ट में १ करोड़ ८२ लाख आमदनी दिखलाई गयी है। ४७–४८ में उसमें २ करोड़ आमदनी है और एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट में १ करोड़ ८३ लाख आमदनी है। ४८–४९ में उसमें २ करोड़ ३७ लाख आमदनी और एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में २ करोड़ २२ लाख है। सन् ४९–५० में ३ करोड़ ४ लाख आमदनी और एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में २ करोड़ ७५ लाख। एक आध लाख का फर्क होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन २९ लाख का फर्क एक साथ है।

अब वन विभाग में खर्चा तुलना में कितना हुआ। सन् ४५–४६ में ८३ लाख हुआ और इस एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है ८२ लाख। ४९–५० में उसमें लिखा है १ करोड़ ३ लाख और ८९ लाख एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ४८–४९ में उसमें लिखा है ८१ लाख और एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में ७९ लाख।

तो लगातार हर साल जब हम फर्क देखते हैं और दोनों रिपोर्टें बड़ी जिम्मेदारी के साथ दी गयी हैं तो हमें खर्च और आमदनी ठीक लगाने और जानने में बड़ी दिक्कत होती है।

इसके बाद टरपेंटाइन फैक्टरी का जिक्र किया गया। उसकी ओर नजर डालता हूं तो मालूम होता है कि ४८–४९, ४९–५० और ५०–५१ की आडिट रिपोर्टस् और एकाउन्ट्स हमारे सामने अभी तक नहीं आई है जिसकी कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में मांग की गई थी। केवल ४५–४६, ४६–४७ की आडिट रिपोर्ट ही अब तक पेश की गई है। सन् ४७ से लेकर आज १९५३ हो गया। कोई आडिट और एकाउण्ट रिपोर्ट टर्पेंटाइन फैक्टरी की तैयार नहीं है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने तलब भी किया और तब भी तैयार नहीं हुई। तो यह तो टर्पेंटाइन फैक्टरी का हाल है और खर्चे का हाल यह है कि जब बजट के अनुदानों को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि रेजिन के जरिये जब कि आमदनी में १ लाख की वृद्धि हुई है तो उस अनुपात के हिसाब से खर्चे में २ लाख ७५ हजार रुपये की। यह लीसे की आमदनी और खर्चे का हाल है। और दूसरे आमदनी के जरियों को जब हम देखते हैं तो इसी साल की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि सीतापुर की प्लाईवुड फैक्टरी और कुछ दूसरी औद्योगिक संस्थाओं को समझौते के आधार पर लकड़ी बेंची गयी। तो इस समझौते का आधार क्या है? नीलाम क्यों नहीं होता? जब कि वन विभाग एक आमदनी का विभाग है समझौते के जरिये किसी फैक्टरी को या किसी औद्योगिक संस्था को लकड़ी सप्लाई करना यह कहां तक उचित है। पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि सरकार के खैर की लकड़ी को समझौते से बेंचने के कारण ५२ लाख रुपये का नुकसान ५ साल के अन्दर हुआ। यह पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है। तो यह ५२ लाख रुपये का नुक़सान एक बार खाने के बाद फिर सरकार समझौता क्यों करती है यह बात समझ में नहीं आती। दूसरी तरफ शुगर फैक्टरीज को वन विभाग रियायती दामों पर ईंधन देता है। यह क्यों? रियायती दाम क्या माने रखते हैं और तारीफ तो यह है कि कि ये रियायती दाम वन विभाग नहीं तय करता है सिविल सप्लाइज विभाग, गुप्ता जी का जो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]
डिपार्टमेंट है वह तय करता है कि लकड़ी का दाम क्या हो और वन विभाग सप्लाई करता है। पिछले साल पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में एकाउण्टेंट जनरल साहब ने और सारे कमेटी के मेम्बरान ने कहा कि वन विभाग अपनी सारी प्रोडक्ट्स का दाम खुद तय करें। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो कैसे आमदनी बढ़े। वह तो घट गई।

अब जरा लैन्ड मैनेजमेंट सर्किल की तरफ हम देखें तो पिछले तीन चार सालों की रिपोर्टों से मालूम पड़ता है कि इनका काम उतने नये पेड़ लगाना नहीं है जितने पुराने पेड़ जो सूख गये हैं उनके गड्ढे को फिर पेड़ों से भरना है। इस साल रिपोर्ट के देखने से मालूम होता है कि ८३ मील लम्बे, नहर के किनारे नये पेड़ लगाये गये और पिछले साल लगाये हुये सवा ८८ मील पेड़ फिर से लगाये गये। तो जहां पेड़ पहले लगाये गये थे वहीं फिर लगाये गये क्योंकि पहले लगाये गये पेड़ सूख गये। पिछले साल की रिपोर्ट से मालूम होता है कि जो पेड़ पुराने हैं उनको सूखने से बचाने का इन्तजाम हो रहा है तो यह बात समझ में नहीं आती कि लैन्ड मैनेजमेंट सर्किल का काम कैसे हल होगा। लैंड मैनेजमेंट सर्किल का एक उद्देश्य स्वायल इरोजन को रोकना भी है तो उसके लिये वह क्या प्रयत्न कर रहा है। तो यह आम सुझाव की बातें हैं जो कि अर्थ व्यवस्था और विभागीय व्यवस्था से संबंधित हैं।

इसके बाद माननीय नेगी जी ने बताया कि सोमेश्वर में जो टरपेंटाइन बनता है वह बेस्ट क्वालिटी का होता है। अभी कुछ ही दिन पहले जब माननीय उपाध्याय जी ने पूछा था तो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि पहाड़ में इसलिये काटेज इंडस्ट्रीज नहीं सफल होते हैं कि वहां पर टरपेंटाइन घटिया वाली होगी और बरेली की फैक्टरी में बेस्ट क्वालिटी की होती है इसलिये हम पहाड़ की काटेज इंडस्ट्री इस प्रकार की नहीं बना सकते हैं। अब मुझे भरोसा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन समाचार के जानने के बाद पहाड़ पर काटेज इण्डस्ट्री खुलवाने पर विचार करेंगे।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैं इसको करेक्ट कर दूं। मैंने यह कहा था कि वर्ल्ड मार्केट में बरेली की टरपेंटाइन फैक्टरी का जो टरपेंटाइन है उसका बड़ा नाम है मगर काटेज इंडस्ट्री जो सोमेश्वर में है उसके बारे में लोगों से सुन : के बाद यह मालूम हुआ कि वह भी बहुत अच्छा काम कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, माननीय नेगी जी ने वर्ल्ड टरपेंटाइन इंडस्ट्री व मार्केट का कहीं नाम ही नहीं लिया था। यह तो अब कह रहे हैं। अगर मैंने न सुना हो तो वह बात दूसरी है। यह तो आपने कहा कि सोमेश्वर की फैक्टरी का जो टरपेंटाइन है वह बेस्ट क्वालिटी का है तो इसलिये खैर जो आपने कहा उसकी ही बात कह रहा हूं कि इंडियन मार्केट में भी अगर सोमेश्वर टरपेंटाइन बेस्ट क्वालिटी की मानी जा सकती है तो फिर मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे इस निवेदन पर विचार करेंगे कि टेहरी में और भुवाली में जो टरपेंटाइन फैक्टरी खोलने का सुझाव है उस पर विचार किया जा सकता है। तो इसके बाद जो मुझे इस संबंध में सुझाव देना है वह फारेस्ट पंचायत ऐक्ट बनाने के बारे में है। सारे कुमायूं डिवीजन के जंगलों की रक्षा के लिये फारेस्ट पंचायत का कानून बना हुआ है। कई साल से 'फारेस्ट पंचायत बिल' बना हुआ है लेकिन अभी तक वह ऐक्ट नहीं बना। दूसरी बात यह है कि गांवों में जमींदारी अबालीशन के बाद 'प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट' भी अब अधिक कारगर नहीं है। हमारे देहातों में आमतौर पर शिकायत रहती है कि अगर हम यहां पर हैं तो हमें हक हकूक की लकड़ी ११ मील की दूरी पर मिलती है। अगर किसी का गांव भुवाली में है तो उसको हक हकूक की लकड़ी लोहाली के जंगल से मिलती है। इस पर कई छोटी कमेटियां बनी, मिली भी हैं और उन्होंने कहा कि ५ मील के अन्दर हकूक मिलना चाहिये। दूसरा चराई का प्रश्न है। जंगलात विभाग के अधिकारी, जिनके अनकरप्ट होने का दावा नेगी जी कर रहे हैं कि बहुत हद तक कम हो गया है, सारे कुमायूं डिवीजन में जो गांवों के लोग पहाड़ से भावर या तराई जानवर चुगाने के लिये आते हैं उन के ऊपर आतंक

डाते रहते हैं। हां, अगर रोज दही की ठेकी लेकर या दूध की बाल्टी लेकर रेंजर साहब के पास पहुंच गये तो कुछ नहीं होता है नहीं तो चराना दूभर हो जाता है। यह शिकायत सुनने को मिलती है कि लंधौर रेंज में, चोरगली में अगर दूध दही की ठेकी अफसरों तक नहीं पहुंची तो जंगलों में चरने नहीं देते हैं। जहां लकड़ी का यह हाल है वहां यह करप्शन भी है। इसलिये मैं माननीय नेगी जी व माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना थोड़ा सा समय निकाल कर जो कन्जरवेटर या डी० एफ० ओ० हैं जो कि अपने को आसमान पर चढ़ा समझते हैं उससे उतार कर जरा जन सम्पर्क में लाने की कोशिश करें। अन्यथा जंगल विभाग का जो स्तर है वह बहुत बदनाम हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री अवश्य इस ओर ध्यान देंगे और मुझे आशा है कि वन विभाग में जहां तक लकड़ी और चराई की व्यवस्था है वह अगले साल ठीक हो जायगी।

भूमिहीनों के बारे में भी नेगी जी ने कुछ कहा है जो उन्होंने आंकड़े दिये हैं उन आंकड़ों से मैं कह सकता हूं कि वे गलत हैं और जो ८२५ एकड़ जमीन बतलायी गई कि कब्जे में नहीं ली गई है वह ८२५ एकड़ जमीन कहां है वह माननीय नेगी जी बतलायें। नैनीताल में ८२५ एकड़ जमीन जरूर बतलाई गई है जो कि भूमिहीन आबाद नहीं करते हैं लेकिन आप जानते हैं कि वह ऐसी पथरीली और चट्टानी जमीनें होंगी जिसमें सब से अच्छा किसान भी आ जाय तो वह कुछ नहीं कर सकेगा। चौगढ़, बिस्जूला आदि पट्टियों और तराई में ऐसी कई भूमि पड़ी हुई हैं जिन पर एक भी पेड़ नहीं हैं। सन् १९११ से लेकर आजतक वहां उदाहरणतः चौदान चक, निलोटी चक, कालीगाड चक आदि में एक जंगल विभाग का पेड़ नहीं है। तो वहां पर डिस्फारेस्ट करने का सवाल नहीं है। वहां पर तो आप भूमिहीनों को जमीन दे सकते हैं लेकिन उसकी योजना होनी चाहिये। मैं माननीय नेगी जी से प्रार्थना करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी से आदेश की प्रार्थना करूंगा कि ऐसी जमीन जहां पर पेड़ नहीं हैं उसको भूमिहीन काश्तकारों को देना चाहिये। मैं मानता हूं कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुये आज पहाड़ों के जंगलों की रक्षा अति आवश्यक है लेकिन वहां पर भूमिहीनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माननीय नेगी जी जानते हैं कि वहां हमारे कुमायूं डिवीजन में कितनी जमीन की भूख है हजारों भूमिहीन जमीन के हेतु आन्दोलन कर रहे हैं तो इस तरह से यह जमीन की भूख पूरी नहीं हो सकती। यदि वहां जमीन की कमी है तो कम से कम जितनी जमीन वहां उपलब्ध है उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिये। तो मैं माननीय नेगी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में अवश्य ध्यान दें। कल भी मैंने एक बात कही थी कि ग्रान्ट्स इन एड कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि जंगलों की आमदनी का एक चौथाई हिस्सा कुमायूं, गढ़वाल के किसानों को बोर्डों द्वारा दिया जाये। मैं श्रीमान् आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय नेगी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कमेटी के इस सुझाव को मान लेंगे और फारेस्ट डिपार्ट-मेंट उसके इस सुझाव का अवश्य समर्थन करेगा। सन् १२ से किसानों से यह कहा जा रहा है कि जंगलों की आमदनी का जो सरप्लस है वह कुमाऊं को मिलेगा जो सरप्लस पहले २ लाख था अब वह सरप्लस ५० लाख से कहीं ज्यादा हो गया है। तो अगर उसका एक चौथाई हिस्सा जो कि वहां के जंगलों की आमदनी है, उन लोगों को मिल जायेगी, तो इससे वहां के वनों की रक्षा हो सकेगी और उनका हौसला वनों की रक्षा करने में बढ़ेगा। वे यह समझेंगे कि इस आमदनी से उनको भी कुछ मिल रहा है, तो इस तरह से वे वनों की रक्षा कर सकेंगे। सब जानते हैं कि वनों का महत्व क्या है। वनों का वर्षा में भी असर पड़ता है और पानी मिलने में भी वृद्धि होती है, और इन सब बातों की रक्षा वहां की जनता को ही करनी है। इसलिये कुमायूं के जिले में रहने वाले किसानों को जंगल विभाग द्वारा उसकी आमदनी का एक चौथाई हिस्सा कमेटी के सिफारिश के अनुसार अवश्य दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करें।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अब एक प्रश्न यह है कि जंगलों की जड़ी-बूटी का प्रबन्ध ठीक होना चाहिये। जंगलों में शहद, पीपल और लाख आदि सामान निकलता है, लेकिन उसका इन्तजाम सम्बद्ध नहीं है। पिछले साल एक रिसर्च सेंटर रानीखेत में खुला है, तो सरकार ने यह काम उस सेंटर को दिया था कि वह उसको बाहर भेजे। मगर उस सेंटर ने कोई भी बाहर भेजने का इन्तजाम नहीं किया। इस तरह से लाखों रुपये जिन जंगलों से पैदा हो सकते हैं, उसका प्रयोग और बाहर भेजने का प्रबन्ध गवर्नमेंट को ठीक तरह से करना चाहिये। इससे जो दवाइयां हैं उनका उपयोग हो सकेगा। इस तरह से इन चीजों का सुन्दर इन्तजाम हो सकता है जो प्रदेश की दवाइयों के काम में आ सकता है, सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया है। अब चूंकि इसमें बहुत लोग बोलना चाहते हैं, इसलिये मैं ७ मिनट का समय इस अनुदान पर विवाद करने वालों के लिये रखना चाहता हूं।

श्री भूपालसिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। पिछले कुछ वर्षों में जो शासन ने वनों के विकास के लिये योजनायें प्रसारित की हैं उनका समर्थन सर्वथा इस प्रदेश में हुआ है। यदि उन योजनाओं को सुचारु रूप से आगे चलाया गया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ वर्षों में हम अपने देश के सामने बहुत कुछ उपस्थित कर सकेंगे। सब से बड़ी बात वनों की रक्षा और प्रसार के सम्बन्ध में जो मैं सरकार के सामने उपस्थित करना चाहता हूं, वह यह है कि वनों का विभाग कोई आमदनी का विभाग न समझा जाये। बल्कि यह एक निर्माण का विभाग समझा जाये। पिछले कुछ वर्षों में वन विभाग की आमदनी बढ़ी है। इस वर्ष भी मैं देखता हूं कि जो कुछ आमदनी यहां आंकी गई है, और जो अनुदान इस विभाग को चलाने के लिये मांगा जा रहा है, उसमें लगभग १ करोड़ ८४ लाख की आमदनी है और मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि इस विभाग की सारी आमदनी में से जो सरप्लस है उसको वनों के विकास में यदि खर्चा किया जाय, तो इससे इस प्रदेश का अवश्य कल्याण होगा। अभी अभी हम लोगों को अनुभव हो गया है और सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे जीवन में वनों का कितना महत्व है और इसके सम्पन्न न होने से इस प्रदेश को जो कुछ नुकसान होता है, उस ओर भी संकेत अभी किया गया। पिछले वर्ष हमें अपने सारे प्रदेश में इस किस्म की घटना मिली कि ३०, ४० फीट गहरे कुओं में भी पानी नहीं मिला और मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण यही है कि पिछले वर्षों से अभी तक जो विनाश वनों का हुआ है, वही पानी न मिलने का कारण है और इसी से आज हमारा सारा प्रदेश और देश सूखता चला जा रहा है। आज भी शायद सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। खास कर कुमायूं के लिये मैं कहता हूं कि गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा का क्षेत्रफल करीब १५ हजार वर्गमील है। उसमें से केवल २ हजार वर्गमील में सरकारी जंगलात हैं। बाकी ३ हजार वर्गमील भूमि ऐसी है जो खेती के काम आती है और बाकी सिविल बेनाप जंगल हैं जो सरकारी जंगल माने जाते हैं लेकिन उनको गांव के लोगों को इस्तेमाल के लिये दे दिया गया है। गांव के लोगों का उन जंगलों पर पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भूमि की कमी के कारण लोगों ने उनको इस बुरी तरह से बरबाद किया है कि आप किसी गांव में चले जाइये, आप यह देखेंगे कि सब सिविल बेनाप जंगल बरबाद हो चुके हैं और उनमें अब पेड़ नहीं हैं। वहां के लोग यह चाहते हैं कि या तो वे नयाबाद कानून से भूमि प्राप्त कर लें या बिना किसी इजाजत के कानून को हाथ में लेकर उस जमीन को खोद लें। आज सारे प्रदेश में और

खास कर कुमायूं की जनता की ओर से यह मांग है कि उनको अधिक जंगलों के अधिकार दिये जायं, अधिक जलाने की लकड़ी दी जाय, और मकान बनाने की इमारती लकड़ी भी अधिक दी जाय। मैं यह कहता हूं कि सरकार चाहे कुछ कहे लेकिन जो जंगल उसके पास हैं उनसे जनता की मांग पूरी नहीं की जा सकती यदि सिविल जंगलों की रक्षा न की गई तो इस प्रदेश की भारी आर्थिक हानि होगी। इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से आज कल सिविल बेनाप जंगलों को गांवों के लोगों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है और उनको बरबाद होने दिया गया है, अब समय ऐसा आ गया है कि केवल कुमायूं के लिये ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की भूमि रक्षा और पानी को प्राप्त कराने के लिये जल्द से जल्द सिविल बेनाप जंगलों की रक्षा की जाय और उनका विकास उसी तरह से किया जाय जिस प्रकार सरकार अपने और दूसरे जंगलों का करती है। साथ ही कुमायूं के लिए एक भूमि प्रबन्धक मंडल बनाने के लिये कुमायूं फारेस्ट कमेटी द्वारा कहा गया था। कुमायूं और गढ़वाल के ऊपरी भागों में काफी गांव बरबाद हो चले हैं। यहां तक खबरें हैं कि दानपुर, जौहर और दारमा जो तिब्बत से मिले हुये हैं वहां दस बीस गांव हर साल ऐसे होते हैं जिनका नामो निशान तक नहीं रह जाता। इसलिये मैं समझता हूं कि जब तक भूमि प्रबन्धक मंडल वहां पर स्थापित नहीं किया जाता, नदियों के किनारे बांध नहीं बनाये जाते और जंगलों को कटने से नहीं रोका जाता, तब तक जो बाढ़ आती है, जिससे सैकड़ों गांव देश में भी बरबाद हो जाते हैं और जिन पर करोड़ों रुपया हमें खर्च करना पड़ता है, उसे हम नहीं रोक सकते हैं। साथ ही जैसे माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि वहां के पंचायती जंगलों के लिये अधूरे और अस्पष्ट नियम बने हुये हैं। जब तक वहां के लिये कोई विधिवत अधिनियम नहीं बनाया जाता तब तक वहां के जंगलों की रक्षा नहीं की जा सकती है। कुमायूं पंचायती फारेस्ट रूल्स जो इस समय हैं उनसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है और उस गड़बड़ी को जल्द दूर करना चाहिये।

कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में अभी माननीय उपमंत्री महोदय ने फरमाया कि हमें इसमें कुछ सफलता मिली है। मैं यह चाहूंगा कि इस अनुभव को और आगे बढ़ाया जाय और इसकी मांग भी जनता की तरफ से बहुत ज्यादा है। जंगलात विभाग की ओर से यह कहा जाता है कि कुटीर उद्योग यदि बढ़ जायगा तो टरपेंटाइन का भाव गिर जायगा। मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि जो लोग कोई रोजगार करते हैं उन्हें नफा या नुकसान उठाने के लिये तैयार होना चाहिये। यदि कोई किसी रोजगार में जाना चाहता है तो सरकार की तरफ से उसको वे सुविधाएं प्रदान होनी चाहिये जो कि वह मांगता है। टनकपुर, पिथौरागढ़ सड़क बन जाने से पूर्वी अल्मोड़ा वृत खुल गया है और वहां से हम हजारों मन रेज़िन इकट्ठा कर सकते हैं और उन तमाम लोगों को रेज़िन दे सकते हैं जो कुटीर उद्योग के लिये उसे चाहते हैं। आज तक वन विभाग की तरफ से बड़ी अड़चनें रही हैं। केवल सोमेश्वर में एक सज्जन को कुछ लीसा दिया गया। उनके अतिरिक्त कितनी ही मांगें सरकार के पास आती रही हैं परन्तु उनको नहीं दिया गया और इस प्रकार वहां के लोगों को कुटीर उद्योग में कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सका।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने एफोरेस्टेशन के बारे में, गेम्स के बारे में और फिशरीज के बारे में, जड़ी बूटी उत्पादन के विषय में बहुत दफा कह चुका हूं। इसलिये इन विषयों को फिर से न दोहराकर आज जंगलों के एक्सप्लाएटेशन के बारे में और जंगलों की इन्डस्ट्रीज का जो विकास हो सकता है, उसके बारे में कहने की इच्छा रखूंगा, और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उन बातों को कार्यान्वित करेंगे।

एक्सप्लाएटेशन के बारे में मुझे कहना है कि जंगलों में तीन किस्म के आपरेशन्स होते हैं, एक तो दरख्तों का गिरान, दूसरा उनका चिरान और तीसरा उनका ढुलान। तो

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]
उसके बारे में मुझे कहना है कि जो दरख्तों का गिरान हमारे प्रदेश में हो रहा है वह बहुत पुराने ढंग का है। इसमें दो तीन फिट ऊपर जड़ के हमारे यहां गिरान होता है। कुल्हाड़ी से दरख्त गिराये जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि काफी लकड़ी योंही जाया हो जाती है उससे जंगलों में आग लगने का अंदेशा हो जाता है। इन जड़ों में हमेशा रेजिन रहा करता है जो आग को एकदम फैलाता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मान लिया चालीस हजार दरख्त एक साल कटे और हर एक दरख्त में तीन फिट लकड़ी जो जड़ की होती है वह जाया हो जाती है तो एक लाख से ज्यादा फीट यूंही बरबाद हुई, अगर जैसे कश्मीर में गिरान किया जाता है जो कि बिल्कुल जमीन की लेविल से आरे से किया जाता है, वैसे ही किया जाय तो हम उस लकड़ी को काम में ला सकते हैं। इसके अलावा शाख त्राशी करके दरख्त के सिरे को रस्से से बांध कर उस तरफ दरख्त गिराया जाता है जिससे बाकी पौधों को कोई नुकसान न हो, मगर हमारे यहां यह चीजें नहीं हो रही हैं। दरख्त को कुल्हाड़ी से गिराकर, जिधर वह गिरना चाहे वह गिरता है इससे बाकी पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही किस्म का जो साइन्टिफिक तरीके का गिरान है वह हमारे प्रदेश में भी किया जाय।

इसके अलावा चिरान का भी तरीका कुछ ऐसा ही है जिससे ज्यादा क्युबिकल कण्टेण्ट जंगल में ही रह जाता है और कम लकड़ी शहर में बिकने के लिये आ पाती है। अगर मशीनों के जरिये उसका चिरान किया जाय तो बहुत ज्यादा क्युबिकल कण्टेण्ट (घनफुट लकड़ी) हमारे काम में आ सकती है। इसके अलावा ढुलान का जो तरीका है वह भी एक पुराने ढंग का है। हमारे यहां जो तरीका है उसमें एक आदमी के सिर पर एक शहतीरी रखा जाता है। तीन मील वह पैदल चलता है और नाले तक लाता है फिर तीन मील वापस जाकर दूसरी शहतीरी वह लाता है। दिन भर में वह तीन चार शहतीरी ला सकता है। अगर वायररोप्स का प्रयोग किया जाय जैसा कि कश्मीर में हो रहा है कि वायर रोप्स जंगल के सिरे में बांध दिये जाते हैं। वहां से नाले तक वह फैले रहते हैं। तो एक मिनट में एक शहतीरी आ जाती है। इससे हम बहुत सी ह्यूमन लेबर भी सेव कर सकते हैं। इनके अलावा कई एक ऐसे अपरेशन्स हैं जैसे ड्राई स्लाइड, वेट स्लाइड पथ्र व पक्की नाली जिनको विस्तार में मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है मगर मैं चाहूंगा कि फारेस्ट विभाग इन बातों पर ध्यान दे और उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करे।

इसके अलावा जो दूसरी बात मुझे कहनी है वह यह है कि अगर फारेस्ट विभाग के जरिये से सड़कों का निर्माण हो तो मेरे खयाल में ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देहरादून ट्रेनिंग में उन लोगों को इस बात का अच्छा ज्ञान हो जाता है कि क्या ग्रैडियण्ट व आसपैक्ट में सड़कों को बनाना चाहिये। बजाय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अगर फारेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाय तो सड़कों की व्यवस्था में बहुत सुधार हो सकता है।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि हमारे जंगलों में जो विक्रय होता है वह आक्शन के जरिये होता है। मैं चाहूंगा कि यह टेण्डर के जरिये हो तो कुछ इसमें सुधार हो सकता है। अंग्रेजी हुकूमत की डिवाइड ऐण्ड रूल की प्रथा प्रचलित थी वह ज्यादा से ज्यादा कीमत में जंगलात को बेचना चाहते थे लेकिन उसका बड़ा बुरा परिणाम हुआ। कभी ठेकेदार आपस में मिल जाते हैं और एक लाख के जंगल को ५० हजार में ही ले लेते हैं। और कभी झगड़ा हो गया तो एक लाख के जंगल को डेढ़ लाख में लेते हैं। इससे घूसखोरी का कारण पैदा हो जाता है। मेरा जो दस साल का कश्मीर के जंगलों का तजुर्बा है उसकी बिना पर मैं कह सकता हूं कि टेंडर प्रथा से बुराइयां हटाई जा सकती हैं। आदमी सोच समझ कर वाजिब कीमत पर जंगल को लेगा और उसको कोई प्रोत्साहन नहीं होगा कि वह घूसखोरी के परिणाम पर जाय।

इसके अलावा मैं सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के लिये भी उन्नति चाहूंगा।

आज कल जंगलों का सोयल इरोजन बहुत हो रहा है और खास कर पर्वतीय इलाके में। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस ओर सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। हमारे यहां फायरवुड कूप्स बहुत ज्यादा हैं। मैं चाहूंगा कि उसके बजाय अगर वहां हार्टी-कल्चर गार्डन बन सकें तो अच्छा हो। इसके लिये ज़मीन देनी चाहिये। जो पर्वतीय चारों जिले हैं उनकी इस ओर उन्नति होने की बहुत आवश्यकता है। समय थोड़ा है, इसलिये मैं संक्षेप में थोड़ी सी बातें कहूंगा। मानइर फारेस्ट प्राडक्ट्स, जैसे बैलाडोना, कुठ धूप थैरीथम लाख और गोंद वग़ैरा हैं उनको हमारी सरकार को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। ऐसे ही कत्था है और रसौत है जिसे पहाड़ी में चिलमोड़ा कहते हैं। इनकी भी काफी तरक्की हो सकती है। क्रियोसोटिंग प्लांट जैसे पंजाब में ढिलवा है इसी तरह अगर हमारे इलाके में भी लगाई जाय तो इससे बहुत कुछ बेकारी मिट सकती है और लकड़ी के व्यापार में उन्नति हो सकती है। जैसे चीड़ की लकड़ी में दीमक कीड़ा बहुत लगता है इससे यह होने से रोका जा सकता है। ज्वाइनरी मिल यदि हमारे यहां भी हो, जैसा कि कश्मीर में है, और जहां ३०० मील माल लाकर पठानकोट में बेचा जाता है, तो इससे बहुत लाभ हो सकता है। स्टैंडर्ड साइज के दरवाज़े और खिड़-कियां बना कर बेंची जा सकती हैं। इसी तरह सिल्क की इन्डस्ट्री के विकास के लिये मलबैरी को बढ़ा कर सिल्क पैदा करने में बहुत कुछ उन्नति होने की गुंजाइश है। और फर्नीचर, खेल का सामान, प्लास्टिक और पेपर दस्त प्लाईवुड टाइज़ की और पैकिंग केसेज़ की भी बहुत उन्नति हमारे देश में हो सकती है।

श्री सत्यसिंह राणा (ज़िला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष, वन के सम्बन्ध में प्रत्येक साल कई सुझाव दिये जाते रहे हैं। वनों से उत्पन्न साधनों के इस्तेमाल से जो-जो गृह उद्योग धंधे चलाये जा सकते हैं उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। माननीय नेगी जी ने भी इस बात को मंजूर किया और इसके बारे में काफी चर्चा की। लेकिन खाली कह देने से काम नहीं होता। क्या यह सरकार बता सकती है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिये उसने कोई क्रियात्मक कदम उठाये हैं? अगर नहीं तो सरकार अपनी नीति में असफल रही है। अभी माननीय नेगी जी ने अपने भाषण में क़बूल किया कि इस राज्य के जंगलों में सबसे बड़े जंगल उन्हें टेहरी के प्राप्त हुये हैं। उन जंगलों का प्रबन्ध पहले से ही समुचित रुप से तत्कालीन सरकार के हाथ में था और इस सरकार को वहां का ठीक काम चलाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये थी। लेकिन विलीनीकरण के पश्चात् से जो जंगल सम्बन्धी नीति वहां बरती जा रही है वह बिलकुल उपयुक्त नहीं है। अगर यह कहा जाय कि जंगलों की सुरक्षा, जनता के हितों और रियासती युग के कर्मचारियों के लिये कोई समुचित खयाल नहीं रखा जा रहा है तो ज्यादती नहीं होगी। वहां जंगलों की व्यवस्था पहले से ही दुरुस्त थी, जैसा मैंने अभी कहा, और वहां योग्य दीक्षा प्राप्त कर्मचारी थे। लेकिन आज वहां ऐसे अनुभवी लोगों के होते हुये भी उन्हें यू० पी० सरकार के भेजे हुये कम अनुभवी लोगों के मातहत रखा जा रहा है। एबसार्बशन के बारे में मुझे मालूम हुआ है कि जिस तारीख़ से वहां के लोग एबसार्ब किये जावेंगे उसके बाद से ही उनकी सीनियारिटी क़ायम होगी। मैं चाहता हूं कि यह बात झूठ हो और यदि यह सत्य है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी पहली सर्विसेज़ का भी खयाल रखे। हमारी सरकार ने वहां फारेस्ट सैटिलमेंट के लिये ८०-९० हजार रुपया खर्च किया जिससे कोई लाभ न हुआ। वहां पर लोगों की तरक्क़ी के लिये कोई ज़मींन नहीं दी गई है और न इस सेटलमेंट से इस समस्या का हल निकला, जिसके सम्बन्ध में पहले भी कई आन्दोलन हुये हैं। पिछले साल जब हमने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस सदन में आकर्षित किया था तो उन्होंने अपने जवाब में बताया था कि जनता जंगलों के लिये नहीं है बल्कि जंगल जनता के लिये हैं।

[श्री सत्यसिंह राणा]

इसलिये मेरा कहना है कि सटेलमेंट के बजाय डिमार्केशन के द्वारा जंगलों में मीनारे हटाये जावें। एक बात और उन टुकड़ों के मुताल्लिक है जो जंगलात के अन्दर काफी तादाद में पड़े हुये हैं । जो आबादी के लिये आसानी से दिये जा सकते हैं। यह भी मैं कहना चाहूंगा कि भूमिहीन और हरिजनों के लिये जमीन की कोई व्यवस्था नहीं है। नेगी जी ने कहा कि राज्य के कई जिलों में इसके लिये बहुत सा जंगल डिफारेस्ट किया गया है लेकिन टेहरी में ऐसा कोई जंगल नहीं जो हरिजन और भूमिहीन लोगों के हितार्थ Deforest कर दिया गया हो।

वहां की सड़कों और पुलों को देखने से तो यह मालूम होता है कि वहां कोई सरकार ही नहीं है विलीनीकरण के बाद से सब सड़कें बिना मरम्मत के पड़ी हुई हैं और जो पुल थे वह भी बह चुके हैं। मैं माननीय नेगी जी को बताना चाहता हूं कि जब वे उत्तर काशी तशरीफ़ ले गये थे तो उनके लिये रास्ते में बड़ेथी स्थान पर रात ही रात में पुलिया बनाई गई थी। नेगी जी ने डिप्टी मिनस्टर की हैसियत से जो वहां के लोगों को आश्वासन दिये हैं उनमें से आज तक एक की भी पूर्ति नहीं हुई। उन्होंने श्रमदान से बनने वाली डांगचौरा की सड़क के मुताल्लिक यह आश्वासन दिलाया था कि जंगलात विभाग उसका चट्टानी हिस्सा बनावेगा किन्तु उस दिशा में अब तक कोई कार्य जंगलात विभाग ने नहीं किया।

श्री जगमोहन सिंह नेगी----मैंने जो कहा था उसे वहां के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने लिया है। मगर मैंने चट्टान का शब्द नहीं कहा था बल्कि औजार और एलाइनमेंट की मदद के लिये कहा था।

श्री सत्यसिंह राणा---खैर, कुछ एक्सप्लेनेशन देने की सरकार की ओर से कोशिश की गई लेकिन उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ। आपने हमारे सामने कुछ नहीं कहा लेकिन जिस तरह से वहां जिलाधीश ने और कंजरवेटर ने आपके आश्वासन के मुताल्लिक एलान किया है उसके बारे में मैं कह रहा हूं । आप उन लोगों से दरियाफ्त कर सकते हैं। उत्तर काशी से धरातू के लिये सड़क का भी उन्होंने आश्वासन दिया था मगर कुछ नहीं किया गया। मैं सरकार की सेवा में निवेदन करूंगा कि जहां जंगल इतनी प्रचुर और अधिक मात्रा में हों वहां उनकी सुरक्षा के लिये कम से कम सड़कों और पुलों का होना नितान्त आवश्यक है। मुझे स्वयं जंगलों के बारे में कहना है कि वे पहले पंचायतों में हुआ करते थे लेकिन कुछ अर्से से जंगल विभाग में आ गये हैं। इससे उनकी बरबादी ही हुई है। जंगल विभाग उन जंगलों में रवन्ना देकर पेड़ कटवा रहा है और रेजिन तक Extract करवा रहा है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जब पंचायतों का निर्माण हो रहा है और उनकी तरक्की और वृद्धि का सवाल चल रहा है तो वे जंगल उन्हें वापस दिये जावें। एक और बात उनके नोटिस में यह भी लाना चाहता हूं कि जो जंगलात के दफ्तर यमुना और टोंस डिवीजनों से मसूरी और चकरौता में शिफ्ट किये गये उसका मतलब हवा खोरी और वहां मोटरों और सिनेमा की सैर के लिये ही कहा जा सकता है। उनसे न कोई जनता को फायदा है और न जंगलात के सबार्डिनेट कर्मचारियों को और न जंगलों को ही सुरक्षित किया जा सकता है। दफ्तरों को हटाने से जो खर्चा वहां हुआ और होता है उसका अन्दाजा लगाइये और फिर प्रेस्टिज कम्पेलिक्स का शिकार न बन कर डिवीजनल हेडक्वार्टर्स को जहां पहले था वहीं वापस करने की कृपा करें।

अब समय समाप्त हो रहा है । मैं इन सब बातों की ओर दोबारा किसी समय सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि सरकार मेरी प्रार्थना पर विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करेगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले गिरिराज के वनवासियों को अवसर दिया और उसके अनन्तर एक विन्ध्यक्षेत्र के वनवासी को अवसर दिया। मैं उसके बाद उपमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वन के विकास के संबंध में जो अनुदान उपस्थित किया है उसमें बड़ी आशायें हैं। अभी प्रातः ही हमारी बातें चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट से हो रही थीं। उन्होंने जो भव्य योजनाओं का चित्र हमारे सामने रखा उसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बताया कि वृन्दाबन को वे नन्दन कानन बनाने जा रहे हैं और जो राजपूताने की तरफ से रेगिस्तान बढ़ता चला आ रहा है उसे भी रोकने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। यह सब बातें ऐसी हैं जिससे हमें सुन्दर भविष्य की आशा स्पष्ट दिखलायी पड़ती है।

लेकिन अब कुछ और बातें हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन ज्यों-ज्यों पास आता रहा त्यों-त्यों जमींदारों ने जंगलों को बड़ी निर्दयता से कटवाया है और हमारे जंगलों का बहुत बड़ा भाग बहुत तेजी से काट डाला गया है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि इधर पांच वर्षों में जंगलों का नाश हुआ है जो शायद पचास वर्षों में नहीं हो सकता था। इस तरह से हमारे देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति का बहुत बड़ा ह्रास किया गया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर खासतौर से आकृष्ट करना चाहता हूं।

इसके बाद में सरकार को दो एक बातें और बताना चाहता हूं। हमारे जंगलों का बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां सड़कें न होने के कारण उनका पूरा-पूरा विकास नहीं हो सकता। वहां पहुंचना ही बड़ा कठिन है तो विकास की बात क्या। इसलिये उन स्थानों पर सड़कें बनवाने का प्रबंध होना बहुत जरूरी है और उसके लिये एक मद इस वन अनुदान के अन्तर्गत रहना आवश्यक है। हमारे यहां सोनपात और चोपन से पश्चिम और दक्षिण की तरफ जोगई, परसोई, ओबरा, बेल्दा डोमरी, सिंगरौली तक का क्षेत्र जो ५० मील लम्बा और ४० मील चौड़ा क्षेत्र है वह जंगलों से छाया हुआ है और वहां एक भी सड़क नहीं है जिसके कारण वहां कोई आदमी १०-१० और ५-५ वर्ष तक नहीं पहुंचता और इस वजह से वहां के जंगलों में जो संपदा है उसका न कोई लाभ है और न कोई विकास किया जा सकता है। यदि आपके वन के अनुदान में सड़कों के बनवाने के संबंध में भी कोई अनुदान हो, और उससे सड़कें बनें। यह मैं नहीं कहता कि आप सब एक साथ ही बनवा दें, धीरे-धीरे करके सड़कें बनवा दी जायं तो आप देखेंगे कि आपके अहलकार, आपके कर्मचारी आसानी से पहुंच सकेंगे और जंगलों की उन्नति कर सकेंगे। तो यह बहुत ही आवश्यक सुझाव है जो मुझे देना है।

इसके बाद मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जंगलों से लकड़ी, बगई और बांस काटकर मल्लाह लोग दो दो सौ और डेढ़-डेढ़ सौ मील नदियों में बहाते बहाते डेहरी-आन-सोन भेजते हैं। उनको दो-दो और तीन-तीन महीने की यात्रा करनी पड़ती है। पहले वह जंगलों से लकड़ी काटकर उसका बहर बनाते हैं और उस बहर को नदियों में बहाते हुये चलते हैं तो उनको बड़ी-बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बहर को बनाने में, नदियों के किनारे खोदने में, बहर को उसमें रखने और उसको तैराने और फिर जब डूबने लगे तो बहर को खोलने में और फिर खोलकर दोबारा बहर बनाने और फिर नदियों में तैराकर चलने में उनको बड़ी-बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यदि रास्ते बन जायं तो ये दिक्कतें दूर हो जायं और जो निकट का रास्ता है यदि इन जंगलों से मिर्जापुर शहर को आने का मार्ग खोल दिया जाय तो उनको अपना सामान डेहरी-आन-सोन में मिट्टी के भाव न बेचना पड़े और शहर में उनको

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

अच्छे दाम मिल सकेंगे। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सड़कों के लिये खास तौर से प्रबंध किया जाय ।

इसके अलावा मैं थोड़ी सी मुकामी बातों को भी बतलाना चाहता हूं। मैं मिर्जापुर जिले का जिक्र कर रहा हूं । वहां पर दो डिवीजन हैं। एक तो सोन डिवीजन है और दूसरा दूधी है। दूधी डिवीज़न में दो तीन तकलीफें हैं। इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां जंगल की सीमा को गांवों के निकट से हटा दिया गया है, उनमें कोई जंगल नहीं है, कोई दरख्त नहीं है और वह जमीन कृषि के काम में बड़ी आसानी से आ सकती है और लगभग एक लाख एकड़ के ऐसी जमीन पड़ी है जो खेती के लिये मिल सकती है। इसको अलग कर दिया गया है। गांव वालों को बड़ी दिक्कत है और उसकी बहुत सी शिकायतें हुआ करती हैं और कभी-कभी गांव वालों पर मुकदमे भी चल जाते हैं, जिससे बड़ी भारी परेशानी होती है। जहां तक मुझे मालूम हुआ है, वन विभाग से इसके संबंध में रिपोर्ट की गई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी तहकीकात करके इसको छोड़ दिया जाय, इससे गांव वालों को सुविधा होगी, खेती की तरक्की होगी और जंगलों का भी कोई विशेष नुकसान नहीं होगा ।

इसके सिवाय मैं दूधी की कुछ और बातों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां की खास उपज जो है वह है बगई, घास और बांस । यह वहां पर बहुत ज्यादा उत्पन्न होती हैं। इस समय वहां पर ७५ हजार मन घास पड़ी हुई है। इसके लिये कोई बाजार नहीं है। देहरी-आन-सोन का बाजार बहुत नीचा है। इसलिये ठेकेदारों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि घास और बांस का प्रबंध किया जाय तो जैसाकि हमारे नेगी जी ने कहा कि वहां पर कागज़ का कारखाना खोले जाने की तजवीज है। यदि ऐसा हुआ तो मिर्जापुर अकेला इन चीजों की वजह से कई सूबों को कागज सप्लाई कर सकता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय मिश्र जी ने कुछ जंगलात की सड़कों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। हमारे यहां जंगलात में जहां पहाड़ों का सवाल आता है तो सब से बड़ी जो फारेस्ट की प्रोड्यूस है जिससे सरकार को बड़ी भारी आमदनी होती है वह लीसा, लकड़ी, तथा जड़ी-बूटियों आदि के ठेके हैं। इसके निकालने में सरकार का २३ लाख रुपया खर्च होता है। इस २ लाख सात हजार मन लीसा को सरकार सड़कों तक पहुंचाने में इतना खर्चा करती है। इसका बहुत ज्यादा हिस्सा हमारे जो खच्चर और घोड़े हैं और जो आदमी अपने सिर पर लीसा लादकर सड़कों तक लाते हैं उनके किराये वगैरह में खर्चा होता है। अगर सरकार यह चाहती है कि यह लीसा और भी सस्ता पड़े और इधर-उधर के ढुलान में रुपया खर्च न हो तो सब से जरूरी यह है कि इन जंगलात से जहां रास्ता मिलता है और जहां तक सड़क है वह मोटेरेबिल रोड बनाई जाय। सरकार अगर एक साल के लीसे को ढोने वगैरह में जो दस लाख रुपया खर्च होता है, इसी रुपये को फारेस्ट डिपार्टमेंट को सड़क बनवाने के लिये दे दे तो जैसा कि हमारे माननीय नेगी जी ने कहा है कि जंगलात की सड़कें सस्ती बनाई जाती हैं और सस्ती सड़कें बन सकती हैं और उसी बहाने और चीजें भी सस्ती पहुंच सकती हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो तराई वगैरा के एरिया में मोटरेबिल रोड बनती हैं, उसमें रुपया कम खर्च होता है लेकिन यह पहाड़ी इलाका है इसमें सड़क बनवाने में ज्यादा रुपया खर्च होने की सम्भावना है। लेकिन यदि सड़क बनवाने के लिये रुपया दिया जायगा तो हमेशा के लिये हमारा प्राब्लम साल्व हो जायगा ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी बदकिस्मती तो यह है कि हमारे मुख्य मंत्री जी पहाड़ों के रहने वाले हैं। जब भी हम कोई बात कहते हैं कि पहाड़ों पर यह होना चाहिये, वह होना

चाहिये, कोई रुपया पहाड़ों के लिये मिलता है तो लोग कह देते हैं कि पंत जी पहाड़ों के हैं, इसलिये सारा रुपया पहाड़ों को ही चला जा रहा है। तीन करोड़ की आमदनी हमारे इस प्रांत में सिर्फ फारेस्ट प्रोड्यूस से है। जैसा हमारे माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि अगर २५ फीसदी उसका हमारे इलाके में खर्च किया जाय तो ७५ लाख रुपया पहाड़ वालों को मिल जाता है। सन् १२ में यह कमेटी बैठाई गई थी और उसके बाद जब-जब कांग्रेस सरकार आई तब-तब पंत जी ही उसके मुख्य मंत्री रहे। पहले तो पंत जी कोई काम नहीं करते थे सब काम चीफ कंजरवेटर से कह. कर करा लेते थे लेकिन अब तो उपमंत्री भी पहाड़ से ही हो गये हैं। वह कह देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, यह कैसे किया जा सकता है। हमारी सरकार को यह नहीं सोचना चाहिये कि यह यहां के हैं और वह वहां के हैं। जो बातें ठीक हों उनको करना चाहिये। पंत जी के मुख्य मंत्री होने से तो हमें काफी नुकसान ह। हमारे मुख्य मंत्री होते हुये भी हम लोगों की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देते। इसलिये मुख्य मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस विभाग को छोड़ दें तो बहुत अच्छा हो और अगर नहीं छोड़ते तो हमारे साथ यह व्यवहार न किया जाय, लोगों के डर से कि वह ऐसे कहेंगे, वैसा कहेंगे, मुख्य मंत्री जी पहाड़ के होते हुये भी हम उनसे कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। हमारे यहां रेल नहीं है। पुलिस पर खर्च नहीं होता। नहर पर खर्च नहीं होता। हमारे यहां किसी चीज पर सरकार का खर्च नहीं होता। हमारे इलाके से तो आमदनी ही आमदनी है। नदी हमारे यहां से बहती है और प्लेंस की जमीन को उपजाऊ बनाती है। अगर इस जंगल विभाग पर सरकार कुछ खर्च करे तो हमारा पहाड़ी इलाका कश्मीर का मुकाबिला कर सकता है। और यह प्रांत के लिये गौरव की बात नहीं होगी बल्कि भारतवर्ष के लिये गौरव की बात होगी। उत्तराखंड में ऋषि लोग बसा करते थे। इसीलिये हमारा सौभाग्य है कि मुख्य मंत्री इस प्रांत के सबसे पहले वहीं से आये लेकिन उनके मुख्य मंत्री रहने से पहाड़ की जनता का कोई हित नहीं होता, आर्थिक हित से मेरा उद्देश्य है। खुशकिस्मती से अंग्रेज वहां चले गये थे तो बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें बना गये। रानीखेत को बसाने में उन्होंने ११ करोड़ रुपये खर्च किये जिसकी तारीफ दुनिया भर के लोग करते हैं।

रेजिन फैक्ट्रीज के बारे में नेगी जी ने बताया कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने तो पहले भी मुख्य मंत्री जी से बताया था कि यह हमारे यहां की काटेज इंडस्ट्री है और इसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है अभी उतना अच्छा यह नहीं बनता है। सोमेश्वर में जिस आदमी को इसका ठेका दिया गाया है १० हजार मन लीसा उसके नाम एलाट है लेकिन २ हजार मन से ज्यादा वह नहीं उठा पाता। बाकी ८ हजार मन को हम मांगते हैं तो जंगलात विभाग इंकार कर देता है। हम चाहते हैं कि यह एक इंडिविजुअल को न दिया जा कर सोसाइटीज को दिया जाया करे ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। पिछली मर्तबा मैंने फारेस्ट कमेटी का जिक्र किया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वह चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उसमें रक्खे जायं लकिन सदन के बाहर जब मैं गया तो मालूम हुआ कि वह कमेटी ५ साल के लिये बन चुकी है। माननीय मुख्य मंत्री जी रोज-रोज इस तरह से टालते हैं। ५ साल के बाद वह कमेटी फिर बनेगी तो हमें उससे क्या फायदा; हमारी पार्टी के तीन सदस्य पहाड़ से, नैनीताल और अल्मोड़ा से आये हैं, उसके नाते ही हमारी राय उसमें होनी चाहिये ताकि हम लोगों का कुछ हित कर सकें। वह यह सोच कर काम न करें कि वह पहाड़ के हैं बल्कि यह सोच कर काम करना चाहिये कि वह सारे प्रांत के ह।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मदनमोहन जी ने बतलाया, इन जंगलों से मेरा खास संबंध रहा और शायद इन जंगलों के बारे में मुझे

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

सबसे ज्यादा आन्दोलन बहुत वर्षों तक करना पड़ा और उनकी खूबियों और कमियों को मैं कुछ-कुछ जानता हूं। और उसके बाद यहां सरकारी कार्य के सिलसिले में भी मुझे जंगलों के मामले में कुछ दिलचस्पी लेनी पड़ी। मुझे इस बात की खुशी है कि आज आमतौर पर लोगों को इस बात का एहसास है कि जंगलों की रक्षा करना देश की भलाई के लिये बहुत जरूरी है और आज हमारे वहां वन महोत्सव होता है और-और तरीके पर इस बात का उद्योग होता है कि जगह-जगह पेड़ लगाये जायं और जंगलों की तरक्की की जाय। जंगलों की बर्बादी से जो नुकसान पहुंचा है उससे भी हम लोग अब बहुत हद तक परिचित हो चुके हैं। आज आगरे में, गोबर्धन में और उधर के तमाम उबड़-खाबड़ रेवाइन में पेड़ों को लगाने की सब से बड़ी जरूरत हो रही है और अगर वहां जंगल होते तो वहां का रेगिस्तान हमारे यहां फैल कर हमारे प्रांत को बर्बाद कर देगा, यह अन्देशा हमें नहीं होता। इन बातों को देख कर हमें जंगलों के इंतजाम की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है उनके काम की अहमियत को समझना चाहिये और छोटी-मोटी बातें अगर कहीं पर कोई असुविधा हो तो जो बड़ी ग़रज और बड़ा उद्देश्य हमारा है उसे पूरा करने के लिये कुछ उदारता से उस विषय को देखना चाहिये।

हमारे प्रदेश में जंगलों की तलहटी के हिस्से में, दोआबा में और-और जगहों में बहुत कमी है और उस कमी को यथासंभव हम पूरा कर सकें तो बहुत लाभ होगा। परन्तु यह तो बातें ऐसी हैं जिनके संबंध में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जंगल बहुत बर्बाद हो चुके और अब उनकी हिफाजत करने की हम सब को कोशिश करनी चाहिये। यह भी सही है कि पिछले चार-पांच साल में निजी जंगलों को जिनके हाथ में वे थे, उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उससे पहले जिस वक्त लड़ाई हो रही थी अंग्रेजों ने अपने जमाने में जब उनको लकड़ी की जरूरत हर काम के लिये हुई तब किसी वर्किंग प्लान वगैरह का कोई लिहाज न कर के जंगलों को बेरहमी से काटा। इससे ज्यादा जरूरत इस बात की हो गई है कि हम जंगलों की तरफ एक स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखें और उनको अब एक वैज्ञानिक ढंग से काम में लाने और बढ़ाने का उद्योग करें। इस सिद्धांत के बारे में मैं आशा करता हूं कि हमारे सदन में कोई मतभेद नहीं होगा। हमारे यहां १५ अगस्त, १९४७ को जब कि हमने आजादी हासिल की थी, केवल क़रीब ६ हजार वर्ग मील जंगल जंगलात विभाग के हाथ में थे। आज उसके हाथ में क़रीब-क़रीब १३ हजार वर्ग मील जंगल हैं, पहले से दूने से ज्यादा हो चुके, इनमें बर्बाद किये हुये जंगल भी शामिल हैं। मगर इतनी उनकी जिम्मेदारी बढ़ने पर भी खर्चा उस अनुपात से नहीं, उससे बहुत ही कम बढ़ा है। कोशिश यह की गयी कि खर्च को बगैर बढ़ाये हुये भरसक इस दूने रकबे का इंतजाम किया जाय और उस कोशिश में हर तरह से जनता के सहयोग की आशा की जाती है, क्योंकि जंगलों की रक्षा और सुधार वगैर आम लोगों की मदद के पूरी तरह से नहीं हो पाता। इस बात की भी जरूरत है कि जंगलात विभाग इस तरह से अपना काम करे और जनता का सहयोग उसको मिले। आम लोग यह अपना एक फ़र्ज न समझें बल्कि हक़ समझें कि उनके जंगल अच्छी तरह से बरते जायं और कायम रहें। आज मामूली वक्त में हमारे यहां जंगलों से करोड़ों मन लकड़ी आ रही है और शहरों को तेजी के जमाने में भी कम कीमत में लकड़ी देकर ग़रीबों को खाने-पीने का मौका दिया गया। जो कीमतें उस वक्त थीं अगर वही लोगों को देनी पड़तीं तो हर खानदान को कम से कम दो चार रुपया महीना ज्यादा खर्च करना पड़ता। इस तरह से आंखों से ओझल रह कर भी शहरों की सहायता इन जंगलों ने की है। देहातों में लकड़ी की जरूरियात के अलावा वहां की पत्ती की खाद भी काम में लाई जाती है। इसके अलावा जब कभी सूखा पड़ जाता है, पानी की स्कैअरसिटी होती है तो जानवरों की रक्षा भी जंगलों से होती है और पशु-धन को कायम रखने की सबसे बड़ी हमारे देश की जरूरत भी इन्हीं जंगलों से पूरी होती है।

इधर इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि जंगलों से जो फायदा हो रहा है उससे और भी ज्यादा फायदा हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिये जिस लकड़ी की जरूरत होती है उसकी पैदावार को बढ़ाया जा रहा है। हमारे यहां की स्पोर्ट इंडस्ट्री जब से हमारे प्रवासी भाई यहां पंजाब वगैरह से आये हैं बहुत बढ़ गयी है, और उसके लिये जिस लकड़ी की जरूरत होती है उसको पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिये मलबरी और ऐश वगैरह के पेड़ लगाये जा रहे हैं। इसके अलावा मैचवुड के लिये जिस तरह की लकड़ी की आवश्यकता होती है उसको भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जंगलों में आम, महुआ, अखरोट वगैरह के पेड़ लगाने की कोशिश की जा रही है, जिनमें फल भी होते हैं और उनकी लकड़ी भी काम में लाई जाती है ताकि हमारे प्रदेश में जंगलात की लकड़ी से फायदा उठाया जा सके और उसके फल भी आम जनता को मिल सकें।

इसके अतिरिक्त हमारी पंचवर्षीय योजना में जंगलों के संबंध में विशेष ध्यान रख कर एक कार्यक्रम बनाया गया है और उसके मुताबिक काम किया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी कहा की उद्योग-धंधों के लिये जिस किस्म के पेड़ों की आवश्यकता होती है उनको लगाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। न्यूज़ प्रिन्ट के लिये और कागज़ बनाने के लिये अमरीकन टैक्निकल ऐक्सपर्ट्स बुलाये गये हैं, जो इस बारे में काफ़ी छान-बीन कर रहे हैं। इस प्रकार और काम भी हो सकते हैं, उनके लिये भी उद्योग किया जायगा और जो इंडस्ट्री हो सकती हैं उन पर भी ध्यान दिया जायगा। टेहरी में टैपिंग के लिये एक कमेटी बना दी गयी है जिसके द्वारा टैपिंग कराने का इरादा है। लेकिन टेहरी के जंगलों का ठेका हमारे प्रदेश में बहुत से ठेकेदारों को पहिले से ही दे दिया गया है, इसके सबब से रुकावट पैदा हो गयी है। कुछ ठेके तो अगले वर्ष समाप्त हो जायेंगे और कुछ पांच साल तक चलेंगे। इस कारण से हमारे हाथ बंधे हुये हैं। इस बात के लिये भी यहां कहा गया कि पहाड़ी इलाकों में काटेज इंडस्ट्री के तरीके से भी रेज़िन बनाने का सरकार की तरफ से मौका मिलना चाहिये। इसके साथ मैं हमदर्दी रखता हूं। मगर जैसा कि मैंने कहा था हम सब को इस बात को ध्यान में रखना है कि कई लाख रुपया हमारे वहां हर साल इस रेज़िन व टरपेंटाइन से रेज़िन देकर आता है। क्वालिटी हमारे रेज़िन की जो टरपेंटाइन फैक्ट्री में बनती है वह दरअसल दुनिया में बहुत अच्छी समझी जाती है और उसकी काफी मांग है। ऐसा न हो कि कुछ थोड़ी सी चीज के लिये हम उसे बदनाम कर दें कि यहां का रेज़िन व टरपेंटाइन अच्छा नहीं होता और उसकी मांग बाजार में कम न होने पावे, इसको भी हमको एहतियात करना चाहिये। अगर उसको पूरा करते हुये हम उसे घरेलू धंधे के तौर पर बढ़ा सकें तो उसके बढ़ने से सभी को खुशी होगी परन्तु हमारे यहां हजारों आदमी टैपिंग के धंधे में लगे हुये हैं। इसलिये हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि इनमें कोई छोटी-मोटी बात के लिये ऐसी गलती न कर बैठे जिससे हमको बड़ा नुकसान उठाना पड़े।

इस सिलसिले में आज रेज़िन व टरपेंटाइन फैक्टरी से जो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। रेज़िन व टरपेंटाइन से हमको सालाना काफ़ी आमदनी होती है। इस सिलसिले में हमको यह भी देखना है कि जब कि हम किसी काम को शुरू करते हैं, तो उसे बढ़ाते जावें और बीच में कोई ऐसी बात न कर बैठें जिससे उसकी तरक्की में भारी रुकावट डाली जावे। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी इंडस्ट्री हम बना सकें उसे बनाना है और उसको आगे बढ़ाने के लिये जो भी उद्योग हो सके करना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी ने आज भी अपने हिन्दसे दिये और कहा कि इसमें गलती है और गलत इसलिये है कि मेल-जोल नहीं खाते हैं। उसके लिये मुकाबिला करने

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

के लिये बहुत सी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। लेखे का जब मुकाबिला होता है तो पहले डाटा को अच्छी तरह से चेक करने की जरूरत होती है कि उनको सही मालूम हुई या नहीं। जो एकाउन्ट कि फारेस्ट रेवेन्यू, एक्सपेंडीचर वगैरह का होता है, उसमें बहुत सी चीजें फारेस्ट ट्रेड्स आदि जो होता है वह उसमें नहीं आता है। जैसे वहां से स्लीपर्स वगैरह जो जाते हैं उसके लिये रेलवे के साथ उनका सीधा संबंध होता है और ये सब चीजें उसमें नहीं होती हैं। ऐसी और भी चीजें हैं जो उसमें शामिल नहीं की जाती है। अगर इस रिपोर्ट को वे पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि ऐसी खास-खास चीजें हैं कैपिटल एकाउन्ट है, रेवेन्यू एकाउन्ट है तो उनको भी अलग-अलग ध्यान में रख कर उस पर विचार करने की जरूरत होती है। जितना कि वे आंकड़ों को पढ़ते, लिखते और देखते हैं उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि वे अपनी मेहनत से गलत नतीजे निकाल कर अपनी मेहनत का फायदा औरों को न पहुंचावें और खास तौर से गलत चीजें बतलायी जायं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। उनकी बातों का फायदा हमको मिलना चाहिये और जहां कहीं वे गलत बात समझते हों, हमें बतलावें, हम उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट से, अपनी जानकारी से उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। जो गलत बात हो उसे मानें क्योंकि अगर कागज की गलती है और वाकयात गलत हैं तो उसमें कोई भी बात घबराहट की नहीं है, कोई भी आदमी उसको मान सकता है। मगर कहीं गलती न हो और उसे कयास से, कल्पना से बतलाया जाय तो उसमें कोई फायदे की बात नहीं है। इसलिये अगर इन सब चीजों को ध्यान में रख कर तकरीर हो तो एकाउन्ट की बात ऐसी नहीं है जिसमें किसी को कोई भी शुबहा करने की गुंजाइश हो। उन्होंने एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट को देखा होगा। अगर हमारे बजट एकाउन्ट में दरअसल कोई गलती आडिटर जनरल देखता तो वह बहुत मोटे-मोटे हरफों में लिखा होता है। मगर उसमें कहीं पर इसका संकेत मात्र भी नहीं है कि हमारे फाइनेंस एकाउन्ट में या किसी एकाउन्ट में कहीं पर भी कोई गलती है। सिर्फ उसके क्लासिफिकेशन का सवाल है। अगर आपको कोई शुबहा मालूम हुई तो उसे देख कर हमको बतलाते तो उसे हम दूर करने की कोशिश करते और उस शुबहात को दूर करने के लिये हमको यहां पर इतना ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ता।

कुछ यह कहा गया है कि पहाड़ों पर जो जंगल हैं उनसे नफा होता है। आखिर जरूर होती है सही बात है। पहाड़ी इलाके की आमदनी या देश के और जंगलों की आमदनी या आबपाशी की आमदनी या मालगुजारी की आमदनी इन सबको अलग अलग नहीं देखना है। हमारा एक प्रदेश है उसके अन्दर बहुत से सीगों से आमदनी होती है और बहुत सी बातों में खर्च होता है। किसी गांव से आमदनी होती है और किसी गांव से नहीं होती। जंगलों की भी आमदनी होती है और किसी गांव से नहीं होती जंगलों की भी आमदनी जंगलों पर खर्च की गई है तो कोई इसके लिये अगर कहे कि नैनीताल की आमदनी अल्मोड़ा में नहीं लगनी चाहिये। अगर इस तरह से स्थानीय सीमा के अन्दर हम बातों को देखने लगें तो इससे दिक्कत हो सकती है। असल बात यह है कि हमारा एक प्रदेश है और एक ही देश है उसमें जो जरूरत हो, उसको चाहे आप साम्यवाद कहें या और कुछ, उसमें हर एक को उसकी काबिलियत के मुताबिक और हर एक की जरूरत के मुताबिक देना है। जिसकी जितनी काबिलियत देने की है उससे उतना ही लेना है। जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना देना है और कोई उसमें फर्क नहीं करना है। किसी गांव में अगर ज्यादा दिक्कतें हैं और आमदनी कम है तो इसलिये कि वह गांव गरीब है उसको भूखा नहीं रखना है बल्कि उसकी जरूरत ज्यादा होगी तो उसके मुताबिक ही उसको देना है। जो गांव अच्छा है और जिस गांव की हालत अच्छी है उससे लेना है चूंकि वह दे सकता है। इसलिये यह तो एक परिवार की बात है उसमें जिसकी जैसी

जरूरत है वह उसकी पूरी करनी है और होनी भी चाहिये। इस व्यवहार से हमको देखना है। अब अंग्रेजों का जमाना नहीं है और उस दृष्टि से उलाहने की बात भी नहीं हो सकती है। हमको तो यह समझना है कि हम सब भारत के नागरिक हैं और वास्तव में प्रादेशिक दृष्टि से भी देखना नहीं है। आज हमारे इस भारी भारत में, इतने बड़े देश में बहुत सी इस तरह की तंगदिली की बातें होती हैं, साम्प्रदायिकता की बातें होती हैं जैसा कि आजकल एक बहुत गलत तरीके से इस तरह की बात की जा रही है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इससे बदतर मुल्क को नुक़सान पहुंचाने वाली नहीं हो सकती है जो कि यह जनसंघ की तरफ से जम्मू के नाम पर आन्दोलन किया जा रहा है। कहीं पर कम्युनिलिज्म की बात होती है और कहीं पर प्राविन्शियलिज्म की बात होती है जैसे आन्ध्र में किया गया यह देश के लिये बहुत हानिकारक चीजें हैं। इससे ऊंचे उठ कर सारे देश का एकीकरण करके हमको आगे बढ़ना है और जो अच्छी बातें हैं उनको लाना है।

यहां पर सन् १२ और १५ का भी जिकर किया गया। उस सन् में क्या हुआ मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं। हमें तो वास्तविकता को समझना है। हमें तो इस बात की जरूरत है कि जो ठीक बात हो उसको करें। मदन मोहन उपाध्याय जी को इस बात का भरोसा रखना चाहिये कि मैं अपने दिल में इससे डरता नहीं हूं कि कोई यह कहेगा कि तरफदारी या पक्षपात करते हैं। सड़क की बात कही गयी उसको मैं समझता हूं कि वह बनना चाहिये। उनको मालूम होगा कि विन्सर की सड़क जंगलात की तरफ से बन रही है और उसके लिये रुपया जंगलात की तरफ से खर्च किया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि जंगलात के जरिये और भी सड़क जहां कहीं बन सकें बननी चाहिये। मैं चाहता हूं कि अगर यह सदन अनुमति दे तो जंगलात के बजट में सड़क के लिये ज्यादा रुपया अगले साल से रखा जाय ताकि इस तरह का जो खर्चा होता है, लिसा वग़ैरा के लाने में उसमें ज्यादा फायदा हो सके। इसके अलावा जंगलात की जो सड़कें बनी हैं उनमें खर्चा कम भी होगा और फायदा भी होगा।

यहां पर कुछ जिकर टेहरी के सैटिलमेंट का किया गया कि वहां पर वह पिलर बहुत नजदीक बन रहे हैं और वह नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन इस तरह से बने कि जिससे जनता को तकलीफ हो। हमने बारबार अहलकारों को यह हिदायत दी है कि रिजर्वेशन इस तरह से होना चाहिये कि जिससे लोगों के बहुत करीब मीनारें न हों, वह इस ढंग से बनें कि जिससे जंगलात की हिफाजत के साथ जनता की हमदर्दी भी उसके साथ रहे और लोगों का काम हो सके। उसमें जहां तक सिद्धान्त की बात है उसमें कोई फायदा नहीं है। उसमें हालत को देख कर कोई बदलाव करना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि जंगल विभाग के लोग भी और सैटिलमेंट आफ़िसर भी उस पर ध्यान देंगे। मगर यह जो दिक्कतें हैं अगर कुछ हैं तो वह इस वजह से हैं कि पहले जो टेहरी की जंगलात की नीति थी उसमें जनता के लिये कहीं कुछ नहीं छोड़ा गया था और उसी से लोगों को अब फिर से सब ठीक करने की कोशिश करनी पड़ती है। इसलिये अगर कोई दिक्कत होती हैं तो यह कुछ ऐतिहासिक या तवारीखी बातों का प्रभाव भी हो सकता है लेकिन अगर कुछ ग़लती भी हो तो उसे ठीक करनी चाहिये। वहां के कन्जरवेटर के दफ्तर की बात भी कही गई। यह कोई हवाखोरी की बात नहीं है और न कोई हवाई बात है बल्कि यह काम की बात है और जिस ढंग से भी हो काम ठीक होना चाहिये, और वही ढंग अमल में आना चाहिये। सिर्फ टेहरी में दफ्तर बनने से यह काम अगर अच्छा हो सके तो खुशी से यह किया जा सकता है बशर्ते कि वहां साधन मौजूद हों और दफ्तर बन सकता हो। लेकिन अगर टेहरी में बने तो ज्यादा दिक्कत की बात है और जहां अब दफ्तर है वहां से

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

सब बातें बहुत आसान हैं। इसलिये काम के ढंग को देख कर काम करने की जरूरत होती है कि काम भी अच्छा हो और आसानी भी हो। जैसा कि मैंने कहा कि अगर जंगलों का इन्तजाम करने के लिये दफ्तर दूसरी जगह ले जाकर फायदा हो सके तो उस पर भी ठीक समय पर विचार हो सकता है, अभी तो हमें वहां बहुत सी बातों को ठीक करना है इसलिये अभी छोटी छोटी बातों में फंसना ठीक नहीं है। जंगलात का इन्तजाम अच्छा हो यह जरूरी बात है और जो प्राइवेट फ़ारेस्ट हैं उनका इन्तजाम ठीक करना है और उनके लिये एक वकिंग प्लान बनाना है ताकि आइन्दा उनका इन्तजाम अच्छा हो सके। अभी तो उनके लिये काफ़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि वह बरबाद हो चुके हैं और उनमें प्लानटेशन और पेड़ लगाने का काम करना है और इसके लिये इस सदन को बहुत उदारता के साथ रुपया मंजूर करना होगा ताकि जो हजारों मील जंगल बरबाद हो गये हैं उनको फिर से लगाकर हम हराभरा कर सकें और जो नेशनल क्षति हुई है उसको पूरा कर सकें। यह चीज हमारे सामने है और इस बात की बड़ी जरूरत है ताकि जंगलात के जरिये जो और फायदे होते हैं वह भी हमें हो सकें और उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिये। अक्सर हमारे सामने यह बातें आती हैं कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई। यह कहना कठिन है कि पेड़ों की कमी हो जाने से ही बारिश कम हुई है लेकिन जानकार लोग समझते हैं कि जंगलों के कट जाने से बारिश पर असर पड़ता है और उसी वजह से सूखा पड़ता है, इसलिये यह भी हम सबको ध्यान में रखना है कि जंगलात हमारे राष्ट्र की बहुत ऊंचे किस्म की सम्पत्ति हैं और उनका उचित प्रबन्ध करना हमारे सब के लिये बहुत लाभ और हित की बात है। मैं आपकी और अपनी ओर से चीफ कन्जरवेटर साहब और दूसरों को बधाई इस बात के लिये देता हूं कि उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की है परन्तु इसके माने यह नहीं होते कि इस विभाग में गलत काम करने वाले लोग नहीं हैं। परन्तु वह उद्योग करते हैं और उन्होंने इस बात के लिये सर्कुलर भी निकाला है कि जहां कहीं भी करप्शन मालूम हो वहां फौरन कार्रवाई की जाय। लैंडलेस लेबर के लिये भी कहा गया, उनके लिये जो भी जमीन जंगलात से बचे और जंगलात के काम की न हो और जिस काम में वह अधिक लाभ पहुंचा सके उसे उसी काम में लिया जाय। हम तो कृषि और जंगलात दोनों को ही बढ़ाना चाहते हैं और दोनों के बीच में कोई आपस का विरोध नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग सहयोग दिखला कर अपने यहां, अपने प्रदेश के जंगलों को हराभरा और सुन्दर बनाना चाहिये, ताकि सब फलें फूलें और सारे प्रदेश को बराबर लाभ पहुंचता रहे।

श्री नरायाणदत्त तिवारी—श्रीमान् मैं इस लायक तो नहीं था कि माननीय मुख्य मंत्री के स्वयं मुखारबिन्दु से कोई बधाई का पात्र बन सकूं। लेकिन वास्तव में मैंने चेष्टा की थी कि मैं कुछ आंकड़ों की तुलना कर सकूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को शायद गलतफहमी हुई है। मैंने यह कहा था कि एकाउंटस् की फीगर्स गलत है न कि एकाउंट। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी, इजाजत देते तो मैं दोनों रिपोर्टें उनके पास भेज सकता। मुझे श्रीमन्, आज ही मालूम हुआ कि फ़ारेस्ट रेवेन्यू का कैपिटल एकाउंट से सम्बन्ध है। यह वास्तव में मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि पूरी फ़ारेस्ट रेवेन्यू एकाउंट में ही शामिल होती है। इस एप्रोप्रिएशन एकाउंट की रिपोर्ट में पृष्ठ ५८ पर साफ लिखा है—

'The total revenue and expenditure of the department in recent years are given below:—'

तो जिस समय एप्रोप्रिएशन एकाउंट रिपोर्ट बनी वह पहले की बात है। 'उत्तर प्रदेश थ्रू फ़ीगर्स' नामक सूचना विभाग की पुस्तिका इसी समय बटी है, तो इसका

उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक ही एकाउंट के भिन्न-भिन्न आंकड़े दिये गये हैं। जहां तक रेलवे की आमदनी का प्रश्न है मैं माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में श्री जहीरुल हसन साहब सेक्रेटरी रेवेन्यू का स्टेटमेंट, जो उन्होंने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी, १९५२ में दिया है रखना चाहता हूं। जिससे मालूम होता है कि रेलवे से भी जो आमदनी होती है वह भी वन विभाग की ही आमदनी में जोड़ी जाती है।

"श्री हसन--हम केन्द्रीय सरकार को रेलवे स्लीपर सप्लाई करते हैं। वह हमको मांग पत्र (indents) भेजती है। हम ठेकेदारों के साथ वह व्यवस्था कर लेते हैं कि इतने स्लीपर रेलवे बोर्ड को सप्लाई किये जायेंगे और मूल्य हम नियत करते हैं। हानि का कारण यह है कि रेलवे बोर्ड को स्लीपर सप्लाई करने के कारण उससे परिव्यय (overhead charges) की वसूली नहीं हुई। रेलवे से ऊपरी व्यय वसूल करने की प्रथा नवम्बर, १९४८ ई० से बन्द कर दी गयी। परन्तु रेलवे बोर्ड ने स्लीपरों की सप्लाई करने वाले ठेकेदारों को भुगतान काफी बढ़ाई हुई दरों पर किया जिससे न केवल इस हानि की ही पूर्ति हो गयी बल्कि और भी लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त चूंकि स्लीपरों की दरें नीलाम होने से पूर्व घोषित कर दी गयी थीं, इसलिये वन विभाग को अपेक्षाकृत अधिक आमदनी हुई जो अन्यथा नहीं होती। इससे बिल्कुल साफ है कि रेलवे से भी जो आमदनी होती है, वह भी वन विभाग की आमदनी में शामिल कर देते हैं।"

नीचे श्री हसन फिर कहते हैं--

सभापति--रेलवे बोर्ड स्लीपरों को सीधे ठेकेदारों से मंगाने का प्रबन्ध क्यों नहीं करता है?

श्री हसन--क्योंकि इसमें खतरा है कि उनमें से अधिकांश कहीं अस्वीकृत न कर दिये जायं।"

इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि रेलवे बोर्ड से जो आमदनी होती है वह भी वन विभाग की आमदनी में क्रेडिट हो जाती है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी अब भी यह समझें कि मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता है तो मैं फिर चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास जा सकूं और दोनों रिपोर्टों को प्रस्तुत कर सकूं। ताकि यह चीज उनके सामने स्पष्ट हो जाय और अगर वाकई 'एकाउंट्स' की "फीगर्स" लिखने में कोई गलती हुई है तो वह सही हो जाय।

दूसरी बात इस सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कही है कि एकाउंट्स में जो ग़लती होती है वह एकाउंटेंट जनरल द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में लिख दी जाती है या रिपोर्ट में बतला दी जाती है। मैंने इसकी दो मिसालें भी दी थीं जो कि बड़े-बड़े अक्षरों में लिखी गयी हैं। एक तो वह है जिसमें खैर के पेड़ों के सिलसिले में ५२ लाख रुपये की हानि हुई बताई गई। तो आइन्दा ऐसे समझौते न किये जायें। लेकिन फिर भी ऐसे समझौते हो रहे हैं। इस साल की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सीतापुर की प्लाईउड फैक्टरी और कुछ और औद्योगिक संस्थाओं से समझौता किया गया। तो मैंने एक मिसाल तो यह दी थी।

दूसरी मिसाल मैंने यह दी थी कि शुगर फैक्टरीज को सस्ते दामों पर ईंधन दिया जाता है। आखिर वह कोई गरीब तो हैं नहीं। ग़रीब जनता को सस्ते दामों पर देना तो ठीक है। लेकिन शुगर फ़ैक्टरीज को सस्ते दामों पर देना और सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से दाम तय होना, यह ठीक नहीं है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यह दो मिसालें मैंने दी थीं। आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि पांच मिनट ज्यादा हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—वह दूसरे अनुदान में से कम कर दिया जायगा।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन (लेखा शीर्षक १०—वन) (के अन्तर्गत १,२६,८४,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५४—क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४—ख—भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफ़ारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—प्रादेशिक व राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते के लिये ८,१५,८०० रु० मंजूर किये जायं। इस सम्बन्ध में सिर्फ १५ मिनट दिये गये हैं, लिहाजा मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं और जो सदन के सदस्य कुछ कहेंगे तो मैं सुन लूंगा और अगर फिर दो चार मिनट मिले तो उसका उत्तर देने का यत्न करूंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस अनुदान में राजाओं के बारे में जो अनुदान मांगी गई है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। जो हमारी और हमारी पार्टी की इस बारे में राय है वह सबको विदित है। इसलिये मैं उसके बारे में ज्यादा कह करके सदन का समय बर्बाद करना नहीं चाहता।

दूसरी चीज जो राजनीतिक पीड़ितों के बारे में है वह यह है कि बहुत जगह तो ऐसे लोगों को इन पेंशनों से बहुत फायदा हुआ है जो कि बहुत गरीब थे। उनको पेंशनें मिली हैं और इसके लिये यह सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे हमारे सिपाही हैं जिन्होंने शुरू से ही आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और कंधे से कंधा मिला कर इस देश को आजाद कराने में जिनका बहुत बड़ा हाथ था, आज बहुत बुरी हालत में हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पारसाल यह आश्वासन दिया था कि ऐसे जो मामले होंगे उन पर विचार किया जायगा और इस किस्म के बहुत से मामले माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने मदन मोहन जी ने पेश किये हैं और और भी बहुत से लोगों ने पेश किये हैं। मेरा तो यह सुझाव है कि उन मामलों में जिनके उचित मामले हों उनकी इन्क्वारी हो और इन्क्वायरी होने के बाद दरअसल जिनको कोई दूसरी गुंजायश न हो आमदनी की, जो दूसरी तरह से अपनी जीविका न चला सकते हों, जो इस किस्म के मामले हों उन पर ख्याल किया जाय और उनको दिया जाय और जिन लोगों को पेंशनें मिलती हैं उनकी भी पूरी जांच की जाय। अगर्चे उनमें कुछ लोग ऐसे हों कि जिनकी आमदनी के जरिये हों और वह गलत तरीके पर इस धन से पाते हैं तो उनका काटा जाय। जो मेरे थोड़े से सुझाव हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यहां पर जो अनुदान है इसमें कोई राजा महाराजाओं का रुपया नहीं है। जो इसमें रुपया है वह दो किस्म के लोगों के लिए है जिनका कि रियासतों से सम्बन्ध था। एक तो वह जो कि गरीब या अपाहिज थे या जिनके लिये कुछ पेंशनें रियासत में बंधी हुई थीं वह उसमें कायम रखी गयीं। दूसरी उनके रिटेनर्स या और डिपेंडेंट्स थे, जिनके बारे में जिस वक्त कि यह विलीनीकरण हुआ, तो जो शर्तें हुई थीं और जो आपस में एग्रीमेंट कहिये, उसको आप कंट्रैक्ट कहिये उस वक्त मतालबा यह हुआ था कि इन लोगों को जो मदद दी जा रही है वह मुनासिब तरीके पर जारी रखी जायगी उनके जीवन काल तक। उनको कुछ दिया जाता है। वह भी गरीब आदमी हैं, राजा महाराजा कुछ नहीं हैं। तो इस तरह की राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स की बात इसमें आती नहीं है और विशेषकर इसका सम्बन्ध राजनीतिक पीड़ितों से है।

राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कहना चाहता हूं कि किसी को इस पेंशन के जरिये ऐसा रुपया नहीं मिलता जिससे उनकी पूरी गुजर हो सके। यह तो केवल प्रदेश की तरफ से, हमारी तरफ से उनके प्रति अपनी एक कृतज्ञता पेश करना है कि हम आपके आभारी हैं, आपने जो सेवाएं कीं और यह पुरस्कार नहीं बल्कि कृतज्ञता की भेंट है। इस दृष्टि से इसे देखना है कि जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की स्वतंत्रता के लिये अर्पण किया, जो मर गये, जिनके परिवार तक ध्वंस हो गये हैं और जिन्होंने हर प्रकार से त्याग किया है, उनको अगर हजारों रुपया भी दिया जाय तो कुछ भी नहीं है। हमारा जैसा मुल्क इनको कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन जिन्होंने इस प्रकार से देश सेवा की है उनका नाम देश के इतिहास में हमेशा बना रहेगा और जो परितोष के रूप में दिया जाता है वह तो केवल कर्तव्य को प्रकाश करने वाला है। इससे उनकी कोई अधिक परेशानी दूर नहीं हो सकती। पहले हमने इसकी मियाद जून, १९४९ तक रखी थी। उस वक्त यह कहा गया था कि इस तारीख तक ही दिया जायगा। परन्तु पारसाल भी दिया गया और उसको फिर भी जारी रखना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी दरख्वास्त आये जिसके लिये यह समझा जाये कि इनको देना ही चाहिए तो उनको दिया जायेगा। अभी तक करीब १ हजार आदमियों को इस तरह की पेंशनें मिली हैं जिसकी रकम ३ लाख रुपया सालाना है। सन् १९५२ में भी ५१ आदमियों को यह पेंशन दी गयी है। मैं नहीं चाहता कि लोग अपने दिल में यह समझें कि इससे मदद मिलती है। यह झूठी आशा है। यह झूठी आशा करना कि इससे हमें मदद मिलेगी उनके नैतिक का उत्थान करने वाला नहीं है। बाज वक्त जिन्होंने पहले दरख्वास्त नहीं दी और जो समझते थे कि नहीं देनी चाहिये वह भी किसी वक्त समझते हैं कि दे दें तो क्या हर्ज है? इसलिये इसको बहुत प्रोत्साहन देना ठीक नहीं है। जून, ४९ में इसे खत्म होना था अब करीब पौने चार साल हो गये हैं अब जो दरख्वास्तें आयेंगी उनको स्ट्रिक्टली देखना होगा नहीं तो यह चलता रहेगा और यह हमारे यहां एक ऐसा काम होगा जिसके लिये हर साल कुछ न कुछ खर्चा होगा और इसका नतीजा भी खराब हो जाता है, इसलिये अब इसको बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है। परन्तु तब भी यदि कोई खास मामला हो तो उसको देखने की कोशिश की जायेगी। जो यह कहा गया कि जो लोग उपयुक्त नहीं थे उनको भी दिया गया तो अगर किसी के बारे में मुझे बतला दें कि यह गलत आदमी था और इसने धोखा दिया तो उसको देखने के लिये मैं तैयार रहूंगा और उसकी पूछताछ की जायेगी। परन्तु इन बातों में यह समझना चाहिए कि हमें छोटी बातों में संकीर्णता से काम नहीं लेना चाहिये। अगर कोई धोखेबाजी से ऐसा कर भी लेता है तो यह किसी प्रकार का बड़ा काम नहीं है। बल्कि एक छोटा काम है। उसने फ़रेब से रुपया लिया है इसलिये

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

ऐसा करने से उसको लाभ भी नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर इस तरह की बातें हुई हैं तो उनकी जांच करने के लिये तैयार हूं। मैं नहीं चाहता कि पैसे आदमियों को न मिलें, बल्कि देश में जिस आधार पर कोई देश से अपनी सेवा चाहता है उसमें उनके नैतिकता का किसी तरह से गिरावट न हो। जैसा यह कहा गया कि लोगों ने इस तरह लिया और दूसरे को अवसर नहीं मिला तो इसके लिये अगर कोई मिसाल हो तो उसको मैं देख लूंगा। इसके अलावा और कुछ लमसम ग्रांट भी दी गयी है लेकिन उनके ज्यादा ब्योरे देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोगों का कर्तव्य है कि जिन्होंने देश सेवा में अपने को बलिदान किया है, उनको कुछ दें और जो कुछ उनकी सेवा कर सकें वह करें। परन्तु सेवा करते हुये जो हमारे गरीब "टैक्स पेयर्स" का धन है उस पर बोझ जितना कम पड़े उसका ध्यान साथ ही साथ रहे। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस अनुदान को सर्वसम्मति से पास करेगा।

श्री अध्यक्ष--क्या माननीय जगन्नाथ मल्ल जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री जगन्नाथ मल्ल--जी हां।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशन तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते (लेखा शीर्षक ५४-क प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४-ख भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते) के अन्तर्गत ८,१५,८०० रुपये की मांग को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२ सामान्य प्रशासन के कारण व्यय--लेखा शीर्षक सामान्य प्रशासन--में ३,१०,२२,८०० की मांग स्वीकार की जाय। यह अनुदान का विषय काफी महत्व का है। इसलिये मैं इस समय इसके लिये समय लेना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता कि मैं सदन का समय दो मर्तबा लूं। इसलिये मैं जो अनुदान उपस्थित करता हूं उसके लिये आखिर में मुझे काफी समय दे दिया जायेगा ताकि जो कुछ बातें हैं जिनको कि मुझे साफ़ करना है, मैं उसी समय कह लूंगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा यह अनुदान बहुत महत्व का है और इस पर इसी प्रकार विचार भी होना चाहिये। किसी देश की प्रजातांत्रिक सरकार का चलना और उसकी कार्य प्रणाली का कार्यरूप में आना उसकी एक्जीक्यूटिव पर अधिक निर्भर करता है। इस अनुदान में इस एक्जीक्यूटिव पर व्यय होने के लिये अधिकांश रुपया आता है। मैं जब देखता हूं कि सारे प्रदेश के जो लोग इस सरकार के अधीन चलने वाले हैं और जो सरकार के आदेश होते हैं, उन आदेश का पालन इस रूप में करने वाले हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनकी

कि नौकरी का आज कोई ठिकाना नहीं है। मैं चाहूंगा और मेरी यह दरख्वास्त है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जिलाधीशों, कमिश्नरों और कलेक्टरों में आज जितने लोग हैं, उनमें से कितनों की संख्या ऐसी है जो कि अनकनफर्म्ड हैं। ये जितने लोग अनकनफर्म्ड हैं, उनके लिये यह उचित बात नहीं है क्योंकि जिलों में ऐसी संख्या काफ़ी है और आज जिलों का शासन जिन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आज ऐसे कलेक्टर और जिलाधीश ज्यादा हैं जो अनकनफर्म्ड हैं, तो उनको कनफर्म्ड कर देना चाहिये। इन अधिकारीगणों के कनफर्म्ड होने से हम लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बख्शी के तालाब में संकेत किया था कि ऐसे लोग अपने मामले में यह चेष्टा करते हैं कि किसी प्रकार हम तरक्की पावें। इन लोगों में काफ़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने इसके लिये दूसरे तरीके अख्तियार किये हैं और इसका परिणाम यह होता है कि वे उसी तरह से काम करते हैं और आज की प्रजातांत्रिक सरकार में यह सब होता रहता है कि ये लोग अपने ऊपर के अफसरों के प्रति और उनको प्रसन्न करने के लिये सदा प्रस्तुत रहते हैं। यह हो सकता है कि माननीय मंत्रियों की यह प्रणाली न हो। लेकिन मैं माफी चाहूंगा इसलिये कि जिस प्रकार की प्रणाली आज वे आफीसर अख्तियार कर रहे हैं और उन माननीय मंत्रियों के आफीसरों की आज जैसी प्रणाली है, तो यह उचित नहीं है। मेरे भाग्य से आज यहां माननीय अन्न मंत्री जी भी मौजूद हैं। मैं सोचता था कि अगर वे यहां नहीं रहेंगे तो मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। इस समय वे मौजूद हैं। मैं देखता हूं कि जो जिले के बड़े बड़े अधिकारीगण लोग हैं वे लोग, जिस समय माननीय मंत्री दौरे पर जाते हैं, और लोग उन माननीय मंत्रियों का दौरे के सिलसिले में किस प्रकार से स्वागत का प्रबन्ध करते हैं, तो उसके लिये पैसा कहां से आता है और किस तरह से वह लोगों से इकट्ठा किया जाता है, बिल्कुल सिद्धांतहीन तरीके से उसका प्रबन्ध होता है। और ऐसी जगह पर ले जा करके लोगों के जलपान की, लोगों के ठहरने की और लोगों के भोजन की व्यवस्था वे करते हैं जिससे माननीय मंत्रियों से कोई प्रेरणा मिलने के बजाय एक दूसरी भावना उत्पन्न होती है। एक बार माननीय अन्न मंत्री जी के साथ देवरिया जिले में मुझे भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे यह गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं पड़ी कि माननीय अन्न मंत्री जी देवरिया में जहां-जहां जायं वहां मैं जाने से अपने को रोक लूं। माननीय अन्न मंत्री जी का शायद उसमें कसूर नहीं था। जिलाधीश ने उनके जाने का, ठहरने का, जलपान का और भोजन का ऐसी जगहों पर और ऐसे लोगों के यहां प्रबन्ध किया जो उस जिले में बहुत बदनाम हैं। मैंने देखा कि एक मिल मालिक के यहां हम लोगों के जलपान का प्रबन्ध किया गया। उसी मिल मालिक के खिलाफ वहां के किसानों ने शिकायत की कि वह हमारे गन्ने का दाम नहीं देता है। मैं यह नहीं कहता कि माननीय अन्नमंत्री जी के ऊपर उस अन्न का प्रभाव पड़ा होगा लेकिन हमारे देश में पहले से ऐसी परिपाटी रही है, ऐसी परम्परा रही है कि जिसका जो अन्न खाता है उसके ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। द्रोणाचार्य और बड़े बड़े लोगों के उदाहरण हमारे सामने हैं। तो मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्रियों द्वारा इस प्रकार की यदि प्रेरणा हमारे सामने आती, तो यह बात अच्छी होती। मैं यह देखता हूं कि माननीय मंत्रियों से केवल इतने से नहीं कि वे दावतों में शरीक होते हैं बल्कि जो राज्य में उनके काम होते हैं उन कामों से दूसरे प्रेरणा लेंगे क्योंकि वे नेता हैं, देश में आगे चलने का उनका दावा है और वे आगे चलते हैं। मैं इस बजट में देखता हूं कि माननीय मंत्रियों का वेतन १२ सौ रुपये रखे गये हैं लेकिन उसके नीचे एक रकम ऐसी भी लिखी गयी है जो आयकर दी जायगी। माननीय मंत्रियों का वेतन १५ सौ रुपया पहले था। अच्छा होता कि १५ सौ रुपया वेतन उनका रहता और १५ सौ रुपया में जो आयकर होता वह आयकर केन्द्रीय सरकार उनसे वसूल करती। अब तनख्वाह १५ सौ रुपया न रख कर, आयकर सरकार की तरफ से दे दिया जायगा। यह बात ऐसी नहीं दिखाई देती जिसको बहुत लोग पसन्द करें। हां, एक बात यह हो सकती है कि हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि हम १२ सौ रुपया तनख्वाह लेते हैं, १५ सौ रुपया नहीं लेते हैं। पढ़े लिखे लोगों के सामने यह चीज जाती है। यह छिपाने वाली बात है और मैं समझता कि हूं इस प्रकार कोई प्रेरणा देने वाली बात माननीय मंत्रियों से भी नहीं होती। फिर अगर माननीय मंत्रियों से प्रेरणा नहीं मिलती है, तो यह सोचा जाय कि

[श्री गेंदा सिंह]

उनके ऊपर और कहां से प्रेरणा मिल सकती है। मैं अपने प्रदेश में सब से ऊंचे स्थान माननीय राज्यपाल से समझता हूं कि शायद उन्हीं से कुछ प्रेरणा मिले। माननीय राज्यपाल के ऊपर जो व्यय होता है उसको मैंने देखा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय चाहूंगा कि आप की आज्ञा से थोड़े आंकड़े आप के सामने उपस्थित कर दूं। सन् १९५१-५२ में ५६,१०० रु० राज्यपाल महोदय का वेतन था। इस वर्ष जो सन् १९५३-५४ का तखमीना है वह ६६,००० रु० का है। राज्यपाल के सेक्रेट्री के कार्यालय और कर्मचारिवर्ग अर सन् १९५१-५२ में ८६,७५५ रु० खर्च हुआ और इस वर्ष १,०३,३०० रु० का तखमीना है। राज्यपाल (गवर्नर) के कर्मचारिवर्ग और गृह कर्मचारिवर्ग (प्रभृत) पर सन् १९५१-५२ में ८८,९५१ रु० खर्च हुआ और इस वर्ष ९१,९०० रु० रखे गये हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मैं यह कहना चाहता था कि राज्यपाल का जो इसमें अनुदान है उसके बारे में कोई कटौती नहीं हो सकती है और कटौती के प्रस्ताव का उस पर प्रभाव भी नहीं पड़ सकता है। वह तो एक नानवोटेबिल आइटम है। उसके बारे में जो बातें कही जा रही हैं वे उस कटौती के लिये युक्तिसंगत नहीं हैं और स्टैट्यूट के मुताबिक वह इस सदन की सीमा के बाहर हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या यह प्वाइन्ट आफ आर्डर है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी हां प्वाइन्ट आफ आर्डर है बिलकुल। मगर मैं गेंदा सिंह जी से कहना चाहता हूं कि वे इसके बारे में कहना उचित समझें तो उनको और बताया जाय लेकिन प्वाइन्ट आफ आर्डर के नाम पर कहा जाय तो प्वाइन्ट आफ आर्डर जरूर हो सकता है कि विधान के अनुसार इस संबंध में यहां कहना उचित नहीं है।

श्री गेंदा सिंह---मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैंने उदाहरण स्वरूप रखा है। मैं इतना तो समझता हूं कि इसपर वोट नहीं होगा लेकिन उसपर वाद विवाद तो हो सकता है। इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिये इसको मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं।

राज्यपाल कर्मचारिवर्ग तथा गृह कर्मचारिवर्ग (प्रभृत) पर १९५१-५२ में ८८,९५१ और इस वर्ष में ९१,९०० है। सजावट के सामान पर सन् १९५१-५२ में २७,४२६ और ५८,५०० इस वर्ष में है। राज्यपाल (गवर्नर) व्यय विषयक भत्ता (प्रभृत) पर १६,००० पहले था, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मोटरकारों के रख रखाव पर सन् ५१-५२ में ३५,४७८ और इस वर्ष ७७,००० है। दौरे पर सन् १९५१-५२ में ६७,७२१ था और इस वर्ष में १,५०,४०० है।

तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इनकी बदौलत प्रेरणा तो देश को मिल नहीं सकती, माननीय मंत्रियों की प्रेरणा नहीं हो सकती, अधिकारियों के लिये माननीय राज्यपाल की तरफ से प्रेरणा नहीं हो सकती, अधिकारियों के लिये और कर्मचारियों के लिये। फिर यह प्रश्न रह जाता है कि किस प्रकार किसकी प्रेरणा से देश का उत्थान हो? हमारे सामने बड़ी बड़ी योजनायें हैं, अरबों रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं। इन अरबों रुपयों को खर्च करने में हम किस प्रकार देश के जो दलित वर्ग हैं, जिन्हें सचमुच आज इसकी आवश्यकता है हम उनकी कैसे मदद करें और उनकी जरूरियात को रफा करें और उनके कष्टों को रफा कर दें, यह नकशा साफ नहीं है। इसीलिये आवश्यकता इस बात की है कि जो वर्तमान विषमता है, उसके लिये सब से आगे माननीय मंत्रियों को जाना चाहिये। कोई आदर्श होना चाहिये। यदि कोई आदर्श नहीं है तो फिर जो अफसरान होते हैं ऊंचे के, उनमें देशभक्ति चाहे जितनी हो, लेकिन वह उनकी मर्जी पर होती है। क्योंकि उनके मां बाप ने उनको घर से पढ़ाया लिखाया, खर्चा बरदाश्त किया और उसके बाद उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से नौकरी दी गयी।

तो उनसे हम इस बात की आशा नहीं कर सकते कि वह अपने मन से कोई देश के नाम पर ऐसी कटौती करेंगे कि जिससे जो देश का गरीब तबका है जिसे सचमुच इमदाद की जरूरत है, उसकी इमदाद हो सके। इस में शक नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री जी डिपार्टमेंट में कुछ जगहों पर ऐसे आदमियों को भी रखते ह जिनसे प्रेरणा मिलती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं रखना चाहता लेकिन कुछ ओहदे ऐसे उन्होंने मुकर्रर किये हैं, कुछ ऐसी नियुक्तियां उन्होंने की हैं जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। हम लोगों के पास भी कुछ लोग आते हैं और वह कहते हैं कि कौन अफसर किस प्रकार का आदमी है। उनकी बुराई भी मालूम होती है और उनकी भलाई भी मालूम होती है। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं लेकिन केवल उनसे काम नहीं चल सकता। अगर दो चार फीसदी लोग ऐसे निकलें तो उससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिये सब से पहले रुपयों के जरिये आदमी की प्रतिष्ठा होगी, इस मान्यता को हम को दूर करना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इत्तफाक नहीं करूंगा कि जिस स्कूल में उन्होंने तालीम पाई है उस स्कूल में यही पढ़ाया गया था कि रुपये के बल पर किसी एक आदमी का उत्साह और सम्मान हो सकता है। उस स्कूल का मास्टर तो यही पढ़ाता था कि रुपये के बल पर किसी की प्रतिष्ठा दुनिया में नहीं होती और मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय हाईकोर्ट में जाकर वकालत शुरू करें तो १२ सौ रुपये क्या उनको बहुत बड़ी रकम मिल सकती है।

तो दो तीन बातें मैं जल्दी-जल्दी में जिक्र कर देना चाहता हूं। एक तो बेकारी जो है उसके दूर करने की कोई चेष्टा नहीं की गई है। यह भी हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम है और उसको इस बात की चेष्टा करनी चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि ४६-४७ से लेकर ५२-५३ तक औद्योगिक मजदूरों की संख्या में कितनी कमी हुई है, कितनों की छटनी हुई है कितने निकाले गये हैं। यह जो श्रम विभाग की कार्यवाही हमें मिली है, उसको पढ़ने से मालूम होगा कि हजारों मजदूर बेकार हुये। इसके अतिरिक्त जो बेकारी आज गांवों में है उसके लिये देशमुख साहब और प्रधान मंत्री नेहरू जी भी कहते हैं कि देश की बेकारी को दूर करना है और अगर करना है तो फिर उसके लिये कोई दूसरे ही तरीके का रास्ता बनाना पड़ेगा।

सचिवालय के लिये मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर अनकन्फर्म्ड लोगों की बहुत बड़ी संख्या है और इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मैं छोटी सी मिसाल उनके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे पुस्तकालय है उसमें जितने मुलाजिम हैं उनको हर तीसरे महीने टरमिनेशन आर्डर मिल जाता है और इसकी वजह से उनमें कोई प्रेरणा आगे के कार्य के लिये नहीं मिलती।

दूसरी ओर अर्थ और संख्या विभाग के विषय में इतना कहना चाहता हूं कि इस विभाग से ऐसी गलत संख्यायें और आंकड़े निकलते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। मैं जानता हूं कि आज देश में स्टैटिस्टिक्स की हालत अच्छी नहीं है। फिर भी इस विभाग में ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि ठीक ठीक स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा हो सकें और अगर स्टैटिस्टिक्स ठीक से इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, तो हमारी सारी योजना के काम नहीं हो जायेंगे और इसलिये इस ओर प्रयत्न होना आवश्यक है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सूबे में भूमि संबंधी इतने कानून हैं कि यह मालूम नहीं है कि कितने प्रकार के कानून आज भी लागू हैं। एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के इतने कानूनों के रहने से जमींदारी उन्मूलन और भूमि-व्यवस्था जो कानून हैं, उसका पूरा असर नहीं पड़ता और उसमें ऐसी गुंजाइश हो जाती है कि जो लोग वहां ३० एकड़ की खेती नहीं करते और नई जमीन नहीं प्राप्त करते वे भी उन जगहों में हजार दो हजार एकड़ प्राप्त कर लेते हैं। उसके लिये भी गुंजाइश है और इस कमी को भी दूर करना चाहिये।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान को प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने तीन चार बातें

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

जो विशेषतः इस अनुदान के संबंध में कही हैं उनके लिये वह दरअसल सदन के बधाई के पात्र हैं। एक बात उन्होंने यह कही थी कि जिले के बहुत से मुहकमों का एकीकरण एक तरह से कर दिया गया है और जितने आफिसर्स और इंस्पक्टर्स थे वे प्लानिंग आफिसर के मातहत कर दिये गये हैं। यह बड़ा काम हुआ है। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग के सूचना आफिसर्स हर जिले में थे वह भी जिले के प्लानिंग आफिसर्स के मातहत कर दिये गये हैं। यह भी उत्तम कार्य हुआ है। दूसरा काम जो इस संबंध में किया गया है जिसका वर्णन स्मृतिपत्र में है कि मालगुजारी वसूलने के लिये पटवारियों से काम न ले कर अमीनों की नियुक्ति की गई यह भी बहुत ही उत्तम कार्य हुआ है। तीसरी बात जिसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं वह यह है कि कार्यालयों के निरीक्षण के लिये एक इन्सपैक्टर नियुक्त किया गया है और उसके लिये क्लर्क और चपरासी आदि जो अब तक अस्थायी थे अब स्थायी कर दिये गये हैं और उससे बजट पर कोई असर भी नहीं आया है यह भी एक बहुत अच्छी बात हुई है। परन्तु दो तीन बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता समझता हूं। उनमें से सब से पहली बात जो है, जिसका असर सारे प्रान्त के बजट पर पड़ता है, वह मुहकमा माल का है। बोर्ड आफ रेवेन्यू को अब कायम रखना मैं समझता हूं कि बिल्कुल उचित नहीं है। अब जमींदारी समाप्त हो गई है, जो मुकदमे यह विभाग किया करता था, वह बहुत से मुकदमे सिविल कोर्ट् स में चले जायेंगे। ऐसी हालत में बोर्ड आफ रेवेन्यू को कायम रखना मेरी अल्प बुद्धि में उचित नहीं मालूम होता।

इस बोर्ड पर जो खर्चा है वह इस प्रकार से है। कर्मचारियों के वेतन पर १,३६,७०० रुपया, भत्ते पर ५६,७०० रुपया और कंटिन्जेंसी में १७ हजार रुपया है। इस तरह से कुल मिला कर ३,६६,५०० रुपया है, जो इस पर व्यय किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले सालों में इस विभाग पर ३,८१,६०० रुपया खर्च किया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि इस विभाग के खर्चे में और सालों से इस साल कमी तो जरूर की गई है क्योंकि यह रकम ३,८१,६०० रुपये से कम होकर अब केवल ३,६६,५०० रुपये रह गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मद में कुछ भी व्यय करना बिल्कुल उचित मालूम नहीं होता है। अगर इन आदमियों के रखने का सवाल है तो वह सचिवालय में रखे जा सकते हैं और पचासों उन्नति के काम हैं जिनमें लग सकते हैं। इसलिये बोर्ड के मेम्बरान को मुकद्दमा फैसल करने के लिये या कर्मचारियों को इस हालत में रखना मैं समझता हूं कि उचित व्यय नहीं है। इस मद का खर्चा और बहुत उन्नति के कार्य हैं, डेवलपमेंट के कार्य हैं, उनमें लग सकता है।

इसके अलावा एक बात और है वह यह है जैसा कि मैंने प्रातःकाल ही अनुदान के पेश होते समय कहा था कि इसके साथ-साथ कमिश्नरों का प्रश्न भी ले लिया जाय, लेकिन उस समय यह चीज तय नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि यह रेलेवेंट होगा, अगर मैं यहां जिक्र करूं कि कमिश्नरों की पोस्ट बेकार है और इन पर हम ५ लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं इसमें शक नहीं कि पहले कमिश्नर ५ रखे जाते थे और अब ३ रखे जाते हैं, इन पर जो यह ५ लाख रुपया व्यय किया जा रहा है वह और जो बोर्ड आफ रेवेन्यू पर खर्च किया जा रहा है, इन दोनों को निकाल देते हैं तो ९ लाख रुपये के लगभग बचत हो जाती है। इसको डेवलपमेंट के कामों में खर्च किया जाय, ऐसा मेरा सुझाव है और मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। जब मुख्य मंत्री जी लीडर आफ दी अपोजीशन थे तो कई मर्तबा उनके भाषण हो चुके हैं कि यह पोस्ट् स बेकार हैं। हम महसूस करते हैं कि इनमें कमी कर रहे हैं लेकिन इनके बिल्कुल खत्म कर देने की जरूरत है। यह मेरा

सुझाव हैं। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सहानुभूति पूर्वक इस पर गौर किया जायगा।

श्री राम कुमार शास्त्री (ज़िला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि सामान्य प्रशासन का अनुदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। मेरे मित्र श्री गेंदा सिंह जी ने बड़े जोरों से यह कहा है कि माननीय मंत्रीगण जब ज़िलों में जाते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलने के बजाय उसके विपरीत असर होता है। आख़िरकार मंत्री महोदय, इस सूबे के कोने-कोने में जायेंगे और उन्हें चाहे वह किसान हो, चाहे और कोई वर्ग का हो, कहीं न कहीं सहारा लेना पड़ेगा तो प्रेरणा देने की बात गौण हो जाती है और प्रेरणा लेने की बात रह जाती है। "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी।" हमें प्रेरणा लेना है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सद्भावना से प्रेरणा लेते हैं या नहीं। यह हमारे लिये सामान्य प्रशासन में किसी तरह से रोकथाम की बात नहीं है। यों जब कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ जैसा कि यहां जिक्र किया गया राज्यपाल के खर्च में एक सजावट का भी प्रश्न आता है। हमको अपने प्रदेश को मरुस्थल नहीं बनाना है। उसके लिये हमको इस प्रदेश को सुसज्जित करना है और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमें अपने देश को ऊंचे शिखर पर पहुंचाना है और दिखाना है कि हमारे कर्मचारी भिखमंगों की तरह नहीं रहते, मुफ़लिसों की तरह नहीं रहते। इसका प्रबन्ध करने के लिये हमें थोड़ा बहुत ख़र्च करना पड़ेगा।

इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई बार इस सदन में यह जिक्र कर चुका हूं, जैसा कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कमिश्नरों के स्थान अब रखने योग्य नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कमिश्नरों के सिलसिले में यह कहा था कि क्रमशः हम उनकी संख्या कम करते जा रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास बड़ी-बड़ी योजनायें हैं, हम अपने देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं और यहां के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो ५ लाख की रकम कोई छोटी रकम नहीं है जब कि हमारा सीधा सम्बन्ध जिलाधीश से है तो यह जो बीच का स्थान बना हुआ है उसको हमें हटा देना चाहिये।

साथ ही साथ अनकनफ़र्म्ड की बात कही गई। इसको हम महसूस करते हैं कि बहुत से हमारे भाई सचिवालय में और अन्य जगहों में अनकनफर्म्ड हैं, लेकिन हमको स्थिति देखनी चाहिये। हम चाहते हैं कि सब यहां पर पर्मानेंट होने चाहिये, लेकिन जब तक हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होती तब तक हम इतनी भारी संख्या में कर्मचारियों को कनफर्म्ड कैसे बना सकते हैं? इसलिये यह बात भी कटती है।

थोड़े में मुझे यह निवेदन करना है कि जितने भी मामले चलते हैं उनमें नौकरशाही की बूबास बाकी है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो अहकामात यहां से जाते हैं वह नौकरशाही के असर में पड़ जाते हैं। और उन अहकामात का पूरे तौर से पालन नहीं होता। हम इस बात का भी अनुभव करते हैं कि सेंट्रल से या यहां से जो अहकामात जारी होते हैं उन पर पूरे तौर से अमल नहीं हो पाता। तफ़सील में जाने के लिये मेरे पास समय नहीं है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो कुछ आर्डर्स यहां से जायं उनका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिये। मिसाल के तौर पर अभी एक मंत्री जी प्रतापगढ़ जिले में गये और कहा यह जाता है कि मिल मालिकों के यहां उनके भोजन और जलपान का प्रबन्ध हुआ। लेकिन वहां कुछ ऐसी व्यवस्था हुई नहीं। न मिल मालिक नजर आये न किसान नजर आये। मुझे जहां तक पता है शायद उनको हलवाई

[श्री रामकुमार शास्त्री]

के यहां रहना पड़ा। ऐसे ऐसे अफ़सर हैं जिन्होंने इस नुक्ताचीनी को अपने सामने रक्खा। लेकिन क्रमशः धीरे धीरे यह सारी बातें हट जायंगी। ख़ामख़्वाह यह कहना कि इससे प्रेरणा नहीं मिलती बिल्कुल गलत और लगौ बात है। जो कुछ भी कमी है वह नौकरशाही की वजह से है। मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी का बख्शी के तालाब पर जो व्याख्यान उन्होंने दिया था वह याद आता है, जिसमें उन्होंने स्पष्टतया कहा था कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स को ठीक तरह से काम करना चाहिये। जितना काम उनको करना चाहिये उतना वह नहीं करते हैं। यह कहना कि माननीय मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रीगण इन हालात से वाकिफ़ नहीं हैं यह ग़लत है। जरूर वे वाकिफ़कार हैं। लेकिन एक दिन में हम कोढ़ को साफ करना चाहें तो नहीं हो सकता।

गेंदा सिंह जी ने देवरिया जिले की मिसाल दी, सूबे के और स्थानों की भी वह मिसाल देते। किसानों को तकलीफ न हो इस बात के लिये अहतियात जरूर बरतना चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि अवश्य एहतियात बरतें। जहां तक मंत्रियों के ठहरने का सवाल है अगर वह बाहर जायेंगे तो कहीं न कहीं ठहरेंगे तो अवश्य ही। यह हमारे और आप पर मबनी है कि हम उनको ग़लत जगह पर टिका देते हैं और यह हमारा और आपका फ़र्ज है कि वह प्रेरणा अच्छी तरह से लें।

थोड़े में यह निवेदन करना है कि जो सामान्य प्रशासन का काम चल रहा है वह ठीक तरह से नहीं चल रहा है, उसमें खामी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बख़्शी के तालाब पर जो आदेश दिये थे उनको ध्यान में रख कर अहकामों पर पूरी तरह से पालन नहीं होता। जनता में काफ़ी असंतोष है। इस बात के लिये काफ़ी असन्तोष है कि जो हिदायत यहां से जाती है उसका पूरे तरीक़े से पालन तहसीलदार वग़ैरह नहीं करते हैं। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के तमाम अहलकारों का कोआर्डिनेशन हो गया है वह हमको आगे बढ़ाने वाला है और हमारे देश को और हमारे प्रान्त को ऊंचे शिखर पर पहुंचाने वाला साबित होगा, ऐसी मेरी आशा है।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में कुछ बातें पेश करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह सामान्य प्रशासन में पहले तो हमें इस सदन ही की कार्यवाही को लेना है कि इस सदन में जो काम हम करते हैं उसका असर जनता के ऊपर क्या पड़ता है। इस सदन के जितने माननीय सदस्यगण हैं वे इस प्रान्त की जनता के भाग्य विधाता हैं और हमें देखना यह है कि उसकी जान और माल की हिफ़ाजत के लिये हम किस तरह के कानून बनाते हैं। जो हमारी प्लानिंग की स्कीम है इसमें हम किस तरह से कोशिश करें कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में काम अच्छे तरीक़े से चले और रुपया भी अच्छी तरह से लोगों के पास आ जाय। इसके लिये हमको देखना है कि किस तरह के कानून हम बनाते हैं और जनता उनसे संतुष्ट है या नहीं? मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी का ध्यान दो तीन बातों की ओर आकर्षित करूंगा। जैसे रेंट कंट्रोल ऐक्ट बना है उसमें सेक्शन ७ बी है जिसके अनुसार अगर किसी मकान का किराया ५ रुपये माहवार है, और मकान मालिक ने दरख्वास्त दे दी कि ५०० रुपये महीने के हिसाब से तीन महीने का किराया मिलना चाहिये। तो १५ दिन के अन्दर अगर मुंसिफ के यहां रुपया न जमा कर दिया और आब्जेक्शन न किया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिये हमारे लखनऊ की हाई कोर्ट बेंच ने दो मुक़दमें भी फैसल किये कि यह कानून कुछ अच्छा नहीं है मगर कानून

जैसे मौजूदा हालत में है वह उस तरीक़े से है । तो मैं मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अगर हमारे सदन के सदस्य इसका ख़्याल न भी करें तो कम से कम जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको तो अवश्य ख्याल करना चाहिये । जैसे पंचायत-राज ऐक्ट के मुताल्लिक़ एक जजमेंट हुआ उसके बाद यहां कानून में तब्दीली हो गयी कि अगर तीन पंच हों तो उनका फैसला रद्द न समझा जायगा । इसी तरीक़े से और भी कानून हैं । जैसे पंचायत राज ऐक्ट की रू से मुंसिफ को अख्तियार दे दिया गया कि वह रेवीजन भी सुने । मगर प्राविंशल स्माल काज़ कोर्ट ऐक्ट की रू से जब तक चार पांच साल तक मुंसिफ काम न कर ले तब तक उसको ओरीजिनल साइड में भी अख्तियार नहीं दिये जाते ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--उपाध्यक्ष महोदय, यह किस विषय पर भाषण हो रहा है, बिलकुल ही विषय के बाहर ?

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा--मैं यह कहूंगा कि हमारे कुछ माननीय सदस्यगण ने कमिश्नर वगैरह की बात कही जो कि १३वें नम्बर पर है और उसका भाषण कल होगा । और कुछ लोगों ने यहां एकीकरण जो कि ४३ नम्बर पर है उसके मुताल्लिक बातें कीं तब हमारे लायक़ आदरणीय सदस्य जी ने कोई आपत्ति नहीं की । और यहां तो सामान्य प्रशासन की बात है जिसकी पहिली चीज है कि किस तरीक़े से हम कानून बनायें और किस तरह से उस पर चलें । तो यह तो बिल्कुल संगत बात है, असंगत नहीं है, मालूम नहीं उन्हें क्यों ऐसा ख्याल पैदा हो गया । मैं केवल टीका टिप्पणी की ग़रज से कोई बात नहीं कह रहा हूं । कुछ ऐसी हैं जिनका कहना मुझको निहायत जरूरी है और मैं समझता हूं कि ४३१वां हिस्सा इस सदन के काम में मेरी भी जिम्मेदारी है । अगर मैं इस सदन का सदस्य हूं तो मुझे जो बात ठीक समझ में आयेगी वह मैं कहूंगा ही और मुझे कुछ कहना ही चाहिये ।

मैं यह कह रहा था कि हम कैसे कानून बनाते हैं । हमारे प्रान्त में ऐसा आतंक है कि कोई भी आदमी आज प्राइवेट प्रापर्टी बनाने के लिये तैयार नहीं है । मकान वालों में यह भावना घर करती जा रही है कि मालूम नहीं कि किस दिन मकानों का राष्ट्रीयकरण हो जाय । इस तरह से हमारा जो उत्पादन है, हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत कमी हो रही है । एक तरफ तो हमारी यह कोशिश है कि लोगों की आमदनी बढ़े जिससे प्लानिंग में भी अधिक रुपया खर्च किया जा सके, कर्ज की सूरत में या और किसी सूरत में । मैं यह कह रहा हूं कि लोगों के दिलों में जो ख़्यालात पैदा हो रहे हैं उसके लिये हम ऐसे कानून बनायें जिससे इस किस्म के ख्यालात पैदा न हों । लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी पर लांछन नहीं लगाता, किसी माननीय मंत्री पर लांछन नहीं लगाता, जो कि ईमानदारी और लगन के साथ काम कर रहे हैं । परन्तु आमतौर से लोग कैसा काम रहे हैं, उसके लिये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मेरे पास पूरी कार्यवाही की हर रोज की प्रतिलिपि अभी तक नहीं पहुंची । बीसों मर्तबा सुपरिंटेंडेंट और अध्यक्ष महोदय तथा सेक्रेटरी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अभी तक कोई इन्तजाम नहीं हुआ । कई-कई प्रतिलिपि एक-एक दिन की ही पहुंच गयीं । एक मर्तबा मैंने दो प्रतिलिपि जो ज्यादा पहुंच गयी थीं उनको वापिस किया और एक मर्तबा १३ प्रतिलिपि वापिस कीं । मेरे कहने का मतलब यह है कि कर्मचारियों के दिलों में भी इस बात का ख्याल होना चाहिये कि हमारा क्या कर्तव्य है और यह कि हमें उस कर्तव्य का पालन करना चाहिये ताकि हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंच जाय और जो कुछ हम करें वह जनता के उपकार के लिये हो ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (ज़िला सहारनपुर)---श्रीमन् मैं आपके द्वारा इस अनुदान पर कुछ ऐसे सुझाव पेश करना चाहता हूं जिनसे मेरे मित्रों को तो अचरज होगा ही सरकार को भी आश्चर्य होगा।

मेरा पहला सुझाव यह है कि इस ज़माने में, इस प्रान्त में २ सदनों की आवश्यकता नहीं है। हम केवल विधान सभा से ही काम चला सकते हैं। अगर आप विधान परिषद् को समाप्त कर देते हैं तो उससे प्रान्तीय सरकार को काफ़ी बचत हो जायगी और उससे प्रान्त की कोई हानि होने की संभावना नहीं है, बल्कि लाभ ही होगा।

दूसरा सुझाव मेरा माननीय सदस्यों के सामने यह है कि लाल बहादुर जी शास्त्री ने पिछले रेलवे बजट को पेश करते हुये यह बताया कि पहली अप्रैल से फ़र्स्ट क्लास उठा ली जायगी, केवल कुछ मेल गाड़ियों में रहेगी लेकिन वह भी पहली अक्टूबर, ५३ से उठा ली जायगी। शायद यही वजह है कि पंजाब के वित्त मंत्री सरदार उज्ज्वल सिंह ने पंजाब में पहली अप्रैल से मंत्रियों, विधान सभा के मेम्बरों और बड़े आफीशियल्स को बजाय फ़र्स्ट क्लास के सेकिंड क्लास का किराया देना निश्चित किया है। पंजाब का अनुकरण हमारे प्रान्त में भी हो सकता है और एक अप्रैल से बजाय डेढ़ गुना फ़र्स्ट क्लास के डेढ़ गुना सेकिंड क्लास का किराया दिया जाय। वास्तव में अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि हममें से बहुत कम सदस्य ऐसे हैं जो यथार्थ में फर्स्ट क्लास का उपयोग करते हों। हमारे देश का स्तर ऐसा है, हमारे जीवन का स्तर ऐसा है, इस प्रान्त के जीवन का स्तर ऐसा है कि इसमें कोई भी आदमी फ़र्स्ट क्लास का सदा उपयोग नहीं कर सकता। जब हमारा स्तर ऐसा है कि हम उसका उपयोग कर ही नहीं सकते तो हमें स्वयं ही पहले त्याग करना चाहिये और एक ऐसा आदर्श जनता के सामने पेश करना चाहिये, ताकि वह यह समझे कि हां, विधान मंडल के सदस्य जो हैं वे स्वयं कुछ त्याग करने की इच्छा रखते हैं और उसके अनुसार कार्य करने जा रहे हैं।

तीसरी बात मुझे सरकारी नीति के सम्बन्ध में जो दारुलशफ़ा में बरती जा रही है कहना है। दारुलशफा में सरकारी नीति के अनुसार अगर एक कमरे में एक सदस्य रहे तो उसे ४ रुपया दैनिक किराया देना चाहिये। आप देते तो हैं सदस्यों को २ सौ रुपये मासिक और ४ रु० दैनिक के हिसाब से १२० रु० काट लेते हैं। यानी इस तरह से सदस्य केवल ८० रु० पाते हैं। इसके विपरीत उसी दारुलशफा में अगर देखा जाय तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या उपमंत्री जो दो, तीन या चार कमरे लेकर रहते हैं, वे उसका किराया केवल १०० रुपया देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें क्या तुक है कि एक मेम्बर जिसका वेतन २०० रु० है वह तो ४ रु० रोज देवे और जो मंत्री, उपमंत्री या सभा सचिव जो ५००, ७५० या १,००० रु० पाते हैं वे १०० रु० दें। अगर उनको आप १०० रु० महीने पर देते हैं तो मेम्बरों से भी उसी अनुपात से किराया लेना चाहिये। खामख्वाह के लिये उनसे ज्यादा नहीं लिया जाना चाहिये।

एक बात इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि देखा गया है कि दो मेम्बर अपनी तबियत के नहीं हैं और वे नहीं चाहते हैं कि एक कमरे में रहें। तो मेरा ख्याल यह है कि स्वयं मंत्रिगण जिनके वे उपमंत्री व सभासचिव हैं उनको वे अपने बंगलों में नहीं रखना चाहते तो फिर क्यों आशा की जाती है कि दो तबियत वाले सदस्य एक कमरे में जरूर रहें? मेरे ख्याल से तो कार्य भी अच्छा होगा और यह उचित होगा कि मंत्रिगण अपने सहायक उपमंत्रियों और सभा सचिवों को अपने मकान में स्थान देवें ताकि उससे कार्य में तो सुविधा है ही, और ज्यादा रुपये की बचत भी हो सकेगी। बजट में सभा सचिवों और उपमंत्रियों के लिये नये मकान बनाने के लिये भी रुपया रखा गया है। ठीक है, उनकी सुविधा के लिये मकान बनने चाहिये लेकिन अगर हमारे पास मकानों की कमी है, कमरों की कमी है और उसकी वजह से

दो-दो सदस्य एक कमरे में रहते हैं तो हम मेम्बरों के लिये भी नये मकानों की सुविधा होनी चाहिये। और अगर रुपये की कमी के कारण सदस्यों को वे सुविधायें नहीं मिलतीं हैं तो उसी रुपये की कमी के कारण यह प्रबन्ध किया जा सकता है कि उपमंत्रियों व सभासचिवों को भी मंत्रियों के बंगले में स्थान दे दिया जावे जिसमें कोई खर्च न पड़े।

एक बात मुझे इस सम्बन्ध में और कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दैनिक अखबारों में सूचना विभाग की ओर से जो विज्ञापन प्रकाशित होते हैं उनमें लिखा होता है कि सब्जी उपजाइये, खेती की तरक्की कीजिये, सड़कें बनाइये, लेकिन वे सूचनाएं आम तौर पर अंग्रेजी के दैनिक पत्रों में प्रकाशित होती हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे प्रान्त की उन्नति के लिये जो यह कार्य होता है, वह अंग्रेजी पत्रों में विज्ञापन देने से कैसे लाभ हो सकता है ? ठीक है, विज्ञापन होना चाहिये लेकिन अपने देशी भाषा के पत्रों में होना चाहिये जिससे आम जनता जो देहातों में रहती है और जिसके लिये ये विज्ञापन किये जाते हैं वह उससे लाभ उठा सके न कि अंग्रेजी पत्रों से वह लाभ उठा सकती है। वैसे भी विज्ञापन दर को देखा जाय तो देशी भाषा के पत्रों का तो कम होता है लेकिन अंग्रेजी भाषा के पत्रों का विज्ञापन दर बहुत ज्यादा होता है। इस प्रकार से अगर विज्ञापन पर पाबन्दी लगा दी जाय और उसकी सीमा बांध दी जाय तो इससे आसानी हो सकती है और व्यय भी काफी कम हो सकता है। ये थोड़े से सुझाव मैंने, इसलिये दिये हैं कि मैं समझता हूं कि हम लोग जो विधान मंडल के और विधायिका सभा के सदस्य हैं, पहले अपनी तरफ देखना चाहिये और चूंकि हमारी यह जिम्मेदारी है, और हम प्रान्त का साल का बजट बना रहे हैं, उसको पूरा करने के लिये और उसको व्यय करने के लिये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिये हम पहले अपनी तरफ देख लें और औरों के सामने एक आदर्श पेश करें।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुदान के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि बहुत सी बातें जो उठाई गयी हैं कि बहुत ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिये और बहुत सी जो पोस्ट्स हैं उनको खतम कर देना चाहिये, मैं तो समझता हूं कि अभी उनकी आवश्यकता है और उनके जरिये हम कुछ कार्य अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें फ़िलहाल खतम करना मुनासिब नहीं है। जैसे बोर्ड आफ रेवेन्यू के लिये कहा गया है कि बोर्ड आफ़ रेवेन्यू को खतम कर दिया जाय। मैं यह समझता हूं कि अगर बोर्ड आफ रेवेन्यू को खतम कर दिया जाय तो फिर वह जो सेकिंड अपील सुनते हैं वह आखिरकार कहां जायगी। अगर वह सेकिंड अपील जो कि उनके ताल्लुक में रखी गई है वह हाई कोर्ट में भेजी जाती है तो उसका भी यह नतीजा होगा कि वहां कोई न कोई मेम्बर बेंच का बढ़ाना पड़ेगा। और जो यह किफ़ायत बतलाई गई है वह किफायत नहीं हो सकेगी। इसी तरीके से कमिश्नर जो रखे गये हैं उसमें से एक एडीशनल हैं और वह फर्स्ट अपील सुनते हैं। अगर हम उनको निकाल देते हैं तो उनके बजाय कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस वास्ते उस व्यय में भी किफायत नहीं हो सकती है। जो यह तीसरे रखे गये हैं एक्जिक्यूटिव फंक्शन्स के लिये तो यह ठीक है। जो हमारे जिलाधीश हैं उनसे अब इस गवर्नमेंट का सीधे-सीधे सम्पर्क स्थापित हो गया है। लेकिन आखिर ५२,५३ जिले हैं वहां की हर एक बात का निरीक्षण करना यहां हमारे मिनिस्टरों के लिये तो इतना वक्त नहीं है कि वह सब जगह जाकर ठीक ठीक निरीक्षण कर सकें। इसके लिये यह आवश्यक है कि कुछ न कुछ कमिश्नर हों जो कि जिलों में जाकर ब्योरेवार निरीक्षण कर सकें ताकि वहां का जो काम है वह ठीक ठीक तरीके से देखा जासके और हम एक ठीक निर्णय पर पहुंच सकें कि हमारा काम ठीक रास्ते पर चल रहा है या नहीं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

बधाई देता हूं इस बात पर कि उन्होंने जिला सूचना अधिकारियों को प्लानिंग डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया है। इसका नतीजा यह भी समझता हूं कि जो जिला सूचना अधिकारियों के पास कारें थीं वह अब प्लानिंग अफ़सर के मातहत रहेंगी और इस तरीके से ज़िलों में उन्नति का कार्य और ज्यादा तेज़ी के साथ हो सकेगा क्योंकि कार से प्लानिंग अफसरों को कुछ न कुछ सुविधा होती है और वह ज्यादा कार्य कर सकते हैं। उनका भत्ता भी ज्यादा हो जाता था, लेकिन अब सरकारी कार उनके पास रहने से उनके भत्ते में कमी होगी। लेकिन मैं यह समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन आफ़िसरों को जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया गया है वह तभी रखे जायं जब कि वाक़ई में वहां उनकी खपत हो और उनसे ऐसा कार्य लिये जाने की आवश्यकता हो और हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में ऐसे आदमियों को पंचवर्षीय योजना के लिये रखें जो किसी कार्य के लिये ज़रूरी हों। अगर जरूरत नहीं है तो मैं यह समझता हूं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी ट्रान्सफर करने से उनके जरिये से कोई लाभ नहीं होने वाला है और असल में फिर इस पोस्ट को अबालिश ही करना होगा ताकि हम कुछ रुपया बचाने में किफायत कर सकें।

मेरा यह भी ख्याल है कि हमारा देश इस समय एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है। हमारे देश में पंचवर्षीय योजना चालू है और ऐसी दशा में हमको हर तरीके से सतर्क रहना है और हमको असल में हमारा जितना शासन है उसको इस निगाह से देखें कि हमको पंचवर्षीय योजना कामयाब बनानी है और उसके लिहाज से ही हमको उसका पुनःसंगठन करना है। और हमको यह देखना है कि हमारे जो कर्मचारी हैं वह पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये उचित हैं या नहीं? वह हमारे योग्य हैं या नहीं? और जो आदमी इसके योग्य नहीं हैं तो उसको हमें उन जगहों पर नहीं रखना है और उनको वहां से अलग करना है। ऐसे अफ़सरों को रखना है जो इस कार्य को ठीक रूप से करें और सुचारु रूप से चला सकते हों उनको ही हमें रखना है। इसके लिये बहुत हायर इन्टेग्रिटी की ज़रूरत है ताकि जनता के विश्वास से कार्य किया जा सके और उसमें किसी क़िस्म की बेईमानी पैदा न हो। उसमें जनता का रुपया बेकार तथा नष्ट न होगा। और लगन के साथ काम होगा। ऐसे अफसर जो जनता का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जो पुरानी शेख़ी में नहीं रहते हैं, बल्कि अपने को जनता का सेवक समझते हैं, जनता से मिलजुल कर काम करना जानते हैं उन्हीं को असिल में हमें वहां रखना है और उनके द्वारा ही यह काम चलाना है और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी पंचवर्षीय योजना कामयाब नहीं हो सकती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कृपा करके इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यह तो सही है कि हमारे जो सुपीरियर अफसरान हैं उनकी इन्टेग्रिटी के बारे में मैं ख़ास तौर पर कोई ख़ास शिकायत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनको भी एक बात की इन्सट्रक्शन्स जरूर होनी चाहिये कि वह अपने सबार्डिनेट्स की तरफ कड़ी निगाह रखें। आमतौर पर शिकायत नीचे के सबार्डिनेट्स के बारे में ही रहती है लेकिन अफसरान के बारे में भी एक शिकायत जरूर आती है कि वह खुशामद में आकर तरह दे दिया करते हैं। इसलिये इस तरह से जो तरह दी जाती है उसकी रोकथाम भी होनी चाहिये और किसी अफसर का रिकार्ड तभी अच्छा समझा जाना चाहिये जब कि वह अपने सबार्डिनेट्स को काबू में रख सकता हो और उसके यहां सब में इन्टेग्रिटी पाई जाय। अगर इस तरह की ज़िम्मेदारी अफसरान की ठहराई जायगी तो वह किसी की सिफ़ारिश या खुशामद में न आयेंगे और अपने सबार्डिनेट्स की इन्टेग्रिटी को वह ऊंचा रख सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का स्वागत करता हूं।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा शासन चलाने के लिये यह आवश्यक है कि शासन को चलाने वाली मेशीन अपना काम सही सही करे।

यह मशीन तभी ठीक काम कर सकती है जब कि उस के दोनों पहलुओं को सही तरीके से रखा जाय। एक तो यह कि शासन चलाने की मशीन यानी राज्य के कर्मचारीगण की कन्डीशन आफ सर्विस ऐसी हों जिन से वह संतुष्ट रह सकें। दूसरे यह कि वह अपने फ़रायज़ को ठीक से अंजाम देते हों और वह जनता के पैसे का और पब्लिक की दी हुई ताकत का दुरुपयोग न कर सकें, यह बहुत ही जरूरी चीज़ है। यह भी जरूरी चीज़ है कि राज्य के कर्मचारियों का मान होना चाहिये, उनकी इज्जत हो और पब्लिक उनको अपना मित्र समझे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज कुछ ऐसी अवस्था हो गई है कि राज्य के कर्मचारी पब्लिक में दोस्त की तरह नहीं देखे जाते, या तो पब्लिक उनसे बहुत ख़फ़ा है, डरती है और कहीं पर आतंकित भी होती है और मित्रता के भाव का बिलकुल अभाव है।

दूसरी बात जो शासन चलाने के लिये बहुत आवश्यक है वह यह है कि सरकार की जो भी बातें हैं उन का अमल ठीक तरह से हो। मसलन सरकार किसी चीज़ की घोषणा करे कि फलां काम शुरू करना चाहते हैं तो उसको उसकी पाबन्दी करना चाहिये। जैसे सन् ४९ ई० में हमने एनाउन्स किया कि हम लोकल बाडीज़ के एलेक्शन्स करायेंगे, लेकिन साल ५०–५२ सब ख़त्म हो गये और ५३ भी आ गया पर वह इलेक्शन्स नहीं हुये। वार्ड भी बने, सब चीजें हुईं लेकिन कुछ काम पूरा न हुआ। इस बात से नतीजा यह होता है कि सरकारी बातों में जनता का विश्वास कम हो जाता है। यह चीज़ अच्छा शासन चलाने के लिये मुनासिब नहीं है। सरकार द्वारा फ़ैसले जल्दी हों यह भी अच्छा शासन चलाने के लिये जरूरी चीज़ है। यह फ़ैसले अगर जल्दी नहीं होते हैं तो इससे संबंधित आदमी की मानसिक हालत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और खास तौर से सरकारी कर्मचारियों के मसले में।

नियुक्तियां जो होती है, अगर कोई खाली जगह होने के बाद या रिटायर होने के बाद कोई आदमी उस पर नियुक्त किया जाय तो उसकी नियुक्ति पहले से हो जानी चाहिये। नहीं तो नतीजा यह होता है कि दौड़ धूप शुरू हो जाती है और आखिर तक उसकी कोशिश होती रहती है। इससे राज्य के काम अच्छे तरीके से चलने में दिक्कत पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति आज चार छः महीने हो गये लेकिन अभी तक नहीं हुई है। हाईकोर्ट के जजों की भी कुछ जगहें खाली हैं। लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई।

सरकारी कर्मचारियों के जाती मामले जो होते हैं और उन की सुनवाई जल्दी नहीं होती तो उसका सरकारी कर्मचारियों की मानसिक हालत पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इस तरह के फ़ैसले जल्दी हो जायं तो इससे जनता भी संतुष्ट रहेगी और जिस कर्मचारी से उसका संबंध है वह भी, चाहे उसके हक में फ़ैसला हो या खिलाफ़, संतुष्ट रहेगा। डाल रखने से उसकी मानसिक हालत ख़राब होती है।

श्रीमन्, अभी हाल में सिविल सेक्रेटेरिएट में कुछ इम्तहान हुये जिससे कुछ आदमी चुनाव में लिये गये। इसमें उन्होंने यह रखा था कि पचास फ़ीसदी वैभागीय उम्मीदवार और ५० फ़ीसदी जगहें बाहर वालों के लिये। नवम्बर में यह इम्तहान हुआ और फ़रवरी में इसके नतीजे की घोषणा की गयी। तो जो बाहर के उम्मीदवार थे वह तो नियुक्त हो गये। लेकिन जो वैभागीय उम्मीदवार थे और टेम्पोरैरी हैन्ड्स में से ज्यादातर थे, उनमें से केवल चार-पांच आदमी ऐसे थे जो क्वालीफ़ाई कर सके। यह हालत है जब साल डेढ़ साल जनता के पैसे पर इसी सचिवालय के अन्दर उन्होंने ट्रेनिंग पायी। यह बहुत गलत चीज़ है। अगर टेम्पोरैरी हैन्ड्स भी हमें रखने हैं तो हम उन्हीं में से रखें जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हमने आदमी ले लेने के बाद, मेरिट के क्रम से जो उम्मीदवार बचते हैं उन को टेम्पोरैरी अप्वाइंटमेंट्स में रखें। यह नहीं है कि टेम्पोरैरी अप्वाइन्टमेंट्स हम कहीं भी हेबेज़र्ड रख लें। इससे कर्मचारियों के ऊपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और बाज़ वक्त उन का ऐसा भी ख्याल हो जाता है कि उन को इंसाफ की आशा नहीं है। इसलिये मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि टेम्पोरैरी अप्वाइन्टमेंट्स इस तरीके से कतई न किये जायं।

[श्री भगवान सहाय]

एक बात और बहुत अहम है वह यह है कि हमारे सरकारी विभागों में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो साल ब साल टेम्पोरैरी तरीके से चले आ रहे हैं हैं। ३१ मार्च को उनको नोटिस दे दिया जाता है कि उनकी नौकरी खत्म है और पहली तारीख को फिर रख लिया जाता है। अगर हम यह समझते हैं कि कुछ जगहें आवश्यक हैं तब हम उनको मुस्तकिल तौर से रखें और अगर हमें जरूरत नहीं है तो फिर हम टेम्पोरैरी तरीके से न रखें। क्योंकि आप उसकी मानसिक हालत को सोचिये जिसकी नौकरी दो चार महीने के बाद खत्म होने वाली हो। काम करने में उसको क्या दिलचस्पी होगी ?

अन्त में मैं श्रीमन्, आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में यह साफ़ तौर से दिया हुआ है कि हमारे इस सदन के सामने हर साल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पेश की जायगी। और जहां पर सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट से इत्तफाक नहीं किया है वहां पर सरकार की अपनी रिपोर्ट होगी कि उन्होंने क्यों नहीं इत्तफ़ाक किया है। मुझे बड़ा दुख है कि यह रिपोर्ट इस सदन के सामने आज दो साल हुये, अभी तक नहीं आई है।

अन्त में मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी बातों के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाय।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी ने जो अपना कटौती का प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अगर इस प्रदेश की तरफ देखा जाय तो सन् १९४७ में जब स्वराज्य मिला उसके पहले सन् ४६ में हमारे सरकारी मुलाजमान की जो तादाद थी आज की तादाद से अगर मुकाबला करें तो जमीन आसमान का फर्क हमें मालूम होता है। करीब चौगुनी और अठगुनी वह संख्या होती जाती है। और ७८ करोड़ रुपया जो इस बजट में रखा गया है उसका एक तिहाई हिस्सा उन सरकारी नौकरियों पर या उनके आफिसेज के मुताल्लिक खर्च किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट्स तो हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ गये, काम भी ज्यादा हो गया लेकिन अंग्रेजों के जमाने में जो हम एफ़िशियेंसी पाते थे आज उसके बजाय इनएफ़िशियेंसी बराबर बढ़ती चली जा रही है। इतना ही नहीं, एक चीज़ यह भी हम देखते हैं कि अगर पब्लिक में हम जायं वहां भी असंतोष मिलता है, गवर्नमेंट सरवेंट्स में भी असंतोष मिलता है और सरकार भी परेशान है। इस चीज को हमें देखना है कि यह गड़बड़ी, जिस की वजह से यह परेशानी हर वर्ग, हर समाज और हर जगह हम पाते हैं वह क्यों है, यह हमें सोचना है। अगर पुलिस की तरफ हम देखते हैं तो वहां कहा जाता है कि क्राइम्स बहुत कम होते हैं। लेकिन रियलिटी की बात दूसरी है। वहां तो क्राइम जितना होता है उसका बहुत कम हिस्सा दिखाया जाता है। अगर पंचायतों को आप साथ में लें तो वह क्राइम की तादाद जो पुलिस के जरिये कहा जाता है कि क्राइम कम हो रहा है, वह पंचायतों को शामिल कर देने से दूनी चौगुनी मालूम होती है।

आज जो इतने विभाग दिखाई देते हैं इसकी वजह से कमजोरियों का मुश्किल से पता लग सकता है। आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं कि वाकई प्रदेश की परिस्थिति क्या है और नतीजा यह हुआ कि इसकी वजह से असंतोष ज्यादा पैदा हो रहा है।

इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि गांधी जी ने जब यह आन्दोलन छेड़ा उस वक्त वह अकेले थे। लेकिन उनका जो भाव था और प्रोग्राम इतना सुन्दर था कि देश की पूरी जनता उनके साथ हुई और नतीजा यह हुआ कि स्वराज्य की जो मनोकामना हमारे प्रदेश की थी वह हासिल हुई। लेकिन आज हम देख रहेहैं कि जिस जनता को लेकर गांधी जी ने इतना जबरदस्त मोर्चा अंग्रेजों के साथ लेकर कामयाबी हासिल की वह जनता हम से दूर होती जा रही है।

इतना ही नहीं बल्कि उस जनता में भी हम यह देखते हैं कि अगर देहात की तरफ आप जायं तो रामराज्य की जो कल्पना देख रहे थे कि स्वराज्य होगा और हर एक में प्रेमभाव होगा, खाने कपड़े की कमी नहीं होगी, वह बात हम नहीं देखते हैं। सोशल लाइफ हम लोगों की इतनी खराब होती जा रही है कि हर एक परेशान है। इतना ही नहीं, जातीयता, आपस में जो कठिनाइयां और झगड़े फसाद इतने बढ़ रहे हैं कि देहात में रहना लोगों का मुश्किल हो गया है। अगर जेलों की तरफ भी हम देखें तो वहां का जीवन हमें देहात के जीवन से ज्यादा अच्छा मालूम होता है और उसकी वजह यह है कि जेलों में हमें काम और पैसा मिलता है। मैं समझता हूं कि वह परिस्थिति जिसमें मजबूर होकर कोई आदमी क्राइम करता है वह जब जेल में जाता तो उसे ऐश व आराम बहुत ज्यादा मिलता है। नतीजा यह होता है कि क्राइम की ओर मनोवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है क्योंकि जेल से जब हम वापस आते हैं तो जिन परिस्थितियों में मजबूर होकर जुर्म करना पड़ता है वह परिस्थितियां जैसी पहले थीं वैसी ही आज भी बनी हुई पाते हैं और नतीजा यह हो रहा है कि हम जेल से बाहर आते हैं और फिर उसी परिस्थिति से मजबूर होते हैं कि क्राइम करें और जेल जायं। इस तरीके पर हम देखते हैं कि हमारी समस्या जो है वह उलटे बढ़ती ही जा रही है। हमारे सामने जो बजट है और यह जो प्रोग्राम गवर्नमेंट का है उसमें हमें एक भी चीज ऐसी नहीं मिली कि हमारी बेकारी की समस्या दूर हो या काम वगैरह न मिलने की जो परेशानी है वह परेशानी दूर हो। हमने पंचवर्षीय योजना को भी देखा है। हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन काम करने की तमन्ना तो उसमें आती है पर बेकार आदमियों के पेट भरने की समस्या का हल नहीं होता। हमारे आदमी मजबूर किये जाते हैं काम करने के लिये लेकिन सवाल यह है कि उनके पेट भरने के लिये भी हमें कोई उपाय करना चाहिये। वह उपाय हमारे सामने नहीं है। प्लानिंग वगैरह के मुताल्लिक हम पढ़ते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और यह बताया जा रहा है कि वह देहातों में जायं, लोगों की कठिनाइयां जो हैं उनको अपने सामने रखें और उनकी कठिनाइयों को दूर करें, लेकिन मैं देखता हूं कि कोई ठोस काम इन चीजों के साथ वहां जो ट्रेनिंग दी जा रही है वह नहीं किये जाते जिससे कि वे पब्लिक की कठिनाइयों को दूर कर सकें और जनता का प्रेम अपनी तरफ खींच सकें।

अब जहां तक अदालतों का संबंध है हम यह कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन दूर हो। चारों तरफ करप्शन की भरमार हो रही है, लेकिन साथ ही हम यह देखें कि इन करप्शंस का फैसला कौन करने वाला है? इन करप्शन्स का फैसला अदालतों से मिलता है। अदालत में मैजिस्ट्रेट वहां बैठता है, वहीं पेशकार और उसके कर्मचारी बैठते हैं और अदालत के सामने वह पेशकार और कर्मचारी पैसा लेते हैं, उसके लिये कोई रोकथाम नहीं है। आप सोचिये कि वह आफिसर जिसके कि सामने पैसे लिये जायं, अगर वह उस चीज को बन्द नहीं कर सकता तो वह करप्शन जो कि उसके लिमिट के बाहर हो रहा है उसको वह कैसे रोक सकता है? यह एक गैरमुमकिन चीज है और मैं समझता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। ऐंटी करप्शन कमेटियां हर जिले में मौजूद हैं। वहां हर तरह के जुर्मों की बात होती है। होता क्या है कि अदालत में जहां पर कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहता है, वहीं उसके इजलास में करप्शन होता है और वह उसको रोक नहीं सकता। फिर उससे हम क्या उम्मीद करें कि बाहर के लोगों का जो करप्शन है उनके करप्शन को वह रोक सकेगा। अब जहां तक इंफारमेशन के डिपार्टमेंट की बात है, इंफारमेशन डिपार्टमेंट की बड़ी तारीफ लोगों ने की है और मैं तो यह समझता हूं कि यह वह डिपार्टमेंट है जिसे कि अप-टू-डेट इंफारमेशन रखनी चाहिये। पर अगर आज हम किसी डिपार्टमेंट के बारे में पूछते हैं तो उसकी नालेज और पूरा ज्ञान इस डिपार्टमेंट को होना चाहिये। लेकिन अगर हम कोई बात किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में पूछें तो उसके लिये एक रास्ता है कि वह लिख देगा कि फलां डिपार्टमेंट से पूछिये। यही चीज है जो कि हम इस डिपार्टमेंट से हासिल कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इंफारमेशन डिपार्टमेंट का ही इन्क्वायरी आफिस भी एक भाग है। इंफारमेशन डिपार्टमेंट में मैं समझता हूं कि जैसा कि और देशों में होता है, हम लोगों ने सिनेमा आदि बड़ी

]

हैं जिनसे कि देहातों में मैजिक लैन्टर्न वगैरह के जरिये जाकर प्रचार
बीय योजनायें जो हैं उनको कार्यरूप में परणित कर सकते हैं।
हो सकता है। लेकिन आज हम यह देखते हैं कि यह डिपार्डमेंट जिससे
। वह बिलकुल टोटल फ़ेल्योर हो रहा है और मैं समझता हूं कि अगर
न नहीं दिया गया तो यह शायद हमको रसातल में भी ले जाय तो कोई
है। हमारे इस यू० पी० में प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी है। वहां पर यू० पी०
ये हैं। उनकी तरफ से पैनल एक बना हुआ है जिसके लिये नाम वह लोग
हे। तो जब कि खुद उनको चुनने का अधिकार था वह खत्म किया
यह हो रहा है कि गवर्नमेंट खुद नामजदगी कर रही है। इससे प्रेस के लोग
सकते थे आज उनका संरक्षण दूर हो रहा है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट
करना चाहिये ताकि प्रेस वालों का जो गवर्नमेंट का संबंध है वह उसी
कि पहले था। अब जहां तक टेम्पोरेरी सर्विसेज का ताल्लुक है उनके
ाननीय सदस्यों ने बतलाया है। लेकिन एक खास जी० ओ० २७ फरवरी
ने निकाला है। उसके मुताबिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जितने भी
, १९५३ को उनकी सर्विसेज टरमिनेट हो जाती हैं। जैसा कि अभी
यों ने बतलाया कि इस तरह टेम्पोरेरी सर्विस होने से हर तरह का असंतोष
ल्कि सरकारी कर्मचारियों में भी होता है। मैं समझता हूं कि अगर इस
या जाय और जैसे सुझाव हैं, तो सुन्दर होगा। इन शब्दों के साथ मैं
कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

ल सिंह (जिला सहारनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये बहुत
ननीय मुख्य मंत्री जी ने वन विभाग पर बोलते हुये अपने भाषण में कम्युन-
की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रदेश से ही नहीं बल्कि
लज्म को जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं। मैं उसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता
क्त जब मैं यह देखता हूं कि दूसरे मंत्रिगण जब यह कहते हैं कि पुलिस
दूसरे विभाग में एक दूसरे के साथ खाने पीने में डिस्पिलिन में फर्क आयेगा तो
जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी जातीयता का नाश नहीं होगा। यह हमारा
सी में फंसे रहेंगे। हिन्दुस्तान में फिरकापरस्ती की जो ज्वाला थी और सुसी-
े रहेंगे। मैं समझता हूं कि किसी तरीके से जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में जातीयता
बल्कि इसमें पक्षपात को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसी ही चीजें मैंने
आप प्रदेश के ५२ जिलों पर नजर दौड़ायें तो एक एक जिले में आप देखेंगे कि
कर होता है और किस तरह से नियुक्ति होती है। यह बहुत देखने में मिलता
ट में एक जाति के ही सब आफिसर होते हैं और वे हर एक की पोस्ट में विद्यमान
हना पड़ेगा कि अगर यह जातियता नहीं है तो क्या है। उनके नीचे जितनी
त्यां होती हैं उन पर इसी तरह से नियुक्ति की जाती है तो हम कैसे कम्युनलिज्म
े हैं? हम ने देखा कि इसी तरीके से हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन की जो मशीनरी है
जरूरत है। जहां जहां इस तरीके की चीजें हैं उनको दूर करने की कोशिश करें।
उनमें हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री ट्रांसफर करते हैं और स्वयं
हैं। लेकिन जब हम जिलों में नजर डालते हैं तो वहां का नक्शा दूसरी प्रकार का
रह हम देखते हैं कि जब प्लानिंग की स्कीम आई और मोबलाईजिंग की स्कीम
लागू कर के सड़कें बनायी गई मैं १८ फ़रवरी, १९५३ का वाकया बयान करता
ांव में था, वहां यह कहा गया कि जो सड़क बनाने नहीं आयेगा उस पर १० रुपया
येगा। मैं कहता हूं कि जो मजदूर रोजमर्रा मजदूरी करके अपने
षण करता है अगर वह नहीं जायेगा तो वहां के ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी
ना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से अगर हमारी स्कीम

काम करें तो न उसमें स्वतंत्रता है और न किसी तरीके से काम होगा। हम किसी तरह से उन पुराने ढंग को अपनायें और अपने देश के खातिर काम करें। मैं समझता हूं कि उनमें खास तौर से इनसेन्टिव पैदा नहीं होगा, वह सब बेकारी के तरीके से कर सकते हैं जैसा कि पिछले दिनों हुआ है। तो इस तरीके से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना नहीं है। क्योंकि गरीब जनता जो भी है वह पीछे रह गई है और वह आगे नहीं बढ़ सकी है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से जिलों के ऐडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और डिपार्टमेंट्स में भी इस तरीके की और चीजें हुआ करती हैं। मैंने यह देखा है कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के दो हरिजन लोग बाहरी देशों से शिक्षा प्राप्त करके आये और उनमें से एक तो खुशकिस्मती से यहां इस हाउस का सदस्य है, लेकिन जो दूसरा वहां से आया है उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार हो रहा है और उसको डिपार्टमेंट से निकालने की कोशिश की जा रही है। वे चाहते हैं कि वह किसी तरह से निकल जाय, तो इसका क्या कारण है? एक स्थान डाक्टर सीताराम का भी खाली है, लेकिन उसको दबाकर रखा गया है। उसको क्यों भरा नहीं जाता है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने वह चीज जाती है और उसमें करना यह है कि यदि वह अयोग्य भी है और यदि दूसरे के मुकाबिले में उसके नम्बर में भी कमी है तो उसके लिये यह बात नहीं होनी चाहिये। तो उसके विपरीत जो कुछ किया जाता है वह देखा नहीं जा सकता है। ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यह कहें कि ७८ करोड़ रुपये में जो काम हो सकता है हम उससे भी फायदा उठा सकते हैं तो उसको हम पुलिस, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और दूसरे जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उनमें खर्च करते हैं तो हम देखेंगे कि हरिजनों को काम मिलेंगे और वह इसलिये नहीं मिलेंगे कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा पक्षपात इस तरह से हो जाता हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने सरकारी नौकरों को सत्ता और अधिकार दिये जाते हैं और समाज में उनकी जो प्रतिष्ठा भी होती है तो अगर हम अपने देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, तो हमें इस तरह की इसके लिये पक्षपात की भावना नहीं रखनी चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं तो हमें आज निष्पक्ष भावना को लेकर काम करने की जरूरत है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यहां की सरकार के पास शिकायतें आती हैं कि फलां जगह की जमीन हमको दी जाय तो आप उसको दें दें और खास कर गरीब और मजदूरों के लिये आपको उचित कार्य-वाही करनी चाहिये। गरीबों और मजदूरों के बाबत में इस बात की ओर भी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहां उन लोगों के कल्याण के लिये और हित के लिये जो कुछ हो सकता है वह करना चाहिये। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की जो पालिसी जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में है, जो खराबियां इस समय चली आ रही हैं, तो उसके लिये आशा है कि भविष्य में उसका इन्तजाम जरूर अच्छा होगा। अगर उसका इन्तजाम अच्छा हो गया, तो मैं समझता हूं कि हमारी स्टेट जरूर एक वेलफेयर स्टेट बन जायेगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा परम सौभाग्य रहा है कि जब हमारे प्रदेश में अन्न का संकट और दुर्भिक्ष और दूसरी तरह की मुसीबतें गुजर रही थीं, उस समय इस प्रान्त की बागडोर हमारे मुख्य मंत्री जी के हाथ में रही है, जिनका मस्तिष्क हिमालय की स्वच्छ चोटी के समान हर क्षेत्र में प्रकाशित होता नजर आता है। उनकी परिष्कृत बुद्धि की प्रतिभा की स्वर्णिम रश्मियों के किलोल ने इस प्रदेश की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को संभाले रखा और यहां शान्ति कायम रखी गई। वे इन सब बातों के लिये उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से बधाई के पात्र हैं। परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी कमियां भी हैं जिन कमियों को दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि उन्नति के पथ पर अग्रहर हों, अगर हमारे कदम के अन्दर दृढ़ता की जरूरत है, तो यह जरूर है कि हमें परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

और ज़माने की पुकार को हमें सुनना होगा, उसको नजरअन्दाज़ हम कर नहीं सकते। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह ऐडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी जो कि ब्रिटिश मेक है, जो मशीनरी इस देश के अन्दर दोहरे शोषण के लिये बनाई गयी थी और जिसका मुख्य ध्येय बरतानिया हुकूमत की जड़ों को इस देश में मजबूत करना था, वही मशीनरी आज भी इस देश के शोषण को चालू किये हुये हैं। यह इनहैरेंट कमी है और उस समय तक बनी रहेगी जब तक उस मशीनरी को तब्दील नहीं किया जाता। जितनी कमियां आज बताई जाती हैं उनके बताने का इस सदन में मौका नहीं मिलता है। माननीय मुख्य मंत्री जी को बखूबी मालूम है कि आज पीड़ित जनता उस दोहरे शोषण के कारण बहुत दुःखी है और उस पीड़ा को बताने का अगर मौका नहीं मिलता है तो हमें इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिये कि हमारे देश के अन्दर बहुत बड़ी शांति है और हमने ऐश्वर्य और समृद्धि को हासिल कर लिया है। आज अगर हम इस देश का निर्माण सही तरीके पर करना चाहते ह तो हमें उस नौकरशाही की ओर देखना पड़ेगा जिसकी एक बहुत बड़ी आर्मी अंग्रेजों के जमाने से छोटी २ तनख्वाहों पर मुकर्रर है और जिसको यह खुली छूट दी गई थी कि वह खुले आम जनता का शोषण करे और जो तनख्वाह के अतिरिक्त ऊपरी आमदनी कही जाती है और प्लैन्स में यह मशहूर है कि जब पढ़े लिखों की कहीं शादियां होती हैं तो यह कहा जाता है कि सरकार की ओर से तनख्वाह छोटी है लेकिन ऊपरी आमदनी ५ सौ से लेकर एक हजार तक माहवार है। वे ऊपरी आमदनियां आज भी देश के अन्दर जैसी की तैसी बनी हुई हैं। यह किसी का दोष नहीं है, सरकार का भी दोष नहीं है लेकिन यह उस शासन-प्रणाली का दोष है जो आज भी जैसी की तैसी बनी हुई है। हमें इसके अन्दर फंडामेंटल चेंज लाने की ज़रूरत है और जब तक यह फंडामेंटल चैंज इस शासन-प्रणाली में नहीं किया जायगा तब तक हमारे देश को उस दोहरे शोषण से निजात मिल नहीं सकती। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अभी बहुत से पुराने दस्तूरात और दूसरी चीजें जैसी की तैसी बनी हुई हैं। कहा जाता है कि टैक्सेज़ बढ़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्सेज़ बढ़े हैं और हमें टैक्सेज़ के बढ़ने से कोई गिला नहीं है बशर्ते कि सरकार उस दोहरे शोषण को खत्म कर दें। आज भी पी० डब्ल्यू० डी० में ५ प्रतिशत, जो कि नाजायज़ है, जायज़ रकम के रूप में वसूल किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के शोषण को खत्म करने की बड़ी भारी जरूरत है।

दूसरे मैं यह बताना चाहता हूं कि लड़ाई के ज़माने में जिस प्रकार वार मैटीरियल वार क्वालिटी का पैदा किया गया, उसी वार के ज़माने में उसी वार क्वालिटी के आफिसर मैन्यूफैक्चर किये गये और इन जापानी अफसरों का वार प्रोडक्शन उसी लड़ाई के ज़माने में हुआ है। ये आफिसर बहुत छोटी तबियत के और छोटे चरित्र के लोग हैं जिनके अन्दर उदारता नहीं है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का कितना ऊंचा और विस्तृत दृष्टिकोण है। जब विरोधी बौछार करते हैं और आलोचना की बाढ़ आती है तब उनके उस ऊंचे दृष्टिकोण में वह बाढ़ उसी प्रकार समा जाती है जिस प्रकार बड़ी से बड़ी बाढ़ समुद्र में विलीन हो जाया करती है। मैंने देखा कि हमारे सरकारी आफिसर अपने चपरासियों से निजी काम लेते हैं, लेकिन उनकी उदारता को देखो, बरतन मलाते हैं लेकिन उनको एक रोटी तक नहीं देते और जो रोटी देते हैं वह उनकी तनख्वाह में से काट देते हैं। अगर उनकी तनख्वाह ४७ रु० १५ आने है तो उसको सिर्फ तीस रुपया दिया जाता है। बाकी रुपया उसका खाने में काट दिया जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसे छोटी तबियत के लोगों को ऐडमिनिस्ट्रेशन में रखना, यह मुल्क के लिये खतरे से खाली नहीं है। आपने देखा कि गुज़िश्ता जमाने में बड़े २ लोग हुआ करते थे, ऊंचे दिमाग के, उनके पीछे बहुत से नौकरों की परवरिश हुआ करती थी।

आज हमारे सामने यह प्राबलम है कि जिनके यहां बहुत से नौकर हुआ करते थे उनके यहां दो भी नौकर नहीं हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि चुनाव करता है, इन अफसरों का रेक्रूटमेंट करता है उसकी ओर इस सरकार का और इस सदन का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले नौकरियों में वही लोग लिये जाते थे जिनके अन्दर नेशनलिज्म का थोड़ा भी माद्दा नहीं पाया जाता था। मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं लेकिन मुझे दुःख है और महान् दुःख है कि समय कम है। आज जबकि गढ़वाल के लिये ये हर तहसील को उनके मुकदमों को सुनने की सुविधायें दी गई, मुझे दुःख है कि आज भी हमारी कांस्टीटुएन्सी में एक चमोली तहसील है उस तहसील में लिटीगेन्ट्स को अपनी अपीलों की सुनवाई के लिये ७० व ८० मील दूर रानीखेत अल्मोड़ा जिले में जाना पड़ता है। मैं मानता हूं कि वहां मकानात की व्यवस्था न हो परन्तु मैं समझता हूं कि क्या उन लोगों को फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती हैं, जब कि पी० डब्ल्यू० डी० के डीसेंट बंगले वहां मौजूद हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन जज जा करके दस १५ रोज में वहां के केसेज डिस्पोज आफ नहीं कर सकते ह? मैं समझता हूं कि सरकार इसकी ओर अवश्य ध्यान देगी।

इतना ही नहीं बल्कि मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर और भी जितनी बातें हैं जैसे पब्लिक इन्फारमेशन है यह बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। मैं चाहता था कि यह डिपार्टमेंट उस तरह काम करता तो हमारा देश बहुत ऊंची प्रगति पर उठ सकता था। लिट्रेचर बहुत तैयार किया जाता है परन्तु वह बांटा नहीं जाता और वह दफ्तरों में पड़ा रहता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपको आज विशेष रूप से धन्यवाद देना है क्योंकि आपने मुझे इस जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि सदन में मुसलिम लीगी विचार जो लोग रखते हैं और उसका प्रचार किया जाता है, यह अनुचित है। मैं आज प्रत्येक सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति हमारी वह संस्कृति है जिसको अगर देखना है तो आज कल शिवाजी खेल लगा हुआ है। शिवाजी ने क्या आदर्श उपस्थित किया हमारे सामने। जब बीजापुर के पठानों ने दरख्वास्त की कि हमें नौकर रखिये तो शिवाजी ने कहा कि हम नौकर रखेंगे। (कुछ आवाजें) जरा आप शान्त रहिये उपाध्याय जी, मैं रूस का शुभचिन्तक नहीं हूं, मैं अपने देश का शुभचिन्तक हूं। मैं लाल टोपी नहीं रखता, मैं सफेद टोपी रखता हूं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर ला रहा हूं कि सन् ३७ से लेकर आज तक हमारी मिनिस्ट्री रही है और गार्जियन अखबार ने हमारे मुख्य मंत्री जी को जो प्रशंसा की है उससे सब सदस्य वाकिफ़ हैं। उनके ऐडमिनिस्ट्रेशन में सबको लिबर्टी और क्रीटिज्म का अवसर मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर में, वन में, जहां देखिये वहीं क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं आपको सन् ४२ की उस मूवमेंट की ओर ले जाना चाहता हूं जब कि लोग कांग्रेस की टोपी को छिपा लिया करते थे। सन् ४२ में एक लाख आदमी जेलों में गये थे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--टीचर भी गये थे।

श्री शिवनारायण-- जी हां, वे भी गये थे और यह भी गये थे जो आपके गुरू हैं और हमको गर्व है कि हम आपके गुरू को यहां बिठाये हुये हैं।

मुझे अब यह कहना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो इम्तहान होता है उसमें प्रैक्टिल न हो, केवल थ्योरी हो और थ्योरी में जो भी निकल जाय उसे ले लेना चाहिये। मैं कहता हूं कि अगर हमारे लड़के बेस्ट निकलें तो आ जावें। प्रैक्टिकल

[श्री शिवनारायण]

में हमारे लड़के को पीट दिया जाता है। मैं जानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री ने अभी कहा है कि हम भारत का उत्थान चाहते हैं। मैं उनके इस विचार को वैलकम करता हूं। उनकी दया जरूर हम पर है। पिछली गवर्नमेंट में हम २० थे और अब ८४ हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि हर विभाग में ८४ करने की कृपा करें। शिकायत करना आसान है लेकिन अमल करना कठिन है। मैं उपाध्याय जी से कहूंगा कि वे अमल करके दिखावें। उस पार से रोज़ एतराज़ किया जाता है। सुबह आपने कहा कि आपको दुःख है कि पहाड़ के मुख्य मंत्री हैं। आपको तो गर्व से फूला नहीं समाना चाहिये था कि पहाड़ के मुख्य मंत्री हैं और आप अफसोस करते हैं। हम सबको आप पर गर्व है मैदान वालों को भी और पहाड़वालों को भी। मुझे काफी समय नहीं है नहीं तो मैं उस समय आपको बड़ा कर्रा जवाब दिये होता। जैसा आपने परसों कहा कि भारतीय सरकार आज आपको तलब करती है कि हमारे यहां फाइनेंस डिपार्टमेंट का आकर चार्ज लीजिये। हम लोगों को दुःख है कि अगर हमारे मुख्य मंत्री हमसे छीन लिये गये तो हम लोग पछतावेंगे। लेकिन आपको तो अपने घर के आदमी पर दुःख है, मुझे उपाध्याय जी से कहना है।

कंट्रोल के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि वह समाप्त-प्राय है। नमक और तेल सब स्थानों पर मिलता है। कोई रुकावट नहीं है। साधारण रूप से नियंत्रण रखा है। अगर जरूरत पड़ेगी जैसा मैंने परसों इतवार को देखा आपके डिप्टी लीडर साहेब वहां मौजूद थे और अगर यही इनडिस्पिलिन का रवैया रहा तो खुदा हाफ़िज़, नहीं मालूम जिस दिन आप यहां आवेंगे क्या हो जायगा।

माननीय उपाध्याय जी को मैं बताना चाहता हूं कि हर कंट्री को जिसे ऊपर आना है बराबर डिस्पिलिन में रहना है। अगर आप इनडिस्पिलिन में रहे तो याद रखिये कि आपका खुदा हाफ़िज़। आपको क़ौम को बनाना है। अंग्रेजों के जमाने में महात्मा गांधी ने दो शब्द कहे थे क्विटइंडिया और उस पर हमारी क़ौम ने अमल किया। उसके प्रताप से आज हमारे देश को अवसर मिला कि शासन हमारे मुख्य मंत्री के हाथ में है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, उपाध्याय जी, आप आइये। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूं कि देश के आप भी एक सिपाही हैं। जैसे सुबह मल्ल जी ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से तो मैं भी कहना चाहता हूं कि चाहे कोई सोशलिस्ट हो या कोई भी हो, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये और उन्हें कुछ देना चाहिये।

दूसरी बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अध्यापक बन्धु जो हड़ताल में हैं उनका सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिये। अगर वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नौकर हैं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सरकार प्रेस करे। कहीं कोई बोर्ड १३ रुपया महंगाई देता है तो कोई ९ रुपया ही देता है यह गड़बड़ी है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस पर वह विचार करें। मेरा कर्तव्य है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के समय में अपने मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर लाऊं।

मैं फिर आपका ध्यान हरिजन भाइयों की ओर लाना चाहता हूं। हमारे कुछ भाई यहां आते हैं और कुछ कह जाते हैं लेकिन मैं सरकार का ध्यान अदब के साथ इस ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। आप हमें ५ दें, २ दें, इसकी हमें शिकायत नहीं है। जो आप दें वह दीजिये तो सही प्रैक्टिकल तरीक़े से। मकान के लिये आप रुपया रखते हैं लेकिन हमको नहीं मिलता। अगर १०० या २०० रुपया मिला तो उसमें से पहले १० या ५ रिश्वत में दे देना पड़ता है। मैं सिंचाई मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हमारे किसान ५ रु० यदि सिंचाई का देंगे तो १० रुपया उन्हें रिश्वत का देना पड़ता है। उसे सरकार रोके। हमारे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हमारी सरकार

की मशीनरी के साथ कोआपरेट नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग बच्चे थे, हमारे यहां के कलेक्टर थे, वे रिश्वत बन्द करने के लिये ही कार खींची और हरैया पहुंच गये। जब कि तलाशी ली और बन्द कर देते थे। रिश्वत हमेशा रहती है लेकिन कम और ज्यादा का सवाल है। दुनिया में ऐब सब जगह और हमेशा रहा है परन्तु कहीं अधिक और कहीं कम। मैं चाहूंगा कि हमारी नौकरों की मशीनरी टाइट की जाय। उन्होंने कहा कि अगर ऊपर के देखने वाले सतर्क रहेंगे तो सब ठीक हो जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, आज का विषय बहुत गम्भीर है। आप ने ध्यान दिया होगा कि कोई भी ऐसा भाषण नहीं रहा जो विरोधी दल की तरह का न रहा हो। कम से कम एक बात की ओर मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह यह न समझें कि विरोधी दल ही क्रिटिसिज्म करता है। आज के भाषण से वह समझ लें कि खराबी कहां है। जैसा श्री गेंदा सिंह जी ने निवेदन किया था, हमारी मिनिस्ट्रियों को एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये लेकिन आज मुख्य मंत्री एक दलदल में फंसे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो जा-बेजा हर तरह के काम कराने के लिये उन पर दबाव डालते हैं और दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों की एक विशाल सेना है जो कि उनके मकसद और सिद्धान्तों के प्रतिकूल काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो शब्द मैं उनके लिये सहानुभूति के, जो वे दलदल में फंसे हुये हैं, इस समय प्रकट करना चाहता हूं।

जहां तक इस सामान्य प्रशासन का सवाल है माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात का फख्र है कि वे बराबर सरकारी कर्मचारियों की तादाद बढ़ाते गये हैं और साथ ही साथ उनका वेतन भी बढ़ाते गये हैं। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी जमाने में सरकारी कर्मचारियों का वेतन ६ करोड़ था, १९४६-४७ में ११ करोड़ हुआ, १९५०-५१ में २२ करोड़ हुआ और अब १९५२-५३ में २५ करोड़ ९० लाख हुआ। इस प्रकार बजट का एक तिहाई खर्चा जो है वह सरकारी कर्मचारियों पर व्यय होता है। इस अनुभव के आधार पर जो इस थोड़े अरसे में विधान सभा में रह कर ऐडमिनिस्ट्रेशन को अध्ययन करने का प्रयत्न किया है मेरी निजी राय यह है कि जितने सरकारी कर्मचारी आज हैं उनसे २५ फीसदी कम संख्या कर देने पर भी ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम चलाया जा सकता है।

(इस समय ठीक चार बजे माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

सेक्रेटेरियट का जो रिआर्गनाइजेशन हुआ उसमें ही क्या हुआ। आज जो आफिस में असिस्टेंट रहते हैं उसको डेढ़ सौ रुपये अगर्चे मिलते हैं लेकिन वह दिन भर में सिर्फ तीन चिट्ठियों को डील करते हैं तो पूरे ऐडमिनिस्ट्रेशन को छोड़िये, सेक्रेटेरियट में ही काफी सुधार किया जा सकता है। इस कांग्रेस हुकूमत को ६ वर्ष ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाते हो गये लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछली मरतबे बड़े जोर-शोर से कहा था कि हम जो डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों की तादाद बढ़ा रहे हैं वह इसलिये है कि रेडटैपिज्म में कमी हो। लेकिन क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उसमें कितनी कमी हुई। मैं समझता हूं कि उससे पेट्रोल पर तो खर्चा ज्यादा हुआ, रेडटैपिज्म में इजाफा ही हुआ है। तो यह जो २५ आदमियों की एक बड़ी संख्या डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों की हमारे सर पर लाद दी गई है इससे क्या फायदा हुआ।

हमारी मुख्य मंत्री से बराबर यही शिकायत रही है और विरोधी दल तो कहता है सरकारी तरफ के लोग भी कहते हैं कि हमने हमेशा यह मांग की थी कि सरकारी

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कर्मचारियों में आप करप्शन तभी रोक सकते हैं जब बुनियादी बात जो है वह ठीक की जाय कि उनका फाइवइयरली स्टेट आफ फायनेंसेज का पता लगाया जाय। यह देखा जाय कि पांच साल पहले उनकी इन्कम क्या थी और अब क्या हो गई और अगर किसी की स्टेट आफ फायनेंसेज में एनार्मस फर्क पड़ता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और आदर्श के तौर पर माननीय मुख्य मंत्री, मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स के सिलसिले में भी यही कार्यवाही कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी का यह दावा है कि उन्होंने करप्शन को फाइट किया है। लेकिन मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि ३ तारीख के विजिल में मैंने पढ़ा कि किस तरह से यू० पी० सरकार ने करप्शन फाइट किया। एक रामदयाल नाम का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिसने गत चार सालों से लगातार इस गवर्नमेंट के सामने यह रखा है कि वह फाइल पेश कर सकता है और उसका दावा है कि अगर उसकी बात गलत हो तो उसको सजा दी जा सकती है और उसका कहना है कि दो तीन ऊंचे स्तर के एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के आफिसर्स हैं जिनके खिलाफ उसके पास सबूत हैं और अगर वे गलत साबित हो जायं तो उसे सजा दे दी जाय। उसके बारे में २५ कांग्रेसमैनों ने जिसमें बाबा राघवदास ऐसे लोग भी हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनसे एक लफ्ज में कह दिया कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के मामले में आप लोगों को दखल नहीं देना चाहिये। तो इस तरह से कैसे आदर्श उपस्थित हो सकता है। आपने एन्क्वायरी कराई होती और वह अगर चार्जेज सब्स्टैन्शियेट न कर पाता तो उसको सजा दी जाती। लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। उसने २१ दिन का आमरण अनशन भी किया लेकिन ३ साल के लिये उसकी तरक्की रोक दी गई। यह तो मुख्य मंत्री आदर्श उपस्थित कर रहे हैं।

जहां तक करप्शन का सवाल है हमारे शिक्षा विभाग के जरिये से कुछ टैक्स्टबुक्स छपवाई गई हैं। उन टेक्स्टबुक्स की आमदनी सरकार लेती है। ३ टैक्स्ट बुक्स से आमदनी ८ लाख हुई। तो अगर जितनी किताबें हैं वे सब विभाग की ओर से छपाई जायं तो तीन-चार करोड़ रुपये बढ़ाये जा सकते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि एक किताब है "आओ देखें"। यह जेनरल साइन्स की किताब है जो ६वें और ७वें क्लास में पढ़ाई जाती है। वह बहुत बड़ी संख्या में चोरी से बम्बई में छपवाई गई। तमाम स्कूलों ने उसको बेच भी दिया गया लेकिन हमारी सरकार उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है। हूबहू उसकी नकल करके डेढ़ लाख किताबें बम्बई में छपवाई गई। उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई, हम जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन पब्लीकेशन्स के बारे में अजीब लुत्फ है कि जो रजिस्टर्ड पब्लिशर्स हैं उनको न देकर वजीफे बांटे जाते हैं जो कांग्रेस के खास-खास लोग हैं उनसे कह दिया गया है कि दस हजार आप छपवा लीजिये, १५ हजार आप छपवा लीजिये अगर इस तरह से सरकार कार्यवाही करेगी तो वह विसेज के ऊपर क्या असर डाल सकती है।

इस सचिवालय में मिनिस्टर्स के कमरे के बाहर तख्तियां लगी हुई हैं और उन पर हर मिनिस्टर का पब्लिक से मिलने का समय और माननीय सदस्यों से मिलने का समय लिखा रहता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि जांच की जाय तो मालूम होगा कि ९० प्रतिशत समय की पाबन्दी नहीं होती है। लोग बड़ी-बड़ी दूर से आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं। जब मिनिस्टरों की यह हालत है तो फिर हमारे सेक्रेटरीज वगैरह भी केवल टालू मिक्सचर पिला दिया करते हैं और कुछ काम की बात नहीं करते। एक तरफ तो सरकार करप्शन की बात करें और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में सर्विसेज को दुरुस्त करने की बात करे और दूसरी तरफ उनके सामने कोई आदर्श उपस्थित न करे तो क्या हो सकता है।

तनख्वाहों के काटने के सम्बन्ध में बार-बार कहा जाता है। सोशलिस्ट पार्टी की जो एक हजार रुपये अधिक से अधिक प्रतिमास वाली बात है अगर उसको मान लिया जाय तो कोई बहुत बड़ी रक़म नहीं बचेगी। क्योंकि बड़े आफिसर्स की तादाद बहुत थोड़ी है। अगर गवर्नर से लेकर मंत्री महोदय और सेक्रेटरीज वगैरा की तनख्वाहों में कटौती की जाय और गवर्नर की एक हजार रुपया तनख्वाह रख दी जाय और लोगों को दौरों के भत्ते का कंट्रोल कर लिया जाय तो ज्यादा रक़म न बचे लेकिन कम से कम इतनी रकम तो बच सकती है और कम से कम ७२ लाख रुपये बच सकते हैं जिससे अध्यापकों को कम से कम २० रुपया महीना प्रति अध्यापक डियरनेस अलाउंस के दिये जा सकते हैं। उन लोगों के वेतन में कटौती करने से इन ८५ हजार अध्यापकों का फायदा हो सकता है।

एक तरफ तो कहा जाता है कि फ्रीडम आफ स्पीच है और दूसरी तरफ हालत यह है कि कल सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एक मीटिंग थी जिसमें यह ऐलान कर दिया गया था कि यह मीटिंग अध्यापकों की सहानुभूति में है। माननीय मुख्य मंत्री जी, होम सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात करने के बावजूद यह कहा गया कि आप मीटिंग कर सकते हैं लेकिन लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है। हम बोल सकते हैं लेकिन जोर से नहीं बोल सकते। एक एकनालिज्ड पार्टी के लिये भी सरकार यह न करे, तो यह कहां का न्याय है। अन्त में मैं गवर्नर महोदय की बात कह कर अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूं। पहले गवर्नर के यहां कोई डिस्पेंसरी नहीं थी लेकिन अब गवर्नर के यहां Deep Diathermic plant लगाया गया है और एक डिस्पेंसरी खोली गई है अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज गवर्नर मेडिकल कालेज में दवा के लिये जाते थे और हमारे गवर्नर महोदय जो कि सर्विसेज के लिये और जनता के लिये आदर्श उपस्थित करने का उपदेश देते हैं, उनके लिये डिस्पेंसरी खोली जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार अपने आदर्शों से सर्विसेज को इन्स्पायर नहीं करेगी तब तक करप्शन दूर नहीं हो सकता है और न एफीशियेन्सी ही बढ़ सकती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)----माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे यह कहने में भी बड़ी खुशी है कि जिस समय से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, हमारा प्रदेश स्वतंत्र हुआ है उस समय से हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में काफी एफीशियेंसी आई है और काफी सुधार हुआ है और जनता में इस एफीशियेन्सी के नाते काफी विश्वास भी है और जिसके ऊपर हम सब लोग गौरवान्वित हो सकते हैं। कोई आदमी नुक्ताचीनी की दृष्टि से कुछ भी कहे लेकिन वास्तविकता को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है। यह सब कुछ होते हुये भी इतनी एफीशियेन्सी आई है और इतना सुधार भी हुआ है लेकिन हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर आज जो खर्चा हो रहा है वह हमारे बजट का एक तिहाई भाग खर्च हो रहा है। इससे भी हमें अपनी आंखें बन्द नहीं कर लेना चाहिये।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे देश का बजट एक अमीर देश का बजट है। जैसे एक अमीर देश में खर्चा होता है उसी प्रकार से हमारे देश में खर्चा होता है, जिस प्रकार से एक अमीर देश में तनख्वाहें दी जाती है उसी प्रकार से हमारे यहां दी जाती हैं और जिस प्रकार से एक अमीर देश में शासन को रखा जाता है उसी प्रकार से हमारे देश में शासन को रखा जा रहा है और चलाया जा रहा है। गो हमारी असेम्बली का कोई विशेष संबंध नहीं है किन्तु यह देख कर कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय पर ५ लाख ८१ हजार रुपये सालाना खर्च होता है कोई शोभा की बात नजर नहीं आती, खास तौर से उस देश के लिये जिस देश की जनता गरीब है, जिस देश में हमारे मास्टरान और अन्य कर्मचारियों जैसे चपरासियों आदि का जीवन स्तर बहुत नीचा है और

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

जिनको वेतन मुश्किल से उनका पेट भरने के लिये मिलता हो। कहां दूसरे देशों में दस और बीस का अन्तर छोटी और बड़ी तनख्वाहों के रेशियो में होता है लेकिन हमारे देश में सौ, दो सौ और तीन सौ का अन्तर छोटी और बड़ी तनख्वाहों में मिलेगा।

हमारे सामने एक मिसाल पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने रक्खी है। इससे हमें कुछ सबक लेना चाहिये। अपने देश की परिस्थिति को देखते हुये और अपनी आमदनी को मद्देनजर रखते हुये खर्च को कम करने की कोशिश की है। जितने वहां मिनिस्टर थे उनकी १,५०० रुपये के स्थान पर १,००० रुपये तनख्वाह कर दी है। साढे ७ सौ रुपये से लेकर ऊपर वालों के डीयरनेस एलाउन्स को समाप्त कर दिया है। लेजिस्लेटिव कौंसिल जो पब्लिक मनी का वेस्टेज है उसको समाप्त करने के लिये पंजाब और साथ ही साथ बम्बई ने भी प्रस्ताव पास किये हैं। आज यहां तीन लाख रुपया लेजिस्लेटिव कौंसिल पर खर्च किया जाता है और एक लाख से अधिक उसके कर्मचारियों पर खर्च होता है सबको मैं वेस्टेज समझता हूं। इस प्रकार से सरकार उज्ज्वल सिंह से जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने जो मिसाल हमारे सामने रक्खी है हमें सबक लेना चाहिये। ५०० रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले हमारे जितने कर्मचारी हैं और जो आई० सी० एस० हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिये कि वे अपनी तनख्वाहों में वालेंटरी कट्स करें। इससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनामी आ सकती है। गो इकोनामी बहुत कुछ की भी गई है लेकिन अब भी अगर हमारी सरकार विचार करे तो बहुत कुछ इकोनामी और की जा सकती है और खर्च को घटाया जा सकता है अगर उस खर्च को घटाने के लिये हमारी विल हो।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारी लेजिस्लेटिव असेम्बली में सदस्यों के ट्रेवलिंग एलाउन्स और डी० ए० पर ७ लाख खर्च होता है। देश हमारा गरीब है और उसे गरीबी को देखते हुये अपने बजट और भविष्य की डेवलपमेंट स्कीम्स को देखते हुये मेरा तो इस सदन के सामने यह सुझाव है कि अगर हम ५ घंटे के बजाय ६ घंटे बैठने लगें तो भी हम लोग कुछ एकनामी कर सकते हैं और खर्च को भी घटा सकेंगे। अगर ६ घंटे से भी ज्यादा बैठना पड़े तो उसके लिये भी हमें तैयार होना चाहिये। जब कि रातदिन किसान और मजदूर अपने खेतों में काम करते हैं ताकि पैदावार ज्यादा बढ़े, कारखानों के मजदूरों से हम यह आशा करते हैं कि वे देश की पैदावार बढ़ायें तो फिर देश की जनता ने जो जिम्मेदारी का काम हमारे ऊपर डाला है उसमें अधिक समय दे कर कम खर्च के साथ हमें उसे सम्पादित करना चाहिये ताकि व्यय में कमी हो सके। इसके साथ ही साथ मैं अदब से अपना यह भी सुझाव रखा चाहता हूं कि अपने देश की गरीबी को और अपने प्रदेश की आय को देखते हुये अगर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर भी विचार कर सकें कि हमारे माननीय डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की संख्या को कुछ घटा दें तो मेरे ख्याल से कोई अनुचित बात न होगी। ये सारी बातें इस कारण हैं क्योंकि हम अपने देश को एक गरीब देश समझते हैं और इसका कारण भी है कि हमारे जितने जराय टैक्सेज के थे वे सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं और इस का कारण भी मैं समझता हूं कि हमें जिस भविष्य को उज्ज्वल बनाना है उस उज्ज्वल भविष्य के लिये भी हमें कुछ त्याग अपनी तरफ करना पड़ेगा और प्रयत्न और परिश्रम भी हम लोगों को काफी करना पड़ेगा और उस प्रयत्न और परिश्रम के लिये हमें अपने बजट में डेवलपमेंट्स के लिये ज्यादा धन की जहां आवश्यकता हो वहां उसको इस खर्चे को कम कर के डेवलपमेंट की तरफ में लगा सकते हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

ऐसे ही इन्फारमेशन डाइरेक्टोरेट का प्रश्न है। अगर ये दोनों मदें १२ और १३ एक ही साथ ली जाती तो संभवतः मैं कुछ सुझाव जिससे कि हमारे प्रदेश में ऐडमिनिस्ट्रेशन में एकोनामी की जा सकती है देता। लेकिन चूंकि उसका आधा हिस्सा आज है और आधा कल लिया जायगा इसलिये उसके ऊपर जिक्र न करते हुये यह सुझाव भी मैं माननीय मुख्य

मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इन्फारमेशन डाइरेक्टोरेट की या खासतौर से जिलों में जो इन्फारमेशन आफिसर्स हैं उनकी कोई विशेष यूटिलिटी हमको नजर नहीं आ रही है। इस दशा में उनके ऊपर जो भी खर्च हो रहा है उसे हम एक वेस्टेज समझते हैं और खासतौर से उस समय जब कि हमारे सामने डेवलपमेंट की बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं और वे डेवलपमेंट की स्कीमें रुकी पड़ी हैं या कम हो पा रही हैं इसलिये कि बजट में रुपये की कमी है और साथ ही यह भी देखते हुये कि विदेशों से धन लेने की हमें आवश्यकता पड़ती है। इन तमाम बातों से इस बात की आवश्यकता हो जाती है कि हम एकोनामी करें और अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में खर्च की कमी करें जिसमें हमारे बजट का एक तिहाई खर्च हो रहा है। तो ये मेरे छोटे-मोटे सुझाव थे जिनके आधार पर मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी से खास-तौर से कि हमें अपने देश के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिये, अपने देश की एकोनामी को ठीक करने के लिये इस ओर अपने कदम उठाने चाहिये। कोई भी छोटा मोटा कदम से हमारी वे बड़ी समस्यायें हल न हो सकेंगी जिन समस्याओं को हल करने का इस सदन के हर सदस्य का कर्त्तव्य है और जिसके लिये चुनकर आज वे यहां उपस्थित हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव समस्त सदन से है कि हमें गम्भीरता के साथ इन सब प्रश्नों पर विचार करना है और ज्यादा से ज्यादा एकोनामी और एफिशेंसी को ध्यान में रखते हुये जहां तक हम अपनी एफिशेंसी को मेनटेन कर सकते हैं हमें एकोनामी करना है उस ऐडमिनिस्ट्रेशन को जिसके ऊपर हमारे बजट का कोई एक तिहाई खर्च हो रहा है। हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर उसी रेशियो से खर्च होना चाहिये जिस रेशियो पर हमारे देश की गरीबी का तकाजा है। मैं तो आपके सामने यह भी बता देना चाहता हूं कि आज ८ आने मील अफसर टी० ए० लेते हैं और जितना उनको वेतन मिलता है बहुत से उससे ज्यादा टी० ए० में हासिल कर लेते हैं। ऐसी दशा में हम लोगों को उसमें भी कमी करनी है और हर तरह से अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में एकोनामी करनी है जिससे हम अपने गरीब देश का भला कर सकें जिस गरीब देश की जनता की आशाओं की पूर्ति के लिये हम सब लोग यहां पर आये हैं। भले ही ऐसा करने से थोड़े ही आदमियों की तनख्वाह और भत्ते में कमी हो लेकिन फिर भी वह एक कमी होगी और उसका एक साइकोलोजिकल असर पड़ेगा। थोड़े आदमी कम होंगे या २ या ४ फीसदी की ही बचत होगी तो इससे कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा हमें नहीं सोचना होगा। वह २, ४ या ३३७ ही ५०० रुपये वेतन पाने वाले क्यों न हों फिर भी एक साइकोलोजिकल असर तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं तो अपने एम० एल० ए० साहबान से भी यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे आगे आयें और इसके लिये अपना उदाहरण पेश करें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आभारी हूं। जो कोई भी सदस्य यहां बोले हैं उन्होंने अपने विचारों को बड़ी छानबीन के बाद बहुत सरल ढंग से सदन के सामने रक्खा है और हमारे विवाद का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, कटुता उसमें से निकल चुकी है और हम सब इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिससे हम ऐसा सुधार कर सकें, इस तरीके से अपने यहां की शासन की प्रणाली को ढाल सकें जिससे अधिकांश जनता को लाभ हो और फिजूलखर्ची कम हो तथा सरकारी कर्मचारी जनता के अच्छे सेवक बन सकें। जनता के हाथ में उनके संचालन का भार आ गया है तो वह भी अपने कर्त्तव्य को पूरा कर सकें। मैं सदन के सभी सदस्यों का जो बोले हैं उनका ऋणी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

वास्तव में हमारे शासन में त्रुटियां हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। हमने एक चलती हुई मशीनरी को अपने हाथ में लिया और उसको लेकर उसमें यथासंभव समयानुकूल परिवर्तनों को करते हुये देश के कामों को पूरा करने का उद्योग किया। हमने किसी एक खाली स्लेट पर लिखना शुरू नहीं किया बल्कि जो एक बनी बनाई कार्यशैली थी उसको अपने हाथ में लेकर समय के परिवर्तनों को देखते हुये, देश की आवश्यकताओं को देखते हुये, उनसे जिस तरह भी हो, काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। मैं बड़ी दृढ़ता से यह कह सकता हूं कि इसमें हमारे प्रदेश को बहुत हद तक सफलता मिली है। जिन लोगों के हाथ में पहिले

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

अधिकार था, सारी पूंजी उनके ही हाथ में रहती थी, हिन्दुस्तानियों को शासन के संचालन करने का वास्तविक कोई मौका नहीं मिलता था, परन्तु एक बारगी सारी जिम्मेदारी हमारे कर्मचारियों पर आ गयी। बहुत से नौसिखिये जो अनुभवहीन थे उनको भी बड़े बोझ को संभालना पड़ा। मैं कह सकता हूं कि जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उससे हम आगे बढ़े हैं और एक नया वायुमंडल पैदा होने लगा है और उसका अंकुर कुछ-कुछ उगने लगा है। यह हमें जानना चाहिये कि ऐसी स्थिति में हमको प्रयत्नशील रहना है। किसी साहब ने कहा और ठीक ही कहा कि हम में कांप्लीसेंसी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये, कहीं पर हम उदासीन न हों बल्कि हर समय सजग रह कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहें। इसी के साथ-साथ आगे के मसलों को ध्यान में रखना है और साहस से, हिम्मत से, आशा से, विश्वास से काम लेना है और जो अब तक हुआ है, उसमें जो कुछ सफलता हुई है उसे भी बिसराने से कोई फायदा नहीं है, उसकी अत्युक्ति करने से कोई लाभ नहीं है परन्तु जहां सही नक्शा हो, सही चित्र हो उसको सामने रख कर जहां भी कालापन हो, उसको निकाल कर, जहां पर कोई एक अंग बेडौल हुआ हो उसे सुडौल करने का प्रयत्न करते हुये सही चित्र को बनाने में अपनी शक्ति को लगाना है। मैं समझता हूं कि हमारे शासन में काफी अन्तर हुआ है और मेरा यह ख्याल है कि पहले के मुकाबले में हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है। बीच में एफिसिएंसी गिर गयी थी परन्तु मैं समझता हूं कि आज के दिन कार्यक्षमता पहले से बढ़ी है। मैं अब यह समझता हूं कि हमारे उच्च अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं उनमें सेवा का भाव पहले से अधिक मात्रा में है और वे देश-सेवा से प्रेरित होकर अपने काम को करने का प्रयत्न करते हैं और पहले से कुछ न कुछ इस तरफ भी अन्तर होता जा रहा है। मैं मुकाबिले की बात कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी नहीं है परन्तु जितना हुआ है उससे हमारी आशा बढ़ी है कि हम आगे बढ़ कर और भी अच्छे काम करने में सफल हो सकेंगे। हमारे कर्मचारी भी समय को देखते हुये देश की आवश्यकता को देख कर चल रहे हैं वे भी तो आखिर इसी देश के रहने वाले हैं। हममें से जो लोग भी इस सदन के सदस्य हैं उनमें से बहुतों के रिश्तेदार ही नौकरियों में हैं। शायद उनमें कोई अध्यापक भी हो, शायद कोई पुलिस सर्विस में भी हो, कोई सदन में भी हो और कोई बड़ा अधिकारी भी हो। यानी एक तरह से हमारा एक ही परिवार है और उस परिवार के हम सभी लोग अन्त में तो एक ही जगह पर खड़े हो सकते हैं। इसलिये एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध की मात्रा को बना कर, एक दूसरे के प्रति विश्वास और आदर को बढ़ा कर हम अपने देश के कामों को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेंगे।

यहां पर जो आलोचनायें की गयीं, मैं उनके संबंध में कुछ थोड़ी सी बातें कह देना चाहता हूं। श्री गेंदा सिंह जी ने शुरू में टेम्पोरेरी आदमियों को पक्का करने के बारे में कहा, उन्होंने जिस नीति को बतलाया वह ठीक नीति है। यथासंभव जो कि कच्चे काम में होते हैं उनको पक्का कर देना अच्छा है। यदि वे बजट को देखते तो उनको मालूम होता और संभव है उन्होंने देखा हो कि हमने इस सिद्धांत को मान लिया है। इसी अनुदान के सिलसिले में अगर वे देखेंगे तो सिविल सेक्रेटेरियट के बारे में मसलन मेमोरेंडम के पेज ९९ में लिखा है :

"It is proposed to convert certain existing temporary posts of assistants and stenographers into permanent ones, but this has not affected the estimates, as the cost is being met by making a corresponding reduction in the provision under "Temporary Establishment".

फिर उसके बाद डाइरेक्टोरेट इनफारमेशन के बारे में है :

"It is proposed to convert two-thirds of the existing temporary posts of the Department into permanent ones, involving no extra expenditure in the budget year".

फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आता है जिसमें लिखा है :

"It is proposed to make temporary posts of one Inspector of Offices and his clerk and orderly peon permanent in the budget year, but this

involves no extra cost as a corresponding reduction has been made in the provision under "Temporary Establishment".

इस तरह से जनरल इस्टेबलिशमेंट के बारे और सबके बारे में इस तरह की बहुत सी बातें मिलती हैं। हमने अबकी बार बजट बनाते वक्त यह निश्चय किया था कि जहां तक हो सके जो टेम्पोरेरी पोस्ट्स हैं उनको परमानेंट करना है। मगर इसमें कुछ दिक्कतें हैं जिनको कि सामने रखना है। एक तो यह है कि रिलीफ ऐंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो है वह पक्का नहीं है और वह एक चन्द रोजा डिपार्टमेंट समझा जाता है। इसी तरह से सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है जो पक्का नहीं है। उसमें भी लोगों को पक्का करना कठिन है क्योंकि वह डिपार्टमेंट कब तक रहेगा इसको ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता है और कुछ काम जमींदारी अबालिशन की वजह से और दूसरी बातों की वजह से हैं कि जिनकी अनिश्चित अवस्था है और कब तक वह रहेंगे इसका ठीक अन्दाजा न हो जाय पक्का नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से हम प्रयत्न कर रहे हैं, अपने सामाजिक संगठन का परिवर्तन कर रहे हैं उसके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा इस बात को समझकर उन जगहों को अभी पक्का नहीं किया जा सकता है। मगर जहां तक सिद्धांत की बात है वह सही है और उसे करना चाहिये जहां पर गुंजायश हो।

जो नोटिस देने की बात कही गयी उसके बारे में जो हमारी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कमेटी बनी थी उसने यह तय किया था कि टैम्पोरेरी पोस्ट के बारे में आइन्दा के लिये यह तय हो जाना चाहिये कि हर शख्स को यह अधिकार होगा कि वह एक महीने की नोटिस देकर चला जा सकता है या गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह एक महीने की नोटिस देकर कि उसकी जरूरत नहीं रही है उसको अलग कर सकती है। इस तरीके से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कमेटी ने ऐसा रखा है कि यदि ऐसा समझा जाय तो उसको नोटिस दिया जाय। उन सबको नोटिस दिया गया और फिर बाद में उस सूरत के मुताबिक कायले हुये उनको रखा गया। सम्भवतः किसी टैक्निकल बात को दूर करने के लिये यह जरूरी समझा गया हो कि नोटिस देकर यह कार्यवाही की जाय। मैं यह समझता हूं कि वह जो नीति बरती गयी है यह इस सदन के मत के अनुसार है और मुझे इसकी खुशी है।

गेंदा सिंह जी ने राज्यपाल जी के खर्चे का जिक्र किया और खासकर उन्होंने एक मद फर्नीशिंग के बारे में कहा। उसमें यदि वे देखेंगे तो मालूम होगा कि "Maintenance and renewal of furnishings" के अन्तर्गत ४७,६०० रुपये की रकम रखी गयी थी। उसमें से २७,६०० रुपया खर्च हुआ और २१ हजार रुपया बाकी रहा। जो इसके बारे में क़ायदा है उनमें यह है कि एक साल में जो बाक़ी रहता है दूसरे साल के लिये उसको जोड़ देना चाहिये। वह फिर दूसरे साल के लिये हासिल होगा। इसके मुताबिक़ यह चीज उसमें बढ़ गयी जो कि नियम गवर्नर जनरल या प्रेसीडेंट के बनाये हुये हैं उनके अनुसार यह कार्यवाही हुई। इसके अतिरिक्त और कोई विशेष कारण नहीं है।

उन्होंने कुछ मिनिस्टर्स की तनख्वाह के बारे में भी कहा, मुझे खेद है कि उनको इस बारे में भ्रम हुआ और वह भ्रम अभी तक चला आता है। जो बजट बनता है वह तो इस सदन में जो कानून बनाया हुआ है उसके अनुसार बनता है। उस कानून के मुताबिक़ १,२०० रुपये अलावा इन्कमटैक्स कबूल किये गये हैं। अगर उसको आप देखें तो नतीजा क्या है? हर मिनिस्टर के बारे में इसमें सालाना रक़म १४,४०० रुपये तनख्वाह के बैठते हैं। १,०५० रुपया इन्कम टैक्स का बैठता है जिसके माने यह हैं कि हर मिनिस्टर के वेतन का पूरा खर्चा १५,४५० रुपया होगा। अगर एक मिनिस्टर को १,५०० रुपया तनख्वाह के मिलते तो उसको १८,००० रुपये साल भर में मिलते। अब उन्होंने ढाई हजार रुपया कम कर दिया। यह कमी कोई ऐसी नहीं है जो कि बिलकुल नगण्य समझी जाय। यह क़रीब १५ फीसदी की कमी हुई बेहतर होता कि और भी कमी हो सकती तो अच्छा था मगर आप को जिनसे काम लेना है उनके लिये इस तरह का प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे वह अपना तमाम समय अपने काम में दे सकें और उसके लिये जो यह

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

शैली बरती गयी है वह कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें यह खर्चा बहुत फिजूल मालूम हो मगर जो खास बात मुझे कहना है वह इतनी ही है कि १,५०० रुपये के मुक़ाबले में जो १,२०० रुपये लिये जा रहे हैं वह कोई बुरी बात नहीं है। उस हद तक जो कमी होती है जो इन्कम टैक्स और तनख्वाह मिलाकर जितना होता उस सबको मिलाकर जो वैसे १,५०० रुपये के हिसाब से तनख्वाह होती उससे बहुत काफ़ी कमी हुई है, इसलिये कोई शिकायत की गुंजायश नहीं और इससे जो कुछ भी प्राविंशियल एक्सचेकर पर असर हुआ है वह बचत ही हुई है कोई बोझ बढ़ा नहीं है। पिछले साल के बजट में डिप्टी मिनिस्टर्स की तनख्वाह १० महीने की थी और अब वह १२ महीने की है, लेकिन फिर भी कुल खर्चे में पिछले साल से कमी हुई है और १८,००० रुपये की इस मद में भी कमी हुई है। इस तरह से खर्चे को घटाने की कोशिश की जाती है।

कुछ बातें यहां पर प्रेरणा वगैरह बढ़ाने की कही गईं। उसके लिये बहुत कुछ कहने की बात नहीं और हमारा सब का उद्योग सही काम करने का होना चाहिये और ऐसा काम हम सबको करना चाहिये जिसका अच्छा प्रभाव पड़े, लेकिन हमें किसी को अनटचेबिल न समझना चाहिये और खास कर गवर्नमेंट के कर्मचारियों और जनसेवकों का तो यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह सब को साथ लेकर काम करें और किसी का परिष्कार करना जिससे उसको व्यर्थ की व्यथा पहुंचे यह कोई लाभदायक बात नहीं है, इसके मानी यह नहीं कि जो कोई गलत बात करता हो उस को भी उससे प्रोत्साहन मिले जिससे ग़लत बात की तरफ आदमी रुजू हो, लेकिन ऐसा समझना कि वह तो मारल लीपर है, उसके साथ किसी को मिलना न चाहिये यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमको तो अपनी दीनता के साथ सेवा करने के आचरण से चलने का उद्योग करना चाहिये जिससे हम दूसरों के लिये कोई बुरा उदाहरण न रख सकें। दूसरों से अपने को शुद्ध समझकर दूसरों को अशुद्ध समझना यह भी किसी के लिये हितकर नहीं हो सकता। बहुत सी बातें ऐसे ही सुधर सकती हैं।

बेकारी और अनएम्पलायमेंट को दूर करने की बात भी यहां कही गयी। यह बिलकुल सही है कि मुल्क से बेकारी दूर होना चाहिये और सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिये। यह जो कहा गया कि इंडस्ट्रियल लेबर से बेकारी दूर करने की कोशिश नहीं की जाती इससे तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने यह बात पूरी हालत को बगैर समझे हुये ही कह दी, मैं नहीं जानता कि लेबर के बजट के वक्त इस बात की चर्चा हुई या नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है कि रेशनेलाइजेशन के तरीक़े अमल में आयें और मजदूरों की मजदूरी बढ़े, जो खाली हैं उनको काम मिले और कोई बेकार न रहे और जितनी हमारी डेवलपमेंट की और पैदावार बढ़ाने की स्कीम हैं वह सब ही बेरोजगारी को घटाती हैं। जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होती तब तक किसी मुल्क का मसला हल नहीं हो सकता और जब तक हर कन्ज्यूमर प्रोड्यूसर न होगा और हर कन्ज्यूमर काम न करेगा तब तक अनएम्पलायमेंट दूर नहीं हो सकता, हर कन्ज्यूमर को प्रोड्यूसर बनाया जाय, हर आदमी के लिये एम्पलायमेंट हो, इस सबके लिये एक प्रयत्न की जरूरत है। इस काम के लिये हमने सबसे पहली बार एक छोटी सी दस लाख की रक़म रखी है जिससे अनएम्पलायमेंट को दूर करने के साधनों को अमल में लाने की कोशिश की जायगी। यह चीज़ बजट में पहली बार लाने का उद्योग किया गया है।

बोर्ड आफ़ रेवेन्यू और कमिश्नरों को ख़त्म करने की बात भी कही गई। अब बोर्ड आफ़ रेवेन्यू में केवल एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर है और उसका रखना जरूरी है क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जिनकी देख-रेख के लिये कोई न कोई अफ़सर सिरे पर होना चाहिये और उसके लिये सिर्फ एक ऐडमिनिस्ट्रेशन आफिसर है। बाक़ी बोर्ड आफ़ रेवेन्यू के मेम्बर हैं जो मुक़दमें करते हैं अगर आप बोर्ड के मेम्बर न कहें तो हाई कोर्ट के जज बनाने पड़ेंगे और कोई ऊंचे अफ़सर रखने पड़ेंगे। उनको शायद वेतन ज्यादा देना पड़े और उनसे काम भी जितनी सरलता से आज होता है उससे ज्यादा सरलता से न हो सके। इसलिये जो प्रथा है उससे हानि नहीं है।

सिर्फ उसका नाम बोर्ड का मेम्बर है। मगर ढांचा सारा का सारा बदल गया। सिर्फ नाम ही नाम बाक़ी रह गया है। इसलिये अब इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

इसी तरह से कमिश्नरों का सारा ढांचा बदला जा रहा है। सिर्फ तीन कमिश्नर रह गये हैं। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के जितने विभाग हैं सबमें रीजनल आफिसर्स मौजूद हैं। अगर आप पुलिस को देखें तो वहां डी० आई० जी० रेंजेज के हैं। मगर एग्रीकल्चर को देखें तो उसमें भी मिलेंगे। अगर पी० डब्ल्यू० डी० और इरीगेशन को देखें तो चीफ़ इंजीनियर के नीचे सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर मिलेंगे। यहां तो हमने बड़ा परिवर्तन कर दिया है। गवर्नमेंट का सीधा काम डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स से होता है और उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी रख दी गयी है। लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो कि कमिश्नरों को ही करने पड़ते हैं। कई हमारे ऐसे कानून हैं जिसमें कमिश्नर को ही अधिकार होता है। इसके लिये भी कमिश्नर की जरूरत है कि इंतजाम करने वाले हाकिमों के ऊपर एक आडिटर की तरह एफीशेंसी आडिट कर सके और इंडेपेंडेंट आडिट करके अपने रिपोर्ट, अपना इंस्पेक्शन नोट, अपना रेव्यु भेज सके। इसलिये कई तरह की जरूरतें है। कोई पुराने कमिश्नर नहीं हैं। चाहे हम उनको एफीशेंसी आफिसर्स कह दें या इंस्पेक्टिंग रीजनल आफिसर्स कह दें। जो चीज पुरानी थी वह अब नहीं रही। जिस तरह से हर एकाउंट को आडिट करने की जरूरत होती है उसी तरह से इस बात की जरूरत है कि इंडेपेंडेंट एफीशेंसी आडिट करने वाले आफिसर्स हों और इस तरह का काम खासकर कमिश्नरों को करना पड़ता है। इस तरह से इंडेपेडेंट लोग जिनका ताल्लुक़ ऐडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है उनको अपनी रिपोर्ट देनी है जिसकी बुनियाद पर यह राय क़ायम करनी है कि उन लोगों की आइन्दा तरक्क़ी का ख्याल कितना किया जाय। उसमें मदद मिल सकती है। लिहाजा यह बिलकुल दूसरी चीज है जिसको ऐडमिनिस्ट्रेशन की भलाई के लिये जितना अब है उतना रखना वांछनीय है। हालत बदलने पर उसमें भी बदलाव हो जायगा। यह मुमकिन है।

इसके अलावा यहां काउंसिल को खत्म करने के बारे में कहा गया। यह तो इस सदन की राय के ऊपर निर्भर है। इस सदन को विधान के अनुसार यह अधिकार है कि वह इस बारे में अपना प्रस्ताव चाहे तो पास करे कि काउंसिल हमारे प्रदेश में न रहे। पर जब वह ऐसा करे तब पार्लियामेंट इसके बारे में कानून बना सकती है। इस विषय में जैसा सदन चाहे वैसा कर सकता है।

जहां तक इन्फारमेशन डाइरेक्टरेट का संबंध है, वहां अफसरों के बारे में काफी बदलाव किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इन्फारमेशन आफिसर्स, इन्फारमेशन डाइरेक्टरेट के काम में नहीं, बल्कि प्लानिंग के काम में लग जायंगे और अगर वह वहां माकूल साबित नहीं हुये तो मुमकिन है कि जो अच्छे साबित न हों वह न रहें। इसलिये जैसी इस सदन की राय है कि उनको रचनात्मक कार्य करने को दिये जायं वैसा ही होने जा रहा है।

यहां पर कुछ जिक्र पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किये जाने के बारे में किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन १० जनवरी से ६१ दिन की छुट्टी में गये हैं। वह रिटायर भी हुये। वह ६१ दिन की छुट्टी कल खत्म होगी। इस वक्त वहां के जो सीनियर मेम्बर हैं वह आफिशियेट कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द इसके बारे में हुक्म हो जायगा। ऐसी हालत में आप देख सकते हैं कि कोई इसमें विलम्ब नहीं हुआ है। चेयरमैन की छुट्टी तो कल खत्म होगी। यह जरूर सही है कि पहले चेयरमैन जरूर रिटायर हो रहे हैं और इस संबंध में कुछ बातों को देखना जरूरी था। मैं आशा करता हूं कि अब देरी नहीं होगी।

कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश न करने के बारे में भी कहा गया। मैंने अभी देखा कि पारसाल जो रिपोर्ट सन् १९४९-५० की थी वह ७ मार्च को पेश हुई थी। अब की भी हमारी रिपोर्ट तैयार है और इसी सेशन में हम उसे पेश करना चाहते हैं, जब भी मौका मिले। ऐसी हालत में कोई बहुत ज्यादा नाराजी की गुंजायश नहीं मालूम होती। पारसाल तो

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

हमको यहां २५ जनवरी से सदन के सामने रिपोर्ट रखनी थी, लेकिन वह सारे साल की रिपोर्ट रखी गयी और अब भी सारे साल की रिपोर्ट सदन के सामने रखी जायगी और उसमें जो भी बातें सदन कहना चाहेगा कह सकेगा। लिहाजा उस बारे में भी जो रवैया रहा है उसी के मुताबिक़ काम होने जा रहा है। खामख्वाह शंका करने से कोई खास लाभ नहीं होता।

दीनदयालु जी ने कुछ बातें यहां के कौंसिलर्स रेजिडेंस के बारे में कहीं। मैं समझता हूं कि जिस लहजे में उन्होंने बातें कहीं वह उनको शोभा नहीं देता। यह बात दूसरी है कि उन कमरों का किराया क्या हो और क्या न हो, लेकिन जो बात अच्छी तरह से सोच समझकर तै की गयी उसके बारे में इस ढंग से कहना कि मानो कोई चीज़ थोपी जा रही है, यह सही तरीका नहीं है। यह जो ४ रुपये का तरीका रखा गया है वह इसलिये रखा गया है कि हमारे पास कमरे कम हैं और चाहते हैं कि हर सदस्य को वहां रहने की गुंजायश हो और वह तभी हो सकता है जब दो दो एक कमरे में रहें। यह कहना दीनदयालु जी का कि अपनी जोड़ी का इन ४३० और ५०० आदमियों में मिलता ही नहीं तो इससे मालूम होता है कि वह एक बड़ी अनूठी तबि-यत के आदमी हैं। कहीं तो जोड़ी आदमी की मिल सकती है। एक भी न मिले यह तो खुद अनूठे-पन को ज़ाहिर करता है। मैं तो समझता हूं, वह ऐसे विकट आदमी हैं नहीं, जितना कि अपने को समझते हैं और उनको ज़रूर कोई न कोई साथी मिल जायगा और उसके साथ वह खुश रहेंगे।

जहां तक उन्होंने डिप्टी मिनिस्टर्स वगैरा के बारे में कहा कि उनसे भी किराया यही लेना चाहिये, इसके बारे में जहां तक मुझे मालूम हुआ कोई फैसला अभी तक नहीं हो रहा है और यह बात गौरतलब हो सकती है। मगर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि कोई मिनिस्टर और इस सदन के सदस्य अलग नहीं। हम भी सब मेम्बर पहले हुये और मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर बाद में हुये। तो मेम्बरी की जो बुनियाद है उसमें हमारा भी उतना ही हक़ है जितना कि और मेम्बरों का है। इसलिये उस हक़ से हमको महरूम कर देना कोई ठीक बात नहीं है और उस सिलसिले में कोई दूसरी बात समझ लेना और कर देना कोई हितकर बात नहीं होती। हम लोगों को फिर यह खयाल करना है कि कुछ आदमियों को निरन्तर यहां रहना है और एक काम करना है जिसको आप यहां सौंपें। आप सोचें कि आप तकलीफ़ उठा कर घर से यहां आते हैं और सेशन के ज़माने में काम करते हैं, तो जिन्हें बराबर यहां रहना है, जो आपके काम के लिये आपके द्वारा मुक़र्रर किये हुये हैं, क्योंकि जो कोई भी लोग हों चाहे किसी तरीक़े से मुक़र्रर किये जायं, हम सारे सदन द्वारा मुक़र्रर किये हुये सदन के काम के लिये हैं, तो अगर कोई ऐसी कोई बात हो तो उनके आराम और तकलीफ़ और उनके काम करने की गुंजायश को सभी को सोचना चाहिये और उसे देखकर फिर उसके बारे में राय क़ायम करनी चाहिये।

जो पहले दर्जे के बजाय दूसरे दर्जे के ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में बात कही गयी, यह तो सदन को अधिकार है कि जैसा चाहे तय कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह ट्रैवलिंग अलाउंस की बात तो देखी जायगी बाद में। इस सदन के सदस्यों को अगर कुछ थोड़ा सा वेतन मिलता है तो उनके ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। उनको अपनी कांस्टिट्युएंसी में जाना होता है। रातदिन उनको काम करना होता है। आज एक इक्के को लेकर कोई किसी गांव में जाता है तो दो रुपया, तीन रुपया उसके खर्च होते हैं। या तो हमको मालदार आदमियों को इस सदन में लेकर काम करना है जिससे इस सदन का काम मालदारों के सुपुर्द कर दिया जाय, जिनको खर्च की ज़रूरत नहीं है या उनसे काम लेना है जिनकी कम से कम इन-सान की ज़रूरतें होती हैं वह तो पूरी हो सकें, ताकि वह अपना ध्यान दे सकें, अपनी कांस्टीटयू-येंसी में काम कर सकें और फिर यहां भी अपना काम वह कर सकें। उनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सारे प्रदेश का काम उनके जिम्मे है। ऐसी हालत में उनकी अवस्था ऐसी रहनी चाहिये जिससे कि वह अपने कर्त्तव्यों को एक मामूली ढंग से पूरा करने की गुंजाइश पा सकें नहीं तो उनके लिये बहुत कठिनाई कर देने से काम में बाधा डालना हो जाता है क्योंकि जो भी जिन्दा रहते हैं वह बग़ैर खाये-पिये तो रह नहीं सकते। इसलिये हमको उसे समझकर ऐसी बातें करना और

कहना चाहिये और जो कोई ऐसे हों जिनको जरूरत न हो या जो कम में जरूरत पूरी कर सकते हों अपने लिये हर एक तनख्वाह छोड़ सकता है, पहले दरजे के बदले में दूसरे, तीसरे दरजे का एलाउंस लेना चाहे, ले सकता है या अगर कोई न लेना चाहे तो हम यक़ीन दिलाते हैं कि उसको मजबूर नहीं करेंगे ।

यह कुछ यहां और बातें करप्शन के बारे में कही गई । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने पूरी कोशिश करप्शन के दूर करने की की है । हाल में अभी हमारी डिसिप्लिनरी ऐक्शन कमेटी हुई जिसकी रिपोर्ट गजट में भी छपी है । शायद देखी गयी होगी । उसके जरिये बहुत सी बातें की गयी हैं जिससे करप्शन दूर करने में काफी असर होना चाहिये । एक तो यह कि आगे तरक्की वगैरह जो होगी वह ईमान और इंटीग्रिटी की बुनियाद पर होगी । दूसरे यह कि आफिसर का काम होगा कि यही जरूरी नहीं है कि वह खुद ईमानदार हो, बल्कि यह भी वह देखे कि उसके मातहत जो काम करते हैं वह भी ईमानदार हैं और यह भी उसे देखना है कि कोई अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करके तो बसर नहीं कर रहा है । अगर किसी की आमदनी से ज्यादा उसका खर्च होता है तो फिर वह इस बात की जांच करे कि क्या जराये हैं उसके जिससे कि वह आमदनी से ज्यादा खर्च कर सकता है । जब कोई किसी चीज का नीलाम हो सरकारी चीज का, तो कोई सरकारी अहलकार उस नीलाम को खरीद न सके । जो भी काम हो वह एक खुले तरीक़े पर हो और जो कोई भी पार्टी वगैरह हों उनमें भी लोग कम शरीक़ हों । हर शख्स के बारे में जिनको कि इंक्रीमेंट मिलता है उनका भी पांच साल में इफीशियेंसी बार हो और यह भी देखा जाय, इंक्रीमेंट वैसे ही सालाना न मिल जाय, बल्कि उसकी ईमानदारी के बारे में क्या बातें हैं उसको देखकर फिर इंक्रीमेंट मिले । उसके अलावा सालाना इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट हर आफिसर के बारे में हो । अगर दो साल इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट ठीक न मिले तो तरक्की रोक दी जाय और तीन साल हो तो अलग कर दिया जाय । और इसके अलावा जिनकी २५ साल सर्विस हो गयी है या अगर ५० साल की उम्र हो गई है उनके बारे में कोई सुबहात हों तो उनको अलग कर दिया जाय । इस तरह से कई बातें की गयी हैं । एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमारा जो है इससे और भी तरीक़े इसके बारे में तय किये गये हैं । एक वक्त मुक़र्रर कर दिया गया है कि जिस पर भी कार्यवाही हो तीन महीने, छः महीने के भीतर उसका फैसला हो जाना चाहिये और लम्बे समय तक मामले नहीं रहने चाहियें । इस ढंग से कई बातें की गई हैं । जिससे उम्मीद की जाती है कि करप्शन में कमी होगी ।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारी तरफ से काफ़ी कोशिश इस बात की की गयी कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं वह सजा पावें और उनको छोड़ा न जाय । सन् ४६ से ३१ दिसम्बर सन् ४६ के आखीर तक १२,५४६ आदमियों पर कार्यवाही की गयी, हमारे स्टेट के गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर । कुछ तो अदालती कार्यवाही की गयी और कुछ वैसी की गईं । ३८६ आदमियों को अदालतों से सजा हुई । १६६ आदमियों के मुकदमे अदालतों में अब भी हैं । जो लोग डिसमिस हुये उनकी संख्या ४,७२० है । जिन लोगों को इस्तीफा देना पड़ा उनकी संख्या १७४ है,। जिन लोगों को और सजायें दी गयीं उनकी संख्या ४,५५७ है और जिन लोगों के मामले पड़े हुये हैं, अभी तय नहीं हुये वह संख्या ७१० है । इस तरीके पर और छूट गये । तो केवल १२,५४६ आदमियों पर कार्यवाही की गयी जिनमें हजारों आदमियों को सजा मिली । यह मैंने आपके सामने पूरा हवाला इसका दिया है । १ अप्रैल, सन् ५२ से ३१ दिसम्बर, ५२ तक ४६ आदमियों को अदालतों से सजा हुई, जिनका मामला अदालतों में पड़ा हुआ है उनकी संख्या २०० है, जिनको डिसमिस किया गया उनकी संख्या १२६ है, जिनको और मामलों में सजा हुई उनकी संख्या २०६ है और जिनके मामले अभी पड़े हुए हैं उनकी संख्या ७१० है । इस तरीके से १ अप्रैल, ५२ से ३१ दिसम्बर, ५२ तक ३,२०८ आदमियों पर कार्यवाही की गयी और काफी आदमियों को सजा हुई तथा डिसमिस हुये हैं । इससे आप देखेंगे कि काफी चौकसा होने की कोशिश की जा रही है । कोई गफलत नहीं है, यह भी कहा जाता है कि अदालतों में रिश्वत दी जाती है । यह बदनसीबी है कि अदालतों

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

में अभी तक रिश्वत बन्द नहीं हुई है। हमारे यहां के जो वकला लोग हैं अगर वह इस पर तवज्जह करें तो बहुत हद तक रिश्वतखोरी बन्द हो सकती है। जब ऐसे आलिम-फाजिल लोगों के सामने इस किस्म की रिश्वत चलती है तो दूरदराज गांव में अगर कोई सिपाही ऐसा कर ले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इस तरह से कोशिश करनी चाहिये कि कोई ऐसी गुंजाइश न रहे। मैं समझता हूं कि आफिसर्स और गवर्नमेंट सर्वेंटस सबको मिलकर ऐसा करना चाहिये जिससे ऐसी घिनौनी बात हमारे प्रदेश के अन्दर खत्म हो जाय। कुछ और जरूरी बातों का जिक्र किया गया है। यह भी कहा गया कि जो ज्यादा तनख्वाह वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह कम की जाय और जो कम तनख्वाह वाले हैं उनकी बढ़ा दी जाय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर जिनकी तनख्वाहें ५ सौ से ज्यादा हैं उनमें ५ फीसदी की कमी की जाय तो मुश्किल से कोई ६ लाख रुपये की बचत इसमें है, यानी पूरी संख्या में कोई ५ लाख ८५ हजार है जो कि ५ फीसदी कम किया जाय तो इसमें से निकल सकेगा। अगर सबकी तनख्वाहें १०० रुपया कर दी जायं जिनकी १०० रुपये से कम है तो उसमें ११ करोड़ से भी ज्यादा खर्च बैठेगा, इसलिये सवाल इतना सरल और आसान नहीं है जितना समझा जाता है। अगर जिनको ज्यादा मिलती है उसमें ५ फीसदी की कमी की जाय तो ६ लाख की बचत होती है और जिनको १०० रुपये कम से मिलता है उनको १०० रुपया दिया जाये तो ११ करोड़ की जरूरत है। यह इसका हल नहीं है। इसका हल यह है कि किसी के ऊपर बोझा डालना होगा। हम चाहते हैं कि सबको उचित तनख्वाह मिले। आप आज किसी को भी लीजिये मैं किसी खास का हवाला देकर नहीं कहता कि वह हड़ताल करता है या नहीं, लेकिन आप किसी भी मुलाजिम को लीजिये और उस पर गौर कीजिये। आप देखिये कि गांव में रहने वाले किसान का रहन-सहन से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मुलाजिम है उसका रहन-सहन अच्छा है या नहीं। हमें आज उसके रहन-सहन को बढ़ाना होगा। आज जिस हालत में किसान है वह कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुलाजिम से बेहतर नहीं है और इसके ऊपर गौर करना जरूरी हो जाता है। आज हमारे स्कूलों को कायम रखने में वे लोग मदद देते हैं, लेकिन अपने इन स्कूलों में वे अपने खुद बच्चे नहीं भेज सकते क्योंकि उन्हें किताबें खरीदने की शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि सदन इस बात को गौर से देखे कि हमारी हमदर्दी सबके साथ है और हर कोई चाहता है कि सब सुखी हों। मगर सवाल यह नहीं है कि किसको तनख्वाह कितनी बढ़ाई जाय। आज यह सवाल नहीं है पटवारियों की कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाय या कर्लों की कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाय या टीचरों की कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाय, परन्तु सवाल यह है कि कहां से यह रुपया लाया जाय। मैं कहता हूं कि क्या सब यह महसूस नहीं करते कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायं, मगर इसके लिये रुपया कहां से लाया जाय यह सवाल आपके और हमारे सामने है। कैसे यह रुपया पैदा किया जाय जिससे कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायं। इस तरीके से आज अगर कोई फैसला हो जाय, तो हम उसे करें। तो आज यह बात है और अगर हम सिर्फ यह कहें कि तनख्वाह बढ़ा दी जाय, तो इससे मसला हल नहीं हो सकता है। आखिर इस समय कमी है और इसके लिये कोई साधन नहीं है।

श्री अध्यक्ष--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी और समय लेंगे, नहीं तो मैं कल के लिये इसे रख दूं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं तो ज्यादा समय पहले भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो सवाल मेरे सामने आये, उनका जवाब देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के कर्त्तव्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये हम सबको मदद देनी होगी। यह साधारण शासन का काम, सामान्य शासन का काम वास्तव में पूरी तरह से साधारण और सामान्य नहीं है, बल्कि असाधारण और असामान्य

है और उसके जरिये सारे प्रदेश के कामों की प्लानिंग में, प्रदेश को उठाने में और उसको आगे ले जाने में स्फूर्ति पैदा हो सकती है। आज हमने यह निश्चय किया है और हमारे देश के तमाम नागरिकों ने निश्चय किया है कि हम अपने प्रदेश को एक वेलफेयर स्टेट बनायेंगे। हम यहां की सब दिक्कतों को दूर करेंगे। थोड़े दिनों के लिये हर एक को दिक्कत हो सकती है, किसी को तनख्वाह की कमी की दिक्कत हो सकती है, किसी को आमदनी की कमी की दिक्कत हो सकती है, किसी को बेकारी की दिक्कत हो सकती है, पर आज इन सब बातों को छोड़ करके देश को किसी तरह से मिल करके ऊंचा उठाना है और उसमें हम किस प्रकार से विकास की योजना को सफल बना सकते हैं इस ओर ध्यान देना है। हमें ऐसे तरीके ढूंढ़ते हैं जिससे कि हमें कोई ऐसा हल मिल सके और उस तरीके को अपनाकर हम लोगों के कष्ट को दूर करें। इसके लिये आज हमें सामान्य शासन में पूरा सहयोग देना होगा और इसके लिये हमारा कर्त्तव्य होगा कि हम इसको पूरी तरह से उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें। मैं आशा करता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य इसमें योग देंगे और इस योजना द्वारा हम अपने कर्त्तव्य से भारतमाता के मंदिर को आकाशचुम्बी बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, इसके लिये हमें सबके सहयोग को प्राप्त करना होगा। जिस तरह से आपने देश को स्वतंत्र करने में अपना पूरा योग दिया और उसमें अपना हाथ बढ़ाया, उसी तरह से आप अब भी इसके कल्याण के लिये योग देंगे और अपना हाथ आगे बढ़ावेंगे और इस पुण्यार्थ के कार्य में शरीक होकर अपने देश का गौरव बढ़ायेंगे।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की स्पष्टता की और उनकी मजबूत दिली की तारीफ करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी राय जाहिर की है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो अवस्था प्रदेश की दिखती है और जो आर्थिक व्यवस्था उनके सामने है, उससे वह सन्तुष्ट हैं। जब वह यह कहते हैं कि एक तरफ बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिये इसलिये नहीं जाता है कि उसके पास फीस की कमी है और दूसरी तरफ वे यह कहते हैं कि गवर्नर महोदय का जितना भी व्यय है चाहे वह सज्जा के लिये हो या चाहे वह फुलवारी के लिये हो या दौरे के लिये हो और मंत्रियों का जो खर्चा है और जो उनकी तनख्वाह है, तो इन सब बातों के लिये वे कहते हैं कि उसमें फिजूलखर्ची नहीं है और उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की जाती है। यह तो एक मजबूत दिल के आदमी का काम है और एक मामूली आदमी इस तरह का काम नहीं कर सकता है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की मुख्य-मुख्य बातें सुनीं और मैं समझता हूं कि जब एक देश का निर्माता बोलता है तो देश का जो नकशा उसके दिमाग में है, वह उसको सामने रखते हुये सब बातें कहता है, तो अब हमें यह फैसला करना होगा कि वह मुनासिब होगा या नामुनासिब होगा और यह हमारा कर्त्तव्य है। मैं दो एक बातों का जिक्र और कर देना चाहता हूं। एक बात तो माननीय रामनारायण जी ने कही कि सिर्फ सरकारी अधिकारियों के और माननीय मंत्रियों के पंचवर्षीय नकशे बनवाये जायं कि उनके पास कितनी दौलत थी और कितनी दौलत हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जिस समय इस प्रकार का कोई नकशा बनाने का अवसर आये, उस समय वे माननीय रामनारायण जी को भी छोड़ न दें, यानी जितने भी असेम्बली के सदस्य हैं उनके पंचवर्षीय नकशे बनवाये जायं, कि उन्होंने पांच वर्षों में कितनी आमदनी की। यह तो मुझे उनके प्रस्ताव में संशोधन करना था।

माननीय राजकुमार जी ने यह कहा कि हमको अपने गांवों को मरुभूमि नहीं बनाना है। हमको अपने मुल्क को बहुत साज-बाज के साथ रखना है, बहुत ठिकाने के साथ उसको रखना है। मैं कहां कहता हूं कि बस्ती को उजाड़ बना दिया जाय। वे तो बस्ती के रहने वाले ही हैं, वे कब चाहेंगे कि कहीं उजाड़ हो। मैं भी चाहता हूं कि उजाड़ न हो, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भूख से मरने वालों की बात छोड़कर अब

[श्री गेंदासिंह]

भी जिस देश में भूख से पीड़ित होने के घटना हो रही है कि जो मरने के करीब तक पहुंच जाय, तो जिस मुल्क में इस तरह के लोग मौजूद हों वहां पर इस तरह से सज-धज पर, जिसे हम एक दूसरी तरह की फिजूलखर्ची कहते हैं, इतना रुपया खर्च किया जाय, यह नामुनासिब बात है और मैं राजकुमार जी से कहूंगा कि वे इन सब चीजों पर जरा गौर करें, और अपनी राय जाहिर करें।

अनकन्फर्म्ड लोगों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जिस वक्त मैं बजट की कापी (मेमोरेंडम) देखूंगा, तो उसमें मुझे मिलेगा कि बहुत से लोग कनफर्म्ड कर दिये गये हैं। मैंने यह कहा था कि हमको यह मालूम करा दिया जाय कि आज सरकारी नौकरी में अनकन्फर्म्ड लोग कितने हैं। अगर उनकी संख्या हमको मालूम हो जाती तो जरा सदन को इस पर विचार करने का अवसर मिलता कि आखिर हम किस पहलू पर चल रहे हैं। मेरा अब भी कहना है कि अपने प्रदेश में अनकन्फर्म्ड सर्विसेज़ बहुत हैं और उन्हीं की बुनियाद पर हम चल रहे हैं और उनकी बुनियाद पर चलने से सिवाय नुकसान के फायदा नहीं है।

दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही कि हम यह नहीं चाहते कि हम किसी को अनटचेबिल बनावें। हम भी बिल्कुल इसी राय के हैं, और उनके पीछे चलने वाले आदमी हैं कि किसी को अनटचेबिल न बनाया जाय और कोई अछूत इस देश में न हो, लेकिन आज अछूत हैं, देश में। कभी-कभी अध्यक्ष महोदय मुझे खलती है यह बात, जब इस सदन में जितने हरिजन लोगों की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे हरिजनों के ऊपर सवाल करते हैं। वे जब सिर्फ हरिजनों की पुकार करते हैं, तब मुझे संकोच होता है और मैं कभी सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स करने खड़ा नहीं होता हूं। परन्तु सरकार की भी तरफ से जो उनको उत्तर मिलता है, उससे भी मुझे कुछ शर्म आती है। पिछड़ा हुआ जो वर्ग है उस वर्ग का कलेक्टर हम बनाने की क्यों नहीं कोशिश करते, कोशिश करें और माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस बात की चेष्टा करें तो मैं यह मानने के लिये कभी तैयार नहीं हूं कि फिर पिछड़े हुये भाइयों में इसके योग्य लोग न मिलें।

एक बात अन्त में मैं और कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक लखनऊ के नवाब का किस्सा है, दो मिनट में उसको समाप्त कर दूंगा। वह नवाब साहब अफीम खाते थे और उस अफीम की तल्खी को मिटाने के लिये वे कुछ मलाई खा लिया करते थे। मलाई लाने के लिये उनका एक नौकर पहले जाता था और वह उसमें से एक छंटाक मलाई खा लेता था। उन्होंने देखा कि ऐसा मालूम होता है कि एक छंटाक मलाई चोरी हो जाती है, इसलिये उन्होंने दूसरे नौकर को तैनात किया, ताकि चोरी न होने पावे। अब दो छंटाक मलाई चोरी होने लगी। फिर उन्होंने तीसरे नौकर को तैनात किया और यह सोचा कि अगर तीन नौकर हो जायेंगे तो चोरी नहीं होगी, लेकिन अब तीन छटाक मलाई की चोरी होने लगी। फिर चौथे को उन्होंने नौकर रक्खा और अब सब मलाई की चोरी होने लगी। उनमें से एक ऐसा चतुर नौकर था कि उसने यह कहा कि मैं नवाब साहब से बात कर लूंगा जब वे बात करेंगे। नवाब साहब ने कहा कि देखो आज हमको मलाई नहीं मिली, तल्खी बहुत ज्यादा आ रही थी। नौकर ने कहा कि नवाब साहब मलाई तो आपने खाई है। नवाब साहब ने कहा कि मैंने मलाई नहीं खाई है। अब फिर नौकर ने कहा कि खाई है आपने मलाई और आप जरा अपनी मूंछों पर हाथ फेरिये और यह देखिये कि आप ने मलाई खायी है, या नहीं। उन्होंने जब मूंछों पर हाथ फेरा तो कुछ मलाई के निशान उस पर मालूम हुये और उसके बाद नवाब साहब ने कहा कि हां, जरूर मलाई हमने खाई है। सदन के सदस्यों में भी कुछ लोग मोछ रखते हैं, लेकिन उनकी मोछों से मेरा मतलब नहीं है। माननीय राम नरेश जी मुझसे ऐसे सवाल कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत

अदब के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, आज अन्त में, कि आज अब दूसरे प्रकार से सोचने का वक्त आगया और अगर दूसरे प्रकार से सोचा नहीं गया तो मुल्क में जो गरीबी, बेरोजगारी और जो दूसरे प्रकार के अपराधों की मनोवृत्ति बढ़ रही है उसको हम रोक नहीं सकते। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे केवल मुख्य मंत्री ही नहीं हैं बल्कि वे देश के निर्माताओं में से हैं। जो कांग्रेस कमेटी है, जब कभी उसका कोई आर्थिक कमीशन बैठता है, उसके एक सदस्य माननीय मुख्य मंत्री जी भी रहते हैं। इसलिये उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सेल्फ कम्प्लेसेन्सी को इसमें से दूर करने के लिये इस बात की चेष्टा की जाय कि हमारे प्रदेश की क्या अवस्था है, और सही अवस्था की जानकारी करके हम उनकी मुसीबतों को दूर करने की चेष्टा करें। इस जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की चाहे जितनी हम तारीफ करते जायं कि कर्मचारी बड़े दूध के धोये हैं, वह तो आज जनता जानती है, हम भी जानते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी जानते हैं। लोगों की सिन्सियरटी में बिल्कुल शुबहा नहीं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि किसी दूसरे तरीके से ही मुल्क का निर्माण हो सकता है। मैं और कुछ न कहकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुल्क में जो सचमुच, पैदा करने वाले हैं, और जो गांव का रहने वाला तबका है उसका सही ज्ञान माननीय मुख्य मंत्री जी को कराया जाय और इस संबंध में इस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। शायद कुछ गलतफहमी हमारे मुल्क के किसानों के संबंध में हो गयी है, नहीं तो आप कभी इस बात को नहीं कहते कि सिंचाई का कर बढ़ाया जाय और ७९ करोड़ का बजट बनाया जाय। इसलिये अगर इस तरह की धारणा माननीय मुख्य मंत्री जी की बनी रही तो यह ठीक नहीं है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की धारणा बदलवाई जाय, उसी में हमारे प्रदेश का कल्याण है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत ३,१०,२२,८०० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जोतों की चकबंदी विधेयक, १९५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं—

श्री अध्यक्ष—आप प्रस्ताव कर चुके हैं, आपका भाषण जारी था।

श्री चरण सिंह—भाषण शुरू ही हो पाया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस बात का स्वागत करते हैं कि हमारा देश निर्धन है और सब की इच्छा यह है कि यह जल्द से जल्द धनवान बनाया जाय। लेकिन धनवान् किस प्रकार बने, इसके संबंध में भी वैसे आमतौर पर दो रायें नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी भ्रमवश दो रायें हो जाती हैं। सही राय और सही बात इस सिलसिले में यह है कि हमारा देश धनवान तब होगा जबकि हमारे यहां भूमि की पैदावार बढ़ जाय और हमारा जो पशुधन है उसकी नस्ल सुधर जाय, क्योंकि धन के स्रोत केवल यही दो जगह हैं पशु और भूमि। भूमि की पैदावार किस प्रकार बढ़ाई जाय। उस सिलसिले में विचार करने से यह मालूम होगा कि जहां छोटे-मोटे उपाय हैं वहां चार-पांच जो बड़े-बड़े

[श्री चरण सिंह]

उपाय खेती की पैदावार को बढ़ाने के हैं उनमें एक चकबंदी भी है। अच्छा पानी, अच्छी खाद, अच्छे बीज और किसान के दिल में यह इत्मीनान कि वह जो अपने खेत में उत्पन्न करता है, अच्छे बीज डालता है, पानी लगाता है और अच्छी खाद डालता है, उसके बाद जो खेत में पैदा होता है वह पैदावार उसके ही पास रहेगी, और उसमें से कोई दूसरा आदमी हिस्सा नहीं बांट लेगा और उसको यह भी इत्मीनान रहे कि वह खेत जिस पर वह मेहनत करता है और जिसमें तरह-तरह की उन्नति और सुधार करता है वह बराबर उसके पास रहेगा और बेदखली की तलवार उसके सिर पर नहीं लटका करेगी। यह इत्मीनान खेत की पैदावार के बढ़ाने में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, लेकिन जैसा मैंने कहा इन बड़े-बड़े उपायों में जो हमारे खेत बिखरे हुये हैं, गांव के हर कोने-कोने में किसान के खेत बिखरे हुये हैं, एक-एक कोस, डेढ़-डेढ़ कोस, एक-एक मील और आध-आध मील पर जो किसानों के खेत बिखरे हुये हैं, अगर वे एक चक में हो जायं और इकट्ठा हो जायं तो इससे भी खेत की पैदावार बहुत बढ़ती है। यह निर्विवाद है और दुनियां में सभी लोग जो किसानों के मसलों से दिलचस्पी रखते हैं, वे इस बात को तसलीम करते हैं कि चकबंदी हो जाने की वजह से, खेतों के मिल जाने की वजह से जो जमीन टोलों में बिखरी हुई है वह जमीन भी किसानों के हल के नीचे आ जायगी और इस तरह से उसकी जोत का रकबा बढ़ जाता है। अनुमान यह है कि औसतन दो प्रतिशत रकबा बढ़ जाता है, अगर चकबन्दी हो जाय। फिर एक किसान का एक खेत से दूसरे खेत को जाने में समय नष्ट हो जाता है, वह भी बच जाता है। मान लीजिये एक खेत है, उस पर वह हल बैल ले कर जाता है और ८ या ९ बजे तक उसको जोत ले। अब उसके बाद अगर वह हल बैल ले कर दूसरे खेत में जाता है और इतने फासले पर पहुंचने में ११ या १२ बज जाते हैं, तो समय नहीं रहता और अगर घर जाता है तो उसका समय नष्ट हो जाता है। तो अगर उसके खेत एक जगह हो जायं तो उसको एक खेत से दूसरे खेत पर जो ट्रिप लगाने पड़ते हैं और उसमें जो समय लगता है वह बच जाय और वह ज्यादा समय उस पूरे खेत में लग सके। इसके अतिरिक्त उसके खेत बिखरे रहने से उसकी बहुत हानि हो जाती है। चोर तो चोरी कर ही लेते हैं लेकिन उससे ज्यादा जंगली जानवरों से बड़ी हानि होती है। नीलगाय, जंगली गाय, सुअर, सान्ड या तरह-तरह के खरगोश या इस तरह से बहुत से जानवर हैं, जो खेत की फस्लों को हानि पहुंचाते रहते हैं। अब वह हर वक्त खेत में रह नहीं सकता। वह एक खेत में काम कर रहा है और दस खेत जो फासले पर खड़े हुये हैं उसकी रखवाली वह कर नहीं सकता, मौजूदा व्यवस्था के कायम रहने से। इसलिये अगर उसकी जमीन एक चक हो जाय तो वह अपने चक के एक हिस्से में मेहनत करता है तो दूसरे हिस्सों में जो फसल खड़ी हुई है उसकी रखवाली अपने आप हो जायगी।

इसके अलावा अगर एक खेत के लिये आबपाशी का इंतजाम करना चाहे तो वह एक खेत के लिये कुआं नहीं बनवा सकता और दस बीस किसानों के खेतों को इकट्ठी करके और सब मिल कर रुपया जमा करें और उनमें से कोई इकट्ठा करके और उनमें इतना सेवा-भाव रखे कि वह सब सामान इकट्ठा करे और कुयें को बनवा सके, तब हो, लेकिन उसके बाद भी ओसरेबन्दी और बारबन्दी में झगड़ा होता है, इस तरह से किसान आपस में मिल-जुल कर कुआं बेशक बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का सहयोग जब पढ़े लिखे लोगों में भी कम देखने में आता है तो फिर किसान से यह उम्मीद करना कि वह मिल-जुल कर कुआं बनायेगा, ओसरेबंदी और बारबंदी बनाकर ईमानदारी से अमल करेगा तो एक्सपैक्टेशन से ज्यादा उम्मीद करना है। इसलिये खेतों की सिंचाई का ठीक प्रबंध खेतों के बिखरे रहने से नहीं हो सकता है। अगर खेत इकट्ठे हो जायं तो किसान किसी न किसी तरह से कुआं जरूर बनवा लेगा और अगर नहर का पानी है तो वह जो जाया होता है वह जाया नहीं होगा अगर इस किस्म से खेत एक जगह पर हो जायं। इसके अतिरिक्त खेतों के बंटे रहने से आपस में झगड़े वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं क्योंकि

किसान को प्रत्येक खेत में बैल ले जाना होता है और फसल लाने के लिये बैलगाड़ी ले जानी होती है। अगर वह खेत में जाता है तो दूसरे के खेत की मेड़ पर होकर जाता है। दूसरे के खेत में फसल बोयी हुई है तो उसको ऐतराज होता है क्योंकि बैलगाड़ी के जाने से उसकी फसल को नुकसान पहुंचता है। इसलिये आपस में मन-मुटाव बना रहता है और अक्सर फौजदारी की नौबत आ जाती है।

यदि खेत एक जगह पर हों तो इस तरह की कठिनाइयां अगर पूर्णतया दूर नहीं होंगी तो बहुत हद तक दूर अवश्य हो जायंगी। इसलिये यह जरूरी था कि चकबंदी की जाय। इसलिये आज यह चकबंदी का विधेयक तैयार हुआ है। मुझे इस विधेयक के पेश करने में अत्यन्त खुशी होती है क्योंकि जब चकबंदी हो जायगी तो ९० प्रतिशत किसानों की समस्याओं का हल हो जायगा ऐसा मैं समझता हूं।

गवर्नमेंट ने एक कमेटी नियुक्त की थी जिसमें बहुत से आफिसर्स थे और कुछ माननीय सदस्य भी शामिल थे। इस कमेटी के गौर करने के बाद और पूर्वी पंजाब में जो चकबंदी का काम चल रहा है उसको देखने के बाद इस कमेटी की एक रिपोर्ट तैयार हुई। उसके आधार पर मंत्रि मंडल ने एक विधेयक तैयार किया जो अब सदन के सामने प्रस्तुत है।

मैं अब थोड़े से विस्तार के साथ, जो इस विधेयक की स्कीम है वह अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से विधान सभा के सामने अर्ज करना चाहता हूं। गवर्नमेंट जहां चाहेगी जिस जिले में या किसी जिले के किसी हिस्से में, चकबंदी जहां जारी करना चाहेगी, वहां वह एक विज्ञप्ति जारी करेगी। उसके इस विज्ञप्ति जारी करने का अर्थ यह होगा कि वहां के कागजात आदि दुरुस्त करने का सारा अख्तियार कंसोलिडेशन स्टाफ को हो जायगा और जमीन के सिलसिले में जितने भी वाद होंगे वह दीवानी अदालत में तय नहीं होंगे बल्कि जो आफिसरान इस कानून के मातहत नियुक्त होंगे, उन आफिसरान को पूरे अख्तियारात हासिल होंगे। असिस्टेंट कंसोडिलेशन आफिसर मौके पर जायगा और शजरा, खसरा और खतौनी से मिलान करेगा। अगर वह यह पाता है कि शजरा खसरा और खतौनी में मुताबिकत नहीं है और बहुत अन्तर है तो लैन्ड रेवेन्यू के मातहत थारो रिवीजन किया जायगा तमाम रिकार्डस का और अगर वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि थोड़ी बहुत गलती है तो वह खुद उन गल्तियों को दुरुस्त कर देगा।

इसके बाद जब यह गल्तियां हो जायंगी तो वह एक स्टेटमेंट या एक लिस्ट तैयार करेगा जिसमें हर किसान का हर खेत दर्ज होगा, खेतों का रकबा, खेतों का खसरा नंबर और बंदोबस्त के कागजात में वह क्या हैसियत रखता है और जो हियरडेट्री रेंटस पर, जो रेंट है वह और क्या मालगुजारी है और उस प्लाट पर उसका किस तरह का अख्तियार है यानी भूमिधर है, सीरदार है, अधिवासी है या आसामी है, यह दर्ज करेगा। जब यह लिस्ट फायनल हो जाय उसके बाद असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर एक स्टेटमेंट अफ प्रिन्सिपिल्स बनायेगा और जो सिद्धांत इस बिल में बखान किये गये हैं वह उसमें होंगे और जब यह ऐक्ट बन जायगा तो उसमें जो नियम बनेंगे उन नियमों के अधीन जो सिद्धांत बनाये जायं वह भी उसमें हो सकते हैं। ७, ८ सिधान्त तो इसी बिल में दिये गये हैं। पहला तो यह होगा कि हर खातेदार को चक देने की कोशिश की जायगी उस जगह जहां कि उसका रक़बा अधिकतर वाक़य है। मान लीजिये किसी किसान के पास ८० बीघा जमीन है। ४० बीघा जमीन एक तरफ है और ४० बीघा जमीन २५ टुकड़ों में बटी है तो उसूल यह रखा जायगा और कोशिश हत्तुलइमकान यह की जायगी कि उसको ४० बीघा जमीन जहां है वहीं पर उसको ८० बीघा जमीन दे दी जाय।

दूसरा उसूल यह है कि कितने चक रक्खे जायं? मान लीजिये कि जमीन एक क़िस्म की है तो उस गांव की जमीन का एक चक होगा। लेकिन अगर जमीन ऐसी है कि रबी फ़स्ल की

[श्री चरण सिंह]

एक तरफ पैदावार होती है और दूसरी तरफ धान होता है तो उस गांव में दो चक होंगे। इसी तरह से अगर कोई गांव ऐसा है जिसके अन्दर कछार का रक़बा है तो वह तीन चक भी हो सकते हैं।तो यह असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर तय करेगा उस गांव की जमीन को देख कर कि उस गांव में कितने चक रखना जरूरी है। यह, अध्यक्ष महोदय, मैं बाद में बतलाऊंगा कि वह लिस्ट कैसे तैयार की जायगी, किस ढंग से तैयार की जायगी, किससे मशविरा ले कर वह तैयार करेगा। इस वक्त सिद्धांतों का विवरण है वह तैयार करेगा इसको मैं बतला देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---सिद्धांत पर ही रहिये तो अच्छा रहेगा। डिटेल में बाद में जब क्लाज़ बाई क्वाज़ बहस हो तब उस वक्त आप कह सकते हैं। अभी तो माननीय मंत्री अगर सिद्धांतों तक ही अपने को सीमित रक्खें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री चरण सिंह---मैं इसलिये उस योजना पर समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि उस पर ग़ैरज़रूरी तक़रीरें और बहस होने से बच जाय। बिल तो बहुत लम्बा है लेकिन मैंने १५,१६ प्वाइन्ट्स रक्खे हैं। अगर अध्यक्ष महोदय मुझे आज्ञा दें तो शायद समय बच जायगा।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है।

श्री चरण सिंह---तीसरा सिद्धांत यह है कि जिस किसान की जमीन जिस ब्लाक में होगी उसी चक की जमीन उसे मिलेगी। तीन-चार चक बने और उसकी जमीन दो चक में हैं तो उसको तीन चक नहीं दिये जायंगे बल्कि दो ही चक दिये जायंगे और अगर एक चक में जमीन पड़ती है तो उसी चक की जमीन उसको दी जायगी। एक किसान की जमीन ऐसे चक में होती है जिसमें धान पैदा होते हैं, लेकिन गेहूं पैदा नहीं होते तो उसको जमीन वही मिलेगी जिसमें धान पैदा होते होंगे यह नहीं कि धान वाले चक की भी जमीन उसको मिल जाय। या अगर ४० बीघा जमीन है २० बीघा में धान और २० बीघा में गेहूं पैदा होते हैं तो ऐसे चक में जमीन उसे मिलेगी जिसमें २० बीघा गेहूं और २० बीघे धान की जमीन हो।

चौथा सिद्धांत यह है कि जितने खातेदार हैं अगर एक ही खानदान के हैं तो कोशिश यह की जायगी कि उनको एक ही जगह चक दिये जायं और जिसके पास जमीन थोड़ी है उसके लिये कोशिश यह की जायगी कि उसको गांव की आबादी के पास जमीन दी जाय ब मुकाबले उसके पास जिसके रक़बा ज्यादा है। उसका चक चाहे गांव के फासले से ज्यादा दूर हो जाय लेकिन जिसके पास कम है उसके लिये हत्तुलइमकान कोशिश यह की जायगी कि उसकी जमीन आबादी के पास हो। इसी तरीक़े से जिस आदमी का गांव की आबादी की जिस दिशा में रहायशी मकान है उसी तरफ़ उसको चक देने की कोशिश की जायगी। मान लीजिये कि गांव बहुत बड़ा है चार-पांच हजार आबादी का और गांव के पश्चिम की ओर एक किसान का मकान है। तो कोशिश यह की जायगी कि पश्चिम की ओर ही उसको चक मिल जाय इसके कि पूर्व में मिले क्योंकि बस्ती में आने-जाने में उसका समय बहुत नष्ट होगा। इसी तरीक़े के अगर ६ एकड़ या १० बीघे पुख्ता से ज्यादा जो जमीन होगी तो कोशिश की जायगी कि उतनी एक जगह दी जाय और उसके छोटे-छोटे टुकड़े न किये जायं। इसी तरह से एक दो और प्वाइंट्स हैं जिनका ज़िक्र में इस समय छोड़े देता हूं। इसके बाद असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर एक प्रस्तावों का विवरण तैयार करेगा। उन प्रस्तावों में हर खातेदार का रक़बा, तादाद खेत और मालगुजारी वग़ैरह जो दी जाती है ज़िसकी बाबत-पहले लिस्ट तैयार हो चुकी है वह मौजूद होगा और फिर उसके बदले में जो उसके खेत या चक दिये जा रहे हैं वह भी मौजूद होंगे और वजूहात भी उस स्टेटमेंट आफ़ प्रोपोजल्स में बयान की जायंगी कि इन खेतों के बजाय यह चक क्यों दिया गया और रक़बे के बजाय इतना रक़बा क्यों दिया गया। इसके साथ ही साथ अगर उसको रक़बा कम मिलता है

तो उसकी वजह से वह कितने मुआविज़े का मुस्तहक़ होगा यह भी उस विवरण में असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर बयान करेगा। इसी प्रकार और किसान का कोई कुआं हो या कोई मकान बना हुआ हो और उसको जो चक मिलता हो वह ऐसी जगह मिलता हो कि वह कुआं या मकान उसके अन्दर न आता हो तो उस कुयें या मकान में उसने किसी प्रकार की उन्नति की हुई हो, उसका भी मुआविज़ा उसके अन्दर दर्ज किया जायगा।

एक सदस्य--बाग़ का क्या होगा?

श्री चरण सिंह--यह मैं अर्ज़ करने वाला हूं कि बाग़ या ऐसी ज़मीन जो पानी से ढकी रहती है मसलन् जहाँ सिंघाडा पैदा होता है या जो ज़मीन शिफ्टिंग भूमि हो अर्थात् ऐसी ज़मीन जिस पर जो किसान खेती करते हों वह गांव सभा के असामी होंगे, किसी खातेदार के नहीं, बल्कि गांव समाज की ज़मीन के जो असामी होंगे ऐसी ज़मीन और बाग़ात ये चकबन्दी से बाहर रखे जायंगे। इसलिये बाग़ों के मुआविज़े का सवाल उठता नहीं। इसके बाद जब इस तरह का प्रपोज़ल तैयार हो जायगा तो तीन बड़े काम असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर को करने पड़ते हैं, एक तो खातेदार की पहले से एक लिस्ट तैयार हो जाती है जिसमें कि खाते के नम्बर, उसका रक़बा, हैसियत और हेरीडेट्री रेंट, रेट और कितनी मालगुज़ारी देता है और उसमें हक़ खातेदार का किस प्रकार का है, एक तो वह और एक स्टेटमेंट आफ़ प्रिंसिपिल्स और स्टेटमेंट आफ प्रोपोज़ल्स जो कि वाकई चक बना। तो ये तीनों चीज़ें असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर तैयार करेगा, लैंड मैनेजमेंट कमेटी के मश्विरे से। वह केवल एक टेक्निकल आफ़िसर होगा मश्विरा देने वाला। लैंड मैनेजमेंट कमेटी से वह कभी मतभेद नहीं रखेगा। उस कमेटी के मश्विरे से ये तीनों स्टेटमेंट वह तैयार करेगा। लेकिन लैंड मैनेजमेंट कमेटी में और उसमें अगर मतभेद हो तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर हायर आफ़िसर्स को रेफ़र करेगा उस बात को कि लैंड मैनेजमेंट की यह राय है लेकिन मेरी राय इस प्रकार की है और मेरी राय यों सही है। क्योंकि अगर लैंड मैनेजमेंट कमेटी से अगर वह सहमत हो फिर तो हायर आफ़िसर्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर मतभेद है तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर को अन्तिम फ़ैसला करने का अधिकार नहीं होगा। फिर अगर मान लीजिये कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर से सहमत है या असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसरके रिफ़रेंस से हायर अथारिटीज़ने कोई बात तय की कि यह चीज़ होगी तो तीनों की सम्मत्ति पब्लिश की जायगी अथवा लैंड मैनेजमेंट कमेटी गांव समाज की मीटिंग करके वह सुनायेगी कि किन खास सिद्धांतों से वह चीज़ की गयी है। यह चीज़ तहरीर में भी टांगी जायगी। इसके बाद हर शख्श जो इससे इफेक्ट होता है या उसमें जिसका इंटरेस्ट हो उसको यह अधिकार होगा कि वह असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर के सामने उसे जो आपत्ति हो उसको दाखिल करे। असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर उस व्यक्ति के एतराज़ पर अपनी रिपोर्ट देगा और लैंड मैनेजमेंट कमेटी की राय और अपनी राय के साथ उसे कंसोलिडेशन आफ़िसर के पास भेजेगा। वह आर्बीट्रेटर के पास भेज देगा। यह तो टाइटिल वग़ैरा के मामलों में होगा, लेकिन अगर केवल तफसील का मामला हुआ तो कंसोलिडेशन आफ़िसर उस पर अपना निर्णय देगा। इस प्रकार निर्णय असिस्टेंट कंसोलि-डेशन आफिसर का नहीं होगा बल्कि कंसोलिडेशन आफ़िसर का होगा।

अगर कोई शख्श कंसोलिडेशन आफ़िसर के खिलाफ़ अपील करना चाहे तो उसकी अपील सैटिलमेंट आफिसर आफ़ कंसोलिडेशन के यहां होगी और उनका जो निर्णय होगा वह अन्तिम होगा। इसके बाद कोई अपील नहीं होगी और अगर टाइटिल के सिलसिले में कंसोलिडेशन आफ़िसर ने मामला आर्बीट्रेटर को रिफर कर दिया है तो फैसला अन्तिम होगा। आर्बीट्रेटर या जो सिविल जज होगा या तजुर्बेकार फर्स्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर, उसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से मुक़र्रिर करेगी। ये अफ़सर जिले के होंगे। इस बिल में यह भी दिया हुआ है कि सैटिलमेंट आफ़िसर आफ़ कंसोडिलेशन किसी शहर या क़स्बे में फैसला नहीं देगा बल्कि उसके लिये यह लाज़िमी होगा कि मौक़े पर जा कर उस को देख कर फैसला करे। असिस्टेंट कंसो-लिडेशन आफिसर आमतौर पर एक नायब तहसीलदार होगा। यह इस बिल के अन्दर नहीं

[श्री चरण सिंह]
है लेकिन अध्यक्ष महोदय आप की आज्ञा से मैं यह बता देना चाहता हूं कि असिस्टेंट कंसोलीडेशन आफिसर एक नायब तेहसीलदार की हैसियत का आदमी होगा तथा सैटिलमेंट आफिसर आफ कंसोलीडेशन फर्स्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर होगा।

यह विज्ञप्ति हो जाने के बाद या कंसोलिडेशन कमेटी शुरू हो जाने के बाद उस सारे रक़बे से सबंधित कोई प्रोसीडिंग्स किसी अदालत में नहीं चल सकेंगी, न रेवेन्यू अदालत में और न सिविल अदालत में। केवल टाइटिल के मामलों में आर्बीट्रेटर और मामूली अमल दरामद के मामलों में सेटिलमेंट आफिसर आफ कंसोलीडेशन का फैसला अन्तिम होगा। इसके बाद स्टेटमेंट आफ प्रिन्सिपिल और स्टेटमेंट आफ़ प्रपोज़ल तैयार किये जायेंगे। उसके बाद कंसो-लीडेशन आफिसर उसको लागू कर देगा और लागू करने का मतलब यह होगा कि जिस रोज उसने कहा कि कंसोलिडेंशन स्कीम आज से नहीं चालू होगी तो उससे अगला जो फसलीसाल है उसके बाद कब्जे का परिवर्तन होगा। कब्ज़े में अदला-बदली होगी और अगर सब खातेदार चाहें तो उसके पहले भी कर सकते हैं। लेकिन जो क़ानून में रखा गया है उसमें अगले फसली साल से ही क़ब्ज़ा परिवर्तन की बात कही गयी है। क्योंकि उस वक्त फ़सल खड़ी रहती है और तरह-तरह के झगड़े खड़े होते हैं ऐसा तजुर्बे ने बतलाया है। जब इस तरह के कब्ज़े बदल जायं तो किसान के जितने हक़ूक़, जिस प्रकार के हक़ूक़ अपनी पहली आराजी में थे वही सारे हक़ूक़ चक के अन्दर हो जायेंगे। अगर उसको कोई मार्गेज, लीज, इजक्टमेंट अर्थात् अगर उसको कोई रेहननामा, पट्टा या हक़ आसायश किसी जमीन के ऊपर था तो वह भी एटेच हो जायगा, चिपक जायगा, उसके नये चक से। इसके अन्दर जितनी भी दरख्वास्तें की जायेंगी उन पर कोई कोर्टफीस नहीं ली जायगी और किसी तरह से कोई दस्तावेज लिखने की जरूरत नहीं होगी। यह स्कीम मैंने या तो यह कहा जाय कि बहुत मोटे तौर पर या बहुत तफ़सील के साथ आप सामने मैंने अर्ज़ कर दी। ये जितने भी आफ़िसर हैं, असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर, कंसोलि डेशन आफ़िसर, आर्बीट्रेटर और सेटिलमेंट आफिसर, इन चारों को वही अधिकार हासिल होंगे. जो सिविल प्रोसीज्योर कोर्ट के किसी अदालत को हासिल हैं। अगर वे सबूत मांगना चाहें, किसी गवाह को तलब करना चाहें, या किसी जगह मौक़े पर पैमायश करना चाहें या मुआयना करना चाहें तो उनको अदालत के सब अधिकार हासिल होंगे और जो शख्स उनका कहना न मानेगा तो जो क़ैद या सजा की पाबन्दी आयत होती है किसी फरीक़ पर या गवाह पर उन पर आयद होंगी। एक डाइरेक्टर आफ कंसोलिडेशन भी स्टेट की तरफ से मुक़र्रर होगा और एक असिस्टेंट डाइ-रेक्टर आफ कंसोलिडेंशन भी मुक़र्रर होगा जो सारे सूबे के उस काम की देख-रेख करेगा। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि आबीट्रेटर का फैसला अन्तिम होगा, सेटिलमेंट आफ़िसर आफ़ कंसो-लिडेशन का फैसला अन्तिम होगा लेकिन सेटिलमेंट आफ़िसर आफ कंसोलिडेशन नीचे जो कंसो-लिडेशन आफ़िसर होंगे, असिस्टेंट कंसोलिडेशन अफिसर होंगे, उसके सामने अगर कोई मामला आता है तो किसी मिसल या किसी कागज़ को अगर डाइरेक्टर आफ कंसोलिडेशन देखना चाहे तो उसे रिविजनरी पावर है, डाइरेक्टर को हक़ हासिल है और अगर वह चाहे तो फैसले वग़ैरह को देख सकता है। तो इस तरह की यह मोटी-मोटी स्कीम हुई है।

सन् १९३९ ई० में एक चकबन्दी का कानून जब कि पहला कांग्रेस मंत्रि मंडल बना था उसने बनाया था और वह कानून ७,८ जिले में लग भी गया था। लेकिन जो स्कीम उस कानून के मातहत तैयार की गयी थी वह डिफेक्टिव थी, नाकिस थी। इसके अलाव उसमें गुंजायश इस बात की भी थी कि अगर किसान ग़लती करे, या छोटे राज कर्मचारी ग़लती करें तो फिर काफी मौक़ा ग़लती करने और कराने का रहता था। फिर सबसे बड़ी रुकावट उसके अन्दर यह थी एक दर्जन क़िस्म के, खेत थे, काश्तकार थे, मुख्तलिफ हक़ूक़ के काश्तकार थे, उनके चक की अदला-बदली करने में बहुत दिक्क़त होती थी और कोई खेत ऐसा नहीं था जिसके ऊपर कम से कम तीन चार आदमियों का आमतौर पर हक़ न होता हो नहीं तो दो का तो जरूर ही हक़ होता था। एक काश्तकार और दूसरा जमींदार। काश्तकार भी कई क़िस्म के और जमींदार भी कई क़िस्म के थे। उसकी वजह से भी चकबन्दी होने में दिक्क़तें थीं। इस संबंध में बहुत सी

शिकायतें भी आयीं कि उस ऐक्ट के मातहत जो कंसोलिडेशन चल रहा है था उसको बन्द कर दिया जाय। अब जमींदारी खत्म हो गयी। जमींदारी खत्म हो जाने पर एक बहुत बड़ी रुकावट जो चकबन्दी के संबंध में थी वह हट गयी। पहले जो स्कीम तैयार की गयी थी उसमें नकायस थे, त्रुटियां थीं, जो तजुर्बे ने हमको बतलाया है। पंचायत के तजुर्बे से भी हमें मालूम हुआ है जहां पर श्री मौर्य जी तथा हमारे दो आफिसर्स भी गये थे, उनके वहां से देख कर आने के बाद जो उसमें नुक्स थे वे दूर हो गये और जिस तरह से इसमें और पाबन्दियां रखी गयी हैं उन पाबन्दियों से भी बहुत कोशिश इस बात की की गयी है कि किसी भी राज्य कर्मचारी की ओर से कोई शिकायत का मौक़ा न आवे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस गवर्नमेंट को निहायत खुशी है और उसको इस बात का गर्व है कि जहां जमींदारी उन्मूलन करके उसने एक बहुत बड़ा क़दम उठाया है और ऐसा क़दम उठाया है जिससे हमारे गांव की आर्थिक और सामाजिक क्रांति हुई उसी महत्व का क़रीब-क़रीब यह दूसरा क़दम है, जो कि चकबन्दी संबंधी बिल को पेश करके यह गवर्नमेंट उठा रही है। यह चकबन्दी हो जाय तो मुझको यह उम्मीद है कि आज जो हम प्लानिंग के जरिये बहुत सी बातों को करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें तरह-तरह की रुकावटें हमारे सामने आती हैं वह रुकावट बहुत हद तक दूर हो जा यगी। वैसे तो दुनियां में कोई जमाना ऐसा नहीं आया कि जब और कुछ करने को बाक़ीहन रहा हो, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि जमींदारी को खत्म करने के बाद अब चकबन्दी करने से हमारे गांव के किसानों के सुख साधन बहुत हद तक, बहुत मात्रा में प्रस्तुत हो जायंगे और तभी हमारे खेतों की पैदावार और तभी हमारा देश मालदार होगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास के भीतर प्रस्तुत करे। उस प्रवर समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे--

१. श्री द्वारका प्रसाद मौर्य
२. श्री दीनदयालु शर्मा
३. श्री वीरेन्द्र वर्मा
४. श्री नेत्र पाल सिंह
५. श्री अशरफ अली
६. श्री अब्दुल रऊफ खां
७. श्री बेनी सिंह
८. श्री नारायण दीन
९. श्री निरंजन सिंह
१०. श्री शिवराज सिंह
११. श्री देवराम
१२. श्री रमेश्वर प्रसाद
१३. श्री अंसुमान सिंह
१४. श्री देवनन्दन शुक्ल
१५. श्री रामनरेश शुक्ल
१६. श्री जयराम वर्मा
१७. श्री सुरेश प्रकाश सिंह
१८. श्री सत्य सिंह राणा
१९. श्री रामनारायण त्रिपाठी
२०. श्री गेंदा सिंह

अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिये यह संशोधन पेश करता हूं तो मेरे मस्तिष्क में यह बात है कि कांग्रेस की क्रांति के इतिहास में यह आखिरी

[श्री रामनरेश शुक्ल]

आहुति है जिसमें सब प्रतिक्रियावादी समाप्त हो जायंगे और साथ ही इस प्रांत की करोड़ों जनता हमारे वर्तमान माल मंत्री जी को उनके बहुत से कानूनों के लिये आगे आने वाले दिनों में बधाई देगी । लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि जब मैं इस बात को कहता हूं तो किसी फर्ज अदायगी की वजह से नहीं कहता हूं और न कोई पार्टी के ख्याल से बल्कि मैं उसका अनुभव और महसूस करता हूं कि यह कानून जो माल मंत्री आज प्रस्तुत कर रहे हैं इसका जो प्रभाव इस प्रांत में होगा वह इस प्रांत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा । लेकिन जहां तक मैं इस कानून के प्रभाव को समझता हूं उसके अनेक प्रभाव हो सकते हैं। इसके फायदे को जहां तक समझता हूं वह तो माल मंत्री जी ने बताया, मैं इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये इसलिये कहता हूं कि यह एक बहुत अहमियत का कानून है और इसके आने के पहले ही इसकी चर्चा देहात में प्रारम्भ हो गई है और अध्यक्ष महोदय, मैं इस को प्रवर समिति में इसलिये भी भेजना चाहता हूं कि ऐसे कानून के लिये यह जरूरी है कि इस सदन के प्रत्येक पार्टी की पूर्ण सहमति इस कानून में हो जाय। चूंकि मुझे सूचना मिली है कि कुछ पार्टियों के लोगों ने देहात में यह प्रचार शुरू किया है कि सरकार ज़मीनें लेना चाहती है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहती है और इसीलिये सरकार चकबंदी कर रही है, ऐसा प्रचार कुछ विरोधी पार्टियों ने आरम्भ किया है। इसलिये यह जरूरी है कि प्रवर समिति में बैठकर पूर्ण रूप से इस पर विचार कर के प्रत्येक की सम्मति से यह पूरी शक्ल के साथ यहां आये ताकि यह सदन इस पर विचार कर सके और इतना महत्वपूर्ण कानून प्रदेश को जल्द से जल्द मिल सके। इसलिये मैं सिफारिश करता हूं कि यह बिल इस प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह का भ्रम माननीय रामनरेस जी को हो गया है वह भ्रम उनको शायद केवल प्रतापगढ़ ही से हुआ होगा और दूसरे जिलों में इस प्रकार का भ्रम करने की गुंजाइश उन्हें न होगी। मैं बिल का स्वागत करते हुये एक बात कहने की इजाजत चाहता हूं और मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के इस खयाल की कद्र करते हुये भी कि वह हमारी इस बात को सुनने को तैयार नहीं होते फिर भी मैं यह सोचता हूं कि मुझे उत्तर उसी प्रकार का मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि एक सत्य बात जो है उससे इनकार नहीं करना चाहिये, आज हो, कल हो, परसों हो उसको मानना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि चकबंदी से जिस तरह की धारणा माननीय राजस्व मंत्री जी की है उस में काफी हद तक उन को सफलता मिलेगी । चकबंदी करने से कुछ ऐसी संख्या खेती करने वालों की होगी कि जो संतुष्ट हो जायगी, लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में अभी सदन के सामने प्रकट किया कि उससे हमारी खेती की करीब-करीब सब समस्यायें हल हो जायंगी और यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो उन्होंने ९० प्रतिशत कहा था । मेरा कहना यह है कि वह अगर इस संबंध में ऐसा विचार रखते हैं तो वह गलत है। अब तो यह बिल सैलेक्ट कमेटी में जा रहा है और सम्भवतः माननीय राजस्व मंत्री जी से और हम लोगों से विचार विनिमय का अवसर आयेगा और मेरा अनुभव यह है कि कमेटियों में कुछ बातें अधिक सुन ली जाती हैं हालांकि पिछले मर्तबे माननीय राजस्व मंत्री जी ने हमारी इस आशा को दूसरी शक्ल में बदलने की मेहरबानी जरूर की थी, लेकिन फिर भी कमेटियों में बैठने से बहुत सी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। मैं उनकी खिदमत में एक बात पेश करना चाहता हूं कि इत्तिफाक से आज ही जो सर्वोदय सम्मेलन विनोबा जी के नेतृत्व में चांडील में हो रहा है उसकी खबर आई है और अध्यक्ष महोदय मैं आप की इजाजत से कुछ अखबार मे पढ़ देना चाहता हूं जो विनोबा जी ने कहा है। यह उद्धरण मैं 'आज' समाचार पत्र का दे रहा हूं।

एक अखबार का रेफरेंस है । उसी का मैं उदाहरण दे रहा हूं । आपने बताया कि यदि एक प्रांत में सफलता मिली तो दूसरे प्रांतों में देखते देखते क्रांति हो जायगी और दूसरे

प्रांतों में कुछ न हो यह सम्भव नहीं। कुछ न होगा तो या तो जनता बगावत करेगी या राज्यों की ओर से कानून बना कर समस्या हल कर दी जायगी। एक जगह की अनुभूति दूसरी जगह पहुंच जायगी सर्वोदय के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करते हुये बिनोबा जी ने बतलाया है कि उत्पादन का भी विकेन्द्रीकरण चाहते हैं और विभाजन का भी ।

यह उद्धरण देकर मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री केवल चकबंदी पर इतनी भारी आशा न करें। चकबंदी में तो जिन लोगों के पास भूमि है उनकी भूमि इकट्ठी हो जायगी । लेकिन जिनके पास केवल इतनी भूमि है कि वह किसी प्रकार भूमि वाले कहलाते हैं उससे उनकी जीवनवृत्ति चलाना कठिन है। एक एकड़, दो और ढाई एकड़, तक की बात लेता हूं। उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार ढाई एकड़ से कम के किसानों की संख्या ७० फीसदी है तो तीस फीसदी किसानों की समस्या चकबंदी से हल हो जायगी, इसमें शक नहीं कि जो दस, बीस, पच्चीस एकड़ वाले किसान हैं उनकी समस्या हल हो जायगी। उनके खेत दो-तीन टुकड़ों में हो जायेंगे। वहां पानी का बन्दोबस्त हो सकता है। पहरे का अच्छा बन्दोबस्त हो सकता है और एक योजना के अनुसार खेती कर सकते हैं और उससे अपनी हालत को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन जो तीस प्रतिशत है उसके लिये माननीय मंत्री जी को कुछ और सोचना पड़ेगा और उसके लिये मैं कुछ और दूसरा उपाय नहीं देखता हूं। न माननीय राजस्व मंत्री जी कोई आकाश कुसुम बनायेंगे, न हम अगर माननीय राजस्व मंत्री की जगह आ जायं तो कोई ऐसी जादूगरी कर देंगे जिससे रोजी और रोटी का मसला हल हो जायगा। हम को उसी प्रकार मसला हल करना पड़ेगा जिससे उत्पत्ति के साधनों पर अपने को अवलम्बित करके सारी जनसंख्या का प्रबंध करना पड़ेगा। हमारे पास जितनी जमीन है उसी जमीन में हम को बन्दोबस्त करना पड़ेगा। अगर छः करोड़ एकड़ जमीन हमारे पास है तो पूरी जनता खेती नहीं कर सकती। प्लाण्ड इकानोमी में जरूरत पड़ेगी की एक खासी तादाद को खेती से हटा कर उद्योग में लगायें। तभी देश की समस्या हल कर सकेंगे। लेकिन फिर भी जो लोग खेती पर रहने वाले हैं और जब तक औद्योगिक केन्द्र न खुल पायें तब तक के लिये तो हमारे लिये आवश्यक होगा कि किसी प्रकार से जो लोग आज बेरोजगार हैं उनको रोजी दें। इसलिये भूमि के बटवारे का प्रश्न जो है उसको माननीय राजस्व मंत्री जी केवल इस दृष्टि से न देखें कि हमको कोई शौक हो गया है कि वक्त बे वक्त किसी तरह की भी बात आये उसमें भूमि बटवारे की बात कर दिया करें। हम जानते हैं कि भूमि बटवारे की बात ऐसी है कि जिसके बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिये जो कि उन्होंने कहा है कि ९० प्रतिशत समस्या हल हो जायगी भूमि जोतने वालों गांव वालों की, की········

श्री चरण सिंह—मैंने कहा, किसानों की, जो आज किसान हैं ।

श्री गेंदा सिंह—ठीक है। किसानों में से ७० फीसदी किसान तो ऐसे हैं जो ढाई एकड़ वाले किसान हैं उनकी भी समस्या हल हो सकती है। ढाई एकड़ का पूरा खेत एक ही जगह होगा तो ढाई एकड़ में क्या खुशहाली कर ली जायगी और मुझसे इसमें माननीय राजस्व मंत्री जी इत्तफाक करेंगे। तो इसलिये ७० फीसदी जो किसानों का तबका है उसमें साढ़े पांच करोड़ के करीब लोग हैं और बाकी जो हिस्सा है उसमें भूमिहीन लोग भी हैं और बड़ी भारी तादाद उनकी भी है। तो फिर उनकी भी समस्या हल नहीं होती ।

आज जो मेकेनाइज्ड फार्म्स हैं वह ऐसे हैं कि जो हजार, दो हजार और पांच सौ एकड़ के हैं। उन फार्मों की चकबंदी का कोई प्रश्न नहीं उठता। वह तो आज भी चकों में बने हुये हैं। उनका प्रश्न तो तभी उठता है जब हम उनकी जमीन के बटवारे की बात करें ।

श्री अध्यक्ष--आप कानून के बाहर की बात कर रहे हैं। जो चकबंदी से काम नहीं होगा उस दूसरे कानून की बात कह रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह--मैंने इस बात को इसलिये कह दिया कि सदन में मैंने जो बातें माननीय रामनरेश जी से और माननीय राजस्व मंत्री जी से सुनीं उनमें चकबंदी विधेयक के बाहर की भी बात आ गयी। इससे ९० प्रतिशत किसानों की समस्या हल हो जायगी और मैंने वह बात कह दी।

अब मैं इस सिलसिले में दो एक बात जरूर कहना चाहता हूं और उसके लिये मुझे राजस्व मंत्री जी क्षमा करेंगे। एक बात तो यह कि इस विधेयक में जहां पर चकबंदी होगी वहां उसके व्यय को उन्हीं किसानों से लिया जायगा। मैं यह समझता हूं कि सरकार के ऊपर अनावश्यक बोझ न पड़े, यह जरूरी है और जब कोई इस प्रकार का काम देश में हो रहा हो जिस में लाखों रुपये का सवाल उठता हो तो ऐसी हालत में अनावश्यक रूप से जो उस से लाभ न उठायें उनके ऊपर सरकार टैक्स करे यह भी मुनासिब नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर चाहता हूं कि सरकार के ऊपर कुछ जिम्मेदारी आती है। चकबंदी हो जाने के बाद या चकबंदी होते हुये भी, जो लोग चकबंदी से संबंध रखेंगे उनसे कुछ रुपया वसूल करने की योजना है कि रुपया वसूल किया जायगा। इस रुपये को यदि वसूल करना है तो चकबंदी जिस समय गांव में हम शुरू करें उस समय हम उनसे अपनी सारी योजना बयान कर दें। अगर हमारा यह विश्वास है कि गांव के अधिकांश लोग, गांव का बहुमत हमारे पक्ष में हैं, तो चकबंदी के पक्ष में होगा। तो मैं समझता हूं कि उससे हमको कत्तई डरने की बात नहीं है कि हम यदि गांव में पूछने जायेंगे तो गांव के लोग हमसे नाराज हो जायेंगे, इसके विरुद्ध राय देंगे। यह नहीं होगा कि गांव वाले समझ नहीं पाते कि हमारा लाभ है चकबंदी से। अवश्य इस पर थोड़ी देर तक सोचेंगे कि चकबंदी तो हम कराने जा रहे हैं लेकिन चकबंदी में हम से पैसा भी मांगा जा रहा है। तो मेरा तो यह खयाल है कि कोई चीज जो मुफ्त किसी को दी जाती है उसकी थोड़ी कीमत वह लगाता है और समझता है कि मालूम नहीं किस प्रचार के लिये सरकार हमको यह सामान दे रही है। जैसे किसी जमाने में मुफ्त में चाय पिलाने वाले गांव-गांव घूमे और उनका काम यह था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से चीनी के सेस से कुछ पैसा उनको देना था, इसलिये उन से कहा कि तुम जाओ और चाय पिलाने की कोशिश करो तो चीनी की खपत होगी। तो बाद में गांव वाले समझे की चाय वाले यह चाय मुफ्त में क्यों पिलाते हैं, तो मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि बाद को उनके मन में कोई शिकायत की भावना हो और यह शक उठे कि सरकार जो किया करती है उसके लिये हमारे ऊपर पैसे का बोझ लाद देती है, तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम उनकी सलाह लें।

दूसरी बात यह है कि जिनके पास थोड़ी जमीन है उनके लिये हमको इस तरह की गुंजाइश करनी पड़ेगी कि उन को गांव के करीब देने का प्रबंध करें। अगर हम उन छोटी जमीन वालों को इस तरह का प्रोत्साहन देंगे तो ज्यादातर तो छोटे खेत वाले हैं ही। जब हम उनकी मर्जी लेने की बात सोचते हैं जब ऐसी बात हम अपने कानून में रखेंगे तो फिर छोटे खाते वाले इससे बड़े होंगे और हमारी चकबंदी की योजना का स्वागत करेंगे। उसमें हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। यह दो एक चीजें मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। बाकी बातों पर इस समय मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता। सैलेक्ट कमेटी बनी हुई है। मैं उस प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं और उसी समय इन चीजों पर विचार करके फिर सदन के सामने यह आवेगा। फिर उस पर विचार करने का अवसर होगा। अन्त में मैं राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)——माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे लिये और प्रांत के समक्ष किसानों के लिये वह वास्तव में बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारे इस सदन के सामने चकबंदी का विधेयक मौजूद है। मैं इसके लिये अपनी कांग्रेस पार्टी के मंत्री, राजस्व मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)——प्वाइंट आफ़ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष——आप कृपा करके जरा शब्दों को दुरुस्त कर दीजिये। वह कांग्रेस पार्टी के मंत्री नहीं हैं, सबके मंत्री हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा——जो सत्य है वह तो मैंने कहा, लेकिन चूंकि अध्यक्ष महोदय, आपकी ऐसी आज्ञा है, इसलिये मैं अपने मंत्री, माननीय श्री चरण सिंह जी को अपने समस्त किसानों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, इसलिये कि हम यह समझते हैं कि इस चकबंदी के बाद एक नयी व्यवस्था कायम करके हम एक नये युग में पदार्पण कर रहे हैं। माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने अपने इस लम्बे भाषण के बाद यह मत प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि इस चकबंदी से हमारे देश के ९० फीसदी लोगों का भला नहीं होगा

श्री गेंदा सिंह——यह कहां कहा मैंने ?

श्री शिवकुमार शर्मा——लेकिन उससे कुछ कम संख्या के लोगों का भला जरूर है। मैं तो इस से भी आगे बढ़ने के लिये तैयार हूं कि जमींदारी प्रथा के समाप्त हो जाने के बाद और चकबंदी के आ जाने के बाद हमारे गांवों और हमारे प्रांतों में एक नये युग का पदार्पण होगा और उसमें यही नहीं कि ९० फीसदी किसानों का भला हो बल्कि ९९ फीसदी जनता उसके बाद आराम की सांस लेने लगेगी, क्योंकि यह ऐसी चीज है कि जिसको हम आधारशिला मानकर कृषि के अन्दर बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। आज तक हमारे किसान और देहात के रहने वाले रात दिन परिश्रम करने के बाद भी, अच्छे-अच्छे बीज का इन्तजाम, अच्छी-अच्छी खाद का इंतजाम होने पर भी यदि धनवान न हो सके, यदि अच्छी पैदावार न ला सके तो इसका मुख्य कारण यही था कि उनकी जमीनें एक जगह न थीं और उनको बहुत काफी समय उसके सुपरवीजन, उसकी देखभाल, रखवाली में, व्यय करना पड़ता था। इसलिये इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस ने इस चीज को सामने रख कर, विधान सभा के सामने लाकर, जो सेवा इससे की है वह इतिहास में हमेशा स्मरण की जायेगी। इसके बाद मैं माननीय श्री रामनरेश शुक्ल का जिन्होंने कि इस विधेयक को सैलेक्ट कमेटी के सामने भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, अनुमोदन करता हूं और यह समझता हूं कि इस बिल के अन्दर जो विस्तार से जाने की बातें हैं, जो नये सुझाव आयेंगे वह सैलेक्ट कमेटी में जाने पर जो कुछ कमी रह गई है वह पूरी हो जायगी। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बातें बतलाई हैं उनमें मैं यह नहीं समझ पाया कि आया वह जो चकबंदी करने जा रहे हैं, उस चकबंदी का आधार क्या होगा। वह जमीन की क्वालिटी के ऊपर चकबंदी करने जा रहे हैं या इस प्रकार से कर देंगे कि किसानों को उससे कुछ सुविधा मिल जाय। मैं जहां तक समझता हूं कि इस बात पर सैलेक्ट कमेटी विचार करेगी। लेकिन साथ ही साथ मेरी यह भी राय है कि जब विचार करें तो जमीनों की क्वालिटी का ध्यान रख कर और उनका मूल्यांकन करने के बाद इस प्रस्ताव को सामने रखें कि हमें इस प्रकार चकबंदी करनी चाहिये, ताकि अच्छी जमीन वाले किसानों को कम से कम अपने मूल्य के आधार पर जमीनों के दाम प्राप्त हो सकें। यह न हो कि १०० बीघा वाले किसान को ऐसी जमीन मिले जो कि उस जमीन के २० फीसदी मूल्य के बराबर न हो। इसलिये चकबन्दी करते समय यह आवश्यक है कि जमीन के मूल्य के

[श्री शिवकुमार शर्मा]

आधार पर ही चकबन्दी की जाय। यदि आपने यह नहीं किया, और आप की सलेक्ट कमेटी ने भी इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर आप की चकबन्दी का कार्य पूरा नहीं होगा क्योंकि यह प्रश्न पहले से ही किसानों में आया है। जब किसानों के सामने जाने का मुझे मौका मिला तो मैंने देखा कि वे जानते हैं कि चकबन्दी का आधार क्या होगा, इसलिये मेरी राय है कि जमीन की कीमत लगा करके और उनकी श्रेणी करने के बाद ही चकबन्दी की जाय।

दूसरी बात मुझे इस संबंध में यह कहनी है कि माननीय राजस्व मंत्री ने बताया है कि इस कार्य को करने में कौन-कौन आफिसर्स होंगे उन्होंने कहा कि एक असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर होगा, फिर एक जिला कन्सोलिडेशन आफिसर होगा, उसके बाद एक सेटलमेंट आफिसर होगा और एक आर्बिट्रेटर होगा तथा इन सबके ऊपर एक डाइरेक्टर भी बतलाया है। मैं समझता हूं कि जहां तक न्याय प्राप्त करने की बात है वहां इसमें कोई शामिल नहीं है। निश्चय रूप से हमें देखना है कि किसी के साथ अन्याय न हो। असिस्टेंट कन्सोलिडेशन आफिसर के ऊपर मामला जरूर जाना चाहिये परन्तु इसमें यह देखना है कि यदि आपने जिला अधिकारी को आर्बिट्रेशन की पावर नहीं दी तो बहुत कठिनाई होगी। डाइरेक्टर के पास रिवीजन के लिये मामला जाने का मतलब है कि किसान चकबन्दी से जो लाभ उठाना चाहते थे वह लाभ नहीं उठा पायेंगे। दूसरी सलाह यह है कि सेलेक्ट कमेटी यह विचार करे कि तमाम जिलों में ही आर्बिट्रेशन का मामला तय हो जाय और यदि कोई मामला ऊपर जाना है तो उसके लिये जिला अफसरों की एक ऐसी कमेटी बना दी जाय, जो अपना अंतिम निर्णय दे, लेकिन जिलों से किसी प्रकार भी मामला ऊपर नहीं जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस संबंध में कोई भी मामला जो चकबन्दी का हो वह ज्यादा से ज्यादा जिला स्टेज तक जाय और प्रान्तीय स्टेज के किसी अधिकारी के पास भेजना ठीक नहीं है। इसलिये मैं उम्मीद करूंगा कि सेलेक्ट कमेटी और माननीय राजस्व मंत्री बहुत उदारता पूर्वक इस पर विचार करेंगे क्योंकि चकबन्दी में हर गांव के किसान इस बात की कोशिश करेंगे कि यदि आसानी से चकबन्दी हो जाती है तो उनको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और ग्राम से लेकर जिलों तक उनकी बहुत परेशानी हल हो जाती है। तब वह खुशी खुशी चकबन्दी कर लेंगे किन्तु इसके विपरीत अनुभव हुआ और इसके बाद प्रान्त के डाइरेक्टर के पास रिवीजन करवाने के लिये जाना पड़ा तो इससे गांव की बरबादी होगी और यह उनकी बदकिस्मती होगी, बावजूद अच्छा विधेयक होने के भी उनको लाभ नहीं होगा। इन सुझाव की बातों के बाद में श्री राम नरेश शुक्ल को जिन्होंने इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा, हार्दिक बधाई देता हूं और माननीय राजस्व मंत्री को भी अपनी तरफ से व किसानों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं कि जमींदारी विनाश के बाद चकबन्दी विधेयक लाकर उन्होंने किसानों की मुक्ति का द्वार खोल दिया है। मेरा विश्वास है कि अगर किसान इससे लाभ उठायेंगे तो वह उन्नति कर सकेंगे।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मुझे चकबन्दी के महत्व के ऊपर नहीं कहना है क्योंकि बहुत कुछ जो फायदे हैं और जो इससे लाभ है वह माननीय मंत्री ने बतला दिये हैं, और अन्य साथियों ने भी बतला दिये हैं। यह बिल जो है बहुत इम्पारटेंट बिल है। इस बिल के पास होने की बहुत जरूरत है। लेकिन बिल की जो शक्ल इस वक्त है और जैसा कि यह इस वक्त आया हुआ है, अगर उसी तरह से वह पास किया जाय तो उसमें कुछ खामियां रह जायेंगी। क्योंकि इसमें खामियां और त्रुटियां हो सकती हैं इसलिये मैं श्री राम नरेश शुक्ल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, कि उसको एक प्रवर समिति को भेजा जाय, उसका समर्थन करता हूं। लेकिन उन वजूहातों पर नहीं जो उन्होंने दिये हैं उन्होंने यह बात कही है कि उसको एक प्रवर समिति को भेजा जाय, इसलिये कि वे समझते हैं कि विरोधी लोग उसके विरोध में कुछ प्रचार कर रहे हैं। इस गरज से मैं इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने के सुझाव को नहीं मानता हूं। मगर वास्तविक रूप से इस बिल में कुछ त्रुटियां हैं और सेलेक्ट कमेटी में जाकर वे खामियां और त्रुटियां दूर की जा सकती हैं। बिल जब ऐक्ट बन जायेगा, तो उसके जो प्रिंन्सिपिल्स है और जिनकी ओर माननीय मंत्री जी ने ध्यान भी आकर्षित किया है।

वह यह है कि इसमें सरकार की स्वेच्छा पर ही कार्य होगा। चकबन्दी करने में सरकार की स्वेच्छा पर ही सब निर्भर करता है कि वह जहां चाहे चकबन्दी करे, तो इसमें यह बात हो सकती है, कि अगर सरकार कहीं चकबन्दी करना चाहती है, मगर वहां के लोग चकबन्दी पसन्द नहीं करते है, और इसके विपरीत दूसरे स्थान में लोग जहां चकबन्दी चाहते हैं, लेकिन सरकार वहां चकबन्दी नहीं करती है, तो इसमें कोआपरेटिव प्रिन्सिपिल या सहयोगिता का स्थान बिलकुल भी नहीं रखा गया है। तो इसके लिये मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जाकर इसमें कोआपरेटिव सिद्धांत की भावना को रखा जाय ताकि जिस गांव के या स्थान के लोग चकबन्दी कराना चाहें, वहां चकबन्दी की जाय और जहां वे चकबन्दी न चाहते हों वहां यह न की जाय। और इसके लिये कोई सिद्धांत प्रिन्सिपिल भी निर्धारित हो जाय तो अच्छा हो। कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग के लिये इस तरह का प्राविजन होना चाहिये ताकि लोगों में यह भावना पैदा हो सके कि यह बिल उन पर एक दबाव नहीं डाल रहा है, बल्कि लोग स्वयं उसको अपनायें, जिससे कि उनको इसके लिये शिकायत नहीं होगी। इस तरह से सरकार ऐसे स्थानों में कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग करें जहां कि लोग चाहते हैं। और ऐसे स्थानों में न करें जहां के लोग न चाहते हों। यह दिक्कत इस तरह से दूर हो जायेगी। इसके लिये मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें कुछ साफ प्रिंसिपिल इस तरह का होना चाहिये।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये जो कन्सोलिडेशन आफिसर्स हैं, और जो उनके लिये रखे गये हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का एक क्लियर कट प्रिंसिपिल होना चाहिये। और कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्स की भी एक क्लियर पालिसी होनी चाहिये। अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने उदाहरण के लिये बतलाया है, एक आदमी की वहां जमीन कन्सालिडेट की जायेगी जहां कि उसकी सबसे ज्यादा जमीन हो और इसके लिये उन्होंने बतलाया कि जैसे ४० बीघा जमीन हो। और इसके बाद दूसरा उदाहरण उन्होंने यह भी बतलाया कि अगर मकान के नजदीक उसकी जमीन हो, तो मकान के समीप उसे भूमि मिलेगी, तो यह दोनों चीजें एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर सकती हैं और इस तरह से ओवरलैपिंग हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जैसा कि मंत्री जी ने कहा, कि अगर पूर्व की दिशा में उसका मकान है और पश्चिम की दिशा में उसकी अधिक जमीन है, तो ऐसी अवस्था में उसके लिये क्या सिद्धांत होंगे। यह सब ऐसी बातें हैं, जिनको कि वहां आफिसर तय करेगा और ऐसी हालत में यह कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्स आफिसर पर निर्भर करेगा और वह उसके डिसक्रीशन पर रहेगा, और इस तरह से वह अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। तो मैं सरकार से कहता हूं कि वह इस तरह से उस आफिसर को अपनी पावर मिसयूज़ करने का मौका न दे।

इस बिल में एक और विशेष बात रखी गयी है और वह यह है कि इसमें अपील की पावर नहीं दी गयी है, अपील सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं रखी गयी है। माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि जो कंसोलिडेशन आफिसर्स होंगे या जो सैटिलमेंट अफिसर्स होंगे उन्हींको जुडीशल पावर होगी और उनकी प्रोसीडिंग्स जुडीशल प्रोसीडिंग्स मानी जायंगी, फिर भी उसमें खामियां मालूम होती हैं। अगर उनको जुडीशल अधिकार होंगे तो माननीय मंत्री महोदय पार्टियों के झगड़े में वकीलों को जाने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे। इस तरह का इसमें प्राविजन हो जो कि सिलेक्ट कमेटी में विचार हो सकता है ताकि पीछे यह खामियां न रह जायं।

इसके साथ साथ अर्बिट्रेशन का प्रिंसपिल इसमें रखा गया है और वह बहुत अच्छा है, लेकिन मंत्री जी से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि अर्बिट्रेटर जो हो उसको गवर्नमेंट न अप्वाइन्ट करे बल्कि अर्बिट्रेटर के वास्ते ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि जिसमें दोनों पार्टीज सहमत हों। वह कोई आफिशल आदमी हो, चाहे नान आफिशल आदमी हो, चाहे कोई मंडल हो लेकिन उस पर लोगों का विश्वास होना चाहिये, क्योंकि इसमें अपील वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी है। इन वजूहातों को देखते हुये यह खामियां जो इस बिल में हैं यह सेलेक्ट

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]
कमेटी में जा करके दूर हो सकती हैं। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--अध्यक्ष महोदय मैं, इस बिल के लिये माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने इस बिल को ला करके किसानों की बहुत पुरानी आशाओं को पूरा करने की कोशिश की, इसके पश्चात् मैं यह भी कह देना चाहता कि जहां किसानों की सुविधा के लिये, उत्पत्ति की बढ़ोत्तरी के लिये और कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स के ऐक्ट को बनाने के लिये यह बिल आया है, वहां पर ऐसा प्राविजन भी होना चाहिये कि देहातों में जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनकी जरूरत पूरी हो सके।

दूसरी बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस बिल में एक धारा आयी है ३२, उसके अन्तर्गत जैसा कि मैं समझता हूं, ऐसा किया गया है कि अगर मेरी जमीन बीच में है और चार आदमियों की जमीन आस-पास है तो उन चार आदमियों को छोड़कर और किसी के हाथ मुझे जमीन बेचने का या रेहन रखने का हक नहीं है। उन चार आदमियों के अतिरिक्त बाहर का कोई आदमी जो खेती करना चाहता है उस जमीन को नहीं ले सकता है। ऐसी अवस्था में जो फंडामेंटल राइट्स एक आदमी के हैं वे खत्म हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे इस तरह की कोई कमी इसमें न आ जाय जिस की वजह से कोई भी व्यक्ति जो खेती करना चाहता है और तरक्की करके पैदावार बढ़ाना चाहता है, उसके रास्ते में कोई रुकावट हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस खामी को दूर दिया जाय।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अपील की कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी है, वहां जिस तरीके से पिछले दिनों में हुआ वही फिर न हो। देहातों में इस तरह की गुट बन्दी चलती रही है कि उससे हमेशा गरीब आदमी पिसता रहा है। कानून के लिये सब कुछ ठीक होता है पर गरीब हमेशा पिसते ही रहते हैं और इस गुटबन्दी का वह शिकार हो जाता है। इसलिये इसमें कोई ऐसी गुंजाइश न रखी जाय कि गरीब आदमी हमेशा अपनी जमीन की खातिर पिसता रहे और उसको खराब से खराब जमीन दे दी जाय। इस बिल में यह प्राविजन किया गया है कि जिसकी जमीन जहां ज्यादा होगी वहीं पर उसको जमीन देने की कोशिश की जायगी। लेकिन ऐसा न हो करके ऐसी जमीन देने की कोशिश की जाती है, कि जो निकम्मी हो, और दूर से दूर ऐसी जगह पर हो जहां उस गरीब की थोड़ी सी जमीन हो। गरीब आदमी इस तरह से फंस जाता है। ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करूंगा कि इन धाराओं के संबंध में यदि उसको अपील का हक दे दिया जाय तो मुनासिब होगा।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकारी कर्मचारियों का वही तरीका रहा जैसे कि पिछले जमाने में अपील की शक्ल में दरख्वासतें दी गई, लेकिन पूरी नहीं हो सकीं लेकिन जब वह सिविल कोर्ट में चली गई तो एक महीने के अन्दर तय हो गई। तो इस तरह का रास्ता बने कि गरीब आदमी जो पिसता रहा है, वह पिस्ता रहे और उसके खिलाफ ही मुकदमा तय होता रहे। इसलिये उसको यह सुविधा देनी चाहिये कि किसी को नुक्सान न पहुंच पाये, मैं यही कहना चाहता था, इस संबंध में।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से राजस्व मंत्री जी के व्याख्यान को सुनने की कोशिश की और उन्होंने जो सिद्धांत बतलाया उसको भी समझने की कोशिश की। उन्होंने यह बतलाया है कि चक दो प्रकार के होंगे। अगर किसी गांव में एक तरफ गांव की खेती होती है, और एक तरफ रबी की फसल बोई जाती है तो यह लिहाज किया जायगा कि दोनों के अलग-अलग चक बना दिये जायं, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि धान की खेती में भी कई किस्म की जमीनें हुआ करती हैं, जैसे गोयन, मंझा की जमीन होती और पोली की जमीन होती है। तो किसान की अगर आखिरी हिस्से पर जमीन है तो और

कहीं बदलाव होगा दूसरे किसान से तो क्या उस जमीन की किस्म का लिहाज रखा जायगा या नहीं रखा जायगा। इस तरह का स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया। साथ ही साथ मुझे बहुत ही भय मालूम होता है कि यों तो कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्स से किसी को एख्तलाफ नहीं है खसूसन इस सूबे के लिये जो कि कृषि प्रधान सूबा है और स्माल होल्डिंग्स हैं, इसमें सब की एक राय है कोई दो मत नहीं हैं। मगर थोड़े ही दिन हुये या चन्द साल हुये कि हमारे जिले में रिकर्ड आपरेशन हुआ था जहां पर फरजी इन्दराज हुये। जैसा कि अभी हमारे राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि असिस्टेंट साहब होंगे, सेटिलमेंट आफिसर होंगे, और आरबीट्रेटर साहब होंगे। ठीक है आपने काफी रोक-थाम की है और उस वक्त भी ऐसा ही किया था और सौभाग्य मेरा यह है कि राजस्व मंत्री जी उस समय वहां गये थे और उन्होंने देखा था कि खेत किसी का था और मेंड कोई बांध रहा था। किसी तरीके से लोग इकट्ठा हो जाते थे। यह कहा जाता था कि बताओ किसका खेत है और जो कह देगा उसी का खेत हो जायगा, डेसीशन तो आगे होगा। नतीजा यह हुआ कि हजारों आदमी इकट्ठा होते थे खेत किसी का होता था कहने वाला कोई दूसरा होता था। न मालूम कितना रकबा गैर लोगों को मिल गया और सही लोग महरूम रहे। सही बात है कि इन्साफ बहुत सस्ता होगा, लेकिन अगर कोई आदमी नायब तहसीलदार से मिल जाय और कहे कि मुझको फलां जमीन दे दीजिये और कहीं नायब तहसीलदार भी राजी हो जाय और उसको वह जमीन दे दें तो इसका इन्साफ होगा या नहीं। तो मेरी गुजारिश यह है कि कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्स से किसी को एतराज नहीं है, यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश होने वाला है, मैं जानता हूं कि वहां पर सुझाव होगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ मेम्बरान खुशनोदी की वजह से खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा जिला इस सूबे में सब से बड़ा है और खेती भी वहां पर होती है, बल्कि इसके अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं है। वहां पर सेलेक्ट कमेटी में उन्होंने बजाय इसके कि कोई माल मुहकमे का आदमी हो क्रिमनल प्रैक्टीशनर जो फर्स्ट क्लास का है उसे डाल दिया है और सही राय वे वहां पर देंगे या नहीं। मुझे हैरत है और ताज्जुब है कि जैसी हकीकत रिकर्ड आपरेशन में हुई कि लोगों के हाथ कट गये, सही आदमियों को खेत मिले नहीं, कहीं इसमें भी गड़बड़ सड़बड़ न हो जाय।

मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि हम पर रहम खावें, चूंकि हमारे पास भी चन्द बीघे हैं और हमारे मुताल्लिक अगर राय देने वाले क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हो गये तो हम महरूम हो जावेंगे। हम यहां पर बहैसियत एक सदस्य के भी हैं और इस सूबे के एक खेतिहर की हैसियत से भी। साथ ही साथ मेरे मित्र रामनरेश जी शुक्ल ने कहा कि जिस बात का प्रचार होना चाहिये वह तो होता नहीं है। प्रचार क्या हुआ कि असेम्बली में और अखबार में आगया कि साहब, यह शोरगुल हो रहा है। यह जमीन गरीब भाइयों के हाथ से छुटने वाली है। हम बहुत इन्तजार करते रहे और आज माननीय राजस्व मंत्री को बधाई देते हैं कि जहां जमींदारी उन्मूलन हुआ अब कोई तरीका निकाला जाय ताकि ९० फीसदी वे खेतिहर जिनके पास खेत हैं उनको भी कुछ अपना उत्थान करने का अवसर प्राप्त हो। हो सकता है माननीय गेंदा सिंह जी यह सोचते हों कि उनके लिये कुछ नहीं किया जा रहा है जिनके पास खेत नहीं हैं उनके लिये किया जा रहा है जिनके पास वाकई एक बिसवा या एक बिस्वांसी खेत है। साथ ही साथ मेरे भाई जैपाल सिंह जी कहते हैं कि गरीबों और मुफलिसों के लिये इसमें राहत होनी चाहिये। राजस्व मंत्री जी के व्याख्यान को अगर उन्होंने गौर से सुना होता तो यह कहने की जरूरत ही नहीं होती, उन्होंने कहा कि जिनके पास कम से कम जमीन होगी और यह हरिजन भाइयों के पास हो सकती है। यह आबादी के नजदीक की जमीन होगी। वह फरटाइल रहा करती है। तो उनको तो हमने पहला प्रीफरैन्स दिया। तो यहां पर गरीब पददलित नहीं होता। जिस समय भूमि वितरण का सवाल आवेगा उस समय हम कह सकते हैं कि बड़े-बड़े फार्म्स को टुकड़े करके उन गरीब भाइयों में बांट देना चाहिये। हमको विषयांतर जाने की जरूरत नहीं है। असली प्रश्न पर आने से हमारा मतलब हल हो सकता है और राजस्व मंत्री को हम अपनी तरफ मुखातिब भी कर सकते हैं। हमें मौका है कि हम अपने बिखरे हुये

[श्री राम कुमार शास्त्री]

खेतों को एकत्र कर अपनी खेती ऊंचे दरजे पर पहुंचावें। यह न करके यदि हम यह राग अलापने लग जावें कि गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, तो मुझे तो ऐसी बात कहीं नजर नहीं आती।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारे सूबे को ऊंचे दरजे पर पहुंचाने के लिये जहां तक सम्भव हो सके, जहां तक कोशिश हो सके अपनी कोशिश में वह अग्रसर होंगे।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्व मंत्री जी को इस बिल के लाने के लिये बधाई देना चाहता हूं। जमींदारी उन्मूलन के बाद जब हम गांव में जाते थे तो लोग यह सवाल करते हैं कि चकबन्दी कानून कब बनने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्व मंत्री ने या हमारी सरकार ने एक चीज को सोचा कि खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में हैं और उनको इकट्ठा कर दिया जाय, उनकी चकबन्दी कर दी जाय। मगर इस बिल के पास हो जाने पर एक नहीं, हजारों फायदे हैं जिनमें कि करोड़ों का खर्चा होता। वह इस तरह से है कि जैसा राजस्व मंत्री जी ने ही बताया और प्लानिंग की बहुत सी स्कीमें इसके जरिये से बहुत आसानी के साथ तय हो जाती है। यही नहीं बल्कि जितने झगड़े होंगे वह भी किसी न किसी तरीके से बहुत आसानी से तय हो जायेंगे और वह अपनी उन्नति को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। मसलन् जहां ९० फीसदी गांव वाले ऐसे होते हैं। वहां दो चार फीसदी ऐसे होते हैं जो कोई तरक्की नहीं चाहते। नतीजा यह होता है जो गांव के लिये कुछ उन्नति भी करना चाहते हैं वे भी कानून की कमी की वजह से नहीं कर पाते हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि बिल से जाहिर होता है और जैसा माननीय राजस्व मंत्री जी ने बताया भी और एक बार पंचायत के प्रोग्राम में रेडियो पर भाषण करते हुये कहा था उससे यह बात स्पष्ट मालूम हुई थी कि जितनी भी दिक्कतें आज तक गांव वालों के सामने आती थी वह सारी की सारी हल हो जाती है। इसलिये हम कह सकते हैं कि दरअस्ल जमींदारी के टूट जाने के बाद और इस कानून के पास हो कर लागू हो जाने के बाद और चकबन्दी हो जाने के बाद दरअस्ल अगर गांव में कमी रह जाती है तो सिंचाई का इंतिजाम जहां नहीं है वहां तो वह मसला रह जाता है वर्ना और सारे मसले आसानी के साथ हल हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिये सारे के सारे मसले यानी तरह तरह के मुकदमें वगैर जो जायदाद और खेतों के होते हैं खत्म हो जायेंगे और लोग उससे राहत पा जाते हैं। इसलिये गांवों की तरक्की दरअस्ल तो तब होगी जब कि खेतों की चकबन्दी हो जायेगी, ऐसा मैं समझता हूं। इसके साथ ही जब कि यह बहुत बड़ी चीज हो रही है यह मैं नहीं कहता कि इसमें दोष नहीं है। सारी सृष्टि ही गुण-दोषमयी है। मैं यह नहीं कहता कि इससे किसी को असुविधा नहीं होगी, लेकिन अगर ज्यादा लोगों को सुविधा होगी तो इससे असुविधा बहुत कम लोगों को होगी। हमारे कुछ माननीय सदस्यों को ही अभी यह शक हो रहा था कि कहीं किसी को हलके खेत और किसी को अच्छे खेत मिल जायेंगे। यह हो सकता है कि किसी को अच्छे खेत मिल जायं और किसी को जरा हलके खेत मिल जायं, लेकिन उससे क्या होगा जब बहुत बड़ी खूबी की बात होने जा रही है और सारे लोगों का फायदा हो रहा है यही नहीं बल्कि उसकी खेती का भी फायदा हो रहा है और वह दो चार साल में मेहनत करके उस कमी को पूरा कर लेगा तो वह इतनी छोटी सी चीज के लिये परवाह नहीं करेगा।

इसके अतिरिक्त जो सैटिलमेंट आफिसर, असिस्टेंट कन्सोलिडेशन आफिसर आदि रखे गये हैं मैं यह नहीं कहता कि उनको इतने अधिकार नहीं देने चाहिये। लेकिन गवर्नमेंट तो महज उनका ऐप्वाइंटमेंट करेगी, ऐसे आफिसरों को नियुक्त किया जाना चाहिये जो न्यायप्रिय हों और लोगों के आपसी मतभेदों में किसी पक्ष का सहारा न लें। जो दरसल किसी तरह से पक्षपात न करें, जो पक्षपात या अन्याय करते समय भगवान से डरते हैं, कम से कम ऐसे आदमियों को इतनी जिम्मेदारी काम दिया जाना चाहिये वरना जो इतना बड़ा फायदा सोच हैं उसके बजाय उल्टे नुक्सान हो सकता है। इसलिये इन तमाम चीजों का ख्याल करना चाहिये।

इसके साथ ही साथ एक चीज़ और मेरे दिमाग में है और वह कहीं भी साफ नहीं हुई है। पता नहीं बाद में माननीय राजस्व मंत्री उसको साफ करेंगे या नहीं। गांव में एक आदमी है उसके दस बीघे खेत हैं। एक गांव में ५ बीघे और ५-१० गांव में बाकी ५ बीघे के खेत तो बकिया जगहों पर और काश्तकार रहेंगे और उसकी होल्डिंग्स रहेगी तो उसको एक बीघे पर वह ५ बीघे मिल जायेंगे, इसके लिये क्या है, इसको तो माननीय राजस्व मंत्री जी ही साफ करेंगे।

इसके साथ ही साथ मैं श्री रामनरेश जी शुक्ल के प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं क्योंकि बिल एक बेसिस पर आता है। अगर यह प्रवर समिति में चला जायगा तो इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को इसके विचार करने में काफी समय मिलेगा और सदन का समय भी बचेगा। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को इस हिम्मत वाले काम के लिये बार-बार बधाई दूंगा और आशा करता हूं कि वह इसको इस तरह से चलायेंगे जिससे काश्तकार का ज्यादा से ज्यादा हित होगा।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक इस भवन में प्रस्तुत है उसकी उपयोग्यता सर्व सम्मत है। इसके संबंध में हमारे मंत्री महोदय ने विस्तार के साथ बतलाया है। अब इससे यह निश्चित है कि उत्पादन भी बढ़ेगा अपने देश का और आज जो हमारे देश की बड़ी समस्या है वह उत्पादन की ही है लेकिन अब जब कि चकबन्दी होगी और उनका जो वक्तव्य हुआ उसको मैंने सुना लेकिन मैं यह नहीं जान सका कि यह मैनेजमेंट कमेटी किस तरह से प्रबन्ध करेगी। मेरा यह अनुरोध होगा कि वह सानुपात रूप से हो यानी प्रोपोशनल रिप्रेजेंटेशन से हो, क्योंकि गांव सभायें और पंचायतें एक बहुमत के आधार पर हैं और जो अल्पमत में है उनके खेत खराब हो जायं तो यह एक बड़ी बात होगी। इस तरह से हर एक अल्पमत का इसमें योग मिल जायगा। इस तरह से आपने कहा कि शजरा, खसरा और खतौनी के साथ वह अधिकारी जायगा लेकिन मैं यह नहीं जान सका कि आप फिर रिसर्वे करते हैं या नहीं क्योंकि आमतौर से सब खेतों का रकबा बढ़ गया। इसलिये अगर इस तरह से रिसर्वे कर लें और रिकार्ड आपरेशन भी साथ ही साथ कर लें तब ज्यादा सफलता होगी। मैं समझता हूं कि विधेयक में यदि यह है तो अच्छा है, नहीं तो हमारी प्रवर समिति इस पर विचार अवश्य करेगी और यह भी अच्छा है कि प्रवर समिति में जाय क्योंकि बहुत से किसान भी अच्छे और व्यावहारिक मत दे सकते हैं।

यह सही है जो श्री जयपाल सिंह ने कहा कि खेतिहर मजदूरों का क्या होगा। मैं भी कहता हूं कि इससे सर्वोदय होने वाला है और वही होने वाला है जो हमारे देश के लिये महात्मा गांधी जी ने इच्छा की थी। वह पूर्ण होगी। लोगों के पास जो बड़े-बड़े खेत थे और वह चारों तरफ बिखरे हुये थे और उनकी व्यवस्था करने के लिये दूसरों को देने पड़ते थे। अब चकबन्दी हो जायगी तो उन्हें किसी दूसरे को अपने देने की जरूरत नहीं रहेगी और उन किसानों से खेत भी नहीं निकलेंगे तो वह उसका स्वागत करेंगे और आने वाली सामाजिक क्रांति से भरा हुआ हमारा भारतवर्ष इसका स्वागत करेगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि इन बातों के लिये हमें बड़ा आभारी होना है। जिस तरह से हमने जमींदारी अबालीशन किया है उसी तरह से यह कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स भी होगा। जिसका परिणाम यह होगा कि सब लोग इसके स्वागत की ओर बढ़ेंगे।

एक भाई ने कहा कि किसानों के ऊपर खेतों की वजह से आज प्रेशर ज्यादा हो रहा है और वह उनका काम करते हैं और सबको जीविका नहीं दे सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यवस्था जब आयगी जब आप काम और जीविका की गारंटी देंगे तभी वह लोग अपने खेतों को छोड़ सकते हैं। इसी लिये आज इन्हीं कारणों से एक आदमी अपना एक पैर नौकरी में डाले हैं, एक खेती में फंसाये हैं और तीसरा अपना पैर पान की दुकान में लगाये हैं

[श्री रामजी सहाय]

क्योंकि गवर्नमेंट को उसकी जीविका के लिये कोई रिसपान्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट उसकी जीविका के लिये जिम्मेदार नहीं है। इसलिये मजबूर हो कर उसको यह करना पड़ता है। जब हम एक चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें उन चीजों की भी अन्ततोगत्वा प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)--अध्यक्ष महोदय, चकबन्दी का विधेयक जो आज राजस्व मंत्री की तरफ़ से पेश किया गया है जमींदारी उन्मूलन के बाद यह एक दूसरा बड़ा क्रांतिकारी क़दम है। इससे किसानों की आर्थिक हालत में एक बड़ा भारी सुधार होगा। चाहे वह छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो उसको एक बड़ा भारी लाभ होगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि खेतों में जानवरों के साथ साथ आदमियों के जरिये भी बड़ा भारी नुक़सान होता है। हम अपने गांव में और आसपास के गांव में यह पाते हैं कि बहुत से लोग खेतों में से चारा या दूसरी चीजें काट कर ले जाते हैं। किसान अपने खेत की देखभाल नहीं कर सकता और इसलिये उसको बहुत नुक़सान उठाना पड़ता है। इसलिये एक जगह पर उसको जमीन होने से, चकबन्दी होने से ये तमाम नुक़सान जो जानवरों से और आदमियों से होते हैं वे खत्म हो जायंगे और किसान को बहुत लाभ होगा। किसान के लिये यह भी लाभ होगा कि किसान को अलग-अलग जमींन होने से वक्त ज्यादा देना पड़ता है और वह उतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी कि उसे करनी चाहिये। जब एक जगह पर उसका खेत होगा, वहीं उसकी खाद होगी वहीं मवेशी होंगे, वहां उसकी झोपड़ी होगी तो वह ज्यादा मेहनत कर सकेगा और रखवाली भी ज्यादा कर सकेगा। इस तरह से उसे तीन-चार तरह के फायदे होंगे जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और उसकी माली हालत में काफी सुधार होगा।

इस क़ानून से आगे चल कर एक अन्देशा होता है। एक खतरा किसान के सामने आ सकता है और वह खतरा जो चकबन्दी करने वाले सरकारी कर्मचारी होंगे उनके कारण हो सकता है। बहुत से गांव में जहां पहले क़ानून के मुताबिक़ चकबन्दी हुई है उनमें यह देखा गया है कि बड़े झगड़े पैदा हुये हैं। उनसे किसानों में आपस में बड़ी मुक़दमेबाजी हुई है और किसानों को काफी रुपया खर्च करना पड़ा है। उनकी जमीन की चकबन्दी ठीक से न होने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों पर है। वे लोग आमतौर से गांव में जो बड़े-बड़े जमींदार हैं या गांव का मुखिया है या जिनकी माली पोजीशन अच्छी है उनके यहां ज्यादातर ठहरते हैं, उनके पास बैठते हैं, और सलाह मशविरा करते हैं और उनकी बात को ज्यादा महत्व देते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि जो छोटा किसान है, जो ग़रीब किसान है जिसकी पहुंच उन तक नहीं होती उसे नुक़सान होता है और खराब से खराब चक उसे दे दिया जाता है। आगे चल कर इस बात का खतरा अब भी उसके सामने है लेकिन इस बिल में यह कोशिश की गयी है कि कम से कम करप्शन हो, इस बिल में इस बात की कोशिश की गयी है कि छोटे किसानों को गांव के नजदीक जमींन मिल सके और काफी इस बात के ऊपर विचार किया गया है कि जहां तक हो सके छोटे किसान को अधिक से अधिक लाभ इसमें पहुंचे, लेकिन एक बात जो दिखाई देती है वह यह है कि जब चकबन्दी वहां पर शुरू होगी तो ये आफिसर वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर जो बड़े जमींदार होंगे, उनसे जब उनका ताल्लुक़ पहले से है, आमतौर से दोस्ती होती है और नायब तहसीलदार और दूसरे लोग होते हैं वह अपना ताल्लुक़ उनसे जोड़ेंगे और उसकी वजह से काफी परेशानी और दिक्क़त होगी और छोटे किसान को काफी नुक़सान होने का अन्देशा है। राजस्व मंत्री से और प्रवर समिति के सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि आगे जब सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार होगा तो वह इस बात पर अच्छी तरह से विचार करेंगे और इस तरह के ताल्लुक़ात और मेल-जोल से गांव में बड़े आदमियों के यहां जा कर जो लोग ठहरते हैं जिससे किसानों को हानि होती है उस हानि से बचाने के लिये पूरी-पूरी कोशिश की जाय और खासतौर से चकबन्दी के वक्त सरकारी अफ़सरों को इस बात की हिदायत दी जाय कि किसी व्यक्ति विशेष के मकान पर जा कर न ठहरें। किसी व्यक्ति विशेष के यहां जा कर खाना न खायं, किसी व्यक्ति विशेष

से कोई चीज वह ग्रहण न करें, पंचायतघर में या चौपालों में जहां किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है अपना काम शुरू करें। ऐसा न करने से किसानों में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है। चकबन्दी के लिये किसानों में बड़ा उत्साह है, हर किसान चकबन्दी चाहता है और चाहता है कि जल्द से जल्द वह हो, लेकिन जैसा गांव के किसान कहते हैं और जैसा मैंने अपने यहां के आस-पास के इलाकों में सुना है वे इस बात से डरते हैं कि इस चकबन्दी से अगर किसी को फ़ायदा पहुंचेगा तो ज्यादातर बड़े किसानों को या बड़े जमींदारों को होगा, छोटे किसानों को उससे काफ़ी नुक़सान पहुंचने का अन्देशा है।

इस संबंध में और ज्यादा न कहते हुये सिर्फ राजस्व मंत्री का ध्यान में इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चकबन्दी के विधेयक पर जब विचार किया जाय उस समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि छोटे किसान को जहां गांव के नजदीक जमीन दी जाय वहां एक बात पर और विचार किया जाय कि बड़े किसान के लिये यह कोशिश की जाय गांव से जो दूर जमीन पड़ती हो वह उसको देने की कोशिश की जाय क्योंकि बड़े किसानों के पास बड़ी जमीनें होती हैं एक एक मील तक उनके पट्टे चले जाते हैं और गांव के नजदीक से उनकी जमीन शुरू हो जाती है।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने सुना है कि गांव में दो क़िस्म की जमीन होती है या एक ही क़िस्म की जमीन मानी जाती है, लेकिन किसी हिस्से में पानी है और दूसरे में पानी नहीं है। तो कुछ किसानों में इस तरह की भावना भी है कि वह यह चाहें कि हमें ख़राब जमीन ही चाहे दी जाय लेकिन हमारा एक चक ही हो। तो इस तरह की भी उसमें कोई चीज रखी जाय कि अगर कोई किसान यह चाहे कि वह ख़राब जमीन लेकर भी एक जगह चाहता है दो या तीन के बजाय जैसा कि इसमें कहा गया है कि दो या तीन चक हो सकते हैं तो उसके लिये इसमें एक शर्त रखी जाय कि अगर कोई किसान अपनी खुशी से चाहता हो कि चाहे मुझे ख़राब ही जमीन क्यों न मिल जाय लेकिन एक ही चक हो तो उसका एक ही चक बना दिया जाय।

इतना कहते हुये मैं राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इससे बड़ा भारी परिवर्तन होगा किसान की आर्थिक दशा में और उनका उत्पादन बढ़ाने में और इसके साथ साथ जो आपस में झगड़े और पार्टीबन्दी होती हैं और जो सामूहिक काम करने में कठिनाइयां होती हैं उस तरफ़ भी काफी लाभ पहुंचेगा। मैं तो यह कहता हूं कि इसमें रचनात्मक काम प्लानिंग की तरफ से या सरकार की तरफ़ से किया जायगा, चकबन्दी में उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी। मैं भी यह कह सकता हूं कि इससे एक नैतिक बल भी किसान में बढ़ेगा, वह अपने खेत में ज्यादा मेहनत करेगा। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी को फिर बधाई देते हुये समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर विचार किया जायगा।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फ़रनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस चकबन्दी विधेयक का स्वागत करता हूं और राजस्व मंत्री जी श्री चरण सिंह को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को इस भवन के सामने प्रस्तुत किया। वास्तव में हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत बहुत ही शोचनीय है उनके खातों का जो रक़बा है वह बहुत ही सीमित है और छोटा है और अगर हम १० एकड़ की एकोनामिक होल्डिंग मानें तो ९५फीसदी खाते ऐसे हैं जो अलाभकर हैं। लेकिन अगर साढ़े छः एकड़ को लाभकर माना जाय तो ८५ फीसदी से ऊपर ऐसे किसान होंगे जिनके खाते अलाभकर होंगे। एक तरफ तो उनके खाते अलाभकर हैं और दूसरी तरफ़ उनके खेत बिखरे हुये हैं। अगर एक खेत पूर्व में है तो एक पश्चिम में, यहीं तक नहीं मुख्तलिफ गांवों में भी उनके खेत बिखरे हुये हैं। इस कारण से हमारी पैदावार में बहुत कमी हो रही है। लेकिन ७५ फीसदी हमारी जनता काश्तकारी के कामों में ही लगी हुई है। अगर कोई क़दम उनकी दशा को सुधारने को उठाया जाता है तो वह न्यायसंगत है। मैं यह नहीं मानता कि चकबन्दी से हमारे काश्तकारों की दशा ऊंची हो जायगी या उससे ऐसे खेत बन जायेंगे जिनके ऊपर काश्तकार अपने जीवन का निर्वाह कर सकेगा, लेकिन मौजूदा समय

[श्री केशव गुप्त]
में हम इन खेतों को लाभ कर नहीं बना सकते। वास्तव में यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिन समस्या है क्योंकि दस एकड़ की खेती को लाभ कर मानते हुये यदि हम दुबारा वितरण की समस्या को रखें तो केवल ४० लाख काश्तकारों को भूमि मिल सकेगी और जो काश्तकारों की संख्या एक करोड़ २२ लाख है उसमें से ६०,६५ लाख के क़रीब काश्तकार बिना भूमि के रह जायेंगे और बेकार हो जायेंगे। इसलिये हम समस्या को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जायेंगे। इसलिये मैं यह विश्वास करता हूं कि इस समय यह चीज संभव नहीं है और न यह सरकार ही इस योग्य हो सकेगी कि वह इस वितरण की समस्या को ले सके। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनी मीटिंग में ऐग्रेरियन कमेटी बिठाई तो उस कमेटी ने भी इस बात पर जोर दिया कि दुबारा वितरण की समस्या को देखा जाय। तब भी मौजूदा समय में और मौजूदा शासन में मैं इसे संभव समझ रहा हूं लेकिन कम से कम यह खेतों की चकबन्दी कुछ न कुछ समस्या अवश्य ही हल कर सकती है और मैं आशा करता हूं कि इस चकबन्दी से काश्तकारों की कुछ न कुछ समस्या अवश्य हल होगी। लेकिन चकबन्दी के साथ साथ कुछ दिक्क़तें भी हमारे सामने हैं। अगर पहले के खेतों के इतिहास को देखा जाय तो हमें यह पता चलेगा कि खेती करने का आरंभ चकों से ही हुआ, चकों में ही खेती आरंभ हुई, लेकिन बाद को जब उनका बटवारा हुआ तो एक पूर्व को गया और दूसरा पश्चिम को और तीसरा उत्तर को गया और इस प्रकार से खेत अलग अलग हो गये लेकिन उनका आरंभ चकों में ही हुआ। चकबन्दी से शुरुआत हुई लेकिन विरासत के कानून आ जाने के कारण चकबन्दी में तरमीम होती चली गयी और आज भी यही दशा हो सकती है वे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जायंगे। तो आज अगर हम चकबन्दी कर देते हैं, लेकिन हमारे दूसरे कानून ऐसे हैं जिनके द्वारा तकसीम होते होते वही दशा हो सकती है जो हमारी आज है। हमने एक भूमि व्यवस्था कानून बनाया है जिसमें काश्तकार को हिबा करने और बयनामा करने का हक़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--क्या आप अभी और ज्यादा बोलना चाहते हैं?

श्री केशव गुप्त--जी हां।

मालमंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के बारे में पहला प्रस्ताव बराबर इसको चलाने का है लेकिन मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको कल न ले कर अगर परसों जारी रखा जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, परसों हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बाहर जाने वाले हैं। इसलिये परसों से न होकर मंडे से हो तो मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति न होगी।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं बात यह है कि क़रीब-क़रीब दो तीन आदमी ही बोलने वाले हैं। अगर आज ही समय बढ़ा दिया जाय तो क्या बात है? थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाय तो यह आज ही ख़त्म हो सकता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--अगर बोलने वाले नहीं होंगे तो बहुत जल्दी हो जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री--मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशव गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अब जब कि जमींदारी विनाश कानून के अन्दर हमने काश्तकारों को बैनामे करने का अधिकार दिया है, अभी तक वसीयत का क़ानून जारी है और अभी तक तकसीम का क़ानून भी हमने माना है हालांकि उस कानून के अन्दर सवा ६ एकड़ की सीमा तय कर दी गयी है। आज रजिस्टरी आफिसेज के अन्दर जाकर देखें तो पता चलेगा कि काश्तकार लोग धड़ाधड़ बैनामे अपनी भूमि के कर रहे हैं, जमीन एक हाथ से निकल कर दूसरे हाथ में बराबर चली जा रही है। इसलिये चकबन्दी करते हुये अगर यह कानून जारी रहा और काश्तकारों को अधिकार रहा कि वे अपने खेत बेंच सकेंगे, या वसीयत कर सकेंगे, गिफ्ट कर सकेंगे और टुकड़े टुकड़े में नीलाम करने के अधिकार रहें तो चकबन्दी करने का जो उद्देश्य है तथा जो पांच वर्ष की मेहनत से यह चीज की गयी है वह चकबन्दी बे चकबन्दी में तब्दील हो जायगी। इसलिये मैं इस बात की चेतावनी करना चाहता हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे चकबन्दी के क़ानून में इस प्रकार की भी रोकथाम रखें जिससे आयन्दा जा कर यह चकबन्दी टूट न जाय और आगे चल कर उससे जो लाभ सूबे को होने वाला है वह लाभ न पहुंच सके। मैं यह भी मानता हूं कि जहां चकबन्दी में बहुत कुछ लाभ है वहां अलाभ भी है, जैसा कि हमारे माननीय श्री राम कुमार शस्त्री जी ने कहा कि मुमकिन है असिस्टेंट कलेक्टर चूंकि नायब तहसीलदार के पद के होंगे उनसे कुछ नुकसान पहुंचने की सम्भावना रहे और शायद कुछ अन्याय हो। यह भी सम्भावना है। अगर पूरा चक का चक तब्दील हो जाय तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन बावजूद इन तमाम बातों के भी जैसा कि श्री रामकुमार जी ने कहा चकबन्दी में लाभ ही है। बावजूद इसके कि कहीं कहीं अन्याय भी होगा इस चकबन्दी से मैं समझता हूं कि सभी जनता का भला होगा, देश का भला होगा, प्रान्त का भला होगा, खेती की पैदावार बढ़ेगी, और यही कारण है कि इस क़ानून में परिवर्तन होने जा रहा है। इस लिये इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और अन्त में फिर माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कानून को हमारे सामने पेश किया।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जमीन का बिना माकूल बटवारा किये अगर यह चकबन्दी कानून लागू किया गया तो यह सफल नहीं होगा। तो यह बुनियादी तौर पर सन्देह है कि जो कुछ कार्य यह सरकार कर रही है उससे देहात के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक बात आप देखें कि एक आदमी जो भूमि से जीविकोपार्जन करता है उसकी ५ बुनियानी मांगें होती हैं। पहले तो यह कि जमींदारी प्रथा का खात्मा हो। दूसरी यह कि खेती की चकबन्दी हो। तीसरे उसकी सिंचाई का पूरा इंतजाम हो। अच्छा बीज और अच्छे खाद का इन्तजाम हो। जहां तक जमींदारी उन्मूलन का संबंध है उसका आज विषय नहीं है और उस पर काफ़ी विवाद हो चुका है लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार ने जो भूमि व्यवस्था या भूमि सुधार व्यवस्था लागू की है उससे देहात से संबंधित जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा पहले था वैसे ही रह गया है। शोषण में भी कोई बुनियादी तौरपर फर्क नहीं है। केवल उनके प्रकार, रूप और नाम में परिवर्तन हुआ है। हमारे इस देश में लाखों खेतिहर मजदूर ऐसे हैं कि जो ग़रीब किसान हैं और जिनके पास केवल नाम मात्र को जमीन है। उनके लिये यह चकबन्दी कानून क्या फ़ायदा करेगा, यह मैं माननीय मंत्री जी की स्पीच से समझ नहीं सका। यह कानून इस प्रकार का होगा कि जैसे एक लंगड़े आदमी के दरवाजे से एक बढ़िया सड़क निकाल दी जाय। यह बेचारा लालच में आकर सड़क पर सब मोटर और सवारियों को और आदमियों को चलते देखा करेगा लेकिन वह उस सड़क का प्रयोग नहीं कर सकेगा। इस कानून के लागू होने से जहां तक फायदे का संबंध है यह उसी तरह से होगा। मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत हूं कि इससे फायदा होगा लेकिन केवल उन लोगों के लिये फायदा होगा जिसके पास जमीन है और जिनके पास खेत है। उनके लिये इससे कोई फायदा नहीं होगा जिनके पास खेत नहीं है, जो बिना जमीन वाले किसान हैं उनके लिये इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनकी संख्या हमारे प्रदेशमें दो तिहाई के लगभग है।

[श्री झारखंडे राय]

दूसरी बात यह है कि इस कानून के लागू होने से एक बात जरूर है कि कानून बनाने वालों का जो इरादा है वह जरूर सिद्ध होगा। मौजूदा सरकार के जो समर्थक हैं उनका एक वर्ग देहात में पैदा हो जायगा। जो बड़े किसान हैं या जो मंझले किसानों में ऊपर के स्तर के हैं उनको इससे फायदा होगा और वह इस मौजूदा सरकार के समर्थक होंगे। उनकी पैदावार जरूर बढ़ेगी। उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी। लेकिन ऐसे लोगों की तादात देहात में बहुत कम है और उनका बहुत कम प्रतिशत है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस कानून के लागू होने से इस कानून के बनाये जाने से और हमारे प्रदेश के अन्दर लागू होने से वहां के खेतिहर मजदूरों का, गरीब किसानों का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा केवल ऊपर के स्तर के लोगों का और बड़े किसानों का होगा। इससे मौजूदा सरकार का समर्थन करने वाला एक वर्ग पैदा हो जायगा।

जहां तक इस चकबन्दी कानून के बुनियादी फायदे या लाभ का सवाल है जिसका ज़िकर माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में किया है उससे किसी की दो राय नहीं हो सकती हैं लेकिन उसके पहले यह जरूरी है कि एक समुचित आधार पर जमीन का बटवारा फिर से किया जाय और उसके बाद यह कानून लागू किया जाय तो देहात के रहने वाले और खेती करने वाले व्यक्तियों का लाभ हो सकता है। उनके लिये यह भी ज़रूरी है कि उनकी जो ५ मांगें हैं कि उनको ज़मीन मिले, उसके लिये सामान मिले, सिंचाई का इंतजाम हो, खेती की चकबन्दी हो, अच्छा बीज मिले और अच्छे खाद का इन्तजाम हो तो तब यह चकबन्दी कानून लागू किया जाय तो उससे लाभ हो सकता है। लेकिन लंगड़ी भूमि व्यवस्था के लागू होने के बाद और लंगड़ी चकबन्दी व्यवस्था के होने के बाद जो देहात की समस्या है वह तो जैसी आज है केवल वैसी ही रह जायगी केवल उसके प्रकार और रूप में फर्क पड़ जायगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ्फरनगर)--माननीय चेयरमैन महोदय, जहां तक कि इस कानून का संबंध है मैं अपने राजस्व मंत्री जी को उसके लिये बधाई देता हूं। जैसा कि अभी बहुत से सज्जनों ने कहा कि जब कभी भी हम चुने हुये लोग देहात में जाते हैं तो सबसे पहले वहां लोग यानी एलेक्ट्रेट पूछते हैं कि वह चकबंदी का कानून कब आ रहा है। हमारे सूबे के लिये यह बहुत अच्छा सुवर्ण अवसर है कि आज हम इस कानून को यहां देख रहे हैं। कई बातें इस कानून के संबंध में लोगों ने उठाई हैं। सब से पहली बात तो उन लोगों के बारे में कही गई कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको कोई लाभ नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि इस कानून से केवल काश्तकारों का ही लाभ न होगा बल्कि ऐसे लोगों का भी लाभ होगा कि जिनके पास भूमि नहीं है। इसके लिये एक बात इसमें बड़ी मार्मिक रखी गई है। वह यह है कि ले आउट में सारे कामों के लिये अलग ज़मीन का प्रबंध किया गया है। इसलिये वह आदमी जिनके पास ज़मीन बिलकुल नहीं है, उनके मकान के लिये, चरागाह के लिये, रास्ते के लिये, स्कूलों के लिये जमीनें मिल सकेंगी तो यह लाभ केवल उन किसानों को ही नहीं होगा जिन के पास जमींने हैं बल्कि उनको भी होगा कि जिनके पास जमींने नहीं हैं, इसलिये उनको भी चिन्ता नहीं होनी चाहिये, जिनके पास जमीनें कम हैं या बिलकुल नहीं हैं।

दूसरी एक और थोड़ी सी कमी मैं इसमें देख रहा हूं वह यह है कि जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको ऐसी जगह दी जायगी जो उनके लिये सब से ज्यादा लाभकर हो, जैसे गांव के पास की जमीन लेकिन मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ यह भी विचार रखना चाहिये कि इन सब छोटे छोटे काश्तकारों को जहां तक मुमकिन हो एक ही जगह जमीनें दी जायं। इसका लाभ यह होगा कि अगर उनको एक जगह ही जमीन मिलेगी तो वह सब लोग अगर इकट्ठा हो कर, अच्छे दिन आते हैं तो, खेती कर सकेंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और दूसरी बात इस में यह भी है कि आफिशियल एजेंसी द्वारा यह चकबंदी कराई जायगी। लैन्ड मैनेजमेंट कमेटियों की जो हालत है उसको देखकर तो मुझे डर सा लगता है। अगर नायब तहसीलदार के स्तर के लोग चकबंदी का काम करते हैं जो कि एक बुनियादी

काम है और शुरुआत का काम है उनके द्वारा कराना जरा खतरे की सी बात मालूम होती है। इतने छोटे स्तर के लोगों को इतना बड़ा काम देना जब कि जमीनें हमेशा के लिये इधर उधर पलटी जा रही हैं, खतरे से खाली नहीं है और खास कर ऐसी हालत में जब कि हमारे यहां भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी और प्रवर समिति के सामने यह विचार रक्खूंगा कि वह इस बात का ध्यान रक्खें। एक तरह से तकसीम की सी बात होगी जैसे लोग तकसीम में कहा करते थे कि जमीन की दोबारा खरीदारी सी होती है। उस वक्त बीच के लोग जो अमीन वगैरह होते थे वह घर भर लेते थे। ऐसा अब न होना चाहिये। इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिये और ऐसा न हो कि फिर वही चीजें चलें और बजाय नफे के और नुकसान हो जाय।

एक और कमी इस कानून के अन्दर नजर आती है वह यह है कि इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर किसान आपस में अपनी चकबंदी खुद करना चाहें तो इसमें उन लोगों के लिये कोई खास प्रबंध नहीं है। इस तरह की व्यवस्था होना आवश्यक है कि जो लोग अपनी चकबंदी स्वयं चाहें उनको पूरा मौका रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस से सरकार को भी लाभ होगा और उन लोगों का भी नफा होगा और तीसरी बात हालांकि वह इस कानून से संबंध नहीं रखती, मगर मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिन इलाकों में पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर भी जब कि वहां चकबंदी हो रही है ट्यूबवेल वगैरह की चकबंदी करे तो मैं समझता हूं कि वह दिक्कत जो कि आज हमारे सामने नजर पड़ती है कि छोटे छोटे गांव की तरफ वालो या अच्छी जमीन लेने की कोशिश करें मगर अगर ऐसी व्यवस्था कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हो जाय, कुछ थोड़ा बहुत सामान या बिजली मिल जाय तो मैं समझता हूं कि बड़े बड़े काश्तकार, बड़ी जमीनों को जो वैलुएशन के हिसाब से मिलेंगी जिसको दूसरे लोग लेना कम पसंद करेंगे जिसको छोटे काश्तकार अच्छी तरह से डेवलप भी नहीं कर सकेंगे वह बड़े काश्तकार ले लेंगे। इस चीज का गवर्नमेंट को पहले से ही ख्याल रखना चाहिये जिस वक्त वह चकबंदी करने के लिये किसी इलाके में जाते ह।

एक दूसरी बात जो अभी माननीय केशव गुप्त जी ने सदन के सामने रखी है मैं समझता हूं कि वह भी एक काबिले गौर बात है कि अगर चकबंदी हम कर भी लेते हैं तो आइन्दा चल करके ऐसा समय आ सकता है कि वह चकबंदी फिर से टूट जाय। तो जब तक कि ऐसी व्यवस्था हमारे गांवों में न हो कि जो चकबंदी हमने की है वह बहुत अर्से तक स्थायी रह सके या कमसे कम उस समय तक स्थायी रहे जिस समय भाई भाइयों में या, बाप के बच्चों में जब कि वह जमींन विरासत में मिलती है, तो चक फिर से बंट जाता है।

एक बात और है। इसमें जो बाग को चकबंदी में न आने की व्यवस्था रखी गयी है वह एक प्रकार से तो बहुत अच्छा है। मगर मैं समझता हूं कि उसके साथ साथ यही व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर कोई किसान यह समझे कि मेरी जमीन तो इधर रहेगी जिधर मेरा बाग है और वह बाग को चकबंदी के साथ बदलना चाहता है। तो उसके लिये यह व्यवस्था करनी चाहिये कि अगर किसान चाहें तो बाग भी बदल सकते हैं। मैं समझता हूं कि दो चार सुझाव मैंने रखे हैं, शायद प्रवर समिति के सदस्यों को लाभकारी साबित होंगे।

मैं फिर माननीय मंत्री जी को इसके अच्छे कानून के लिये बधाई देता हूं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज सदन के सामने चकबंदी का महत्वपूर्ण बिल पेश है। स्वाती नक्षत्र कन्यावाणी वर्षा के लिये जैसा पपीहा हर समय ध्यान रखता है और चाहता है कि वह उसी प्रकार हमारे प्रदेश के

[श्री रामदास आर्य]

क्या, सारे देश के किसान वही नजर रख रहे थे कि अब वह कन्यावाणी बारिश होगी जिससे हमें लाभ होगा।

कन्यावाणी बारिश से दो लाभ होते हैं। यदि केले में पड़ जाती है तो कपूर हो जाता है और अगर सीप में पड़ जाती है तो मोती हो जाती है, अगर यह चकबंदी की योजना सही मानों में इस्तेमाल होगी कि मोती बनेगी और सारे देश में इससे लाभ होगा। यदि दूसरी जगह पड़ जाती हैं तो वही हश्र होगा जैसा कि केले में पड़ कर कपूर। तो मुझे आशा है कि यदि प्रवर समिति में इस पर गम्भीर तरीके से विचार होगा तो जो कमियाँ इस बिल के अन्दर हैं वह भी दूर हो जायंगी। आज हमारे माननीय सदस्यों ने इस प्रकार अपने विचार प्रकट किये हैं, यूं तो हमारी किसी की भी दो राय नहीं कि यह बिल जो हमारे सामने है इसमें किसी भी प्रकार की देरी हो बल्कि सभी यह चाहते हैं कि यह शीघ्र लागू हो।

किसी योजना को कार्यान्वित करने में सबसे पहले जनता का सहयोग अत्यावश्यक है। पूज्य गांधी जी ने जब भी कोई स्कीम चलाई तो सबसे पहले जनता का सहयोग लिया। जनता का सहयोग और उसकी राय तो हमें यह हासिल है कि वह चाहते हैं कि चकबंदी हो। किन्तु उसमें इतना और कर दिया जाय कि जहां वह स्वयं चकबंदी कर सकें वहां उसमें सहायता दी जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में जहां चकबंदी का जिक्र है वहां यह भी जिक्र है कि ज्यादा से ज्यादा एक किसान कितनी जमीन रख सकता है। जब उस में यह है और यदि उस मिकदार से ज्यादा जमीन इस चकबंदी में आ गयी तो ऐसा मुझे संदेह है कि अभी चकबंदी के कायदे कानून के मुताबिक यदि उस में पेवस्त न हुआ, शामिल न किया गया तो कभी गड़बड़ी न बढ़ जाय। तो इस पर भी मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति अवश्य विचार करेगी।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि यहां इसमें किसानों के लाभ के लिये तो यत्न करने की कोशिश की गयी है लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, यानी आम जनता के लिये भी इसमें कुछ सुविधायें रखी गयी हैं। इसके लिये तो मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं, किन्तु उसमें कहना मुझे यह है कि जहां जितनी आबादी हो और जितनी जमीन उस गांव में हो उसी का विचार रखते हुये रहने की जमीनों का प्रबंध अवश्य किया जाय। क्योंकि गांव में अधिकतर लोगों को रहने की बहुत भारी दिक्कत और परेशानी है। मवेशियों की तरह से अभी वह गांव में रह रहे हैं। तो आपका जो प्लानिंग है जिसमें तालाबों का, रास्तों का, चरागाहों का जिक्र है वहां इसकी भी सुविधा देनी चाहिये जिससे आम जनता को अधिकतर फायदा हो और जो आबादी आगे गांव में जाय वह आदर्श गांव की तरह से बसाई जाय, यह नहीं कि जहां जिसकी मर्जी आये वहां हमको बसा दिया और जो हमारा आदर्श पंचवर्षीय योजना का है उसके प्लान में फर्क पड़े।

मुझे इस संबंध में यह भी कहना है कि इसमें जो प्रबंधक कमेटी की योजना बनी है वह मुझे दिखाई नहीं पड़ती है कि किस प्रकार की कमेटी होगी। उसके अधिकार क्या क्या होंगे, वह बन गयी है या नहीं या बनने वाली है, या उसकी शक्ल कैसी होगी और यदि वह बन चुकी है तो फिर उसमें तरमीम हो सकती है। तो मैं उसके संबंध में इतना ही विचार रखता हूं कि वह गांव की सम्मति से, गांव की राय से बने, ताकि सब लोगों की जो चकबंदी होने जा रही है, एतराज का मौका न मिल सके।

आज खुशकिस्मती है हमारे प्रदेश की कि हम अपने प्रदेश की सारी जनता और अपने किसानों की भलाई के लिये इस कानून को बनाने जा रहे हैं।

आज ऐसा कार्य जैसा कि भूमि व्यवस्था बिल का हुआ है और किसी जगह नहीं हुआ। जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था बिल के बाद आज दूसरा कानून जो माननीय राजस्व मंत्री जी बनवाने जा रहे हैं वह चकबंदी का है। सारा देश, सारा प्रदेश इसकी तारीफ करेगा यदि यह सब के लिये लाभदायक साबित हो गया। मैं समझता हूं और आशा करता हूं कि इस बिल के अन्दर उन गरीबों उन भूमिहीनों लोगों को बहुत काफी इसमें सुविधायें मिलेंगी जिसके लिये वह इच्छुक रहे। और राजस्व मंत्री जी का हृदय हमेशा उदार रहा चाहे लोगों का खयाल कैसा ही रहा। लेकिन फिर भी मेरा तो पूर्ण खयाल यह है कि उन के नेतृत्व में, उन गरीबों को, उन लोगों को जो भूमिहीन हैं और गरीब हैं इस चकबंदी में स्थान मिलेगा और उनकी वह दिक्कतें और परेशानियां दूर होंगी जिनके लिये वह इच्छुक हैं। मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही जो श्री रामनरेश शुक्ल ने प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को एक प्रवर समिति में भेजा जाय उस का भी समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ इस बिल पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जायगा और जो विचार इस में आयेंगे उनमें से जो लाभदायक हों उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मही लाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय सदन में प्रस्तुत है उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ इतना कह देना आवश्यक समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार जमींदारी विनाश अधिनियम बनाकर किसान वर्ग को एक शोषक वर्ग से मुक्ति दिलायी है उसी प्रकार यह विधेयक भी किसानों के लिये विशेष रूप से कल्याणकारी होगा और इसके लिये हमारे प्रांत का किसान वर्ग माननीय मंत्री महोदय का सदा आभारी रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय एक असंगत बात कहने के लिये क्षमा चाहता हूं। जहां तक प्रांत के किसानों का संबंध है वह सब का सब माननीय मंत्री महोदय की कृपा और योग्यता से पूर्ण लाभान्वित हो चुका है। परन्तु प्रदेश का भूमिहीन वर्ग जो आज गांव में रहता है वह माननीय मंत्री महोदय की ओर दया भरी दृष्टि से देख रहा है कि निकट भविष्य में ही माननीय मंत्री महोदय कोई इस प्रकार का विधेयक बनायेंगे या इस सदन द्वारा स्वीकार करायेंगे जिस से इन भूमि हीन लोगों को जो देहातों में रह कर पशुवत जीवन बिता रहे हैं, आराम होगा और वह समझेंगे कि स्वराज्य पेड़ से उतर कर नीचे आ गया है जैसा कि माननीय उप मंत्री श्री फूल सिंह जो अपने भाषण में कहा करते हैं कि अभी देहात की जनता को पूर्ण स्वराज्य नहीं मिला है और वह आकाश से गिरकर पेड़ पर टिका हुआ है। सचमुच जहां तक किसान वर्ग का संबंध है वह धीरे-धीरे स्वराज्य का आनन्द चख रहा है और स्वराज्य मिलता जा रहा है परन्तु भूमिहीन ग्रामवासी वर्ग अभी स्वराज्य से कोई लाभ नहीं उठा रहा है और यदि मैं यह भी कह दूं तो अतिशयोक्ति न होगी ....

श्री अध्यक्ष---इसका जिक्र करना ठीक नहीं है। आप अधिक इसके ऊपर न जायं।

श्री मही लाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं अधिक दूर निकल गया था। जहां तक इस बिल का संबंध है, सभी माननीय सदस्यों ने इसकी मांग पर प्रकाश डाला है। इस में संदेह नहीं कि कई प्रांत के किसान यह आशा लगाये बैठे थे कि कितने शीघ्र हमारे लिये चकबंदी का विधेयक आने वाला है। एक बात तो मुझे माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना के रूप में कहनी है कि उन्होंने अपने भाषण में यह स्पष्ट नहीं किया कि पूरे प्रांत के किसान कितने समय में इससे लाभ उठा सकेंगे। विधेयक में तो इस बात का जिक्र आ नहीं सकता था परन्तु मैं ऐसा समझता था कि माननीय मंत्री महोदय यह अपने भाषण में अवश्य बतलायेंगे कि हमारी सरकार कितने समय में यह इरादा रखती है कि वह प्रांत में चकबंदी कर देगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में भी अपने विचार प्रकट करेंगे।

[श्री मही लाल]

दूसरी बात मुझे छोटे किसानों की तरफ से विशेष रूप से बधाई देने के संबंध में कहनी है। इस संबंध में जो केवल छोटे किसानों के लिये उन्होंने व्यवस्था की है उनकी ओर से ऐसी आशा थी और ऐसा ही भरोसा छोटे किसानों को उनके ऊपर रहा है कि वह उनके लिये इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। इसके लिये वह बहुत ही विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। यह बात मुझे इसलिये कहनी पड़ी कि हमारे माननीय सदस्य श्री गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि छोटे किसानों के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। साथ ही साथ मैं उन के संबंध में थोड़ा सा कह दूं जो कि नदियों के किनारे रहते हैं और जिनकी भूमि नदियों की कृपा पर निर्भर रहती है। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि सौभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से कहिये, मैं ऐसे ही स्थान का रहने वाला हूं जो बिल्कुल रामगंगा नदी के किनारे पर है और जहां रामगंगा नदी की बाढ़ के कारण कभी भूमि गंगा के इस पार आती है और कभी उस पार जाती है। इसके कारण किसानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो लोग भूमि को नापते हैं उनकी, कैसे कैसे प्रत्येक से किसानों को खुशामद करनी पड़ती है और यदि मैं यह भी कह दूं कि इसके लिये उन्हें नजर और भेंट भी देनी पड़ती है तो अनुचित न होगा। अब स्थायी रूप से केवल एक ही बार अपने खेत को नपवाने का मौका मिल जायगा और आज जो हम अपने १०, ५ खेतों को बार-बार नपवाते हैं और उसके लिये भोले-भाले किसानों को बार-बार नजर और भेंट देनी पड़ती है उससे उन्हें छुटकारा मिल जायगा। इस संबंध में मैंने यह बात इसलिये और भी कही है कि भविष्य में जहां सरकार स्थानों का चुनाव करने जाय तो मैं यह मांग करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस प्रकार के स्थानों का पहले ध्यान रखा जाय।

एक बात जिसका कि इस विधेयक में जिक्र है उसके संबंध में भी मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता समझता हूं कि जहां तक खेतिहर मजदूरों का संबंध है उनके लिये भविष्य में भूमि व्यवस्था तो होगी वह जल्दी हो या देर में हो, प्रांत में क्या पूरे देश में भूमि वितरण की समस्या है और इस पर समाज को विचार करना ही है, वह चाहे अब किया जाय या कुछ दिन बाद किया जाय परन्तु नेक काम जितनी भी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। हम इस विधेयक में केवल इस प्रकार की व्यवस्था के लिये मांग करेंगे कि जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं एक घर में चार-चार कुटुम्ब रहते हैं और उनकी खाने की समस्या छोड़िये तो एक मकान की समस्या ऐसी है जो कि इस विधेयक द्वारा आसानी से हल हो जायगी। जहां भूमि का पुनः प्रबंध होगा वहां उस गांव की आबादी का हिसाब लगाते हुये और ग्राम में जो एक भूमि प्रबंधक कमेटी बनी है उसके परामर्श से उस ग्राम की आबादी के लिये कुछ भूमि रख दी जाय तो अच्छा होगा और मैं इस काम को बहुत आवश्यक और जरूरी समझकर प्रवर समिति के सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे इसे संशोधित करते समय इस बात का ध्यान रखें और इस कार्य में माननीय मंत्री महोदय को पूरा पूरा सहयोग अपनी ओर से दें।

जहां तक सहयोगी चकबंदी अधिकारियों का संबंध है, उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि हमारी इच्छा है कि इन पदों पर नायब तहसीलदार नियुक्त किये जायें क्योंकि वे ही लोग इस काम के लिये उपयुक्त हो सकते हैं। तो इस नियुक्ति के मामले में किसी को आपत्ति नहीं है क्योंकि व्यक्ति जो कल बेईमान था वह आज ईमानदार भी हो सकता है या जो पहले ईमानदार था वह बेईमान भी हो सकता है। फिर भी मैं यह प्रार्थना करना आवश्यक समझता हूं कि ऐसे नायब तहसीलदार जो कि पहले पटवारी या कानूनगो थे, वे उसमें न रखे जायं इन लोगों के हाथ में सरकार यह काम न दे, इसलिये कि इतनी जल्दी इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो कल तक पटवारी या कानूनगो थे अगर उनको इतनी जल्दी यह अधिकार दे दिये जायं, तो वे किसानों के लिये खराबी ही पैदा करेंगे। इसलिये इसमें विश्वास के आदमियों को माननीय मंत्री जी नियुक्त करें।

एक बात ओले गिरने के संबंध में कही गई कि इसकी भी सम्भावना है। तो मैं कहता हूं कि यह एक बिल्कुल दूसरी बात है और लोग खुद इसे देख सकते हैं। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि वह इस विधेयक में उन भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों को जो कि गांव में रहते चले आये हैं, और जिनके पास कि जमीन जोतने के लिये नहीं है, उनका भी अवश्य कुछ प्रबंध करेगी।

श्री कमला सिंह (जिला ग़ाज़ीपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जो प्रश्न है वह उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपना नाम सेलेक्ट कमेटी से वापस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--इसके एवज में क्या आप कोई दूसरा नाम पेश करेंगे?

श्री रामनरेश शुक्ल--मैं श्री रामकुमार शास्त्री जी का नाम रखना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुझे विश्वास था कि इस विधेयक का इस सदन ने बड़ा हार्दिक स्वागत किया और मुझे यह जानकर खुशी हुई। मैं यहां जो २ आपत्तियां उठाई गयी हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो भूमिहीन लोगों के सिलसिले में कही गयी कि इस विधेयक से कोई लाभ, यह जब अधिनियम बन जायेगा, नहीं होगा। यह तो बिलकुल ठीक है कि भूमि हीन लोगों को इस विधेयक या अधिनियम से कोई जमीन नहीं मिलेगी और चकबन्दी का मतलब यह है कि जिन लोगों के पास आज जमीन है, उनके खातों में चकबन्दी की जायगी और जिनके पास नहीं है उनके लिये कोई सवाल ही नहीं होता। लिहाजा भूमि हीन लोगों को इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है, यह मुझे तस्लीम है। लेकिन जैसा कि माननीय मही लाल जी ने कहा कि भूमिहीन लोगों को भी जिनके पास अभी तक भूमि नहीं है, उनको भूमि रखनी चाहिये। तो यह उनकी इच्छा है और वे लोग ऐसा कर सकते हैं लेकिन इस तरह से भूमि हीन लोगों को इस विधेयक के द्वारा कोई भूमि नहीं दी जा सकती है। इसमें दो रायें हैं। जहां उद्योग धंधे काफी होते हैं वहां लोग इसको नहीं करेंगे और उद्योग धंधों की तरफ बढ़ेंगे। उद्योगों में काम करने वाले २२ देशों के आंकड़े मंगाये गये हैं, तो इससे यह बात पता चलती है कि जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं और जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो उनके मुक़ाबले में उनकी आमदनी ४ गुना ज्यादा है इसलिये जिन जिलों में कार-खाने हो गये हैं वहां खेतिहर मजदूर नहीं मिलते हैं क्योंकि कारखानों में ज्यादा मजदूरी मिलती है। जर्मनी के पश्चिम प्रान्त राइन लैंड में जहां इंडस्ट्रियालाइजेशन बहुत है वहां भी किसानों की खेती पर मजदूरी के तौर पर काम करने वाला कोई आदमी नहीं है। जहां कारखाने ज्यादा वहां जो लैंडलेस लोग हैं वे कारखानों में चले जाते हैं। इंगलैंड में भी यही दशा है कि जमीन खाली पड़ी हुई है, लोग फैक्ट्रियों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, उद्योगों में जाते हैं, खेती करना पसन्द नहीं करते हैं। पिछली लड़ाई के जमाने में गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की कि जो जमीन खाली पड़ी है उसमें खेती करायी जाय। इस प्रकार जितनी उनकी जरूरत थी उसका ७० फीसदी वे मीट कर पाये। लिहाजा सब लोगों को जमीन बांट दी जाय और उससे देश का हित होगा यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह ठीक है कि हर आदमी चाहता है कि जमीन मिल जाय और अगर जमीन मिल जाय तो वहां तक ठीक है, लेकिन अन्ततोगत्वा देश का इससे लाभ होगा। इसमें मेरी अपनी राय है किसी को नहीं होगा। दूसरी राय भी हो सकती है कि हर आदमी को भूमि मिले। यह हमारे आचार्य विनोवा भावे

[श्री चरण सिंह]

जी का मत है और वे इसका बड़ा प्रचार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी उनकी स्कीम है और बड़ा अच्छा यज्ञ है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। लेकिन इसमें जरूर दो रायें हो सकती हैं कि अगर सभी लोगों के पास भूमि होगी तो इसमें लाभ होगा या हानि होगी? इसके अलावा मान लो कि भूमि देनी चाहिये तो जमीन है कहां? जिनके पास आज जमीन है उनके लिये माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि ७० फीसदी के पास नाकाफी जमीन है, अगर्चे उनके आंकड़े मैं तस्लीम नहीं करता हूं। आंकड़े यह बतलाते हैं कि हमारे यहां ४८ फीसदी किसान परिवारों के पास सवा छै एकड़ से कम भूमि है और ५२ फीसदी के पास सवा छै एकड़ से ज्यादा भूमि है। फिर भी ४८ फीसदी के पास अलाभकर जोत है, तो जमीन आये कहां से?

इसके बाद भूमि वितरण का राग अगर्चे पुराना हो गया है लेकिन जब माननीय गेंदा सिंह और माननीय झारखंडे राय जी बोलने के लिये खड़े होते हैं तो हमें पूरी उम्मीद हो जाती है कि भूमि वितरण का राग किसी न किसी रूप में जरूर अलापा जायगा। जिन लोगों के पास ज्यादा भूमि है उनसे अगर आप ले भी लें, तो भी कितनों को भूमि मिल जाती है। मैं समझता हूं कि भूमिहीनों को तब भी नहीं मिलती है क्योंकि जिनके पास लाभकर जोत हैं उनको देना चाहिये या सब को अलाभकर कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि ऐसा करने की किसी की भी राय नहीं होगी। फिर भी इस देश के लिये अन्ततोगत्वा यह लाभकर है या नहीं और हमारे पास भूमि है या नहीं, इन सब बातों के होते हुये भी जितना यह गवर्नमेंट कर सकती थी भूमिहीन भाइयों को लिये उतना कर दिया, और किसानों के लिये जितना हो सकता था उतना कर दिया और जो बाक़ी है उसके लिये कोशिश की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाज़त से यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं और वह बात बिलकुल जाहिर भी है लेकिन फिर उनको दोहराना चाहता हूं कि जितना भूमि हीनों के लिये कर सकते थे उतना किया और वह यह कि आज जितनी जमीन अनकल्टीवेटेड पड़ी है उसको हमने गांव समाज को दे दिया है। जो जमीन आगे खाली होगी और पट्टे पर उठेगी वह भी गांव समाज के पास आ जायगी। इस तरह जो जमीन आज खाली है और जो जमीन आगे खाली होगी उसके लिये हमने यह रखा है कि वह पहले खेतिहर मजदूरों को दी जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा और किस प्रदेश में हुआ है। जितना मौजूदा स्थिति में मुमकिन था उतना हमने भूमिहीन भाइयों के लिये कर दिया। अगर और कोई तरकीब हो सकती हो जिससे सूबे के ओवर आल इंट्रेस्ट्स सम्पादित होते हों और मेरे दोस्त उसको रखें, तो मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट को और जिस पार्टी की यह गवर्नमेंट है उसको मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।

एक बात शायद श्री सत्य सिंह राणा ने कही। वे इस वक्त हैं नहीं, शायद चले गये हैं, और वह बात यह थी कि हर जगह इस कानून को लागू नहीं करना चाहिये, बल्कि जहां किसान चाहते हों वहीं लागू करना चाहिये। तो अगर यह बात है कि किसानों की राय ली जाय कि किसी गांव के चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो इसमें मैं समझता हूं कि बड़ी मुश्किल होगी। अगर मान लिया कि ५१ आदमी कहते हैं कि चकबन्दी होनी चाहिये और ४९ आदमी कहते हैं कि नहीं होनी चाहिये तो इससे सब का मंशा हल नहीं होता। एक बात और है कि बिल की बेसिस यह है जैसा कि हम सब लोगों को तस्लीम है कि आज किसानों की मांग है और यह उनके इन्ट-रेस्ट में है, आमतौर पर किसान चाहते हैं यानी ८० फीसदी चाहते हैं और २० फ़ीसदी अड़चन डालने वाले हैं और सर्वसम्मति से चकबन्दी किसानों के हित में है इसकी बाबत दो रायें नहीं हो सकतीं। इसके अलावा नुमायन्दों की राय भी है कि चकबन्दी होनी चाहिये।

तीसरी बात माननीय शिवकुमार जी ने कही कि इसकी बेसिस क्या होगी, आया रक़बा होगा या वैलुएशन होगा? स्टेटमेंट आफ प्रपोज़ल्स में मैंने यह अर्ज किया था कि अगर जिस वैलु-एशन और रक़बे का चेक दिया गया है उस रकबे का कम वैलुएशन का चेक अगर दिया जायगा तो जितने रुपये की कमी होगी वह मुआविज़े के तौर पर लगाई जायगी। इससे साफ़ जाहिर है कि वैलुएशन की बेसिस पर होगा। इस सिलसिले में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की

इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वैलुएशन की बेसिस है लेकिन साथ ही साथ कोशिश यह की जायगी कि बीस फीसदी से रक़बा कम न हो सके। मान लिया कि एक आदमी की ज़मीन ४० बीघा है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा ४८ बीघे जमीन हो जायगी।

चौथी बात यह है कि आरबीट्रेटर साहब अफ़सर न हों बल्कि जिसे गांव वाले पसन्द कर लें वह हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, वकालत करने का जिसको तजुर्बा है उनको मालूम है कि आरबीट्रेशन करने में कितनी मुश्किल होती है। एक आदमी अगर इमान्दार है उसको एक फ़रीक ने चुना तो दूसरा फ़रीक ज़रूर कहेगा कि यह उसका आदमी है। लिहाज़ा गांव का कोई आदमी आरबीट्रेटर रखना ठीक नहीं है। एक तजुर्बेकार और निष्पक्ष आफिसर जिसका कोई लगाव न हो उस को रखना ठीक होगा। वह टेक्निकल नालेज का आदमी होगा। गांव का आदमी तो सिर्फ यह बता सकता है कि कब्ज़ा किसका है। अब सेक्शन ३२ की बात माननीय जयपाल सिंह जी ने कही थी। मैं बुद्धि पर बहुत ज़ोर देने के बावजूद भी समझ नहीं पाया हूं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि लोगों को बैनामा करने की या जमीन बदलने की ज़रूरत होगी। रामकुमार जी शास्त्री ने यह फ़रमाया था कि यह तो माना कि धान का एक चक होगा और रबी की फ़सल का चक होगा या एक खादर का होगा। लेकिन ज़मीन की क़िस्म से चक नहीं होता, वरना तो बहुत चक हो जावेंगे। एक ही क़िस्म की ज़मीन एक गांव में कई जगह हो सकती है। लिहाज़ा क्राप्स को देखा जायगा कि रबी की और ख़रीफ़ की किस जगह होती है। अगर ऐसी जमीन है जहां हर खेत में हर प्रकार की हो सकती है और जहां डैफ़ीनिटली यह है कि यह धान का है और यह रबी का है तो वहां दो चक होंगे। धान की ज़मीन में इंट-रसी डिफ़रैंसेज़ होते हैं, वे नहीं देखे जावेंगे, वरना चकबन्दी करना बहुत मुश्किल होगा और वह हो ही नहीं सकेगी। मेरे बहुत से मित्रों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भ्रष्टाचार का अंदेशा है। जैसी आजकल हालत है उसमें नायब तहसीलदार जैसे पद के व्यक्ति से यह आशा करना कि उस पर असरात नहीं पड़ेंगे, जिसके यहां खाना खावेगा या ठहरेगा उसके ज़ेरअसर नहीं होगा, यह उम्मीद करना ठीक नहीं है और इस बात का लिहाज़ रखना चाहिये कि भ्रष्टाचार न हो। जैसा मैंने अर्ज़ किया था और जैसा कि साफ विधेयक में भी लिखा हुआ है उस ग़रीब नायब तहसीलदार को तो कोई अधिकार नहीं है। उसका तो तजुर्बा है ज़मीन का और लैंड रैकार्ड्स या ऐडमिनिस्ट्रेशन का, वह तजुर्बा लैंड मैनेजमेंट कमेटी के डिस्पोज़ल पर होगा। कमेटी की राय के खिलाफ़ वह कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसका कमेटी से भिन्न मत हो तब वह रैफ़रैंस करेगा तहसीलदार को। उसके बाद जो फ़ैसला होगा वह बाइंडिंग होगा। उसके बाद भी जब किसी व्यक्तिविशेष को कोई शिकायत हो तो फिर वह अपील कर सकेगा। इसलिये यह ठीक नहीं है कि केवल नायब तहसीलदार के ही होने से भ्रष्टाचार होगा। इस काम को पंजाब में अकेला कानूनगो करता है और यहां हमने उसकी जगह नायब तहसीलदार रखा है और फिर कमेटी रखी है। जहां तक जनरल करप्शन का सवाल है उसमें पंजाब से यू० पी० किसी प्रकार पीछे नहीं है। तो जब पंजाब में मौक़े पर रहते हुये क़ानूनगो से भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है तो हमारे यहां नायब तहसीलदार से, जब कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी की राय उस पर हावी होगी, यह आशा करना कि भ्रष्टाचार होगा, उचित नहीं है। फिर हर समय भ्रष्टाचार का ज़िक्र करना भी बहुत ज्यादा होता जाता है। मैं ऐसे नायब तहसीलदार बता सकता हूं जो अत्यन्त से अत्यन्त ईमानदार हैं। फिर कैसे हम समझ लेते हैं कि सभी आदमी बेईमान हैं? यह कहना कि जो नायब तहसीलदार होगा वही बेईमान होगा, यह भी ठीक नहीं है। इसका हर वक्त, बेवक्त और नावक्त ज़िक्र करने से फ़ायदा नहीं होता बल्कि हमारे आफ़िसर्स डिमौ-रैलाइज़ होते हैं। रही बात यह कि आगे क्या किया जाय, फिर क्या तहसीलदार ही अफ़सर रखा जाय? तो मुझे अन्देशा यह है कि बहुत से मित्र इस बात को कहेंगे कि नहीं तहसीलदार पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर हम क्या करें? आप मुझे मुआफ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि अगर एम० एल० ए० को भी रख दिया जाय तो भी आप को यक़ीन नहीं होगा। इसके माने तो साफ़ यह हैं कि जहां हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ और जो बात हमारी

[श्री चरण सिंह]

समझ में नहीं आती या हमारी इच्छा के खिलाफ़ कोई चीज हुई तो हम यह नतीजा निकाल लेते हैं कि जरूर कोई बेईमानी होगी। मैं समझता हूं कि यह दूसरों के साथ अन्याय करना होगा। कोई और तरीक़ा आप बता सकते हों तो बताइये। हम उस पर हमेशा चलने के लिये तैयार हों जो सही बात हो।

माननीय लक्ष्मी शंकर जी ने यह दरयाफ्त किया कि अगर एक किसान की जमीन एक गांव में है और कुछ जमीन उसकी पड़ोस के गांव में है तो चक जो बनेगा दोनों गांवों की जमीनों को मिला कर बनेगा या एक ही गांव की जमीन का ? तो वह तो एक ही गांव की जमीन का होगा। दूसरे गांव की जमीन तो उस चक में तब आ सकती है जब वे दोनों गांव एक में माने जायं। वैसे तो मैं रेवेन्यू बजट के मौके पर यह कहना चाहता था लेकिन अब बात आ गयी है इसलिये अब यहीं इसको अर्ज किये देता हूं। हमारे यहां बहुत छोटे-छोटे गांव हैं ४० हजार के क़रीब उनकी संख्या है। उन गांवों की जिनकी आबादी ५ सौ से कम है और १३ हजार हैं और जिनकी आबादी ढाई सौ से कम है उनकी संख्या २७ हजार है। इन छोटे गांवों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये और इनमें रहने वाले लोगों के परस्तर संबंध का लिहाज रख कर बड़े गांवों में इंटिग्रेट कर दिया जाय और रेवेन्यू यूनिट दोनों का मिलाकर एक कर दिया जाय। जब ऐसा हो जायगा तो छोटे-छोटे गांवों को मिला कर उन दोनों का एक रेविन्यू यूनिट हो जायगा। हम ऐसा कर रहे हैं और क़रीब एक साल के अन्दर आशा है यह काम हो जायगा और इस तरह हमारे रेवेन्यू यूनिट्स एक हो जायेंगे और जब ऐसा हो जायगा तो उन बड़े-बड़े गांवों में छोटे २ गाँवों को मिला कर दो गांवों की एक रेवेन्यू यूनिट हो जायगी और उसकी चकबन्दी हो जायगी। अब रही रिकर्ड आपरेशंस की बात। माननीय राम जी सहाय ने कहा कि आप रिकर्ड आपरेशंस नहीं करना चाहते। ऐसी बात नहीं है। जहां काग़ज़ात और मुक़दमात में थोड़ा फ़र्क होगा वहां हम काग़ज़ात को दुरुस्त कर देंगे और जहां बहुत बड़ा फ़र्क होगा वहां हम रिकर्ड आपरेशंस करायेंगे तो रिकर्ड का रिवीजन होगा। माननीय केशव गुप्त जी चले गये।

श्री अध्यक्ष—आप कह दीजिये। वे बाद में सुन ही लेंगे।

श्री चरण सिंह—श्री राम कुमार जी शास्त्री उन को सुना देंगे। तो उन्होंने कहा था कि चकबन्दी से एक नुक़सान होता है। जब चकबन्दी हो जायगी तो उसमें जब ओले पड़ेंगे तो एक ही तरफ ओले पड़ते हैं तो एक किसान की सारी खेती नष्ट हो जाती है। तो यही हालत तो बारिश की भी हो सकती है। आम तौर पर ओले भी और बारिश भी पूरे गांव पर पड़ती है। तो इतने छोटे तफरकात की वजह से कोई जेनरल कन्कलूजन नहीं निकाला जा सकता।

माननीय झारखंडे राय जी ने प्रापर्टी रिलेशंस की बात कही थी कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यह सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ। कहीं से उनके दिमाग़ में यह पुरानी बात चली आ रही थी कि प्रापर्टी रिलेशंस में चेंज करना है तो उन्होंने वही पुरानी बात दुहरायी कि प्रापर्टी रिलेशंस चेंज नहीं हुये। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में सारा प्रापर्टी रिलेशंस ही तो चेंज हुआ है। काश्तकारों और जमींदारों का कोई रिलेशन था। वह मिटा या नहीं मिटा? वह मिट गया, और जमींदारी अबालिशन से कोई लाभ नहीं हुआ यह भी बात ग़लत है।

एक बात यह कही गयी कि एक क्लास पैदा होता जायगा। यह बात हो सकती है। क्लास आज भी पैदा है। हमेशा क्लास पैदा होते जाते हैं और गवर्नमेंन्ट की सहायता से मजबूत होता जायेगा। जब किसानों का हम लोग भला करेंगे तो वे गवर्नमेंट की मदद करेंगे तो क्या इस ख्याल से कि क्योंकि आप को डर है कि इससे कांग्रेस मजबूत होती जायगी हम किसानों की हालत न सुधारें। वह तो होगा। किसानों की हालत सुधारी जायगी और इससे कांग्रेस दिनोंदिन मजबूत होती जायगी। यू कैननाट हैल्प इट। कांग्रेस तो इसीलिये जीवित है और वह दिनों दिन मजबूत होती जायगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राम नरेश शुक्ल का प्रस्ताव स्वीकार करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १९५३, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास के भीतर प्रस्तुत करे जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं--

१--श्री राम कुमार शास्त्री, बस्ती
२--श्री दीनदयालु शर्मा, बुलन्दशहर
३--श्री वीरेन्द्र वर्मा, मुजफ्फ़रनगर
४--श्री नेत्रपाल सिंह, अलीगढ़
५--श्री अशरफ़ अली खां, मथुरा
६--श्री अब्दुल रऊफ़ खां, फ़तेहपुर
७--श्री बेनीसिंह, कानपुर
८--श्री नारायण दीन, इलाहाबाद
९--श्री निरंजन सिंह, पीलीभीत
१०--श्री शिवराज सिंह, बदायूं
११--श्री देव राम, बलिया
१२--श्री रामेश्वर प्रसाद, रायबरेली
१३--श्री असमानसिंह, बस्ती
१४--श्री देव नन्दन शुक्ल, देवरिया
१५--श्री रामनरेश शुक्ल, प्रतापगढ़
१६--श्री जयराम वर्मा, फ़ैजाबाद
१७--श्री सुरेश प्रकाश सिंह, सीतापुर
१८--श्री सत्य सिंह राणा, टेहरी गढ़वाल
१९--श्री राम नारायण त्रिपाठी, फ़ैजाबाद
२०--श्री गेंदा सिंह, देवरिया

(प्रश्न उपस्थित गिया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब नियम के अनुसार मेरा यह कर्त्तव्य है कि इस प्रवर समिति का चेयरमैन मैं चुनूं। क्योंकि नियमों के अनुसार माननीय मंत्री जी भी इसके एक सदस्य रहेंगे इसलिये मैं उन को ही, (श्री चरण सिंह को) उसका अध्यक्ष नियुक्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश इवैक्‍ुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--एक और छोटा सा ४ नवम्बर का आइटम रह गया है उसको मुख्य मंत्री पेश करने वाले थे, मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री इसको पेश करेंगे।

मालमंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटेरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३, की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८६ पर)

श्री अध्यक्ष--९ तारीख को इसकी कापियां बट चुकी हैं कायदे के अनुसार व इसको पेश कर रहे हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

(इसके बाद सदन रात्रि क ८ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये नत्थी 'क' पीछे ४८५ पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया।)

१९५१ का ऐक्ट ६४ — इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१, के कुछ उपबंधों की पूर्ति के लिये विधेयक,

१९५१ का ऐक्ट ६४ — इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१, के कुछ उपबंधों की पूर्ति आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारंभ — १—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक, अधिनियम, १९५३, होगा।

(२) इस का प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) इसके विषय में यह समझा जायगा कि यह १५ दिसम्बर, १९५२, को प्रचलित हो गया।

१९५१ के ऐक्ट संख्या ६४ के विषय में यह समझा जाना कि वह राज्य विधान मंडल द्वारा बनाया गया। — २—इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१, का वह भाग जो ऐसे विषयों से सम्बद्ध है जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश के लिये राज्य विधान मंडल को विधि बनाने का अधिकार है, किन्तु संसद को नहीं है, उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार प्रभावशाली और वैद्य होगा मानों वह उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा बनाया गया था।

अधिनियम (ऐक्ट्स) तथा व्यवहारों का वैधीकरण। — ३—किसी ऐसी बात या ऐसे कार्य के विषय में (जिसके अन्तर्गत दी गयी आज्ञा, की गयी जांच, और प्रयोग में लाये गये अधिक्षेत्र भी है) जो इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१, के अधीन की गयी हो या किया गया हो, जहां तक वह ऐसे विषय से संबंद्ध हो जिसके संबंध में राज्य विधान मंडल को उत्तर प्रदेश के लिये विधि बनाने का अधिकार हो, किन्तु संसद को न हो, यह समझा जायगा कि विधि की दृष्टि में वह उसी प्रकार ठीक और वैध है मानों उस दिन जब उक्त बात की गयी हो या कार्य किया गया हो, धारा २ लागू थी।

उद्देश्य तथा कारण

केंद्रीय विधान मंडल द्वारा पारित इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ का सम्बन्ध मिश्रित सम्पत्तियों में विस्थापितों के स्वत्वों के विभाजन से है। संसद का उक्त अधिनियम भिन्न प्रकार के विस्थापित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में है अर्थात् उसके ऋण, भौमिक सम्पत्ति, गृह सम्पत्ति और उक्त सम्पत्तियों के ऊपर भार के विषय में स्वतः पूर्ण विधान है। तो भी वह अनुभव किया गया है कि उक्त विधान के कुछ उपबन्ध संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची २ के मद संख्या १८ और ३० के अन्तर्गत आते है और यह संदेह किया जाता है कि उक्त विषयों के सम्बन्ध में संसद विधि बना सकती है या नहीं।

इसके अतिरिक्त इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ में, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले अधिकारों के अवधारण के लिये विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गयी है। अतएव उक्त ऐक्ट के उन उपबंधों को वैध करने के लिये जो राज्य विधान मंडल के वैधानिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं एक छोटा विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद २४९ के शब्दों में संसद के संकल्प द्वारा संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची संख्या २ के मद १८ और ३० के अधीन १४ दिसम्बर, १९५२ तक अधिनियम बनाने का अधिकार था। मिश्रित सम्पत्तियों में विस्थापित तथा अविस्थापित स्वत्वों के विभाजन के लिये नियुक्त समर्थ अधिकारी इस राज्य में पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे हैं और इस बीच में मुक़दमों की सुनवाई भी होती रही है। अतएव यह प्रस्ताव है कि इस विधान को पूर्वानुदर्शी प्रभाव दिया जाय और इसके विषय में यह समझा जाय कि यह १५ दिसम्बर, १९५२ को प्रचलित हो गया।

गोविन्द बल्लभ पंत,
मुख्य मन्त्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८३ एल० ए० १९५३—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १२ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३३)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केश भान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख़याली राम, श्री
खुशी राम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तारा चन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसी राम, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाता राम, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नन्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेक राम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाश वती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू लाल, कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनगोपाल उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मही लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली ख़ां, राजा
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती

रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतन लाल, जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर सिंह, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह ,श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय, शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामशुभग वर्मा, श्री

रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेंद्र विक्रम सिंह, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह, कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीता राम, डाक्टर
सीता राम शुक्ल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्य बली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

वन विभाग के कर्मचारियों का वेतन

*१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बन विभाग के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों जैसे क्लर्कों, रेंजरों, डिप्टी रेंजरों, फारेस्टरों, फारेस्ट गार्डों को अलग अलग क्या क्या वेतन, भता तथा अन्य सुविधायें मिलती हैं?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—भिन्न भिन्न कर्मचारियों का वेतन क्रम एक सूची में दिया हुआ है जो मेज पर रक्खी है। अन्य सुविधायें जो इन कर्मचारियों को दी जाती हैं फारेस्ट मैनुअल फाइनेंशियल हैन्ड बुक भाग ३ और फाइनेंशियल हैन्ड बुक भाग ७ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५० पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह जो वेतन क्रम की सूची दी हुई है यह ४७ की पे कमेटी की सिफारिशों के अनुसार है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उसकी सिफारिशों के अनुकूल ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी के पास फारेस्ट सर्विसेज मन असोशियेशन और कुमायूं अनजुमन चपरासियान की ओर से कोई चिट्ठी आई है, जिनमें यह कहा गया है कि पे कमेटी की सिफारिश का पालन इस वेतनक्रम में नहीं हो रहा है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उनकी कुछ ऐसी चिट्ठियां आईं थीं कि पे कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो वेतन गवर्नमेंट उनको दे रही है उससे वे संतुष्ट नही हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने प्रश्न नम्बर १ में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के उदाहरण दिये हैं। विभिन्न श्रेणी में चपरासी भी आ जाते हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह सूची जो है उसमें फारेस्ट गार्ड्स का वेतन क्रम दिया हुआ है। इसी श्रेणी में यह चपरासी वगैरह भी आते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल आने के बाद जंगलात विभाग के कर्मचारियों के वेतन क्रम में कितनी वृद्धि हुई है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अलग अलग श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन क्रम ब्योरेवार बताने के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन जैसे फारेस्ट गार्ड्स को ले लीजिये तो उनको १३,१६,१९ रुपये मिलते थे वे बढ़ा कर २५—१—४० रुपये हो गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी जंगलात विभाग को आमदनी का विभाग मानते हुये जंगलात विभाग के निम्नश्रेणी के कर्मचारियों जैसे चपरासियों आदि का वेतन बढ़ाने का विचार रखते हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि पे कमेटी की सिफारिशों के अनुसार उनका वेतन बढ़ाया जा चुका है।

*२---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार के पास वन विभाग व कन्जरवेटरों के कार्यालयों के क्लर्कों, चपरासियों आदि की कोई ऐसी शिकायतें आयी हैं जिनमें सन् १९४७ की पे कमेटी रिपोर्ट उन पर लागू न किये जाने का दावा किया गया है? अगर हां, तो सरकार ने उपर्युक्त शिकायतों को दूर करने के हेतु क्या कार्यवाही की है?

*३-४---श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं।

श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)---[९ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*५---श्री नारायणदत्त तिवारी---[९ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*६-७---श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---[७ अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*८---श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---
[देखिये आगे पृष्ठ ४९८ पर ।)

*९-११---श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)---[२७ मार्च, १९५३ ई० के लिये सं० ३६-३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

फारेस्ट ऐक्ट का लागू होना

*१२---श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रदेश के कितने और किन जिलों में फारेस्ट ऐक्ट लगाया गया है कि हरे पेड़ न कटें?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का प्रयोजन इंडियन फारेस्ट ऐक्ट से है या यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट से। इंडियन फारेस्ट ऐक्ट केवल उन क्षेत्रों में लागू है जो सरकारी जंगल हैं। प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत निजी जंगलों और बागों को सुरक्षित रखने के लिये कुछ निर्दिष्ट किस्मों के पेड़ों का काटना मना किया गया है। इन पेड़ों की सूची मेज पर रक्खी है। यह ऐक्ट केवल उस भूमि को छोड़ कर जिसका उल्लेख उसकी धारा २ में है, सारे उत्तर प्रदेश में लागू था, परन्तु जमींदारी उन्मूलन के बाद उन निजी जंगलों में, जो सरकार में निहित हो गये हैं, लागू नहीं रहा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५१ पर)

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट लागू किया गया है उनमें हरे पेड़ों को काटने के लिये सरकार की तरफ से किसी किस्म का लाइसेंस दिया जाता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां, अनुमति पत्र गवर्नमेंट से दिया जाता है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा---यह लाइसेंस जिले के किस अधिकारी द्वारा दिया जाता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जंगलात विभाग के स्थानीय कर्मचारी जाकर पहले वहां का निरीक्षण करते हैं और अगर वे समझते हैं कि पेड़ फलदार नहीं हैं या बेकार हैं तो उनके काटने की इजाजत के लिये सिफारिश करते हैं फिर चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट की ओर से उनको अनुमति-पत्र दे दिया जाता है।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ज़िलों में अधिकतर पेड़ काटे जा रहे हैं उन ज़िलों में उनका कटना रोकने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस ऐक्ट के अनुसार हरे पेड़ काटना जुर्म है और अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो उसके ख़िलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ्फ़रनगर)—क्या सरकार को मालूम है कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के कारण किसानों को और दूसरे लोगों को आज्ञा प्राप्त करने में बड़ी भारी कठिनाई हो रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—गवर्नमेंट इस बात को समझती थी और वह इस पर विचार कर रही है कि गांव सभा को मुर्दे वगैरह जलाने या ऐसे ही और आकस्मिक कामों के लिये २ पेड़ तक काटने की आज्ञा देने का अधिकार दिया जाय और उससे ऊपर के लिये दूसरे लोग आज्ञा दे सकेंगे। पहले भी किसानों को सहूलियतें देने के लिये इस प्रकार की सुविधायें दी गयी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के निदेशों के विरुद्ध पेड़ काटने के जुर्मों में कितने लोगों को प्रांत में सजायें और दंड दिये गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सारे प्रांत की इस प्रकार की सूची देने के लिये नोटिस की जरूरत होगी।

*१३—**श्री बाबू नन्दन**—[९ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

टेहरी-गढ़वाल के विलीनीकरण के पश्चात् पुलिस डी०एस०पी० की नियुक्ति

*१४—**श्री सत्य सिंह राणा** (ज़िला टेहरी गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टेहरी-गढ़वाल के विलीनीकरण के पश्चात् वहां के पुलिस डी०एस०पी० में से किस-किस को यू० पी० सर्विस में, किस-किस पद पर और किस आधार पर लिया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—टेहरी-गढ़वाल के विलीनीकरण के समय वहां निम्नलिखित व्यक्ति डी० एस० पी० के पद पर काम कर रहे थे:—

१—श्री ललिता प्रसाद पांडेय
२—श्री वृजेन्द्र सिंह विष्ट
३—श्री राजेन्द्र सिंह बुटोला
४—श्री राम प्रसाद रतूड़ी
५—श्री राणा हरिश चन्द्र जंग
†६—श्री रघुवीर प्रसाद पैनोली

इनमें से पी०एस०सी० की सिफारिश के आधार पर श्री ललिता प्रसाद पांडेय और श्री रघुवीर प्रसाद पैनोली को यू०पी० पुलिस सर्विस में डी० एस० पी० के पद पर नियुक्त किया गया। बाकी व्यक्तियों को कमीशन की सिफारिश के अनुसार सबार्डिनेट पुलिस सर्विस में निम्नलिखित पदों पर नियुक्त किया गया:—

श्री वृजेन्द्र सिंह विष्ट	..	सी० आई०
श्री राजेन्द्र सिंह बुटोला	..	पी० आई०
श्री राम प्रसाद रतूडी	..	एस० आई०
श्री राणा हरिश चन्द्र जंग	..	एस० आई०

†वे उस समय रियासत की तरफ से पी०टी० सी० मुरादाबाद में ट्रेनिंग पा रहे थे।

*१५--श्री सत्य सिंह राणा--क्या यह सही है कि कतिपय डी०एस०पी० लोगों को उनकी समुचित सर्विस रेकार्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश (approval) के बावजूद भी (Dy. S. P.) पद पर न लेकर इन्सपेक्टर के ग्रेड में लिया गया? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी नहीं।

श्री सत्य सिंह राणा--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन लोगों का इंटरव्यू पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने कब हुआ और पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सरकार के पास भेजी थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने इंटरव्यू कब हुआ, यह तो मालूम नहीं है और रिपोर्ट कब भेजी गयी, उसकी भी तारीख मेरे सामने इस समय नहीं है।

श्री सत्य सिंह राणा--क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट में, जो दो डी० वाई० एस० पी० लिये गये थे उनके अलावा किसी और भी सिफारिश की थी, किन्तु सरकार ने इस किस्म के सुझाव उनको दिये कि वे अपने निर्णय में सुधार करें जिससे वे लोग पुलिस सबार्डिनेट सर्विस में लिये गये ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यह सही है कि उनकी नियुक्ति जिस तरह से हुई है वह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों की रजामन्दी से और उनसे मशविरा करके की गयी है।

श्री सत्य सिंह राणा--क्या यह सही है कि ऐसे लोगों ने कुछ रेप्रेजेन्टेशन सरकार के पास भेजे है और क्या सरकार उन पर विचार करने की कोशिश कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--सरकार के पास उनके रेप्रेजेन्टेशन आये और सरकार ने उन पर विचार किया और विचार करके यह समझा कि इसी तरह उनकी नियुक्ति करना ठीक होगा।

राज्य का शरणार्थियों पर व्यय

*१६--श्री रमेश चन्द्र शर्मा--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कितने शरणार्थी आये हुये हैं ?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)--उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग ४,७५,७७२ उद्वासित व्यक्ति आये हुये हैं।

*१७--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि प्रान्त के समस्त शरणार्थियों की शिक्षा तथा मकान आदि पर कितना व्यय किया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--उद्वासितों की सहायता तथा पुनर्वासन में आरम्भ से लेकर वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के अन्त तक लगभग ७,७८,५६,३३७ रुपये व्यय हुआ है। आज तक के व्यय के आंकड़े बतलाना तुरन्त सम्भव नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आये हुये शरणार्थी केवल शहरों में रखे जाते हैं या देहातों में भी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--दोनों जगह।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कितने पुरुषार्थी भाई ऐसे हैं जिन्हें अब तक कोई काम नहीं दिया जा सका ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जहां तक उनको काम देने का ताल्लुक़ है सरकार सब को काम नहीं देती। अलबत्ता यह हुआ है कि उनको क़र्ज़ा दिया गया है। कहीं-कहीं उनको खेत दिये गये हैं, कुछ रुपये दिये गये हैं। इस तरह से वे बसाये गये हैं।

श्री सीताराम शुक्ल--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि क़र्ज़ के लिये कितने लोगों ने दरख्वास्तें दीं और उनमें से कितने लोगों को कर्ज़ नहीं मिले ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो ख़र्चा शरणार्थियों पर किया गया है उसमें कितना रुपया सेन्टर से ग्रान्ट के तौर पर मिला है और कितना रुपया इस सूबे के कोष से ख़र्च किया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--यह तो बतलाया जा सकता है कि उन पर कुल कितना रुपया ख़र्च हुआ लेकिन यह कि यह ख़र्चा प्राविन्शियल कोष से कितना हुआ और सेन्टर से कितना हुआ इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अभी तक कितने शरणार्थी बसाये गये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जितने लोग यहां पर आये यानी ४७५७७२ यहां पर आये और उनमें से ४३२६२४ रजिस्टर्ड हुये उसमें से क़रीब ६०,६५ फीसदी लोगों का इन्तजाम हो चुका है।

श्री श्रीचन्द--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में अभी तक शरणार्थियों के लिये कितने क्वार्टर्स बनाये जा चुके हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--इस वक्त तक १३२५६ मकान बनाये गये हैं और ३१४१ स्टाल बनायी गयी हैं, १०३१ दुकानें बनायी गयी हैं, ८३१ रेजिडेन्शियल फ्लैट्स बनाये गये हैं और १८ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनी हैं और एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या यह बात सही है कि जो शरणार्थी गांव में जाकर बसे और खेती करने लगे उनके लिये सरकार ने मकान बनाने की व्यवस्था नहीं की ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जगह जगह मदद दी गयी है। उनको क़र्ज़ा दिया गया कि वह अपने आप इन्तजाम कर लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन शरणार्थियों में से कितने शरणार्थी पंजाब से आये और कितने बंगाल से आये ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--हमारे यहां जो आये हैं वह ज्यादातर पंजाब सिन्ध, बिलोचिस्तान और नार्थ वेस्ट फ्रान्टियर से आये हैं।

*१८--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--[२४ मार्च, १६५३ के लिये सं० ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१६--श्री बाबूनन्दन--[६ अप्रैल, १६५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०-२१-श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)--[६ अप्रैल, १६५३ के लिये स्थगित किये गये।]

काकोरी केस में फांसी पाये हुये व्यक्तियों के परिवारों को सहायता

*२२--श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बतलायेगी कि सुप्रसिद्ध काकोरी षड़यंत्र केस में फांसी पाये हुये सर्व श्री रामप्रसाद विस्मिल, अशफाकउल्ला खां और रोशन सिंह (तीनों शाहजहांपुर जिले के) और राजेन्द्र लाहिड़ी (बनारस) के परिवारों को वह कोई सहायता कर रही है? यदि हां, तो क्या?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मांगी हुई सूचना संलग्न सूची में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५५२ पर)

* * * *

अवलियापुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के गन्ने का सट्टा

*८--श्री राम नारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम कि इस साल अवलियापुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के किसानों के गन्ने का सट्टा समय के अन्दर नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी हां। इसका कारण यह है कि सट्टे के उचित समय पर उक्त गांव के किसान अपने गन्ने की सप्लाई के लिये अनिच्छुक थे। लेकिन बाद को जब उन्होंने सट्टे के लिये प्रार्थना की तब उनके गन्ने का सट्टा कर लिया गया।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ने का सट्टा करने के लिये कौन सा वक्त मुक़र्रर है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--गन्ने का सट्टा सीजन के पहले होता है इसलिये कि यह मालूम हो जाय कि गन्ना कितना है और कितनी ऊख मील में खर्च होगी।

श्री गेंदा सिंह--मैंने यह पूछा कि गन्ने का सट्टा करने का कोई वक्त मुक़र्रर है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--मैंने उसी का जवाब दिया कि जब मिलें चलती हैं उससे काफ़ी पहले सट्टे किये जाते हैं, उस की ठीक तारीख़ तो नहीं बतलायी जा सकती लेकिन आमतौर से दो तीन महीने पहले यह काम शुरू हो जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि उस अवलियापुर गांव का सट्टा किस महीने में किस तारीख़ को हुआ।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जनवरी के आख़िरी हफ्ते से सप्लाई शुरू हुई थी और यह सट्टा भी उसके कुछ दिनों पहले ही हुआ होगा, यह नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन पहले हुआ।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आयव्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष--समय का विभाजन इस प्रकार होगा कि अनुदान संख्या १३ दोपहर तक चलेगा और फिर सवा दो बजे से अनुदान संख्या ४३ जो सदस्य उसमें कटौती का प्रस्ताव लायेंगे उनके लिये १५ मिनट समय रहेगा और बाक़ी लोगों के लिये दस मिनट।

नोट--तारांकित प्रश्न ८-श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने पूछा।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १३-लेखा शीर्षक २५-कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३-कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत २,६६,०७,१०० रुपये की मांग मंजूर की जाय।

इस संबंध में भी मैं सदन का ज्यादा समय इस वक्त लेना उचित नहीं समझता। जब इस पर भाषण हो जायंगे, तब मुझे जो कुछ कहना होगा वह मैं पेश करूंगा, क्योंकि मैं यथासंभव चाहता हूं कि सदन को समय अधिक मिले जिससे हमें सुझाव मिल सकें और हम फ़ायदा उठा सकें।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान में एक रुपये की कटौती पेश करता हूं। कारण यह है कि कमिश्नरों के संबंध में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल जवाब भी दिया था, मैं समझता हूं कि चाहे हम कड़े शब्दों में आलोचना करें या नम्रता के साथ आलोचना करें इस सरकार के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मुझे मालूम है कि जब यही लोग बृटिश गवर्नमेंट के ज़माने में विरोधी दल में यहां पर थे और हम सब कांग्रेसी चीख़ चीख़ कर इस बात के लिये चिल्लाते थे कि कमिश्नरों की जगह बिलकुल फ़जूल हैं और यह जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिये लेकिन कल जो कुछ भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा उस से तो यह दृढ़निश्चय हो गया कि अब वह हमेशा ही बने रहेंगे और उनकी जगहें टूटने वाली नहीं हैं। यानी यह जो ख़र्च ५,१३,७०० रुपये का है वह बना ही रहेगा चाहे उसका उपयोग कुछ हो या न हो। हम समझ सकते हैं कि पहले ज़माने में गवर्नर महोदय का दोस्त या फ़ेवरिट कोई होता था तो उसको कमिश्नर बना दिया जाता था और उनका यही काम था। लेकिन आज कल के जमाने में मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई हमारे गवर्नर महोदय के लिये रखे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह जो इस उत्तर प्रदेश की निर्धन जनता के ख़जाने पर लोग रखे जा रहे हैं यह ठीक और मुनासिब बात नहीं है। कारण मैं यह भी बता सकता हूं कि अब उनका काम सिवा जैसा कि बहस के सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि जिस तरह से और मुहकमों में देखभाल के लिये लोग रखे जाते हैं, नहर के मुहकमे में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रखे जाते हैं, इसी तरह से यह भी एक जगह है। उस का नाम चाहे कमिश्नर कह लो या निरीक्षक कह लो, या कोई और चीज कह लो। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि अगर यही है कि हर एक मुहक़मे में इस तरह से हम कहीं भी ख़र्च को कम नहीं करने जा रहे हैं बल्कि और दूसरे उदाहरण ले कर ख़र्च को बढ़ा रहे हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है और आज कल जो कुछ भी कमिश्नर महोदय करते हैं वह भी आप से छिपा नहीं है। इसी देवरिया जिले या गोरखपुर जिले में जो भी, आप ओले पड़ने की बात कह रहे थे, मैं बतलाऊं कि जो कुछ भी रिपोर्ट जिलाधीश देंगे उसके ऊपर वह भी अपनी एक क़लम लगा देंगे कि यह उतना उनका नुक़सान नहीं हुआ, उनको कुछ इमदाद नहीं मिलनी चाहिये। तो मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि उस जमाने में जब माननीय मुख्य मंत्री जी जोरों से कहते थे कि यह जगह बिलकुल रिडंडेंट है, ख़त्म हो जानी चाहिये। आज वह क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं?

एक बात मैं और भी बताऊं कि जो रेवेन्यू वर्क के लिये कमिश्नर्स रखे गये, अभी अभी जो जमींदारी उन्मूलन हुआ, और इसके बाद में जो कागज़ात बनाने के लिये दे दिये गये जो छः महीने में भी नहीं बनेंगे फिर भी उन पर वह कमी नहीं कर रहे हैं, कमिश्नर बैठे हुये हैं। और आगरे में वह कमिश्नर जो कुछ भी मैं जानता हूं, कोई अपील वग़ैरह की सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि छः महीने तक जब तक कागज़ात न तैयार हो जायं तब तक उनको मुफ्त की तनख्वाह देना ही है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ग़ैरमुनासिब ख़र्चा है इस प्रदेश की निर्धन जनता के सिर पर और यह हट जाना चाहिये।

[श्री मलखान सिंह]

दूसरी तरफ जो जिले का प्रशासन है जिसमें जिलाधीश वग़ैरह सभी हैं, मैं एक बात विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछूंगा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन की सब से बढ़िया ख़ूबसूरत और सुन्दरता तो यह होनी चाहिये कि उसमें जो ग़रीब हैं, दुखी हैं उसकी आवाज सुनी जाय। उसके साथ इंसाफ हो। लेकिन मैं यह सब कह सकता हूं कि यहां भी, जितनी दरख्वास्तें माननीय मुख्यमंत्री के पास जाती हैं, एक छपा हुआ कागज है, उसके साथ चली जाती हैं कि तुम्हारी अर्जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी गयी। अब उन्हीं के पास आप पत्र-व्यवहार करें। और जब वह जिलाधीश के पास जाती है, जिलाधीश जो कुछ भी कार्यवाही करते हैं, आज तक कोई दुखिया चाहे पुरुष हो या देवी हो किसी को भी संतोष इस गवर्नमेंट के इस प्रशासन के जरिये से जो जिलाधीश महोदय करते हैं नहीं मिला। ग़रीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं आपके सामने एक मामला रखूं। इगलास तहसील के चपरासी का मामला है। तहसीलदार साहब चाहते थे कि वह हमारा हुक्का भरा करे, रोज उसमें पानी डाल कर। लेकिन जैसे बहुत से आदमियों को नफरत होती है तम्बाकू छूने से भी वह इस तरह की तबियत का आदमी था। उसने यह कहा कि यह काम मुझसे नहीं होगा। तो उसको उसी दिन तहसीलदार साहब ने ६ सात जगह की तामीलें दीं। वह २२ को दी गयीं और कहा गया कि २५ तारीख़ तक आप इसकी वापसी करिये। वह सब जगह से बाक़ायदा तामील करा के २५ को लौटा तहसीलदार साहब के यहां। वहां दारोगा जी भी बैठे हुये थे। तो जब वह आया उसने कहा कि मैं तामील कर आया।

श्री अध्यक्ष--मुख्तसर में आप उदाहरण दें।

श्री मलखान सिंह--मैं कहना यही चाहता हूं कि उस ग़रीब ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी अर्जी भेजी है, जिलाधीश के पास और पं० जवाहरलाल जी नेहरू के पास भेजी है, लेकिन कोई सुनवाई उस दुखिया चपरासी की नहीं हुई है।

दूसरी तरफ मैं आपको बतलाऊं कि बुलन्दशहर के जिले में एक लैंड एक्विजीशन का काम भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हुक्म से किसी एस० डी० ओ० के सुपुर्द था। उन्होंने पहले तख़मीना दिया ५,००० रुपये का और फिर बाद में जमीन वाले से मिल मिला कर ५५ हजार रुपये का तख़मीना भेजा गया। गवर्नमेंट को जब पता चला कि क्या मामला है तो उनका ट्रांस्फर बुलन्दशहर से उरई कर दिया गया। क्या ऐसे मामले में, जो पहले ५ हजार का तख़मीना दे और फिर ५५ हजार का भेजे, यह काफी सजा है कि उसको बुलन्दशहर से उरई भेज दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता।

मैं आप को यह भी बता दूं कि इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवालों पर लिख कर के आता है कि इसकी इजाजत नहीं है, हालांकि न वह नाम से है, न उसमें कोई और चीज है। सिकन्दराराउ की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन .....

श्री अध्यक्ष--आपने जो यह कहा कि सवाल के लिये इजाजत नहीं मिलती है, यह आक्षेप अध्यक्ष के ऊपर होता है। इस तरह के आक्षेप की इजाजत नहीं है।

श्री मलखान सिंह--मेरा मतलब अध्यक्ष के ऊपर नुक्ताचीनी करने का नहीं है। जहां तक मेरी इत्तला है अगर माननीय मंत्री महोदय इजाजत नहीं देते तो आपके यहां नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, यह बात नहीं है। ३२ नियम में दिया हुआ है.......

श्री मलखान सिंह--३२ नियम को मैं जानता हूं, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायें।

श्री मलखान सिंह--मैं रूल जानता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं, मैं स्पष्टीकरण किये देता हूं। नियम में यह है कि वैयक्तिक अगर कोई प्रश्न हो और किसी अफसर के बारे में पूछा जाय, चाहे नाम भी न लिया जाय, चूंकि पूरा मामला लिया जाता है इसलिये नाम का पता लग जाता है, इसलिये यह वैयक्तिक समझा जाता है और उसकी अनुमति नहीं दी जाती। इसके लिये गवर्नमेंट नहीं लिखती है कि यह वैयक्तिक है, इजाजत नहीं मिलनी चाहिये, इसका अध्यक्ष फैसला करता है कि इजाज़त मिलनी चाहिये या नहीं मिलनी चाहिये।

श्री मलखान सिंह---खैर, मैं यह कह रहा था कि सिकन्दराराऊ म्युनिसिपैलिटी की तरफ से ६,००० रुपया का एक दरवाजा अलीगढ़ की ऐग्जिबीशन में बनवाया गया। तो क्या यह मुनासिब खर्चा है? क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोई कार्यवाही इस संबंध में करने जा रहे हैं?

मैं यह भी आप के जरिये से बता देना चाहता हूं कि उस सिकन्दराराऊ की चुंगी का जो स्टेशन वैगन है वह हर एक अफ़सर के लिये हर वक्त इस्तेमाल किया जाता है, यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी जब गंगा नहाने अनूपशहर जाते हैं तो उसी स्टेशन वैगन में जाते हैं। क्या इससे ज़िलाधीश की प्रेस्टीज बढ़ती है या गिरती है।

तो मैं आपके सामने यह कह देने के लिये आया हूं कि आज के एडमिनिस्ट्रेशन से ग़रीबों, और दुखियों का ज़रा सा रत्ती भर लाभ नहीं होता, उनकी सुनवाई नहीं होती। तो इस तरह से अभी आप उनको ३,५०,००० की जीपें दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वग़ैरह को, जिनके पास आलरेडी है। यह उनके लिये कह सकते हैं कि ख़राब हालत हो गयी है, लेकिन हम जानते हैं कि क्या उनमें ख़राबी है और क्या नहीं है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि यह जो ३५० हजार रुपया इस तरह से ख़र्च किया जा रहा है इसको ज़रा होशियारी से वह ख़र्च करें। जब तक कि यह जांच न कर लें कि अमुक जीप अमुक ज़िले वाले बिल्कुल ख़राब इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं तब तक वह न खरीदी जायं तो अच्छा होगा। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि आज कल ज़िलाधीश के पास तमाम देश भर के मुक़दमे हैं। प्लानिंग आफिस भी है और दूसरी भी चीजें हैं। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि जो इन्फार्मेशन आफिसर हैं अब इनसे प्लानिंग के संबंध में काम लिया जायगा और अगर वह वहां भी फेल हुये तब यह सोचा जायगा कि इनको निकाला जाय। मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस तरह से देश भर का तमाम काम वहां पर देने से एक दिन के लिये भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपने निजी काम को करने के लिये वहां कचहरी में जाना उनका नामुमकिन सा हो गया है। तो इसलिये मेरा कहना है कि इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाय कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इधर यहां मीटिंग में गये, उस दावत में गये, यह काम इस तरह से हुआ, सिवाय इन बातों के और कोई काम न करें तो यह कोई अच्छी बात नहीं है और अभी तक मैं आप से कह देना चाहता हूं कि यहां से बार बार प्रश्न करने पर भी बराबर माननीय मुख्य मंत्री जी के जवाब देने पर भी अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अन्दर ११ बजे तक पहुंचने की बात जो है आफिसर्स की वह पूरी नहीं हुई। अभी तक वह ठीक वक्त पर नहीं पहुंचते और उसके कारण यह होता है कि बहुत से मैजिस्ट्रेट्स छः-छः सात सात बजे तक शाम को बैठते हैं जिसकी वजह से गांव वालों को बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है लौटने में और शहर में रहने में तो और भी दिक्क़त है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह जरा कड़ाई से काम लें और यह देखें कि आया जो उनके हुक्म यहां से निकलते हैं वह कैरी आउट भी होते हैं या नहीं होते। मुझे केवल यही कहना है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर ग़ौर करेंगे और क़ार्य रूप में लायेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी–गढ़वाल)––अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि केवल इस ओर से ही नहीं किन्तु दूसरी ओर से भी प्रारम्भिक धन्यवाद के पश्चात इसकी काफी आलोचना की जायगी। मैं अपने जिले के संबंध में सरकार का ध्यान कई बातों की ओर आकर्षित कर सकता हूं। मैं सरकार को यह साबित कर के दिखा सकता हूं कि जहां पहले टेहरी-गढ़वाल में एक महाराज थे आज टेहरी गढ़वाल में उनके स्थान पर एक महाराजाधिराज बैठे हुये हैं। मैं सरकार के सामने कई ऐसी घटनायें पेश कर सकता हूं जिससे कि सरकार को इस बात का पूर्ण विश्वास हो जायगा कि टेहरी गढ़वाल ज़िले की जनता खुश नहीं है। मगर इस समय इन बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक नहीं समझता। इसलिये नहीं कि यह बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं किन्तु इसलिये कि जिस प्रकार जो शिकायतें अपने पिछले वर्ष भर सरकार के सामने अभी तक रखी हैं और जो उनके ऊपर कार्यवाही की गयी, हमें भय है कि इस समय भी वही कार्यवाही की जायगी यानी जो जनता की शिकायत आज सरकार के सामने रखें उसकी जांच के लिये सरकार उसे उसी व्यक्ति के पास भेज देगी जिसकी शिकायत हम कर रहे हैं। ऐसी शिकायत की जांच करना न करना एक सा है। मैं यह मौका सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करने के लिये काम में लाता हूं जिसके संबंध में यहां काफी दफा चर्चा हो चुकी है यानी, क्या सरकार को डिसेंट्रेलाइज़ेशन की पालिसी बढ़ानी चाहिये या नहीं। डिसेंट्रेलाइज़ेशन के बारे में मैंने भी कुछ कहा था। इस बार फिर मैं सरकार से यह सिफारिश करूंगा कि जहां तक हो सके यह रिमोट कंट्रोल ऐडमिनिस्ट्रेशन यानी एक दूर ज़िले का शासन लखनऊ में बैठ कर करना उचित नहीं है। जहां तक हो सके ज़िले में जनता को अपनी देखभाल स्वयं करने का अधिकार दिया जाय। हमारे स्वशासन मंत्री का अनुभव है कि अभी तक इस प्रान्त की जनता अपनी देख भाल करने के योग्य नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत भी काफी हद तक यही साबित करती है कि, हालां कि यह एक जनता का राज्य है फिर भी जनता अभी अयोग्य ठहरायी गयी है। किन्तु इस संबंध में मैं यह आवश्यक समझता हूं कि मैं सरकार से यह कहूं कि हालांकि यह काफी हद तक सही है कि जनता अभी अपनी देखभाल करने में अयोग्य है फिर भी ज़माने का तक़ाज़ा है और यह आवश्यक हो गया है कि जिस हद तक हो सके जनता को अपनी देख भाल करने का अधिकार दिया जाय। इसका मुख्य कारण यह है––लखनऊ में जनता की सरकार बैठी हुई है और जनता का बहुमत यदि यह चाहे कि जो मौजूदा सरकार हटाई जाय तो सैद्धांतिकरूप से यह संभव है। किन्तु लखनऊ में जो बैठी हुई सरकार है, हालांकि वह जनता की सरकार है, फिर भी उसका अधिक सम्पर्क जनता से नहीं है। लखनऊ की सरकार के जो ज़िलों में बैठे एजेंट हैं, यानी जिनके द्वारा लखनऊ की सरकार अपना काम कराती है, उनके साथ जनता का सम्पर्क अधिक है। इस जन-तंत्र राज्य में, जब कि जनता के हाथ में लखनऊ की सरकार को हटाने का अधिकार है, आज ज़िलों के कर्मचारियों के काम की रोक-टोक करने का जनता को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि जनता को यह अधिकार दिया जाय कि वह ज़िला के कर्मचारियों को हटाये, यह असंभव बात है, किन्तु मैं सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूंगा कि जो सरकार ज़िलों में बैठी है, जिस व्यक्ति या कर्मचारी के द्वारा लखनऊ की सरकार अपना कर्तव्य पूरा कर रही है, उस व्यक्ति के काम का असर इस सरकार पर बहुत हद तक पहुंच रहा है। यदि कोई ज़िलाधीश या कोई और कर्मचारी अपना काम अच्छी तरह से करता है, उसका फल लखनऊ की सरकार को भी मिलता है। किन्तु यदि कोई ज़िलाधीश या कोई और कर्मचारी अपना काम योग्यता से नहीं करता है, तो उसका परिणाम उस व्यक्ति के ऊपर बिलकुल नहीं पड़ता बल्कि लखनऊ की सरकार पर पड़ता है। यह क्यों? यह आश्चर्य की बात होगी, किन्तु यह सही है कि यदि जनता कर्मचारी से किसी बात की शिकायत करे तो कर्मचारी तुरन्त यह कहता है कि क्या करूं भाई मैं तो तुमसे पूर्णरूप से सहमत हूं किन्तु जिनको तुमने लखनऊ में बिठाया है वे प्लान्स, मीटिंग्स और भाषण देने में इतने व्यग्र हैं कि वे तुम्हारी कुछ नहीं सुनते। यानी जब जनता, ज़िलाधीश या और किसी कर्मचारी से शिकायत करती है, तो उस ज़िलाधीश या उस कर्मचारी के मुंह में केवल एक ही उत्तर है और वह लाचारी का है कि हमारे हाथ में कोई

अधिकार नहीं है। यदि मैं शिकायतें ऊपर पहुंचाता हूं तो वहां के जो तुम्हारे मंत्री हैं उनको इतनी फुर्सत नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह एक सत्य बात है कि जिलाधीश महोदय न हों तो कोई और कर्मचारी इस प्रकार बहाना हमेशा बनाते रहते हैं जिसका परिणाम और दुष्परिणाम यह होता है कि जनता यह समझ जाती है कि लखनऊ की सरकार को अपना कर्तव्य पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिये मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि डिसेन्ट्र-लाइजेशन करना अति आवश्यक हो गया है। डिसेन्ट्रलाइजेशन दो ही रूप में किया जा सकता है। यह तो जनता को अपने राज्य में अधिक अधिकार दिये जायं, किन्तु जैसा मैंने कहा हमारे स्वशासन मन्त्री इसके पक्ष में नहीं हैं। यदि यह उचित नहीं समझा जाता तो इसको जो दूसरा रूप दिया जा सकता है वह यह एक व्यक्ति को यहां की सरकार पूर्णरूप में अधिकार दे, चाहे वह कर्म-चारी हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो। लेकिन मैं जानता हूं कि इसका दुष्परिणाम विशेषकर हमारे जैसे जिले में यह होगा कि वह महाराजाधिराज और भी बड़ा बन जायगा किन्तु साथ ही साथ जनता को यह लाभ होगा कि वह व्यक्ति जनता को ऐसे बहाने नहीं दे पायेगा कि वह लाचार है कि उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं है कि उसको इस प्रकार का उलटा आदेश मिला है कि कोई गोपनीय आदेश मिला है कि जो कुछ वह कर रहा है वह करता रहे। साथ ही साथ सरकार को भी कुछ फायदा होगा और वह यह है कि जो कर्मचारी संतोषजनक रूप से अपना काम नहीं करते उनकी बुरी कार्यवाइयों से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के नेता श्री मलखान सिंह जी का भाषण सुना। उन्होंने कमिश्नरों की प्रथा पर बड़ा एतराज किया। मुझे खेद है कि उन्होंने प्रशासन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। अगर वह इसको पढ़ते तो ऐसा भाषण नहीं देते। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम इन कमिश्नरों को अलग करना चाहते हैं। इस समय १२ से सात कर दिये गये हैं, तीन कमिश्नर और चार एडीशनल कमि-श्नर। इस समय जैसा कानून (law) है उसमें रेवेन्यू अपील कमिश्नर के यहां जाती है। अगर इन कमिश्नरों को एक दम हटा दिया जाय तो यह अपीलें कहां जायंगी। वह कानून जो इस वक्त रिवाज में है जो चल रहा है उसकी अपील कहां जायगी। इसलिये यह आवश्यक है कि जब तक यह कानून है तब तक कमिश्नर रहें। इसके अलावा कमिश्नरों पर दो ही एतराज किये गये। एक एतराज यह था कि जिला के जो कलेक्टर हैं वह सीधे गवर्न-मेंट के मातहत नहीं हैं। अब कमिश्नरों से यह हक़ूक निकाल लिये गये हैं। अब जिला आफि-सर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सीधा संबंध गवर्नमेंट से है। कमिश्नरों के काम केवल दो हैं, एक तो निगरानी करना है और दूसरा अपील को सुनना है। जहां तक यह एतराज था कि जिला आफ़िसर का संबंध डाइरेक्टली गवर्नमेंट से नहीं था तो वह खत्म हो गया। रही खर्चे की बात अगर आप बजट में देखेंगे तो मालूम होगा कि वह ७ लाख से कम कर के ५ लाख कर दिया गया है। जैसे समय गुजरेगा यह भी कम हो जायगा। अगर मान लीजिये कि जो अपीलें कमिश्नर सुनते हैं वह हाईकोर्ट जाती हैं तो वहां भी उनको तय करने के लिये जज की जरूरत होगी। अभी पहले यह जाहिर हो चुका है कि हाईकोर्ट में काम बहुत ज्यादा है। अगर अपीलें वहां जायंगी तो वहां जज मुकर्रर करने होंगे। हाई कोर्ट के जज का वेतन कमिश्नर के वेतन से कहीं अधिक होता है। इसलिये बजाय कम खर्च होने के ज्यादा खर्च होगा। इसलिये जो आलोचना उन्होंने कमिश्नर के संबंध में की उसमें कोई तथ्य नहीं है। इस सरकार ने जिला मैजिस्ट्रेटों से सीधा सम्पर्क स्थापित करके प्रशासन में बड़ा भारी सुधार किया है।

इसके अतिरिक्त हमारे गजेटेड अफ़सरों में भी पहले के मुक़ाबले सुधार दिखाई देता है। जहां तक ईमानदारी और उनके जनता से सम्पर्क का सवाल है इन दोनों बातों में काफी सुधार हुआ है। अंग्रेजी राज्य में सरकारी अफ़सर जनता से बहुत दूर थे लेकिन अब जितना समय व्यतीत होता जाता है वे जनता के निकट आते जाते हैं।

[श्री रतनलाल जैन]

२६ जनवरी की श्रमदान योजना ने तो यह दिखला दिया कि जिलों के मैजिस्ट्रेट और अधिकारी अब वास्तव में सच्चे सेवक हैं न कि अधिकारी। इसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है और खास कर मुख्य मंत्री। एक सुझाव मैं देना चाहता हूं। जहां तक छोटे कर्मचारियों की बात है उसमें यह अवश्य है कि सन् ४७-४८ की अपेक्षा जब से राज्य परिवर्तन हुआ, उसमें कुछ सुधार हुआ है। परन्तु अभी उसमें बहुत बड़ी कमी है। जो आवेदन-पत्र दिये जाते हैं वे जल्दी से नहीं निकलते हैं। या तो वे पड़े रहते हैं या खत्ती में चले जाते हैं। इसी प्रकार फ़ाइलों में बहुत देर लगती है। साथ में उनमें भ्रष्टाचार और अनैतिकता भी उसी तरह से है जैसी कि पहले थी। इसके लिये म यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह सरकार उनका निरीक्षण कड़ा करे। निरीक्षण के लिये आज जिला मैजिस्ट्रेट के पास इतना समय नहीं है, इतनी फ़ुरसत नहीं है कि वह इतना काम देख सके, उसके सुपुर्द बहुत से काम हो गये हैं। मैं यह कहूंगा कि जिले में जो ऊंचे अफसर हैं सबडिविजनल मैजिस्ट्रेट या और किसी शख्श को इस काम के लिये नियुक्त किया जाय कि वह प्रतिमास निरीक्षण किया करे। यह भी नियम बना दें कि आवेदन-पत्र या फ़ाइल इतने दिनों में समाप्त हो जावेंगी। अगर वे इतने दिनों में समाप्त नहीं होती हैं तो उनसे जवाब तलब किया जाये। अगर ऐसा होगा तो आवेदन-पत्र और फ़ाइलें जल्द निपट जावेंगी। इससे जनता की शिकायतें दूर होंगी। भ्रष्टाचार में भी कमी होगी। पब्लिक जो छोटे-छोटे कर्मचारियों को रिश्वत देती है वह इसलिये नहीं देती कि वह उनका काम बहुत बड़ा अच्छा कर दें। वह तो इस बात की देती है कि उनके काम में अड़चन न पड़े और वह जल्द हो जाय। अगर उनका काम निरीक्षण के ज़रिये जल्द होगा तो यह घूसखोरी कम हो जावेगी। इसलिये मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इस दृष्टि से वह जिला मैजिस्ट्रेट को यह हिदायत करे कि वह किसी खास अफसर को मासिक निरीक्षण के लिये नियुक्त करे।

यदि हमें छोटे कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को खोना है तो सरकार इन वकीलों से अपील करे कि वे देश को ऊंचा उठाने के लिये जो अब तक छोटी-छोटी रिश्वत देने का रिवाज मौजूद है उसे दूर कर दें। आज अदालतों में जो छोटे-छोटे कर्मचारी पैसा लेते हैं उसको उन्होंने हक़ कहना शुरू कर दिया है। वह उसको अब रिश्वत नहीं कहते हैं। वह इस बात का लेते हैं कि काम जरा जल्दी हो जाय। उसके जरिये से न्याय में अधिक फ़र्क़ नहीं पड़ता परन्तु यह एक रिवाज हो गया है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जहां सरकार बहुत से आन्दोलन कर रही है, बहुत से लोगों से अपील कर रही है जो हमारे देश का एक शिक्षित वर्ग है जिसको हम कानून पेशा लोग कहते हैं उनसे खासतौर से अपील की जाय कि देश के नैतिक स्तर को उठाने के लिये वे क़दम उठावें और इस रीति और रिवाज को बन्द करें।

इसके अलावा मैं एक सुझाव और दे देना चाहता हूं। जिलों में अक्सर बहुत से विभागों के इंस्पेक्टर्स हैं जैसे कृषि के सुपरवाइजर्स हैं, एक कोआपरेटिव का है, एक केन सोसाइटी का है, एक ग्राम सभा का है। इन सब के काम बहुत एक से हैं। मैं समझता हूं कि काम में बहुत ज्यादा हर्ज पड़ता है और बहुत सी मरतबे अड़चनें पड़ती हैं। इसलिये ऐसा काम किया जाय जिससे इतने अधिक इंस्पेक्टर्स न रहें और थोड़े हो जायं। इससे हमारे खर्च में भी कमी हो सकती है। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ ऐसा कोआर्डिनेशन सहयोग हो जिससे एक प्रकार के काम करने वाले जितने इंस्पेक्टर्स हैं वह कई न हो कर थोड़े हो जायं।

मैं समझता हूं कि मेरे ये दोनों सुझाव जो मैंने अभी दिये हैं बहुत लाभकर सिद्ध होंगे और मैं उन दोनों सुझावों को माननीय मुख्य मन्त्री जी की सेवा में पेश करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस अनुदान के संबंध में जितने भाषण अब तक हुये हैं उनको बड़े ध्यान से सुना। विरोधी दल की तरफ

से माननीय मलखान सिंह जी ने जिला प्रशासन की आलोचना करते हुये केवल तीन ऐसी मिसालें पेश कीं और उनके द्वारा यह साबित करने की कोशिश की कि जो जिला प्रशासन है उससे काफी असन्तोष जनता में है । यदि उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी का कल भाषण सुना होता तो उन्होंने जो आंकड़े दिये थे कि सन् ४६ से अब तक १२ हजार ५४६ व्यक्तियों के खिलाफ हमारी सरकार ने मुकदमा चलाया है। तो वे तो केवल तीन ही उदाहरण दे पाये जब हमारी सरकार की ओर से १६ हजार ५४६ व्यक्तियों के खिलाफ केसेज चलाये जा चुके हैं। उसके बाद माननीय बालेन्दुशाह जी ने भी कुछ आलोचना की। जहां तक माननीय बालेन्दुशाह जी का संबंध है हमारी सहानुभूति उनके विचारों के साथ है क्योंकि मेरा अपना ऐसा विचार है कि अबतक जो ढांचा उनके जिले में था और जिसको बदले हुये अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ उस नये ढाँचे में अपने को ऐडजस्ट करने में उनको समय लगेगा और यही कारण है कि वे अपने को उस नये ढांचे में अब तक फिट नहीं कर पाये हैं, उनको असंतोष होता है और उसी का प्रतिबिम्ब उनको वहां की जनता में भी दिखलाई पड़ता है।

इसके अलावा जहां तक जिला प्रशासन का संबंध है मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में यह कहना है कि अगर हम पिछले ६ सालों के आंकड़ों को देखें तो मेरा ऐसा विचार है कि हर जिले के अन्दर स्टाफ पांच या छै गुना हो गया है। जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था और चार पांच एस० डी० ओज० होते थे। अब उसके बदले एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ-साथ दो-दो तीन-तीन ए० डी० एम्स० होते हैं, एस० डी० ओज० होते हैं, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्शन आफिसर्स हैं और दिन पर दिन उनकी तादाद बढ़ती जाती है।

जहां तक इन्स्पेक्टोरेट का संबंध है मैं नहीं जानता कि कितने इंस्पेक्टर्स हैं और कितने किस्म के इंस्पेक्टर्स हर जिले के अन्दर मौजूद हैं। हालत यहां तक है कि आज आम जनता के अन्दर एक भावना सी बन गई है कि जो साहब सूटेड बूटेड होते हैं उनको ही इंस्पेक्टर साहब कहना शुरू कर देती हैं। आज इतने ज्यादा व्यर्थ के इंसपेक्टर्स हो गये हैं। मेरा अपना निजी विचार यह भी है कि आज भी सरकार के विभागों में डिपार्टमेंटलिज्म स्पष्टतः दिखाई देता है और कोआर्डिनेशन की कमी है यानी एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ जो सहयोग होना चाहिये उसमें काफी कमी मालूम पड़ती है। यही कारण है कि जनता के साधारण व्यक्तियों को आज भी काफी दिक्कतें सामने आती हैं क्योंकि वह नहीं जानते हैं कि किस विभाग से उनके काम का संबंध है और वह गरीब एक विभाग से दूसरे विभाग में मारा-मारा फिरता है और कोई भी ऐसा आदमी उसे नहीं मिलता जो उसको ठीक रास्ता बतला सके।

आज हमारे यहां प्रशासन की पहली कमी जो मैंने निवेदन की है वह यह है कि हमारे विभागों में आज सहयोग की कमी है और डिपार्डमेंटलिज्म भी अपनी जगह पर चालू है। दूसरी चीज जिसका मुझे अपना अनुभव है वह यह है कि सरकार की तरफ से जो योजना कार्यान्वित की जाती है, मैं नहीं जानता कि सरकारी कर्मचारियों का उसमें विश्वास और श्रद्धा भी होती है या नहीं। मेरा विश्वास है कि अच्छी से अच्छी योजना भी इसलिये सफल नहीं हो पाती कि सरकारी कर्मचारी उस भावना और प्रेरणा के साथ जिनको लेकर वह योजनायें बनाई जाती हैं, उनको चालू नहीं कर पाते। इसलिये मैं चाहूंगा कि कम से कम ऐसी चीज अवश्य होनी चाहिये कि जो सरकार की तरफ से चालू की जाय तो उसमें कम से कम सरकारी कर्मचारियों की श्रद्धा और विश्वास होना चाहिये, तभी हमारी योजनायें आगे चल सकती हैं और सफलता को प्राप्त हो सकती हैं।

तीसरी चीज जो बार-बार कही जा चुकी है और कल भी कही गई वह यह है कि इस बजट के अन्दर जो ७८ करोड़ का है २६ करोड़ रुपये किसी न किसी तरह से

[श्री नवल किशोर]

तनख्वाहों में खर्च किया जाता है और यह हमारे बजट का ३३ प्रतिशत है। इसके संबंध में बहुत से हमारे माननीय मित्रों ने यह कहा और मैं भी उससे पूर्णतया सहमत हूं कि देश के मौजूदा आर्थिक ढांचे को देखते हुये और कामन मैन की आमदनी को देखते हुये इतनी ज्यादा तनख्वाहें देना ठीक नहीं मालूम होता है। कोई भी दलील क्यों न दी जाय लेकिन यह सच है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो तनख्वाहें हैं उनका और विशेष कर ऊंची तनख्वाहों का जनसाधारण की आय से अनुपात बहुत गैर मुनासिब है। इसके संबंध में जो दलील दी गई वह यह है कि पहली चीज यह है कि हमारे प्रदेश में उन कर्मचारियों की संख्या जो १,००० रुपये या उससे अधिक तनख्वाह पाते हैं बहुत ही कम हैं यानी ३३७ हैं। अगर हम उनकी तनख्वाहों में कमी कर भी दें तो भी कोई विशेष बचत नहीं होगी जिससे देश के आर्थिक ढांचे को बदला जा सके या जिन कर्मचारियों को कम तनख्वाह मिलती है उनको कुछ ज्यादा दे सकें। जहां तक दलील का संबंध है वह अपनी जगह पर ठीक है। परन्तु इससे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन तो हो ही जायेगा।

दूसरी कठिनाई यह बतलाई जाती है कि हमारे प्रदेश की तनख्वाहों में और केन्द्रीय सरकार की तनख्वाहों में इतना बड़ा अंतर है कि अगर हम अपने कर्मचारियों की तनख्वाहों को कम कर दें तो उनको प्रलोभन होगा और वह केन्द्र में जा सकते हैं। जहां तक यह दलील है अपनी जगह पर यह भी ठीक है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जहां तक मुख्य मंत्री जी का संबंध है वह इस प्रांत के मुख्य मंत्री तो हैं ही पर इसके साथ-साथ वह हमारे सम्पूर्ण देश के मुख्य मंत्री कर्णधारों में भी हैं और यदि सारे देश को उन्हें आगे ले जाना है और यह हमारा सौभाग्य है कि आज एक ही पार्टी सारे देश में शासन करती है तो क्या यह संभव नहीं है कि सर्विसेज के लिये एक ऐसा नक्शा बनाया जाय जिससे तमाम प्रांतों की तनख्वाहें यूनीफार्म हो सकें और केन्द्र और प्रांत की तनख्वाहों में जो भेद है वह जितना कम से कम हो सके हो जाय। मौजूदा तनख्वाहों का अनुपात जो आज एक और १०० के करीब है वह १ और २० के करीब हो जाय। ऐसी मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा। मैं यह नहीं कहना चाहता कि सभी आफिसर्स अच्छे नहीं हैं या खराब हैं। हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति का, अपने कठोर परिश्रम तथा कर्मनिष्ठा का अच्छा सबूत दिया है। उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और उसके लिये हम उनके आभारी हैं लेकिन आज भी मालूम ऐसा होता है कि अधिकांश सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी तक मौजूदा प्रजातंत्र के ढांचे में जो कि बनने जा रहा है उसमें अपने आपको फिट नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से इस सरकार की बदनामी होती है और उसके लिये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे जिले के कर्मचारियों पर भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अवश्य उस ओर ध्यान दिया है और वह उस ओर सतर्क हैं लेकिन मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो भी कदम हम उठायें उनको ठीक करने के लिये उसमें गति होनी चाहिये, उसको फौरन एक्सपेडाइट करना चाहिये। अमूमन यह होता है कि भ्रष्टाचार के मामले आते हैं और महीनों पड़े रहते हैं और उनका महत्व गिर जाता है। इन शब्दों के साथ जहां तक इस अनुदान का संबंध है उसका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं और यह जो कमियां जिला प्रशासन में हैं उनकी ओर अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हरिशचन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रदेश का सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जैसे कुशल प्रबंधक इस वक्त इस प्रदेश के कर्णधार हैं। हमें विश्वास

है कि जिस तत्परता के साथ अपने इस कल्याणकारी राज्य के अपने उस उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हैं उसके ऊपर तेजी से और मजबूती से कदम आगे बढ़ाते जायेंगे।

माननीय बालेन्दु शाह जी ने अभी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले के स्तर पर शासन का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। समय-समय के ऊपर इस भवन में शासन के विकेन्द्रीयकरण की बात कही जाती है। मैं तो समझ नहीं सकता कि आखिरकार शासन का विकेन्द्रीयकरण और किसको कहते हैं। जिले के स्तर पर हमारे यहां गांव सभायें, अदालती पंचायतें, म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं। अगर उन तमाम चीजों को हम शासन का विकेन्द्रीयकरण नहीं कह सकते तो शासन का विकेन्द्रीयकरण करने के लिये और किन चीजों की आवश्यकता है यह मैं समझ नहीं सकता। इसी के साथ बड़ी अजीब सी दलील हमारे सामने आती है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि टीचर्स की हड़ताल अभी हुई। हर शख्स को टीचर्स की मांगों से सहानुभूति हो सकती है। लेकिन जब यहां पर शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया कि वे जिला बोर्ड्स के अधीन थे और जिला बोर्ड को फैसला करना चाहिये। फिर बार-बार इस सदन में यह सवाल उठाया गया कि सरकार को इस पर निर्णय करना चाहिये। जब विकेन्द्रीयकरण की बात कही जाती है जो जिले के स्तर पर इस तरह की समितियां हैं और कहा जाता है कि शासन केन्द्रीयकरण की तरफ जा रहा है, हम सब चीजों को सेंट्रलाइज कर देना चाहते हैं लेकिन जब उन विकेन्द्रित संस्थाओं तक जाने की बात कही जाती है तो यह कहा जाता है कि नहीं, सरकार उसके लिये जिम्मेदार है, मिनिस्ट्री को उसे तै करना चाहिये और इस प्रकार केन्द्रीयकरण पर आप आ जाते हैं। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, इस तरह से काम नहीं चल सकता। हमें एक चीज अपने सामने रखनी होगी और वह यह है कि जिन चीजों को हमने विकेन्द्रीयकरण किया है उसका सही एप्रिसियेशन हमें करना होगा। माननीय बालेन्दुशाह जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिलों में काफी हद तक चीजों का विकेन्द्रीयकरण है।

मुझे सिर्फ एक बात और कहनी है और वह यह है कि आज जो जिले का प्रशासन है उसे हमें इस कसौटी के ऊपर कसना है कि जो हमने यह तै किया है कि हमें अपने यहां के वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बनाना है उस कसौटी पर वह कहां तक पूरा उतरता है। अपने इस शासन को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये, इस भावना को पूरी करने के लिये, अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें यह देखना है कि हमारा जिले का प्रशासन जो है वह किस हद तक हमको सहयोग दे सकता है या उस कसौटी पर वह पूरा उतरता है या नहीं उतरता है। मैं माननीय साथी नवल किशोर जी से सहमत हूं कि जिले के प्रशासन में अधिकारियों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है मगर उनके जिस कोआपरेशन की जरूरत है जिससे हम अपने शासन को लोक कल्याणकारी राज्य के लिये तैयार कर सकें वह उनमें नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि नार्मल टाइम्स में फौज अपना रवैया जो लड़ाई के जमाने में वह अख्तियार करती है उसको बदलना नहीं चाहती है। इस तरह की चीज हम देखते हैं कि हमें प्रदेश में कल्याणकारी राज्य कायम करना है तो जिले के प्रशासन को हमें उस ढांचे में बदलना होगा और उसके अनुरूप बनाना होगा जिस तरह का कल्याणकारी राज्य हम लोग बनाना चाहते हैं। आज भी मैं देखता हूं कि जिले के प्रशासन में, रेडटेपिज्म के नाम से तो मैं उसको नहीं पुकारना चाहता, लेकिन शासन में जितनी देर होती है मामूली से मामूली बातों को करने के लिये वह प्रवृत्ति अब भी दूर नहीं हुई है। कल्याणकारी राज्य में तो काम जल्दी होना चाहिये और फैसले जल्द होने चाहिये। लड़ाई के जमाने में, एबनार्मल टाइम्स में तो यह है कि एक दूसरी परिस्थिति होती है लेकिन आज जबकि हम अपने प्रांत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं तो शासन को भी उसी ढांचे में डालने की आवश्यकता है। हम देश से गरीबी दूर करने की बात करते हैं, देश के अन्दर से अशिक्षा दूर करने की बात करते हैं, हमें प्रदेश के जिले में प्रशासन को उस ढांचे

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]

में ढालना होगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि मेरे पास एक सुझाव है इस संबंध में और उसको मैं माननीय मुख्य मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि जिला प्रशासन में अधिकारी वर्ग के दृष्टिकोण को बदला जाय। मैं सब अधिकारियों के लिये नहीं कहता। अगर ऐसा होगा तो वह किसी उन्नतिशील प्रजातंत्र शासन के लिये गालिबन सबसे अच्छा प्रशासन होगा मगर जिस वक्त हमें भूख के खिलाफ, अनपढ़ और अविद्या के खिलाफ तथा ऐसी दूसरी चीजों के खिलाफ लड़ना है तो उसके लिये हमें अपने जिला प्रशासन में तब्दीली करनी होगी और कर्मचारियों में सेवा की भावना लानी होगी और उनको इस ढांचे में ढालना होगा जिससे वे कल्याणकारी राज्य के काम में सहायक हो सकें। मान लीजिये १०० गजटेड आफिसर किसी जिले के हेड क्वार्टर पर रहते हैं जो जिले के जरूरी काम करते हैं और उसका प्रशासन करते हैं। मेरा यह सुझाव है कि जिले में केवल १० या १२ आफिसर सुपरिन्टेन्डेन्ट कैपेसिटी या ऐडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करें तथा उनके नीचे गजटेड और नान-गजटेड आफिसर जिले के छोटे-छोटे टुकड़ों में काम करते रहें। उन लोगों में काम को इस तरह से बांट दिया जाय कि १०:१५ गांवों का एक यूनियन बना कर एक अधिकारी के सुपुर्द कर दिया जाय। उनको आज्ञा दी जाय कि वे गांवों में रहें तथा वहां रह कर गांवों के डेवलपमेंट का काम करें। जब एक जिले का अफसर इस काबिल होता है कि वह तमाम जिले के ऊपर अच्छी तरह से सुपरविजन कर सकता है तो अगर १०:१०, १५:१५ गांवों के टुकड़े देकर उनसे कहा जायगा कि तुम डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट की जो योजनायें चल रही हैं तथा वेलफेयर स्टेट में जो कार्य उन्हें करना चाहिये वे उन कामों को करें तो मेरा विश्वास है कि लोगों में कंपीटीशन की भावना पैदा होगी और प्रत्येक १० गांवों का जो अधिकारी होगा वह दूसरे दस गांवों के अधिकारी से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसी चीज कर दी जायगी तो मेरा विश्वास है कि जो मौजूदा ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह उत्तम किस्म का हो जायगा। जब सरकार को नयी बदली हुई परिस्थितियों का सामना करना है तो उसे अपने इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के तरीके को बदलना होगा। इसलिये मेरा माननीय मुख्य मंत्री को यह सुझाव है कि वे जिले के ऐडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से बदलें कि हमारी वेलफेयर स्टेट का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में वह सहायक हों। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री इस पर विचार करेंगे।

श्री त्रिलोकीनाथ कौल (जिला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव केवल इस गरज से है कि मैं कुछ सुझाव.......

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव तो आ चुका है, अब आप जो कुछ कहना चाहें उस पर कहें।

श्री त्रिलोकीनाथ कौल—मैं इस सिलसिले में केवल एक ही बात मुख्य मंत्री साहब और सदन के सामने लाना चाहता हूं और हमारे दोस्त मलखान सिंह जी ने उस बात का तजकिरा किया था। जिस वक्त हम यह सोचा करते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, नीचे के लोगों की तनख्वाहें कम हैं, यह जानते हुये भी हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें अपने खर्चे में कमी करनी चाहिये। कमी से मेरा मकसद कमिश्नरों के स्थानों से है जो मौजूदा निजाम में बिलकुल गैर जरूरी है और उनका रखना फिजूलखर्ची है। जिस वक्त हमारे देश में विदेशी लोगों की गवर्नमेंट थी तो पुरानी कांग्रेस ने जिसके एक सदस्य मलखान सिंह साहब भी थे बार-बार गवर्नमेंट को तवज्जह इस बात की ओर दिलाई और पुराने कांग्रेस वाले बराबर इस बात की कोशिश करते रहे कि कमिश्नरों को हटा दिया जाय। इन जगहों को तो सिर्फ अंग्रेजों को बड़ी-बड़ी तनख्वाह देने के लिये कायम किया गया था। अब जब कि हुकूमत हमारे हाथ में आ गयी है अफसोस है कि हम अपनी बात पर कायम नहीं रह सके हैं।

वक्त कम है, मैं मुख्तसरन यह दिखलाना चाहता हूं कि कमिश्नर बेजरूरत क्यों हैं। आप देखें कि कमिश्नरों के सुपुर्द काम क्या हैं। कहा जाता है कि वे माल की अपीलें सुनते हैं। तो माल की अपीलें सुनने के लिये भी आपने हर जिले में एडिशनल कमिश्नर भेज दिया है जो महज अपीलें ही सुनते हैं। एक खर्च यह और बढ़ा। दूसरे माल की जो अपीलें हैं, अब तक चाहे जितनी रही हों, मैं बहैसियत एक वकील के यकीन दिलाता हूं कि वे आगे बहुत कम हो जायंगी। इस वजह से कि जो हजारों और लाखों बेदखली के मुकदमें हर साल पैदा होते थे वे करीब-करीब खतम हो गये और बकाया लगान के जो दावे होते थे उनकी अब कोई जरूरत बाकी नहीं रही। अब गवर्नमेंट लैन्ड रेवेन्यू के तरीके पर अपना लगान वसूल करेगी। लगान इस कदर कम हमारी सरकार ने रखा है कि उसे अदा करने में काश्तकारों को कोई दिक्कत नहीं पड़े। जब वे अपना पूरा लगान अदा कर देते हैं तो लगान के मुकदमे भी खतम हो गये। इसी तरह से बटवारे के लिये भी जो कानून बना है उसमें भी एक खास हद्द मुकर्रर कर दी गयी है जिससे उससे कम खेत का बटवारा हो ही नहीं सकेगा। इस तरह से बटवारे के मुकदमे भी कम हो जायेंगे। इसी तरह से जमींदारी एबालिशन हो जाने के बाद दीवानी के मुकदमे भी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत कम हो गये हैं। उसकी वजह से रेहन, व्यय, बटवारे और टाइटिल के जितने सूट्स दीवानी में थे वे ज्यादातर जमींदारी के मुताल्लिक होते थे। ऐसी सूरत में दीवानी का काम भी पहले के मुकाबिले में बहुत कम हो गया है और होता जा रहा है। यानी मेरा ख्याल यह है कि एक चौथाई रह गया है। तो ऐसी सूरत में कोई मुश्किल बात नहीं है। जरा सी कानून में तब्दीली से वे अपीलें जो आज कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर सुनते हैं जिनको आपने नया इसी काम के लिये मुकर्रर किया है। उसको दीवानी के सिविल जज, सेशन सबार्डिनेट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो हर जिले में रहते हैं या ये तीनों आदमी इस कदर काम कम हो जाने के बाद बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोर्ट आफ वार्ड्स करीब-करीब खत्म हो ही गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और गवर्नमेंट के बीच जो बहुत से दरमियानी जरिये थे वे भी अब उड़ गये। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स के मामले रह गये। मेरे ख्याल से कमिश्नरों के नजदीक उनके मामले जाने से और भी दिक्कतें और देर हो जाती है। एक दफा यहां पहुंचा, फिर वहां से गवर्नमेंट के पास पहुंचा, फिर गवर्नमेंट के पास से कमिश्नर के पास पहुंचा और कमिश्नर के पास से तब उनके पास पहुंचा और अगर बीच में कोई और बात पैदा हो गयी तो फिर उनको इसी तरह से वापस भेजना पड़ा। तो जो मामले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स के होते हैं वे कमिश्नरों के जरिये आने से बजाय आसानी से तय होने के मेरे नजदीक उनमें देर लगती है और असुविधा होती है। लिहाजा मेरी राय में कतई नजर इस बात के कि यह सुझाव विरोधी दल की तरफ से आया है इसका खयाल नहीं करना चाहिये। यह एक ऐसी मद है जिसमें गवर्नमेंट बहुत आसानी से किफायत कर सकती है। यों ऐसे आप देखें, हर जिले के हमारे यहां मिनिस्टर इन्चार्ज और डिप्टी मिनिस्टर्स मौजूद हैं। मैं मानता हूं कि काम हमारे यहां ज्यादा बढ़ गया है मगर कभी भी हिन्दुस्तान और यू० पी० की तवारीख में इतने ज्यादा मिनिस्टर नहीं रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि इतने न रहें मगर मैं यह कहता हूं कि उनकी मौजूदगी में बीच के दरमियानी दर्जे की जरूरत बाकी नहीं रहती। अंग्रेजों के जमाने में जब कमिश्नरों की शिकायत की जाती थी और उनको हटाने के लिये कहा जाता था कि यह सीगा बेकार है तो अंग्रेजों के जमाने में उनको वाच डौग्स् कहा जाता था। वह जिलों में साल भर में एक बार दौरा किया करते थे। मगर अब आपको इन वाच डाग्स् की क्या जरूरत है। अब तो आपको हवाई डाक से हर एक चीज की खबर मिलती रहती है और वहां से वह खबर देते रहते हैं। कोई खबर ऐसी नहीं होती जो मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर तक न पहुंचती हो। अलावा इसके हमारी पब्लिक भी अब इतनी जागृत हो गयी है कि जिससे यह सब आसान हो गया है। हर

[श्री त्रिलोकीनाथ कौल]

मामले में उस वक्त तो कमिश्नर वगैरह से मुलाक़ात करना मुश्किल होता था। अब तो हर एक शख्स पहुंच सकता है। अगर आपकी नियत खर्चे में कमी करने की है तो इससे उम्दा और कोई सीग़ा नहीं हो सकता। इसमें आसानी से कमी हो सकती है। बस अब ज्यादा वक्त सदन का लेना नहीं चाहता। केवल यह बात अर्ज करनी थी और दूसरे कामों के मुताल्लिक़ बाक़ी हमारे लायक दोस्त जो खामियां हैं उनको बतला चुके हैं। मेरा खयाल यह है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और हो रहा है। यों तो कोई न कोई बात किसी सीग़े में इतने बड़े प्रदेश में पैदा हो जाना मामूली बात है लेकिन आमतौर पर बहुत काफी तरक्की हुयी है और वह काफ़ी अच्छे तरीके पर चल रहा है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जिला संबंधी जो अनुदान पेश किया गया है और उसके ऊपर मलखान सिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही जिले के प्रशासन का बजट हमारे सामने पेश होता है यकायक हमारा ध्यान उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जिन्होंने अंग्रेजी राज्य में जिले के प्रशासन के अन्दर रहने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का शासन देखा था। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि माननीय मुख्य मंत्री की इच्छा यह होगी कि जिले के शासक उसी रास्ते का अनुकरण करें जो कि अंग्रेजों के राज्य में करते थे। किन्तु मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि जिस प्रकार से अंग्रेजी शासन में जिले के प्रशासक गैर कानूनी कामों को करते थे उसी तरीके से उसी रास्ते का अनुकरण आज भी वह करते हैं और मैं यह समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री और उनकी सरकार उन सारी बातों को सही मानती है जो कि जिले के अधिकारी सरकार के पास खबर देते हैं। मैं उस समय नत मस्तक हो जाता हूं जिस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता या किसी दूसरी राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गैर कानूनी हमला किया जाता है। यही नहीं प्रदेश के बहुत से कार्यकर्ताओं को अपने हाथ से थप्पड़ मारते हैं। तो कहा नहीं जा सकता कि वह अधिकारी जो स्वयं मारा है वह प्रार्थी के साथ किस तरह से न्याय करेगा। श्रीमन्, अभी मुझे बहराइच जाने का मौक़ा मिला था। प्रान्तीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त मंत्री श्री बेणी प्रसाद माधव को बहराइच के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने माननीय स्वशासन मंत्री के सामने, आज वह इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनके सामने थपेड़ा मारा। इसलिये कि श्री माधव ने उनसे कहा था कि सरकारी स्टेट के जो साधन (कारें) हैं उनको चुनाव के लिये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके मुताल्लिक वहां पर १२,१३ दिन से वह अनशन कर रहे थे और कलही उनका अनशन टूटा है। मेरा यह ख्याल है कि बहराइच की इस घटना का मंत्रिमंडल को पता होगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बहराइच के ऊपर कुछ किया गया है। मेरा ख्याल है कि यह सरकार ही छिद्रान्वेषी है। इस तरह की रिपोर्ट छः तारीख के तार द्वारा मेरे जिले से आई है। हमारे यहां के कार्यकर्ता को श्री इन्द्रदेव चौहान को हाकिम के सामने सब इंस्पैक्टर पुलिस घोसी ने थप्पड़ से मारा है, ठोकरें लगाया है और हवालात में बन्द किया। मैं समझता हूं कि गांवों में सब जगह सारे प्रदेश में इस तरह की घटनायें होती हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को इस तरह का आदेश देना चाहिये कि राज्य के कर्मचारी या अधिकारी चोरी, बदमाशी करने वाले व्यक्तियों को अवश्य दंड दें। परन्तु किसानों और मजदूरों को संगठित करके गैरकानूनी कामों को रोकने वाले कार्यकर्ताओं को अधिकारियों को थपेड़ा नहीं मारना चाहिये। दिनों दिन जिलों में अफ़सरों की तादाद बढ़ती जा रही है लेकिन वहां न्याय नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का प्रस्ताव था कि हम न्याय और शासन को अलग कर देंगे लेकिन न्याय और प्रशासन का कोई बिलगाव नहीं हुआ। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या परगना हाकिम वगैरा जो गैर क़ानूनी काम करते हैं वह उन कामों को नहीं कर सकते थे अगर उनको डर होता कि उनको भी न्यायालय में सजा मिल जायेगी लेकिन जो गैरकानूनी काम करते हैं, उन्हीं की अदालत में थप्पड़

खाने वाला दरख़्वास्त देता है और उसकी सुनवाई नहीं होती। इस तरह से न्याय का गला घोंटा जा रहा है और यहाँ का शासन दुःशासन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, डिप्टी मैजिस्ट्रेट, स्पेशल मैजिस्ट्रेट, रेवेन्यू आफिसर और ट्रेजरी आफ़िसर आदि के वेतनों की जब मैं लेखा जोखा देखता हूं कि उसमें कितनी बढ़ोत्तरी हुई है और जब मैं मोटरगाड़ियों के ख़र्च को देखता हूं तो दूसरी तरफ़ मेरा ध्यान इन प्रशासकों के अन्दर काम करने वाले चपरासियों की तरफ जाता है, वह बहुत ही ग़रीब और कमज़ोर आदमी हैं लेकिन कचहरियों में उनसे किसी तरह से काम लिया जाता है और कचहरियों के बाद ज़िलों के अधिकारी उनसे कौन कौन से काम लेते हैं वह मैं कहने को तैयार नहीं हूं लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो घर पर चपरासियों से काम लिया जाता है उसको रोकना चाहिये। इस प्रकार के रिवाज को बन्द करके हज़ारों चपरासियों के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

इसके अलावा एक और अनुदान जो कम किया गया है उसे देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ। नावों की व्यवस्था जो पारसाल की गयी थी उसमें भी कमी की गयी है। हम बाढ़पीड़ित जिलों के रहने वाले हैं। और हम देखते हैं कि बाढ़ के वक्त लोगों की रक्षा के लिये कौन सी परेशानियां वहां होती हैं और जहां नावें रहती हैं देहातों में वहां के लोग नावों के ही द्वारा उनकी रक्षा कर पाते हैं। पिछले साल भी हमने देखा है कि सरकारी नावों से हज़ारों आदमियों की रक्षा हुई है लेकिन इस रक़म में कमी करने के मानी होते हैं कि बाढ़पीड़ितों की रक्षा न की जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के अनुदानों में कमी न होनी चाहिये।

नई गाड़ियों की ख़रीद के लिये भी इसमें ३ लाख कई हजार रुपया रखा गया है। हम लोग देखते हैं कि ज़िलों के अधिकारी सरकार की गाड़ियों का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं और सदन के हर एक माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि किस तरह से सरकार की गाड़ियों का दुरुपयोग यह अफसरान करते हैं। इस स्टेट का पैसा इस तरह से न बहना चाहिये। इसके अलावा मैं देखता हूं कि इसमें एक अनुदान रेलवे मैजिस्ट्रेट का रखा गया है। जहां तक मेरी जानकारी है रेलवे की आमदनी केन्द्रीय सरकार के पास जाती है। इसमें ६२ हज़ार सौ रुपये का अनुदान रेलवे मैजिस्ट्रेट के लिये रखा गया है। रेलवे मैजिस्ट्रेट, मैं समझता हूं जो भी जुर्माना करते होंगे वह सारा का सारा पैसा केन्द्रीय सरकार के पास जाता होगा, तो मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रेलवे मैजिस्ट्रेटों के लिये जो अनुदान रखा गया है वह केंद्रीय सरकार के सुपुर्द कर देना चाहिये और अब माननीय मुख्य मंत्री हमारे प्रदेश के वृद्ध नेता हैं और कांग्रेस और सरकार में उनका बहुत बड़ा स्थान भी है तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार के सामने इस तरह का प्रस्ताव रक्खेंगे तो केन्द्रीय सरकार जरूर स्वीकार कर लेगी। इस तरह से ६२ हजार सौ रुपये की बचत हो जायगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जब मैं यह देखता हूं कि शासन और न्याय का बिलगाव न होने के कारण देश में आज अराजकता फैली हुई है और आज ज़िले के अधिकारी पुलिस के सारे कार्यों का समर्थन करते हैं और यह भी देखता हूं कि पुलिस के अधिकारी ग़ैर क़ानूनी काम करते हैं तब भी ज़िले का अधिकारी उसका समर्थन करता है और खुद न्याय को छोड़ देता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो घटनायें नहीं, बीसों घटनायें इस प्रदेश की पेश कर सकता हूं। किन्तु इतना समय नहीं है। अख़बारों में कल ही समाचार निकले हैं कि जौनपुर ज़िले की केराकत तहसील में और बलिया ज़िले की बांसमंडी तहसील में, देवरिया ज़िले में बहुत से किसान मौत के शिकार हुये हैं। पुलिस की गोलियों से मारे गये हैं। खेतों पर लाठी से मारे गये हैं। मैं अपने ज़िले की बात कहना चाहता हूं। हमारे ज़िले में भूतपूर्व जमींदारों ने संगठित हो कर के सोशलिस्ट पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता श्री असगरअली को दिन दहाड़े गांव में घुस कर

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

मार डाला। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं, माननीय गृह मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। लेकिन २५ जनवरी को उन्होंने सदन में भाषण दिया कि छोटी क़ौमों के लोग बड़ी क़ौमों को परेशान करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री स्वप्नचारी समाजवादी हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन का कोई ऐसा माननीय सदस्य होगा जो यह समझता होगा कि आज भी हमारे प्रदेश में इस तरह से जाति विरादरी के नाम पर संगठित दल, बड़े लोगों को परेशान करता होगा मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आज हमारे जिले आजमगढ़ में भूतपूर्व जमींदारों का पुलिस के साथ गठबंधन हो गया है और गैरकानूनी काम किये जा रहे हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मैंने पेश किया है वह शासन के एक बड़े विस्तृत क्षेत्र से संबंध रखता है। और मैं यह समझता हूं कि जो कोई सुझाव यहां इस संबंध में दिये गये हैं या जो समालोचना की गयी है वह ऐसे अनुदानों के संबंध में होना अस्वाभाविक नहीं। उसमें सभी बातें ऐसी हों कि जो कि ग्राह्य ही हों यह तो कठिन है मगर उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक और उचित है।

हम सब लोग यह चाहते हैं कि हमारे शासन का और जो लोग शासन के कार्य में सरकार की तरफ से नियत हैं उनका जनता से पूरा सम्पर्क रहे। जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनकी अच्छी तरह से रक्षा और सहायता हो सके। हर मनुष्य को इस बात का भरोसा रहे कि शासकों से उसके लिये न्याय होगा और चाहे उसकी कुछ ही अवस्था हो, चाहे वह कितना ही गरीब हो और चाहे वह किसी धर्म या वर्ण या जाति का हो, परन्तु उसके लिये जो कि हमारे विधान ने सब के लिये समानता, समानाधिकार की अपनी प्रतिज्ञा को उन शब्दों में सम्बद्ध कर दिया है, वह हर तरह से पूरी हो। इसमें सम्भव हो सकता है कि न्याय करने के काम में भी कभी गलती हो पड़े। मगर जहां तक इरादे का सवाल है, जहां तक अपने से प्रयत्न और उद्योग हो सकता है प्रत्येक का जो कि सरकार के काम से संबंध रखता है, यह फ़र्ज है कि वह इन्साफ करने और सब में सद्भावना पैदा करने का उद्योग करे। अगर इस काम को हमें करना है तो जनता को भी सहयोग देना है, चूंकि बग़ैर सहयोग के तो कोई कितनी ही अच्छी वृत्ति रखे, वह सफल हो नहीं सकता। अगर कोई चोर चोरी करे, दिन दहाड़े भी करे, मगर जो लोग देखते हैं वह उसकी शहादत न दें तो फिर न्याय नहीं हो सकता और खास कर एक जाग्रत समाज में जहां कि प्रतिदिन नये नये पृष्ठ उठ सकते हैं और सजीवता प्रतिदिन उभरती जाती है, वहां इस बात की आवश्यकता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वह वास्तव में अपने को जनता का सेवक समझें और इसी तरह से काम करें।

हमारे क़ानून में, जब अंग्रेज थे तब भी और आज भी, हर आदमी जो सरकार का काम करता है वह पब्लिक सर्वेंट है। कानून से भी उसको पब्लिक सर्वेंट फरायज अदा करने हैं और पब्लिक सर्वेंट के लिये कानून में उसकी हिफाजत के लिये भी बातें रखी गयी हैं। इसलिये पब्लिक सर्वेंट होना एक बड़ी ऊंची चीज है और उस अपने कार्य को समझते हुये गवर्नमेंट को अपना अपना कर्त्तव्य पूरा करना है और जो कि "विदाउट फीयर" और "विदाउट फेवर" बात कही गयी है उसी ढंग से निष्पक्ष हो कर और सब के साथ मृदुता का व्यवहार करते हुये निर्भीकता से अपने कर्त्तव्य को पूरा करने का गवर्नमेंट को यत्न करना है और उसमें सेवा की भावना, जहां कार्य करना है, भरपूर होनी चाहिये, क्योंकि उस भावना के बिना कार्य में सफलता भी पूरी तरह होना कठिन है। आज उसके लिये एक साइकालोजिकल एटमास्फ़ियर, एक वायुमंडल, जिसमें मृदुता के साथ काम हो सके वह उत्पन्न भी नहीं हो सकता है। इसलिये हमें इस तरीक़े पर सभी को, चाहे कोई बहुत छोटी तनख्वाह पाता हो, चाहे कोई अधिक तनख्वाह पाता हो, जनता के सेवक के नाते अपना काम करना है और मैं समझता हूं कि जो कोई भी गैरकानूनी काम हों, जैसे रामसुन्दर जी ने कहा, उनको रोकना सरकारी कर्मचारियों का कर्त्तव्य है और च
हो, चाहे छोटा, उन्हें क़ानून की मर्यादा को क़ायम रखना है और चाहे ५०० आ

कानून के खिलाफ चलें तब भी उन्हें कर्तव्य को निभाना है और चाहे एक आदमी चले तब भी निभाना है परन्तु यदि वही कोई कानून से विचलित हो जाय तब फिर कानून के मुताबिक़ कार्य करने में कठिनाई आ सकती है। मैं समझता हूं कि साधारणतः इस बात की कोशिश की जाती है कि सही ढंग से काम हो। जब कभी भी कोई बात ऐसी मालूम होती है जिसमें कोई बेजा कार्यवाही हुई हो तो उसका उपाय करने का उद्योग किया जाता है और जो कि शासन के संबंध में (डिसिप्लिनरी) अनुशासन की कार्यवाहियां की गयी हैं जिनका कुछ जिक्र मैंने कल किया था उससे यह मालूम हुआ होगा कि सरकार की तरफ से कोई कोताही इन बातों में नहीं होती है। परन्तु फिर भी यह सम्भव है कि बाज बातें रह जाती हों, ध्यान तक न पहुंचती हों और इसके लिये भी जनता को सजग होने की जरूरत है और इस बात की जरूरत है कि वह अपने सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की मानमर्यादा का भी ध्यान रखते हुये उनके अनुचित कार्यों के लिये जो उनके ऊपर अधिकार रखते हैं उनके सामने बातों को रखें ताकि सब काम सुचारू रूप से चले। जहां तक इन बातों में कोई उपाय किया जा सकता है उसे करने की कोशिश की जाती है। रामसुन्दर जी ने अपने जिले में कुछ जमीन के बारे में और कुछ जमींदारों के बारे में बातें कहीं। उन्होंने मुझसे भी कहा और उन्होंने यह सुझाव दिया कि वहां इस बात का प्रबन्ध किया जाय कि मौके पर जाकर अधिकारी फैसला कर दें इसके लिये वहां हिदायतें दी गयीं। जिले के तमाम डिप्टी कलेक्टर मौक़े पर जाकर उन अधिकारियों को तय करने के लिये भेजे गये और उन्होंने मौके पर जा कर वहां जो जरूरत थी उसे पूरा करने की कोशिश की। इसलिये उनको उलहना नहीं होना चाहिये। परन्तु इस पर भी उनको सन्तोष न हो यही उनको अभीष्ट हो कि न्याय हो या अन्याय, कानून के खिलाफ हो या मुआफिक हो, मगर जैसी उनकी अभिलाषा है वैसा ही हो तो यह तो एक न्याय या कानून के सर्वोपरि होने के सिद्धांत के विरुद्ध बात हो जाती है और यदि ऐसा न हो सका और उसमें ऐसा न हो सकने से ही न्याय हो तो उनको उस सिद्धांत की अवहेलना नहीं करनी चाहिये।

यहां पर उन्होंने एक बात यह भी कही कि रेलवे मैजिस्ट्रेटों के ऊपर जो खर्च होता है वह केन्द्रीय सरकार से मिलना चाहिये। रेलवे मैजिस्ट्रेट असल में केन्द्रीय सरकार से ही अपना वेतन पाते हैं। हमारे बजट से मिलता ह मगर जितना ख़र्च होता है वह केन्द्रीय सरकार से हमको मिलता है। इसलिये उनकी चिन्ता इस बारे में तो मैं दूर ही कर सकता हूं और जो बातें यहां कही गयीं उनमें जहां तक डिसेंट्रलाइजेशन की बात है मैं चाहता हूं कि इस बारे में कोई भ्रम न हो। डीसेंट्रलाइजेशन के माने क्या ? एक तरफ से तो बालेन्दुशाह जी ने यह शिकायत की कि जिले के अधिकारी तो महाराजाधिराज बन गये। उसका अर्थ मैं यही समझता हूं कि वह अपने अधिकार को ऐसा करते हैं कि जो पहले महाराजा थे उनके ऊपर भी उनका अपना अधिकार चलता है। यह सेंट्रालाइजेशन हो या डिसेंट्रलाइ-जेशन, जब विलीनीकरण हुआ तब उसके बाद अनिवार्य सा हो गया, इसलिये वह सेवक का सेवक होने के नाते से भी अपने कर्तव्य को करने के लिये हर तरह से मजबूर होता है। उसको अगर महाराजाधिराज कहा जाय तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन से महाराजाधिराज के महाराजा होने का अन्देशा हो सकता है। अब दूसरी बात उन्होंने यह कही कि कोई एक आदमी ऐसा हो जिसको पूरा अधिकार वहां दे दिया जाय, तो फिर वह आदमी पूरी तरह से महाराजाधिराज का भी महाराजा हो जाता है। ऐसा कर देना डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है बल्कि पहले जो एक डिस्पोटिज्म था वही कायम हो जाता है। इसलिये यह बात तो किसी तरह से बैठती नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन के माने यह हो सकते हैं कि ऐसी संस्थायें हों जिनको कानून के मुताबिक़ काम कर डालने का अधिकार हो। इस सूबे में ऐसी संस्थायें जैसा कि बतलाया गया और सबको मालूम है म्युनिसिपल बोर्ड हैं, टाउन एरियाज हैं, नोटिफाइड एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं और क़रीब ३५ हजार पंचायतें हैं। उन सब को इसी लिये बनाया गया है कि वे अपने अपने स्थलों में अपने शासन का कार्य जो कि उनका क्षेत्र है उनके भीतर कर सकें। इस विचार से कि वे अच्छी तरह से कार्य कर सकें सब को सहयोग देना चाहिये परन्तु ऐसी ग़लत नीति उनको

[श्री गोविन्द बल्लभ पन्त]

नहीं बतलाना चाहिये कि तुम जितना चाहो उतना खर्च करते जाओ, आमदनी का कोई खयाल मत करो, जो तुम्हारे मुलाजिम हैं उनकी भी तनख्वाह दुगनी तिगुनी कर दो, परन्तु वह रुपया तुमको प्रादेशिक सरकार से जरूर ही मिलना चाहिये, यह तो डिसेंट्रेलाइजेशन के खत्म कर देने की बात है, क्योंकि जिसको अधिकार होता है वह तभी होता है जब वह कर्तव्य को भी पूरा करता है, किसी को खर्च करने का ही अधिकार जब तक आय न कर सके मिलना प्रकृति के विरुद्ध है, जहां से मिलता है उसका फिर उसके ऊपर निरीक्षण अवश्यंभावी हो जाता है। इसलिये डिसेंट्रे-लाइजेशन होने पर इन संस्थाओं को सेल्फ सफिशेंट जहां तक होना चाहिये। इसके अलावा डिसेंट्रेलाइजेशन बहुत काफी इस ढंग से भी है कि इस वक्त और भी कमेटीज हर जिले में मौजूद हैं, प्लानिंग कमेटीज हैं, ऐंटीकरप्शन कमेटीज हैं और बहुत क़िस्म की कमेटीज हैं जिनकी सलाह से काम होता है। इसलिये यदि इस काम को और जनता के सम्पर्क से करना है तो वह आपस के मेलजोल से हो सकता है न कि और कोई कानूनी तरीक़े पर दूसरी बातों को पैदा करके क्योंकि उससे उलझनें ज्यादा होंगी और सुलझने की गुंजायश कम होगी।

यहां पर मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता जिनका जिक्र उन्होंने भी करना नहीं चाहा परन्तु मैं यह चाहता हूं कि शासकों की जो कठिनाइयां हैं उनको भी जो उत्तरदायित्व के स्थान पर हैं समझें। यदि कभी उनको ऐसे कठोर काम करने पड़ें जिनसे उनको प्रसन्नता न हो तो कठोर कर्तव्य करने के नाते उनसे किसी को अप्रसन्न नहीं होना चाहिये।

मैं कमिश्नरों के बारे में बहुत कहना नहीं चाहता। यह सही है कि कमिश्नरों के संबंध में कांग्रेस ने और हमने यही चाहा था कि कमिश्नरों को अलग करना चाहिये। जहां तक कमिश्नरों के पूरे कार्य का संबंध है, उस हद तक कमिश्नरियां खत्म हो गयी हैं। जहां तक शासन में कमि-श्नरों के बीच में आने से अड़चनें होती थीं और कमिश्नरों के हस्तक्षेप से जिले के अधिकारियों को सरकार के साथ सीधा नाता रखने में दिक्कतें होती थीं वे दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं।

अब जो प्रणाली है उसमें पुराने कमिश्नर उस तरह के रहे ही नहीं, केवल वह एक नाम है और उनके कामों में बड़ा फर्क हो गया है। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि यह सब हमेशा रहें ही। यह जितनी संख्या है ३ या जितने पहले थे वह भी एक वक्त तक रहे। जैसा कहा गया कि रेवेन्यू अपील वगैरह के काम होते हैं और जैसी आज स्थिति है उसमें मैंने कहा था कि बहुत से कानून अभी ऐसे हैं जिनमें कमिश्नरों को अपील होती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में भी अपीलें उन्हीं तक जाती हैं। कुछ एफीशियेंसी आडिटर्स की जरूरत हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में है। हमारे प्रदेश के जिलों का जो काम है उसमें कई ऐसे लोगों की जरूरत है जोकि उसकी एफीसेंसी को आडिट करें और निष्पक्षता से यह देखें कि काम किस ढंग से हो रहा है। इसका अगर कोई जरिया नहीं रहा तो उसमें किफायत नहीं खर्चा बढ़ सकता है। किफायत वह चीज होती है जिससे असल में खर्चे में कमी हो। जाहिरी खर्चे में कमी करना जिससे असली खर्चा बढ़ जाय तो वह किफायत नहीं होती। इसलिये जहां तक कमिश्नरों का ताल्लुक है वह बहुत कम कर दिये गये हैं। दस के मुकाबिले में आज सिर्फ तीन कमिश्नर हैं। वह तीन कमिश्नर एक खास काम करते हैं जो कि पुराने कमिश्नरों के काम से बहुत ही कम मेल खाता है। इसलिये जब तक कि आज भी हजारों मुकदमें जो कमिश्नरियों में हैं, अभी तो वह पुराने मुकदमें ही निबटाने के लिये काफी तादाद की जरूरत है, यह भी भूलना नहीं है। उन लोगों की तनख्वाहें जो कुछ हैं और इस समय जो कुछ भी केन्द्र की कानूनी बातें हैं, उससे वह कम हो नहीं सकतीं इसलिये चाहे उन कमिश्नरों को अलग करके दूसरे को भी वहां उन कामों के लिये लगायें तब भी उनका वेतन तो देना ही पड़ेगा। इसलिये तीन कमि-श्नरों की संख्या को अधिक समझना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। इस दृष्टि से किसी ने देखा नहीं कि इन तीन के लिये काम है या नहीं है। एक तरफ से जिले के अधि-कारियों के निरीक्षण की बात को आवश्यक समझना और दूसरी तरफ से किसी

भी निरीक्षक को न रहने देना, यह तो दोनों बातें युक्तिसंगत नहीं हो सकतीं। ऐसा कोई न कोई ढंग तो उसका होना चाहिये। जहां तक बोर्ड का ताल्लुक है उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ। एक बहुत पुराना बोर्ड तो रहा ही नहीं है, उसका मैंने खुद यहां पर उल्लेख किया था।

हमारे शासन के सिलसिले में आज हमारा जो आदर्श और उद्देश्य है वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना है और इस बात की आवश्यकता है कि हर एक में वह भावना हो, हर एक में वह आदर्श हो और हर एक जो कि सार्वजनिक कार्य करता है, चाहे वैतनिक हो, चाहे अवैतनिक हो वह उस काम को अपना मुख्य काम समझे। इसलिये उसमें मनोभावना के परिवर्तन की जिस हद तक आवश्यकता है वह होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि उस परिवर्तन की आवश्यकता को सभी पूरे तौर से महसूस नहीं कर पाये हैं और इसको उन्हें महसूस करना चाहिये। यह भी जरूरी है कि वास्तविक काम में सब की शिर्कत हो और जो बातें यहां कही गयीं कि १०,१५ गांवों में एक आदमी की देखरेख हो, उसका उपाय किया जाता है। मगर बड़े लोग तनख्वाह पाने वाले जो हैं, केवल १०,१५ गांव के पीछे एक एक व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। वैसे डेवलपमेंट ब्लाक्स बनाये गये हैं और उनमें हरएक को कुछ विशेष गांवों के लिये जिम्मेदार बनाने का भी हमारा प्रोग्राम है। मैं समझता हूं कि जो इंस्पेक्टरों के बारे में बातें कही गई उसी पर ध्यान देने की जरूरत है और हमने दिया भी है। जहां तक नीचे के फील्ड वर्कर्स की बात और मुख्तलिफ महकमों की बात है, यह तो इस सदन को मालूम होगा कि एकीकरण करने का और जहां यह न हो सके वहां सामंजस्य करने का उद्योग किया जा रहा है और फील्ड लेविल वर्कर्स को एक मल्टी पर्पज वर्कर्स बनाने के लिये प्रयत्न पूरा हो रहा है। इसके फलस्वरूप बहुत से जो आपस में अलग अलग रहते थे वे महकमें के लोग अब एक हो कर काम करते हैं। उस सिद्धांत के अनुसार काम हो रहा है और उसे ध्यान में रखा जायगा। कुछ यह भी कहा गया कि स्टाफ ज्यादा है। इसके बारे में मैं समझता हूं कि छानबीन की जरूरत है और यदि स्टाफ ज्यादा है तो यह सही बात है कि काम भी बढ़ा है। डिप्टी कलेक्टर्स हैं, जुडिशियल आफिसर्स हैं सब बढ़े हैं और आज काम भी बहुत ज्यादा है। उन कामों को सुचारुरूप से करना आवश्यक है। मगर एक पैसा भी फजूल नहीं जाना चाहिये। यदि कहीं यह देखा जाय कि जरूरत से स्टाफ ज्यादा है तो उसे कम करना आवश्यक है और उसके ऊपर सरकार को विचार करना होगा और उसके लिये देखरेख भी करनी होगी। पर यदि इस सदन के सदस्यों को इस संबंध में कोई विशेष बात या जानकारी हो और वह उसको बता सकें तो मैं उनका आभारी हूंगा ताकि सबसे लाभ उठाकर हम उन बातों पर अपना निर्णय और निश्चय कर सकें।

कुछ बातें इधर उधर की ऐसी कही गई कि म्युनिसिपैलिटीज से एक फाटक बनेगा, वह इस अनुदान में आता नहीं है। मगर कोई बेजा बात हुई होगी तो वह देखी जावेगी। अगर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां गलत तरीके पर काम में आती हैं तो म्युनिसिपैलिटियों को सचेत होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह संभव हो सकता है कि अभी भी कहीं कहीं इस तरह से पूरी तरह ध्यान रख कर गाड़ियों का उपयोग न होता हो; इसके बारे में कुछ लोगों को सजा भी दी गई है परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकारी नौकर इसमें सचेत रहें और यदि इस संबंध में और भी शिकायतें हुई और गाड़ियों का दुरुपयोग हुआ तो सरकार उसे बहुत गलत बात समझेगी और उसे ठीक करने के लिये जिन उपायों को करना होगा उन्हें करने पर मजबूर होगी।

यह भी कहा गया कि अदालतों में लोग वक्त पर नहीं आते हैं। हमने पूरी कोशिश इस बात की, की है कि जो वक्त मुकर्रर है उस पर अधिकारी लोग अदालतों में आया

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

करें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बहुत से काम होते हैं और वह ठीक समय पर अदालत में आवें ही यह सदैव उसके लिये संभव न हो ऐसा हो सकता है क्योंकि अदालतों में उनके मुकदमें भी कम होते हैं। मगर जहां तक सब-डिवीजनल आफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट के और स्टाफ का या जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का ताल्लुक है उन सब को अपने वक्त पर आना चाहिये और अब यह तरीका भी रखा गया है कि हर एक को उसके आने पर उसके आने का वक्त भी दर्ज करना पड़े और जहां कहीं यह देखने में आया या मालूम हुआ मुआयना करने पर कि अपने आने पर जो वक्त रजिस्टर में दर्ज नहीं किया है तो उस दिन के लिये उस पर कार्यवाही भी की गई है और जिन लोगों ने मुकदमों को बगैर अच्छी तरह से ध्यान दिये तारीख तो मुकर्रर कर दी लेकिन मुकदमों को ठीक वक्त पर नहीं किया उनकी शिकायतों के आने पर भी कार्यवाहियाँ की गईं और उनके इंक्रीमेंट्स रोके गये और उनकी तनज्जुली तक का ख्याल किया गया। मैं समझता हूं कि सरकारी अधिकारी अच्छी तरह से समझ लें कि जो नियम सरकार बनाती है उसको उनका पालन करना है और उनका पालन न हो तो फिर सरकार इस बात को किसी तरह से उचित नहीं समझ सकती और उनके उस उल्लंघन को वह नजरन्दाज नहीं कर सकती। कुछ यह भी कहा गया कि जो आज्ञायें सरकार देती है उनका पालन पूरी तरह से नहीं होता और हुक्म की तामील नहीं होती। यह अगर होता है और जहां भी होता है बड़े दोष की बात है। सरकार चाहे कोई भी सरकार हो हुक्म को तामील करना और उसके मुताबिक अमल करना सरकार के हर एक मातहतों का, सभी मातहत का फर्ज है और अगर वह उसमें ढिलाई करे तो फिर सरकार का काम नहीं चल सकता और उनका भी काम नहीं चल सकता क्योंकि उनके भी नीचे और काम करने वाले होते हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस किस्म की शिकायत नहीं सुनी जायगी और अगर यह कोई कहता है जैसा कि यहां कहा गया है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते इसके लिये तो सरकार जिम्मेदार है तो सरकारी अहलकार का इस तरह से कहना हर तरह से अनुचित है। सरकारी अहलकार को जो वह कर सकता है करना चाहिये मगर सरकार के किसी काम की आलोचना करना या सरकार के बारे में कोई ऐसी बात कहना अनधिकार चेष्टा है और ऐसा उनको हरगिज नहीं करना चाहिये। ऐसा करने में अनुशासन की कार्यवाही हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि हमारे सदन के सभी सदस्य और जनता शासन के कार्य को सुचारुरूप से चलाने को देखा करेगी और इसमें हम सब लोग सहयोग के द्वारा जो हमारे प्रदेश में ६ या सवा ६ करोड़ जनता रहती है उसके कष्टों को दूर करके उसकी अव्यवस्थाओं को दूर करके उसको कुछ थोड़ा सा जहां भी संभव हो सके आराम पहुंचाने का यत्न करेंगे। हमारा गरीब देश है, जनता दुखी बहुत है और शासकों और जनसेवकों सबका कर्त्तव्य है कि वह मिल जुलकर इस तरह से काम करें जिससे कि एक नया वायु-मंडल हो। हमारे देश में जिसने स्वतंत्रता प्राप्त की है कि एक नये युग के सुन्दर सुगंधित समीर को अनुभव करने का अवसर हमारे प्रदेश के लोगों को मिल सके और सबका एक दूसरे के साथ संबंध व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्तम हो और सारे प्रदेश की उन्नति के कार्य में कृतकार्य हों।

श्री मलखान सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की अत्यन्त प्रसन्नता है कि मैंने जो कुछ भी बातें कही थीं उसमें मेरा साथ यहां के माननीय सदस्यों ने किसी ने एक, किसी ने दो और किसी ने तीन और किसी ने सब बातों में बड़े जोरों के साथ दिया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह का यहां कथन किया मैं कह सकता हूं कि यह संतोषजनक कथन है। मेरा कहना केवल यह है कि इस कथन के साथ साथ करनी भी आ जानी चाहिये। अभी परसों १० मार्च की बात मेरे सामने आई है कि बहराइच के चुनाव के सिलसिले में कटका एक जगह है, जहां

पर बड़ा भारी मेला होता है, वहां पर हमारे मंत्री महोदय श्री हुकुम सिंह जी भी मौजूद थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से विरोधी नेता श्री राजनारायण जी भी थे.......

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यह बात जो कही जाती है चुनाव के संबंध में, यह तो मैंने कोई बात कही नहीं। यह तो उत्तर नहीं है। नहीं तो मुझको कुछ कहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ कहूं। चुनाव के जमाने में यह कहना कि ज्यादती हो रही है, यह तो एक दूसरे से लड़ते हैं तो कहते ही हैं, कहा होगा, मगर इसका कहना जवाब के सिलसिले में उचित नहीं है।

श्री मलखान सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं लिखा हुआ दे सकता हूं। आप जानकारी करा लें, इस प्रकार से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जीप पर से उनके भतीजे साहब ने उनके सामने झंडा छीन लिया। अगर हमारे विरोधी नेता वहां न होते तो अशांति हो जाती। केवल यह बात मुझे उनके सामने ला देना है।

यह बात कोई हम जान बूझकर कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह बात तस्लीम की है कि हमने अब १० कमिश्नर से घटाकर ३ कमिश्नर कर दिये हैं और उसके बारे में यह कहा कि कानून अभी ऐसा है। मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहूंगा कि जो इस वक्त कानून है उसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर है, माननीय मुख्य मंत्री जी पर है। अभी तक कानून में से वह शब्द कमिश्नर जो था इस तरह की कमिश्नरी से नहीं निकला है। मुझे खुशी इस बात की है कि अब जो कानून बने हैं, म्युनिसिपैलिटी का और जो कानून बना है किसानों के संबंध में उनमें कमिश्नर का कोई आवश्यक स्थान नहीं रह गया है और जैसा कि विश्वास दिलाया कि यह भी तीन वक्त पर आकर खत्म हो जायेंगे। यह भी एक अच्छी बात है, संतोषजनक बात है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो चार एडीशनल कमिश्नर रेवेन्यू का काम करने के लिये हैं उनके संबंध में मेरे एक बुजुर्ग भाई ने अपना एक सुझाव दिया है कि उनको बजाय वहां बिठाने के सिविल कोर्ट्स में बिठा दें उसी तनख्वाह पर तो सिविल कोर्ट्स में जो नये नये आदमी रखने पड़ते हैं उनको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुकद्दमों का भी फैसला हो जायगा। इमारतें जो खाली होंगी वह दूसरे इस्तेमाल में आ जायंगी। मैं समझता हूं कि इस ओर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान देंगे।

मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मैं यह कह सकता हूं कि जो उन्होंने अभी इस बात को महसूस किया है और यह कहा है और यह उम्मीद की है कि जिलाधीश और जो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वह अपने को पब्लिक सर्वेंट समझें और अपने मन में यह सोचें कि वह जनता के सेवक हैं और गरीब और दुखियों की बात सुनें। मैं आशा करता हूं कि शायद यह बात कार्य रूप में आये और जितनी जल्दी आये उतना ही हमारे उत्तर प्रदेश का कल्याण है और भलाई की बात होगी। यह भी उन्होंने महसूस किया इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई दूंगा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मुझे कुछ कहना नहीं है। एक तो चुनाव के बारे में जो श्री मलखान सिंह जी ने कहा, मैं वहां था नहीं, लिहाजा मुझे कोई बात कहना नहीं है। इसके पहले मुझे वह मालूम नहीं था वर्ना मैं पूछ लेता। विरोधी दल के नेता, कहना ठीक नहीं है। वह विरोधी रहे हों प्रतिस्पर्द्धा में। विरोधी होते हुये उन्होंने अगर अच्छा कार्य किया तो उसके लिये वह काम करना उन्होंने उचित ही समझा होगा। लेकिन यह भी कहा गया..............

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आपको मैं बतला दूं अगर जानना चाहें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--आप मुझे बतला दीजिये। मैं तो आपसे हर बात जानना चाहता हूं।

यह कहा गया कि जो स्वशासन मंत्री थे उनके सामने कोई तमाचा मारा गया। इसको स्वशासन मंत्री भी स्वीकार नहीं करते और कलेक्टर भी स्वीकार नहीं करते।

श्री राजनारायण--कलेक्टर स्वीकार करते हैं। हमारे पास रिटेन उसका जवाब है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जो मेरी इत्तिला की बात है वह मैं कह रहा हूं। आपकी इत्तिला है वह आप जानें। मुझे इस संबंध में बहुत सी बातें मालूम हैं मगर कहना अनावश्यक है। अगर कोई आदमी गाड़ी में जाता हो और उसके आगे आकर रास्ता रोक दिया जाय चाहे वह बहुत भारी भरकम आदमी हो तो क्या किया जाय। पब्लिक रोड को इस तरह ब्लाक कर दिया जाय तो सरकारी कर्मचारियों का उसमें क्या कर्त्तव्य है, यह भी सोचने की बात हो जाती है। मैं तो इस छोटे से सिलसिले में और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष--क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री मलखान सिंह--जी नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या १३, लेखा शीर्षक २५, कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय के अन्तर्गत २,६६,०७,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, ६३-ख-सामूहिक योजनायें

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३--योजना और एकीकरण, लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, ६३-ख--सामूहिक योजनायें के संबंध में १,९५,६६,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस संबंध में मैं आदरणीय सदन के सम्मुख चन्द बातें रखना चाहता हूं। इस साल के बजट में, पारसाल के बजट के मुकाबिले में कुछ ज्यादा रकम रखी गयी है। मोटी-मोटी मदें जिनमें ज्यादा खर्च की मांग की गयी है, तीन हैं। उनमें से नंबर १ सेल्फ हेल्प की स्कीमों की है जिसमें ५० लाख रुपये की मांग रखी गयी है। इसके साथ ही साथ ५ लाख रुपये और कलेक्टिव फाइन में से रखे गये हैं।

दूसरी मोटी रकम कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के संबंध में है जिसके लिये ९१ लाख ८३ हजार रुपये की मांग रखी गयी है। तीसरी ऐसी मद ट्रेनिंग के संबंध में है और इससे कम दर्जे की चौथी मद पी० आर० डी० के संबंध में है।

माननीय मेम्बरान देखेंगे कि इस बजट में जहां आवश्यकता हुई है पारसाल के मुकाबिले में खर्चे को कम करने की कोशिश की गयी है। फिजीकल कल्चर के संबंध में २६ हजार रुपये की कमी की गयी है। इसी तरह से इटावा प्रोजेक्ट के संबंध में २३ लाख रुपये की कमी की गयी है।

इस मांग के जो स्पेशल फीगर्स हैं वे यह हैं कि इस रकम का बेश्तर हिस्सा ऐसा है जो सीधा जनता के हाथ में जाने वाला है। उसके संबंध में मैं दो तीन बातों की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नंबर १ यह कि पारसाल के १० लाख रुपये के अलावा इस साल जो ५५ लाख रुपया यानी कुल ६५ लाख रुपया सेल्फ हेल्प की स्कीम के लिये रखा गया है, वह इस तरीके से खर्च किया जायगा कि जो सार्वजनिक कार्य जिलों में होते हैं और जिन कामों को सेल्फ हेल्प स्कीम के मातहत जनता स्वयं करती है, उन कामों की उन्नति के लिये रुपया इस मद में से दिया जायगा।

मसलन अगर किसी गांव सभा को कोई सिंचाई की नाली बनानी हो या कोई तालाब बनाना हो या कोई नहर निकालनी हो या कोई सड़क बनानी हो तो उसके संबंध में इस मद में से रुपया दिया जाता है। फिर यह रुपया भी वे संस्थायें अपने जाती काम में नहीं लातीं। इस रुपये को फिर वे सार्वजनिक कार्य में खर्च करती हैं। तो इस तरह इसी रकम से कई लाभ हो जाते हैं। दूसरी ऐसी चीज कम्युनिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिये जो ६१ लाख रुपये की मांग है उसमें से आधा रुपया तो ऐसे कामों में खर्च होगा जो कि जनता के हित के हैं। मसलन आबपाशी बढ़ाने में या और ऐसे कामों में। तो इस तरह से इस बजट में कोई सवा करोड़ की रकम ऐसी है जिसमें १५ लाख के करीब ट्रेनिंग का भी शामिल है। ट्रेनिंग द्वारा हम अपने कार्यकर्त्ताओं को इस योग्य बनाते हैं कि वे जनता की पूरी तरह सेवा कर सकें। जब मैं ट्रेनिंग के संबंध में चर्चा करूंगा तब इसको बतला सकूंगा कि इस ट्रेनिंग से क्या क्या लाभ इस देश को होने जा रहा है। अभी तो मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि इस मांग में लगभग सवा करोड़ के करीब रकम ऐसी है जो सीधे जनता के हाथों में जाती है या उससे जनता की जो सर्विस पहुंचती है उसमें लाभ पहुंचता है।

इस डिपार्टमेंट की जो चीफ ऐक्टिविटीज हैं वह प्लानिंग के संबंध में और कोआर्डिनेशन के संबंध में हैं। प्लानिंग में है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट को चालू करना, उनकी देखरेख करना, दूसरे फाइव इयर प्लान के जो कार्य हो रहे हैं जिसको मुख्तलिफ मुहकमें करते हैं, उनकी देखरेख करना और उनमें सुझाव देते रहना। मुख्य कार्य जो प्लानिंग विभाग से होता है वह यह है कि मुकामी आवश्यकताओं को देख कर उनकी बिना पर प्लान बनाना और मुकामी सामग्री की बेसिस पर उस प्लान की पूर्ति करना। चुनान्चे पिछले जुलाई के बजट पास हो जाने के बाद शायद यह श्रेय इसी प्रान्त को हासिल है कि इसने इस बात की कोशिश की कि एक ऐसा प्लान बनाया जाय जो मुकामी आवश्यकताओं पर निर्धारित हो। चुनान्चे हर जिले की गांव सभाओं से लेकर उन तमाम चीजों को इकट्ठा करके एक प्लान बनाया गया है जिसको पिछले दिनों पत्रों ने पिपुल प्लान के नाम से भी पुकारा। पर प्लान का बना देना ही कोई बड़ी भारी बात नहीं हैं। असल बात यह है कि उस प्लान पर अमल करके कहाँ तक कामयाबी हुई। पिछले दिनों जो श्रमदान सप्ताह के संबंध में इस भवन में चर्चा हुआ मैं उसके ऊपर बहुत जिक्र करके इस भवन का समय नष्ट नहीं करना चाहता केवल इतना अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ जिलों के अन्दर तो कुछ मदों में अपने साल भर के कार्य को उन्होंने केवल एक सप्ताह में पूरा कर दिया। तो यह इस बात का सबूत है कि जो प्लान हमने बनाया उस प्लान में देहात की जनता का कितना सहयोग था। चूंकि वह प्लान उनकी इच्छा के मुताबिक बनाया गया था इसलिये उस प्लान को पूरा करने में उन्होंने पूरी मदद दी। श्रमदान के संबंध में इस प्लान को पूरा करनें में जो सहयोग हमारे मुख्तलिफ मुहकमे सरकारी कर्मचारियों ने, स्कूल के विद्यार्थियों

[श्री फूलसिंह]

और अध्यापकों ने, गांवसभा और उनके अधिकारियों ने और दीगर कार्यकर्ताओं ने दिया है वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा प्लानिंग मुहकमे का यह भी काम है कि वह उस सामग्री को जो बिल्डिंग मेटिरियल कंट्रोल आर्टिकिल में आते हैं या जो मुकामी तौर उपलब्ध नहीं है पहुंचाने की व्यवस्था करे। मैं यह कह सकता हूं कि इस मामले में हमको काफी कामयाबी मिली है लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि उसमें अभी और सुधार की गुन्जाइश है और मेरा यह ख्याल है कि हम बहुत जल्द दिक्कतों को दूर कर देंगे। हमको इन मामलों में पूरी तरह से कामयाबी हासिल करने में जो कठिनाई रही उसका एक कारण यह भी था कि हमने इन कामों को जुलाई के बाद शुरू किया। इस मुहकमे का काम आमतौर पर स्लेक सीजन में आसान था। बरसात में या उसके बाद गन्ने की मूवमेंट और ज्यादा शुरू हो जाती है। अगर हमने इस काम को शुरू साल में शुरू किया होता तो कुछ कठिनाई जो आज है वह उसमें न रही होती। मेरा यह ख्याल है कि इस साल के अन्त तक हम इन कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे। इस सिलसिले में जो मुख्य बातें हैं वह इस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग के संबंध की हैं। असल में जितने मुहकमें हैं और उन मुहकमों का जो सबसे नीचे दर्जे का कर्मचारी है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। बाज मुहकमों के लिये जिले के हेडक्वार्टर में एक आदमी होता है लेकिन अक्सर मुहकमे के छोटे कर्मचारी के पास २५, ३०, ४० गांव तक होते हैं। तो उसके लिये यह संभव नहीं है कि वह उन गांवों की पूरी तरह से सवा कर सके। दूसरी तरफ हर गांव ८,१० आदमियों से ताल्लुक रखता है। तो गाँव का आदमी भी एक जाती सम्पर्क उस आदमी से नहीं रख पाता है। इसके लिये दो इलाज हो सकते हैं। एक तो यह कि हम इतने आदमियों को भर्ती करें कि नीचे दर्जे के आदमियों का क्षेत्र छोटा हो जाय। तो यह तो इस समय संभव नहीं है। जो दूसरा इलाज है उसको करें। वह इलाज यह है कि जो छोटे और नीचे दर्जे के आदमी हैं उनसे हम कुछ ऐसे काम नीचे दर्जे के करायें जिससे मल्टी परपज काम हो जाय। उस मल्टी परपज काम के लिये कोशिश करें ताकि एक आदमी बहुत से काम कर सके उसके दो फायदे हैं--एक तो यह कि जो नीचे एरिया थे वह फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करके हर एक के पास दस पंद्रह गांव आ जायेंगे दूसरे एक आदमी का एक गाँव से ताल्लुक रहेगा। उसके लिये ट्रेनिंग की आवश्यकता थी और हमने वह ट्रेनिंग शुरू की जो हम अब तक केवल बख्शी तालाब पर देते थे लेकिन वहां हम बहुत ही थोड़े आदमियों को ट्रेनिंग दे सकते थे। अगर इस चीज को सारे प्रान्त में हमें व्यापक बनाना है तो अभी ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिये इस बजट में बख्शी तालाब के सेन्टर के अलावा हमने ५ ट्रेनिंग सेन्टर्स और खोलने का प्राविजन किया है जिसके लिये कुछ रुपया सेन्टर की ओर से आयेगा और कुछ हम देंगे। ६ सेन्टर तो यह हुये और ६ सेन्टर ट्रेनिंग के हम अपने खोल रहे हैं जिनको केवल यही स्टेट फाइनेंस करेगी। और इनके अलावा भी हम कुछ छोटे-छोटे स्केलेटन ट्रेनिंग सेन्टर्स भी हर जिले में खोलने का इरादा रखते हैं ताकि उनको हम मल्टी परपजेज की तरह बनाकर सारे एरिया को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इस तरह से जिन मदों में रुपया खर्च किया जा रहा है उनकी उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है।

प्रान्तीय रक्षा दल के संबंध में मैं इतना कह देना जरूरी समझता हूं कि इसमें जो खर्च बढ़ा है उसका एक कारण है और वह यह है कि हमारा पिछला बजट जो था वह केवल ८ महीने का ही था और उससे पहले उसका संबंध पुलिस विभाग से था। इस साल यह बजट १ साल का है इसलिये उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है। इन चन्द बातों को सदन के सामने रखते हुये मैं इस मामले में ज्यादा लम्बी बात इसलिये नहीं रखता चूंकि ज्यादा लाभ तो उन सुझावों से होगा जो माननीय सदस्यों की ओर से आवेंगे। इसलिये केवल इतनी ही बातें पेश करके मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय में व्यापक सुझाव सदन दे जो हमारे काम को सफल बनावे। ज्यादा टेकनिकल बातों में जाने से कोई विशेष लाभ न होगा इसलिये मैं आशा करता हूं कि जो थोड़ा-सा समय इस मद के लिये है उसमें आप के सुझावों से इस सरकार को पूरा लाभ होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी करने का प्रस्ताव रखता हूं। यह विभाग कितना महत्व रखता है वह हम सब तभी समझ गये जब कि मुख्य मंत्री जी ने इस विभाग को खुद अपने पास रक्खा और इन दिनों हमारे माननीय मंत्री श्री फूलसिंह जी ने जिस उत्साह से इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की उसके लिये मैं समझता हूं कि वह इस प्रान्त के लोगों के बधाई के पात्र हैं। कौन इस प्रान्त में ऐसा होगा जो ऐसे कामों के लिये जिनका सीधे जनता से सम्पर्क है और उसको जिन कामों से फायदा है, ऐसे कामों में सरकार का साथ न देगा। इसलिये यह सब के लिये उचित ही था कि इस प्रान्त की सभी जनता ने इसमें सरकार का साथ दिया। मैं आज यहां पर जो कुछ भी कहूंगा वह केवल सुझाव की नियत से ही कहूंगा। इतना मैं अवश्य चाहता हूं कि यह जो १ करोड़ ९५ लाख रुपया इस विभाग में खर्च हो वह सचमुच हमारे प्रान्त के लोगों की भलाई और देश का लाभ कर सके।

मैं यह भी जानता हूं कि जैसा माननीय फूलसिंह जी ने अपने बयान में बतलाया है कि इस प्रान्त में एक ही हफ्ते के अन्दर २० लाख आदमियों ने काम किया और एक करोड़ की मिट्टी खोद दी गयी। अगर इस तरह से हमारे प्रांत में दस हफ्ते भी काम हो तो दस करोड़ का काम तो हमारे प्रान्त में हो ही सकता है। चूंकि यह काम पहले पहल किया गया बहुत से लोग काम करने गये लेकिन उनके पास साधन नहीं थे, औजार नहीं थे, फड़ुआ नहीं थे जिससे वह खोद सकते। बहुत से लोग गांव वाले तमाशा देखने के लिये गये कि बड़े बड़े अफसर फड़ुआ से कैसे खोदते हैं। इसको भी देखने के लिये गये। वह जो आदमी देखने के लिये आये हुए थे उनकी भी तादाद हमारे यहां के अफसरों ने जो जिले के होते हैं काम करने वालों में दर्ज कर ली। कुछ काम तो उन्होंने किया ही। देखा उनको। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि अगर सचमुच इस प्रान्त में ऐसे काम होने हैं तो जो वर्तमान मशीनरी इस काम के लिये रखी गयी है यह बिलकुल गलत है और वह उसे पूरा नहीं कर सकती और इसी मशीनरी के आंकड़ों की बिना पर जो यह सारे बुलेटिन छप कर बट गये हैं, हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मैं अपने जिले की ही एक मिसाल लेता हूं। मेरे पास वहां के प्लानिंग आफिसर का जो कम्युनिक आया है जिस पर उनके दस्तखत हैं, अगर यह सच है तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है। हमारे जिले की आबादी करीब सात लाख के है। वह कहते हैं कि १ लाख ६७ हजार आदमियों ने हमारे जिले में काम किया इस हफ्ते के अन्दर, जिसमें कुछ तहसीलें तो बिलकुल छूटी हुई हैं। सात लाख में तीन लाख की आबादी हमारे इलाके में पड़ती है। उधर यह काम किसी कारणवश न हो सका बाकी जो हिस्सा बचा उसमें १ लाख ६७ हजार आदमियों ने काम किया। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में अगर किसी अफसर की जरूरत हो तो हमारे जिले का प्लानिंग आफिसर बुला लिया जाय तो बड़ा अच्छा होगा: वह कहता है, "सामूहिक विकास योजना क्षेत्र तथा हवालबाग ग्राम सेवक प्रशिक्षण शिविर के निर्माण कार्यों का कुल मूल्यांकन १६,३८२ रु० १ आना का किया गया है।" बिलकुल करेक्ट कैलकुलेट करके भेज रखा है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इन चीजों की जांच अवश्य हो। हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। हमारे पास जो कम्युनिक है वही इन बुलेटिन में छप कर आ गया है। जितनी चीजें इसमें लिखी हुई थीं, पाखाना बनाना, पिट्स बनाना, ड्रेंस बनाना सारी चीजें दर्ज हैं और इसपर हमारे मंत्री जी ने प्रोपोजल किया है कि जिस जिले के अन्दर अच्छा काम हुआ हो उसको इनाम दिया जाय, किसी को २० हजार, किसी को १७ हजार। उसके लिये एक कमेटी मुकर्रर की गयी है जो ठीक जांच कर इनाम देगी और उस कमेटी के सामने भी यह किताब रखी जायगी तो मेरा जिला उसमें सबसे पहला आयेगा। १ लाख ६७ हजार आदमियों ने एक हफ्ते के अन्दर काम कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, म इस राय का हूं कि यह कमेटी न बने, यह इनाम जिलेवार नहीं बांटे जाने चाहिये, क्योंकि इन आंकड़ों से कुछ पता नहीं चल सकता

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

है। सारे प्रान्त के जिलों में कमेटी को दौरा करना पड़ेगा कि इतनी सड़कें बनीं, इतनी नहरें बनीं, इतनी गूलें खोदी गयीं। लाखों रुपया उसमें खर्च हो जायगा। इसलिये जिले के जिस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ हो उस क्षेत्र में कुछ रुपया इनाम के लिये दे दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि अगर यह काम बढ़ाया जायगा और हमारे प्रदेश की सब पार्टियां इसमें सहयोग देंगी, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो स्वप्न हम देखा करते थे उसे हम किसी तरह से हम पूरा न कर सकें। पर जहां तक सरकार कहती है कि सबका सहयोग हमें चाहिये, स्टेटमेंट भी निकल जाता है, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि सबका सहयोग हो, लेकिन जब सहयोग प्राप्त करने की बात आती है तो कोई हमारा सहयोग लेने के लिये तैयार नहीं होता। अगर इसमें यह हो कि जितनी प्लानिंग कमेटीज हैं, जितने प्लानिंग के काम होते हैं उनमें सरकार किसी पार्टी, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी हो, जनसंघ हो, उन सब से इस काम के लिये सहयोग प्राप्त करे तो काफी काम हो सकता है। इस काम के लिये जो कमेटी बनी है उसमें कोई भत्ता वगैरह तो देना पड़ता नहीं है, जो आना चाहे उसे सरकार ले। सरकार ने उसमें रखा है कि ३ आदमी तो सरकार नामिनेट करती है और सरकार इतना विशाल बहुमत होते हुये भी उन नामिनेशन में भी कांग्रेस वालों को भर देती है। अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी उनके प्रतिनिधियों को भी कमेटी में ले लेंगे तो प्रान्त के लोगों का सहयोग आपको इन कामों में ज्यादा मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज भी कहना चाहता हूं कि उन प्लानिंग कमेटीज के जितने प्लानिंग आफिसर्स काम न करते हों और जनता से सम्पर्क न करा सकते हों उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। एक छोटी सी प्लानिंग कमेटी का मैं भी एक एम० एल० ए० की हैसियत से मेम्बर हूं लेकिन आज तक मुझे उस प्लानिंग कमेटी में हमारे यहां के अफसर ने नहीं बुलाया और भी हमारे यहां के एम० एल० एज० हैं उनको भी नहीं बुलाया। एक मर्तबा बागेश्वर में मेले के सिलसिले में मैं गया था। वहां मीटिंग हो रही थी, मैं वहां जबरदस्ती चला गया। मैंने समझा कि मुझे चिट्ठी गयी होगी, न मिली होगी। वहां कुछ चर्चा छिड़ी तो बहाना कर दिया कि इस वजह से नहीं बुला सके। लेकिन वह कभी भी नहीं बुलाते। यह हमारे जिले की हालत है, मुझे और जगह का पता नहीं। मैं उस जगह न भी जाऊं तो बाहर भी उस काम को करवा सकता हूं। वहां हाल यह है कि जब मंत्री जी वगैरा जाते हैं तो अफसरों की लाइन लग जाती है जिससे मालूम हो कि बड़ा कार्य हो रहा है। इस तरह से जनता का सहयोग नहीं मिलता। अगर जनता से यह सहयोग लेना है तो निकम्मे अफसरान को हटाइये, खराब काम करने वालों को हटाइये और जो जनता का काम करते हों उनको काम पर लगाइये, तभी जनता के सम्पर्क वाले कामों को आप बढ़ा सकते हैं।

अब रहा अध्यक्ष महोदय कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। हमारे प्रान्त में ६ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर वर्क हो रहा है इटावे की लाइन्स पर और मैं समझता हूं कि जैसा कि हमारे बुलेटिन्स में कहा गया कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग परिस्थितियां हैं और उनके मुताबिक वहां पर काम होगा, क्योंकि कुछ मैदानी इलाके हैं और कुछ पहाड़ी इलाके। एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम हमारे यहां भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसमें सहायता दें, लेकिन वह सहायता कोई लेना नहीं चाहता। वहां अभी तक कोई उत्साह का काम नहीं हो रहा है। लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि इस वक्त नहीं हो रहा है तो आगे काम न हो। हम अब भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। लेकिन हम इस मशीनरी के जरिये, जो उसका वर्तमान सेटअप है उसमें ऐसा काम नहीं कर सकते। थोड़े दिन में आप देखेंगे, अध्यक्ष महोदय, कि वह फेल हो जायगी। इसलिये हम सरकार से सुझाव रख रहे हैं जिस तरह कि आपके कम्युनिटी प्रोजेक्ट तमाम प्रान्त के अन्दर चल रहे हैं जनता के सहयोग से, उसी तरह से आप हमको थोड़ा रुपया किसी फंड से दे सकते हैं। कल हमने रेडियो से सुना कि केन्द्र ने तीन करोड़ रुपया का ग्राम सुधार के लिये एक फंड बनाया है जिसे स्टेट को दे देगी और स्टेट जहां के लोग कुछ कार्य करना चाहते

हैं उनको देगी। तो जितना रुपया आप खर्च करते हैं उसका आधा रुपया आप हमको दें। अभी तो यह एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। रुपया आपका बेकार नहीं जायगा। अगर कम्युनिटी प्रोजेक्ट वाला रुपया बेकार चला जा सकता है तो वह भी चला जायगा। तो मैं यह सुझाव देता हूं कि एक एक्सपेरिमेंटल मेजर के तौर पर आप एक काम हमें सौंपें पहाड़ पर और एक प्लेन्स में, देवरिया में दे दीजिये। हम भी उस काम को करेंगे और कम्पटीशन होगा हमारे और उनके बीच। फिर देखें कि जनता से ज्यादा कौन काम करवा सकता है। मैं दावा करता हूं कि हम बिना आफिशियल मैशीनरी के जनता से ज्यादा काम करवा सकते हैं। हमारी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में जो बहुत सी मदें हैं उनके लिये भी हमें रुपया नहीं चाहिये। अगर आप रुपया नहीं दे सकते हैं तो कर्ज दीजिये। चाहें तो थोड़े सूद और ब्याज पर दे दीजिये। जैसा कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में कहा है कि सुपरवाइजर और टेक्निकल स्टाफ के लिये २७६ हजार रुपया रखा गया है, हम एक इंजीनियर और ओवरसीयर रख करके इस काम को कर लेंगे। थोड़ा सा रुपया हमें दे दें। क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता थोड़े से हैं उनके लिये भी रुपये की जरूरत नहीं है। उपकरण, नुमाइश की जरूरत हमें नहीं है। सिंचाई की योजना के लिये आप हमें रुपया दे दीजिये। पीने के पानी की व्यवस्था के लिये जो रुपया आपने रखा है वह दे दीजिये, नालों वाला रुपया दे दीजिये। शिक्षा के लिये नहीं चाहिये। हम अपनी शिक्षा दे लेंगे। नयी जमीन तोड़ने के लिये जो रुपया है वह नहीं चाहिये। अस्पतालों के लिये भी नहीं चाहिये।

ग्रामीण उद्योग धंधों का जो रुपया है वह हमको दे दीजिये, पशुपालन का भी जो रुपया है उसका भी थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिये। इतना रुपया हमको अगर आप दे दें जिस हिसाब से आपने उनके लिये रखा है उसी के हिसाब से तो हम दिखा देंगे कि हम कितना कार्य कर सकते हैं। यह रुपया बरबाद किया जा रहा है या काम में आ रहा है इसकी जांच करने के लिये एक कमेटी रख दीजिये। जो काम अधिकारियों द्वारा हो रहा है उसके लिये एक नान-आफिशियल कमेटी रख दीजिये और हमारे लिये आफिशियल्स की कमेटी रख दीजिये जो कि इस बात की जांच करे। फिर उपाध्यक्ष महोदय, चाहे असेम्बली छोड़नी पड़े, यहां न रहना पड़े, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ठीक रास्ते से इस काम को किया जाय तो हम जनता से करोड़ों रुपयों का काम करा सकते हैं। आज मौका है। एक मौका सन् ४७ में था। उसे हम लोग चूक गये। आज फिर एक मौका हमें मिला है जब कि जनता काम करने के लिये तैयार है। जनता में फिर एक बार काम करने की इच्छा जागृत हुई है। अगर इस वक्त हम चूक गये तो हमें पछताना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अभी तिब्बत की तरफ से दो तीन आदमी आये हैं जिन्होंने कहा है कि नेता जी चीन में हैं। तो इस तरह से कम्युनिस्ट इन्फिलटरेशन हमारे यहां हो रहा है। अगर आज उनके प्राबलम्स साल्व नहीं किये गये तो अपने देश को बड़ा भारी खतरा है। यदि हम चाहते हैं कि अपने देश में अमन हो, लोगों की भलाई हो, देश के लोग कुछ काम कर सकें तो उचित रूप से कार्य हो। अभी बरसात आने वाली है जिन गांवों में सड़कें खुदीं, चाहे कुछ मिट्टी ही फेंकी गई हो, कुछ भला बुरा जो कुछ भी हो कुछ काम हुआ तो सही, तो उसको अगर आप पूरा कराना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि शीघ्र से शीघ्र पूरे किये जायें। कागजी घोड़ा जो दौड़ाये जाते हैं उनकी जगह और इन्तजाम किया जाय। जब सहायता मांगी जाय तो यह न किया जाय कि पहले कम्युनिटी प्रोजेक्ट अफसर के पास दरख्वास्त ले गये, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त गई, फिर कमिश्नर साहब के पास गई, फिर खेरा साहब के पास और फिर पन्त जी के पास दरख्वास्त गई और अन्त में फिर डिप्टी प्रोजेक्ट अफसर के पास भेज दिया गया। तो इसमें तो एक दो साल लग जाते हैं। आज आवश्यकता है कि रुपये की थैली हाथ पर हो। जब भी जरूरत पड़े सहायता मिल जाय। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जैसा जब प्राइमरी राजकीय स्कूल खोलने थे तो सरकार की तरफ से कहा गया कि एक एक हजार रुपया हर स्कूल के लिये सरकार देगी, हमने स्कूल तमाम खोल लिये लेकिन सरकार एक रुपया भी देने को तैयार नहीं है। तो ऐसा न हो। आप एक तरफ रुपया खर्च करने को तैयार हों तो

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

मुझे पूरा विश्वास है कि इस संबंध में जनता पूरा सहयोग आपको देगी और तमाम प्रान्त की जनता के सहयोग से प्रदेश के लोग बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे इस सुझाव पर विचार करेंगे और हमें मौका देंगे कि हम कुछ कार्य कर सकें।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। हमारी विकास की योजनाओं को देखते हुये जो अनुदान की रकम रखी गई है मेरे विचार से वह बहुत ही कम है। आज हमारे प्रदेश के लिये बहुत सी योजनायें हैं और उन्हें पूरा करने के लिये हमें बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है क्योंकि हम जिस स्थिति में चल रहे हैं उसको देखते हुये १ करोड़ ९५ लाख रुपये की जो यह धनराशि है इसी से हमें एक वर्ष में अपनी बहुत सी योजनाओं को पूरा करना है। इन योजनाओं को पूरा करने के लिये सबसे प्रथम हमारा जो कार्य है वह यह है कि हम स्वयं उसमें लग कर के पूरा करने का प्रयत्न करें। आज और इससे पहले इस भवन में बहुत सी समालोचनायें और आलोचनायें हुई हैं और बहुत सी आलोचनायें अधिकारियों से संबंध रखती हैं। इस निर्माण के कार्य में विशेष रूप से हमारे अधिकारियों के सहयोग और कार्यकर्त्ताओं के सहयोग की आवश्यकता है। इससे पहले अनुदान के समय जो बातें इस भवन में उठी थीं उसमें से मालूम होता था कि हमारे जिले के अधिकारी कार्यकर्त्ताओं से सहयोग न करके जो योजनायें होती हैं उन्हें सही तरीके से पूरा नहीं करते हैं। बहुत से साथियों ने यह भी कहा था कि उनको यह भी नहीं मालूम रहता है कि हमारे जिले में कितने विभाग हैं, किन्तु इसका कुछ उत्तरदायित्व हम लोगों पर भी है। विकास योजनायें जितनी बढ़ेंगी उतना ही हमें अधिकारियों को बढ़ाना पड़ेगा किन्तु उन अधिकारियों से कार्य लेने का तो हमारा ही उत्तरदायित्व है। यदि हमारे जिले के अन्दर बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनको यह भी नहीं मालूम है कि कितने तालाबों में मछली पालने के लिये स्थान मिल सकता है और कहां हमें मधु मक्खियों के पालने के लिये स्थान मिल सकता है, हम उनको ऐसे कार्य में सहायता न करें तो यह विकास की योजनायें किस प्रकार चालू हो सकती हैं। आज जो स्थिति हमारे सामने है उसमें साधारण से साधारण बात लेकर बड़ी से बड़ी बात के लिये हमें अपना सहयोग देना पड़ेगा। जिस समय हम यहां किसी भी अनुदान पर आलोचना करते हैं तब हमें अपने भी उन कार्यों को देखना चाहिये कि हम जिले के अधिकारियों को या योजना आफिसर को इन कार्यों में कितना सहयोग देते हैं। प्लानिंग कमेटी की मीटिंगों में खाली जा करके क्या हम अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। जनता ने जो उत्तरदायित्व हमारे ऊपर डाला है उसको देखते हुये यह हमारा कर्त्तव्य है कि जो योजनायें हम यहां बैठ करके बनायें उनको पूरा कराने के लिये वहां के अधिकारियों पर स्वयं जोर डालें और तल्लीनता के साथ लग करके उन कार्यों को पूरा करें। ये जो विकास योजनायें हमारे प्रदेश और देश में हैं वे दिनोदिन बढ़ती रहेंगी और उसके अनुसार हमको अपने राष्ट्र का निर्माण करना होगा। उसके साथ ही साथ उस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये जिन बातों की आवश्यकता है उन्हें पूरा करना पड़ेगा। कोई भी निर्माण का कार्य, कोई भी विकास का कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उस जिले के अधिकारी और जिले के कार्यकर्त्ता मिल करके उस कार्य को न करें। आज इस बात का अभाव है और हमें इसे दूर करना है। मैं इस बात को जानता हूं कि जिले के कुछ अधिकारी ऐसे कार्यों में कार्यकर्त्ताओं का सहयोग लेना पसन्द नहीं करते या किन्हीं कारणवश वे उसे लेने में संकोच करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे बहुत से साथी कार्यकर्त्ता भी उदासीन रहते हैं किन्तु हमें अपनी उदासीनता को छोड़कर अपने अधिकारियों को उस कार्य पर स्वयं लगाने के लिये उद्यत होना पड़ेगा और उसमें स्वयं लग कर उस कार्य को पूरा करना पड़ेगा, तब ही हम इतने बड़े विकास के कार्य को पूरा कर सकते हैं। आज जितना भी यह विकास का कार्य है बहुत ऊंचे ऊंचे अधिकारियों की संरक्षता में होने जा रहा है। आज बहुत से हमारे इस प्रान्त के अधिकारी आई० सी० एस० और पी० सी० एस० के लोग हैं जो इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये हैं। हमारे प्रदेश के बहुत से लोगों को प्रायः सभी जिलों में इस तरह की

शिकायतें हैं कि अधिकारी लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम यह जानते हैं कि जब से हमने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली है हमारे इस प्रदेश के नेताओं ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अधिकारियों की मनोवृत्ति को बदला है और उनमें से बहुत से अधिकारी आज जन-सेवा की मनोवृत्ति को सामने रखकर कार्य कर रहे हैं। किन्तु आज भी कुछ ऐसे बड़े अधिकारी हमारे बीच में हैं जिनकी मनोवृत्ति नहीं बदली है और उनकी मनोवृत्ति के कारण दूसरे अधिकारियों की मनोवृत्ति पर दूषित प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार के दूषित प्रभाव का असर यह होता है कि जो कार्य उन्हें सद्भावना और सेवा भाव के साथ करना चाहिये उसको वे नहीं करते। दूसरे लोग भी उसके प्रभाव से इस प्रकार कार्य नहीं करते जिस प्रकार सरकार उस योजना को बना कर उस कार्य को करने के लिये उनके उत्तरदायित्व पर छोड़ती है। आज हमें इस मनोवृत्ति में सुधार करने की आवश्यकता होगी। हमारे बहुत से भाई भी इस प्रकार की आलोचना करते हैं कि अधिकारियों की मनोवृत्ति को बदलना है वे शायद यह भूल जाते हैं कि जो अधिकारी ऊंचे दरजे के हैं और जिनकी मनोवृत्ति नहीं बदली है उसका एक विशेष कारण यह है कि जिस समय शासन की बागडोर हमने संभाली तब कुछ हमारे ऐसे वादे थे, कुछ ऐसे समझौते थे कि हम बहुत ऊंचे अधिकारियों के मामलों में ज्यादा दस्तन्दाजी नहीं कर सकते हैं। इसका लाभ उठाकर बहुत से अधिकारी हमारी जो देश को उन्नत करने की योजनायें हैं, उनमें सेवाभाव से कार्य करने की चिन्ता नहीं करते और सेवा की मनोवृत्ति अपने में पैदा करने में भी वह संकोच करते हैं। इसके लिये तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम स्वयं उनसे कार्य करवाने की क्षमता अपने में पैदा करें और जो योजनायें हम यहां बैठ कर बनाते हैं उन्हें उनसे पूरा कराने में अपना समय दें और जनता के सहयोग से उसको पूरा करायें और जो अधिकारी उसमें शिथिलता करें उसके लिये सरकार की नोटिस में लायें। आज एक राष्ट्र के निर्माण करने की बात हमारे सामने है उसमें यह प्लानिंग का काम सबसे प्रमुख स्थान रखता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस विभाग के उपमंत्री इस विषय में विशेष दिलचस्पी रखते हैं और काफी समय देकर इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं। किन्तु हमें यह भी देखना है कि क्या हमारे उपमंत्री महोदय के कार्य करने से यह कार्य पूरा हो सकता है? हम ४३० सदस्य जो यहां बैठते हैं उनका भी उसमें बहुत कुछ उत्तरदायित्व है कि हम ऐसी योजनाओं और कार्यों की रूपरेखाएं बनाएं जिनके द्वारा जनता की अधिक सेवा कर सकें। आज छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक में इन योजनाओं की बड़ी आवश्यकता है। छोटे छोटे से गांवों से लेकर बड़े बड़े नगरों में स्कूल और अस्पताल इत्यादि बनाने की हमारी योजना है। आज जिस स्थिति में हमारा देश और प्रदेश चल रहा है वह इस बात का द्योतक है कि सरकार और इस प्रदेश के एक एक नौजवान, एक एक बच्चे और एक एक स्त्री को मिल करके इस योजना के कार्य को पूरा करना है तब हमारा जो रामराज्य का स्वप्न है वह पूरा हो सकता है। महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता हमारे सामने रखा था उसको तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम स्वयं योजनायें यहां पर बैठ कर बनायें उनको वहां जा करके पूरा कराने में जनता का पूरा सहयोग लें, हमारे सूबे के अधिकारी सहयोग करें या नहीं अगर हम तल्लीनता के साथ लग जायं और इस कार्य को पूरा करने का अपना निश्चय कर लें तो मुझे आशा है कि जो अधिकारी इस कार्य में शिथिलता करते हैं, वे भी उसमें सहयोग देंगे और जो योजनायें हम यहां पर बनायेंगे उसे वहां जा करके ही सही तरीके पर पूरा कर सकेंगे। मुझे आशा है कि हमारे सब साथी जो यहां इस भवन में बैठे हैं, जिन्हें जनता ने यह समझकर भेजा है कि हमारी उन्नति के लिये यह वहां जा करके काय करेंगे, उनके लिये सबसे बड़ा कार्य इस योजना के द्वारा पूरा होता है। अगर हम में से एक एक भाई ने और एक एक साथी ने अपने क्षेत्र में अस्पताल, गली, रास्ता, रोशनी और सफाई कराने का प्रबन्ध किया तो मेरा यह विचार है कि हम थोड़े ही दिनों के अन्दर इस प्रदेश के अन्दर इस प्रदेश को स्वर्ग बना सकेंगे। लेकिन यदि हम ने अपने कार्य में शिथिलता की और सिर्फ यहां बैठ कर अनुदानों पर आलोचना और समालोचना की तब इससे कुछ नहीं होगा। मुझे आशा है कि जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने रखा है उसका सभी समर्थन करेंगे।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो ग्रांट इस वक्त भवन के जेरेबहस है उसके मुताल्लिक मैं समझता हूं और मुझे यकीन है कि दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे पूरे बजट की जान यह ग्रांट है। यों तो प्लानिंग के सिलसिले में इस सूबे में काफी अर्से से काम होता रहा और जब से पापुलर गवर्नमेंट आयी उस काम में काफी तेजी हो गयी लेकिन हमारे मुल्क का फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जब आया हुआ तो बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीदें पैदा हो गयीं। बहुत से मायूस दिलों में इस बात की उम्मीद पैदा हो गयी कि इस मुल्क का मुस्तकबिल, इसका आइन्देहाल ऐसा बनने वाला है और हम अपने अन्दर एक ऐसी भावना पैदा करना चाहते हैं जिसके जरिये से यह मुल्क तरक्की के रास्ते पर चला जाय और बावजूद इसके कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हम उस वक्त का इन्तजार नहीं कर सकते जब हम बजट में मामूली तौर पर रुपया रख कर अपने मुल्क की तरक्की करें तो हमें यह सोचना चाहिये कि हम ऐसी भावना अपने मुल्क के अन्दर पैदा करें कि हर शख्स इस बात के लिये तैयार हो जाय कि वह अपनी कमर कसले और अपने ऊपर कुरबानी बर्दाश्त करे कि मुल्क की तरक्की हो। हम जानते हैं कि फाइव ईयर प्लान गवर्नमेंट का प्लान नहीं है यह तो हमारा नेशनल प्लान है और इसमें ख्वाह इस मुल्क की कोई भी संस्था हो, सबकी आवाज इसमें शामिल है। जिस समय यह प्लान बनाया गया तो मुल्क की संस्थाओं से इसके मुताल्लिक राय ले ली गई थी।

अभी मुझसे पहले जो मेरे दोस्त कुमायूं के मेम्बर साहब तकरीर फरमा रहे थे मैंने उनकी बात बहुत गौर से सुनी। मैं उनकी इज्जत करता हूं और उनकी राय को भी बहुत वक़त देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह कौम के लिये हर वक्त कुछ न कुछ करने के लिये बेताब रहते हैं। लेकिन जब उन्होंने यह फरमाया कि हम यह चाहते हैं कि हमें अपने तौर पर कम्युनिटी प्रोजेक्ट चलाने का मौका दिया जाय ताकि यह मालूम हो सके कि हमने बेहतर काम किया या दूसरों ने। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि इस मुल्क की तरक्की के लिये इस बात की जरूरत नहीं महसूस होती कि इसमें किसी किस्म की पार्टीशन की बू पैदा की जाय। जो प्लानिंग का काम इस वक्त हमारे सूबे में चला उसमें बहुत सी कमियां और खामियां रह गई थीं और गवर्नमेंट भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकती है और न करेगी; लेकिन हम उस बैकग्राउन्ड में इस चीज को देखें कि किस मौके पर हमने इस काम को शुरू किया। हमारा वह तजुर्बा और हमारे वह काम जो हमने किये हमें इस बात की उम्मीद दिलाते हैं कि हम इससे काफ़ी तजुरबा हासिल करेंगे और उसमें हमें ज्यादा कामयाबी की उम्मीद हो सकती है। मेरे दोस्त ने कहा कि वाकई जो काम हमारे जिलों में होता है वह काम वाकई होना चाहिये जो हक़ीक़त में उस मुकाम पर अन्जाम पाता है। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट भी इसके लिये कीन है और हमारे आफिसर्स भी कीन हैं और उन्हें होना चाहिये, कि जितना काम हम वहां पेश करते हैं उसे उतना ही करके वहां दिखाना चाहिये, क्योंकि अगर कागज पर हमने ज्यादा काम दिखाया तो हमारे फाइव ईयर प्लान की पोजीशन बिलकुल अमनसभा की सी हो जायगी और जिसे यह हाउस किसी भी सूरत से बर्दाश्त नहीं कर सकता।

एक चीज और यह है कि इस वक्त जितना भी काम हुआ है, वाकई उसकी कीमत अगर रुपयों में देखी जाय तो वह लाखों नहीं, करोड़ों रुपया होगी, इसकी कीमत इसलिये और भी ज्यादा होती है कि हमने लोगों के दिलों में यह भावना पैदा करदी है जिससे हमारी आइन्दा की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर वह काम हुआ है कि हमें यह देखना है कि वह काम अधूरा न रहे जिससे लोगों की मेहनत जाया जाय। जिस काम को भी हम अपने हाथ में लें यह बात हमारे सामने होनी चाहिये कि उसमें पुख्तगी और इतनी गुंजाइश होनी चाहिये कि अगले मौके पर जब हम काम शुरू करें तो उसी मुकाम से उठा सकें जहां हमने पिछली मर्तबा खत्म किया था। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि खुद मेरे जिले में नेगी साहब जो डिप्टी मिनिस्टर हैं उनको जाने का मौका मिला। हमारे जिले में खुद हमने ऐसी सड़कें बनाईं और उनको वैसे ही छोड़ दिया। नेगी जी ने वहां एक बहुत अच्छी बात कही और वह मुझे भी पसन्द आई कि सिर्फ सड़क बना देना ही मुकम्मिल बात नहीं हो सकती इसलिये कि बारिश आयेगी और इन सड़कों की मिट्टी धुल जायगी और फिर हम लोग उसी

जगह पर पहुंच जायेंगे जहां से शुरू किया था ; तो सड़कों के लेविल को इतना ऊंचा रखने की जरूरत है ताकि पानी बारिश का आसानी से बहता हुआ निकल जाय। इसका नतीजा यह होगा कि वह काम पुख्ता होगा और काम में पायेदारी आयेगी और जिस चीज़ के लिये हमने इतना इनीशियेटिव लिया है और खर्च किया है वह रायगां नहीं जायगा। तो मेरे इस मिसाल देने का मतलब यह है कि इस बात की तरफ तवज्जह करने की जरूरत है और प्लानिंग में जिस किसी भी काम को लिया जाय उसको इस तरह से बनाने की जरूरत है जिसमें इस बात का इमकान न हो कि वह काम नामुकम्मिल रह जायगा और वह बारिश की वजह से और किसी और खराबी की वजह से बेकार हो जायगा।

जनाबवाला, इस प्लानिंग के बजट में पिछले साल से मैंने यह भी देखा कि हमारे यहां जो फिजिकल कल्चर था या उसका काम भी शामिल कर दिया गया है। इस भवन को मालूम है कि काउंसिल आफ फिजिकल कल्चर कई सालों से हमारे सूबे में काम कर रहा है और अच्छा काम करता आ रहा है। पिछले रिआर्गेनाइजेशन के मौके पर उसको और रक्षक दल को मिला दिया गया है। खुदा करे कि यह काम कामयाब हो और इसके जरिये से मुल्क और कौम की खिदमत हो सके। लेकिन मुझे अभी तक उसकी पूरी तसवीर नहीं मिल सकी कि फिजिकल कल्चर के काम को किस तरह से तरक्की दी जायगी। मैं उपमंत्री साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उसके मुताल्लिक वह खास तौर से तवज्जह फरमावें और जो प्लानिंग कमेटी है उसकी तवज्जह दिलायी जाय कि इसके काम में खास तौर से प्रोग्राम रखें और इसका काम आसानी से चले। उपाध्याय जी ने यह शिकायत की थी कि प्लानिंग में अपोजीशन के लोगों को काम करने का मौका नहीं दिया गया है। मैं उनकी तरफ से गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो कोई सब लोग मिलकर इस काम को चलावें और शायद यह है कि हर जिले में जो वहां का एम० एल० ए० हो और एम० पी० हो वह उस कमेटी का मेम्बर हो। इसलिये जरूरत इस चीज की है कि हम लोग जहां तक इस काम का ताल्लुक है इसको नेशनल प्लान समझ कर, एक इमरजेंसी समझ कर जहां तक कि इस काम का ताल्लुक है अपने उसूलों को और अपनी संस्थाओं के जितने झगड़े हैं उनको अलग रखकर इसमें लगें और इसको कामयाब बनाने की कोशिश करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरीगढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण मंत्रिमंडल में ठाकुर फूलसिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मेरी सहानुभूति और हमदर्दी है। जिस प्रकार एक मछली पानी से निकाले जाने के बाद कुछ समय तक तड़पती रहती है और जिस प्रकार एक डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, उसी प्रकार हमारे माननीय ठाकुर साहब जिलों का तूफानी दौरा तड़पते हुये कर रहे हैं और एक डूबते हुये मनुष्य के समान जिला कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती तैयार किये हुये प्रदर्शनों का सहारा लेते हैं। मुझे और इस प्रदेश की सब जनता को यह उम्मीद थी कि ठाकुर साहब इस मुहकमे को लेने के बाद एक नई "ब्रूम" की कहावत के अनुसार खूब जोरों से अदल-बदल करेंगे। मुझे अभी भी विश्वास है कि अपनी हैरिटेज से ऊपर हमारे ठाकुर साहब उठेंगे और जो कोई चीज उनके सामने आती है उसको वह दृढ़ता के साथ दूर करने की सदैव कोशिश करते रहेंगे। दस मिनट के समय में प्लानिंग और कोआर्डिनेशन विभाग के ऊपर अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिये मैं इस विभाग के केवल २ या ३ हैड्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

सब से पहले मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान इस मशहूर प्रान्तीय रक्षा दल की ओर दिलाऊंगा। मुझे इसके संबंध में भाग्यवश अधिक कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पिछले दौरे में ठाकुर साहब ने स्वयं ही देख लिया कि यह प्रान्तीय रक्षा दल के लोग किस प्रकार खुल्लमखुल्ला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने और उपमंत्री महोदय के सामने राजनैतिक दलों का प्रचार करते हैं। यह एक छोटी सी बात समझी जा सकती है, लेकिन मेरी जो इसके खिलाफ विशेष शिकायत है वह यह है कि जब तक प्रान्तीय रक्षा दल एक ऐसी संस्था न बने, जो

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

जनता के बीच में हिलमिल कर काम कर सके तब तक इसका महत्व पूरा कहीं नहीं हो सकता है जो पोथी हमारे सामने दी गई है उसमें इसकी चर्चा की गई है। इसमें बहुत लम्बे बयान दिये गये हैं। विशेषकर यह लिखा गया है कि इसमें जो लोग भी शामिल हुये हैं वह बिना तनख्वाह के काम करते हैं। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। यह तो बहुत ही उचित बात है किन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि देखने की बात यह है कि जो भी इस पी० आर० डी० में भर्ती हुये हैं वह ज्यादातर बेरोजगार में से हुये हैं। जैसा कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा पूर्वी जिलों की घटनाओं में एक्स पी० आर० डी० के लोग काफी तादाद में पाये गये हैं।

लैंड आर्मी के संबंध में जो किताब हमारे सम्मुख है उसमें लिखा गया है कि टेहरी-गढ़वाल में १५० कुओं की मरम्मत इन्होंने की। यदि हमारे माननीय मंत्री महोदय पहाड़ी जिले से आते तो उन्हें पता होता कि केवल उन्हीं चीजों की हो सकती है जो बनी हुई हों। मैंने तो पहली बार सुना है कि पहाड़ी जिलों में कुयें बनते हैं और प्रान्तीय रक्षा दल वाले उनको रिपेयर करते हैं। इसी प्रकार यहां दिखाया गया है कि ९८६ मील लम्बी सड़कों की मरम्मत लिखा, इन्हीं द्वारा की गई है। दरअसल बात यह है कि हर एक सड़क से ४/५ बड़े पत्थर खड्ड में गिरा दिये गये हैं और यह लिख दिया गया है कि इतनी लम्बी सड़क की मरम्मत की गई है।

मेरा सुझाव तो यह है कि जो इतना रुपया इस पी० आर० डी० पर खर्च किया जा रहा है वह बेकार है उसको बिलकुल बन्द कर दिया जाय। यदि मंत्री महोदय को सहायकों की आवश्यकता है तो वह पैसा स्कूलों को और एन० सी० सी० पर खर्च किया जाय और उनकी सहायता द्वारा काम पूरा करा लें।

इसके बाद मैं पब्लिसिटी और प्रोपेगैन्डा के संबंध में कहना चाहूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है किन्तु इसकी आवश्यकता जहां तक मेरा विचार है हिटलर के रिजीम में थी जिनको डाक्टर गोबिल्स ने बड़ी सहायता की। मैं समझता हूं कि यह सरकार स्वीकार करने के लिये तैयार होगी कि जो असंख्य पोथियां हमको दी जाती हैं उन पर किसी का भी विश्वास नहीं है, केवलमात्र विश्वास ही नहीं बल्कि पैसा फिजूल खर्च हो रहा है। जैसा कि मैंने बतलाया और हमारे सोशलिस्ट भाई भी अक्सर बतलाते हैं, उनमें जो कुछ लिखा गया है आंकड़ों के संबंध में, उनमें काफी त्रुटि पाई जाती है और प्रोपेगेंडा का एक और जो दुष्परिणाम होता है वह यह है कि इन रोजी पिक्चर्स के दिखाने का फल यह होता है कि हमारे मंत्री महोदय और सरकार स्वयं इन बातों पर विश्वास करने लगते हैं जैसा मैंने बतलाया, यह संभव है अगर मैं न बतलाता कि माननीय मंत्री महोदय यह संभव समझते हैं कि पहाड़ों में कुयें बनते हैं, शायद वह विश्वास कर लेते कि वहां जरूर डेढ़ सौ कुयें बने हैं। आगे चल कर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री ने सुबह डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण देते हुये इसका जिक्र किया। माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि गैर कांग्रेसी सदस्यों को उसमें नहीं रक्खा जाता। मैं माननीय उपाध्याय जी के साथ सहमत हूं और यह और शिकायत है कि हालांकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक नान-आफिशियल बाडी गिनी जाती है मगर दरअस्ल यह सही बात नहीं है। जिले में हर हेड आफ दी डिपार्टमेंट उसका सदस्य होता है और उनकी संख्या आजकल के शासन में इतनी बढ़ गई है कि वही हमेशा मेजारिटी में रहते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमेशा इसका अध्यक्ष होता है और उसके सामने कोई भी जिले का कर्मचारी, चाहे वह हेड आफ दी डिपार्टमेंट हो, खुल्लमखुल्ला और साहस के साथ बोलने की हिम्मत नहीं रखता। इसलिये मैं इन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज को किसी भी तरह से नान-आफिशियल आर्गनाइजेशन मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आगे फिर मेरा सुझाव मंत्री महोदय को यह होगा कि बहुत सी योजनाओं को इकट्ठा न लें। एक योजना या दो

वार टाइम मेजर की तरह लें और बाकी कामों को वैसे ही चलने दें। जिस प्रकार वार टाइम में ओवर नाइट डेवलपमेंट हुआ ऐसा करने से हमारे यहां उसी प्रकार की प्रगति होगी। अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय को उनके शब्द याद दिलाऊंगा कि हमारी स्वतंत्रता, जो एक पहाड़ या पेड़ पर अटकी हुई है उसको जनता के बीच में लायें। यह न हो कि प्लान्स, कमेटीज़ और विभिन्न प्रकार की कागजी कार्यवाहियों में फंस कर उस पेड़ और पहाड़ के नीचे ऐसा जाल बिछा दें ताकि वह स्वतंत्रता जनता के बीच में कभी भी न पहुंच पाये।

अन्त में मैं इतना कहना आवश्यक समझता हूं कि इस विभाग के मंत्री महोदय को मैं उनकी चेष्टा और उनके चुस्तपन के लिये बधाई देना चाहता हूं, हालांकि जितनी प्रगति होनी चाहिये वह नहीं हो सकी, लेकिन जिस उत्साह के साथ वह इस विभाग को चला रहे हैं उसके लिये सब लोगों को चाहे उनके दल के हों या न हों धन्यवाद देना चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मांग की चन्द बातों के ऊपर विचार करना चाहता हूं। यह बड़ा और जरूरी विषय है। अगर हर आइटम पर अपने विचार प्रकट करूं तो किसी पर भी कुछ न कह पाऊंगा लिहाजा इसमें जो प्रचार विभाग रक्खा गया है सिर्फ उसी पर अपने ख्याल में जाहिर करूंगा। इस पर सिर्फ ५ लाख कुछ हजार रुपये रक्खे गये हैं। सूचना पर कल जो आइटम आया था उसमें १३ लाख रुपये थे। म अर्ज करता हूं कि दोनों मिला कर भी यह बहुत कम है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रकार के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और खुशी की बात है कि वह बहुत ही अच्छे लेखक और वक्ता भी हैं और कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। इसकी आवश्यकता जानते हुये भी इतनी कम रकम अनुदान में क्यों रखी यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आप जानते ही हैं कि यहां पहले से कांग्रेस काम कर रही है, सरकार ठीक काम कर रही है फिर भी मुखालिफत जारी है और पोलिटिकल पार्टीज मुखालिफत करें तो आश्चर्य की बात नहीं। कुर्सी के लिये और हमेशा ही मुखालिफत होती है, जहां खजाना होगा वहां उसको अपनाने वाले भी होंगे, इसकी शिकायत मैं नहीं मानता। शिकायत इस बात की है कि हमारे अध्यापक-वृन्द जो किसी पार्टी में नहीं हैं उनमें भी अनुशासनहीनता आती जा रही है। अभी देखिये कि पटवारियों की हड़ताल समाप्त नहीं हुई थी कि मास्टरों का अनशन (हंगर स्ट्राइक) शुरू हो गया है। आप यह देखिये कि गत चार मार्च को वह कृत्य इस सदन में हुआ, जो कि आज तक कभी इस सदन में नहीं हुआ था तथा जो सदन की मर्यादा के विरुद्ध था। यू० पी० की इस असेम्बली में जो हरकत हुई वह कभी नहीं हुई। इसको देखते हुये इस मद में कम धन देना कहां तक अक्लमन्दी है, मेरी समझ में नहीं आता। प्रान्त के उर्दू अखबार में सरकार का विरोध छपता रहता है गत १५ अगस्त को हड़ताल हो गयी और काले झंडे दिखाये गये। मुशायरे में लफ्ज कुछ पढ़े जाते हैं और उसका मतलब कुछ होता है। उदाहरणार्थ--

यह कहती है मौजें कि तूफां से खेलो,
किनारे किनारे कहां जा रहे हो।

इसके लफ्ज कुछ हैं और मानी कुछ और, अतः मेरी प्रार्थना है कि इधर ध्यान दिया जाय मेरा कहना है कि रकम बहुत ही कम है। कहा यह भी जा सकता है कि कांग्रेस कमेटियों से प्रचार हो सकता है, विरोधियों का जवाब कांग्रेस से दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस कमेटी कहां तक काम कर सकती हैं उनके पास पैसा नहीं है। जितना उनसे हो सकता है वे कर भी रही हैं लेकिन फिर भी विरोधियों के तमाशे हो रहे हैं आज कल प्रचार का युग है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें और गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है वह जनता को बतलायें कि आप क्या कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि बजट की हालत देखते हुये बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप आर्गेनाइज करें तो आपको आनरेरी वर्कर्स मिल सकते हैं।

[श्री सीताराम शुक्ल]

इस विषय में मेरी प्रार्थना है कि जितने संस्कृत के विद्वान, कवि, गायक हैं, कथावाचक उलमा हैं, मौलवी हैं या जो मिलाद शरीफ पढ़ते हैं अथवा जो पादरी हैं तथा कांग्रेस के कार्यक्रम से हमदर्दी रखते हैं। गवर्नमेंट को चाहिये कि उनको संगठित करें, एवं सरकारी अफसरों में जो अच्छे स्पीकर हैं तथा उनकी स्त्रियां भी जो पढ़ी-लिखी, समझदार हैं अगर उनको भी आगनाइज किया जाय, संगठित किया जाय तो आसानी से उन के द्वारा प्रचार का काम लिया जा सकता है। जमींदारी के खत्म हो जाने से कवियों, गायकों, कथावाचकों और मौलवियों या पादरियों के सामने बहुत ज्यादा आर्थिक कठिनाई आ गयी है वे मजबूर होकर मुखालिफ पार्टी में जाकर मिलते हैं। यह जानकर आपको ताज्जुब होगा कि कलाकारों को विरोधी म्युनिसिपल बोर्ड से सहायता दिलाते हैं और स्वयं श्रेय लेते हैं, रुपया दूसरों का व्यय होता है और अहसान दूसरों को भी मिलता है। अतएव सरकार को स्वयं म्युनिसिपल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और ग्राम सभाओं को, यह आदेश देने चाहिये कि वे अपने यहां उत्सव मनायें उनमें अच्छे अच्छे गाने वालों को तथा अन्य कलाकारों को बुलायें। कवियों से बिरहा, कहरवा, फगुवा और गजलें देहाती भाषा में लिखवायें और प्रचारित करें तो मेरी प्रार्थना है कि उससे बहुत लाभ होगा। हमारा सही बातों का प्रचार बहुत आसानी से बढ़ सकेगा। रचनात्मक काम फलां-फलां करो इसको बतलाने के लिये बहुत सा साहित्य हमारे पास है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया जाता कि हम सेवा करें तो क्यों करें? एक आदमी दिन भर का थका हुआ जाकर पड़ रहता है वह सोचता है कि दूसरे की खिमदत मैं क्यों करूं? इस चीज पर कम रोशनी डाली जाती है। हमको वह भी बताना चाहिये कि हम दूसरों की खिदमत क्यों करें, पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में हम अपना समय मुफ्त क्यों लगायें, इस पहलू पर साहित्य लिखवाकर अथवा सभाओं में व्याख्यान दिला कर कार्यकर्त्ताओं और स्वयंसेवकों को पैदा करना चाहिये। मेलों में लाउड स्पीकर लगाने से भी प्रचार हो सकता है। धर्मशालाओं और स्टेशनों पर प्रचार करने के लिये भी आपको बहुत से कुशल वर्कर मिल जायेंगे। बाई दी वे बात करते हुये अथवा गप शप करते हुये या ताश खेलते हुये या और कोई काम करते हुये भी वे सरकार के कामों पर प्रकाश डाल सकते हैं और बिना कुछ अपना नुकसान किये भी इस कार्य में सहयोग दे सकते हैं। अगर इस प्रकार से घनघोर प्रचार कर सकें और सही बात लोगों को बतला सकें तो मैं आपसे अर्ज करूं कि चूंकि हमारा प्वाइंट तो मजबूत है ही, हमारा रास्ता तो ठीक है ही, यदि लोगों को ठीक-ठीक बातें मालूम हो सकेंगी तो गलत प्रचार नहीं चलेगा। नतीजा यह होगा कि हर तरफ से हमारे पास वर्कर्स आने लगेंगे, कार्यकर्त्ता मिलने लगेंगे, जिससे सही बातों का प्रचार होगा और पंचवर्षीय योजना के पूरा करने में देर नहीं लगेगी। फिर बहुत आसानी से हम अपनी सड़कों को बना सकेंगे, स्कूलों को बना सकेंगे, अस्पतालों को बना सकेंगे, खेती की तरक्की होगी, कारखाने खुलेंगे, पैदावार बढ़ेगी और जब पैदावार बढ़ेगी तो या तो गल्ला सस्ता हो जायगा या टैक्स लगाया जा सकेगा, उससे पैसा मिलेगा जिससे हम अपने कर्मचारियों को काफी वेतन दे सकेंगे। हमारे एक दोस्त ने बड़े जोश के साथ कहा था कि बड़े आफिसरों का वेतन घटा दिया जाय और कहा था कि मैं मानता हूं कि उससे छोटे कर्मचारियों के वेतन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ जायगा क्योंकि अगर छोटे कर्मचारियों का एक रुपया माहवार बढ़ जाय तो उससे कोई खास लाभ नहीं होगा लेकिन उसका एक साइकलोजिकल एफेक्ट (मानसिक प्रभाव) पड़ेगा और छोटे कर्मचारी सोचेंगे कि बड़ों का वेतन घटा कर हमारी पे बढ़ा दी गयी है, इसके उत्तर में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप कोई बात कहा कीजिये तो पहले जरा सोच समझ कर कहा कीजिये और तौल कर कहा कीजिये। किसी भावना में आकर या किसी जोश में आकर कोई बात न कहा कीजिये। छोटे कर्मचारी तो वेतन कम होने के कारण पहले से नाराज हैं ही, किन्तु आपके इस निराधार प्रचार से कहीं बड़े अधिकारी भी नाराज न हो जायं, उसको भी आपको सोचना चाहिये। शास्त्रकारों ने कहा है कि—

"त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम् त्यजेत।
ग्रामम् जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत॥"

अर्थात् एक को कुल के लिये छोड़ना चाहिये, कुल को गांव के लिये छोड़ना चाहिये, गांव को जनपद के लिये छोड़ना चाहिये और आत्मा के लिये संसार को छोड़ देना चाहिये।

अगर हर एक भाई इस बात का ख्याल करें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि पोजीशन पर जो बड़े दिमाग वाले सरकारी अफसर हैं उनको हम चिन्तित न करेंगे ताकि उनका ब्रेन कमजोर न हो। अगर उनका ब्रेन कमजोर हुआ तो सब काम नष्ट हो जायगा। मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जहां मिनिस्टरों की पे कम हो और उनके नीचे काम करने वालों की पे ज्यादा हो। यदि इसका मानसिक प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सेक्रेटरियों की पे घटाने से कैसे असर पड़ जायगा। यह कांग्रेस गवर्नमेंट है जिसके अन्दर ऐसे आदर्श मौजूद हैं। लिहाजा हमें कोशिश करके पैदावार बढ़ानी चाहिये ताकि हर एक को खाना, कपड़ा और मकान मिले और आज के विरोधी कल मित्र बन सकें।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और उसके बाद मैं माननीय उपमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण अनुदान सदन के सामने उपस्थित किया है। मुझे इस विभाग से यही आशा है कि गांवों में गांव की जनता का बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन मैं एक सुझाव इस समय देना चाहता हूं कि इस महकमे में जो अधिकारी और कर्मचारी रखे जायं वे ऐसे लोग रखे जायं कि कोई काम खुद अपने हाथ से करने में न हिचकें और उस काम को छोटा न समझें ताकि जनता को और दूसरे लोगों को यह प्रोत्साहन मिले कि सभी लोग इस काम में सहयोग दे सकें और उनका ऐसा स्वभाव होना चाहिये कि साधारण से साधारण जनता भी उनसे कुछ पूछना और बातचीत करना चाहे तो उनसे वे मिलें। अभी भी मैं देखता हूं कि अधिकारी लोग और कर्मचारी लोग किसानों से या साधारण जनता से उतने अच्छे तरीके से बात करने का अवसर नहीं देते जितना कि खास करके उन लोगों को जो कि सफेदपोश या भड़कीले तरीके से रहते हैं, मैं यह भी सुझाव देता हूं कि जब इस महकमे के लिये कर्मचारियों को लिया जाय तो यह देख लिया जाय कि ऐसे आदमियों को नियुक्त किया जाय जो जनता में मिलजुल कर काम कर सकें और जनता से काम करा सकें।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि गांव में जो पिछले श्रमदान सप्ताह में श्रमदान दिया गया उसमें जो काम हुआ वह ऐसा हुआ कि कुछ यहां पर और कुछ वहां पर वह बिला किसी नकशे के काम हुआ। इसके लिये पहले से ही गांव पंचायत के सेक्रेटरी और इन्सपेक्टर के लिये यह हिदायत हो जाना चाहिये कि वह इस साल इस श्रमदान सप्ताह में फलां जगह फलां काम करायेंगे। वह जो काम होने वाला है उसके लिये फिर ऐसा इंतजाम हो कि अगर कहीं पर सड़क बननी है तो सड़क बनने के लिये अगर पहले नाली का इंतजाम नहीं होता है और पानी निकलने का इन्तजाम नहीं होता है तो यह होगा कि पानी पड़ने से वह मिट्टी सारी बह जायगी। इसी तरह से जो बांध बांधे जायं वहां के लिये वैसा इंतजाम होना चाहिये कि उन जगहों पर बाढ़ आने पर वह मिट्टी को बहा न ले जाय और वह बेकार न हो जाय। इसलिये इनके लिये ऐसा होना चाहिये कि बान्ध बांधने के लिये जो पुलिया या गेट वगैरह की जरूरत है वह पहले बन जानी चाहिये तब फिर वह काम शुरू हो।

हमारे जिले आजमगढ़ में बहुत सी छोटी-छोटी नदियां हैं जिनमें बांध बांधे जा सकते हैं और उसमें बहुत सा पानी रोका जा सकता है। वह बरसात के दिनों में बहती हैं और सूखे दिनों में वह सूख जाती हैं। वह इस तरह की नदियां हैं कि उनमें बांध बनाया जा सकता है और बहुत दिनों तक वह पानी रोका जा सकता है गेट लगा कर। एक नदी हमारे यहां कुवर है उस में बहुत दिनों तक पानी नहीं रहता है। उसमें चैत में पानी रहता है फिर वह सूख जाती है। अगर उसके ऊपर बांध बनाया जाय और बड़े-बड़े फाटक लगाये जायं तो उसमें बहुत सा पानी रोका

[श्री रामवचन यादव]

जा सकता है। उससे सिंचाई का काम भी हो सकता है और मवेशियों के लिये पीने का पानी गर्मियों में भी मिल सकता है इसलिये यह सब काम जो हों वह इस तरीक़े से हों जिससे यह फिर बाद में खराब न हो जायं और इस महकमे के लोग जो काम करने वाले हों वह ऐसे लोग हों जो गांव के लोगों के साथ मिल कर उनसे सहयोग प्राप्त कर सकें। ऐसे लोग नहीं रहें कि जो उनको देख कर अलग हो जायं और खुद काम न करना चाहते हों। जब वह सरकारी कर्मचारी खुद काम करेंगे तो उनके साथ वह गांव वाले भी करने के लिये तैयार हो जायंगे और सब अच्छी तरह से काम करेंगे। तभी यह काम पूरा होगा और इस देश की भलाई का बहुत बड़ा काम होगा। यह प्लानिंग का महकमा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके कामों से गांव की जनता को बहुत सुख मिल सकता है। अन्त में मैं फिर माननीय उपमंत्री जी को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये बधाई देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि बिना किसी आर्थिक नियोजन के और एक समुचित व्यवस्था के निर्माण के कार्य का किसी प्रकार से भी वास्तविक नियोजन नहीं हो सकता। हमारी प्रादेशिक सरकार ने चाहे श्रम-दान के रूप में या रचनात्मक कार्य के रूप में या पंचवर्षीय योजना के क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में जो कुछ भी नियोजन किया है वह सब आर्थिक ढांचे के नियोजन से रहित है। इसलिये एक लम्बे दृष्टिकोण से देखते हुये देश की बुनियादी आर्थिक कमजोरी और जनता की असहायता को दूर करने में यह प्लानिंग और यह हमारा नियोजन कितना कामयाब हो सकेगा यह तो एक संदिग्ध प्रश्न है। जब हम इस प्रस्तुत प्लानिंग की तरफ देखते हैं तो यह मालूम होता है कि सन् १९४५ से लेकर आज तक हमारे प्रान्त के नियोजन विभाग का इतिहास संस्थाओं को बनाने और बिगाड़ने का इतिहास रहा है। पहले रूरल डेवलपमेंट एसोसियेशन बना, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट एसोसियेशन बना दिया गया, जो कि आज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के नाम से मशहूर है फिर कमिश्नरों में रीजनल अथारिटी बनायी गयी, उसके बाद इनको भी खत्म कर दिया गया और आज वह सब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के हाथ में सौंप दिया गया। तो मैं क्या आशा करूं कि भविष्य में नियोजन का इतिहास संस्थाओं के नये नामकरण का इतिहास नहीं रहेगा। नये नामकरण किये जाने का इतिहास न रहेगा बल्कि जो भी नाम अब लिये जा रहे हैं और जो संस्थायें अब हैं उन्हीं के अनुसार आगे काम होगा। हमारी सरकार जो ट्रेनिंग दे रही है जिसका जिक्र माननीय फूलसिंह जी ने किया था यह ३ प्रकार के कार्यकर्त्ताओं की बात है। एक तो वह है जो डिस्ट्रिक्ट लेविल वर्कर्स हैं दूसरे ग्रूप लेविल वर्कर्स और तीसरे विलेज लेविल वर्कर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लेविल वर्कर्स का अगर हिसाब लगाया जाय तो उनकी संख्या ३०० है, ५१ जिले हैं एक जिले में उनका अनुपात ६ का आता है और ग्रूप लेविल वर्कर्स जिनको ट्रेनिंग दी जाने वाली है उनकी संख्या ३,३९४ है और अदालती पंचायतें जिनके लिये उनकी ट्रेनिंग हो रही है वह हमारे यहां ८,४१४ हैं। मतलब यह है कि एक अदालती पंचायत के लिये आधे से कुछ कम का औसत आता है। जिले के लेविल पर ६ का और अदालती पंचायतों के लेविल पर आधे का औसत आता है। विलेज लेविल वर्कर्स की संख्या हमारे यहां १२,६२० की है और हमारे प्रदेश में गांवों की तादाद १,०५,७७३ है। इस तरह से आप जरा कल्पना करें कि जिन १२,६२० कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग हो रही है वह अपने गांवों में किस प्रकार काम कर सकेंगे। ८ या ७ गांवों के लिये एक का औसत पड़ता है। अगर हम ग्रामसभा के हिसाब से भी देखें तो उनकी संख्या हमारे यहां ३५,९१९ है। इस तरह से भी २ के औसत में वर्कर पड़ता है। इसलिये पश्चिमी जिलों में १ कार्यकर्त्ता २ गांव सभाओं पर और पूर्वी जिलों में ३ पर एक वर्कर काम करेगा। अगर गांव सभा का भी हिसाब था तो विलेज लेविल पर तो कुछ यूनिफ़ार्मिटी होनी चाहिये थी। यही था तो २ ही पूर्वी जिलों में भी होते। इस संबंध में मैं पूछना चाहता हूं और ५ ईयर प्लान के पेज ६ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट

करना चाहता हूं। जहां पर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के ट्रेनिंग का जिक्र है, उसमें उनको काफी इम्पार्टेंस दी गई है, लेकिन इसमें से उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि:--

"The importance of the Primary School Teacher in the village life and the part which he can and should play in rural reconstruction cannot be over emphasized. He is probably the best educated person in many villages and, besides teaching the children, he can undertake the social education of the adults as well. He can assist the Gaon Sabhas not only in drawing up a plan but can guide them also in its execution. There are about 30,000 Primary Schools and every Gaon Sabha can thus benefit from this guide and friend."

इसलिये इस नियोजन में उनको भी स्थान दिया जाना चाहिये था और दूसरे जो खास बात है वह यह है कि अगर उनको नियोजन में रखा जाता तो टीचर्स की उपयोगिता भी बढ़ जाती और साथ ही उनको इस सहूलियत के दिये जाने से उनके आर्थिक प्रश्नों को हल करने में भी आसानी होती। इस तरह से उनको ट्रेनिंग में न ला कर उस प्लान के खिलाफ इग्नोर किया जा रहा है।

डिस्ट्रिक्ट लेविल वर्कर के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ़ स्कूल को माना जाता है और ग्रुप लेविल वर्कर पर सबडिप्टी इंसपेक्टर को लेकिन विलेज लेविल पर टीचर को नहीं माना गया है। अगर विलेज लेविल पर टीचर को ही ट्रेनिंग नहीं दी जायगी तो मेरी समझ में नहीं आता है कि फिर वर्कर का कन्सेप्शन ही क्या है। इसके बाद मैं ब्लाक कमेटी की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर देखा जाय तो स्वयं रिपोर्ट में लिखा है कि फैजाबाद देहरादून और इलाहाबाद में ब्लाक कमेटियां फंक्शन नहीं कर रही हैं। उन को ए बी सी ३ केटेगरीज में बांटा गया है। सी ऐसी केटेगरी है जिसमें न इन्सपेक्टर हैं और न कोई कार्यकर्त्ता हैं और सी केटेगरी की पंचायतें इस प्रदेश में ७५ फीसदी हैं और यहां पर किसी प्रकार का नियोजन कार्य नहीं हो रहा है। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि जहां पर 'सी' क़िस्म की ब्लाक कमेटीज हैं वहां पर नियोजन कार्य सब से कम हो रहा है। यानी जो सब से पिछड़े हुये इलाक़े हैं, जहां कोई इंस्पेक्टर भी नहीं हैं वहां नियोजन कार्य क्या हो रहा है। केवल २५ फीसदी वह अदालती पंचायतें जो 'ए' 'बी' केटेगरी में आते हैं वहां नियोजन कार्य चल रहा है। क्या माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि यह पार्ट प्लानिंग कैसे होगी और २५ फीसदी 'ए' 'बी' केटेगरीज को ले कर प्लानिंग का काम कैसे होगा?

इसके बाद जो मुझे कहना है वह प्लानिंग कमेटियों की सफलता के बारे में है। मैं भी आशा करता हूं कि जो टार्जेट्स बनाये जायं वह ओवर रीच किये जायं। लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें बिलकुल दूसरी तस्वीर है। मुझे दुख होता है। म आप की इजाजत से वह तस्वीर सदन के सामने रख देना चाहता हूं। टार्जेट ५१-५२ में क्या था और प्रोग्रेस क्या हुई, पंचायत घर २,२२३ बनाने थे और १,३४५ बनाये गये। कच्चे मकानों को पक्का बनाना, ५३,७३० मकान बनाने थे और ३३,७७१ मकान बनाये गये। इम्प्रूवमेंट आफ़ इंटर विलेज रोड्स १६,४७८ मील बनानी थीं और ६,७८४ मील बनीं। साकेज पिट्स ५४,०३६ बनाने थे और ३८,१७१ बने। अडल्ट लिटरैसी ११ लाख आदमियों की होनी चाहिये थी लेकिन केवल ५३ हजार आदमियों की हुई। पक्के कुयें २० हज़ार खोदे जाने चाहिये थे लेकिन केवल ८ हजार खुदे। पुराने कुओं की मरम्मत १५,००० कुओं की होनी चाहिये थी लेकिन केवल ४ हजार की हुई। केवल ४ आंकड़े ऐसे मिलते हैं, एक नये कुओं के बारे में, दूसरा नयी ज़मीन तोड़ी जाने के बारे में तीसरा ट्रेंच पैटर्न लैटरिन्स और चौथे कांस्ट्रक्शन आफ़ बंधीज, यह बीस में चार आइटम हैं जिनमें हम अपने टारजेट पर पहुंच सकें। बाक़ी १६ आइटम्स में आधा भी काम नहीं हो सका। प्लानिंग का टार्जेट उतना ही होना चाहिये जो कि हमारे साधनों के अन्दर हो, जितना कि हमारे अफसर कर सकें। इस साल की जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो, श्रीमन्, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि दो मिनट और दे दिये जायं क्योंकि मुझे खास बातें रखनी हैं। इस साल की रिपोर्ट जो नौ महीने की मिली है जो पिछले साल ५१-५२ में

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

काम ज्यादा हुआ बनिस्बत इस साल के। इस साल वहां तक भी नहीं पहुंच सके। ५१ में टार्जेट पर नहीं पहुंचे और ५२ के दिसम्बर तक जो दूसरी रिपोर्ट है उसमें हमको मालूम होता है कि हम उस टार्जेट को भी कामियाब नहीं बना सके और ६ मदों को छोड़ कर साकेज पिट्स कैटिल इनाकुलेटेड इन कोआर्डिनेशन विद ए० एच० डिपार्टमेंट, कांस्ट्रक्शन आफ़ बंधीज, प्ले-ग्राउंड्स आदि छ: मदों को छोड़ कर बाक़ी सारी मदों में ५१–५२ के बराबर भी नहीं पहुंच सके। यह हमें बतलाता है कि हम कहां तक अपने प्रयत्नों के बावजूद भी असफल हो रहे हैं।

हमारी सरकार मल्टी परपज वर्कर में बहुत विश्वास रखती है। हमारे मंत्री जी ने कहा है कि उसको जैक आफ आल ट्रेड्स होना चाहिये। केवल दो तीन महीनों की ट्रेनिंग हमारे माननीय मंत्री जी, जो उससे इतनी बड़ी आशा रखते हैं, तो मुझे खतरा है कि कहीं उसकी परिभाषा पूरी न हो जाय, जैक आफ आल ट्रेड्स, बट मास्टर आफ नन। अगर कहीं यह परिभाषा हमारे मल्टी परपज वर्कर की हो गयी तो हमारी सारी प्लानिंग चौपट हो जायगी।

प्लानिंग के संबंध में मुझे दो सुझाव देने हैं। जिस पर मुझे आशा है सरकार ध्यान देगी। एक तो फैमिली प्लानिंग है। अगर हम फाइव ईयर प्लान की समरी देखें तो उसके पृष्ठ ११० पर दिया है कि ६५ लाख रुपया फैमिली प्रोपोगेंडा और प्रोग्राम चाक आउट करने के लिये रखा गया कम्युनिटी प्राजेक्ट्स में जो प्रचार हो रहा है, एग्रीकल्चरल डिमांस्ट्रेशंस हो रहे हैं उसमें फैमिली प्लानिंग का भी प्रचार किया जाय।

दूसरा सुझाव क्राप प्लानिंग के संबंध में है। हमारी सरकार, खेती की तरक्की के लिये इम्प्लीमेंट्स के लिये कोशिश करती है, फर्टीलाइजर्स और मैन्योर्स बनाती है लेकिन कौन सी मिट्टी कौन सी फ़सल लेनी चाहिये, और किस प्रकार की पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता है इस पर ध्यान नहीं देती। जब तक हम अपने जिलों में क्राप प्लानिंग पर ध्यान नहीं देते तब तक यह योजना अधूरी होगी।

श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े ही समय में शासन के प्रयत्नों से जो सारे प्रदेश में आज विकास और नियोजन की एक लहर दौड़ आयी है उसके लिये मैं वास्तव में शासन और उस विभाग के मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और मैं तो यह समझता हूं कि इस थोड़े समय में जो कुछ सप्ताहों में हमको प्राप्त हुआ है वह केवल इस प्रदेश के लिये ही नहीं, इस देश के लिये ही नहीं बल्कि संसार में एक अनुपम मिसाल है। बजाय इस शिकायत के कि काम कम हुआ है, मैं तो शासन से यह प्रार्थना करूंगा कि कुछ हमें इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है और अगर वह सावधानी इसमें न बरती गयी तो हम कभी भी ग़लत रास्ते में और ग़लत नतीजों में पहुंच सकते हैं। कुछ असावधानी हमने पिछले पांच वर्षों में नये प्राइमरी पाठशालाओं के खोलने में की और उसका नतीजा हमें आज मानना पड़ेगा कि सभी रूप में संतोषप्रद नहीं हुआ है। तो जैसे अभी मेरे एक माननीय साथी ने कहा था कि केवल काम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ योजनाओं को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बात को भी देखने की आवश्यकता है कि आया हम उनको एक स्थायी और परिपक्व रूप दे सकते हैं या नहीं।

आज हम जिन सड़कों को बना रहे हैं, जिन कुवों को खोद रहे हैं और जिन जंगलों के निर्माण की बात कर रहे हैं या कुटीर उद्योग की बात नियोजन में करते हैं, हमें उस आधार पर देखना चाहिये कि हम वास्तव में उनको एक स्थिरता ऐसी दे सकते हैं जिससे इस प्रदेश की जनता को वास्तविक लाभ हो। मुझे दुःख है कि इस तमाम चहल पहल में जो गणतंत्र दिवस पर हुई, मेरे मित्र माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी को अलमोड़ा जिले में कुछ भी नहीं दिखाई दिया मेरा ऐसा ख्याल है कि इस सदन में जैसा कि उन्होंने एक बार पूर्व भी कहा कि वह सप्ताह भर अपने घर से बाहर गये ही नहीं, तो मेरा ख्याल यह है कि बजाय इसके कि उनको शिकवा किसी

अधिकारी पर हो या जनता पर हो, उनको अपने ऊपर होना चाहिये। जब कि सारी जनता काम कर रही थी, सड़कें बना रही थीं उनके लिये आवश्यक था कि वह बाहर निकलते और देखते। कम से कम मैं तो यह कह सकता हूं कि उस सारे सप्ताह में मैं अपने जिले में घूमा और जहां पर मैं गया वहां हजारों लोग काम कर रहे थे। मैं उनकी बात यह सही मान लेता अगर वह यह कहते कि ऐसा तो मालूम नहीं होता कि एक लाख या सवा लाख आदमियों ने काम किया बल्कि ५० या ६० हजार आदमियों ने काम किया या वे जनता में गये होते तो कहते इतने आदमी काम कर रहे थे तब तो ऐसी बात होती जिसको महत्व दिया जा सकता था, लेकिन यह कहना कि कुछ भी काम नहीं हुआ और ग़लत रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी दृष्टिकोण से मानी नहीं जा सकती है।

मैं नहीं कह सकता कि, जैसा कि मैंने उनके मुंह से सुना, वह माननीय मदनमोहन का सुझाव है या उनकी पार्टी का प्रोग्राम है, उन्होंने एक बात इस सदन के सामने सरकार के लिये रखी। उन्होंने कहा कि अगर एक सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिटी प्रोजेक्ट उन्हें खोलने की इजाजत दे दी जाय तो वह चमत्कार दिखला सकते हैं और उन्होंने यह कहा कि वह करोड़ों का काम कर सकते हैं। एक दो इंजीनियर्स के अलावा विशेष अधिकारियों की भी उन्हें आवश्यकता नहीं है। उनके ऊपर एक समिति सरकारी अधिकारियों की बन जाय, इस बात की देखरेख के लिये कि वह ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने थोड़ी सी आर्थिक सहायता सरकार से मांगी। मैं नहीं समझता कि प्रान्तीय सरकार की ओर से कोई ऐसी रोक है। आज जो भी विकास और नियोजन का कार्य करना चाहता है उसको पूरी छूट है और सरकार के इस काम को अपने हाथ में लेने के पूर्व भी लोग ऐसे काम करते भी थे। मेरी समझ में नहीं आता कि सोशलिस्ट पार्टी को कौन सी रुकावट है। जब वह करोड़ों का काम कर सकते हैं, विशेष अधिकारी भी नहीं चाहियें, तो थोड़ा सा सरकारी सहायता का प्रोत्साहन मिले या न मिले तब भी उन्हें काम पर जुट जाना चाहिये। उससे तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी चीज होगी जिससे हमारी जनता का महान लाभ होगा। लेकिन एक तरफ काम करने की तो नियत नहीं और यह कह दिया जाय कि अगर ऐसा हमारे लिये कर दिया जाता तो हम ऐसा करते। मैं तो यह समझता हूं कि जो काम करने वाले हैं और काम करना चाहते हैं वह अनेक रुकावटें होने के बावजूद भी काम करते हैं और फिर वह रुकावटें धीरे-धीरे समाप्त भी हो जाती हैं। पंडित नारायणदत्त तिवारी जी ने भी कुछ बातें नियोजन के संबंध में कहीं। मैं उनकी कुछ बातों को बहुत महत्व देता हूं और खासकर फेमिली और क्राप प्लानिंग के नियोजन के संबंध में, जो बातें उन्होंने कहीं मैं उनकी ताईद करता हूं लेकिन कुछ बातें वह ऐसी भी कह गये जो शायद बहुत महत्व नहीं रखती हैं खास कर आज जब कि हम एक नये युग में गुजर रहे हैं, उसमें और हमें समय समय पर कुछ समय के बाद हमें यह लगे कि हमें अपनी योजनाओं को बदलना है और हमें कार्यशैली में हेरफेर करना है जिससे कि हम उनको ज्यादा सार्थक बना सकें और जिससे जनता का ज्यादा भला हो सके तो यह कोई अड़चन की बात नहीं है। कुछ पश्चिमी और पूर्वी जिलों की बात भी उन्होंने कही। डेनसिटी आफ़ पापुलेशन पूर्वी जिलों में ज्यादा है और पश्चिमी जिलों का कम है। लेकिन जब किसी कर्मचारी को या कार्यकर्त्ता को काम करना होता है तो केवल जनता से ही नहीं काम पड़ता बल्कि उसको कुछ की दूरी भी पार करनी पड़ती है। पूर्वी जिलों में एक मन्त्री या एक अधिकारी तीन पंचायतों की देखरेख कर सकता है। पहाड़ में तो यहां तक है कि वहां पर बहुत कम आबादी है लेकिन आबादी भले ही कम हो लेकिन चलना तो ज्यादा पड़ता है। तो वहां ज्यादा अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। यह तो एक छोटी सी बात थी जो कि वह समझ सकते थे। मैं यह मानता हूं कि आज प्लानिंग विभाग के पास जो कर्मचारी हैं वह हमारी आवश्यकता को देखते हुये बहुत कम हैं। लेकिन उसके साथ-साथ मैं तो सरकार से यह अर्ज करूंगा कि बजाय इसके कि हम केवल इस बात की मांग करें कि अधिकारी बढ़ा दिये जायं, कर्मचारी बढ़ा दिये जायं, उसके साथ साथ हमें अपने साधनों को भी देखना चाहिये और ख्वामख्वाह ऐसी एक दिक्क़त में नहीं पड़ना चाहिये कि जैसे कि अध्यापकों की हड़ताल और पटवारियों की हड़ताल का मुक़ाबला आज करना

[श्री भूपालसिंह खाती]

पड़ रहा है। जब हम अपने को समझें कि हम उसका आर्थिक बोझ उठा सकते हैं, तभी हमें किसी कार्य को हाथ में उठाना चाहिये और आगे बढ़ना चाहिये। इसके साथ साथ जो कम्युनिटी प्राजेक्ट हमारे अलमोड़े ज़िले में चल रहा है, उसके सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जब डिप्टी मिनिस्टर साहब वहां तशरीफ ले गये थे तब हमने यह मांग की थी कि अगर प्लानिंग का अर्थ प्राथमिकता या प्रायरिटी का होता है तो हमारे यहां पहली प्रायरिटी इस बात को देनी चाहिये कि जो जमीन हमारे यहां बह रही है, उसकी रक्षा का कोई इंतजाम किया जाय क्योंकि कोई प्लानिंग हमारे यहां नहीं चल सकती यदि जो हमारी नदियों की घाटियां हैं जिनमें हम अच्छे से अच्छा गेहूं और धान पैदा करते हैं, वह बह कर निकल गयी। इसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि भूमि की रक्षा की जाय। दूसरे वहां जंगलात की रक्षा की जाय। आज जब हम बजट में खर्च को देखते हैं तो उसमें फारेस्ट डिपार्टमेंट का कोई खर्चा इस सिलसिले में नहीं दिखाई पड़ता है। साथ ही ३७ हज़ार रुपया टूरिस्ट ब्यूरो के लिये रखा गया है। जब मैंने देखा तो उसमें था कि कुछ कर्मचारियों के ऊपर नैनीताल में यह धन खर्च किया जायगा। नैनीताल चलिये और नैनीताल की हवा खाइये। इसका प्रचार करने की अब आवश्यकता नहीं क्योंकि नैनीताल को अब सभी जानते हैं और जो वहां जा सकता है जाता है बल्कि काफ़ी लोग पिंडारी ग्लेशियर जाना चाहते हैं यदि यह रुपया जननिर्माण विभाग को मार्ग और डाक बंगलों के सुधार के लिये दे दिया जाता तो हज़ारों लोगों को जो कि हिमालय तक पहुंचना चाहते हैं उनको लाभ हो सकता है बजाय इसके कि कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से कुछ लोग वहां पर यह रुपया खर्च करें और तनख्वाह पायें। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बात पर विचार करे। एक बात मैं और अर्ज कर दूं। आज मैं यह देखता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां कार्य करने की आवश्यकता होती है वहां पर पंचायत राज्य और प्रान्तीय रक्षा दल में एक क़िस्म का संघर्ष होता है। इन दोनों को जितनी जल्दी हो मिलाया जा सके उतना ही अच्छा है। दोनों की अलग-अलग रिपोर्टें जाती हैं और वहां पर गिनती में कभी-कभी ग़लती हो जाती है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में चारों ओर जहां भी देखिये निर्माणकार्य की ही चर्चा है जिसकी सफलता ग्रामीणों को हृदय से लगाने पर ही तथा समता का व्यवहार करने पर मिल सकती है। मैं समझता हूं कि हमारे देश का यह सौभाग्य है कि सब जगह इस संबंध में उत्साह ही उत्साह दिखाई दे रहा है। विशेषतया मैं निर्माण मंत्री जी को इस संबंध में बधाई देता हूं। हमारे जितने भी प्रमुख विभागों के कर्मचारी हैं, पीछे देखने में आया कि जगह जगह पर गांवों में जाकर उन्होंने सराहनीय कार्य किया जिससे ग्रामीण जनता बड़ी उत्साहित हुई। मैं इससे आगे बढ़कर यह प्रार्थना कर दूं, आप के द्वारा कि सरकार इस ओर ध्यान रखे कि आगे चल कर किसी विशेष अवसर पर ही हमारे सरकारी कर्मचारी इस कार्य को न करें बल्कि मैं यह कह देना चाहता हूं कि भविष्य में वे नित्यप्रति इस कार्य को करें तभी हमें सफलता मिलेगी अन्यथा एक तरह से यह बनावट हो सिद्ध होगी। इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि यह कार्य सद्भावना से होना चाहिये न कि इसलिये कि देहात में जा करके हम अपने कार्य को केवल दिखलायें। निर्माण कार्य के हमारे सरकारी कर्मचारी खेरा साहब हैं। उनके संबंध में मैंने सुना है और देखा है। जब मैं ३० तारीख को पिछले महीने में लखनऊ आया तो मैंने देखा कि उन्होंने बड़े उत्साह के साथ अन्य कर्मचारियों के साथ ग्रामों में जाकर कार्य किया, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविष्य में भी सरकारी कर्मचारी ग्रामीण जनता को उत्साहित करते रहें यदि ग्रामीण जनता उत्साहित नहीं हुई तो हमारा यह कार्य केवल कागजों पर ही रह जायगा और वास्तविक कार्य कुछ नहीं होगा। मैं दो मुख्य बातें इस पवित्र कार्य के अन्दर देखता हूं। सर्वप्रथम प्रांतीय रक्षा दल है। यहां जितने भी माननीय सदस्य हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जहां पर भी वे जायं वहां पर जो प्रांतीय रक्षा दल का कार्य हो रहा है उसकी ओर ध्यान

देने की कृपा करें। इस संबंध में जो सराहनीय कार्य हुआ है वह प्रांतीय रक्षा दल ने किया है। मैंने लखनऊ में आस पास जा करके देखा कि प्रांतीय रक्षा दल के जितने सेवक हैं या जितने भी जोन-वर्कर हैं उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। मैंने देखा है कि उनमें कई एक शास्त्री भी थे और ग्रेजुएट भी थे जो फावड़ा ले करके सड़कों पर लगे हुये थे। उनको देख कर मुझे और जो मेरे साथी विधान सभा के माननीय सदस्य गये थे उनको भी आश्चर्य हुआ। मैं प्रांतीय रक्षा दल से यही आशा करता हूं कि देश के लिये यह एक सर्वोत्तम आनन्ददायी और उन्नति का एक विभाग बन कर देश को समृद्धिशाली बना देगा।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसके पश्चात् मैं एक प्रार्थना और यह कर दूं कि सबसे उत्साहवर्धक तथा उत्तम कार्य जो हो सकता है वह हमारे विद्यार्थियों के ही द्वारा हो सकता है। यह भाव विद्यार्थियों के अन्दर है परन्तु उनको उत्साहित नहीं किया जा रहा है। इसका एक विशेष कारण है। कुछ आज्ञायें हमारी सरकार की ओर से स्कूलों में गई हुई हैं परन्तु उसके साथ सम्पर्क रखना या कार्य करना अभी आरम्भ नहीं किया गया है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आप से यह निवेदन कर दूं कि हिन्दू कालेज कांधला के विद्यार्थियों ने सात आठ मील सड़कें बनाने में पूरी सहायता की। मुजफ्फरनगर में कई एक कालेजों ने मीलों तक सड़कें बनाईं। हमारे वीरेन्द्र वर्मा जी जो इस कार्य के लिये हमारे जिले में एक मुख्य कार्य करने वाले हैं उन्होंने और स्कूल के विद्यार्थियों ने कई स्थानों पर बहुत ही बढ़िया काम दिखाया। अब विद्यार्थियों के लिये यह है कि सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जाय कि छोटी-छोटी सड़कें या आस पास के वह कार्य उनके सुपुर्द कर दिये जायं तब यह कार्य उत्साहमय होगा। जब स्वयं उनमें उत्साह होगा। तो वे उन्नति करना चाहेंगे और वे ग्रामीण जनता को भी उत्साहित कर सकेंगे। यह मुख्य कार्य विद्यार्थियों द्वारा ही हो सकता है।

इसके पश्चात् आप ग्रामीण जनता से मिलजुलकर रहने का प्रयत्न करें और उनके साथ ही साथ कार्य करें क्योंकि ग्रामीण जनता यह न समझे कि यह अफसर हैं और इस प्रकार से मिलजुलकर उनके साथ में यदि हम रहना आरम्भ कर देंगे जैसे कि वह आपस में रहते हैं तो वह स्वयं हमारे साथ में मिल कर कार्य कर सकेंगे और पूर्णतया देश के अन्दर उन्नति हो जायगी। जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जगह जगह पर देखने में आ रहे हैं, उसमें अधिक भाग सरकारी कर्मचारियों का दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूं कि जब तक यह परिपाटी चलती रहेगी और इस कार्य को हम सरकारी अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के सुपुर्द करेंगे तो हमें सफलता हो इसकी आशा मुझे दिखाई नहीं देती। इसके साथ ही साथ एक कार्य और करना होगा। मैंने देखा है कि इस बजट के अन्दर इस अनुदान में पहले पृष्ठ पर तो दिखलाया गया है कि जो कुछ भी धन है वह अस्पताल, स्थानीय निकायों इत्यादि पर व्यय दिखाया है लेकिन इसके पश्चात् जितने भी पृष्ठ पढ़ता हूं वह सरकारी नौकरों के वेतन और भत्ते इत्यादि से भरे हैं। मैं आप से प्रार्थना कर देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जहां तक हो सके हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि कम से कम वेतन लेकर सरकारी कर्मचारी स्वयं यह समझने लगें कि यह हमारा अपना कार्य है, किसी दूसरे का कार्य नहीं है, जब तक इस भावना से हम कार्य नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता और हम सम्पन्नता को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारी भावना यह हो जायगी कि यह हमारा पवित्र निजी कार्य है, इसको ऐसे ही करूं जिस प्रकार से मैं अपने घर का कार्य करता हूं। इस प्रकार की भावना यदि रहेगी तो हमारा काम पूरा होगा। इस के साथ ही जैसी कि मैंने अभी प्रार्थना की कि जितने भी सरकारी नौकर हैं और बड़े-बड़े वेतन पा रहे हैं उन्हें जो वास्तविक कार्य करना चाहिये वे इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं बल्कि दिखावटी और बनावटी रिपोर्ट ज्यादा होती हैं, और क़ाग़ज़ी काम ज्यादा होता है। मैं तो यह समझता हूं कि इस क़ाग़ज़ी

[श्री श्रीचन्द]

काम की कोई आवश्यकता ही नहीं बल्कि वास्तविक कार्य जो होना चाहिये वह तभी होगा जबकि लगन होगी । बिना लगन, सचाई, ईमानदारी, समता तथा बलिदान के कोई राज्य स्थायी नहीं बन सकता । इसके साथ ही साथ एक दोष और मैं देखता हूं कि जितने भी राजकीय कर्मचारी निर्माण कार्य में काम कर रहे हैं, डी० पी० ओ० और छोटे कर्मचारी इत्यादि उनकी देखभाल करने वाले सिवाय उस विभाग के अधिकारियों के दूसरा कोई नहीं है। इस संबंध में मैं अपना सुझाव इस प्रकार रख देना चाहता हूं कि उनकी देखरेख करने के लिये एक छोटी कमेटी प्रत्येक गांव में हो, वह जनता की हो और वह देखभाल रखे। ग्रामीण साधारण जनता में से इधर-उधर जहां कहीं भी कोई सच्चे प्रतिष्ठित सज्जन इस कार्य में निपुण हों और जिनको उत्साह हो, उनकी एक कमेटी बनाई जाय जिससे कि वह समिति इस कार्य की देखभाल कर सके। जिस कार्य के लिये गरीब जनता से कर इत्यादि के रूप में रुपया लिया जा रहा है, वे ग्रामीण किसान दुख तथा कष्ट सहकर भी वे सब कुछ देशहित पूज्यनीय बापू जी के नाम पर सब कुछ अर्पण करते हैं, कष्ट सह लेते हैं, अपना खाना पीना कम करके वे टैक्स इत्यादि देने के लिये तैयार हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट को चाहिये की पूर्णतया उनके साथ हमदर्दी दिखाये और उनकी ओर से इस बात का खयाल न होने पाये कि जो पैसा उन्होंने दिया है वह व्यर्थ गया। पसीने की कमाई का जो पैसा लिया जाय उसको पूर्णतः उस काम में लगाया जाय जिसके लिये वह लिया गया है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि स्वराज्य मिलने के पश्चात् सबसे बड़ी बात जनता के कान्फीडेन्स के फिर से आने की है। रचनात्मक कार्यों के द्वारा हमारा जो जनता से पहले सीधा सम्पर्क था वह इधर धीरे-धीरे ढीला हो गया है। गत २६ जनवरी के निर्माण कार्य से जनता का उन कार्यकर्ताओं पर फिर से विश्वास होने लगा जिन्होंने जनता में जाकर इस अवसर पर काम किया। यह ठीक है कि नियोजन अधिकारियों द्वारा या सरकारी कर्मचारियों द्वारा यह कार्य चलाया गया और यह भी ठीक है कि जनता ने उसमें पूरा सहयोग किया। लेकिन देखना यह है कि इसमें इनीशियेटिव किसने लिया और जनता की शक्ति का प्रयोग और प्रोत्साहन किस तरह से लिया गया। मेरा इसमें कहना यह है कि प्लानिंग कमेटी के संचालक प्लानिंग अफसर हैं। प्लानिंग कमेटी के प्रधान अधिकारी नानआफिशियल रखे जावें और जनता का पूर्ण सहयोग लिया जाय। अफसर की हैसियत से एक व्यक्ति नियुक्त हो तो अधिक अच्छा है। इस कमेटी में एक इंजीनियर जो कि अब भी होता है परन्तु अब तो वह मीटिंग में आकर चले जाते हैं उन्हें प्रति दिन जिले में पूरे समय के लिये रोका जाय। तहसीलों के क्षेत्रों में जब १५,१५ दिन के ट्रेनिंग कैम्प होते हैं तो प्लानिंग अफसर महोदय एक या दो दिन के लिये वहां जाते हैं। उनका पूरा लाभ तथा सहयोग नहीं मिल पाता। ऐसे कम्युनिटी कैम्प्स में भी छोटे अफसर तथा पंचायत अफसर आदि तो आते हैं। ऐसे निर्माण कार्यों में पहली चीज प्रोत्साहन देना है। जब तक हमारी जनता में उत्साह न होगा और यह विचार नहीं होगा कि शारीरिक परिश्रम यज्ञदान की तरह प्रतिष्ठा प्रदान करता है और इससे हमारे भारत का नवनिर्माण होता है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो ट्रेनिंग के लिये सेंटर्स खोले जाते हैं, जैसे बख्शी का तालाब है और ५ सेंटर और खोलने की योजना है और छोटे-छोटे और भी यह अत्यन्त आवश्यक और लाभकर हैं। इस कार्य को शुरू हुये थोड़ा ही समय हुआ है फिर भी इसमें जितनी उन्नति हुई है वह प्रशंसा के योग्य है। हमारे इन केन्द्रों को नियोजन शिक्षण-शिविर के नाम से खोला जाय और वहां पर अच्छे टेनर्स रखे जायें, जो वहां

होल टाइम वर्कर की हैसियत से काम करें। यदि ऐसा नहीं कर सकें तो वहां के स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों को प्रोत्साहन देकर उनसे काम चलाना चाहिये। जहां तक देहातों अर्थात् ग्रामों का संबंध है स्थानीय जिम्मेदार व्यक्तियों को ही ज्यादा काम देने की जरूरत है। ग्राम सभाओं के संरक्षण में छोटे छोटे बीज गोदाम, फर्स्ट एड केन्द्र और छोटे छोटे पुस्तकालय खोले जावें। गांव केन्द्रों पर व्यावहारिक ट्रेनिंग देने का जो काम है और बढ़ा दिया जाय जो बहुत जरूरी है।

प्राइमरी टीचर्स के बारे में जो जिक्र आया है तो उसके संबंध में मेरी अपनी राय है कि जो सेक्रेटरी पंचायत का काम है उसका काम अध्यापक वर्ग से लिया जाय। इससे खर्च भी बचेगा और उस क्षेत्र में वह अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे और समझदार होते हैं और उस क्षेत्र में शिक्षा के अतिरिक्त समय में अच्छा काम भी कर सकते हैं। वे खुद मौके पर जाकर देखें और ठीक रिपोर्ट भी तैयार करें। इस प्रकार जो गलत रिपोर्ट आती है वह सही हो जायगी। हमारे माननीय सदस्य श्री उपाध्याय जी ने कहा कि रचनात्मक कार्य के दर्शक लोग जो आये उनकी संख्या भी काम करने वालों में जोड़ दी गई है उन्होंने यह इतनी वेग बात कह दी जिसे सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे माननीय मदनमोहन जी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जनता में उत्साह तभी बढ़ता है जब कार्यकर्तागण स्वयं काम में जुट जाते हैं और जनता भी उस समय स्वतः जुट जाती है। यह बात सही है कि इस बार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली बार ऐसा सफल प्रयत्न हुआ। २६ जनवरी को लोग तमाशा देखने के लिये आये, यह ठीक है। जनता का हमेशा से यह स्वभाव रहा है कि वह पहले शुभ कार्यों का विरोध करती है और काम की गंभीरता को महसूस करती है और जब वह देख लेती है कि वाकई में काम सेवा और परोपकार का है तो खुद फावड़ा लेकर जुट जाती है। यह अवसर तो पहला कदम था, लोग तमाशा देखने के लिये भी आये कि आया यह लोग सिसयरिली काम करने आये हैं या केवल तमाशा दिखाने आये ह। लोग आये और बाद में हमारे साथ लगे भी। यह बात गलत है कि दर्शक लोग आये और उनकी भी संख्या दिखला दी गई। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि हम लोगों में वालेन्टियरिली काम करने की आदत नहीं है। हम लोग यह समझते हैं कि यह व्यक्तिगत खेती है वह अपनी जायदाद की रक्षा स्वयं करते हैं और हर एक व्यक्ति अपनी चीजों को देखे। हम लोगों में लोक-हित कार्य करने की भावना की कमी है। वह यह नहीं देखते कि काम बिगड़ रहा है। हम देखरेख के कार्य या मदद पहुंचाने के कार्य से भागते हैं और स्वतः सेवा-कार्य करना नहीं चाहते। जब हम एक दूसरे को सहायता करते हैं तो उससे हम अपनी सहायता कर लेते हैं और अगर हम किसी को नुकसान करते हैं इस प्रकार हम अपना नुकसान पहले कर लेते हैं। इसी तरह से एक दूसरे को सहायता पहुंचा कर हम अपनी सहायता कर लेते हैं। लेकिन अभी इस भावना की कमी है और हमें इस भावना को बदलने की जरूरत है और वर्कर्स हमारे होने चाहिये जो एक दूसरे के काम में सहायक सिद्ध हों और रचनात्मक कार्यों में खुद काम करने की कोशिश करें तभी एक दूसरे के सहायक सिद्ध होंगे।

मुझे एक बात और कहनी है। माननीय दो तीन साथियों ने अभी प्रांतीय रक्षा दल का जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं कि सेवादल में काफी लम्बे अर्से तक मैंने काम किया है और हमने प्रांतीय रक्षक दल में लगभग १४ हजार वर्कर्स दिये थे। मुझे उसका पूरा ज्ञान है कि जितने परिश्रम से और जितने अच्छे ढंग से प्रांतीय रक्षक दल ने कार्य किया है वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखने योग्य है। हमारे पूर्व माननीय वक्ता महोदय ने यह सुझाव दिया कि प्रांतीय रक्षक दल तोड़ दिया जाय। लेकिन मैं कहता हूं कि आइडेन्टिटी खत्म कर देने का गलत असर पड़ता है और उसके सैनिकों के उत्साहपूर्वक कार्य करने पर भी काफी असर पड़ सकता है। प्रांतीय रक्षक दल के लोगों ने रहीमाबाद

[श्री नन्द मार देव वाशिष्ठ]

के विशाल जंगल को काट कर बड़ा भारी कार्य किया है और इस पूरे वर्ष भर जो नव भारत निर्माण के कार्य उन्होंने किये हैं वह बहुत ही महत्व रखते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी संस्थाओं को और बल देना चाहिये, प्रोत्साहन देना चाहिये और ऐसे कितने ही स्वतः सेवा संगठन समाज में बनाने चाहिये ताकि ऐसे संगठन अपने क्षेत्र के निर्माण कार्यों में लग जायं और ऐसी भावना फैलनी चाहिये कि जिससे ऐसी संस्थाओं का समाज में सम्मान बढ़े और उनके व्यक्ति ऐसे निर्माण कार्यों में अपने को लगायें और ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाकर ऊपर उठाने की कोशिश करें।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस समय योजना और एकीकरण के ऊपर वादविवाद चल रहा है। जितने माननीय सदस्य बोले हैं वह सब योजनाओं के ऊपर ही बोले हैं। इसलिये मैं एकीकरण के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। एकीकरण ऐसे विभागों का होना चाहिये जिनमें कोई खास टेक्निकल नालेज की जरूरत न हो। एकीकरण जैसे कहीं सड़क बनाना है, कहीं पुल बनाना है, कहीं बांध बांधना है तो वह पी० डब्लू० डी० वाले ज्यादा अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उनकी दरअसल टैक्निकल नालेज है, उनके पास ओवरसियर्स और इंजीनियर्स वगैरह पूरा स्टाफ है, इसलिये उनके पास यह काम होना चाहिये न कि प्लानिंग आफिसर के पास, क्योंकि वह इंजीनियरिंग पास नहीं होते और न उनको कोई खास दिलचस्पी ही होती है।

दूसरी तरफ देखिये जैसे सिंचाई के काम हैं, कृषि के काम हैं, जिनका एकीकरण होना चाहिये। लेकिन उनका तो हुआ नहीं और एग्रीकल्चर और सिंचाई मिनिस्टर एक होना चाहिये था जो कि अलग हैं। परन्तु प्लानिंग विभाग में बहुत सारी चीजें ले ली गई हैं। सिंचाई के जो ट्यूब वेल्स हैं उनका भी काम प्लानिंग आफिसर के मातहत कराया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें रुपये का बहुत ज्यादा खर्चा होगा। प्लानिंग आफिसर की तनख्वाह, उनके कर्मचारियों का वेतन और तमाम दफ्तर का खर्चा बेकार बढ़ गया है। सिंचाई विभाग की इंजीनियरिंग शाखा से कोई काम का नक्शा बन कर प्लानिंग आफिसर के यहां आये और देखभाल करके तब वह सैंक्शन करें। इसी तरह से और भी बहुत से विभाग हैं। जैसे कोआपरेटिव विभाग है। इसकी बहुत आवश्यकता है, इसको भी प्लानिंग में शामिल कर दिया गया है। इसका भी यही हाल है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट जितने क्लार्क्स, आफिसर्स, इंस्पेक्टर्स, आर्गनाइजर्स तथा कामदार वगैरह सब प्लानिंग विभाग में आ गये हैं। इस तरह से और भी कई विभाग हैं जिनके देखने की जरूरत है।

अब मैं सूचना विभाग के बारे में कहूंगा कि यह बहुत ही आवश्यक विभाग है परन्तु इसका काम किसी एक पार्टी का प्रोपेगेंडा करना नहीं है जो ज्यादातर अभी तक इसका काम रहा है। परन्तु अब यह कहा जाता है कि यह प्लानिंग का काम करेगा, यह बहुत सुन्दर बात है। लेकिन इसको अगर अलग रखा जाय तो देश को बहुत फायदा पहुंच सकता है। यह प्लानिंग का काम करे लेकिन इस विभाग को अलग रखा जाय ताकि जिस आदमी को जैसी आवश्यकता हो वह इस विभाग से दरियाफ्त कर सके। किसी लड़के को किसी खास जगह जाना है तो वह दरियाफ्त कर सके कि वह इंजीनियरिंग में जाय या इंडस्ट्रीज में जाय या कहां जाय, किस तरह से पढ़े और किस तरह से काम करे और देहात वालों को भी कुछ मालूमात हो सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि एकीकरण जो किया जा रहा है वह ऐसे विभागों का किया जा रहा है जिनमें कोई खास टैक्निकल नालेज की जरूरत न हो और जिनमें पब्लिक को कोई खास तकलीफ न हो और इस तरीके से एक ही आदमी सब काम कर लेगा और मल्टी परपेज के काम के लिये एक ऐसा आदमी हो जो डाक्टरी कर ले, वैद्य भी बन जाय, पढ़ भी ले और सड़क भी बना ले, तो इस तरीके से तो काम ठीक नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इन विभागों को अलहदा-अलहदा रखा जाय।

श्री फूलसिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो बहस इस आदरणीय सदन में इस मांग पर हुई, मैंने उसको बड़े गौर से सुना। मैं माननीय मेम्बरान का, खास तौर से विरोधी पार्टी के नेता श्री उपाध्याय जी का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने इस मामले में एक बहुत ही डिस्पेशनेट व्यू लिया। यह सच है कि प्लानिंग का काम केवल सरकारी आफिसर्स से नहीं चल सकता है और जो सरकारी आफिसर जनता का सहयोग प्राप्त नहीं करते हैं, उस हद तक उसको कामयाब नहीं कहा जा सकता है। यह भी सच है कि इस काम को जहां तक हो सके गैर सरकारी हाथों में देना चाहिये और इसके लिये बराबर प्रयत्न हो रहा है। कठिनाई यह है कि इन सब मामलों में कई तरह की अड़चनें आती हैं। सबसे पहली अड़चन पारस्परिक संदेह और विभागीय प्रतिद्वन्दिता है। फिर ऐसे रास्ते निकालने बड़े कठिन हैं जिनमें वह खामियां न हों। तब भी हमारी यह कोशिश रही है कि जहां तक हो सके गैर सरकारी हाथों में यह काम दें। चुनान्चे आप देखेंगे कि जितने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं उनमें ५ ट्रेनिंग सेंटर्स गांधी आश्रम में खोलने जा रहे हैं और ट्रेनिंग सेंटर गोंडा में एक कार्यकर्ता के सुपुर्द किया है जो सोशल लाइफ में बड़ा निपुण कार्य करता है गरीब होते हुये भी सरकारी नौकरी को तैयार नहीं है। इसी तरह से अभी अभी सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि श्रीमती मीराबेन जी को यदि केन्द्रीय सरकार मंजूर करे तो प्रांतीय सरकार भी उनको प्रोजेक्ट टेहरी गढ़वाल में चलाने की इजाजत देगी। इसी प्रकार और सुझाव भी बहुत वेलकम होंगे और सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि जहां तक भी हो सके गैर सरकारी साथियों से यह काम लिया जाय। पिछले काम जो हुये उस पर एक टिप्पणी हुई उपाध्याय जी की तरफ से कि १ लाख ६७ हजार आदमियों ने काम किया। मैं और बातों में जाना नहीं चाहता। मुझे यह निवेदन करना है, १ लाख ६७ हजार आदमियों ने काम किया। अगर ५ दिन में सारे आदमियों को बांटेंगे तो किसी दिन ज्यादा आदमी आये और किसी दिन कम। तो यह बेजा नहीं मालूम होता। बहरहाल इस बात को ठीक करने के लिये कि रिपोर्ट्स ठीक तरह से आयें उधर भी सरकार का ध्यान जा रहा है। चुनान्चे अभी सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि जिलों से जितनी रिपोर्ट्स आती हैं फोर्टनाइटली और मंथली सब मिला कर १०० से ज्यादा रिपोर्ट्स आती हैं। इतनी रिपोर्ट्स जो मुख्तलिफ महकमों की तरफ से आती हैं उनमें गलती होने की संभावना थी तो इस बात की कोशिश की जा रही है कि ये रिपोर्ट्स कम से कम तादाद में हों और अगर संभव हो तो एक एजेंसी के मार्फत हों। जब ऐसा ही हो जायगा तो यह गलती नहीं हो सकेगी। फिर भी श्रमदान सप्ताह कार्य के मुताल्लिक जो इनाम देने का निश्चय हुआ है उन रिपोर्ट्स पर तय नहीं किया जा रहा है। इसलिये कमेटी मुकर्रर की है जिस कमेटी में वे लोग नहीं हैं जिनको सरकारी आदमी कहा जा सके। उनमें श्री अक्षयवर कुमार कर्ण हैं जो गांधी आश्रम के बड़े कार्यकर्ता हैं और एम०एल०ए० थे और जिन्होंने भू-दान यज्ञ में बड़ा काम किया है। दूसरे कार्यकर्ता श्री दिलीप सिंह रिटायर्ड इंजीनियर हैं जो भारत सेवा समाज में काम करते हैं यह तो नान-आफीशियल लोगों का काम होगा और इसमें खर्चा इतना नहीं होगा जितना कि हमारे काम करने में होता है और जितना समय सरकारी कर्मचारियों का नष्ट होता है, उतना समय भी नष्ट न होगा तथा गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी हमें प्राप्त हो जायगा। इनाम देने का क्या डिस्क्रीशन होगा इससे मैं उनको बाइंड नहीं करूंगा लेकिन आम तौर पर जो बातें ध्यान में रखी जायेंगी वह होंगी क्वालिटी आफ़ वर्क, कितने आदमियों ने उसमें काम किया तथा उस काम की उपयोगिता कितनी है, इन बातों पर ध्यान देकर इनाम दिया जायगा। इस तरीके से यह इनाम ठीक ही आदमियों को पहुंचेगा। फिर भी यह बात आप ध्यान में रखें कि यह इनाम किसी व्यक्ति को मिलने वाला नहीं है। जिन जिलों को इनाम मिलेगा वे उसको सार्वजनिक कार्य में खर्च करेंगे। अगर इसमें कोई हेरफेर भी हो तो देश को इससे कोई हानि होने वाली नहीं है।

[श्री फूलसिंह]

इसके अतिरिक्त दो एक बातें उपाध्याय जी ने कहीं। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है कि इस सप्ताह में अच्छा काम हुआ लेकिन पिछली बातों पर और पिछले कामों पर तो वह क़ौम जिन्दा रहती है जिसके सामने भविष्य के लिये कोई काम नहीं होता लेकिन जिसके सामने भविष्य होता है उसे अपनी गति को जारी रखना चाहिये, अपनी शक्ति को अपने कामों में लगाना चाहिये। अगर वे कोई त्रुटियां भी करते हैं तो देखते हैं कि उसका इलाज क्या है। पिछले वक्त एक बड़ी भारी दिक्क़त यह भी रही कि हमारे पास औजार काफी नहीं थे और कुछ जिलों से शिकायत आयी कि वे ठीक तरह के नहीं थे। इसके लिये हमारा इरादा है कि हम एक म्यूज़ियम कायम करें जिसमें तमाम ऐसे इम्प्लीमेंट्स रहें जो प्रदेश में इस्तेमाल किये जाते हैं ताकि लोग अपने इम्प्लीमेंट्स को ठीक तरह से डिज़ाइन कर सकें।

एक मित्र ने कहा कि बंधिया बनी हैं वे बह जायेंगी। उनके कलवर्ट्स और पुलियां बनाने का सवाल हमारे सामने है। इसके लिये अगर हम इंजीनियर्स को रखें तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो जायगा जिसको सरकार बरदाश्त न कर सकेगी। यह भी सोचा जा रहा है कि जो इंजीनियर्स रिटायर हो गये हैं उनकी ख़िदमत से फ़ायदा उठाया जाय और उन लोगों को उसमें रखा जाय तो मुफ्त सेवा करने के लिये तैयार हों। इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं को मामूली सी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेंटर्स खोल कर अथवा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जैसे अलीगढ़, बनारस और रुड़की में, दी जायगी। क्योंकि एक इंजीनियर के लिये सब कामों को स्वयं देखना मुश्किल होगा इसलिये वह एक्सपर्ट इंजीनियर की देखरेख में कार्य करते रहेंगे। पुलियाओं और दीगर मैशीनरी वर्क के लिये ५० हजार रुपये की मद रखी गयी है ताकि जितने काम होने वाले हैं वे जल्द से जल्द करा दिये जायं। बहरहाल इस काम को पूरा करने का यत्न किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि सब लोग इस काम में मिल कर सहयोग देंगे ताकि वह आगे बढ़ाया जा सके।

श्री धर्मदत्त वैद्य जी ने शिकायत की कि कुछ सरकारी कर्मचारी जनता का सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मुझे खेद हुआ यह जान कर क्योंकि हमारे इस मुहकमे में ऐसे ही लोगों को रखने का प्रयत्न किया जाता है जिनकी जनता के काम करने में रुचि हो, जो गरमी और सरदी बरदाश्त कर सकते हों, क्योंकि सरकार यह समझती है कि इस तरीके के सरकारी आफिसर्स इस मुहकमे में काम कर सकते हैं और उसी से जनता का विश्वास बढ़ सकता है। मगर अगर कहीं ऐसी ग़लती होगी तो उसको सुधारने की कोशिश की जायगी। मेरे ख़याल में यह एक नया तरीक़ा है और इसमें काम करने के कोई निश्चित नियम भी नहीं हैं इसलिये काफ़ी ग़लतियां हो सकती हैं। सब से ग़लती होती है और इस मुहकमे के कर्मचारी भी ग़लती कर सकते हैं लेकिन बजाय इसके कि हम उनके साथ पुलिस अफसर का रोल अख्तियार करें, उनको कनवर्ट करने या उनमें सुधार करने का रोल अख्तियार करें तो ज्यादा अच्छा होगा और उनमें कुछ सुधार कर सकेंगे। तो जहां एक तरफ ऐसी ग़लतियों की जांच किये जाने की बात है वह दूसरी तरफ मिल जुल कर इस बात को जानने की कोशिश करें कि कौन कैसा अफसर है, कौन कैसा कर्मचारी है, तो मेरा ख्याल यह है कि इस मुहकमे से भी शिकायतें कम ही होती चली जायंगी।

मुझे खेद है कि श्री बालेन्दु शाह जी को प्रान्तीय रक्षा दल के भाइयों से कुछ शिक़ायत हुई और मुझे और भी ज्यादा खेद है कि उनको वह शिक़ायत इतनी अखरी कि उसका ज़िक्र उनको इस माननीय सदन में करना पड़ा। मैं नहीं समझ सका कि वह शिक़ायत इस काबिल थी भी या नहीं। अपने उन कार्यकर्त्ताओं का जिन्होंने इस देश के लिये कुर्बानी की है, उनका गीत गाना कोई पोलिटिकल बात नहीं है। श्री सुमन जी टेहरी के एक नेता रहे उन्होंने टेहरी के इतिहास में काम किया है और उनका आदर करना सब पोलिटिकल पार्टीज़ का कर्तव्य रहा है। यह बात दूसरी है कि जब श्री सुमन जी थे तो श्री बालेन्दु शाह जी का संबंध उस पक्ष से रहा हो जिसको उनके कामों से कुछ क्षति पहुंची हो। फिर प्रान्तीय रक्षा दल वालों के मुताल्लिक़

ऐसा विचार करना सही नहीं है। मेरा यह निवेदन है प्रांतीय रक्षा दल हमारे प्रांत का स्पियर हेड है। उसने यह काम किया कि उस मिट्टी को उठा कर इतना ऊंचा उठाया और उसका बड़ा भारी श्रेय इस प्रान्तीय रक्षा दल को है। प्रान्तीय रक्षा दल के लोग बड़ी मेहनत से काम करते थे, सब नौजवान हैं, उनमें से अधिकांश बिना तनख्वाह के काम करते हैं और मेरा खयाल है कि इस वक्त मिड स्ट्रीम में हार्स चेंज करना ग़लत हो जायगा। हम यहां पर इन्हीं लोगों की सहायता से पहुंचे हैं और अब इनको छोड़ कर एन० सी० सी० या और किसी सी० सी० की सहायता इस काम में ली जाय यह ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो ग़लतफहमी के कारण कोई मुकामी शिकायत श्री बालेन्दु शाह जी को हुई उसका मुझे खेद है। हमारा यह बिलकुल इरादा नहीं है कि इस काम को किसी पार्टीबन्दी के तौर पर ले जायं। अभी मेरे एक मित्र ने शिकायत की कि इसमें दूसरे पक्ष का कुछ कम खयाल किया जाता है। मेरे खयाल से यह शिकायत भी नहीं है। पिछली मर्तबा जो कम्पोजीशन था प्लानिंग कमेटी का और अब जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कम्पोजीशन है, उसको अगर आप देखें तो पायेंगे कि इसमें सभी पक्ष के एम० एल० एज़०, एम० पीज़०, एम० एल० सीज़० हैं और यह तय कर दिया गया है कि कम से कम सब मेम्बर्स आफ लेजिस्लेचर प्लानिंग कमेटी के मेम्बर हों और यह भी कोशिश है कि जहां हमें कोई ऐसा आदमी मिले जो ज्यादा मुनासिब हो और दूसरे पक्ष का भी हो तो हम उसे भी नामिनेट करलें। इस वक्त हमारे पास सब आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन एक नाम मुझे याद है। हमारे मुज़फ्फ़रनगर के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम श्री ब्रह्मप्रकाश है उनको हमने नामिनेट किया है। इसी तरह से प्लानिंग बोर्ड में हमने श्री आचार्य नरेन्द्र देव जी को नामिनेट किया था लेकिन खेद है कि वे इस कमेटी में काम करना स्वीकार नहीं कर सके। तो हम किसी पक्षपात पूर्ण तरीक़े से इस काम को करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी यह स्कीम तभी कामयाब हो सकती है जब हम सब लोगों का सहयोग प्राप्त कर लें और अगर हमारे कुछ साथियों को इसके मुताल्लिक़ कुछ शिकायत भी हो तो भी हम उनकी शिकायतों का टका सा जवाब न देकर इस बात की कोशिश करेंगे कि उन शिकायतों को दूर कर उन्हें भी काम करने का मौका दें। प्लानिंग कमेटी के बारे में यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में अफसरों का ही ज्यादा जोर है। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के कम्पोजीशन को देखा जाय तो आप देखेंगे कि उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसरों का ज़ोर बिलकुल नहीं है। उसमें इतने एम० एल० एज०, एम० पीज०, मेम्बर्स आफ लेजिस्लेचर, गांव सभा के सेक्रेटरी, कोआपरेटिव के नुमायन्दे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नुमायन्दे और तीन नामिनेटेड नुमायन्दे होते हैं कि सरकारी कर्मचारी बहुत थोड़े हो जाते हैं और फिर उसमें भी जितने सरकारी कर्मचारी पुरानी प्लानिंग कमेटी में थे इसमें उनकी संख्या कम कर दी गयी है। तो इस तरह से प्लानिंग कमेटी में ज्यादा सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उनकी संख्या बहुत थोड़ी शेष है। बल्कि यह सही तरीक़े पर गैर सरकारी प्लानिंग कमेटी है। तो सरकारी कर्मचारियों की भी अगर आवश्यकता होती तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से हटा दिया जाता। लेकिन इनको अगर इसमें से हटादें तो हमारा काम रुक जायगा। चूंकि वहां पर बैठ कर अपने मुहकमें की जवाबदेही करते हैं और आप को सलाह देते हैं तो उनका वहां पर रहना बहुत मुफ़ीद साबित हुआ है। जो यह कहा गया है कि वहां पर एक्ज़िक्यूटिव में सभी सरकारी कर्मचारी होते हैं यह सही नहीं है, क्योंकि जो वहां पर एक्ज़िक्यूटिव कमेटी है उसमें गैरसरकारी आदमी भी रक्खे गये हैं। इस वास्ते मेरे ख्याल में यह शिकायत सही नहीं है कि गैर सरकारी आदमियों का उसमें बहुमत नहीं है बल्कि आज जो प्लानिंग कमेटी है वह गैर सरकारी आदमियों के हाथ में चली गयी है। जो वहां पर सरकारी आदमी हैं वह उनकी मदद करने के लिये हैं। फिर भी इस मामले पर इस दृष्टि से विचार करना शायद अच्छा न होगा। आज जब हम सब मिल कर इस काम को करने में लगे हैं तो यह देखना कि यह गैर सरकारी आदमियों के हाथ में नहीं है और सरकारी आदमियों के हाथ में है यह हमारे काम में सहायक नहीं हो सकता है। सरकारी आदमियों को उस कमेटी के अलावा और काम भी सुपुर्द किया गया है और उसके एवज में मिलता कुछ नहीं है। जब वह अतिरिक्त

[श्री फूलसिंह]

अवैतनिक कार्य करते हैं तब तो उनका आभारी होना चाहिये और उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिये। मेरा यह ख्याल है कि यह कहना कि गैर सरकारी आदमियों के हाथ में कमेटी नहीं है यह सही नहीं है।

नारायणदत्त जी ने कुछ आंकड़ों का जिक्र किया। मैंने शुरू में यह निवेदन किया था कि इन आंकड़ों में आप बहुत न पड़ें तो अच्छा होगा। उसकी कई वजह हैं एक तो यह है कि जब आंकड़े ले कर एक बात करते हैं तो यह कोशिश रहती है कि कोई खामी निकाली जाय। वह एतराज़ सही न हो लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारे कामों में खामी हो सकती है। भले ही वह खामी आप की दृष्टि में न आयी हो पर तब भी हमारे सामने कठिनाइयां हैं। कोआर्डिनेशन का जो काम है वह इतना आसान नहीं है। वह मैथेमैटिकली नहीं चल सकता है। हमारे एक मित्र का कहना है कि कोआर्डिनेशन न किया जाय उनमें जो टेक्निकल हों। यही तो हमारी कठिनाई है। हमारा जो कोआर्डिनेशन है और दूसरा इन्टगरेशन है दोनों को मिला कर कहीं कुछ किया और कहीं पर कुछ करने की कोशिश की है उन कामों को सिखाने के लिये बहुत समय की आवश्यकता है, उन कामों को हम अपने विलेज मैन को सिखाया है। जैसे मवेशियों को टीका लगाने की बात है, बीज का इंतजाम और दूसरे इस तरह के छोटे छोटे काम हैं जिनमें कोई बहुत काबिलियत की जरूरत नहीं है तो उनको हमने अपने विलेज मैन को सिखाने की कोशिश की है। जो मोटे मोटे काम हैं उनको हमने अपने आदमियों को सिखा दिया है। मगर जो काम ऐसे हैं कि जिनमें टेक्निकल काम की जरूरत है उसमें हमने कोई कोआर्डिनेशन नहीं किया है। २,३ मुहकमे के जो छोटे छोटे काम हैं उनमें मल्टी परपज़ काम के लिये हमने कोआर्डिनेशन किया है और वह भी विलेज लेविल पर लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेविल पर उसको नहीं किया है। विलेज लेविल पर तो एक आदमी सब काम कर सकता है चूंकि वह छोटे काम होते हैं और उस को सहायता की जरूरत हो तो वह अपने सुपीरियर से मदद ले सकता है। सब टेक्निकल आदमी वहां कमेटी में हों चूंकि इंजीनियरिंग का काम पड़ता है यह हमारे लिये सम्भव नहीं हो सकता है। इसमें २,३ दिक्कतें हैं। एक तो यह है कि मान लीजिये कि मेडिकल का काम है तो उसके लिये कोई डाक्टर होना चाहिये और फिर उसका मिनिस्टर भी कोई डाक्टर होना चाहिये और इसी तरह से एग्रीकल्चर का भी ऐसा ही आदमी होना चाहिये। लेकिन कुछ दिक्कतें और भी हैं और वह यह हैं कि हमारा प्लानिंग अफसर है उसको कुछ अधिकार भी देने पड़ते हैं। फ़र्ज़ कीजिये कि आप को पटवारी से काम लेना है या और किसी अफ़सर से काम लेना है। अगर आप को यह पावर है कि आप आर्डर कर सकें तब तो आप का काम आसानी से चल जाता है। और अगर आप को पावर नहीं है तो बड़ी कठिनाई होती है। शुरू-शुरू हमारे प्लानिंग आफिसर्स को बड़ी दिक्कत पड़ी। उन्होंने शिकायत की कि हमको दिन भर तो देहातों में घूमना पड़ता है और रात को डिप्टी कलेक्टरों के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उनसे जा कर कहना पड़ता है कि वह फलां पटवारी से कह दें, फलां कानूनगो से यह काम करवा दें लेकिन हमने प्लानिंग आफिसर्स को थोड़े से अख्तियार दिये हैं तो काम कुछ आगे चलने लगा है। अगर केवल इंजीनियर या टेक्निकल आदमी ही हम रखें तो हमारा काम बहुत पीछे पड़ जायगा। इंजीनियर्स वैसे ही टेक्निकल आदमी हैं और उनकी सर्विसेज हमें महंगी पड़ती हैं और इसी तरह की दिक्कतें हैं। इसलिये यह तय किया गया कि प्लानिंग आफिसर इसी विभाग के आदमियों को रखा जाय जो काम करते हैं। इसलिये यह मुमकिन नहीं है। एक एतराज श्री नारायण दत्त जी ने और किया कि अध्यापकों को मल्टीपर्पजेज न बनाया जाय। जब इस प्रकार का सुझाव दिया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि विलेज लेविल वर्कर के पास रोजाना घूमने का काम रहता है। हमने जो मल्टीपर्पजेज आदमी बनाया है उस के पास इतना और इस तरह का काम रहता है कि उसको बराबर घूमना पड़ता है और अगर हम अध्यापकों को विलेज लेविल वर्कर बना देते तो वह घूमता ही रहेगा और जो उसका काम है वह नहीं कर सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह मैं नहीं कहता बल्कि यह ५ ईयर प्लान की रिपोर्ट में है।

श्री फूलसिंह--तो इसमें यह कठिनाई है कि उस को घूमने का काम बहुत करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आप को बतला दूं कि हमने एक सेक्शन एडल्ट लिट्रेसी का खोला है जिसके ज़रिये से हम अपने यहां प्रौढ़ शिक्षा फैलाना चाहते हैं और उनके द्वारा हम भजनों और गीतों से गांव के लोगों को सब चीजों से परिचित कराना चाहते हैं और दूसरी चीज़ों में भी हम थोड़ा बहुत हेरफेर करना चाहते हैं और उनमें शिक्षा विभाग के लोगों की काफी उपयोगिता है।

इसके अलावा श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि बहुत से महकमे बनते और बिगड़ते हैं और नाम बदलते रहते हैं और उन्होंने यह आश्वासन चाहा कि आइन्दा ऐसी ग़लती न होगी। मेरा उनसे निवेदन है कि अगर जिन्दा रहना है तो बहुत सी बातें बदलनी होंगी, हां मरने के बाद यह हो सकता है कि कुछ न बदले लेकिन जब तक ज़िन्दगी है तब तक तो चीज़ें बदलेंगी बनेंगी और सब ही कुछ होता रहेगा। जब कोई काम किया जाता है उसमें कुछ कठिनाइयां होती हैं और उनके अनुभव के बाद उन कठिनाइयों के फलस्वरूप हमें तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। हर व्यक्ति और हर मुहकमा जिस से हम एक्स्ट्रा काम लेना चाहते हैं वह उस काम से बचना चाहता है। हम उनको पुराने रेट से निकालने की कोशिश करते हैं और इसी से यह तब्दीली उनको मालूम होती है। तो इस तरह की तब्दीली तो अनिवार्य है और वह ज़रूर होती रहेगी। अध्यापकों को विलेज लेविल वर्कर नहीं माना गया है लेकिन उनको हमने एडल्ट लिट्रेसी की स्कीम में स्थान दिया है। टारजेट की चर्चा की गयी। वह चाहते हैं कि ग्राउन्ड चाहे ग़लत हो लेकिन नतीजे ठीक ही निकलें। उन्होंने कहा कि दिसम्बर तक का टारजेट सन् ५१-५२ के टारजेट से कम है। उनको देखना चाहिये कि वह दिसम्बर तक का एचीवमेंट है लेकिन उनको समझना चाहिये कि जो काम बरसात के बाद शुरू हुआ और काम का सीज़न जो सर्दी का है उस का जब एचीवमेंट मालूम हो तभी आप साल का एचीवमेंट मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस बात को क़बूल कर सकता हूं कि हमारे काम में खामियां हैं लेकिन यह नहीं है कि काम पीछे पड़ गया है। हर शख्स जो देहातों में घूमता है वह इस बात को क़बूल करेगा कि हमने इस साल कितना नुमांया काम किया है अलबत्ता कहीं कहीं ब्लाक कमेटियां पीछे रही हैं और कहीं कहीं गांव सभाओं ने काम नहीं किया। इतने बड़े काम को गैर सरकारी तरीके पर करने में यह कठिनाइयां रहेंगी ही आहिस्ता आहिस्ता उस काम को पूरा करने का हम इरादा रखते हैं। मेरा निवेदन यह है कि हमारे काम का मुख्य भाग जो है वह कम्युनिटी प्रोजेक्ट नहीं है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट को तमाम सूबे में नहीं फैलाया जा सकता है। अभी भी जो योजना आप के सामने है उस में ४ हज़ार गांव आयेंगे। तो एक लाख गांवों में चार हजार गांव होंगे तो पूरे प्रान्त में उससे असर नहीं पड़ेगा। हमारी योजना ऐसी है कि तमाम गांवों में लागू हो जाय। इसीलिये ज्यादा से ज्यादा रुपया हम देते हैं इन कामों के लिये। इस रुपये को खर्च करने के लिये पहले अगर उस काम पर खर्च नहीं हुआ तो वह पड़ा रहेगा। चुनांचे हमने जब जिलों से मालूम किया तो काफी रुपया ऐसा मिला जो खर्च नहीं हुआ। उस तजुर्बे की बिना पर हमने यह तय किया है कि एक ब्लाक ग्रांट दे दें जिलों को। हर कमेटी के सुपुर्द कुछ रुपया कर दें और यह तय कर दिया कि उस प्लानिंग कमेटी को अख्तियार होगा कि उसकी प्रायरिटी वह तय कर ले। पहले यह भी क़ायदा था कि पांच सौ रुपये तक वहीं तय हो जाता था। पांच सौ से ज्यादा के लिये कमिश्नर के यहां जाता था और और ज्यादा के लिये गवर्नमेंट के यहां आता था। हमने इसको अब तोड़ दिया। हमने उससे कह दिया कि यह रुपया आप सम्हाल लीजिये और जिस जिस काम पर खर्च कर सकते हैं उस पर खर्च कीजिये। शर्त यह है कि रुपया तनख्वाहों वग़ैरह में न खर्च हो। किसी भाई ने यह फरमाया था कि तनख्वाहों में काफी रुपया खर्च होता है। मेरा निवेदन यह है कि अगर आप देखें तो पायेंगे कि इस मुहकमे में सब से ज्यादा रक़म सीधे जनता को जाती है। तनख्वाहों

[श्री फूलसिंह]

में सब से कम रुपया खर्च होता है। जहां तक हम तनख्वाहों के बजट को कम कर सकते हैं करते हैं। चुनांचे हमने फिजिकल कल्चर के बजट को कम किया है। हमारे मित्र ने शिकायत की कि फिजिकल कल्चर में तब्दीली का क्या कारण है। फिजिकल कल्चर में २ लाख ४२ हजार रुपया खर्च होता था उसमें से एक लाख रुपया तनख्वाहों में खर्च होता था। मैंने समझा कि यह मुहकमा बेकार जायगा और १ लाख ४२ हजार की रकम जनता को गांवों में नहीं जाती वह भी बड़े बड़े मुहकमों में खर्च होती है। इसलिये यह सोचा कि इसको पी० आर० डी० में खर्च कर दिया जाय। अब यह कोशिश होगी कि इस रुपये से देहातों में अखाड़ा-दंगल कायम किये जायं। जितना पैसा खर्च कर सकें वह सीधे जनता के लाभ के लिये हो। हमने फिजिकल कल्चर और पी० आर० डी० को मिला कर २३ हजार रुपये की बचत कर ली है। जो आदमी फिजिकल कल्चर में थे उनको निकाला नहीं लेकिन प्रान्तीय रक्षक दल की जगहों पर हमने रख दिया और इस तरह से २३ हजार रुपये की हमने बचत कर ली। इसी तरह से जहां तक हमसे हो सकेगा तनख्वाहों में हम कम रुपया खर्च करेंगे और और कामों में ज्यादा रुपया खर्च करेंगे।

खाती जी ने कहा कि प्रान्तीय रक्षक दल को पंचायत के मुहकमे में मर्ज कर दिया जाय। मेरे ख्याल में यह सुझाव भी ठीक नहीं बैठेगा। एक तरफ तो हम इतना प्रेशर डालते जा रहे हैं इस मुहकमे पर फिर मर्जर की बात करते ह ? तो इसमें काम करने की रुचि लोगों में जाती रहेगी। दोनों मुहकमें अपनी जगह पर ठीक काम कर रहे ह । पंचायत सेक्रेटरियों के पास भी काफी काम हैं। पंचायत सेक्रेटरी और प्रान्तीय रक्षक दल के लोग अपनी अपनी जगह पर काफी मुफीद साबित हो रहे हैं। तो यह चन्द बातें थीं जो मेरे मित्रों ने रखीं। मैं समझता हूं कि समय इतना नहीं था कि सब लोग पूरी बात कह सकें, पर यह निश्चय है कि इस मुहकमें को कामयाबी तभी हो सकती है जब प्रांत के सब लोग, सब जिलों के साथी पूरा सहयोग अपना दें ताकि इस मुहकमें को कामयाब कर सकें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही माननीय मंत्री जी को बधाई दे दी थी, पर कुछ बातें जो अब माननीय मंत्री ने कहीं उनकी भी म सफाई कर देना उचित समझता हूं। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जो कमेटियां हैं उन में बाहरी लोगों को रखने या दूसरी पार्टी के लोगों को रखने की बात जो उन्होंने कही कि हमने कुछ लोग उस में रखे हैं, तो ५२ जिलों में तीन तीन आदमी गवर्नमेंट नामिनेट कर सकती थी हर जिले में। इस तरह से १५६ आदमी हो जाते थे। उन में से सिर्फ एक आदमी का नाम मुजफ्फरनगर से, श्री ब्रह्मप्रकाश को, माननीय मंत्री जी ने नाम लिया है, जो दूसरी पार्टी का है। यह तो सहयोग की बात है। लेकिन उनकी मंशा यह मालूम पड़ती है कि वह लोगों का सहयोग चाहते हैं और अगर इधर कोई गलती की गई हो तो उसे दूर करेंगे। यह मेरी उस सिलसिले में मंशा है। दूसरी एक बात और कही माननीय बालेन्दुशाह ने कि सारे अफसरान का उस कमेटी में प्रभुत्व रहता है। यह बात बिलकुल सही है और इस तरह सही है कि पहले सरकार को यह खयाल हुआ कि शायद इन कमेटी में कोई बाहर के लोग न चले आवें और उनका जोर न हो जाय। पहले तो यह था कि जितने एम०एल०एज० और एम०एल०सीज० हैं उस प्लानिंग कमेटी के मेम्बर होंगे, अब यह निकला है कि एग्जिक्युटिव कमेटी के अन्दर, जो सारे फैसले करती है क्योंकि बड़ी कमेटी तो सालों में मिलती है, तो उस एग्जिक्युटिव कमेटी में एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० में से छांट कर दो मेम्बर रखे जायं। इस प्रकार से सोशलिस्ट पार्टी प्रांत की किसी एग्जिक्युटिव में नहीं आ सकती है, क्योंकि उनका इतना बहुमत नहीं है। इस तरह से जहां तक कमेटी का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के शौकीन नहीं हैं कि हम कमेटी में ही जा करके कोई काम कर सकते हैं। मैं तो यह बात कहता हूं कि गवर्नमेंट के जो

सहयोग की बात है वह पूरी होनी चाहिये। यह सिर्फ लिप सिम्पैली से काम चलने वाला नहीं है।

अब उन्होंने उस कमेटी की बात कही जो इनाम देने वाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था क्योंकि काफी बड़ा सहयोग का काम था, लेकिन माननीय भूपाल सिंह खाती जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं कि जिनका जवाब देना बहुत आवश्यकीय है और अगर इस गवर्नमेंट में कुछ भी सत्यता है और अगर गवर्नमेंट सचमुच समझती है कि कोई हम ठीक काम करें तो इस गवर्नमेंट के न्याय का फैसला आज होगा। हमारे जिलों में जहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट रखा गया है, अध्यक्ष महोदय, वह हमारे जिले का सब से अच्छा डेवलपमेंट एरिया है, जहां बढ़िया पानी जाता है, नहर जाती है, स्कूल हैं, इंटरमीजियट कालेज हैं, वहां अस्पताल पहले से ही हैं। मोटर की सड़क जहां फर्स्ट क्लास है। वह डेवलप्ड एरिया हमारे डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट है जहां यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट छांटा गया है और इसको छांटा क्यों गया कि जो पुरानी एक्जिक्युटिव कमेटी थी प्लानिंग की उसके सारे अफसरान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो उसमें गये नहीं तो उसके वाइस प्रेसीडेंट भूपाल सिंह खाती थे जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी कांस्टिट्युएंसी आती थी, तो उन अफसरों ने और खाती जी ने उस जगह को छांटा। अफसरों को आराम यह है अध्यक्ष महोदय, कि वहां डाक बंगले थे, हिमालय के दृश्य सामने थे, सुबह से शाम तक के लिये तीन जीपें मिल गयीं कि खूब सैर की जाय और अंडे लाना और मुर्गियां लाना यही उनका काम है। हमको इसलिये नहीं लिया गया कि हम रहेंगे तो बतावेंगे कि वह क्या काम करती है और हमारे जिले के और एम०एल० एज़० बतावेंगे। तो मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं कि यह हमारे जिले का सब से अच्छा डेवलप्ड एरिया है। ऐसे हमारे यहां और एरिया हैं जहां डेवलपमेंट हो सकता था। म नहीं चाहता हूं कि यहां से वह प्रोजेक्ट हटे। लेकिन काम के बजाय यह मजाक किया जाता है। मैं चाहता हूं कि डेवलप-मेंट हो, किसी एरिया के अन्दर हो जहां मोस्ट अन डेवलप्ड एरिया हो। सरकारी अफसर मेयर साहब वहां गये थे। उन्होंने देखा कितना अच्छा हिमालय का दृश्य है। यह अनडेवलप्ड एरिया से नहीं दिखाई दे सकता था। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, कि सबसे पहला काम तो यह करें जो यह रिपोर्ट के बारे में कहा गया है इस कमेटी को इसको भी सौंप दिया जाय। वह यह भी देखेगी कि क्या काम हुआ है। हमारे जिले के अन्दर जो काम हुआ है मैं चाहूंगा कि दिखाने के लिये कि कहां यह काम हुआ है। जहां तक खाती जी ने और भी चीजें कहीं कि हम काम नहीं करते हैं तो मैं अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि यह काम हुआ और तीन साल के बाद बतलाऊंगा कि वहां कितना काम होगा। खाती जी कहते हैं कि मैं कभी नहीं गया काम करने के लिये। मैं बताना चाहता हूं कि खाती जी कभी नहीं गये। मैं गया, हमारी पार्टी का उस इलाके में बहुमत है। खाती जी तो कौसानी के डाकबंगले में बैठे हुये थे। जीप कार जो आयी है वह खाती जी ही के काम आ रही है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य अपने साथी के खिलाफ इस तरह से न बोलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--साथी हमारे हैं लेकिन वह तो हमारी जड़ काटने के लिये हैं और कहते हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया। साथी तो मैं मानता हूं। मैंने पहले कभी नहीं कहा। जब मैंने पहले कहा था तो इस बात की चर्चा नहीं की। उस काम की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे उपाध्यक्ष माननीय हरगोविन्द जी के इलाके में है या नरेन्द्र सिंह जी का जो इलाका है जो तिब्बत से मिला हुआ है वहां है। मेरा इलाका अगर इतना बढ़िया नहीं है तो फिर भी कुछ अच्छा है। मैं तो इसलिए दिखाना चाहता था कि हम सिर्फ शाब्दिक बातें नहीं करते हैं। हम काम करने को तैयार हैं, जहां कहें वहां करें, लेकिन ऐसी जगह काम करना अच्छा रहेगा जहां जनता हमारा

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

साथ दे सके पर जहां भी यह काम होगा मैं समझता हूं कि हमारे प्रांत के सब भाई इस काम को करने के लिये तैयार होंगे। हमारे शुक्ल जी ने इंफार्मेशन डिपार्डमेंट के बारे में कहा कि कुछ गाना वगैरह उसके जरिये हो जाय। उनको शायरी का भी शौक है, गानों का भी शौक है और बड़ा अच्छा है अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन इंफार्मेशन डिपार्टमेंट के बारे में पहले कहना भूल गया इस डिपार्टमेंट का तो नाम न लिया जाय तो अच्छा रहेगा। इस प्लानिंग के अन्दर तो जो उनका काम है वह यह है कि उन्होंने लाउड स्पीकर ले लिया और प्रचार करने के लिये दो कांग्रेस वालों को खड़ा कर दिया और उनसे लेक्चर दिलवा दिया। जो लाउट स्पीकर्स हैं उनके जरिये कांग्रेस के चार आने के मेम्बर गांवों में बनाये जाते हैं। यह उससे काम लिया जाता है। खात्री जी उसके सबूत हैं। मेले के अन्दर लाउड स्पीकर के जरिये इंफार्मेशन डिपार्डमेंट कांग्रेस के चार आने के मेम्बरों का प्रचार करता है। हमारे माननीय गोबर्धन तिवारी जी यहां पर मौजूद हैं वह बतायेंगे। मैंने इसके बारे में कहा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह सारा कांग्रेस का प्रोपोगेंडा करता है। कांग्रेस से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लड़ाई नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार का प्रचार किया जाय लेकिन यह इंफार्मेशन डिपार्टमेंट, अध्यक्ष महोदय, क्या करता है। अध्यक्ष महोदय, वह खास तौर से रिपोर्ट वगैरह छापता है और यह रिपोर्ट किसी प्रेस से जो प्रेस उनका दोस्त है उनसे छपवा लेता है। लखनऊ में बड़े बड़े प्रेस हैं। जैसे नेशल हेराल्ड है, पायनियर है और भी बहुत से हैं। टेंडर क्यों नहीं काल करते। जो सस्ता छापे उनको दे दिया जाय। मैं इसके बारे में डीटेल में बतलाऊंगा और माननीय मंत्री जी से मिलूंगा लेकिन कोई सिद्धांत इसका मान लेना चाहिये और किसी को कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिये। जिस प्रेस से ईमानदारी के साथ काम हो जाय उससे काम लेना चाहिये, क्योंकि इंफार्मेशन डिपार्टमेंट एक बड़ा इम्पार्टेन्ट डिपार्टमेंट है। अगर यह ठीक तरह से चले तो मैं समझता हूं कि किसी को भी इससे किसी किस्म की शिकायत न होगी। अब अध्यक्ष महोदय, यह बातें थीं जो मैंने बतलाईं। इसी तरह से कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी का बयान है। ३ फरवरी को हमारे अल्मोड़े जिले के कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने जो लिखा है उसको मैं आपकी इजाजत हो तो एक मिनट में पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह कुछ असंगत सा मालूम पड़ता है। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—इसकी बहुत सी बातें हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कह देना चाहता हूं कि बावजूद इन खराबियों के, बावजूद इन अवगुणों के, बावजूद इस चीज के कहने के कि हम कुछ न कर पाये। मैं इस प्रांत के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी कोई प्लान, कोई भी रचनात्मक कार्य, जिससे कि जनता की कोई भलाई हो सके उसमें हमेशा साथ देने के लिये तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी इस नीति को जो वह कहती है कि सहयोग चाहिये, मदद चाहिये तो इस चीज को पूरे रूप में कार्यान्वित करना चाहिये, और उसका विस्तार करना चाहिये। यही मेरी उनसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान में अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, ६३-ख—सामूहिक योजनायें

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—योजना और एकीकरण—लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, ६३-ख—सामूहिक योजनाओं के अन्तर्गत १,९५,६६,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ;
१२ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९३ पर)

कर्मचारियों का विवरण	वेतन-क्रम
१---रेंजर	१२०-८-२००-१०-३००
२---डिप्टी रेंजर	७५-५-१२०
३---फारेस्टर	६०-३-९०-४-११०
४---फारेस्ट गार्ड	२५-१-४०
क्लर्क--	
चीफ कन्जरवेटर आफ फारेट्स का कार्यालय	
५---हेड असिस्टेन्ट	३००-२०-४००
६---स्टेनोग्राफर	१००-५-१५०-ई०बी०-११०-२००-ई०बी०-२०--२४०
७---नोटर ड्राफ्टर	८०-६-११०-ई०बी०-६-१४०-ई०बी०-१०-२००-ई०बी०-२०-२४०
८---रिकार्ड कीपर आदि	८०-६-११०-ई०बी०-६-१४०
९---रुटीन क्लर्क	६०-४-८०-ई०बी०-४-१००
कन्सरवेटर का कार्यालय-	
१०---हेड असिस्टेन्ट	२१५-१५-२७५
११---रिकार्ड कीपर आदि	८५-६-१४५
१२---रुटीन क्लर्क	६०-४-८०-५-१२०
१३---स्टेनोग्राफर	१००-५-१२५-ई०बी०-५-१६०-ई०बी०-१० २००
डिवीजनल फारेस्ट आफिसर का कार्यालय-	
१४---हेड क्लर्क	१००-८-१४०-१०-१७०
१५---नोटर ड्राफ्टर आदि	८०-५-१००-६-१३०
१६---रिकार्ड कीपर, रुटीन क्लर्क	६०-३-९०-४-११०
१७---रेंज क्लर्क	६०-३-९०-४-११०

नोट---ई०बी० का अर्थ दक्षता रोक से है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६४ पर)

प्राइवेट फारेस्ट		ग्रोव्स
१—साल	१३—चीड़	१—महुआ
२—शीशम	१४—ओक	२—आम
३—महुआ	१५—बेर	३—जामुन
४—आम	१६—कुसुम	४—बेर
५—बबूल	१७—पांदन (सानन)	५—पमेरा पाम
६—सैन (असना)	१८—घोंट (मिर्जापुर जिले के कैमूर रेंज के उत्तर के हिस्से के अतिरिक्त)	
७—जामुन		
८—इमली	१९—पमेरा पाम	
९—खैर	२०—खजूर	
१०—करधई	२१—धान (बाक्ली)	
११—नीम	२२—कदम (कैम, कैम्बा, फल्दू)	
१२—सीमल		

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९८ पर)

१—स्वर्गीय श्री रामप्रसाद बिस्मिल की माता, श्रीमती मूलमंत्री को सरकार ४० रुपया पेंशन व २० रुपया महंगाई भत्ता प्रति मास देती है।

२—स्वर्गीय श्री रोशन सिंह की स्त्री, श्रीमती पामकुंवरि को सरकार २४ रुपये पेंशन व १२ रुपया महंगाई भत्ता प्रति मास देती है।

३—स्वर्गीय श्री अशफाक उल्ला खां का विवाह नहीं हुआ था। उनके भाई श्री रियासत उल्ला खां को सैनिटरी इंस्पेक्टर बना दिया गया है।

४—स्वर्गीय राजेन्द्र लाहिड़ी का आश्रित कोई नहीं था। इनके तीन भाई अपने-अपने काम-धंधों में लगे हैं।

जी० एस० यू० पी० ८० पी० १८४ एल० ए०—१९५३—८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १३ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४६)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा श्री
चन्द्रभानु गुप्त श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह , श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह , महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री

बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री

रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त , श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विचित्रनारायणसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल , श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ससिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथभार्गव, श्री
श्री नाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़्फ़ी शेरवानी , श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुल्तानराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

रुड़की विश्वविद्यालय के उपकुलपति का त्याग-पत्र

*१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि रुड़की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अभी कुछ दिन पहिले इस्तीफ़ा दे दिया है और वह सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि पुराने वाइस चान्सलर श्री हार्ट साहब का इस्तीफ़ा किन कारणवश स्वीकार किया गया है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—एक आदमी सर्विस में था, उसने अपना इस्तीफ़ा दिया और वह मंजूर किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि २३ जनवरी, को रुड़की सिन्डीकेट के चार सदस्य श्री फूल सिंह, श्री यादव मोहन, श्री बलबीर सिंह और श्री रमेश मोहन ने चान्सलर, रुड़की युनिवर्सिटी को कोई शिकायती पत्र श्री हार्ट के ख़िलाफ़ लिखा था ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मेरी आफ़िशल नालेज में तो है नहीं, परसनल नालेज में है कि लिखा गया था।

श्री अध्यक्ष—अब सदन के वह नालेज में पहुंच ही गया।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यही तो मैंने कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि रुड़की युनिवर्सिटी के पुराने वाइस चान्सलर की आज्ञा से और उनकी सहमति से बहुत से भ्रष्टाचार के मामले खुद राज्यपाल जो कि वहां के चान्सलर हैं ने वहां जा करके पकड़े ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—नहीं, यह ग़लत है कि भ्रष्टाचार के मामले पकड़े।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जो इस्तीफ़ा वाइस चान्सलर साहब ने दिया है उसमें उन्होंने इस्तीफा देने के क्या कारण बतलाये हैं?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इसमें उन्होंने कोई रीज़न बयान नहीं किया है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या यह सही है कि वाइस चांसलर साहब की अयोग्यता के आधार पर सरकार ने उन्हें इस्तीफा देने के लिये मजबूर किया है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—सरकार ने मजबूर किया, यह कहना तो सही नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या वाइस चान्सलर की अयोग्यता ही उनके इस्तीफा देने का मुख्य कारण नहीं है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--इस्तीफा देने वाले वह खुद हैं। अपनी नाकाबिलियत को मान कर क्या कोई इस्तीफा दे देता है, यह बात ग़लत है, कोई और वजह होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने इस्तीफा कब दिया और उस स्थान पर किसकी नियुक्ति हुई है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--पिछले महीने की २८ तारीख को दिया है।

श्री नेकराम शर्मा--अब उनके स्थान पर किसकी नियुक्ति हुई है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--अभी किसी की नियुक्ति नहीं हुई है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--क्या यह सही है कि अपराध तो वाइस चान्सलर का था, लेकिन उनके इस्तीफा देने के पहले एक दो निरपराध प्रोफेसरों को वहां से जाना पड़ा?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--यह बात तो बिल्कुल गलत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--शुरू में हार्ट साहब की नियुक्ति किन शर्तों पर और कितनी अवधि के लिये हुई थी?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--५ साल के लिये हुई थी और पूरी शर्तें इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि श्री हार्ट साहब की धांधली की वजह से प्रोफेसर सर्वजीवनलाल और बी० एन० सिंह साहब ने रुड़की यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मैं यह तो कनफर्म नहीं करता कि यह बात यों है, मगर यह कहा जाता है जरूर। मैंने उसकी कोई तहकीक़ात नहीं कर रखी है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार वाइस चान्सलर के इस्तीफे की एक प्रतिलिपि सदन के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करेगी?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--वह रुड़की में है। मेरे ख़याल में अभी तक यहां आया नहीं है। होता तो मैं रख भी देता और अगर आ गया तो रख दूंगा।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या रुड़की से मंगवाने के बाद सदन को प्राप्त हो सकता है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मैं यह कहता हूं कि इसके लिये अभी २ रोज बाद रुड़की की ग्रांट बहस में आ रही है। बजट में मौजूद है। उस वक्त उसके लिये सब कुछ पूछने पाछने का भी मौक़ा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि श्री हार्ट साहब के ऊपर इनक्वायरी इसलिये नहीं चलायी गयी कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने इसमें इंटरवेंशन किया?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--नहीं, यह बात बिल्कुल ग़लत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि पुराने वाइस चांसलर हार्ट साहब ने एक श्री टी० ए० स्मिथ को बिना किसी कानून के और मर्यादा के नियुक्त किया?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--नहीं, यह तो बात नहीं है। यह शिकायत उनके मुताल्लिक़ जरूर थी कि पहले सिंडीकेट से नहीं पूछा जो कि ऐक्ट के मुताबिक़ पूछना चाहिये था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि हार्ट साहब ने रुड़की यूनिवर्सिटी की सिंडीकेट को सीनेट से लड़ाने की कोशिश की?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मेरे सामने ऐसी बात नहीं आयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि श्री हार्ट को यू० पी० के अफ़सरों में सब से बड़ी तनख्वाह मिलती थी?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, वह तो बजट में है।

*२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि रुड़की यूनिवर्सिटी की सिण्डीकेट ने सरकार के पास यूनिवर्सिटी में दुर्व्यवस्था होने के संबंध में कुछ शिकायतें भेजी हैं? अगर हां, तो उन शिकायतों की जांच-हेतु क्या कार्यवाही हुई है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

तारांकित प्रश्न

गवर्नमेंट कालेज पिठौरागढ़, ज़िला अल्मोड़ा का भवन

*१--श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (ज़िला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को विदित है कि गवर्नमेंट इण्टरमीडियेट कालेज, पिठौरागढ़, ज़िला अल्मोड़ा में कालेज भवन छात्र संख्या के लिये पर्याप्त नहीं है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--जी हां।

*२--श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या सरकार उक्त कालेज की आवश्यकतानुसार भवन निर्माण निकट भविष्य में करने का विचार रखती है?

डाक्टर सीताराम--विचार रखने की सम्भावना है।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या माननीय मन्त्री महोदय कृपया बतलावेंगे कि यह विचार कब तक कार्यान्वित होने की आशा है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--जब आर्थिक स्थिति जरा ठीक होगी।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या सरकार को विदित है कि इंसपैक्टर आफ़ स्कूल्स बरेली के पास इस स्कूल के ६५ हजार रुपये बहुत साल से पड़े हुये हैं?

डाक्टर सीताराम--यह रुपया इंसपैक्टर्स आफ़ स्कूलों के पास नहीं है बल्कि जिले की ट्रेजरी में जमा है।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या सरकार इस रुपये को इस स्कूल की इमारत के बनाने के काम में लावेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

सरकारी गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल व इंटर कालेजों में प्रिन्सिपल और टीचरों की संख्या

*३—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकारी गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल व इंटर कालेजों में कितनी प्रिंसिपल्स परमानेण्ट रूप से काम कर रही हैं और कितनी एक्टिंग रूप से?

डाक्टर सीताराम—१७ परमानेंट तथा २६ एक्टिंग रूप से।

*४—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरिलिखित विद्यालयों में कितनी टीचर्स परमानेंट हैं और कितनी टेम्पोरेरी?

डाक्टर सीताराम—३३१ स्थायी तथा ४५१ अस्थायी हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ४५१ अस्थायी टीचर्स हैं वे कब से अस्थायी हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—सन् १९५० से इधर भिन्न-भिन्न समय से।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार कोई वजह बता सकती है कि परमानेंट स्टाफ से टेम्परेरी स्टाफ क्यों इतना ज्यादा है?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसलिये कि जब तक परमानेंट नहीं होते तब तक टेम्पोरेरी स्टाफ ही में रखे जाते हैं। जब वे शिडयूल आफ न्यू डिमाण्ड्स से मंजूर हो जाते हैं तब परमानेंट कैडर में आ जाते हैं।

गोरखपुर जिले की पुलिस को वर्दियां

*५—श्री झारखण्डे राय (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले में प्रायः दो वर्ष से अधिक हुये पुलिस वालों को नयी वर्दियां नहीं मिली हैं? यदि हां, तो क्यों?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जिला गोरखपुर में उन पुलिस वालों को जिन्हें वर्दियां सरकार की ओर से दी जाती हैं नई वर्दियां ड्रेस रगुलेशन्स १९३७ में दिये हुये स्केल तथा अवधि के अनुसार प्रत्येक वर्ष दी गयी हैं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री झारखण्डे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिनको वर्दियां सरकार की ओर से नहीं दी जाती हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उसमें दो प्रकार के लोगों का जिक्र है। एक तो जैसे इंस्पेक्टर्स या सब-इंस्पेक्टर्स आदि हैं उनको वर्दियां नहीं दी जाती हैं और दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जिनको वर्दियां दी जा सकती हैं जैसे कांस्टेबिल्स। लेकिन हर कांस्टेबिल को हर साल वर्दी नहीं दी जाती। जैसा रेगुलेशन में जिक्र है कि पगड़ी कितने दिन चले, कोट कितने दिन चले तो इस तरह से जिनके पुराने हो जाते हैं उस रेगुलेशन के अनुसार उन को नई दी जाती हैं लेकिन हर कांस्टेबिल को हर साल नई वर्दी नहीं मिलती।

श्री झारखण्डे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्म्ड, सिविल और रेलवे पुलिस की वर्दियों में, उन के पाने की अवधि और स्केल में, कोई अन्तर होता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि [वे] रेगुलेशन ३७ का अध्ययन कर लें वह काफ़ी लम्बी चौड़ी चीज़ है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आज़मगढ़)---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो वर्दियां पुलिस वालों को दी जाती हैं उनका कोई मूल्य उनसे लिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

गाज़ीपुर जिले के किसान नेता श्री भगवानसिंह का कारावास

*६---श्री झारखण्डे राय---क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले के एक किसान नेता, श्री भगवान सिंह इस समय सेंट्रल जेल, बनारस में सजा भुगत रहे हैं? अगर हां, तो उन्हें किन धाराओं के मातहत किस केस में सजा हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। भगवान सिंह को एक डकैती के अपराध में जो सन् १९४७ में ग्राम मद्दुआरी, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर में हुई थी, ५ साल की सख्त कैद की सजा आई० पी० सी० की धारा ३९५ के अन्तर्गत हुई थी।

*७---श्री झारखण्डे राय---क्या सरकार को मालूम है कि श्री भगवान सिंह को मैजिस्ट्रेट और जज दोनों ने अपनी तजवीज में राजनीतिक कार्यकर्ता कहा है? अगर हां, तो उनके साथ अब तक क्यों नहीं उच्च श्रेणी के राजबंदी का व्यवहार किया जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। भगवान सिंह को मैजिस्ट्रेट व जज ने अपनी तजवीज में कहीं भी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कहा है। इसके अतिरिक्त राजबन्दियों का कोई पृथक् वर्ग जेलों में नहीं है।

श्री झारखण्डे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या श्री भगवान सिंह जी का २७-९-५२ और २०-१०-५२ को कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम मिला है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मिला होगा। लेकिन इन सवालों से उसका कोई खास ताल्लुक नहीं है। मैं इस समय नहीं कह सकता कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास किस किस समय क्या क्या शिकायतें आयीं?

पुलिस स्टेशन बाघराम (पुवासी) तथा संग्राम गढ़, जिला प्रतापगढ़ के भवनों का निर्माण

*८---श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार को पता है कि पुलिस स्टेशन बाघराम (पुवासी) तथा संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ की इमारतों की बड़ी खराब हालत है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। यह इमारतें बहुत पुरानी हैं और इनकी हालत अच्छी नहीं है।

*९---श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार इन थानों की इमारतों को बनवाने को सोच रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अर्थाभाव के कारण इन थानों की इमारतों का फिर से बनवाना अभी संभव नहीं है। परन्तु इनकी विशेष रूप से मरम्मत का इन्तजाम कर दिया गया है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन इमारतों को बनाने के लिये सरकार के पास कोई तखमीना आया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---तखमीना ही नहीं बल्कि पिछले वर्ष २,४७२ रुपये पहली इमारत के लिये और ४,५३१ रुपये दूसरी इमारत के लिये एलाट कर दिया गया है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकते हैं कि ये इमारतें कच्ची दीवार की हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---रिपोर्ट से तो मालूम होता है कि ये शुरू हुई कच्ची हालत में लेकिन लीपापोती करके उन्हें पक्की बनाने की कोशिश जरूर की गयी है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन इमारतों में बरसात के दिनों में सरकारी कागज भी सुरक्षित नहीं रहते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं कि यह बात जरूर सही होगी।

विधान सभा के सदस्यों द्वारा जिला एवं केन्द्रीय बन्दीगृहों का निरीक्षण करने के लिये नियम

*१०---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या गृह मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि माननीय विधान सभा के सदस्यों को जिला एवं केन्द्रीय बन्दीगृहों को निरीक्षण करने जाने के क्या नियम प्रांतीय सरकार द्वारा निश्चित किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---विधान सभा के सदस्यों के लिये जेल निरीक्षण करने के सम्पूर्ण नियम जेल मैनुअल के अध्याय २५ में उल्लिखित हैं, उनमें से मुख्य नियम तालिका में उद्धृत किये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ---६२३ पर)

*११---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बन्दीगृहों के निरीक्षण संबंधी पुराने नियमों में परिवर्तन करने का उनका विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जेल निरीक्षण संबंधी नियमों में हाल ही में परिवर्तन किया गया है और उनमें फिर कोई परिवर्तन करने का विचार अभी नहीं है।

*१२---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बन्दीगृहों को निरीक्षण करने वाले गैरसरकारी निरीक्षकों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है तथा आजमगढ़ जिले के कौन कौन गैरसरकारी निरीक्षक हैं और वे कब से हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जेल के गैर सरकारी निरीक्षकों का चुनाव अथवा उनकी नियुक्ति जेल मैनुअल के नियम संख्या ६६९ (ब) के अनुसार की जाती है, जो कि तालिका में उद्धृत किया गया है। जिला जेल, आजमगढ़ के वर्तमान गैरसरकारी निरीक्षक श्री सुर्जन राम, श्री मानबहादुर सिंह और श्रीमती जेम्स हैं, जो ता० १ जून, १९५१ को नियुक्त किये गये थे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला के जेल निरीक्षक की नियुक्ति के लिये श्री मानबहादुर, सुर्जन राम और श्रीमती जेम्स के नामों की सिफारिश जिलाधीश ने की थी या दूसरी कमेटी ने की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति को सिफारिश करने का अधिकार है। श्री मानबहादुर और श्रीमती जेम्स की सिफारिश इसी समिति ने की थी और श्री सुर्जन राम की नियुक्ति सीधे सरकार ने की थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५२ में दूसरी नियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि १९५२ में किसी की नियुक्ति हुई थी या नहीं। लेकिन उनकी अवधि तो ३१ मार्च, १९५३ तक है, इसलिये यह सवाल नहीं पैदा होता ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल निरीक्षण करने का समय दिन में ७ बजे से ११ बजे तक रखा गया है ? क्या इस समय में परिवर्तन करके सारे दिन में निरीक्षण करने का अधिकार सदस्यों को दिया जा सकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब यह समय तो कई बातों को सोचकर रखा गया है एक तो जेल के कामों में बाधा न पड़े और निरीक्षक को भी सुविधा रहे कि वह जेल का निरीक्षण करके खाना वगैरह खाकर रिपोर्ट लिख सकें। लेकिन अगर किसी विशेष अवस्था में, किसी विशेष समय में अगर कोई सज्जन किसी विशेष जेल को विशेष तौर से देखना चाहें तो मैं समझता हूं कि जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट से तय कर सकते हैं।

थाना सहजनवां, जिला गोरखपुर में क़त्लों की संख्या

*१३—श्री इस्तफ़ा हुसैन (ज़िला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि थाना सहजनवां, जिला गोरिखपुर के क्षेत्र में पिछले महीने अक्तूबर, नम्बर और दिसम्बर, १९५२ में कुल कितने कत्ल हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अक्टूबर में कोई कत्ल नहीं हुआ। नवम्बर में एक और दिसम्बर में दो कत्ल हुये ।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि वह गोरखपुर जिले में कत्ल की वारदातों के बढ़ने को किस तरह से रोकने का इक़दाम करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसी किस्म के इंतजाम से जैसा कि सूबे के और जिलों में हो रहा है, करने की कोशिश की जायगी ।

*१४—१५—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (ज़िला बनारस)—[२७ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

सुल्तानपुर के हायर सेकेण्डरी स्कूलों को आर्थिक सहायता

*१६—श्री रणंजयसिंह (ज़िला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सुल्तानपुर जिला के किस हायर सेकेण्डरी स्कूल में कहां तक शिक्षा दी जाती है और किसे कितनी वार्षिक आर्थिक सहायता शिक्षा विभाग से मिलती है ?

डाक्टर सीताराम—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ—६२४ पर)

श्री रणंजयसिंह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जमींदारी उन्मूलन के कारण इन स्कूलों को जो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति करके उनकी रक्षा होगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, जरूर की जायगी ।

*१७—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—[हटा दिया गया।]

*१८—१९—श्री श्रीचन्द (ज़िला मुजफ़्फ़रनगर)—[२७ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

रामपुर में नवाब साहब की कोठी के दरवाजे पर कुछ गिरफ्तारियां

*२०—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ६-२-५३ को रामपुर में नवाब साहब की कोठी के दरवाजे पर पुलिस द्वारा कुछ गिरफ्तारियां की गयी थीं? यदि हां; तो किन किन व्यक्तियों की, किस कारण तथा किन धाराओं के अन्तर्गत ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये उनके नाम यह हैं—

१—श्री फकीर चन्द, २—श्री याकूब खां, ३—श्री अली हुसैन, ४—मौलाना तफ़ज्जुल हुसैन, ५—श्री अबरार खां। इनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७।११७(३), १५१ के अन्तर्गत पकड़ा गया। गिरफ्तारी का कारण यह था कि उक्त व्यक्तियों ने कुछ लोगों को बहका कर यतीमों के नाम से शहर में काले झंडे लेकर एक बड़ा जूलूस निकाला और उसको लेकर नवाब रामपुर के पैलेस की सीमा के अन्दर बलपूर्वक घुसना चाहा तथा जोशीले नारे लगाये जिससे शांति भंग होने की आशंका हो गई।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन ५ व्यक्तियों के अलावा किसी छठे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था और वह कौन था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनका नाम है श्री मेंहन्दी नजमी।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या यह मेंहदी नजमी रामपुर में किसी अखबार के सम्पादक हैं और किस अखबार के ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जम्हूर अखबार के सम्पादक हैं।

श्री कृष्णशरण आर्य—इन व्यक्तियों को कब और किस तरह छोड़ा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वाकये के तीसरे दिन छोड़ दिया गया।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या यह सही है कि इन लोगों ने सरकार को किसी प्रकार का आश्वासन दिया था कि इस तरह की बात न करेंगे जो पहले की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, एक है जमात मजबूरियान। उस जमात मजबूरियान की तरफ से जुलूस निकला था और बाद में जमात जम्हूरियान की तरफ से आश्वासन दिया गया। लिख कर वह आश्वासन दिया गया था जिसमें कई लोगों के दस्तखत थे। उसी के आधार पर लोग छोड़े गये। उस पर इन लोगों ने भी दस्तखत किये थे।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि ये गिरफ्तारियां दिन को हुईं या रात को ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दिन को।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार को यह पता है कि इस प्रकार के आश्वासन देने के बाद भी इन मेंहदी नाजमी ने अपने अखबार जम्हूर में यह छापा कि वह बिना शर्त छोड़े गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज ही मैंने कुछ ऐसा सुना है। इसके पहले कोई इत्तिला नहीं थी।

*२१—२२—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ ५६७ पर]

जे० टी० सी० नार्मल स्कूल, लखनऊ के प्रशासन के विरुद्ध शिकायती पत्र

*२३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जे०टी०सी० नार्मल स्कूल, लखनऊ के प्रशासन के संबंध में हाल ही में शिक्षा संचालक तथा इंस्पेक्टर के पास कोई शिकायती पत्र भेजे गये हैं? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं?

डाक्टर सीताराम--जी हां। शिकायतों की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६२५ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि यह जो शिकायतों की सूची संलग्न है इसकी जांच करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सीताराम--अभी जांच नहीं की गई है। जांच की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जे०टी०सी० नार्मल स्कूल के वर्तमान जो हेडमास्टर हैं क्या यह सही है कि उनकी नियुक्ति दो बार डिपार्टमेंटल कमेटी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी सूचना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह बात सही है कि इन हेडमास्टर की नियुक्ति के समय क्वालिफिकेशनों का कोई ख्याल नहीं किया गया और जो क्वालिफाइड आदमी थे वे वहां पर नहीं रक्खे गये?

डाक्टर सीताराम--किया गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि इस नार्मल स्कूल के सभी टीचर्स और नौकरों का एक डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के वर्तमान हेडमास्टर के प्रबन्ध के खिलाफ पहुंचा था?

डाक्टर सीताराम--इसकी यहां पर कोई सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस बात की जांच कब तक हो सकेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह--अभी यह पता नहीं है कि ये शिकायतों की जो दरख्वास्तें आयी हैं वे उनके दस्तखत फर्जी हैं या सचमुच में ठीक हैं। जब यह पता चल जायगा कि सचमुच में उन दरख्वास्तों पर के दस्तखत ठीक हैं तब तो जांच होगी और अगर दस्तखत ठीक नहीं होंगे, फर्जी होंगे तब उस पर कोई जांच नहीं होगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार के पास जब किसी शिकायत की अर्जियां आती हैं तो क्या उनके दस्तखतों की जांच की जाती है कि वे असली हैं या नहीं हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, इस बात की जांच की जाती है कि वाकई में फर्जी दस्तखत किसी दरख्वास्त पर हैं या सचमुच में ठीक दस्तखत हैं।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन शिकायतों के फलस्वरूप डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स, लखनऊ ने जांच की और जांच करके यह सिफारिश की कि उनका तबादला वहां से कर दिया जाय?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह गलत है।

सिकन्दराराऊ दक्षिणी क्षेत्र से बन्दूक के लाइसेंस के लिये प्रार्थनापत्र

*२४—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ दक्षिणी क्षेत्र से कितनी अर्जियां रक्षा कमेटी से बंदूक की लाइसेंस के लिये आयीं और कितनी स्वीकार हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सिकन्दराराऊ दक्षिणी क्षेत्र से, किसी रक्षा कमेटी से बंदूक के लाइसेंस के लिये कोई अर्जी प्राप्त नहीं हुई और न ऐसा कोई लाइसेंस ही दिया गया। परन्तु इस संबंध में ६९ व्यक्तियों की अर्जियां आयीं जिनमें से १२ स्वीकृत हुईं। यह लोग ९ कमेटियों के सदस्य हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई हिदायत या विज्ञप्ति निकाली थी कि रक्षा कमेटी की अर्जियां जो बंदूकों के लाइसेंस के लिये आवें उनको लाइसेंस दे दिये जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कोई जनरल आज्ञा नहीं निकाली गयी, लेकिन इस किस्म के इंस्ट्रक्शन जिला अफसरों को हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों की अर्जियां खारिज की गईं वे किस बिना पर खारिज की गयीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन लोगों ने यह नहीं लिखा था कि वे किसी डिफेंस सोसाइटी के सदस्य हैं या नहीं। उसमें एक शर्त है कि डिफेंस सोसाइटी के नियम का पालन करेंगे और गांव वालों की अपने हथियारों से मदद करेंगे, उन्होंने अपनी अर्जियों में यह भी नहीं लिखा था। अधिकांश अर्जियां इसी वजह से रिजेक्ट हुईं।

* * * *

गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार

*२१—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार गोरखपुर में कोई नये विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वे गोरखपुर में एक नई यूनिवर्सिटी खोलना क्यों आवश्यक समझते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसलिये आवश्यकता है कि हमारा प्रांत एक बहुत बड़ा प्रांत है और उसमें यूनिवर्सिटीज की संख्या अधिक नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह यूनिवर्सिटी कब से चालू हो जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी यह तो बताना बड़ा मुश्किल है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस यूनिवर्सिटी के लिये कोई कमेटी बनायी गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिये कोई कमेटी नहीं बनायी गयी।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस संबंध में अब तक कोई ठोस कार्य किया गया है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २१–२२–श्री नेकराम शर्मा ने पूछे।

श्री हरगोविन्द सिंह—जितने कार्य इस संबंध में हुये हैं सभी ठोस हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी टीचिंग यूनिवर्सिटी होगी या एफलीयेटिंग यूनिवर्सिटी होगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी इस समय यह भी कहना कठिन है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस विश्वविद्यालय के लिये अब तक कितना कोष इकट्ठा हो गया है और कितना कार्य उसके विषय में हो चुका है?

श्री हरगोविंद सिंह—इस विश्वविद्यालय के लिये कितना कोष इकट्ठा हो चुका है यह तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कमेटी ही जानती है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस विश्वविद्यालय की स्थापना में कितना कार्य हो चुका है?

श्री हरगोविन्द सिंह—उसकी स्कीम बन रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनकी तरफ से कुछ दिन पूर्व यह घोषणा नहीं की गयी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये ४ आदमियों की एक कमेटी बना दी गयी है?

श्री हरगोविन्द सिंह—नहीं, वह आपकी समझ में गलत आया। कमेटी तो इस लिये बनाई गयी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी किस प्रकार की हो।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस कमेटी की कोई मीटिंग हुई?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, कई बैठकें हुईं।

*२२—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री नये विश्वविद्यालय के स्थान में किसी बड़े टेक्निकल कालेज के खोलने पर विचार करेंगे?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष द्वारा ४ मार्च, १९५३ को दिये गये निर्णय के संबंध में स्पष्टीकरण

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं। चार तारीख की बैठक में मैं उपस्थित नहीं था उस दिन माननीय अध्यक्ष ने एक रूलिंग दी थी जो इस प्रस्ताव के संबंध में इस सदन में दी गई थी जिसके द्वारा कामरोको प्रस्ताव के संबंध में जो इस सदन के स्थायी रूल्स हैं उनको सस्पेंड करने की मांग की गयी थी। इसके संबंध में आपकी जो रूलिंग थी मैं उसे स्पष्टरूप से समझ नहीं सका। अतः मैं निवेदन करूंगा कृपया आप उस पर कुछ प्रकाश डाल दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वह स्पष्ट समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—वह प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया, वह मुझसे पूछा गया था, मुझे यह स्पष्ट हो गया है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने यह पूछा है कि ४ तारीख को जो कामरोको प्रस्ताव आया था, उसके बाद एक प्रस्ताव माननीय नारायणदत्त जी ने लाने का प्रयत्न किया था, उसके विषय में मैंने जो निर्णय दिया था वे उसको जानना चाहते हैं। वैसे तो मैं यह उचित नहीं समझता था कि अभी इसका कोई विशेष ज़िक्र हो और मैं इन सब बातों को सामने नहीं लाऊंगा जिनसे कि विशेषाधिकार समिति का संबंध है, लेकिन उसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना मुझे आवश्यक प्रतीत होता है इसलिये कि कुछ समाचार-पत्रों में मैंने यह देखा कि कुछ भ्रम इस बारे में हो गया है कि मैंने यहां पर क्या फैसला दिया। कुछ लोगों ने यह लिखा कि मैंने कामरोको प्रस्ताव को लाने के लिये इजाज़त ही नहीं दी। इसलिये ही कानपुर के सदस्य खासतौर पर पूछना चाहते हैं क्योंकि कानपुर के एक अखबार में यह बात छपी। इसलिये मैंने यह उचित समझा कि उसको ज़रा स्पष्ट कर दूं क्योंकि इस सदन की कार्यवाही को गलत तौर पर किसी अखबार में छापना यह विशेषाधिकारों की अवहेलना है और उसके ऊपर गलत बयानी करके उस पर टीका करना यह उससे भी अधिक विशेषाधिकार की अवहेलना है। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि यहां के जो अखबार हैं उन्होंने ऐसी अवहेलना गलतबयानी करके की हो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ कानपुर का एक उर्दू का अखबार मेरे सामने आया और एक बनारस का हिन्दी का अखबार भी सामने आया और उनके पढ़ने से यह मालूम होता था कि मैंने कामरोको प्रस्ताव की इजाज़त नहीं दी कि वह अनुमति के लिये भी पेश हो। उससे भ्रम पैदा होता है। इसलिये फिर से मैं सदन को उस दिन क्या हुआ था यह बतला देना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोग हरदम सतर्क नहीं रहते हैं इस कारण उनके दिल में कभी भ्रम पैदा हो जाता है।

एक कामरोको प्रस्ताव राजनारायणजी यहां पर लाये थे कि अध्यापकों को कौंसिल भवन के सामने से पुलिस ने हटा दिया है इसलिये सदन का काम रोक कर उसके ऊपर सदन विचार करे। उस रोज़ पुलिस का बजट भी सामने आने वाला था। तो चाहे इंग्लैन्ड की प्रथा हो और चाहे यहां की प्रथा हो उसका कायदा यह है कि अध्यक्ष पहले इस बात की अनुमति किसी सदस्य को देता है कि वह अनुमति के लिये सदन में अपना प्रस्ताव ले आये। कामरोको प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये हमारे यहां नियम ६८ में यह दिया हुआ है कि अध्यक्ष नियम के अनुसार सदन से अनुमति मांगने के लिये किसी सदस्य को अनुमति दे। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस नियम को जो लोग यहां पर बैठे हैं वह पूरी तरह से समझ लें कि यहां की और इंगलैन्ड की प्रथा में अनुमति देने के तरीके में थोड़ा अन्तर है। वहां पर एक दम खड़े होकर सदस्य अनुमति मांग सकता है और अनुमति मांगने पर अगर वहां पर स्पीकर अनुमति दे और ४० सदस्य उसके पक्ष में कम से कम अगर खड़े हों तो सदन की अनुमति समझी जाती है। या सदन एकमत से अनुमति दे यानी कोई एतराज़ न करे तो अनुमति समझी जाती है। और अगर खड़े होने वाले सदस्य ४० से कम हों और १० से अधिक हों तो जिसने अनुमति मांगने की कोशिश की हो उस सदस्य को यह अधिकार है कि वह डिवीज़न की मांग करे। अगर डिवीज़न क्लेम करने पर ४० सदस्य से कम अनुमति देने के पक्ष में दिखाई देते हों तो ऐसी हालत में उसको इजाज़त नहीं मिलती। यहां की प्रथा यह है कि सदस्य तब खड़ा होता है जब पहले अध्यक्ष अनुमति मांगने के लिये सदस्य को इजाज़त देता है और यहां भी और इंगलैन्ड में भी अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अगर अरजेन्ट पब्लिक इम्पारटेंस का प्रश्न न हो और स्पेसिफिक न हो तो वह अनुमति नहीं देता कि वह पेश हो तो ऐसी अवस्था में बहुत दफा अध्यक्ष ने इजाज़त देने से इन्कार किया है जब कि सदस्यों को इस बात का आगे मौका मिलने वाला हो कि वह उस प्रकार बहस कर सके। यहां पर भी गृह मंत्री ने इस तरह की आपत्ति की थी कि चूंकि पुलिस का बजट उस दिन सामने था और उसमें यह बहस आ सकती थी तो उसके लिये अनुमति देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके पेश्तर ही मैंने प्राइमाफ़ेसी प्रश्न का महत्व

समझकर यह उचित समझा कि उसे पेश करने की अनुमति दी जावे। अल्पसंख्यक लोगों के हित में मैंने एक तरह का उदारतापूर्ण इन्टरप्रिटेशन नियम को देकर जो हो सकता था वह किया। मैंने निर्णय दिया कि वह प्रश्न इन एन्टीसिपेशन नहीं समझा जाना चाहिये क्योंकि यद्यपि बजट की बहस में वह उठाया जा सकता है, परन्तु बजट में किस तरह से प्रश्न उठाया जाता है वह प्रश्न बहुत से प्रश्नों के साथ शामिल हो जाता और उस पर स्पेसिफ़िकली उस प्रकार अधिक चर्चा नहीं हो सकती थी जिस प्रकार कामरोको प्रस्ताव द्वारा वह अधिक हो सकती है। इसी लिये इंगलैन्ड का तरीका अपनाकर और इस सदन के साधारण रवैये का ख्याल न करके मैंने इजाजत दे दी कि श्री राजनारायण जी अनुमति के लिये प्रस्ताव ले आवें। यह विशेष डिसक्रिशन उनकी फ़ेवर में अल्पसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा में मैंने किया कि श्री राजनारायण जी को अनुमति दे दी कि वह इस सदन के सामने कामरोको प्रस्ताव को सदन की अनुमति के लिये पेश करें। यह गलत है कि अध्यक्ष ने कामरोको प्रस्ताव की अनुमति मांगने के लिये इजाजत नहीं दी, वह इजाजत मैंने दी थी। उसके बाद जब उन्होंने भाषण देकर कारण बताकर सदन से इजाजत मांगी तो उस पर माननीय गृह मंत्री जी ने आपत्ति की और उससे यह स्पष्ट हो गया कि उनका प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होने वाला नहीं है। अगर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं होता हो तब उसके लिये इंगलैन्ड में यह तरीका है कि अगर ४० आदमी अनुमति देने के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो अनुमति समझी जाती है। यहां भी साधारण प्रश्नों पर निर्णय बहुमत से होते हैं, लेकिन कामरोको प्रस्ताव के लिये अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा दी गई है कि अगर ३६ यानी एक १/१२ यानी वन ट्वेल्थ की राय सदनमें प्राप्त हो जाय तो कामरोको प्रस्ताव के लिये सदन की अनुमति समझ ली जाती है। यानी ३६ सदस्य अनुमति के पक्ष में सदन में खड़े हो जाते हैं तो सदन की अनुमति समझी जाती है। जिस वक्त यह विरोध गृह मंत्री द्वारा हुआ तो मैंने फौरन कहा कि जो लोग इसके पक्ष में हों कि अनुमति दी जाय व कृपया खड़े हो जायं। अगर उस समय ३६ सदस्य खड़े हो जाते तो अनुमति समझी जाकर उस कामरोको प्रस्ताव पर शाम के वक्त विचार होता। नियम के अनुसार शाम को ही विचार होता बजट के समय नहीं। लेकिन उसी वक्त श्री नारायणदत्त तिवारी एक प्रस्ताव ले आये और उन्होंने उसी वक्त मुझे टोका कि जो प्रस्ताव उन्होंने मेरे पास भेजा था, नियम को सस्पेंड या स्थगित करने का, वह पहले पेश हो जाय। वह नियम २२१ है उसका अर्थ है कि कोई भी नियम किसी काम के लिये सदन द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। उनका मतलब था कि कामरोको प्रस्ताव के लिये वह नियम सस्पेंड कर दिया जाय जिनमें अनुमति के लिये ३६ सदस्य खड़े होने की आवश्यकता होती है। जब नियम स्थगित हो जाता है, यानी अगर सदन स्थगित कर दे तो अध्यक्ष को अधिकार हो जाता है कि उस नियम के एवज में कौन सा तरीका अख्तियार करे, यह निश्चित करे। सीधी सी बात है मैंने समझा कि अगर सदन में ३६ सदस्य भी अनुमति देने को तैयार नहीं हैं तो नियम स्थगन के लिये बहुमत की आवश्यकता है, सदन में बहुमत कैसे मिल सकती है। अगर मैं उस प्रस्ताव को पढ़ देता तो सदन में होली का सा दृश्य हंसने को हो जाता और लोग इस पर हंसते कि ३६ की अनुमति तो मिलती नहीं, २०० या १५० की कैसे आशा की जा रही है। मैंने उस स्थगन संकल्प को इसलिये व्यर्थ समझ कर कहा और उनको इशारा भी मैंने दिया कि सदन से तभी नियम स्थगित होगा जबकि सदन का बहुमत मिले और बहुमत तभी मिलेगा जब सदन इस बात पर तुल जाय कि कामरोको प्रस्ताव की अनुमति दी जाय। लेकिन जब अनुमति के लिये ३६ सदस्य ही नहीं मिले तो १५० कैसे मिल सकते थे। यह अपेक्षा करना हंसी की सी बात है और यही सोचकर मैंने इस प्रस्ताव पर सदन का समय नष्ट करना उचित नहीं समझा, क्योंकि यदि अनुमति पेश करने को देता और संकल्प सामने आ जाता तो २ घंटे बहस हो सकती थी, क्योंकि विवाद के अधिकार के विषय में संकल्प और प्रस्ताव में कोई विशेष अन्तर नहीं है। संकल्प आने पर विरोध हो सकता था और विरोध करने पर बहस होती। और

[श्री अध्यक्ष]

नियम इसमें यह है कि जिन दिनों बजट की वोटिंग होती हो तो अनुदान के वोटिंग और प्रश्नों के बीच में कोई अन्य कार्य न लिया जाय। मैंने अभी तक यहां यही प्रथा रखी है। यद्यपि मुझे विशेषाधिकार है कि मैं अनुमति दे दूं, तथापि बजट के महत्व को समझकर मैंने ऐसे मामले को जो विवादास्पद हों, प्रश्नों तथा बजट के अनुदानों के वोटिंग के बीच में लेने की इजाजत नहीं दी है। अगर सर्वसम्मति कभी हो तो बात दूसरी है, सिर्फ एक मत होने पर ही एक्सेप्शन किया है या कामरोको प्रस्ताव के लिये किया है क्योंकि यह नियम बना हुआ है कि कामरोको प्रस्ताव प्रश्नों के बाद आता है। इसलिये मैंने उसकी इजाजत दे दी।

दूसरा जो माननीय नारायणदत्त जी का प्रस्ताव था मैंने उसकी इसलिये इजाजत नहीं दी कि कामरोको प्रस्ताव नहीं था, बल्कि नियम सस्पेंड करने का प्रस्ताव था, जो व्यर्थ भी था, क्योंकि उसमें बहुमत की आवश्यकता पड़ती जो मिलने को कोई संभावना नहीं थी, इसलिये मैंने इजाजत नहीं दी।

उसके बाद जो कार्यवाही हुई उसके बारे में मैं इसलिये जिक्र करना नहीं चाहता क्योंकि उसके ऊपर विशेषाधिकार कमेटी बैठी है। इसलिये जिक्र करना उचित नहीं है।

इससे यह बात स्पष्ट है कि कामरोको प्रस्ताव अनुमति के लिये उपस्थित करने की इजाजत मैंने श्री राजनारायण जी को दी थी और नियम स्थगित करने का संकल्प जो श्री नारायण दत्त जी पेश करना चाहते थे उसे मैंने व्यर्थ भी समझा और नियम के विरुद्ध भी समझा, और इन दोनों दृष्टियों से उसकी इजाजत नहीं दी

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। एक मिनट की इजाजत दी जाय।

आपने अभी कहा कि अगर अध्यक्ष की रूलिंग कोई समाचार-पत्र गलत छापे और उसकी टिप्पणी करे तो ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर अध्यक्ष की रूलिंग को कोई समाचारपत्र सही छापे और उससे डिसऐग्रीमेंट करते हुये उस पर कोई टिप्पणी छापे तो क्या विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता?

श्री अध्यक्ष—अगर सही छापे और कोई टिप्पणी करे जो सदन के लिये इंसल्टिंग हो तो वह विशेषाधिकार की अवहेलना अवश्य समझी जायगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष की रूलिंग से डिसएग्री करते हुये कोई टिप्पणी छापना क्या....

श्री अध्यक्ष—यह तो हाइपाथेटिकल क्वैश्चन है। मैं समझता हूं कि यह इससे उठता नहीं। मैं इसका स्टडी करके ही जवाब दे सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जो प्रस्ताव हाउस में लिया ही नहीं गया है, मूवर ने उसको पेश ही नहीं किया है तो क्या वह पहले से ही कंट्रोवर्शल माना जा सकता है? जिस पर बहस तो हुई नहीं है, जिसके बारे में मूवर ने अभी राय भी नहीं दी है और न सदन के और सदस्यों ने राय दी है, तो क्या वह कंट्रोवर्शल माना जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—कंट्रोवर्शल है या नहीं तर्क से वह समझा जा सकता है। उसके लिये बुद्धि दी है। जब कि कामरोको प्रस्ताव के लिये इजाजत मांगने के लिये बहस और विरोध भी है और कामरोको प्रस्ताव के लिये सहूलियत देने के लिये एक मोशन लाया जाय, ऐसी

अवस्था में जब कि कामरोको प्रस्ताव के लिये ३६ आदमियों की इजाजत न मिल रही हो, तो ऐसा मोशन अवश्य विवादास्पद होगा, यह तर्क से मालूम हो सकता है। जिनका तर्क स्पष्ट न हो उनके लिये लाचारी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्पीकर का किसी प्रश्न के बारे में पहले से ही एक ऐंटीसिपेशन कर लेना क्या यह मुनासिब है?

श्री अध्यक्ष--हर एक मोशन, चाहे कोई भी मोशन हो, उसके लिये यह मान लिया जाता है कि इसके ऊपर बहस तथा विरोध होगा। इसलिये मुझे माननीय सदस्य द्वारा पहिले से ही यह मालूम होना चाहिये कि इसमें कोई विरोध नहीं होने वाला है तभी बजट वोटिंग से पेश्तर मोशन की इजाजत मैं देता हूं जैसा कि इस संबंध में मैं एक उदाहरण देता हूं। यहां श्री स्टैलिन की मृत्यु पर एक प्रस्ताव का प्रश्न आया। तो मेरे पास झारखंडे राय जी आये। मैंने उनसे कहा कि इसके ऊपर अगर विरोध हुआ तो मैं इसको बजट वोटिंग के पहले लेने को तैयार नहीं हूं। इसलिये आप गवर्नमेंट से तय कर लें। उन्होंने मुझे बाद में कोई इत्तला नहीं दी। इसलिये मैंने पहले उसके लिये इजाजत नहीं दी कि वह आये। इसके बाद नारायणदत्त जी ने यह प्रश्न सदन के सामने गृह मंत्री जी से पूछा कि क्या वे इसको लेने वाले हैं। तब माननीय गृह मंत्री जी ने उसको रखा। इस प्रकार मैंने समझ लिया कि इसमें सदन के सब सदस्य एकमत हैं और मैंने इजाजत दे दी। नहीं तो इजाजत न देता। पहले यह मान लिया जाता है कि कोई भी संकल्प जब आयेगा तो उसके ऊपर वाद हो सकता है। इसलिये मैं उस वक्त तक किसी संकल्प के लिये इजाजत देता ही नहीं हूं जब तक कि मुझे पहले से ही न बताया जाय कि इसके ऊपर विरोध होने वाला नहीं है। निर्विवाद होने वाली चीज है। तब मैं इसकी इजाजत देता हूं कि वह विषय बजट अनुदानों के वोटिंग के पेश्तर लिया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--एक सूचना और जानना चाहूंगा कि माननीय परिपूर्णानन्द जी कानपुर के सदस्य हैं या गोरखपुर की महाराजगंज तहसील के?

श्री अध्यक्ष--वे कानपुर में रहते हैं, यह सबको मालूम है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं भी एक बात जानना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं, विरोधी दल की संख्या ४०, ४१ के करीब है और कांग्रेस के ३९१ सदस्य हैं। तो जब आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो बिना दूसरे पक्ष की राय जाने आप पहले ही से कोई अंदाजा लगा लें कि इसमें विरोध होगा ही, क्या यह नियमानुकूल है कि आप इस तरह से ऐंटिसिपेशन कर लें?

श्री अध्यक्ष--यह मेरा डिस्क्रेशन है। मैं उसके बारे में सदस्यों से पूछ लेता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--तो आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें।

उत्तर प्रदेश फ़ेमीन रिलीफ़ फ़ंड (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष--मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फंड संशोधन विधेयक, १९५२, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ दिसम्बर, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ जनवरी, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २० फरवरी, १९५३ को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का ८वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों से संबंधित माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति का मेज़ पर रखा जाना

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्थां अधिनियम के अधीन बनायी गयी १९५१ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों से संबंधित माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६२०३ (१)/१-अ---४६३-१९५२, दिनांक ११ फरवरी, १९५३ की प्रतिलिपि उक्त अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय राजस्व मंत्री तैयार हैं इस पर वाद-विवाद करने के लिये ?

श्री अध्यक्ष---नहीं, इसको मेज़ पर रखने का सवाल था। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं कि इस समय वाद-विवाद किया जाय।

यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४, की धारा ४(१) (बी) के खंड (२) के अनुसार यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को आप आदेश दें, किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यू० पी० नर्सेज ऐंड मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४(१) (बी) के खंड (२) के अनुसार यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसके अनुसार मैं यह कार्य-क्रम रखता हूं---

नाम निर्देशन के प्रस्ताव की तिथि	१८ मार्च को एक बजे तक।
सूक्ष्म परीक्षा का समय	१८ मार्च को दो बजे तक।
नामांकन वापसी की तिथि	२० मार्च को ३ बजे तक।

यदि निर्वाचन की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिये कोई तारीख और समय बाद में निश्चित किया जायगा।

वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव होंगे। अब उनके लिये समय निश्चित करना है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अनुदान संख्या २० और २१ एक में मिला दिये जायं और वह साढ़े तीन बजे तक चलें। अनुदान संख्या ४२ और ५१ भी एक में मिला दिये जायं और बाद में ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष--इसमें कोई आक्षेप है ?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो अनुदान संख्या २० और २१ को पहले ले लिया जायगा और साढ़े तीन बजे तक समय रहेगा। इसमें पहले जो कटौती के प्रस्ताव लायेंगे उनको १५ मिनट और दूसरे और लोगों के लिये ७ मिनट रहेंगे। और साढ़े तीन बजे से जो अनुदान लिये जायेंगे उनके लिये पहले कटौती के जो प्रस्ताव लायेंगे उनके लिये १० मिनट और अन्य व्यक्तियों के लिये ६ मिनट का समय होगा।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ३९--जन-स्वास्थ्य

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०--चिकित्सा (लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा) के अन्तर्गत २,४५,६२,५०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--जन स्वास्थ्य (लेखा शीर्षक ३९--जन स्वास्थ्य) के अन्तर्गत १,४१,७६,००० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जिन अनुदानों को मैंने अभी सदन की स्वीकृति के लिये उपस्थित किया है, उनका संबंध प्रदेश के स्वास्थ्य से है। इन की कितनी अहमियत है उसके ऊपर मुझे अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़े से शब्दों में इस सदन के सामने अगले वर्ष में किस तरह से अनुदानों के अन्तर्गत रुपया व्यय किया जायगा, उसके संबंध में चन्द बातें कहूंगा। समय अधिक नहीं है, इसलिये मैं बहुत ब्योरे में तो जाऊंगा नहीं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस पुस्तिका के पहिले सफे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, जो चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बांटी गई है और जिसमें विभाग का कार्य-विवरण दिया हुआ है यदि माननीय सदस्यों ने उसका अध्ययन किया है तो उन्हें भली भांति इस का परिचय मिल जायगा कि इन अनुदानों के अन्तर्गत गत पांच छः वर्षों से उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है, यद्यपि यह वृद्धि न तो हमारे प्रदेश की आमदनी के अनुपात के अनुकूल ही है और न हमारे प्रदेश की बढ़ती हुई जन-संख्या के अनुपात में है। यह हमारे लिये दुख की बात अवश्य है, परन्तु इस सदन के सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रदेश की बहुत सी समस्यायें ऐसी हैं, जिन्हें हमें इस समय प्राथमिकता देनी पड़ रही है और जिनके कारण हम इन विभागों के लिये उतना रुपया अभी नहीं निकाल पा रहे हैं जितने की इन्हें आवश्यकता है। हमारी भरसक यह चेष्टा रहती है और हर वर्ष हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि इन विभागों के अन्तर्गत अधिक रुपया व्यय किया जावे। इस बात का प्रमाण वह आंकड़े आपको दे रहे हैं, जो इस विवरण पत्रिका के पहले सफे पर छपे हुये हैं। उन्हें देखने से यह तो पता चल ही जाता है कि चार पांच साल में चिकित्सा विभाग में करीब ५० लाख व्यय बढ़ा है और जन-स्वास्थ्य के विभाग के अन्तर्गत भी करीब ३० लाख के अब अधिक खर्च किया जा रहा है। इन चार-पांच वर्षों में हमने विभाग के अन्तर्गत काफी उन्नति की है। जहां तक शिक्षा का संबंध है उसके क्षेत्र को विस्तृत किया गया है, उन कालेजों की और इक्विपमेंट बढ़ाने में हुई है जिनको उन कालेजों को आवश्यकता थी। हमने खासकर अस्पतालों, औषधालयों में अधिक व्यय बढ़ाया है और हमने खास-खास बीमारियों के निवारण के लिये अधिक रुपया अपने प्रदेश में व्यय किया है।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

माननीय सदस्य यह अच्छी तरह जानते हैं कि सन् १९४६ में जब यहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, प्रदेशीय सरकार के पास कुल ४९ अस्पताल थे, आज वे बढ़कर करीब ३१९ हो गये हैं। आयुर्वेद और तिब के औषधालय भी उस समय दो सौ के करीब थे और वे अब पांच सौ से ऊपर बढ़ गये हैं। यह प्रगति इन चार पांच वर्षों के बीच में हुई है।

हमें अधिक अस्पताल और औषधालयों की आवश्यकता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। हर एक व्यक्ति जानता है और हमने ही इस सदन में चार पांच वर्ष पूर्व यह कहा था कि हम प्रदेश में हर पांच मील के दरमियान में एक अस्पताल स्थापित करेंगे। इस घोषणा के अन्तर्गत हमने कार्य भी प्रारम्भ किया था। दुर्भाग्यवश आर्थिक झंझट हमारे बीच में आ गये और उन्होंने हमारी प्रगति में रुकावट डाल दी। इस कारण से हम उस घोषणा के अन्तर्गत बहुत कार्य नहीं कर सके, परन्तु हमने प्रतिवर्ष इस बात की चेष्टा की है कि हमारे यहां अस्पतालों की संख्या बढ़ती जावे और उसके लिये अधिक पैसा व्यय किया जावे। अगले वर्ष में भी, जैसा कि आप को आंकड़ों से पता लगेगा, २५ अस्पताल और औषधालय खोलेंगे, जिनमें १० एलोपैथिक होंगे और १५ आयुर्वेद और तिब के होंगे। मैं जानता हूं कि यह संख्या आप कहेंगे कि बहुत कम है। जैसा मैंने कहा, आपके कथन में कोई विवाद करने की आवश्यकता हमें नहीं।

जो ३८ लाख रुपये अगले वर्ष हम अधिक व्यय करने जा रहे हैं, उसका व्योरा भी पेज २, ३, ४ और ५ पर मोटे तौर से दे दिया गया है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि सन् १९५३-५४ के निर्माण कार्य की महत्वपूर्ण मदों पर २७,०९,७०० रु० है। नया व्यय लखनऊ मेडिकल कालेज के विस्तार पर, सरोजनी नाइडू मेडिकल कालेज, आगरा के विस्तार पर, लखनऊ के हजरतगंज अस्पताल के विस्तार पर, देवरिया में जो एक नया अस्पताल बन रहा है, उसके विस्तार पर, चिकित्सा सुविधा के विशेष उपायों पर, राज्य में रोग शय्याओं की संख्या बढ़ाने पर, खासकर गेठिया और जहांगीराबाद में निवारक शय्याओं के बढ़ाने पर तथा जौनसार बाबर में गुप्त रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था पर होने जा रहा है।

चिकित्सा की शिक्षा के लिये दोनों मेडिकल कालेजों की आवश्यकतायें हम हमेशा पूरी करने की कोशिश करते हैं। हमारी सदैव चेष्टा रही है कि ये हमारे प्रदेश के दो मेडिकल कालेज उन तमाम आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से परिपूर्ण हो जायं, जिनके पढ़ने के लिये, जानने के लिये और ज्ञान प्राप्ति के लिये हमारे विद्यार्थी विदेश जाते हैं। इन विद्यालयों में उच्च प्रकार की शिक्षा जी जा रही है। इस वर्ष से हमने इनके अन्तर्गत जो प्री-मेडिकल टेस्ट हुआ करता है, उसमें एक तब्दीली की है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि प्रति वर्ष जिन लड़कों को मेडिकल कालेज में अपना दाखिला कराना पड़ता था वे प्रायः दोनों मेडिकल कालेजों के प्री-मेडिकल टेस्ट में बैठा करते थे। लखनऊ के मेडिकल कालेज में वे प्री-मेडिकल टेस्ट के इम्तहान में बैठते थे और उसकी फीस भी जमा करते थे और फिर आगरा के मेडिकल कालेज में भी वे बैठते थे, वहां की भी फीस जमा करते थे। इस तरह से उन्हें एक ही समय में दो दो जगहों पर फीस जमा करनी पड़ती थी और दो दो दफा इम्तहान देना पड़ता था। गर्मी के जमाने में उन्हें ऐसा करना पड़ता था जिससे उन्हें काफी असुविधा होती थी। इस वर्ष हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, इसके मेडिकल कालेज के मेडिकल फैकल्टी के डीन, आगरा मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल और अपने डाइरेक्टर की सलाह से यह निर्णय किहुया है कि अब इन दोनों संस्थाओं का प्री-मेडिकल टेस्ट का इम्तहान एक ही आ करे और वह दो स्थानों पर लिया जावे, यानी मेडिकल कालेज, लखनऊ मेंउसका इम्तहान हो और साथ ही आगरा भी। लेकिन विद्यार्थियों को जो उस इम्तहान में सम्मिलित होंगे, एक ही फीस देनी होगी औरपरचे भी, जो इम्तहान के होंगे, एक ही होंगे। इस इम्तहान का इन्तजाम उसका स्टैन्डर्ड, परी कों की नियुक्ति आदि डाइरेक्टर और दोनों मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपल का एक बोर्ड क्षकिया करेगा। इसके सेक्रेटरी या रजिस्ट्रार लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहा करेंगे। माननीय सदस्य यह

अनुभव करेंगे कि इससे विद्यार्थियों को काफी सुविधा प्री मेडिकल टेस्ट के एक्जामिनेशन में मिलेगी। मैंने अभी यह सदन के सामने इतना कहा कि हमारी यह चेष्टा रही है कि हम इन कालेजों को अधिक से अधिक रुपया दें और उनमें वे इक्वीपमेंट और लेब्रोटरीज जो विदेशों के मेडिकल कालेजेज में हैं, वह शीघ्रता से कायम हो जावें। माननीय सदस्यों को यह भी भलीभांति ज्ञात है कि आज से पांच वर्ष पहले हमने यह निर्णय किया था कि आगरे में एक नये मेडिकल कालेज का निर्माण किया जायगा। परन्तु दुर्भाग्यवश जितने रुपये .की उस नये मेडिकल कालेज में व्यय करने की हमें आवश्यकता थी, हमारे पास नहीं थे। इसलिये हमें अपनी उस योजना को तब्दील करना पड़ा। अब यह फैसला किया है कि मौजूदा आगरा मेडिकल कालेज की इमारतों में ही तब्दीली करके वहां नयी लेब्रोटरियां २५ लाख रुपया व्यय करके उसे एक प्रथम श्रेणी का कालेज बना दें ऐसा कालेज जैसा कि लखनऊ का मेडिकल कालेज है और जैसे कि और प्रदेशों में और मेडिकल कालेज हैं। हमने एक पंचवर्षीय योजना आगरे के मेडिकल कालेज की उन्नति के लिये बनायी है। उसके अन्तर्गत इस वर्ष भी हमने रुपया रखा है, जिससे वहां नये-नये ब्लाक्स और नयी-नयी लेब्रोटरीज शीघ्रता के साथ कायम हो जायं। हमने इन वर्षों में इस बात की चेष्टा की है कि हमारे प्रदेश में जो साधनयुक्त आयुर्वेदिक कालेज हैं, उन पर हम अधिक धन व्यय करें। पिछले वर्षों में भी उनकी सहायता करते रहे हैं। इस वर्ष हमने उनको मिलने वाली सहायता में काफी वृद्धि की है। करीब-करीब उनकी ग्रांट्स को दुगुना कर दिया है और अगले वित्तीय वर्ष में हम उनके अनुदानों को उसी प्रकार से दुगुना करने जा रहे हैं। हमारी यह चेष्टा है कि इन विद्यालयों का स्तर ऊंचा किसी तरह से किया जाय, उनके पास भी आधुनिक ढंग की लेब्रोटरियां हों और शिक्षक भी आधुनिक ढंग के हों, वहां के निकले हुये विद्यार्थी दुखी जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकें और साथ ही उस ज्ञान को भी अपने साथ लेकर के जायं जो आधुनिक दुनिया में प्रचलित है जिसने आविष्कार की दुनिया में और अनुसंधान की दुनिया में दुखित और पीड़ित मनोवृत्ति के लिये बहुत कुछ किया है। हमने अगले वर्ष के बजट में बनारस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो आयुर्वेदिक कालेज है उसकी ग्रांट में वृद्धि की है। हम यह चाहते हैं कि बनारस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो आयुर्वेदिक कालेज चल रहा है उसकी भी लेब्रोटरियों में सुधार किया जाए, जो आधुनिक ढंग की नहीं है और जिसमें कार्य करने के लिये शिक्षकगण अभी आधुनिक ढंग की शिक्षा पाये हुये नहीं हैं। वह तभी संभव हो सकता है जब कि इस विश्वविद्यालय की ग्रांट में भी वृद्धि की जाय। इस वर्ष जो रेकरिंग ग्रांट हम बनारस विश्वविद्यालय को दिया करते थे, उस में २५ हजार रुपये की वृद्धि की है।

एक लाख रुपये की एक नान-रिकरिंग ग्रांट भी हमने उस कालेज को देने का प्रयत्न किया है। हमारी चेष्टा है कि तीन चार वर्षों में यह कालेज प्रदेश का प्रथम श्रेणी का कालेज बन जाय।

हमने चार वर्ष पहले यह निर्णय किया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक आयुर्वेदिक कालेज इस तरह का बनायें कि जिसमें विद्यार्थी आयुर्वेद के ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक विज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त करें। इस संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय में बी० एम० बी० एस० का एक कोर्स प्रारम्भ किया था। लेकिन अनुभव ने ऐसा बताया कि दोनों कोर्स एक ही प्रकार के शिक्षकों के हाथ में देकर हम उस प्रगति को जिसे हम अपनी नजरों के सामने देखना चाहते थे, नहीं प्राप्त कर पाये हैं। इसलिये हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से यह निवेदन किया है कि वे आयुर्वेद की एक प्रथम फैकल्टी इस वर्ष से अलग से स्थापित करें और उसके अन्तर्गत आयुर्वेद कालेज जिसकी स्थापना लखनऊ के किंग इंगलिश हास्पिटल में हो जिसके सुधार के लिये इस वर्ष भी हमने रुपया खर्च किया है और जिसकी उन्नति के लिये हम अगले वर्ष भी और रुपया खर्च करने जा रहे हैं। इसका इन्तजाम डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ ऐंड मेडिकल सर्विसेज के अन्तर्गत हो और उसका खर्चा सीधे सरकार की तरफ से होगा। विद्यार्थियों को

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

नान-क्लिनिकल विषयों की शिक्षा तो विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज के अन्तर्गत पायेंगे और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की शिक्षा इस नये आयुर्वेद कालेज के अन्तर्गत मिलेगी। हमें आशा है कि वे असुविधायें जो बी० एम० बी० एस० कोर्स के विद्यार्थियों को अक्सर झेलनी पड़ी हैं, उनका उन्हें सामना न करना पड़ेगा। यह शिकायत भी कि डाक्टर लोग एम० बी० बी० एस० के विद्यार्थियों को तो अच्छी तरह से शिक्षा देते हैं और बी० एम० बी० एस० के विद्यार्थियों के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार करते हैं इस कालेज के स्थापित होने पर मिट जायेगी। यह भी आशा है कि दोनों विद्यालय विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ठीक से कार्य कर सकेंगे।

हमने इस वर्ष जैसा मैंने कहा, २५ नये अस्पतालों और औषधालय भी खोलने का प्रबन्ध किया है और उनके लिये करीब डेढ़ लाख रुपये की रकम रखी है।

जहां तक आंखों के इलाज का संबंध है, माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि इन चार पांच वर्षों में इस क्षेत्र को भी हमने काफी विस्तृत किया है। दो बड़े-बड़े अस्पताल, जो हमारे प्रदेश में स्थापित हैं सीतापुर और अलीगढ़ में हैं, किस प्रकार से इस प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। इस सदन के सदस्यगण अच्छी तरह उन बातों को जानते हैं। इसके साथ-साथ हमने चिकित्सा के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिये आपथल्मिक कौंसिल का निर्माण किया है, जिसमें नेत्र विशेषज्ञ हैं। अब नेत्र चिकित्सा का कार्य इस कौंसिल की सहायता और सलाह से इस प्रदेश में चलेगा। इसके लिये भी हमने अगले वर्ष के बजट में उस धन में जिसे हम प्रतिवर्ष डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज के द्वारा व्यय किया करते थे वृद्धि की है। ७५ हजार रुपये अब हमने उनको इस कार्य के लिये अपने बजट में प्रदान किया है। इन वर्षों में हमारी यह भी चेष्टा बराबर रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संघ से सहायता लेकर ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें, जिन्हें हम मौजूदा कोष के अन्तर्गत बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इस वर्ष हमने विश्व संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय संघ के इस बालकोष से मदद लेकर एक योजना तैयार की है कि हम अपने प्रदेश में २०० नये मैटरनिटी सेन्टर्स की स्थापना तीन वर्षों में कर लें। इस कार्य में करीब २९ लाख रुपया खर्च होने वाला है। स्वास्थ्य संघ ने हमें करीब १६ लाख की सामग्री और इक्विपमेंट और दूसरा सामान देने का वायदा किया है। इस कारण से हमने अपने बजट में ३ लाख का रेकरिंग खर्चा और बढ़ाया है जिससे हम अगले वर्ष में ६६ और अगले वर्ष में ६७ और उससे अगले वर्ष में ६७ मैटरनिटी सेन्टर्स देहाती क्षेत्रों में स्थापित कर लें। उनकी स्थापना अस्पतालों के नजदीक या अस्पतालों में ही करने की चेष्टा की जायगी।

माननीय सदस्य इस बात को भलीभांति जानते हैं कि देहाती क्षेत्रों में मैटरनिटी सेन्टर्स अभी बहुत कम हैं और उनके न होने के कारण हमारी माताओं और बहिनों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और देहाती क्षेत्रों में रहने वालों को विशेष रूप से काफी असुविधा होती है। इसके निवारणार्थ हमने यह योजना प्रारम्भ की है और इसके लिये हम मैटरनिटी सैन्टर्स की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। इस समय २३९ मैटरनिटी सैन्टर्स हमारे यहां कार्य कर रहे हैं। इनमें से बहुत से मैटरनिटी सैन्टर्स तो हमारी प्रदेशीय सरकार के अन्तर्गत चल रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हमारी नगरपालिकायें चला रही हैं और उनका खर्च वही बरदाश्त कर रही हैं।

हमने इन वर्षों में यह भी कोशिश की है कि क्षय रोग के निवारणार्थ हमारे प्रदेश में अधिक बड्स की स्थापना हो। सरकार की ओर से कायम सैनेटोरियम और नान-आफीशियल एजेंसीज के द्वारा कायम सेनेटोरियम में करीब ८६५ शैया हैं। किन्तु हम जानते हैं कि हमारे इस प्रदेश में ५० हजार के करीब व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिये ८५० या ८६५ शैया क्या काफी हैं? हम जानते हैं कि यह शैया बहुत नाकाफी हैं। इसलिये हम इस बात का कई वर्ष से प्रबन्ध करते आ रहे हैं कि इनमें उत्तरोत्तर बढ़ती की जाय। इस वर्ष हमने भुवाली सैनोटोरियम में २८ फ़्री बेड्स के स्थान पर अब ९८ फ़्री बेड्स कर दिये

हैं। इसके अतिरिक्त एक क्षय रोग का अस्पताल गेठिया में कायम किया है। वहां पर ५० बेड्स हैं। अगले वर्ष में हम जहांगीराबाद में २५० बेड्स का एक क्षय रोग अस्पताल कायम करने जा रहे हैं किन्तु इन दोनों अस्पतालों की स्थापना हमारी समस्या को हल्का करने वाली नहीं है। इसलिये अगर हम चाहते हैं कि अधिक संख्या में हमारे प्रदेश में क्षय रोग निवारणार्थ सैनेटोरियम कायम हों, तो अधिक धन एकत्र करना होगा। विदेशों में इन कार्यों के लिये धन प्राइवेट चैरिटी द्वारा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें अपने प्रदेश में ऐसी चीज को चलाने के लिये इतना धन नहीं मिल रहा है और जैसा कि हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में भी हम अधिक धन इन सैनेटोरियम की स्थापना के लिये अपने बजट के अन्तर्गत निकाल नहीं सकेंगे। इसलिये हमारी सबकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि अधिक संख्या में सैनेटोरियम की स्थापना हो तो हमें ऐसे उपाय ढूंढ़ने पड़ेंगे जिनसे हम अधिक धन संचय कर सकें।

विदेशों में तो जैसा मैंने अभी कहा प्राइवेट चैरिटी और लाटरीज इत्यादि की मदद से इस प्रकार की संस्थायें स्थापित की जाती हैं। हमारे यहां भी कई मर्तबा इस प्रकार के सुझाव आये हैं। एक सुझाव तो हमारे पास यह आया है कि हम हेल्थ सील्स प्रारम्भ करें। उन्हें हर अस्पताल में रखकर बेंचें और जितना उस अस्पताल के अन्तर्गत रुपया इकट्ठा हो, उसे उसी अस्पताल में व्यय करें। इससे संभव है कि हमारे अस्पतालों की अवस्था सुधर जाय और उन्हें अधिक पैसा मिल जाय। जहां तक इस सुझाव का संबंध है सरकार उसे स्वीकार करने जा रही है और उसके ऊपर अगले वर्ष से अमल करेगी।

दूसरा सुझाव लाटरी के चलाने का भी हमारे सामने रक्खा गया है। इस सदन की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर विचार किया है और अधिकांश सदस्यों की यह राय है कि जिस तरह से विदेशों में लाटरीज के द्वारा रुपया इकट्ठा किया जाता है उसी तरह से हमें अपने प्रदेश में भी लाटरीज की स्थापना करनी चाहिये। यह विषय कुछ विवाद का विषय है। हमारे साथियों में इस पर कुछ मतभेद है। कुछ नैतिक बातों को सामने रखकर इस विषय पर कुछ अधिक बातें करना नहीं चाहते हैं और अधिकांश ऐसे हैं जिनकी राय है कि यदि हम अस्पतालों के निर्माण के लिये अस्पतालों में लाटरीज चालू करें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम बहुत अनैतिक कह सकें। मैं नहीं जानता कि सदन के सदस्यों की क्या राय है। यह सुझाव हमारे सामने आये हैं। मैंने इन सुझावों को सदन के सामने इसलिये रख दिया कि सदन के सदस्य-गण इन पर विचार करें और अपना मत प्रगट करें। जब वे विभिन्न प्रकार के सुझाव बजट के सिलसिले में इस सदन में उपस्थित करें तो वे इन पर भी अपने मत प्रकट करें।

मैं कह रहा था कि विभिन्न प्रकार के रोगों के इलाज के लिये प्रदेश की सरकार ने बराबर रुपया बढ़ाया है। हमने मलेरिया को रोकने के लिये जो योजना २४ जिलों की बनाई है वह आपके नजर के सामने से गुजर चुकी है। उसके अन्तर्गत हम प्लानिंग डिपार्टमेंट, पी० आर० डी० एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट और पंचायतों से मदद ले रहे हैं। इस तरह से मलेरिया जो हमारे प्रदेस में काफी तेजी से फैला हुआ था, उसे रोकने की चेष्टा में हम लगे हुये हैं। इस सदन के सदस्यगण जानते हैं कि मलेरिया से जो लड़ाई तराई-भाबर में लड़ी गई है, उसमें कितना फायदा उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को पहुंचा है। वह क्षेत्र जहां लोग बसना नहीं चाहते थे, आज वहां कितनी संख्या में बसने की चेष्टा कर रहे हैं। बिलासपुर और तराई-भाबर में जो मलेरिया निरोधक कार्य किया गया है वह सराहनीय है। हमारे प्रदेश में अब जो हमने योजना तैयार की है उससे २४ जिलों में मलेरिया से लड़ने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है। इस ओर भी हमने अगले साल के बजट में अधिक रुपया रखने की चेष्टा की है।

हमने कालरा से इस प्रदेश में जिस तरह लड़ाई लड़ी है उसका वर्णन भी पुस्तिका में कर दिया गया है। अब कालरा से मृत्यु, जहां तक मेलों का संबंध है, बिलकुल खत्म सी हो

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

गई हैं। माननीय सदस्यगण जानते हैं कि किस तरह से हर मेले में कम्पल्सरी इनौक्यूलेशन करके मेलों से वापस जाने वालों को जो कालरा में फंस जाया करते थे, उन्हें कालरा में फंस जाने से रोका गया है और उसका नतीजा यह हुआ है लोग उतनी संख्या में अब नहीं मरते जितने कि पहले।

हमने कालाजार रोग से भी लड़ने के लिये पूर्वी जिलों में प्रयत्न किया है और हमारे प्रदेश के नवयुवक वहां इसके लिये काम कर रहे हैं।

प्लेग कैसे होता है और उसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके अन्वेषण के लिये "वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन" की तरफ से देवरिया में एक लेबोरेटरी कायम की गयी है और वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के एक विशेषज्ञ उसमें कार्य कर रहे हैं। पूर्वी जिले किस प्रकार से प्लेग के शिकार होते हैं, इस बात को मुझे यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, पूर्वी जिलों के सदस्यगण जो इस सदन में हैं अपनी दिक्कत का अहसास काफी अच्छी तरह से करते हैं। उनके बीच में अब हम इस प्रकार की लेबोरेटरी कायम करके इस बीमारी से भी लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तरोत्तर जितनी हमारे बजट में वृद्धि होती जाती है उतने ही उन्नतिशील साधन हम अपनाते जाते हैं, जो विज्ञान के द्वारा दूसरे देशों को प्राप्त हैं। इस कार्य में खामी है, कमजोरी रही है, इसे मैं स्वीकार करता हूं और उसमें धन का अभाव एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ज्यों-ज्यों हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है, ज्यों-ज्यों हमारी पैदावार बढ़ती जा रही है, हमारा विश्वास है कि त्यों-त्यों हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने प्रदेश में लड़ सकेंगे।

हमारा प्रदेश अपने देश के प्रदेशों में सबसे बड़ा है; इसने बहुत कार्यों में अगुआ का कार्य किया है और हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उसका कार्य अगुआ का कार्य हो। वह तभी हो सकता है, जब जैसा कि मैंने अभी कहा हम आमदनी बढ़ावें और आमदनी बढ़ाने के अलावा सरकारी कोष को बढ़ाने के वे जरिये भी अख्तियार करें जो दूसरे देशों में अपनाये जाते हैं, यानी प्राइवेट चैरिटी वगैरा के जरिये। मैं सदन के सदस्यों से इसलिये बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य में वे हमारी सहायता करें और वे विभिन्न प्रकार के सुझाव उपस्थित करें, ताकि हम इस विभाग की आमदनी को बढ़ा सकें और इस अनुदान में वृद्धि करने के लिये अपने प्रदेश में वह वातावरण पैदा करें जिससे हमारे प्रदेश के ऐसे व्यक्ति, जिनके पास धन है और जो उस धन को सेवा के कार्य में व्यय करना चाहते हैं, वे अस्पतालों का निर्माण करके, अस्पतालों में शैयायें स्थापित करके तथा अस्पतालों की दूसरी जरूरियात को पूरी करके अस्पतालों की संख्या को बढ़ा सकें, तथा हमारे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकतायें हैं उनको पूरी कर सकें। आज हमने जो बजट प्रस्तुत किया है वह ४ करोड़ १४ लाख रुपये का है जब कि हमारे प्रदेश की जन संख्या ६ करोड़ ३५ लाख है। हमारे प्रदेश की जितनी आबादी है और उस आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिये जो हम खर्च करते हैं, यदि हम उसका मिलान करते हैं तो हमें शर्म आती है क्योंकि हम प्रदेश की जनता के लिये प्रति व्यक्ति एक रुपया भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं।

हमने कानपुर में मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जो स्वास्थ्य बीमा कायम किया है, वह साउथ-ईस्ट एशिया में अपने ढंग की पहली ही चीज है। लेकिन उससे हम एक लाख मजदूरों का ही भला कर पा रहे हैं। हमें इस प्रदेश के और स्थानों के भी और मजदूरों का भी भला करना है। परन्तु वह भला हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास अधिक धन हो।

मैं अधिक और आपका समय न लेते हुये आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हमारे इस अनुदान का संबंध है उसमें हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे हैं, किन्तु उतनी हम वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं जितनी आपको ख्वाहिश है। वह धन के अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ज्यों-ज्यों हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ती जायगी, हमारे प्रदेश के रहने वालों

का स्तर ऊंचा होता जायगा, त्योंत्यों इस प्रदेश की इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में हम आपके सहयोग से समर्थ हो सकेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को आपकी स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भाषण हम लोगों ने बड़े गौर से सुना और साथ ही साथ यह भी देखा कि इस डिपार्टमेंट के मुतालिक जो खराबियां हैं या जो-जो कमियां हैं उनको हमारे माननीय मंत्री जी खुद ही स्वीकार कर चुके हैं और पिछले साल भी उन्होंने यह स्वीकार किया था कि रुपया तो हमारे यहां कम है ही लेकिन और भी बड़ी-बड़ी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी है। लेकिन मैं तो यह बतलाना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस हिन्दुस्तान के जितने भी और प्रदेश हैं अगर उनसे भी मुकाबला इस प्रदेश का किया जाय तो इस प्रदेश की हालत बहुत खराब है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश की क्या हालत है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी खुद ही इस सदन में स्वीकार किया है।

जहां तक खर्चे का सवाल है, अगर हम खर्चे की तरफ देखें कि जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग पर क्या खर्च हो रहा है उससे तो मालूम हो जायगा कि इस मद पर हमारे यहां बहुत कम खर्च हो रहा है। मैं दूसरे स्थानों के आकड़े को सुना कर उन आंकड़ों के भेद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन फिर भी यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक चिकित्सा का संबंध है सन् १९५० में हमारे बजट का करीब-करीब ३.८४ प्रतिशत एक्सपेंडिचर (खर्च) था, सन् १९५१ में ३.४८ और सन् ५२ में ३.६२ था और इस साल इसमें थोड़ी सी ही कमीबेशी हुई है। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां तक चिकित्सा का संबंध है हम उस पर पूरा ४ परसेंट भी खर्च नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से जन-स्वास्थ्य पर सन् ४८ में १.९१ प्रतिशत, सन् ४९ में १.७५ प्रतिशत यानी जहां तक जन-स्वास्थ्य का सवाल है अगर उसके एक्सपेंडीचर को भी आप देखें तो जो रुपया उसमें पहले खर्च होता था उसमें भी अब कमी ही करते जा रहे हैं। आप यह जानते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जन स्वास्थ्य के लिये, चिकित्सा विभाग के लिये कई कमेटियां कायम की थीं। खास तौर से भोर कमेटी का बड़ा महत्व रहा है जिसने बहुत से सुझाव दिये लेकिन हमारी सरकार ने उन सुझावों को अच्छा नहीं माना क्योंकि वे उसे अच्छे और प्रोग्रेसिव नहीं मालूम हुये। नतीजा यह हुआ कि फिर एक खेर कमेटी कायम हुई और उसने भी बहुत से सुझाव दिये, लेकिन आज तक मैं देखता हूं कि उस कमेटी ने जो-जो रिकमेंडेशन कीथीं उस पर सरकार ने बिलकुल ध्यान तक नहीं दिया और उनके प्रोग्रेस को यदि हम देखें तो वह कछुए की चाल से भी नहीं बल्कि स्नेल की चाल से हो रहा है। स्नेल एक घोंघा होता है जो पानी में रहता है और बहुत धीरे-धीरे चलता है। तो मैं नहीं जानता कि स्नेल की चाल से, हमारी सरकार जो जन स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में तरक्की करना चाहती है वह सौ वर्ष में भी कर सकेगी या नहीं।

लेकिन जहां तक पंचवर्षीय योजना का संबंध है उसकी तरफ भी अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि इस चाल से वह पंचवर्षीय योजना भी शायद एक हजार वर्ष में पूरी हो जाय, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। कुछ खास बातें माननीय मंत्री जी ने बतलायी उनके बारे में ही मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं।

पहला तो यह है कि जहां तक अस्पतालों की आमदनी का सवाल है उसके मुतालिक माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि दो तरह के सुझाव उनके सामने बतलाये गये। एक तो यह है कि लाटरी सिस्टम जारी किया जाय और दूसरा यह कि किसी तरह से जनता से चन्दा

[श्री कमला सिंह]

बगैरा इकट्ठा करके अस्पतालों की आमदनी को बढ़ाया जाय। मैं यह समझता हूं कि यह दोनों सबसे निकम्मी चीजें होंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि लाटरी का विदेशों में भले ही प्रचार हो, लेकिन हमारे हिन्दुस्तान जैसे देश में लाटरी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि लाटरी से आमदनी हो। इसके मुताल्लिक मैं यह दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह है कि जहां तक जन स्वास्थ्य और चिकित्सा का संबंध है, यह तो दोनों मेडिकल अफसर और जनता से संबंध रखता है। जहां तक मेडिकल अफसरों का सवाल है मैं यह चाहता हूं कि जितने अस्पताल हैं वहां पर एक खास स्पेशलिस्ट डाक्टर उस विषय का रखा जाय वहां पर जितने लोग जायं उनमें से जो पैसा दे सकते हों उनकी चिकित्सा एक खास तरीके पर की जाय। उन डाक्टरों की फीस तय कर दी जाय वह बस के किराये की तरह चीपेस्ट होनी चाहिये ताकि लोग फीस दे सकें इस तरीके पर हमारे अस्पतालों की आमदनी बढ़ सकती है। इससे इतना ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि हमारे जो डाक्टर हों उनका भी इसी बात पर प्रमोशन रखा जाय कि जिसकी पापुलरिटी ज्यादा होगी जनता यह समझेगी कि हमारा डाक्टर है और डाक्टर भी यह समझेगा कि हमको पापुलरिटी पैदा करना है। साथ ही सरकार यह भी देखे कि किस अस्पताल की ज्यादा आमदनी बढ़ी है। इसी के आधार पर उनको प्रमोशन दिया जाय।

दूसरी चीज मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा तादाद रोगियों की होनी चाहिये बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि रोगी चाहे जितने भी हों अच्छे होने वाले की तादाद साल अधिक होनी चाहिये। इससे यह होगा कि चाहे एक साल का डाक्टर हो और चाहे १० का डाक्टर हो उसमें कोई फर्क न होगा, इसमें गणना होनी चाहिये और तब उनको प्रमोशन उनके काम पर देना चाहिये। इसके साथ जैसा भोर कमेटी या खेर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'मेडिकल अफसर जो हैं चाहे वह मेडिकल कालेज में काम करते हों या अस्पताल में काम करते हों उन सब की प्राइवेट प्रैक्टिस रोक दी जाय। मैं इस चीज की ताईद करता हूं। साथ ही हमको यह भी देखना है कि उनकी जो आमदनी है वह इस तरह की होनी चाहिये कि वह अपना खर्चा मीट कर सकें और अपनी और अपने अस्पताल की एफिशियेंसी कायम रख सकें। आप जानते हैं कि जितने जिले हैं जहां अस्पताल हैं वहां पर पब्लिक में प्राइवेट प्रैक्टिशनर बहुत हैं। जिस तरह से वह डाक्टर आपस में कम्पीटीशन करते हैं उसी तरह से इनको भी करना चाहिये। तब अस्पताल की आमदनी बढ़ सकती है, रोगियों की बीमारी अच्छी हो सकती, जन स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है, वह जो आमदनी हो उसमें से कुछ प्रतिशत जैसा भी सरकार चाहे उन डाक्टरों को दे। इस तरीके पर जो अस्पताल के कास्ट (cost) पर प्राइवेट इन्कम होती है वह कम होगी और अस्पताल की कास्ट पर जो नाजायज फायदा उठाते थे वह नहीं हो सकेगा और बड़े-बड़े लोग जो यह उम्मीद करते हैं कि उन पर विशेष ध्यान दिया जाय तो वह भी उनकी आमदनी का ख़याल कर सकेंगे। इससे जनता का भला होगा, डाक्टर और अस्पतालों की एफिशिएन्सी और वर्किंग अच्छी होगी और यह तरीका भी अच्छा समझा जायगा।

जहां तक लाटरी का सवाल है मैं यह चाहता हूं कि पब्लिक लाटरी का कार्य आप इसलिये करना चाहते हैं कि कुछ पैसा मिल जाय। मैं तो यह समझता हूं कि जन स्वास्थ्य विभाग और जनता के स्वास्थ्य से यह संबंध रखता है। जितना भी रुपया खर्च किया जाता है इस मद में वह उनके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिये खर्च किया जाता है। मैं यह ख्याल करता हूं कि अगर इसके लिये दंगल करें तो उससे रुपया आ सकता है और टैक्स या टिकट लगाने से जो रुपया आवे उसको आप इस काम के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत सुन्दर होगा। क्योंकि मैं यह देखता हूं कि पूर्वी जिलों में दंगल के नाम पर ज्यादा आदमी वहां पर आ जाते हैं। जन स्वास्थ्य विभाग का यह काम है कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को स्वस्थ बनाये। इस कारण जहां तक स्वास्थ्य का ताल्लुक है उसके लिये दंगल किया जाय और दंगल आजकल बहुत चल रहा है और इससे ज्यादा आदमियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि वह खुद भी यह समझेंगे कि यह उनका ही काम है।

जनता का स्वास्थ बनेगा उसकी तरक्की होगी और इससे अस्पताल की आमदनी भी बढ़ सकती है और लोगों को फायदा भी इस तरीके पर मिल सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने डी० डी० टी० ड्राइव के बारे में बतलाया कि जहां तक पहाड़ी जिलों का सवाल है वहां पर इससे बहुत फायदा है। वहां पर इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं मानता हूं कि इसकी इम्पार्टेंस बहुत है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं और इसके डिसप्यूट में भी मैं नहीं पड़ना चाहता कि उस से कोई लाभ नहीं है लेकिन जहां तक अभावग्रस्त क्षेत्रों का सवाल है मैं आप को बतला सकता हूं और मुझे गाजीपुर जिले का तजुरबा भी है कि वहां पर इस विभाग से कोई लाभ नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता कि वहां दवा गई या नहीं। क्या बात है? लेकिन गाजीपुर शहर में अगर आप वहां कभी गये हों तो रहने का मौका मिला होगा तो आप को तजुरबा हुआ होगा कि वहां इस कदर की मासकिटोज की ज्यादती है कि रात को सोना कठिन हो जाता है। मैं समझता हूं कि जितनी दिलचस्पी से माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं और जितना इन्टरेस्ट ले रहे हैं उतना वहां के मेडिकल या स्वास्थ्य विभाग के अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वह भी इतनी ही तवज्जह करें तो प्रदेश की बहुत भलाई होती और लोगों की अधिक सेवा हो सकती है।

एक चीज और है वह यह कि जहां तक जिलों का सवाल है वहां पर प्रत्येक अस्पताल में सिविल सर्जन रखे जाते हैं और पहले वह जेल के सुपरिंटेंडेंट भी होते थे और उस वक्त उन के पास काम बहुत ज्यादा होता था और वह स्वास्थ्य के काम को नहीं देख सकते थे लेकिन अब जेल सुपरिन्टेंडेंट अलग हो गये हैं और सिविल सर्जन से यह काम ले लिया गया है। ऐसी हालत में मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ जो होते हैं उनके पद को एबालिश कर के सिविल सर्जन के अन्डर में किया जाय तो काफी भलाई हो सकती है, काफी पैसे की बचत हो सकती है जितने भी अस्पताल हैं उनके इन्सपैक्शन का काम खास कर जो एलोपैथिक अस्पताल हैं उन सबका सिविल सर्जन को दिया गया है। ऐसी हालत में केवल आयुर्वेदिक हासपिटल्स के लिये मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ का जिलों में रखना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है बल्कि जो ग्रेड उनको दिया जाता है उससे कम ग्रेड के आदमी उस काम को कर सकते हैं और यह जो रुपया फजूल खर्च हो रहा है उसकी बचत हो सकती है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चारों तरफ एडल्ट्रेशन (मिलावट) की वजह से हमारी सरकार और जनता सभी परेशान हैं। हम देखते हैं कि आप करते क्या हैं। वह सेनिटरी इन्सपैक्टर और वैक्सीनेटर वगैरा कहीं किसी दूध वाले को या तेल वाले को या खोंचे वालों को पकड़ लेते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि दिनों दिन एडल्ट्रेशन बढ़ता जाता है और फाइन वगैरा की जो उनसे आमदनी है वह दिनों दिन बढ़ती जाती है। मैं चाहता हूं कि इस तरह से आप इस चीज को और निकम्मा बनाने की कोशिश न करें बल्कि इस तरह के ड्राइव आप अपने यहां चलावें कि जिस तरह से रेलवे में चलता है। एक जमाना था कि लोग बिला टिकट चला करते थे और बड़ी परेशानी थी सब लोग वहां पैसा बनाने की फिक्र में रहते थे, लेकिन जब से वहां ड्राइव शुरू किया गया और इसके लिये अलग से मैजिस्ट्रेट वगैरा चलने लगे तब से यहां वह चीज एक दम गायब सी हो गई। इसी तरह से अगर आप के यहां भी ड्राइव चले तो यह चीज दूर हो सकती है। इसी तरह से अगर हमारे सेनिटरी इंसपेक्टर्स और वेक्सीनेटर्स एक ड्राइव कायम करें तो उससे लोग तंग आ जायेंगे और किसी की हिम्मत फिर एडल्ट्रेशन करने की न होगी और इससे देश का कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे अस्पतालों में जो औषधि की कमी है उसको दूर करने की कोई तरकीब निकालें। अव्वल तो अस्पतालों की संख्या

[श्री कमला सिंह]

ही बहुत कम है और वहां भी बहुत से गरीब लोगों की दवा न पा सकने के कारण मौत हो जाती है। जहां तक बच्चों की मौत का सवाल है हमें जो चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य विभाग के कार्य-विवरण के परचे मिले हैं अगर उसमें १७ पेज पर नकशा देखा जाय तो मालूम होगा कि सन् ४९ से ५१ तक बच्चों की मृत्यु संख्या बहुत बढ़ गई है और जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा कि क्षय रोग का प्रबन्ध किया जा रहा है लेकिन मैं तो माननीय मंत्री जी से रनिङ्ग हास्पिटल्स की बात सुनना चाहता था, यहां यू० पी० में रनिंग हासपिटल्स की जरूरत है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करें और जब कभी कहीं एपिडेमिक्स वगैरा फैलें तो वह वहां जा कर सुइयां देने का इन्तजाम करें और जिन दिनों में कोई महामारी न रहे तो वह दवा बांटने का काम घूम कर किया करें। इससे उन गरीब किसानों को लाभ होगा कि जिन की दवा न मिलने से मृत्यु हो जाती है और इन अस्पतालों के द्वारा उनकी रक्षा आप कर सकते हैं। और जो आज शिकायत है कि एपिडेमिक्स जब बन्द होने को चलता है तब स्वास्थ्य विभाग वाले जागते हैं और अपना कार्य शुरू करते हैं यह भी दूर हो सकती है।

अभी एक चीज मुझे और कहनी है माननीय मंत्री जी ने जितनी बातें एलोपैथिक तरीके के अस्पतालों के मुताल्लिक कही उतनी आयुर्वेदिक अस्पतालों का जिक्र नहीं किया लेकिन यह बराबर देखा जा रहा है जहां तक आयुर्वेदिक और युनानी का ताल्लुक है वहां उनकी अवहेलना विमाता की तरह की जा रही है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मंत्री जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सचमुच मंत्री जी ने अपने विभाग को जिस खूबसूरती के साथ उन्नति के रास्ते पर खड़ा कर दिया है उसकी सराहना किये बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। चिकित्सा के संबंध में उन्होंने लखनऊ मेडिकल कालेज और आगरा कालेज को जिस पैमाने पर ले जाने का प्रयास किया है वह सराहनीय है। देशीय चिकित्सा के संबंध में जिस तरह का कालेज वह लखनऊ में बनाना चाहते हैं वह भी सराहनीय है। लेकिन यह सब कुछ होते हुये भी मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता था कि जब इस साल का बजट बना तो वह उसमें कानपुर के देहात और शहर को बिलकुल भूल गये। एक आशा की जाती थी कि जिस कानपुर में अन्य सुविधायें हैं सन् ४९ से जब कि यह चर्चा थी कि वहां पर चार बड़े अस्पताल हैं, इसलिये वहां आसानी से मेडिकल कालेज चल सकता है। (एक आवाज—वहां तो धनी भी रहते हैं) वहां पर सात लाख साधारण आदमी भी रहते हैं। जरूर बड़े आदमी भी रहते हैं। यह ठीक है। आसानी से वहां पर छोटा-सा मेडिकल कालेज खोला जा सकता था ये चार बड़े अस्पताल शिक्षा के भी काम आते। लेकिन कानपुर के सात लाख लोगों की चिकित्सा के लिये अवैतनिक चिकित्सकों के संबंध में कुल १४ हजार रुपया रक्खा गया है सात लाख आबादी के साधारण चिकित्सा के लिये और जहां पर एक बड़ी तादाद टी० बी० के मरीजों की होती है वहां पर १४ हजार रुपया रखा जाय और केवल २० ही बेड हों तो आप समझ सकते हैं कि कैसे काम चलेगा। यह जरूर है कि आपने बताया कि आपने मजदूरों के लिये अलग इंतजाम किया है और टी० बी० क्लीनिक भी है। मुझे बड़ी खुशी हुई रिपोर्ट में पढ़ कर कि सेंट्रल टी० ी० क्लीनिक को हमारे मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय पहले उसे अधिक से अधिक सहायता और सहयोग लेकर उसे कारआमद बनाने की कोशिश करेंगे जिस वक्त उन्होंने उसका उद्घाटन किया था तो आश्वासन दिया था कि यदि क्लीनिक से संबंधित टी० बी० अस्पताल बनाने के लिये योजना आयी तो दस लाख रुपया देंगे। हम उम्मीद करते थे कि वह रुपया इस बजट में रखा जायगा और कानपुर की जनता और उन कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा टी० बी० अस्पताल बनाने के लिये रुपया संग्रह करने में। उसको बजट में न देख कर मुझे बड़ा दुख

हो रहा है। लेकिन मैं तो मंत्रिमंडल की तारीफ करूंगा, जो उन्होंने कुछ ठोस काम किये हैं। सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन आपत्तिजनक विज्ञापनों को कानून द्वारा छपने से रोका है जिसके द्वारा लोगों का और विशेषकर नवयुवकों का स्वास्थ्य भ्रष्ट हुआ करता था।

दूसरी चीज अडल्ट्रेशन की रोकथाम के लिये उन्होंने कानून बनाया है। यह दोनों कार्य ऐसे हैं जिसके लिये वह सराहना के पात्र हैं। मैं उनका उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह कुछ इस तरह का प्रबन्ध करते कि आजकल दवाओं में जो मिलावट हो रही हैं आप देखिये कि बाज-बाज दवाओं की शीशियां उन दवाओं के चौथाई दाम पर, केवल खाली शीशियां बिक रही हैं। कुछ गुन्डे टाइप के लोग नकली चीज भर कर दवाओं में दे रहे हैं। जो अक्सर मरीजों के लिये घातक साबित होती है। इस संबंध में कानून बनाने का भी अगर आप इन्तजाम करते तो वह बड़ी सराहनीय बात होती। मैं उनसे यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर में बड़े-बड़े अस्पताल हैं और उन अस्पतालों की दशा संतोषजनक है। यह तो शिकायत नहीं है कि संतोषजनक नहीं है। लेकिन सचमुच उन में रोगियों के व्यवहार की चीजों की बड़ी कमी है और दूसरी कमी यह कि दवाइयों की कमी है, मरीजों को जो खाने को दिया जाता है उसकी कमी है, कपड़े की कमी है, नर्सों के पास ऐपरन तक पूरे नहीं है, चादर बिछाने के लिये भी पूरी नहीं है। इन चीजों की कमी अगर आप पूरी कर सकें तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा जरूरी काम पूरा होगा।

आप इस प्रदेश में २०० जच्चा बच्चा अस्पताल खोलने जा रहे हैं और आपने बताया कि इस साल ६६ खोलेंगे। मेरी विनम्र शब्दों में प्रार्थना है कि जच्चा बच्चा अस्पताल देहातों में खोलें। शहरों में तो दाइयां है, नर्से है, डाक्टर मिल जाते हैं लेकिन देहातों की बहुत दिनों से उपेक्षा की गयी है। कानपुर के देहात तो बजट में इस बुरी तरह से उपेक्षित किये गये हैं कि न तो एक इंच सड़क का, न स्कूल का, न एक इंच नहर का इन्तजाम है, न अस्पताल का इन्तजाम है, किसी चीज का जिक्र वहां के लिये नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है कि बजाय शहर के कानपूर के देहात में जच्चा बच्चा के अस्पताल खोले जायं। अन्त में मैं बधाई देते हुये आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान देंगे।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (जिला कानपुर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय ! मैं आपके द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री जी का जो आज बजट पेश हुआ है उसके लिये बधाई देता हूं और उसकी प्रशंसा करता हूं और मैं समझता हूं कि वह जिस क़दर कर रहे हैं वह ठीक हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता, जितना उन्होंने किया है वह सब ठीक ही है; आई डिजीजेज और ऐंटी मलेरिया और जो जो हो रहा है वह सब उचित है लेकिन जितना व्यय इस स्वास्थ्य के लिये हो रहा है वह बहुत कम हैं। हमारी सारी प्लानिंग जो कुछ है वह मैन पावर पर है, जनसंख्या पर है। अगर हम उनके स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते, अगर हम उनको बीमारियों से नहीं बचा सकेंगे तो हमारे सब प्लानिंग कामयाब होने मुश्किल हो जायेंगे। हमारी योजना धन के ऊपर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग स्वस्थ रहें और अपना काम खुद कर सकें, प्लानिंग कर सकें, अपना कार्य कर सकें, अपने को तन्दुरुस्त रखें, तभी हमारी कामयाबी होगी।

आप देखेंगे कि सन् १९४५ में जो हमारा कुल बजट था उस का ५ परसेंट हमारा हेल्थ का बजट था। लेकिन अब सन् ५३-५४ में ५ परसेंट से जो हमारा टोटल बजट है उस से कम आता है। हम यह मानते हैं कि पर कैपिटा पहले ४ आना क़रीब पड़ता था लेकिन अब १० आने के क़रीब पड़ता है, लेकिन जितनी खर्चे की मदों में वृद्धि हुई उसके हिसाब से इसमें बहुत कमी है। भोर कमेटी की रिपोर्ट सदन ने देखी होगी उसके अनुसार टोटल बजट का १५ परसेंट हेल्थ पर खर्च होना चाहिये। तो ५ और १५ में तो बड़ा अन्तर है। हमारे प्रान्त का आधा हिस्सा जिसको ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कहते हैं उसमें काफी बीमारियां हैं और रुपये की सख्त जरूरत है।

[डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी]

तो किसी न किसी तरह से बजट में वृद्धि करने की खास जरूरत है। इस बजट में असाधारण व्यय भी सम्मिलित है। १२ लाख तो कुम्भ मेले के लिये और १४ लाख मलेरिया का है। अगर यह रुपया इसमें से निकाल दिया जाय तो और भी कम हो जायगा। आपने जो आमदनी के जरिये बतलाये हैं उसको नैतिक सिद्धांत के लोग ही बतला सकते हैं कि वह साधन ठीक है या नहीं कूल मस्तिष्क से सोच कर के इस काम के लिये जो एक अच्छा काम है अगर रुपया देते हैं तो दे दें। लेकिन मैं जाहिरा इसमें कोई नुक्स नहीं देखता और हेल्थ वीक मनाना तो जरूरी सा है और इसे तो मनाना ही चाहिये और हर जगह वास्तव में सारे डिपार्टमेंट को उसमें शामिल हो कर कोशिश करनी चाहिये। हेल्थ वीक से कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही और कुछ न कुछ तो मिलेगा। सेंट्रल मिनिस्ट्री की सील्स जैसे टी० बी० सील्स शुरू हुई हैं तो यह एक दूसरे से टक्कर खायेंगी तो या तो दोनों को मिला कर एक कर दिया जाय या यह हो जाय कि टाइम अलग-अलग हो जाय कि एक महीने के लिये हेल्थ की और फिर टी० बी० सील्स चलें। दूसरी चीज यह कि आनरेरी अस्पताल जैसे कि एक कानपुर में चल रहा है यह एक बहुत अच्छी चीज है और इससे अपने खर्च में फ़र्क़ पड़ सकता है और यह बहुत ज्यादा मुफ़ीद हो सकता है। लेकिन यह एक एक्सपरिमेंटल चल रहा है। एक्सपरिमेंटल चीज जरा लोग कम पसन्द करते हैं और मैं समझता हूं कि काफी लोग ऐसे हैं कि यह समझते हैं कि यह मुनासिब नहीं है लेकिन मेरा ख्याल ऐसा नहीं है और मैं समझता हूं कि साल भर के तजुर्बे के बाद आप यह समझेंगे कि यह तजुर्बा ठीक साबित होगा। लेकिन यह चीज सिर्फ थोड़े ही जिलों में चल सकती है। इसलिये यह आनरेरी सिस्टम अपने यहां अभी बहुत कम है। और-और जिलों में आनरेरी डाक्टर्स नहीं हैं। कुल डाक्टर्स अपने प्रान्त में ५७ हैं तो सारे प्रदेश भर में ५७ डाक्टर्स तो काफी नहीं हैं दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता था और पहले भी कहा था कि यह प्राइवेट प्रैक्टिस कम करनी चाहिये लेकिन इस बजट में इसका कोई इशारा नहीं देखता कम से कम बड़े-बड़े लोगों की और प्रोफ़ेसरों की तो कम होनी ही चाहिये लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी और उनके नुक्सान को पूरा करना होगा। दूसरे यह कि जो एज लिमिट है जितने कि बड़े-बड़े टेकनीशियंस हैं उनकी रिटायरिंग एज लिमिट कम है। इनकी एज लिमिट कम से कम ६० साल होनी चाहिये और इसके बाद कम से कम पांच साल सुपरन्युएशन टाइम होना चाहिये। रिसर्च के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रिसर्च जो कि आज स्टूडेंट्स के मार्फत होता है वह ठीक नहीं है। रिसर्च कैडर एक अलग होना चाहिये और बड़े-बड़े लोग रिसर्च करें। टी० बी० में मैं एक चीज यह कहने वाला था और इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिये भी एक सुझाव मैंने दिया है कि फैजाबाद में बहुत ज़मीन पड़ी हुई है और जगहों पर भी मिलिटरी के कैम्प्स खाली हो गये हैं। फैजाबाद में तमाम मकानात बने हुये हैं। वहां अगर आप टी० बी० का सैनेटोरियम या रीहैबिलिटेशन सेंटर खोल दें और ऐसी जगहों से जहां कि मर्ज बहुत बढ़ जाता है और मरीज को घर में रखना मुश्किल होता है और यहां तक कि रिश्तेदार भी और-और दूसरे भी उनको नहीं रख सकते तो उनको वहां कानपुर में रख सकते हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। इस अनुदान के अधीन जो मांगें उन्होंने रखीं हैं और विशेष रूप से उन्होंने देशी चिकित्सा पद्धति के सिलसिले में जो कार्य विवरण इसमें दिया है और इस धनराशि में से आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये जो व्यय करना चाहते हैं मैं इसके लिये उनकी सराहना करता हूं विशेषरूप से इसके लिये कि उन्होंने इस प्रदेश के अन्दर जो एक आयुर्वेदिक कालेज की आवश्यकता थी उसको इस वर्ष स्थापना करके जो पूरा किया है वह एक अद्भुत कार्य है। हमारे इस प्रदेश में इस कालेज की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, किन्तु साथ ही जो अनुदान के ब्योरे को देखने से ज्ञात होता है, अभी हमें देशी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये बहुत कुछ कार्य करना है। हमारे इस प्रदेश के अन्दर जो इस अनुदान में २ करोड़ ४५ लाख ९२ हजार रुपये की मांग की गयी है, उसमें से देशी चिकित्सा पद्धति के लिये सिर्फ २३ लाख रुपया व्यय किया गया है। २३ लाख रुपया व्यय करके हम अपने यहां ५२२ यूनानी और आयुर्वेदिक

चिकित्सालयों और औषधालयों को चलाते हैं। बाकी जितनी भी धनराशि है वह एलोपैथिक चिकित्सा में व्यय कीजाती है और उससे ३१९ औषधालय चल रहे हैं। हमारा प्रदेश देशी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये सब से अग्रणी रहा है। उसने अब से बहुत पहले इस देशी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये कार्य किया है। आज हमारे प्रदेश की नकल कर के और प्रदेश अपने यहां भारतीय चिकित्सा बोर्ड बना रहे हैं और भारतीय चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये प्रयत्नशील हैं। इसलिये जिस प्रकार हमने हमेशा इस देशी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये अग्रणी रह कर कार्य किया है, इस समय भी हमें यह चाहिये कि हम उसके उत्थान के लिये अग्रणी रहें और जो दूसरे प्रदेश आज हमारी नक़ल करने जा रहे हैं वे किसी भी प्रकार से हमारे अन्दर कोई त्रुटि न पावें। आज हमारे यहां जो आयुर्वेदिक कालेज चल रहे हैं उनमें सब प्रकार से आयुर्वेदिक और उसके साथ-साथ आधुनिक विज्ञान की शिक्षा का भी प्रबंध किया गया है। किन्तु साथ ही उनके जो स्नातक हैं उनको, जैसा कि और मेडिकल कालेज के डाक्टरों का स्थान है, वैसा स्थान प्राप्त नहीं है। उनको वैसा स्थान प्राप्त होना तो दूर की बात रही किन्तु उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे कि इस प्रदेश के आयुर्वेद जगत में एक प्रकार से बहुत हो असंतोष है। पिछली बार हमारे यहां एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण वैद्यों और हकीमों में एक बड़े असंतोष की भावना फैल गयी। उत्तर प्रदेशीय सरकार का एक औषधालय था, उसके एक वैद्य बन्धु ने एक गर्भणी स्त्री को, जो मरणासन्न अवस्था में थी, उसका आपरेशन करके किसी तरीक़े से मरने से बचा लिया। उसके बाद उस चिकित्सालय से शल्य यन्त्र हटा लिये गये और साथ ही जितने भी आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेन्सरीज़ थीं वहां से भी शल्य यन्त्रों को हटा लिया गया। जब कि उसने उस रोगिणी को मृत्यु से बचाया, ऐसी स्थिति में उसको कोई पुरस्कार दिया जाता, किन्तु पुरस्कार न देकर उसके साथ ही साथ और भी जो चिकित्सालय हैं उनसे शल्य यंत्रों को हटा लेने के कारण आयुर्वेदिक जगत में और तमाम प्रदेश की जनता में काफी असंतोष है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मेरे कई कटमोशन्स इस विषय में हैं। अतः मुझे ७ मिनट का समय न दे कर जो १० मिनट का समय उन्होंने नियत किया है वह देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--१० मिनट का समय नियत नहीं किया गया है, सात ही मिनट रखे गये हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य--बहुत सी बातें कहने का मेरे पास समय नहीं है, फिर भी मैं यहस कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में दो विशेष बातें हैं। एक तो मुझे इन शल्य यन्त्रों को वापिस लेने के संबंध में कहना था और दूसरे सलफा ड्रग के सिलसिले में कहना है। आज एक एलो-पैथिक कम्पाउन्डर सलफा ड्रेग का इस्तेमाल कर सकता है किन्तु एक वह व्यक्ति जो कि बी० आई०एम०एस० पास करके, पांच साल का पाठ्यक्रम पूरा कर के, चिकित्सा का अभ्यास करता है उसको लसफा ड्रग के प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। इन बातों की तरफ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इन चीजों को देखें। अपने यहां जो जिला अस्पताल हैं उनके लिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे देशी चिकित्सा पद्धति को उनमें स्थान दें। हमारे प्रदेश के अन्दर जो देशी चिकित्सा पद्धति है वह एक अपना विशेष स्थान रखती है और मेरा विश्वास है कि इन जिला अस्पतालों के साथ अगर देशी चिकित्सा पद्धति के लिये कुछ व्यक्ति नियुक्त किये गये, तो उसमें हमें अधिक सफलता मिलेगी और पैसा भी कम खर्च होगा। आज हमारे प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिपर एक रोगी पर जो व्यय आता है वह सिर्फ़ दो पैसा है और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर जो व्यय किया जाता है वह ६ पैसा प्रति रोगी पर है। साथ ही उन स्थानों में जो कि ज़िलों के अन्दर के स्थान हैं जहां एलोपैथिक डाक्टर नहीं रह सकते, दो-दो नदियां पार कर के जहां लोगों को जाना पड़ता है वहां देशी चिकित्सा पद्धति के लिये स्थान है, वहां वैद्य और हकीम ही रह कर के काम कर सकते हैं।

श्रीमती सईद जहां मखफ़ी शेरवानी (जिला एटा)---अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा टाइम लास्ट में रखा गया है, मैं इसकी बड़ी शुक्रगुजार हूं। मेरा टाइम खत्म होते ही हाउस एडजोर्न हो जायगा। इसलिये मेहरबानी करके, मैं आप से प्रार्थना करती हूं कि मुझे लाल झंडी न दिखाइयेगा नहीं तो मेरा सिलसिला टूट जाने का अन्देशा है। जैसा मैंने और सदस्यों को देखा है कि जिस वक्त यह चीज शुरू होती है, उनकी मेल ट्रेन इतनी तेजी से दौड़ती है कि पता नहीं चलता कि रास्ते में क्या चीज रही और क्या चीज छूटी।

श्री अध्यक्ष---तेज बोलने का प्रिविलेज तो आप को भी है।

श्रीमती सईद जहां मखफ़ी शेरवानी---मैंने अभी मंत्री जी से सुना कि दो सौ मैटरनिटी सेन्टर्स खोलने के लिये उन्होंने अपने बजट में तजवीज रखी है, इसका मतलब यह है कि हमारे प्राविन्स में जो १२ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में दो सेन्टर्स लाजिमी होंगे। इसलिये दो सेन्टर्स में मेरा भी हक़ है और यह मेरी डिमान्ड है हमारे यहां इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक ही सिविल हास्पिटल है उसमें भी मुश्किल से दो और तीन बेड मिल सकते हैं। और वह बहुत ही अनइक्वीप्ड है। कासगंज में अलबत्ता हमारा मिशन हास्पिटल बहुत काफी मशहूर है क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो बीमार होते हैं वह वहां जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम अमेरिकन गवर्नमेंट की खैरात पर अपना काम चलाते हैं, हमारे यहां कुछ भी नहीं है। हमारे कासगंज में एक फीमेल हास्पिटल है जिसमें कोई चीज नहीं मिलेगी, मरीज भी नहीं मिलेंगे और न वहां पर कोई ऐसा इन्तजाम मिलेगा कि एक मामूली से मरीज के लिये एक बेड मिल जाय और उसका इन्तजाम हो जाय। इसलिये बात यह है कि जो दो मैटरनिटी सेन्टर्स खोले जा रहे हैं उसमें से एक तो आप को तैयार मिलता है। उसको म्यूनिसिपैलिटी से लेकर गवर्नमेंट अपने इन्तजाम से उसको मैटरनिटी सेन्टर क़ायम कर दें। दूसरा डिस्ट्रिक्ट इटा में जहां पर कि कोई भी हास्पिटल नहीं है। मेरा खयाल यह है कि ५० परसेन्ट से ज्यादा आबादी हर जगह ऐसी औरतों की मिलेगी उनके लिये लाजिमी है कि मैटरनिटी सेन्टर्स को ज्यादा अहमियत दी जाय। अच्छी और खुशहाल स्टेट के लिये और उसकी तरक्की और तंजुली का दारमदार अच्छी नस्लों पर होता है। अच्छी नस्लों का इंहिसार अच्छी सेहत पर है और अच्छी सेहत का इंहिसार, गुड हेल्थ जैसी मदर होंगी वे अच्छी नस्लें पैदा कर सकेंगी और उसका इंहिसार अच्छी माओं पर है। तन्दुरुस्त मायें जब तक नहीं होंगी तब तक तन्दुरुस्त बच्चे नहीं पैदा हो सकते। तन्दुरुस्त मायें उसी तरीक़ों से बच्चों की परवरिश कर सकेंगी। और अच्छी तन्दुरुस्ती वाले बच्चे जब बढ़ते हैं तब उनके दिमाग़ों में अपने मुल्क और अपनी हिफ़ाजत और अपनी तालीम के लिये काफी ऐसे जराशीम मिलेंगे जो उनको बेकारी और सुस्ती से बचायेंगे। लेकिन जब हेल्थ का इंतजाम पूरा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिये मैं यह दरख्वास्त करूंगी की दो सेन्टर खोले जायं।

इसके अलावा हमारे मेडिकल कालेज में गर्ल्स स्टूडेंट्स भी ली जायं। ५० परसेन्ट की आबादी के लिहाज से उनको दाखिले मिलें, इससे पहले उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। नर्स, मिडवाइव्स और लेडी डाक्टर्स के लिये अगर ५० परसेंट औसत नहीं रखा जाय तो बेजा न होगा। यह मुल्क की तरक्की के लिये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें मर्द और औरत का खयाल नहीं करना चाहिये बल्कि यह देखना है कि लेडी डाक्टर के न होने से जो कमी और नुक़सानात हमारी नस्ल को पहुंच रहे हैं उनको रोकना है इसलिये इसकी इम्पार्टेंस ज्यादा है। लेकिन जहां तक नर्सेज और ट्रेन्ड नर्सेज और मिडवाइव्ज और गर्ल स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है ट्रेन्ड मैं चाहती हूं कि बग़ैर किसी खयाल के इन लोगों को लिया जाय और उनका ग्रेड बढ़ाया जाय। हेल्थ आफिसर कोई औरत नहीं है और न सिविल सर्जन कोई औरत है। लेक्चरर कोई औरत नहीं है हालां कि मैं समझती हूं कि मर्दों से ज्यादा क्वालिफाइड और एसोशियेट लेडीज हमारे यहां मौजूद हैं तो क्या वजह है कि उनको पीछे रखा जाय। अगर इस तरह से उनको एनकरेजमेंट मिलेगा तो कोई वजह नहीं है कि यह सब से बड़ी कमी

दूर न हो। इसमें सब से ज्यादा तवज्जह रखने की जरूरत है। मैटरनिटी सेन्टर्स के लिये जो इस वक्त बहुत कम हैं दो सौ की तादाद काफी नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट पर चार पड़ते हैं। हालांकि लाखों की आबादी पर इन सेन्टर्स का कोई असर नहीं पड़ सकता। बहरहाल बिल-फेल जो स्कीम है उस को चला कर देखियेगा और अगर उसमें कामयाबी होती है तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि इनको इन्क्रीज किया जाय। इस वक्त हमारे सामने यह प्राबलम है कि हमें इतना स्टाफ कहां से मिलेगा। बड़ी आसानी से मिल सकता है। ट्रेन्ड नर्सेज हमारे यहां हास्पिटल में और गर्ल स्टूडेंट्स भी बहुत काफ़ी हैं जो डिसकरेज की गयी हैं। अगर दो चार महीने भी उनको यह अहसास हो गया कि उनकी डिमान्ड है तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा तादाद में वे अपने को आफर करेंगी। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगी कि मेरी इस मांग को पीछे न डाला जाय कि ५० परसेंट लेडीज को इसमें मौक़ा दिया जाय। मैटरनिटी सेन्टर्स के लिये इक्विपमेंट्स होना चाहिये और हमारी मिडवाइव्ज भी ट्रेन्ड होनी चाहिये और उनका कोई स्टैन्डर्ड रखना चाहिये। उनको इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिये कि वे तजुर्बेकार नहीं हैं या पुरानी करने वाली हैं। इनका भी कोई इम्तहान होना चाहिये। और तब उनको इस काम का मौक़ा दिया जाय।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा पर जो रुपया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मांगा है वह सूबे की जो आबादी है और जो गरीबी है उसको देखते हुये यह रुपया बहुत कम है। अगर हम अपने सूबे की ठीक से दवादारू कराना चाहते हैं तो पैसा हमें और देना चाहिये था और स्वास्थ्य मंत्री जी को मांगना चाहिये था। यों ही हमारा सूबा बहुत गरीब है और बजट में जितना रुपया खर्च होना चाहिये था वह नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो रुपया मांगा है वह सूबा की हालत को देखकर कोई ज्यादा रुपया नहीं है। तिस पर भी आज जो चिकित्सा की हालत है और जिस तरह से लोगों की तबीयत चिकित्सा की ओर बढ़ी हुई है वह यह है कि लोग आजकल एलोपैथिक चिकित्सा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। गरीब से गरीब आदमी यही चाहता है कि अच्छी से अच्छी दवा हो न हो सकने पर तो उखेती सुखेती करवाता ही है मगर खराब दवाई करवाना नहीं चाहता है जिसको जरा सा भी ज्ञान है वह एलो पैथी की शल्य चिकित्सा की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता हमारे यहां एलोपैथी की दवा बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि बाहर से यह आती है। केवल ५ मिनट का समय है इसलिये मैं दो तीन सुझाव देकर बैठ जाऊंगा।

पहला मेरा यह सुझाव है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक कारखाना एलोपैथी दवाओं और औजारों का अपने राज्य में खोलें और उसके लिये चाहे रुपया ज्यादा लग जाता तो अच्छा होता। यह रुपया दूसरी मदों से काटकर देना चाहिये क्योंकि स्वास्थ्य मुल्क के कमाने वाले लोगों के लिये बड़ी अहमियत रखता है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक वगैरा के जो अलग-अलग विभाग हैं उनके अलग-अलग कर्मचारी हैं इसलिये इन पर व्यर्थ में रुपया खर्च होता है। अगर यह सब एक विभाग में होती तो पैसा की किफायत होती। कई कर्मचारी इस तरह से बेकार भी रखे हुये हैं जिनसे फायदा नहीं होता वे उल्टे नुक्सान पहुंचाते हैं। जैसे कि सेनेटरी इंसपैक्टर्स हैं उनका सिवाय घूम-घूम कर बाजारों में गरीब दुकानदारों से यह कहना कि तुम तेल खराब रखते हो, तुम घी खराब रखते हो और तुम्हारे दरवाजे पर गंदगी है इस तरह से घूस लेने के और कोई काम नहीं है। सफाई और तेल तथा घी वगैरा देखने का काम गांव सभा के सेक्रेटरी के सुपुर्द कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा है इससे सरकार का जो पैसा बचेगा उसको दूसरे उपयोगी कामों में लगाया जाय।

[श्री उमाशंकर]

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि अस्पतालों का संबंध गांव सभाओं से होना चाहिये। गांव सभाओं से संबंध होने पर अस्पताल के जरिये जो परिवार नियोजन की आपकी स्कीम है पूरी हो जायगी और उसके लिये आप अलग से जो पैसे की व्यवस्था करते हैं और इस कार्य के लिये सोसायटियों को पैसा देते हैं उसकी जरूरत नहीं रहेगी। गांव सभाओं के सेक्रेटरी तथा अदालती पंचायतें इसके प्रचार का काम ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। इसके पैम्फलेट्स वगैरा भी बटवा सकती हैं मगर इस तरह से उनको समझाने की जरूरत है यह काम सरकार इस विधि को छोड़ दूसरी संस्था के द्वारा कराती है जिस में एक अच्छी खासी रकम खर्च की जाती है, जिसका लोग नाम भी नहीं जानते हैं।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं, कि जच्चा बच्चा सेवा गृह अदालती पंचायतों के क्षेत्र में खुलने चाहिये। मेरा विचार है कि अगर सरकार को सैनीटरी इ सपेक्टर रखना ही है तो सेनीटरी इंसपेक्टर्स का संबंध बजाय जन स्वास्थ्य विभाग के गांव सभा से कर दिया जाय तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा न होने से बड़ा भारी करप्शन होता है। सहायता के रूप में आपके पैंफलेट के परिच्छेद ६ में जिन दवाओं का जिक्र किया गया है यानी मल्टी विटेमिन टैबलेट्स बांटने की बात कही गयी है जहां तक मेरा इल्म है १००, ५० टिकियां कहीं बांटी गयीं हों तो बांटी गयी हों जब कि लिखा हुआ है कि ८,९ हजार बांटी गयीं जो बिलकुल झूठ है। इस तरह से लोगों को बेईमानी करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। इसी प्रकार नीदरलैन्ड की सरकार ने सब्जी का सूप दिया जो ५७ सौ पौंड था लेकिन गांवों में तो जो कुछ बटी वह ईश्वर को मालूम होगा उसका अधिकतर भाग बाजारों में बिका या कहां पहुंचा यह पता नहीं। मैं देना तो और सुझाव चाहता था लेकिन जल्दी में नहीं दे सका इस समय जो भी मैं कह रहा हूं आशा है स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे। इसके बाद मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से इसके सिलसिले में बातचीत करूंगा और अपने सुझाव उनको दूंगा इस समय तो केवल इस बात पर ही जोर देना चाहता हूं कि एलोपैथिक औजार और दवाओं के लिये यह जरूरी है कि वे हिन्दोस्तान में बनायें जायं तभी हम ठीक तरीके से दवाओं का क्रम चला सकते हैं क्योंकि बाहर से दवायें खरीदने में आपका ज्यादा पैसा खर्च होगा और आप दवा ठीक तरीके से न कर सकेंगे। आशा है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेरी इस बात को मानेंगे।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। इस अनुदान पर ७ मिनट में बोलना बहुत कठिन है। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान हमारे सामने उपस्थित किया है और उसके संबंध में जो संक्षेप में बातें और सुझाव हमारे सामने रखे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और इस अनुदान का समर्थन करता हूं। खास तौर से मैं आयुर्वेदिक के संबंध में अपने विचारों को प्रकट करूंगा।

हमारे सामने जो सरकार की रिपोर्ट है उसमें इस मद पर ४ करोड़ १४ लाख रुपये का खर्चा दिखाया गया है जिसमें से आयुर्वेदिक पर ३३ लाख सिर्फ खर्च किया गया है। जब कि आयुर्वेदिक की ५२२ डिस्पेंसरीज हैं और एलोपैथिक की ३१९। आयुर्वेदिक के सुपरवीजन में १३० हजार रुपया खर्च किया जाता है और ऐलोपैथिक की डिस्पेंसरीज पर ३८ लाख रुपया खर्च किया जाता है। आयुर्वेदिक डिस्पैंसरीज पर जो खर्च होता है वह १७,९४,३०० रुपया है और एलोपैथिक डिस्पेंसरीज पर ७२७५ हजार रुपया खर्च होता है जब कि एलोपैथिक डिसपेंसरीज की संख्या आधी है और उन पर जो खर्चा होता है वह चौगुना है यानी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज के मुकाबले में एलोपैथिक डिस्पेंसरीज पर आठ गुना खर्चा ज्यादा होता है और सुपरविजन में ३० गुना ज्यादा खर्चा होता है। इसलिये जब हम चाहते हैं कि इस विभाग का खर्चा घटाया जाय तो हमको देशी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देना चाहिये। इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में कितने रोगियों की चिकित्सा हुई और एलोपैथिक डिस्पेंसरीज में कितने रोगियों की चिकित्सा हुई।

आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज और एलोपैथिक डिस्पेंसरीज की उपयोगिता में जो अन्तर है उसके कहने का तो समय नहीं है लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में इनडोर हासपिटल्स न होने से बहुत से रोगियों का इलाज नहीं हो सकता जबकि एलोपैथिक डिस्पेंसरीज में इनडोर हास्पिटल्स होने के कारण उसकी उपयोगिता सर्वसाधारण के सामने साबित हो सकती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इनडोर हास्पिटल न होने से उसके आउटडोर हास्पिटल्स जो कुछ साधारण जनता की सेवा कर सकते हैं वह कर रहे हैं। कहीं भी सूबे भर में आयुर्वेदिक इनडोर हास्पिटल्स नहीं हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है देशी दवाखानों के जरिये ६०, ६५ लाख रोगियों को साल भर में लाभ पहुंचता है। उससे उसकी उपयोगिता समझ में आ सकती है और हमारी सरकार की नीति भी है कि वह देशी दवाखानों को बढ़ा रही है लेकिन इनडोर हास्पिटल्स की अत्यन्त आवश्यकता है। उसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिये हमें इनडोर हास्पिटल्स आयुर्वेदिक चिकित्सा में खोलने चाहिये। हमारी सरकार के सामने २०, २५ बरस से चिकित्सा संबंधी जो समस्या है और उसके लिये विशेषज्ञों की जो राय है और नाना प्रकार की समितियां केन्द्र और प्रदेश में जो बैठी हुई हैं उनकी रिपोर्ट देखने से यह निश्चित हो गया है कि मिक्स्ड सिस्टम यानी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक सिस्टम दोनों का मिलाजुला डेवलप करने से जनता की सेवा अधिक की जा सकी है। यह जो सरकारी निर्णय है और जिस निर्णय के अनुसार करीब-करीब २५ वर्ष से बनारस यूनीवर्सिटी में आयुर्वेदिक की पढ़ाई हो रही है उससे सरकार का यह जो निर्णय है वह दिन ब दिन पक्का होता जा रहा है और उस नीति पर ही हमें काम करना है और उसे कार्यान्वित करना है। उस संबंध में हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डालते हुये यह भी बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक की फैकल्टी खोली जा रही है। इसके लिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ५ बरस तक वहां जो कालेज का संचालन हुआ है उसमें पूरे तौर से सफलता नहीं हुई और डाक्टरों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ इन बातों को माननीय मंत्री जी भी जानते हैं। अगर आयुर्वेद के इस प्रकार के कालेज को चलाने का उनका मंतव्य है तो उन्हें बनारस यूनिवर्सिटी में उसे खोलना चाहिये जहां कि उसका पूरा-पूरा उपयोग हो सकता है और अगर बनारस में किसी कारण से न खोल सकते हों तो एक स्वतंत्र आयुर्वेदिक कालेज चलायें। लखनऊ युनिवर्सिटी के वातावरण से प्रायः हम सब लोग परिचित हैं और उसका अनुभव हम सबको है कि उसमें सफल नहीं हो सकते। यह मेरी धारणा है और उसके लिये मेरे पास निश्चित प्रमाण हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में क्या प्रगति हुई उसके बारे में रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। इंडियन मेडिसन बोर्ड ने क्या-क्या किया, आयुर्वेदिक एकेडेमी ने क्या-क्या किया, गवर्नमेंट की तरफ से उसकी उन्नति के लिये क्या क्या किया गया इस सब के बारे में रिपोर्ट में कोई समावेश नहीं है। जो डिस्पेंसरीज खोली गई हैं और उनमें क्या-क्या सेवायें हुई इस संबंध में सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट छापी गई है उसमें आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज को कोई स्थान नहीं मिला है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सरकार की यह जो नीति है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा की उन्नति की जाय तो उसके लिये बनारस यूनिवर्सिटी में कालेज खोलना चाहिये या स्वतंत्र रूप से कालेज खुलना चाहिये वर्ना जो रुपया इस वक्त खर्च किया जा रहा है उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो सकता। इसके अलावा आयुर्वेदिक शिक्षा और चिकित्सा की उन्नति के लिये ऐसे सभी वातावरण और स्थिति उत्पन्न होने चाहिये जिससे आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिले। आज जो सरकार की तरफ से परिस्थिति उत्पन्न की गई है वह ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे आयुर्वेद की उन्नति हो सके। उसके परिणामस्वरूप मैं बतलाता हूं कि आज जो नियुक्तियां होती हैं उनमें प्राइवेटली जो परीक्षा पास करते हैं उनको वही महत्व दिया जाता है जो ५ साल पढ़ कर डिग्री ले कर निकलते हैं और दोनों के वेतन क्रम में कोई अन्तर नहीं होता। इस तरह से ५ साल तक पढ़ने वाले और प्राइवेटली पढ़ कर पास करने वाले में कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार कोई प्रोत्साहन सरकार की तरफ से नहीं मिलता है और जो पढ़े लिखे हुये आदमी होते हैं उनको वही मान्यता दी जाती है जो प्राइवेटली पढ़ कर प्रेक्टिस करते हैं। सरकार की इसी उपेक्षा दृष्टि के कारण आयुर्वेद में जो

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

५ वर्ष में बी० आई० एम० एस० की परीक्षा पास करके निकलते हैं उनको ७५, ७५ रुपये का वेतन मिलता है जब कि बी० सी० जी० की ट्रेनिंग पास करने वालों को जो केवल हाई स्कूल पास होता है और वेक्सिनेटर बन जाता है या सेनिटरी इंस्पैक्टर हो जाता है उसको १२० रुपयें माहवार वेतन मिलता है। यह परिस्थिति सरकार की आयुर्वेद के प्रति उपेक्षा दृष्टि होने की वजह से ही उत्पन्न हो गई हैं। आज तनख्वाहों में काफी अन्तर है। अभी पिछले साल के बजट में मेडिकल आफिसर्स की तनख्वाह बढ़ाई गई है। मेडिकल आफिसर्स की तनख्वाह के विषय में हमारा विशेष अनुभव है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपने क्षेत्र के निवासियों की तरफ स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिये अवसर दिया है और मैं इस समय अनुदान संख्या २० और २१ का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। साथ ही साथ मैं स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देता हूं कि जिस योग्यता के साथ उन्होंने इस प्रदेश की जनता की सेवा की है वह सराहनीय है। बजट के आंकड़ों को देखने पर यह मालूम होता है कि ब्रिटिश हुकूमत में जितना स्वास्थ्य विभाग पर खर्च होता है उससे दुगुना इस प्रजातंत्र राज्य में बढ़ा दिया गया है और यह बड़ी खुशी की बात है। परन्तु हमारे प्रदेश की आबादी को देखते हुये इस प्रदेश में बढ़ती हुई बीमारियों और स्वास्थ्य की हालत को देखते हुये मुझे यह कहना पड़ता है कि यह रकम वास्तव में बहुत कम है। अगर इस पर ज्यादा खर्च किया जा सकता तो अच्छा होता। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ देखें।

एक बात मुझे बनारस के संबंध में कहनी है। बनारस एक धार्मिक स्थान है। वहां पर पूर्वी भाग के स्थान जैसे जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ के लोग आते हैं। लेकिन वहां स्वास्थ्य के संबंध में कोई खास इन्तजाम नहीं है। शहर के बीच में श्री लक्ष्मी मारवाड़ी अस्पताल है। उसमें आयुर्वेदिक अस्पताल भी है, एलोपैथिक अस्पताल भी है और होम्योपैथिक अस्पताल भी है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज से पहले उस अस्पताल को कोई सहायता नहीं दी। गत वर्ष इसको सरकार की ओर से जो सहायता दी गई वह सहायता बहुत कम है। वहां के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति और आबादी को देखते हुये यह सहायता बहुत कम है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

इसके बाद जो बनारस का महिला अस्पताल है उसकी बात कहना चाहता हूं। मुझे एक दो बार वहां जाने का मौका मिला और वहां के डाक्टरों से बातचीत करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वहां पर स्त्रियों का आपरेशन करने के लिये कोई सहूलियत नहीं है। एक बार एक सम्भ्रान्त महिला वहां पहुंची। उनसे वहां के लेडी डाक्टर ने साफ इन्कार कर दिया कि हम आपरेशन नहीं करेंगे और आप सिविल सर्जन के पास जाइये और आपरेशन कराइये। ऐसा स्थान जो धार्मिक है और जिस नगर में चार पांच लाख आदमी रहते हैं वहां कोई लेडी डाक्टर नहीं है कि वहां एक औरत का आपरेशन वह कर सके। इस ओर स्वास्थ्य मंत्री जी को खास तौर से ध्यान देना है कि वे ऐसा प्रबन्ध करें जिससे वहां की महिलाओं की यह डिफिकल्टीज दूर हो जायं। मैं कहना चाहता हूं कि बनारस के गंगा के घाटों पर गरीब कोढ़ियों का जमाव रहता है और जब स्नान करके कोई यात्री चलता है तो सबसे पहले उन्हीं का दर्शन होता है। शुद्ध वायुमंडल से होकर फिर खराब वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। तो स्वास्थ्य मंत्रीजी, जैसा कि मेरा ख्याल है दशाश्वमेध घाट की तरफ गये होंगे तो वे जरूर ध्यान दिये होंगे, लेकिन आज तक उस तरफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसके बाद मैं आपका ध्यान लखनऊ की तरफ दिलाना चाहता हूं। लखनऊ मेडिकल कालेज हमारे सूबे का एक विख्यात कालेज है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं लेकिन उस कालेज में जहां तक हमारे माननीय सदस्यों को और मुझे भी दो एक दफा जाने का मौका मिला है, अपनी बीमारी में, अपने परिवार की बीमारी में या मित्रों की बीमारी में इलाज कराने के लिये। लेकिन हमने वहां के डाक्टरों का व्यवहार ठीक और उचित नहीं पाया। डाक्टरों की जैसी सद्भावना और प्रेम रोगियों के साथ होना चाहिये वह नहीं पाया। मेरा ख्याल है कि अगर रोगी के साथ मीठी-मीठी बात हो तो उसका आधा रोग उसी से दूर हो जाता है। इसलिये मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वे उस तरफ भी अवश्य ध्यान दें। इसके अलावा दूसरे नम्बर पर आपके शहर का जो अस्पताल है वह बलरामपुर अस्पताल है। वहां पर दवा के लिये भी अच्छा प्रबन्ध है, डाक्टर भी अच्छे हैं और वे सहूलियत के साथ रोगियों के साथ बातचीत भी करते हैं लेकिन दवाइयों की कमी की वजह से वहां पर विशेष रूप से दवाइयां नहीं मिलतीं। इसलिये मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान खास तौर से बलरामपुर अस्पताल की तरफ दिलाना चाहता हूं आप देखें कि वहां पर किस किस्म के इम्प्रूवमेंट्स हुये हैं। वहां पर दुगुने बिस्तरों का प्रबन्ध हो गया है, लेकिन बजट को देखने से मालूम होता है कि वहां पैसे बहुत कम हैं।

श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य के जीवन में अन्न का क्या स्थान है और अन्न की कमी के कारण हमारे प्रदेश की जनता को और सरकार को पिछले चार पांच सालों से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है सदन को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिये अन्न उत्पादन के कार्य में सरकार को अधिक से अधिक रुपया लगाना स्वाभाविक था। विरोधी पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि अस्पतालों के लिये या स्वास्थ्य संबंधी दूसरे कार्यों के लिये बजट में रकम बहुत कम रखी गयी है। हमारी सरकार भी यह जानती है। हमारी सरकार ने कभी भी इस बात को नहीं कहा है कि उसने पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों को खोल दिया है, या उसने पर्याप्त मात्रा में इसके लिये बजट में रकम रखी है। मैं तो इस बात को कहता हूं कि आज जो हमारे मुल्क की हालत है उसको देखते हुये हमारी सरकार के लिये जरूरी है कि वह सबसे पहले इस प्रदेश की जनता को अन्न दे, वह प्रदेश की भूखी जनता को पेट भर भोजन दे और उसके बाद स्वास्थ्य का सवाल आता है। हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि प्रदेश की आबादी को देखते हुये सदियों से प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का स्तर जितना नीचे गिरा हुआ है उसको देखते हुये जो बजट में रुपया रखा गया है वह बहुत ही कम है। लेकिन अपने तमाम सीमित साधनों के बावजूद भी माननीय मंत्री जी ने जनता के स्वास्थ्य के स्तर को जितना ऊंचा उठाने की कोशिश की है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। मैं आपके सामने सन् ५१ की जनगणना के आंकड़े रखना चाहता हूं उससे यह साबित हो जायगा कि उत्तरोत्तर मृत्यु दर के आंकड़े कम होते जा रहे हैं जब कि जनसंख्या सन् ४१ से ५१ तक प्रति हजार ११८ बढ़ी है। सन् ४१ से ४५ तक जहां प्रति हजार मृत्युदर १९.९ रही है वहां सन् ४६ से लेकर ५० तक क्रमशः १६.५, १७.०, १४.५ १३.५ और १४.४ रही। यह तो पुरुषों की संख्या हुई। इसी तरह से स्त्रियों की संख्या भी जहां सन् ४१ से ४५ तक १८.७ से १८.० रही वहां सन् ४६ से ५० तक क्रमशः १४.६, १५.७, १२.८ ११.८ और १२.९ हो गयी। ये आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि उत्तरोत्तर हमारी सरकार ने जनता के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाया है और इस बात की कोशिश की है कि वह अपने सीमित साधनों के बावजूद भी देहात और शहर के कोने-कोने में दवाइयों की सुविधा जनता को पहुंचा सके।

जहां तक महामारी का ताल्लुक है सन् १९४७, ४८ ई० में सरकार ने इस मद में २१ लाख रुपया खर्च किया था और आज वह अपने बजट में उसके लिये ६० लाख रुपया खर्च करने जा रही है। एक बात इस सिलसिले में और अर्ज कर दूं अगर किसी का स्वास्थ्य खराब

[श्री गोवर्धन तिवारी]

होता है तो वह उसको सुधारने के लिये अलमोड़ा, मंसूरी, नैनीताल या लैन्सडाउन जाता है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो वहां के निवासियों की तन्दुरुस्ती जहां अन्य लोग अपना स्वास्थ्य सुधारने जाते हैं ज्यादा गिरी हुई है। आम तौर पर लोगों का यह ख्याल बना हुआ है कि पहाड़ी लोगों के स्वास्थ्य का स्तर कुछ ऊंचा होता है, लेकिन मैं आपके सामने ५१ की जनगणना के आंकड़े रखना चाहता हूं जिनसे स्पष्ट है कि हमारे सारे प्रान्त के और पहाड़ी इलाके के लोगों के स्वास्थ्य में कितना अन्तर है। सन् ४१ से ४५ तक मृत्यु दर के आंकड़े फी हजार पुरुषों पर २१.८ से २०.७ थे लेकिन सन् ४६ में जब से कांग्रेस सरकार ने शासन सूत्र को हाथ में लिया तब से यह संख्या घटी है और ५० तक क्रमशः १८.६, २०.६, १६.८, १५.४ और १६.४ रह गयी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रदेश में मृत्यु दर की संख्या पिछले ५ सालों में अवश्य घटी, लेकिन सन् ५० में जहां प्रदेश की मृत्यु दर १४.४ थी वहां पहाड़ी जिलों में वह १६.४ थी। इसी तरह पहाड़ की स्त्रियों की मृत्यु दर संख्या फी हजार स्त्रियों पर सन् १६४१,४५ में २२.२ से २२.७ थी, लेकिन वह सन् १६४६ में आकर १६.१ रह गयी जो ५० तक क्रमशः २०.८, २०.४, १५.४ और १६.७ हो गयी। इन दोनों आंकड़ों का मुकाबला करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि देहरादून और टेहरी से लेकर अल्मोड़ा तक के जिलों का जो पहाड़ी हिस्सा है वहां के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर प्रदेश के अन्य भागों से ज्यादा गिरा हुआ है। इसलिये विशेष रूप से मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इन जिलों के लिये ज्यादा तवज्जह दे। वहां ज्यादा अस्पताल खोलकर उसके स्वास्थ्य-स्तर को ऊंचा उठावे। पहाड़ी इलाकों में खासकर देहात में यातायात की कठिनाई के कारण अस्पतालों में डाक्टर जाना नहीं चाहते हैं यदि उनको वहां तकलीफ होती है, असुविधा होती है तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां के लिये डाक्टरों को ज्यादा एलाउन्स दिया जाय उनको अधिक सुविधायें दी जाय ताकि डाक्टर लोग वहां जाना पसन्द करें। देवीधूरा और पुलहिंडोला में जो अस्पताल हैं उनमें अनट्रेंड कम्पाउन्डर हैं। यह दोनों अस्पताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत हैं यह सही है लेकिन उनका संबंध भी स्वास्थ्य से ही है। वहां दो तीन साल से अनट्रेंड कम्पाउन्डर ही डाक्टर का काम कर रहे हैं। मैंने बार-बार इसके लिये लिखा कि वहां डाक्टर भेजे जायं, लेकिन मालूम हुआ कि वहां कोई डाक्टर जाने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि वहां के लिये डाक्टरों को विशेष सुविधा दी जाय। अगर ज्यादा एलाउन्स देने की जरूरत पड़े तो ज्यादा एलाउन्स दिया जाय।

श्री राजबंशी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान देवरिया जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं कि देवरिया जिला जो है वहां पर ज्यादातर मलेरिया का प्रकोप हुआ करता है। वह तराई का जिला है और उस जिले में अस्पताल बहुत कम हैं और जो अस्पताल वहां पर है वह गवर्नमेंट अस्पताल नहीं है। वहां पर ज्यादातर मिलें हैं और मिलों से जो पानी निकलता है वह स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है। वहां पर मच्छर भी बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। अगर उस पानी का कोई ठीक से उपयोग किया जाय तो वह पानी कृषि के काम में आ सकता है। वहां पर मच्छर मारने का कोई खास प्रबन्ध होना चाहिये। देवरिया जिले में ३ अस्पताल बनने शुरू हुये लेकिन वह अभी तक बनकर तैयार नहीं हुये हैं। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। एक अस्पताल कसिया में जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का स्थान है, बहुत दिन हुये वहां एक अस्पताल बनाया गया था और अब वह बहुत ही टूटी-फूटी हालत में है और वहां मरीजों के लिये जगह तक नहीं है और न वहां कोई पानी की व्यवस्था है। न कोई जगह वहां लोगों के खाना बनाने के लिये ही है और जो बुद्ध भगवान का एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का स्थान है वहां इस तरह की अस्पताल की हालत है। उस अस्पताल को अच्छे लेविल पर लाना चाहिये। एक बात मुझे और कहना है कि महामारियों को दूर करने के उपाय के लिये २ साल हुये एक कमेटी बनी थी लेकिन उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई और हमें नहीं मालूम कि उस रिपोर्ट को कब तक लागू किया जायगा। उस को लागू करने का प्रयत्न होना चाहिये ताकि उससे जनता

को लाभ पहुंचे। और मैं यह कहूंगा कि चिकित्सा का काम और होना चाहिये, देहात में बहुत दूर-दूर अस्पताल हैं और बहुत सी जगह दवा के कोई साधन नहीं है। मैं चाहता हूं कि गांव सभाओं में दवा के बक्स रखने का इंतजाम होना चाहिये जिससे कि अकस्मात घटनाओं में लोगों को दवा उपलब्ध हो सके और लोग अकाल मृत्यु से, जो मर जाते हैं, उनको सुविधा मिल सके। दवा के बिना देहात में जन-साधारण को नाना प्रकार के कष्ट होते हैं इसका प्रबन्ध होना चाहिये। बस इसके बाद में बैठता हूं।

श्री शिव प्रसाद (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जनता का सरकार के सामने एक लम्बा तकाजा सा हो जाता है जबकि जनता के लिये वह सरकार स्वास्थ्य और अच्छे अस्पताल बना सके, बल्कि उस सरकार के ऊपर आने वाले समय में जब किसी देश की हुकूमत आक्रमण के लिये तैयार हो तो उस समय वही नौजवान उसको खड़े होकर ललकारते हैं जिनकी वह सरकार रक्षा करती है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में काफी ध्यान दिया है। हमारे प्रदेश में पहले टी०बी० से बचने की कोई सुन्दर व्यवस्था नहीं थी। यह रोग ऐसा है जिसमें स्त्री पुरुष को नहीं पहचानती है और बाप बेटे को भूल जाता है और इस प्रकार की परिस्थिति उसके रोगी की हो जाती है, लेकिन हमारे उत्तर-प्रदेश की सरकार ने तपेदिक के रोगियों के उपचार के लिये हर प्रकार की कोशिश की है और उसके लिये व्यय वह कर रही है। मैं आप के द्वारा सदन को यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत से मनुष्यों के नेत्र होते हुये भी आंखें अन्धी हो जाती हैं और वह मनुष्य संसार के किसी व्यक्ति को और संसार के सौन्दर्य को नहीं देख पाता है, उन गरीबों के लिये भी इस सरकार ने प्रबन्ध किया है। इसके अतिरिक्त कि हमारे यहां जो वैदेशिक बीमारी गुप्त रोगों के रूप में आई हैं और जिसके कारण हमारे नौजवान और महिलायें पीड़ित होकर अपनी तकलीफ़ को किसी वैद्य, हकीम या डाक्टर से प्रकट ही नहीं कर पाती है उस प्रकार के रोगों के इलाज के लिये भी हमारी सरकार ने हर प्रकार की कोशिश की है। इन चन्द शब्दों के बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने पिछड़े हुये देवरिया जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। इस पिछड़े हुये जिले की जनता का सरकार के सामने एक लम्बा तकाजा है जिससे करोड़ों रुपया इस सरकार को एक्साइज ड्यूटी में मिलता है और जहां के लोग आसनसोल और बर्दवान, मिर्जापुर में जाकर काम करते हैं और जो जिला उन जगहों के लिये एक लेबर डिपो बना हुआ है और जब वह लोग वहां से लौटते हैं तो टी० बी० (तपेदिक) पिल्ही के शिकार बनकर आते हैं, एक आंख उनकी नैऋत्य कोण को जाती है तो दूसरी को माड़े का जाला घेरे है। ऐसे जिले का एक लम्बा तकाजा हो जाता है और जब वह एक नया जिला निर्माण हुआ है तो उसके लिये सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उस जिले के निर्माण के लिए हर तरह से ध्यान दे। इस विभाग का संचालन कर्त्ता स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला व्यक्ति हो। आज इस विभाग का संचालन ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसने अपने जीवन में एक आदर्श ब्रह्मचारी बनकर एक आदर्श की स्थापना की है। किसी भी देश का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके नागरिक स्वस्थ न हों। वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता यदि उसमें वीर संतानें और योद्धा पैदा करने की शक्ति न हो। लूले-लंगड़े नागरिकों से देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। हम देश को ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जिसमें हमारे देश के नौजवान मचलते हुये चलें, देश के नागरिकों को कोई तकलीफ न हो, हमारे मेहमानों को कोई कष्ट न हो सके, हमारी छोटी-छोटी संतानों को उचित व्यवस्था न होने के कारण, उनकी आत्माओं को कष्ट न पहुंच सके।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से अपने पिछड़े हुये जिले की ओर दिलाता हूं, वैसे तो उनका ध्यान इस प्रदेश के प्रत्येक भाग की ओर रहता है, लेकिन मैं वहां के नागरिकों के एक मतामत प्राप्त करने को वाले की हैसियत से अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि

[श्री शिवप्रसाद]

वहां की तकलीफों को मैं उचित रूप में आपके सामने रखूं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चिकित्सा अनुदान का हृदय से स्वागत करता हूं।

मैं सारे प्रान्त का सिंहावलोकन करने में असमर्थ हूं मैं सरकार का ध्यान बस्ती जिले के उत्तरी भाग की ओर दिलाना चाहता हूं। इस सदन में मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष वहां सैकड़ों और हजारों आदमी कालाजार से कालग्रस्त होते थे। यह सरकार की कृपा है कि दो वर्षों में कालाजार के लिये डाक्टरों ने बड़ा अच्छा काम किया है। वहां की जनता इस संबंध में बहुत ही कृतज्ञ है। लेकिन आज भी वे डाक्टर पेड़ों के नीचे कैम्प डालकर काम कर रहे हैं। अगर वहां पर उनके लिये भवन का निर्माण कर दे तो एक स्थायी काम वहां पर होगा। उस इलाके में एक ही अस्पताल है। उसके पास भी अपना कोई भवन नहीं है।

अब मैं उस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि देवरिया जिले में सबसे पिछड़ा हुआ खित्ता है। वह हमारी कांस्टीटुएंसी है जिसमें ३०, ४० मील के एरिया में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी जब अभावग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने गये थे तो उस क्षेत्र को देखा होगा जिसमें रामकोला पड़ता है। वहां पर दो-दो फैक्टरियों के अस्पताल हैं लेकिन उसकी अवस्था ऐसी नहीं है कि जनता उनसे पर्याप्त लाभ उठा सके। इसलिये वहां एक अस्पताल होना आवश्यक है।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जिसका बहुत बड़ा महत्व है। महात्मा बुद्ध का नाम हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इतिहास में अमर है। महात्मा बुद्ध ने देवरिया जिले के कुशीनगर में अपनी अंतिम सांस ली थी। हमारे भारतवर्ष का यह शिष्टाचार रहा है कि हमारे देश में जब किसी दूसरे देश का अतिथि बनकर आता है तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उसका भरसक सेवा सत्कार करें। कुशीनगर में, चीन, जापान, बर्मा, स्याम, लंका के यात्री आते हैं और महीनों वहां विश्राम करते हैं। लेकिन दवाइयों की व्यवस्था न होने के कारण जब कभी वे बीमार हो जाते हैं तो वहां की सारी जनता संकट में पड़ जाती है। हम उनका अच्छी प्रकार सत्कार नहीं कर पाते। वहां पर दवाओं की ठोस व्यवस्था न होने के कारण हम हिन्दुस्तान में आने वाले अतिथियों का भली प्रकार सेवा-सत्कार करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। वहां पर निकट ही एक अस्पताल है जो कि बिलकुल अस्त-व्यस्त दशा में है। वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा चलता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है कि वह उसकी ठीक तरह से व्यवस्था कर सके। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाता हूं। अगर उस अस्पताल को प्राविन्शलाइज कर दिया जाय, तो हम आने वाले यात्रियों की ठीक से सेवा कर सकेंगे। वहां पर एक कालेज भी है जिसको हम चाहते हैं कि वह डिग्री कालेज के रूप में हो जाय। हमारे माननीय मंत्री जी वहां गये और उसकी नींव दे आये हैं, डिग्री कालेज के लिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री का ध्यान उस पिछड़े खित्ते की तरफ दिलाता हूं कि रामकोला और कुशीनगर के अस्पतालों को प्राविन्शलाइज करने की तरफ ध्यान दें।

इस विभाग का संचालन तभी ठीक से हो सकता है जब कि ऐसे ही वहां पर लेप्रोसी आदि अनेक बीमारियां हैं जिधर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। चाटुकारिता के दृष्टिकोण से नहीं, एक वस्तुस्थिति के दृष्टिकोण से मैं सरकार का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि सरकार यदि अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहती है तो सरकार को उन पिछड़े हुये प्रान्तों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। "प्रान्त" का अर्थ उस भू-भाग से है जहां काला आजार और लेप्रोसी आदि फैली हुई है। हमारे जिले का उत्तरी देहाती भाग ऐसे ही रोगों से घिरा हुआ है। यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में हमारा जिला सबसे बड़ा जिला होते

हुये भी हम सरकार का ध्यान उधर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वहां पर जो औषधियां भेजी जाती हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है और वहां की जनता इस दिशा में बहुत दुर्भाग्य पूर्ण प्राप्त है।

तो मैं भवन के निर्माण की ओर तथा चिकित्सा को पूर्णांग बनाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान भवन के सामने उपस्थित हुआ है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं।

जो दवाइयों के संबंध में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है उसके संबंध में मैं ज्यादा न कह करके माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उन दवाइयों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जिससे देहातों में बहुत ही असंतोष फैल रहा है। वह यह है कि बहुत से जहरीले कीड़े-मकोड़े होते हैं, जोकि मनुष्यों को या जानवरों को काट लेते हैं, उनके लिये दवाइयां देहातों में अधिकतर प्राप्त नहीं है, जैसे जहरीले सर्प, नेवला, बिसखोपड़ा, छिपकली, इन सभों की दवाइयां देहातों में अधिकतर नहीं मिलतीं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि वह इन दवाइयों की व्यवस्था करने की कृपा करें।

इसके पश्चात् मैं अपने जौनपुर जिले के सदर अस्पताल की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस अस्पताल के संबंध में मैंने एक प्रश्न किया था। उसमें माननीय मंत्री जी ने २९,२६९ रुपया सिर्फ मरम्मत के लिये दिया है। वहां का एक्सरे रूम और आपरेशन रूम अत्यन्त छोटा है जिससे वहां आपरेशन करने में बड़ी कठिनाई होती है। अलावा इसके वहां जो सामान है उनमें भी बहुत कमी है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इन बातों पर भी ध्यान दें।

दूसरी बात यह है कि मरीजों के रहने के लिये वहां रूम्स की कमी है। इसके अलावा वहां चारपाइयां भी नहीं है। बहुत से मरीज बरामदे में लेटते हैं जिससे उनको बड़ी तकलीफ होती है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने शाहगंज तहसील में खुटिहान का जो सरकारी अस्पताल है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। ८ महीने हो गये वहां के डाक्टर उस स्थान पर कार्य नहीं कर रहे हैं। महज एक कम्पाउन्डर है जो इधर-उधर की दवाई पब्लिक को बिला वजह दे देता है। वहां पर जितने मरीज आते हैं उनको उपयुक्त दवाइयां नहीं मिलती हैं। जनता में बहुत असंतोष फैला हुआ है। माननीय मंत्री महोदय कृपा करके जल्द से जल्द वहां डाक्टर की व्यवस्था करें जिससे जनता में असंतोष न फैले।

बस इससे ज्यादा मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने कुछ नहीं रखता हूं, यही मेरी उचित मांग है।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे भी बोलने के लिये थोड़ा समय प्रदान किया गया। अभी यहां पर मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूं कि चिकित्सा के संबंध में और जनस्वास्थ्य के संबंध में अनेक प्रकार के विचार प्रगट किये जा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रश्रय देकर बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है और मुझे आशा है कि आयुर्वेद चिकित्सा की पद्धति की उत्तरोत्तर उन्नति होगी।

आयुर्वेदिक चिकित्सा के संबंध में जब मैं कभी-कभी ऐसा देखता हूं कि कहीं-कहीं कोई सज्जन प्रश्न करते हैं कि इसमें वैज्ञानिक बातों का अभाव है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे देश की तो सभी वस्तुयें, हमारी संस्कृति, हमारा सहित्य वह सब विज्ञान से ओत-प्रोत है। मैं इस बात को अच्छी तरह से कह सकता हूं कि संसार का कोई साहित्य उसका सामना नहीं कर सकता। हमारे यहां की चिकित्सा प्रणाली इतनी उत्तम है कि उससे सरल से सरल ढंग से लोगों

[श्री रणंजय सिंह]

को अच्छा किया जा सकता है। मैं तो समझता हूं कि जहां सरकार ऐलोपैथिक औषधियों के लिये धन व्यय करती है उसी प्रकार आयुर्वेदिक औषधियों की ओर अग्रसर होती रहे तो वह समय आयेगा कि बहुत कम धन से बहुत बड़े-बड़े कार्य हमारे देश में दिखलाई पड़ेंगे। और कोई सज्जन आयुर्वेदिक चिकित्सा के संबंध में यह समझते हैं और यह विचार प्रगट करते हैं कि वहां पर अच्छी औषधियां नहीं हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हमारा देश बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। हमारे यहां की एक-एक बातें, ज्योतिष की, वैद्यक की, ऐसी रही है और मैं समझता हूं कि आज भी हमारे यहां जो कुछ ज्योतिष का गणित है वैसा गणित और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिये आयुर्वेद के संबंध में जब कोई भी ऐसा कहता है कि आयुर्वेद में दवाइयों की कमी है और ऐलोपैथिक दवाइयों की अधिक आवश्यकता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इसी तरह लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेसर की दवा आयुर्वेद में नहीं है। वह कहते हैं कि ब्लड प्रेसर के लिये आयुर्वेद में इसका नाम ही नहीं है। तो इसका उत्तर चरक सुश्रुत में ही मिल जाता है। शिरा शैथिल्य और शिरा स्थौल्य, लो ब्लड प्रेसर तथा हाई ब्लड प्रेसर के नाम हैं। इस प्रकार से हमारे यहां की चिकित्सा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसकी उन्नति और इसके प्रसार से न केवल हमारे ही देश का बल्कि संसार का कल्याण होगा। हमारे प्रदेश में इस प्रकार से जो आयुर्वेदिक कालेज खोलकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है आयुर्वेदिक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है, उससे लोग देखेंगे कि कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी जाग्रति हमारे यहां होगी और आयुर्वेदिक का महत्व सभी लोगों के सामने स्पष्ट हो जायगा। हमारे देश में आयुर्वेद के अन्दर इतनी अच्छी-अच्छी दवाइयां हैं कि अभी जैसा कहा गया कि ऐसे बड़े-बड़े रोग जो हैं वह आयुर्वेद की छोटी सी जड़ी और बूटी से ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसमें इस बात की आवश्यकता थी कि लोगों को उसकी शिक्षा समुचित रूप से दी जाय। अच्छे से अच्छे वैद्य हों, और अच्छे से अच्छे औषधालय हों और इस प्रकार से औषधालयों की उन्नति होगी और वैद्यक का प्रसार होगा तो उसमें कोई संदेह नहीं कि लोगों को बहुत सरलता के साथ अपने रोगों से मुक्ति मिल सकेगी। साथ ही साथ मैं यह भी कह सकता हूं कि जहां तक हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है वह संसार की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा प्रणाली है। इसके संबंध में हमारे यहां के बहुत बड़े-बड़े वैद्यों का तो कुछ कहना ही नहीं है मैं तो कह सकता हूं कि किसी रोगी को सामने रख दीजिये मैं समझता हूं कि उसको मैं आयुर्वेदिक की औषधियों के द्वारा सरलता के साथ ठीक करवा सकता हूं इस प्रकार हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक से श्रेष्ठ है इसमें कोई सन्देह नहीं। अब रहा यह कि हम ऐसी बात क्यों न करें कि लोगों को अस्वस्थ होने का अवसर ही न मिले तो इसके लिये हमें जितनी मिलावट की चीजें हैं जैसे डालडा वगैरह है उन पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। उनके लिये प्रबन्ध करना होगा। लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन मिले, उनका आचरण शुद्ध हो, लोग व्यायाम करें, व्यायामशालायें खोली जायं, तो मैं समझता हूं कि जनता का उससे कल्याण होगा। जन स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये आयुर्वेद पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। अब मैं अधिक समय आपका न लेकर यही निवेदन करूंगा कि इसके लिये जो सरकार ने धन रखा है उसके लिये मैं उसे धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसकी उत्तरोत्तर अधिक से अधिक उन्नति की जाय।

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अनुदान के संबंध में सदन के माननीय सदस्यों ने जो अमूल्य सुझाव दिये हैं तथा इसमें जो दिलचस्पी ली है इसके लिये मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। शुरू में ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने गत साल के कार्य का सिंहावलोकन करते हुये इस बात को स्वीकार किया कि हमारे प्रान्त की आवश्यकताओं को देखते हुये हम यह मानते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये जितना रुपया हमारे बजट के अन्दर रखा गया है वह नाकाफी है और जो कार्य हमारे सामने प्रान्त की जरूरतों को देखते हुये है उसमें अधिक प्रगति की आवश्यकता है। यह भी उन्होंने माना कि हमारे प्रान्त में जितना हमको जन स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये करना चाहिये, उसके लिये अफसोस है कि अन्य प्रान्तों के मुकाबले में हम कुछ पिछड़े हुये हैं।

परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कहा कि इस विभाग के अन्दर कोई उन्नति नहीं की गयी। यह कहा गया कि समय-समय पर जो कमेटियां इस विभाग के सम्बन्ध में कायम की गयीं उनकी सिफारिशों के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया, खेर कमेटी या भोर कमेटी की सिफारिशों के ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक खेर कमेटी और भोर कमेटी की सिफारिशों का सवाल है सरकार ने सिद्धान्ततः उनकी सिफारिशों को स्वीकार किया और उसी के आधार पर प्रान्त के अन्दर जिले के अस्पतालों में इक्वीपमेंट और उनके साधनों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिये प्रयत्न किया और उसका नतीजा यह है कि आज हमारे प्रान्त के दस से ज्यादा अस्पतालों के अन्दर पैथालोजिकल लेबोरेटरीज़ हैं। आज हमारे प्रान्त में जिले के हेड क्वार्टर्स पर जहां पर बिजली के साधन हैं करीब-करीब सभी जगह एक्सरे की व्यवस्था कर दी गयी है और तमाम अस्पतालों में हर प्रकार के विशेषज्ञों को रखने की कोशिश की गयी है। खेर कमेटी की मुख्य सिफारिश यह थी कि करीब ४० हजार की आबादी पर एक यूनिट हम बना करके चलें और उसमें एक अस्पताल कायम किया जाय। उसके बाद तीन-तीन यूनिटों पर एक अस्पताल हो और फिर जिले के अस्पताल हों। उस सिफारिश को सरकार ने सिद्धान्ततः तो मान लिया, लेकिन उसमें जितना व्यय प्रान्त के कोष के ऊपर होता था मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुये हमारा प्रान्त उसका भार वहन करने में समर्थ नहीं था। इसलिये इस बात को माना गया कि जो इस वक्त हमारे अस्पताल प्रान्त के अन्दर हैं उन्हीं की उन्नति करने की कोशिश की जाय, उन्हीं से अधिक सेवा करने की कोशिश की जाय। इसका विवरण इस पुस्तिका के अन्दर दिया गया है। इस अर्से के अन्दर काफी अस्पताल बढ़ाये गये हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी ग्रामों के अन्दर कायम किये गये हैं। यदि हम उनकी सिफारिशों के अनुसार ग़ौर करें और हम यह मानें कि ४० हजार की आबादी पर हमको एक अस्पताल की आवश्यकता है जहां पर कि तीन एम्बुलेंस कार हों, तो आप अन्दाज़ा लगायें कि हमारे प्रान्त के अन्दर करीब साढ़े छ: करोड़ की आबादी के लिये १६ सौ से ज्यादा अस्पतालों की हमको आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त फिर हमको उन तीन यूनिटों के बीच एक एक और अस्पताल की जरूरत होगी जिसका मतलब यह है कि करीब ५ सौ से ऊपर और ऐसे अस्पताल हों जो इन यूनिट्स के ऊपर कायम हों। इतना सारा प्रबन्ध करने के बावजूद जब कि अस्पतालों की संख्या, एलोपैथिक डिस्पेंसरीज़ की संख्या और आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या पहले से कई गुनी हो गई है, फिर भी वह संख्या आठ सौ से ऊपर नहीं बढ़ पाई है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीय अस्पताल कायम किये गये हैं, लेकिन जगह-जगह से इसी बात की मांग होती है कि उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिये, उनको सेवा के अधिक योग्य बनाने के लिये उनका प्रान्तीयकरण कर दिया जाय। हम उन चिकित्सालयों को आधार बना कर नहीं चल सकते। सरकार की नीति बराबर यही रही है कि जैसे-जैसे साधन मिले हैं, उन अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करती चली गयी है।

उस खेर कमेटी की सिफारिश के अनुसार जहां तक हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज के अमलगमेशन का सवाल था, उस पर सबसे ऊपर तो शुरूआत की गयी और वहां डायरेक्टर का पद एक ही कर दिया गया, लेकिन नीचे के स्तर पर व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से अभी तक अमल नहीं किया जा सका। इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि खेर कमेटी और भोर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार हम उसको अमल के अन्दर ला सकें और इस बात की कोशिश करें कि उन दोनों सर्विसेज़ का अमलगमेशन हो सके। इस ओर बराबर प्रयत्न जारी है।

[श्री बनारसी दास]

अभी आपने ये क्लीनिक्स का जिक्र किया। यह ठीक है कि ये क्लीनिक्स उस समय तक नहीं चल सकते जब तक प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द न किया जाय। प्राइवेट प्रैक्टिस के सम्बन्ध में समय-समय पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, जनता में भी इस सम्बन्ध में आन्दोलन है, लेकिन जब तक कि हम अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा शय्याओं का प्रबन्ध नहीं करते, उस वक्त तक प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द करना कोई व्यावहारिक प्रश्न नहीं मालूम होता। बहरहाल जब लोग घरों पर डाक्टरों की सहायता चाहते हैं और अस्पतालों के अन्दर ज्यादा शय्याओं का प्रबन्ध नहीं है, तो इससे भ्रष्टाचार फैले, यह व्यावहारिक नहीं है। तो यह कैसे सम्भव हो सकता है। जहां तक प्राइवेट प्रैक्टिस के बन्द करने का सवाल है और उसी के अनुसार डाक्टर्स के वेतन के अन्दर वृद्धि करने का सवाल है यह बराबर सरकार के विचाराधीन है। यह प्रश्न केवल इस प्रदेश का ही नहीं है बल्कि सारे देश का है और इस पर बराबर विचार किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि वह दिन निकट होगा जब कि इस प्रश्न को हम कार्यान्वित कर सकेंगे। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने स्पूरियस ड्रग्स का जिक्र किया। स्पूरियस ड्रग्स की जहां तक भयंकरता का सवाल है, समाज के स्वास्थ्य पर जो इसका घातक प्रभाव पड़ता है इसके अन्दर दो रायें नहीं हैं। सरकार इस सम्बन्ध में पूरे तौर से सतर्क है। इस सम्बन्ध में ६ ड्रग्स इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति की गयी है। बहुत से केमिस्टों की दुकान पर जा करके तलाशियां ली गयीं। कानपुर के अन्दर भी वहां कई दुकान की तलाशियां ली गयीं और इस प्रकार की दवाइयां जो विदेशों से आती हैं काफी कीमती हैं, उनकी बोतलों को तोड़ने का आदेश भी दिया गया। इस सम्बन्ध में काफी लोगों को सजाएं भी दी गयीं हैं और जुर्माने किये गये हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि अधिक कुछ करने की आवश्यकता है। सब से बड़ी आवश्यकता तो यह है कि ड्रग्स के मामले में एक लोकमत तैयार किया जाय कि जो लोग इस प्रकार की ड्रग्स को बेचते हैं हम उनको अपने समाज का नम्बर एक शत्रु समझें। यदि इस प्रकार का सामाजिक आन्दोलन किया जाय तो मैं समझता हूं कि सरकार का कानून, सामाजिक प्रतिबन्ध और जनता का लोकमत ऐसी ड्रग्स को रोकने के लिये सफल हो सकता है। अभी जहां तक खाने-पीने की चीजों के अन्दर मिश्रण का सवाल है, इसके बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव पेश किये। अब आप जानते हैं कि इस प्रदेश में सबसे पहले प्योर फूड ऐक्ट बनाया गया जिसके द्वारा एन्टी अडल्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया। प्योर फूड ऐक्ट को इस साल २६ जनवरी से लागू किया गया है और उसके अनुसार पहले ऐक्ट में जो त्रुटियां थीं उनको दूर कर दिया गया है। उसके द्वारा अधिक सजा का विधान किया गया है और सेनिटरी इन्सपेक्टर्स के अलावा हेल्थ आफिसर्स के लिये भी म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैनों को अधिकार दिया जा रहा है। इसके अलावा यहां प्रयोगशाला में कुछ और आदमियों की नियुक्ति की गई है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तादाद के अन्दर सैम्पिल्स लिये जायं और वहां पर उनकी अनालिसिस ठीक हो सके और प्योर फूड ऐक्ट के अनुसार ज्यादा से ज्यादा उसके अन्दर अमल किया जा सके। अभी जहां तक इस प्रदेश के अन्दर आयुर्वेदिक और माडर्न पद्धति का सम्बन्ध है, यह विषय एक बहुत पुराना है। अभी उमाशंकर जी ने यहां सुझाव पेश किया कि यहां भिन्न २ पद्धतियों को मान्यता प्रदान की गयी है, जिस पर अधिक व्यय होता है। अधिक सुन्दर हो यदि इन सब पद्धतियों को एक कर दिया जाय। इससे प्रान्त का व्यय भी बचेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विज्ञान के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम शब्द नहीं कहा गया है। जितनी भी पद्धतियां हैं, जो इतने काल से समाज की सेवा करती चली आ रही हैं, उनको सरकार कानून द्वारा रोक नहीं सकती। आयुर्वेद, होमियोपैथी, यूनानी और माडर्न पद्धति सभी का अपना अपना स्थान है, सभी ने जनता की सेवा की है। इसलिये हमें इस बात का गर्व है कि हमारे प्रदेश ने सबसे पहले यहां पर होमियोपैथी

को मान्यता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त हमने यहां आयुर्वेदिक को प्रगति देने के लिए तमाम राज्यों से अधिक कोशिश की है। लेकिन यह कहना कि आयुर्वेद और मार्डन साइन्स के अन्दर एक भेद भाव किया जाता है, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जाता है, इस बात की मांग कि वैद्यों को सलफा ड्रग्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाय और साथ ही उनको अपने देहाती चिकित्सालयों में माइनर आपरेशन्स करने की इजाज़त दी जाय, जहां तक आयुर्वेद के बारे में इस प्रदेश की नीति का सम्बन्ध है वह नीति तो बिल्कुल साफ है कि आयुर्वेद को हम हर तरह से प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आपने माननीय मंत्री जी के भाषण में इस बात को देखा होगा कि ७ लाख रुपये से बढ़ाकर उसे ३० लाख रुपये से भी अधिक कर दिया गया है और चाहते यह हैं कि हमारे शिक्षण का स्तर ऊंचा हो और योग्य से योग्य विद्यार्थी निकलें। यह जो कहा जाता है कि दोनों के बीच में अन्तर रखा जाता है और आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स का वेतन इतना नीचा है कि उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता, इस पर आपको इस पृष्ठभूमि में देखना होगा कि जहां कहीं भी चिकित्सालय कायम करने का प्रश्न आता है सदस्यों की ओर से और डिस्ट्रिक्ट ऐडवाइजरी कमेटीज़ की ओर से आयुर्वेद के चिकित्सालयों की मांग कम होती है और मार्डन अस्पतालों की ज्यादा होती हैं। सरकार का यह काम नहीं है कि किसी पद्धति को कहीं पर किसी तरह से थोपा जा सके। जनता जिस प्रकार का इलाज चाहती है उसी तरह का इलाज उनके लिये सुलभ करना उचित होगा। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है जब कि कुछ विद्यार्थियों ने इस वजह से परीक्षा में बैठने से इन्कार कर दिया क्योंकि उनको सरजरी और सलफा ड्रग्स के इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस पद्धति को प्रोत्साहन दिया गया और वैद्य भी सलफ़ा ड्रग्स और पेनीसिलीन और पेटेंट दवाइयां इस्तेमाल करने लगे तो हम जो आयुर्वेद को अपनी चिकित्सा प्रणाली बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी देशी दवाइयां इस्तेमाल हों, तो इससे बड़ी राष्ट्रीय हानि होगी। अगर मार्डन डाक्टर्स आयुर्वेद की दवाइयों का प्रयोग करे तो यह आयुर्वेद की उच्चता को मानना है। हम यह आशा करते हैं और यह वैद्यों का भी फर्ज होगा कि आयुर्वेद की दवाइयों की उच्चता साबित हो और डाक्टर्स भी ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद की दवाइयां इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार की तुलना करना कि जब डाक्टर्स के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो वैद्यों के लिये सलफ़ा, ड्रग्स के इस्तेमाल पर क्यों प्रतिबन्ध है, यह आयुर्वेद पद्धति के लिये ही हानिकर है। आयुर्वेद की उन्नति के लिये और राष्ट्रीय पद्धति के विकास के लिये जहां तक हो इस प्रकार की आधुनिक दवाइयों का प्रयोग कम से कम हो। यदि इनका प्रचार बढ़ा तो इन दोनों के अन्दर अन्तर क्या होगा? हां, इतना हो सकता है कि इन सब पद्धतियों का संगम हो और एक ही उन लोगों की दवाइयां हों और जो एक दूसरी की खूबियां हैं उनको मिलाकर एक मिश्रित पद्धति बने, लेकिन इसे अभी ज्यादा दूर तक चलना होगा और उसके बाद में कुछ संगम नजर आ सकता है। इसलिये जहां तक आयुर्वेद की उन्नति का सम्बन्ध है, हमको यह कहने में हिचकिचाहट नहीं कि आज हमारे देश के अन्दर ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहां राज्यों की सरकारों की ओर से आयुर्वेद की उन्नति के लिये इतना किया गया हो, जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को सबसिडी दी गई हो और इतनी बड़ी तादाद में आयुर्वेदिक चिकित्सालय हों। आयुर्वेद की ओर कितना ध्यान इस प्रदेश की सरकार का है, इस बात का सबूत यह है कि अभी कानपुर के अन्दर कहा गया कि एक मेडिकल कालेज क़ायम करने का प्रस्ताव सन् १९४८-४९ में था और उसे शेल्व कर दिया गया, तो इस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन यह प्रस्ताव है कि कन्डैंस्ड कोर्स के लिये हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि कानपुर में उसकी व्यवस्था की जाय और यदि सम्भव होगा तो इस साल ही

[श्री बनारसी दास]

अवश्य इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जो लोग लखनऊ और आगरे के कंडेंस्ड कोर्स के लिये जाते हैं उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था कानपुर के अन्दर ही हो।

मैटरनिटी हास्पिटल्स के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि बहुत रोज से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। शुगर सिंडोकेट और शुगर एक्सचेंज का जो ६ लाख रुपया जमा है उसके द्वारा जो सहायता देने का वादा किया गया है उसमें रुकावट केवल इस कारण से थी कि भूमि की व्यवस्था नहीं थी। माननीय सदस्यों को जानकर हर्ष होगा कि मिलिटरी से इस सम्बन्ध में फैसला हो चुका है और भूमि मिलने की व्यवस्था हो चुकी है और शीघ्र ही अस्पताल के खोलने का प्रबन्ध किया जा सकेगा। अभी माननीय मेहरोत्रा जी ने मैटरनिटी सेन्टर्स के बारे में कहा कि देहातों में उनको कायम किया जाय तो आपने माननीय मंत्री जी के भाषण में सुना होगा कि तीन साल के अन्दर दो सौ मैटरनिटी सेन्टर्स खोलने की व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष के अन्दर ६६ केन्द्र होंगे और वह सब के सब गांवों में कायम किये जायेंगे। मैं समझता हूं कि उन केन्द्र के खुल जाने से देहातों में स्त्रियों की सेवा में बहुत सहायता मिलेगी। बेगम साहबा ने बताया कि मेडिकल कालेज में स्त्रियों की ट्रेनिंग की अधिक व्यवस्था की जाय। उनको मालूम होगा कि लखनऊ में मेडिकल कालेज में २५ लड़कियों की और आगरे के मेडिकल कालेज में हर साल १० लड़कियों की भर्ती की जाती है। और वहां जब कि लड़कों के मार्क्स फ्री टेस्ट के अन्दर कम से कम ४० प्रतिशत होते हैं और लड़कियों के लिये ३३ फीसदी ही होते हैं। यदि लड़कियों की संख्या के अन्दर कुछ उन्नति होगी तो इस व्यवस्था पर विचार करना सम्भव होगा, लेकिन इस समय जो स्त्रियों को मेडिकली एजूकेट करने की कोशिश की जा रही है वह काफी है। इस बात के लिये भी आदेश दिया गया है कि जो ५२४ नर्सेज की ट्रेनिंग का प्रबन्ध है उसमें ५२४ ही नर्सेज की ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया जाय और सब से पहले लड़कियों को लिया जाय। यदि लड़कियां किसी कारण से न मिल पायें तो उस संख्या के अन्दर मेल्स को ले लिया जाय। यह मानी हुई बात है कि मेल नर्सेज के मुकाबिले में फीमेल नर्सेज नर्सिंग का काम अच्छा करती हैं। लेकिन यह भी कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं मालूम पड़ता कि यदि फीमेल नर्सेज इस संख्या के अन्दर न मिल सकें तो मेल नर्सेज से अस्पतालों के अन्दर काम ही न लिया जाय। मैं समझता हूं कि इस बार जो नर्सेज की ट्रेनिंग के लिये यहां पर कम्पेटीशन व्यवस्था की गई है और इधर इस पेशे की उच्चता के सम्बन्ध में जो समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है उससे फीमेल नर्सेज का मिलना सम्भव होगा और अब तक जो कमी थी वह दूर हो जायगी।

जहां तक अभी कसिया के अन्दर अस्पताल के लिये कहा गया है मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है क्योंकि कसिया एक ऐतिहासिक नगर है और वहां इस बात की व्यवस्था की जायगी कि वहां एक अच्छा अस्पताल हो, लेकिन देवरिया में अस्पताल की व्यवस्था की ओर उचित ध्यान दिया गया है और वहां शहर में एक अस्पताल बनाया गया है। वहां पडरौना के अन्दर दो अस्पतालों को सरकार ने अपने हाथ में लिया है। बस्ती के बहुत से स्थानों में काला आजार और प्लेग ऐसी बीमारियों को रोकने के लिये काफी प्रबन्ध किया गया है। तो आप देखेंगे कि मौजूदा आर्थिक स्थिति के अन्दर जो कुछ करना सम्भव हो सकता था किया गया है, लेकिन इस पर भी हमें सन्तोष नहीं है और इसीलिये माननीय मंत्री जी ने सदस्यों से अपील की थी कि वे ऐसे साधनों को मुहइया करें जिससे हमारे अल्प साधनों की पूर्ति हो सके और ज्यादा से ज्यादा रुपया इस प्रान्त के दुखी लोगों की सहायता के लिये, उनकी सेवाओं के लिये मिल सके। आपने जो सुझाव दिये हैं मुझे आशा है कि जनता के सहयोग से और आप सबके सहयोग से हम इस कार्य को पूरा करने में सफल हो सकेंगे।

श्री कमला सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया लेकिन उपमंत्री जी ने जो सिंहावलोकन किया और यह बतलाया कि आज अस्पतालों की संख्या दूनी हो गई है उसके मुताल्लिक मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं उनके सामने दो पुस्तकें जो उत्तर प्रदेश थारो फिगर्स १९४५-५२ है और दूसरी डिपार्टमेंट आफ एकनामिक्स ऐंड स्टेटिस्टिक्स उत्तर प्रदेश १९४५-५० हैं उसके अगर टेबुल नम्बर ६ और दूसरी के टेबुल नम्बर ८ को कम्पेयर करें तो आपको मालूम होगा कि इस सरकार की क्या परिस्थिति है। सन् १९४६ में टेबुल नम्बर ८ में दिये हुये हैं कि ८२५ अस्पताल बनाये जा चुके हैं और टेबुल नम्बर ६ में केवल ६१७ अस्पताल दिखाये गये हैं। जब कि दोनों में १,९४,३३६ इनडोर पेशेन्ट्स थे और ८७,३३,०३९ आउट डोर पेशेन्ट्स थे। मेरी समझ में नहीं आता है कि इन दोनों टेबुल्स में इतना डिफेरेन्स (फर्क़) क्यों है। इसी गवर्नमेंट के एक ही डिपार्टमेंट में यह क्या चीज है? एक जगह ८२५ अस्पताल दिखाये गये हैं और दूसरी जगह केवल ६१७ अस्पताल दिखाये गये हैं। इसी तरह से सन् १९४७ में एक जगह ८३३ और दूसरी जगह ६२४, सन् १९४८ में एक जगह ८५५ और दूसरी जगह ६४५ १९४९ में एक जगह ९४१ और दूसरी जगह ७६४ और सन् १९५१ ई० में ८९९ दिखाये गये हैं तो माननीय उप मंत्री जी बतलावें कि १७७ अस्पतालों का क्या हुआ। मेरी समझ में नहीं आता है कि किसके आंकड़े सही माने जायं। यह आपका वर्किंग है, यह आपकी कामयाबी है।

कहा यह गया है कि आयुर्वेद वैद्य वग़ैरा में विमाता का बर्ताव नहीं किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद के जो अस्पताल १९३९ से १९४९ तक नये बनाये गये उनके लिये फर्नीचर तक नहीं दिया गया। पारसाल ३०,००० रु० जरूर इसके लिये मंजूर किया गया था लेकिन इस साल कुछ भी नहीं किया गया। एक पाई तक नहीं दी गई है। अब आप सोचिये कि सन्यासी बनाकर आप उनकी विद्वता देखना चाहते हैं। वह अपनी क्या विद्वता दिखा सकते हैं और किस तरह से वह कामयाब हो सकेंगे। यह तो हालत है सरकार की और फिर भी आप कहते हैं कि आयुर्वेद के साथ विमाता का सा बर्ताव नहीं होता है। जब कभी मेला वग़ैरा होते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि वहां जाओ और सुइयां वग़ैरा लगाओ। अगर आप उनसे दवा वग़ैरा का कुछ काम नहीं लेंगे तो वह अपनी मैरिट्स कैसे दिखा सकेंगी। क्या सुई देकर आयुर्वेद दवाओं का प्रभुत्व कोई दिखा सकता है?

आयुर्वेद की दवायें सस्ती होती हैं, होम्यियोपैथ की दवायें और भी सस्ती होती हैं। मैं यह नहीं कहता कि इनको भी उतना ही रुपया दिया जाय जितना कि एलोपैथी को दिया जाता है, लेकिन कुछ न कुछ तो दिया जाय जिससे वह अपनी विद्वता दिखा सकें। बहुत सी आयुर्वेद की दवायें हैं जो अपटूडेट हैं। लेकिन हम एलोपैथी की दवाओं में लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं जो बाहर से आती हैं। एक दवाई आयुर्वेद की है अर्जुनारिष्ट जो एलोपैथिक की एक्स्ट्रैक्ट आफ अर्जुन है, इसी तरह से एक्स्ट्रक्ट बेल जो बेल रस है, जो संग्रहणी वग़ैरह में दी जाती है और एक दवाई है पुनर्नवा (गदापूर्ण का रस) जो शरीर के सूजन वग़ैरा में दी जाती है। टी० बी० में गोल्ड और कैलशियम प्रपेरेशन दिया जाता है। कैलशियम तीन तरह का होता है। (१) एनीमल कैलशियम मूंगा इत्यादि (२) मिनरल कैलशियम खड़िया चूना आदि और (३) वैजीटेबिल कैलशियम बंशलोचन आदि हमारे यहां आयुर्वेद में अच्छी और अपटूडेट चीजें हर स्टेज की मिल सकती हैं फिर हम विदेशी चीजों पर क्यों निर्भर करते हैं। इस प्रदेश में इन्हीं दवाइयों का आविष्कार क्यों नहीं कराते?

[श्री कमला सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय आप देखिये यह हमारी हालत है। मैं एक चीज और बतला देना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि यहां पर बी० एम० बी० एस० कालेज बनाया गया, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसका हेड एलोपैथी का ही एक्सपर्ट था। आज फिर आप नई आयुर्वेद की फैकल्टी बनाने जा रहे हैं जिसमें लाखों रुपया खर्च होगा। हम समझते हैं कि उससे ज्यादा अच्छा तो यह होता कि बनारस यूनीवर्सिटी को ही कुछ रुपया देकर काम चलाया जाता या अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के यूनानी कालेज को रुपया देकर और भी अच्छा बनाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। थोड़े रुपये में हम अधिक अच्छा काम कर सकेंगे। इससे मुल्क का रुपया बचता और थोड़े से रुपये में अधिक से अधिक लाभ हो सकता था क्योंकि सब जानते हैं कि नई आयुर्वेदिक फैकल्टी के बनाने में बहुत ज्यादा रुपया, जो एक नया मेडिकल कालेज खोलने में लगता है, खर्च करना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त अभी बेगम साहिबा ने बतलाया है कि स्त्रियों के बारे में, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारे प्रदेश के लिये बड़े शर्म की बात नहीं है कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो वेश्या वृत्ति करके अपनी उदर पूर्ति करती हैं जिससे गिनोरिया वगैरा भयानक बीमारियां फैलती हैं। आज मच्छरों को तो सरकार मार रही है और उसमें यानी डी० डी० टी० ड्राइव में लाखों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज सरकार गिनोरिया जैसी भयंकर बीमारियों को रोकने के लिये क्या कर रही है। सब से पहला हमारा स्टेप होना चाहिये था कि हमारे प्रदेश में ऐसी एक भी स्त्री न रह सके। जो कि वेश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर रही हो। सबसे पहला काम यह होना चाहिये कि उनको चांस दिया जाय और उनकी जीविका के लिये कोई न कोई उपाय किया जाय ताकि हमारे प्रदेश में यह जो शर्मनाक चीज फैल रही है उसको आगे न बढ़ने दें। क्या सरकार इसको करने को तय्यार है? माननीय उप मंत्री जी ने कोई ऐसी चीज इस सदन के सामने नहीं प्रस्तुत की है जिससे मुझे संतोष होता। इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को इस साल वापस नहीं करना चाहता। अगर अगले साल कोई उन्नति दिखलायेंगे तो अवश्य वापस कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा के अन्तर्गत २,४५,९२,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या २१---लेखा शीर्षक ३९---जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत १,४१,७६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२-लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१-लेखा शीर्षक ८५ क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२-लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय के अन्तर्गत ३,१५,७१,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१-लेखा शीर्षक ८५-क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १९,९२,१०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों अनुदान उस विभाग से संबंध रखते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुओं का नियंत्रण होता है, जिनका संबंध मनुष्य के रोजमर्रा जीवन से है। ये अनुदान खाद्य पदार्थ, कपड़ा, तेल, लकड़ी, नमक, मकानों का भाड़ा और दवाइयां इत्यादि से संबंध रखते हैं। इन अनुदानों के अन्तर्गत ये विभिन्न प्रकार के नियंत्रण, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, चलाये जाते हैं इतने थोड़े से समय में मेरे लिये यह संभव नहीं है कि इन सारे नियंत्रणों के संबंध में सिंहावलोकन करूं, लेकिन जो पुस्तिका खाद्य और रसद विभाग के कार्यविवरण की बांटी गयी है अगर माननीय सदस्यों ने उसका अध्ययन ठीक तरह से किया होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें सारी परिस्थितियों का ज्ञान हो गया होगा। जहां तक खाद्य के नियन्त्रण का संबंध है, कपड़े के नियन्त्रण का संबंध है तथा अन्य पदार्थों के नियन्त्रण का संबंध है उस सबकी जानकारी इस वार्षिक कार्यविवरण में अच्छी तरह से करा दी गयी है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कार्य-विवरण के पृष्ठ १,२,३ और ४ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिनमें खाद्य का नियंत्रण, सरकारी खरीदारी, आयात, निर्यात और राशनिंग का जिक्र किया गया है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि १ जुलाई सन् १९५२ से हमने अपनी नियंत्रण नीति में जहां तक उसका संबंध खाद्य से है, परिवर्तन किया है। और कुछ समय से जो राशनिंग की व्यवस्था हमारे नगरों में चल रही थी उसमें कुछ अन्तर कर दिया गया है। अब जहां-जहां नियंत्रण की व्यवस्था चल रही है, वहां अलावा उस राशन के जो कि उन्हें सरकारी दूकानों से प्राप्त होती है, खुले बाजार में भी लोग अपनी रोजमर्रा की आवश्यकता के लिये अन्न प्राप्त कर सकते हैं। १ जुलाई सन् ५२ से स्टेचुरी राशनिंग उठा लिया गया और प्रोक्योरमेंट की नीति को भी हमने तब्दील कर दिया। प्रोक्योरमेंट करना तो हमने एक तरह से छोड़ ही दिया। जब हमने अपनी नीति को बदला तो प्रदेश में ऐसा आभास हो रहा था कि वह दिन शीघ्रता से आ रहा है जब कि प्रदेश की पैदावार में फर्क होने वाला है, फसल अच्छी होने वाली है, क्योंकि बरसात अच्छी हो रही थी और साथ ही देश के अन्दर ऐसा वातावरण उपस्थित हो रहा था कि हमारे बीच में जो नियन्त्रण की कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाय। ऐसे समय में जब कि डिकंट्रोल का भाव फैल रहा हो और हम यह अनुभव करते हों कि फसल अच्छी होने वाली है, तो अपनी नीति को बदलना एक स्वाभाविक कार्य था। हमने ३० जून की आज्ञा में यह साफ ज़ाहिर कर दिया था कि किन कारणों से हम अपनी नीति में परिवर्तन कर रहे हैं और जहां तक खाद्य के वितरण का संबंध है हम किन चीजों में अपनी नीति को बदलेंगे। मैं इसके सारे इतिहास का तो सिंहावलोकन इतने थोड़े समय में नहीं करा सकता, लेकिन इस समय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार हमने उस नीति को, जिसे हम जुलाई से बरतते आ रहे थे १६ नवम्बर के बाद उसमें परिवर्तन कर दिया है।

१ जुलाई, १९५२ को यह तय किया था कि स्टेचुअरी राशनिंग और प्रोक्योरमेंट की स्कीम को हम अब न चलायेंगे और जो दूकानें राशनिंग की खुली हुई थीं, उनको रिलीफ कोटा शाप्स में परिवर्तित कर दिया जायगा और उन दूकानों से उन्हीं दरों पर गल्ला जिन पर कि ३० जून से पहले मिलता था, लोगों को मिल सकेगा। लेकिन हमने उस नीति को भी १५ नवम्बर से तब्दील कर दिया। जब खरीफ की फसल आ गयी तो

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मोटे अनाज को, जो अब तक हम देते आये थे, उसका देना भी हमने बंद कर दिया। जब कि हम चावल और दूसरे मोटे अनाज का प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे थे, तो सरकार के लिये यह मुनासिब ही था कि अपनी दूकानों पर यह उन चीजों की बिक्री भी बंद कर दें। इसलिये १५ नवम्बर से जहां तक मोटे गल्ले और चावल के वितरण का संबंध था उनका दिया जाना रिलीफ कोटा शाप्स से बंद कर दिया गया। इसके साथ ही साथ हमने गेहूं के दामों में तब्दीली कर दी वह इसलिये करनी पड़ी कि इस प्रदेश के वित्त पर जो बोझ सब्सिडी के कारण पड़ रहा था वह असह्य सा होता जा रहा था। हमें मजबूरन गेहूं के दामों को बढ़ाना पड़ा। जो गेहूं रिलीफ कोटा शाप्स से १ रुपये का ढाई सेर मिल रहा था उसको सवा सेर की दर पर बेचने का निर्णय किया गया चूंकि बाजार में गेहूं का भाव भी कुछ बदला हुआ था और साथ ही हम करोड़ों रुपये के उस बोझ से, जो हमारे ऊपर लदता जाता था, थोड़ा बचना चाहते थे। हमने गल्ले के दामों को फिर मार्च में आकर तब्दील किया। माननीय सदस्य इस तरह के एतराज़ उपस्थित कर सकते हैं कि यह नीति जो हमने बरती जिससे गेहूं की कीमतें बढ़ा दीं और गत कुछ महीनों में गल्ला कम मिला है, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सही नहीं कही जा सकती। अगर ऐसा एतराज माननीय सदस्य उपस्थित करें, तो जहां तक एकेडेमिक बात का संबंध है, मैं उनके दृष्टिकोण से सहानुभूति रखता हूं लेकिन मैंने यह सदस्यों को बता ही दिया कि हमारे ऊपर इतना बोझ पड़ रहा था कि हमारे बजट के लिये उसे सम्हालना कठिन मालूम देता था। मेरा खयाल है कि बाजार में गल्ले के भाव को देखते हुये अगर माननीय सदस्य उससे मुकाबिला करें तो वे महसूस करेंगे कि हमारा निर्णय कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं था, क्योंकि बाजार खुले हुये थे, बाजार में कीमतें सप्लाई और डिमांड की बुनियाद पर चलती हैं। हमने जो कीमत रखी वह भाव से काफी कम थी। हमारी इस संबंध में बराबर यह चेष्टा रही कि अधिक से अधिक कंज्यूमर्स को फायदा पहुंच सके। यही वजह थी कि हमने अपनी दूकानों पर मोटे गल्ले के वितरण की तजवीज मंजूर की कि अब जो मोटा गल्ला हम अपनी दूकानों पर बेंचेंगे या चावल बेंचेंगे वह नो प्राफिट नो लास की बेसिस पर बेंचेंगे। वह गल्ला भी जो हमनें 'नो प्राफिट नो लास' की बुनियाद पर बेंचने के लिये निकाला था, उस गल्ले की कीमत से कम था जो, लोगों को खुले बाजार में मिलता था। इसलिये हमने इस नीति में परिवर्तन किया। मैं जानता हूं कि सदन के सदस्यगण यह जानना चाहेंगे कि अब हम आयन्दा कौन सी नीति बरतना चाहते हैं। आयन्दा वर्ष में हमारी नीति क्या होगी। उसको चन्द शब्दों में जो मैंने लिख दिया है, उसे पढ़ कर सदन के सामने सुनाये देता हूं, जिससे सदन अच्छी तरह समझ ले कि आगामी वर्ष हम किस नीति को लेकर चलेंगे।

१९५३-५४ में राज्य सरकार का विचार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भविष्य में न घाटा और न मुनाफा "नीति के अनुसार" ही खाद्यान्न बेचने का विचार है। खाद्यान्नों की बिक्री में अब आगे किसी तरह का घाटा उठाना असंभव हो गया है।

आशा है, नई रबी की फसल बाजार में आने के बाद एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों तथा कमी वाले पूर्वी और पहाड़ी जिलों के नगरों को छोड़ कर अन्य स्थानों में सस्ते गल्ले की दूकानें रखना आवश्यक न रहेगा। यदि यह आशा सफलीभूत हुई तो राज्य के २८ नगरों में राशनिंग समाप्त करना संभव हो जायगा। इससे गल्ला देने को सरकार की जिम्मेदारी में लगभग ८,२०० टन प्रति माह की कमी हो जायगी। फिर भी हम मोटे अनाज का पर्याप्त स्टाक अपने पास रखेंगे, ताकि ए०पी० तथा हिल प्रोविजनिंग योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यकता पड़ने पर गल्ला वितरित किया जा सके। इसके लिये सरकार रबी की नई फसल से कुछ चना और जौ खरीद कर अपने पास जमा रखेगी। यह खरीद व्यापारियों की मार्फत की जायगी और प्रत्येक लाइसेंसदार व्यापारी को अपनी खरीद का एक निश्चित प्रतिशत सरकार को देने के लिये कहा जायगा सामान्यतः अच्छी किस्म के चने की खरीद ११ रु० प्रतिमन और जौ की १० रु० प्रतिमन की दर से की जायगी

यदि आवश्यकता पड़ी तो गेहूं के संबंध में भी यही नीति अपनायी जायगी। उसकी खरीद का भाव १५ रु० प्रति मन होगा। गत वर्षों की भांति विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थतियों के अनुसार भावों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन होगा।

मैं यह भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार अपने पास इतनी संख्या में कर्मचारी रखेगी कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय खाद्यान्न के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने और वितरण पर पाबंदियां लगा दी जा सकें। साथ ही यू०पी० फूड ग्रेन (रिक्वीजीशन) आर्डर के अन्तर्गत खाद्यान्नों पर कब्जा कर लेने का वर्तमान अधिकार सरकार के पास रहेगा। अगर कन्हीं कारणोंवश हमारी धीरे-धीरे नियन्त्रण समाप्त करने की नीति का आशा के अनुकूल परिणाम न निकला, तो सरकार गेहूं और दूसरे अनाज के स्टाकों पर कब्जा कर लेगी। इस गल्ले का मूल्य हम यू०पी०फूड ग्रेन "रिक्वीजीशनिंग" आर्डर में निर्धारित दरों पर ही देंगे। वे कीमतें इस प्रकार हैं:—

गेहूं १४ रु०—चना १० रु० ८ आ०—जौ ९ रु० ८ आ०—चावल नं० १-ए २८ रु० ८ आना चावल नंम्बर २-ए २० रु०—१२ आ० चावल नं० ३-ए १८ रु०,—चावल नं० ४ १३रु० ८ आ०,—चावल नं० ५ ११ रु०—८ आ०,—ज्वार ७ रु० ८ आ०,—मक्का ७ रु० ८आ०,—बाजरा ८रु०—८ आ०।

यह सत्य है कि जुलाई सन् १९५२ में कंट्रोल ढीले करने के बाद से हमने इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया है। इसके कई कारण हैं। वास्तव में अभी तक व्यापारियों अथवा किसानों के पास गल्ले का काफी स्टाक था ही नहीं। परन्तु अन्न संग्रह की एकाधिकार प्रणाली लागू न होने के कारण आगामी वर्ष यह स्थिति न रहेगी। अतः खुले बाजार की गति-विधि पर सरकार बराबर सतर्क दृष्टि रखेगी।

यह जो घोषणा मैंने अभी की है, वह हम आइन्दा साल में जो इस डिकंट्रोल की नीति बरतने जा रहे हैं, उसके संबंध में है। लेकिन यदि बीच में कभी कोई नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो उसके लिये भी हम तैयार रहेंगे, हमने यह घोषणा पहले भी की है कि यदि दाम गल्ले के बढ़ने लगेंगे तो हम उस को जब्त कर लेंगे। पहिले इस घोषणा के बाद दाम बढ़ने लगें थे तो हमने ऐसा नहीं किया। उसका मुख्य कारण यह था कि अधिकांश गल्ला प्रोक्योरमेंट-नीति के अन्तर्गत पहले ही प्राप्त कर लिया गया था और बाजारों और किसानों के पास अधिक गल्ला नहीं रह गया था। यदि हमने रिक्वीजीशन करने की नीति बरती होती तो यह सम्भव था कि थोड़ा बहुत गल्ला जो देहात से बाजारों में आता था उसका आना भी बन्द हो जाता। उसका नतीजा यह होता कि गल्ले के भाव बाजार में और अधिक बढ़ जाते। हम आइन्दा वर्ष में प्रोक्योर करने नहीं जा रहे हैं। खुले बाजार से अपनी ए०पी० स्कीम के लिये खास जरूरतों में हम गल्ला खरीदने जा रहे हैं। हमें आशा है कि उचित मात्रा में इस प्रकार से गल्ला मिल जायगा।

इसी प्रकार से और नियंत्रणों के बारे में मुझे यह कहना है कि जहां तक चीनी का संबंध है आप सभी जानते हैं कि शुगर हमारे यहां पिछले वर्ष काफी मात्रा में हुई। शुगर की जो नियंत्रित कीमत थी कहीं-कहीं पर उससे भी कम दाम पर वह बिकने लगी सरकार ने पूरा नियन्त्रण शुगर की पैदावार से उठा लिया है और उसके एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के संबंध में भी कोई नियंत्रण नहीं रखा है। सरकार ने एक बात अपने हाथ में रखी है कि यदि मील जानबूझ कर शुगर की कीमत बढ़ाते हैं, तो उस ३ लाख टन शुगर का जो मीलों के पास सरकार की तरफ से सुरक्षित रखी गयी है, वितरण हम अपनी तरफ से करायेंगे और इस तरह से शुगर की कीमत को बाजारों में कम करने का प्रबंध करेंगे। अभी हमें ज्ञात हुआ कि कुछ स्थानों पर शक्कर के दाम कुछ बढ़े हैं। इसलिये हमने यह प्रतिबन्ध लगाया है कि बिना हमारी आज्ञा के उस प्रदेश से दूसरे प्रदेश को शक्कर नहीं जा सकेगी।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इतने समय जब कि हम पूरे तौर से विनियंत्रण की नीति को अपना कर चल रहे हैं, हमें अब ऐसा मालूम होता है कि आज जनता में पहले से बहुत अधिक संतोष है। असन्तोष न किसी माननीय सदस्य को ही है क्योंकि जब बजट पर जनरल डिस्कशन हुआ तो हर साल की तरह से हमें वह लम्बे चौड़े भाषण नहीं सुनने को मिले और न वह क्रोधभरी स्पीचें जो हमें पिछले ६–७ साल से सुनने को मिलती थीं वही सुनने को मिलीं। इस से यह मालूम होता है कि जनता में हमारी अन्न नीति के बारे में कोई भारी असंतोष नहीं है। लोग हमारी नीति को अपनाते हैं और हमारे सामने के माननीय सदस्यों को भी इस संबंध में कुछ अधिक कहना नहीं है।

इसी तरह से खंडसारी और गुड़ पर भी नियंत्रण इस समय लागू नहीं है। खंडसारी और गुड़ सब जगह भेजा जा सकता है और उन पर जो पहले रोकटोक थीं उनमें बिलकुल अन्तर कर दिया गया है। अब गुड़ और खंडसारी बहुत सस्ते दामों पर बिक रहे हैं हर एक माननीय सदस्य इसको जानता है।

कपड़े के संबंध में भी हमारी नीति घोषित है। अब कोई कपड़े की कमी नहीं है और उस पर से केन्द्रीय सरकार ने करीब-करीब नियंत्रण हटा लिया है। केवल २० फीसदी कपड़ा उसने अपने नियंत्रण में रखा है। जो कपड़ा मिलों में पैदा होता है उसको इम्पोर्टर्स प्रदेश में ले आते हैं। अब कपड़े की इतनी पैदावार है कि उसके वितरण में कोई दिक्कत नहीं है। पहले बाजार में कपड़ा मिलने में दिक्कत होती थी लेकिन अब सप्लायर्स मार्केट से परचेजर्स मार्केट कपड़े का बन गया है। इसलिये कपड़े पर से तमाम प्रतिबन्ध उठा लिये गये हैं। अब ऐसी आशा नहीं है कि पहले की सी स्थिति आये क्योंकि अब समय बिलकुल बदल गया है और आज चीजें काफी मात्रा में पैदा होने लगी हैं। यह बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम सब इसी दिन की लालसा में बैठे थे कि चीजों की पैदावार बढ़े और जो असंतोष नियंत्रण के फलस्वरूप फैला हुआ था वह दूर हो। अब चीजें अधिक मात्रा में पैदा होंगी और अधिक मात्रा में जनता को मिलेंगी।

इसी तरह से नमक पर भी अब नियंत्रण नहीं है। वह हमारे प्रदेश में देश के ६ विभिन्न क्षेत्रों से आता है। नमक के मिलने में अब कोई दिक्क़त नहीं है, जैसी कि कई स्थानों पर सन् ५१ में अनुभव हुई थी। तब खास तौर से हमें स्पेशल वेगन कई क्षेत्रों के लिये मंगाने पड़े थे। नमक भी प्रदेश में एक नियंत्रित नीति के अन्तर्गत आता है। लेकिन यह जरूर है कि जो नमक जिलों में भेजा जाता है, एक ही प्रकार का नमक एक जिले में पहुंच पाता है। हालांकि विभिन्न प्रकार के नमक की हर जिले में मांग रहती है, लेकिन हम अपनी नमक की जोनल स्कीम के अन्तर्गत ऐसा नहीं कर पाते। इसलिये अक्सर जिलों में यह तकलीफ़ जरूर होती है कि लोगों को एक ही प्रकार का नमक मिलता है। विदेशों से जो नमक आता था उसका आना अब बन्द हो गया है और अब केन्द्रीय सरकार की नीति है कि देश में जिस तरह का नमक बन रहा है उसी को प्रोत्साहन दिया जाय और उसका प्रयोग किया जाय। जो नमक पाकिस्तान से थोड़ा बहुत चोरी से आता था अक्सर इस प्रदेश के रहने वाले उसको बहुत चाहते हैं। उसकी क़ीमतें भी अधिक बढ़ जाती हैं, लेकिन अब हमारी चेष्टा होनी चाहिये, और है भी कि इस समय देश में जिस प्रकार का नमक बन रहा है उसी को हम बढ़ावा दें और उसी का इस्तेमाल करें। जहां तक नमक का संबंध है, हम सेल्फ़सफ़ीशियेन्ट बनें।

ईंधन पर भी यहां नियंत्रण है। वह अभी २४ नगरों में नियंत्रित क़ीमतों पर बांटा जाता है।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

निजी जंगलों से जो ईंधन आता है वह खुले बाजार में अनियंत्रित क़ीमत पर बिकता है, जो यह अनियंत्रित क़ीमत का ईंधन है उसकी क़ीमत के घटाने में हमारा नियंत्रित क़ीमत वाला ईंधन बहुत मदद पहुंचाता है। इसी कारण हमने २४ नगरों में इसकी व्यवस्था

कर रखी है। और नगरों में भी अगले वर्ष इसके वितरण को बढ़ाने जा रहे हैं। अलावा सिविल कंजम्शन के नियंत्रित लकड़ी फैक्टरीज, और खास कर शुगर फैक्टरीज़ में इस्तेमाल होती है। दिल्ली को भी इसे हम भेजते हैं। इस तरह से हमारे प्रदेश के जंगलों में जो ईंधन की लकड़ी का उत्पादन होता है वह नियंत्रित क़ीमत पर अपने प्रदेश के शहरों की जनता को, मिलों को और दिल्ली के रहने वालों को फायदा पहुंचा रहा है।

जहां तक इमारती सामान यानी लोहा सीमेंट आदि का संबंध है उसकी स्थिति इस प्रकार है। आज कल लोहे का भी नियंत्रण करीब-करीब बिलकुल हटा ही लिया गया है सिवा लोहे की चद्दरें आदि चंद चीज़ों के। जहां तक लोहे और स्पात का संबंध है, नियंत्रण क़रीब-क़रीब हटा ही लिया गया है। अब लोहे की चीज़ों और लोहा काफ़ी मात्रा में बाजार से मिल सकता है। कुछ समय पहले उसके मिलने में काफी दिक़्क़तें थीं। और यही वजह थी कि काफी तेजी से मकानों का निर्माण नहीं हो पाता था। परन्तु हम अब आशा करते हैं कि लोहा सस्ता और काफी मात्रा में मिलने के कारण मकान यहां बनेंगे जिससे कि यहां के रहने वालों को सुविधा होगी।

जहां तक सीमेंट का संबंध है, सीमेंट का कोटा, प्रतिमास जितना हमें मिलता है उससे अधिक मात्रा में सीमेंट प्रदेश में आ रहा है। आंकड़े आपने इसी पुस्तिका में देखे होंगे। उससे आपको पता लगा होगा कि अब सीमेंट हमारे प्रदेश में काफी मात्रा में आने लगा है। उसकी भी कमी, खासकर डेवलपमेंट वर्क्स में कमी होने का मौक़ा अब न रहेगा।

मिट्टी के तेल का नियंत्रण जनवरी महीने से उठा लिया गया है। वह क़रीब ७ हज़ार टिन के ऊपर हमारे प्रदेश में प्रति मास आता है। उससे हमारे प्रदेश की जरूरत पूरी होती हुई दिखाई दे रही है।

एक नियंत्रण जो आज हमें परेशानी में डाले हुये है वह मकानों का नियंत्रण है। जैसा कि मैंने अभी बताया मकान अभी उस संख्या में बन नहीं पा रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे प्रदेश के लोगों की आवश्यकता पूरी हो सके। जो आंकड़े पुस्तिका में दिये हुये हैं वह इस बात को बताते हैं कि लोगों की कितनी आवश्यकता है और कितने मकान रहने के लिये उपलब्ध हैं। पिछले वर्ष जो कानून बना है, उससे इन मकानों के नियंत्रण की जिन्दगी दो वर्ष के लिये बढ़ा दी गयी है। उसमें जुगुल किशोर कंट्रोल्स इन्क्वायरी कमेटी सुझावों का समावेश किया गया है। फिर सरकार ने रेंट कंट्रोल ऐक्ट की विभिन्न धाराओं पर विचार करने और जो हाईकोर्ट ने उन धाराओं के संबंध में अपना मत प्रकट किया है, उन पर विचार करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की है। वह कमेटी आज कल इन विषयों पर विचार कर रही है। जो नये सुझाव वह हमारे सामने उपस्थित करेगी वह क़ानून में तब्दीली करने के लिये सदन के सम्मुख उपस्थित किये जायंगे। मुख्य सवाल उस कमेटी के सामने यह है जिस पर इस सदन में और कांउसिल में पिछले वर्ष हम बहस कर रहे थे कि अक्सर किरायेदार मकान मालिकों को किराया नहीं देते हैं। खास कर बेवाओं के मामलों में किराया वसूल करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। जो बेवायें मकान के किराये पर ही आश्रित रहती हैं उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। उस समय मैंने सदन को वचन दिया था कि इस बात पर विचार करने लिये और कानून में तब्दीली करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिये सरकार एक कमेटी नियुक्त करेगी। वह कमेटी माननीय श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में बैठी हुई है। उसमें कई वक्ला साहबान हैं। मुझे आशा है कि वह कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी ऐसे किरायेदारों से किराया वसूल करने के लिये, जो किराया नहीं देते हैं, यदि आवश्यकता पड़ी तो इस कानून में परिवर्तन किया जायगा और यह सदन परिवर्तित कानून के ऊपर विचार करेगा।

जब इस विभाग को इतनी वस्तुओं और पदार्थों से डील करना पड़ता है तो उसके चलाने में, उस के कार्यरूप में परिणत करने में बहुत से दोष रह जाना स्वाभाविक ही है और दोष रहे भी हैं। मैं उन दोषों को मानता रहा हूं, उनके निराकरण करने के लिये, दूर करने के लिये, शायद हम चेष्टा भी करते रहे हैं। विभाग में खराबियों के संबंध

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

में समय-समय पर चर्चा की जाती है। जितनी खराबियां हमको देखने को मिलती हैं, जिसका हमें ज्ञान होता है, उसको देखने की हम चेष्टा करते हैं और हमने उसको दूर करने की भरसक चेष्टा भी की है। वे आंकड़े जो किसी पुस्तक में दिये हुये हैं वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से हमारे इनफोर्समेंट स्क्वैड ने, पुलिस ने, बहुत से व्यक्तियों को पकड़ा, हमारे अहलकारों ने पकड़ा और जिस तरह से उनको हमारी कोर्टस से सजा हुई। हमारे ऐसे कर्मचारी, भ्रष्टाचार के मामलों में जिनके खिलाफ़ शिकायतें थीं, वह किस तरह से समय-समय पर निकाले गये, उनकी भी संख्या इसी कार्य विवरण में, जो हमने आप के सामने उपस्थित किया है, दे दिया है।

मैं अधिक समय आप का नहीं लेना चाहता। मैंने काफी समय ले लिया, क्योंकि जितना समय है उसके अन्दर कई साहबान को सुझाव भी रखने होंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विभाग का कार्य उत्तरोत्तर कम ही होता जा रहा है। मैं उस दिन की लालसा में हूं कि जब इसका भार और कार्य इतना कम हो जाय कि जिससे यह बजट जो मुझे करोड़ों की संख्या में उपस्थित करना पड़ता है, वह शायद थोड़े रुपयों के आकड़ों में ही आप के सामने उपस्थित करना पड़े। हमें किसी न किसी प्रकार के नियंत्रण और उसकी मशीनरी को तो अपने बीच में रखना ही पड़ेगा, खास कर इस प्रदेश में जिसमें बहिया आती है, सूखा पड़ जाता है, कभी अन्न कम मिलता है और कभी अधिक क़ीमतों पर मिलता है, उस स्थिति पर क़ाबू प्राप्त करने के लिये यह जरूरी है कि किसी न किसी प्रकार की नियंत्रण मशीनरी हमारे बीच में बनी रहे जिसके अन्तर्गत हम समय-समय पर इन कार्यों को करावें, जिससे चीजों के दामों को घटवा सकें, लोगों को तमाम चीजें मुहैया करा सकें, जिनकी उन्हें जरूरत है।

मैं इन चन्द शब्दों के साथ इस सदन की स्वीकृति के लिये इन दोनों अनुदानों को उपस्थित करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत दोनों संपूर्ण अनुदानों के अधीन एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। श्रीमन्, १० मिनट के छोटे से समय में खाद्य विभाग और राज्य व्यापार योजनाओं से संबंधित अनुदानों की आलोचना कर सकना एक दुष्कर कार्य है। तो भी मैं आप की आज्ञा से केवल खाद्यान्न नीति के संबंध में कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।

आज माननीय गुप्ता जी की खाद्य नीति को जब मैं देखता हूं तो मुझे उस समय की याद आती है जब कि माननीय गुप्ता जी सारे प्रान्त भर में दौड़ते फिरते थे और कंट्रोलों की अहमियत और कंट्रोलों का प्रचार ऐसे समय में करते थे जबकि महात्मा गांधी जैसे महापुरुष स्वयं कंट्रोलों को तोड़ देने के पक्ष में थे। तो मुझे तो जरा आश्चर्य होता है जब मैं यह देखता हूं कि आज जब उन जैसे खाद्य मंत्री के हाथ में हमारे प्रान्त की खाद्य नीति की बागडोर है तो वे स्वयं पंचवर्षीय योजना के विपरीत क्यों जा रहे हैं। जो पंचवर्षीय योजना है वह हमारी पार्टी या किसी पार्टी विशेष की योजना नहीं है और उस पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के हेतु हमारी सरकार हम से अधिक कृत संकल्प है। लेकिन उसको पूरा करने का बीड़ा सरकार ने उठाया है। तो जो माननीय गुप्ता जी की खाद्य नीति नयी हमारे सामने है उसे अगर हम जांचें तो वह भी पंचवर्षीय योजना के खिलाफ़ जाती है। मैं इसको चार हिस्सों में बांटता हूं। पहला तो पंचवर्षीय योजना के आधारभूत सिद्धांतों के विपरीत जाना, दूसरा अपनी बजट प्रणाली के द्वारा प्रदेश की जनता को दुविधे में डालना, तीसरा दामों को बढ़ने से रोकने में असफलता और चौथा स्वयं दामों को बढ़ाने की चेष्टा।

जहां तक पंचवर्षीय योजना का संबंध है मैं केवल एक ही कोटेशन इस सम्बन्ध में आप की आज्ञा से उद्धृत करना चाहता हूं जो कि लेटेस्ट फाइव इयर प्लान की रिपोर्ट में दिया गया है। पेज ५६--

"Although a system of controls has been operating in this country for a number of years, doubts have been expressed from time to time whether, on balance. this is of advantage to the country, as a whole. The lesson of experience, however is unmistakable. The free market is not a dependable machanism when the economy is or is likely to be under pressure due either to short supplies in the country or unfavourable development abroad."

तो माननीय मंत्री जी की जो घोषणा अभी हुई है तो वह एक लाख की आबादी के या जो कम के शहर हैं वहां पर भी जो सस्ते दामों की दुकानें हैं उन को वह बन्द करना चाहते हैं और कहते हैं कि मोटा अनाज हम रिजर्व रखेंगे। तो मोटे अनाज के रिजर्व के बारे में उसका रिजर्व जो पिछले साल का प्रोक्योरमेंट हुआ है उस रिपोर्ट के अनुसार २३२० टन है। तो २३२० टन से कितनी संकट काल में सहायता हो सकेगी। मैं नहीं जानता माननीय मंत्री जी जानें।

दूसरी बात जो पंचवर्षीय योजना के विरुद्ध जाती है वह है सब्सिडीज के मामले में जो माननीय मन्त्री जी की नीति रही है। योजना बनाने वालों का निश्चित मत था कि जो इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स हैं उनके कास्ट को देखते हुये पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिये सब्सिडीये भी चाहिए लेकिन माननीय मंत्री जी ने सब्सिडी तो बन्द की लेकिन इस प्रकार से बन्द की कि न घाटा हो। और न मुनाफा हो। पर यह तो नहीं है। मुनाफा हो ही गया इस साल। तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन कैपिटल एक्सपेंडीचर में भी जब आमदनी (income) होने लगती है, तो मालूम होता है। बजट में तो यह कहा गया कि ६ करोड़ों की हानि होगी तो इस साल का जो प्रस्तावना है उसमें ४ करोड़ ४१ लाख १५ हजार रुपये सीधे आय होने की आशा की जाती है मैं माननीय सदस्यों का ध्यान स्मृति पत्र (मेमोरंडम) के १७० वें पृष्ठ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि "इस प्रकार बजट वर्ष में ४ करोड़ ६१ लाख १५ हजार की शुद्ध आय होने की आशा की जाती है जब कि चालू वर्ष में ६,५६,०६ हजार का शुद्ध व्यय होने की संभावना है। यानी पिछले साल में जो एस्टीमेट था उसमें ४ करोड़ का एस्टीमेट डेफीसिट हो गया। इस साल ४ करोड़ ५६ लाख की आमदनी (income) होगी। तो स्टेट ट्रेडिंग में पहली बार सरकार आमदनी करने जा रही है। तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम घाटा भी नहीं करना चाहते और नफा भी नहीं लेना चाहते, तो यह ४ करोड़ का नफा कहां से आयेगा और फिर जो मैं कहता हूं कि बजट के द्वारा भूलभुलैया में डालने का जो प्रश्न उठता है वह बैलेंस शीट से उपस्थित होता है। उसमें ६ करोड़ ५६ लाख है। लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट में २करोड़३७ लाख हो गया। ४ करोड़ की कमी हो गई। तो जिस समय मुझे याद है कि माननीय मंत्री जी ने खाद्य नीति की घोषणा की थी तो यही कहा था कि ७ करोड़ का नुक्सान होने जा रहा है, भारी नुक्सान होने जा रहा है, एक बड़ा भारी संकट सा मालूम दिया। लेकिन जब नीति बदली तो रिवाइज्ड एस्टीमेट २ करोड़ रह गये और इस साल जो नीति है उसमें ४ करोड़ का नफा होने जा रहा है। यह कैसा बजट का जादू है कि कहां घाटा और कहां मुनाफा की आशा है। कम से कम हमारे सामने जो नीति है उसमें तो यही है।

जहां तक दामों को रोकने में असफलता है मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं कि कई बार वह कह चुके हैं कि जहां दाम बढ़े वहां हम स्टाक जब्त कर लेंगे। इस बीच में किन-किन शहरों में कितनी ही बार दाम बढ़े हैं यह मंत्री जी जानते हैं, लेकिन कितना स्टाक कितनी बार उन्होंने शहरों में कैप्चर किया, इतना माननीय मंत्री जी बतला दें तो मालूम हो जायगा कि दाम बढ़ने से रोकने में क्या हुआ।

चौथी बात मैंने यह कही कि दाम बढ़ाने में सरकार का स्वयं हाथ है। इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स के बारे में सरकार ने दो बार दाम बढ़ाये एक बार नवम्बर १९८ को बढ़ाये जब गेहूं का भाव ढ़ाई सेर से सवा दो सेर हो गया, फिर इसी पहली मार्च को गेहूं का भाव सवा दो सेर से दो सेर दो छटांक हो गया। जब सरकार स्वयं तीन-चार महीने के अन्दर दो बार दाम बढ़ाती है तब

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो फिर दूकानदार यह कहेगा कि ही जब सरकार दाम बढ़ा रही है, इसी लिये हम भी दाम बढ़ा रहे हैं, इसमें हमारी क्या ग़लती है। इस प्रकार दाम बढ़ाने से मार्केट के ऊपर यह असर पड़ता है कि दाम बढ़ाने की जैनरल टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। जहां तक फूड इंडेक्स का सवाल है मैं पहले बता चुका हूं और इस फाइव ईयर प्लान की रिपोर्ट में भी है कि किसी प्रकार फूड प्राइसेज़ के दाम कम नहीं हुये हैं। फूड इंडेक्स ३१८, मार्च, सन् ५२ में था और वह दिसम्बर सन् १९५२ में ४३१ हो गया। इस प्रकार फूड इंडेक्स का स्केल बढ़ रहा है, तो फिर हम यह कैसे मान सकते हैं कि माननीय मंत्री जी की जो खाद्य नीति है, जो दामों के संबंध में नीति है वह पंचवर्षीय योजना के अनुकूल है। अन्ततः दो साल, तीन साल में जब हमारी पंच वर्षीय योजना कार्यान्वित होने की सीमा पर पहुंचेगी, उस समय इस नीति का क्या असर पड़ेगा यह माननीय मंत्री जी ही जो खाद्य नीति के विशेषज्ञ हैं, जान सकते हैं।

इसके बाद मैं थोड़ा बहुत फ्यूल के बारे में कहना चाहता हूं। उस के बारे में इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि केवल ४० प्रतिशत फ्यूल वूड, जो सप्लाई किया जा रहा है, कंट्रोल दामों पर दिया जा रहा है और ६० फीसदी फ्यूल वूड जो सप्लाई हो रहा है वह कंट्रोल दामों पर नहीं सप्लाई किया जा रहा है। दूसरी तरफ शुगर के कारखानों को कंसेशन रेट्स पर सप्लाई किया जा रहा है। तो मैं क्या माननीय मंत्री जी को यह सुझाव दूं कि बजाय चीनी की मिलों को और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को कंसेशन रेट्स पर ईंधन देने के, वे उस कंसेशन को वहां से हटा कर जो छोटे शहरों में लिस्ट दी गयी है उन शहरों को सस्ते दामों पर ईंधन दें। इससे जनता का भार हल्का हो जायगा।

हाउस रेंट कंट्रोल ऐक्ट के बारे में माननीय मंत्री जी ने इस रिपोर्ट के द्वारा स्वयं मान लिया है कि उनकी वह नीति नाकामयाब रही जिसके जरिये यह निश्चय हुआ था कि जनवरी, १ सन् १९५१ से जितने मकान बनेंगे उन पर कंट्रोल ऐक्ट नहीं लागू होगा, और जो पुराने मकान होंगे उन्हीं पर लागू होगा,। आज हम यह देख रहे हैं कि मकान बजाय बढ़ने के घट रहे हैं। तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूं कि वे इसके बारे में एक स्पष्ट योजना बनायें बजाय इसके कि वे प्रदेश भर के मालिक मकानों को दो हिस्सों में बांट दें। इस तरह काम नहीं चलने वाला है। उस समय जब ऐक्ट पर वादविवाद हो रहा था तब मैंने कहा था कि यह नीति चलने वाली नहीं है क्योंकि जो नये मकान बनाने वाले हैं उनको दुविधा रहती है कि अन्त में हम पर भी यह ऐक्ट लागू हो जायगा। हमारे माननीय मंत्री जी को प्रदेश व्यापी हाउसिंग स्कीम बनानी पड़ेगी। समय कम है कहना तो बहुत था लेकिन मजबूरी है।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह जो खाद्य नीति है, यह जो नो प्राफिट नो लास की नीति है, यह जनता के लिये और खासकर उस एरिया के लिये जो पहले से डेफिसिट में हैं, अच्छी नहीं होगी। इस नीति का खासकर बिजनेस कम्युनिटी पर यह असर पड़ेगा कि वे यह समझेंगे कि सरकार की नो प्राफिट नो लास की पालिसी है इसलिये गल्ले की कीमत के बढ़ने की संभावना है। जब प्राइसेज बढ़ जाती हैं और सरकार फिर कंट्रोल करने की कोशिश करती है तब उसमें कीमतों के कम होने की गुंजाइश कम होती है और भ्रष्टाचार अधिक होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारा पर्वतीय इलाका पहले ही से डेफिसिट एरिया रहा है, हमेशा वहां गल्ले की कमी रहती है और अगर सरकार की ओर से गल्ला सस्ते दामों पर नहीं भेजा गया तो समस्या गंभीर हो जायगी। इस साल रबी की फसल के वास्ते मैं समझता हूं वर्षा समय पर न होने से फसल के काफी कम होने की संभावना है। यहां अभी से गेहूं पकने लग गये हैं और वहां पर्वतीय इलाकों में अभी एक और बारिश की आवश्यकता है। अगर वह नहीं हुई तो अनाज की बहुत बड़ी कमी पड़ जायगी। और अगर सरकार की यह नीति रही तो इससे बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो जायगी। मैं एक प्रकार की चेतावनी माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं कि वह अपने पास ऐसा प्राविजन रखें कि ऐसी गम्भीर स्थिति आने पर गल्ला पहुंचा सकें।

दूसरे सरकार की जो साल्ट कंट्रोल पालिसी है, उसके संबंध में कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। मेरी कान्सटीटुएन्सी में एक ऐसा इलाका पड़ता है खास करके गंगोत्री साइड में जहां कि एक खराब प्रकार का कोटो फाफरा अनाज पैदा होता है जो कि खाने के काबिल नहीं होता है। लोवर रीजन के लोग उस अनाज को नहीं पसन्द करते हैं। वहां के लोग अपर रीजन के भूटियों, तिब्बतियों से व्यापार करते हैं। उसको वहां ले जाकर नमक के साथ बार्टर करते हैं। उस नमक को लेकर के फिर लोवर रीजन्स में लोगों से अच्छे अनाज से बार्टर करते हैं। इससे उनकी गुजर होती है। इस व्यापार करने में उनका ध्येय प्राफिट करना नहीं है बल्कि उनकी गुजर का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह एक अनाज वहां होता है, वह उनसे नहीं खाया जाता है, इस जिले के दूसरे लोग भी नहीं खाते हैं उसको वे भूटियों और तिब्बतियों से बार्टर करके नमक लेते हैं और नीचे आ करके उस नमक के एवज में अनाज लेते हैं जिससे वह अपनी गुजर करते हैं। इसलिये गवर्नमेंट की जो साल्ट कन्ट्रोल की पालिसी है उसमें इन लोगों को गुजर करने की इजाजत दी जाय जिससे वे अपनी गुजर कर सकें। यह दो बातें मुझे मंत्री जी से कहनी थी।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रदेश के अन्न मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, इसलिये धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से लड़ाई के बाद अंग्रेज हमारे देश को रख करके यहां से गया और लड़ाई के बाद जिस तरह से हमारे प्रदेश की सरकार ने खाद्य समस्या को सुलझाया कि हमारे यहां एक आदमी की मृत्यु कहीं भोजन के लिये नहीं हुई। हमने देखा था कि जेलखानों में सन् १९४२ के के आंदोलन में जब हम लोग थे तो मालूम हुआ कि बंगाल की सड़कों और कलकत्ता की सड़कों पर लाखों आदमियों की लाशें दिखलाई देती थीं। कितने ही लोग इसी देश के रहने वाले थे, लकिन कहीं किसी ने कोई आवाज नहीं उठायी न अंग्रेज सरकार ने उसको बंद किया था। हमारा जिला जौनपुर भी एक ऐसे क्षेत्र में है जहां ४-५ साल से कुछ क्षेत्र में पानी नहीं पड़ा और इस साल में भी पानी नहीं पड़ा है। इतना होने पर भी अन्न मंत्री महोदय की दया से क्षेत्र के लोगों को काफी गल्ला मिला, वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी तरह इस बजट को देखने से मुझे मालूम हुआ कि सरकार की नीति जिस तरह से केन्द्रीय सरकार के साथ चल रही है वह धन्यवाद देने के लायक है। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार की नीति गलत है, नीति गलत नहीं है। हम जिस तरह से अपने विचार को ले करके चलेंगे वही नीति हमारे लिये ठीक होगी। यदि हमारी नीति में कोई अन्तर हो, हम दूसरे ढंग की नीति अख्तियार करना चाहते हों तो हो सकता है कि सरकार की नीति में भी हमें बुराई साबित हो, हम उसको ठीक से न देख सकें। क्या कोई ऐसी तरकीब या कोई तरीका है कि एक साल में सरकार देश को ऊंचा उठा सकती है ? किसी भी पार्टी की सरकार हो उसके सामने क्या कोई सुझाव है जो इस हिन्दोस्तान की गरीबी को और खास कर अन्न की समस्या को इतनी जल्दी हल कर सके, जहां कि पूर्वी जिलों में ९-१० जिले ऐसे हैं जहां खाने भर के लिये अनाज नहीं होता, अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था और न आज होता है क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है। इस सरकार से इतना अनुरोध अवश्य है कि जहां वह अन्य जिलों में सिंचाई की सुविधा देकर किसानों का उद्धार करना चाहती है वहां जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर आदि में भी पानी द्वारा किसानों की खेती की उन्नति करे।

इन शब्दों के साथ मैं अन्न मंत्री जी को बधाई देता हूं जो इस प्रकार से नियंत्रण धीरे-धीरे हटाते हुये इस प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को अन्न देने का कार्य कर रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी-अभी हमारे विरोधी दल के साथियों ने कहा, जिस समय सारे देश के अन्दर इस बात की मांग

[श्री बलवन्त सिंह]

हो रही थी कि गल्ले और सब चीजों से कंट्रोल हटाया जाय तो कम से कम हमारे देश के अन्न मंत्री जी इस बात की मुआफिकत में थे कि कंट्रोल रखा जाय और मैं समझता हूं कि उनकी यह नीति आजतक भी कामयाब है। लेकिन में यह जानता हूं कि हमारे केन्द्र के जो कर्णधार हैं उन्होंने इसमें हमारे प्राविंस से कुछ बहुत अच्छा सलूक नहीं रखा मगर यह हमारे अन्न मंत्री की नीति रही जिससे हमारे प्रदेश में जहां तक अधिक पानी से और कम पानी से दोनों से हानि होती है, और भूख की समस्या हर समय विराजमान रहती है, वहां हमारी खाद्य नीति को बहुत अंश तक सफल बना सके और हमारे मुख्य मंत्री की वह घोषणा कि हम, अपने प्रांत में एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने देंगे, मैं तो समझता हूं कि यह हमारे अन्न मंत्री की सूझबूझ का नतीजा है कि वह बहुत कुछ कामयाब हो सकी है। मैं तो यह कहूंगा कि वह अक्षरशः कामयाव रही है। जो नीति उन्होंने रखी है कि हर फसल में किसानों से गल्ला खरीदा जाय और वह इस ढंग से खरीदा जाय कि किसी के ऊपर कोई बोझ न पड़े, जैसे गल्ला बाजार में आता है वैसे ही वहां से खरीद लिया जाय, मैं समझता हूं कि यह ठीक ही है। गवर्नमेंट के पास ऐसे समय के लिये जब देश के अन्दर अन्न की या चीनी इत्यादि की कमी हो सकती है, कुछ न कुछ इन्तजाम अवश्य रहना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि हमारे प्रांत का हर आदमी और हम सब लोग इससे पूर्णतया सहमत हैं।

रही हमारे विरोधी पक्ष के लोगों की बातें उनको तो एक तरफ से तो मालिक मकानों का दर्द सताता है और दूसरी तरफ उनकी तरफ का भी दर्द होता है जिनका २ छटांक गल्ला रुपये पीछे कम कर दिया है। तो अब क्या करें उनको तो दर्द होना ही है। हमारे प्रांत का काम तो अच्छे रूप से चल रहा है और मैं इस के लिये अपने अन्न मंत्री जी को बधाई देता हूं कि एक दो सुझाव मुझे उनको देना है। लाल रोशनी भी आ गयी मगर भाग-दौड़ कर यह सुझाव तो दिये ही जाता हूं। एक तो यह कि इस समय गल्ले की गोदाम वगैरः की कमी हमारे देश के अन्दर है। गवर्नमेंट को चाहिये कि बजाय इसके कि पंचायत-घरों को बनाया जाय उनको चाहिये कि वे गोदाम बनाये जायं और उसके बनवाने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे देश में जो दस प्रतिशत गल्ले की कमी है अगर हमारे पास ढंग के गोदाम होंगे और भली प्रकार इस बात का प्रचार होगा कि हम चूहे वगैरह से अन्न को कैसे बचाकर जो हम इस कमी दूर करने में कामयाब हो जायेंगे। इसके लिये मैं अन्न मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये सीमेंट वगैरह दे कर कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से इस प्रकार के गोदाम बनवायें। इसके अतिरिक्त मंडियों का कोई ऐसा कानून हमारे यहां नहीं है। जिसके जरिये जो किसानों के यहां गल्ला पैदा होता है उसकी बिक्री वगैरह ढंग के साथ की जाय। तरह तरह की लोगबाग किसानों से जैसे धर्मादा वगैरह ले लिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून बनना चाहिये।

इसके अलावा एक बात और कि पश्चिमी जिलों में गुड़ की समस्या बहुत खराब होती जाती है। गुड़ की लदान सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। फसल के मौके पर किसान के यहां गुड़ पैदा होता है मगर उसका लदान नहीं होता है और इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। यह दो तीन सुझाव हैं जिन्हें मैं गवर्नमेंट के सामने रखता हूं और माननीय अन्न मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इन बातों पर विचार करेंगे और ऐसा कदम उठावेंगे जिससे किसानों को लाभ पहुंच सके।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अनुदान पर वादविवाद हो रहा है उस संबंध में मैंने माननीय खाद्य मंत्री महोदय के वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुना। विरोधी दल के मित्र श्री नारायण दत्त तिवारी का वक्तव्य भी मैंने सुना। वे तथा उनके साथी सदा से हवा में उड़ते नजर आते हैं। कोई अच्छी से

अच्छी बात हो उनके दल का महज आलोचना करने का काम सा रह गया है। उन्होंने इस बात के लिये कृतज्ञता नहीं प्रकट की कि खाद्य मंत्री जी ने ऐसे समय में जब कि गम्भीर परिस्थिति में हमारा देश था बड़ी दृढ़ता के साथ काम किया और खाद्य नीति को कार्यान्वित करने की कोशिश की।

जहां यह बात है वहां यह भी सही है कि कहीं-कहीं पर जबरदस्त कमियां भी हैं। आर० एफ०सी० विभाग की मनमानी बहुत मशहूर है और वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों का रवैया और कार्य बहुत ही दोषपूर्ण है, उनके इंस्पेक्टरों का जो कार्य रहता है उसका मुझे बहुत बुरा अनुभव है मैंने खाद्य मंत्री महोदय की सेवा में दो एक मामले भी रखे और उन्होंने फ़ौरन कार्यवाही की। आर०एफ० सी० विभाग के दोष पूर्ण कार्यों की ओर खाद्य मंत्री महोदय का ध्यान खास तौर पर आर्काषित करता हूं। जहां तक इस विभाग के इंस्पेक्टर्स और अधिकारियों का संबंध है मुझे कानपुर शहर और जले का खास तौर से तजुर्बा है। कानपुर में कई मामले पकड़े गये। शक्कर की बोरियां पकड़ी गयीं और गेहूं के बोरे पकड़े गये, कई मुहल्लों में इस तरह की चीजें हुई और शहर कांग्रेस के राशनिंग विभाग के इंचार्ज श्री हामिद खां, एम०एल०ए० कई बार ध्यान आर्कषित कराया, समाचार-पत्रों में अपना वक्तव्य भी प्रकाशित कराया और कई मामले पकड़े गये लेकिन जैसी चाहिये वैसी कार्यवाही नहीं की गई। और अब कई मामले दबे से पड़े हुये हैं। इस संबंध में जहां तक खाद्य मंत्री की दृढ़ता है और जहां तक इस नीति को कार्यान्वित करने की उन्होंने कोशिश की है उसके लिये मैं उनको जरूर बधाई देता हूं, लेकिन इस विभाग के कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और खास तौर से कानपुर में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसकी तरफ़ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आर्काषित करना चाहता हूं।

एक बात और जैसा कि मैंने कहा कि कानपुर में बहुत सी जगहों पर राशनिंग की दुकानों पर गल्ला दिया जा रहा है। पिछली मर्तबा जो गल्ला दिया गया था वह ऐसा था कि जिसे देख कर लोग ताज्जुब करते थे। पता नहीं वह गल्ला कहां से आता था और वह गल्ला ऐसा था कि लोग उसे खा भी नहीं सकते थे। कई मर्तबा गल्ला अधिकारियों के सामने लाया गया और इस बात की कोशिश की गई और वहां दिखाया गया कि उसमें कंकड़ी मिली हुई थी और मिट्टी मिली हुई थी और कई बार राशनिंग की दुकानों की जांच की गई और यह दिखाया गया कि वह गल्ला खाने लायक नही था।

मेरी माननीय खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह अपने विभाग के कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस ओर ध्यान दें और राशनिंग की दुकानों पर जो गल्ला दिया जा रहा है उसके लिये ऐसा कर दिया जाय, कि ऐसा गल्ला दिया जाय, जिसे लोग आसानी से खा सकें। उसमें कंकड़ी न मिली हों, मिट्टी न मिली हों। ऐसा गल्ला जो किसान के यहां से आता है वैसा न हो तो कम से कम ऐसा गल्ला तो हो जो खाने लायक हो। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सुझाओं पर ध्यान देकर शीघ्र कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे।

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बल्देव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, खाद्य-विभाग की मांगों पर अब तक कतिपय माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैंने श्री नारायण दत्त तिवारी जी के कथन को सुना और मुझे इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि वह आज भी यह चाहते हैं कि खाद्य मंत्री नियंत्रण की नीति के पक्ष में रहें, जब की इस देश की मांग है, हमारी जनता यह चाहती है कि धीरे-धीरे नियंत्रण ढीले किये जायं। हमारी सरकार ने जो नियंत्रण ढीले किये हैं उनका जनता ने स्वागत किया है। इस बात को तो माननीय नारायणदत्त जी भी अनुभव करेंगे। फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि वह एक ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, जो जनता में भ्रम पैदा कर सकती है।

[श्री बल्देवसिंह आर्य]

दूसरे उन्होंने पंचवर्षीय योजना की ओर इशारा किया है सचमुच में हमारी केन्द्रीय सरकार ने और प्लानिंग कमीशन ने इस बात को कहा है कि अगर हम पंच वर्षीय योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिये नियंत्रण का रहना आवश्यक है। लेकिन सवाल यह है कि प्लानिंग को सफल बनाने के लिये किन किन चीजों पर नियन्त्रण रहना आवश्यक है। यह बात हमारे मित्र तिवारी जी भली-भांति जानते हैं। आज हमारी सरकार की जो नीति है उसकी चारों तरफ से प्रशंसा की गई है।

साथ ही साथ मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि आज भी आवश्यक वस्तुओं पर हमारे खाद्य मंत्री जी की नियंत्रण रखने की नीति है और उसके अनुसार हमारे प्रदेश में खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण हो रहा है और वह इस प्रकार से रहेगा और धीरे-धीरे नियंत्रण ढीले होते जायंगे, जैसे-जैसे हमारे प्रांत में उत्पादन बढ़ता रहेगा उसी तरह से इस प्रदेश में नियन्त्रण ढीला होता रहेगा।

श्री जैनेन्द्र सिंह विष्ट ने टेहरी गढ़वाल के बारे में कहा है। उन्हें शायद ज्ञान हो कि प्रदेशीय सरकार पर्वतीय जिलों को ८०० टन गल्ला देती है। इसी तरह से टेहरी गढ़वाल में यानी पर्वतीय इलाकों में नमक भी भेजा जाता है। शायद उनको मालूम नहीं है कि पिछले दिनों जो नमक उनके जिले में भेजा गया था उसको कोआपरेटिव फेडरेशन ने लेने से इन्कार किया था जिसके कारण वह दूसरे जिले को भेजना पड़ा, आपने कहा कि तिब्बत से जो नमक आता है बार्टर सिस्टम से. वहां के लोग अन्न लेते हैं और इस तरह से नमक वहां से आता है। तो आप यह चाहते हैं कि पर्वतीय जिले में और टेहरी गढ़वाल में अधिक अन्न भेजा जाय ताकि तिब्बत से आने वाले नमक के साथ वे लोग बार्टर सिस्टम कर सकें। आपको पता है कि तिब्बत की परिस्थिति दिन ब दिन बदलती जा रही है और यह संभव है कि यह नमक वहां से आना बन्द हो जाय। हमारे उस इलाके के लोगों को जो तिब्बत के बार्डर पर रहते हैं, उनको इसी प्रदेश के नमक से अपना गुजारा करना चाहिये। यह बात कि यहां से गल्ला भेजा जाय तब वह तिब्बत से बार्टर सिस्टम से नमक खरीदें कम समझ में आती है। मैं समझता हूं कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमारी प्रदेशीय सरकार काफी गल्ला वहां भेज रही है पर यह कहना कि तिब्बत के लोग उनसे गल्ला खरीद ले जायं यह उचित नहीं मालूम होता।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसे कम करना चाहिये और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दूकानों में जो गल्ला दिया जा रहा है उसमें कंकड़ और रेत मिली रहती है मेरा ख्याल तो यह है कि उनको गलतफहमी है। ऐसा जरूर है कि कहीं कहीं धूल गल्ले में अधिक होती है। लेकिन सरकार की ओर से आदेश है कि दो प्रतिशत से अधिक जहां गल्ले में धूल होती हो उसकी सफाई होनी चाहिये और उसके बाद उसे जनता को दिया जाना चाहिये। अगर ऐसी कहीं कोई बात हो भी तो उस पर सरकार विचार कर सकती है और उस अन्न को साफ करके जनता को दे सकती है। साथ ही भ्रष्टाचार के संबंध में जो आपकी शिकायत है, मैं समझता हूं कि प्रांत के अन्य किसी भी जिले में ऐसी शिकायत नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि जिन पर शुबहा हुआ या जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतें सरकार के पास आई हैं या तो वे अलग कर दिये गये या उनके मामले अदालतों को दे दिये गये या उनको दूसरी तरह की सजायें दी गईं। इस प्रकार भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है जिसको कि आपने खाद्य मंत्री के भाषण में सुना है। मैं अब उनसे उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की गलतफहमी को वह अपने दिमाग में ही न रक्खेंगे। मैं तो चाहता हूं कि इस माननीय सदन में समय समयपर जो भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा होती रहती है उसको खत्म कर देना चाहिये और किसी प्रकार की ऐसी शिकायत हमारे प्रदेश में विद्यमान न रहे। मैं इन शब्दों के साथ अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्न मंत्री जी के इस विचार से इत्तिफाक करता हूं कि आज देश में नियन्त्रण की व्यवस्था से लोगों को संतोष हो गया है और असंतोष धीरे-धीरे दूर होने लगा है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह असंतोष जो दूर हुआ दिखाई देता है वह इस कारण से है कि लड़ाई के बाद जनता की परचेजिंग कैपेसिटी घटी है और धीरे धीरे वह परचेजिंग कैपेसिटी और और घटती जा रही है। और खरीदारी कम होती जा रही है । तो इस हालत में चोरबाजारी की कम गुंजाइश होती है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस भावना को छोड़ कर दूसरी भावना को समझें कि यह उनकी करामात नहीं है बल्कि यह कुदरती करामात है जो असंतोष दूर होता जा रहा है। मैं उनसे यह कहूंगा कि बजाय इसके कि नियंत्रण को दूसरे तरह से सोचें यह सोचने की जरूरत है कि उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जाय और उसका किस प्रकार वितरण किया जाय । ताकि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा ताकत और धन न आये और उसको कुदरती तौर पर लोगों के पास आप से आप पहुंचाया जाय ।

जहां तक अन्न उगाओ योजना का संबंध है जिनके यहां अन्न कम उगता है उन्हीं पर इसका ज्यादा बोझ पड़ा है । जहां प्रांत में लोगों के पास अधिक अन्न पैदा होता है उनके ऊपर कोई बोझा नहीं पड़ता। मैं कह सकता हूं कि जिनके यहां १ या २ हजार एकड़ में अन्न पैदा होता है, माननीय अन्न मंत्री जी ने कभी उनसे इस बात की चर्चा नहीं की होगी कि उसको कितना अनाज देना चाहिये,लेकिन दूसरों के पास यह भी नहीं देखा जाता कि उनके पास अनाज खाने को भी है या नहीं ।

नमक का जो कंट्रोल है उसके बारे में तो ऐसा लगता है कि उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है और जनता का कुछ ऐसा विचार ही बन गया है तथा न जनता इसकी कोई शिकायत ही करती है क्योंकि वह समझती है कि इसका अनियन्त्रित भाव है और इसीलिये अगर बनिया या बीच वाला उससे २,३ या ४ पैसा सेर ज्यादा ले लेता है तो भी उसे कुछ ज्यादा मालूम नहीं देता। जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं, और जो माननीय अन्न मंत्री के पाये हैं उनके संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उनका तो केवल इतना ही कार्य मालूम होता है कि बाजार में रह कर वे इतना ही करें कि जो बनिया ज्यादा जानकारी नहीं रखता, ब्लैकमार्केटिंग ज्यादा नहीं कर सकता, उसको वह तरकीब बता दें कि वह किस तरह से ज्यादा कमा सकता है और किस प्रकार चालाकी से बहीखाता खोलकर पनाह पा सकता है। मैं माननीय अन्न मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा निजी अनुभव है और मैंने मार्केटिंग इंस्पेक्टरों को गौर से देखा है। वह समझते भी नहीं हैं कि यह हमारा कुछ बिगाड़ भी सकता है और मैंने उनके निकट से ही यह जानकारी हासिल की है।

दूसरी बात जो मैं माननीय अन्न मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता इस ओर ध्यान देने की है कि अन्न का उत्पादन बढ़ाया जाय । वे कहेंगे कि अन्न के उत्पादन बढ़ाने का उनके विभाग से कोई संबंध नहीं है । कोआर्डिनेशन की बात जो कल हो गयी अतः माननीय अन्न मंत्री को इससे कुछ भी संबंध नहीं कि हमारे प्रांत में कितना अन्न पैदा होता है। इसके कारण हैं और उनका परिणाम भी होता है। क्योंकि फिर स्पेकुलेशन्स लगाये जाते हैं। या तो हमारे प्रदेश के अन्न मंत्री जी करते हैं या फिर कभी यूनियन के खाद्य मंत्री श्री किदवई बम्बई से बैठकर स्पेकुलेशन लगाते हैं । कुछ दिनों पहिले उन्होंने कहा था कि यू०पी० में २८ लाख मन चावल पैदा होगा। इसके बाद जब चावल किसानों के घर से निकल कर बनियों के घर में चला गया तो हमारे राज्य के अन्न मंत्री जी की तरफ से कहा जाने लगा कि १६ लाख टन चावल हमारे सूबे में हुआ और इस तरह से हमें नुक्सान पहुंचा दिया गया, चीनी और गुड़ के संबंध में भी मैं कुछ कहना जरूरी समझता हूं। मेरा ख्याल है चीनी और गुड़ के संबंध में बलवन्त सिंह जी ने जो कुछ कहा उससे सरकार सुबुकदोश नहीं हो सकती। जिस वक्त

[श्री गेंदा सिंह]
किसान के पास गुड़ होता है और गन्ने से चीनी बनाने का वक्त होता है उस वक्त गुड़ पर नियन्त्रण लगा दिया जाता है ताकि गुड़ बाजार में बना रहे और मिल वालों को गन्ना सस्ती कीमत में मिल सके। इसके बाद गुड़ के लिये बाजार खुल जाता है और वैगन भी मिलने लगते हैं मालूम नहीं क्या मामला है। सरकार और मिलवालों का किस तरह की साठगांठ है। यह समझने में मैं असमर्थ हूं।

इसके साथ साथ कोयला, सीमेंट, लोहा, कागज में कितना ही बंटवा दिया जाता हो लेकिन जो कुयें बनने के काम हैं और जिससे उत्पादन बढ़ सकता है वह नहीं बनते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में यदि माननीय मंत्री स्वयं इस बात की चेष्टा करें और उन जगहों को देखें जहां कुओं के लिये यह सीमेंट, कोयला और लोहा दिया गया है और इस बात के मालूम करने की चेष्टा करें कि वहां पर कितना उपयोग हुआ है तो इससे जनता का बड़ा लाभ होगा। मैं इससे ज्यादा इस समय नहीं कह सकता लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि यह १६ करोड़ का बजट सब से आखिरी वक्त में क्यों आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप माननीय अन्न मंत्री के विभाग को देखें तो इस ७८ करोड़ के बजट में २७ करोड़ का बजट उन्हीं से संबंध रखता है। २७ करोड़ का बजट ऐसे वक्त में रखा गया जब कि अध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं कि इस सदन में कितने लोग बैठे हुये हैं और कितनी बहस इस पर हुई है। मैं फिर उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इसको ऐसे वक्त पर लायें जिससे उस पर ज्यादा बातचीत की जा सके।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो खाद्य के विषय में, जो खाद्य पर नियन्त्रण है उसके बारे में इस सदन में वादविवाद चल रहा है, खाद्य के नियन्त्रण का जहां तक सवाल है इस नियंत्रण के द्वारा गरीब जनता का इतना लाभ हुआ है कि आज वे बेचारे जिन्दा हैं नहीं तो यहां तक नौबत आ गयी थी कि उन लोगों को बाजार से सामान न मिलने के कारण दो दो तीन तीन दिनों तक फाके करने पड़ते थे। जहां तक किसानों का संबंध है नियंत्रण होने के कारण और बाजारों में सामान न होने के कारण भले ही उनके यहां गल्ला सड़ गया हो लेकिन उन्होंने उसे बाजारों में लाना उचित नहीं समझा। इसके बाद जहां तक हो सका हमारी गवर्नमेंट ने गल्ला लाने का पूर्ण इंतजाम किया और मद्दे से मद्दे भाव पर उन गरीबों को गल्ला दिया जिनका मिलना कठिन हो गया था। जहां तक अन्न का संबंध है अन्न के नियंत्रण से गरीब जनता को अधिक लाभ हुआ क्योंकि अमीर तो पैसे वाले थे वे अपने पैसे से महंगा से महंगा गल्ला खरीद सकते थे लेकिन गरीब मजदूर जिनके पास कोई साधन नहीं था कि वे इतना महंगा गल्ला खरीद सकें और उसकी वजह से जनता व्याकुल हो उठी। इन सब बातों को सामने रखते हुये हमारी सरकार ने नियन्त्रण किया और उस नियंत्रण से अधिक लाभ हमारे गरीब समुदाय को पहुंचा है। परन्तु कुछ नियंत्रण ऐसी वस्तुओं पर भी लगे हैं जिनसे गरीबों को अधिक हानि हुई। जैसे छोटे छोटे व्यवसाय में गरीब मजदूर वगैरह लगे हुये थे वह व्यवसाय उनसे छिन गये। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वह नीति ऐसी बनायी गयी है कि बीच के बिचौलिया कायम हैं, दलाल कायम हैं, एजेंट कायम हैं और उन्हीं के द्वारा वितरण का कार्य किया गया है। उससे गरीब जनता को हानि हुई। मसलन जलाने वाली लकड़ी का किस्सा मैं आपको सुना देता हूं। उससे कोई भी लाभ गरीब जनता का नहीं है। ठेकेदार अलग परेशान हैं, जंगलात विभाग अलग परेशान है और जो एजेंट नियुक्त किये गये हैं वे पूरा सामान कभी भी शहरों में नहीं लाते। अगर उनकी पूरी फीगर्स देखी जावे कि प्रत्येक शहर के लिये उनको जितना कोटा दिया गया है क्या किसी भी शहर में पूरा कोटा कभी भी आया है? उसका खास कारण यह है कि जो दर रखी गई है उसका भाव नियंत्रण का इतना नीचे खींच कर रखा गया है कि उनको उनसे लाभ नहीं है जब तक कि वे बेईमानी न करें। हम तो यह चाहते हैं कि नियंत्रण रहे और अवश्य रहे परन्तु जो बीच के बिचौलिये हैं, एजेंट हैं या जो दलाल कहे जाते हैं वे न नियुक्त किये जायं। बल्कि इसके बदले में जो उत्पादन करता है

उसको थू यहां आकर नियंत्रण भाव पर बेचने का अधिकार हो ताकि उससे जनता को भी फायदा पहुंचे। तो मैं अपने खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इन एजेंटों के द्वारा जो नियंत्रण किया सामान वितरण किया जाता है उन सबों को हटा कर जैसा कि उन्होंने गल्ले का प्रबंध किया है कि जो गल्ला पैदा करता है वही सीधे बाजार में लाकर बेंचे उसी तरह से आप लकड़ी के लिये भी प्रबंध कर दें कि वे सीधे यहां आकर नियन्त्रण भाव पर बेंचें। जो सदस्य कहते हैं कि नियन्त्रण हटा दिया जाय वे गलत कहते हैं नियन्त्रण हटा देने से गरीब जनता का लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि मेरठ में जब हमारे नेता लोग पहुंचे और कहा कि गल्ले का नियंत्रण हटा दिया जाय तो सही दर पर अन्न मिलने लगेगा, लेकिन आपने देखा कि गरीब जनता कोह रगिज अन्न नहीं मिला है और गेहूं का भाव २६, २७ रु० मन तक पहुंच गया। और गरीब मजदूर त्राहि-त्राहि मचाने लगे और वे कहने लगे कि हम तो वही नियन्त्रण चाहते हैं।

कम से कम उसमें अपने राशन कार्ड पर अनाज उस भाव में तो मिल जायगा। इसलिये मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि नियंत्रण जरूर रहे जो बिचौलिया हैं उनको आप नष्ट कर दें जिससे कि नियंत्रण से किसी को हानि न पहुंचे। खास तौर से जो यह लकड़ी का किस्सा है इसमें सब से ज्यादा हानि गरीबों को पहुंचती है, उनका रोजगार समाप्त हो गया है और उनको परमिट भी नहीं मिलता है उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। सरकारी अफसर उनके साथ कोई रियायत करने के लिये तैयार नहीं होते हैं। यह किसी तरह से उचित नहीं है। आज हर मजदूर व्याकुल है। मैं अपने माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुये उनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इन बिचौलिया को हटा दें और उनका जो रोजगार था फिर से उनको दोबारा वही काम देकर वह रोजगार कराया जाय ताकि वह अपना रोजगार करने लगें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज २० मिनट का समय सदन का और बढ़ा दिया जाय। आज यह हाउस ५-२० तक चले।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सदन का समय आज २० मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का बड़ा अनुग्रहीत हूं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के सुझाव और अपने विचार अन्न की समस्या की बातों के बारे में इस सदन के सामने प्रस्तुत किये। उसमें नारायण दत्त जी ने मुझे एक उलाहना दिया और कहा कि वह गुप्ता जी कहां गये कि जो गुप्ता जी आज से ५ या ६ साल पहले जब गांधी जी जीवित थे उस समय गांधी जी के विरोध में यह कहा करते थे कि हमको नियंत्रण अपने प्रदेश में रखना चाहिये। तो मैं भाई नारायण दत्त जी से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मुझ में तो कुछ अन्तर नहीं हुआ है। अन्तर सिर्फ मुझमें इतना ही है कि जो एक समाजवादी धारा के व्यक्ति का होना चाहिये और वह यह है कि वह आब्जेक्टिव कंडीशंस को सामने देखकर अपनी बातों को जनता के सामने उपस्थित करता है। जब मैंने डिकंट्रोल की नीति को अपनाया है, तो उसके माने यह नहीं हैं कि जो नियंत्रण के नियम हैं या जो अधिकार हैं उनसे मैं अपने को वंचित कर लूं या सरकार उनसे अपने को वंचित कर दे। आप जानते हैं कि हमने जब प्रोग्रेसिव डिकंट्रोल की नीति को अपनाया है तब भी हमने कंट्रोल की मूवमेंट को अपने अधिकार में रखा है। आज भी जो व्यवसायी हैं उनके लाइसेंसिंग का अधिकार अपने अधिकार में ले रखा है। जब हमारे देश में या प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया जाता हो कि नियन्त्रण की जो परेशानियां हैं उनको दूर करना चाहिये, जब बराबर इसी बात की पुकार की

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जाती रही हो, जिम्मेवार लोग इस बात को कहते हैं और एक जिम्मेदारी के स्थान से यह बात दोहरायी जाती रही हो, तो अक्लमंदी का तकाजा यह होता है कि जो समाजवादी आब्जैक्टिव कंडीशन्स को सामने रखकर काम करता है वह अपनी नीति को इस तरह से बरते कि उसका एसेंस अपने हाथ में रखकर उस नीति में परिवर्तन करे। इस प्रदेश की सरकार ने आज वही बात की है, ताकि कोई ऐसी बात न हो कि हाथ से उन अधिकारों को हटा दें जिसके अन्तर्गत नियंत्रण चलाया जाता है। हमने कभी यह नहीं कहा कि हमारे प्रदेश के अन्दर नादिरशाही नीति चले, चाहे किसी को कोई चीज मिले या न मिले। यह नीति इस सरकार की नहीं है। मैं अपने बारे में यह कह दूं कि जिस दिन मुझ से ऐसा करने के लिये कहा जायगा चाहे किसी ऊंचे स्थान से यह अधिकार बरतने की बात कही जाय, तो मैं नारायण दत्त जी को बतलाना चाहता हूं और साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे वह इस स्थान पर नहीं पावेंगे। मैं जिस चीज को जनता के हित में समझूंगा उसको सदैव करने के लिये चेष्टा करूंगा मैं जमीन पर चलने की चेष्टा करता हूं और जमीन पर चलने की बदौलत ही मैं यहां हूं और मेरे भाई जो आसमान पर की बातें करते हैं, चलते हैं और चलने की चेष्टा करते हैं वह उधर हैं। आज वास्तविक कन्डीशन्स क्या हैं। वह लोग जो सदैव एक दूसरे के विरोधी थे आज उनकी समाजवादी व्यवस्था ने उनसे किसी बात पर जोर दिया वह किसी व्यक्ति......

श्री अध्यक्ष--राजनैतिक बहस शुरू न की जाय, नहीं तो गर्मागर्मी हो जायगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं तो उदाहरण के लिये कह रहा था कि समाजवादी आब्जैक्टिव कन्डीशन्स को सामने रख कर अपनी नीति में परिवर्तन करते हैं, इसी का उदाहरण मैं सदन के सामने रख रहा था, परन्तु अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं इस विषय में नहीं आता। मैं कह रहा था कि उनका वह उलाहना देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस सरकार ने जो बजट पेश किया है उस में मुनाफा दिखलाया गया है। यह ठीक है कि वह बहुत मेहनती हैं और आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन्होंने इन आंकड़ों को समझने में भूल की है, उनको मालूम होना चाहिये कि ४ सवा ४ करोड़ की रकम जो मुनाफे की बताई जाती है उसमें २ करोड़ रुपया रेवेन्यू एकाउन्ट से कैपिटल एकाउन्ट में आया है और यह वही खर्च है जो प्रदेश में बराबर होता रहा है। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिये कि इस समय यहां केन्द्रीय सरकार के लिये चावल खरीदा जा रहा है और हम ने २० या २५ हजार टन चावल देने का वादा केन्द्रीय सरकार से किया है, जिसको केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रदेशों की आवश्यकता के अनुसार भेजेगी और अकाल की व्यवस्था में वहां के लोगों की मदद करेगी। जब हम उसको देंगे तब हमें केन्द्रीय सरकार से पैसा मिलेगा और वह पैसा जब मिलेगा तो उस चावल की कीमत हमारे एकाउन्ट में आयेगी। तो यह कोई मुनाफे का सवाल नहीं है। इसी तरह से जो हम खरीदते हैं उन की कीमत आयेगी यह भी सब हम को मिलेगी। इसी तरह से हम केन्द्रीय सरकार से ३ लाख टन कैनाडियन ह्वीट या इम्पोर्टेड ह्वीट लेंगे। हमारे यहां कुल साढ़े ३ लाख टन गेहूं खर्च होगा। ५० हजार टन वह होगा जो हम ने खरीदा है। अगर अगले वर्ष कमी पड़ेगी तो हम लेंगे पहले अपने में से खर्च करेंगे इस तरह से इस में मुनाफे का कोई प्रश्न नहीं है। वह तो हमें इन सब चीजों की कीमतें मिलेंगी।

अब जहां तक एकेडेमिक दृष्टिकोण की बहस का ताल्लुक है, पंचवर्षीय योजना में तो यह शब्द किये हुये हैं फिर उस में सरकार तब्दीली क्यों कर रही है। पंचवर्षीय योजना में बहुत सी बातें लिखी हैं और एकेडेमिक रूप में जो एतराज वह उपस्थित करते हैं उन पर विचार भी हो सकता है और उनमें तथ्य भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आज स्थिति ऐसी है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से और वहां के

मंत्री की तरफ से बार बार केन्द्रीयकरण की नीति के संबंध में विनियन्त्रण की बात कही जाती है और उसके लिये वातावरण उपस्थित किया जाता है। अतः किसी भी सूबे की सरकार के लिये यह मुमकिन नहीं हो सकता कि नियंत्रण को अधिक कठोर बना सके। आज हम नियन्त्रणों को ढीला कर रहे हैं और विभाग की सारी मशीनरी को रखते हुये हम एक ऐसी नीति बरत रहे हैं जिस से जनता को नियन्त्रण से परेशानी और दिक्कत न होने पाये और ठीक तरीके से हम अधिक मात्रा में उन चीजों का वितरण प्रदेश में कर सकें जिन की आज प्रदेश में आवश्यकता है। यह तो नीति संबंधी प्रश्नों का उत्तर है।

एक सवाल पहाड़ी प्रदेश में नमक के संबंध में उठाया गया था और कहा गया था कि पहाड़ों पर हम जो नमक भेजते हैं उस के कारण भोटिया लोग, जो नमक लाते हैं, वह नहीं बेच पाते हैं। जहां तक भोटियों के नमक का प्रश्न है उन के नमक बेंचने में कोई रुकावट नहीं डाली है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उन की आवश्यकता की पूर्ति के लिये जो नमक हमारे प्रदेश में होता है वह हम भेजते हैं और वहां की जनता को अधिकार है कि वह चाहे जो नमक खरीदे हम किसी को बेंचने की या खरीदने की मनाही नहीं करते। हर एक को स्वतंत्रता है कि भोटिया लोग जो नमक लाते हैं वह खरीदें या जो नमक हमारे यहां से जाता है उसे खरीदे। लेकिन चूंकि हमारे यहां का नमक सस्ता मिलता है इस लिये लोग उसे जरूर पसन्द करेंगे। भोटिया लोग जो नमक लाते हैं और जिसके बदले में दूसरी चीजें ले जाते हैं वह बहुत गरां पड़ता है। हमने उसमें रुकावट नहीं की है।

रहा इस बात का प्रश्न कि हमारे यहां की पैदावार बढ़नी चाहिये, जो मंत्री इस खाद्य विभाग का हो उसे इस बात का भी ज्ञान हो, तो यह सही है। जिस तरह से अभी हमारे यहां वितरण है उसमें यह नहीं है कि जो एग्रीकल्चर का मिनिस्टर हो वही फूड का मिनिस्टर हो। बात सही तो वही होती जो अभी सुझाव के रूप में बताया गया। लेकिन अभी जिस तरह का काम चल रहा है उस काम में अधिक बाधा नहीं होती, क्योंकि हमारे विभाग को यह ज्ञान तो रहता ही है कि हमारे प्रदेश में कितनी मात्रा में चीज पैदा हुई उसके आंकड़े समय-समय पर हमारे विभाग में भी आते रहते हैं। हम सदैव इस बात की चेष्टा करते हैं। हमारी चेष्टा होती है कि जैसे पैदावार होती है हम उसी का वितरण प्रदेश में कर सकें। जितना बाहर से मंगा कर हम वितरण को बढ़ा सकते हैं उतना हम उन आंकड़ों की बुनियाद पर बढ़ाने की चेष्टा करते हैं।

प्रश्न आज नियंत्रण या विनियंत्रण का तो है नहीं। यह तो एक सुभीते का प्रश्न है। यह जो सुभीता हमने प्रदेश की जनता को दिया है, यदि उससे उन्हें तकलीफ होगी, उन को चीजें अधिक कीमतों पर खरीदनी पड़ेगी, तब जरूर एक ऐसा समय आयेगा कि हम फिर उस पर विचार करेंगे और जो नीति हमने बनायी है उसे हम फिर से तब्दील करेंगे आखिर जो कदम उठाया गया है, एक्सपेरीमेंट के ही रूप में तो है। सारी कंट्रोल की मशीनरी को हाथ में रखते हुये इस तरह का एक्सपेरीमेंट करें, जिससे यह देखें कि अन्न की कीमतें बढ़ती हैं या नहीं, अगर हमारे यहां पैदावार बढ़ी जैसा कि हम उम्मीद करते हैं क्योंकि यह फसल बहुत अच्छी हुई है, तो हमें आशा है कि जिस कीमत पर अभी गल्ला अपने यहां बेंच रहे थे उस कीमत पर शायद खुले बाजार में मिल सके। जो आंकड़े पैदावार के बताये जाते हैं कि इतनी पैदावार की आशा इस प्रदेश में इस रबी की फसल की है, अगर उसमें सत्यता हुई तो जो हमने जो कदम उठाया है उसमें हमें सफलता नहीं होगी। यदि हमें असफलता दिखायी दी और कीमतों को अधिक मात्रा में बढ़ते हुये देखा तो वह समय होगा कि इस सदन के सामने आयें और अपनी जिम्मेदारी समझा कर फिर अपनी नीति में परिवर्तन करेंगे। कोई सदा के लिये हमने यह नीति निर्धारित नहीं की है। हमारी बेसिक नीति नियंत्रण की है। उसका अधिकार हम अपने

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

हाथ में लिये हुये हैं। विनियंत्रण की जो नीति है वह समय और वातावरण की मांग है जनता भी नियंत्रण से उक्ता चुकी है और इस कारण हम यह मुनासिब समझते हैं कि इस नयी नीति को अपने प्रदेश में उभरने उठने और फैलने का मौका दें। इसी कारणवश हमने इस नीति को अपनाया है।

मैं और अधिक इस विषय में समय न लेते हुये सदन के माननीय सदस्यों को जो, विचार उन्होंने इस विभाग के संबंध में प्रगट किये हैं, उसके लिये धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वे इन अनुदानों को स्वीकृति प्रदान करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान्, माननीय खाद्य मंत्री जी ने जिस सुन्दर ढंग से हमारे द्वारा प्रस्तुत कुछ सुझावों पर अपनी सम्मति दी वह तो सराहनीय ही है। लेकिन फिर भी जिस भावना और दृष्टिकोण से मैंने उनके समक्ष अपने सुझाव रखे थे शायद वह उस को ठीक प्रकार समझ न पाये। उन्होंने कहा कि एक समाजवादी होने के नाते आब्जेक्टिव कंडीशंस के अनुसार स्थिति को देखा करता हूं और तभी हमने प्रोग्रेसिव डिकंट्रोल की प्रणाली बनायी है। मैंने स्वयं अपनी ओर से कोई यह राय नहीं दी थी कि कंट्रोल किस हद तक चलने चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। मैंने सिर्फ यह कहा था कि पंचवर्षीय योजना की क्या भावना है और कई बार प्लानिंग कमीशन के मेम्बर्स ने भी अपनी राय को स्पष्ट कर दिया है। श्रीमन्, अगर माननीय गुप्ता जी का यह ख़याल हो कि वह तो आब्जेक्टिव कंडीशंस के अनुसार फैसला करते हैं, लेकिन फाइव ईयर प्लान बनाने वाले आब्जेक्टिव कंडीशंस को नहीं देखते तो मैं तो ऐसी बात नहीं कहता। यह तो स्वयं माननीय गुप्ता जी सोच सकते हैं कि फाइव ईयर प्लान आब्जेक्टिव कंडीशंस में नहीं बनी या उस पर आब्जेक्टिव कंडीशंस में विचार नहीं हुआ।

मुझे माननीय बलदेव सिंह आर्य की बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि नारायण दत्त जी तो कह रहे हैं कि कंट्रोल को दोबारा कर दिया जाय लेकिन यह तो जनता चाहती नहीं है। तो जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है यह तो माननीय आर्य जी अच्छी तरह जानते हैं कि वस्तु-स्थिति क्या है। आज कांग्रेस के ख़िलाफ़ बहुमत होते हुये भी यहां उनका बहुमत बन गया। लेकिन जहां तक सवाल है कंट्रोल वाले मामले का तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पं० जवाहर लाल जी, हमारे प्रधान मंत्री और आदरणीय देशमुख जो फाइनेंस मंत्री हैं उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंसेज़ में और समय-समय पर अपनी कान्फरेंसेज में कहा है। कंट्रोल के संबंध में हमारे देश के प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कह दिया जब कि फूड मिनिस्टर्स की कान्फरेंस हुई, उसके बाद दिल्ली में कान्फरेंस हुई और बड़े कड़े शब्दों में कह दिया कि बेशक कंट्रोल्स की नीति ऐसी रहेगी। तो माननीय खाद्य मंत्री जी ने तो शब्द दोहराये नहीं। उन्होंने आब्जेक्टिव कंडीशंस का अपना दृष्टिकोण दिया। मुझे उससे एतराज़ नहीं लेकिन कोई ऐसी चीज़ यहां न रखें जिससे मालूम हो कि उनकी नीति और क़िदवई साहब और पं० जवाहर लाल नेहरू जी की नीति में कुछ फ़र्क़ है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जब केंद्रीय खाद्य मंत्री और केंद्रीय सरकार विनियंत्रण का वातावरण और तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में सरकार के लिये बड़ा मुश्किल है कि वह अपनी अलग नीति चलाये। यह वाकई ऐसी बात थी जो उनकी वास्तविक विचार धारा को प्रकट करती है और उस बात का पृष्टपोषण कर रही थी कि मेरे आंकड़े ग़लत नहीं हैं। यह तो कोई नहीं कहता कि ग़लत हैं लेकिन ग़लत नतीजे निकाले जाते हैं। यह एक नयी बात माननीय गुप्ता जी ने कह दी।

श्रीमन्, जहां घाटे का सवाल उठता है तो कैपिटल एकाउन्ट में घाटा भी दिखाया जाता है और मुनाफा भी दिखाया जाता है, तो जब घाटे का सवाल आता है तो ढिढोरा पीटा जाता है कि ६ करोड़, ७ करोड़ का घाटा हुआ है, बड़ी मुश्किल है, इतनी सब्सिडी देनी पड़ रही है कि हम बरख्वास्त नहीं कर सकते। उस समय जब यहां मैंने कह दिया कि

साढ़े चार करोड़ ज्यादा आ गये तो वह कैपिटल एकाउंट है। तो घाटा कैपिटल एकाउन्ट में है तो नफा भी है। मैं जानता हूं कि कैपिटल एकाउन्ट एक प्रोग्रेसिव ट्रांजेक्शन है। लेकिन जिस समय कि आप यह दावा करते हैं और माननीय मंत्री जी दावा करते हैं कि वह घाटा कैपिटल एकाउंट में हुआ तो इसी तरह से नफा भी हो सकता है। तो अगर वह अपने मुंह से घाटे का दावा न करें तो मैं भी अपने क्लेम को विद्ड्रा कर लूं जहां तक कि कैपिटल एकाउन्ट का संबंध है।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने उनसे आंकड़े मांगे थे कि आप ने दाम कम करने के लिये कितने दूकानदारों का स्टाक जब्त किया। कुछ हमको यह बतला देते और मैं अब फिर माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह हमें कुछ इसकी सूचना दें तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि आखिर दाम घटाने के लिये वह कर क्या रहे हैं। यह तो जाहिर है कि कई बार कहा गया और रोजाना समाचार पत्रों में निकलता है कि बस्ती या और दूसरी कई जगहों पर दाम बढ़ रहे हैं और ऐसी जगहों पर बढ़ रहे हैं जो कि सरप्लस एरियाज़ हैं। अगर मन्त्री जी ने इसके लिये कुछ किया हो तो वह हमें बतावें तो हम मानें कि वह आब्जेक्टिव कंडीशंस के आधार पर चल रहे हैं। तो जब उन्होंने कोई इस प्रकार के आंकड़े पेश नहीं किये तो मैं उनसे फिर पूछता हूं। और यहां तो हम सदन में बैठे हैं, जमीन में हैं या आसमान में हैं यह वह देखें, कहीं बाहर की बात होती, तो कहते, कोई तथ्य की बात होती तो कह सकते थे कि ज़मीन में हैं या आसमान में हैं। यहां तो हम सदन में बैठे हैं। वह तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश का वातावरण क्या है। मैं तो उनसे कहूंगा कि वह वास्तविक स्थिति को देखें, वास्तविक स्थिति को हमारे सामने रखें। तो अन्त में मैं उनसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि वह इतना बतला दें कि उन्होंने दाम कम करने के लिये कितना स्टाक जब्त किया है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय नारायणदत्त जी ने हमारे सामने रखा है और वह उस प्रश्न के द्वारा जो यह पूछना चाहते हैं कि हमने दाम घटाने के लिये क्या किया है तो उन्हें मालूम होना चाहिये कि जो दाम आज भी हमारी दुकानों पर हैं और जो दाम खुले बाज़ार में हैं, वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो दाम हमने बढ़ा कर भी रखा है वह भी बाजार के दाम से कम ही रखा है, क्योंकि यदि आज जिस भाव पर बाजार में गल्ला बिक रहा है उस भाव से बढ़ा कर ग़ल्ला बेचते तो उनको शिकायत हो सकती थी। मैंने पहले भी कहा था कि यह जो दाम बढ़ाया गया यह मजबूर हो कर बढ़ाया, क्योंकि हमको करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा था और हमारी स्टेट उस करोड़ों की संख्या के घाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तब भी हमने यह मुनासिब समझा कि जो बाजार में दर है उससे कम क़ीमत के ऊपर हम ग़ल्ला अपनी दुकानों से बिकवायें। लेकिन कब तक हम ग़ल्ले को इस तरह से अपनी दुकानों से बिकवायेंगे कि वह खुले बाजार के ग़ल्ले से सदैव कम क़ीमत पर ही बना रहे। अगर हम प्रोग्रेसिव कंट्रोल की नीति को अपना कर चलना चाहते हैं तो हमें जो बाजार में दाम हैं उन्हें स्थिर होने का एक मौक़ा देना पड़ेगा और वह मौका हम इसी तरह से दे सकते थे कि शनैः शनैः अपने दामों को इस तरह से बढ़ायें कि जो बाजार में क़ीमतें हैं उन क़ीमतों से हमारी दुकानों पर सस्ते दामों पर गल्ला बेचें। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो गल्ला हम अपनी दुकानों से बिकवा रहे हैं वह कम क़ीमत का है। आज हमारी दुकानों से १४ रुपये या साढ़े तेरह रुपये मन चना बिक रहा है जब कि बाजार में वह चना १८ रु० या १७ रुपया मन है। तो यह नीति हमने दामों के बढ़ाने के संबंध में बरती है। यदि उस मोटी बात को सामने रख कर, प्रोग्रेसिव डी कंट्रोल की नीति को शनैः शनैः अपनाते हुये, खुले बाजार में दाम निर्धारित होने की बात को मानते हैं तो यह नहीं हो सकता है कि हम सदैव दुकानों को खुला रखें। इसमें मुझे कोई आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है।

हमने गल्ला रिक्वीजीशन क्यों नहीं किया उसका कारण मैंने बताया था। कारण यह था कि गल्ला देहातों में अधिक मात्रा में नहीं है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट के अन्तर्गत हमने कुछ गल्ला तो वसूल कर लिया था। इस कारण से हम उस चीज़ को उस समय अपना नहीं सके और उसको काम में नहीं ला सके। जैसा मैंने अभी कह दिया है अब जब हम प्रोक्योरमेंट करने नहीं जा रहे हैं

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कोई मानोपली प्रोक्योरमेंट स्कीम नहीं लागू करने जा रहे हैं अगर अब भी गल्ले की क़ीमतें बढ़ेंगी, तो हमें जरूर अवसर है कि हम उस रिक्वीजीशन आर्डर को इस्तेमाल करें और गल्ले की क़ीमतों को उसके द्वारा गिराने की चेष्टा करें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४२ के अधीन १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--असाधारण व्यय (लेखा शीर्षक ६३, असाधारण व्यय) के अन्तर्गत ३,१५,७१,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ५१ के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--राज्य व्यापार की योजनायें (लेखा शीर्षक ८५-क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत १६,६२,१०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर २० मिनट पर सोमवार, १६ मार्च, १९५३ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१३ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६२ पर)

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६२ पर)

तालिका

Paragraph 670 (1) All members of the State Legislature shall during the term of such membership, be *ex-offico* non-official visitors of the district jails and central prisons situated at the headquarters of the district in which they reside.

Paragraph 683 (*a*) A person other than official or non-official visitors may visit a jail if he has obtained the written permission of the State Government or is accompanied by or has obtained the written permission of the Inspector General, the district magistrate or the superintendent. Visit by such persons may be made on any day between the hours of 7 and 11 A. M.

This restriction, however, is not intended to prohibit the superintendent from admitting persons whom he may wish to show round the jail at any other time.

NOTE.—A member of the State Legislature may also visit any jail, of which he is not an *ex-offico* visitor, under the provisions of this paragraph.

Paragraph 669. (*b*) The appointment of non-official visitors, other than *ex-offico* non-official visitors, shall be made by the State Government on the recommendations of the district committees of the Uttar Pradeshiya Apradh Nirodhak Samiti, received through district magistrates. The names of all persons recommedned for appointment by a district committee shall be reported to the State Government, and in case the district magistrate disagrees with the district committee in respect of the nomination of any person or persons, he shall inform the State Government by March 1 of the year in which appointment is due, of the fact together with his reasons for disagreement and the name or names of persons whom he consider suitable for appointment instead. In districts where no such committee exists or where the committee has failed to make recommedations by February 15, the district magistrate shall make his own recommendations and forward them to the State Government.

Paragraph 672 (*a*) The district magistrates shall cause the names of non-official visitors of jails situated in their districts, who are not debarred from visiting the jails under sub-paragraph (*b*), (*c*) and (*d*) of the preceeding paragraph, to be placed on a roster and shall invite such visitors to make monthly inspections of the jails of which they have been appointed visitors by turns in accordance with that roster. A visitor who is, for any reason, prevented from visiting the jail according to his turn in the roster may visit the jail in another month provided that he informs the superintendent before hand of his intention to do so.

(*b*) Non-official visitors of jails including *ex-offico* visitors may, in addition to any visits that they may make in accordance with the roster drawn up by the district magistrates concerned, also visit the jail on any day between the prescribed hours.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६३ पर)

क्रम संख्या	इंटर बोर्ड से मान्य स्कूलों का नाम	उनमें कहां तक शिक्षा दी जाती है	उन्हें जो वर्ष ५२-५३ में सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है उसका विवरण			
			पोषक अनुदान परिगणित मंहगाई अनुदान जाति संबंधी अनुदान काटने के पश्चात्		विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	महंगाई अनुदान
१	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुल्तान पुर	१०वीं कक्षा तक	...	...	...	...
२	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालिकाओं के लिये	१० वीं कक्षा तक	...	...	...	...
३	मधुसूदन विद्यालय इंटर कालेज सुल्तान पुर	१२ वीं कक्षा तक	१५,८५२	५००	१६,२०	५०० रु०
४	महात्मा गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुल्तानपुर	१२ वीं कक्षा तक	६,७२०	७८०	...	७८० रु०
५	चुन्नीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चितपटी सुल्तानपुर	१२ वीं कक्षा तक	८,७६०	५४०	२६४	५४० रु०
६	श्री रणवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमेठी सुल्तानपुर	१२ वीं कक्षा तक	३,२२८	४२०	१२०	४२० रु०
७	ए०एच० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुसाफिरखाना सुल्तानपुर	१० वीं कक्षा तक	४,८८४	४२०	...	४२० रु०
८	नेशनल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कादीपुर, सुल्तानपुर	१० वीं कक्षा तक	१,७२८	३९०	...	३९० रु०
९	एस० सी० राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल गोसाईं गंज, शफीउल्ला गंज, सुल्तानपुर	१० वीं कक्षा तक	अभी अनुदान नहीं मिल रहा है।			
१०	व० ग्रा० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरखरे, सुल्तानपुर	१० वीं कक्षा तक	अभी अनुदान नहीं मिल रहा है।			
११	पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, चोकिया सुल्तानपुर		इसी वर्ष मान्यता मिली है। अभी अनुदान नहीं मिल रहा है।			

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६५ पर)

GOVERNMENT NORMAL SCHOOL LUCKNOW

THE undersigned begs to invite the attention of the authorities of the Education Department to the following facts in regard to the Government Normal School Lucknow with a fervent hope that immediate enquiry be instituted :—

1. The work in the Normal School is not running smoothly under the present Headmaster.

2. The Headmaster is making money by making purchases of unneeded articles for the school e.g. A godrej almirah. He also makes purchases for the Co-operative shop with an intention of pocketting profits which should have gone to the Co-operative shop.

3. The Headmaster is making money by purchasing such articles which are needed for different crafts classes, but these purchases are made direct by the Headmaster so that he might get commission out of it.

4. The Headmaster's behaviour towards the members of the staff of the Normal School, Model School, inferior servants and pupil teachers is intolerable.

(*a*) There have been cases with Sita Ram Chowkidar, Ram Din Sweeper Jai Dev peon and all others of the inferior staff.

(*b*) The teachers of the Model School are unnecessarily harassed e.g. their applications for appearing at examinations, their leave applications etc. are not dealt with properly.

5. The facts will be revealed when an enquiry is made. Portion of Gram purchases for midday meals of the Model School children is demanded to be sent to the Headmaster's residence.

6. Article received as exhibits for the International Toy's Exhibition are taken home by the Headmaster e.g. harmonium, dolls etc.

7. The pupil teachers are to apply for the postponement of the terminal examinations to avoid Constructive work.

8. All correspondence even with inferior servants is done in English which clearly shows that the Headmaster has no knowledge of Hindi.

9. The pupil teachers do not recive their stipends in time due to which they cannot get their meals in mess.

10. The students of the Model School do not get their scholarships in time.

11. The school clerk has proceeded on leave. The peon is also on leave due to the misbehaviour of the Headmaster and they have been replaced by his own man.

12. If an impartial enquiry is instituted properly in absence of the Headmaster the facts will be revealed.

(Sd.) SUMER CHAND JAIN,
Government Contractor Nishatganj,
Lucknow.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८५ एल० ए०—१९५३—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड १२०

आ

च

छ

ज

प्रश्नोत्तर

भ

पी० एस० य० पी०---३२ यल ए---१९५३---८५०।